



अकाइद, मा 'मूलाते अहले सुन्नत, इबादातो मुआमलात और मुन्जियात व
मोहलिकात पर मुश्तमिल जामेअ और मुदल्लल किताब “बनाम”

फर्ज उलूम सीखिये

Farz Uloom Seekhiye (Hindi)

सफ़हात 802



पेशकश :

मजलिसे अल मदीनतुल इल्मिया
(दावते इस्लामी इन्डिया)

अक़ाइद, मा'मूलाते अहले सुन्नत, इबादातो मुआमलात और मुन्जियात व
मोहलिकात पर मुश्तमिल जामेअ और मुदल्लल किताब "बनाम"

फ़र्ज उलूम शीखिये

मुरत्तिबीन

मौलाना अब्दुल जब्बार अत्तारी मदनी, मौलाना सय्यिद अदील
जाकिर मदनी, मौलाना हफ़ीजुर्रहमान अत्तारी मदनी

पेशकश

अल मदीनतुल इल्मिय्या (दा'वते इस्लामी)

नाशिर

मक्तबतुल मदीना

नाम किताब	:	फ़र्ज उलूम सीखिये
पेशकश	:	शो'बए रसाइले दा'वते इस्लामी
कुल सफ़हात	:	
पहली बार	:	1446 सि.हि. 2025 ई. (Jan)
ता'दाद	:	
नाशिर	:	मक्तबतुल मदीना

तस्दीक़ नामा

तारीख़ : रमज़ानुल मुबारक 1442 हि.

हवाला नम्बर : 257

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

तस्दीक़ की जाती है कि किताब

“फ़र्ज उलूम सीखिये” (मतबूआ मक्तबतुल मदीना)

पर शो'बए तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल की जानिब से नज़र सानी की कोशिश की गई है। और इसे अक़ाइद, कुफ़्रिय्या इबारात, अख़लाक़िय्यात, फ़िक्ही मसाइल और अरबी इबारात वगैरा के हवाले से मक़दूर भर मुलाहज़ा कर लिया है, अलबत्ता कम्पोज़िंग या किताबत की ग़लतियों का ज़िम्मा शो'बे पर नहीं।

शो'बए तफ़्तीशे कुतुबो रसाइल (दा'वते इस्लामी)

28-4-2021

इल्तिजा : किसी और को येह किताब छापने की इजाज़त नहीं

याद दाशत

(दौराने मुतालआ ज़रूरतन अन्डर लाइन कीजिये, इशारात लिख कर सफ़हा नम्बर नोट फ़रमा लीजिये। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ, इल्म में तरक्की होगी)

[illegible]

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

“फ़ैज़ाने फ़र्ज़ इल्लूम” के बारह हुरुफ़ की निश्चय से इस किताब की पढ़ने की “12 नियतें”

फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ : صَلَّيْ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “मुसलमान की नियत उस के अमल से बेहतर है।”⁽¹⁾

मदनी फूल :

❁ ...जितनी अच्छी नियतें ज़ियादा, उतना सवाब भी ज़ियादा ।

(1) हर बार हम्द व (2) सलात और (3) तअव्वुज़ व (4) तस्मिया से आगाज़ करूंगा । (इसी सफ़हे पर ऊपर दी हुई अरबी इबारत पढ़ लेने से इन नियतों पर अमल हो जाएगा) (5) रिज़ाए इलाही के लिये इस किताब का अव्वल ता आख़िर मुतालआ करूंगा । (6) हत्तल वस्अ इस का बा वुजू, क़िब्ला रू मुतालआ करूंगा (7) कुरआनी आयात और अहादीसे मुबारका की ज़ियारत करूंगा (8) जहां जहां “अल्लाह” का नामे पाक आएगा वहां عَزَّوَجَلَّ और (9) जहां जहां “सरकार” का इस्मे मुबारक आएगा वहां ﷺ पढ़ूंगा (10) इस हदीसे पाक تَهَادَاتُ تَحَابُّرًا एक दूसरे को तोहफ़ा दो आपस में महबबत बढ़ेगी ।”⁽²⁾ पर अमल की नियत से (एक या हस्बे तौफ़ीक़) येह किताब ख़रीद कर दूसरों को तोहफ़तन दूंगा (11) दूसरों को येह किताब पढ़ने की तरगीब दिलाऊंगा । (12) किताबत वग़ैरा में शर्इ ग़लती मिली तो नाशिरीन को तहरीरी तौर पर मुत्तलअ करूंगा । اِنْ شَاءَ اللّٰهُ (याद रखिये ! नाशिरीन को किताबों की अग़लात सिर्फ़ ज़बानी बता देना ख़ास मुफ़ीद नहीं होता ।)



..... 1 مجتم کبیر، 6/185، حدیث: 5942

..... 2 موطا امام مالک، 2/407، حدیث: 1731

मौजूअ	सफ़हा	मौजूअ	सफ़हा
तआरुफ़ अल मदीनतुल इल्मिया	9	जिन्नात का बयान	109
पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़रने का नुस्खा हाज़िर है	10	तक्दीर का बयान	112
पहला बाब : इस्लामी अक्कीदे		मौत और क़ब्र का बयान	115
तौहीदे इलाही का बयान	21	क़ियामत और इस की निशानियों का बयान	121
ज़ात व सिफ़ात का बयान	26	हि़साब का बयान	128
शिरक़ का बयान	32	पुल सिरात का बयान	129
नुबुव्वत का बयान	34	हौज़े कौसर का बयान	130
इमामुल अम्बिया हज़रते मुहम्मद मुस्तफ़ा	41	जन्नत का बयान	131
मो'जिज़ात का बयान	44	दोज़ख़ का बयान	134
नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्तफ़ा का बयान	47	ईमान का बयान	137
हाज़िरो नाज़िर का बयान	51	कुफ़्रिया कलिमात और मुरतद के अहक़ाम का बयान	141
इल्मे ग़ैबे मुस्तफ़ा का बयान	54	औलियाउल्लाह का बयान	163
शफ़ाअते मुस्तफ़ा का बयान	60	दूसरा बाब : मा'मूलाते अहले सुन्नत	
इख़्तियाराते मुस्तफ़ा का बयान	64	या रसूलल्लाह और या नबिय्यल्लाह कहने का बयान	168
अख़्लाके मुस्तफ़ा का बयान	67	ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने न मांगने का बयान	176
वालिदैने मुस्तफ़ा का बयान	69	वसीले का बयान	178
तआरुफ़ व फ़ज़ाइले अज़्वाजे मुतहहरात का बयान	73	ईसाले सवाब का बयान	182
अहले बैते अत्हार का बयान	77	बुजुर्गों का उर्स मनाने का बयान	187
ख़ुलफ़ाए राशिदीन का बयान	89	मज़ार और गुम्बद बनाने का बयान	189
इमामते कुब्रा का बयान	94	मज़ार पर फूल चादर चढ़ाने का बयान	190
अशरए मुबशशरा और दीगर सहाबए किराम का बयान	95	ज़ियारते कुबूर का बयान	191
मुशाजराते सहाबा का बयान	97	नज़्रो नियाज़ का बयान	193
कुरआने मुबीन का बयान	105	तबर्कुकात का बयान	194
मलाएका बयान	106	अज़ानो इक़ामत से पहले दुरूद पढ़ने का बयान	197

अंगूठे चूमने का बयान	198	शबीने का बयान	368
क़ब्र पर अज़ान देने का बयान	200	सुननो नवाफ़िल का बयान	370
बड़ी रातों में इबादत करने का बयान	201	सूरज ग्रहन और चांद ग्रहन की नमाज़ का बयान	376
शबे मे'राज का बयान	206	इमामत का बयान	377
मीलादुन्नबी का बयान	210	क़ज़ा नमाज़ों का बयान	407
बिद्अत का बयान	219	नमाज़े सफ़र का बयान	411
तक्लीद की ज़रूरत व अहम्मियत का बयान	222	सज्दए तिलावत व शुक्र का बयान	414
पीरी मुरीदी की शर्ई हैसियत	227	नमाज़े जुमुआ का बयान	419
तीसरा बाब : इबादात		नमाज़े ईद का बयान	425
तहारत का बयान	240	मरज़ व इलाज का बयान	431
नजासतों का बयान	243	इयादत व मौत का बयान	433
हैज का बयान	247	गुस्ते मय्यित का बयान	436
इस्तिहाज़ा का बयान	249	कफ़न देने का बयान	440
निफ़ास का बयान	251	नमाज़े जनाज़ा का बयान	446
इस्तिन्जा का बयान	260	तल्कीन का बयान	462
वुजू का बयान	264	ज़कात का बयान	467
गुस्ल का बयान	274	सदक़े का बयान	479
तयम्मूम का बयान	280	रोज़े का बयान	487
अज़ान और इक़ामत का बयान	286	सदक़ए फ़ित्र का बयान	499
वक़्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान	293	हज़ का बयान	502
नमाज़ का बयान	297	उम्रह का बयान	515
नमाज़ के फ़राइज़ का बयान	308	ज़ह्द और कुरबानी का बयान	516
नमाज़ का अमली तरीक़ा	331	चौथा बाब : मुअ़ामलात का बयान	
बा जमाअत नमाज़ पढ़ने का बयान	346	निकाह का बयान	524
सफ़े अव्वल में नमाज़ पढ़ने का बयान	350	जिन से निकाह हराम है	529
सफ़े दुरुस्त करने का बयान	352	वली का बयान	531
नमाज़ में लुक्मा देने का बयान	356	कुफू का बयान	533
तरावीह का बयान	360	हक़ महर का बयान	533

वलीमे का बयान	535	इख़्लास का बयान	629
तलाक़ का बयान	536	सब्र का बयान	631
ईला का बयान	538	हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	633
खुलअ़ का बयान	540	मुहासबए नफ़्स का बयान	635
ज़िहार का बयान	542	क़नाअत का बयान	637
लिआन का बयान	543	हुस्ने ज़न का बयान	639
इद्दत का बयान	546	तौबा का बयान	641
सोग का बयान	547	अल्लाह और रसूल की ताअत का बयान	643
बच्चे की परवरिश का बयान	549	तवक्कुल का बयान	644
नफ़के का बयान	551	ख़ौफ़े खुदा का बयान	646
क़सम का बयान	554	उम्मीदों की कमी का बयान	648
मन्नत का बयान	557	सिद्क़ (सच बोलने) का बयान	649
अमानत का बयान	560	रजा का बयान	651
आरिख्यत का बयान	561	ग़नी का बयान	653
गवाही का बयान	563	माल से बे रज़्बती का बयान	654
वक्फ़ का बयान	567	खुफ़्या तदबीर से डरने का बयान	656
तौलियत का बयान	570	एहतिरामे मुस्लिम का बयान	658
ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान	572	शैतान की मुख़ालफ़त का बयान	661
ख़यारे शर्त का बयान	577	शुक्र का बयान	663
ख़यारे रूयत का बयान	580	दिल की नरमी का बयान	664
ख़यारे ऐब का बयान	581	ज़ोहद का बयान	666
सूद का बयान	583	महब्बते इलाही का बयान	668
बा'ज़ राइज़ ना जाइज़ तिजारतों का बयान	585	ख़ल्वत नशीनी का बयान	671
जदीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात	599	मौत को याद करने का बयान	673
पांचवां बाब : मुन्जियात		छठा बाब : मोहलिकात का बयान	
निय्यत का बयान	627	हसद का बयान	675

रियाकारी का बयान	677	मुदाहनत का बयान	715
कीने का बयान	679	धोका देही का बयान	717
बद गुमानी का बयान	680	ग़स्ब का बयान	719
तकब्बुर का बयान	682	बुख़ल का बयान	721
बद शुगूनी का बयान	684	जुल्म का बयान	723
मज़ाक़ उड़ाने का बयान	699	फ़र्ज़ इल्म न सीखने का बयान	726
ला'नत का बयान	701	गुस्से का बयान का बयान	728
गाली का बयान	704	मुन्तख़ब आयात	730
फ़ोहूश गोई का बयान	706	ख़ुल्बात	756
राज़ छुपाने का बयान	708	तफ़्सीली फ़ेहरिस्त	772
तजस्सुस का बयान	710	मआख़िज़ो मराजेअ	794
बद निगाही का बयान	712	☆☆☆☆☆☆	



कोई देख तो नहीं रहा !

हज़रते सय्यिदुना फ़रक़द सबख़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मुनाफ़िक़ जब देखता है कि उसे कोई (आदमी) नहीं देख रहा तो वोह गुनाह कर डालता है। अफ़सोस ! कि वोह इस बात का तो ख़याल रखता है कि लोग उसे न देखें मगर अल्लाह करीम देख रहा है इस बात का लिहाज़ नहीं करता । (احیاء العلوم، ۵/ ۱۳۰)

अल मदीनतुल इल्मिया का तआरुफ़

आलामे इस्लाम की अज़ीम दीनी तहरीक दा'वते इस्लामी ने मुसलमानों को दुरुस्त इस्लामी लिटरेचर पहुंचाने और इस के ज़रीए इस्लाहे फ़र्द व मुआशरा के अज़ीम मक़सद के लिये 1421 हि. मुताबिक 2001 ई. को जामिअतुल मदीना में अल मदीनतुल इल्मिया के नाम से एक तहकीकी इदारा काइम किया जिस का बुन्यादी मक़सद आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान कादिरी رحمۃ اللہ علیہ की कुतुब को दौरे हाज़िर के तकाज़ों के मुताबिक़ शाएअ करवाना था। 1425 हि. मुताबिक 2005 ई. में इसे मदनी मर्कज़ फैज़ाने मदीना में मुन्तक़िल कर दिया गया। अमीरे अहले सुन्नत, बानिये दा'वते इस्लामी अल्लामा मुहम्मद इल्ल्यास अतार कादिरी دامت برکاتہم العالیہ के नेकी की दा'वत, एहयाए सुन्नत और इशाअते इल्मे शरीअत का अज़म पेशे नज़र रखते हुए येह इदारा छे शो'बाजात में तक्सीम किया गया। फिर इन में ब तदरीज इजाफ़ा होता रहा। इस की एक और शाख़ काइम हो चुकी है, दोनों शाख़ों में 120 से ज़ाइद उलमा तस्नीफ़ो तालीफ़ या तरजमा व तहकीक़ वगैरा के काम में मसरूफ़ हैं और 2021 ई. तक इस के 23 शो'बे काइम किये जा चुके हैं :

(1) शो'बए फैज़ाने कुरआन (2) शो'बए फैज़ाने हदीस (3) शो'बए फ़िक्ह (फ़िक्हे हनफी व शाफ़ेई) (4) शो'बए सीरते मुस्तफ़ा (5) शो'बए फैज़ाने सहाबा व अहले बैत (6) शो'बए फैज़ाने सहाबियात व सालिहात (7) शो'बए फैज़ाने औलिया व उलमा (8) शो'बए कुतुबे आ'ला हज़रत (9) शो'बए तख़्वीज (10) शो'बए दर्सी कुतुब (11) शो'बए इस्लाही कुतुब (12) शो'बए हफ़तावार रिसाला (13) शो'बए बयानाते दा'वते इस्लामी (14) शो'बए तराजिमे कुतुब (15) शो'बए फैज़ाने अमीरे अहले सुन्नत (16) माहनामा फैज़ाने मदीना (17) शो'बए दीनी कामों की तहरीरात (18) दा'वते इस्लामी के शबो रोज़ (19) शो'बए बच्चों की दुन्या (20) शो'बए रसाइले दा'वते इस्लामी (21) शो'बए ग्राफ़िक्स डीज़ाइनिंग (22) शो'बए राबिता बराए मुसन्निफ़ीन व मुहक्किनी (23) शो'बए इन्तिज़ामी उमूर काइम हैं।

अल मदीनतुल इल्मिया के अग़राजो मक़ासिद येह हैं :

☆ बा सलाहियत उलमाए किराम को तहकीक़, तस्नीफ़ो तालीफ़ के लिये प्लेट फ़ोर्म मुहय्या करना और उन की सलाहियतों में इजाफ़ा करना। ☆ कुरआनी ता'लीमात को अस्सी तकाज़ों के मुताबिक़ मन्ज़रे आ़म पर लाना। ☆ इफ़ादए ख़वास व अ़वास के लिये उलूमे हदीस और बिल खुसूस शर्हे हदीस पर मुश्तमिल कुतुब तहरीर करना। ☆ सीरते नबवी, अहदे नबवी, क़वानीने नबवी, तिब्बे नबवी वगैरा पर मुश्तमिल तहरीरें शाएअ करना। ☆ अहले बैत व सहाबए किराम और उलमा व बुजुग़ाने दीन की हयात व ख़िदमात से आगाह करना। ☆ बुजुर्गों की कुतुबो रसाइल जदीद मन्हज व उस्लूब के मुताबिक़ मन्ज़रे आ़म पर लाना बिल खुसूस अरबी मख़्तूतात (गैर मत्बूअ) कुतुबो रसाइल को दौरे जदीद से हम आहंग तहकीक़ी मन्हज पर शाएअ करवाना। ☆ नेकी की दा'वत का ज़ब्बा रखने वालों को मुस्तनद मवाद फ़राहम करना। ☆ दीनी व दुन्यावी ता'लीमी इदारों के त़लबा को मुस्तनद सिहहत मन्द मवाद की फ़राहमी नीज़ दर्से निज़ामी के त़लबा व असातिज़ा के लिये निसाबी कुतुब उम्दा शुरुहात व हवाशी के साथ शाएअ कर के उन की ज़रूरत को पूरा करना।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ ! अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ की शफ़क़तो इनायत, तरबियत और अता कर्दा उसूलों पर अमल पैरा होने का ही नतीजा है कि दुन्या व आख़िरत में काम्याबी पाने, नई नस्ल को इस्लाम की हक्कानियत से आगाह करने, उन्हें बा अमल मुसलमान और एक सिहहत मन्द मुआशरे का बेहतरीन फ़र्द बनाने, वालिदैन व असातिज़ा और सर परस्त हज़रात को अन्दाजे तरबियत के दुरुस्त तरीक़ों से आगाह करने और इस्लाम की नज़रिय्याती सरहदों और दीनो ईमान की हिफ़ाज़त के लिये **अल मदीनतुल इल्मिया** ने अपने आगाज़ से ले कर अब तक जो काम किया वोह अपनी मिसाल आप है।

अल्लाह पाक अपने फ़ज़लो करम से ब शुमूल **अल मदीनतुल इल्मिया** दा'वते इस्लामी के मदनी कामों, इदारों और शो'बों को मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। اٰمِيْنَ بِجَاوِزِ النَّبِيِّ الْاٰمِيْنَ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

तारीख़ : 15 शव्वालुल मुक़र्रम 1442 हि./27 मई 2021 ई.

पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़ारने का नुस्खा हाज़िर है

सुकून और इत्मीनान वोह ख़ज़ाना है जिसे हर बेचैन शख्स हासिल करना चाहता है, मख़्लूक ने इस ख़ज़ाने तक पहुंचने और इसे खोजने के बहुत से रास्ते अपनाए हुए हैं मगर वोह रास्ते ज़िन्दगी के किसी न किसी मोड़ पर मख़्लूक की तरह फ़ानी साबित होते हैं येह ख़ज़ाना भी नहीं मिलता अलबत्ता इसे तलाश करने वाला मायूसी के दलदल में धंस जाता है।

अल्लाह पाक ने सुकूनो इत्मीनान तक पहुंचने का सीधा रास्ता “दीने इस्लाम” अता फ़रमाया है। इस्लाम में दीनी, दुनियावी, उख़वी, अख़लाकी, ज़ाहिरी, बातिनी, घरेलू, ख़ानदानी, मुआशरती और मआशी बल्कि हर ए’तिबार से ज़िन्दगी के तमाम शो’बाजात से वाबस्ता अफ़राद के लिये बेहतरीन उसूलो ज़वाबित और शानदार हिदायात मौजूद हैं। सिर्फ़ इस्लाम ही अल्लाह पाक का पसन्दीदा दीन है,

चुनान्वे पारह 6 सूरए माइदह की आयत नम्बर 3 में रब्बे करीम का फ़रमाने हकीक़त बुन्याद है :

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي
وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : आज मैं ने तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन कामिल कर दिया और तुम पर अपनी ने’मत पूरी कर दी और तुम्हारे लिये इस्लाम को दीन पसन्द किया।

इसी तरह पारह 3 सूरए आले इमरान आयत नम्बर 19 में रब्बे करीम ने इर्शाद फ़रमाया :

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह के यहां इस्लाम ही दीन है।

इन आयाते करीमा से मा’लूम होता है कि दीने इस्लाम ही वोह वाहिद मज़हब है जिस में दुन्या व आख़िरत की भलाइयां पोशीदा हैं और हकीकी क़ल्बी सुकून भी इसी मज़हबे हक़ की क़बूलियत में है।

इन्सान की बेचैनी और बे इत्मीनानी का बड़ा बुन्यादी सबब ला इल्मी है इसी लिये दीने इस्लाम ने हर मुसल्मान मर्द व औरत के लिये हुसूले इल्म ज़रूरी क़रार दिया है, क्यूं कि इल्म से बेहतर कोई चीज़ नहीं, इल्म दिल को अन्धे पन से बचा कर नूरे बसीरत व हिदायत अता करता है, बन्दा इस के ज़रीए नेक लोगों की मनाज़िल और बुलन्द दरजात को पा लेता है, इस में ग़ौरो फ़िक्क़ रोज़ा रखने के बराबर और इस का दर्स रात के क़ियाम के बराबर है, इल्म के ज़रीए ही अल्लाह की इबादत व फ़रमां बरदारी होती है, इसी से तमाम अख़लाकी, समाजी और ज़िन्दगी से तअल्लुक़ रखने वाले दीगर उमूर अन्जाम दिये जाते हैं। इल्म ही की बदौलत इन्सान के किरदार में निखार, अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास और अपने फ़राइज़ को अन्जाम देने की रग़बत नसीब होती है। नबिय्ये अकरम صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने मुआशरे में बसने वाले अफ़राद को इल्म की अहम्मियत का एहसास किस तरह दिलाया ? इस का अन्दाज़ा लगाने के लिये येह हदीस

मुलाहज़ा कीजिये : तुम्हारा सुब्ह के वक़्त इल्म का एक बाब सीखने के लिये जाना सो रक्अत नफ़ल नमाज़ से बेहतर है।⁽¹⁾ एक रिवायत में यूँ इर्शाद हुवा : “ईमान बे लिबास है, इस का लिबास तक्वा, इस की जीनत हया और इस का फल इल्म है।”⁽²⁾ और एक हदीस में इर्शाद फ़रमाया : **إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالسَّعْيِ** या’नी इल्म सीखने से ही आता है।⁽³⁾ ऐसी रिवायात को पढ़ कर इन्सान का दिल करता है कि वोह भी इल्म हासिल करे लेकिन बसा अवक़ात फ़ैसला नहीं कर पाता कि क्या जानना ज़रूरी है और क्या नहीं ? कभी येह होता है कि इन्सान अपनी ज़रूरत का इल्मे दीन हासिल तो करना चाहता है मगर मसरूफ़ियात या दीगर वुजूहात की वजह से वोह ऐसा करने से कासिर रहता है।

हुसूले इल्म की अहम्मियत तो वाजेह हो गई लेकिन येह जानना भी ज़रूरी है कि कौन सा इल्म हासिल करना ज़रूरी है ? तो इस्लाम ने हमें बता दिया कि जो भी एक खुश गवार ज़िन्दगी गुज़ारना चाहता है वोह सब से पहले येह पांच उलूम : (1) अक़ाइद व नज़रियात (2) इबादात (3) मुआमलात (4) मुन्जियात (या’नी अच्छे अख़्लाक) (5) मोहलिकात (या’नी बुरे अख़्लाक) हासिल करे, इन उलूम का मुख़्तसर तआरुफ़ और अहम्मियत मुलाहज़ा कीजिये :

(1) इस्लामी अक़ीदे : याद रखिये ! लफ़ज़ अक़ीदा “अक़द” से बना है जिस का मा’ना है बांधना या गिरह लगाना जब कि लुग़वी ए’तिबार से बांधी हुई या गिरह लगाई हुई चीज़ को अक़ीदा कहते हैं।⁽⁴⁾ शरीअत की इस्तिलाह में अक़ीदा उन दीनी उमूर का नाम है जिन पर दिल बिगैर किसी शको शुबे और तरहुद के पुख़्ता हो जाए। क्यूं कि दीन के किसी मुआमले में शको शुबा और तरहुद कुफ़्र है।⁽⁵⁾ जिस से आदमी सहीहुल अक़ीदा सुन्नी मुसल्मान बनता है, मसलन अल्लाह करीम की ज़ातो सिफ़ात के क़दीम होने, अम्बियाए किराम **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** के सच्चे नबी होने, हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा, अहमदे मुज्ताबा **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के आख़िरी नबी होने के साथ साथ जिन्नात व मलाएका, करामाते औलिया, अज़ाबे क़ब्र, मुन्कर नकीर के सुवाल, मरने के बा’द उठने, मीज़ान, हौज़े कौसर, पुल सिरात और जन्नत व दोज़ख़ के हक़ होने का यकीन रखना। हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** का हज़राते अम्बियाए किराम **عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام** के बा’द सब से अफ़ज़ल होने और तमाम सहाबए किराम के अदिल होने का ईमान रखना ज़रूरी है।



① ... ابن ماجه، كتاب السنه، باب فضل من تعلم القرآن وعلمه، 1/142-143

② ... مسند الفروس، باب الالف، 1/72، حديث: 380

③ ... بخاری، كتاب العلم، باب العلم قبل القول والعمل، 1/41

④ ... لسان العرب، باب العين، 1/2698

⑤ ... المحرقة النديه، خطبة الكتاب، 1/30

(2) इबादात : अक़ाइद का इल्म हासिल करने के बा'द दूसरी ज़रूरत इबादात के इल्म की है, लिहाज़ा इबादात करने से पहले उस के बारे में इल्म होना ज़रूरी है। मसलन वुजू, गुस्ल, नमाज़ के फ़राइज़ व वाजिबात, हज़ करने जाना है तो हज़ के मसाइल, **अल्लाह** पाक ने माल दिया है तो ज़कात अदा करने के मसाइल, माहे रमज़ान के रोज़े रखने के मसाइल वगैरा सीखना लाज़िम व अहम हैं मगर हम में से कई लोग ऐसे भी होंगे जो कई कई सालों से नमाज़ें पढ़ रहे होंगे मगर हो सकता है कि उन्हें नमाज़ के फ़राइज़ व शराइत मा'लूम न हों, कोई नमाज़ के वाजिबात से ना वाकिफ़ होगा, किसी की क़िराअत दुरुस्त नहीं होगी तो किसी को सज़्दा करने का दुरुस्त तरीक़ा मा'लूम नहीं होगा। येही हाल रोज़ा रखने वालों का है कि मुद्दतों से हर साल माहे रमज़ान के रोज़े रखते हैं और एक रोज़ा भी छोड़ना ग़वारा नहीं करते मगर क्या हमें येह भी मा'लूम है कि रोज़ा किन चीज़ों से टूट जाता है? वोह कौन से काम हैं जिन से रोज़े का कफ़ारा लाज़िम आता है या क़ज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब होते हैं? इसी तरह जिन खुश नसीबों को हज़ की सआदत नसीब होती है तो क्या उन्हें हज़ के मसाइल, उम्रह करना है तो उम्रे के मसाइल मा'लूम होते हैं? बा'ज़ नादान ऐसे भी होते हैं जो हज़ की मा'लूमात हासिल करने की बजाए यूँ कहते हैं कि बस हज़ के लिये चले जाओ, वहां जो सब लोग कर रहे होंगे उन्ही की देखा देखी हम भी कर लेंगे।

(3) मुआमलात : अगर हम भी चाहते हैं कि हम भी पुर सुकून रहें, हमारा मुआशरा अम्न का गहवारा बने, हमारी दियानत दारी की मिसाल दी जाए, हमारे मुआमलात से उम्मत मुस्लिमा को आसानी हो तो इस के लिये ज़रूरी है कि इस्लामी उसूल सीख कर उन पर अमल करें। दीने इस्लाम जिस तरह इबादात मसलन नमाज़, रोज़ा, हज़ और ज़कात की अदाएंगी की ता'लीमो तरबियत देता है इसी तरह मुआमलात के हवाले से भी मुकम्मल रहनुमाई करता है। याद रखिये! हम जिस मुआशरे में रहते हैं उस में तरक्की करने के लिये एक दूसरे का ए'तिमाद हासिल करना ज़रूरी है क्यूं कि एक दूसरे की मुआवनत के बिगैर दुन्या में एक क़दम भी आगे बढ़ाना मुश्किल है इस मुआवनत में मज़बूती पैदा करने के लिये मुआमलात और रोज़मर्रा की ज़रूरिय्यात में इस्लाम की रोशन ता'लीमात को सीखना भी ज़रूरी है, मुआमलात मसलन ख़रीदो फ़रोख़्त करने, तिजारत करने और इसी तरह किसी इदारे में काम करना है तो अजीर के, अगर किसी को काम पे रखना है तो इस हवाले से इस्लाम की ता'लीमात को सीखना भी ज़रूरी है कि हम जो कुछ करने जा रहे हैं वोह जाइज़ है या ना जाइज़? इसी तरह निकाह व त़लाक़ के अहक़ाम सीखना भी ज़रूरी है।

(4, 5) मुन्जियात व मोहलिफात : दीने इस्लाम ने जहां ज़ाहिरी आ'माल की इस्लाह के हवाले से इल्मे दीन हासिल करना लाज़िमी करार दिया है वहीं दिल के साथ जिन आ'माल का तअल्लुक है उन के बारे में भी इल्म हासिल करना लाज़िमी करार दिया है, हुज़ूर ﷺ ने दिल की इस्लाह पर जोर देते हुए इर्शाद फ़रमाया : इन्सान के जिस्म में गोश्त का एक टुकड़ा है अगर वोह दुरुस्त हो जाए तो इन्सान के तमाम आ'माल दुरुस्त हो जाएं और अगर येह टुकड़ा बिगड़ जाए तो तमाम आ'माल में फ़साद और बिगाड़ आ जाता है और वोह गोश्त का टुकड़ा “दिल” है।⁽¹⁾ मा'लूम हुवा की अगर बन्दा इस्लाम कि हकीकत समझ ले और जान ले कि इस्लाम दिल और बदन दोनों की इस्लाह की दा'वत देता है, तो वोह दिल का इलाज भी ज़रूर करेगा। हकीकतन शुरूअ में बन्दा अपने इन सात आ'ज़ा : (1) ज़बान (2) आंख (3) कान (4) हाथ (5) पाउं (6) पेट और (7) शर्मगाह के गुनाहों से छुटकारा पाता है। फिर इन आ'ज़ा को इबादत व इताअत से मुजय्यन करता है। क्यूं कि येही सातों आ'ज़ा दिल के रास्ते हैं, अगर इन पर गुनाहों के अंधेरे छा जाएं तो दिल को सख़्त और बे नूर कर देते हैं और अगर येह ताअतो इबादात के अन्वार से मुनव्वर हो जाएं, तो दिल को शिफ़ा व नूरानियत नसीब हो जाती है।⁽²⁾ इन्ही वुजूहात की बिना पर अस्हाबे मुजाहदा व रियाज़त इस्लाहे क़ल्ब को ज़ियादा दुश्वार ख़याल करते हैं और अरबाबे बसीरत उस की इस्लाह का ज़ियादा एहतिमाम करते हैं। आ'ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान “फ़तावा रज़विय्या” जिल्द 23, सफ़हा 624 पर इर्शाद फ़रमाते हैं : “मुहर्माते बातिनिय्या (या'नी बातिनी मम्नूआत मसलन) तकब्बुर व रिया व उज़्व (या'नी गुरूर) व हसद वगैरहा और इन के मुआलजात (या'नी इलाज) कि इन का इल्म भी हर मुसल्मान पर अहम फ़राइज़ से है।”

अगर एक मुसल्मान इन फ़र्ज उलूम को हासिल करे और इन्ही उसूलों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारे तो उस की ज़िन्दगी से बे सुकूनी का ख़ातिमा हो जाएगा। اِنْ شَاءَ اللّٰهُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! दा'वते इस्लामी दीने इस्लाम की ता'लीमात को अहूसन अन्दाज़ से दुन्या भर में फैलाने की कोशिश में सरे फ़ेहरिस्त है, ख़ास तौर पर इस मादी तरक्की के दौर में जब आए रोज़ साइन्सी ईजादात में इज़ाफ़ा हो रहा है और हर इन्सान आसानी का तालिब नज़र आता है, दुन्यवी आसाइशों के साथ साथ इन्सान इल्मे दीन सीखने के मुआमले में भी येही चाहता है कि उसे कम वक़्त में आसान अन्दाज़ में ज़रूरी



① ... بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه، 1/33، حدیث: 52، ملخصاً

② ... حقائق عن التصوف، ص 26

दीनी मसाइल एक जगह दस्त याब हों, दौरे हाज़िर में भी इस बात की शदीद हाज़त थी कि एक ऐसी किताब मुरत्तब की जाए जिस में एक अ़म मुसल्मान को अ़काइद व नज़रिय्यात, इबादात और मा'मूलाते अहले सुन्नत का सुबूत भी कुरआनो हदीस की रोशनी में मुख़्तसर दलाइल के साथ मुयस्सर आ सके।

अल्लाह पाक और उस के प्यारे हबीब ﷺ के करम और अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास कादिरि دامت ब्रक़ातुहम العالیहे के फैज़ान से दा'वते इस्लामी के इदारए तस्नीफ़ो तालीफ़ अल मदीनतुल इल्मिय्या ने इस ज़रूरत को पेशे नज़र रखते हुए इस अहम काम का बीड़ा उठाया और न सिर्फ़ अ़काइद, इबादात और मुआमलात बल्कि मा'मूलाते अहले सुन्नत और बिल खुसूस वोह उलूम जिन का तअल्लुक़ बातिन से है और उन के बारे में शर्इ अहकामात सीखना एक मुसल्मान के लिये ज़रूरी है, मसलन हसद, तकब्बुर, रिया वगैरा के मुतअल्लिक़ अहकामात को भी इस किताब में यक्ज़ा करने की कोशिश की है। इस किताब की खुसूसिय्यात मुलाहज़ा कीजिये :

- ❁ अ़से हाज़िर के तकाज़ों को पेशे नज़र रख कर येह किताब तरतीब दी गई है।
- ❁ हर बाब की नए सफ़हे से इब्तिदा की गई है और बाब को समझने के लिये इब्तिदाइया भी शामिल किया गया है।
- ❁ आयाते मुबारका का तरजमा कन्जुल ईमान और उन की वज़ाहत मुस्तनद तफ़सीर ली गई हैं।
- ❁ मौजूअ के ए'तिबार से कुरआनी आयात और अहादीसे तय्यिबा और बुजुर्गाने दीन के अक्वाल का ब हवाला एहतिमाम किया गया है।
- ❁ पढ़ने वालों की दिलचस्पी बर क़रार रखने के लिये उन्वानात (Headings) शामिल किये गए हैं।
- ❁ अ़काइदो मा'मूलाते अहले सुन्नत, इबादातो मुआमलात और मुन्जियात व मोहलिकात को अलग अलग अब्बाब में तक्सीम किया गया है।
- ❁ इस किताब के तीन अब्बाब (अ़काइद, मा'मूलाते अहले सुन्नत और नमाज़ के बाब) को सुवाल व जवाब की सूरत में पेश किया गया ताकि याद करने में आसानी हो...
- ❁ इस्लामी बहनों से मुतअल्लिक़ शर्इ मसाइल व अहकाम भी शामिले किताब हैं।
- ❁ कारिर्दन की आसानी के लिये हस्बे ज़रूरत मुश्किल अल्फ़ाज़ पर ए'राब लगाने का एहतिमाम किया गया है।
- ❁ बा'ज़ जगह मुफ़ीद हवाशी और किसी मौजूअ की तफ़सील पढ़ने के लिये मक्तबतुल मदीना की किताब का नाम भी दिया गया है।

- ✿ आयात, अहदादीस, तौज़ीही इबारात और फ़िक्ही जुज़्इय्यात के हवाले (References) दिये गए हैं।
- ✿ हवाला जात फुटनोट में दिये गए हैं।
- ✿ एक ही नज़र में किताब के उन्वानात देखने के लिये इज्माली फ़ेहरिस्त (Short Index) दी गई है।
- ✿ पूरी किताब के तफ़्सीली उन्वानात देखने के लिये तफ़्सीली फ़ेहरिस्त (Detailed Index) दी गई है।
- ✿ आम कारिर्इन बिल खुसूस दा'वते इस्लामी के तहत मुख़्तलिफ़ कोर्सिज़ करने वाले तुलबा की आसानी के लिये अस्बाक़ की नम्बरिंग कर दी गई है।
- ✿ बा'ज़ मक़ामात पर कारिर्इन को आसानी से समझाने के लिये नक्शों का एहतिमाम किया गया है।
- ✿ इस किताब में बिल खुसूस इमाम साहिबान के लिये इमामत के मसाइल, इमाम को कैसा होना चाहिये, मुक़्तदियों की इस्लाह किस तरह करनी चाहिये? वगैरा मौजूआत भी शामिल किये गए हैं।
- ✿ दारुल इफ़्ता अहले सुन्नत से तफ़्तीश शुदा मवाद को किताब का हिस्सा बनाया गया है।
- ✿ अग़लात से बचने के लिये पूरी किताब की कई बार प्रूफ़ रीडिंग की गई है।

इस के इलावा दीगर खुसूसिय्यात के साथ ज़िन्दगी को पुर सुकून बनाने के इस्लामी क़वानीन और उसूलों पर मुश्तमिल येह किताब हाज़िर है, खुद भी पढ़िये और दूसरों को भी इसे पढ़ने की दा'वत दीजिये।

अल्लाह करीम दा'वते इस्लामी के तमाम मदनी कामों, शो'बों और इदारों बिल खुसूस इदारए तस्नीफ़ो तालीफ़ अल मदीनतुल इल्मिय्या की इस काविश को अपनी बारगाह में क़बूल फ़रमाए और इस किताब को हर मुसल्मान के लिये नफ़अ मन्द बनाए। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ



मुअल्लिम, उस्ताद (Teacher) इस किताब को ऐसे पढ़ाए !

अगर आप मुअल्लिम (Teacher) हैं तो दर्जे जैल उमूर पेशे नज़र रख कर सबक पढ़ाएं।

सबक का तआरुफ़ : आप सब से पहले तलबा को सबक का तआरुफ़ कराएं। मसलन वुजू का सबक पढ़ाना है तो तलबा को उस की ज़रूरत, अहम्मियत, रूहानी और जिस्मानी ज़िन्दगी में उस के असरात से आगाह करें।

मक़ासिद : आप सबक पढ़ाने के मक़ासिद पेशे नज़र रखें। किसी सबक के मक़ासिद वोह होते हैं कि सबक ख़त्म होने पर तलबा उन उमूर के क़ाबिल हो जाएं जो सबक में बताए गए हैं। हर सबक के अलग अलग मक़ासिद होते हैं। मसलन अज़ान के मसाइल पढ़ाने का मक़सद येह है कि तलबा अज़ान के मसाइल से वाक़िफ़ हों, दूसरों को मसाइल बताने और अज़ान देने के क़ाबिल हों।

तलबा की जांच : सबक पढ़ाने से पहले आप तलबा की जांच करें कि वोह सबक के बारे में कितना जानते हैं। ताकि आप उन्हें हासिल शुदा इल्म से आगे की ता'लीम दें। क्यूं कि आप पहले से हासिल किये हुए इल्म को दोबारा पढ़ाएं तो तलबा दिलचस्पी कम लेंगे और बोरियत का शिकार होंगे। तलबा की जांच का तरीक़ा येह है कि आप उन से मौजूअ के बारे में सुवालात करें।

तरीक़ए तदरीस : आप तक़रीरी अन्दाज़ और सुवाल जवाब के ज़रीए सबक समझाएं। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! किताब में सुवाल व जवाब का एहतिमाम किया गया है : मसलन क्या **रसूलुल्लाह** ﷺ के बा'द कोई नबी आ सकता है ? फिर जवाब दें, नहीं। तलबा में दिलचस्पी पैदा करने के लिये आप सबक के दौरान तलबा से सुवालात भी करते रहें, मौजूअ के मुताबिक़ तलबा के ज़ेहन में जो सुवाल आए उस का भी जवाब दे दीजिये।

सबक का दौरानिया : सबक पढ़ाने का जितना दौरानिया आप को दिया जाए उसी के मुताबिक़ पूरा सबक पढ़ाएं। इस के लिये आप पहले से चन्द मरतबा सबक पढ़ लें ताकि पूरा सबक आप के ज़ेहन नशीन हो जाए और पढ़ाते वक़्त सबक से ग़ैर मुतअल्लिक़ उमूर से बचें। सबक ख़त्म होने के बा'द आप तलबा से सुवालात पूछें। अगर कोई तालिबे इल्म किसी सुवाल का जवाब दुरुस्त न दे तो दूसरे तालिबे इल्म से पूछें, दोनों का जवाब सुनने के बा'द आप एक बार फिर जवाब बताएं।

फ़वाइद : आप तलबा को बताएं कि इस सबक के क्या क्या फ़ाएदे हैं।

मुस्तविबल में इस्ति'माल : आप तलबा को बताएं कि सबक से सीखी हुई बातों का मुस्तविबल में क्या क्या इस्ति'माल हो सकता है।

मुआविन चीजें : व्हाइट बोर्ड/ व्हाइट बोर्ड मार्कर/ डस्टर, नक्शा ।

सबक की मन्सूबा बन्दी :

तआरुफ़ : सबक का कुछ तआरुफ़ कराया जाए । मसलन : इस सबक में नमाज़ पढ़ने की अहम्मियत, इस के फ़वाइद, न पढ़ने के नुक़सानात, इस की शराइत, फ़राइज़, वाजिबात, सुन्नतें, मुस्तहब्बात, मुफ़्सिदात बयान किये गए हैं ।

मक़ासिद/हदफ़ : यहां सबक में मौजूद इल्म और उस पर अमल का ज़िक्र किया जाए ।

मसलन : वुजू का बयान : मक़ासिद : वुजू के फ़र्ज़, सुन्नतें, वुजू तोड़ने वाली चीज़ों का इल्म हो, बयान कर्दा अहक़ाम पर अमल करें । आयत, हदीस और शरूई इस्तिलाहात से वाकिफ़ियत हो ।

मौजूआत : यहां ज़िम्नी मौजूअ के नाम ज़िक्र किये जाएं । मसलन : नमाज़ के अवक़ात, शराइत, फ़राइज़, मुफ़्सिदात ।

फ़ाएदा : यहां सबक से हासिल होने वाले फ़वाइद लिखें । मसलन : शरीअत के मुताबिक़ वुजू करने का इल्म हासिल होगा और दुरुस्त तरीक़े से वुजू कर सकेंगे ।

मुस्तब़िबल में इस्ति 'माल : घर के अपराद और दूसरों को इस बारे में दुरुस्त मा'लूमात दे सकेंगे और बच्चों को वुजू करना सिखा सकेंगे ।

सबक का खुलासा : सबक के आख़िर में एक पेरेग्राफ़ में खुलासा बयान किया जाए । मसलन : इस सबक में आप ने नमाज़ की शराइत, तक्बीरे तहरीमा..... फ़राइज़..... सुन्नतें सीखीं ।

जाएज़ा : सबक के इख़िताम पर अहम बात पर सुवाल क़ाइम किये जाएं कि आप ने क्या सीखा । मसलन :

मुन्दरिजए ज़ैल सुवालों के ज़रीए खुद को परखें :

क्या आप को इल्म है कि अल्लाह का कोई शरीक नहीं ? हां/ नहीं/ पता नहीं ।

क्या आप जानते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ आख़िरी नबी व रसूल हैं ? हां/ नहीं/ पता नहीं ।

पहला बाब

इस्लामी अक्कीदे

इस बाब में आप पढ़ेंगे

- 1 तौहीदे इलाही का बयान
- 2 नुबुव्वत का बयान
- 3 क़ियामत और इस की निशानियों का बयान
- 4 जन्नत का बयान
- 5 औलियाउल्लाह का बयान

ता'रीफ़ात

ईमान की ता'रीफ़	ईमान लुग़त में तस्दीक़ करने (या'नी सच्चा मानने) को कहते हैं। ⁽¹⁾ ईमान का दूसरा लुग़वी मा'ना है : अमन देना। चूँकि मोमिन अच्छे अक्कीदे इख़्तियार कर के अपने आप को दाइमी या'नी हमेशा वाले अज़ाब से अमन दे देता है इस लिये अच्छे अक्कीदों के इख़्तियार करने को ईमान कहते हैं। ⁽²⁾ और इस्तिलाह शर्अ में ईमान के मा'ना हैं : सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करे जो ज़रूरियाते दीन से हैं। ⁽³⁾ और आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मुहम्मदुरसूलुल्लाह को हर बात में सच्चा जाने, हुज़ूर की हक्कानिय्यत को सिद्के दिल से मानना ईमान है जो इस का मुक़िर (या'नी इक्कार करने वाला) हो उसे मुसल्मान जानेंगे जब कि उस के किसी कौल या फ़े'ल या हाल में अल्लाह व रसूल का इन्कार या तक्ज़ीब (या'नी झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए। ⁽⁴⁾
ज़रूरियाते दीन	ज़रूरियाते दीन, इस्लाम के वोह अहक़ाम हैं जिन को हर ख़ासो आ़म जानते हों, जैसे अल्लाह करीम की वहदानिय्यत (या'नी उस का एक होना), अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की नुबुव्वत, नमाज़, रोज़े, हज़, जन्नत, दोज़ख़, क़ियामत में उठाया जाना, हि़साबो किताब लेना वग़ैरा। मसलन येह अक्कीदा रखना (भी ज़रूरियाते दीन में से है) कि हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ख़ातमुन्नबिय्यीन हैं हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बा'द कोई नया नबी नहीं हो सकता।
कुफ़्र की ता'रीफ़	कुफ़्र का लुग़वी मा'ना है : किसी शै को छुपाना। ⁽⁵⁾ इस्तिलाह में किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को भी कुफ़्र कहते हैं अगर्चे बाकी तमाम ज़रूरियाते दीन की तस्दीक़ करता हो। ⁽⁶⁾ जैसे कोई शख़्स अगर तमाम ज़रूरियाते दीन को तस्लीम करता हो मगर नमाज़ की फ़र्ज़िय्यत या ख़त्मे नुबुव्वत का मुन्किर हो वोह काफ़िर है कि नमाज़ को फ़र्ज़



1 ... तफ़्सीर قرطبي، 1، البقره، تحت الآية: 1، 3/147

2 तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बकरह, तहूतल आयह : 3, 1/98

3 बहारे शरीअत, 1/172, हि़स्सा : 1 माखूज़न

4 फ़तावा रज़विय्या, 29/254

5 ... المفردات، کتاب الکاف، ص 433

6 बहारे शरीअत, 1/172, हि़स्सा : 1 माखूज़न

	मानना और सरकारे मदीना ﷺ को आखिरी नबी मानना दोनों बातें जरूरियाते दीन में से हैं ।
शिरक की ता'रीफ़	अल्लाह करीम के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद या मुस्तहिक्के इबादत (या'नी किसी को इबादत के लाइक) जानना या'नी उलूहियत में दूसरे को शरीक करना और येह कुफ़ की सब से बड़ तरीन किस्म है । इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ़ हो हकीकतन शिरक नहीं । ⁽¹⁾
वली की ता'रीफ़	हज़रते सय्यिदुना अल्लामा सा'दुद्दीन मस्ऊद बिन उमर तफ़्ताज़ानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : वली उस शख्स को कहते हैं जो मुम्किन हद तक अल्लाह और उस की सिफ़ात का आरिफ़ हो, इस तरह कि अल्लाह की हमेशा इबादत करता हो और हर किस्म के गुनाहों से इज्तिनाब करता हो, लज़ात और शहवात में इन्हिमाक और इस्तिग़ाक़ से बचता हो । ⁽²⁾ इमाम फ़ख़रुद्दीन अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद बिन उमर राजी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ वली की ता'रीफ़ बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : वली वोह है जो ए'तिकादे सहीह मब्नी बर दलील रखता हो और आ'माले सालिहा शरीअत के मुताबिक़ बजा लाता हो । मज़ीद फ़रमाते हैं : जब बन्दा अल्लाह का कुर्बे खास पा लेता है और उस की मा'रिफ़त में मुस्तग़रक़ हो जाता है तो उस वक़्त उस के दिल में जाते बारी तआला के सिवा किसी का ख़याल तक नहीं गुज़रता और इस हाल में उसे मुकम्मल विलायत हासिल हो जाती है और जब उसे येह मक़ाम मिल जाता है तो फिर उस को किसी शै का ख़ौफ़ नहीं होता और न वोह किसी चीज़ के सबब गुमगीन होता है । ⁽³⁾
मो'जिज़ा	नबी से बा'दे दा'वए नुबुव्वत ख़िलाफ़े आदत सादिर होने वाली चीज़ को जिस से सब मुन्किरीन अजिज़ हो जाते हैं उसे मो'जिज़ा कहते हैं ।
इरहास	नबी से जो बात ख़िलाफ़े आदत नुबुव्वत से पहले ज़ाहिर हो उस को इरहास कहते हैं ।
करामत	वली से जो बात ख़िलाफ़े आदत सादिर हो उस को करामत कहते हैं ।
इस्तिद्राज	बेबाक फुज्जार या कुफ़्फ़ार से जो बात उन के मुवाफ़िक़ ज़ाहिर हो उस को इस्तिद्राज कहते हैं । ⁽⁴⁾

1 बहारे शरीअत, 1/183, हिस्सा : 1 मुलख़ब़सन

2 ...شرح العقائد، کلمات الاولیاء حق، ص 316

3 ...تفسیر کبیر، سورہ یونس، تحت الآية: 62/6، 276

4 बहारे शरीअत, 1/58, हिस्सा : 1 माखूज़न

सबक नम्बर 1

तौहीदे इलाही का बयान

इस्लाम के बुन्यादी अक्कीदों में से अहम तरीन अक्कीदा अक्कीदे तौहीद है। तौहीद का मा'ना दिल से तस्दीक करना (मानना) और ज़बान से इस अम्र का इक़्रार करना कि हमें और तमाम आलम को पैदा करने वाली ज़ात एक है और वोह **अल्लाह** रब्बुल इज़्ज़त है, उस का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में न सिफ़ात में, न हुक्मत में न इबादत में। **अल्लाह** पाक का मौजूद होना आफ़ताब से ज़ियादा रोशन है, उस की ज़ात का यक्कीन हर शख्स की फ़ितरत में दाख़िल है, खुसूसन मुसीबतों में, बीमारियों में, मौत के करीब अक्सर येह फ़ितूरते अस्लिय्या ज़ाहिर हो जाती है और बड़े बड़े मुन्किरीन भी खुदा ही की तरफ़ रुजूअ करने लगते हैं और उन की ज़बानों पर भी बे साख़्ता खुदा का नाम आ ही जाता है। थोड़ी सी अक्ल वाला इन्सान भी दुन्या की तमाम चीज़ों पर नज़र कर के येह यक्कीन कर लेता है कि बेशक येह आस्मान व ज़मीन, सितारे और सय्यारे, इन्सान व हैवान और तमाम मख़्लूक किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुए हैं। आख़िर कोई तो है जिस ने इन को पैदा किया है और जिस तरह चाहता है इन में तसर्फ़ करता है, क्यूं कि जब हम किसी तख़्त या कुरसी वगैरा को देखते हैं तो फ़ौरन समझ लेते हैं कि इन्हें किसी न किसी कारीगर ने बनाया है अगर्चे हम ने अपनी आंख से बनाते न देखा। अरब के एक बहू ने ख़ूब कहा कि ऊंट की मेंगनी देख कर ऊंट के गुज़रने का यक्कीन हो जाता है और नक्शे क़दम देख कर चलने वाले का सुबूत मिलता है तो फिर इन बुर्जों वाले आस्मान और कुशादा रास्ते वाली ज़मीन को देख कर **अल्लाह** के सानेए आलम होने का यक्कीन क्यूंकर न होगा? फ़िल वाक़ेअ ज़मीनो आस्मान की पैदाइश, रात दिन का इख़्तिलाफ़, सितारों का ख़ास निज़ाम, इन की मख़सूस गर्दिश, इस बात की खुली हुई दलीलें हैं कि इन का कोई पैदा करने वाला ज़रूर है जो बड़ी ज़बर दस्त कुव्वतो कुदरत वाला और बड़ा हकीम और बा इख़्तियार है जिस के कब्ज़ए कुदरत से येह चीज़ें निकल नहीं सकतीं।

तौहीदे इलाही कुरआन की रोशनी में

अल्लाह करीम की वहदानिय्यत के सुबूत, एक तो अक्ली हैं या'नी इन्सानी अक्ल (बशर्ते कि अक्ल सहीह हो) खुदाए रहमान के एक होने का यक्कीन रखती है, इसी लिये दुन्या के बड़े बड़े हुक्मा और फ़ल्सफ़ी एक खुदा के काइल हैं, दूसरे सुबूत वोह हैं जिन को कुरआने करीम ने मुख़लिफ़ मक़ामात पर बयान किया है और वोह येह हैं :

{1}

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ﴿١٣٧﴾ (प 2, البقرة: 163)

तरजमए कन्जुल ईमान : और तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं मगर वोही बड़ी रहमत वाला मेहरबान ।

{2}

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْبَيْكَةُ وَ
أُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِبَيْتِ الْقِسْطِ (प 3, آل عمران: 18)

तरजमए कन्जुल ईमान : अल्लाह ने गवाही दी कि उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं और फ़िरिश्तों ने और अ़ालिमों ने इन्साफ़ से काइम हो कर ।

{3}

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلَ اللَّهِ لَقَسَدَتَا
(प 17, الانبياء: 22)

तरजमए कन्जुल ईमान : अगर आस्मान व ज़मीन में अल्लाह के सिवा और खुदा होते तो ज़रूर वोह तबाह होते ।

{4}

إِذَا لَدَّ هَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿٩١﴾
(प 18, المؤمنون: 91)

तरजमए कन्जुल ईमान : यूं होता तो हर खुदा अपनी मख़्लूक ले जाता और ज़रूर एक दूसरे पर अपनी तअल्ली (बरतरी) चाहता पाकी है अल्लाह को उन बातों से जो येह बनाते हैं ।

इन आयात से मा'लूम हुवा कि अल्लाह पाक के एक होने का यकीन हर शख़्स को होना चाहिये ।
आइये ! अब जानते हैं कि अल्लाह करीम के मुतअल्लिक हमारे अ़काइद क्या हैं :

सुवाल तौहीद किसे कहते हैं ?

जवाब तौहीद का लुग़वी मा'ना “एक मानना” है, शरीअत में तौहीद से मुराद दिल से तस्दीक (मानना) और ज़बान से इस अम्र का इक़रार करना कि हमारी और तमाम अ़ालम की पैदा करने वाली ज़ात एक है और वोह ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़ज़त है, उस का कोई शरीक नहीं, न ज़ात में, न हुकूमत में, न इबादत में ।⁽¹⁾

1... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 93

सुवाल अल्लाह पाक के मौजूद होने पे क्या दलील है ?

जवाब अल्लाह पाक का मौजूद होना आफ़ताब से ज़ियादा रोशन है। उस की हस्ती का यक़ीन हर शख्स की फ़ितरत में दाख़िल है। खुसूसन मुसीबतों में, बीमारियों में, मौत के करीब, अक्सर येह फ़ितरते अस्लिय्या ज़ाहिर हो जाती है और बड़े बड़े मुन्किरीन भी खुदा ही की तरफ़ रुजूअ करने लगते हैं और उन की ज़बानों पर भी बे साख़्ता खुदा का नाम आ ही जाता है।

सुवाल दुन्या की किन चीज़ों से खुदा की हस्ती का पता चलता है ?

जवाब थोड़ी सी अक़ल वाला इन्सान भी दुन्या की तमाम चीज़ों पर नज़र कर के यक़ीन कर लेगा कि बेशक येह आस्मान व ज़मीन, सितारे और सय्यारे, इन्सान व हैवान और तमाम मख़्लूक किसी न किसी के पैदा करने से पैदा हुए हैं। आख़िर कोई हस्ती तो है जिस ने इन को पैदा किया और जिस तरह चाहता है इन में तसरुफ़ करता है, जब हम किसी तख़्त या कुरसी वगैरा बनी हुई चीज़ों को देखते हैं तो फ़ौरन समझ लेते हैं कि इन को किसी न किसी कारीगर ने बनाया है। अगर्चे हम ने अपनी आंख से बनाते न देखा। एक अरब के बहू (दीहाती) ने क्या ख़ूब कहा कि ऊंट की मेंगनी देख कर ऊंट का यक़ीन हो जाता है और नक़्शे क़दम देख कर चलने वाले का सुबूत मिलता है तो फिर इन बुर्जों वाले आस्मान और कुशादा रास्तों वाली ज़मीन को देख कर अल्लाह पाक के सानेए अलम (जहान को पैदा करने वाला) होने का यक़ीन क्यूंकर न होगा ? फ़िल वाक़ेअ आस्मान व ज़मीन की पैदाइश, रात दिन का इख़्तिलाफ़, सितारों का ख़ास निज़ाम, इन की मख़सूस गर्दिश, इस बात की खुली हुई दलीलें हैं कि इन का कोई पैदा करने वाला ज़रूर है, जो बड़ी ज़बर दस्त कुव्वतो कुदरत वाला और बहुत बड़ा हकीम और बा इख़्तियार है, जिस के क़ब्ज़ा कुदरत से येह चीज़ें निकल नहीं सकतीं।⁽¹⁾

सुवाल तौहीद के कितने मर्तबे हैं ?

जवाब तौहीद के चार मर्तबे हैं :

(1) अल्लाह पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद न समझना। (2) तमाम रूहानी और माद्दी अलम का ख़ालिक सिवाए अल्लाह पाक के किसी को न जानना। (3) आस्मान और ज़मीन और इन के दरमियान की चीज़ों में तमाम तदबीर व तसरुफ़ को अल्लाह करीम ही की ज़ात के साथ मख़सूस समझना। (4) अल्लाह पाक के सिवा किसी को मुस्तहिक्के इबादत न समझना।⁽²⁾

1... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 93

2... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 95

सुवाल अल्लाह पाक का ज़ाती और सिफ़ाती नाम क्या है ?

जवाब खुदाए पाक का ज़ाती नाम अल्लाह है, इस को इस्मे ज़ात भी कहते हैं और लफ़्ज़ अल्लाह के सिवा और नाम जो उस की किसी सिफ़त को ज़ाहिर करे उसे सिफ़ाती नाम या अस्माए सिफ़ात कहते हैं ।

सुवाल रब्बे करीम के कितने नाम हैं ?

जवाब उस के नाम बे शुमार हैं और हदीस शरीफ़ में है कि अल्लाह करीम के निनानवे नाम जिस किसी ने याद कर लिये वोह जन्नती हुवा ।⁽¹⁾

सुवाल इन नामों के इलावा और नाम खुदा के लिये बोले जा सकते हैं या नहीं ?

जवाब अल्लाह करीम के लिये ऐसा नाम मुक़र्रर करना जो कुरआनो हदीस में न आया हो जाइज़ नहीं जैसे कि खुदा को सख़ी या रफ़ीक़ कहना, इसी तरह दूसरी क़ौमों में जो उस के नाम मुक़र्रर हैं और ख़राब मा'ना रखते हैं येह भी उस के लिये मुक़र्रर करना ना जाइज़ है, जैसे कि खुदा को राम या परमात्मा कहना ।⁽²⁾

सुवाल क्या येह दुन्या हमेशा से है ?

जवाब नहीं, क्यूं कि यहां की हर चीज़ के लिये एक उम्र है । पहले वोह पैदा होती है और जब तक उस की उम्र है बाक़ी रहती है, फिर फ़ना हो जाती है ।⁽³⁾

सुवाल दुन्या की चीज़ें पैदा और फ़ना करने वाला कौन है ?

जवाब अल्लाह पाक ।

सुवाल क्या अकेले उसी ने सारी दुन्या बना डाली या और कोई भी उस के साथ शरीक है ?

जवाब कोई उस का शरीक नहीं, सब उस के बन्दे और उस के पैदा किये हुए हैं, वोह अकेला तमाम जहान का पैदा करने वाला है, उस की कुदरत वाला है, कोई ज़र्रा उस के हुक्म के बिग़ैर हिल नहीं सकता ।⁽⁴⁾



1 ... مسلم، کتاب الذکروالدعاء... الخ، باب فی اسماء الله... الخ، ص 1104، حدیث: 6809

2 ... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 96

3 ... किताबुल अक़ाइद, स. 14

4 ... किताबुल अक़ाइद, स. 14

सुवाल क्या मां बाप से बढ़ कर भी कोई मेहरबान है ?

जवाब अल्लाह पाक मां बाप से बढ़ कर बल्कि सब से ज़ियादा मेहरबान और रहम फ़रमाने वाला है ।

सुवाल अल्लाह पाक के बारे में यहूदी, ईसाई और मुश्रिकीन क्या कहते हैं ?

जवाब यहूदी हज़रते उज़ैर عَلَيْهِ السَّلَام को और ईसाई हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام को अल्लाह पाक का बेटा कहते हैं, इसी तरह मुश्रिकीन फ़िरिशतों को अल्लाह पाक की बेटियां कहते हैं और उस के साथ मख़्लूक में से किसी न किसी को शरीक ठहराते हैं । ये सब कुफ़्र है और मुसल्मानों के अक्कीदे के खिलाफ़ है । कुफ़्फ़ारो मुश्रिकीन जैसा उसे मानने का हक़ है सच्चे दिल से इस तरह नहीं मानते, कुफ़्रिय्या व शिर्किय्या अक्वाल व अफ़ाल में मुब्तला रहते हैं, बुरे अक्कीदे रखते हैं और हां नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की नुबुव्वत का भी इन्कार करते हैं । इन पर ईमान ला कर और इन की लाई हुई शरीअत की हर हर बात को सच्चे दिल से क़र्इ (यक्कीनी) तस्दीक़ करना ही इस्लाम में दाख़िल होने और नजात के लिये ज़रूरी है, इस से इन्कार करते हैं ।⁽¹⁾

सुवाल मुसल्मान अल्लाह पाक के बारे में क्या कहते हैं ?

जवाब मुसल्मानों का अक्कीदा है कि अल्लाह पाक यक्ता है, वोह न किसी का बाप, न बेटा, न उस की कोई बीवी, न रिश्तेदार, वोह सब से बे नियाज़ है और सारी मख़्लूक उस की पैदा कर्दा और उसी की मोहताज़ है वोह सारे आलम का पाक परवर्दगार है उस का कोई शरीक नहीं ।⁽²⁾

सुवाल हम अल्लाह पाक की इबादत क्यूं करते हैं ?

जवाब अल्लाह पाक के सिवा कोई इबादत के लाइक़ ही नहीं । उस की ने'मतें और उस के एहसान बे इन्तिहा हैं, उस की ज़ात ही इस बात की मुस्तहक़ है कि उस की इबादत की जाए, वोह आलमीन का रब है, सारे आलम का ख़ालिक़ व मालिक़ है, वोही इबादत के लाइक़ है, उस के सिवा कोई इबादत के लाइक़ नहीं है ।⁽³⁾

सुवाल अल्लाह पाक के बारे में कुछ और अक्काइद भी बताएं जिन का जानना ज़रूरी है ।

① ... बुन्यादी अक्काइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

② ... बुन्यादी अक्काइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

③ ... बुन्यादी अक्काइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 10

जवाब वोह हर कमाल व खूबी का जामेअ और हर ऐब व नुक़सान और बुराई से पाक है। वोह ज़ाहिर और छुपी हर चीज़ को जानता है, कोई चीज़ उस के इल्म से बाहर नहीं। जैसे उस की ज़ात या'नी वोह खुद हमेशा से है उस की तमाम सिफ़ात (खूबियां) भी हमेशा से हैं। **अल्लाह** पाक हमेशा से ज़िन्दा, कुदरत वाला, सुनने वाला, देखने वाला, कलाम करने वाला, इरादा फ़रमाने वाला है, वोही तमाम जहान का बनाने वाला है। आस्मान, ज़मीन, चांद, तारे, आदमी, जानवर और जितनी चीज़ें हैं सब को उसी ने पैदा किया। वोही पालता है सब उसी के मोहताज हैं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 2

ज़ात व सिफ़ात का बयान

सुवाल क़दीम किसे कहते हैं ?

जवाब क़दीम वोह जो हमेशा से है और अज़ली के भी येही मा'ना हैं। और जिस तरह उस की ज़ात क़दीम, अज़ली व अबदी है, इसी तरह उस की सिफ़ात भी क़दीम, अज़ली व अबदी हैं और ज़ात व सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें ह़ादिस हैं।⁽²⁾ जो आलम में से किसी चीज़ को क़दीम माने या उस के ह़ादिस होने में शक़ करे वोह काफ़िर व मुश्रिक है जैसे आर्य, कि रूह और मादा को क़दीम मानते हैं यकीनन वोह मुश्रिक हैं। (ह़ादिस वोह शै होती है जो पहले न हो और फिर किसी के पैदा करने से हो, इसी को मुम्किन भी कहते हैं।)⁽³⁾

सुवाल बाक़ी के मा'ना क्या हैं ?

जवाब बाक़ी वोह जो हमेशा रहेगा और इसी को अबदी भी कहते हैं।⁽⁴⁾ और येह तमाम सिफ़ात सिर्फ़ **अल्लाह** पाक ही की ज़ात के लिये साबित हैं।⁽⁵⁾

सुवाल रब्बे करीम की ज़ात के सिवा और क्या चीज़ें क़दीम हैं ?

जवाब जिस तरह उस की ज़ात क़दीम, अज़ली, अबदी है उस की सिफ़ात भी क़दीम

1 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 11

2 ... من الرّوض الرّوض الأزهري في شرح الأکبر، ص 23، شرح العقائد النسفية، ص 24

3 ... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 95, 96 मुल्लतक़तन

4 ... سورة القصص، آية: 88، المسامرة بشرح المسامرة، الاصل الثاني والثلاث، ص 22-24

5 ... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 95

अज़ली, अबदी हैं और ज़ातो सिफ़ात के सिवा सब चीज़ें हादिस हैं, जो आलम में से किसी चीज़ को क़दीम माने या उस के हादिस होने में शक करे, वोह काफ़िर व मुशिरक है जैसे आर्य कि वोह रूढ़ और मादा को क़दीम जानते हैं यक़ीनन मुशिरक हैं।⁽¹⁾

सुवाल अल्लाह के मा'ना क्या हैं ?

जवाब अल्लाह, खुदा के लिये इस्मे ज़ात है, जो वाजिबुल वुजूद है और हर कमाल व ख़ूबी का जामेअ और हर उस चीज़ से जिस में ऐब व नक्स है, पाक है, तमाम सिफ़ाते कमालिया उस में मौजूद हैं।⁽²⁾

सुवाल सिफ़ाते कमालिया के क्या मा'ना हैं ?

जवाब रब्बे करीम वाजिबुल वुजूद है, उस की ज़ात तमाम कमालात और ख़ूबियों से आरास्ता और हर किस्म के उयूबो नक़ाइस और कमज़ोरियों से पाक है, तो इस कमाले ज़ाती के लिये जिन जिन सिफ़ात से उस की ज़ात का मुत्तसिफ़ (मौसूफ़) होना ज़रूरी है उन सिफ़ात को सिफ़ाते कमालिया कहते हैं।⁽³⁾

सुवाल सिफ़ाते कमालिया कितनी हैं ?

जवाब अल्लाह करीम की ज़ात में बहुत सी सिफ़तें हैं जिन में अहम सिफ़तें नव हैं, बाक़ी सिफ़ात इन्ही नव सिफ़तों में से किसी न किसी के तहत आ जाती हैं और वोह नव सिफ़तें येह हैं : (1) हयात (2) कुदरत (3) इरादा व मशिय्यत (4) इल्म (5) सम्अ (6) बसर (7) कलाम (8) तक्वीन व तख़लीक़ (9) रज़्ज़ाक़िय्यत।⁽⁴⁾

सुवाल हयात के क्या मा'ना हैं ?

जवाब वोह हय्य है या'नी खुद जिन्दा है और तमाम चीज़ों को जिन्दगी बख़्शाने वाला, फिर जब चाहता है उन को फ़ना कर देता है।⁽⁵⁾

सुवाल अल्लाह पाक कुदरत वाला है इस बारे में कुछ बयान करें।

① हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 96

② हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 167

③ हमारा इस्लाम, हिस्सा : 3, स. 167

④ हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 168

⑤ हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 168

जवाब सारे इख़्तियारात का मालिक **अल्लाह** पाक ही है। रोज़ी देना, ज़िन्दगी देना, मौत देना उस के इख़्तियार में है। वोह सब का मालिक है, जो चाहे करे उस के हुक्म में कोई ख़लल नहीं डाल सकता, गुनाह मुआफ़ फ़रमाने वाला, तौबा क़बूल फ़रमाने वाला है। उस की पकड़ निहायत सख़्त है जिस से बिग़ैर उस के छोड़े कोई छूट नहीं सकता। इज़्ज़त, ज़िल्लत उस के इख़्तियार में है, जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़लील करे, जिसे चाहे अमीर करे, जिसे चाहे फ़कीर करे। जो कुछ करता है हिक्मत है, इन्साफ़ है, उस का हर काम हिक्मत है, बन्दों की समझ में आए या न आए।⁽¹⁾

सुवाल क्या **अल्लाह** पाक झूट बोलने पर भी क़ादिर है ?

जवाब **अल्लाह** पाक हर उस चीज़ से जिस में ऐब व नुक़सान हो पाक है। या'नी ऐब व नुक़सान का उस में पाया जाना मुह़ाल (ना मुम्किन) है। मसलन झूट, दगा, ख़ियानत, जुल्म, जहल (ना जानना), बे हयाती वग़ैरहा उयूब उस पर क़अन मुह़ाल (ना मुम्किन) हैं।⁽²⁾ और येह कहना कि झूट पर कुदरत है ब ई मा'ना कि वोह खुद झूट बोल सकता है मुह़ाल (ना मुम्किन) को मुम्किन ठहराना और खुदा को ऐबी बताना बल्कि खुदा से इन्कार करना है। और किज़्ब (झूट), झूट तो ऐसा गन्दा, नापाक ऐब है जिस से थोड़ी ज़ाहिरी इज़्ज़त वाला भी बचना चाहता है, बल्कि भंगी, चमार भी अपनी तरफ़ इस की निस्बत से शरमाता है। तो क्या कोई मुसल्मान अपने रब पर ऐसा गुमान कर सकता है।⁽³⁾

सुवाल इरादा व मशिय्यत के क्या मा'ना हैं ?

जवाब **अल्लाह** पाक मुरीद है या'नी उस में इरादे की सिफ़त पाई जाती है, उस की मशिय्यत व इरादे के बिग़ैर कुछ नहीं हो सकता, तमाम चीज़ों को अपने इरादे से पैदा फ़रमाता है और उन में अपने इरादे ही से तसरुफ़ फ़रमाता है, येह नहीं कि बे इरादा उस से फ़ैल सादिर हो जाते हों, **अल्लाह** पाक के अज़ली इरादे के मा तहूत ही हर चीज़ का जुहूर होता है। उस पर कोई चीज़ वाजिब व ज़रूरी नहीं कि जिस के करने पर मजबूर हो। मालिक है जो चाहे करे, जो चाहे हुक्म दे।⁽⁴⁾ मालिक अलल इत्लाक़ है जो चाहे करे जो चाहे हुक्म दे।



1 किताबुल अक़ाइद, स. 12 बतगय्युर कलील

2 ... المسامرة بشرح المسامرة، ص 393

3 हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 168 मुल्तक़तन

4 हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 169 मुल्तक़तन

सुवाल सिफ़ते इल्म के क्या मा'ना हैं ?

जवाब अल्लाह पाक अलीम है या'नी उस को सिफ़ते इल्म हासिल है, उस का इल्म हर शै को मुहीत है, हर चीज़ की उस को ख़बर है, जो कुछ हो रहा है या हो चुका या आइन्दा होने वाला है, पूरी तफ़्सील के साथ उन सब को अज़ल में जानता था, अब (भी) जानता है और अबद तक जानेगा। अश्या बदलती हैं, उस का इल्म नहीं बदलता, एक ज़र्रा भी उस से पोशीदा नहीं, उस के इल्म की कोई इन्तिहा नहीं, वोह ग़ैब व शहादत सब को यक्सां जानता है, इल्मे ज़ाती उस का खास्सा है।⁽¹⁾

सुवाल सिफ़ते सम्अ व बसर से क्या मुराद है ?

जवाब अल्लाह पाक समीअ व बसीर है या'नी उस में सिफ़ते समाअत व सिफ़ते बसारत है। हर पस्त से पस्त आवाज़ तक को सुनता है और हर बारीक से बारीक को देखता है, वोह हर मौजूद को सुनता और हर मौजूद को देखता है।⁽²⁾

सुवाल सिफ़ते कलाम से क्या मुराद है ?

जवाब अल्लाह पाक मुतकल्लिम है या'नी उस को कलाम करने की सिफ़त हासिल है, जिस चीज़ को चाहता है ख़बर देता है, अम्बिया से जब चाहता है कलाम करता है और जिस तरह वोह बे कान के सुनता है और बे आंख के देखता है उसी तरह वोह बिग़ैर ज़बान के बोलता है कि येह सब अज्जाम हैं और अज्जाम से वोह पाक। उस का कलाम आवाज़ से पाक है और मिस्ल दीगर सिफ़ात के उस का कलाम भी क़दीम है, तमाम आस्मानी किताबें और येह कुरआने अज़ीम जिस को हम अपनी ज़बान से तिलावत करते और मसाहिफ़ में लिखते हैं, उसी का कलाम क़दीम बिला सौत (बिग़ैर आवाज़) है, और येह हमारा पढ़ना लिखना, सुनना और हिफ़ज़ करना हादिस है, और जो हम ने पढ़ा लिखा और सुना और जो हम ने हिफ़ज़ किया वोह क़दीम है।⁽³⁾

सुवाल येह सात सिफ़ात जो ऊपर गुज़रीं उन्हें क्या कहते हैं ?

जवाब हयात, कुदरत, सम्अ, बसर, इल्म, इरादा और कलाम, अल्लाह तआला की सिफ़ाते ज़ातिया कहलाती हैं।⁽⁴⁾

① हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 169

② हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 170 मुल्लतक़तन

③ हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 170

④ فنّه الاكبر، ص 15-19-الحريفة الندية، 1/251-256

सुवाल तक्वीन व तख़लीक़ से क्या मुराद है ?

जवाब तक्वीन व तख़लीक़ सारे जहान को पैदा करने का नाम है, **अल्लाह** पाक सारे जहान का ख़ालिक़ है या'नी तमाम आलम उसी का पैदा किया हुवा है और आइन्दा भी हर चीज़ वोही पैदा करेगा। छोटे से छोटा ज़र्ज़ा और आलम का माद्दा (आग, पानी, हवा, ख़ाक़ जिन्हें अनासिरे अर्बआ कहते हैं) सब उसी की मख़्लूक़ है, चीज़ों के पैदा करने में वोह किसी आले का मोहताज नहीं, न उस को किसी मदद की ज़रूरत है। जिस चीज़ को पैदा करना चाहता है तो उस को कुन (हो जा) कह कर पैदा कर देता है। इन्सानों के काम और अमल भी सब उस के मख़्लूक़ हैं, ज़वात हों, ख़्वाह अफ़्आल, सब उसी के पैदा किये हुए हैं।⁽¹⁾ मारना, ज़िलाना (ज़िन्दा करना), सिद्दहत देना, बीमार (कर) डालना, ग़नी करना, फ़कीर करना, वग़ैरहा सिफ़ात जिन का तअल्लुक़ मख़्लूक़ से है और जिन्हें सिफ़ाते फ़ैलिया भी कहते हैं, इन सब को सिफ़ाते तक्वीन की तफ़्सील समझना चाहिये।⁽²⁾

सुवाल सिफ़ाते रज़्ज़ाक़ियत से क्या मुराद है ?

जवाब **अल्लाह** पाक रज़्ज़ाक़ है, वोही तमाम जी रूह को रिज़्क़ देने वाला है। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मख़्लूक़ को वोही रोज़ी देता है, वोही हर चीज़ की परवरिश करता है, वोही सारी काएनात की तरबियत फ़रमाता और हर चीज़ को आहिस्ता आहिस्ता ब तदरीज उस के कमाले मिक्दार तक पहुंचाता है। वोह रब्बुल आलमीन है या'नी तमाम आलम का परवरिश करने वाला, हकीक़तन रोज़ी पहुंचाने वाला वोही है, मलाएका वग़ैरहुम वसीले और वासिते हैं।⁽³⁾

सुवाल सिफ़ाते सल्बिया किस को कहते हैं ?

जवाब सिफ़ाते सल्बिया वोह हैं जिन से **अल्लाह** पाक की ज़ात मुबर्रा और पाक है। मसलन वोह जाहिल नहीं, बे इख़्तियार व बेकस नहीं, किसी बात से मा'ज़ूर व अज़िज़ नहीं, अन्धा नहीं, बहरा नहीं, गूंगा नहीं, ज़ालिम नहीं, मुजस्सम या'नी जिस्म वाला नहीं, ज़मानी व मकानी, जिहत व मकान व ज़बान व हरकत व सुकून व शक्लो सूरत और तमाम हवादिस से पाक है। खाने पीने और तमाम हवाइजे बशरी (इन्सानी हाजतों) और हर किस्म के तग़य्युरो तबदुल, हुदूस व एहतियाज से पाक है। न वोह किसी चीज़



1... 13, सूरारعد, आیت: 16, 23, सूरّة الصّافات, आیت: 96, شرح العقائد النسفیة, ص 76

2... हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 170

3... 27, सूरّة الذّٰرّیّٰत, आیت: 58, تفسیر بغوی, 30, تحت الآیة: فالمدبرات امره, 411/4, स. 171, हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स.

में हुलूल किये हुए हैं कि किसी चीज़ में समा जाए, न उस में कोई चीज़ हुलूल किये हुए कि उस में पैवस्त हो जाए, यूंही वोह जात किसी के साथ मुत्तहिद भी नहीं जैसे कि बर्फ़ पानी में घुल कर एक हो जाती है, न वोह किसी का बाप है, न किसी का बेटा, न उस के लिये बीबी है, न उस का कोई हमसर व बराबर।⁽¹⁾

सवाल रब्बे करीम का दीदार मुम्किन है या नहीं ?

जवाब दुन्या की ज़िन्दगी में अल्लाह करीम का दीदार नबी ﷺ के लिये खास है और आख़िरत में हर सुन्नी मुसल्मान के लिये मुम्किन बल्कि वाक़ेअ है।⁽²⁾

जिस से अहले जन्नत की आंखें रोशन होंगी और दीदारे इलाही से बढ़ कर उन्हें कोई ने'मतो दौलत प्यारी न होगी। रहा क़ल्बी दीदार या ख़्वाब में तो येह दीगर अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام बल्कि औलिया के लिये भी हासिल है। हमारे इमामे आ'ज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को ख़्वाब में सो बार ज़ियारत हुई। अल्लाह पाक येह दौलत हमें भी मुयस्सर फ़रमाए, आमीन।⁽³⁾

सवाल क्या अल्लाह पाक को अपने अफ़अल में किसी ग़रज़ या सबब की एह्तियाज होती है ?

जवाब अल्लाह करीम के हर फ़ै'ल में कसीर हिक्मतें और मस्लहतें हैं, जिन की तफ़सील वोही ख़ूब जानता है, ख़्वाह हम को मा'लूम हों या न हों और उस के फ़ै'ल के लिये कोई ग़रज़ नहीं कि ग़रज़ उस फ़ाएदे को कहते हैं जो फ़ाइल की तरफ़ रुजूअ करे और न उस के अफ़अल इल्लत व सबब के मोहताज हैं। उस ने अपनी हिक्मते बालिगा के मुताबिक़ एक चीज़ को दूसरी चीज़ के लिये सबब बना दिया है। आंख देखती है, कान सुनता है, आग जलाती है, पानी प्यास बुझाता है, वोह चाहे तो आंख सुने, कान देखे, पानी जलाए, आग प्यास बुझाए, न चाहे तो लाख आंखें हों, दिन को पहाड़ न सूझे, करोड़ आगें हों एक तिनके पर दाग़ न आए। किस क़हर की आग थी जिस में इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام को काफ़िरो ने डाला, कोई पास भी न जा सकता था, उसे इर्शाद हुवा : ऐ आग ठन्डी और सलामती वाली हो जा, इब्राहीम पर और वोह आग गुलज़ार बन गई।⁽⁴⁾

1...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 171

3...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 172

4...हमारा इस्लाम, हिस्सा : 4, स. 172

सबक नम्बर 3

शिरक का बयान

शिरक एक ऐसा घिनावना फे'ल है कि जो किसी एक शरीअत में भी एक लम्हे के करोड़वें हिस्से के लिये भी जाइज़ क़रार नहीं दिया गया। जाइज़ क़रार भी कैसे दिया जा सकता था कि शिरक तो अक्बरुल कबाइर (कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह) है। शिरक ईमान की ज़िद है। जैसे अंधेरा उजाला, रात दिन एक जगह जम्अ नहीं हो सकते ऐसे ही शिरक और ईमान इस्लाम की छत्री के नीचे हरगिज़ हरगिज़ जम्अ नहीं हो सकते। कुरआने पाक में मुशिरक के अन्जाम को एक मिसाल के ज़रीए वाज़ेह किया गया है कि जो शख्स किसी बुलन्दो बाला मक़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े तो परिन्दे उस की बोटी बोटी नोच कर ले जाते हैं या फिर हवा उस के आ'ज़ा को अ़लाहदा अ़लाहदा कर के दूर किसी वादी में फेंक देती है और येह हलाकत की इब्रत नाक और बद तरीन सूरत है। इसी तरह जो शख्स ईमान के बा'द शिरक करता है तो वोह ईमान की बुलन्दी से कुफ़्र की वादी में गिर पड़ता है फिर बोटी बोटी ले जाने वाले परिन्दे की तरह नफ़्सानी ख़्वाहिशात उस की फ़िक्कों को मुन्तशिर कर देती हैं या हवा की तरह आने वाले शैतानी वस्वसे उसे गुमराही की वादी में फेंक देते हैं यूं मुशिरक अपने आप को बद तरीन हलाकत में डाल देता है। **अल्लाह** पाक मुशिरक की मग़िफ़रत नहीं फ़रमाएगा, जैसा कि रब्बे करीम इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ
ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا
بُعِيدًا ﴿٥﴾ (النساء: 116)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : **अल्लाह** इस बात को नहीं बख़्शता कि उस के साथ किसी को शरीक ठहराया जाए और इस से नीचे जो कुछ है जिसे चाहे मुआफ़ फ़रमा देता है और जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए वोह दूर की गुमराही में जा पड़ा।

याद रखिये ! शिरक ऐसी बीमारी है कि जो बन्दे पर जन्नत के दरवाज़े हमेशा के लिये बन्द करवा देती है और दोज़ख़ को दाइमी ठिकाना बना देती है। जैसा कि **अल्लाह** पाक इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ
النَّارُ ۚ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿٦﴾ (النساء: 72)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक जो **अल्लाह** का शरीक ठहराए तो **अल्लाह** ने उस पर जन्नत ह़राम कर दी और उस का ठिकाना दोज़ख़ है और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं।

शिरक अह्दादीस की रोशनी में

हमारे प्यारे नबी ﷺ ने हज़रते मुआज़ बिन जबल رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को यूँ नसीहत फ़रमाई :
لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ يا'नी अल्लाह के साथ किसी शै को शरीक न ठहरा अगर्चे तुझे क़त्ल कर दिया जाए या जला दिया जाए।⁽¹⁾

प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा ﷺ का फ़रमाने अलीशान है : क्या मैं तुम्हें अक्बरुल कबाइर (या'नी सब से बड़े कबीरा गुनाहों) के बारे में न बताऊँ ? वोह गुनाह अल्लाह करीम का शरीक ठहराना और वालिदैन की ना फ़रमानी करना हैं।⁽²⁾

अल्लाह पाक के आख़िरी नबी, मुहम्मदे अरबी ﷺ का फ़रमान है : ऐ लोगो ! शिरक से बचते रहना क्यूँ कि येह च्यूटी की आवाज़ से ज़ियादा मख़फ़ी है। सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अर्ज की : या रसूलल्लाह ﷺ ! हम शिरक से किस तरह बच सकते हैं ? तो आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : येह दुआ पढ़ लिया करो : اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوْذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ يا'नी ऐ अल्लाह ! हम दानिस्ता तौर पर किसी को तेरा शरीक ठहराने से तेरी पनाह चाहते हैं और ना दानिस्ता तौर पर ऐसा करने पर तुझ से मग़िफ़रत चाहते हैं।⁽³⁾

सुवाल शिरक के क्या मा'ना हैं ?

जवाब शिरक का मा'ना है : अल्लाह पाक के सिवा किसी को वाजिबुल वुजूद या मुस्तहिक्के इबादत (इबादत के लाइक़) जानना या'नी उलूहियत में दूसरे को शरीक करना और येह कुफ़्र की सब से बद तरीन किस्म है। इस के सिवा कोई बात कैसी ही शदीद कुफ़्र हो हकीक़तन शिरक नहीं।

सुवाल ऊपर वाजिबुल वुजूद की इस्तिलाह बयान की उस के मा'ना भी बता दीजिये।⁽⁴⁾

जवाब वाजिबुल वुजूद ऐसी ज़ात को कहते हैं जिस का वुजूद (या'नी “होना”) ज़रूरी और अदम मुहाल (या'नी न होना ग़ैर मुम्किन) है या'नी (वोह ज़ात) हमेशा से है और हमेशा रहेगी, जिस को कभी फ़ना



1... مستند امام احمد، مستند الانصار، 8/249، حديث: 22136

2... بخاری، کتاب الشهادات، باب ما قبل فی شهادة الزور، 2/194، حديث: 2654 ملقطاً

3... معجم اوسط، 2/340، حديث: 3479

4... बहारे शरीअत, 1/183, हिस्सा : 1 मुलख़ब़सन

नहीं, किसी ने उस को पैदा नहीं किया बल्कि उसी ने सब को पैदा किया है। जो खुद अपने आप से मौजूद है और येह सिर्फ अल्लाह पाक की ज़ात है।⁽¹⁾

सुवाल शिर्क की कितनी अक्साम हैं ?

जवाब शिर्क की तीन अक्साम हैं : (1) जिस तरह अल्लाह करीम वुजूद में किसी का मोहताज नहीं हमेशा से है हमेशा रहेगा उस की सिफ़ात भी हमेशा से हैं हमेशा रहेंगी इस तरह किसी का वुजूद मानना शिर्क है। (2) जिस तरह अल्लाह का एनात का ख़ालिक है उसी तरह किसी और को का एनात का ख़ालिक या इस की तख़लीक में शरीक मानना शिर्क है। (3) अल्लाह पाक के इलावा किसी को इबादत के लाइक समझना शिर्क है।

सुवाल जाइज़ उमूर को शिर्क कहने वालों से मेलजोल रखना कैसा ?

जवाब जो मुसलमान को मुशिरक व काफ़िर कहे हदीस शरीफ़ में आया कि कुफ़्र कहने वाले की तरफ़ लौटता है।⁽²⁾ इस लिये मुसलमानों पर लाज़िम है कि ऐसों से (जो बिना वजह मुसलमानों को बात बात पर शिर्क व बिद्अत के हुक्म लगाते हैं) दूर रहें कि हदीसे मुबारका में बद मज़हबों से दूर रहने और उन के साथ उठने बैठने, सलाम करने वगैरा दीगर मुआमलात से मन्अ फ़रमाया गया है। रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : “बद मज़हब से दूर रहो और उन को अपने से दूर रखो कहीं वोह तुम्हें गुमराह न कर दें और कहीं वोह तुम्हें फ़ितने में न डाल दें।”⁽³⁾

सबक़ नम्बर 4

नुबुव्वत का बयान

अल्लाह करीम ने लोगों को कुफ़्रो शिर्क, गुमराही और बद अमली से बचाने, ईमान वालों को जन्नत की बिशारत देने, कुफ़्र व इन्कार पर अज़ाब की वईद सुनाने के लिये अपने मुक़र्रब व महबूब बन्दों को नुबुव्वत व रिसालत का मन्सब अता फ़रमा कर इस दुनिया में मब्ऊस फ़रमाया, क्यूं कि अम्बियाए किराम का एनात की अज़ीम तरीन हस्तियां और इन्सानों में हीरे मोतियों की तरह जगमगाती शख़्सिय्यात हैं, इन्हें खुदा ने वही के नूर से रोशनी बख़्शी, हिक्मतों के सरचश्मे इन के दिलों में जारी फ़रमाए और और सीरतो किरदार की वोह बुलन्दियां अता फ़रमाई जिन की ताबानी से मख़्लूक की आंखें हैरत में हैं, इन की रब्बानी सीरतों राहे खुदा में काविशों और खुदाई पैग़ाम पहुंचाने में उठाई गई मशक्कतों में तमाम इन्सानिय्यत के

1 हमारा इस्लाम, हिस्सए सिवुम, स. 87

2 ... मुसलम, کتاب الایمان، باب بیان حال ایمان من قال لاخیه المسلم: یا کافر، ص 54، حدیث: 216

3 ... मुसलम، مقدمه، باب النبی عن روايته عن الضعفاء... إلخ، ص 17، حدیث: 16

लिये अज़मत, शौकत, किरदार, हिम्मत, हौसले और इस्तिक्कामत का अज़ीम दर्स मौजूद है। इन की सीरत का मुतालआ आंखों को रोशनी, रूह को कुव्वत, दिलों को हिम्मत, अक्ल को नूर, सोच को वुस्अत, किरदार को हुस्न, ज़िन्दगी को मा'नविय्यत, बन्दों को नियाज़ और कौमों को उरूज बख़्शता है।^{(1) (2)}

सुवाल नबी किसे कहते हैं ?

जवाब अल्लाह करीम ने मख़्लूक की हिदायत और रहनुमाई के लिये जिन पाक बन्दों को अपने अहक़ाम पहुंचाने के लिये भेजा उन को “नबी” कहते हैं और अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ही वोह बशर (इन्सान) हैं जिन के पास अल्लाह करीम की तरफ़ से वही आती है।

सुवाल रसूल किसे कहते हैं ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام में से जो नई शरीअत लाए उसे रसूल कहते हैं।

सुवाल वही क्या होती है ?

जवाब वही का लुग़वी मा'ना है पैग़ाम भेजना, दिल में बात डालना, खुफ़्या बात करना। शरीअत की इस्तिलाह में वही उस कलाम को कहते हैं जो किसी नबी पर अल्लाह पाक की तरफ़ से नाज़िल हुवा हो।

सुवाल पैग़म्बरों और दूसरे इन्सानों में क्या फ़र्क है ?

जवाब इन में ऐसा ही फ़र्क है जैसा कि ज़मीन व आस्मान में फ़र्क है। नबी व रसूल, खुदा के खास और मा'सूम बन्दे होते हैं, इन की निगरानी और तरबियत खुद अल्लाह पाक फ़रमाता है। सगीरा कबीरा गुनाहों से बिल्कुल पाक होते हैं। अली नसब, अली हसब (या'नी बुलन्द सिल्सिलए ख़ानदान) इन्सानिय्यत के आ'ला मर्तबे पर पहुंचे हुए, ख़ूब सूरत, नेक सीरत, इबादत गुज़ार, परहेज़ गार, तमाम अख़्लाक़े हसना से आरास्ता और हर क़िस्म की बुराई से दूर रहने वाले होते हैं। इन्हें अक्ले कामिल अता की जाती है जो औरों की अक्ल से दरजों बुलन्दो वाला होती है। किसी हकीम और किसी फ़ल्सफ़ी की अक्ल किसी साइन्स दान की फ़हमो फ़िरासत उस के लाख़वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सकती⁽³⁾ और अक्ल की ऐसी बुलन्दी क्यूं

① ... सीरतुल अम्बिया, स. 27, 28 ब तग़य्युरे क़लील

② ... अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَام की सीरतो किरदार का मुतालआ करने के लिये मक्तबतुल मदीना की 869 सफ़हात की किताब “सीरतुल अम्बिया” का मुतालआ करना बेहद मुफ़ीद है।

③ ... बहारे शरीअत, 1/37, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

न हो कि येह अल्लाह पाक के लाडले बन्दे और उस के महबूब होते हैं। अल्लाह करीम इन्हें हर ऐसी बात से दूर रखता है जो बाइसे नफ़रत हो, इसी लिये अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के जिस्मों का बरस (सफ़ेद दाग़), जुज़ाम (कोढ़) वग़ैरा ऐसी बीमारियों से पाक होना ज़रूरी है जिस से लोग नफ़रत करते हैं। फिर तमाम मख़्लूक में सारे नबियों में सब से बढ़ कर अक्ले कामिलो अक्मल हमारे नबिय्ये मुक़र्रम हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को अता फ़रमाई गई है।⁽¹⁾ चुनान्वे हज़रते वहब बिन मुनब्बेह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : मैं ने इक्हत्तर (71) आस्मानी किताबों में लिखा देखा है कि रोज़े अव्वल से क़ियामत क़ाइम होने तक तमाम ज़हान के लोगों को जितनी अक्ल अता की गई है वोह सब मिल कर हज़रत मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की अक्ल के आगे ऐसी है जैसे दुन्या के तमाम रेगिस्तान के सामने रेत का एक दाना (ज़र्ग़)।⁽²⁾

सुवाल नबियों को ग़ैब का इल्म होता है या नहीं ?

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ग़ैब की ख़बर देने के लिये ही आते हैं। हि़साब किताब, जन्नत व दोज़ख़, सवाब व अज़ाब, ह़शर नशर, फ़िरिश्ते वग़ैरा ग़ैब नहीं तो और क्या हैं ? येह वोही बताते हैं जिन की अक्ल कामिल हो मगर येह इल्मे ग़ैब कि उन को है अल्लाह पाक के दिये से है लिहाज़ा उन का इल्म अताई (अल्लाह पाक का दिया हुआ) है और अल्लाह पाक का इल्म ज़ाती है जिस की कोई ह़द नहीं और उस की सिफ़त है हमेशा से है। इस तरह इल्मे ग़ैब नबियों और रसूलों के लिये मानने वाले को शिर्क का इल्ज़ाम देना भी हमाक़त और खुद कुफ़्रो शिर्क के मा'ना से ही जहालत और सख़्त गुमराही की बात है बल्कि मुत्लक़न अम्बियाए किराम के लिये इल्मे ग़ैब का इन्कार करना तो कुरआने करीम की नस्से क़र्इ के इन्कार की वजह से कुफ़्र है।

सुवाल क्या कोई इबादतो रियाज़त से नुबुव्वत हासिल कर सकता है ?

जवाब हरगिज़ नहीं, नुबुव्वत बहुत बुलन्द और बड़ा मर्तबा है। कोई शख़्स इबादत वग़ैरा से येह मर्तबा हासिल नहीं कर सकता, चाहे उम्र भर रोज़ादार रहे, रात भर सज्दों में रोया करे, तमाम मालो दौलत खुदा की राह में सदका कर दे, अपने आप भी उस के दीन पर फ़िदा हो जाए या'नी जान कुरबान कर दे मगर इस से नुबुव्वत नहीं पा सकता। नुबुव्वत अल्लाह पाक का फ़ज़ल है जिसे चाहे अता फ़रमाए हमारे प्यारे आका व मौला صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अल्लाह करीम के आख़िरी नबी हैं।

सुवाल किसी नबी की ता'जीमो तौकीर न करना कैसा ?

1... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 9, 10

2... फ़तावा रज़विyyा, 30/149 मुलख़़सन

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام तमाम मख्लूक से अफ़ज़ल हैं, इन की ता'जीमो तौकीर या'नी इज़्ज़तो एहतिराम फ़र्ज़ और इन की अदना तौहीन या'नी गुस्ताखी या तक्ज़ीब या'नी झुटलाना कुफ़्र है। आदमी जब तक सब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام को न माने मोमिन नहीं हो सकता। शैतान अल्लाह पाक के प्यारे नबी आदम عَلَيْهِ السَّلَام की बे अदबी और गुस्ताखी करने ही की वजह से मलज़ून करार दिया गया। पता चला कि अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام की बे अदबी शैतानी काम है।

सुवाल अल्लाह पाक की बारगाह में अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام का क्या मक़ाम है ?

जवाब अल्लाह पाक के दरबार में अम्बिया عَلَيْهِमُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام की बहुत इज़्ज़त और बड़ा मक़ाम है। वोह अल्लाह पाक के प्यारे उस के महबूब होते हैं, उन पर वही नाज़िल होती है, उन्हें तरह तरह के कमालात व मो'जिज़ात अता किये जाते हैं, सारी मख्लूक में सब से अफ़ज़ल रुत्बा अम्बियाए किराम عَلَيْهِमُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام ही का होता है यहां तक कि फ़िरिश्तों से भी अफ़ज़ल होते हैं।

सुवाल अल्लाह पाक तक पहुंचने का क्या रास्ता है ?

जवाब खुदा की राह अम्बिया عَلَيْهِमُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام ही के ज़रीए मिलती है और इन्सान की नजात का दारो मदार (इन्हिसार) इन्हीं की फ़रमां बरदारी पर है।

सुवाल क्या जिन्न और फ़िरिशते भी नबी होते हैं ?

जवाब नहीं, नबी सिर्फ़ इन्सानों में से होते हैं और इन में से भी फ़क़त मर्द, कोई औरत नबी नहीं हो सकती। अलबत्ता रसूल इन्सानों के साथ ही ख़ास नहीं बल्कि फ़िरिश्तों में भी रसूल हैं।

सुवाल कुरआने मजीद में किन अम्बिया عَلَيْهِमُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام का ज़िक्र है ?

जवाब अल्लाह पाक ने हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام से हमारे आका हुज़ूर सय्यिदे अलम صَلَّی اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तक बहुत नबी भेजे। कुरआने पाक में जिन का ज़िक्र है, उन के अस्माए मुबारका येह हैं : हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते नूह عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते यूसुफ़ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इस्माईल عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इस्हाक़ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते या'कूब عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते हारून عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते शूऐब عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते लूत عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते हूद عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते सुलैमान عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते अय्यूब عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते ज़करिय्या عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते यहूया عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इल्यास عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते अल्यसअ عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते यूनस عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते इदरीस

عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते जुल क़िफ़ल عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते उज़ैर عَلَيْهِ السَّلَام, हज़रते सालेह عَلَيْهِ السَّلَام, हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन मुहम्मदुरसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ।

सुवाल क्या ग़ैरे नबी के पास भी वही आती है ?

जवाब वहूये नुबुव्वत ग़ैरे नबी के पास नहीं आती, जो इस का क़ाइल या'नी मानने वाला हो वोह काफ़िर है ।

सुवाल क्या अम्बिया के सिवा और कोई भी मा'सूम होता है ?

जवाब हां, फ़िरिश्ते भी मा'सूम होते हैं ।

सुवाल मा'सूम किस को कहते हैं ?

जवाब जो अल्लाह पाक की हिफ़ाज़त में हो और इस वजह से उस का गुनाह करना ना मुम्किन हो ।

सुवाल क्या इमाम और वली भी मा'सूम होते हैं ?

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام और फ़िरिश्तों के सिवा मा'सूम कोई भी नहीं होता, औलिया को अल्लाह पाक अपने करम से गुनाहों से बचाता है मगर मा'सूम सिर्फ़ अम्बिया और फ़िरिश्ते ही हैं ।

सुवाल दुन्या में सब से पहले आने वाले नबी कौन हैं ?

जवाब दुन्या में सब से पहले आने वाले नबी आदम عَلَيْهِ السَّلَام हैं, इन से पहले आदमियों का सिलसिला न था । सब से पहले अल्लाह पाक ने इन्हें अपनी कुदरते कामिला से बिग़ैर मां बाप के पैदा किया और अपना ख़लीफ़ा या'नी नाइब बनाया और इल्मे अस्मा इनायत किया । फ़िरिश्तों को इन के सज्दे का हुक्म दिया, इन्हीं से इन्साना नस्ल चली, तमाम आदमी इन्हीं की औलाद हैं ।

सुवाल इल्मे अस्मा किस को कहते हैं ?

जवाब अल्लाह पाक ने जो हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को हर चीज़ और उस के नामों का इल्म अता फ़रमाया था उस को इल्मे अस्मा कहते हैं ।

सुवाल फ़िरिश्तों ने हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام को कैसा सज्दा किया था ?

जवाब येह सज्दए ता'ज़ीमी था जो खुदा के हुक्म से मलाएका ने किया और सज्दए ता'ज़ीमी पहली शरीअतों में जाइज़ था हमारी शरीअत में जाइज़ नहीं और सज्दए इबादत पहली शरीअतों में भी खुदा के सिवा किसी और के लिये जाइज़ नहीं हुवा । जो मख़्लूक में से किसी को सज्दए इबादत करेगा काफ़िर हो जाएगा और ता'ज़ीमन सज्दा करेगा तो सख़्त गुनहगार और अज़ाबे नार का हक़दार होगा कि हमारी शरीअत में सज्दए ता'ज़ीमी भी हराम है ।

सवाल नबी को मुर्दा कह सकते हैं या नहीं ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام अपनी कब्रों में उसी तरह ज़िन्दा हैं जैसे दुनिया में थे, खाते पीते हैं, ⁽¹⁾ जहां चाहें आते जाते हैं, तस्दीके वा'दए इलाहिय्यह (या'नी अल्लाह ने वा'दा फ़रमाया है कि हर जी रूह को मौत का मज़ा चखना है इस) के लिये एक आन को उन पर मौत तारी हुई, फिर ब दस्तूर ज़िन्दा हो गए, उन की हयात, हयाते शुहदा से बहुत अरफ़ओ आ'ला है। ⁽²⁾ जो उन्हें मुर्दा कहे गुमराह बद दीन, ⁽³⁾ शैतान के रास्ते पर चलने वाला है, उस के तो साए से भी दूर रहना चाहिये।

सवाल क्या अम्बियाए किराम में से कोई ऐसे हैं जिन की अभी वफ़ात नहीं हुई ?

जवाब याद रखिये ! यूं तो हर नबी ज़िन्दा है। (जैसा कि हदीसे मुबारका में है :) या'नी बेशक अल्लाह (पाक) ने हराम किया है ज़मीन पर कि अम्बिया के जिस्मों को ख़राब करे तो अल्लाह पाक के नबी ज़िन्दा हैं रोज़ी दिये जाते हैं। ⁽⁴⁾ मगर चार अम्बियाए किराम ऐसे हैं जिन को (वफ़ात की सूरत में) वा'दए इलाही अभी नहीं आया, उन चारों में से दो आस्मान पर हैं, हज़रते इदरीस व ईसा और दो ज़मीन पर हज़रते ख़िज़र व इल्यास عَلَيْهِمَا السَّلَام ⁽⁵⁾

सवाल हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के बारे में क़ादियानियों का बातिल अक्कीदा क्या है ? और उस का रद बयान करें।

जवाब सूरए आले इमरान की आयत 55 में हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام को चार बातें फ़रमाई गई :

إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيُحْيِي إِيَّيْ مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الذِّمَنِ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الذِّمَنِ اتَّبِعُكَ فَوْقَ الذِّمَنِ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِنِّي مَرْجِعُكُمْ فَأَخُكُم بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ

तरजमए कन्जुल ईमान : याद करो जब अल्लाह ने फ़रमाया ऐ ईसा मैं तुझे पूरी उम्र तक पहुंचाऊंगा और तुझे अपनी तरह उठा लूंगा और तुझे काफ़िरों से पाक कर दूंगा और तेरे पैरवों को क़ियामत तक तेरे मुन्किरों पर ग़लबा दूंगा फिर तुम सब



1... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته، دفتر 2، 290، حديث: 1636 مأثوثا

2... محمّل الايمان، ص 122

3... फ़तावा रज़विyya, 29/110

4... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ذكر وفاته، دفتر 2، 291، حديث: 1637

5... फ़तावा रज़विyya, 29/109, 110 मुलख़बसन

تَشْكُرُونَ ﴿٥٥﴾ (پ 3, آل عمران: 55)

मेरी तरफ़ पलट कर आओगे तो मैं तुम में फैसला फ़रमा दूंगा जिस बात में झगड़ते हो।

(1) पहली बात **تَوَفَّى** है, क़ादियानियों ने आयते पाक के इन अल्फ़ाज़ को बुन्याद बना कर यहूदो नसारा की पैरवी में हज़रते ईसा की वफ़ात का दा'वा किया और यह सरासर ग़लत है क्यूं कि पहली बात तो यह है कि **تَوَفَّى** का हकीकी मा'ना है “पूरा करना” जैसे कुरआने पाक में है :

وَابْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴿٢٧﴾ (پ 27, النجم: 37)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और इब्राहीम के जो अहक़ाम पूरे बजा लाया।

और यह मौत के मा'ना में भी इस्ति'माल होता है, लेकिन यह इस का मजाज़ी मा'ना है और जब तक कोई वाज़ेह क़रीना मौजूद न हो उस वक़्त तक लफ़ज़ का हकीकी मा'ना छोड़ कर मजाज़ी मा'ना मुराद नहीं लिया जा सकता, और यहां कोई ऐसा क़रीना मौजूद नहीं कि **تَوَفَّى** का मा'ना मौत किया जाए बल्कि इस का हकीकी मा'ना मुराद लेने पर वाज़ेह क़राइन भी मौजूद हैं और वोह क़राइन अहादीसे मुबारका हैं जिन में यह बयान है कि हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** जिन्दा आस्मान पर उठाए गए और कुर्बे क़ियामत में वापस तशरीफ़ लाएंगे, लिहाज़ा इस आयत से हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** की वफ़ात साबित नहीं होती। बिलफ़र्ज अगर **تَوَفَّى** का मा'ना “वफ़ात देना” ही है तो इस से यह कहां साबित हुवा कि हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** वफ़ात पा चुके हैं। सिर्फ़ यह फ़रमाया है कि “ऐ ईसा ! मैं तुझे वफ़ात दूंगा।” तो यह बात तो हम भी मानते हैं कि हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** भी वफ़ात पाएंगे, यह मा'ना नहीं है कि हम ने तुझे फ़ौत कर दिया। अब यह बात कि आयत में **تَوَفَّى** या'नी वफ़ात देने का पहले तज़्किरा है और उठाए जाने का बा'द में और चूंकि हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** उठाए जा चुके हैं लिहाज़ा इन की वफ़ात भी पहले साबित हो गई तो इस का जवाब यह है कि आयत में “**مُتَوَفِّكَ**” और “**رَافِعَكَ**” के दरमियान में “वाव” है और अरबी ज़बान में “वाव” तरतीब के लिये नहीं आती कि जिस का मतलब यह निकले कि वफ़ात पहले हुई और उठाया जाना बा'द में, जैसे कुरआने पाक में हज़रते मरयम **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** से फ़रमाया गया : (پ 3, آل عمران: 43) : **وَاسْجُدِي وَارْكَعِي** **तरजमए कन्ज़ुल इरफ़ान :** “और सज्दा और रुकूअ कर।” यहां सज्दे का पहले तज़्किरा है और रुकूअ का बा'द में, तो क्या इस का यह मतलब है कि हज़रते मरयम **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** रुकूअ बा'द में करती थीं और सज्दा पहले, हरगिज़ नहीं। लिहाज़ा जैसे यहां “वाव” का आना तरतीब के लिये नहीं है ऐसे ही मज़क़ूरा बाला आयत में “वाव” तरतीब के लिये नहीं है।

(2) दूसरी बात हज़रते ईसा **عَلَيْهِ السَّلَام** का उठाया जाना है। फ़रमाया गया कि हम तुम्हें बिगैर मौत के उठा कर आस्मान पर इज़्ज़त की जगह और फ़िरिश्तों की जाए क़रार में पहुंचा देंगे। रसूले अकरम ने

फ़रमाया : हज़रते ईसा मेरी उम्मत पर ख़लीफ़ा हो कर नाज़िल होंगे, सलीब तोड़ेंगे, ख़िन्ज़ीरों को क़त्ल करेंगे, चालीस साल रहेंगे, निकाह फ़रमाएंगे, औलाद होगी और फिर आप का विसाल होगा। वोह उम्मत कैसे हलाक हो जिस का अब्बल मैं हूँ और आख़िर हज़रते ईसा और वस्तु में मेरे अहले बैत में से महदी।⁽¹⁾

मुस्लिम शरीफ़ की हदीस में है कि हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام मनारए शर्की दिमशक़ पर नाज़िल होंगे।⁽²⁾ और येह भी हदीस में है कि “हुज़ूरे अक्दस के हुज़रे में मदफून होंगे।”⁽³⁾

(3) तीसरी बात कि कुफ़्फ़ार से नजात दिलाऊंगा। इस तरह कि कुफ़्फ़ार के नरगे से तुम्हें बचा लूंगा और वोह तुम्हें सूली न दे सकेंगे।

(4) चौथी बात मानने वालों को मुन्किरों पर ग़लबा देना। इस से मुराद न यहूदी हैं क्यूं कि वोह तो वैसे ही हज़रते ईसा के दुश्मन हैं और न ईसाई हैं क्यूं कि वोह उन्हें खुदा मानते हैं तो येह “मानना” तो बद तरीन किस्म का “न मानना” है कि हज़रते ईसा फ़रमाएं कि अल्लाह के सिवा किसी को मा'बूद न मानो और येह कहें, नहीं, हम तो आप को भी मा'बूद मानेंगे। हज़रते ईसा के मानने वालों से मुराद है “इन को सहीह तौर पर मानने वाले” और सहीह मानने वाले यकीनन सिर्फ़ मुसल्मान हैं।

सबक़ नम्बर 5

इमामुल अम्बिया हज़रते मुहम्मदे मुस्तफ़ा

यकीनन तमाम नबियों की ज़ात मख़्लूक में सब से अफ़ज़लो आ'ला और हर तरह से मुमताज़ है, अल्लाह करीम ने इन्हें मुख़लिफ़ ख़ूबियों से मुजय्यन और बे शुमार औसाफ़ से नवाज़ा है, मगर इन तमाम अम्बियाए किराम में सय्यिदे आ़लम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की अज़मतो शान के क्या कहने कि रब्बे करीम ने जो ख़ूबियां दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को अता फ़रमाई वोह सब की सब आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ज़ात में जम्अ फ़रमा दीं। किसी शाइर ने क्या ख़ूब कहा है कि :

कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा किसी और का येह रुत्बा कभी था न है न होगा

सवाल तमाम नबियों के सरदार कौन हैं ?

जवाब तमाम नबियों के सरदार हमारे प्यारे आका हज़रत मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हैं।

1... तफ़्सीर مدارक, प 3, अल عمران, تحت الآية 55, ज 3/383, ابن عساکر, र 5519, عیسیٰ بن مریم, 47/522, حدیث: 10341

2... مسلم, کتاب الفتن, واثراط الساعه, باب ذکر الدجال وصفتہ ومامعه, ص 1201, حدیث: 8383

3... ابن عساکر, ر 5519, عیسیٰ بن مریم, 47/522, حدیث: 10344, ماخوذ

सुवाल हुज़ूर ﷺ का मक़ाम सब से बुलन्द और आ'ला क्यूं है ?

जवाब तमाम अम्बिया ﷺ को जो कमालात जुदा जुदा इनायत हुए वोह सब अल्लाह पाक ने हुज़ूर ﷺ की जाते अली में जम्अ फ़रमा दिये और हुज़ूर ﷺ के खास कमालात जो दूसरे अम्बिया में नहीं थे वोह भी बहुत जाइद हैं। हुज़ूर ﷺ तमाम अम्बियाए किराम ﷺ के भी सरदार हैं, फ़िरिश्तों के भी सरदार हैं और सारी मख़लूक में सब से अफ़ज़ल हैं।

इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाते हैं : इमाम अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه ने “ख़साइसे कुब्रा” में अढ़ाई सो के करीब हुज़ूर ﷺ के ख़साइस जम्अ किये और येह सिर्फ़ उन का इल्म था, उन से ज़ियादा इल्म वाले ज़ियादा जानते थे फिर जिस क़दर हुज़ूर ﷺ अपने फ़ज़ाइल व ख़साइस जानते हैं दूसरा क्या जानेगा और हुज़ूर ﷺ से ज़ियादा इल्म वाला उन का मालिको मौला (है)।⁽¹⁾

सुवाल सब से आख़िरी नबी कौन हैं ?

जवाब हुज़ूर ﷺ ख़ातमुन्नबियीन हैं या'नी अल्लाह पाक ने नुबुव्वत का सिलसिला हुज़ूर ﷺ पर ख़त्म फ़रमा दिया। इस लिये हुज़ूर ﷺ अल्लाह पाक के आख़िरी नबी हैं।

सुवाल जो कहे कि हुज़ूर ﷺ के बा'द भी कोई नबी आ सकता है, उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब हुज़ूर ﷺ के बा'द किसी को नुबुव्वत नहीं मिल सकती। “बुख़ारी शरीफ़” में है : हज़रते इस्माईल رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : मैं ने हज़रते इब्ने अबी औफ़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से पूछा : आप ने (नबी ﷺ के बेटे) हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को देखा है ? फ़रमाया : उन का बचपन में इन्तिक़ाल हो गया था, अगर मुहम्मद ﷺ के बा'द नबी होना होता तो हज़रते इब्राहीम ज़िन्दा रहते लेकिन हमारे आका, मुहम्मद मुस्तफ़ा ﷺ के बा'द कोई नबी नहीं।⁽²⁾

सुवाल अक़ीदे ख़तमे नुबुव्वत क्या है ? इस को तफ़सीलन बयान कीजिये।

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 30/253 मुल्तक़तन

2 ... بخاری، کتاب الادب، باب من کی باسماء الانبیاء، 4/153 حدیث: 6194

जवाब ख़तमे नुबुव्वत से मुराद येह मानना है कि हमारे आका व मौला हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم “आख़िरी नबी” हैं। या’नी अल्लाह करीम ने हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की ज़ात पर सिल्सिलए नुबुव्वत को ख़तम फ़रमा दिया। हुजूर के ज़माने में या इस के बा’द क़ियामत तक कोई नया नबी नहीं हो सकता।⁽¹⁾ आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم के बा’द नया नबी आना मुहाल है, आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم से कम रुत्बा या फ़ैज़ याफ़ता हो कर भी अब कोई नबी नहीं आ सकता, हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ऐसे आ’ला औसाफ़ वाले हो कर भी जब नबी न हुए तो किसी और का नबी बन जाना ज़रूर ना मुम्किन और यक़ीनन मुहाल है।

तीस कज़़ाब

सच येह है कि अब नुबुव्वत का दा’वा करने वाला ख़्वाह कोई हो, झूटा कज़़ाब है। हज़रते सौबान رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से रिवायत है, हमारे प्यारे नबी, रसूले हाशिमि صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : मेरी उम्मत में 30 कज़़ाब (बहुत बड़े झूटे) होंगे, उन में हर एक गुमान करेगा कि वोह नबी है हालां कि मैं ख़ातमुन्नबिय्यीन हूँ, मेरे बा’द कोई नबी नहीं।⁽²⁾

हकीमुल उम्मत, मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : येह तीस (30) झूटे नबी वोह हैं जिन्हें लोगों ने नबी मान लिया और उन का फ़साद फैल गया, दूसरी क़िस्म के मुद्दइये नुबुव्वत (नुबुव्वत का दा’वा करने वाले) जिन्हें किसी ने न माना वोह बक्वास कर के मर गए वोह तो बहुत हैं, देखो ! हमारे मुल्क में मिरज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी मुद्दइये नुबुव्वत का फ़ितना बहुत फैला इस के इलावा हम ने बहुत से मुद्दइये नुबुव्वत देखे जिन की त़रफ़ किसी ने तवज्जोह ही न दी अपने को नबी कहते कहते मर गए।⁽³⁾

अक़ीदए ख़तमे नुबुव्वत की मुख़्तसर वज़ाहत

“अक़ीदए ख़तमे नुबुव्वत” का वोही दरजा है जो “अक़ीदए तौहीद” का है या’नी दोनों ही ज़रूरिय्याते दीन से हैं। लिहाज़ा मुसलमान के लिये जिस त़रह لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ मानना लाज़िम है, ऐसे ही हज़रत मुहम्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को ख़ातमुन्नबिय्यीन मानना भी लाज़िम है।

पारह 22, सूरतुल अहज़ाब, आयत : 40 में इर्शाद होता है :

وَلَكِنْ رَّسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

(प 22, अहज़ाब: 40)

तरजमए कज़़ुल ईमान : हां अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के पिछले।



1... त़रफ़ी, क़ताबुल फ़तह, बाबुल अज़ाअ लल त़ातुल स़ाअत... अ 4/93, हदीथ: 6226, अ 4/93

2... मिरआतुल मनाजीह, 7/219

खातमुन्नबिय्यीन का दुरुस्त मा'ना

हुजुरे अक्दस صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم, तमाम सहाबा बल्कि पूरी उम्मत ने “खातमुन्नबिय्यीन” का सिर्फ़ एक मा'ना बताया है : “اٰخِرُ الْاَنْبِيَاءِ” ⁽¹⁾ या'नी हुजुर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के साथ या आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के बा'द क़ियामत तक किसी को नुबुव्वत मिलनी मुहल है। आयत के इस मा'ना में किसी क़िस्म की तावील या तख़सीस कुफ़्र है। ⁽²⁾

खातमुन्नबिय्यीन के पांच कुफ़्रिय्या मअ़नी

(1) जो कहे : “खातमुन्नबिय्यीन का मतलब है : नई शरीअत वाला नबी, लिहाज़ा इसी इस्लामी शरीअत पर अमल करने वाला नबी आ सकता है।” कहने वाला काफ़िर है। (2) जो “खातमुन्नबिय्यीन” का मा'ना “नबी बिज्ज़ात (अस्ली नबी)” करे, काफ़िर है। (3) जो इस का मा'ना अफ़ज़लुन्नबिय्यीन (सब नबियों से अफ़ज़ल) बताए, काफ़िर है। ⁽³⁾ वाजेह रहे ! हमारे आका صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم बेशक सब नबियों से अफ़ज़ल हैं, मगर “खातमुन्नबिय्यीन” का येह मा'ना करना कुफ़्र है कि कुरआन की तहरीफ़ है। (4) जो कहे : “इस ज़मीन पर तो नहीं मगर और जगह (मसलन सातों ज़मीनों या सातों आस्मानों में कहीं) कोई नबी आ सकता है” कहने वाला काफ़िर है। (5) जो कहे : “इन्सानों में नया नबी नहीं आ सकता, अलबत्ता दूसरी मख़लूक में अब भी नबी आ सकता है” काइल (कहने वाला) काफ़िर है।

नोट : “खातमुन्नबिय्यीन” के ऐसे मा'ना करने वाला भी काफ़िर है, जो उसे काफ़िर न जाने या उस के कुफ़्र में शक करे वोह भी काफ़िर, मुरतद, इस्लाम से ख़ारिज है। ⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 6

मो'जिज़ात का बयान

अल्लाह करीम ने अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام को बे शुमार कमालात और खुसूसिय्यात से नवाज़ा, जिन में से एक मो'जिज़ा भी है। मो'जिज़ा नबी की नुबुव्वत की दलील होता है, मो'जिज़े के ज़रीए सच्चे

① ... तहकीक़ात, स. 273 माख़ूज़न

② ... फ़तावा रज़विyyा, 14/333 मुलख़ख़सन

③ ... फ़तावा रज़विyyा, 14/333 माख़ूज़न

④ ... फ़तावा रज़विyyा, 14/338 माख़ूज़न

और झूटे नबी में फ़र्क़ होता है। हमारे प्यारे नबी ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : हर नबी को इस क़दर मो'जिज़ात दिये गए जिन की वजह से इन्सान उन पर ईमान ले आए।⁽¹⁾ कुरआने पाक की कई आयात में इस बात का ज़िक्र है कि अम्बियाए किराम ﷺ को मो'जिज़ात अता फ़रमाए गए, जैसा कि

पारह 16 सूरए ताहा में हज़रते मूसा ﷺ के मो'जिज़ात बयान किये गए कि आप के दौर में जादूगरों के जादूई कारनामे उरूज पर थे, इस लिये अल्लाह पाक ने आप को “यदे बैज़ा” और “असा” के मो'जिज़ात अता फ़रमाए, जिन से आप ने जादूगरों पर ऐसा ग़लबा हासिल फ़रमाया कि तमाम जादूगर सच्चे में गिर पड़े और आप पर ईमान ले आए।

इसी तरह पारह 3 सूरए आले इमरान 49 में हज़रते ईसा ﷺ के मो'जिज़ात बयान किये गए कि आप के ज़माने में तबीबों ने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज कर के इन्सानों को मुतअस्सिर किया इस लिये अल्लाह करीम ने हज़रते ईसा ﷺ को मादर ज़ाद अन्धों, कोढ़ के मरीजों को शिफ़ा देने और मुर्दों को जिन्दा कर देने का मो'जिज़ा अता फ़रमाया।

इसी तरह पारह 8 सूरए आ'राफ़ आयत नम्बर 73 में हज़रते सालेह ﷺ का मो'जिज़ा बयान किया गया कि जब कौमे समूद को ईमान लाने की दा'वत दी तो उन्होंने ने आप ﷺ से एक ऐसी अनोखी ऊंटनी का मुतालबा किया जो पैदा न हुई हो बल्कि पहाड़ से निकली हो। अल्लाह करीम ने हज़रते सालेह ﷺ को ऐसी ऊंटनी का मो'जिज़ा अता फ़रमाया।

इसी तरह हमारे प्यारे नबी ﷺ चूँकि तमाम नबियों से अफ़ज़ल हैं इस लिये अल्लाह करीम ने आप ﷺ को पहले अम्बियाए किराम ﷺ के तमाम मो'जिज़ात अता फ़रमाए और बे शुमार ऐसे मो'जिज़ात भी अता फ़रमाए जो किसी नबी व रसूल को अता नहीं किये गए। मसलन “मे'राज शरीफ़ का मो'जिज़ा”,⁽²⁾ “चांद के दो टुकड़े करना”,⁽³⁾ रसूले अकरम ﷺ के मशहूर मो'जिज़ात हैं। हमारे प्यारे नबी ﷺ का सब से बड़ा मो'जिज़ा कुरआने मजीद है क्यूं कि रसूलुल्लाह ﷺ के दूसरे मो'जिज़ात तो अपने वक़्त पर ज़ाहिर हुए और आप ﷺ के ज़माने ही के लोगों ने वोह मो'जिज़ात मुलाहज़ा किये मगर “कुरआने मजीद” आप ﷺ का कियामत तक बाक़ी रहने वाला मो'जिज़ा है।⁽⁴⁾



1... بخاری، کتاب فضائل القرآن، باب کیف نزول الوحی واول ما نزل، 3/396، حدیث 4981

2... پاره 15، سورہ بنی اسرائیل، آیت: 1

3... پاره 27، سورہ قمر، آیت: 1

4... مدارج النبوت، 1/175

सुवाल मो'जिजा किसे कहते हैं ?

जवाब वोह अजीबो गरीब काम जो आम तौर पर या'नी आदतन ना मुम्किन हों और ऐसी बातें अगर नुबुव्वत का दा'वा करने वाले से उस की ताईद में जाहिर हों तो उन को "मो'जिजा" कहते हैं⁽¹⁾ जैसे हज़रते मूसा عليه السلام के असा का अज़्दहा बन जाना, हज़रते सुलैमान عليه السلام का मीलों दूर से च्यूटी की आवाज़ सुन लेना, हज़रते दावूद عليه السلام के हाथ में लोहे का मोम की तरह नर्म हो जाना, हज़रते ईसा عليه السلام का मुर्दों को जिन्दा करना, हमारे प्यारे आका صلى الله عليه وآله وسلم का डूबे हुए सूरज को वापस लौटाना, चांद के दो टुकड़े करना वगैरा ।

सुवाल क्या कोई नुबुव्वत का झूटा दा'वा कर के मो'जिजा नहीं दिखा सकता ?

जवाब नुबुव्वत का झूटा दा'वा करने वाला मो'जिजा हरगिज़ नहीं दिखा सकता और कुदरत उस की ताईद नहीं फ़रमाती ।

सुवाल मे'राज के मो'जिजे के बारे में कुछ बताइये ।

जवाब हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم रात के थोड़े से हिस्से में मक्कए मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ ले गए, वहां अम्बिया عليهم الصّلوٰة والسلام की इमामत फ़रमाई । बैतुल मुक़द्दस से आस्मानों पर तशरीफ़ ले गए । अल्लाह पाक के कुर्ब का वोह मर्तबा पाया कि कभी किसी इन्सान या फ़िरिश्ते, नबी या रसूल ने न पाया था । खुदावन्दे आलम का जमाले पाक अपनी मुबारक आंखों से देखा, कलामे इलाही सुना, आस्मान व ज़मीन के तमाम मुल्क मुलाहज़ा फ़रमाए या'नी देखे, जन्नतों की सैर की, दोज़ख़ का मुआयना फ़रमाया या'नी अपनी आंखों से देखा, मक्कए मुअज़्ज़मा से बैतुल मुक़द्दस तक रास्ते में जो काफ़िले मिले थे सुब्ह को उन के हालात बयान फ़रमाए ।⁽²⁾

सुवाल क्या नबी के इलावा भी किसी से मो'जिजा जाहिर हो सकता है ?

जवाब जी नहीं, मो'जिजा सिर्फ़ नबी के साथ ख़ास है ।

सुवाल मो'जिजा और करामत में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब वोह अजीबो गरीब काम जो आदतन ना मुम्किन हो जिसे नबी अपनी नुबुव्वत के सुबूत में पेश

¹ ... किताबुल अक्काइद, स. 19 मुल्तक़तन

² ... मे'राज शरीफ़ के बारे में तफ़्सीली मा'लूमात मा'मूलाते अहले सुन्नत में आएगी ।

करे और उस से मुन्करीन अजिज हो जाएं वोह मो'जिजा है और वली से ज़ाहिर हो तो करामत है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 7

नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्तफ़ा

अल्लाह करीम ने नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को जहां बे मिसाल बशर होने का शरफ़ अता फ़रमाया वहीं हिस्सी व मा'नवी नूरानिय्यत से भी नवाजा। हकीमुल उम्मत, मुफ़ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हुजूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बशर भी हैं और नूर भी या'नी नूरानी बशर हैं। ज़ाहिरी जिस्म शरीफ़ बशर है और हकीकत नूर है।⁽²⁾

सवाल मख़्लूक में सब से पहले किस चीज़ की तख़लीक़ हुई ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि मैं ने अर्ज की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मेरे मां बाप आप (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) पर कुरबान ! मुझे बताइये कि सब से पहले अल्लाह करीम ने क्या चीज़ बनाई ? तो आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : ऐ जाबिर ! बेशक बिल यकीन, अल्लाह करीम ने तमाम मख़्लूक़ात से पहले तेरे नबी का नूर अपने नूर से पैदा फ़रमाया।⁽³⁾

सवाल नूर व बशर होने के ए'तिबार से सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के मुतअल्लिक़ हमारा अक्कीदा क्या है ?

जवाब नूर व बशर होने के ए'तिबार से सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के मुतअल्लिक़ हमारा अक्कीदा येह है कि हमारे मदनी आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ नूर भी हैं और बशर भी। या'नी हकीकत के ए'तिबार से नूर और सूरत के ए'तिबार से बे मिस्तल बशर हैं।

सवाल क्या सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ का नूर होना कुरआने पाक से साबित है ?

जवाब जी हां ! सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ का नूर होना कुरआने पाक से साबित है। चुनान्वे पारह 6 सूरए माइदह की आयत नम्बर 15 में इर्शाद होता है :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

(प, 6, المائدة: 15)

तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ़ से एक नूर आया और रोशन किताब।

① ... कानूने शरीअत, स. 25

② ... रिसालए नूर मअ़ रसाइले नईमिय्या, स. 39, 40

③ ... الجزء المنقود من الجزء الاول من المصنف، ص 63 حديث: 18

तफ़सीरे रूहुल मआनी में इस आयत के तहत है : या'नी नूरे अज़ीम और वोह नूरों का नूर, नबिय्ये मुख़्तार **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** हैं ⁽¹⁾ और फ़तावा रज़विय्या शरीफ़ में है कि इलमा फ़रमाते हैं : यहां नूर से मुराद मुहम्मद **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** हैं ⁽²⁾

सुवाल क्या सरकारे मदीना **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने अपने नूर होने का ज़िक्र खुद भी फ़रमाया है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना इमाम जैनुल अबिदीन **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** फ़रमाते हैं : नबिय्ये करीम **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने फ़रमाया : मैं आदम **عَلَيْهِ السَّلَام** की तख़लीक़ से चौदह हज़ार साल पहले **अल्लाह** करीम के हां नूर था ⁽³⁾ हुज़ूर नबिय्ये अकरम **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने फ़रमाया : जब **अल्लाह** करीम ने हज़रते आदम **عَلَيْهِ السَّلَام** को पैदा फ़रमाया तो उन के बेटों को बाहम फ़ज़ीलत दी । आप **عَلَيْهِ السَّلَام** ने उन की एक दूसरे पर फ़ज़ीलत मुलाहज़ा फ़रमाई । (फिर हुज़ूरे अकरम **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने फ़रमाया :) आदम **عَلَيْهِ السَّلَام** ने सब से आख़िर में मुझे एक बुलन्द नूर की सूत में देखा तो बारगाहे इलाही में अर्ज़ की : ऐ मेरे रब येह कौन है ? **अल्लाह** करीम ने इर्शाद फ़रमाया : येह तुम्हारा बेटा अहमद है, येह अव्वल भी है, आख़िर भी है और येही सब से पहले शफ़ाअत करने वाला है ⁽⁴⁾

सुवाल सहाबए किराम **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ** ने हुज़ूर **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की नूरानिय्यत को कैसे बयान फ़रमाया ?

जवाब सहाबए किराम **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ** ने नबिय्ये पाक **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की नूरानिय्यत के जल्वों को देखा तो सब ने अपने अपने अन्दाज़ में इज़हार किया :

(1) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا** ने फ़रमाया : हुज़ूरे अन्वर **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के सामने के मुबारक दांतों में कुशादगी थी, जब आप गुफ़्तगू फ़रमाते तो उन में से नूर दिखाई देता था ⁽⁵⁾

शैखुल इस्लाम अल्लामा अब्दुर्रुफ़ मुनावी **رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ** इस हदीस के तहत फ़रमाते हैं : येह नूर महसूस होता था और आप **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की कुल ज़ाते शरीफ़ा ज़ाहिरी व बातिनी तौर पर नूर थी हत्ता कि आप **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم** अपने अस्हाब में से जिस को चाहते उसे नूर अता फ़रमाते, जैसा कि हज़रते सय्यिदुना तुफ़ैल बिन अम्र दौसी **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** को अता फ़रमाया ⁽⁶⁾



1... تفسير روح المعاني، ج 6، المائدة، تحت الآية: 367/3

2... फ़तावा रज़विय्या, 30/707

3... المواهب اللدنية، 1/39

4... دلائل النبوة للبيهقي، 5/483

5... جامع صغير، ص 403، حديث: 6481

6... فيض القدير، 5/93، تحت الحديث: 6482 لمصنّفها

(2) हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ عَنْهَا फ़रमाती हैं : ब वक्ते सहर खो जाने वाली सूई हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के चेहरए अन्वर की रोशनी की किरन से मिल गई ।⁽¹⁾

(3) हज़रते सय्यिदुना अबू हरैरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : जब नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुस्कुराते तो दरो दीवार रोशन हो जाया करते थे ।⁽²⁾

सुवाल नूरानिय्यते मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बारे में बुजुर्गाने दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ क्या अक्कीदा रखते थे ?

जवाब जलीलुल क़द्र मुफ़स्सरीन, मुहद्दिसीन, उलमाए रब्बानिय्यीन और औलियाए कामिलीन ने भी नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के नूर होने को बयान फ़रमाया । जैसा कि कुरआने मजीद की आयत :

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١٥﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्हारे पास अल्लाह की

(प. 6, المائدة: 15)

तरफ़ से एक नूर आया और रोशन किताब ।

के तहत इमाम अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन जरीर तबरी, इमाम अबू मुहम्मद हुसैन बग़वी, इमाम फ़ख़्ख़दीन राज़ी, इमाम नासिरुद्दीन अब्दुल्लाह बिन उमर बैज़ावी, अल्लामा अबुल बरकात अब्दुल्लाह नसफ़ी, अल्लामा अबुल हसन अली बिन मुहम्मद ख़ाज़िन, इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ेई رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ समेत कसीर मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि इस आयते तय्यिबा में मौजूद लफ़ज़ “नूर” से मुराद नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ज़ाते बा बरकात है । हज़रते अल्लामा काज़ी इयाज़ मालिकी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हुज़ूरे अन्वर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का साया सूरज चांद की रोशनी में ज़मीन पर नहीं पड़ता था क्यूं कि आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नूर हैं ।⁽³⁾

सुवाल क्या ऐसा मुम्किन है कि कोई नूर भी हो और बशर भी ?

जवाब जी हां ! ऐसा बिल्कुल मुम्किन है क्यूं कि नूरानिय्यत और बशरिय्यत एक दूसरे की ज़िद नहीं हैं । हज़रते सय्यिदुना जिब्राईल عَلَيْهِ السَّلَام नूरी मख़्लूक होने के बा वुजूद हज़रते सय्यिदतुना मरयम رَضِيَ اللهُ عَنْهَا के सामने इन्सानी शक़ल में जलवा गर हुए थे ।

जैसा कि फ़रमाने बारी है :



1... القول البدیع، ص 302 طضا

2... مصنف عبد الرزاق، کتاب الجامع، باب صفۃ النبی، 10/ 242، حدیث: 20657

3... الشفا، 1/ 368

فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۝

(प. 16, म. 17)

तरजमए कन्जुल ईमान : तो उस की तरफ हम ने अपना रूहानी भेजा वोह उस के सामने एक तन्दुरुस्त आदमी के रूप में जाहिर हुवा ।

सुवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बशरियत का इन्कार करना कैसा ?

जवाब सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की बशरियत का मुत्लकन इन्कार कुफ़्र है ⁽¹⁾ बल्कि इस में शक करना भी कुफ़्र है क्यूं कि शफीए उम्मत صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم की बशरियत कुरआने मजीद की नस्से क़ई से साबित है । हां अपने जैसा बशर न कहे खैरुल बशर, सय्यिदुल बशर कहे ⁽²⁾ क्यूं कि तमाम अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام बशर ही थे ।

जैसा कि फ़रमाने बारी है :

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجُلًا

(प. 13, यूसुफ: 109)

तरजमए कन्जुल ईमान : और हम ने तुम से पहले जितने रसूल भेजे सब मर्द ही थे ।

सुवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को अपने जैसा बशर कहना कैसा है ?

जवाब सरकारे मदीना صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم को अपने जैसा बशर कहना अहले ईमान का तरीका नहीं, यकीनन आप صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم बशर भी हैं लेकिन आप की बशरियत आम इन्सानों की तरह नहीं, लिहाजा आप की बशरियत को आम इन्सानों की तरह करार देना मुसल्मानों का शेवा नहीं बल्कि कुरआने करीम में मुख़लिफ़ मक़ामात पर इसे काफ़िरो का तरीका बताया गया है कि वोह अपने नबी को अपने जैसा बशर समझते थे । चुनान्वे फ़रमाने बारी है :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا

اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝ فَقَالَ

الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ

مِثْلُكُمْ ۚ (المؤمنون: 23, 24)

तरजमए कन्जुल ईमान : और बेशक हम ने नूह को उस की क़ौम की तरफ़ भेजा तो उस ने कहा ऐ मेरी क़ौम अल्लाह को पूजो उस के सिवा तुम्हारा कोई खुदा नहीं तो क्या तुम्हें डर नहीं तो उस की क़ौम के जिन सरदारों ने कुफ़्र किया बोले येह तो नहीं मगर तुम जैसा आदमी ।

1... फ़तावा रज़विyyा, 14/358

2... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 224

मा'लूम हुवा नबी की शान घटाने के लिये बशर बशर की रट लगाना कुफ़ारे ना हन्जार का तरीका है और सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बशर तो हैं मगर हमारी मिस्ल नहीं बल्कि अफ़ज़लुल बशर हैं।

सबक़ नम्बर 8

हाज़िरो नाज़िर होने का बयान

हाज़िरो नाज़िर होने का मा'ना येह है कि कुदसी (या'नी अल्लाह की दी हुई) कुव्वत वाला एक ही जगह रह कर तमाम आलम (या'नी सारे जहान, ज़मीनो आस्मान, अर्शो कुरसी, लौहो क़लम, मलको मलकूत) को अपने हाथ की हथेली की तरह देखे और दूर व करीब की आवाज़ें सुने या एक आन (लम्हा भर) में तमाम आलम की सैर करे और सेंकड़ों मील दूर हाज़त मन्दों की हाज़त रवाई करे। येह रफ़्तार ख़्वाह रूहानी हो या जिस्मे मिसाली के साथ हो या उसी मुबारक जिस्म से हो जो क़ब्र में मदफून है।⁽¹⁾

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के हाज़िरो नाज़िर होने के बारे में अक़ीदए अहले सुन्नत क्या है ?

जवाब हमारा येह दा'वा हरगिज़ नहीं है कि हुज़ुरे अकरम, नबिय्ये मुकर्रम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का ज़ाहिरी जिस्मे अक़दस हर हर जगह मौजूद है, अलबत्ता हुज़ुरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ बयक वक़्त एक से ज़ाइद मक़ामात पर जल्वा फ़रमा हो सकते हैं।⁽²⁾ हाज़िरो नाज़िर के मफ़हूम को एक मिसाल से भी समझा जा सकता है कि जिस तरह आस्मान का सूरज अपने जिस्म के साथ आस्मान पर है लेकिन अपनी रोशनी और नूरानिय्यत के साथ रूए ज़मीन पर मौजूद है इसी तरह (बिला तश्बीह) आफ़ताबे नुबुव्वत, माहताबे रिसालत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अपने जिस्मे अक़दस के साथ मदीने शरीफ़ में अपने मज़ारे पुर अन्वार में मौजूद हैं लेकिन सारी काएनात को यूं देखते हैं जैसे हाथ की हथेली को, नीज़ उम्मतियों के आ'माल को देखते हैं और अल्लाह के हुक्म से तसरूफ़ भी फ़रमाते हैं।

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के हाज़िरो नाज़िर होने का सुबूत कुरआने करीम से भी है ?

जवाब जी हां ! कुरआने करीम में कई जगह रब्बे करीम ने अपने महबूब के हाज़िरो नाज़िर होने के वस्फ़ को बयान किया, चुनान्वे अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاحِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝

(प: 26, अ: 8)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हम ने तुम्हें भेजा हाज़िरो नाज़िर और खुशी और डर सुनाता।

1 जाअल हक़, स. 116 मुलख़ब़सन

2 ... من عقائد اهل السنة، ص 318 ملقطا

हज़रते अल्लामा अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद खाज़िन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ऐ प्यारे हबीब صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! बेशक हम ने आप को अपनी उम्मत के आ'माल और अहवाल का मुशाहदा फ़रमाने वाला बना कर भेजा ताकि आप क़ियामत के दिन उन की गवाही दें और दुन्या में ईमान वालों और इताअत गुज़ारों को जन्नत की खुश ख़बरी देने वाला और काफ़िरों, ना फ़रमानों को जहन्नम के अज़ाब का डर सुनाने वाला बना कर भेजा है।⁽¹⁾

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयत की तफ़सीर में फ़रमाते हैं : बेशक हम ने तुम्हें भेजा गवाह और खुशी और डर सुनाता कि जो तुम्हारी ता'ज़ीम करे उसे फ़ज़ले अज़ीम की बिशारत दो और जो مَعَادُ اللهِ बे ता'ज़ीमी से पेश आए उसे अज़ाबे अलीम का डर सुनाओ और जब वोह शाहिद व गवाह हुए और शाहिद को मुशाहदा दरकार, तो बहुत मुनासिब हुवा कि उम्मत के तमाम अफ़अाल व अक्वाल व आ'माल व अहवाल उन के सामने हों। (और अल्लाह पाक ने आप को येह मर्तबा अता फ़रमाया है जैसा कि) तबरानी की हदीस में हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا से रिवायत है : **رَسُولُ اللَّهِ** إِنَّ اللَّهَ رَفَعَنِي الدُّنْيَا فَانْظُرْ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ كَاتِبٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ : **فَرَمَاتِهِ** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बेशक अल्लाह करीम ने मेरे सामने दुन्या उठा ली तो मैं देख रहा हूँ उसे और जो उस में क़ियामत तक होने वाला है जैसे अपनी इस हथेली को देख रहा हूँ।⁽²⁾

अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

(पृ. 2, البقرة: 143)

तरजमए कन्जुल ईमान : और येह रसूल तुम्हारे निगहबान व गवाह।

इस आयत की तफ़सीर में हज़रते सय्यिदुना इमाम इब्ने जरीर तबरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ नक़ल करते हैं कि हज़रते सय्यिदुना अबू सईद ख़ुदरी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : **وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا يَبَاْعِلْتُمْ أَوْ فَعَلْتُمْ** या'नी तुम जो जो आ'माल व अफ़अाल करते हो **رَسُولُ اللَّهِ** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उन सब पर गवाह होंगे।⁽³⁾

सुवाल क्या अहादीसे मुबारका से भी हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का हाज़िरो नाज़िर होना साबित है ?

जवाब नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के कसीर फ़रामीन में “हाज़िरो नाज़िर” का मफ़हूम मौजूद है। मसलन : हज़रते सय्यिदुना सौबान रَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि **رَسُولُ اللَّهِ** صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद

1... تفسير خازن، पृ. 26، الفتح، تحت الآية: 157/4:8

2... كتر العمال، كتاب الفضائل، باب فضائل النبي، ج: 11، 189/6، حديث: 31968، فتاوى رضویہ، 15/168 طحطا

3... تفسير طبری، पृ. 2، البقرة، تحت الآية: 143، 10/2، حديث: 2186

फ़रमाया : बेशक अल्लाह पाक ने मेरे लिये ज़मीन को समेट दिया तो मैं ने इस के मशरिकों और मगरिबों (या'नी तमाम जवानिब व अतराफ़) को देख लिया ।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : अल्लाह पाक ने मेरे सामने दुन्या पेश फ़रमा दी, मैं दुन्या और इस में पेश आने वाले क़ियामत तक के वाक़िआत को अपनी इस हथेली की तरह देख रहा हूँ ।⁽²⁾

हज़रते उक़्बा बिन आमिर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि एक दिन ताजदारे रिसालत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ शुहदाए उहुद पर नमाज़ पढ़ने के लिये तशरीफ़ ले गए जैसे मय्यित पर नमाज़ पढ़ी जाती है, फिर मिम्बर पर जल्वा अफ़ोज़ हो कर फ़रमाया : मैं तुम्हारा पेश्रव हूँ और मैं तुम पर गवाह हूँ और बेशक खुदा की क़सम ! मैं अपने हौज़ को अब भी देख रहा हूँ और मुझे ज़मीन के ख़ज़ानों की कुन्जियां या (येह फ़रमाया कि मुझे) ज़मीन की कुन्जियां अता की गई हैं और बेशक खुदा की क़सम ! मुझे तुम्हारे मुतअल्लिक़ येह डर नहीं कि मेरे बा'द शिर्क करने लगोगे बल्कि मुझे अन्देशा है कि तुम दुन्या की महब्वत में फंस जाओगे ।⁽³⁾

सुवाल हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के हाज़िरो नाज़िर होने के बारे में बुजुर्गाने दीन के भी चन्द इर्शादात बयान फ़रमा दें ।

जवाब (1) हज़रते इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ेई رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ हज़रते अबू मन्सूर अब्दुल काहिर बग़दादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ का कौल नक्ल फ़रमाते हैं : हमारे अस्हाब में से मुहक्किक् मुतकल्लिमीन फ़रमाते हैं : बेशक हमारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अपनी वफ़ात के बा'द भी ज़िन्दा हैं और अपनी उम्मत की नेकियां देख कर खुश होते हैं और उन की ना फ़रमानियां देख कर ग़मज़दा होते हैं ।⁽⁴⁾

(2) शारेहे बुख़ारी हज़रते इमाम अहमद बिन मुहम्मद क़स्तलानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : अपनी उम्मत का मुशाहदा फ़रमाने, उन के हालात, दिल के इरादों और उन के राज़ जानने में नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की वफ़ात और हयात में कोई फ़र्क़ नहीं । येह तमाम चीज़ें रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के हां जाहिर हैं इन में से कुछ पोशीदा नहीं ।⁽⁵⁾



1... مسلم، کتاب الفتن، واطر الساعده، باب ہلاک ہذہ الامۃ ببعضہم، ص 1182، حدیث: 7258

2... مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب اخبارہ بالغیبات، 8/510 حدیث: 1467

3... بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاۃ علی الشہید، 1/452، حدیث: 1344

4... الحاوی للفتاویٰ، 2/180

5... المواہب اللدیۃ، 3/410

(3) शैख़े मुहक्क़ अल्लामा अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : उलमाए उम्मत में इस मस्अले में एक शख्स का भी इख़्तिलाफ़ नहीं कि नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हकीकी ज़िन्दगी के साथ दाइम व बाकी हैं, इस बात में किसी फ़िस्म का शुबा या कोई तावील नहीं और आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उम्मत के हालात पर हाज़िरो नाज़िर हैं।⁽¹⁾ एक मक़ाम पर फ़रमाते हैं : शाहिद का मा'ना है उम्मत के हाल, उन की नजात व हलाकत और तस्दीक़ व तकज़ीब पर हाज़िर और आलिम।⁽²⁾

(4) हज़रते शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ऐ लोगो ! तुम पर तुम्हारे रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ क़ियामत के दिन इस लिये गवाही देंगे कि वोह नूरे नुबुव्वत से हर परहेज़ गार के मर्तबे व मक़ाम को जानते हैं और येह भी जानते हैं कि फुलां मेरा उम्मती किस दरजे पर पहुंचा हुवा है और येह कि उस के ईमान की हकीकत क्या है और येह भी जानते हैं कि मेरे फुलां उम्मती की तरक्की में फुलां चीज़ रुकावट बनी हुई है। पस नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ तुम्हारे गुनाहों, ईमान के दरजात, अच्छे बुरे आ'माल और तुम्हारे खुलूस व मुनाफ़क़त को पहचानते हैं।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 9

इल्मे ग़ैबे मुस्तफ़ा

अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को रोज़े अव्वल से रोज़े आख़िर तक का इल्म अता फ़रमाया है। लौहे महफूज़ में दर्ज तमाम उलूम नीज़ अपनी ज़ातो सिफ़ात की मा'रिफ़त से मुतअल्लिक़ बहुत और बे शुमार उलूम अता फ़रमाए। उलूमे ख़म्सा पर मुत्तलअ फ़रमाया जिस में ख़ास वक़्ते क़ियामत का इल्म भी शामिल है। सारी मख़लूक़ात के अहवाल और तमाम मा कान (जो हो चुका) और मा यकून (जो होगा) का इल्म अता फ़रमाया। लेकिन इस के बा वुजूद हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ का इल्म “अताई (अल्लाह करीम का अता किया हुवा)” होने की वजह से “हादिस” है और अल्लाह पाक का इल्म “ज़ाती व क़दीम”। सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ का इल्म हरगिज़ हरगिज़ अल्लाह के इल्म के बराबर नहीं।⁽⁴⁾

सुवाल इल्मे ग़ैब किसे कहते हैं ?



1... سلوک اقرب السبل مع اخبار الاخيار، ص 155

2... مدارج النبوة، 1/260

3... تفسیر عزیزى، ج 2، البقرة، تحت الآية: 143، 1/636

4... مکالماتے کاज़مى، 2/111 मुलख़ब्सन

जवाब ग़ैब के (लफ़्ज़ी) मा'ना हैं : गाइब या'नी छुपी हुई चीज़। ग़ैब वोह है जो हम से पोशीदा हो और हम अपने हवासे ख़म्सा या'नी देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने से न जान सकें और ग़ौरो फ़िक्क से अक्ल उसे मा'लूम न कर सके।⁽¹⁾ जैसे जन्नत और दोज़ख़ वग़ैरा हमारे लिये इस वक़्त ग़ैब हैं क्यूं कि इन्हें हम हवास (या'नी आंख, नाक, कान वग़ैरा) से मा'लूम नहीं कर सकते।

सवाल क्या इल्मे ग़ैबे मुस्त्फ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم कुरआने पाक से साबित है ?

जवाब कुरआने पाक की कई आयाते मुबारका में हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم के मुबारक इल्मे ग़ैब का बयान मौजूद है चन्द आयात मुलाहज़ा फ़रमाइये और अपनी आंखें ठन्डी कीजिये :

(1) हमारा प्यारा रब इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَجْتَبِي
مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَأَمُّؤَا اللّٰهِ وَرُسُلِهِ ؕ وَإِنْ
تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٥﴾

(प. 4, अल عمران: 179)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह की शान येह नहीं कि ऐ आ़म लोगो तुम्हें ग़ैब का इल्म दे दे हां अल्लाह चुन लेता है अपने रसूलों से जिसे चाहे तो ईमान लाओ अल्लाह और उस के रसूलों पर और अगर ईमान लाओ और परहेज़ ग़ारी करो तो तुम्हारे लिये बड़ा सवाब है।

इमाम शहाबुद्दीन अहमद बिन अली अल मा'रूफ़ इब्ने हज़र अस्क़लानी नक्ल फ़रमाते हैं :
नबिय्ये करीम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सहाबए किराम से फ़रमाया : “मेरी उम्मत मुझ पर ऐसे पेश की गई जैसे हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام पर पेश की गई थी तो मैं ने जान लिया कि कौन मुझ पर ईमान लाएगा और कौन मेरा इन्कार करेगा।” येह बात जब मुनाफ़िक्कीन तक पहुंची तो उन्होंने ने कहा : مَعَادُ اللّٰهِ مُحَمَّد (صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) गुमान करते हैं कि वोह जानते हैं कौन उन पर ईमान लाएगा और कौन उन का इन्कार करेगा हालां कि हम उन के साथ हैं वोह हमें नहीं जानते। इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई।⁽²⁾

इमाम बग़वी, इमाम सिराजुद्दीन उमर हम्बली, इमाम मुहम्मद बिन अहमद शिरबीनी और इमाम अलाउद्दीन अली बिन मुहम्मद ख़ाज़िन رَضَوَانُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ أَجْمَعِينَ ने कुछ अल्फ़ाज़ के इख़्तिलाफ़ के साथ मज़ीद यूं बयान फ़रमाया है कि मुनाफ़िक्कों का ए'तिराज़ सुन कर हमारे प्यारे नबी صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मिम्बर पर खड़े



①... त्फ़िर यि़ादौ, प. 1, البقرة, تحت الآية: 3, 114/1 ملقطا

②... العجب فی بیان الاسباب, 2/ 798

हुए, अल्लाह करीम की हम्दो सना के बा'द फ़रमाया : “उन लोगों का क्या हाल है जो मेरे इल्म पर ए'तिराज़ करते हैं ? तुम्हारे और क़ियामत के दरमियान जो कुछ भी है तुम मुझ से उन में से जिस किसी चीज़ के बारे में सुवाल करोगे मैं तुम्हें उस की ख़बर दूंगा।” हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन हुज़ाफ़ा सहमी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने खड़े हो कर कहा : **مَنْ أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟** या'नी **या रसूलल्लाह !** मेरा वालिद कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : हुज़ाफ़ा। फिर हज़रते उमर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने खड़े हो कर अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** हम अल्लाह पाक के रब होने, इस्लाम के दीन होने, कुरआन के इमाम व पेशवा होने और आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के नबी होने पर राज़ी हुए, अल्लाह पाक आप के दरजात बुलन्द फ़रमाए हमें मुआफ़ फ़रमा दीजिये। नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने दो मरतबा फ़रमाया : **فَهَلْ أَنْتُمْ مُتَّبِعُونَ** तो क्या तुम बाज़ आए, तो क्या तुम बाज़ आए, फिर मिम्बर से नीचे तशरीफ़ ले आए इस पर अल्लाह पाक ने येह आयत नाज़िल फ़रमाई।⁽¹⁾

(2) हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के इल्मे ग़ैब का बयान कुरआने पाक के पारह पांच में यूँ है :

وَعَلَيْكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ۖ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ

عَظِيمًا (प 5, अल्-अ'ल 113)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हें सिखा दिया जो कुछ

तुम न जानते थे और अल्लाह का तुम पर बड़ा फ़ज़ल है।

येह आयते मुबारका हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की अज़ीम मदह और ता'रीफ़ पर मुश्तमिल है। अल्लाह करीम ने अपने हबीब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को किताब और हिकमत अता फ़रमाई और आप को दीन के उमूर, शरीअत के अहकाम और ग़ैब के वोह तमाम उलूम अता फ़रमा दिये जो आप न जानते थे। चुनान्वे इस आयते करीमा की तफ़सीर में इमाम अबू जा'फ़र मुहम्मद बिन जरीर त़बरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : अल्लाह पाक ने आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को अव्वलीनो आख़िरीन की ख़बरें दीं और जो कुछ हो चुका और जो होगा उस सब का इल्म अता फ़रमा दिया और येह सब कुछ आप पर आप के रब का फ़ज़ल है।⁽²⁾ याद रहे “**مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ**” में वोह सब कुछ दाख़िल है जो हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ पहले न जानते थे।⁽³⁾



1... तफ़ीर ख़ाज़न, प 4, अल-अ'रान, त़ह अ'य 179/328

2... तफ़ीर त़बरी, प 5, अल्-अ'न'बा, त़ह अ'य 113/4, 275

3... तफ़सीर अल बहूरुल मुहीत जिल्द 3 सफ़हा 362, ज़ादुल मसीर फ़ी इल्मुततफ़सीर, जिल्द 1 जुज़ सानी, सफ़हा 118 और रूहुल मअानी जिल्द 3 सफ़हा 187 में इस की तस्रीह और वज़ाहत मुलाहज़ा की जा सकती है।

(3) अल्लाह रब्बुल इज्जत इर्शाद फ़रमाता है :

الرَّحْمَنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ ۝

عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝ (प 27, अ 1: 47)

तरजमए कन्जुल ईमान : रहमान ने अपने महबूब को कुरआन सिखाया, इन्सानियत की जान मुहम्मद को पैदा किया। मा कान व मा यकून का बयान उन्हें सिखाया।

इस आयत में “इन्सान” और “बयान” के मिस्दाक के बारे में मुफ़स्सरीन के मुख़्तलिफ़ अक्वाल हैं, तफ़्सीरे ख़ाज़िन में एक कौल इस तरह है : **أَرَادَ بِالْإِنْسَانِ مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : यहां इन्सान से मुराद मुहम्मदे मुस्तफ़ा **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** हैं और “बयान” से “मा कान व मा यकून” या’नी जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइन्दा होगा, का बयान मुराद है, क्यूं कि नबिय्ये करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** अव्वलीनो आख़िरीन और क़ियामत के दिन की ख़बरें देते थे।⁽¹⁾ इमाम हुसैन बिन मस्क़द बग़वी ने तफ़्सीरे मअ़ालिमुत्तन्ज़ील जिल्द 4 सफ़्हा 243 पर, इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जूज़ी ने तफ़्सीरे ज़ादुल मसीर जिल्द 4, जुज़ अव्वल पर, अल्लामा सनाउल्लाह नक़्शबन्दी ने तफ़्सीरे मज़्हरि जिल्द 9 सफ़्हा 123 पर, अल्लामा अहमद सावी ने तफ़्सीरे सावी जिल्द 6 सफ़्हा 2074 पर इसी आयत के तहत हमारे प्यारे नबी **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के लिये इल्मे मा कान व मा यकून का कौल ज़िक्र फ़रमाया है।

(4) अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۝ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ

مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ

رَاصِدًا ۝ (प 29, अ 26-27)

तरजमए कन्जुल ईमान : ग़ैब का जानने वाला तो अपने ग़ैब पर किसी को मुसल्लत नहीं करता सिवाए अपने पसन्दीदा रसूलों के कि उन के आगे पीछे पहरा मुक़र्रर कर देता है।

(5) अल्लाह पाक फ़रमाता है :

وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۝ (प 30, अ 24)

तरजमए कन्जुल ईमान : और येह नबी ग़ैब बताने में बख़ील नहीं।

सुवाल क्या हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के इल्मे ग़ैब पर अह़ादीसे मुबारका से दलाइल हैं ?

जवाब जी हां ! कई अह़ादीसे तय्यिबा हुज़ूर के इल्मे ग़ैब पर दलालत करती हैं : (1) अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ’ज़म **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** फ़रमाते हैं : एक दिन रसूले अकरम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** हमारे दरमियान खड़े थे तो आप **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ** ने हमें मख़्लूक की पैदाइश से बताना



शुरूअ किया हत्ता कि जन्नती अपनी मनाज़िल पर जन्नत में दाखिल हो गए और जहन्नमी जहन्नम में अपने ठिकाने पर पहुंच गए। जिस ने इस बयान को याद रखा उस ने याद रखा जो भूल गया सो भूल गया।⁽¹⁾

(2) हज़रते सय्यिदुना अम्र बिन अख़़ाब अन्सारी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है : एक दिन नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़े फ़त्र से गुरुबे आफ़ताब तक खुत्बा इर्शाद फ़रमाया, दरमियान में जोहर व अ़स की नमाज़ों के इलावा कोई काम न किया। हज़रते अम्र बिन अख़़ाब फ़रमाते हैं : जो कुछ हो चुका था और क़ियामत तक जो कुछ होना था नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने वोह सब कुछ बयान फ़रमा दिया। हम में ज़ियादा इल्म वाला वोह है जिसे ज़ियादा याद रहा।⁽²⁾

(3) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्क़द رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : सुल्हे हुदैबिया से वापसी पर एक जगह नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ और सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के ऊंट मुन्तशिर हो गए, सब अपने अपने ऊंट वापस ले आए लेकिन नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की ऊंटनी न मिली, आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने मुझ से फ़रमाया : वहां से ऊंटनी ले आओ, तो मैं ने ऊंटनी को उसी हाल में पकड़ लिया जैसा मुझ से **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया था।⁽³⁾

(4) हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : ग़ज़व बद्र के मौक़अ पर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : येह फुलां काफ़िर के मरने की जगह है (येह कहते जाते थे) और अपने हाथ को ज़मीन पर इधर उधर रखते थे, फिर कोई काफ़िर हुज़ूर की बताई हुई जगह से ज़रा बराबर भी इधर उधर नहीं मरा।⁽⁴⁾

इस हदीस से साबित हुवा कि हुज़ूर को येह भी मा'लूम था कि कौन कब और कहां मरेगा।

(5) हज़रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्अरी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से ऐसे सुवालात किये गए जो ना पसन्द थे, जब ज़ियादा किये गए तो आप नाराज़ हो गए, फिर लोगों से फ़रमाया : **سَلُونِي عَنَّا شَيْئًا** या'नी मुझ से जो चाहो पूछ लो। एक शख्स अर्ज गुज़ार हुवा : **يَا مَنْ كَيْ** या'नी **या रसूलुल्लाह !** मेरा बाप कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : **يَا بُؤَكَ حَذَافَةُ** या'नी तुम्हारा बाप हुज़ाफ़ा है। फिर दूसरे आदमी ने खड़े

1... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في قول الله: (وَالَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ) 2/375، حديث: 3192

2... مسلم، کتاب الفتن واثار الساعه باب اخبار النبي فيما يكون الى قيام الساعه، ص 1184، حديث: 7267

3... معجم كبير، 10/225، حديث: 10548

4... مسلم، کتاب الجهاد والسير، باب غزوة بدر، ص 759، حديث: 4621

हो कर अर्ज की : **या रसूलल्लाह !** मेरा बाप कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : सल्लिम मौला शैबा तुम्हारा वालिद है । जब हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'जम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के चेहरए अन्वर की हालत देखी तो अर्ज की : **या रसूलल्लाह !** हम अल्लाह पाक की तरफ़ तौबा करते हैं ।⁽¹⁾

सुवाल क्या हुजूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को कुल्ली इल्मे ग़ैब हासिल है ? इस की वज़ाहत फ़रमा दें ।

जवाब हज़रते सय्यिदुना मुअज़ बिन जबल رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : मैं ने अपने रब को देखा, उस ने अपना दस्ते कुदरत मेरे कन्धों के दरमियान रखा, जिस की ठन्डक मैं ने अपने सीने में महसूस की, उसी वक़्त मुझ पर हर चीज़ रोशन हो गई और मैं ने सब कुछ पहचान लिया ।⁽²⁾ तिरमिज़ी शरीफ़ और दीगर कुतुबे अहदीस में मौजूद अल्फ़ाज़ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (या'नी ज़मीन व आस्मानों में जो कुछ था वोह मैं ने जान लिया) के तहत मुहक्क़ अलल इत्लाक़, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : **كُنَايَةُ عَنْ حُصُولِ جَمِيعِ الْعُلُومِ** इस से मुराद तमाम इलूम हासिल होना है ।⁽³⁾ इन अहदीसे मुबारका में मौजूद अल्फ़ाज़ **“فَتَجَلَّى لِي كُلُّ شَيْءٍ وَعَرَفْتُ”** और **“فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ”** हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के कुल्ली इल्मे ग़ैब का मुंह बोलता सुबूत हैं ।

कुल्ली इल्मे ग़ैब का मतलब अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को कुल्ली इल्मे ग़ैब अता फ़रमाया है । शैतान कहीं वस्वसा न डाले कि इस का तो मतलब है कि अल्लाह करीम का सारे का सारा इल्म नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को भी हासिल है । इस शैतानी वस्वसे का रद करते हुए आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हमारा येह दा'वा नहीं कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने तमाम मा'लूमाते इलाहिय्यह का इहाता कर लिया है, क्यूं कि येह तो मख़्लूक के लिये मुहाल है ।⁽⁴⁾

ग़ज़ालिये ज़मां हज़रते अल्लामा सय्यिद अहमद सईद काज़िमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ इसी बात की वज़ाहत यूं फ़रमाते हैं : याद रखिये ! जब आप हमारे कलाम में हुजूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के इल्मे अक्दस के मुतअल्लिक़



1... بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی المواعظ والتعلیم اذ ارای ما کبره، 51/1، حدیث: 92

2... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ ص، 5/160، حدیث: 3246

3... لمعات التنقیح، 2/478

4... الدوائر الکبیر، ص 64

लफ़्ज़ “कुल” देखें तो इस से कुल ग़ैर मुतनाही न समझें बल्कि कुल मख़्लूक़ात (जो मुतनाही) है।⁽¹⁾ और इस के इलावा मा’रिफ़ते ज़ातो सिफ़ात का इल्म कि वोह भी बिल फ़ै’ल मुतनाही है हमारी मुराद होगा, वरना इल्मे इलाही की ब निस्बत हुज़ूर ﷺ के इल्म को कुल नहीं कहते, क्यूं कि इल्मे इलाही मुहीतुल कुल और ग़ैर मुतनाही है।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 10

शफ़ाअते मुस्तफ़ा का बयान

सुवाल शफ़ाअत का लुग़वी व शर्ई मा’ना बयान फ़रमा दें।

जवाब शफ़ाअत के लुग़वी मा’ना हैं : वसीला और त़लब जब कि शर्ई तौर पर ग़ैर के लिये ख़ैर मांगना शफ़ाअत कहलाता है।⁽³⁾

इस बात का अक्कीदा रखना वाजिब है कि हमारे प्यारे नबी ﷺ ऐसे शफ़ाअत फ़रमाने वाले हैं जिन की शफ़ाअत क़बूल की जाएगी। अल्लाह पाक फ़रमाता है :

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝

(प: 15, मी: 79)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : करीब है कि तुम्हें तुम्हारा रब ऐसी जगह खड़ा करे जहां सब तुम्हारी हम्द करें।

सुवाल क़ियामत के दिन सब से पहले कौन शफ़ाअत करेगा, हुज़ूर ﷺ की शफ़ाअत किस तरह की होगी ?

जवाब जब तक हमारे हुज़ूरे पुरनूर ﷺ शफ़ाअत का दरवाज़ा नहीं खोलेंगे किसी को भी शफ़ाअत की इजाज़त न होगी।⁽⁴⁾ इस बात पर ईमान रखना भी वाजिब है कि नबिय्ये करीम ﷺ के इलावा अम्बिया व मलाएका और इलमा व शुहदा, सालिहीन और कसीर मोमिनीन, कुरआने मजीद, रोज़े, का’बतुल्लाह और इन के इलावा वोह चीज़ें जिन के मुतअल्लिक़ हदीस में शफ़ाअत का ज़िक्र है, सब शफ़ाअत करेंगे।⁽⁵⁾ याद रहे ! शफ़ाअत धोंस (ज़ोर ज़बर दस्ती) की न होगी लिहाज़ा जो बिल्कुल शफ़ाअत का इन्कारी हो वोह बे ईमान है और जो मुशिरकीने अरब की तरह धोंस की शफ़ाअत माने वोह भी बे दीन है।⁽⁶⁾

1... ग़ैर मुतनाही : न ख़त्म होने वाला। मुतनाही : ख़त्म होने वाला

2... मक़ालाते काज़िमी, 2/117

3... شرح الصّادق علی جوهره التّوحید، ص 400

4... अल मो’तक़दुल मुन्तक़द, स. 127

5... अल मो’तक़दुल मुन्तक़द, स. 129

6... नूरुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह : 255

सवाल शफ़ाअत की कितनी किस्में हैं ?

जवाब मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : शफ़ाअत दो किस्म की है : शफ़ाअते कुब्रा और शफ़ाअते सुग़रा । शफ़ाअते कुब्रा सिर्फ़ हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) करेंगे, इस शफ़ाअत का फ़ाएदा सारी ख़ल्कत हत्ता कि कुफ़्फ़ार को भी पहुंचेगा कि इस शफ़ाअत की बरकत से हिसाब किताब शुरूअ हो जाएगा और क़ियामत के मैदान से नजात मिलेगी, येह शफ़ाअत हुज़ूर ही करेंगे, उस वक़्त कोई नबी इस शफ़ाअत की ज़ुरअत न फ़रमाएंगे । शफ़ाअते सुग़रा जुहूरे फ़ज़ल के वक़्त होगी, येह शफ़ाअत बहुत लोग बल्कि कुरआन, रमज़ान, ख़ानए का'बा भी करेंगे । हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ रफ़ू दरजात के लिये सालिहीन हत्ता कि नबियों की भी शफ़ाअत फ़रमाएंगे और गुनाहों की मुआफ़ी के लिये हम गुनहगारों की शफ़ाअत करेंगे लिहाज़ा आप की शफ़ाअत से अम्बियाए किराम भी फ़ाएदा उठाएंगे । اَللّهُمَّ ارْزُقْنَا شَفَاعَةَ حَبِيبِكَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (या'नी ऐ अल्लाह ! हमें अपने हबीब की शफ़ाअत नसीब फ़रमा) हुज़ूर की शफ़ाअत हम गुनहगारों का सहारा है ।⁽¹⁾

सदरुशशरीअह, हज़रत मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : क़ियामत के दिन मर्तबए शफ़ाअते कुब्रा हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) के ख़साइस से है । शफ़ाअते कुब्रा मोमिन, काफ़िर, मुतीअ, अ़सी सब के लिये है कि वोह इन्तिज़ारे हिसाब जो सख़्त जांगुज़ा होगा, जिस के लिये लोग तमन्नाएं करेंगे कि काश जहन्नम में फेंक दिये जाते और इस इन्तिज़ार से नजात पाते, इस बला से छुटकारा कुफ़्फ़ार को भी हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) की बदौलत मिलेगा, जिस पर अब्वलीन व आख़िरीन, मुवाफ़िक्कीन व मुख़ालिफ़ीन, मोमिनीन व काफ़िरीन सब हुज़ूर (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) की हम्द करेंगे, इसी का नाम मक़ामे महमूद है ।⁽²⁾

हदीस शरीफ़ में है : नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से अर्ज़ की गई : मक़ामे महमूद क्या है ? फ़रमाया هُوَ الشَّفَاعَةُ या'नी वोह शफ़ाअत है ।⁽³⁾

हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : रूए ज़मीन पर जितने दरख़्त और पथ्थर हैं मैं क़ियामत के दिन उन सब की ता'दाद के बराबर आदमियों की शफ़ाअत फ़रमाऊंगा ।⁽⁴⁾

सवाल क्या शफ़ाअते मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हासिल करने के लिये इस पर ईमान रखना भी ज़रूरी है ?

① ... मिरआतुल मनाजीह, 7/403, 404 मुल्लक़तून

② ... बहारे शरीअत, 1/70, हिस्सा : 1

③ ... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ بنی اسرائیل، 5/93، حدیث: 3148

④ ... مسند امام احمد، مسند الانصار، 7/9، حدیث: 23004

जवाब शफ़ाअत उसे मिलेगी जो नबिय्ये पाक ﷺ की शफ़ाअत पर ईमान रखता होगा कि इब्ने मनीअ हज़रते सय्यिदुना जैद बिन अरक़म वगैरा चौदह सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से रावी हैं कि हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ फ़रमाते हैं : **شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِهَا لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا** : या'नी मेरी शफ़ाअत रोज़े क़ियामत हक़ है जो इस पर ईमान न लाएगा वोह इस (शफ़ाअत पाने) का अहल न होगा।⁽¹⁾

इस हदीसे पाक को नक्ल करने के बा'द इमामे अहले सुन्नत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ यूँ दुआ करते हैं : **ऐ अल्लाह ! तू जानता है, बेशक तू ने हिदायत अता फ़रमाई है, तो हम तेरे हबीब मुहम्मदे मुस्तफ़ा ﷺ की शफ़ाअत पर ईमान लाए हैं । ऐ अल्लाह करीम ! हमें दुन्या व आख़िरत में लाइके शफ़ाअत बना दे ।**⁽²⁾

इमामे अहले सुन्नत शाह अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **اَنَا صَاحِبُ شَفَاعَتِهِمْ** का एक लतीफ़ मा'ना यूँ ज़िक्र फ़रमाते हैं : **अल्लाह** पाक की बारगाह में बिला वासिता शफ़ाअत कुरआने करीम और नबिय्ये पाक ﷺ की होगी । इसी लिये रोज़े क़ियामत तमाम शफ़ाअत करने वाले फ़िरिश्ते, अम्बियाए किराम, औलिया व उलमा, हुप्फ़ाज़ व शुहदा और हुज्जाज व सुलहा **عَلَيْهِمُ السَّلَامَةُ وَالشَّاء** की शफ़ाअत नबिय्ये पाक ﷺ की बारगाह में होगी । इन की रसाई इन्ही तक होगी, नबिय्ये करीम उन लोगों की शफ़ाअत भी फ़रमाएंगे जिन का ज़िक्र इन हज़रात ने किया होगा और उन की भी शफ़ाअत फ़रमाएंगे जिन का ज़िक्र न किया होगा । हमारे नज़्दीक येह मा'ना अहादीस से मुअक्कद है।⁽³⁾

सवाल शफ़ाअते मुस्तफ़ा ﷺ कितनी तरह की होगी ?

जवाब हमारे प्यारे नबी ﷺ की शफ़ाअतें कई तरह की होंगी । चुनान्वे

हज़रते अल्लामा शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ शफ़ाअत की किस्में बयान करते हुए फ़रमाते हैं : शफ़ाअत की पहली किस्म शफ़ाअते उज़्मा है । दूसरी किस्म की शफ़ाअत एक क़ौम को बे हिसाब जन्नत में दाख़िल करवाने के लिये होगी और येह शफ़ाअत भी हमारे नबिय्ये पाक ﷺ के लिये साबित है और बा'ज उलमाए किराम के नज़्दीक येह शफ़ाअत हुज़ूरे अन्वर ﷺ ही के साथ ख़ास है । तीसरी किस्म की शफ़ाअत उन लोगों के बारे में होगी कि जिन की नेकियां और बुराइयां



... 1 جامع صغير، ص 301، حديث: 4896

2 ... फ़तावा रज़विया, 29/585

3 ... 1 المعتمد المستند مع شرح المستند المعتمد بن جماعة، ص 127

बराबर बराबर होंगी और शफ़ाअत की मदद से जन्नत में दाख़िल होंगे। चौथी किस्म की शफ़ाअत उन लोगों के लिये होगी जो कि दोज़ख़ के हक़दार हो चुके होंगे तो हुज़ूरे पुरनूर, शाफ़ेअ यौमुनुशूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ शफ़ाअत फ़रमा कर उन को जन्नत में लाएंगे। पांचवीं किस्म की शफ़ाअत मर्तबे की बुलन्दी और बुजुर्गी के इज़ाफ़े के लिये होगी। छटी किस्म की शफ़ाअत उन गुनहगारों के बारे में होगी जो कि जहन्म में पहुंच चुके होंगे और शफ़ाअत की वजह से निकल आएंगे और इस तरह की शफ़ाअत दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام, फ़िरिश्ते, उलमा और शुहदा भी फ़रमाएंगे। सातवीं किस्म की शफ़ाअत जन्नत का दरवाज़ा खोलने के बारे में होगी। आठवीं किस्म की शफ़ाअत खास कर मदीनए मुनव्वरह رَآدَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا वालों और नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के रौज़ए अन्वर की ज़ियारत करने वालों के लिये खुसूसी तरीक़े पर होगी।⁽¹⁾

सुवाल शफ़ाअत का इन्कार करना कैसा ?

जवाब मुल्लक़न शफ़ाअत का इन्कार हुक्मे कुरआनी का इन्कार और कुफ़्र है। चुनान्वे

कुरआने करीम की मशहूरो मा'रूफ़ आयते करीमा “आयतुल कुरसी” में है :

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

(प 3, अल्बक़रह: 255)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह कौन है जो उस के यहां सिफ़ारिश करे बे उस के हुक्म के।

सदरुल अफ़ाज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस में मुशिरकीन का रद है जिन का गुमान था कि बुत शफ़ाअत करेंगे। उन्हें बता दिया गया कि कुफ़र के लिये शफ़ाअत नहीं। **अल्लाह** करीम के हुज़ूर माज़ूनीन (या'नी इजाज़त याफ़्तगान) के सिवा कोई शफ़ाअत नहीं कर सकता और इज़्ज़न वाले (या'नी इजाज़त याफ़ता) अम्बिया व मलाएका व मोमिनीन हैं।⁽²⁾ जो नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की शफ़ाअत का मुन्किर हो या किरामन कातिबीन का मुन्किर हो या रूयते बारी (या'नी दीदारे इलाही) का इन्कार करता हो उस के पीछे नमाज़ जाइज़ नहीं इस लिये कि वोह काफ़िर है।⁽³⁾



1... اشعة المصباح، 4/ 404 ملقطا

2... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 255

3... البحر الرائق، كتاب الصلوة، باب الامامة، 1/ 611

सबक़ नम्बर 11

इख़्तियाराते मुस्तफ़ा का बयान

सारी काएनात का ख़ालिक व मालिक अल्लाह है और सब उस के मोहताज हैं, कोई चीज़ भी उस के कब्ज़ा व इख़्तियार से बाहर नहीं, मगर उस ने अपने फ़ज़्लो करम से मख़्लूक में से अपने ख़ास बन्दों मसलन अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को भी मुख़लिफ़ इख़्तियारातो कमालात से नवाज़ा है। इस बात को यूं समझिये कि जो जिस मर्तबे का मालिक था, उसे उसी के मुताबिक़ इख़्तियारात अता किये गए हैं। बिना शुबा अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام वोह क़ाबिले एहतिराम और मुक़द्दस हस्तियां हैं कि जिन का मक़ाम मख़्लूक में सब से बुलन्दो बाला है, लिहाज़ा उन को अता कर्दा मो'जिज़ात, कमालात और इख़्तियारात भी दीगर मख़्लूक से अफ़ज़लो आ'ला होते हैं, फिर उन में भी ताजदारे अम्बिया, महबूबे किन्निया صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को जो मर्तबा व मक़ाम हासिल है, वोह किसी मुसल्मान से ढका छुपा नहीं, लिहाज़ा आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इख़्तियारात, दीगर अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام के इख़्तियारात से ज़ाइद व नुमायां हैं। जैसा कि रब्बे करीम ने कुरआने करीम में मुख़लिफ़ मक़ामात पर अपने महबूब के इख़्तियारात को बयान किया, चुनान्चे

पारह 5 सूरतुन्निसाअ की आयत नम्बर 65 में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِی بَیِّنَاتٍ مِّن بَیْنِهِمْ
ثُمَّ لَا یَجِدُوا فِی اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا
تَسْلِیْمًا ﴿٣٦﴾ (النساء: 36)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो ऐ महबूब तुम्हारे रब की क़सम वोह मुसल्मान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं फिर जो कुछ तुम हुक्म फ़रमा दो अपने दिलों में उस से रुकावट न पाएं और जी से मान लें।

पारह 10 सूरतुत्तौबह की आयत नम्बर 29 में इर्शादि खुदावन्दी है :

قَاتِلُوا الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَلَا یَاوُمُومِ الْاٰخِرِ
وَلَا یُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ
(المائدة: 29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : लड़ो उन से जो ईमान नहीं लाते अल्लाह पर और क़ियामत पर और हराम नहीं मानते उस चीज़ को जिस को हराम किया अल्लाह और उस के रसूल ने।

पारह 28 सूरतुल ह़शर की आयत नम्बर 7 में इर्शादि खुदावन्दी है :

وَمَا اَنْتُمْ الرَّسُوْلُ فَعْدُوْهُ ؕ وَمَا نُهَکُمْ عَنْهُ
فَاَنْتَهُنَّ ؕ (الحشر: 7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो कुछ तुम्हें रसूल अता फ़रमाएं वोह लो और जिस से मन्अ फ़रमाएं बाज़ रहो।

पारह 22 सूरतुल अहज़ाब की आयत नम्बर 36 में इर्शादि खुदावन्दी है :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْسِقَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ
أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ
(प 22, अहज़ाब: 36)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और किसी मुसल्मान मर्द न मुसल्मान औरत को पहुंचता है कि जब अल्लाह व रसूल कुछ हुक्म फ़रमा दें तो उन्हें अपने मुआमले का कुछ इख़्तियार रहे ।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि इस से मा'लूम हुवा कि आदमी को रसूले करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की फ़रमां बरदारी करना हर मुआमले में वाजिब है और नबी عَلَيْهِ السَّلَام के मुक़ाबले में कोई अपनी ज़ात का भी खुद मुख़्तार नहीं।⁽¹⁾

सुवाल अह़दीसे मुबारका की रोशनी में इख़्तियाराते मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बयान कीजिये ।

जवाब जब अल्लाह ने अपने बन्दों पर हज़ फ़र्ज़ फ़रमाया और रहमते आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने खुत्बे में हज़ की फ़र्ज़ियत का ए'लान करते हुए फ़रमाया : **يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا** या'नी ऐ लोगो ! अल्लाह पाक ने तुम पर हज़ को फ़र्ज़ फ़रमा दिया है, लिहाज़ा हज़ किया करो । तो एक सहाबिये रसूल (हज़रते सय्यिदुना अक़रअ बिन हाबिस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) ने अर्ज़ की : **يَا رَسُولَ اللَّهِ** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! क्या हर साल हज़ करना फ़र्ज़ है ? 3 मरतबा उन्होंने ने येही सुवाल किया, मगर हर मरतबा रसूलों के सालार, नबिय्ये मुख़्तार صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने ख़ामोशी ही इख़्तियार फ़रमाई फिर इर्शाद फ़रमाया : **لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ لَوَجَبَتْ** अगर मैं ने “हां” कह दिया होता तो हर साल हज़ करना फ़र्ज़ हो जाता।⁽²⁾

याद रहे कि ! हज़ ज़िन्दगी में एक बार ही फ़र्ज़ है, जैसा कि हदीसे पाक में है कि जब सहाबिये रसूल हज़रते सय्यिदुना अक़रअ बिन हाबिस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने **رَسُولُ اللَّهِ** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से हर साल हज़ फ़र्ज़ होने के बारे में सुवाल किया तो आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : **يَا بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ رَأَى قَتْلَهُ** या'नी हज़ एक ही मरतबा (फ़र्ज़) है, जो एक से ज़ाईद करेगा वोह नफ़ली होगा।⁽³⁾

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अहज़ाब, तह़तल आयह : 36 ब तग़य्युर

2... **مسلم**, کتاب الحج, باب فرض الحج مرة في العمر, ص 536, حديث: 3257

3... **مشترک**, کتاب التفسير, فريضه الحج في العمر مرة واحدة, 3/10, حديث: 3210

सवाल हुज़ूर ﷺ ने अपने इख़्तियारात के ज़रीए उम्मत पर जो आसानियां फ़रमाई उस की कुछ मिसालें बयान फ़रमा दें।

जवाब कई मवाकेअ पर सरकारे नामदार, उम्मत के ग़म ख़्बार ﷺ ने हम गुनाहगारों की मशक्कत व दुश्वारी का लिहाज़ करते हुए शर्ई मसाइल में हमारी आसानियों का ख़ास ख़याल फ़रमाया। चार रिवायात मुलाहज़ा कीजिये :

(1) इर्शाद फ़रमाया : **لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَفَرَضْتُ عَلَيْهِمُ السَّوَاكَ كَمَا فَرَضْتُ عَلَيْهِمُ الْوُضُوءَ** अगर मुझे अपनी उम्मत की दुश्वारी का ख़याल न होता तो मैं ज़रूर उन पर मिस्वाक को उसी तरह फ़र्ज़ कर देता, जिस तरह मैं ने उन पर वुजू फ़र्ज़ किया है।⁽¹⁾

(2) इर्शाद फ़रमाया : **لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ أَنْ يُؤَخِّرُوا الْعِشَاءَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَوْ نِصْفِهِ** अगर मुझे अपनी उम्मत की मशक्कत का ख़याल न होता तो मैं इशा की नमाज़ को तिहाई या आधी रात तक मुअख़्ख़र करने का ज़रूर हुक्म देता।⁽²⁾

(3) इर्शाद फ़रमाया : **وَلَوْلَا ضَعْفُ الضَّعِيفِ وَسُقْمُ السَّقِيمِ لَأَخَّرْتُ هَذِهِ الصَّلَاةَ إِلَى شَطْرِ اللَّيْلِ** अगर बूढ़ों की कमजोरी और मरीजों की बीमारी का ख़याल न होता तो इस नमाज़ (या'नी नमाजे इशा) को आधी रात तक ज़रूर मुअख़्ख़र कर देता।⁽³⁾

(4) हज़रते सय्यिदुना बराअ बिन आज़िब رضي الله عنه से मरवी है कि हज़रते सय्यिदुना अबू बुर्दा رضي الله عنه ने नमाजे ईद से पहले ही कुरबानी कर ली तो नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम ﷺ ने फ़रमाया कि इस के बदले दूसरी कुरबानी करो (कि वोह कुरबानी न हुई) तो उन्होंने ने अर्ज़ की : **يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ !** अब तो मेरे पास छे (6) महीने का बकरी का बच्चा है जो कि एक साल की बकरी से बेहतर है। नबिय्ये पाक ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : **اجْعَلْهَا مَكَانَهَا، وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ** या'नी उस की जगह इसे ज़ब्ह कर दो, मगर तुम्हारे बा'द किसी और के लिये ऐसा करना हरगिज़ काफ़ी न होगा।⁽⁴⁾

इसी तरह अल्लाह करीम ने बाहमी लेनदेन के मुआमलात में दो (2) मर्दों को गवाह बनाने का हुक्म देते हुए पारह 3 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 282 में इर्शाद फ़रमाया :

1... مسند امام احمد، مسند الفضل بن عباس، 1/459، حديث: 1835

2... ترمذی، کتاب الصلوة، باب ما جاء في تأخير صلوة العشاء الاخرة، 1/214، حديث: 167

3... ابوداود، کتاب الصلوة، باب وقت العشاء الاخرة، 1/185، حديث: 422

4... مسلم، کتاب الاضاحی، باب وقتها، ص 835، حديث: 5077

وَأَسْشَهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

(प ३, अलबक़रा: २४२)

तरजमए कन्जुल ईमान : और दो गवाह कर लो अपने मर्दों में से ।

मा'लूम हुवा कि किसी भी मुआमले में तन्हा मर्द की गवाही शर्अन कबूल नहीं, येही अल्लाह पाक का हुक्म है जो तमाम मुसलमानों के लिये है, मगर हुजूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने अपनी मरज़िये मुबारक से हज़रते सय्यिदुना खुजैमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को इस हुक्मे आम से बरी और आज़ाद करार देते हुए किसी भी मुआमले में इन की तन्हा गवाही को दो मर्दों की गवाही के बराबर कर दिया और इर्शाद फ़रमाया : مَنْ شَهِدَ لَهُ خُرْمَةٌ أَوْ شَهِدَ عَلَيْهِ فَهُوَ حَسْبُهُ या'नी खुजैमा (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) किसी के हक़ में गवाही दें या किसी के ख़िलाफ़ गवाही दें, इन की तने तन्हा गवाही काफ़ी है ⁽¹⁾ (या'नी इन के गवाही दे देने के बा'द गवाही का निसाब पूरा करने के लिये किसी दूसरे गवाह की ज़रूरत नहीं) ।

जो चाहेंगे जिसे चाहेंगे येह उसे देंगे
करीम हैं येह ख़ज़ाने लुटाने आए हैं
इन्हें खुदा ने किया अपने मुल्क का मालिक
इन्हीं के कब्जे में रब के ख़ज़ाने आए हैं
सुनोगे ला न ज़बाने करीम से नूरी
येह फ़ैज़ो जूद के दरिया बहाने आए हैं

सबक़ नम्बर 12

अख़्लाके मुस्तफ़ा का बयान

हुजूर अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सीरते मुबारका हर मुसलमान के लिये बेहतरीन नमूना है, जिसे भरपूर अन्दाज़ में अपनाते हुए हर मुसलमान दुनिया व आख़िरत की काम्याबियां हासिल कर सकता है, प्यारे आका, मक्की मदनी मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सीरते मुबारका का एक बेहतरीन पहलू, आप के अख़्लाके हसना भी हैं जिन की बुलन्दी व अज़मत को अल्लाह करीम ने कुरआने करीम के उन्तीसवें (29वें) पारे की सूरए क़लम की आयत नम्बर 4 में यूं बयान फ़रमाया :

وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلِقْتَ عَظِيمٌ (प २९, अलक़लम: २)

तरजमए कन्जुल ईमान : और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान की है ।



... سنن الکبری، کتاب الشّهادات، باب الامر بالشّهادۃ، ۱۰/۲۳۶، حدیث: ۲۰۵۱۶

हमारे प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा ﷺ ने अपनी बि'सत का मक़सद और हुस्ने अख़्लाक़ की अहममियत वाज़ेह करते हुए इर्शाद फ़रमाया : **يُحِبُّ لَاتِيَمٍ حَسَنٍ الْأَخْلَاقِ** या'नी मुझे अख़्लाक़ के हुस्नो ख़ूबी को मुकम्मल करने के लिये ही भेजा गया है।⁽¹⁾ नबिय्ये करीम के अख़्लाक़े हसना के बारे में मज़ीद मा'लूमात सुवालन जवाबन मुलाहज़ा कीजिये :

सुवाल हज़रते आइशा सिद्दीका रज़ुल्ले अल्ले अन्हा ने हुज़ूर ﷺ के अख़्लाक़ के बारे में क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब सा'द बिन हिशाम ने हुज़ूर के खुल्क़ के बारे में पूछा तो आप रज़ुल्ले अल्ले अन्हा ने इर्शाद फ़रमाया : **كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ** या'नी आप ﷺ का खुल्क़ कुरआन था, क्या तू ने अल्लाह पाक का येह फ़रमान नहीं पढ़ा : **﴿وَإِنَّكَ لَعَلَّ خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾**⁽²⁾ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : “और बेशक तुम्हारी खू बू (या'नी आदत) बड़ी शान की है।”⁽³⁾ मेरे आका आ'ला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान रَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ बारगाहे रिसालत में अर्ज़ करते हैं :

तेरे खुल्क़ को हक़ ने अज़ीम कहा, तेरी ख़िल्क़ को हक़ ने जमील किया

कोई तुझ सा हुवा है न होगा शहा, तेरे ख़ालिक़े हुस्नो अदा की कसम !⁽⁴⁾

सुवाल हुज़ूर ﷺ ने जादू करने वाले और ज़हर देने वाली यहूदिय्या के साथ क्या सुलूक किया ?

जवाब अल्लाह पाक के प्यारे और आख़िरी रसूल ﷺ पर लबीद बिन आ'सम ने जादू किया तो हुस्ने अख़्लाक़ के पैकर, तमाम नबियों के सरवर ﷺ ने इस का बदला नहीं लिया, उस यहूदिय्या को भी मुआफ़ फ़रमा दिया जिस ने आप ﷺ को ज़हर दिया था।⁽⁵⁾

सुवाल हुज़ूर ﷺ के अख़्लाक़े हसना के बारे में अल्लाह पाक ने क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब अल्लाह पाक पारह 21 सूरतुल अहज़ाब की आयत नम्बर 21 में इर्शाद फ़रमाता है : **﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾** तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक तुम्हें रसूलुल्लाह की पैरवी बेहतर है।



1... مؤطا امام مالک، کتاب حسن الخلق، باب ماجاء فی حسن الخلق، 2/304، حدیث: 1423

2... پ 29، القلم: 4

3... مسند امام احمد، مسند السیدة عائشة، 9/380، حدیث: 24655

4... हदाइके बख़्शिश, स. 80

5... المواهب اللدنیة، المقصد الثالث، الفصل الثانی فیما اکرمه الله... الخ، 2/91

सुवाल हुज़ूर ﷺ के चन्द अख़्लाके हसना बयान फ़रमा दें ।

जवाब ❁ अल्लाह पाक के आख़िरी नबी, मक्की मदनी ﷺ ऐसी कोई बात या काम न करते जिस से नफ़त पैदा हो ❁ लोगों को अल्लाह पाक के ख़ौफ़ की तल्कीन फ़रमाते⁽¹⁾ ❁ लोगों की इस्लाह से कभी भी पीछे न रहते ❁ आप ﷺ उठते बैठते (या'नी हर वक़्त) ज़िक्रुल्लाह करते रहते ❁ जब कहीं तशरीफ़ ले जाते तो जहाँ जगह मिल जाती वहीं बैठ जाते और दूसरों को भी इसी की तल्कीन फ़रमाते ❁ मांगने वाले को अ़ता फ़रमाते ❁ आप ﷺ की मजलिस में शोरो गुल होता न किसी की बे इज़्ज़ती ❁ अपने पास बैठने वाले के हुक्कू का लिहाज़ रखते ❁ जब किसी से हाथ मिलाते तो अपना हाथ खींचने में पहल न फ़रमाते⁽²⁾ ❁ सलाम में पहल फ़रमाते⁽³⁾ ❁ जो आप ﷺ को पुकारता, जवाब में “लब्बैक” (या'नी मैं हाज़िर हूँ) फ़रमाते⁽⁴⁾ ❁ किसी को ऐब न लगाते और न ही किसी का ऐब तलाश करते ।

सबक़ नम्बर 13

वालिदैने मुस्तफ़ा का बयान

सुवाल हुज़ूर ﷺ के वालिदे मोहतरम का नाम और कुन्यत क्या थी ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا, नूर वाले आका ﷺ के वालिदे मोहतरम हैं, आप का नाम मुबारक अब्दुल्लाह (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ), कुन्यत अबू मुहम्मद, अबू अहमद और अबू कुसम (या'नी खैरो बरकत समेटने वाला) है । आप رَضِيَ اللهُ عَنْهُ अपने वालिदे मोहतरम हज़रते अब्दुल मुत्तलिब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के तमाम बेटों में सब से ज़ियादा लाडले और प्यारे थे ।

सुवाल हुज़ूर ﷺ के दादाजान का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर ﷺ के दादाजान का नाम हज़रते सय्यिदुना “अब्दुल मुत्तलिब” है ।

सुवाल हुज़ूर ﷺ की वालिदे मोहतरमा का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर ﷺ की वालिदे मोहतरमा का नाम मुबारक हज़रते आमिना है ।



①... الشفاء، القسم الاول، الباب الثاني في تحصيل محاسنه، فصل واحسن عشرته... الخ، 1/120

②... ابو داود، كتاب الادب، باب في حسن العشرة 4/330، حديث: 4794

③... ترمذی، الشماکيل الحمدیة، باب ما جاء في خلق رسول الله، 5/504، حديث: 8

④... وسائل الوصول، ص 207

सवाल हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की कोई करामत बयान फ़रमा दें।

जवाब एक दिन हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ जंगल में गए, मुल्के शाम के यहूदी चन्द अलामतों से पहचान गए कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वालिदे मोहतरम येही हैं। चुनान्चे उन्होंने ने हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को बारहा क़त्ल (या'नी शहीद) करने की कोशिश की मगर अल्लाह पाक ने अपने फ़ज़्लो करम से बचा लिया। आलमे ग़ैब से अचानक चन्द ऐसे सुवार आए जो इस दुन्या के लोगों की तरह न थे, उन्होंने ने आ कर यहूदियों को मार भगाया और हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को ब हिफ़ाज़त उन के मक़ान तक पहुंचा दिया।

सवाल हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के नानाजान का नाम क्या है ?

जवाब हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के नानाजान का नाम हज़रते वहब बिन मनाफ़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ है।

सवाल हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह और हज़रते आमिना رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का निकाह कब हुवा ?

जवाब 24 साल की उम्र में हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का हज़रते बीबी आमिना رَضِيَ اللهُ عَنْهَا से निकाह हो गया और नूरे मुहम्मदी हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह रَضِيَ اللهُ عَنْهُ से मुन्तक़िल (या'नी Transfer) हो कर हज़रते बीबी आमिना रَضِيَ اللهُ عَنْهَا के मुबारक पेट में तशरीफ़ ले आया।

सवाल हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वालिदे मोहतरम हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का इन्तिक़ाल कब हुवा ?

जवाब जब हम्ल शरीफ़ को दो महीने पूरे हो गए तो हज़रते सय्यिदुना अब्दुल मुत्तलिब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को खज़ूरें लेने के लिये मदीनए मुनव्वरह भेजा या तिजारत के लिये मुल्के शाम रवाना किया। वहां से वापस लौटते हुए मदीनए पाक में अपने वालिद (या'नी हज़रते सय्यिदुना अब्दुल मुत्तलिब) के ननिहाल “बनू अदी बिन नज्जार” में एक माह बीमार रह कर 25 बरस की उम्र में हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह रَضِيَ اللهُ عَنْهُ वफ़ात पा गए और वहीं “दारे नाबिगा” में दफ़न हुए या'नी आप का मज़ार शरीफ़ बना।⁽¹⁾

सवाल हज़रते आमिना رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का इन्तिक़ाल कब हुवा ?

जवाब अल्लाह पाक के प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की जब उम्रे मुबारक 5 या 6 बरस की हुई तो आप की अम्मीजान हज़रते बीबी आमिना रَضِيَ اللهُ عَنْهَا आप को साथ ले कर मदीनए मुनव्वरह में आप के



दादाजान हज़रते सय्यिदुना अब्दुल मुत्तलिब के ननिहाल बनू अदी बिन नज्जार में मिलने गई, उम्मे ऐमन رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا आप की खादिमा भी साथ थीं, जब वापस आई तो रास्ते में मक़ामे अब्बा में हज़रते बीबी आमिना رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا इन्तिक़ाल फ़रमा गई और वहीं दफ़न हुई।

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अपने वालिदैन को ज़िन्दा किया ?

जवाब इमाम अबुल कासिम अब्दुर्रहमान सुहैली “अरौज़ुल उनुफ़” में नक़ल करते हैं कि उम्मुल मुअमिनीन हज़रते बीबी आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا रिवायत करती हैं, सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने दुआ मांगी : “या अल्लाह! मेरे मां बाप को ज़िन्दा कर दे।” अल्लाह पाक ने अपने हबीब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की दुआ क़बूल फ़रमाते हुए दोनों हज़रात (या’नी वालिदैन) को ज़िन्दा कर दिया और वोह दोनों अल्लाह पाक के आख़िरी नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ पर ईमान लाए और फिर अपने अपने मज़ारते मुबारका में तशरीफ़ ले गए।⁽¹⁾

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वालिदैन का इन्तिक़ाल हालते कुफ़्र में हुवा ?

जवाब ख़बरदार ! इस से कोई येह न समझे कि वालिदैन करीमैन رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, مَعَاذَ اللَّهِ हालते कुफ़्र में फ़ौत हुए थे और अज़ाबे क़ब्र में मुब्तला थे, इस लिये नूर वाले आका صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने उन को कलिमा पढ़ा कर मुसल्मान किया ताकि अज़ाब से नजात पाएं। हरगिज़ हरगिज़ ऐसा नहीं था बल्कि वोह दोनों तौहीद पर क़ाइम थे (या’नी अल्लाह पाक को एक मानने वाले थे) और कभी भी उन्होंने ने बुत परस्ती नहीं की थी। रसूल पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने उन्हें अपनी उम्मत में शामिल करने के लिये दोबारा ज़िन्दा फ़रमा कर कलिमा पढ़ाया।

सुवाल क्या हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के वालिदैन करीमैन के मोमिन होने पर कुरआने पाक से कोई दलील है ?

जवाब हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हज़रते आमिना ख़ातून رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا का ईमान कुरआने करीम की वाज़ेह आयत से साबित है। हज़रते इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام ने दुआ की थी : ﴿وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ﴾ (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हमारी औलाद में से एक उम्मत तेरी फ़रमां बरदार।) फिर बारगाहे खुदावन्दी में अर्ज़ की : ﴿رَبَّنَا وَإِنَّا بُعِثْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ﴾ (तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ रब हमारे और भेज उन में एक रसूल उन्हीं में से।) खुदाया मेरी औलाद में हमेशा एक मोमिन जमाअत



1... الروض الانف، وفاة أمير و حال رسول الله... ج1، 299/1

2... ج1، البقرة: 128

3... ج1، البقرة: 129

रहे और ऐ मौला इसी मोमिन जमाअत में नबिय्ये आखिरुज्जमान (ﷺ) को भेज, हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम खलीलुल्लाह ﷺ की येह दुआ यकीनन क़बूल हुई, हुज़ूर ﷺ के तमाम आबाओ अज्दाद (या'नी बाप, दादा, परदादा ऊपर तक) सब के सब अहले ईमान मोमिन थे।⁽¹⁾

सुवाल हुज़ूर ﷺ के वालिदैने करीमैन के मोमिन होने पर हदीसे पाक से भी कोई दलील है ?

जवाब मोहतरम नबी, मक्की मदनी ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : मैं हमेशा पाक पुश्तों से पाक रेहूँ में मुन्तक़िल होता रहा।⁽²⁾

सुवाल हुज़ूर ﷺ के वालिदैने करीमैन के मोमिन होने के बारे में अक्वाले अइम्मा बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के फ़तावा रज्विय्या जिल्द 30 सफ़्हा 299 पर मौजूद कलाम का खुलासा येह है : “कसीर अकाबिर इलमा का मज़हब येही है कि हुज़ूरे अकरम ﷺ के प्यारे प्यारे वालिदैने मुसलमान हैं और आखिरत में उन की नजात (या'नी छुटकारे) का फ़ैसला हो चुका है।”⁽³⁾ हज़रते इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफ़ेई रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने वालिदैने मुस्तफ़ा या'नी हमारे प्यारे आका ﷺ के मां बाप के ईमान के मुतअल्लिक़ सात रसाइल लिखे हैं और उन का ईमान साबित किया है।⁽⁴⁾ काज़ी इमाम अबू बक्र इब्नुल अरबी मालिकी रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ से येह सुवाल किया गया कि एक शख़्स येह कहता है कि हुज़ूर ﷺ के आबाओ अज्दाद (या'नी बाप दादा सब) जहन्नम में हैं مَعَاذُ اللهِ तो आप ने फ़रमाया कि येह (या'नी ऐसा बकने वाला) शख़्स मलज़ून (या'नी ला'नती) है।⁽⁵⁾

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की क़ब्रे मुबारक खुलने का वाक़िआ क्या है ?

जवाब 21 जनवरी 1978 ई. के अख़बार नवाए वक़्त के मुताबिक़ मदीनए मुनव्वरह زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا के अख़बार नवाए वक़्त के मुताबिक़ मदीनए मुनव्वरह में मस्जिदे नबवी ﷺ की तौसीअ (Extension) के सिल्लिसले में की जाने वाली खुदाई के दौरान सरकारे मदीना ﷺ के वालिदे माजिद हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का जिस्मे मुबारक जिस को दफ़न हुए 14 सो साल से ज़ियादा अर्सा गुज़र चुका था, (क़ब्र शरीफ़ से) बिल्कुल तरो ताज़ा हालत में निकला।



1... मिरआतुल मनाजीह, 2/524

2... دلائل النبوة لأبي نعيم، الفصل الثانی ذکر فضیلتہ... الخ، ص 28، حدیث: 15

3... फ़तावा रज्विय्या, 30/299 माखूज़न

4... اتحاف السادة المتقين، 10/433

5... تفسیر روح البیان، پ 1، البقرة، تحت الآية: 119، 1/218

सबक नम्बर 14

तअरुफ़ व फ़जाइल अज़्वाजे मुतहहरात

हमारे प्यारे नबी ﷺ ने कितने निकाह फ़रमाए और उन खुश नसीब ख़वातीन की ता'दाद क्या है जो आप ﷺ के साथ रिश्तए इज़्दवाज में मुन्सलिक हो कर उम्महातुल मुअमिनीन के आ'ला मन्सब पर फ़ाइज़ हुई...? इस सिलसिले में जिन पर सब का इत्तिफ़ाक़ है वोह ग्यारह सहाबियात رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ हैं। उन में से छे 6 तो कबीलए कुरैश के ऊंचे घरानों की चश्मो चराग़ थीं, जिन के अस्माए गिरामी येह हैं :

(1)... हज़रते ख़दीजा बinte खुवैलिद	(2)... हज़रते आइशा बinte सिद्दीक़
(3)... हज़रते हफ़सा बinte उमर फ़ारूक़	(4)... हज़रते उम्मे हबीबा बinte अबू सुफ़यान
(5)... हज़रते उम्मे सलमा बinte अबू उमय्या	(6)... हज़रते सौदह बinte ज़म्आ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

चार का तअल्लुक़ कबीलए कुरैश से नहीं था बल्कि अरब के दूसरे क़बाइल से तअल्लुक़ रखती थीं, वोह येह हैं :

(1)... हज़रते ज़ैनब बinte जहूश	(2)... हज़रते मैमूना बinte हारिस
(3)... हज़रते ज़ैनब बinte खुज़ैमा	(4)... हज़रते जुवैरिया बinte हारिस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

और एक ग़ैर अरबिया थीं, जिन का तअल्लुक़ बनी इसराईल से था। येह हज़रते सफ़िय्या बinte हुयय رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا हैं। आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا कबीलए बनी नज़ीर से थीं।

इन ग्यारह में से दो 2 अज़्वाजे मुतहहरात हज़रते ख़दीजा बinte खुवैलिद और हज़रते ज़ैनब बinte खुज़ैमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا तो नबिय्ये पाक ﷺ की हयाते ज़ाहिरी में ही दारे आख़िरत को कूच कर गई थीं जब कि बक़िय्या नव 9 अज़्वाजे मुतहहरात رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ ने प्यारे आक़ा ﷺ के बा'द इन्तिकाल फ़रमाया।⁽¹⁾

सुवाल अज़्वाजे मुतहहरात رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ का क्या मर्तबा है ?

जवाब कुरआने मजीद से येह साबित है कि नबिय्ये करीम ﷺ की मुक़द्दस बीबियां رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ मर्तबे में सब से ज़ियादा हैं और इन का अज़्र सब से बढ़ कर है। दुन्या जहान की औरतों में कोई इन की हमसर और हम मर्तबा नहीं। जैसा कि

(1) फ़रमाने रब्बे करीम है :



يُنْسَاءُ النَّبِيُّ سِتْرًا كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ

(प 22, الاحزاب: 32)

तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ नबी की बीबियो तुम और औरतों की तरह नहीं हो ।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मुफ़्ती सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं : (या'नी) तुम्हारा मर्तबा सब से ज़ियादा है और तुम्हारा अज़्र सब से बढ़ कर, ज़हान की औरतों में कोई तुम्हारी हमसर नहीं ।⁽¹⁾

(2) अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ

(प 21, الاحزاب: 6)

तरजमए कन्जुल ईमान : येह नबी मुसलमानों का उन की जान से ज़ियादा मालिक है और इस की बीबियां उन की माएं हैं ।

अल्लामा सय्यिद महमूद आलूसी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ आयत की तफ़्सीर में फ़रमाते हैं (कि इन का मोमिनीन की माएं होना दो 2 हुक्मों में हैं) : (1)... निकाह के ह़राम होने में । (2)... ता'ज़ीम की ह़क़दार होने में । इस के इलावा दूसरे अहक़ाम मसलन विरासत और पर्दे वग़ैरा के सिल्लिसले में इन का वोही हुक्म है जो अजनबी औरतों का । नीज़ (शर्इ अहक़ाम में) इन की बेटियों को मोमिनीन की बहनें और इन के भाइयों को मोमिनीन के मामूं न कहा जाएगा ।⁽²⁾

सुवाल क्या अज़्वाजे मुतहहरात رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ से مَعَاذَ اللهِ गुनाह सरज़द हुए ?

जवाब इन के लिये गुनाहों की नजासत से आलूदा न होने की बिशारत है । अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ

الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

(प 22, الاحزاب: 33)

तरजमए कन्जुल ईमान : अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक कर के ख़ूब सुथरा कर दे ।

मशहूर मुफ़र्रिसर, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयत की तफ़्सीर करते हुए फ़रमाते हैं : इस तरह कि तुम को गुनाहों और बद अख़्लाक़ियों की नजासत में आलूदा न होने दे । येह मतलब नहीं कि مَعَاذَ اللهِ अब तक गुनाह थे अब पाकी अता हुई । इस आयत से दो 2 मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि हुज़ूर की अज़्वाज व औलाद गुनाहों से पाक है । दूसरे येह कि अज़्वाज यकीनन

1 ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अहज़ाब, तह़तल आयह : 32

2 ... तफ़्सीर روح المعاني, प 21, الاحزاب, تحت الآية: 6, 21/202 ملقط

हुजूर (ﷺ) के अहले बैत हैं क्यूं कि येह तमाम आयात अज्वाजे मुतहहरात (رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ) से ही मुख़ातिब हैं।⁽¹⁾

सुवाल "السَّيْقُونُ الْأَوَّلُونَ" में कौन कौन सी उम्माहातुल मुअमिनीन رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ शामिल हैं ?

जवाब कुरआने करीम में है :

وَالسَّيْقُونُ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا
عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١١﴾ (النور: 100)

तरजमए कन्जुल ईमान : और सब में अगले पहले मुहाजिर और अन्सार और जो भलाई के साथ उन के पैरव (पैरवी करने वाले) हुए, अल्लाह उन से राजी और वोह अल्लाह से राजी और उन के लिये तय्यार कर रखे हैं बाग़ जिन के नीचे नहरें बहें हमेशा हमेशा उन में रहें, येही बड़ी काम्याबी है।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मुफ़्ती सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ आयत की तफ़सीर में लिखते हैं : (मुहाजिरीन में السَّيْقُونُ الْأَوَّلُونَ वोह हैं) जिन्होंने ने दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ें पढ़ीं या अहले बद्र या अहले बैअते रिज़्वा (और अन्सार में से) अस्हाबे बैअते अक्बए ऊला जो छे 6 हज़रात थे और अस्हाबे बैअते अक्बए सानिया जो बारह थे और अस्हाबे बैअते अक्बए सालिसा जो सत्तर अस्हाब हैं।⁽²⁾ इस ए'तिबार से बा'ज उम्माहातुल मुअमिनीन رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ भी इस फ़ज़ीलत में दाख़िल हैं यहां सिर्फ़ उन के अस्माए गिरामी ज़िक्र किये जाते हैं जिन का दोनों क़िब्लों की तरफ़ नमाज़ पढ़ना मा'लूम है :

(1) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना सौदह बन्ते ज़म्आ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (2) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (3) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना हफ़सा बन्ते उमर रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (4) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना ज़ैनब बन्ते ख़ुज़ैमा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (5) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (6) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना ज़ैनब बन्ते जहूश रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا (7) उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना उम्मे हबीबा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا । याद रहे कि येह तमाम उम्माहातुल मुअमिनीन रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ हिज्रते मदीना से पहले ही इस्लाम क़बूल कर चुकी थीं जब कि तब्दीलिये क़िब्ला हिज्रत के अठ्ठारह माह बा'द (या'नी दो 2 हिजरी, माहे शा'बान, मंगल के दिन) हुई।⁽³⁾⁽⁴⁾

① ... तफ़सीरे नूरुल इरफ़ान, पारह : 22, अल अहज़ाब, तहूतल आयह : 33 मुल्लतक़तन

② ... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 11, अत्तौबह, तहूतल आयह : 100

③ ... तफ़सीरे नईमी, पारह : 11, अत्तौबह, तहूतल आयह : 100, 11/37

④ ... उम्माहातुल मुअमिनीन की सीरत तफ़सील से पढ़ने के लिये दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना से शाएअ़ शुदा किताब "फ़ैज़ाने उम्माहातुल मुअमिनीन" का मुतालआ कीजिये।

हज़ूर की अज़्वाज

हज़रते ख़दीजा बिनते खुवैलिद 01

02 हज़रते आइशा बिनते अबू बक्र सिद्दीक़

हज़रते हफ़सा बिनते उमर फ़ारूक़ 03

04 हज़रते उम्मे हबीबा बिनते अबू सुफ़यान

हज़रते उम्मे सलमा बिनते अबू उमय्या 05

06 हज़रते सौदह बिनते ज़म्आ

हज़रते ज़ैनब बिनते जह्श 07

08 हज़रते मैमूना बिनते हारिस

हज़रते ज़ैनब बिनते खुजैमा 09

10 हज़रते जुवैरिया बिनते हारिस

हज़रते सफ़िय्या बिनते हुयय 11

رَفِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ

सबक़ नम्बर 15

अहले बैते अत्हार का बयान

हुज़ूर ताजदारे मदीना ﷺ के नसब और क़राबत के लोगों को अहले बैत कहा जाता है। अहले बैत में प्यारे आका ﷺ की अज़ाजे मुतहहरात, आप के शहज़ादे और शहज़ादियां, हज़रते सय्यिदुना मौला अली और हज़रते सय्यिदुना इमामे हसन व हज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ सब दाख़िल हैं। अहले बैते किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ से अल्लाह पाक ने रिज्स व नापाकी को दूर फ़रमाया, उन्हें ख़ूब पाक किया और जो चीज़ उन के मर्तबे के लाइक़ नहीं उस से उन के परवर्दगार ने उन्हें महफूज़ रखा, अहले बैत रَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ पर दोज़ख़ की आग़ हराम की, सदक़ा उन पर हराम किया गया क्यूं कि सदक़ा, देने वालों का मैल होता है। अव्वल गुरौह जिस की हुज़ूर शफ़ीए महशर ﷺ शफ़ाअत फ़रमाएंगे वोह आप ﷺ के अहले बैत रَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ हैं। अहले बैत रَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ की महब्बत फ़राइजे दीन से है और जो शख़्स इन से बुग़ज़ रखे वोह मुनाफ़िक़ है। अहले बैत रَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ की मिसाल हज़रते सय्यिदुना नूह عَلَيْهِ السَّلَام की कश्ती की तरह है कि जो इस में सुवार हुवा उस ने नजात पाई और जो इस से कतराया, हलाक व बरबाद हुवा।

सुवाल कुरआने करीम में अहले बैत की शान कौन से पारे में बयान की गई है ?

जवाब कुरआने करीम में अहले बैत की शान अल्लाह पाक ने पारह 22 सूरए अहज़ाब में कुछ इस तरह बयान फ़रमाई है :

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴿33﴾

(प 22, अलअहज़ाब: 33)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह तो येही चाहता है ऐ नबी के घर वालो कि तुम से हर नापाकी दूर फ़रमा दे और तुम्हें पाक कर के ख़ूब सुथरा कर दे।

सुवाल इस आयते करीमा में अहले बैत से कौन कौन सी हस्तियां मुराद हैं ?

जवाब येह आयत हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा, हज़रते सय्यिदुना फ़ातिमा, हज़रते सय्यिदुना इमामे हसन और हज़रते सय्यिदुना इमामे हुसैन रَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ के हक़ में नाज़िल हुई।

सुवाल इन हज़रात के साथ और कौन कौन अहले बैत में शामिल हैं ?

जवाब हुज़ूर जाने आलम ﷺ ने इन हज़रात के साथ अपनी बाक़ी साहिब ज़ादियों,

कराबत दारों और अज़्वाजे मुतहहरात को भी अपने अहले बैत में शामिल फ़रमाया।⁽¹⁾

सुवाल इस आयत से क्या साबित होता है ?

जवाब येह आयते करीमा अहले बैते किराम के फ़ज़ाइल का मम्बअ है और मा'लूम होता है कि तमाम अख़लाके दनिय्या (घटिया अख़लाक़) व अहवाले मज़्मूमा (ना पसन्दीदा अहवाल) से उन की तह्हीर (पाकी व तहारात) फ़रमाई गई। बा'ज अह्दादीस में मरवी है कि अहले बैत, नार पर ह़राम (या'नी अहले बैत जन्नती) हैं और येही इस तह्हीर का फ़ाएदा और समरा है और जो चीज़ उन के अहवाले शरीफ़ा के लाइक़ न हो उस से उन का परवर्दगार उन्हें महफूज़ रखता और बचाता है।⁽²⁾

सुवाल अहले बैत की ख़िदमत और इन्हें खुश करने से हमें क्या फ़ाएदा हासिल होगा ?

जवाब क़ियामत के दिन शफ़ाअत नसीब होगी। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : जो शख़्स वसीला हासिल करना चाहता है और येह चाहता है कि मेरी बारगाह में उस की कोई ख़िदमत हो, जिस के सबब मैं क़ियामत के दिन उस की शफ़ाअत करूं, उसे चाहिये कि मेरे अहले बैत की ख़िदमत करे और उन्हें खुश करे।⁽³⁾

सुवाल अहले बैत से बुग़ज़ और दुश्मनी करने का क्या नुक़सान है ?

जवाब रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : ख़बरदार ! जो शख़्स अहले बैत की बुग़ज़ो अदावत पर मरा, वोह क़ियामत के दिन इस हाल में आएगा कि उस की दोनों आंखों के दरमियान लिखा होगा : येह अल्लाह पाक की रहमत से ना उम्मीद है।⁽⁴⁾ जो शख़्स अहले बैत से बुग़ज़ या ह़सद करेगा, उसे क़ियामत के दिन हौजे कौसर से आग के चाबुकों से दूर किया जाएगा।⁽⁵⁾

हुज़ूर के शहज़ादे और शहज़ादियां

सुवाल हमारे प्यारे नबी ﷺ की कितनी औलाद थीं ?

जवाब हमारे प्यारे नबी ﷺ के 3 शहज़ादे और 4 शहज़ादियां थीं।



1... صواعق محرقة، الباب الحادي عشر، الفصل الاول، ص 144

2... सवानेहे करबला, स. 82 मुल्लक़तन

3... बरकाते आले रसूल, स. 110

4... اشرف الموبد، ص 79

5... كنز العمال، كتاب الفضائل، باب في فضل آل البيت، جزء 2، 6/48، حديث: 34198

सुवाल उन के नाम क्या हैं ?

जवाब शहजादों के नाम हज़रते क़ासिम, हज़रते इब्राहीम, हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ और शहजादियों के नाम हज़रते ज़ैनब, हज़रते रुक़य्या, हज़रते उम्मे कुल्सूम, हज़रते फ़ातिमा رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ⁽¹⁾

हज़रते क़ासिम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

सुवाल रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सब से पहले बेटे का क्या नाम है ?

जवाब रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सब से पहले बेटे का नाम हज़रते क़ासिम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ है ।

सुवाल हज़रते क़ासिम की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते ख़दीजा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

सुवाल हज़रते क़ासिम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कब पैदा हुए ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से पहले पैदा हुए ।

सुवाल इन की वफ़ात किस उम्र में हुई ?

जवाब इन की वफ़ात 17 महीने या 2 साल की उम्र में हुई ।

हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के दूसरे बेटे का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ।

सुवाल हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कब पैदा हुए ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से पहले मक्का में पैदा हुए ।

सुवाल इन की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते ख़दीजा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ।



सुवाल इन का लक़ब क्या है ?

जवाब तय्यिब और ताहिर ।

सुवाल इन की वफ़ात कब हुई ?

जवाब येह बचपन ही में वफ़ात पा गए थे ।

हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सब से छोटे बेटे का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ।

सुवाल इन की वालिदा का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते मारिया क़िब्तिয়া رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ।

सुवाल येह कब पैदा हुए ?

जवाब जुल हिज्जा के महीने में 8 हिजरी को मदीने में पैदा हुए । **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ इन से बहुत ज़ियादा महबबत करते थे ।

सुवाल इन की वफ़ात कब हुई ?

जवाब वफ़ात के वक़्त इन की उम्र 17 या 18 महीने थी ।

सुवाल इन की वफ़ात के वक़्त हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने क्या फ़रमाया ?

जवाब फ़रमाया : आंख आंसू बहाती है और दिल ग़मज़दा है मगर हम वोही बात ज़बान से निकालते हैं जिस से हमारा रब खुश हो जाए और बिला शुबा ऐ इब्राहीम ! हम तुम्हारी जुदाई से बहुत ज़ियादा ग़मगीन हैं ।⁽¹⁾

सुवाल हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को कहां दफ़न किया गया ?

जवाब हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को जन्नतुल बक़ीअ में हज़रते उस्मान बिन मज़्रून رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की क़ब्र के पास दफ़न फ़रमाया और अपने दस्ते मुबारक से इन की क़ब्र पर पानी का छिड़काव किया ।



हज़रते ज़ैनब رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सब से बड़ी बेटी का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते ज़ैनब رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ।

सुवाल येह कब पैदा हुई ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से दस साल क़ब्ल जब कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उम्र शरीफ़ तीस साल की थी, मक्कए मुकर्रमा में इन की विलादत हुई ।

सुवाल येह कब मुसलमान हुई ?

जवाब येह इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसलमान हो गई थीं ।

सुवाल इन की शादी कब और किस से हुई ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से क़ब्ल ही इन की शादी इन के ख़ालाज़ाद भाई अबुल आस बिन रबीअ से हो गई थी । अबुल आस हज़रते बीबी ख़दीजा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا की बहन हज़रते हाला رَضِيَ اللهُ عَنْهَا के बेटे थे । हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते ख़दीजा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا की सिफ़ारिश से हज़रते ज़ैनब رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का अबुल आस के साथ निकाह फ़रमा दिया था ।

सुवाल अबुल आस कब मुसलमान हुए ?

जवाब अबुल आस 7 हिजरी में मुसलमान हुए ।

सुवाल हज़रते ज़ैनब رَضِيَ اللهُ عَنْهَا की वफ़ात कब हुई ?

जवाब 8 हिजरी में ।

सुवाल इन्हें किस ने गुस्ले मय्यित दिया ?

जवाब हज़रते उम्मे ऐमन, हज़रते सौदह बिन्ते ज़म्आ और हज़रते उम्मे सलमा رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ ने इन को गुस्ल दिया ।

सुवाल इन्हें कफ़न दफ़न किस ने किया ?

जवाब हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इन के कफ़न के लिये अपना तहबन्द शरीफ़ अ़ता फ़रमाया और अपने दस्ते मुबारक से इन को क़ब्र में उतारा ।

हज़रते रुक़य्या رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

- सुवाल** हमारे प्यारे नबी ﷺ की दूसरी बेटी का क्या नाम है ?
- जवाब** हज़रते रुक़य्या رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ।
- सुवाल** येह कब पैदा हुई ?
- जवाब** येह ए'लाने नुबुव्वत से 7 साल पहले पैदा हुई ।
- सुवाल** येह कब मुसल्मान हुई ?
- जवाब** इब्तिदाए इस्लाम ही में मुसल्मान हो चुकी थीं ।
- सुवाल** इन का पहला निकाह किस से हुवा था ?
- जवाब** अबू लहब के बेटे उ़त्बा से । मगर रुख़सती से पहले ही त़लाक़ हो गई थी ।
- सुवाल** दूसरा निकाह किन से हुवा ?
- जवाब** हज़रते उ़स्माने ग़नी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से ।
- सुवाल** इन की वफ़ात कब हुई ?
- जवाब** जंगे बद्र की फ़तह के दिन सख़्त बीमारी की वजह से 20 साल की उम्र में आप रَضِيَ اللهُ عَنْهَا ने वफ़ात पाई ।
- सुवाल** इन के बेटे का क्या नाम है ?
- जवाब** हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ । येह अपनी वालिदा के बा'द 4 हिजरी में 6 साल की उम्र में फ़ौत हो गए थे ।

हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللهُ عَنْهَا

- सुवाल** हमारे प्यारे नबी ﷺ की तीसरी बेटी का क्या नाम है ?
- जवाब** हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ।
- सुवाल** इन का पहला निकाह किस से हुवा था ?
- जवाब** अबू लहब के बेटे उ़तैबा से । मगर रुख़सती से पहले ही त़लाक़ हो गई थी ।
- सुवाल** इन का दूसरा निकाह किन से हुवा ?

जवाब हज़रते बीबी रुक़य्या رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا की वफ़ात के बा'द रबी'उल अव्वल के महीने में 3 हिजरी में हुज़ूरे अक़दस صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते बीबी उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا का हज़रते उस्माने ग़नी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से निकाह कर दिया। मगर इन के शिकमे मुबारक से कोई औलाद नहीं हुई।

सुवाल हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ने कब वफ़ात पाई ?

जवाब शा'बान के महीने में 9 हिजरी में वफ़ात पाई।

सुवाल इन की नमाज़े जनाज़ा किस ने पढ़ाई ?

जवाब हुज़ूरे अक़दस صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई और येह जन्नतुल बक़ीअ में दफ़न की गई।

हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सब से छोटी और लाडली बेटी का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते फ़ातिमा ज़हरा बतूल رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا।

सुवाल इन का लक़ब क्या है ?

जवाब ज़हरा और बतूल।

सुवाल येह कब पैदा हुई ?

जवाब ए'लाने नुबुव्वत से 5 साल पहले।

सुवाल इन का नाम फ़ातिमा रखने की क्या वजह है ?

जवाब **रसूलुल्लाह** رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : इस का नाम फ़ातिमा इस लिये रखा गया कि **अल्लाह** पाक ने इस को और इस से महबूबत करने वालों को दोज़ख़ से आज़ाद किया है।⁽¹⁾

हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : बेशक फ़ातिमा ने पाक दामनी इख़्तियार की और **अल्लाह** पाक ने इस की औलाद को दोज़ख़ पर ह़राम फ़रमा दिया है।⁽²⁾

सुवाल इन्हें बतूल क्यूँ कहा जाता है ?



1...کنز العمال، کتاب الفضائل، الفصل الثانی فی فضل اهل البیت، جزء: 12، 6/50، حدیث: 34222

2...مشترک، کتاب معرفة الصحابة، باب فاطمة... ج 4، 135، حدیث: 4779

जवाब चूँकि आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग थीं लिहाज़ा बतूल लक़ब हुवा ।

सुवाल इन्हें ज़हरा क्यूँ कहा जाता है ?

जवाब ज़हरा के मा'ना हैं कली । आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا जन्नत की कली थीं और आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا की कभी ऐसी कैफ़ियत न हुई जिस से ख़वातीन दो चार होती हैं और आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا के जिस्म से जन्नत की खुशबू आती थी जिसे हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ सूँघा करते थे । इस लिये आप का लक़ब ज़हरा हुवा ।⁽¹⁾

सुवाल इन्हें त़ाहिरा और ज़ाक़िया क्यूँ कहा जाता है ?

जवाब त़ाहिरा व ज़ाक़िया का मतलब है, पाको साफ़ । चूँकि आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا बचपन ही से अपने बाबाजान रहमते आलमिय्यान صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की नज़रे रहमत और फैज़ान से ज़ाहिरी और बातिनी त़ाहारत व पाकी हासिल कर चुकी थीं यहां तक कि आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا हैज़ो निफ़ास से भी मुनज़्ज़ा व मुबर्रा (या'नी पाक साफ़) थीं जैसा कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : मेरी बेटी फ़ातिमा इन्सानि शक़ल में हूरो की तरह हैज़ो निफ़ास से पाक है ।⁽²⁾

सुवाल इन का हुस्नो जमाल कैसा था ?

जवाब हज़रते अनस बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ कहते हैं कि मैं ने अपनी वालिदा से हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا के बारे में पूछा तो उन्होंने ने फ़रमाया : **كَأَنْتِ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ** या'नी सय्यिदह चौदहवीं रात के चांद की तरह हसीनो जमील थीं ।⁽³⁾

सुवाल हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا के लिये क्या फ़रमाया ?

जवाब ❀ जनाबे सादिको अमीन صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते फ़ातिमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا से इर्शाद फ़रमाया : तुम्हारे ग़ज़ब से ग़ज़बे इलाही होता है और तुम्हारी रिज़ा से रिज़ाए इलाही ।⁽⁴⁾ ❀ फ़रमाया : “फ़ातिमा मेरे जिस्म का हिस्सा (टुकड़ा) है जो इसे ना गवार, वोह मुझे ना गवार जो इसे पसन्द वोह मुझे

1 ... मिरआतुल मनाजीह, 8/452

2 ... کنز العمال، کتاب الفضائل، الفصل الثانی فی فضل اہل البیت مفصلاً، ج: 50، الحدیث: 34221

3 ... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، ذکر ما ثبت عندنا... الخ، 4/149، حدیث: 4813

4 ... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابہ، باب مداء یوم المحشر... الخ، 4/137، حدیث: 4783

पसन्द, रोज़े कियामत सिवाए मेरे नसब, मेरे सबब और मेरे इज्जिदाजी रिश्तों के तमाम नसब ख़त्म हो जाएंगे।”(1) ❀ फ़रमाया : फ़ातिमा तमाम ज़हानों की औरतों और सब जन्नती औरतों की सरदार हैं।(2) ❀ फ़रमाया : फ़ातिमा मेरा टुकड़ा है जिस ने इसे नाराज़ किया उस ने मुझे नाराज़ किया। ❀ और एक रिवायत में है : इन की परेशानी मेरी परेशानी और इन की तकलीफ़ मेरी तकलीफ़ है।(3)

सुवाल हज़रते फ़ातिमा ज़ह्रा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का निकाह कब और किन से हुवा ?

जवाब 2 हिजरी में हज़रते अली शेर ख़ुदा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से इन का निकाह हुवा।

सुवाल इन की कितनी औलाद हैं ?

जवाब इन की 6 औलादें हुई, 3 लड़के और 3 लड़कियां।

सुवाल लड़के और लड़कियों के नाम क्या हैं ?

जवाब लड़कों के नाम हैं : (1) हज़रते हसन, (2) हज़रते हुसैन और (3) हज़रते मुहस्सिन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ। और लड़कियों के नाम हैं : (4) हज़रते ज़ैनब, (5) हज़रते उम्मे कुल्सूम और (6) हज़रते रुक़य्या رَضِيَ اللهُ عَنْهُنَّ।

सुवाल कौन से बच्चे बचपन ही में वफ़ात पा गए थे ?

जवाब हज़रते मुहस्सिन رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और हज़रते रुक़य्या رَضِيَ اللهُ عَنْهَا।

सुवाल हज़रते फ़ातिमा ज़ह्रा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا की वफ़ात कब हुई ?

जवाब हुज़ूरे अक़दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के विसाल शरीफ़ का हज़रते बीबी फ़ातिमा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا के क़ल्बे मुबारक पर बहुत ही सदमा गुज़रा। चुनान्वे विसाले अक़दस के बा'द हज़रते फ़ातिमा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا कभी हंसती हुई नहीं देखी गई। यहां तक कि विसाले नबवी के 6 महीने बा'द 3 रमज़ान 11 हिजरी मंगल की रात में आप ने दाइये अजल को लब्बैक कहा।

सुवाल हज़रते फ़ातिमा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا की नमाज़े जनाज़ा किस ने पढ़ाई ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना इब्ने उमर رَضِيَ اللهُ عَنْهَا से मन्कूल है कि हज़रते फ़ातिमतुज़्ज़ह्रा



1... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابة، باب دعاء دفع الفقر... ج 4، 144، حدیث: 4801

2... بخاری، کتاب الاستئذان، باب من ثابتي ییدی الناس... ج 4، 184، حدیث: 6285

3... مشکاة، کتاب المناقب، باب مناقب اهل بیت النبی... ج 2، 436، حدیث: 6139

रुज़ुल्लुल्लाह की नमाज़े जनाज़ा हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक़ रुज़ुल्लुल्लाह ने पढ़ाई।⁽¹⁾ और आप का मज़ारे मुबारक जन्नतुल बक़ीअ में है।

इमामे हसन रुज़ुल्लुल्लाह

सुवाल इमामे हसन रुज़ुल्लुल्लाह का हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से क्या रिश्ता है ?

जवाब इमामे हसन रुज़ुल्लुल्लाह हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के नवासे हैं।

सुवाल इन की विलादत कब हुई ?

जवाब इन की विलादत 15 रमज़ान की रात 3 हिजरी में मदीनए मुनव्वरह में हुई।

सुवाल इन की कुन्यत और लक़ब क्या है ?

जवाब इन की कुन्यत अबू मुहम्मद, लक़ब तकी और सय्यिद और सिब्ते रसूलुल्लाह और सिब्ते अक्बर के नाम से मा'रूफ़ हैं।

सुवाल इन का नाम किस ने रखा ?

जवाब हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इन का नाम हसन रखा। यह जन्नती नाम है। जो इन से पहले किसी का नहीं रखा गया।

सुवाल विलादत के बा'द इन के कान में अज़ान और तक्बीर किस ने दी ?

जवाब रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم ने।

सुवाल आप रुज़ुल्लुल्लाह मुसलमानों के कौन से ख़लीफ़ा हैं ?

जवाब आप रुज़ुल्लुल्लाह मुसलमानों के पांचवें ख़लीफ़ा हैं।

सुवाल हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم ने इन की फ़ज़ीलत में क्या इर्शाद फ़रमाया ?

जवाब हज़रते बराअ इब्ने अज़िब रुज़ुल्लुल्लाह कहते हैं : मैं ने सय्यिदे अलाम صَلَّयुल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की, शहज़ादए बुलन्द इक़बाल हज़रत इमामे हसन रुज़ुल्लुल्लाह आप صَلَّयुल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोशे अक्दस (कन्धों) पर थे और हुज़ूर صَلَّयुल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमा रहे थे : या रब ! मैं इस को महबूब रखता हूँ तो तू भी महबूब रख।⁽²⁾ हज़रते अबू बक्रह रुज़ुल्लुल्लाह फ़रमाते हैं कि हुज़ूर सरवरे अलाम صَلَّयुल्लाहु अलैहि वसल्लम मिम्बर पर जलवा



1...کنز العمال، کتاب الموت، باب فی اشیاء قبل الدفن، جزء: 15، 8/303، حدیث: 42856

2...بخاری، کتاب فضائل اصحاب النبی، باب مناقب الحسن والحسين، 2/547، حدیث: 3749

अफ़रोज़ थे। हज़रत इमामे हसन रَضِيَ اللهُ عَنْهُ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के पहलू में थे। हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ एक मरतबा लोगों की तरफ़ नज़र फ़रमाते और एक मरतबा इस फ़रज़न्दे जमील की तरफ़। मैं ने सुना हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया कि येह मेरा फ़रज़न्द सय्यिद है और अल्लाह पाक इस की बदौलत मुसलमानों की दो जमाअतों में सुल्ह करेगा।⁽¹⁾

सुवाल इमामे हसन रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की शहादत किस तरह हुई ?

जवाब आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को ज़हर दिया गया था जो आप की शहादत का सबब बना।

सुवाल आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की उम्र शरीफ़ 45 साल थी कि आप ने 5 रबीउल अव्वल, 49 हिजरी में इस दारे ना पाएदार से मदीनए तय्यिबा में रेहलत फ़रमाई।

सुवाल आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को कहां दफ़न किया गया ?

जवाब जन्नतुल बक़ीअ में हज़रते सय्यिदह फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا के पहलू में।

सुवाल आप के जनाजे में कितने लोग थे ?

जवाब हज़रते सा'लबा बिन अबी मालिक रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने कहा : मैं ने जन्नतुल बक़ीअ में लोगों का इस क़दर मज्मअ देखा कि अगर सूई भी फेंकी जाती तो वोह भी ज़मीन पर नहीं गिरती बल्कि किसी न किसी इन्सान के सर पर गिरती।

सुवाल आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की कुल औलाद कितनी है ?

जवाब शहज़ादों की ता'दाद 15, एक क़ौल के मुताबिक़ 12 और शहज़ादियों की ता'दाद 8 है।

इमामे हुसैन रَضِيَ اللهُ عَنْهُ

सुवाल इमामे हुसैन रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से क्या रिश्ता है ?

जवाब इमामे हुसैन रَضِيَ اللهُ عَنْهُ हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के नवासे हैं ?



सुवाल इन की विलादत कब हुई ?

जवाब इन की विलादत 5 शा'बान, 4 हिजरी में मदीनए मुनव्वरह में हुई ।

सुवाल इन का नाम किस ने रखा ?

जवाब रसूलुल्लाह ﷺ ने इन का नाम हुसैन और शब्बीर रखा ।

सुवाल इन की कुन्यत और लक़ब क्या है ?

जवाब इन की कुन्यत अबू अब्दुल्लाह, लक़ब सिब्ते रसूलुल्लाह और रैहानतुरसूल है ।

सुवाल आप रضى الله عنه की शहादत कब हुई ?

जवाब 10 मुहर्रम 61 हिजरी में 56 साल की उम्र में शहादत पाई ।

सुवाल आप रضى الله عنه का मज़ार कहां है ?

जवाब करबला में ।

सुवाल आप रضى الله عنه की कुल औलाद कितनी है ?

जवाब 4 शहज़ादे और 2 शहज़ादियां हैं ।

सुवाल इमामे हसन और इमामे हुसैन रضى الله عنهما के क्या क्या फ़ज़ाइल हैं ?

जवाब रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया :

(1)... हसन व हुसैन दुन्या में मेरे दो फूल हैं ।⁽¹⁾

(2)... हसन और हुसैन जन्नती नौ जवानों के सरदार हैं ।⁽²⁾

(3)... जिस ने इन दोनों (हसन व हुसैन) से महबूबत की उस ने मुझ से महबूबत की और जिस ने इन से अ़दावत की उस ने मुझ से अ़दावत की ।⁽³⁾



1... بخاری، کتاب الادب، باب رحمة الولد وتقبله ومعاذته، 99/4، حدیث: 5994

2... ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی محمد حسن... الخ، 426/5، حدیث: 3793

3... ابن ماجه، کتاب السنه، باب فی فضائل اصحاب رسول الله، 96/1، حدیث: 143

(4)... हज़रते उमर फ़ारूक़े आ'ज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि मैं ने हज़रत इमामे हसन और हज़रत इमामे हुसैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا को नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के कन्धों पर सुवार देखा तो कहा : आप दोनों की सुवारी कैसी शानदार है ! तो आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : और सुवार भी तो कैसे ला जवाब हैं ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 16

खुलफ़ाए राशिदीन

सुवाल सहाबी किसे कहते हैं ?

जवाब हज़रते अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हज़र अस्क़लानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जिन खुश नसीबों ने ईमान की हालत में नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मुलाक़ात की हो और ईमान ही पर उन का इन्तिक़ाल हुवा, उन खुश नसीबों को सहाबी कहते हैं ।⁽²⁾

सुवाल क्या कोई मुसल्मान इबादतो रियाज़त कर के किसी सहाबी के मर्तबे को पहुंच सकता है ?

जवाब कोई वली, कोई ग़ौस, कोई कुत्ब चाहे कितनी ही इबादत कर ले मर्तबे में किसी सहाबी के बराबर नहीं हो सकता ।

सुवाल सहाबए किराम में सब से अफ़ज़ल कौन से सहाबा हैं ?

जवाब सहाबए किराम में सब से अफ़ज़ल खुलफ़ाए राशिदीन हैं ।

सुवाल खुलफ़ाए राशिदीन से क्या मुराद है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बा'द ख़लीफ़ाए बरहक़ हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रत उमरे फ़ारूक़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रते उस्मान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर छे माह के लिये हज़रते इमामे हसन मुज्जबा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ख़लीफ़ा हुए इन हज़रात को खुलफ़ाए राशिदीन और इन्ही की ख़िलाफ़त को “ख़िलाफ़ते राशिदा” कहते हैं ।

सुवाल इन खुलफ़ाए राशिदीन में सब से अफ़ज़ल कौन हैं ?

जवाब खुलफ़ाए राशिदीन में से सब से अफ़ज़ल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रत उमरे फ़ारूक़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रते उस्मान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फिर हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ हैं ।

1... تاريخ ابن عساکر، قم: 1566، حسین بن علی، حدیث: 3492

2... نخبه الفکر، ص 111

सुवाल अगर कोई कहे कि हज़रते अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه या हज़रत उमरे फ़ारूक رضي الله عنه से हज़रत अलिय्युल मुर्तजा رضي الله عنه अफ़ज़ल हैं तो उस के बारे में क्या कहेंगे ?

जवाब ऐसा कहने वाला शख़्स गुमराह बद मज़हब है ।

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه या हज़रत उमरे फ़ारूक رضي الله عنه की ख़िलाफ़त के मुन्किर का क्या हुक्म है ?

जवाब हज़रते अबू बक्र सिद्दीक या हज़रते उमर رضي الله عنهما की ख़िलाफ़त या सहाबिय्यत का इन्कार करने वाला भी काफ़िर है ।⁽¹⁾

पहले ख़लीफ़ा हज़रते अबू बक्र सिद्दीक

सुवाल मुसलमानों के सब से पहले ख़लीफ़ा का नाम बताइये ।

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه ।

सुवाल सब से पहले किस ने इस्लाम क़बूल किया ?

जवाब आज़ाद मर्दों में हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه ने ।

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه का मुख़्तसर तआरुफ़ बताइये ।

जवाब आप رضي الله عنه का इस्मे मुबारक अब्दुल्लाह बिन अबू क़हाफ़ा है । आप رضي الله عنه का रंग गोरा, जिस्म दुबला पतला, रुख़सार रस्ते हुए, आंखें हल्का दार, पेशानी उभरी हुई थी । आप رضي الله عنه के वालिदैन्, बेटे और पोते सब सहाबी हैं और येह फ़ज़ीलत सहाबए किराम رضوان الله عليهم أجمعين में किसी को हासिल नहीं । आमुल फ़ील के दो बरस चार माह बा'द मक्कए मुकर्रमा में आप رضي الله عنه की विलादत हुई । अपनी उम्र शरीफ़ में हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم की जुदाई कभी गवारा न की । आप رضي الله عنه के बहुत फ़ज़ाइल हैं, अहादीस में बहुत ता'रीफ़ें आई हैं । आप رضي الله عنه का लक़ब सिद्दीक व अतीक है । हज़रते अनस बिन मालिक رضي الله عنه से मरवी है कि अम्बियाओ मुरसलीन عليهم الصلوة والسلام के सिवा किसी शख़्स ने हज़रते अबू बक्र सिद्दीक رضي الله عنه के बराबर फ़ज़्लो शरफ़ नहीं पाया ।⁽²⁾ 22 जुमादल आख़िर 13 हि. शबे सह शम्बा (मंगल) मदीनए मुनव्वरह मग़रिब व इशा के दरमियान त्रेसठ साल की उम्र में आप

1... علمی کبیر، باب الامامة، ص 515

2... مسند الفردوس، 2/328، حدیث: 6581 مشهوراً

रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का विसाल हुवा। हज़रते उमर बिन ख़त्ताब रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने नमाज़े जनाज़ा पढ़ाई। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की ख़िलाफ़त 2 साल 4 माह रही।⁽¹⁾

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को यारे ग़ार क्यूँ कहा जाता है ?

जवाब जब आका صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने मक्काए मुकर्रमा से मदीनाए मुनव्वरह हिजरत फ़रमाई तो रास्ते में ग़ारे सौर में तीन दिन तक आका صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के साथ क़ियाम फ़रमाया और इसी निस्बत से “यारे ग़ार” कहलाए।

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ से क्या रिश्ता है ?

जवाब हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ, हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की ज़ौजए मुतहहरा उम्मुल मुअमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीका रَضِيَ اللهُ عَنْهَا के वालिद हैं।⁽²⁾

दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक़े आ 'ज़म

सुवाल खुलफ़ाए राशिदीन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ में से दूसरे ख़लीफ़ा कौन हैं, इन का तआरुफ़ बयान कीजिये।

जवाब हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ के बा'द दूसरे ख़लीफ़ा हज़रते उमर रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का मर्तबा है और वोह बाकी सब से अफ़ज़ल हैं। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का नामे नामी उमर बिन ख़त्ताब, लक़ब फ़ारूक़, कुन्यत अबू हफ़स है। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ नुबुव्वत के छठे साल चालीस मर्दों और ग्यारह औरतों के बा'द ईमान लाए और आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ के इस्लाम लाने के दिन से इस्लाम का ग़लबा शुरू हुवा। सब से पहले आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ही का लक़ब अमीरुल मुअमिनीन हुवा। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का रंग सफ़ेद सुर्खी माइल, दराज़ क़द, चश्मे मुबारक सुर्ख़ थीं। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ के अह्दे ख़िलाफ़त में बहुत फुतूहात हुईं।⁽³⁾

सुवाल क्या हज़रते उमर रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की कोई करामात भी मशहूर हैं ?

जवाब जी हां ! आप की बहुत सी करामात मशहूर हैं जैसे आप का हज़ारों मील दूर मौजूद इस्लामी फ़ौज के सिपह सालार हज़रते सारिया रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को आवाज़ देना और उन का सुन लेना, दरियाए नील का आप के ख़त डालने से जारी हो जाना वग़ैरा।

1 ... किताबुल अक़ाइद, स. 44

2 ... अबू बक्र सिद्दीक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ के फ़ज़ाइल और दीगर मा'लूमात हासिल करने के लिये किताब “फ़ैज़ाने सिद्दीके अक्बर” (मक्तबतुल मदीना की किताब) का मुतालआ फ़रमाएं।

3 ... किताबुल अक़ाइद, स. 44

सुवाल हज़रते उमर رضي الله عنه का हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم से क्या रिश्ता है ?

जवाब आप رضي الله عنه की साहिब जादी हज़रते हफ़सा رضي الله عنها हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم की जौजए मोहतरमा थीं ।

सुवाल हज़रते सय्यिदुना उमरे फ़ारूक رضي الله عنه की कब और कैसे शहादत हुई ?

जवाब आप رضي الله عنه मदीनए तय्यिबा में आखिरे ज़िल हिज्जा 23 हिजरी में साढ़े दस साल ख़िलाफ़त कर के त्रेसठ साल की उम्र में एक मजूसी गुलाम अबू लूलू फ़ीरोज़ के हाथों शहीद हुए ।⁽¹⁾

सुवाल कौन से दो सहाबए किराम رضي الله عنهما के मज़ारात हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم के मज़ारे मुबारक के बराबर में सुनहरी जालियों के अन्दर हैं ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू बक्र सिदीक और हज़रते सय्यिदुना उमरे फ़ारूक رضي الله عنهما के और क़ियामत के करीब हज़रते ईसा عليه الصّلوّة والسلام तशरीफ़ लाएंगे और बा'दे वफ़ात इसी रौज़ए अन्वर में मदफून होंगे ।

तीसरे ख़लीफ़ा हज़रत उस्माने ग़नी

सुवाल हज़रते सय्यिदुना उमरे फ़ारूक رضي الله عنه के बा'द ख़लीफ़ा कौन हैं ? उन के कुछ हालात बयान कीजिये ।

जवाब हज़रते सय्यिदुना उमरे फ़ारूक رضي الله عنه के बा'द ख़लीफ़ए सिवुम हज़रते उस्मान बिन अफ़फ़ान رضي الله عنه का मर्तबा है । आप رضي الله عنه का इस्मे मुबारक उस्मान बिन अफ़फ़ान है । आप رضي الله عنه का रंग गोरा, जिल्द नाजुक, चेहरा हसीन, सीना चौड़ा और दाढ़ी बड़ी थी । आप यकुम मुहर्रम 24 हिजरी को ख़लीफ़ा बनाए गए ।⁽²⁾

सुवाल हज़रते उस्मान رضي الله عنه “ग़नी” क्यूं मशहूर हुए ?

जवाब आप رضي الله عنه बहुत मालदार थे और हमेशा अपना माल ख़िदमते इस्लाम में खर्च करते रहते थे ।

सुवाल हज़रते उस्मान رضي الله عنه को जुन्नूरैन क्यूं कहा जाता है ?

जवाब हुज़ूरे अक़दस صلى الله عليه وآله وسلم की शहज़ादियां हज़रते रुक़य्या व हज़रते उम्मे कुल्सूम رضي الله عنهما

1 ... फ़ारूक़े आ'ज़म رضي الله عنه के फ़ज़ाइल और दीगर मा'लूमात हासिल करने के लिये किताब “फ़ैज़ाने फ़ारूक़े आ'ज़म” (मक्तबतुल मदीना की किताब) का मुतालआ फ़रमाएं ।

2 ... किताबुल अक्काइद, स. 44

यके बा'द दीगरे आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के निकाह में आई इसी वजह से आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को जुन्नूरैन या'नी दो नूरों वाला कहते हैं।

सुवाल हज़रत उस्माने ग़नी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की वफ़ात कैसे हुई ?

जवाब आप रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ करीब बारह साल के ख़िलाफ़त फ़रमा कर मदीनए तय्यिबा में बयासी साल की उम्र में 18 जुल हिज्जा 35 हि. में सबाई बाग़ियों के हाथों शहीद हुए जो अब्दुल्लाह बिन सबा यहूदी मुनाफ़िक़ के पैरौकार थे।

सुवाल नौ उम्रों में सब से पहले किस ने इस्लाम क़बूल किया ?

जवाब नौ उम्रों में हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ सब से पहले इस्लाम लाए। इस्लाम लाने के वक़्त आप रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की उम्र शरीफ़ पन्दरह या सोलह साल या इस से कुछ कम व ज़ियादा थी।

चौथे ख़लीफ़ा हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा शेरे खुदा

सुवाल मुसल्मानों के चौथे ख़लीफ़ा कौन हैं ? उन के बारे में कुछ बताइये।

जवाब ख़लीफ़ए चहारुम अमीरुल मुअमिनीन हज़रते अली बिन अबी तालिब रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ हैं। आप का इस्मे मुबारक अली और कुन्यत अबुल हसन और अबू तुराब है। आप का रंग गन्दुमी, आंखें बड़ी, क़द मुबारक ग़ैर तवील, दाढ़ी चौड़ी और सफ़ेद थी। आप रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ हज़रते उस्मान रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की वफ़ात के दिन ख़लीफ़ा बनाए गए।⁽¹⁾

सुवाल हज़रते अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ का लक़ब क्या है ?

जवाब असदुल्लाह या'नी अल्लाह का शेर।

सुवाल हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ का हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से क्या रिश्ता है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की साहिब जादी खातूने जन्नत हज़रते फ़ातिमतुज्जह्रा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की जौजए मोहतरमा थीं। और आप रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ रसूले अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के चचाज़ाद भाई भी थे।

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अली मुशिकल कुशा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 21 रमज़ान 40 हिजरी को चार साल नव महीने और चन्द रोज़ ख़िलाफ़त

1 ... किताबुल अक़ाइद, स. 45

फरमा कर त्रेसठ साल की उम्र में एक खारिजी अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जिम के हाथों कूफ़ा में शहीद हुए।

सबक नम्बर 17

इमामते कुब्रा का बयान

सुवाल इमामत की कितनी किस्में हैं ?

जवाब इमामत की दो किस्में हैं :

(1)... इमामते सुग़रा, इस से मुराद इमामते नमाज़ है।

(2)... इमामते कुब्रा, इस से मुराद हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की नियाबते मुल्लका है कि मुसल्मानों के तमाम दीनी व दुन्यवी उमूर में शरीअत के मुताबिक़ तसरूफ़े आ़म का इख़्तियार रखे जैसे खुलफ़ाए राशिदीन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ की ख़िलाफ़त और यहां इसी इमामते कुब्रा का बयान है।

सुवाल एक इमाम में किन किन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है ?

जवाब इमाम के लिये ज़रूरी है कि वोह ज़ाहिर हो, इमाम कुरैशी, मुसल्मान, मर्द, आज़ाद, अक़िल, बालिग़ और अपनी राय, तदबीर और शौकतो कुव्वत से मुसल्मानों के उमूर में तसरूफ़ या'नी तब्दीली कर सकता हो या'नी साहिबे सियासत हो। अपने इल्म, अद्ल और शुजाअतो बहादुरी से अहक़ाम नाफ़िज़ करने और दारुल इस्लाम की सरहदों की हिफ़ाज़त और ज़ालिमो मज़्लूम के इन्साफ़ पर कादिर हो।

सुवाल इमाम के लिये ज़ाहिर होना क्यूं ज़रूरी है ?

जवाब इस लिये कि अगर इमाम लोगों से पोशीदा होगा तो वोह काम अन्जाम न दे सकेगा जिन के लिये इमाम की ज़रूरत है।

सुवाल क्या कुरैश के इलावा किसी कबीले से इमाम हो सकता है ?

जवाब कुरैशी के इलावा किसी की इमामत जाइज़ नहीं।

सुवाल एक इमाम के ज़िम्मे क्या क्या चीज़ें लाज़िम हैं ?

जवाब मुसल्मानों के लिये एक ऐसा इमाम ज़रूरी है जो उन में शरअ के अहक़ाम जारी करे, हदें काइम करे, लश्कर तरतीब दे, सदक़ात वुसूल करे, चोरों, लुटेरों, हम्ला आवरों को मग़लूब करे, जुमुआ व ईदैन काइम करे, मुसल्मानों के झगड़े काटे, हुकूक़ पर जो गवाहियां काइम हों वोह क़बूल करे, उन बेकस यतीमों

के निकाह करे जिन के वली न रहे हों और इन के सिवा वोह काम अन्जाम दे जिन को हर एक आदमी अन्जाम नहीं दे सकता ।

सवाल इमाम की इताअत के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम की इताअत मुत्लकन हर मुसलमान पर फ़र्ज है जब कि उस का हुक्म शरीअत के ख़िलाफ़ न हो, ख़िलाफ़े शरीअत (हुक्म) में किसी की इताअत जाइज़ नहीं ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 18

अशरए मुबशशरा और दीगर सहाबए किराम का बयान

सवाल अशरए मुबशशरा किसे कहते हैं ?

जवाब हुज़ूर ﷺ के वोह दस अस्हाब जिन के जन्नती होने की दुन्या में ख़बर दे दी गई उन्हें “अशरए मुबशशरा” कहते हैं ।

सवाल येह दस सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان कौन हैं ?

जवाब इन में चार तो येही खुलफ़ाए राशिदीन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ या'नी हज़रत सिद्दीक़े अक्बर, हज़रत फ़ारूके आ'ज़म, हज़रत उस्माने ग़नी, हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ हैं । इन के इलावा बाकी हज़रात के अस्माए गिरामी येह हैं : हज़रते तल्हा, हज़रते जुबैर, हज़रते अब्दुर्हमान बिन औफ़, हज़रते सा'द बिन अबी वक्कास, हज़रते सईद बिन जैद, हज़रते अबू उबैदा बिन जर्हाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ।

सवाल क्या अशरए मुबशशरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ के इलावा भी किसी को जन्नत की बिशारत दी गई है ?

जवाब जी हां ! अहादीसे मुबारका में बा'ज और सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان को भी जन्नत की बिशारत दी गई है चुनान्वे ख़ातूने जन्नत हज़रते फ़ातिमा ज़हरा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا के हक़ में वारिद है कि वोह जन्नत की बीबियों की सरदार हैं और हज़रत इमामे हसन और हज़रत इमामे हुसैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا के हक़ में वारिद है कि वोह जन्नत के जवानों के सरदार हैं, इसी तरह अस्हाबे बद्र और अस्हाबे बैअतुर्रिज्जान के हक़ में भी जन्नत की बिशारतें हैं और उम्मी तौर पर तमाम सहाबा से ही जन्नत का वा'दा किया गया है ।

सवाल अस्हाबे बद्र رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ से कौन मुराद हैं ?

जवाब वोह सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ जो 2 हिजरी में बद्र के मक़ाम पर कुफ़फ़ारे मक्का के ख़िलाफ़ इस्लाम की सब से पहली लड़ाई में शरीक हुए “अस्हाबे बद्र” कहलाते हैं, उन की ता'दाद 313 थी ।

¹ ... बहारे शरीअत, 1/240 हिस्सा : 1

अशरण मुबशशरा

हज़ूर ﷺ के वोह दस अस्हाब जिन के जननी होने की दुन्या में ख़बर दे दी गई थी ।

01

हज़रत सिद्दीके अक्बर

02

हज़रते उमर फ़ारूके आ 'जम

03

हज़रते उस्माने ग़नी

04

हज़रते अलिय्युल मुर्तज़ा

05

हज़रते तल्हा

06

हज़रते जुबैर

07

हज़रते अब्दुर्रहमान बिन औफ़

08

हज़रते सा'द बिन अबी वक्कास

09

हज़रते सईद बिन जैद

10

हज़रते अबू उबैदा बिन जर्हाह (رضي الله عنه)

सवाल अस्हाबे बैअते रिज़्वाँ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ कौन हैं ?

जवाब इन से मुराद वोह सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ हैं जिन्हों ने 6 हिजरी में हुदैबिया के मक़ाम पर आका صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के दस्ते मुबारक पर कुफ़ारे मक्का के ख़िलाफ़ मर मिटने के लिये बैअत की और अल्लाह करीम ने इस पर उन्हें अपनी रिज़ा की खुश ख़बरी दी, उन की ता'दाद 1400 थी ।

सवाल सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के बारे में एक मुसलमान को कैसा अक़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के तमाम सहाबा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ मुत्तक़ी व परहेज़ गार हैं इन का ज़िक्र अदब, महब्बत और तौक़ीर के साथ लाज़िम है, तमाम सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ जन्नती हैं, रोज़े महशर फ़िरिश्ते इन का इस्तिक्बाल करेंगे ।

सवाल किसी सहाबी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के बारे में ज़बान दराज़ी करने के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी सहाबी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से बद अक़ीदगी या किसी की शान में बदगोई करना इन्तिहाई दरजे की बद नसीबी और गुमराही है । वोह फ़िर्का निहायत बद बख़्त और बद दीन है जो सहाबा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ पर ला'न ता'न या'नी बुरा भला कहने को अपना मज़हब बनाए, इन की दुश्मनी को सवाब का ज़रीआ समझे । सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ की बड़ी शान है, इन की तकलीफ़ से हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को ईज़ा होती है ।

सबक़ नम्बर 19

मुश़ाजराते सहाबा का बयान

सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सच्चे जां निसार और मुख़्लिस इताअत गुज़ार थे । अल्लाह ने इन्हें न सिर्फ़ बे शुमार अज़मतों और रिफ़अतों से नवाज़ा, बल्कि हर एक से भलाई का वा'दा भी फ़रमाया है । आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ के फ़रामीन का खुलासा है : अल्लाह ने सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان की दो क़िस्में फ़रमाई : एक वोह कि जिन्हों ने फ़ट्हे मक्का से क़ब्ल राहे खुदा में ख़र्च व क़िताल किया । दूसरे वोह जिन्हों ने बा'दे फ़तह (राहे खुदा में ख़र्च व क़िताल किया) । फिर फ़रमा दिया कि दोनों फ़रीक़ों से अल्लाह ने भलाई का वा'दा फ़रमाया और साथ ही फ़रमा दिया कि अल्लाह को तुम्हारे कामों की ख़ूब ख़बर है कि तुम क्या क्या करने वाले हो इस के बा वुजूद उस ने तुम सब से हुस्ना (या'नी भलाई) का वा'दा फ़रमाया । यहां कुरआने अज़ीम ने उन बेबाकों, बे अदब नापाकों के मुंह में पथ्थर दे दिया जो सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के अफ़़ाल से उन पर ता'न (या'नी ए'तिराज़ करना) चाहते हैं वोह (अफ़़ाल) बशर्ते सिद्दहत अल्लाह को मा'लूम थे फिर भी

उन सब से हुस्ना (या'नी भलाई) का वा'दा फ़रमाया, तो अब जो ए'तिराज़ करता है वोह **अल्लाह** वाहिदे क़हहार पर ए'तिराज़ करता है, जन्नत और मदारिजे आलिया (या'नी बुलन्द दरजात) उस ए'तिराज़ करने वाले के हाथ में नहीं बल्कि **अल्लाह** के हाथ हैं। मो'तरिज़ अपना सर खाता रहेगा और **अल्लाह** (पाक) ने जो हुस्ना का वा'दा उन से फ़रमाया है ज़रूर पूरा फ़रमाएगा और (सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان पर) ए'तिराज़ करने वाला जहन्नम में सज़ा पाएगा। कुरआने मजीद में है :

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَتْلٍ ۚ
أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ
وَقَتْلِهِ ۚ وَكَذَٰلِكَ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ ﴿٢٧﴾ (پ 27، الحديد: 10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम में बराबर नहीं वोह जिन्होंने फ़तहे मक्का से क़ब्ल खर्च और जिहाद किया वोह मर्तबे में उन से बड़े हैं जिन्होंने ने बा'द फ़तह के खर्च और जिहाद किया और उन सब से **अल्लाह** जन्नत का वा'दा फ़रमा चुका और **अल्लाह** को तुम्हारे कामों की ख़बर है।

अब जिन के लिये **अल्लाह** करीम ने हुस्ना का वा'दा फ़रमा लिया उन का हाल भी कुरआने अज़ीम से सुनिये :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا
مُبْعَدُونَ ﴿١٠١﴾ لَا يَسْعَوْنَ حَسِيسَهَا ۚ وَهُمْ فِي مَا
اشْتَبَهَتْ أَنْفُسُهُمْ خُلْدُونَ ﴿١٠٢﴾ لَا يَحْزَنُهُمُ الْقَرْعُ
الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ۚ هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿١٠٣﴾ (پ 17، الانبياء: 101-103)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक वोह जिन के लिये हमारा वा'दा भलाई का हो चुका वोह जहन्नम से दूर रखे गए हैं वोह उस की भिनक (हलकी सी आवाज़ भी) न सुनेंगे और वोह अपनी मन मानती ख़्वाहिशों में हमेशा रहेंगे उन्हें ग़म में न डालेगी वोह सब से बड़ी घबराहट और फ़िरिश्ते उन की पेशवाई को आएंगे कि येह है तुम्हारा वोह दिन जिस का तुम से वा'दा था।

येह है नबिय्ये करीम ﷺ के तमाम सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के लिये कुरआने करीम की शहादत। अमीरुल मुअमिनीन, मौलल मुस्लिमीन, अलिय्युल मुर्तज़ा मुश्किल कुशा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ किस्मे अव्वल में दाख़िल हैं जिन को फ़रमाया **أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً :** उन के मर्तबे किस्मे दुवुम वालों से बड़े हैं। और अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ किस्मे दुवुम में हैं और हुस्ना का वा'दा और येह तमाम बिशारतें सब को शामिल।

सुवाल सहाबए किराम أَجْمَعِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ के मुशाजरात (आपसी नाराज़गियों) के बारे में जो बातें मन्कूल हैं वोह किस क़दर दुरुस्त हैं ?

जवाब इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के बयान का खुलासा है : मुशाजराते सहाबा में सीरत व तारीख़ की बे सरो पा हिक्कायतें क़तअन मरदूद हैं। आज कल के बद मज़हब मरीजुल क़ल्ब मुनाफ़िक़ उन सीरत व तारीख़ की बेतुकी रिवायात से हज़राते आलिया खुलफ़ाए राशिदीन, उम्मुल मुअमिनीन सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका, सय्यिदुना तल्हा, सय्यिदुना जुबैर, सय्यिदुना मुआविया, सय्यिदुना अम्र बिन आस और सय्यिदुना मुगीरा बिन शो'बा رَضَوَانُ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ नीज़ अहले बैत व सहाबा رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ के मुतअल्लिक़ मरदूद इल्जामात और इन के बाहमी मुशाजरात में ऐसी फुज़ूल व बेहूदा हिक्कायात जिन में अक्सर तो सिरे से झूटी व बे बुन्याद हैं और बहुत सी खुद साख़्ता नाज़ेबा इबारात रवाफ़िज़ छ़ांट लाते हैं और उन इबारात के ज़रीए कुरआने अज़ीम, इर्शादाते मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ, इज्माए उम्मत और जलीलुल क़द्र अइम्माए किराम का मुक़ाबला करना चाहते हैं। बे इल्म लोग उन्हें सुन कर परेशान होते या जवाब देने की फ़िक्क में पड़ जाते हैं। उन का पहला जवाब येही है कि ऐसी बेतुकी रिवायात किसी अदना मुसल्मान को भी गुनहगार ठहराने के लिये मस्मूअ (या'नी काबिले क़बूल) नहीं तो उन महबूबाने खुदा पर इन फुज़ूल रिवायात से ए'तिराज़ कैसे काबिले क़बूल होगा कि जिन की इज्माली व तफ़्सीली ता'रीफ़ों और महासिन से कलामुल्लाह और कलामे **रसूलुल्लाह** मालामाल हैं।

हुज्जतुल इस्लाम, मुहम्मद बिन मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ एहयाउल इल्म शरीफ़ में फ़रमाते हैं : बिगैर तहक़ीक़ किसी मुसल्मान को किसी कबीरा गुनाह की तरफ़ मन्सूब करना जाइज़ नहीं, हां येह कहना जाइज़ है कि इब्ने मुल्जिम बद बख़्त ख़ारिजी ने अमीरुल मुअमिनीन मौला अली رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को शहीद किया कि येह ब तवातुर साबित है।⁽¹⁾

सुवाल क्या हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को बागी कह सकते हैं ?

जवाब किसी सहाबी को बागी कहना या इस किस्म का कोई अक़ीदए फ़ासिदा रखना बहुत बड़ी गुमराही और ज़रूत की बात है। उलमाए किराम ने इस किस्म का अक़ीदा रखने से सख़्ती से मन्अ फ़रमाया है। बा'ज़ कुतुब में जो इन के लिये बगावत का लफ़ज़ इस्ति'माल हुवा तो वोह लुग़वी ए'तिबार से है न कि इस्तिलाही ! और लुग़वी मा'ना में बगावत का लफ़ज़ गुनाह व इस्यान को लाज़िम नहीं, जैसा कि सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : गुरौहे अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ पर हस्बे इस्तिलाहे शरअ इत्लाक़ फ़ए बाग़िया (बागी गुरौह) आया है, मगर



अब कि बागी ब मा'ना मुफ़्फ़िद (फ़साद करने वाला) व मुअ़ानिदो सरक़श (दुश्मन, ना फ़रमान) हो गया और दुश्नाम (गाली) समझा जाता है, अब किसी सहाबी पर इस का इत्लाक़ (या'नी उन्हें बागी कहना) जाइज़ नहीं।⁽¹⁾

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया رضي الله عنه को ख़ता के बा वुजूद गुनाहगार क्यूं नहीं कह सकते ?

जवाब ताजुल फ़ुहूल, हज़रते शाह अब्दुल क़ादिर बदायूनी رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया رضي الله عنه की ता'जीमो तक़रीम शरफ़े सहाबिय्यत की वजह से ज़रूरी व लाज़िमी है इस लिये शर'अन वोह बगावत व ख़ता जो अमदन (जान बूझ कर) वाक़ेअ न हुई हो फ़िस्क़ व इस्त्यान (गुनाह) को मुस्तल्ज़म (लाज़िम) नहीं, हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم का इश़ादे गिरामी رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَا وَالنَّسَبَانُ (मेरी उम्मत से ख़ता व निस्त्यान को उठा लिया गया है) इस पर शाहिद (गवाह) है और सहाबए किराम عليهم الرضوان की ख़ताएं मुअ़ाफ़ हैं, क्यूं कि येह हज़रात न तो मा'सूम हैं और न ही मा'ज़ूर बल्कि इन्दल्लाह माज़ूर (सवाब दिये गए) हैं, इस ख़ता की वजह से उन की शान में बे अदबी करना और उन की ता'जीमो तक़रीम से रुकना अहले सुन्नत से ख़ारिज होना है और मज़हबे अहले सुन्नत में येह है कि हज़रते अली رضي الله عنه फ़रमाते हैं إِخْوَانُنَا بَغَوْا عَلَيْنَا (हमारे भाइयों ने हम पर बगावत की) इस से ज़ियादा ता'न जनाबे मुर्तज़वी رضي الله عنه पर ता'न (ला'नत व मलामत करना) है।⁽²⁾

सुवाल हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा और हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया رضي الله عنه के माबैन होने वाली जंग के बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब सहाबए किराम عليهم الرضوان के माबैन जो जंगें हुई उन पर गुफ़्तगू करने के बजाए ख़ामोश रहने ही में अफ़ियत है कि अगर सहाबए किराम عليهم الرضوان के बारे में बद गुमानी पैदा हुई तो इस का भी हिसाब लिया जाएगा नीज़ हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया رضي الله عنه ने अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رضي الله عنه से जो जंगें लड़ीं वोह अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना इस्माने ग़नी رضي الله عنه के क़िसास की त़लब के लिये थी न कि हुसूले ख़िलाफ़त के लिये और न ही हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया رضي الله عنه अपने आप को हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رضي الله عنه से बेहतर समझते थे। जैसा कि ताजुल फ़ुहूल हज़रते सय्यिदुना अब्दुल क़ादिर बदायूनी رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : इस बात का

1... बहारे शरीअत, 1/260, हिस्सा : 1

2... दिफ़ाए सय्यिदुना अमीरे मुअ़ाविया, स. 28 ब तसर्फ़

ए'तिकाद रखना भी वाजिब है कि वोह इन्दल्लाह माजूर हैं (या'नी उन्हें बारगाहे इलाही से अज़्र दिया जाएगा) और ब इत्तिफ़ाके अहले सुन्नत तमाम सहाबा आदिल व मुन्सिफ़ (इन्साफ़ करने वाले) हैं जो उन फ़ितनों में शरीक हुए या कनारा कश रहे और उन के तमाम झगड़ों को इज्तिहाद पर महमूल किया जाए वरना उन के बारे में बुरे गुमान का हिसाब लिया जाएगा, इस लिये कि इन उमूर का मन्शा (मक़सद) उन हज़रात पर ऐबजूई करना है और येह बात भी है कि हर मुज्ताहिद मुसीब (दुरुस्त फ़ैसला करने वाला) दो अज़्र पाएगा और मुख़्त़ी (ख़ता करने वाला) मा'ज़ूर व माजूर (सवाब याफ़ता) होगा ।

इसी तरह हज़रते अल्लामा कमाल इब्ने अबी शरीफ़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हज़रते अली رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और हज़रते मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के माबैन इख़िलाफ़ का मक़सद हुकूमत व अमारत का इस्तिहकाक़ (मुस्तहिक् होना) नहीं था, बल्कि इख़िलाफ़े मुनाज़अत (झगड़े) का सबब क़त्ले उस्मान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का किंसास था ।

अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ किंसास में ताख़ीर को ज़ियादा मुनासिब समझते थे और उन का ख़याल था जल्दी करने से हुकूमत में इन्तिशार व इज्तिराब पड़ेगा और हज़रते मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ किंसास में ता'जील (जल्दी) ज़ियादा मुनासिब समझते थे, दोनों मुज्ताहिद इन्दल्लाह माजूर व मुसाब (सवाब दिये गए) हैं, इन दोनों बुजुर्गों का मन्शाए इख़िलाफ़ येही था ।⁽¹⁾

सुवाल सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ के बारे में कोई हलकी बात हमारे इल्म में आए तो हमें क्या करना चाहिये ?

जवाब अगर कोई ऐसी चीज़ हमारे इल्म में आए जिस से सहाबए किराम رَضُواْ اللهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ की अदालत (अदिल होने) पर ऐब लग रहा हो तो हमें चाहिये कि हम उन की सोहबते रसूल को याद करें और बा'ज़ सीरत निगारों ने जो लिखा है वोह क़ाबिले इल्तिफ़ात नहीं है, इस लिये कि वोह रिवायात सहीह नहीं हैं और अगर सहीह भी हों तो उन की मा'कूल तावील भी हो सकती है । येह मक़ामे ग़ौर है कि येह कैसे जाइज़ हो सकता है कि हम अपने दीन के हामिलीन (या'नी रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से दीन ले कर हम तक पहुंचाने वालों) पर ता'न करें, हमें रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से जो कुछ भी मिला उन के वासिते और ज़रीए से मिला तो जिस ने सहाबए किराम رَضُواْ اللهُ عَلَيْهِمْ पर ता'नो तश्नीअ (ला'नत और बुरी बात) की गोया कि उस ने खुद अपने दीन पर ता'नो तश्नीअ की, सिर्फ़ हज़रते मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और हज़रते अम्र

1... दिफ़ाए सय्यिदुना अमीरे मुआविया, स. 31, 32 मुल्तक़तन

बिन आस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के बारे में नहीं बल्कि तमाम सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के बारे में ज़बाने ता'नो तश्नीअ दराज़ न की जाए।

सुवाल क्या हज़रत अमीरे मुआविया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने हज़रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को हुक्म दिया कि वोह مَعَاذَ اللَّهِ हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को गालियां दें ?

जवाब मुफ़स्सिरे कुरआन, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने हज़रते सय्यिदुना सा'द رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को हज़रते सय्यिदुना अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को गाली देने का हुक्म न दिया बल्कि वजह पूछी कि तुम अलिय्युल मुर्तज़ा की कोई ग़लती या ख़ता क्यूं नहीं बयान करते ? और मन्शा येह था कि हज़रते सा'द رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के फ़ज़ाइल बयान करें और हज़रते अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को बुरा कहने वाले लोग सुनें और आयिन्दा इस से बाज़ रहें इसी लिये हज़रते सा'द रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने जब हज़रते अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के फ़ज़ाइल बयान किये तो आप ख़ामोश रहे। अगर बुरा कहलवाना मक्सूद होता तो कुछ उयूब सच्चे झूटे बना कर आप ही बयान कर देते मगर आप ने ऐसा न किया।⁽¹⁾ मा'लूम हुवा कि हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के दिल में हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के ख़िलाफ़ कोई बुग़ज़ो कीना न था वरना आप हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के फ़ज़ाइल सुनना पसन्द न फ़रमाते तो जब सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان आपस में एक दूसरे के ख़िलाफ़ कोई बद गुमानी नहीं करते थे तो हमारी क्या मजाल कि हम किसी सहाबी के बारे में बद गुमानी करें।

बाक़ी रही बात हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की तो वोह हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से बे पनाह महब्बत फ़रमाते इसी लिये बारहा आप ने अपने दरबार में हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के फ़ज़ाइल सुनने की फ़रमाइश की बा'ज़ अवकात येह फ़ज़ाइल खुद भी सुनते और लोगों को भी सुनवाते, चुनान्चे

एक मरतबा हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने हज़रते सय्यिदुना सा'द बिन अबी वक्कास रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से फ़रमाया : अबू तुराब (हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ) को बुरा भला कहने से तुम्हें किस बात ने रोक रखा है ? उन्होंने ने अर्ज़ की : वोह तीन बातें जो नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के बारे में इश्आद फ़रमाई थीं जब तक मुझे वोह याद हैं मैं हरगिज़ उन्हें बुरा नहीं कहूंगा क्यूं कि उन में से हर एक मुझे सुर्ख़ ऊंटों से भी ज़ियादा पसन्दीदा है (1) एक ग़ज़्वे में नबिय्ये करीम

1... अमीरे मुआविया, स. 82 ब तसर्फ़

ﷺ ने हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को अपना नाइब बना कर पीछे रोक दिया (जंग में शरीक न किया) तो हज़रते सय्यिदुना अली रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने अर्ज की : **या रसूलुल्लाह !** आप मुझे औरतों और बच्चों के पास छोड़ कर जा रहे हैं ? नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : क्या तुम इस बात पर राजी नहीं कि जो मक़ाम हज़रते हारून عَلَيْهِ السَّلَام का हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام के लिये था तुम्हारा मेरे नज़्दीक भी वोही मक़ाम हो ? मगर येह कि मेरे बा'द कोई नया नबी नहीं आएगा । (2) और मैं ने ग़ज़्वए ख़ैबर के दिन नबिय्ये करीम ﷺ को येह फ़रमाते सुना : मैं येह झन्डा उस शख्स को दूंगा जो **अल्लाह** पाक और उस के रसूल से महबूबत रखता है और **अल्लाह** करीम और उस का रसूल भी उसे महबूब रखते हैं । वोह फ़रमाते हैं कि मेरा इन्तिज़ार तवील हो गया तो नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : अली को मेरे पास बुलाओ, उन को बुलाया गया हालां कि उन की आंख में तकलीफ़ थी । नबिय्ये करीम ﷺ ने उन की आंख में लुआबे दहन डाला और झन्डा आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को इनायत फ़रमाया पस **अल्लाह** करीम ने उन के हाथ पर फ़तह अता फ़रमाई । (3) जब येह आयते मुबारका नाज़िल हुई **فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ آبَاءَنَا وَآبَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ** तो नबिय्ये करीम ﷺ ने हज़रते सय्यिदुना अली, फ़ातिमा और हसन व हुसैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ को बुलाया और फ़रमाया : ऐ **अल्लाह** पाक ! येह मेरे अहल हैं । (2) **अल्लाह** पाक हमें तमाम गुमराहियों और शैतानी वस्वों और गुमराहों से महफूज़ फ़रमाए, आमीन ।

हज़रते अबू सुफ़्यान का मुख़्तसर तअरुफ़

सुवाल हज़रत अमीरे मुअ़विया और इन के वालिदे मोहतरम का मुख़्तसर तअरुफ़ बयान कर दीजिये ।
जवाब हज़रत अमीरे मुअ़विया के वालिदे मोहतरम का नाम हज़रते अबू सुफ़्यान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ है और वोह सहाबिये रसूल हैं । वोह फ़तहे मक्का के दिन इस्लाम लाए । **रसूलुल्लाह** ﷺ ने उन के घर को दारुल अमान या'नी अम्न का घर फ़रमाया । ग़ज़्वए ताइफ़ में एक आंख और जंगे यरमूक में दूसरी आंख शहीद हुई । हज़रते अबू सुफ़्यान रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की बेटी उम्मे हबीबा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का निकाह **रसूलुल्लाह** ﷺ से हुवा । आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ का नमाज़े जनाज़ा आप के बेटे हज़रत अमीरे मुअ़विया रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने पढ़ाया । (3)

हज़रत अमीरे मुअ़विया का मुख़्तसर तअरुफ़

जवाब हज़रत अमीरे मुअ़विया रَضِيَ اللهُ عَنْهُ कौन हैं ?



1... 3, آل عمران: 61

2... तर्ज़ुम क़ताब المناقب، باب مناقب علی بن ابی طالب، 5/407، حدیث: 3745

3... फैज़ाने अमीरे मुअ़विया, स. 18, 19 मुलख़्बसन

जवाब सहाबिये रसूल, कातिबे वही और इस्लाम में पहले बादशाह हैं।

सवाल हज़रते अमीर मुआविया को खिलाफ़त किस ने दी ?

जवाब नवासए रसूल, शहज़ादए अलिय्युल मुर्तज़ा, हज़रत इमामे हसन रज़ुल्लुहू ने।

सवाल रसूलुल्लाह ने हज़रते अमीर मुआविया रज़ुल्लुहू के बारे में क्या फ़रमाया ?

जवाब रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : ऐ अल्लाह ! इन्हें हादी (हिदायत देने वाला) महदी (हिदायत याफ़ता) बना दे और इन के ज़रीए से लोगों को हिदायत दे।⁽¹⁾ फ़रमाया : अभी तुम्हारे दरमियान एक शख्स आएगा, वोह जन्नती है। तो इतने में हज़रते मुआविया रज़ुल्लुहू दाख़िल हुए।⁽²⁾

सवाल क्या आप रज़ुल्लुहू हज़रते मौला अली रज़ुल्लुहू से महबबत करते थे ?

जवाब जी हां। एक मरतबा हज़रते अली रज़ुल्लुहू बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुए तो नबिय्ये करीम ﷺ ने हज़रत अमीरे मुआविया से फ़रमाया : ऐ मुआविया ! क्या तुम अली से महबबत करते हो ? उन्होंने ने अर्ज़ की : उस ज़ात की क़सम जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं मैं अल्लाह पाक के लिये इन से बहुत महबबत करता हूँ। नबिय्ये पाक ﷺ ने फ़रमाया : बेशक अन्क़रीब तुम दोनों के दरमियान आज़माइश होगी। अमीरे मुआविया रज़ुल्लुहू ने अर्ज़ की : या रसूलुल्लाह ! उस के बा'द क्या होगा ? नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : अल्लाह पाक की मुआफ़ी, उस की रिज़ा मन्दी और जन्नत में दाख़िला। हज़रत अमीरे मुआविया रज़ुल्लुहू ने अर्ज़ की : हम अल्लाह पाक के फ़ैसले पर राज़ी हैं।⁽³⁾

सवाल आप रज़ुल्लुहू की वफ़ात कब हुई ?

जवाब आप रज़ुल्लुहू की वफ़ात बरोज़ जुमे'रात, 22 रजब, 60 हिजरी में मुल्के शाम के मशहूर शहर दिमश्क में हुई।⁽⁴⁾ उस वक़्त आप की उम्र 78 साल थी। मज़ार दिमश्क में बाबुस्सगीर के पास है।⁽⁵⁾



1... तर्ज़ुम, کتاب المناقب، باب مناقب معاوية بن ابی سفیان، 5/455، حدیث: 3868

2... تاریخ ابن عساکر، رقم: 7510، معاوية بن صفح، 59/99، حدیث: 12311

3... تاریخ ابن عساکر، رقم: 7510، معاوية بن صفح، 59/139، حدیث: 12333

4... تاریخ ابن عساکر، رقم: 7519، معاوية بن صفح، 59/241

5... تاریخ الخلفاء، ص 158

सुवाल हज़रते अमीर मुअविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के कफ़न में क्या क्या तबर्क़ात थे ?

जवाब आप رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के पास **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का कुरता मुबारक, एक तहबन्द शरीफ़, एक चादरे पाक, नाखुन शरीफ़ और चन्द मूए मुबारक (या'नी बाल शरीफ़) थे। आप رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने वफ़ात के वक़्त वसियत की, कि इन मुक़द्दस कपड़ों में मुझे कफ़न दिया जाए और नाखुन शरीफ़ और मूए मुबारक मेरे मुंह और नाक पर रख दिये जाएं और मेरे सीने पर फैला दिये जाएं और फिर मुझे अर्हमुराहिमीन के सिपुर्द कर दिया जाए।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 20

कुरआने मुबीन का बयान

सुवाल क्या दुन्या में अब कोई आस्मानी किताब भी है ?

जवाब जी हां ! कुरआन शरीफ़।

सुवाल आस्मानी किताब से क्या मतलब है ?

जवाब खुदा की किताब।

सुवाल कुरआने मजीद में किस चीज़ का बयान है ?

जवाब कुरआने मजीद में सारे इल्म हैं।

सुवाल वोह किताब किस लिये आई है ?

जवाब बन्दों की रहनुमाई के लिये ताकि बन्दे **अल्लाह** पाक और उस के रसूल صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को जानें और उन की मरज़ी के काम करें।

सुवाल कुरआन शरीफ़ किस पर उतरा ?

जवाब हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर। आप की ज़ाहिरी हयाते तय्यिबा के ज़माने में अब से तक्रीबन चौदह सो साल पहले।

सुवाल क्या कुरआन शरीफ़ के सिवा **अल्लाह** पाक ने कोई और किताब भी उतारी थी ?



जवाब जी हां। सब किताबों के नाम तो मा'लूम नहीं, अलबत्ता मशहूर किताबें येह हैं : तौरात शरीफ़, इन्जील शरीफ़, ज़बूर शरीफ़।

सुवाल येह किताबें किन किन अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام पर नाज़िल हुई ?

जवाब तौरात हज़रते मूसा عَلَيْهِ السَّلَام पर, ज़बूर हज़रते दावूद عَلَيْهِ السَّلَام पर, इन्जील हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुई।

सुवाल क्या सहीह तौरात, सहीह इन्जील और सहीह ज़बूर आज कल कहीं मिलती है ?

जवाब जी नहीं। क्यूं कि ईसाइयों और यहूदियों ने इन किताबों में अपनी मरज़ी से घटा बढ़ा कर कुछ का कुछ कर दिया, बहुत सा मज़मून बदल दिया है येह अपनी अस्ल शकल में बाकी नहीं हैं।

सुवाल क्या सहीह कुरआन शरीफ़ मिलता है ?

जवाब जी हां, कुरआन शरीफ़ हर जगह सहीह मिलता है। वोह नहीं बदल सकता। उस में एक हर्फ़ का भी फ़र्क़ नहीं हो सकता। क्यूं कि उस का निगहबान **अल्लाह** पाक है और कुरआने पाक में उस की हिफ़ाज़त का ज़िम्मा **अल्लाह** करीम ने खुद अपने ज़िम्माए करम पर लिया है।

सुवाल कुरआन शरीफ़ कहां मिलता है ?

जवाब हर शहर और हर गाउं में, हर मुसलमान के घर में होता है और मुसलमानों के बच्चों को भी याद होता है।

सुवाल तुम ने कैसे जाना कि वोह खुदा की किताब है ?

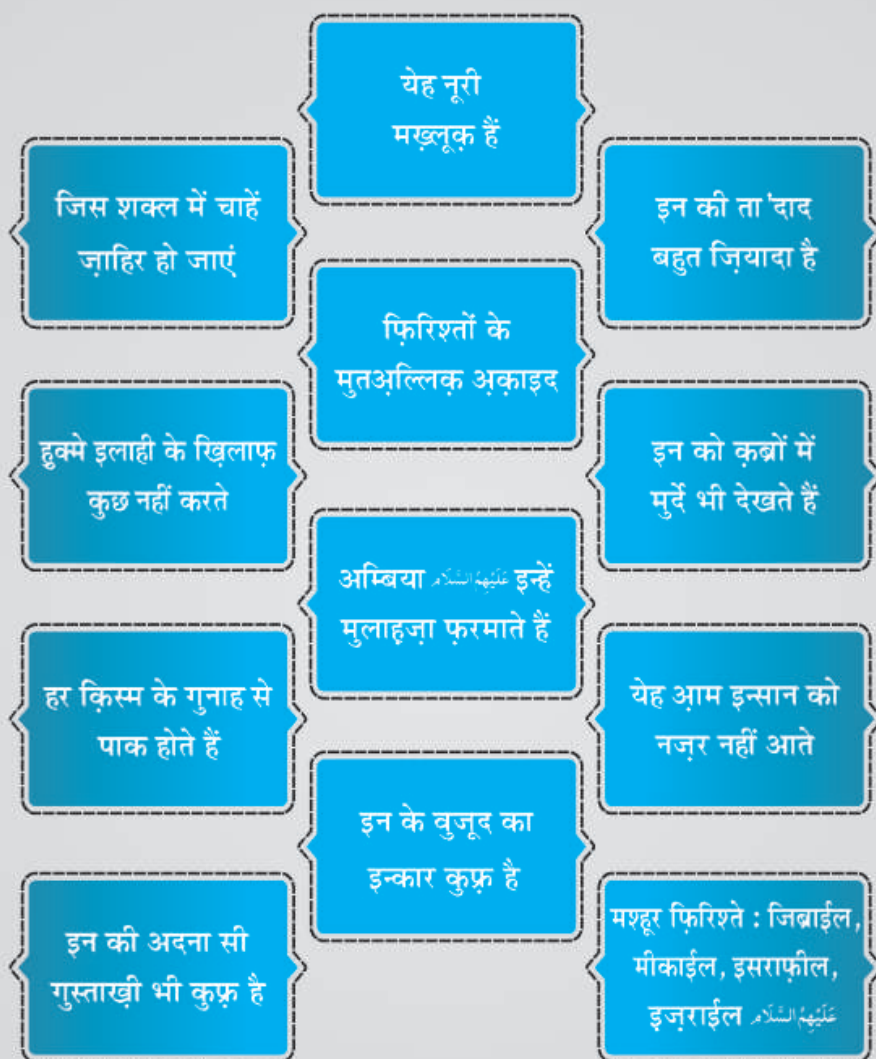
जवाब जैसे खुदा की बनाई हुई चीज़ों की तरह कोई चीज़ किसी से नहीं बन सकती ऐसे ही कुरआन शरीफ़ की तरह कोई किताब किसी से नहीं बन सकी। इस से हम ने जाना कि वोह खुदा की किताब है। आदमी की होती तो कोई और भी वैसी ही बना सकता।

सबक़ नम्बर 21

मलाएका का बयान

सुवाल फ़िरिश्ते किसे कहते हैं ?

जवाब “फ़िरिश्ते” नूरी मख़्लूक हैं। **अल्लाह** पाक ने इन्हें नूर से पैदा किया और हमारी नज़रों से पोशीदा कर दिया और इन्हें ऐसी ताक़त दी कि जिस शकल में चाहें ज़ाहिर हो जाएं। “फ़िरिश्ते” हुक्मे इलाही के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करते। येह हर किस्म के सगीरा, कबीरा गुनाहों से पाक होते हैं। किसी “फ़िरिश्ते” की अदना सी गुस्ताख़ी भी कुफ़्र है। “फ़िरिश्तों” के वुजूद का इन्कार करना या येह कहना



कि “फ़िरिश्ता” नेकी की कुव्वत को कहते हैं और इस के सिवा कुछ नहीं, येह कुफ़्र है।⁽¹⁾

सुवाल फ़िरिश्तों के ज़िम्मे क्या क्या काम हैं ?

जवाब वोह जुदागाना कामों पर मुक़र्रर हैं। बा’ज जन्नत पर, बा’ज दोज़ख़ पर, बा’ज आदमियों के अमल लिखने पर, बा’ज रोज़ी पहुंचाने पर, बा’ज पानी बरसाने पर, बा’ज मां के पेट में बच्चे की सूरत बनाने पर, बा’ज आदमियों की हिफ़ज़त पर, बा’ज रूह क़ब्ज़ करने पर, बा’ज क़ब्र में सुवाल करने पर, बा’ज अज़ाब पर, बा’ज रसूल ﷺ के दरबार में मुसलमानों के दुरूदो सलाम पहुंचाने पर, बा’ज अम्बिया ﷺ के पास वही लाने पर।

सुवाल मलाएका के पास किस क़दर ताक़त होती है ?

जवाब मलाएका को अल्लाह पाक ने बड़ी कुव्वत अता फ़रमाई है, वोह ऐसे काम कर सकते हैं जिसे लाखों आदमी मिल कर भी नहीं कर सकते।

सुवाल मशहूर फ़िरिश्ते कौन कौन से हैं ?

जवाब तमाम फ़िरिश्तों में से येह चार फ़िरिश्ते बहुत मशहूर और बड़ी अज़मत रखते हैं : हज़रते जिब्राईल ﷺ, हज़रते मीकाईल ﷺ, हज़रते इसराफ़ील ﷺ, हज़रते इज़राईल ﷺ।

सुवाल क्या फ़िरिश्ते देखने में आते हैं ?

जवाब हमें तो नज़र नहीं आते मगर जिन्हें अल्लाह पाक चाहता है वोह फ़िरिश्तों को देखते हैं। अम्बिया ﷺ इन्हें मुलाहज़ा फ़रमाते हैं, इन से कलाम होता है। क़ब्रों में मुर्दे भी फ़िरिश्तों को देखते हैं और भी जिसे अल्लाह पाक चाहे, देख सकता है।

सुवाल हर आदमी के साथ एक ही फ़िरिश्ता उम्र भर उस के अमल लिखा करता है या कई फ़िरिश्ते लिखते हैं ?

जवाब नेकी और बदी के लिखने वाले अलाहदा अलाहदा हैं और रात के अलाहदा और दिन के अलाहदा हैं।

सुवाल नामए आ’माल लिखने वाले फ़िरिश्तों को क्या कहते हैं ?



¹ ... बहारे शरीअत, 1/90, हिस्सा 1 माखूज़न

जवाब किरामन कातिबीन ।

सुवाल कुल कितने फ़िरिश्ते हैं ?

जवाब बहुत हैं, हमें इन की ता'दाद मा'लूम नहीं।

सबक नम्बर 22

जिन्नात का बयान

सुवाल जिन्नात कौन हैं और इन को किस चीज से पैदा किया गया है ?

जवाब जिन्नात एक मख्लूक है, **अल्लाह** पाक ने इन्हें आग के शो'ले से पैदा फ़रमाया है, चुनान्वे पारह 14 सूरए हिज़्र आयत नम्बर 27 में इर्शाद फरमाया :

وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ ﴿٢٧﴾
(پ 14، الحجر: 27)

तरजमए कञ्जुल ईमान : और जिन्न को उस से पहले बनाया बे धएं की आग से ।

और पारह 27 सुरतर्हमान आयत नम्बर 15 में इर्शाद फरमाया :

وَحَقَّقَ الْجَانُّ مِنْ مَّارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴿١٥﴾
(پ 27، الرحمن: 15)

तरजमए कञ्जुल ईमान : और जिन्न को पैदा फ़रमाया
आग के लुके से ।

हुजूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : फ़िरिश्तों को नूर से, जिन्नात को आग के शो'ले से और आदम عَلَيْهِ السَّلَام को मिट्टी से पैदा किया गया।⁽¹⁾ इन में नेक भी हैं और बद भी, येह ऐसे अजीबो गरीब और मुश्किल काम करने की ताकत रखते हैं जिन्हें करना आम इन्सान के बस की बात नहीं।

सवाल जिन्न को जिन्न क्यों कहते हैं ?

जवाब लुग़त में जिन्न का मा'ना है “सत्र और ख़फ़ा” और जिन्न को इसी लिये जिन्न कहते हैं कि वोह आम लोगों की निगाहों से पोशीदा होता है।

सुवाल जिन्नात के वजूद का इन्कार करना कैसा ?

जवाब जिन्नात के वुजुद का इन्कार या बदी की कुव्वत का नाम जिन्न या शैतान रखना कुफ्र है।

सवाल क्या जिन्नात का सबूत कुरआने करीम में भी है ?

जवाब जी हां ! जिन्नात का सुबूत कुरआने मजीद से है । चुनान्वे

पारह 19 सूरए नम्ल की आयत नम्बर 39 में है :

قَالَ عَفَرْتُ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا بِيَدِكَ بِمَ قَبْلَ أَنْ
تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ۝

(प 19, अल: 39)

तरजमए कन्जुल ईमान : एक बड़ा खबीस जिन्न बोला कि वोह तख्त हुजूर में हाज़िर कर दूंगा क़ब्ल इस के कि हुजूर इज़्लास बरखास्त करें और मैं बेशक इस पर कुव्वत वाला अमानत दार हूँ ।

सुवाल अल्लाह पाक ने इन्सानों और जिन्नात में से पहले किस को पैदा फ़रमाया ?

जवाब जिन्नों को इन्सानों से पहले पैदा फ़रमाया, हज़रते सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ السَّلَام की तख़लीक़ से दो हज़ार साल पहले ज़मीन पर जिन्नात रहते थे ।

सुवाल जिन्नात कितनी ता'दाद में हैं ?

जवाब इन्सानों के मुक़ाबले में जिन्नात की ता'दाद 9 गुना है ।

सुवाल बुरे जिन्नात को क्या कहा जाता है ?

जवाब बुरे जिन्नात को शयातीन कहा जाता है ।

सुवाल जिन्नात से हिफ़ज़त के लिये कुरआने पाक की किन सूरतों और आयत की तिलावत की जाए ?

जवाब (1) आयतुल कुरसी (2) यासीन शरीफ़ (3) सूरए मुअमिनून की आख़िरी आयत (4) सूरए मुअमिन की इब्तिदाई आयत (5) सूरतुल बक़रह (6) सूरए आले इमरान (7) सूरतुल आ'राफ़ (8) सूरए ह़शर की आख़िरी आयत (9) सूरए इज़्लास (10) सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास ।

सुवाल क्या इन्सानों की तरह जिन्नात पर शर्ई अहक़ाम लागू होते हैं ?

जवाब जी हां ! जिन्नात भी शरीअते मुतहहरा के पाबन्द हैं । मुसल्मान जिन्नात नमाज़ पढ़ते, रोज़ा रखते, हज़ करते, तिलावते कुरआन करते और इन्सानों से दीनी इलूम और रिवायते हदीस हासिल करते हैं अगर्चे इन्सानों को पता न चले ।

सुवाल क्या जिन्नात ने भी रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की विलादत की खुशी मनाई थी ?

जवाब जी हां ! जब हुजूर नबिय्ये करीम ﷺ की विलादते बा सआदत हुई तो जबले अबी कुबैस और हजून के पहाड़ पर जिन्न ने क़सम खा कर येह निदा की : “इन्सानों में से किसी औरत ने ऐसा बच्चा नहीं जना जैसा फ़ख़्रो सिफ़ात वाला बच्चा हज़रते आमिना رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ने जना है ।”

सुवाल मदीनए मुनव्वरह में रसूलुल्लाह ﷺ की तशरीफ़ आवरी की ख़बर सब से पहले किस ने दी थी ?

जवाब येह ख़बर मदीनए मुनव्वरह में सब से पहले एक जिन्न ने दी थी ।

सुवाल वोह कौन सी मस्जिद है जिस की ता'मीर जिन्नात से करवाई गई ?

जवाब बैतुल मुक़द्दस (यरोशलम) ।

सुवाल अल्लाह पाक ने जिन्नात को किस दिन पैदा फ़रमाया ?

जवाब जुमे'रात के दिन ।

सुवाल जिन्नात की कितनी किस्में हैं ?

जवाब हदीसे पाक में है : जिन्नात की तीन किस्में हैं : (1) वोह जिन के पर होते हैं और वोह हवा में उड़ते हैं, (2) वोह जो सांप और कुत्ते की शक़्ल में होते हैं और (3) वोह जो सफ़र करते और क़ियाम करते हैं ।

सुवाल इन्सानों के साथ रहने वाले जिन्न को क्या कहते हैं ?

जवाब इन्सानों के साथ रहने वाले जिन्न को “आमिर” कहते हैं ।

सुवाल जिन्नात क्या खाते हैं ?

जवाब जिन्नात की ख़ूराक “हड्डी” और “गोबर” है । हदीस शरीफ़ में है कि जिन्नात हड्डी पर गोश्त और गोबर में दाने पाते हैं ।

सुवाल जिन्नात नमाज़ कहां पढ़ते हैं ?

जवाब हदीसे पाक में है कि तुम लोग ज़मीन के हमवार और चट्टयल हिस्सों पर क़ज़ाए हाज़त न करो क्यूं कि येह जिन्नात के नमाज़ पढ़ने की जगह है ।

सुवाल हमज़ाद कौन होता है ?

जवाब हमज़ाद शयातीन की एक किस्म है। ये हर वक़्त आदमी के साथ रहता है और मुत्तक़न काफ़िर मल्लूने अबदी है, सिवाए हुज़ूर नबिय्ये रहमत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के हमज़ाद के क्यूं कि वोह सोहबते अक्दस की बरकत से मुसल्मान हो गया था।

सुवाल जिन्नात में सब से ख़तरनाक जिन्न कौन सा है ?

जवाब “इफ़रीत” सब से ख़तरनाक और ख़बीस जिन्न है किसी से मानूस नहीं होता, जंगलात में रहता है उमूमन मुसाफ़िरों को दिखाई देता है और उन्हें रास्ते से भटकाता है।

सबक़ नम्बर 23

तक्दीर का बयान

दुन्या में जो कुछ होता है और बन्दे जो कुछ करते हैं नेकी, बदी वोह सब **अल्लाह** पाक के इल्मे अज़ली के मुताबिक़ होता है। जो कुछ होने वाला है वोह सब **अल्लाह** पाक के इल्म में है और उस के पास लिखा हुआ है, इसी को तक्दीर कहते हैं। हर भलाई बुराई उस ने अपने इल्मे अज़ली के मुवाफ़िक़ मुक़द्दर फ़रमा दी है जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था अपने इल्म से जाना और वोही लिख लिया तो येह नहीं कि जैसा उस ने लिख दिया वैसा हम को करना पड़ता है बल्कि जैसा हम करने वाले थे वैसा उस ने लिख दिया ज़ैद के ज़िम्मे बुराई लिखी इस लिये कि ज़ैद बुराई करने वाला था अगर ज़ैद भलाई करने वाला होता वोह उस के लिये भलाई लिखता तो उस के इल्म या उस के लिख देने ने किसी को मजबूर नहीं कर दिया। याद रहे कि अक्कीदए तक्दीर, इस्लामी अक्काइद में निहायत नाजुक और पेचीदा है। इस के बारे में बहूस करने, क्यूं ? और कैसे ? की तरह के सुवालात करने से मन्अ किया गया है। जैसा कि तिरमिज़ी शरीफ़ में है : हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने फ़रमाया कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हमारे पास तशरीफ़ लाए हालां कि हम मस्अलए तक्दीर पर बहूस कर रहे थे तो आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नाराज़ हुए हत्ता कि चेहरए अन्वर सुख़ हो गया गोया कि रुख़्सारों में अनार निचोड़ दिये गए हैं और फ़रमाया क्या तुम्हें इस का हुक्म दिया गया है ? या मैं इसी के साथ तुम्हारी तरफ़ भेजा गया हूं ? तुम से पहले लोगों ने जब इस मस्अले में झगड़े किये तो हलाक ही हो गए, मैं तुम पर लाज़िम करता हूं कि इस मस्अले में न झगड़ो।⁽¹⁾



तक्दीर का सुबूत

तक्दीर का सुबूत कुरआनो हदीस में मौजूद है जैसा कि इस आयते मुबारका में है :

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ ﴿٢٧﴾
(प 27, अत्र: 49)

तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक हम ने हर चीज़ एक अन्दाजे से पैदा फ़रमाई ।

हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम ﷺ ने ईमान के मुतअल्लिक पूछने वाले के जवाब में छे चीज़ें इर्शाद फ़रमाई : (1) अल्लाह (2) फ़िरिशतों (3) अल्लाह की नाज़िल कर्दा किताबों (4) रसूलों (5) क़ियामत के दिन और (6) अच्छी या बुरी तक्दीर का अल्लाह पाक की तरफ़ से होने पर ईमान लाना ।⁽¹⁾

सवाल तक्दीर के इन्कार का क्या हुक्म ?

जवाब तक्दीर का इन्कार कुफ़्र है ।⁽²⁾ हुज़ूरे अकरम ﷺ ने तक्दीर का इन्कार करने वालों को इस “उम्मत का मजूस” करार दिया है ।⁽³⁾

सवाल तक्दीर की कितनी क़िस्में हैं क्या तक्दीर बदल भी जाती है ?

जवाब तक्दीर की तीन क़िस्में हैं : (1) मुब्रमे हकीकी (2) मुअल्लक़े महूज़ (3) मुअल्लक़े शबीह ब मुबरम ।

1) मुब्रमे हकीकी : येह वोह क़िस्म है कि जो अल्लाह पाक के इल्म और हुक्म में अटल है और किसी की दुआ या कोई नेक काम करने से तब्दील नहीं होती । जैसा कि फ़रमाने बारी है : ﴿مَا يَدُلُّ الْقَوْلُ لِلَّهِ﴾ तरजमए कन्जुल ईमान : मेरे यहां बात बदलती नहीं ।⁽⁴⁾ अल्लाह पाक के महबूब बन्दे अकाबिरीन भी इत्तिफ़ाक़न इस में कुछ अर्ज़ करते हैं तो उन्हें इस ख़याल से रोक दिया जाता है ।

2) मुअल्लक़ शबीह ब मुबरम : येह क़िस्म तब्दील तो हो सकती है लेकिन इस की तब्दीली सिर्फ़ अल्लाह पाक के इल्म में होती है मुक़र्रब फ़िरिशते भी इस की तब्दीली से ला इल्म होते हैं, जिस की वजह से येह मुबरम के मुशाबेह होती है । हां अल्लाह पाक के ख़ास बन्दों की दुआ और इल्तिजा के सबब



1... 1. مسلم، کتاب الایمان، باب الایمان والاسلام... الخ، ص 33، حدیث: 93 ماخوذاً

2... 2. میر آتول مनाجیہ، 1/115

3... 3. الودود، کتاب السنہ، باب الدلیل علی زیادة الایمان ونقصانه، 4/294، حدیث: 4691

4... 4. پارہ : 26، ق : 29

तब्दील हो जाती है। हुजूर सय्यिदुना गौसे आ'जम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इसी को फ़रमाते हैं : “मैं क़ज़ाए मुबरम को रद कर देता हूँ।”⁽¹⁾ और इसी की निस्बत हदीस में इर्शाद हुवा : إِنَّ الدُّعَاءَ يُرَدُّ الْقَضَاءَ بَعْدَ مَا أُبْرِمَ : “बेशक दुआ क़ज़ाए मुबरम को टाल देती है।”⁽³⁾

3) मुअल्लके महज़ : इस में तब्दीली इल्मे इलाही के साथ साथ फ़िरिश्तों के इल्म और उन के सुहुफ़ (रजिस्ट्रो) में मज़कूर होती है। लिहाज़ा वालिदैन् या औलिया की दुआ या नेक काम व सदका व ख़ैरात करने से टल जाती है।⁽⁴⁾

सुवाल क्या तक्दीर के मुवाफ़िक़ काम करने पर आदमी मजबूर होता है, इस बारे में क्या अक़ीदा रखना चाहिये ?

जवाब नहीं। बन्दे को **अल्लाह** पाक ने नेकी, बदी के करने पर इख़्तियार दिया है। वोह अपने इख़्तियार से जो कुछ करता है वोह सब **अल्लाह** पाक के यहां लिखा हुवा है जैसा कि पहले बयान किया गया है। याद रहे कि क़ज़ाओ क़दर के मसाइल आम अक्लों में नहीं आ सकते, इन में ज़ियादा ग़ौरो फ़िक़्र करना सबबे हलाकत है। सिद्दीके अक्बर व फ़ारूके आ'जम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا को इस मस्अले में बहूस करने से मन्अ फ़रमाया गया था तो हम और आप किस गिनती में हैं....! इतना समझ लिया जाए कि **अल्लाह** पाक ने आदमी को पथर और दीगर जमादात की तरह बे हिस्सो हरकत नहीं पैदा किया, बल्कि इस को एक नौए इख़्तियार (या'नी एक तरह का महदूद इख़्तियार) दिया है कि एक काम चाहे करे, चाहे न करे और इस के साथ ही अक्ल भी दी है कि भले, बुरे, नफ़अ, नुक़सान को पहचान सके और हर किस्म के सामान और अस्बाब मुहय्या कर दिये हैं कि जब कोई काम करना चाहता है उसी किस्म के सामान मुहय्या हो जाते हैं और इसी बिना पर उस पर मुआख़ज़ा होता है। इस सच्चे अक़ीदे को याद रखा जाए और दिल में बसा लिया जाए, इसी पर क़ाइम रहा जाए ग़ैर ज़रूरी ग़ौरो ख़ौज़ से बाज़ रहा जाए तो वस्वसों से छुटकारा मिल जाता है। येह अक़ीदा भी याद रहे कि अपने आप को बिल्कुल मजबूर समझना या बिल्कुल मुख़्तार समझना दोनों गुमराही की बातें हैं।⁽⁵⁾



1... मکتوبات امام ربانی، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب: 217، 1/123-124 طحطا

2... مسند الفردوس، 5/364، حدیث: 8448، تنقیح

3.... बहारे शरीअत, हिस्सा : 1, 1/12, 16 मुलख़ब्रसन

4.... बहारे शरीअत, 1/14, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

5.... बहारे शरीअत, 1/18, हिस्सा : 1 ब तग़य्युर

सुवाल तक्दीर पर ईमान के क्या फ़वाइद हैं ?

जवाब तक्दीर पर ईमान के फ़वाइद येह हैं : (1) मसाइब व बीमारियों में सब्र करना और खुदकुशी जैसे हराम काम से महफूज़ रहना, क्यूं कि इन का आना तक्दीर के मुताबिक़ और आज्माइश है। (2) अल्लाह पाक की तक्सीम और मशिय्यत पर राजी रहना। (3) इन्सान माजी की महरूमियों पर पुर मलाल, हाल के हालात में परेशान और मुस्तक़िबल से ख़ौफ़ज़दा नहीं रहता। (4) तक्दीर पर ईमान लाने वाला मख़्लूक के बजाए ख़ालिक़ से लौ लगाता है। (5) तक्दीर पर ईमान “हसद” का बेहतरीन इलाज है।

सुवाल बा'ज लोग बुरा काम कर के कहते हैं कि तक्दीर में ऐसा ही लिखा था, उन के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब बुरा काम कर के तक्दीर की तरफ़ निस्बत करना और मशिय्यते इलाही के हवाले करना बहुत बुरी बात है। बल्कि हुक्म येह है कि जो अच्छा काम करे उसे मिन जानिबिल्लाह (अल्लाह की तरफ़ से) कहे और जो बुराई सरज़द हो उसे शामते नफ़्स (अपना कुसूर) तसव्वुर करे।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 24

मौत और क़ब्र का बयान

सुवाल क्या किसी शख्स की उम्र बढ़ या कम हो सकती है ?

जवाब हर शख्स की जो उम्र मुक़र्रर है न उस से कम हो सकती है और न बढ़ सकती है।

सुवाल जब वोह उम्र पूरी हो जाती है फिर क्या मुआमला होता है ?

जवाब मलकुल मौत या'नी हज़रते इज़राईल عَلَيْهِ السَّلَام उस की जान निकाल लेते हैं, मौत के वक़्त मरने वाले के दाहने, बाएं जहां तक नज़र जाती है फ़िरिश्ते ही फ़िरिश्ते दिखाई देते हैं। मुसल्मान के पास रहमत के फ़िरिश्ते, काफ़िर के पास अज़ाब के। मुसल्मानों की रूह को फ़िरिश्ते इज़ज़त के साथ ले जाते हैं और काफ़िरों की रूह को फ़िरिश्ते हक़ारत के साथ ले कर जाते हैं।

सुवाल रूह क्या चीज़ है ?

जवाब रूह अम्रे रब्बी है। अल्लाह पाक ने फ़रमाया : ﴿قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ (15: 15) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ रूह मेरे रब के हुक्म से एक चीज़ है और तुम्हें इल्म न मिला मगर थोड़ा।

¹ ... बहारे शरीअत, 1/19, हिस्सा : 1

सुवाल क्या मरने के बा'द रूह फ़ना हो जाती है ?

जवाब रूह के जिस्म से जुदा होने का नाम मौत है, न येह कि रूह मर जाती है, जो रूह को फ़ना माने, बद मज़हब है।⁽¹⁾ मौत के बा'द रूह की जानने, सुनने और देखने की सलाहिyyत न सिर्फ़ बाक़ी रहती है बल्कि पहले से बढ़ जाती है।⁽²⁾

सुवाल क्या मरने के बा'द रूह का जिस्म से तअल्लुक बाक़ी रहता है ?

जवाब मरने के बा'द भी रूह का तअल्लुक बदने इन्सान के साथ बाक़ी रहता है, अगर्चे रूह बदन से जुदा हो गई मगर बदन पर जो गुज़रेगी रूह ज़रूर उस से आगाह व मुतअस्सिर होगी जिस तरह हयाते दुन्या में होती है, बल्कि उस से ज़ाइद।⁽³⁾

सुवाल मरने के बा'द रूह कहां जाती है ?

जवाब रूहों के रहने के लिये मक़ामात मुक़र्रर हैं, नेकों के लिये अ़लाहदा और बुरों के लिये अ़लाहदा जहां वोह अपने मर्तबे के मुताबिक़ चली जाती हैं।

सुवाल रूह के मक़ामात के बारे में कुछ मज़ीद बता दीजिये।

जवाब काफ़िरों की रूहें मख़सूस जगहों पर कैद होती हैं जब कि मुसल्मानों की रूहों के मुख़लिफ़ मक़ामात भी मुक़र्रर हैं और उन्हें और मक़ामात पर जाने की इजाज़त भी होती है। जैसा कि

हज़रते सय्यिदुना इमाम मालिक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मोमिनों की अरवाह आज़ाद होती हैं जहां चाहती हैं जाती हैं।⁽⁴⁾ नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : मोमिनीन की अरवाह सब्ज़ परिन्दों में होती हैं, जन्नत में जहां चाहें सैर करती हैं। अर्ज़ की गई : और काफ़िरों की रूहें ? इर्शाद फ़रमाया : सिज्जीन में कैद होती हैं।⁽⁵⁾ सिज्जीन सातवीं ज़मीन के नीचे एक जगह है जो इब्लीस और उस के लश्क़रों का मक़ाम है। मरने के बा'द मुसल्मान की रूह हस्बे मर्तबा मुख़लिफ़ मक़ामों में रहती है, बा'ज़ की क़ब्र पर, बा'ज़

① बहारे शरीअत, 1/104, हिस्सा : 1

② फ़तावा रज़विय्या, 9/658 मफ़हूमन

③ बहारे शरीअत, 1/100, हिस्सा : 1

④ ... الاستذکار، کتاب الجنائز، باب جامع الجنائز، 2/617، تحت الحديث: 292

⑤ ... احوال القبور لابن رجب، ص 182

की चाहे ज़मज़म शरीफ़ (या'नी ज़मज़म शरीफ़ के कूएं) में, बा'ज़ की आस्मान व ज़मीन के दरमियान, बा'ज़ की पहले, दूसरे, सातवें आस्मान तक और बा'ज़ की आस्मानों से भी बुलन्द और बा'ज़ की रूहें ज़ेरे अर्श किन्दीलों में और बा'ज़ की आ'ला इल्लिय्यीन में, मगर कहीं हों अपने जिस्म से उन का तअल्लुक ब दस्तूर रहता है। जो कोई क़ब्र पर आए उसे देखती, पहचानती, उस की बात सुनती हैं बल्कि रूह का देखना कुर्वे क़ब्र ही से मज़सूस नहीं, इस की मिसाल हदीस में येह फ़रमाई है कि एक ताइर (परिन्दा) पहले क़फ़स (पिंजरे) में बन्द था और अब आज़ाद कर दिया गया।⁽¹⁾ काफ़ि़रों की रूहों के भी मक़ाम मुक़रर हैं, वोह आज़ाद नहीं घूमती बल्कि बा'ज़ की उन के मरघट (मुर्दे जलाने की जगह) या क़ब्र पर रहती हैं, बा'ज़ की चाहे बरहूत में कि यमन में एक नाला (या'नी वादी) है, बा'ज़ की पहली, दूसरी, सातवीं ज़मीन तक, बा'ज़ की उस के भी नीचे सिज्जीन में और वोह कहीं भी हो, जो उस की क़ब्र या मरघट पर गुज़रे उसे देखती, पहचानती, बात सुनती हैं, मगर कहीं जाने आने का इख़्तियार नहीं, कि कैद हैं।

सुवाल जानवरों की रूह कहां जाती हैं ?

जवाब जानवरों की अरवाह हवा में मुअल्लक रहती हैं या जहां अल्लाह पाक को मन्ज़ूर होता है वहां रहती हैं और उन का अपने जिस्मों से कोई तअल्लुक नहीं होता।⁽²⁾

सुवाल आवागोन किसे कहते हैं ?

जवाब येह ख़याल कि मौत के बा'द रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है ख़्वाह वोह बदन आदमी का हो या किसी जानवर का, इसे तनासुख़ या आवागोन कहते हैं, येह महज़ बातिल है और इस का मानना कुफ़्र है।

सुवाल मुन्कर नकीर किसे कहते हैं ?

जवाब जब दफ़न करने वाले दफ़न कर के वापस हो जाते हैं तो दो फ़िरिश्ते ज़मीन चीरते आते हैं, उन की सूरतें डराउनी, आंखें नीली काली होती हैं। एक का नाम मुन्कर, दूसरे का नाम नकीर है। वोह मुर्दे को उठा कर बिठाते हैं और उस से सुवाल करते हैं।

¹ ... बहारे शरीअत, 1/101, हिस्सा : 1

² ... روح المعانی، پ 15، بنی اسرائیل، تحت الاية: 85/8/208

सुवाल क़ब्र में मुर्दे से कितने और कौन कौन से सुवालात किये जाते हैं ?

जवाब क़ब्र में मुर्दे से तीन सुवालात होते हैं :

(1)... तेरा रब कौन है ?

(2)... तेरा दीन क्या है ?

(3)... हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की तरफ़ इशारा कर के पूछते हैं : तू इन के हक़ में क्या कहता था ?

सुवाल मुसल्मान इन सुवालों का क्या जवाब देता है ?

जवाब मुसल्मान जवाब देता है : मेरा रब **अल्लाह** है। मेरा दीन इस्लाम है। यह **अल्लाह** के रसूल हैं **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ**। फ़िरिश्ते कहते हैं : हम जानते थे कि तू येही जवाब देगा।⁽¹⁾

सुवाल क़ब्र के सुवाल व जवाब में काम्याब होने वाले मुसल्मान के साथ क्या सुलूक किया जाता है ?

जवाब उस की क़ब्र कुशादा और रोशन कर दी जाती है। आस्मान से मुनादी पुकारता है : मेरे बन्दे ने सच कहा, इस के लिये जन्नती फ़र्श बिछाओ, जन्नती लिबास पहनाओ, जन्नत की तरफ़ दरवाज़े खोलो। चुनान्वे दरवाज़े खोल दिये जाते हैं जिस से जन्नत की हवा और खुशबू आती रहती है और फ़िरिश्ते उस से कहते हैं कि अब तू आराम कर।

सुवाल काफ़िर से क़ब्र में क्या सुलूक किया जाएगा ?

जवाब काफ़िर इन सुवालों का जवाब नहीं दे सकता, हर सुवाल के जवाब में कहता है : मैं नहीं जानता। आस्मान से निदा करने वाला निदा करता है कि येह झूटा है, इस के लिये आग का बिछोना बिछाओ, आग का लिबास पहनाओ और दोज़ख़ की तरफ़ का दरवाज़ा खोल दो। चुनान्वे दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो उस से दोज़ख़ की गरमी और लपट आती है, फिर उस पर फ़िरिश्ते मुक़र्रर कर दिये जाते हैं जो लोहे के बड़े बड़े गुर्जों या'नी हथोड़ों से मारते हैं और अज़ाब करते हैं।

सुवाल क्या क़ब्र हर मुर्दे को दबाती है ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के सिवा क़ब्र सब मुसल्मानों को भी दबाती है और काफ़िरों

¹... किताबुल अक़ाइद, स. 25

को भी लेकिन मुसलमानों को दबाना शफ़क़त के साथ होता है जैसे मां बच्चे को सीने से लगा कर चिपटाए और काफ़िर को सख़्ती से यहां तक कि पस्लियां इधर से उधर हो जाती हैं।

सुवाल क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन से क़ब्र में सुवाल नहीं होता ?

जवाब हां। जिन को हदीस शरीफ़ में मुस्तस्ना किया गया है जैसे अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام और जुमुअतुल मुबारक और रमज़ानुल मुबारक में मरने वाले मुसलमान।

सुवाल क़ब्र में अज़ाब फ़क़त काफ़िर पर होता है या मुसलमान पर भी ?

जवाब काफ़िर तो अज़ाब ही में रहेंगे और बा'ज़ गुनहगार मुसलमानों पर भी अज़ाब होता है। मुसलमानों के सदक़ात, दुआ, तिलावते कुरआन और दूसरे सवाब पहुंचाने के तरीकों से उस में तख़्फ़ीफ़ या'नी कमी हो जाती है और अल्लाह पाक अपने करम से उस अज़ाब को उठा देता है। बा'ज़ के नज़्दीक मुसलमान पर से क़ब्र का अज़ाब जुमुआ की रात आते ही उठा दिया जाता है।

सुवाल जो मुर्दे दफ़न नहीं किये जाते उन से भी सुवालात होते हैं ?

जवाब जी हां। ख़्वाह दफ़न किया जाए या न किया जाए या उसे कोई जानवर खा जाए, हर हाल में उस से सुवालात होते हैं और अगर काबिले अज़ाब है तो अज़ाब भी होता है।

सुवाल अज़ाबे क़ब्र के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है ?

जवाब अहले सुन्नत का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि अज़ाबे क़ब्र और तर्दमे क़ब्र रूह और जिस्म दोनों को होता है।⁽¹⁾ हज़रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन हम्बल رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا ضَالٌّ مُضِلٌّ या'नी अज़ाबे क़ब्र हक़ है इस का इन्कार गुमराह और गुमराह गर के सिवा कोई नहीं करेगा।⁽²⁾

सुवाल क्या अज़ाबे क़ब्र कुरआनो हदीस से साबित है ?

जवाब कुरआने पाक में है : ﴿سُعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ तरजमए कन्ज़ुल ईमान :

① ... बहारे शरीअत, 1/111, हिस्सा : 1 मुलख़ब्रसन

जल्द हम उन्हें दो बार अज़ाब करेंगे फिर बड़े अज़ाब की तरफ़ फेरे जाएंगे।⁽¹⁾ **रसूलुल्लाह** صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

ने इर्शाद फ़रमाया : **عَذَابُ الْقَبْرِ حَقٌّ** या'नी अज़ाबे क़ब्र हक़ है।⁽²⁾

सुवाल क्या अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ रहने वाले भी लोग होंगे ?

जवाब जी हां ! शहीद अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ रहता है।⁽³⁾ रमज़ानुल मुबारक में फ़ौत होने वाला।⁽⁴⁾

इसी तरह रोज़े जुमुआ या शबे जुमुआ इन्तिक़ाल करने वाला।⁽⁵⁾ रोज़ाना रात में **تَبَرُّكَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ السُّلُكُ** (पूरी सूरत) पढ़ने वाला।⁽⁶⁾ तिलावते कुरआन करने वाला।⁽⁷⁾ इसी तरह हर वोह मुसल्मान जिस से क़ब्र के सुवालात नहीं होंगे उसे अज़ाबे क़ब्र भी नहीं होगा।⁽⁸⁾ इमाम उमर नसफ़ी رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ ने फ़रमाया : फ़रमां बरदार मुसल्मान को अज़ाबे क़ब्र नहीं होगा लेकिन उसे क़ब्र दबाएगी और वोह उस की तकलीफ़ और ख़ौफ़ को महसूस भी करेगा।⁽⁹⁾

सुवाल बरज़ख़ किसे कहते हैं ?

जवाब मौत के वक़्त से दोबारा उठाए जाने तक दुन्या व आख़िरत के दरमियान बरज़ख़ या'नी पर्दा है पस जो फ़ौत हुवा वोह बरज़ख़ में दाख़िल हुवा।⁽¹⁰⁾

सुवाल बरज़ख़ पर क्या सुबूत है ?



1 ... पारह : 11, अत्तौबह : 101

2 ... بخاری، کتاب الجنائز، باب ماجاء فی عذاب القبر، 1/463 حدیث: 1372

3 ... ابن ماجہ، کتاب الجہاد، باب فضل الشہادۃ فی سبیل اللہ، 3/360، حدیث: 2799

4 ... बहारे शरीअत, 1/109, हिस्सा : 1 मफ़हूमन

5 ... حلیۃ الاولیاء، محمد بن المنکدر، 3/181، رقم: 3629

6 ... ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فی فضل سورۃ الملک، 4/407، حدیث: 2900-2901 ماخوذا

7 ... معجم اوسط، 6/470، حدیث: 9438 منہوما

8 ... تحفۃ المرید علی جوہرۃ التوحید، ص 403

9 ... بحر الکلام، المبحث الاول سوال القبر وعذابه، ص 250

10 ... تفسیر قرطبی، پ 18، المؤمنون، تحت الآیۃ: 100، 6/113

जवाब बरज़ख़ का सुबूत कुरआने पाक से है : ⁽¹⁾ ﴿وَمِنْ ذَٰلِكَ أَنَّهُمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ﴾ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन के आगे एक आड़ है उस दिन तक जिस में उठाए जाएंगे। इमाम मुजाहिद رحمة الله عليه ने इस आयत की तफ़्सीर में फ़रमाया : مَا بَيْنَ الْمَوْتِ إِلَى الْبَعْثِ या'नी बरज़ख़ मौत और दोबारा ज़िन्दा किये जाने की दरमियानी मुद्दत है। ⁽²⁾

सबक़ नम्बर 25

क़ियामत और इस की निशानियों का बयान

सुवाल क़ियामत किसे कहते हैं ?

जवाब जैसे हर चीज़ की एक उम्र मुक़र्रर है, उस के पूरे होने के बा'द वोह चीज़ फ़ना हो जाती है। ऐसे ही दुन्या की भी एक उम्र अल्लाह करीम के इल्म में मुक़र्रर है। उस के पूरा होने के बा'द दुन्या फ़ना हो जाएगी। ज़मीन व आस्मान, आदमी, जानवर कोई भी बाक़ी न रहेगा। इस को "क़ियामत" कहते हैं जैसे आदमी के मरने से पहले बीमारी की शिद्दत, जान निकलने की अलामात ज़ाहिर होती हैं। ऐसे ही क़ियामत से पहले इस की निशानियां हैं।

सुवाल क़ियामत आने से पहले इस की क्या क्या अलामात ज़ाहिर होंगी ?

जवाब क़ियामत के आने से पहले दुन्या से इल्म उठ जाएगा, अल्लिम बाक़ी न रहेंगे, जहालत फैल जाएगी, बदकारी और बे हयाई ज़ियादा होगी, औरतों की ता'दाद मर्दों से बढ़ जाएगी। बड़े दज्जाल के सिवा तीस दज्जाल और होंगे, हर एक उन में से नुबुव्वत का दा'वा करेगा बा वुजूद येह कि हुज़ूर पुरनूर सय्यिदुल अम्बिया صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर नुबुव्वत ख़त्म हो चुकी। उन में से बा'ज़ दज्जाल तो गुज़र चुके जैसे मुसैलमा कज़़ाब, अस्वद अ़नसी, मिरज़ा अली मुहम्मद बाब, मिरज़ा अली हुसैन बहाउल्लाह, मिरज़ा गुलाम अहमद क़ादियानी, बा'ज़ और बाक़ी हैं वोह भी ज़रूर होंगे, माल की कसरत होगी, अ़रब में खेती, बाग़, नहरें हो जाएंगी, दीन पर क़ाइम रहना मुश्किल होगा। वक़्त बहुत जल्द गुज़रेगा, ज़कात देना लोगों को दुश्वार होगा, इल्म को लोग दुन्या के लिये पढ़ेंगे, मर्द औरतों की इताअत करेंगे। मां बाप की ना फ़रमानी ज़ियादा होगी, शराब नोशी आम हो जाएगी, ना अहल सरदार बनाए जाएंगे, नहरे फ़ुरात से सोने का ख़ज़ाना खुलेगा। ज़मीन अपने अन्दर दफ़न शुदा ख़ज़ाने उगल देगी, अमानत ग़नीमत या'नी मुफ़्त का माल समझी जाएगी, मस्जिदों में शोर मचेंगे, फ़ासिक सरदारी करेंगे, फ़ितना अंगेजों की इज़्ज़त की जाएगी,

1 पारह : 18, अल मुअमिनून : 100

2 ... तफ़्सीर طبری 18، المومنون، تحت الآية: 100، 99، 243، حديث: 25658

गाने बाजे की कसरत होगी। पहले बुजुर्गों को लोग बुरा भला कहेंगे, कोड़े की नोक और जूते के तस्मे बातें करेंगे, दज्जाल, दाब्बतुल अर्द और याजूज माजूज निकलेंगे। हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ज़ाहिर होंगे, हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام आस्मान से उतरेंगे, सूरज मग़रिब से तुलूअ होगा और तौबा का दरवाज़ा बन्द हो जाएगा।

सुवाल दज्जाल कौन है ?

जवाब दज्जाल का मा'ना है बहुत ज़ियादा झूठा शख्स क्यूं कि दज्जाल भी हक़ के साथ बातिल को मिला कर झूट बोलेगा इस लिये इसे दज्जाल कहा गया है, येह अव्वलन खुद को मोमिन ज़ाहिर करेगा और लोगों को भलाई की तरफ़ बुलाएगा लेकिन फिर नुबुव्वत का और आख़िर कार उलूहिय्यत (खुदाई) का दा'वा करेगा, मशहूर है कि इस की अस्ल यहूद से होगी।⁽¹⁾ हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “दज्जाल दो किस्म के हैं : छोटे और बड़े। छोटे दज्जाल बहुत हुए और होंगे, हर झूठा नबी, झूठा मौलवी, सूफ़ी, जो लोगों को गुमराह करें वोह दज्जाल हैं। बड़ा दज्जाल सिर्फ़ एक है जो दा'वाए खुदाई करेगा।”⁽²⁾

सुवाल दज्जाल के आने से पहले दुन्या में क्या हो रहा होगा ?

जवाब दज्जाल के निकलने से पहले दुन्या की बहुत बुरी हालत होगी जैसा कि अह़ादीसे मुबारका के मज़ामीन से पता चलता है कि उस के निकलने से तीन साल पहले ही दुन्या में आ़म क़हूत फैल जाएगा, पहले साल आस्मान एक तिहाई बारिश और ज़मीन एक तिहाई पैदावार रोक लेगी, दूसरे साल आस्मान दो तिहाई बारिश और ज़मीन दो तिहाई पैदावार जब कि तीसरे साल आस्मान सारी बारिश और ज़मीन सारी पैदावार रोक लेगी, हत्ता कि आस्मान शीशे का और ज़मीन तांबे की हो जाएगी, (इस खुश्क साली के सबब) तमाम चौपाए हलाक हो जाएंगे, फ़ितने और क़त्लो ग़ारत गरी आ़म हो जाएगी, आदमी एक दूसरे को क़त्ल और जला वतन कर रहे होंगे तब दज्जाल मशरिफ़ की सन्त एक अस्बहान या ख़ुरासान नामी शहर से निकलेगा। ग़िज़ाई क़हूत के इलावा इल्मी व रूहानी क़हूत भी बरपा होगा, दीन के सिल्सिले में लोगों में ज़ो'फ़ पैदा हो चुका होगा उलमा और दीनदार लोगों की क़िल्लत होगी।⁽³⁾

① ... मिरआतुल मनाज़ीह, 7/276

② ... मिरआतुल मनाज़ीह, 7/276

③ ... तर्ज़ुम अलफ़तन बाब अज़ाअ फ़ी बाब अज़ाअ मन् अयन यज़रुज्जाल, 102/4, हदीथ: 2244-الذّکرة للقرطبي, ص 610-615

सुवाल दज्जाल का फ़ितना कैसा होगा ?

जवाब दज्जाल का फ़ितना तारीख़े इन्सान की इब्तिदा से ले कर इन्तिहा तक के तमाम फ़ितनों से बड़ा और ख़तरनाक फ़ितना है, जिस की बड़ाई और शिद्दत का अन्दाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि हर एक नबी ﷺ ने अपनी अपनी उम्मत को दज्जाल के फ़ितने से डराया था ।⁽¹⁾

सुवाल दज्जाल कितना अर्से रहेगा ?

जवाब दज्जाल ज़मीन पर चालीस दिन रहेगा जिन में से एक दिन एक साल के बराबर, एक दिन एक माह के बराबर और एक दिन एक हफ़्ते के बराबर जब कि बाकी अय्याम साल के आम दिनों की तरह होंगे ।⁽²⁾

सुवाल दज्जाल की मौत कैसे होगी ?

जवाब अल्लाह पाक हज़रते ईसा ﷺ को आस्मान से नाज़िल फ़रमाएगा, आप ﷺ को देखते ही दज्जाल ऐसे घुलेगा जैसे पानी में नमक घुलता है और आप ﷺ दज्जाल को मक़ामे लुद पर क़त्ल करेंगे और उस के पैरौकारों में से किसी एक को भी ज़िन्दा न छोड़ेंगे ।⁽³⁾

सुवाल दज्जाल के ख़ुरूज के बारे में ए'तिक़ाद रखने का क्या हुक्म है ?

जवाब दज्जाल और (कुर्बे क़ियामत) इस के ज़ाहिर होने पर ए'तिक़ाद रखना बरहक़ और येही अहले सुन्नत बिल उमूम फ़ुक़हाए किराम और मुहद्दिसीने इज़ाम का मस्लक है ।⁽⁴⁾

सुवाल दाब्बतुल अर्द क्या चीज़ है ?

जवाब दाब्बतुल अर्द एक अजीब शक़ल का जानवर है जो कोहे सफ़ा से ज़ाहिर हो कर तमाम शहरों में निहायत जल्द फ़िरेगा, फ़साहत के साथ कलाम करेगा । हर शख़्स पर एक निशानी लगाएगा, ईमानदारों



1... तर्ज़ी, کتاب الفتن باب ما جاء في الدجال، 4/100، حدیث: 2241 ماخوذا

2... مسلم، کتاب الفتن واثراط الساعة، باب ذکر الدجال وصفته ومامعه، ص 1200، حدیث: 7373

3... مسلم، کتاب الفتن واثراط الساعة، باب ذکر الدجال وصفته ومامعه، ص 1200، حدیث: 7373 ماخوذا

4... التذكرة للقرطبي، ص 612

की पेशानी पर असाए मूसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام से एक नूरानी खत खींचेगा। काफ़िर की पेशानी पर हज़रते सुलैमान عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की अंगुशतरी या'नी अंगूठी से काली मोहर करेगा।

सुवाल याजूज माजूज कौन हैं ?

जवाब येह याफ़िस बिन नूह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की औलाद में से फ़सादी गुरौह हैं, इन की ता'दाद बहुत ज़ियादा है। वोह ज़मीन में फ़साद करते थे, अय्यामे रबीअ या'नी फ़स्ल पकने के ज़माने में निकलते, सब्ज़ा ज़रा न छोड़ते, आदमियों को खा लेते और जंगल के दरिन्दों, वहशी जानवरों, सांपों, बिच्छूओं को खा जाते थे, हज़रते सिकन्दर जुल क़रनैन ने लोहे की दीवार खींच कर इन की आमद बन्द कर दी। हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام के नुज़ूल के बा'द जब आप दज्जाल को क़त्ल कर के ब हुक्मे इलाही मुसल्मानों को कोहे तूर पर ले जाएंगे उस वक़्त वोह दीवार तोड़ कर निकलेंगे और ज़मीन में फ़साद करेंगे, क़त्लो ग़ारत करेंगे अल्लाह पाक उन्हें हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام की दुआ से हलाक करेगा।

सुवाल हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का कुछ हाल बयान फ़रमाइये।

जवाब हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ख़लीफ़तुल्लाह हैं। आप رَضِيَ اللهُ عَنْهُ हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की आल में से ह़सनी सय्यिद होंगे, जब दुन्या में कुफ़्र फैल जाएगा और इस्लाम हरमैने शरीफ़ैन या'नी मक्काए मुक़र्रमा और मदीनए मुनव्वरह की तरफ़ सिमट जाएगा, औलिया व अब्दाल वहां को हिजरत कर जाएंगे। माहे रमज़ान में अब्दाल का'बे शरीफ़ के त़वाफ़ में मशगूल होंगे वहां औलिया हज़रते महदी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को पहचान कर उन से बैअत की दरख़्वास्त करेंगे। आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ इन्कार फ़रमाएंगे, ग़ैब से निदा आएगी : **هَذَا خَلِيفَةُ اللَّهِ الْمَهْدِيُّ فَاسْعَوْا لَهُ وَأَطِيعُوا** : “येह अल्लाह पाक के ख़लीफ़ा महदी हैं इन का हुक्म सुनो और इताअत करो।” लोग आप रَضِيَ اللهُ عَنْهُ के दस्ते मुबारक पर बैअत करेंगे वहां से मुसल्मानों को साथ ले कर शाम तशरीफ़ ले जाएंगे। आप का ज़माना बड़ी ख़ैरो बरकत का होगा, ज़मीन अदलो इन्साफ़ से भर जाएगी।

सुवाल हज़रते मसीह عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के नुज़ूल का मुख़्तसर हाल बयान कीजिये।

जवाब जब दज्जाल का फ़ितना इन्तिहा को पहुंच चुकेगा और वोह मलज़न तमाम दुन्या में फिर कर मुल्के शाम में जाएगा उस वक़्त हज़रते ईसा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام दिमश्क की जामेअ मस्जिद के शर्की मनारे पर नुज़ूल फ़रमाएंगे। आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام की नज़र जहां तक जाएगी वहां तक खुशबू पहुंचेगी और आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام की खुशबू से दज्जाल पिघलने लगेगा और भागेगा। आप عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالसَّلَام दज्जाल को बैतुल

मुक़द्दस के करीब मक़ामे लुद में क़त्ल करेंगे। इन का ज़माना बड़ी ख़ैरो बरकत का होगा, माल की कसरत होगी। ज़मीन अपने ख़ज़ाने निकाल कर बाहर करेगी। लोगों को माल से रूबत न रहेगी, यहूदियत, नसरानियत और तमाम बातिल दीनों को आप عَلَيْهِ السَّلَام मिटा डालेंगे। आप عَلَيْهِ السَّلَام के अह्दे मुबारक में एक दीन होगा, इस्लाम। तमाम काफ़िर ईमान ले आएंगे और सारी दुनिया अहले सुन्नत होगी। अम्नो अमान का येह आलम होगा कि शेर बकरी एक साथ चरेंगे। बच्चे सांपों से खेलेंगे। बुज़्जो ह़सद का नामो निशान न रहेगा। जिस वक़्त आप عَلَيْهِ السَّلَام का नुज़ूल होगा फ़त्र की जमाअत खड़ी होती होगी। हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ आप عَلَيْهِ السَّلَام को देख कर आप से इमामत की दरख़्वास्त करेंगे। आप उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे और हज़रते इमाम महदी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के पीछे नमाज़ अदा फ़रमाएंगे। एक रिवायत में है कि हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام ने हुज़ूर सय्यिदुल अम्बिया عَلَيْهِ السَّلَام की शान व सिफ़त और आप صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की उम्मत की इज़्जतो करामत देख कर उम्मते मुहम्मदी عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की दुआ की। अल्लाह पाक ने आप عَلَيْهِ السَّلَام की दुआ क़बूल फ़रमाई और आप عَلَيْهِ السَّلَام को वोह बक़ा अता फ़रमाई कि आख़िर ज़माने में उम्मते मुहम्मदिय्यह عَلَيْهِ السَّلَام عَلَى صَاحِبِهَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के इमाम हो कर नुज़ूल फ़रमाएंगे आप عَلَيْهِ السَّلَام नुज़ूल के बा'द बरसों दुनिया में रहेंगे, निकाह करेंगे फिर वफ़ात पा कर हुज़ूर सय्यिदे अम्बिया صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के पहलू में मदफून होंगे।

सुवाल आप़ताब के मग़रिब से तुलूअ करने और तौबा का दरवाज़ा बन्द होने की कैफ़ियत बयान फ़रमाइये।

जवाब रोज़ाना आप़ताब बारगाहे इलाही में सज्दा कर के इज़्ज चाहता है, इज़्ज होता है तब तुलूअ करता है। कुर्बे क़ियामत जब दाब्बतुल अर्द निकलेगा, हस्बे मा'मूल आप़ताब सज्दा कर के तुलूअ होने की इजाज़त चाहेगा। इजाज़त न मिलेगी और हुक्म होगा कि वापस जा। तब आप़ताब मग़रिब से तुलूअ होगा और निस्फ़ आस्मान तक आ कर लौट जाएगा और जानिबे मग़रिब गुरुब करेगा। इस के बा'द फिर पहले की तरह मशरिफ़ से तुलूअ किया करेगा, आप़ताब के मग़रिब से तुलूअ करते ही तौबा का दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा फिर किसी का ईमान लाना मक़बूल न होगा।

सुवाल क़ियामत कब काइम होगी।

जवाब इस का इल्म तो खुदा को है और उस के बताने से हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को है। हमें इस क़दर मा'लूम है कि जब येह सब अलामतें ज़ाहिर हो चुकेंगी और रूए ज़मीन पर कोई खुदा का नाम लेने वाला

बाकी न रहेगा तब हज़रते इसराफ़ील عَلَيْهِ السَّلَام ब हुक्मे इलाही सूर फूंकेंगे। उस की आवाज़ शुरूअ शुरूअ में तो बहुत नर्म होगी और आहिस्ता आहिस्ता बुलन्द होती चली जाएगी। लोग उस को सुनेंगे और बेहोश हो कर गिर पड़ेंगे और मर जाएंगे, ज़मीनो आस्मान और तमाम जहान फ़ना हो जाएगा। फिर जब अल्लाह करीम चाहेगा हज़रते इसराफ़ील को ज़िन्दा करेगा और दोबारा सूर फूंकने का हुक्म देगा। सूर फूंकते ही फिर सब कुछ मौजूद हो जाएगा। मुर्दे क़ब्रों से उठेंगे। नामए आ'माल उन के हाथों में दे कर महशर में लाए जाएंगे। वहां जज़ा और हिसाब के लिये मुन्तज़िर खड़े होंगे। आफ़ताब निहायत तेज़ी पर और सरो से बहुत करीब ब क़दर एक मील होगा। शिद्दते गरमी से दिमाग़ ख़ौलते होंगे, इस कसरत से पसीना निकलेगा कि सत्तर गज़ ज़मीन में ज़ब्ब हो जाएगा फिर जो पसीना ज़मीन न पी सकेगी वोह ऊपर चढ़ेगा, किसी के टख़्नों तक होगा, किसी के घुटनों तक, किसी के कमर, किसी के सीने, किसी के गले तक, और काफ़िर के तो मुंह तक चढ़ कर मिस्ल लगाम के जकड़ जाएगा। हर शख़्स हस्बे हाल व आ'माल होगा, फिर पसीना भी निहायत बदबूदार होगा।

सुवाल हशरो नशर या'नी क़ियामत के बारे में क्या अक्कीदा है ?

जवाब हशरो नशर का अक्कीदा ज़रूरियाते दीन में से है। इस बात पर उम्मत का इज्माअ है कि हशरो नशर का इन्कार करने वाला काफ़िर है।⁽¹⁾

सुवाल क़ियामत की मुसीबत से लोगों को कैसे नजात मिलेगी ?

जवाब इस हालत में तवील अर्सा गुज़रेगा। पचास हजार साल का तो वोह दिन होगा और इस हालत में आधा गुज़र जाएगा। लोग सिफ़ारिशी तलाश करेंगे जो इस मुसीबत से नजात दिलाए और जल्द हिसाब शुरूअ हो। अम्बिया عَلَيْهِ السَّلَام की बारगाह में हाज़िरी होगी लेकिन मक्सद पूरा न होगा। आख़िर में हुज़ुरे पुरनूर, सय्यिदे अम्बिया, रहमते अलम, मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के हुज़ुर में फ़रियाद लाएंगे और शफ़ाअत या'नी सिफ़ारिश की दरख़्वास्त करेंगे। हुज़ुरे पुरनूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फ़रमाएंगे : “**اَنَّا هَا**” मैं इस के लिये मौजूद हूं। येह फ़रमा कर हुज़ुर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बारगाहे इलाही में सज्दा करेंगे। अल्लाह पाक की तरफ़ से इर्शाद होगा **يَا مُحَمَّدُ ارْقُمْ رَأْسَكَ قُلْ تُسَبِّحُ وَسَلِّ تَعْطَى وَاشْفَعُ تُشَفَّقُ** “ऐ मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ सज्दे से सर उठाइये, बात कहिये सुनी जाएगी, शफ़ाअत कीजिये, क़बूल की जाएगी।” हुज़ुर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की येह शफ़ाअत तो तमाम अहले महशर के लिये है जो शदीद डर और ख़ौफ़ की वज्ह



से फ़रियाद कर रहे होंगे और येह चाहते होंगे कि हिसाब फ़रमा कर उन के लिये हुक्म दे दिया जाए। अब हिसाब शुरू होगा। मीज़ाने अमल में आ'माल तोले जाएंगे, आ'माल नामे हाथों में होंगे। अपने ही हाथ, पाउं, बदन के आ'जा अपने ख़िलाफ़ गवाहियां देंगे। ज़मीन के जिस हिस्से पर कोई अमल किया था वोह भी गवाही देने को तय्यार होगा। अजीब परेशानी का वक़्त होगा कोई यार न गुम गुसार। न बेटा बाप के काम आ सकेगा न बाप बेटे के। आ'माल की पुरसिश या'नी पूछगछ है। ज़िन्दगी भर का किया हुवा सब सामने है। न गुनाह से मुकर सकता है, न कहीं से नेकियां मिल सकती हैं।⁽¹⁾

सवाल इस मुश्किल घड़ी में हुज़ूर ﷺ अपने चाहने वालों की कैसे मदद फ़रमाएंगे ?

जवाब इस बे कसी के वक़्त में बे कसों के मददगार, हुज़ुरे पुरनूर, महबूबे खुदा, मुहम्मदे मुस्तफ़ा ﷺ काम आएंगे और अपने नियाज़ मन्दों और उम्मीद वारों की शफ़ाअत फ़रमाएंगे। हुज़ूर ﷺ की शफ़ाअतें कई तरह की होंगी बहुत लोग तो आप की शफ़ाअत से बे हिसाब दाख़िले जन्नत होंगे और बहुत लोग जो दोज़ख़ के मुस्तहिक् होंगे हुज़ूर ﷺ की शफ़ाअत से दुख़ूले दोज़ख़ से बचेंगे और जो गुनाहगार मोमिन दोज़ख़ में पहुंच चुके होंगे वोह हुज़ूर ﷺ की शफ़ाअत से दोज़ख़ से निकाले जाएंगे। अहले जन्नत भी आप ﷺ की शफ़ाअत से फ़ैज़ पाएंगे उन के दरजात बुलन्द किये जाएंगे। बाकी और अम्बियाओ मुसलीन عَلَيْهِمُ السَّلَام व सहाबए किराम व शुहदा व उलमा व औलिया رَضَوُا اللّٰهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ अपने मुतवस्सिलीन या'नी वसीला ढूंडने वालों की शफ़ाअत करेंगे। लोग उलमा को अपने तअल्लुकात याद दिलाएंगे, अगर किसी ने अल्लिम को दुन्या में वुजू के लिये पानी ला कर दिया होगा तो वोह भी याद दिला कर शफ़ाअत की दरख़्वास्त करेगा और वोह उस की शफ़ाअत करेंगे।

सवाल महशर की होलनाकियों, आफ़ताब की नज़्दीकी से भेजे ख़ौलने, बदबूदार पसीनों की तकालीफ़ और इन मुसीबतों में हज़ारहा बरस की मुदत तक मुब्तला और परेशान रहने का जो बयान फ़रमाया येह सब के लिये है या अल्लाह पाक के कुछ बन्दे इस से मुस्तस्ना भी हैं या'नी इस में शामिल नहीं ?

जवाब इन अहवाल में से कुछ भी अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام व औलिया व अत्किया (परहेज़ गार) व सुलहा (नेक) رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ को न पहुंचेगा वोह अल्लाह पाक के करम से इन सब आफ़तों और मुसीबतों से

¹ ... किताबुल अक़ाइद, स. 33 तसहीलन

महफूज़ होंगे। क़ियामत का पचास हजार बरस का दिन जिस में न एक लुक़्मा खाने को मुयस्सर होगा, न एक क़तरा पीने को, न एक झोंका हवा का। ऊपर से आफ़ताब की गरमी भून रही होगी, नीचे ज़मीन की तपिश, अन्दर से भूक की आग लगी होगी। प्यास से गरदनें टूटी जाती होंगी, सालहा साल की मुद्दत खड़े खड़े बदन कैसा दुखा हुवा होगा, शिद्दते ख़ौफ़ से दिल फटे जाते होंगे। इन्तिज़ार में आंखें उठी होंगी, बदन का पुरज़ा पुरज़ा लरज़ता कांपता होगा, वोह तवील दिन अल्लाह पाक के फ़ज़ल से उस के ख़ास बन्दों के लिये एक फ़र्ज़ नमाज़ के वक़्त से ज़ियादा हलका और आसान होगा।

सबक़ नम्बर 26

हि़साब का बयान

हि़साब हक़ है, या'नी कुरआनो सुन्नत और इज्माअ़ से साबित है। मोमिन, काफ़िर, इन्सान और जिन्नात सब का हि़साब होगा सिवाए उन के जिन का इस्तिस्ना किया गया है।⁽¹⁾ हि़साब का मुन्किर काफ़िर है।⁽²⁾

सुवाल मीज़ान से क्या मुराद है ?

जवाब मीज़ान से मुराद वोह तराजू है जिस में क़ियामत के दिन बन्दों के आ'माल तोले जाएंगे, नेक भी बद भी, क़ौल भी फ़ै'ल भी, काफ़िरों के भी मोमिनो के भी।

सुवाल हि़साब क्या है ?

जवाब हि़साब का लुग़वी मा'ना है “शुमार करना” और इस्तिस्लाही मा'ना है “अल्लाह पाक का लोगों को महशर से पलटने से पहले उन के आ'माल से आगाह करना।”⁽³⁾

सुवाल क्या क़ियामत के दिन सब का हि़साब लिया जाएगा ?

जवाब अल्लाह के बा'ज़ मुसल्मान बन्दे ऐसे भी होंगे जो बिगैर हि़साब के जन्नत में जाएंगे।

सुवाल फ़िरिश्ते जो आ'माल नामे दुन्या में लिखते हैं उन का क्या बनेगा ?



1... تحفة المرید علی جوہرۃ التوحید، ص 413

2... شرح الضاوی علی جوہرۃ التوحید، ص 378

3... شرح الضاوی علی جوہرۃ التوحید، ص 376

जवाब क़ियामत के दिन हर शख्स को उस का नाम आ'माल दिया जाएगा जो फ़िरिश्ते लिखते हैं, नेकों के नाम आ'माल दाहने हाथ में दिये जाएंगे और बंदों के बाएं में।

सबक़ नम्बर 27

पुल सिरात का बयान

सुवाल सिरात किसे कहते हैं ?

जवाब जहन्नम के ऊपर एक पुल है उस को “सिरात” कहते हैं। यह बाल से ज़ियादा बारीक तल्वार से ज़ियादा तेज़ है।

सुवाल पुल सिरात के बारे में अहले सुन्नत का अक़ीदा क्या है ?

जवाब सिरात हक़ है। इस पर ईमान लाना वाजिब⁽¹⁾ और इस का इन्कार गुमराही है।⁽²⁾

सुवाल पुल सिरात की मसाफ़त कितनी है ?

जवाब पुल सिरात का सफ़र तीन हज़ार साल की राह है, एक हज़ार साल ऊपर चढ़ने के, हज़ार साल नीचे उतरने के और हज़ार साल उस की सतह पर चलने के।⁽³⁾ जब कि हज़रते फुज़ैल बिन इयाज़ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ से मन्कूल है : पुल सिरात का सफ़र पन्दरह हज़ार साल की राह है, पांच हज़ार साल ऊपर चढ़ने के, पांच हज़ार साल नीचे उतरने के और पांच हज़ार साल (उस की पुश्त पर) चलने के।⁽⁴⁾

सुवाल क्या कोई पुल सिरात से गुज़रे बिग़ैर भी जन्नत में जा सकता है ?

जवाब नहीं, सब को उस पर से गुज़रना है, जन्नत का येही रास्ता है।

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا﴾ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और तुम में कोई ऐसा नहीं जिस का गुज़र दोज़ख़ पर न हो तुम्हारे रब के ज़िम्मे पर येह ज़रूर ठहरी हुई बात है।⁽⁵⁾ हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्क़द, हज़रते सय्यिदुना हसन और हज़रते सय्यिदुना क़तादा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ से रिवायत है कि जहन्नम

1... شرح الصاوى على جوهره التوحيد، ص 389

2... المعتمد مع المعتمد، ص 335

3... تفسير قرطبي، प 30، البلد، تحت الآية: 11/10/47

4... البلد و السافرة، ص 334

पर वारिद होने से मुराद पुल सिरात पर से गुज़रना है जो कि जहन्नम के ऊपर बिछाया गया है।⁽¹⁾

सुवाल पुल सिरात से गुज़रने में सब की हालत एक जैसी होगी या मुख़ालिफ़ ?

जवाब इस पुल पर गुज़रने में लोगों की हालत जुदागाना होगी, जिस दरजे का शख्स होगा उस के लिये ऐसी ही आसानी या दुश्वारी होगी बा'ज तो बिजली चमकने की तरह गुज़र जाएंगे। अभी इधर थे, अभी उधर पहुंचे। बा'जे हवा की तरह, बा'जे तेज़ घोड़े की तरह, बा'जे आहिस्ता आहिस्ता, बा'जे गिरते पड़ते लरज़ते लंगड़ाते और बा'जे जहन्नम में गिर जाएंगे। कुफ़्फ़ार के लिये बड़ी हसरत का वक़्त होगा जब वोह पुल से गुज़र न सकेंगे और जहन्नम में गिर पड़ेंगे और ईमानदारों को देखेंगे कि वोह उसी पुल पर बिजली की तरह गुज़र गए या तेज़ हवा की तरह उड़ गए या सरीज़स्सैर या'नी तेज़ रफ़्तार घोड़े की तरह दौड़ गए।

सबक नम्बर 28

हौजे कौसर का बयान

सुवाल हौजे कौसर क्या चीज़ है ?

जवाब येह एक हौज़ है जिस की तह मुश्क या'नी कस्तूरी की है, याकूत और मोतियों पर जारी है, दोनों किनारे सोने के हैं और उन पर मोतियों के कुब्बे या'नी गुम्बद नस्ब हैं उस के बरतन (कूजे) आस्मान के सितारों से ज़ियादा हैं।

सुवाल हौजे कौसर का पानी कैसा होगा ?

जवाब उस का पानी दूध से ज़ियादा सफ़ेद, शहद से ज़ियादा शीरीं, मुश्क से ज़ियादा खुशबूदार है। जो एक मरतबा पियेगा फिर कभी प्यासा न होगा।

सुवाल येह हौज़ किसे अ़ता किया जाएगा ?

जवाब अल्लाह पाक ने येह हौज़ अपने हबीबे अकरम ﷺ को अ़ता फ़रमाया है। हुज़ूर ﷺ उस से अपनी उम्मत को सैराब फ़रमाएंगे।

सुवाल आख़िरत में रसूलुल्लाह ﷺ को जो हौज़ अ़ता किया जाएगा उस के बारे में अक्कीदे अहले सुन्नत क्या है ?



जवाब इस पर ईमान रखना वाजिब है, जो इस का इन्कार करे वोह फ़ासिक् व बिद्अती है।⁽¹⁾

सुवाल हिसाब के बा'द आदमी कहां जाएंगे ?

जवाब मुसल्मान जन्नत में और काफ़िर दोज़ख़ में।

सुवाल क्या सब मुसल्मान जन्नत में जाएंगे और सब काफ़िर दोज़ख़ में ? और येह दोनों जन्नत और दोज़ख़ में कितना अर्सा रहेंगे ?

जवाब नेक मुसल्मान और वोह गुनाहगार मुसल्मान जिन के गुनाह **अल्लाह** करीम अपने करम और अपने महबूब **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की और दीगर नेक बन्दों की शफ़ाअत से बख़्श दे वोह सब के सब जन्नत में रहेंगे और बा'ज़ गुनाहगार मुसल्मान जो दोज़ख़ में जाएंगे वोह भी जितना अर्सा खुदा चाहे दोज़ख़ के अज़ाब में मुब्तला रह कर आख़िर कार नजात पाएंगे और काफ़िर सब के सब जहन्नम में जाएंगे और हमेशा उसी में रहेंगे।

सुवाल क्या जन्नत और दोज़ख़ पैदा हो चुकी हैं या पैदा की जाएंगी ?

जवाब जन्नत और दोज़ख़ पैदा हो चुकी हैं और हज़ारों बरस से मौजूद हैं।

सबक़ नम्बर 29

जन्नत का बयान

सुवाल इस दुन्या के बा'द भी क्या कोई दार या'नी मकान है ?

जवाब जी हां ! **अल्लाह** पाक ने इस दुन्या के सिवा दो और अज़ीमुश्शान दार पैदा किये हैं एक दारुन्नईम या'नी ने'मत की जगह है उस का नाम "जन्नत" है। एक दारुल अज़ाब या'नी अज़ाब की जगह है उस को "दोज़ख़" कहते हैं।

सुवाल जन्नत क्या है ?

जवाब जन्नत एक मकान है जो **अल्लाह** करीम ने ईमान वालों के लिये बनाया है।

सुवाल जन्नत के बारे में क्या अक्कीदा है ?

जवाब जन्नत बरहक़ है जिस का मुन्किर काफ़िर है, यूं ही जो शख़्स जन्नत को तो माने मगर इस के नए मा'ना घड़े (मसलन सवाब के मा'ना अपनी हसनात को देख कर खुश होना) वोह हक़ीक़तन जन्नत का

मुन्किर है और ऐसा शख्स भी काफ़िर है।⁽¹⁾ जन्नत पैदा हो चुकी है और अब भी मौजूद है, येह नहीं कि अभी तक पैदा न हुई और बरोजे क़ियामत पैदा की जाएगी।⁽²⁾

सुवाल जन्नत में किस तरह की ने'मतें हैं ?

जवाब जन्नत में अल्लाह पाक ने अपने ईमानदार बन्दों के लिये अन्वाओ अक्साम की ऐसी ने'मतें जम्अ फ़रमाई हैं जिन तक आदमी का वहमो ख़याल नहीं पहुंचता, न ऐसी ने'मतें किसी आंख ने देखीं, न किसी कान ने सुनीं, न किसी दिल में उन का ख़याल गुज़रा। उन का वस्फ़ पूरी तरह बयान में नहीं आ सकता। अल्लाह पाक अ़ता फ़रमाए तो वहीं उन की क़द्र मा'लूम होगी।

सुवाल दारोग़ जन्नत या'नी जन्नत के निगरान का क्या नाम है ?

जवाब हज़रते रिज़्वान عَلَيْهِ السَّلَام है।

सुवाल जन्नत कितनी बड़ी है ?

जवाब जन्नत की वुस्अत का येह बयान है कि उस में सो दरजे हैं हर दरजे से दूसरे दरजे तक इतना फ़ासिला है जितना आस्मान व ज़मीन के दरमियान। अगर तमाम जहां एक दरजे में जम्अ हो तो एक दरजा सब के लिये किफ़ायत करे। दरवाजे इतने वसीअ कि एक बाजू से दूसरे तक तेज़ घोड़े की सत्तर बरस की राह है।⁽³⁾

सुवाल जन्नतियों की कितनी अक्साम हैं ?

जवाब जन्नती अफ़राद की तीन क़िस्में होंगी : कस्बी, वहबी, अ़ताई। (1) कस्बी जन्नती वोह हैं जो आ'माल की बरकत से जन्नत में जाएंगे, (2) वहबी वोह जो किसी जन्नती के तुफ़ैल जन्नत में जाएंगे जैसे मुसल्मानों के छोटे बच्चे और (3) अ़ताई जन्नती वोह मख़लूक होगी जिसे अल्लाह पाक जन्नत को भरने के लिये पैदा फ़रमाएगा।⁽⁴⁾

सुवाल क्या जन्नत में इन्सानों के इलावा भी कोई होगा ?

1 ...बहारे शरीअत, 1/150, 151, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

2 ...مخ الروض الازهر، ص 176 ماخوذ

3 ... किताबुल अक़ाइद, स. 38

4 ... मिरआतुल मनाजीह, 7/475, 476 माख़ूज़न

जवाब जन्नत में अल्लाह पाक के नेक बन्दों के इलावा उन की खिदमत के लिये हूरो गिल्मान होंगे ।

सुवाल गिल्मान किसे कहते हैं ?

जवाब जन्नत के वोह नौ उम्र, पाकीज़ा सूरत व लिबास वाले लड़के जो हर वक्त जन्नतियों की खिदमत पर मामूर होंगे, जो बिहिश्ती ने'मतों के जाम व सागर या'नी पैमाने और पियाले लिये जन्नत की हूरो और जन्नतियों के पास गर्दिश कर रहे होंगे ।

सुवाल जन्नत में और क्या चीज़ें होंगी ?

जवाब इस का मुख़्तसर सा बयान येह है कि जन्नत में साफ़, शफ़्फ़ाफ़, चमकदार सफ़ेद मोती के बड़े बड़े ख़ैमे नस्ब हैं, उन में रंगारंग, अजीबो ग़रीब, नफ़ीस फ़र्श हैं उन पर याकूते सुख़ के मिम्बर हैं । शहद व शराब की नहरें जारी हैं उन के किनारों पर मुस्सअ या'नी नगीने जड़े तख़्त बिछे हैं । जन्नत के बागात के दरमियान याकूत के कुसूर व महल्लात बनाए गए हैं उन में येह हूरें जल्वा गर हैं । परवर्दगारे करीम की तरफ़ से हर घड़ी अन्वाओ अक्साम के तोहफ़े और हदिय्ये पहुंचते हैं । हमेशा की ज़िन्दगी अता की गई । हर ख़्वाहिश बिला ताख़ीर पूरी होती है । दिल में जिस चीज़ का ख़याल आया वोह फ़ौरन हाज़िर । किसी किस्म का ख़ौफ़ व ग़म नहीं । हर साअत हर आन ने'मतों में हैं । जन्नती नफ़ीस व लज़ीज़ ग़िज़ाएं, लतीफ़ मेवे खाते हैं । बिहिश्ती नहरों से दूध शराब शहद वग़ैरा पीते हैं । उन नहरों की ज़मीन चांदी की, संगरेज़े जवाहिरात के, मिट्टी ख़ालिस मुश्क की, सब्ज़ा ज़ा'फ़रान का है । उन नहरों से नूरानी पियाले भर कर वोह जाम पेश करते हैं जिन से आपताब शरमाए ।

सुवाल क्या जन्नती जन्नत में हमेशा रहेंगे ?

जवाब जी हां ! एक मुनादी अहले जन्नत को निदा करेगा ऐ बिहिश्त वालो ! तुम्हारे लिये सिहहत है कभी बीमार न होंगे । तुम्हारे लिये हयात है कभी न मरोगे । तुम्हारे लिये जवानी है बूढ़े न होंगे । तुम्हारे लिये ने'मतें हैं कभी मोहताज न होंगे ।

सुवाल जन्नत में जन्नतियों के लिये सब से बड़ी ने'मत क्या होगी ?

जवाब तमाम ने'मतों से बढ़ कर सब से प्यारी दौलत हज़रते रब्बुल इज़ज़त का दीदार है जिस से अहले जन्नत की आंखें मुस्तफ़ीद होती रहेंगी ।

सुवाल सब से कम दरजे के जन्नती को क्या मिलेगा ?

जवाब सब से कम दरजे वाले जन्नती को भी बागात, तख़्त, हूरें और खुद्दाम मिलेंगे ।

सबक नम्बर 30

दोज़ख़ का बयान

सुवाल दोज़ख़ क्या है ?

जवाब यह एक मकान है जो ज़ालिमों, सरकशों के अज़ाब के लिये बनाया गया है, इस में सख़्त अंधेरा और तेज़ आग है। इस में सत्तर हज़ार वादियां हैं, हर वादी में सत्तर हज़ार घाटियां, हर घाटी में सत्तर हज़ार अज़्दहे बहुत बड़े सांप और सत्तर हज़ार बिच्छू हैं। हर काफ़िर व मुनाफ़िक़ को उन घाटियों में ज़रूर पहुंचना है।

सुवाल दोज़ख़ कहां है और उस की गहराई कितनी है ?

जवाब दोज़ख़ सातवीं ज़मीन के नीचे है।⁽¹⁾ दोज़ख़ की हकीकी गहराई तो **अल्लाह** पाक ही जानता है या उस के बताए से नबिय्ये करीम **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**, अलबत्ता हदीसे पाक में इतना फ़रमाया गया है कि अगर पथ्थर की चटान जहन्नम के किनारे से उस में फेंकी जाए तो सत्तर बरस में भी तह तक न पहुंचेगी⁽²⁾ और अगर इन्सान के सर के बराबर सीसे का गोला आस्मान से ज़मीन की तरफ़ फेंका जाए तो रात आने से पहले ज़मीन तक पहुंच जाएगा, हालां कि येह पांच सो बरस की राह है।⁽³⁾

सुवाल हि़साबो किताब के बा'द लोगों पर क्या मुसीबत तारी होगी ?

जवाब क़ियामत की मुसीबतें झेल कर अभी लोग उस की तक्लीफ़ और ख़ौफ़ में मुब्तला होंगे कि अचानक उन को अंधेरियां घेर लेंगी और लपट मारने वाली आग उन पर छा जाएगी और उस के ग़ैज़ो ग़ज़ब की आवाज़ सुनने में आएगी। उस वक़्त बदकारों को अज़ाब का यक़ीन होगा और लोग घुटनों के बल गिर पड़ेंगे और फ़िरिश्ते निदा करेंगे कहां है फुलां फुलां का बेटा ! जिस ने दुन्या में लम्बी उम्मीदें बांध कर अपनी ज़िन्दगी को बदकारी में जाँअ किया। अब येह मलाएका उन लोगों को आहनी गुर्जों या'नी लोहे के हथोड़ों से हंकाते दोज़ख़ में ले जाएंगे।

सुवाल जहन्नम में काफ़ि़रों की क्या हालत होगी ?



1... من الخ لروض الأذهر شرح الفقّه الأكبر، 177

2... ترمذی، کتاب صفّه جهنّم، باب ما جاء فی صفّه قعر جهنّم، 4/260، حدیث: 2584

3... ترمذی، کتاب صفّه جهنّم، باب (6)، 4/265، حدیث: 2597

जवाब काफ़िर उस में हमेशा कैद रखे जाएंगे और आग की तेज़ी उन पर दम ब दम ज़ियादती करेगी, पीने को उन्हें गर्म पानी मिलेगा और इस क़दर गर्म कि जिस से मुंह फट जाए और ऊपर का होंट सुकड़ कर आधे सर तक पहुंचे और नीचे का फट कर लटक आए, उन का ठिकाना ज़हीम (दोज़ख़ का एक तब्क़ा) है, मलाएका उन को मारेगे। वोह ख़्वाहिश करेंगे कि किसी तरह वोह हलाक हो जाएं और उन की रिहाई की कोई सूरत न होगी, क़दम पेशानियों से मिला कर बांध दिये जाएंगे, गुनाहों की सियाही से मुंह काले होंगे, जहन्नम के अत़राफ़ो जवानिब शोर मचाते और फ़रियाद करते होंगे कि ऐ मालिक (عَلَيْهِ السَّلَام) ! अज़ाब का वा'दा हम पर पूरा हो चुका है। ऐ मालिक (عَلَيْهِ السَّلَام) ! लोहे के बोझ ने हमें चक्का चूर कर दिया। ऐ मालिक (عَلَيْهِ السَّلَام) ! हमारे बदनो की खालें जल गईं। ऐ मालिक (عَلَيْهِ السَّلَام) ! हम को इस दोज़ख़ से निकाल। हम फिर ऐसी ना फ़रमानी न करेंगे। फ़िरिश्ते कहेंगे : दूर हो ! अब अमन नहीं और इस ज़िल्लत के घर से रिहाई न मिलेगी, इसी में ज़लील पड़े रहो और हम से बात न करो। उस वक़्त उन की उम्मीदें टूट जाएंगी और दुन्या में जो कुछ सरकशी वोह कर चुके हैं उस पर अफ़सोस करेंगे लेकिन उस वक़्त उज़्र व नदामत कुछ काम न आएगा, अफ़सोस कुछ फ़ाएदा न देगा बल्कि वोह हाथ पाउं बांध कर चेहरों के बल आग में धकेल दिये जाएंगे। उन के ऊपर भी आग होगी नीचे भी आग। दाहने भी आग बाएं भी आग। आग के समुन्दर में डूबे होंगे। खाना आग और पीना आग, पहनावा आग और बिछोना आग, हर तरह आग ही आग, इस पर गुर्जों की मार और भारी बेड़ियों का बोझ। आग उन्हें इस तरह खौलाएगी जिस तरह हांडियां खौलती हैं, वोह शोर मचाएंगे, उन के सरों पर से खौलता पानी डाला जाएगा जिस से उन के पेट की आंतें और बदनो की खालें पिघल जाएंगी, लोहे के गुर्ज मारे जाएंगे जिस से पेशानियां पिचक जाएंगी, मूंहों से पीप जारी होगी, प्यास से जिगर कट जाएंगे, आंखों के ढेले बह कर रुख़्सारों पर आ पड़ेंगे, रुख़्सारों के गोश्त गिर जाएंगे, हाथ पाउं के बाल और खाल गिर जाएंगे और न मरेंगे, चेहरे जल भुन कर सियाह कोएले हो जाएंगे, आंखें अन्धी और ज़बानें गूंगी हो जाएंगी, पीठ टेढ़ी हो जाएगी, नाकें और कान कट जाएंगे, खाल पारा पारा हो जाएगी, हाथ गरदन से मिला कर बांध दिये जाएंगे और पाउं पेशानी से, आग पर मुंह के बल चलाए जाएंगे और लोहे के कांटों पर आंख के ढेलों से राह चलेंगे, आग की लपट बदन के अन्दर सरायत कर जाएगी और दोज़ख़ के सांप बिच्छू बदन पर लिपटते, डसते, काटते होंगे।

सुवाल जुब्बे हुज़्न क्या है ?

जवाब जहन्नम में एक वादी है जिस से जहन्नम भी रोज़ाना सत्तर हजार बार पनाह मांगता है, हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने “जुब्बे हुज़्ज़” से पनाह मांगने का हुक्म फ़रमाया है।

अल्लाह पाक अपने ग़ज़ब व अज़ाब से पनाह दे और हमें और सब मुसलमानों को अपने अफ़वो करम से बख़्शे, आमीन।⁽¹⁾

सुवाल जब तमाम जन्नती जन्नत में पहुँच जाएंगे और दोज़ख़ में फ़क़त वोही लोग रह जाएंगे जिन को हमेशा वहां रहना है, फिर क्या होगा ?

जवाब उस वक़्त जन्नत और दोज़ख़ के दरमियान मेंढे की शक्ल में मौत लाई जाएगी और तमाम जन्नतियों और दोज़ख़ियों को दिखा कर ज़ब्द कर दी जाएगी और फ़रमा दिया जाएगा कि ऐ अहले जन्नत ! तुम्हारे लिये हमेशा हमेशा जन्नत और उस की ने'मतें हैं और ऐ अहले दोज़ख़ ! तुम्हारे लिये हमेशा अज़ाब है मौत ज़ब्द कर दी गई अब हमेशा की ज़िन्दगी है, हलाक व फ़ना नहीं। उस वक़्त अहले जन्नत के फ़रह व सुरूर की इन्तिहा न होगी इसी तरह दोज़ख़ियों के रन्जो ग़म की।

सुवाल हज़रते मालिक عَلَيْهِ السَّلَام कौन हैं ?

जवाब येह दारोग़ जहन्नम या'नी दोज़ख़ के निगरान हैं।

सुवाल जहन्नम तो अज़ाब की जगह है फिर उस में फ़िरिश्ते कैसे आ सकते हैं ?

जवाब फ़िरिश्ते उस में अज़ाब सहने के लिये नहीं बल्कि अज़ाब देने के लिये होंगे जैसे जेल में पोलीस के सिपाही और जेलर होते हैं।

सुवाल जहन्नम में आग की गर्मी का अज़ाब सुना है तो क्या सर्दी का भी अज़ाब होगा ?

जवाब जी हां, जहां आग से क़रीब होने की वजह से गर्मी का अज़ाब होगा वहीं उस से दूरी की वजह से सर्दी का अज़ाब होगा।

सुवाल जहन्नमी के लिये सब से हलका अज़ाब क्या होगा ?

जवाब जहन्नम में सब से हलका अज़ाब जिस को होगा उस को आग की जूतियां पहनाई जाएंगी जिस से उस का दिमाग़ ख़ौलेगा और वोह समझेगा कि सब से ज़ियादा उसी को अज़ाब हो रहा है हालां कि उसे सब से कम अज़ाब हो रहा होगा।

1.... किताबुल अक़ाइद, स. 41 मुलख़ब़सन

सुवाल अगर कोई हिसाब और जन्नत व दोज़ख़ का इन्कार करे, उस के बारे में क्या कहेंगे ?

जवाब हिसाब और जन्नत व दोज़ख़ हक़ हैं, इन का इन्कार करने वाला काफ़िर है ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 31

ईमान का बयान

सुवाल ईमान की ता'रीफ़ बताइये ।

जवाब ईमान लुग़त में तस्दीक़ करने (या'नी सच्चा मानने) को कहते हैं ।⁽²⁾ ईमान का दूसरा लुग़वी मा'ना है : अम्न देना । चूँकि मोमिन अच्छे अक़ीदे इख़्तियार कर के अपने आप को दाइमी या'नी हमेशा वाले अज़ाब से अम्न दे देता है इस लिये अच्छे अक़ीदों के इख़्तियार करने को ईमान कहते हैं ।⁽³⁾ और इस्ति़लाह शर' में ईमान के मा'ना हैं : “सच्चे दिल से उन सब बातों की तस्दीक़ करे जो ज़रूरिय्याते दीन से हैं ।”⁽⁴⁾ और आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मुहम्मदुर्रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को हर बात में सच्चा जाने, हुज़ूर की हक्क़ानिय्यत को सिद्क़े दिल से मानना ईमान है जो इस का मुक़िर (या'नी इक़्ार करने वाला) हो उसे मुसल्मान जानेंगे जब कि उस के किसी कौल या फ़े'ल या हाल में अल्लाह व रसूल (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) का इन्कार या तकज़ीब (या'नी झुटलाना) या तौहीन न पाई जाए ।⁽⁵⁾

सुवाल क्या दिल से तस्दीक़ के साथ ज़बान से इक़्ार करना भी ज़रूरी है ?

जवाब मुसल्मान होने के लिये दिल की तस्दीक़ के साथ ज़बान से इक़्ार करना भी शर्त है ताकि दूसरे लोग उसे मुसल्मान समझें और मुसल्मान उस के साथ मुसल्मानों जैसा सुलूक करें । इस की तफ़सील ये है कि अगर तस्दीक़ के बा'द इज़हार का मौक़अ न मिला तो इन्दल्लाह मोमिन है और अगर मौक़अ मिला

① ... बहारे शरीअत, 1/150, हिस्सा : 1

② ... तफ़सीर फ़रूज़ी, प 1, البقره، تحت الآية: 147/3:1

③ ... तफ़सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयह : 3, 1/8

④ ... बहारे शरीअत, 1/172, हिस्सा : 1 माखूज़न

⑤ ... फ़तावा रज़विय्या, 29/254

और उस से मुतालबा किया गया और इक़्ार न किया तो काफ़िर है और अगर मुतालबा न किया गया तो अहकामे दुन्या में काफ़िर समझा जाएगा न उस के जनाजे की नमाज़ पढ़ेंगे न मुसल्मानों के क़ब्रिस्तान में दफ़न करेंगे मगर इन्दल्लाह मोमिन है अगर कोई अम्र ख़िलाफ़े इस्लाम ज़ाहिर न किया हो ।

तम्बीह : मुसल्मान होने के लिये येह भी शर्त है कि ज़बान से किसी ऐसी चीज़ का इन्कार न करे जो ज़रूरिय्याते दीन से है, अगर्चे बाकी बातों का इक़्ार करता हो, अगर्चे वोह येह कहे कि सिर्फ़ ज़बान से इन्कार है दिल में इन्कार नहीं कि बिला इक़्ाहे शर्ई मुसल्मान कलिमए कुफ़्र सादिर नहीं कर सकता, वोही शख़्स ऐसी बात मुंह पर लाएगा जिस के दिल में इतनी ही वुक्अत है कि जब चाहा इन्कार कर दिया और ईमान तो ऐसी तस्दीक़ है जिस के ख़िलाफ़ की अस्लन गुन्जाइश नहीं ।

सुवाल अगर कोई जान से मार डालने की धम्की दे और वोह इस डर की वजह से ज़बान से कलिमए कुफ़्र बक दे, दिल ईमान पर मुत्मइन हो तो क्या वोह मोमिन ही रहेगा ?

जवाब हां ! अगर वाक़ई ऐसी हालत है कि जान का ख़ौफ़ है और तस्दीके क़ल्बी में कुछ ख़लल या'नी ख़राबी न आए या'नी ईमान पर दिल मुत्मइन रहे तो ऐसा शख़्स मोमिन होगा अगर्चे उस को मजबूरी की हालत में ज़बान से कलिमए कुफ़्र कहना भी पड़ जाए मगर बेहतर येही है कि ऐसी हालत में भी कलिमए कुफ़्र ज़बान पर न लाए ।

सुवाल क्या कबीरा गुनाह करने से बन्दा ईमान से ख़ारिज हो जाता है ?

जवाब गुनाहे कबीरा करने से आदमी काफ़िर और ईमान से ख़ारिज नहीं होता ।

सुवाल कबीरा गुनाह क्या होता है ?

जवाब वोह गुनाह जिस के बारे में कुरआनो हदीस में हद (सज़ा) या वर्ईद बयान की गई हो । याद रहे कि सगीरा गुनाह भी इसरार (या'नी बिगैर तौबा के बार बार करने) से कबीरा हो जाता है यूंही हलका जान कर करने से भी कबीरा हो जाता है ।

सुवाल वोह कौन से गुनाह हैं जो कभी न बख़्शे जाएंगे ?

जवाब शिर्क व कुफ़्र कभी न बख़्शे जाएंगे और मुशिरक व काफ़िर जिस की मौत कुफ़्रो शिर्क पर हो उस की हरगिज़ मग़िफ़रत न होगी । इन के सिवा अल्लाह पाक जिस गुनाह को चाहेगा अपने महबूब बन्दों की शफ़ाअत से या महज़ अपने करम से बख़्श देगा ।

सुवाल कुफ़्र के क्या मा'ना हैं ?

जवाब कुफ़ का लुग़वी मा'ना है : किसी शै को छुपाना।⁽¹⁾ और इस्तिलाह में किसी एक ज़रूरते दीनी के इन्कार को भी कुफ़ कहते हैं अगर्चे बाकी तमाम ज़रूरियाते दीन की तस्दीक करता हो।⁽²⁾ जैसे कोई शख्स अगर तमाम ज़रूरियाते दीन को तस्लीम करता हो मगर नमाज़ की फ़र्जियत या ख़तमे नुबुव्वत का मुन्किर हो वोह काफ़िर है। कि नमाज़ को फ़र्ज मानना और सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को आख़िरी नबी मानना दोनों बातें ज़रूरियाते दीन में से हैं।

सवाल ज़रूरियाते दीन किसे कहते हैं ?

जवाब ज़रूरियाते दीन, इस्लाम के वोह अहक़ाम हैं, जिन को हर ख़ासो आ़म जानते हों, जैसे अल्लाह पाक की वहदानियत (या'नी उस का एक होना), अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की नुबुव्वत, नमाज़, रोज़े, हज़, जन्नत, दोज़ख़, क़ियामत में उठाया जाना, हि़साबो किताब लेना वग़ैरहा। मसलन येह अक्कीदा रखना (भी ज़रूरियाते दीन में से है) कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ “ख़ातमुन्नबियीन” हैं हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। अ़वाम से मुराद वोह मुसल्मान हैं जो उ़लमा के तब्के में शुमार न किये जाते हों मगर उ़लमा की सोहबत में बैठने वाले हों और इल्मी मसाइल का जौक़ रखते हों। वोह लोग मुराद नहीं जो दूर दराज़ जंगलों पहाड़ों में रहने वाले हों जिन्हें सहीह कलिमा पढ़ना भी न आता हो कि ऐसे लोगों का ज़रूरियाते दीन से ना वाकिफ़ होना इस दीनी ज़रूरी को ग़ैर ज़रूरी न कर देगा। अलबत्ता ऐसे लोगों के मुसल्मान होने के लिये येह बात ज़रूरी है कि ज़रूरियाते दीन के मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाले) न हों और येह अक्कीदा रखते हों कि इस्लाम में जो कुछ है हक़ है। इन सब पर इज्मालन ईमान लाए हों।⁽³⁾

ज़रूरियाते दीन की मज़ीद वज़ाहत के लिये “नुज़हतुल क़ारी शर्हे सहीहुल बुख़ारी” जिल्द अव्वल सफ़हा 239 से इक्तिबास मुलाहज़ा हो, चुनान्चे शारेहे बुख़ारी हज़रते अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद शरीफ़ुल हक़ अमजदी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ईमान की ता'रीफ़ में ज़रूरियाते दीन का (जो) लफ़ज़ आया है, उस से मुराद वोह दीनी बातें हैं जिन का दीन से होना ऐसी क़ई यक्कीनी दलील से साबित हो जिस में ज़र्ज़ बराबर शुबा न हो और उन का दीनी बात होना हर आ़म व ख़ास को मा'लूम हो। ख़वास से मुराद उ़लमा हैं और अ़वाम से मुराद वोह लोग हैं जो आ़लिम नहीं मगर ! उ़लमा की सोहबत में रहते हों। इस



①...المفردات، کتاب الکاف، ص 433

②... बहारे शरीअत, 1/172, हिस्सा : 1 माखूज़न

③... बहारे शरीअत, 1/172, हिस्सा : 1 मुलख़ब़सन

बिना पर वोह दीनी बातें जिन का दीनी बात होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत क़र्द्द नहीं तो वोह ज़रूरियाते दीन से नहीं मसलन अज़ाबे क़ब्र, आ'माल का वज़्न। यूँही वोह बातें जिन का सुबूत क़र्द्द है मगर उन का दीन से होना अ़वाम व ख़वास सब को मा'लूम नहीं तो वोह भी ज़रूरियाते दीन से नहीं, जैसे सुल्बी बेटी⁽¹⁾ के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलेगा।

जिन दीनी बातों का सुबूत क़र्द्द हो और वोह ज़रूरियाते दीन से न हों उन का मुन्किर (या'नी इन्कार करने वाला) अगर उस के सुबूत के क़र्द्द होने को जानता हो तो काफ़िर है और अगर न जानता हो तो उसे बताया जाए, बताने पर अगर हक़ माने तो मुसल्मान और बताने के बा'द भी अगर इन्कार करे तो काफ़िर।⁽²⁾

वोह बातें जिन का दीन से होना सब को मा'लूम है मगर उन का सुबूत क़र्द्द नहीं उन का मुन्किर काफ़िर नहीं अगर येह बातें ज़रूरियाते मज़हबे अहले सुन्नत से हों तो (इन्कार करने वाला) गुमराह और अगर इस से भी न हो तो ख़ाती (या'नी ख़ताकार)।

सुवाल क्या कुफ़्र कुछ अफ़अल करने से भी सरज़द हो जाता है या सिर्फ़ ज़बान से बोलने या दिल से ही मानने से होता है ?

जवाब बा'ज अफ़अल जो इस्लाम की तकज़ीब व इन्कार की अ़लामात हैं उन पर भी हुक्मे कुफ़्र दिया जाता है जैसे जुन्नार पहनना, क़श्का लगाना वगैरा।

सुवाल मुसल्मानों और काफ़िरों का आख़िर कार अन्जाम क्या होगा ?

जवाब काफ़िर हमेशा दोज़ख़ में रहेंगे और मुसल्मान कितना भी गुनहगार हो कभी न कभी ज़रूर नजात पाएगा।

सुवाल मुसल्मान कौन है ?

जवाब जो ज़बान से इस्लाम का इक़्रार और दिल से इस की तस्दीक़ करे और ज़रूरियाते दीन में से किसी का इन्कार न करे।

सुवाल जो ज़बान से इक़्रार करे लेकिन दिल से तस्दीक़ न करे, क्या वोह भी मुसल्मान है ?

1 ... नुज़हतुल क़ारी के नुस्खों में इस जगह “बेटी” के बजाए “बेटियों” लिखा है जो किताबत की ग़लती मा'लूम होती है क्यूं कि हज़रते अ़ल्लामा इब्ने हुमाम رحمة الله عليه “अल मुसायरह” सफ़हा 360 पर तहरीर फ़रमाते हैं : जिन का सुबूत क़र्द्द है मगर वोह ज़रूरियाते दीन की हद को न पहुँचा हो जैसे (मीरास में) सुल्बी बेटी के साथ अगर पोती हो तो पोती को छटा हिस्सा मिलने का हुक्म इज़्माए उम्मत से साबित है... (السيرة ص 360)

2 ... در مختار، کتاب الصلوة، باب الامامة، 358 / 2

जवाब वोह मुनाफ़ि़क़ है जो काफ़िर से भी बदतर है और उस का ठिकाना दोज़ख़ का सब से नीचे वाला तब्का है ।

सुवाल जो न दिल से तस्दीक़ करे न ज़बान से इक़्ार करे उसे क्या कहेंगे ?

जवाब वोह भी यक्कीनन काफ़िर है ।

सुवाल जो दिल से तस्दीक़ भी करे और ज़बान से इक़्ार भी और हर तरह के कुफ़्रो शिर्क से बचे लेकिन गुनाह करे उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब वोह मुसलमान तो है लेकिन फ़ासि़क़ (गुनहगार व ना फ़रमान) है ।

सबक़ नम्बर 32

कुफ़्रिय्या कलिमात व अहकामे मुरतद का बयान

कुफ़्रो शिर्क से बदतर कोई गुनाह नहीं और वोह भी इरतिदाद कि येह कुफ़्रे अस्ली से भी ब ए'तिबारे अहकाम सख़्त तर है, जैसा कि इस के अहकाम से मा'लूम होगा । मुसलमान को चाहिये कि इस से पनाह मांगता रहे कि शैतान हर वक़्त ईमान की घात में है और हदीस में फ़रमाया कि शैतान इन्सान के बदन में ख़ून की तरह गर्दिश करता है ।⁽¹⁾ आदमी को कभी अपने ऊपर या अपनी ताअतो आ'माल पर भरोसा न चाहिये हर वक़्त खुदा पर ए'तिमाद करे और उसी से बकाए ईमान की दुआ चाहे कि उसी के हाथ में क़ल्ब है और क़ल्ब को क़ल्ब इसी वजह से कहते हैं कि लोट पोट होता रहता है, ईमान पर साबित रहना उसी की तौफ़ीक़ से है जिस के दस्ते कुदरत में क़ल्ब है और हदीस में फ़रमाया कि शिर्क से बचो कि वोह च्यूंटी की चाल से ज़ियादा मख़फ़ी है ।⁽²⁾ और इस से बचने की हदीस में एक दुआ इर्शाद फ़रमाई इसे हर रोज़ तीन मरतबा पढ़ लिया करो, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का इर्शाद है कि शिर्क से महफूज़ रहोगे, वोह दुआ येह है :

(3) اللَّهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ اُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا وَاَنَا اَعْلَمُ وَاَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا اَعْلَمُ اِنَّكَ اَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ ! या'नी ऐ अल्लाह ! मैं तेरी पनाह मांगता हूं कि जान बूझ कर तेरे साथ किसी को शरीक बनाऊं और तुझ से बख़्शिश मांगता हूं (उस शिर्क से) जिसे मैं नहीं जानता बेशक तू दानाए गुयूब है ।⁽⁴⁾

सुवाल निफ़ाक़ की क्या ता'रीफ़ है ?



1... तर्ज़ु, کتاب الرضا, باب اجاء کرامیه... الخ 2/391, حدیث: 1175

2... مسند امام احمد, مسند الکوفیین, حدیث ابی موسیٰ الأشعری, 7/146, حدیث: 19625

3... الدر المختار و رد المحتار, کتاب الجهاد, باب المرتد, مطلب: فی حکم من شتم... الخ 6/354

4... बहारे शरीअत, 2/454, हिस्सा : 9 ब तग़य्युरे क़लील

जवाब ज़बान से इस्लाम का दा'वा करना और दिल में इस्लाम से इन्कार करना निफ़ाक़ है। येह भी ख़ालिस कुफ़्र है बल्कि ऐसे लोगों के लिये जहन्नम का सब से निचला तब्क़ा है। सरवरे काएनात, शहन्शाहे मौजूदात صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की जाहिरी हयात के ज़माने में इस सिफ़त के कुछ अपराद बतौर मुनाफ़िक्कीन मशहूर हुए, उन के बातिनी कुफ़्र को कुरआने मजीद में बयान किया गया है। नीज़ सुल्ताने मदीना صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने ब अताए इलाही अपने वसीअ इल्म से एक एक को पहचाना और नाम बनाम फ़रमा दिया कि येह येह मुनाफ़िक् हैं। अब इस ज़माने में किसी मख़सूस शख़्स की निस्बत यकीन से कहना कि वोह मुनाफ़िक् है मुम्किन नहीं कि हमारे सामने जो इस्लाम का दा'वा करे हम उसे मुसल्मान ही समझेंगे जब तक कि ईमान के मुनाफ़ी (या'नी ईमान के उलट) कोई क़ौल (बात) या फ़ै'ल (काम) उस से सरज़द न हो। अलबत्ता निफ़ाक़ या'नी मुनाफ़क़त की एक शाख़ इस ज़माने में भी पाई जाती है कि बहुत से बद मज़हब अपने आप को मुसल्मान कहते हैं और देखा जाए तो इस्लाम के दा'वे के साथ साथ बहुत से ज़रूरिय्याते दीन का इन्कार भी करते हैं।⁽¹⁾

मुरतद की ता'रीफ़ और चन्द मख़सूस अहक़ाम

अल्लाह करीम के करोड़हा करोड़ एहसान कि उस ने हमें इन्सान बनाया, मुसल्मान किया और अपने हबीबे मुकर्रम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का दामने करम हमारे हाथों में दिया। इस में कोई शक़ नहीं कि हम मुसल्मान हैं मगर हम में से किसी के पास इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि वोह मरते दम तक मुसल्मान ही रहेगा। जिस तरह बे शुमार कुफ़्रार ख़ुश किस्मती से मुसल्मान हो जाते हैं उसी तरह मुतअद्दद बद नसीब मुसल्मानों का مَعَاذَ اللّٰهِ ईमान से मुन्हरिफ़ हो जाना (या'नी फिर जाना) भी साबित है। और जो ईमान से फिर कर या'नी मुरतद हो कर मरेगा वोह हमेशा हमेशा के लिये दोज़ख़ में रहेगा। चुनान्वे पारह 2 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 217 में फ़रमाने बारी है :

وَمَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢١٧﴾
(प 217: البقرة)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम में जो कोई अपने दीन से फिरे, फिर काफ़िर हो कर मरे, तो उन लोगों का किया अकारत गया दुनिया में और आख़िरत में, और वोह दोज़ख़ वाले हैं, उन्हें उस में हमेशा रहना।

1 ... बहारे शरीअत, 1/182, हिस्सा : 1 मुलख़ब़सन

सुवाल मुरतद कौन होता है ?

जवाब मुरतद वोह शख्स है कि इस्लाम के बा'द किसी ऐसे अम्र का इन्कार करे जो ज़रूरिय्याते दीन से हो या'नी ज़बान से ऐसा कलिमए कुफ़्र बके जिस में तावीले सहीह की गुन्जाइश न हो। यूंही बा'ज अफ़्अाल भी ऐसे हैं जिन से काफ़िर हो जाता है मसलन बुत को सज्दा करना। मुस्हफ़ शरीफ़ को नजासत की जगह फेंक देना।

याद रहे कि जो बतौर तमस्खुर और ठठे के (या'नी मज़ाक़ मस्खरी में) कुफ़्र करेगा वोह भी मुरतद है अगर्चे कहता है कि ऐसा ए'तिकाद नहीं रखता।

सुवाल मुरतद की सज़ा क्या है ?

जवाब जो शख्स **مَعَادُ اللَّهِ** मुरतद हो गया तो मुस्तहब है कि हाकिमे इस्लाम उस पर इस्लाम पेश करे और अगर वोह कुछ शुब्हा बयान करे तो उस का जवाब दे और अगर मोहलत मांगे तो तीन दिन कैद में रखे और हर रोज़ इस्लाम की तल्कीन करे। यूंही अगर उस ने मोहलत न मांगी मगर उम्मीद है कि इस्लाम क़बूल कर लेगा जब भी तीन दिन कैद में रखा जाए फिर अगर मुसल्मान हो जाए फ़बिहा वरना क़त्ल कर दिया जाए बिगैर इस्लाम पेश किये उसे क़त्ल कर डालना मक्रूह है। मुरतद को कैद करना और इस्लाम न क़बूल करने पर क़त्ल कर डालना बादशाहे इस्लाम का काम है और इस से मक्सूद येह है कि ऐसा शख्स अगर जिन्दा रहा और उस से तअर्जुज़ (पूछगछ) न किया गया तो मुल्क में तरह तरह के फ़साद पैदा होंगे और फ़ितने का सिलसिला रोज़ बरोज़ तरक्की पज़ीर होगा जिस की वजह से अम्ने अम्मा में ख़लल पड़ेगा लिहाज़ा ऐसे शख्स को ख़त्म कर देना ही मुक्तज़ाए हिक्मत था। अब चूँकि हुकूमते इस्लाम हिन्दूस्तान में बाक़ी नहीं कोई रोकथाम करने वाला बाक़ी न रहा हर शख्स जो चाहता है बकता है और आए दिन मुसल्मानों में फ़साद पैदा होता है, नए नए मज़हब पैदा होते रहते हैं एक ख़ानदान बल्कि बा'ज जगह एक घर में कई मज़हब हैं और बात बात पर झगड़े लड़ाई हैं। इन तमाम ख़राबियों का बाइस येही नया मज़हब है ऐसी सूरत में सब से बेहतर तरकीब वोह है जो ऐसे वक़्त के लिये कुरआनो हदीस में इर्शाद हुई अगर मुसल्मान उस पर अमल करें तमाम किस्सों से नजात पाएं, दुन्या व आख़िरत की भलाई हाथ आए। वोह येह कि ऐसे लोगों से बिल्कुल मेलजोल छोड़ दें, सलाम कलाम तर्क कर दें, उन के पास उठना बैठना, उन के साथ खाना पीना, उन के यहां शादी बियाह करना, ग़रज़ हर किस्म के तअल्लुकात उन से क़ाअ कर दें, गोया समझें कि वोह अब रहा ही नहीं, **وَاللّٰهُ السَّوْفٰى**।

सुवाल औरत या ना बालिग़ समझदार बच्चा मुरतद हो जाएं तो उन की सज़ा क्या है ?

जवाब औरत या ना बालिग़ समझवाल बच्चा मुरतद हो जाए तो क़त्ल न करेंगे बल्कि कैद करेंगे यहां तक कि तौबा करे और मुसल्मान हो जाए ।

सुवाल क्या मुरतद की इरतिदाद से तौबा क़बूल है ? अगर हां तो क्या हर मुरतद का येही हुक्म है ?

जवाब मुरतद अगर इरतिदाद से तौबा करे तो उस की तौबा मक़बूल है मगर बा'ज मुरतदीन मसलन किसी नबी की शान में गुस्ताख़ी करने वाला कि उस की तौबा मक़बूल नहीं । तौबा क़बूल करने से मुराद येह है कि तौबा करने के बा'द बादशाहे इस्लाम उसे क़त्ल न करेगा ।

सुवाल मुरतद इरतिदाद से मुन्किर हो तो उस की सज़ा के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब मुरतद अगर अपने इरतिदाद से इन्कार करे तो येह इन्कार ब मन्ज़िलए तौबा है अगरचें गवाहाने आदिल से उस का इरतिदाद साबित हो या'नी इस सूरत में येह क़रार दिया जाएगा कि इरतिदाद तो किया मगर अब तौबा कर ली लिहाज़ा क़त्ल न किया जाएगा और इरतिदाद के बाकी अहक़ाम जारी होंगे मसलन उस की औरत निकाह से निकल जाएगी, जो कुछ आ'माल किये थे सब अकारत हो जाएंगे, हज़ की इस्तिताअत रखता है तो अब फिर हज़ फ़र्ज़ है कि पहला हज़ जो कर चुका था बेकार हो गया । अगर उस कौल से इन्कार नहीं करता मगर ला या'नी तक़रीरों से उस अम्र को सहीह बताता है जैसा ज़मानए हाल के मुरतदीन का शेवा है तो येह न इन्कार है न तौबा मसलन क़ादियानी कि नुबुव्वत का दा'वा करता है और ख़ातमुन्नबिय्यीन के ग़लत मा'ने बयान कर के अपनी नुबुव्वत को बर क़रार रखना चाहता है या हज़रते सय्यिदुना मसीह ईसा عَلَيْهِ السَّلَام की शाने पाक में सख़्त सख़्त हम्ले करता है फिर हीले घड़ता है..... ऐसी बातों से कुफ़्र नहीं हट सकता कुफ़्र उठाने का जो निहायत आसान तरीका है काश ! उसे बरतते तो इन ज़हूमतों में न पड़ते और अज़ाबे आख़िरत से भी إِنَّ شَاءَ اللَّهُ रिहाई की सूरत निकलती वोह सिर्फ़ तौबा है कि कुफ़्रो शिर्क सब को मिटा देती है, मगर इस में वोह अपनी ज़िल्लत समझते हैं हालां कि येह खुदा को महबूब, उस के महबूबों को पसन्द, तमाम उक़ला के नज़दीक इस में इज़्ज़त ।

सुवाल इरतिदाद से तौबा का क्या तरीका है ?

जवाब किसी दीने बातिल को इख़्तियार किया मसलन यहूदी या नसरानी हो गया ऐसा शख्स मुसल्मान उस वक़्त होगा कि उस दीने बातिल से बेज़ारी व नफ़रत ज़ाहिर करे और दीने इस्लाम क़बूल करे । और अगर ज़रूरिय्याते दीन में से किसी बात का इन्कार किया हो तो जब तक उस का इक़रार न करे जिस से इन्कार किया है महज़ कलिमए शहादत पढ़ने पर उस के इस्लाम का हुक्म न दिया जाएगा कि कलिमए शहादत का उस ने ब ज़ाहिर इन्कार न किया था मसलन नमाज़ या रोज़े की फ़र्ज़िय्यत से इन्कार करे या

शराब और सुअर की हुर्मत न माने तो उस के इस्लाम के लिये ये शर्त है कि जब तक ख़ास उस अम्र का इक़रार न करे उस का इस्लाम क़बूल नहीं या अल्लाह करीम और रसूलुल्लाह ﷺ की जनाब में गुस्ताख़ी करने से काफ़िर हुवा तो जब तक उस से तौबा न करे मुसल्मान नहीं हो सकता ।

सुवाल तज्दीदे ईमान का तरीका भी बता दीजिये ।

जवाब जिस कुफ़्र से तौबा मक़सूद है वोह उसी वक़्त मक़बूल होगी जब कि वोह उस कुफ़्र को कुफ़्र तस्लीम करता हो और दिल में उस कुफ़्र से नफ़रत व बेज़ारी भी हो । जो कुफ़्र सरज़द हुवा तौबा में उस का तज़्किरा भी हो । मसलन जिस ने वीज़ा फ़ोर्म पर अपने आप को क्रिस्चेन लिख दिया वोह इस तरह कहे : “या अल्लाह ! मैं ने जो वीज़ा फ़ोर्म में अपने आप को क्रिस्चेन ज़ाहिर किया है उस कुफ़्र से तौबा करता हूँ । لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लाइक़ नहीं मुहम्मद ﷺ अल्लाह के रसूल हैं)” इस तरह मख़सूस कुफ़्र से तौबा भी हो गई और तज्दीदे ईमान भी । अगर مَعَادُ اللَّهِ कई कुफ़्रियात बके हों और याद न हो कि क्या क्या बका है तो यूं कहे : “या अल्लाह ! मुझ से जो जो कुफ़्रियात सादिर हुए हैं मैं उन से तौबा करता हूँ ।” फिर कलिमा पढ़ ले । (अगर कलिमा शरीफ़ का तरजमा मा'लूम है तो ज़बान से तरजमा दोहराने की हाज़त नहीं) अगर येह मा'लूम ही नहीं कि कुफ़्र बका भी है या नहीं तब भी अगर एहतिyातन तौबा करना चाहें तो इस तरह कहिये : “या अल्लाह ! अगर मुझ से कोई कुफ़्र हो गया हो तो मैं उस से तौबा करता हूँ ।” येह कहने के बा'द कलिमा पढ़ लीजिये ।

मुरतद से मुतअल्लिक़ चन्द फ़िक्ही अहक़ाम

सुवाल मुरतद मुसल्मान हो गया, अब इरतिदाद से पहले जो इबादात अदा की थीं क्या उन को दोबारा अदा करना होगा ? और जो इबादात इरतिदाद से पहले क़ज़ा थीं क्या उन की अदाएंगी अब भी लाज़िम है ?

जवाब ज़मानए इस्लाम में कुछ इबादात क़ज़ा हो गईं और अदा करने से पहले मुरतद हो गया फिर मुसल्मान हुवा तो उन इबादात की क़ज़ा करे और जो अदा कर चुका था अगर्चे इरतिदाद से बातिल हो गई मगर उस की क़ज़ा नहीं अलबत्ता अगर साहिबे इस्तिताअत हो तो हज़ दोबारा फ़र्ज़ होगा ।

सुवाल मर्द ने कुफ़्रे क़र्ज़ किया तो उस के निकाह का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर कुफ़्रे क़र्ज़ हो तो औरत निकाह से निकल जाएगी फिर इस्लाम लाने के बा'द अगर औरत राज़ी हो तो दोबारा उस से निकाह हो सकता है वरना जहां पसन्द करे निकाह कर सकती है, उस को कोई हक़ नहीं कि औरत को दूसरे के साथ निकाह करने से रोक दे और अगर इस्लाम लाने के बा'द औरत को

ब दस्तूर रख लिया दोबारा निकाह न किया तो कुर्बत जिना होगी और बच्चे वलदुज्जिना और अगर कुफ्रे कर्ई न हो या'नी बा'ज उलमा काफिर बताते हों और बा'ज नहीं या'नी फुकहा के नज्दीक काफिर हो और मुतकल्लिमीन के नज्दीक नहीं तो इस सूरत में भी तज्दीदे इस्लाम व तज्दीदे निकाह का हुक्म दिया जाएगा ।

सुवाल औरत मुरतद हो गई तो उस के निकाह का क्या हुक्म है ?

जवाब औरत मुरतद हो गई फिर इस्लाम लाई तो शौहरे अव्वल से निकाह करने पर मजबूर की जाएगी येह नहीं हो सकता है कि दूसरे से निकाह करे इसी पर फ़तवा है ।

सुवाल मुरतद के निकाह का क्या हुक्म है ? उस का निकाह किस से हो सकता है ?

जवाब मुरतद का निकाह बिल इत्तिफ़ाक़ बातिल है वोह किसी औरत से निकाह नहीं कर सकता, न मुस्लिमा से न काफिरा से न मुरतदा से न हुरा से न कनीज़ से ।

सुवाल तज्दीदे निकाह कैसे किया जाए ?

जवाब तज्दीदे निकाह का मा'ना है : “नए महर से नया निकाह करना ।” इस के लिये लोगों को इकठ्ठा करना ज़रूरी नहीं । निकाह नाम है ईजाब व क़बूल का । हां ब वक्ते निकाह बतौरे गवाह कम अज़ कम दो मर्द मुसल्मान या एक मर्द मुसल्मान और दो मुसल्मान औरतों का हाज़िर होना लाज़िमी है । खुत्बाए निकाह शर्त नहीं बल्कि मुस्तहब है । खुत्बा याद न हो तो अऊज़ुबिल्लाह और बिस्मिल्लाह शरीफ़ के बा'द सूरए फ़ातिहा भी पढ़ सकते हैं । कम अज़ कम दस दिरहम या'नी दो तोला साढ़े सात माशा चांदी (मौजूदा वज़न के हिसाब से 30 ग्राम 618 मिली ग्राम चांदी) या उस की रक़म महर वाजिब है । मसलन आप ने 786 रुपै उधार महर की नियत कर ली है (मगर येह देख लीजिये कि महर मुक़रर करते वक्त मज़क़ूरा चांदी की कीमत 786 रुपै से जाइद तो नहीं) तो अब मज़क़ूरा गवाहों की मौजूदगी में आप “ईजाब” कीजिये या'नी औरत से कहिये : “मैं ने 786 रुपै महर के बदले आप से निकाह किया ।” औरत कहे : “मैं ने क़बूल किया ।” निकाह हो गया । येह भी हो सकता है कि औरत ही खुत्बा या सूरए फ़ातिहा पढ़ कर “ईजाब” करे और मर्द कहे : “मैं ने क़बूल किया”, निकाह हो गया । बा'दे निकाह अगर औरत चाहे तो महर मुआफ़ भी कर सकती है । मगर मर्द बिला हाज़ते शर्ई औरत से महर मुआफ़ करने का सुवाल न करे ।

सुवाल मुरतद के ज़बीहे का क्या हुक्म है ?

जवाब मुरतद का ज़बीहा मुर्दार है अगर्चे बिस्मिल्लाह कह के ज़ब्द करे । यूंही कुत्ते या बाज़ या तीर

से जो शिकार किया है वोह भी मुर्दार है, अगर्चे छोड़ने के वक़्त **بِسْمِ اللَّهِ** कह ली हो।

सुवाल मुर्तद की गवाही और उस के वारिस बनने के मुतअल्लिक क्या शर्ई हुक्म है ?

जवाब मुर्तद किसी मुआमले में गवाही नहीं दे सकता और किसी का वारिस नहीं हो सकता और ज़मानए इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस में मुर्तद का कोई वारिस नहीं।

सुवाल मुर्तद के माल का क्या हुक्म है ? दोबारा इस्लाम क़बूल करने या न करने की सूरत में क्या हुक्म होगा ?

जवाब इरतिदाद से मिल्क जाती रहती है या'नी जो कुछ उस के अम्लाक व अम्वाल थे सब उस की मिल्क से ख़ारिज हो गए मगर जब कि फिर इस्लाम लाए और कुफ़्र से तौबा करे तो ब दस्तूर मालिक हो जाएगा और अगर कुफ़्र ही पर मर गया या दारुल हर्ब को चला गया तो ज़मानए इस्लाम के जो कुछ अम्वाल हैं उन से अव्वलन उन दुयून को अदा करेंगे जो ज़मानए इस्लाम में उस के ज़िम्मे थे, उस से जो बचे वोह मुसल्मान वुरसा को मिलेगा और ज़मानए इरतिदाद में जो कुछ कमाया है उस से ज़मानए इरतिदाद के दुयून अदा करेंगे इस के बा'द जो बचे वोह फ़ए है।

सुवाल बीवी की इद्दत में मुर्तद हो कर दारुल हर्ब चला गया या इसी हालत में क़त्ल कर दिया गया तो क्या औरत वारिस होगी ?

जवाब औरत को त़लाक़ दी थी वोह अभी इद्दत ही में थी कि शौहर मुर्तद हो कर दारुल हर्ब को चला गया या हालते इरतिदाद में क़त्ल किया गया तो वोह औरत वारिस होगी।

वोह सूरतें जो कुफ़्रिय्या नहीं हैं

सुवाल ज़बान फ़िस्सलने की वजह से कुफ़्रिय्या बात निकल गई तो क्या हुक्म है ?

जवाब कहना कुछ चाहता था और ज़बान से कुफ़्र की बात निकल गई तो काफ़िर न हुवा या'नी जब उस अम्र से इज़हारे नफ़रत करे कि सुनने वालों को भी मा'लूम हो जाए कि ग़लती से येह लफ़ज़ निकला है और अगर बात की पच की तो अब काफ़िर हो गया कि कुफ़्र की ताईद करता है।

सुवाल कुफ़्रिय्या बात का दिल में ख़याल पैदा हुवा तो क्या काफ़िर हो जाएगा ?

जवाब कुफ़्रिय्या बात का दिल में ख़याल पैदा हुवा और ज़बान से बोलना बुरा जानता है तो येह कुफ़्र नहीं बल्कि ख़ास ईमान की अ़लामत है कि दिल में ईमान न होता तो उसे बुरा क्यूं जानता।

कलिमाते कुफ़्रिय्या का बयान

सुवाल कलिमाते कुफ़्र की कितनी किस्में हैं ?

जवाब कलिमाते कुफ़ की दो किस्में हैं : (1) लुज़ूमे कुफ़ (2) इल्तिज़ामे कुफ़ ।

चुनान्वे हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : अक्वाले कुफ़्रिया दो किस्म के हैं : (1) एक वोह जिस में किसी मा'निये सहीह का भी एहतिमाल (या'नी पहलू) हो (2) दूसरे वोह कि उस में कोई ऐसे मा'ना नहीं बनते जो काइल को कुफ़ से बचावे । इस में अव्वल को लुज़ूमे कुफ़ कहा जाता है और किस्मे दुवुम को इल्तिज़ामे कुफ़ ।

लुज़ूमे कुफ़ की सूरत में भी फुक़हाए किराम (رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ) ने हुक्मे कुफ़ दिया मगर मुतकल्लिमीन (1) इस से सुकूत करते (या'नी ख़ामोशी इख़्तियार फ़रमाते) हैं । और फ़रमाते हैं जब तक इल्तिज़ाम की सूरत न हो काइल को काफ़िर कहने से सुकूत किया जाएगा और अहवत (या'नी ज़ियादा मोहतात) येही मज़हबे मुतकल्लिमीन (2) وَاللّٰهُ اَعْلَمُ है । رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

सुवाल लुज़ूमे कुफ़ और इल्तिज़ामे कुफ़ की मज़ीद तफ़सील बयान कर दीजिये ।

जवाब लुज़ूमे कुफ़ की ता'रीफ़ का खुलासा येह है कि वोह बात ऐने कुफ़ नहीं मगर कुफ़ तक पहुंचाने वाली है और इल्तिज़ामे कुफ़ येह है कि ज़रूरिय्याते दीन में से किसी चीज़ का सराहतन (या'नी वाजेह तौर पर) ख़िलाफ़ करे ।

चुनान्वे आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लुज़ूम व इल्तिज़ाम के मुतअल्लिक़ फ़रमाते हैं : सय्यिदुल आलमीन, मुहम्मदुरसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जो कुछ अपने रब्बे करीम के पास से लाए उन सब में उन की तस्दीक़ करना और सच्चे दिल से उन की एक एक बात पर यकीन लाना ईमान है और مَعَاذَ اللهِ उन में से किसी बात का झुटलाना और उस में अदना शक़ लाना कुफ़ (है) । फिर येह इन्कार जिस से खुदा मुझे और सब मुसल्मानों को पनाह दे, दो तरह होता है : (1) लुज़ूमी (2) इल्तिज़ामी । इल्तिज़ामी येह कि ज़रूरिय्याते दीन से किसी शै का तस्रीह्न (या'नी साफ़ साफ़) ख़िलाफ़ करे येह क़त्अन इज्माअन कुफ़ है अगर्चे (ख़िलाफ़ करने वाला) नामे कुफ़ से चिड़े और कमाले इस्लाम का दा'वा करे । जैसे ताइफ़ा तालिफ़ा नयाचरा (या'नी हलाको बरबाद होने वाले नेचरी फ़िर्के वालों) का, वुजूदे मलक व जिन्न व शैतान व आस्मान व नार व जिनान व मो'जिज़ाते अम्बिया عَلَيْهِمُ الْفَضْلُ وَالسَّلَام से उन मआनी पर कि अहले इस्लाम के नज़्दीक़ हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मुतवातिर हैं इन्कार करना और अपनी तावीलाते बातिला व तवह्हुमाते आतिला (या'नी झूटी तावीलों और ख़ाली वहमों) को ले मरना । न हरगिज़ हरगिज़

1... जो उलमाए किराम इल्मे कलाम या'नी इल्मे अक़ाइद के माहिर होते हैं और नक्ली या'नी शरई दलाइल के साथ साथ अक्ली दलाइल से भी अक़ाइद को साबित करते हैं उन्हें मुतकल्लिमीन कहा जाता है ।

2... फ़तावा अमजदिय्या, 4/512, 513

इन तावीलों के शोशे उन्हें कुफ़्र से बचाएंगे, न महबूबते इस्लाम व हमदर्दी के झूटे दा'वे काम आएंगे..... और लुजूमि येह कि जो बात उस ने कही ऐने कुफ़्र नहीं मगर मुन्जिर बि कुफ़्र (या'नी कुफ़्र की तरफ़ ले जानी वाली) होती है, या'नी मआले सुख़न व लाज़िमे हुक्म को तरतीबे मुक़द्मात व तत्मीमे तक्रीबात करते ले चलिये तो अन्जामे कार उस से किसी ज़रूरिये दीन का इन्कार लाज़िम आए।⁽¹⁾

सुवाल सरकारे आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के मुबारक फ़तवे के बयान कर्दा इक़्तिबास का आसान लफ़्ज़ों में खुलासा कर दीजिये।

जवाब आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ अपने मुबारक फ़तवे के मज़क़ूर इक़्तिबास में ईमान व कुफ़्र की ता'रीफ़ बयान करने के बा'द कुफ़्र की दो अक़साम लुजूम व इल्तिज़ाम का ज़िक्र करते हुए फ़रमाते हैं :

(1) इल्तिज़ामे कुफ़्र या'नी ज़रूरिय्याते दीन में से किसी एक चीज़ का भी ख़िलाफ़ करना। चाहे वोह ख़िलाफ़ करने वाला ब ज़ाहिर इस्लाम का कैसा ही शैदाई बनता हो और बेशक कुफ़्र के नाम से चिड़ता हो मगर उस पर हुक्मे कुफ़्र है और वोह इस्लाम से ख़ारिज है। जैसा कि नेचरी फ़िर्के वाले जो कि ब ज़ाहिर इस्लाम और मिल्लते इस्लामिया की महबूबतों का ख़ूब दम भरते और बढ़ चढ़ कर अपने आप को मुसलमानों में खपाते हैं मगर कई ज़रूरिय्याते दीन का ख़िलाफ़ करते हैं मसलन मलाएका, जिन्नात, शैतान, आस्मान, जन्नत, दोज़ख़ और मो'जिज़ाते अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام के वोह मआनी जो कि हमारे मक्की मदनी आका صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से ब तवातुर साबित हैं और सभी अहले इस्लाम का जिन पर इत्तिफ़ाक़ है उन को तस्लीम करने के बजाए उलटी सीधी तावीलों के ज़रीए अपने मन घड़त जुदागाना मा'ना बयान करते हैं। लिहाज़ा नेचरियों को उन के महबूबते इस्लाम के दा'वे हरगिज़ कुफ़्र से नहीं बचा सकते।

(2) लुजूमे कुफ़्र ऐन कुफ़्र तो नहीं होता मगर कुफ़्र तक ले जाने वाला होता है। या'नी कलाम का अन्जाम और हुक्म का लाज़िम कुफ़्रे हकीकी है। मुराद येह कि अगर मुक़द्मात को तरतीब दिया जाए और तक्रीबात को मुकम्मल करते जाएं तो बिल आख़िर किसी ज़रूरते दीनी का इन्कार लाज़िम आए। इस की बहुत सी सूरतें होती हैं।

सुवाल ऐसे शख्स के बारे में क्या हुक्म है जिस के "कौल" के कुफ़्र होने न होने में अइम्माए दीन या'नी फ़ुक़हा और मुतकल्लिमीन का इख़्तिलाफ़ हो ?

¹ ... फ़तावा रज़विyya, 15/431

जवाब ऐसा शख्स अगर्चे इस्लाम से ख़ारिज नहीं, ताहम उस के लिये तौबा व तज्दीदे ईमान व निकाह का हुक्म है। चुनान्वे आ'ला हज़रत, इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : फिर जब कि अइम्माए दीन (या'नी फ़ुक्हा और मुतकल्लिमीन) उन के कुफ़्र में मुख़्तलिफ़ हो गए तो राह येह है कि अगर अपना भला चाहें जल्द अज़ सरे नौ कलिमए इस्लाम पढ़ें। चन्द सुतूर बा'द मज़ीद फ़रमाते हैं : इस के बा'द अपनी औरतों से तज्दीदे निकाह करें कि कुफ़्रे ख़िलाफ़ी (या'नी जिस कौल या फ़ै'ल के कुफ़्र होने में फ़ुक्हा और मुतकल्लिमीन का इख़िलाफ़ हो उस) का हुक्म येही है।⁽¹⁾

सुवाल अगर कुफ़्र क़र्इ हो (मसलन क़ादियानी का कुफ़्र) और कोई मुफ़्ती उस में इख़िलाफ़ करे तो क्या हुक्म है ?

जवाब वोह "मुफ़्ती" ही नहीं जो क़र्इ कुफ़्र में इख़िलाफ़ करे बल्कि अ़वाम के साथ साथ ऐसे मुफ़्ती का हुक्म भी फ़ुक्हाए किराम رَحْمَتُهُمُ اللهُ عَلَيْهِمُ के नज़दीक येह है : **مَنْ شَكَّ فِي عَذَابِهِ وَكُفْرِهِ فَقَدْ كَفَرَ**। या'नी जो उस (क़र्इ कुफ़्र बकने वाले काफ़िर) के अ़जाब और कुफ़्र में शक करे वोह खुद काफ़िर है।⁽²⁾

सुवाल किसी सुन्नी सहीहुल अक़ीदा मुसल्मान को काफ़िर कहना कैसा है ?

जवाब सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह हज़रते अ़ल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अ़ली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : किसी मुसल्मान को काफ़िर कहा तो ता'ज़ीर (या'नी सज़ा) है। रहा येह कि वोह क़ाइल (या'नी मुसल्मान को काफ़िर कहने वाला) खुद काफ़िर होगा या नहीं, इस में दो सूरेतें हैं :

(1) अगर उसे मुसल्मान जानता है तो काफ़िर न हुवा और (2) अगर उसे काफ़िर ए'तिकाद करता (या'नी येह अक़ीदा रखता है कि येह काफ़िर है) तो खुद काफ़िर है कि मुसल्मान को काफ़िर जानना दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना है और दीने इस्लाम को कुफ़्र जानना कुफ़्र है। हां अगर उस शख्स में कोई ऐसी बात पाई जाती है जिस की बिना पर तक्फ़ीर हो सके और इस ने उसे काफ़िर कहा और जाना तो (कहने वाला) काफ़िर न होगा।⁽³⁾

नीज़ फ़रमाया : (मुसल्मान को बतौर गाली) बद मज़हब, मुनाफ़िक्, ज़िन्दीक्, यहूदी, नसरानी, नसरानी का बच्चा, काफ़िर का बच्चा कहने पर भी ता'ज़ीर (सज़ा) है।⁽⁴⁾ अलबत्ता जो वाक़ेई काफ़िर है उस को काफ़िर ही कहेंगे।

¹ ... फ़तावा रज़विyya, 15/445, 446

² ... در مختار، کتاب الجهاد، باب المرتد، 6/356

³ ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الحدود، باب التعزیر، مطلب فی الجرح الحد، 6/111

⁴ ... बहारे शरीअत, 2/409, हिस्सा : 9 मुलख़बसन 111/6, باب التعزیر

सुवाल अगर कोई ना बालिग़ बच्चा कलिमाए कुफ़्र बक दे तो क्या उस पर भी हुक्मे कुफ़्र लागू हो जाता है ? अगर हां तो फिर जब बालिग़ होने के बा'द उस को पता चले कि मैं ने ना बालिगी में कुफ़्र बका था और जो कुफ़्र बका था कुछ कुछ याद है सहीह़ तरह़ याद भी नहीं तो अब किस तरह़ तौबा करे ?

जवाब ना बालिग़ समझदार का कुफ़्र व इस्लाम मो'तबर है। मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : समझदार बच्चा अगर इस्लाम के बा'द कुफ़्र करे तो हमारे नज़्दीक वोह मुरतद होगा।⁽¹⁾

मा'लूम हुवा बालिग़ या समझदार ना बालिग़ कुफ़्र करे तो मुरतद हो जाएगा। अगर बालिग़ होने के बा'द एहसास हुवा और अगर कुफ़्रिय्या कौल याद है तो ख़ास उस से तौबा करे और अगर शक़ है या याद नहीं तो उस मश्कूक कुफ़्रिय्या कलिमे समेत हर किस्म के कुफ़्र से तौबा करे। या'नी इस तरह़ कहे : मैं तमाम कुफ़्रिय्यात से तौबा करता हूं। फिर कलिमा पढ़ ले।

सुवाल घर के फ़र्द या दोस्त वग़ैरा की कोई बात सुन या देख कर क्या आम आदमी भी उस को काफ़िर कह सकता है ?

जवाब जब किसी बात के कुफ़्र होने के बारे में यक़ीनी तौर पर मा'लूम हो मसलन किसी मुफ़्ती साहिब ने बताया हो या किसी मो'तबर किताब मसलन बहारे शरीअत या फ़तावा रज़विyyा शरीफ़ वग़ैरा में पढ़ा हो तब तो उस कुफ़्री बात को कुफ़्र ही समझे वरना सिर्फ़ अपनी अट्कल से हरगिज़ हरगिज़ हरगिज़ किसी मुसलमान को काफ़िर न कहे। क्यूं कि कई जुम्ले ऐसे होते हैं जिन के बा'ज़ पहलू कुफ़्र की तरफ़ जा रहे होते हैं और बा'ज़ इस्लाम की तरफ़ और कहने वाले की निय्यत का भी मा'लूम नहीं होता कि उस ने कौन सा पहलू मुराद लिया है। मेरे आका आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मुजद्दिदे दीनो मिल्लत मौलाना शाह अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हमारे अइम्मा رَحْمَتُهُمُ اللهُ ने हुक्म दिया है कि अगर किसी कलाम में 99 एहतिमाल कुफ़्र के हों और एक इस्लाम का तो वाजिब है कि एहतिमाले इस्लाम पर कलाम महमूल किया जाए जब तक उस का ख़िलाफ़ साबित न हो।⁽²⁾

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : किसी कलाम में चन्द मा'ना बनते हैं बा'ज़ कुफ़्र की तरफ़ जाते हैं बा'ज़ इस्लाम की तरफ़ तो उस शख़्स की तक्फ़ीर नहीं की जाएगी हां अगर मा'लूम हो कि काइल (कहने वाले) ने मा'निये

1 ... फ़तावा अफ़रीका, स. 16 माख़ूज़न

2 ... फ़तावा रज़विyyा, 14 /604, 605

कुफ़्र का इरादा किया मसलन वोह खुद कहता है कि मेरी मुराद येही (कुफ़्रिय्या मा'ना वाली) है तो (अब) कलाम का मोहूतमल होना (या'नी कलाम में तावील का पाया जाना) नफ़अ न देगा। यहां से मा'लूम हुवा कि कलिमे के कुफ़्र होने से काइल का काफ़िर होना ज़रूर नहीं।⁽¹⁾

सुवाल क्या येह खयाल दुरुस्त है कि किसी शख्स में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहा जाए ?

जवाब किसी कलाम में चन्द मा'ना बनते हैं बा'ज कुफ़्र की तरफ़ जाते हैं बा'ज इस्लाम की तरफ़ तो उस शख्स की तक्फ़ीर नहीं की जाएगी। हां अगर मा'लूम हो कि काइल ने मा'नए कुफ़्र का इरादा किया मसलन वोह खुद कहता है कि मेरी मुराद येही है तो कलाम का मोहूतमल होना नफ़अ न देगा। यहां से मा'लूम हुवा कि कलिमे के कुफ़्र होने से काइल का काफ़िर होना ज़रूर नहीं। आज कल बा'ज लोगों ने येह खयाल कर लिया है कि किसी शख्स में एक बात भी इस्लाम की हो तो उसे काफ़िर न कहेंगे येह बिल्कुल ग़लत है क्या यहूदो नसारा में इस्लाम की कोई बात नहीं पाई जाती हालां कि कुरआने अज़ीम में उन्हें काफ़िर फ़रमाया गया।

बल्कि बात येह है कि उलमा ने फ़रमाया येह था कि अगर किसी मुसल्मान ने ऐसी बात कही जिस के बा'ज मा'ना इस्लाम के मुताबिक़ हैं तो काफ़िर न कहेंगे इस को उन लोगों ने येह बना लिया। एक येह वबा भी फैली हुई है कहते हैं कि “हम तो काफ़िर को भी काफ़िर न कहेंगे कि हमें क्या मा'लूम कि उस का ख़ातिमा कुफ़्र पर होगा” येह भी ग़लत है कुरआने अज़ीम ने काफ़िर को काफ़िर कहा और काफ़िर कहने का हुक्म दिया। ⁽²⁾ ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ और अगर ऐसा है तो मुसल्मान को भी मुसल्मान न कहो तुम्हें क्या मा'लूम कि इस्लाम पर मरेगा ख़ातिमे का हाल तो खुदा जाने मगर शरीअत ने काफ़िर व मुस्लिम में इम्तियाज़ रखा है अगर काफ़िर को काफ़िर न जाना जाए तो क्या उस के साथ वोही मुआमलात करोगे जो मुस्लिम के साथ होते हैं हालां कि बहुत से उमूर ऐसे हैं जिन में कुफ़्र के अहक़ाम मुसल्मानों से बिल्कुल जुदा हैं मसलन उन के जनाज़े की नमाज़ न पढ़ना, उन के लिये इस्तिग़फ़ार न करना, उन को मुसल्मानों की तरह दफ़न न करना, उन को अपनी लड़कियां न देना वगैरा वगैरा।

बा'ज जाहिल येह कहते हैं कि “हम किसी को काफ़िर नहीं कहते, अल्लिम लोग जानें वोह काफ़िर कहे” मगर क्या येह लोग नहीं जानते कि अ़वाम के तो वोही अ़काइद होंगे जो कुरआनो हदीस वगैरहुमा

1 ... बहारे शरीअत, 2/455, हिस्सा : 9

2 ... पारह : 30, अल काफ़िरून : 1

से उलमा ने उन्हें बताए या अ़वाम के लिये कोई शरीअत जुदागाना है जब ऐसा नहीं तो फिर आलिमे दीन के बताए पर क्यूं नहीं चलते नीज़ येह कि ज़रूरिय्यात का इन्कार कोई ऐसा अम्र नहीं जो उलमा ही जानें अ़वाम जो उलमा की सोहबत से मुशरफ़ होते रहते हैं वोह भी उन से बे ख़बर नहीं होते फिर ऐसे मुआमले में पहलू तही और ए'राज़ के क्या मा'ना ।

यहां चन्द दीगर कलिमाते कुफ़्र जो लोगों से सादिर होते हैं बयान किये जाते हैं ताकि उन का भी इल्म हासिल हो और ऐसी बातों से तौबा की जाए और इस्लामी हुदूद की मुहाफ़ज़त की जाए ।

ईमान व इस्लाम से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल किसी शख़्स को अपने ईमान में शक हो तो ऐसे के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब जिस शख़्स को अपने ईमान में शक हो या'नी कहता है कि मुझे अपने मोमिन होने का यकीन नहीं या कहता है मा'लूम नहीं मैं मोमिन हूं या काफ़िर वोह काफ़िर है । हां अगर उस का मतलब येह हो कि मा'लूम नहीं मेरा ख़ातिमा ईमान पर होगा या नहीं तो काफ़िर नहीं । जो शख़्स ईमान व कुफ़्र को एक समझे या'नी कहता है कि सब ठीक है खुदा को सब पसन्द है वोह काफ़िर है । यूंही जो शख़्स ईमान पर राज़ी नहीं या कुफ़्र पर राज़ी है वोह भी काफ़िर है ।

सुवाल इस्लाम को बुरा कहने वाले के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब एक शख़्स गुनाह करता है लोगों ने उसे मन्अ किया तो कहने लगा इस्लाम का काम इसी तरह करना चाहिये या'नी जो गुनाह व मा'सियत को इस्लाम कहता है वोह काफ़िर है । यूंही किसी ने दूसरे से कहा : मैं मुसल्मान हूं, उस ने जवाब में कहा : तुझ पर भी ला'नत और तेरे इस्लाम पर भी ला'नत, ऐसा कहने वाला काफ़िर है ।

अल्लाह पाक की ज़ाते मुबारका से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल अल्लाह पाक की ज़ाते मुबारका से मुतअल्लिक़ बोले जाने वाले चन्द कुफ़्रिय्या कलिमात बता दें ?

जवाब (1) अगर येह कहा : खुदा मुझे इस काम के लिये हुक्म देता जब भी न करता तो काफ़िर है । (2) एक ने दूसरे से कहा : मैं और तुम खुदा के हुक्म के मुवाफ़िक़ काम करें दूसरे ने कहा : मैं खुदा का हुक्म नहीं जानता, या कहा : यहां किसी का हुक्म नहीं चलता । (3) कोई शख़्स बीमार नहीं होता या बहुत बूढ़ा है मरता नहीं उस के लिये येह कहना कि इसे अल्लाह मियां भूल गए हैं । (4) किसी ज़बान दराज़ आदमी से येह कहना कि खुदा तुम्हारी ज़बान का मुकाबला कर ही नहीं सकता मैं किस तरह करूं येह कुफ़्र है । (5) एक ने दूसरे से कहा : अपनी औरत को काबू में नहीं रखता, उस ने कहा : औरतों पर खुदा को तो कुदरत है नहीं, मुझ को कहां से होगी ।

सवाल अल्लाह करीम के लिये मकान साबित करने का क्या हुक्म है ?

जवाब खुदा के लिये मकान साबित करना कुफ़्र है कि वोह मकान से पाक है येह कहना कि ऊपर खुदा है नीचे तुम येह कलिमए कुफ़्र है ।

सवाल “रोज़ी देने वाला या इन्साफ़ करने वाला ऊपर बैठा है ।” कहना कैसा ?

जवाब येह कलिमए कुफ़्र है क्यूं कि इस में अल्लाह करीम के लिये सम्त व मकान साबित किये गए हैं । सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीकह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : अल्लाह करीम के लिये मकान साबित करना कुफ़्र है कि वोह मकान से पाक है, येह कहना कि “ऊपर खुदा है नीचे तुम” येह कलिमए कुफ़्र है ।⁽¹⁾

सवाल अपने बच्चों को बा'ज़ लोग येही ज़ेहन देते हैं कि अल्लाह ऊपर है । लिहाज़ा उन बच्चों को जब प्यार से पूछा जाए कि अल्लाह पाक कहां है ? तो फ़ौरन आस्मान की तरफ़ उंगली उठा देते हैं । ऐसा सिखाना कैसा ?

जवाब इस तरह वोही सिखाता होगा जिस का अपना ज़ेहन भी येही होता होगा कि **مَعَادُ اللهِ** “अल्लाह पाक ऊपर है या ऊपर उस का मकान है जिस में वोह रहता है” येह दोनों बातें कुफ़्र हैं । अल्लाह पाक जिहत (या'नी सम्त) से भी पाक है और मकान से भी । बच्चे को इशारा मत सिखाइये बल्कि जूं ही बोलने के लाइक हो सब से पहले उस की ज़बान से लफ़ज़ “अल्लाह” निकलवाने की कोशिश फ़रमाइये । इस के बा'द **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ** कहना सिखाइये । नीज़ उस को येह कहना भी सिखाइये : अल्लाह हमारी जान से भी क़रीब है । पारह 26 सूरए **ق** आयत नम्बर 16 में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है : **وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ** ^① तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम दिल की रग से भी उस से ज़ियादा नज़्दीक हैं ।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : येह कमाले इल्म का बयान है कि हम बन्दे के हाल को खुद उस से ज़ियादा जानने वाले हैं, “वरीद” वोह रग है जिस में खून जारी हो कर बदन के हर हर जुज़्ब (या'नी हिस्से) में पहुंचता है, येह रग गरदन में है । मा'ना येह है कि इन्सान के अज्ज़ा एक दूसरे से पर्दे में हैं मगर अल्लाह पाक से कोई चीज़ पर्दे में नहीं ।⁽²⁾

① ... बहारे शरीअत, 2/462, हिस्सा : 9

② ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 26, **ق**, तह्त्तल आयह : 16

सुवाल आज कल गुंगे बहरों को तरबियत देने वाले “अल्लाह” का इशारा आस्मान की तरफ़ उंगली उठा कर सिखाते हैं येह कहाँ तक दुरुस्त है ?

जवाब येह तरीका क़त्अन ग़लत है। उन बेचारों के ज़ेहन में येही नज़रिय्यात बैठ जाते होंगे कि “अल्लाह पाक ऊपर है या ऊपर उस का मकान है जिस में वोह रहता है” येह दोनों बातें कुफ़्र हैं” अल्लाह पाक जिहत (या’नी سمت) से भी पाक है और मकान से भी। आस्मान की तरफ़ इशारा करने के बजाए उन को हाथ के ज़रीए लफ़्ज़ “अल्लाह” बनाना सिखाना चाहिये और इस का तरीका निहायत ही आसान है। सीधे हाथ की उंगलियां मा’मूली सी कुशादा कर के अंगूठे का सिरा ऊपर की तरफ़ थोड़ा सा बढ़ा कर शहादत की उंगली के पहलू के वस्तु में लगा लीजिये अब सीधी हथेली की पुश्त की तरफ़ देखिये तो लफ़्ज़ ۴۱۱ महसूस होगा। इसी तरह कर के उलटे हाथ की हथेली की अगली तरफ़ देखेंगे तो “अल्लाह (۴۱۱)” लिखा हुआ नज़र आएगा।

सुवाल किसी से यूँ कहना कैसा है कि “ऊपर अल्लाह का सहारा, ज़मीन पर आप का सहारा”।

जवाब कुफ़्र है कि इस में अल्लाह पाक के लिये मकान व سمت को साबित किया जा रहा है।

सुवाल किसी ने कहा : “अल्लाह पाक हर जगह है, का’बे में भी है, मस्जिद में भी है, मन्दिर में भी है और गिरजा में भी है” कहने वाले के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब कहने वाले पर लुजूम कुफ़्र का हुक्म है क्यूं कि इस में अल्लाह पाक के लिये मकान साबित किया गया है। इस तरह के कलिमात हम्दिया कलाम में बा’ज ना’त ख़्वा न पढ़ते हैं, उन को तौबा व तज्दीदे ईमान व तज्दीदे निकाह करना चाहिये।

सुवाल अल्लाह पाक को “हाज़िरो नाज़िर” कहना जाइज़ है या नहीं है ?

जवाब बेशक हर चीज़ अल्लाह पाक पर इयां है और वोह हर चीज़ को देखता भी है लेकिन अल्लाह पाक की इन सिफ़ात को बयान करने के लिये “हाज़िरो नाज़िर” के अल्फ़ाज़ इस्ति’माल नहीं कर सकते क्यूं कि एक तो येह अल्फ़ाज़ अल्लाह पाक के अस्मा में से नहीं हैं और दूसरा येह कि इन लफ़्ज़ों के अरबी लुग़त में जो मअ़नी बयान किये गए वोह अल्लाह करीम की शान के लाइक नहीं हैं इसी लिये उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि इन अल्फ़ाज़ का अल्लाह पाक के लिये इस्ति’माल मन्ज़ है। लिहाज़ा अल्लाह करीम की इन सिफ़ात को बयान करने के लिये “हाज़िरो नाज़िर” के बजाए “शहीदो बसीर” कहा जाए। जैसा कि अल्लाह करीम ने खुद इर्शाद फ़रमाया है :

(پ۱۷، ۱۷:۱۷) **إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ** तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हर चीज़ अल्लाह के सामने है।

एक और जगह इशादि बारी है :

إِنَّ اللَّهَ سَبْعٌ مِّائَاتٌ (75:17)

तरजमए कन्जुल ईमान : बेशक अल्लाह सुनता देखता है ।

मुफ़्ती वकारुद्दीन कादिरी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “हाज़िरो नाज़िर के जो मा'ना लुग़त में हैं उन मआनी के ए'तिबार से अल्लाह पाक की ज़ात पर इन अल्फ़ाज़ का बोलना जाइज़ नहीं है ।” “हाज़िर” का मा'ना अरबी लुग़त की मा'रूफ़ व मो'तबर कुतुब अल मुन्जिद और मुख़्तारुस्सिहाह वगैरा में येह लिखे हैं : नज़्दीकी, सहून्, हाज़िर होने की जगह, जो चीज़ खुल्लम खुल्ला बे हिजाब आंखों के सामने हो उसे हाज़िर कहते हैं । और “नाज़िर” के मा'ना मुख़्तारुस्सिहाह में आंख के ढेले की सियाही जब कि नज़र के मा'ना किसी अम्र में तफ़क्कुरो तदब्बुर करना, किसी चीज़ का अन्दाज़ा करना और आंख से किसी चीज़ में तअम्मुल करना लिखे हैं । इन दोनों लफ़्ज़ों के लुग़वी मा'ना के ए'तिबार से अल्लाह करीम को पाक समझना वाजिब है । बिगैर तावील इन अल्फ़ाज़ को अल्लाह करीम पर नहीं बोला जा सकता । इसी लिये अस्माए हुस्ना में “हाज़िरो नाज़िर” बतौरै इस्म या सिफ़त शामिल नहीं हैं । कुरआनो हदीस में येह अल्फ़ाज़ अल्लाह पाक के लिये आए हैं और न ही सहाबए किराम और ताबिईन् या अइम्मए मुज्ताहिदीन् ने येह अल्फ़ाज़ अल्लाह पाक के लिये इस्ति'माल किये हैं ।”(1)

फ़तावा फैज़ुर्रसूल में है : “अगर हाज़िरो नाज़िर ब मा'ना शहीद व बसीर ए'तिक़ाद रखते हैं या'नी हर मौजूद अल्लाह करीम के सामने है और वोह हर मौजूद को देखता है, तो येह अक्कीदा हक़ है मगर इस अक्कीदे की ता'बीर लफ़्ज़ हाज़िरो नाज़िर से करना या'नी अल्लाह पाक के बारे में हाज़िरो नाज़िर का लफ़्ज़ इस्ति'माल करना नहीं चाहिये लेकिन फिर भी कोई शख्स इस लफ़्ज़ को अल्लाह पाक के बारे में बोले तो वोह कुफ़्र न होगा ।”(2) और मुफ़्ती शरीफ़ुल हक़ अमजदी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “अल्लाह पाक को हाज़िरो नाज़िर कहने वाला काफ़िर तो नहीं मगर अल्लाह करीम को हाज़िर व नाज़िर कहना मन्अ है कि अल्लाह करीम के अस्मा तौक्कीफ़ी हैं या'नी शरीअत ने जिन अस्मा का इत्लाक़ रब्बे करीम पर किया है उसी का इत्लाक़ दुरुस्त और जिन अस्मा का इत्लाक़ नहीं फ़रमाया उन से एहतिराज़ चाहिये ।”(3)

सुवाल अल्लाह पाक को इन्सान की तरह बदन वाला मानना कैसा है ?

जवाब ऐसा कहने या मानने वाला काफ़िर है । आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ

1 ... वकारुल फ़तावा, 1/66

2 ... फ़तावा फैज़ुर्रसूल, 1/43

3 ... फ़तावा शारेहे बुख़ारी, 1/305

फ़तावा रज़विyyा, जिल्द 14, सफ़्हा 250 पर “दुरें मुख़्तार” के हवाले से नक़ल करते हैं : अगर ज़रूरिय्याते दीन से किसी चीज़ का मुन्किर हो तो काफ़िर है जैसे येह कहना कि **अल्लाह** पाक अज्जसाम के मानिन्द जिस्म है।⁽¹⁾

सुवाल किसी से यूं कहना कैसा है कि “ऊपर **अल्लाह** का सहारा, ज़मीन पर आप का सहारा।”

जवाब कुफ़्र है कि इस में **अल्लाह** पाक के लिये मकान व सम्त को साबित किया जा रहा है।

सुवाल **अल्लाह** मियां कहना कैसा ?

जवाब **अल्लाह** पाक के साथ “मियां” का लफ़्ज़ बोलना मम्नूअ है। **अल्लाह** पाक, **अल्लाह** तआला, और **अल्लाह** तबारक व तआला वगैरा बोलना चाहिये। आ’ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “(अल्लाह पाक के लिये) मियां का इत्लाक़ न किया जाए (या’नी न बोला जाए) कि वोह तीन मा’ना रखता है, उन में दो (2) रब्बुल इज़्ज़त के लिये मुहाल (या’नी ना मुम्किन) हैं, मियां (या’नी) आका और शौहर और मर्द व औरत में ज़िना का दलाल, लिहाज़ा इत्लाक़ मम्नूअ।”⁽²⁾

सुवाल **अल्लाह** पाक को सख़ी कह सकते हैं या नहीं ?

जवाब **अल्लाह** पाक को सख़ी नहीं जवाब कहना चाहिये। आ’ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़तावा रज़विyyा जिल्द 27 सफ़्हा 165 पर फ़रमाते हैं : अस्माए इलाहिyyह तौकीफ़िया (या’नी कुरआनो हदीस की तरफ़ से **अल्लाह** पाक के ठहराए हुए नाम) हैं, यहां तक कि **अल्लाह** पाक का जवाब होना अपना ईमान मगर उसे सख़ी नहीं कह सकते कि शर्अ में वारिद नहीं। मुफ़स्सिरे कुरआन हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मुहावरए अरब में उमूमन सख़ी उसे कहते हैं जो खुद भी खाए औरों को भी खिलाए। जवाब वोह जो खुद न खाए औरों को खिलाए। इसी लिये **अल्लाह** पाक को सख़ी नहीं कहा जाता है। सख़ी के मुक़ाबिल (OPPOSITE) बख़ील है (और बख़ील वोह है) जो खुद खाए औरों को न खिलाए। जवाब का मुक़ाबिल (OPPOSITE) मुम्सिक है (और मुम्सिक वोह है) जो न खाए न खाने दे। **अल्लाह** पाक की तमाम दुन्यवी उख़वी ने’मतें दुन्या के लिये हैं उस (की अपनी ज़ात) के लिये नहीं।⁽³⁾



2... फ़तावा रज़विyyा, 14/613

3... मिरआतुल मनाजीह, 1/22

सुवाल जो कहे मैं जहन्नम से या अज़ाब से नहीं डरता उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी से कहा : गुनाह न कर, वरना खुदा तुझे जहन्नम में डालेगा, उस ने कहा : मैं जहन्नम से नहीं डरता, या कहा : खुदा के अज़ाब की कुछ परवा नहीं। या एक ने दूसरे से कहा : तू खुदा से नहीं डरता ? उस ने गुस्से में कहा : नहीं, या कहा : खुदा क्या कर सकता है इस के सिवा क्या कर सकता है कि दोज़ख में डाल दे। या कहा : खुदा से डर, उस ने कहा : खुदा कहां है ? ये सब कुफ़्र के कलिमात हैं।

सुवाल अगर कोई येह कहे मैं **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** के बिगैर काम करूंगा तो क्या हुक्म है ?

जवाब किसी से कहा : **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** तुम इस काम को करोगे, उस ने कहा : मैं बिगैर **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** करूंगा या एक ने दूसरे पर जुल्म किया मज़्लूम ने कहा : खुदा ने येही मुक़्दर किया था, ज़ालिम ने कहा : मैं बिगैर **अल्लाह** (पाक) के मुक़्दर किये करता हूं, येह कुफ़्र है।

सुवाल क्या मोहताजी कुफ़्र है ?

जवाब किसी मिसकीन ने अपनी मोहताजी को देख कर येह कहा : ऐ खुदा ! फुलां भी तेरा बन्दा है उस को तू ने कितनी ने'मतें दे रखी हैं और मैं भी तेरा बन्दा हूं मुझे किस क़दर रन्जो तकलीफ़ देता है आख़िर येह क्या इन्साफ़ है ऐसा कहना कुफ़्र है। हदीस में ऐसे ही के लिये फ़रमाया : **“كَادَ الْفَقْرُ أَنْ يَكُونَ كُفْرًا”** (1) मोहताजी कुफ़्र के क़रीब है कि जब मोहताजी के सबब ऐसे ना मुलायम कलिमात सादिर हों जो कुफ़्र हैं तो गोया खुद मोहताजी क़रीब ब कुफ़्र है।

सुवाल **अल्लाह** पाक के नाम की तसगीर करना कैसा है ?

जवाब **अल्लाह** पाक के नाम की तसगीर करना कुफ़्र है, जैसे किसी का नाम **अब्दुल्लाह** या **अब्दुल ख़ालिक़** या **अब्दुर्रहमान** हो उसे पुकारने में आख़िर में अलिफ़ वगैरा ऐसे हुरूफ़ मिला दें जिस से तसगीर समझी जाती है।

सुवाल तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है ये कहना कैसा है ?

जवाब एक शख्स नमाज़ पढ़ रहा है उस का लड़का बाप को तलाश कर रहा था और रोता था किसी ने कहा : चुप रह तेरा बाप अल्लाह अल्लाह करता है ये कहना कुफ़्र नहीं क्यूं कि इस के मा'ना येह हैं कि खुदा की याद करता है और बा'ज़ जाहिल येह कहते हैं कि لا اله الا الله पढ़ता है येह बहुत क़बीह है कि येह नफ़िये महुज़ है, जिस का मतलब येह हुवा कि कोई खुदा नहीं और येह मा'ना कुफ़्र हैं ।

अम्बियाए किराम से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की तरफ़ बे हयाई की निस्बत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब अम्बिया عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की तौहीन करना, इन की जनाब में गुस्ताखी करना या इन को फ़वाहिश व बे हयाई की तरफ़ मन्सूब करना कुफ़्र है, मसलन مَعَادُ اللَّهِ यूसुफ़ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام को जिना की तरफ़ निस्बत करना ।

सुवाल नबिय्ये अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को ख़ातमुन्नबिय्यीन न जानने वाले नीज़ आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मन्सूब अश्या की तौहीन करने वाले के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब जो शख्स हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को तमाम अम्बिया में आखिर नबी न जाने या हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) की किसी चीज़ की तौहीन करे या ऐब लगाए, आप के मूए मुबारक को तहक़ीर से याद करे, आप के लिबास मुबारक को गन्दा और मैला बताए, हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) के नाखुन बड़े बड़े कहे येह सब कुफ़्र है, बल्कि अगर किसी के इस कहने पर कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) को कद्दू पसन्द था कोई येह कहे मुझे पसन्द नहीं तो बा'ज़ उलमा के नज़दीक काफ़िर है और हक़ीक़त येह कि अगर इस हैसियत से उसे ना पसन्द है कि हुज़ूर (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ) को पसन्द था तो काफ़िर है । यूंही किसी ने येह कहा कि हुज़ूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ खाना तनावुल फ़रमाने के बा'द तीन बार अंगुशत हाए मुबारका चाट लिया करते थे, इस पर किसी ने कहा : येह अदब के ख़िलाफ़ है या किसी सुन्नत की तहक़ीर करे, मसलन दाढ़ी बढ़ाना, मूंछें कम करना, इमामा बांधना या शम्ला लटकाना, इन की इहानत कुफ़्र है जब कि सुन्नत की तौहीन मक्सूद हो ।

सुवाल अपने आप को पैग़म्बर कहने वाले का क्या हुक्म है ?

जवाब अब जो अपने को कहे मैं पैग़म्बर हूं और इस का मतलब येह बताए कि मैं पैग़ाम पहुंचाता हूं वोह काफ़िर है या'नी येह तावील मस्मूअ नहीं कि उर्फ़ में येह लफ़ज़ रसूल व नबी के मा'ना में है ।

सहबाए किराम से मुतअल्लिक कुफ़रिया कलिमात

सुवाल हज़रते अबू बक्र सिदीक़ व हज़रते उमर फ़ारूके आ'ज़म رضي الله عنهما की ख़िलाफ़त के इन्कार का क्या हुक्म है ?

जवाब हज़रते शैख़ैन رضي الله عنهما की शाने पाक में सब्बो शत्म करना, तबर्रा कहना या हज़रते सिदीके अक्बर رضي الله عنه की सोहबत या इमामत व ख़िलाफ़त से इन्कार करना कुफ़्र है। हज़रते उम्मुल मुअमिनीन सिदीका رضي الله عنها की शाने पाक में क़ज़फ़ जैसी नापाक तोहमत लगाना यकीनन क़अन कुफ़्र है।

फ़िरिशतों से मुतअल्लिक कुफ़रिया कलिमात

सुवाल दुश्मन या ना पसन्द शख़्स को मलकुल मौत कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब दुश्मन व मबगूज़ को देख कर येह कहना मलकुल मौत आ गए या कहा : उसे वैसा ही दुश्मन जानता हूँ जैसा मलकुल मौत को, इस में अगर मलकुल मौत को बुरा कहना है तो कुफ़्र है और मौत की ना पसन्दीदगी की बिना पर है तो कुफ़्र नहीं। यूँही जिब्रईल या मीकाईल या किसी फ़िरिशते को जो शख़्स ऐब लगाए या तौहीन करे काफ़िर है।

सुवाल कुरआने पाक की किसी आयत को मज़ाक़ के तौर पर पढ़ना कैसा है ?

जवाब कुरआन की किसी आयत को ऐब लगाना या उस की तौहीन करना या उस के साथ मस्ख़रा पन करना कुफ़्र है मसलन दाढ़ी मुंडाने से मन्अ करने पर अक्सर दाढ़ी मुन्डे कह देते हैं ⁽¹⁾ ﴿كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ﴾ जिस का येह मतलब बयान करते हैं कि कल्ला साफ़ करो येह कुरआने मजीद की तहरीफ़ व तब्दील भी है और इस के साथ मज़ाक़ और दिललगी भी और येह दोनों बातें कुफ़्र, इसी तरह अक्सर बातों में कुरआने मजीद की आयतें बे मौक़अ पढ़ दिया करते हैं और मक्सूद हंसी करना होता है जैसे किसी को नमाज़े जमाअत के लिये बुलाया, वोह कहने लगा मैं जमाअत से नहीं बल्कि तन्हा पढ़ूंगा, क्यूं कि अल्लाह पाक फ़रमाता है : ⁽²⁾ ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ تَشُلِّي﴾

सुवाल मज़ामीर के साथ कुरआन पढ़ना कैसा ?

जवाब मज़ामीर के साथ कुरआन पढ़ना कुफ़्र है।

1 ... पारह : 30, अत्तकासुर : 3

2 ... पारह : 21, अल अन्कबूत : 45

नमाज़, अज़ान, रोज़ा वगैरा से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात

सुवाल नमाज़ से मुतअल्लिक़ चन्द कुफ़्रिय्या कलिमात बता दीजिये ।

जवाब किसी से नमाज़ पढ़ने को कहा : उस ने जवाब दिया नमाज़ पढ़ता तो हूं मगर उस का कुछ नतीजा नहीं या कहा : तुम ने नमाज़ पढ़ी क्या फ़ाएदा हुवा या कहा : नमाज़ पढ़ के क्या करूं किस के लिये पढ़ूं मां बाप तो मर गए या कहा : बहुत पढ़ ली अब दिल घबरा गया या कहा : पढ़ना न पढ़ना दोनों बराबर है गरज़ इसी किस्म की बात करना जिस से फ़र्जिय्यत का इन्कार समझा जाता हो या नमाज़ की तहकीर होती हो ये सब कुफ़्र है । कोई शख्स सिर्फ़ रमज़ान में नमाज़ पढ़ता है बा'द में नहीं पढ़ता और कहता येह है कि येही बहुत है या जितनी पढ़ी येही ज़ियादा है क्यूं कि रमज़ान में एक नमाज़ सत्तर नमाज़ के बराबर है ऐसा कहना कुफ़्र है इस लिये कि इस से नमाज़ की फ़र्जिय्यत का इन्कार मा'लूम होता है ।

सुवाल अज़ान की आवाज़ सुन कर येह कहना कि “क्या शोर मचा रखा है” कैसा है ?

जवाब अगर येह क़ौल बर वज्हे इन्कार हो कुफ़्र है ।

सुवाल रोज़ा वोह रखे जिसे खाना न मिले येह कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब रोज़ा रमज़ान नहीं रखता और कहता येह है कि रोज़ा वोह रखे जिसे खाना न मिले या कहता है जब खुदा ने खाने को दिया है तो भूके क्यूं मरें या इसी किस्म की और बातें जिन से रोज़ा की हत्क व तहकीर हो कहना कुफ़्र है ।

सुवाल इल्मे दीन या उलमा की तौहीन का क्या हुक्म है ?

जवाब इल्मे दीन और उलमा की तौहीन बे सबब या'नी महज़ इस वज्हे से कि अल्लिमे इल्मे दीन है कुफ़्र है । यूंही अल्लिमे दीन की नक्ल करना मसलन किसी को मिम्बर वगैरा किसी ऊंची जगह पर बिठाएं और उस से मसाइल बतौरे इस्तिहज़ा दरयाफ़्त करें फिर उसे तक्वे वगैरा से मारें और मज़ाक़ बनाएं येह कुफ़्र है । यूंही शर्अ की तौहीन करना मसलन कहे मैं शर्अ वर्अ नहीं जानता या अल्लिमे दीन मोहतात का फ़तवा पेश किया गया उस ने कहा : मैं फ़तवा नहीं मानता या फ़तवे को ज़मीन पर पटख़ दिया । किसी शख्स को शरीअत का हुक्म बताया कि इस मुआमले में येह हुक्म है उस ने कहा : हम शरीअत पर अमल नहीं करेंगे हम तो रस्म की पाबन्दी करेंगे ऐसा कहना बा'ज़ मशाइख़ के नज़दीक़ कुफ़्र है ।

सुवाल शराब पीते वक़्त या ज़िना करते वक़्त या जूआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त “بِسْمِ اللَّهِ” कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब शराब पीते वक़्त या ज़िना करते वक़्त या जूआ खेलते वक़्त या चोरी करते वक़्त “بِسْمِ اللَّهِ” कहना कुफ़्र है । दो शख्स झगड़ रहे थे एक ने कहा : “لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ” दूसरे ने कहा : लाहौल का क्या

काम है या लाहौल को मैं क्या करूं या लाहौल रोटी की जगह काम न देगा। यूंही **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** और **سُبْحَانَ اللَّهِ** के मुतअल्लिक इसी किस्म के अल्फाज कहना कुफ़्र हैं।

सुवाल बीमारी में घबरा कर यह कहना कि तुझे इख़्तियार है चाहे काफ़िर मार या मुसल्मान मार, इस का क्या हुक्म है ?

जवाब बीमारी में घबरा कर कहने लगा तुझे इख़्तियार है चाहे काफ़िर मार या मुसल्मान मार, यह कुफ़्र है। यूंही मसाइब में मुब्तला हो कर कहने लगा तू ने मेरा माल लिया और औलाद ले ली और यह लिया वोह लिया अब क्या करेगा और क्या बाकी है जो तू ने न किया इस तरह बकना कुफ़्र है।

सुवाल मुसल्मान को कलिमाते कुफ़्र की ता'लीमो तल्कीन करने का क्या हुक्म है ?

जवाब मुसल्मान को कलिमाते कुफ़्र की ता'लीमो तल्कीन करना कुफ़्र है अगर खेला और मज़ाक में ऐसा करे।

अफ़आले कुफ़्रिय्या का बयान

सुवाल होली दीवाली पूजने का क्या हुक्म है नीज़ कुफ़्र के मज़हबी तेहवारों में शिर्कत करना कैसा है ?

जवाब होली और दीवाली पूजना कुफ़्र है कि यह इबादते ग़ैरुल्लाह है। कुफ़्र के मेलों तेहवारों में शरीक हो कर उन के मेले और जुलूसे मज़हबी की शानो शौकत बढ़ाना कुफ़्र है जैसे रामलीला और जन्माष्टमी और राम नवमी वगैरा के मेलों में शरीक होना। यूंही इन के तेहवारों के दिन महूज इस वजह से चीज़ें ख़रीदना कि कुफ़्र का तेहवार है यह भी कुफ़्र है जैसे दीवाली में खिलोने और मिठाइयां ख़रीदी जाती हैं कि आज ख़रीदना दीवाली मनाने के सिवा कुछ नहीं। यूंही कोई चीज़ ख़रीद कर उस रोज़ मुश्रिकीन के पास हदिय्या करना जब कि मक्सूद उस दिन की ता'जीम हो तो कुफ़्र है।

नसीहत : मुसल्मानों पर अपने दीनो मज़हब का तहफ़्फुज लाज़िम है, दीनी हमिय्यत और दीनी ग़ैरत से काम लेना चाहिये, काफ़िरो के कुफ़री कामों से अलग रहें, मगर अफ़सोस कि मुश्रिकीन तो मुसल्मानों से इज्तिनाब करें और मुसल्मान हैं कि उन से इख़्तिलात रखते हैं, इस में सरासर मुसल्मानों का नुक़सान है। इस्लाम खुदा की बड़ी ने'मत है इस की क़द्र करो और जिस बात में ईमान का नुक़सान है, उस से दूर भागो ! वरना शैतान गुमराह कर देगा और यह दौलत तुम्हारे हाथ से जाती रहेगी फिर कफ़े अफ़सोस मलने के सिवा कुछ हाथ न आएगा।⁽¹⁾ ऐ **अल्लाह** ! तू हमें सिराते मुस्तक़ीम पर काइम रख और अपनी नाराज़ी के कामों

1... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में मज़ीद मा'लूमात हासिल करने के लिये अमीरे अहले सुन्नत **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** की किताब "कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब" पढ़ना बहुत मुफ़ीद है।

से बचा और जिस बात में तू राज़ी है उस की तौफ़ीक़ दे, तू हर दुश्वारी को दूर करने वाला है और हर सख़्ती को आसान करने वाला ।

सबक़ नम्बर 33

औलियाउल्लाह का बयान

लफ़्ज़े “वली” विलाअ से बना है जिस का मा’ना कुर्ब और नुसरत है । वलियुल्लाह वोह है जो फ़राइज़ की अदाएंगी से अल्लाह पाक का कुर्ब हासिल करे और रब्बे करीम की इताअत में मशगूल रहे और उस का दिल अल्लाह पाक के नूरे जलाल की मा’रिफ़त में मुस्तगरक़ हो, जब देखे कुदरते इलाही के दलाइल को देखे और जब सुने अल्लाह करीम की आयतें ही सुने और जब बोले तो अपने रब की सना ही के साथ बोले और जब हरकत करे, इताअते इलाही में हरकत करे और जब कोशिश करे तो उसी काम में कोशिश करे जो कुर्बे इलाही का ज़रीआ हो, अल्लाह के ज़िक्र से न थके और चश्मे दिल से खुदा के सिवा ग़ैर को न देखे । येह सिफ़त औलिया की है, बन्दा जब इस हाल पर पहुंचता है तो अल्लाह उस का वली व नासिर और मुईनो मददगार होता है ।⁽¹⁾ ऐसे ही लोगों के बारे में अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ

يَحْزَنُونَ ﴿١١﴾ (پ: 11, یونس: 62)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : सुन लो बेशक अल्लाह के वलियों पर न कुछ ख़ौफ़ है न कुछ ग़म ।

सवाल विलायत कैसे हासिल हो सकती है ?

जवाब विलायत या’नी अल्लाह पाक का मुक़र्रब व मक्बूल बन्दा होना महज़ अल्लाह करीम का अतिर्य्या है जो कि मौला करीम अपने बरगुज़ीदा बन्दों को अपने फ़ज़्लो करम से नवाज़ता है । हां इबादतो रियाज़त भी कभी कभी इस का ज़रीआ बन जाती है और बा’जों को इब्तिदाअन भी मिल जाती है ।

सवाल वलियुल्लाह की चन्द अलामात बयान करें ।

जवाब हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضي الله عنه ने फ़रमाया कि वली वोह है जिस को देखने से अल्लाह पाक याद आए, येही त़बरी की हदीस में भी है । इब्ने ज़ैद ने कहा कि वली वोही है जिस में वोह सिफ़त हो जो इस से अगली आयत में मज़कूर है । “الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ” या’नी ईमान व तक्वा दोनों का जामेअ हो । बा’ज़ उलमा ने फ़रमाया कि वली वोह हैं जो ख़ालिस अल्लाह के लिये महबूबत

1... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 11, सूरए यूनुस, तहत्तल आयह : 62, 4/342

करें।⁽¹⁾ बा'ज बुजुर्गाने दीन ने फ़रमाया : वली वोह हैं जो ताअत या'नी फ़रमां बरदारी से कुर्बे इलाही की तलब करते हैं और अल्लाह पाक करामत से उन की कारसाज़ी फ़रमाता है या वोह जिन की हिदायत का दलील के साथ अल्लाह करीम कफ़ील हो और वोह अल्लाह पाक का हक्के बन्दगी अदा करने और उस की मख़्लूक पर रहूम करने के लिये वक्फ़ हो गए।⁽²⁾

सवाल क्या बे इल्म भी वली बन सकता है ?

जवाब नहीं, विलायत बे इल्म को नहीं मिलती। वली के लिये इल्म ज़रूरी है ख़्वाह ज़ाहिर हासिल करे या इस मर्तबे तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह पाक उस का सीना खोल दे और वोह आलिम बन जाए।

सवाल अगर कोई शख्स शरीअत पर अमल न करे तो क्या वोह वली बन सकता है ?

जवाब जब तक अक्ल सलामत है कोई कैसे ही बड़े मर्तबे का हो अहकामे शरीअत की पाबन्दी से हरगिज़ आज़ाद नहीं हो सकता और जो खुद को शरीअत से आज़ाद समझे वली नहीं।

सवाल जो ऐसे शख्स को वली समझे, उस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब वोह गुमराह है।

सवाल औलियाए किराम क्या कुछ कर सकते हैं ?

जवाब अल्लाह करीम की अता से औलियाए किराम बहुत कुछ कर सकते हैं, उन से करामतें ज़ाहिर होती हैं मसलन आन की आन में मशरिक से मग़रिब में पहुंच जाना, पानी पर चलना, हवा में उड़ना, जमादात या'नी बेजान चीज़ों और हैवानात से कलाम करना, बलाओं और मुसीबतों को टालना, दूर दराज़ के हालात उन पर ज़ाहिर होना। औलिया की करामतें दर हकीकत इन अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام के मो'जिज़ात हैं जिन के वोह उम्मती हों।

सवाल औलियाए किराम की कितनी किस्में हैं ?

जवाब औलियाए किराम की अक्साम के बारे में अकाबिर उलमा व मुहद्दिसीन ने बड़ा तफ़्सीली कलाम फ़रमाया है। अल्लामा सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने कुतब, अब्दाल वग़ैरहुमा के वुजूद पर एक किताब

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 11, सूरए यूनुस, तहत्तल आयह : 62, 4/342

2... تفسیر غازی، یونس، تحت الآية: 62/2، 322-323

तस्नीफ़ फ़रमाई है। अल्लामा नब्हानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की इस मौजूअ पर मशहूर किताब “जामेअ करामाते औलिया” ज़ख़ीम तरीन किताब है। अल्लामा नब्हानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के कलाम की रोशनी में यहां चन्द मशहूर अक्साम बयान की जाती हैं :

(1) अक्ताब। येह कुत्ब की जम्अ है। कुत्ब उसे कहते हैं कि जो खुद या किसी के नाइब के तौर पर हाल और मक़ाम दोनों का जामेअ हो। **(2) अइम्मा**। येह वोह हज़रात हैं कि जो कुत्ब के इन्तिक़ाल के बा'द उस के ख़लीफ़ा बनते हैं और वोह कुत्ब के लिये वज़ीर की तरह होते हैं। हर ज़माने में इन की ता'दाद दो होती है। **(3) अवताद**। हर ज़माने में इन की ता'दाद चार होती है, इस से कम या ज़ियादा नहीं होते। इन में से एक के ज़रीए अल्लाह पाक मशरिफ़ की हिफ़ज़त फ़रमाता है, दूसरे की ज़रीए मगरिब की, तीसरे के ज़रीए शिमाल की और चौथे के ज़रीए जुनूब की हिफ़ज़त फ़रमाता है और इन में से हर एक की अपने हिस्से में विलायत होती है। **(4) अब्दाल**। इन की ता'दाद सात होती है, इस से कम या ज़ियादा नहीं होते, अल्लाह पाक इन के ज़रीए सातों बरें आ'ज़म की हिफ़ज़त फ़रमाता है, इन्हें अब्दाल इस लिये कहते हैं कि जब येह किसी जगह से कूच करते हैं और किसी मस्लहत और कुर्बत की वजह से उस जगह अपना क़ाइम मक़ाम छोड़ने का इरादा करते हैं तो वहां ऐसे आदमी को नामज़द करते हैं कि जो उन का हम शक़ल हो और जो कोई भी उस हम शक़ल को देखे तो वोह उसे अस्ली शख़्स ही समझे हालां कि वोह एक रूहानी शख़्सियत होता है जिसे अब्दाल में से कोई बदल क़स्दन वहां ठहराता है। जिन औलिया में येह कुव्वत होती है, उन्हें अब्दाल कहते हैं। **(5) रिजालुल ग़ैब**। अहलुल्लाह की इस्तिलाह में येह वोह लोग हैं जो रब की बारगाह में इन्तिहाई अज़िज़ी का इज़हार करते हैं और तजल्लियाते रहमान के ग़ुलबे के सबब आहिस्ता आवाज़ के सिवा कुछ कलाम नहीं करते, हमेशा इसी हाल में रहते हैं, छुपे हुए होते हैं पहचाने नहीं जाते, अल्लाह पाक के सिवा किसी से मुनाजात नहीं करते और उस के सिवा किसी के मुशाहदे में मशगूल नहीं होते। बा'ज़ अवकात इस से मुराद वोह लोग होते हैं कि जो इन्सानि निगाहों से पोशीदा हों और कभी इस का इत्लाक़ नेक और मोमिन जिन्नात पर होता है। बा'ज़ अवकात इन से मुराद वोह लोग होते हैं जो ज़ाहिरी हवास से इल्म और रिज़क़ वग़ैरा नहीं लेते उन्हें ग़ैब से येह चीज़ें अज्ञा होती हैं।⁽¹⁾



सुवाल औलियाए किराम से हमें क्या मिलता है ?

जवाब औलियाउल्लाह की महबूबत दोनों ज़हानों की सआदत और रिज़ाए इलाही का सबब है। इन की बरकत से अल्लाह करीम मख़्लूक की हाज़तें पूरी करता है। इन की दुआओं से मख़्लूक फ़ाएदा उठाती है। इन के मज़ारों की ज़ियारत, इन के उर्सों में शिर्कत से बरक़ात हासिल होती हैं, इन के वसीले से दुआ करना क़बूलिय्यत का ज़रीआ है। इन की सीरतों से रहनुमाई हासिल कर के गुमराही से बच कर सिराते मुस्तक़ीम पर इस्तिक़्ामत के साथ चला जा सकता है इन की पैरवी करने में नज़ात है।

सुवाल करामत किसे कहते हैं ?

जवाब औलियाउल्लाह से जो बात ख़िलाफ़े आदत ज़ाहिर हो उसे करामत कहते हैं।

सुवाल क्या वली वोही है जिस से करामत ज़ाहिर हो ?

जवाब अक्सर औलियाए किराम से करामात ज़ाहिर होती हैं, औलियाए किराम अपनी विलायत और करामात को छुपाते हैं, हां जब अल्लाह पाक की तरफ़ से हुक्म पाते हैं तो ज़ाहिर कर देते हैं। इस का मतलब येह हरगीज़ नहीं कि जिस से करामत ज़ाहिर न हो वोह वली ही नहीं।

सुवाल क्या किसी वली से बा'दे विसाल भी करामत ज़ाहिर हो सकती है ?

जवाब जी हां। औलियाए किराम के इन्तिक़्ाल के बा'द भी इन की करामात ज़ाहिर होती हैं जिसे हर आंख वाला देखता और मानता है।

सुवाल चन्द एक मशहूर औलियाए किराम के नाम बता दीजिये।

जवाब हज़रते अब्दुल्लाह शाह गाज़ी, हज़रते दाता गन्ज बख़्श अली हिजवेरी, हुज़ूर शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी, हज़रते शैख़ शिहाबुद्दीन सोहरवर्दी, हज़रते ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती, हज़रते बाबा फ़रीदुद्दीन गन्जे शकर, शैख़ बहाउद्दीन ज़करिय्या मुलतानी, शैख़े अक्बर मुहयुद्दीन इब्नुल अरबी, हज़रत मुजहिदे अल्फ़ेसानी, शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी, ताजदारे गोलड़ा पीर मेहर अली शाह गोलड़वी, आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ।

दूसरा बाब

मा' मूलाते अहले सुन्नत

इस बाब में आप जानेंगे

- 1 ... गैरुल्लाह से मदद मांगने का बयान
- 2 ... अज्ञान व इक़ामत से पहले दुरुदे पाक पढ़ना
- 3 ... बड़ी रातों में इबादत का बयान
- 4 ... तक्लीद की ज़रूरत व अहम्मियत
- 5 ... पीरी मुरीदी की शर्ई हैसियत

सबक नम्बर 1

या रसूलल्लाह और या नबिय्यल्लाह कहने का बयान

नबियों के सरवर, महबूबे रब्बे दावर ﷺ को या रसूलल्लाह, या नबिय्यल्लाह ! वगैरा अल्फाज व अल्काब के साथ नज़्दीक व दूर से पुकारना बिल्कुल जाइज़ है शिर्क नहीं। कुरआने करीम में बहुत से मक़ामात पर अल्लाह पाक ने हुज़ूर ﷺ को निदा फ़रमाई। ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ﴾, ﴿يَا أَيُّهَا الْمُرْسَلُ﴾, ﴿يَا أَيُّهَا الدَّارُ﴾ वगैरा इन तमाम आयात में हर्फ़े निदा “या” के साथ हुज़ूर ﷺ को ख़िताब फ़रमाया है।

अह्दादीसे मुबारका से सुबूत

सहीह मुस्लिम में हज़रते सय्यिदुना बराअ रज़िअल्लुहू عنه से रिवायत है जो हुज़ूरे अक्दस ﷺ के मदीनए पाक में दाख़िले का मन्ज़र बयान करते हुए फ़रमाते हैं : “औरतें और मर्द घरों की छतों पर चढ़ गए और बच्चे और गुलाम गली कूचों में मुतफ़र्रिक़ हो गए। ना'रे लगाते फिरते थे, ⁽¹⁾” يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا مُحَمَّدُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम ﷺ ने एक नाबीना सहाबी रज़िअल्लुहू عنه को दुआ ता'लीम फ़रमाई जिस में अपने नामे नामी इस्मे गिरामी के साथ लफ़्ज़े “या” इश्आद फ़रमाया : चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ़ रज़िअल्लुहू عنه से रिवायत है कि एक नाबीना सहाबी रज़िअल्लुहू عنه नबिय्ये करीम ﷺ की बारगाहे अज़ीम में हाज़िर हुए और अर्ज़ की : (या रसूलल्लाह ﷺ!) अल्लाह पाक से दुआ कीजिये कि वोह मुझे आफ़ियत दे (या'नी मेरी बीनाई लौटा दे), आप ﷺ ने फ़रमाया : “अगर तू चाहे तो दुआ करूँ और चाहे तो सब्र कर और येह तेरे लिये बेहतर है।” उन्होंने ने अर्ज़ की : दुआ फ़रमा दीजिये। आप ﷺ ने उन्हें अच्छी तरह वुजू करने और दो रक्अत नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया और फ़रमाया येह दुआ करना : اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ، وَاتَّوَجَّهُ اِلَيْكَ بِمُحَمَّدٍ نَبِیِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ ⁽²⁾ اِنِّیْ قَدْ تَوَجَّهْتُ بِكَ اِلَی رَبِّیْ فِیْ حَاجَتِیْ هَذِهِ لِتَقْضِیَ، اَللّٰهُمَّ فَشَقِّعْ فِیْ

या'नी ऐ अल्लाह पाक ! मैं तुझ से सुवाल करता हूँ और तेरी तरफ़ मुतवज्जेह होता हूँ तेरे नबी मुहम्मद

①...مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب فی حدیث الهجرة... الح، ص 1228 حدیث: 7522

②... हदीसे पाक में “يَا مُحَمَّدُ” है मगर इस की जगह “يَا رَسُولَ اللَّهِ” कहना चाहिये कि हुज़ूरे अक्दस ﷺ को नाम ले कर निदा करना जाइज़ नहीं। उलमा फ़रमाते हैं : अगर रिवायत में वारिद हो जब भी तब्दील कर लें। मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिये आ'ला हज़रत रज़िअल्लुहू عنه के फ़तावा रज़विय्या जिल्द 30 में मौजूद रिसाले “تَجَلَّى الْيَقِينُ بِأَنَّ نَبِيَّنَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِينَ” सफ़हा 156 ता 157 का मुतालआ कीजिये।

ﷺ के ज़रीए से जो नबिये रहमत हैं, या रसूलुल्लाह ﷺ ! मैं आप के ज़रीए से अपने रब की तरफ़ इस हाज़त के बारे में मुतवज्जेह होता हूँ ताकि मेरी येह हाज़त पूरी हो, ऐ अल्लाह पाक ! इन की शफ़ाअत मेरे हक़ में क़बूल फ़रमा।⁽¹⁾ हज़रते सय्यिदुना उस्मान बिन हुनैफ़ رضي الله عنه खुदा की क़सम ! हम फ़रमाते हैं : **فَوَاللّٰهِ مَا تَفَرَّقْنَا وَطَالَ بِنَا الْحَدِيثُ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْنَا الرَّجُلُ كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ عُرْقُطٌ** : हम उठने भी न पाए थे और न ही हमारी गुफ़्तगू ज़ियादा तवील हुई थी कि वोह हमारे पास आए, गोया कभी नाबीना ही न हुए।⁽²⁾ मा'लूम हुवा कि गैरुल्लाह को लफ़्जे “या” के साथ पुकारना शिर्क नहीं अगर येह शिर्क होता तो कुरआनो हदीस में गैरुल्लाह के साथ लफ़्जे “या” न आता और ख़ल्क के रहबर, शाफ़ेए महशर عليهم الرضوان हरगिज़ इस की ता'लीम इर्शाद न फ़रमाते और न ही सहाबए किराम इस पर अमल पैरा होते।

सुवाल कुरआने मजीद और हदीसे पाक में तो रसूले अकरम ﷺ को उन की हयाते ज़ाहिरी में पुकारने का ज़िक्र है, क्या हुज़ूर नबिये करीम ﷺ के इस दुन्या से पर्दा फ़रमाने के बा'द भी पुकारना साबित है ?

जवाब जी हां ! आप ﷺ के विसाले ज़ाहिरी के बा'द भी सहाबए किराम عليهم الرضوان और सलफ़ सालिहीन आप ﷺ को पुकारते रहे हैं। इस की सब से बड़ी दलील तो अत्तहिय्यात के ज़िम्न में नबिये अकरम ﷺ को पुकारने की है। क्यूं कि हर नमाज़ी नमाज़ में तशह्हुद पढ़ता है और नबिये करीम ﷺ की बारगाहे अक्दस में इन अल्फ़ाज़ **“اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ”**⁽³⁾ के साथ सलाम पेश करता है। इस सलाम में पुकारना भी है और आप ﷺ को मुखातब करना भी। आप ﷺ की हयाते ज़ाहिरी में भी दूरो नज़्दीक से येह सलाम आप की बारगाहे अक्दस में पेश किया जाता था और विसाले ज़ाहिरी के बा'द भी पेश किया जा रहा है और ता क़ियामत पेश किया जाता रहेगा। आप ﷺ अल्लाह पाक की अज़ा से इस सलाम व पुकार को सुनते हैं और जवाब भी अज़ा फ़रमाते हैं, जैसा कि हज़रते सय्यिदुना शैख़ यूसुफ़ बिन इस्माईल नब्हानी رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : बा'ज औलिया ने बतौरे करामत अपने कौल **“اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ”** के जवाब में नबिये करीम ﷺ का जवाब अज़ा



①... ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب اجاء في صلاة الحاجه، 2/156، حديث: 1385

②... معجم كبير، 31/9، حديث: 8311

③... या'नी सलाम हो आप पर ऐ नबी और अल्लाह पाक की रहमतें और बरकतें

फ़रमाना सुना है और यह मुहाल नहीं है क्यों कि अल्लाह पाक ने आप ﷺ को ग़ैब पर मुत्तलअ़ फ़रमाया है और हर उस शख्स का कलाम सुनने की ताक़त अ़ता फ़रमाई है जो दूरो नज़्दीक से आप ﷺ से मुख़ातिब होता है और अल्लाह पाक के हां इस बात में भी कोई फ़र्क़ नहीं कि यह कलाम सुनना आप ﷺ की हयाते ज़ाहिरी में हो या विसाले ज़ाहिरी के बा'द । तहक़ीक़ यह बात दुरुस्त है कि आप ﷺ अपनी क़ब्रे अन्वर में ज़िन्दा हैं ।⁽¹⁾

नीज़ हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ि अल्लैहू عنه के ज़माने में नुबुव्वत के झूटे दा'वेदार मुसैलिमा कज़ज़ाब के ख़िलाफ़ मुसलमानों और मुरतद्दीन के दरमियान जंगे यमामा हुई जिस में मुसलमानों का ना'रा "يَا مُحَمّدَا" था ।⁽²⁾

सवाल क्या हमारे बुजुर्गाने दीन भी नबिय्ये करीम ﷺ को पुकारा करते थे ?

जवाब जी हां ! हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि अल्लैहू عنहूमा का पाउं सो गया, किसी ने कहा : उन्हें याद कीजिये जो आप को सब से ज़ियादा महबूब हैं । हज़रत ने ब आवाज़े बुलन्द कहा : "يَا مُحَمّدَا" फ़ौरन पाउं ठीक हो गया ।⁽³⁾

शारेहे सहीह मुस्लिम इमाम नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने किताबुल अज़्कार में इस की मिस्ल हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लैहू عنहूमा से नक़ल फ़रमाया कि हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लैहू عنहूमा के पास किसी आदमी का पाउं सो गया तो अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि अल्लैहू عنहूमा ने फ़रमाया : तू उस शख्स को याद कर जो तुम्हें सब से ज़ियादा महबूब है तो उस ने "يَا مُحَمّدَا" कहा, अच्छा हो गया ।

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : "और यह अम्र इन दो सहाबियों के सिवा औरों से भी मरवी हुवा । अहले मदीना में क़दीम से इस "يَا مُحَمّدَا" कहने की आदत चली आती है ।"⁽⁴⁾

फ़ाएदा : अहले सुन्नत व जमाअते अहले हक़ का येह अक़ीदा है कि अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام अहले सुन्नत व जमाअते अहले हक़ का येह अक़ीदा है कि अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام अपने मज़ाराते तय्यिबा में ज़िन्दा हैं उन्हें रोज़ी दी जाती है जैसा कि हदीस शरीफ़ से भी येह बात साबित है तो सय्यिदुल अम्बिया की हयात में फिर कैसे शुबा हो सकता है । इस लिहाज़ से या रसूलल्लाह कह कर पुकारने के जवाज़ में किसी क़िस्म का शक़ किया ही नहीं जा सकता कि अल्लाह की अ़ता से ज़िन्दा



①...شواهد الحق، فصل في رد ما منعه ابن القيم... إلخ، الفصل الثاني، ص 211

②...تاريخ الطبري، ذكر بقية خبر مسيلة الكذاب... إلخ، 2/513

③...الشفاء، فصل فيما روي عن السلف والأئمة (من محبتهم للنبي وشوقهم له)، 23/2

भी हैं और फ़रियाद करने वाले की फ़रियाद सुनते भी हैं और अल्लाह की अ़ता से मदद करने पर कादिर भी हैं तो इन तमाम बातों में से कोई बात ख़िलाफ़े शर्अ नहीं सब जाइज़ व दुरुस्त और उलमाए हक़ की तसरीहात से इन का जवाज़ साबित है। बा'ज़ इन्कार करने वाले इस अ़कीदए हक़का साबिता से ग़ाफ़िल होने की बिना पर भी इन्कार करते हैं और बा'ज़ जानते बूझते इनादन इन्कार करते हैं और फ़ज़ाइले मुस्तफ़ा ﷺ से चिड़ते हैं अल्लाह पाक ऐसों को हिदायत नसीब फ़रमाए।

सुवाल क्या लफ़्ज़े “या” के साथ दूर वालों को भी पुकार सकते हैं? नीज़ वोह दूर से सुनते और देखते हैं या नहीं?

जवाब जी हां जिस तरह लफ़्ज़े “या” के साथ क़रीब वालों को पुकार सकते हैं ऐसे ही दूर वालों को भी पुकार सकते हैं, अल्लाह पाक की अ़ता से उस के मक्बूल बन्दे दूर से सुनते, देखते और हाज़त रवाई फ़रमाते हैं। हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि रसूले अकरम ﷺ ने फ़रमाया कि अल्लाह पाक फ़रमाता है : जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करे, उस से मैं ने लड़ाई का ए'लान कर दिया और मेरा बन्दा किसी शै से मेरा इस क़दर कुर्ब हासिल नहीं करता जितना फ़राइज़ से करता है और मेरा बन्दा नवाफ़िल के ज़रीए से हमेशा कुर्ब हासिल करता रहता है यहां तक कि मैं उसे महबूब बना लेता हूं और जब उस से महबूबत करने लगता हूं तो मैं उस के कान बन जाता हूं जिन से वोह सुनता है और मैं उस की आंख बन जाता हूं जिस से वोह देखता है और उस का हाथ बन जाता हूं जिस के साथ वोह पकड़ता है और उस का पैर बन जाता हूं जिस के साथ वोह चलता है और अगर वोह मुझ से सुवाल करे तो ज़रूर उसे दूंगा और पनाह मांगे तो ज़रूर उसे पनाह दूंगा।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना इमाम फ़ख़्ख़दीन राज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जब अल्लाह पाक का नूरे जलाल बन्दए महबूब के कान बन जाता है तो वोह दूरो नज़्दीक की आवाज़ सुन लेता है, और जब उस की आंखें नूरे जलाल से मुनव्वर हो जाती हैं तो वोह दूरो नज़्दीक को देख लेता है, और जब येही नूर बन्दए महबूब के हाथों में जल्वा गर होता है तो उसे मुश्किल व आसान और दूरो नज़्दीक में तसरुफ़ करने की कुदरत हासिल हो जाती है।⁽²⁾

हदीसे पाक में है : जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए या तुम में से कोई मदद मांगना चाहे और वोह ऐसी जगह हो जहां उस का कोई पुरसाने हाल न हो तो उसे चाहिये कि यूं कहे :



1...بخاری، کتاب الرقاق، باب التواضع، 4/248، حدیث: 6502

2...تفسیر کبیر، 15، الکہف، تحت الآية: 12، 7/436

“يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِشُوا، يَا عِبَادَ اللَّهِ اَعِشُوا” ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो ।” अल्लाह पाक के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीं देखता (वोह इस की मदद करेंगे) ।⁽¹⁾

सुवाल क्या बा'दे वफ़ात भी मक्बूलाने बारगाह को लफ़्जे “या” के साथ पुकार सकते हैं ?

जवाब जी हां । बा'दे वफ़ात भी मक्बूलाने बारगाह को लफ़्जे “या” के साथ पुकार सकते हैं इस में कोई मुज़ायफ़ा नहीं । अल्लाह पाक के मक्बूल बन्दों की शान तो बहुत बुलन्दो बाला है अ़ाम मुर्दों को भी बा'दे वफ़ात लफ़्ज “या” के साथ पुकारा जाता है और वोह सुनते हैं जैसा कि हदीसे पाक में है : हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जब मदीनए मुनव्वरह के क़ब्रिस्तान में तशरीफ़ ले जाते तो क़ब्रों की तरफ़ अपना रुख़े अन्वर कर के यूं फ़रमाते : **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى اَهْلِ الْقُبُورِ** ! يَغْفِرُ اللّٰهُ لَنَا وَلَكُمْ، اَنْتُمْ سَلَفُنَا وَنَحْنُ بِالْاَثَرِ **अल्लाह** पाक हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत फ़रमाए, तुम लोग हम से पहले चले गए और हम तुम्हारे बा'द आने वाले हैं ।⁽²⁾ इस हदीसे पाक में बा'दे वफ़ात अहले कुबूर को लफ़्जे “या” के साथ पुकारा भी गया है और उन्हें सलाम भी किया गया है, सलाम उसे किया जाता है जो सुनता हो और जवाब भी देता हो जैसा कि

मशहूर मुफ़स्सिर, हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ इस हदीस के तहूत फ़रमाते हैं : क़ब्रिस्तान में जा कर पहले सलाम करना फिर येह अर्ज़ करना सुन्नत है, इस के बा'द अहले कुबूर को ईसाले सवाब किया जाए । इस से मा'लूम हुवा कि मुर्दे बाहर वालों को देखते पहचानते हैं और उन का कलाम सुनते हैं वरना इन्हें सलाम जाइज़ न होता क्यूं कि जो सुनता न हो या सलाम का जवाब न दे सकता हो उसे सलाम करना जाइज़ नहीं, देखो सोने वाले और नमाज़ पढ़ने वाले को सलाम नहीं कर सकते ।⁽³⁾

हन्फ़ियों के अज़ीम पेशवा हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अली क़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ फ़रमाते हैं : अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की दोनों हालतों (ज़िन्दगी और मौत) में कोई फ़र्क़ नहीं, इसी लिये कहा गया है कि **अल्लाह** पाक के वली (और नबी) मरते नहीं बल्कि एक घर से दूसरे घर की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाते हैं ।⁽⁴⁾

ज़ाहिरी विसाल से इन नुफूसे कुदसिय्या की कुव्वतें और सलाहिyyतें ख़त्म नहीं हो जातीं बल्कि

① ... کنز العمال، کتاب السفر، الجزء 6، 300/3، حدیث: 17494

② ... ترمذی، کتاب الجنائز، باب المقول الرجل اذا دخل المقابر، 329/2، حدیث: 1055

③ ... میر آتول مناجیہ، 2/524

④ ... مرآة، کتاب الصلاة، باب الجمعة، الفصل الثالث، 3، 459، تحت الحدیث: 1366

इन में मज़ीद इज़ाफ़ा हो जाता है क्यूं कि दुनिया में तो येह कैद में थे विसाले ज़ाहिरी के बा'द उस कैद से आज़ाद हो जाते हैं लिहाज़ा इन की कुव्वत में भी इज़ाफ़ा हो जाता है जैसा कि हदीसे पाक में है : दुनिया मोमिन का कैदख़ाना और काफ़िर के लिये जन्नत है, जब मोमिन मर जाता है तो उस की राह खोल दी जाती है कि जहां चाहे सैर करे।⁽¹⁾ सय्यिदी आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बा'द मरने के सम्भू, बसर, इदराक (या'नी देखना, सुनना और समझना) अ़ाम लोगों का यहां तक कि कुफ़र का ज़ाइद हो जाता है और येह तमाम अहले सुन्नत व जमाअत का इज्माई अ़कीदा है।⁽²⁾

सुवाल क्या दूर से देखना और सुनना अल्लाह पाक की सिफ़त नहीं ?

जवाब दूर से देखना और सुनना हरगिज़ अल्लाह पाक की सिफ़त नहीं क्यूं कि दूर से तो वोह देखता और सुनता है जो पुकारने वाले से दूर हो जब कि अल्लाह पाक तो अपने बन्दों के क़रीब है, जैसा कि पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 186 में खुदाए रहमान का फ़रमाने तक्रुब निशान है :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ^ط

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐ महबूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो मैं नज़्दीक हूं।

इसी तरह पारह 26 सूरए ق की आयत नम्बर 16 में इशादि रब्बुल इबाद है :

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ^{١١}

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम दिल की रग से भी उस से ज़ियादा नज़्दीक हैं।

जब अल्लाह पाक इल्मो कुदरत के ए'तिबार से अपने बन्दों के क़रीब है तो फिर दूर से देखना और सुनना उस की सिफ़त कैसे हो सकती है !

दूर से देखने और सुनने के वाकिअत

सुवाल मक्बूलाने बारगाहे इलाही के दूर से देखने, सुनने और तसर्फ़ फ़रमाने के चन्द वाकिअत बयान फ़रमा दीजिये।

जवाब अल्लाह करीम ने अपने बरगुज़ीदा बन्दों को दूर से देखने, सुनने और तसर्फ़ करने की ताक़त अ़ता फ़रमाई है लिहाज़ा वोह अल्लाह करीम की अ़ता से दूर से देखते, सुनते और तसर्फ़ भी फ़रमाते हैं, जैसा कि



① ... كشف الغطاء، حرف الدال المهملة 1/363، حديث 1316 ملقطا

② ... मल्फूज़ाते आ'ला हज़रत, स. 363

हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के ज़मानए मुबारक में सूरज को ग्रहन लगा, तो आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़ पढ़ी, (दौराने नमाज़ हाथ बढ़ा कर कुछ लेना चाहा लेकिन फिर दस्ते मुबारक नीचे कर दिया, नमाज़ के बा'द) सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ !** हम ने देखा कि आप अपनी जगह से किसी चीज़ को पकड़ रहे थे, फिर हम ने देखा कि आप पीछे हटे । आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : **إِنِّي أَرَيْتُ الْجَنَّةَ فَتَنَّاوَلْتُ مِنْهَا عُنُقُودًا وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَا كَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتْ الدُّنْيَا** मुझे जन्नत दिखाई गई तो मैं उस में से एक खोशा तोड़ने लगा, अगर मैं उस खोशे को तोड़ लेता तो तुम रहती दुनिया तक उस में से खाते रहते ।⁽¹⁾

हकीमुल उम्मत, हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस हदीस से दो मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ जन्नत और वहां के फलों वगैरा के मालिक हैं कि खोशा तोड़ने से रब ने मन्अ न किया खुद न तोड़ा, क्यूं न हो कि रब्बे करीम फ़रमाता है : **﴿إِنَّا آغَطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ﴾**⁽²⁾ इसी लिये हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने सहाबा को कौसर का पानी बारहा पिलाया । दूसरे येह कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को रब्बे करीम ने वोह ताक़त दी है कि मदीने में खड़े हो कर जन्नत में हाथ डाल सकते हैं और वहां तसर्रुफ़ कर सकते हैं, जिन का हाथ मदीने से जन्नत में पहुंच सकता है क्या उन का हाथ हम जैसे गुनहगारों की दस्त गीरी के वासिते नहीं पहुंच सकता और अगर येह कहो कि जन्नत क़रीब आ गई थी तो जन्नत और वहां की ने'मतें हर जगह हाज़िर हुईं । बहर हाल इस हदीस से या हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को हाज़िर मानना पड़ेगा या जन्नत को ।⁽³⁾ हदीसे पाक और इस की शर्ह से वाजेह तौर पर येह बात साबित होती है कि हमारे प्यारे सरकार, मक्के मदीने के ताजदार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने ब अताए परवर्दगार ज़मीन पर खड़े हो कर सातों आस्मानों से भी ऊपर जन्नत को न सिर्फ़ देख लिया बल्कि अपना दस्ते मुबारक भी जन्नत के खोशे तक पहुंचा दिया ।

सरकार رَحْمَتُهُمُ اللهُ الْمُبِين के सदके में सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और बुजुर्गाने दीन को भी दूर से देखने, सुनने और तसर्रुफ़ करने की कुव्वत हासिल है । चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना उमर बिन हारिस رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म



1... بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام في الصلوة، 1/265، حديث: 748

2... तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ महबूब बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां अता फ़रमाईं । (पारह : 30, अल कौसर : 1)

3... मिरआतुल मनाजीह, 2/382

हज़रते सय्यिदुना सारिया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ को इस्लामी लश्कर का सिपह सालार बना कर नहावन्द⁽¹⁾ भेजा, आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ जिहाद में मसरूफ़ थे, इधर मदीनए तय्यिबा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ में अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ जुमुआ का खुत्बा फ़रमा रहे थे, यकायक आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने खुत्बा छोड़ कर तीन बार फ़रमाया : “يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ” या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की तरफ़ जाओ ।” फिर इस के बा'द खुत्बा शुरूअ फ़रमा दिया, बा'दे नमाज़ हज़रते सय्यिदुना अब्दुर्रहमान बिन औफ़ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने इस पुकार की वजह दरयाफ़्त की तो आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने फ़रमाया : मैं ने मुसल्मानों को देखा कि वोह पहाड़ के पास लड़ रहे हैं और कुफ़्फ़ार ने उन्हें आगे पीछे से घेर रखा है, येह देख कर मुझ से ज़ब्त न हो सका और मैं ने कह दिया : “يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ” या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की तरफ़ जाओ ।” इस वाक़िअ के कुछ रोज़ बा'द हज़रते सय्यिदुना सारिया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ का क़ासिद एक ख़त ले कर आया जिस में लिखा था कि हम लोग जुमुआ के दिन कुफ़्फ़ार से लड़ रहे थे और करीब था कि हम शिकस्त खा जाते कि ऐन जुमुआ की नमाज़ के वक़्त हम ने किसी की आवाज़ सुनी : “يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ” या'नी ऐ सारिया ! पहाड़ की तरफ़ जाओ ।” उस आवाज़ को सुन कर हम पहाड़ की तरफ़ चले गए तो अल्लाह ने कुफ़्फ़ार को शिकस्त दी हम ने उन्हें क़त्ल कर डाला, इस तरह हमें फ़तह हासिल हो गई ।⁽²⁾

हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अफ़ीफ़ुद्दीन अब्दुल्लाह याफ़ेई यमनी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस हदीस शरीफ़ से अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की दो करामतें ज़ाहिर हुई : (1) आप رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने मदीनए मुनव्वरह رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से (चौदह सो (1400) मील दूर) मक़ाम नहावन्द में मौजूद लश्करे इस्लाम और उन के दुश्मन को मुलाहज़ा फ़रमा लिया और (2) मदीनए तय्यिबा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से इतनी दूर आवाज़ पहुंचा दी ।⁽³⁾

हज़रते सय्यिदुना शैख़ अरिफ़ अबुल क़ासिम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : एक मरतबा हज़रते सय्यिदुना शैख़ अब्दुल क़ादिर जीलानी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ दौराने वा'ज़ इस्तिग़ाक़ की हालत में हो गए यहां तक कि आप رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ के इमामे का बल (या'नी पेच) खुल गया तो तमाम हाज़िरीन ने भी अपनी टोपियां और इमामे ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की कुरसी की तरफ़ फेंक दिये । जब आप वा'ज़ से फ़ारिग़ हुए तो अपने इमामे शरीफ़ को दुरुस्त फ़रमाया और मुझे हुक्म दिया कि ऐ अबुल क़ासिम ! लोगों को उन के

1 ... नहावन्द ईरान में सूबा आजर बाएजान के पहाड़ी शहरों में से है और मदीनए मुनव्वरह رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से इतना दूर है कि एक माह चल कर भी आदमी वहां नहीं पहुंच सकता । (حاشية اشعة اللمعات، 4/615، كونه)

2 ... كنز العمال، كتاب الفضائل، فضائل الصحابة، فضائل الفاروق، الجزء 12، 6/256، حديث: 35783-35785 ملخصاً

3 ... روض الرياحين، ص 39 ماخوذاً

इमामे और टोपियां दे दो। मैं ने सब लोगों को उन के इमामे और टोपियां दे दीं लेकिन आखिर में एक दोपट्टा रह गया मैं नहीं जानता था कि येह किस का है ? हालां कि मजलिस में कोई भी ऐसा न बचा था जिस का कुछ रह गया हो। हुजुरे गौसे आ'जम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ने मुझ से फ़रमाया : येह मुझे दे दो। मैं ने वोह दोपट्टा आप رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ को दे दिया। आप ने उसे अपने कंधे पर रखा तो वोह गाइब हो गया। मैं हैरानगी से दम बख़ुद रह गया। फ़रमाया : ऐ अबुल क़ासिम ! जब मजलिस में लोगों ने अपने इमामे उतार दिये तो हमारी एक बहन ने अस्बहान से अपना दोपट्टा उतार कर फेंक दिया था। फिर जब मैं ने उस दोपट्टे को अपने शानों पर रखा तो उस ने अस्बहान से अपना हाथ बढ़ाया और अपने दोपट्टे को उठा लिया।⁽¹⁾

मा'लूम हुवा कि अल्लाह करीम के नेक और बरगुज़ीदा बन्दे दूर से देखते, सुनते और तसर्फ़ भी फ़रमाते हैं। देखिये ! आज के इस तरक्की याफ़ता दौर में साइन्सी आलात (मोबाइल, रेडियो और टीवी वगैरा) के ज़रीए ब यक वक़्त एक ही लम्हे में दुन्या के कोने कोने में आवाज़ और शबीह को सुना और देखा भी जा सकता है। जब साइन्सी आलात के ज़रीए येह सब कुछ हो सकता है तो रूहानी राबिते (Connection) के ज़रीए क्यूं नहीं हो सकता ? रूहानी राबिता तो साइन्सी राबिते से ज़ियादा ताक़त वर (Powerfull) है। साइन्स वाला दूर की आवाज़ और शबीह सुना और दिखा दे तो किसी को वस्वसा नहीं आता और अल्लाह पाक अपनी अ़ता से अपने महबूब बन्दों को दूर की आवाज़ सुना दे तो वस्वसे आने शुरूअ हो जाते हैं।⁽²⁾ अल्लाह पाक हमें अपने मक्बूल बन्दों की महबूबत नसीब फ़रमाए और इन के फ़ज़ाइलो कमालात मानने की तौफ़ीक़ अ़ता फ़रमाए। أَمِينٌ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْأَمِينِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

सबक़ नम्बर 2

गैरुल्लाह से मदद मांगने का बयान

अल्लाह पाक को हकीकी मददगार जानते हुए अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِم से मदद मांगना “इस्तिम्दाद” कहलाता है और “इस्तिअनत” का भी येही मतलब है। अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह से मदद मांगना बिला शुबा जाइज़ है जब कि अ़कीदा येह हो कि हकीकी इमदाद तो रब्बे करीम ही की है और येह सब हज़रात उस की दी हुई कुदरत से मदद करते हैं क्यूं कि हर शै का हकीकी मालिको मुख़्तार सिर्फ़ अल्लाह पाक ही है और अल्लाह पाक की अ़ता के बिगैर कोई मख़्लूक किसी ज़र्रे की भी मालिको मुख़्तार नहीं होती।



①... بحسب الاسرار، ذكر وعظه، ص 185 ملقط

②... अम्बिया व औलिया को पुकारना कैसा ? स. 2, 3 (मदनी मुज़ाकरा, किस्त : 25)

अल्लाह पाक ने अपनी खास अता और फज़ले अज़ीम से अपने प्यारे हबीब صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم को कौनैन का हाकिम व मुख्तार बनाया है और हुज़ूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم और दीगर अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام व औलियाए इज़ाम رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِم اल्लाह पाक की अता से (या'नी उस की दी हुई कुदरत से) मदद कर सकते हैं। जैसा कि सूरतुत्तहरीम पारह 28 की आयत 4 में अल्लाह पाक का फ़रमान है :

فَإِنَّ اللّٰهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِیْلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِیْنَ
وَالْمَلٰٓئِکَةُ بَعْدَ ذٰلِكَ ظٰہِرٌ ۝ (پ 28، التحریم: 4)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो बेशक अल्लाह उन का मददगार है और जिब्रील और नेक ईमान वाले और इस के बा'द फ़िरिश्ते मदद पर हैं।

हदीस शरीफ़ में हज़रते सय्यिदुना उब्बा बिन ग़ज़वान رَضِیَ اللہُ عَنْہُ से रिवायत है कि हुज़ूरे पुरनूर सय्यिदुल आलमीन صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : जब तुम में से किसी की कोई चीज़ गुम हो जाए और मदद चाहे और ऐसी जगह हो जहां कोई हमदम नहीं तो उसे चाहिये यूं पुकारे : ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो, ऐ अल्लाह के बन्दो ! मेरी मदद करो कि अल्लाह के कुछ बन्दे हैं जिन्हें येह नहीं देखता ।⁽¹⁾

सुवाल क्या अम्बियाए किराम عَلَیْہِمُ الصَّلٰوٰةُ وَالسَّلَام और औलियाउल्लाह से उन की वफ़ात के बा'द भी मदद मांगी जा सकती है ?

जवाब जी हां ! जिस तरह ज़िन्दगी में इन से तवस्सुल करना और मदद मांगना जाइज़ है इसी तरह इन के विसाल के बा'द भी जाइज़ है। अल्लाह पाक के प्यारे नबी और वली अपनी कुबूर में ज़िन्दा होते हैं।

सुवाल मदद फ़रमाने के सुबूत में कोई वाकिआ हो तो बयान करें।

जवाब इस पर एक नहीं बल्कि बे शमार वाकिआत ज़िक्र किये जा सकते हैं। यहां एक वाकिआ मुलाहज़ा हो, चुनान्वे

इमाम त़बरानी, अल्लामा इब्नुल मुक़री और इमाम अबुशशैख़। येह तीनों हदीस के बहुत बड़े इमाम गुज़रे हैं और येह तीनों एक ही ज़माने में मदीनए मुनव्वरह की एक दर्सगाह में हदीस का इल्म हासिल करते थे। एक बार इन तीनों तुलबाए इल्मे हदीस पर एक वक़्त ऐसा गुज़रा कि इन के पास खाने को कुछ नहीं था, रोज़े पर रोज़े रखते रहे, मगर जब भूक से निढाल हो गए और हिम्मत जवाब दे गई तो तीनों ने रहमते आलम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم के रौज़ए अत्हर पर हाज़िर हो कर फ़रियाद की : **या रसूलल्लाह !** हम लोग भूक से बेताब हैं। येह अर्ज़ कर के इमाम त़बरानी तो आस्तानए मुबारका ही पर बैठे रहे और कहा : इस दर पर मौत आएगी या रोज़ी अब यहां से नहीं उठूंगा। इमाम अबुशशैख़ और



इब्नुल मुक़री अपनी क़ियाम गाह पर लौट आए, थोड़ी देर बा'द किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, दोनों ने दरवाज़ा खोल कर देखा तो अलवी ख़ानदान के एक बुजुर्ग दो गुलामों के साथ खाना ले कर तशरीफ़ फ़रमा हैं और येह फ़रमा रहे हैं कि आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अभी अभी मुझे ख़्वाब में अपनी ज़ियारत से मुशरफ़ फ़रमा कर हुक्म फ़रमाया कि मैं आप लोगों के पास खाना पहुंचा दूं चुनान्वे जो कुछ मुझ से फ़िल वक़्त हो सका हाज़िर है।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 3

वसीला बनाने का बयान

बारगाहे इलाही में नेक बन्दों का वसीला पेश करना दुआओं की क़बूलिय्यत, मुशक़लात के हल, मसाइबो आलाम से छुटकारे और दीनी व दुन्यवी भलाइयों के हुसूल का आसान ज़रीआ है। कुरआनो हदीस और अक्वाल व अफ़अले बुजुर्गाने दीन से वसीला इख़्तियार करने का सुबूत मिलता है। चुनान्वे अल्लाह रब्बुल इज़ज़त का फ़रमान है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ

الْوَسِيلَةَ ﴿٣٥﴾ (المائدة: 35)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और उस की तरफ़ वसीला ढूंढो।

वसीले के बारे में 3 अहदादीसे मुबारका

(1) : हमारे प्यारे मदनी आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुसल्मान फ़ुकरा के वसीले से दुआ फ़रमाया करते थे। चुनान्वे तब्रानी शरीफ़ में है : كَانَ الرَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفْتِي وَيَسْتَنْصِرُ بِصَعَالِيكَ الْمُسْلِمِينَ : पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुसल्मान फ़ुकरा के वसीले से फ़त्हो नुसरत त़लब फ़रमाते थे।⁽²⁾

(2) : सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने खुद एक नाबीना शख़्स को एक दुआ के ज़रीए वसीले की ता'लीम इर्शाद फ़रमाई, चुनान्वे तिरमिज़ी शरीफ़ में हज़रते उस्मान बिन हुनैफ़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है : एक नाबीना बारगाहे रिसालत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में हाज़िरे ख़िदमत हुवा और अर्ज़ की, कि आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ अल्लाह पाक से दुआ करें कि वोह मुझे आंख वाला कर दे। हज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : अगर तू चाहे तो मैं तेरे लिये दुआ करूं और अगर तू चाहे तो सब्र कर कि वोह तेरे लिये बेहतर है। अर्ज़ की, कि दुआ फ़रमाएं, हज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने उसे हुक्म दिया कि अच्छा वुजू करो, दो रकअत



① ... تذكرة الحفاظ، رقم: 913/3، 121/1 ملخصاً

② ... معجم كبير، 1/292، حديث: 859

नमाज़ पढ़ो और येह दुआ करो : ऐ **अल्लाह** ! मैं तुझ से मांगता हूं और तेरी तरफ़ मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वसीले से तवज्जोह करता हूं जो नबिय्ये रहमत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हैं, या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मैं आप के वसीले से अपने रब की तरफ़ अपनी इस हाज़त में तवज्जोह करता हूं तो उसे पूरी फ़रमा दे । ऐ **अल्लाह** ! मेरे बारे में हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की शफ़ाअत क़बूल फ़रमा ।⁽¹⁾ (रावी बयान फ़रमाते हैं) कि वोह शख़्स जब आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के फ़रमाने के मुताबिक़ दुआ कर के खड़ा हुवा तो वोह आंख वाला हो गया ।⁽²⁾

(3) : नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की वालिदा के लिये यूं दुआ की : **إِغْفِرْ لَأُمِّي فَاطِمَةَ بِنْتِ أَسَدٍ وَلَقِّنْهَا حُجَّتَهَا وَوَسِّعْ عَلَيْهَا مَدْخَلَهَا بِحَقِّ نَبِيِّكَ وَالْأَنْبِيَاءِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِي** ।
तरजमा : (ऐ अल्लाह !) मेरी मां फ़ातिमा बिनते असद की मग़िफ़रत फ़रमा और उन्हें उन की हुज्जत सिखा और मेरे और मुझ से पहले नबियों के हक़ के वसीले से उस की क़ब्र को वसीअ फ़रमा ! ।⁽³⁾

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام व औलियाए इज़ाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم से तवस्सुल का क्या मतलब है ?

जवाब इन से तवस्सुल का मतलब येह है कि हाज़तों के बर आने (पूरा होने) और मतलब के हासिल होने के लिये इन महबूब हस्तियों को **अल्लाह** पाक की बारगाह में वसीला और वासिता बनाया जाए क्यूं कि इन्हें **अल्लाह** पाक की बारगाह में हमारी निस्बत ज़ियादा कुर्ब हासिल है, **अल्लाह** पाक इन की दुआ पूरी फ़रमाता है और इन की शफ़ाअत क़बूल फ़रमाता है ।

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام से तवस्सुल का क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम तकिय्युद्दीन सुबुकी शाफ़ेई رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (साले वफ़ात 756 हि.) लिखते हैं : नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वसीले से दुआ करना जाइज़ व मुस्तहसुन है, चाहे विलादते बा सअ़ादत से क़बूल हो, हयाते ज़ाहिरी में हो या विसाले मुबारक के बा'द हो । इसी तरह आप عَلَيْهِ السَّلَام से ख़ास निस्बत रखने वाले बुजुर्गों को वसीला बनाना भी जाइज़ व मुस्तहसुन है ।⁽⁴⁾ हज़रते सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ السَّلَام ने हज़रत मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के वसीले से दुआ की तो इशादि बारी हुवा :

1... तर्ज़ी, احادیث شفی، باب 5، 118/336، حدیث: 3589

2... معجم کبیر، 9/31، حدیث: 8311

3... معجم کبیر، 24/351، حدیث: 871

4... شفاه السقام، ص 357، 358 ملقطا

बेशक ! मुहम्मद (ﷺ) तमाम मख़लूक में मेरे नज़्दीक सब से ज़ियादा महबूब हैं और अब कि तू ने इन के हक़ के वासिते से सुवाल किया है तो मैं ने तुम्हारी मग़ि़रत कर दी और अगर मुहम्मद (ﷺ) न होते तो मैं तुम्हें भी पैदा न करता।⁽¹⁾ लिहाज़ा मा'लूम हुवा कि दुन्यावी और उख़्ख़वी हाज़तों को पूरा करने के लिये अल्लाह पाक की बारगाह में इन से तवस्सुल शरअन जाइज़ है।

सुवाल क्या दुन्या से रेहलत कर जाने वालों से तवस्सुल जाइज़ है ?

जवाब उलमाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ फ़रमाते हैं कि अल्लाह पाक की महबूब हस्तियों से तवस्सुल जाइज़ है ख़्वाह वोह दुन्यावी ज़िन्दगी में हों या बरज़ख़ी ज़िन्दगी की तरफ़ मुत्तक़िल हो चुके हों। बुजुर्गाने दीन भी अपनी दुआओं में वसीला इख़्तियार किया करते थे, मसलन (1) अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ कहूँ के वक़्त यूँ दुआ किया करते : ऐ अल्लाह ! पहले हम तेरे नबी के वसीले से दुआ करते थे, अब अपने नबी के चचा अब्बास के वसीले से दुआ करते हैं, हमें बारिश अ़ता फ़रमा !⁽²⁾

(2) हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ हज़रते सय्यिदुना इब्ने अस्वद जुरशी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के वसीले से बारिश की दुआ मांगा करते थे।⁽³⁾

(3) अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम ﷺ, इमामे आ'ज़म और दीगर सालिहीन رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ के वसीले से दुआ करते थे।⁽⁴⁾

(4) फ़रमाने ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ : رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ حَاجَتُهُ : या'नी जो मुझे वसीला बना कर अल्लाह से कोई हाज़त त़लब करे उस की हाज़त पूरी की जाती है।⁽⁵⁾

सुवाल इस की क्या दलील है कि वफ़ात के बा'द भी किसी नबी या वली को वसीला बनाना जाइज़ है ?

जवाब इस के सुबूत में कई रिवायात पेश की जा सकती हैं, ऊपर नाबीना के तवस्सुल करने के बारे में जो हदीस बयान की गई है उस के बारे में हदीस की मुस्तनद किताबों में है कि सहाबए किराम



1... دلائل النبوة للبيهقي، 5/489

2... بخاری، کتاب الاستسقاء، باب سوال الناس الامام اذا قحطوا، 1/346، حدیث: 1010

3... طبقات ابن سعد، رقم: 3825، يزيد بن الاسود، 7/309 ملخصاً

4... رد المحتار، مقدمة المؤلف، 1/18 ملخصاً

5... نزہۃ الخاطر الفاتر، ص 67

عَلَيْهِمُ الرِّضْوَانُ नबिय्ये करीम ﷺ के इस दुनिया से विसाले ज़ाहिरी फ़रमाने के बा'द भी लोगों को इस पर अमल की ता'लीम दिया करते थे।⁽¹⁾

इसी तरह मिशकात बाबुल करामात में हज़रते अबुल जूज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से है, फ़रमाते हैं कि मदीने के लोग सख़्त कहूँ में मुब्तला हो गए तो उन्होंने ने हज़रते आइशा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا से शिकायत की। उन्होंने ने फ़रमाया कि नबिय्ये करीम ﷺ की क़ब्र की तरफ़ ग़ौर करो उस से एक ताक़ आस्मान की तरफ़ बना दो यहां तक कि क़ब्रे अन्वर और आस्मान के दरमियान छत न रहे तो लोगों ने ऐसा किया तो ख़ूब बरसाए गए यहां तक कि चारा उग गया और ऊंट मोटे हो गए यहां तक कि चरबी से गोया कि फट पड़े तो उस साल का नाम फटन का साल रखा गया।⁽²⁾

सवाल क्या तवस्सुल के हवाले से आइम्मा मुज्ताहिदीन के वाकिअत भी मिलते हैं ?

जवाब जी हां ! आइम्मा अरबआ व दीगर फुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ भी बारगाहे इलाही में वसीला पेश करते रहे हैं :

इमामे आ'ज़म का अमल

इमामे आ'ज़म رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ अपने मशहूर क़सीदए नो'मानिया में हुज़ूर ﷺ की बारगाह में यूं अर्ज़ करते हैं :

أَنْتَ الَّذِي لَنَا تَوَسَّلَ بِكَ اِدْمُ مِنْ زَلَّةٍ فَازَ وَ هُوَ اَبَاكَ

या'नी आप ﷺ ही वोह हैं जब हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام ने आप को वसीला बनाया तो वोह काम्याब हुए क़बूलिय्यते दुआ से हालां कि वोह आप ﷺ के वालिद थे।

इमामे शाफ़ेई का अमल

इमामे शाफ़ेई رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ भी अल्लाह पाक की बारगाह में वसीला पेश करने के काइल थे।
चुनान्वे

ख़तीब बग़दादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ नक्ल फ़रमाते हैं : हज़रते इमाम शाफ़ेई रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ हज़रत इमामे आ'ज़म रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ से तवस्सुल करते, उन की क़ब्र पर हाज़िर हो कर ज़ियारत करते, फिर अपनी हाज़त पूरी होने के लिये अल्लाह पाक की बारगाह में उन्हें वसीला बनाते।⁽³⁾



1... مجمع الزوائد، كتاب الصلاة، باب صلاة الحاجّة، 2/565، حديث: 3668

2... دارمی، مقدمه، باب ما کرم اللہ تعالیٰ بعده موتہ، 1/56، حديث: 92، مشکاة، کتاب احوال القیامہ، باب الکرامات، 2/400، حديث: 5950

3... تاریخ بغداد، باب ما ذکر فی مقابر بغداد، الجزء 1، 135

सबक नम्बर 4

ईसाले सवाब

ईसाले सवाब के लफ्ज़ी मा'ना हैं : “सवाब पहुंचाना” इस को “सवाब बख़्शाना” भी कहते हैं मगर बुजुर्गों के लिये “सवाब बख़्शाना” कहना मुनासिब नहीं, “सवाब नज़्र करना” कहना अदब के ज़ियादा करीब है।⁽¹⁾ आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हुज़ुरे अक्दस ख़्वाह और नबी या वली को “सवाब बख़्शाना” कहना बे अदबी है, बख़्शाना बड़े की तरफ़ से छोटे को होता है बल्कि नज़्र करना या हदिय्या करना कहे।⁽²⁾ इसी तरह मय्यित के लिये ज़िन्दों का दुआ करना कुरआने करीम से साबित है जो कि “ईसाले सवाब” की अस्ल है। चुनान्चे

पारह 28 सूरतुल ह़शर आयत 10 में इशदि रब्बे करीम है :

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا
اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ

(प: 28, अल्हशर: 10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो उन के बा'द आए
अर्ज़ करते हैं ऐ हमारे रब हमें बख़्श दे और हमारे भाइयों
को जो हम से पहले ईमान लाए।

ईसाले सवाब के मुतअल्लिक 3 अह्दादीसे मुबारका

(1) : हज़रते आइशा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا से रिवायत है कि एक शख्स ने नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ख़िदमत में अर्ज़ किया कि मेरी वालिदा का अचानक इन्तिक़ाल हो गया और मेरा गुमान है कि अगर वोह कुछ कहतीं तो सदक़े का कहतीं पस अगर मैं उन की तरफ़ से सदक़ा करूं तो क्या उन्हें सवाब पहुंचेगा ? फ़रमाया : “हां।”⁽³⁾

(2) : हज़रते सा'द बिन उबादा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से मरवी है कि उन्होंने ने हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की बारगाह में अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! मेरी मां का इन्तिक़ाल हो गया है, उन के लिये कौन सा सदक़ा अफ़ज़ल है ? हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “पानी।” तो हज़रते सा'द रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने एक कूवां खुदवाया और कहा कि येह कूवां सा'द की मां के लिये है।⁽⁴⁾

1... फ़ातिहा और ईसाले सवाब का त़रीका, स. 12

2... फ़तावा रज़विय्या, 26/609

3... بخاری، کتاب الجنائز، باب موت النجاة البغية، 1/468، حدیث: 1388

4... ابوداود، کتاب الزکاة، باب فی فضل سقی الماء، 2/180، حدیث: 1681

या'नी इस का सवाब उन की रूह को मिले ।

(3) : फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ : जो कोई तमाम मोमिन मर्दों और औरतों के लिये दुआए मग़िफ़रत करता है, अल्लाह पाक उस के लिये हर मोमिन मर्द व औरत के इवज़ एक नेकी लिख देता है ।⁽¹⁾

सुवाल किस किस चीज़ का सवाब बख़्शा जा सकता है ?

जवाब इन्सान अपने किसी भी नेक अमल का सवाब किसी दूसरे शख्स को पहुंचा सकता है जैसे फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नत, नफ़ल, नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज़, तिलावत, ना'त शरीफ़, ज़िक्रुल्लाह, दुरूद शरीफ़, बयान, दर्स, दीनी किताब का मुतालआ वगैरा हर नेक काम का ईसाले सवाब कर सकते हैं ।

सुवाल क्या इस से मुर्दों को फ़ाएदा पहुंचता है ?

जवाब जी हां ! इस से नेक लोगों के दरजात बुलन्द होते हैं, गुनाहगारों के गुनाह मुआफ़ होते हैं और अहले क़ब्र सख़्ती या अज़ाब में मुब्तला हों तो नजात मिल जाती है या उस में तख़फ़ीफ़ हो जाती है और ये सब अल्लाह पाक के चाहने से होता है ।

सुवाल क्या ईसाले सवाब करने वाले को भी कुछ मिलता है ?

जवाब ईसाले सवाब करने वाला भी अज़्रो सवाब से महरूम नहीं रहता उस के अमल का अज़्र उस के लिये भी बाक़ी रहता है बल्कि उन सब की गिनती के बराबर नेकियां मिलती हैं जिन को उस ने ईसाले सवाब किया होता है ।

सुवाल ईसाले सवाब के बारे में कोई वाक़िआ भी पेश फ़रमा दीजिये ।

जवाब शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ जो कि नज़्रो नियाज़, चालीसवां, तीजा, दसवां ईसाले सवाब के काइल थे, लिखते हैं : “शाह अब्दुरहीम साहिब رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह ﷺ के यौमे विसाल में उन के पास नियाज़ देने के लिये कोई चीज़ मुयस्सर न थी । आख़िर कार कुछ भुने हुए चने और गुड़ पर नियाज़ दी । रात में ने देखा कि नबी ﷺ के पास अन्वाओ अक्साम के खाने हाज़िर हैं और उन में वोह गुड़ और चने भी हैं, आप ﷺ ने कमाले मसरत व खुशी से उन की तरफ़ इल्तिफ़ात फ़रमाया, उन्हें तलब फ़रमाया और उन में से कुछ आप ﷺ



ने तनावुल फ़रमाए और बाकी आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अस्हाब में तक्सीम कर दिये।" (1)

सुवाल क्या ईसाले सवाब किसी मुक़र्रर दिन ही करना चाहिये या किसी भी दिन हो सकता है ?

जवाब ईसाले सवाब के लिये न किसी वक़्त को मुअय्यन करना ज़रूरी है न किसी अमल को। बिग़ैर किसी कैद के जब भी चाहें, कोई नेक अमल कर के मय्यित को ईसाले सवाब कर सकते हैं, चाहे कोई सद्का करे या मद्रसा व मस्जिद बना दे, मय्यित की तरफ़ से हज़ करे, कुरआने पाक की तिलावत कर के सवाब पहुंचाए। येही काम किसी दिन को मुअय्यन कर के किये जाएं इस में भी हरज नहीं कि दिन मुअय्यन करने से मक्सूद येह होता है कि लोग जम्अ हो जाएं और एहतिमाम के साथ अमले ख़ैर किया जाए ता'यीन शर्अन मन्अ नहीं है जैसा कि नमाज़े बा जमाअत में लोगों की आसानी के लिये एक वक़्त मुक़र्रर कर देना, किसी दीनी इज्तिमाअ महाफ़िल या शादी बियाह वग़ैरा के लिये दिन व तारीख़ मुअय्यन कर देना जाइज़ है। हां अलबत्ता इसी ता'यीन को ज़रूरी समझना कि इस के बिग़ैर ईसाले सवाब न होगा येह दुरुस्त नहीं जाहिलाना ख़याल है इस से बाज़ रहना ज़रूरी है।

सुवाल तीजा, दसवां और चालीसवां क्या हैं ?

जवाब फ़ौत शुदा मुसल्मानों के ईसाले सवाब के लिये उमूमन कुरआन ख़्वानी और महफ़िले ज़िक़्रो ना'त का एहतिमाम किया जाता है नीज़ खाना वग़ैरा भी पका कर तक्सीम किया जाता है, अगर इस तरह का एहतिमाम फ़ौत होने के दूसरे रोज़ हो तो उसे दूजा, तीसरे रोज़ हो तो तीजा, दसवें रोज़ हो तो दसवां, चालीसवें रोज़ हो तो चालीसवां या चेहलम और साल के बा'द हो तो बरसी कहते हैं। एक दो दिन आगे पीछे भी हो जाएं तो दसवां, बीसवां या चालीसवां ही कहलाता है।

सुवाल ईसाले सवाब का खाना कौन कौन खा सकता है ?

जवाब ईसाले सवाब का खाना खुद भी खा सकते हैं और अपने अज़ीज़ो अक़िरबा व अहिब्बा, अग़िनया व फुकरा सब को खिला सकते हैं।

सुवाल क्या फ़ातिहा में खाने का सामने होना ज़रूरी है ?

जवाब खाने का सामने होना ज़रूरी नहीं। सामने खाना रखे बिग़ैर भी फ़ातिहा पढ़ी जा सकती है। लेकिन खाने का सामने होना मन्अ भी नहीं, मा'मूल है और पढ़ कर उस पर दम भी किया जाता है जिस से वोह बा बरकत हो जाता है, इस में हरज नहीं।



सुवाल मुहर्मुल हुराम में पानी या शरबत की सबील लगाना कैसा है ?

जवाब पानी या शरबत की सबील लगाना जब कि निय्यत अच्छी हो और मक्सूद ख़ालिस अल्लाह पाक की रिज़ा और अरवाहे तय्यिबा आइम्माए अत्हार को सवाब पहुंचाना हो तो बिला शुबा बेहतर व मुस्तहब व कारे सवाब है।⁽¹⁾ हदीस में है : **रसूलुल्लाह** ﷺ फ़रमाते हैं : जब तेरे गुनाह ज़ियादा हो जाएं तो पानी पर पानी पिला, तो तेरे गुनाह इस तरह झड़ जाएंगे जैसे सख़्त आंधी में पेड़ के पत्ते झड़ जाते हैं।⁽²⁾

सुवाल क्या ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ करना जाइज़ है ?

जवाब ग्यारहवीं शरीफ़ की नियाज़ दिलाना जाइज़ है। येह हम हुज़ूर सय्यिदुना ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की बारगाह में ईसाले सवाब करने के लिये करते हैं और येह अमल जाइज़ व मुस्तहसून और बाइसे अज़्रो सवाब है। बुजुर्गों से निस्बत व महबूबत की अलामत है जो सअ़ादत मन्दी की दलील है।

सुवाल रजबुल मुरज्जब में कूंडों की नियाज़ दिलवाने का रवाज है, क्या येह जाइज़ है ?

जवाब जी हां ! रजबुल मुरज्जब में हज़रते सय्यिदुना इमाम जा'फ़रे सादिक رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और हज़रते जलाल बुख़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के ईसाले सवाब के लिये नियाज़ की जाती है जिस में चावल, खीर या पूरियां वग़ैरा पका कर उन के कूंडे भरते हैं, फिर उन पर ख़त्म दिलवाया जाता है लिहाज़ा इसे कूंडे का ख़त्म या नियाज़ कहते हैं। येह भी ईसाले सवाब की एक सूरत है और ईसाले सवाब करना जाइज़ व मुस्तहसून है।

सुवाल कूंडों के ख़त्म में कौन सी बातें मन्अ हैं ?

जवाब (1) कूंडों की नियाज़ के मौक़अ पर जो कहानी आ़म तौर पर सुनाई जाती है वोह मन घड़त है, उस की कोई अस्ल नहीं लिहाज़ा वोह कहानी पढ़ी जाए न सुनी जाए। (2) बा'ज़ जगह येह कैद लगाते हैं कि यहीं खाओ कहीं और न ले जाओ, येह कैद भी बे जा है। इन बातों से इज्तिनाब किया जाए। (3) इसी तरह बा'ज़ येह कैद लगाते हैं कि मिट्टी के बरतन वग़ैरा में कूंडे की नियाज़ ज़रूरी है, येह कैद भी ज़रूरी नहीं।

1... बुन्यादी अ़काइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 94, 95

फ़ातिहा व ईसाले सवाब का तरीका

सवाल ईसाले सवाब करने का क्या तरीका है ?

जवाब आज कल मुसलमानों में खुसूसन खाने पर ईसाले सवाब या'नी फ़ातिहा का जो तरीका राइज है वोह भी बहुत अच्छा है, जिन खानों का ईसाले सवाब करना है वोह सारे खाने या सब में से थोड़ा थोड़ा नीज़ एक गिलास में पानी भर कर सब को सामने रख लें अब अऊज़ु और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ कर **قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ** एक बार, **قُلْ هُوَ اللَّهُ** शरीफ़ तीन बार, **سُورَةُ الْفُلْ**, **سُورَةُ النَّاسِ** और **سُورَةُ الْفَاتِحَةِ** एक एक बार, फिर **اَللّٰهُمَّ** ता **مُفْلِحُونَ** पढ़ने के बा'द येह पांच आयात पढ़ें :

(1) **وَاللّٰهُمَّ اِلَهَ وَاَحَدٌ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ** (2, प 2, البقرة: 163)

(2) **اِنَّ رَاحَتَ اللّٰهِ قَرِيْبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِيْنَ** (8, پ 8, الاعراف: 56)

(3) **وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ** (17, پ 17, الانبياء: 107)

(4) **مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبًا اَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلٰكِنْ رَّسُوْلَ اللّٰهِ وَخَاتَمُ النَّبِيّیْنَ** **وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا** (22, پ 22, الاحزاب: 40)

(5) **اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِیِّ** **يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيْمًا** (22, پ 22, الاحزاب: 56)

अब दुरूद शरीफ़ के बा'द पढ़ें :

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ **وَسَلٰمٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ** **وَالحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ** (23, پ 23, الشُّفَعَاتُ: 180-182)

फिर ईसाले सवाब करे और यूं दुआ मांगें :

ईसाले सवाब के लिये दुआ का तरीका

या अल्लाह ! जो कुछ पढ़ा गया (अगर खाना वगैरा है तो इस तरह से भी कहिये) और जो कुछ खाना वगैरा पेश किया गया है इस का सवाब हमारे नाक़िस अमल के लाइक़ नहीं बल्कि अपने करम के शायाने शाम मर्हमत फ़रमा । और इसे हमारी जानिब से अपने प्यारे महबूब **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की बारगाह में नज़्र पहुंचा । सरकारे मदीना **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के तवस्सुत से तमाम अम्बियाए किराम **رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ السَّلَام** की जनाब में नज़्र पहुंचा । तमाम सहाबाए किराम **عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان** तमाम औलियाए इज़ाम **رَحْمَتُهُمُ اللّٰهُ السَّلَام** की जनाब में नज़्र पहुंचा । सरकारे मदीना **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के तवस्सुत से सय्यिदुना आदम **عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام** से ले कर अब

तक जितने इन्सान व जिन्नात मुसल्मान हुए या क़ियामत तक होंगे सब को पहुंचा। इस दौरान बेहतर येह है कि जिन जिन बुजुर्गों को खुसूसन ईसाले सवाब करना है उन का नाम भी लेते जाइये। अपने मां बाप और दीगर रिश्तेदारों और अपने पीरो मुर्शिद को भी नाम ब नाम ईसाले सवाब कीजिये। (फ़ौत शुद्गान में से जिन जिन का नाम लेते हैं उन को खुशी हासिल होती है अगर किसी का भी नाम न लें सिर्फ़ इतना ही कह लें कि **या अल्लाह !** इस का सवाब आज तक जितने भी अहले ईमान हुए उन सब को पहुंचा तब भी हर एक को पहुंच जाएगा। (إِنْ شَاءَ اللَّهُ) अब हस्बे मा'मूल दुआ ख़त्म कर दीजिये। (अगर थोड़ा थोड़ा खाना और पानी निकाला था तो वोह दूसरे खानों और पानी में डाल दीजिये)⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 5

किसी बुजुर्ग का उर्स मनाना

सुवाल उर्स किसे कहते हैं ?

जवाब किसी बुजुर्ग की याद मनाने के लिये और उन को ईसाले सवाब करने के लिये उन के मुहिब्बीन व मुरीदीन वगैरा का उन की यौमे वफ़ात पर सालाना इज्तिमाअ "उर्स" कहलाता है।

सुवाल किसी बुजुर्ग का उर्स मनाना कैसा ?

जवाब बुजुर्गाने दीन औलियाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ का उर्स मनाने से मक्सूद उन की याद मनाना और उन को ईसाले सवाब करना होता है इस लिये उन के उर्स का इन्ज़क़ाद करना शर्अन जाइज़ व मुस्तहसून और अज़्रो सवाब का ज़रीआ है।

सुवाल इस के जाइज़ होने की क्या दलील है ?

जवाब बुजुर्गाने दीन के आ'रास में ज़िक्रुल्लाह, ना'त ख़वानी और कुरआने पाक की तिलावत और इस के इलावा दीगर नेक काम कर के उन को ईसाले सवाब किया जाता है और ईसाले सवाब के जाइज़ और मुस्तहसून होने के दलाइल ऊपर ज़िक्र किये जा चुके हैं।

सुवाल मज़ारात पर हाज़िर होने का क्या सुबूत है ?

जवाब मज़ारात पर हाज़िरी देना ज़मानए क़दीम से मुसल्मानों में राइज है बल्कि खुद रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हर साल शुहदाए उद्दुद के मज़ारात पर बरकात लुटाने के लिये तशरीफ़ लाते थे। अल्लामा इब्ने अ़बिदीन शामी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ लिखते हैं कि इब्ने अबी शैबा ने रिवायत किया है कि हुज़ूर सय्यिदे दो आलम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ शुहदाए उद्दुद के मज़ारात पर हर साल के शुरूअ में तशरीफ़ ले

1... बुन्यादी अ़काइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 96,97

जाया करते थे।⁽¹⁾

सुवाल बुजुर्गाने दीन के मज़ार पर क्यूं जाते हैं इस ज़िम्न में कोई वाक़िआ हो तो वोह भी इर्शाद फ़रमा दें।

जवाब औलियाउल्लाह رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ के मज़ारात पर जाना बाइसे बरकत और रफ़ू हाजात (हाजात पूरा होने) का ज़रीआ है। इस लिये बुजुर्गाने दीन का येह तरीका रहा है कि वोह औलियाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की कुबूर पर जाते और अल्लाह पाक की बारगाह में अपनी हाजात के लिये दुआ करते⁽²⁾ जैसा कि अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ इस बारे में मुक़द्दमए रहुल मुह़तार में इमाम शाफ़ेई رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ से नक्ल फ़रमाते हैं : “मैं इमाम अबू हनीफ़ा رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ से बरकत हासिल करता हूं और उन की क़ब्र पर आता हूं अगर मुझे कोई हाजत दरपेश होती है तो दो रकअत पढ़ता हूं और उन की क़ब्र के पास जा कर अल्लाह पाक से दुआ करता हूं तो जल्द हाजत पूरी हो जाती है।”⁽³⁾

सुवाल बा'ज लोग कहते हैं कि उर्स पर ग़ैर शर्ई कामों का इरतिकाब किया जाता है लिहाज़ा वहां जाना और उर्स मनाना जाइज़ नहीं, येह कहां तक दुरुस्त है ?

जवाब الْحَمْدُ لِلَّهِ ! उर्स का मस्अला कुरआनो हदीस, सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और औलियाए सालिहीन رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ के अमल से वाज़ेह हो चुका है और हमारी मुराद भी वोही उर्स हैं जो शरीअते मुतहहरा के मुताबिक़ मनाए जाते हैं। हां ! ग़ैर शर्ई उमूर तो वोह हर जगह ना जाइज़ हैं और येह ना जाइज़ काम उर्स के इलावा भी हों तो ना जाइज़ हैं और शरीअत के अहक़ाम की मा'मूली सी समझ बूझ रखने वाला मुसल्मान इन्हें जाइज़ नहीं कह सकता, इन ख़ुराफ़ात से दूर रहना चाहिये और हत्तल मक्दूर दूसरे मुसल्मानों को भी इस से बचाना चाहिये।

सुवाल किसी बुजुर्ग के नाम का जानवर ज़ब्ह करना कैसा ?

जवाब किसी बुजुर्ग के नाम का जानवर ज़ब्ह करने में शर्अन कोई हरज नहीं जब कि ज़ब्ह करते वक़्त अल्लाह पाक का नाम ले कर ज़ब्ह किया जाए। क्यूं कि अगर ज़ब्ह के वक़्त अल्लाह पाक के सिवा किसी दूसरे का नाम लिया तो वोह जानवर हराम हो जाएगा लेकिन कोई मुसल्मान इस तरह नहीं करता, हमारे यहां लोग उमूमन जानवर ख़रीदते या पालते वक़्त कह देते हैं कि येह ग़्यारहवीं शरीफ़ का

1... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی زیارة القبور، 3/177

2... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 98

3... رد المحتار، مقدمة الكتاب، مطلب بیجوز تقلید الفضول مع وجود الافضل، 1/135

बकरा है या फुलां बुजुर्ग का बकरा है या भेंस है जिसे बा'द में उस मौक़अ पर ज़ब्द कर दिया जाता है, और ज़ब्द के वक़्त उस पर अल्लाह पाक का नाम ही लिया जाता है और उस ज़ब्द से मक़सूद उस बुजुर्ग के लिये ईसाले सवाब ही होता है, इस में हरज नहीं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 6

पुख़्ता मज़ार और कुब्बा बनाना

अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام और मशाइख़ व इलमा व औलियाए इज़ाम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ की क़ब्रों पर मज़ार बनाया जा सकता है शर्अन इस में कोई हरज नहीं।⁽²⁾ अल्लामा इस्माईल हक्की कुरआने करीम की आयत (प 10, التوبة: 18) رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ कुरआने करीम की आयत (प 10, التوبة: 18) के तहत फ़रमाते हैं : “इलमा और औलियाए सालिहीन की क़ब्रों पर इमारत बनाना जाइज़ काम है जब कि उस से मक़सूद लोगों की निगाहों में अज़मत पैदा करना हो कि लोग उस क़ब्र वाले को हक़ीर न जानें।”⁽³⁾ अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “अगर मय्यित मशाइख़ और इलमा और सादाते किराम में से हो तो उस की क़ब्र पर इमारत बनाना मक्रूह नहीं है।”⁽⁴⁾

सवाल क्या यह काम सिर्फ़ बर्रे सगीर में होता है ?

जवाब الْحَمْدُ لِلَّهِ ! पूरी दुनिया में औलियाए किराम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ के मज़ारात व मक़ाबिर सदियों से मौजूद हैं जो सलफ़ सालिहीन के अमल पर शाहिद हैं। खुद हमारे प्यारे आका व मौला मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के रौज़ए मुबारका पर सब्ज़ सब्ज़ गुम्बद काइम है इस से बढ़ कर जवाज़ की और क्या दलील चाहिये। इलमा व सुलहा सदियों से वहां हाज़िर होते हैं और उन के सामने येह गुम्बद बना हुवा है जो बिला शुबा जवाज़ की दलील है। बा'ज़ नादान मुसलमानों के ज़ेहनों में इस हवाले से शुबुहात व वसाविस डालने की कोशिश करते हैं।

सवाल क्या क़ब्र को पुख़्ता बना सकते हैं ?

① ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 99

② ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 100

③ ... تفسير روح البیان، التوبة، تحت الآية: 18، 3/400

④ ... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی دفن المیت، 3/170

जवाब मय्यित के साथ क़ब्र के मुत्तसिल हिस्से को पुख़्ता करना मक्रूह है। अगर क़ब्र बाहर से पुख़्ता और अन्दर से कच्ची हो तो इस में हरज नहीं।

सुवाल क्या क़ब्र पर निशानी के लिये कतबा या पथ्थर वगैरा लगा सकते हैं ?

जवाब मुसल्मानों का अपने अज़ीज़ो अक़ारिब की क़ब्रों पर निशानी व पहचान के लिये कतबा लगाना जाइज़ है। जैसा कि अबू दावूद की रिवायत है कि “जब हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते उस्मान बिन मज़ून رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को दफ़न फ़रमाया तो उन की क़ब्र के सिरहाने एक पथ्थर नस्ब फ़रमाया और फ़रमाया कि मैं इस (पथ्थर) से अपने भाई को जानता रहूंगा और इन की क़ब्र के साथ मेरे घर वालों में से जिन का इन्तिक़ाल होगा उन्हें दफ़न करूंगा।”(1)

इस हदीस शरीफ़ से मा'लूम हुवा कि क़ब्र पर याद दाश्त के लिये पथ्थर लगाने में कोई हरज नहीं। हां आम कुबूर पर लगाए गए कतबे पर कोई मुक़द्दस कलाम नहीं लिखना चाहिये कि कहीं बे अदबी न हो जब कि मज़ारात पर उमूमन इमारत होती है जिस से बे अदबी का अन्देशा भी नहीं होता। लिहाज़ा जहां हिफ़ाज़त का अच्छा इन्तिज़ाम हो वहां कतबे पर कोई मुक़द्दस कलाम लिखने में भी हरज नहीं।(2)

सबक़ नम्बर 7

मज़ारात पर फूल चादर डालना

मज़ारों पर फूल डालना जाइज़ और मुस्तह़सन है। इस के जाइज़ होने की दलील मिश्कात शरीफ़ की हदीसे पाक है कि एक मरतबा हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का दो क़ब्रों पर गुज़र हुवा, फ़रमाया कि दोनों मय्यितों को अज़ाब हो रहा है, इन में एक तो पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुग़ली किया करता था। फिर आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने एक तर शाख़ ली और उस के दो हिस्से किये और फिर हर एक क़ब्र पर एक हिस्सा गाड़ दिया। लोगों ने अर्ज़ किया कि आप ने ऐसा क्यूं किया ? फ़रमाया : जब तक येह खुशक न हों तब तक इन के अज़ाब में कमी रहेगी।(3)



1... 101/1، كتاب الجنائز، باب في جمع الموتى في قبورهم، 3/285، حديث: 3206 ملقطا

2... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 101

3... 338/1، كتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 1/81، حديث: 338 ملقطا

शर्हें हदीस

कहा गया है कि इस लिये अज़ाब कम होगा कि जब तक तर रहेंगे तस्बीह पढ़ेंगे।⁽¹⁾ अशिअतुल्लम्आत में इसी हदीस के तहत है : इस हदीस से एक जमाअत दलील पकड़ती है कि क़ब्रों पर सब्ज़ा और गुल व रैहान डालना जाइज़ है।⁽²⁾ मिरकात में इस हदीस की शर्ह में है : हमारे बा'ज मुतअख़िख़रीन अस्हाब ने इस हदीस की वजह से फ़तवा दिया कि फूल और खजूर की टहनी चढ़ाने की जो आदत है वोह सुन्नत है।⁽³⁾

सुवाल मज़ारात पर चादर डालना कैसा है ?

जवाब शरीअते मुतहहरा में कुबूर पर चादर चढ़ाना बिना शुबा जाइज़ और मुस्तहसून अमल है कि इस से साहिबे मज़ार की ता'जीमो अज़मत का इज़हार होता है।

सुवाल क़ब्र पर पानी छिड़कना कैसा है ?

जवाब दफ़न करने के बा'द क़ब्र पर पानी छिड़कना मस्नून है। इसी तरह क़ब्र की खाक बिखर गई हो और अब दोबारा उस पर मिट्टी डाली गई या इस बात का अन्देशा है कि मिट्टी बिखर जाएगी तो उस पर पानी डाल सकते हैं ताकि क़ब्र की निशानी बाक़ी रहे, बिना वजह (जैसा कि दस मुहर्रमुल ह़राम के दिन अ़वाम में राइज़ है) हरगिज़ न डाला जाए कि इसराफ़ है।

सबक़ नम्बर 8

ज़ियारते कुबूर

मज़ाराते औलियाउल्लाह पर जाना जाइज़ और सुन्नत से साबित है कि सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ खुद शुहदाए उहुद के मज़ार पर तशरीफ़ ले जाते थे। जैसा कि हदीसे पाक में है : “बेशक नबिय्ये पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हर साल शुहदाए उहुद के मज़ारात पर तशरीफ़ ले जाते।”⁽⁴⁾ मज़ीद तिरमिज़ी शरीफ़ की रिवायत में है : “रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया कि “मैं ने तुम को क़ब्रों की ज़ियारत से मन्अ किया था तो अब मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को इजाज़त दे दी गई है अपनी वालिदा की क़ब्र की

1... مرقاة، کتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 2/58، تحت الحديث: 338

2... اشعة الملعات، 1/215

3... مرقاة، کتاب الطهارة، باب آداب الخلاء، الفصل الاول، 2/59، تحت الحديث: 338

4... مصنف عبد الرزاق، کتاب الجنائز، باب فی زیارة القبور، 3/381، حدیث: 6745

जियारत की, लिहाजा तुम भी क़ब्रों की जियारत करो बेशक वोह आखिरत की याद दिलाती है।”(1)

सवाल मज़ारात पर जाने से क्या हासिल होता है ?

जवाब मज़ारात व कुबूर की जियारत करने से दुनिया से बे रग़बती पैदा होती और आखिरत की याद आती है। हदीसे पाक में है : सय्यिदुना बरीदा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना, सुरूरे क़ल्बो सीना صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “मैं ने तुम्हें क़ब्रों की जियारत से मन्ज़ किया था अब जियारत किया करो।”(2) क्यूं कि येह दुनिया में बे रग़बती और आखिरत की याद पैदा करती है।”(3)

सवाल क्या मज़ार का बोसा ले सकते हैं ?

जवाब जियारत करने वाले को मज़ार का बोसा नहीं लेना चाहिये, उलमा का इस में इख़्तिलाफ़ है लिहाजा बचना बेहतर है और इसी में अदब ज़ियादा है।(4)

सवाल मज़ार पर हाज़िरी का तरीका क्या है ?

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ मज़ारात पर हाज़िरी की तफ़्सील यूँ इर्शाद फ़रमाते हैं : “मज़ाराते शरीफ़ा पर हाज़िर होने में पाइंती की तरफ़ से जाए और कम अज़ कम चार हाथ के फ़ासिले पर मुवाजहा में खड़ा हो और मुतवस्सित आवाज़ ब अदब सलाम अर्ज करे : **اَسْلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدِي وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ**, फिर दुरूदे ग़ौसिया तीन बार, अल हम्द शरीफ़ एक बार, आयतुल कुरसी एक बार, सूरए इख़्लास सात बार, फिर दुरूदे ग़ौसिया सात बार और वक़्त फुरसत दे तो सूरए यासीन और सूरए मुल्क भी पढ़ कर **अल्लाह** पाक से दुआ करे कि इलाही ! इस क़िराअत पर मुझे इतना सवाब दे जो तेरे करम के क़ाबिल है न इतना जो मेरे अमल के क़ाबिल है और उसे मेरी तरफ़ से फुलां बन्दए खुदा को नज़्र पहुंचा। फिर अपना जो मतलब जाइज़ शर्ई हो उस के लिये दुआ करे और साहिबे मज़ार की रूह को **अल्लाह** पाक की बारगाह में अपना वसीला क़रार दे, फिर उसी तरह सलाम



1... तर्ज़ुमी, کتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، 2/330، حدیث: 1056

2... مسلم، کتاب الجنائز، باب استئذان النبی ربه... الخ، ص 377، حدیث: 2260

3... ابن ماجه، کتاب الجنائز، باب ما جاء في زيارة القبور، 2/252، حدیث: 1571

4... फ़तावा रज़विyyा, 22/475 माख़ूज़न

कर के वापस आए, मज़ार को न हाथ लगाए न बोसा दे और तवाफ़ बिल इत्तिफ़ाक़ ना जाइज़ है और सज्दा हराम।”(1)

सबक नम्बर 9

नज़्रो नियाज़

हमारे हां मन्नत के दो तरीके राइज हैं : (1) एक मन्नते शर्ई और (2) एक मन्नते उर्फ़ी ।
 (1) मन्नते शर्ई येह है कि अल्लाह पाक के लिये कोई चीज़ अपने ज़िम्मे लाज़िम कर लेना । इस की कुछ शराइत होती हैं अगर वोह पाई जाएं तो मन्नत को पूरा करना वाजिब होता है और पूरा न करने से आदमी गुनाहगार होता है । इस गुनाह की नुहूसत से अगर कोई मुसीबत आ पड़े तो कुछ बईद नहीं ।
 (2) दूसरी मन्नते उर्फ़ी वोह येह कि लोग नज़्र मानते हैं कि अगर फुलां काम हो जाए तो फुलां बुजुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाएंगे या हज़िरी देंगे येह नज़्रे उर्फ़ी है इसे पूरा करना वाजिब नहीं बेहतर है ।

सुवाल क्या किसी नबी या वली की नज़्रे उर्फ़ी मान सकते हैं ?

जवाब अज़ रूए शर्अ अल्लाह पाक के सिवा किसी नबी या वली की नज़्रे उर्फ़ी मानना जाइज़ है और अमीर ग़रीब और सादाते किराम सभी के लिये खाना भी जाइज़ है । इसी को नज़्रे उर्फ़ी या नियाज़ कहते हैं । अलबत्ता नज़्रे शर्ई अल्लाह पाक के सिवा किसी के लिये मानना मम्नूअ है ।(2)

सुवाल नज़्र मानने में कौन सी एहतियातें मल्हूजे खातिर रखी जाएं ?

जवाब इस बारे में सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رحمۃ اللہ علیہ फ़रमाते हैं : “मस्जिद में चराग़ जलाने या त़ाक़ भरने या फुलां बुजुर्ग के मज़ार पर चादर चढ़ाने या ग्यारहवीं की नियाज़ दिलाने या ग़ौसे आ'ज़म رحمۃ اللہ علیہ का तोशा या शाह अब्दुल हक़ رحمۃ اللہ علیہ का तोशा करने या हज़रते जलाल बुख़ारी رحمۃ اللہ علیہ का कूंडा करने या मुहर्रम की नियाज़ या शरबत या सबील लगाने या मीलाद शरीफ़ करने की मन्नत मानी तो येह शर्ई मन्नत नहीं मगर येह काम मन्अ नहीं हैं, करे तो अच्छा है । हां अलबत्ता इस का ख़याल रहे कि कोई बात ख़िलाफ़े शर्अ उस के साथ न मिलाए मसलन त़ाक़ भरने में रतजगा होता है जिस में कुम्बे और रिश्ते की औरतें इकठ्ठा हो कर गाती बजाती हैं कि येह हराम है या चादर चढ़ाने के लिये लोग ताशे बाजे के साथ जाते हैं येह ना जाइज़ है या मस्जिद में चराग़ जलाने में बा'ज़ लोग आटे का चराग़ जलाते हैं येह ख़्वाह म ख़्वाह माल जाएअ

1... फ़तावा रज़विय्या, 9/522 ब तग़य्युरे क़लील

2... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 105

करना है और ना जाइज है, मिट्टी का चराग़ काफ़ी है और घी की भी ज़रूरत नहीं, मक़सूद रोशनी है वोह तेल से हासिल है। रहा येह कि मीलाद शरीफ़ में फ़र्श व रोशनी का अच्छा इन्तिज़ाम करना और मिठाई तक्सीम करना या लोगों को बुलावा देना और इस के लिये तारीख़ मुक़र्रर करना और पढ़ने वालों का खुश इल्हानी से पढ़ना येह सब बातें जाइज हैं। अलबत्ता ग़लत और झूटी रिवायतों का पढ़ना मन्अ है, पढ़ने वाले और सुनने वाले दोनों गुनहगार होंगे।”(1)

सबक़ नम्बर 10

तबर्कुकात की ता'जीम

तबर्कुक से मुराद (अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام, सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان) बुजुर्गाने दीन की वोह चीज़ें जो बरकत के तौर पर रखी जाएं।(2) प्यारे प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जिस्म से मस (Touch) होने वाली और निस्बत रखने वाली हर हर चीज़ भी मुतबर्क है, इसी तरह सहाबए किराम व बुजुर्गाने दीन رِضْوَانُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ اٰجَمَعِیْنَ के मुबारक अज्जसाम से छू जाने वाली (और निस्बत रखने वाली) हर चीज़ भी मुतबर्क है।(3) कुरआने पाक की कई आयात में तबर्कुकात की अहम्मियत और पिछली उम्मतों के तबर्कुकात से फ़ैज पाने के वाकिअत का ज़िक्र किया गया है। ताबूते सकीना (वोह मुतबर्क सन्दूक जिस में अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام के तबर्कुकात रखे जाते थे) से बनी इसराईल का बरकतें लेना, मेहराबे मरयम में हज़रते सय्यिदुना ज़करिय्या عَلَيْهِ السَّلَام का दुआ मांगना और उस का कबूल होना। जैसा कि

अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ
التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا
تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِن كُنتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿٢٤٨﴾

(प 2, अलबक़र 248)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन से उन के नबी ने फ़रमाया उस की बादशाही की निशानी येह है कि आए तुम्हारे पास ताबूत जिस में तुम्हारे रब की तरफ़ से दिलों का चैन है और कुछ बची हुई चीज़ें हैं मुअज़्ज़ज़ मूसा और मुअज़्ज़ज़ हारून के तर्के की उठाते लाएंगे उसे फ़िरिश्ते बेशक इस में बड़ी निशानी है तुम्हारे लिये अगर ईमान रखते हो।

1... बहारे शरीअत, 2/317, हिस्सा : 9

2... तबर्कुकात का सुबूत, स. 2 ब तग़य्युर

3... तबर्कुकात का सुबूत, स. 3, 4 मुल्लतक़तन

सुवाल अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام व औलियाए किराम رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ की तरफ मन्सूब अश्या से बरकत व फ़ाएदा हासिल करना कैसा है ?

जवाब अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام व औलियाए किराम رَحْمَتُهُمُ اللَّهُ की तरफ मन्सूब अश्या से बरकत व फ़ाएदा हासिल करना जाइज़ है ।

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब इस के सुबूत में कुरआनो हदीस की ब कसरत नुसूस पेश की जा सकती हैं, चुनान्चे

(1) ताबूते सकीना जिस में हज़रते मूसा व हारून عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام के तबर्कुकात थे उन से बनी इसराईल का बरकत व फ़ाएदा हासिल करने का ज़िक्र दूसरे पारे में मौजूद है ।

(2) हज़रते यूसुफ़ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की क़मीसे मुबारक से हज़रते या'कूब عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام की आंखों का सहीह हो जाना सूरए यूसुफ़ में मज़कूर है ।

(3) हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के बाल मुबारक, वुजू के बचे हुए पानी, नाखुनों के तराशे, चादर मुबारक, तहबन्द मुबारक, पियाला मुबारक, अंगूठी मुबारक से सहाबए किराम का बरकत हासिल करना ब कसरत अहदीस से साबित है ।

सुवाल क्या क़ब्र में तबर्कुकात वगैरा रख सकते हैं ?

जवाब जी हां ! क़ब्र के अन्दर तबर्कुकात वगैरा रखना जाइज़ व बाइसे सवाब और मय्यित के लिये दफ़् अज़ाब का सबब बनता है और येह सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان व सलफ़ सालिहीन के अमल से साबित है ।⁽¹⁾ हज़रत अमीरे मुअविआ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की वसिय्यत थी कि हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की क़मीसे मुबारका मेरे कफ़न के नीचे बदन से मुत्तसिल रखना और मूए मुबारक व नाखुनहाए मुक़द्दसा को मेरे मुंह और आंखों और पेशानी वगैरा मवाजेए सुजूद पर रख देना ।⁽²⁾

सुवाल इस ज़िम्न में अगर कोई वाकिआ हो तो बयान फ़रमा दें ।

जवाब सहीह बुख़ारी की हदीसे पाक में है हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्लमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने अपनी सनद के साथ हज़रते सहल رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से हदीस बयान की, कि एक औरत हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ख़िदमत

1 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 107

2 ... फ़तावा रज़विख्या, 9/117 मुलख़ख़सन

में एक ख़ूब सूरत चादर लाई और अर्ज़ किया : आप को पहनने के लिये पेश कर रही हूं, आप उस को तहबन्द की सूरत में पहन कर बाहर तशरीफ़ लाए तो एक सहाबी ने उस चादर की तहसीन की और सुवाल भी कर लिया तो सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने उसे कहा कि तू ने अच्छा नहीं किया कि हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उसे अपने लिये पसन्द फ़रमाया है और येह भी तुम्हें मा'लूम है कि आप साइल को महरूम नहीं फ़रमाते इस के बा वुजूद सुवाल कर लिया तो उस सहाबी ने कहा कि मैं ने इस को पहनने के लिये नहीं त़लब किया बल्कि अपने कफ़न के लिये सुवाल किया है, हज़रते सहल رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि वोह चादर उस साइल का कफ़न बनी।⁽¹⁾

सुवाल तबर्क़ात की बे अदबी करने का नुक़सान बयान कीजिये।

जवाब याद रहे ! जिस तरह तबर्क़ात की ता'ज़ीम और एहतिराम करने से कई फ़ाएदे मिलते हैं और बरकतें नसीब होती हैं, इसी तरह अगर उन की ता'ज़ीम न की जाए और उन की बे अदबी और तौहीन की जाए तो बसा अवक़ात दुन्या में ही इस की सज़ा भी मिल जाती है। इस की सब से वाज़ेह मिसाल ताबूते सकीना है, चुनान्वे

मक्तबतुल मदीना की किताब “अज़ाइबुल कुरआन मअ ग़राइबुल कुरआन” के सफ़हा नम्बर 52, 53 पर है : (ताबूते सकीना) शमशाद की लकड़ी का एक सन्दूक़ था जो हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام पर नाज़िल हुवा, आप عَلَيْهِ السَّلَام की आख़िरे ज़िन्दगी तक आप के पास ही रहा, फिर बतौर मीरास यके बा'द दीगरे आप عَلَيْهِ السَّلَام की औलाद को मिलता रहा, येह बड़ा ही मुक़द्दस और बा बरकत सन्दूक़ (Box) था। बनी इसराईल में जब कोई इख़्तिलाफ़ पैदा होता था तो लोग इसी सन्दूक़ से फैसला कराते थे, सन्दूक़ से फैसले की आवाज़ और फ़तह की बिशारत सुनी जाती थी, बनी इसराईल इस सन्दूक़ को वसीला बना कर दुआएं मांगते थे तो उन की दुआएं मक़बूल होती थीं, बलाओं की मुसीबतें और वबाओं की आफ़तें टल जाया करती थीं, अल ग़रज़ येह सन्दूक़ बनी इसराईल के लिये ताबूते सकीना, बरकतो रहमत का ख़ज़ीना और नुस्ते खुदावन्दी के नुज़ूल का निहायत मुक़द्दस और बेहतरीन ज़रीआ था। मगर जब बनी इसराईल तरह तरह के गुनाहों में मुलव्वस हो गए और उन लोगों में मअसी व तुग़्यान और सरकशी व इस्त्यान का दौरदौरा हो गया तो उन की बद आ'मालियों की नुहूसत से उन पर खुदा का येह ग़ज़ब नाज़िल हो गया कि क़ौमे अमालिका के कुफ़्फ़ार ने एक लश्करे ज़रार के साथ उन लोगों पर हम्ला



कर दिया, उन काफ़िरों ने बनी इसराईल का क़त्ले अ़ाम कर के उन की बस्तियों को तबाहो बरबाद कर डाला। इमारतों को तोड़फोड़ कर सारे शहर को तहस नहस कर डाला और इस मुतबर्क सन्दूक को भी उठा कर ले गए। इस मुक़द्दस तबर्क को नजासतों के कूड़ेख़ाने में फेंक दिया। लेकिन इस बे अदबी का क़ौमे अ़मालिका पर येह वबाल पड़ा कि येह लोग तरह तरह की बीमारियों और बलाओं के हुजूम में झन्झोड़ दिये गए। चुनान्चे क़ौमे अ़मालिका के 5 शहर बिल्कुल बरबाद और वीरान हो गए। यहां तक कि उन काफ़िरों को यकीन हो गया कि येह सन्दूके रहमत की बे अदबी का अ़जाब हम पर पड़ गया है तो उन काफ़िरों की आंखें खुल गई। चुनान्चे उन लोगों ने इस मुक़द्दस सन्दूक को एक बैलगाड़ी पर लाद कर बैलों को बनी इसराईल की बस्तियों की तरफ़ हांक दिया।⁽¹⁾

सबक नम्बर 11

अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरूदे पाक पढ़ना

सुवाल अज़ानो इक़ामत से पहले या बा'द में दुरूदे पाक पढ़ना कैसा है ?

जवाब अज़ानो इक़ामत से पहले या बा'द में दुरूदे पाक पढ़ना बिल्कुल जाइज़ और मुस्तहब है।

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब कुरआने पाक में फ़रमाने बारी है :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ⑤

(56:22, अल-अज़ाब)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह और उस के फ़िरिश्ते दुरूद भेजते हैं उस ग़ैब बताने वाले (नबी) पर ऐ ईमान वालो, उन पर दुरूद और ख़ूब सलाम भेजो।

कुरआने पाक की इस आयते मुबारका में अल्लाह करीम ने दुरूदे पाक पढ़ने का हुक्म दिया और इस में न तो कोई अल्फ़ाज़ मुक़र्रर फ़रमाए कि इन्हीं अल्फ़ाज़ के साथ दुरूद पढ़ो और न ही किसी वक़्त की कैद लगाई है कि इस वक़्त पढ़ो और उस वक़्त न पढ़ो।

हदीस शरीफ़ में है : “जिस ने इस्लाम में एक अच्छा तरीक़ा ईजाद किया तो उस के लिये उस का अज़्र है और जो उस पर अमल करेगा उस का अज़्र ईजाद करने वाले को भी मिलेगा।”⁽²⁾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! अज़ान से क़ब्ल दुरूद शरीफ़ पढ़ना भी मुसल्मानों के अन्दर राइज है और अगर येह किसी हदीस शरीफ़ से साबित न भी हो तब भी कारे सवाब है कि दीने इस्लाम में जिस ने अच्छा काम

① ... अज़ाबुल कुरआन मअ ग़राइबुल कुरआन, स. 52, 53 मुल्तक़तून

② ... مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة... إلخ، ص 394 حدیث: 2351

शुरूअ किया अल्लाह पाक उसे नेक अमल का सवाब अता फ़रमाएगा और जितने लोग उस पर अमल करेंगे उन के बराबर भी उस शख्स को सवाब अता किया जाएगा।⁽¹⁾

सुवाल किन मवाकेअ पर दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है ?

जवाब हज़रते अल्लामा सय्यिद इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ दुरूद शरीफ़ पढ़ने के मुस्तहब मवाकेअ बयान करते हुए फ़रमाते हैं : उलमाए किराम ने बा'ज मवाकेअ पर दुरूदे पाक पढ़ने के मुस्तहब होने पर नस्स फ़रमाई है उन में से चन्द येह हैं : रोज़े जुमुआ और शबे जुमुआ, हफ़ता इतवार और सोमवार के दिन, सुबह व शाम, मस्जिद में जाते और निकलते वक़्त, ब वक़्ते ज़ियारत रौज़ए अत्हर, सफ़ा व मर्वह पर, खुत्बए जुमुआ के वक़्त, जवाबे अज़ान के बा'द, ब वक़्ते इक़ामत, दुआ के अव्वल आख़िर और बीच में, दुआए कुनूत के बा'द, तल्बिया कहने के बा'द, कान बजने के वक़्त और किसी चीज़ के भूल जाने के वक़्त।⁽²⁾

सुवाल बा'ज लोग कहते हैं कि अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरूद शरीफ़ न पढ़ा जाए कि अवामुन्नास कहीं दुरूद शरीफ़ को अज़ानो इक़ामत का हिस्सा न समझ लें, क्या येह बात दुरुस्त है ?

जवाब इस का हल येह नहीं कि एक मुस्तहसुन काम बन्द कर दिया जाए, उलमाए किराम ने इस का हल येह पेश फ़रमाया है कि अज़ानो इक़ामत से पहले दुरूद में येह एहतियात करनी चाहिये कि दुरूद शरीफ़ पढ़ने के बा'द कुछ वक़फ़ा करे फिर अज़ान या इक़ामत कहे ताकि दुरूद शरीफ़ और अज़ानो इक़ामत के दरमियान फ़ासिला हो जाए या दुरूद शरीफ़ की आवाज़ अज़ानो इक़ामत की आवाज़ से पस्त रहे ताकि दोनों के दरमियान फ़र्क रहे और दुरूद शरीफ़ को इक़ामत का जुज़ न समझें। इस तरह अज़ानो इक़ामत पढ़ने वाला खुश नसीब सलातो सलाम की बरकतों से भी मुस्तफ़ीद होता रहेगा।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 12

अंगूठे चूमना

सुवाल अज़ान में हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के इस्मे गिरामी मुहम्मद صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को सुन कर अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाना कैसा है ?

1 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 108, 109

2 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب نص العلماء على استحباب... الح 281/2

3 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 110

जवाब जाइज़ व मुस्तहसिन व मूजिबे अज़्रो सवाब है और सरकारे दो जहां, रहमते आलमियां, शफीए मुज़िबां صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की महबूबत की अलामत है।⁽¹⁾

सुवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब अल्लामा इब्ने अबिदीन शामी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ फ़रमाते हैं : मुस्तहब यह है कि जब पहली शहादत सुने तो कहे : صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ और जब दूसरी सुने तो दोनों अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर लगाने के बा'द कहे : فَكَرَّثْتُ عَيْنِي بِكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ फिर यह कहे : اَللّٰهُمَّ مَتِّعْنِي بِالسَّيِّعِ وَالْبَصْرِ तो हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم जन्नत की तरफ़ उस के काइद होंगे जैसा कि कन्जुल इबाद और अल फ़तावस्सूफ़ियह में है और किताबुल फ़िरदौस में है कि जिस ने अज़ान में اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ सुनने के बा'द अपने दोनों अंगूठों को बोसा दिया तो जन्नत की सफ़ों में, मैं उस का काइद और दाख़िल करने वाला होऊंगा।⁽²⁾

सुवाल अंगूठे चूमने के बारे में कोई वाकिआ हो तो वोह बयान फ़रमा दें।

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ मुस्नदुल फ़िरदौस के हवाले से फ़रमाते हैं : हज़रते अबू बक्र सिदीक رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से मरवी है कि जब आप رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ने मुअज़्ज़िन को اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ कहते सुना येह दुआ पढ़ी और दोनों कलिमे की उंगलियों के पोरे जानिबे ज़ेरीं से चूम कर आंखों से लगाए, इस पर हुजूर अक़दस صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया उस के लिये मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाए।⁽³⁾

सुवाल अगर येह दलाइल न होते तो क्या फिर भी ऐसा करना जाइज़ होता ?

जवाब जी हां ! अगर इस के लिये कोई ख़ास दलील न भी हो तो शरीअत की तरफ़ से इस की मुमानअत न होना ही इस के जाइज़ होने के लिये काफ़ी है क्यूं कि येह चीज़ें अस्ल के ए'तिबार से जाइज़ हैं जब तक कि शरीअत मन्अ न कर दे। येही वजह है कि अज़ान के इलावा भी महबूबतो ता'ज़ीम की

1 ... बुन्यादी अकाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 110

2 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، مطلب فی کراهة تکرار الجماعه فی المسجد، 84/2

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 5/432

वज्ह से हुजूर सरवरे दो आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नामे मुबारक सुन कर अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना जाइज व मुस्तह्सन है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 13

क़ब्र पर अज़ान

क़ब्र पर अज़ान देने का जवाज़ यकीनी है क्यूं कि शरीअते मुतहहरा ने इस से मन्अ नहीं फ़रमाया और जिस काम से शरए मुतहहरा मन्अ न फ़रमाए अस्लन मम्मूअ नहीं हो सकता। नीज़ अह्दादीस से साबित है कि जब मुर्दे को क़ब्र में उतारने के बा'द मुन्कर नकीर उस के पास आ कर सुवालात करते हैं तो शैतान जो कि इन्सान का अज़ली दुश्मन है, मुसल्मान को बहकाने के लिये वहां भी आ पहुंचता है और येह बात भी अह्दादीस से साबित है कि शैतान क़ब्र में आता और मुसल्मान को सुवालात के जवाबात देने में परेशानी में मुब्तला करता है ताकि येह सुवालात के जवाबात न दे कर ख़ाइबो ख़ासिर हो और जब अज़ान दी जाती है तो शैतान भाग खड़ा होता है।⁽²⁾

चुनान्वे रिवायत में है : “जब मुर्दे से सुवाल होता है कि तेरा रब कौन है ? शैतान उस पर ज़ाहिर होता है और अपनी तरफ़ इशारा करता है या'नी मैं तेरा रब हूं।” इस लिये हुक्म आया कि मय्यित के लिये जवाब में साबित क़दम रहने की दुआ करें।⁽³⁾

और येह अम्र भी अह्दादीसे सहीह़ा से साबित है कि अज़ान देने से शैतान भागता है जून्ही अज़ान की आवाज़ उस के कान में पड़ती है जिस जगह अज़ान दी जा रही हो वहां से कोसों दूर भाग जाता है चुनान्वे सहीह़ मुस्लिम में हज़रते जाबिर رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से मरवी कि हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم फ़रमाते हैं : “शैतान जब अज़ान सुनता है इतनी दूर भागता है जैसे रौह।” और रौह मदीने से 36 मील के फ़ासिले पर है।⁽⁴⁾

सुवाल क्या अज़ान नमाज़ के साथ ख़ास है ?

जवाब नहीं, ऐसा नहीं कि अज़ान नमाज़ के साथ ख़ास है। बा'ज़ लोगों को अज़ाने क़ब्र के ना जाइज होने का शैतानी वस्वसा शायद इस बिना पर आता है कि लोग अज़ान को नमाज़ के साथ ख़ास समझते

1 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 112

2 ... बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 112

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 5/655

4 ... مسلم، کتاب الصلاة، باب فضل الاذان... إلخ، ص 163، حديث: 854

हैं हालां कि ऐसा नहीं है बल्कि शरीअते मुतहहरा ने नमाज़ के इलावा कसीर मक़ामात पर अज़ान को मुस्तहसुन जाना है जैसे नौ मौलूद के कान और दफ़्फ़ वबा व बला वगैरा मवाक़ेअ में।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 14

बड़ी रातों में इबादत का बयान

बड़ी रातों में जम्अ हो कर इबादत करना जाइज़ व मुस्तहसुन है। फ़तावा रज़विय्या में ब हवाला लताइफ़ुल मअरिफ़ है : “अहले शाम में आइम्माए ताबिईन मिस्ल ख़ालिद बिन मा'दान व इमाम मक़हूल व लुक्मान बिन अमिर वगैरहुम (رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ) शबे बराअत की ता'ज़ीम और इस रात इबादत में कोशिशे अज़ीम करते और इन्हीं से लोगों ने इस का फ़ज़ल मानना और इस की ता'ज़ीम करना अख़ज़ किया है।”⁽²⁾

सुवाल इन रातों में मसाजिद को सजाना कैसा है ?

जवाब जाइज़ व मुस्तहसुन है, क्यूं कि इस से मक्सूद इस रात की ता'ज़ीम होता है और ब हवाला लताइफ़ुल मअरिफ़ गुज़र चुका कि अइम्माए ताबिईन इस रात की ता'ज़ीम किया करते थे।

सुवाल साल में कितनी रातें अफ़ज़ल रातें हैं ?

जवाब यूं तो हर वोह रात ही जिस में नेकियां की जाएं वोह अफ़ज़ल रात है, लेकिन अरिफ़ बिल्लाह शैख़ अब्दुल अज़ीज़ दीरीनी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : साल की रातों में अफ़ज़ल रातें उन्तीस हैं कि सलफ़ सालिहीन इन रातों में इबादत करना पसन्द करते और फ़ज़लो करम के उम्मीद वार होते थे। इन उन्तीस रातों में शा'बानुल मुअज़्ज़म की पन्दरहवीं रात भी है। वोह उन्तीस रातें येह हैं : रमज़ानुल मुबारक के आख़िरी अशरे की दस रातें और इस की सत्तरहवीं रात कि जिस की सुब्ह को ग़ज़वए बद्र था, माहे जुल हज़ के पहले अशरे की दस रातें, ईदुल फ़ित्र की रात, ईदुल अज़हा की रात, मुह्रमुल हराम की पहली रात, अशूरा (10 मुह्रमुल हराम) की रात, रजबुल मुरज्जब की पहली, पन्दरहवीं और सत्ताईसवीं रात जिस में नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को मे'राज कराई गई और शा'बानुल मुअज़्ज़म की पन्दरहवीं रात।⁽³⁾

सुवाल शबे बराअत की फ़ज़ीलत व अहम्मियत क्या है ?

जवाब इस की फ़ज़ीलत में मुतअद्द अहादीस मरवी हैं हज़रते अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है, रसूले

1 ... बुन्यादी अकाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत, स. 113

2 ... फ़तावा रज़विय्या, 7/433

करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया कि जब शा'बान की पन्दरहवीं रात हो तो रात को जागा करो और उस के दिन में रोज़ा रखो जब सूरज गुरुब होता है तो उस वक़्त से **अल्लाह** करीम आस्माने दुन्या की तरफ़ नुज़ूले रहमत फ़रमाता है और ए'लान करता है कि है कोई मग़िफ़रत त़लब करने वाला ताकि मैं उस को बख़्श दूँ, है कोई रिज़्क़ त़लब करने वाला ताकि मैं उस को रिज़्क़ दूँ, है कोई मुसीबत ज़दा ताकि मैं उस को उस से नजात दूँ। यह ए'लान तुलूए फ़त्र तक होता रहता है।⁽¹⁾

इसी तरह उम्मुल मुअमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीका رضي الله عنها से मरवी है फ़रमाती हैं कि एक रात मैं ने हुज़ूर को अपने बिस्तर पर न पाया तो मैं हुज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم की तलाश में निकली, मैं ने हुज़ूर عليه الصلوة والسلام को जन्नतुल बक़ीअ में पाया, हुज़ूर सरवरे काएनात صلى الله عليه وآله وسلم ने फ़रमाया : “**अल्लाह** करीम निस्फ़ शा'बान की रात को आस्माने दुन्या की तरफ़ नुज़ूले रहमत फ़रमाता है और क़बीलए बनी कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़ियादा लोगों को बख़्श देता है।”⁽²⁾

सुवाल क्या शबे बराअत में कोई बख़्शिश से महरूम भी रहता है ?

जवाब शबे बराअत बेहद अहम रात है, इसे किसी सूरत ग़फ़लत में न गुज़ारा जाए, इस रात रहमतों की ख़ूब बरसात होती है। इस मुबारक शब में **अल्लाह** पाक “बनी कल्ब” की बकरियों के बालों से भी ज़ियादा लोगों को जहन्नम से आज़ाद फ़रमाता है। किताबों में लिखा है : “**क़बीलए बनी कल्ब**” क़बाइले अरब में सब से ज़ियादा बकरियां पालता था। आह ! कुछ बद नसीब ऐसे भी हैं जिन पर शबे बराअत या'नी छुटकारा पाने की रात भी न बख़्शे जाने की वईद है। हज़रते सय्यिदुना इमाम बैहक़ी शाफ़ेई رحمة الله عليه “फ़ज़ाइलुल अवकात” में नक्ल करते हैं : **रसूलुल्लाह** صلى الله عليه وآله وسلم का फ़रमाने इब्रत निशान है : छे आदमियों की इस रात भी बख़्शिश नहीं होगी : (1) शराब का आदी (2) मां बाप का ना फ़रमान (3) ज़िना का आदी (4) क़त्ल तअल्लुक़ करने वाला (5) तस्वीर बनाने वाला और (6) चुग़ल ख़ोर। इसी तरह काहिन, जादूगर, तकब्बुर के साथ पाजामा या तहबन्द टख़्नों के नीचे लटकाने वाले और किसी मुसल्मान से बिला इजाज़ते शर्ई बुज़ो कीना रखने वाले पर भी इस रात मग़िफ़रत की सआदत से महरूमी की वईद है, चुनान्वे तमाम मुसल्मानों को चाहिये कि मुतज़क्करा (या'नी बयान कर्दा) गुनाहों

1... ابن ماجه، كتاب الصلاة، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، 2/160، حديث: 1388

2... ترمذی، کتاب الصوم، باب ما جاء في ليلة النصف من شعبان، 2/183، حديث: 739

में से अगर **مَعَاذَ اللَّهِ** किसी गुनाह में मुलव्वस हों तो वोह बिल खुसूस उस गुनाह से और बिल उमूम हर गुनाह से शबे बराअत के आने से पहले बल्कि आज और अभी सच्ची तौबा कर लें और अगर बन्दों की हक़ तलफ़ियां की हैं तो तौबा के साथ साथ उन की मुआफ़ी तलाफ़ी की तरकीब फ़रमा लें।⁽¹⁾

लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल

सुवाल लैलतुल क़द्र को लैलतुल क़द्र क्यूं कहते हैं ?

जवाब लैलतुल क़द्र इन्तिहाई बरकत वाली रात है इस को लैलतुल क़द्र इस लिये कहते हैं कि इस में साल भर के अहक़ाम नाफ़िज़ किये जाते हैं और फ़िरिश्तों को साल भर के कामों और ख़िदमात पर मामूर किया जाता है और येह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफ़तो क़द्र के बाइस इस को लैलतुल क़द्र कहते हैं और येह भी मन्कूल है कि चूँकि इस शब में नेक आ'माल मक्बूल होते हैं और बारगाहे इलाही में उन की क़द्र की जाती है इस लिये इस को लैलतुल क़द्र कहते हैं।⁽²⁾

और भी मुतअद्दिद शराफ़तें इस मुबारक रात को हासिल है।

सुवाल लैलतुल क़द्र में इबादत करने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब बुख़ारी शरीफ़ में है, फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : “जिस ने लैलतुल क़द्र में ईमान और इख़्लास के साथ क़ियाम किया (या'नी नमाज़ पढ़ी) तो उस के गुज़श्ता (सगीरा) गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएंगे।”⁽³⁾

इस मुक़द्दस रात को हरगिज़ हरगिज़ ग़फ़लत में नहीं गुज़ारना चाहिये, इस रात इबादत करने वाले को एक हज़ार माह या'नी तिरासी साल चार माह से भी ज़ियादा इबादत का सवाब अता किया जाता है और इस “ज़ियादा” का इल्म **अल्लाह** पाक जाने या उस के बताए से उस के प्यारे हबीब **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** जानें कि कितना है। इस रात में हज़रते सय्यिदुना ज़िब्रील **عَلَيْهِ السَّلَام** और फ़िरिशते नाज़िल होते हैं और फिर इबादत करने वालों से मुसाफ़हा करते हैं। इस मुबारक शब का हर एक लम्हा सलामती ही सलामती है और येह सलामती सुब्हे सादिक् तक बर क़रार रहती है। येह **अल्लाह** पाक का ख़ासुल ख़ास करम है कि येह अज़ीम रात सिर्फ़ अपने प्यारे हबीब **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ**

¹ ... आका का महीना, स. 11

² ... तफ़्सीर ख़ाज़न, 30, القدر، تحت الآية 1، 424/4

³ ... بخاری، کتاب فضل لیلة القدر، باب فضل لیلة القدر، 1، 660 حدیث 2014

को और आप ﷺ के सदके में आप ﷺ की उम्मत को अता की गई है।
अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۚ
تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ
أَمْرٍ ۚ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۚ (प 30, अल्-क़दर)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक हम ने इसे शबे क़द्र में उतारा और तुम ने क्या जाना क्या शबे क़द्र शबे क़द्र हजार महीनों से बेहतर इस में फ़िरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये वोह सलामती है सुब्ह चमकने तक।

हज़रते सय्यिदुना इमाम मुजाहिद رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बनी इसराईल का एक शख्स सारी रात इबादत करता और सारा दिन जिहाद में मसरूफ़ रहता था और इस तरह उस ने हजार महीने गुज़ारे थे, तो अल्लाह पाक ने येह आयते मुबारका नाज़िल फ़रमाई : “لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۚ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ” तरजमए कन्ज़ुल ईमान : (शबे क़द्र हजार महीनों से बेहतर) या'नी शबे क़द्र का क़ियाम उस आबिद (या'नी इबादत गुज़ार) की एक हजार महीने की इबादत से बेहतर है।⁽¹⁾

और “तफ़सीरे अज़ीज़ी” में है : हज़रते सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने जब हज़रते शम्ऊन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की इबादात व जिहाद का तज़िकरा सुना तो उन्हें हज़रते शम्ऊन पर बड़ा रश्क आया और मुस्तफ़ा जाने रहमत ﷺ की ख़िदमते बा बरकत में अर्ज किया : “या रसूलल्लाह ﷺ हमें तो बहुत थोड़ी उम्रें मिली हैं, इस में भी कुछ हिस्सा नींद में गुज़रता है तो कुछ तलबे मआश में, खाने पकाने में और दीगर उमूरे दुन्यवी में भी कुछ वक़्त सर्फ़ हो जाता है। लिहाज़ा हम तो हज़रते शम्ऊन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की तरह इबादत कर ही नहीं सकते, यूं बनी इसराईल हम से इबादत में बढ़ जाएंगे।” उम्मत के ग़म ख़वार आक़ा ﷺ येह सुन कर ग़मगीन हो गए। उसी वक़्त हज़रते सय्यिदुना जिब्रईले अमीन عَلَيْهِ السَّلَام सूरतुल क़द्र ले कर हज़िरे ख़िदमते बा बरकत हो गए और तसल्ली दे दी गई कि प्यारे हबीब (ﷺ) रन्जीदा न हों, आप ﷺ की उम्मत को हम ने हर साल में एक ऐसी रात इनायत फ़रमा दी कि अगर वोह उस रात में इबादत करेंगे तो (हज़रते) शम्ऊन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की हजार माह की इबादत से भी बढ़ जाएंगे।⁽²⁾



1... तफ़सीर طبری, प 30, अल्-क़दर, تحت الآية: 1-5/12, 653

2... ماخوذ از تفسیر عزیزی, प 30, अल्-क़दर, 3/257

सवाल शबे क़द्र रमज़ानुल मुबारक की कौन सी रात है ?

जवाब अगर्चे बुजुर्गाने दीन और मुफ़स्सरीन व मुहद्दीसीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ का शबे क़द्र के तअय्युन में इख़्तिलाफ़ है, ताहम भारी अक्सरियत की राय येही है कि हर साल माहे रमज़ानुल मुबारक की सत्ताईसवीं शब ही शबे क़द्र है। सय्यिदुल अन्सार, सय्यिदुल कुर्रा, हज़रते उबय बिन का'ब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के नज़्दीक सत्ताईसवीं शबे रमज़ान ही “शबे क़द्र” है।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दीस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ भी फ़रमाते हैं कि शबे क़द्र रमज़ान शरीफ़ की सत्ताईसवीं रात होती है। अपने बयान की ताईद के लिये उन्होंने ने दो दलाइल बयान फ़रमाए हैं :

(1) “लैलतुल क़द्र” में नव हुरूफ़ हैं और येह कलिमा सूरतुल क़द्र में तीन मरतबा है, इस तरह “तीन” को “नव” से ज़र्ब देने से हासिले ज़र्ब “सत्ताईस” आता है जो कि इस बात की तरफ़ इशारा करता है कि शबे क़द्र सत्ताईसवीं रात है।

(2) इस सूरए मुबारका में तीस कलिमात (या'नी तीस अल्फ़ाज़) हैं। सत्ताईसवां कलिमा “سَمِي” है जिस का मर्कज़ लैलतुल क़द्र है। गोया अल्लाह पाक की तरफ़ से नेक लोगों के लिये येह इशारा है कि रमज़ान शरीफ़ की सत्ताईसवीं शबे क़द्र होती है।⁽²⁾

रिज़ाए इलाही के ख़्वाहिश मन्दो ! हो सके तो सारा ही साल हर रात एहतिमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अमल कर लेना चाहिये कि न जाने कब शबे क़द्र हो जाए। हर रात में दो फ़र्ज़ नमाज़ें आती हैं, दीगर नमाज़ों के साथ साथ मग़रिब व इशा की नमाज़ों की जमाअतों का भी ख़ूब एहतिमाम होना चाहिये कि अगर शबे क़द्र में इन दोनों की जमाअत नसीब हो गई तो इन् شاء الله बेड़ा ही पार है, बल्कि इसी तरह पांचों नमाज़ों के साथ साथ रोज़ाना इशा व फ़ज़्र की जमाअत की भी खुसूसियत के साथ आदत डाल लीजिये। दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुलाहज़ा हों :

(1) जिस ने इशा की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी उस ने गोया आधी रात क़ियाम किया और जिस ने फ़ज़्र की नमाज़ बा जमाअत अदा की उस ने गोया पूरी रात क़ियाम किया।⁽³⁾



1... मुसलम, کتاب صلوٰۃ المسافرین وقصرها، باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراويح، ص 299، حدیث: 1785

2... تفسیر عزیزی، پ 30، القدر، 3/259 ملخصا

3... مُسْلِم، کتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب فضل صلوٰۃ العشاء والصبح فی جماعة، ص 258، حدیث: 1491

(2) जिस ने इशा की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी तहकीक़ उस ने लैलतुल क़द्र से अपना हिस्सा हासिल कर लिया।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 15

मे'राजे मुस्तफ़ा

सुवाल शबे मे'राज में इबादत करना कैसा है और इस की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब शबे मे'राज शरीफ़ में इबादत करना जाइज़ व मुस्तह्सन है, इस में इबादत करने की फ़ज़ीलत बयान करते हुए अरिफ़ बिल्लाह शैख़े मुहक्क़क़ शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी رحمة الله عليه हदीस नक़ल फ़रमाते हैं : “रजब में एक ऐसी रात है जिस में इबादत करने वाले के लिये सो साल की नेकियों का सवाब लिखा जाता है और येह रजब की सत्ताईसवीं रात है, जो इस रात बारह रकअत नवाफ़िल इस तरह अदा करे कि हर रकअत में सूरए फ़ातिहा पढ़े और **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** सो दफ़आ पढ़े और **अल्लाह** से सो दफ़आ इस्तिग़फ़ार करे और नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर सो बार दुरूद पढ़े और अपने लिये दुन्या व आख़िरत में से जो चाहे मांगे और सुब्ह को रोज़ा रखे तो बेशक **अल्लाह** पाक उस की सब दुआओं को क़बूल फ़रमाएगा, सिवाए उस दुआ के जो गुनाह की हो, इस रिवायत को इमाम बैहकी رحمة الله عليه ने “शुअबुल ईमान” में अबान से और उन्होंने ने हज़रते सय्यिदुना अनस رضي الله عنه से रिवायत किया।”⁽¹⁾

सुवाल मे'राज से क्या मुराद है ?

जवाब ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नबुव्वत صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को **अल्लाह** पाक ने मक्कए मुकर्रमा से बैतुल मुक़द्दस तक, फिर वहां से सातों आस्मानों और अर्शों कुरसी तक और वहां से ऊपर जहां तक **अल्लाह** पाक को मन्ज़ूर हुवा रात के थोड़े से हिस्से में सैर कराई। इस रात बारगाहे खुदावन्दी में आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को वोह कुर्बे ख़ास हासिल हुवा कि किसी नबी और फ़िरिशते को न कभी हासिल हुवा न कभी होगा। हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के इस आस्मानी सफ़र को “मे'राज” कहते हैं।⁽³⁾

सुवाल मे'राज शरीफ़ कब हुई ?

जवाब मे'राज शरीफ़ रजबुल मुरज्जब की 27वीं रात को हुई।



1 ... मुहम्मद क़ैर, 8/179 हदीथ: 7745

2 ... شعب الايمان، باب في الصيام، تجميع شهر رجب بالذکر، 3/374، حدیث: 3812

3 ... تفسيرات احمدية، بنی اسر آئیل، تحت الآية: 1- مسئلة المعراج، ص 502-505 ملقطا- نبراس، بیان المعراج، ص 292-295 ملقطا

सवाल मे'राज शरीफ का तज़िकरा कुरआने करीम की किस सूरात में है ?

जवाब मे'राज शरीफ का तज़िकरा कुरआने करीम के पारह नम्बर 15, सूराए बनी इसराईल की पहली आयत में कुछ यूँ है :

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا
حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْآيَاتِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ ① (प 15, नबी अर्रायल: 1)

तरजमए कन्जुल ईमान : पाकी है उसे जो रातों रात अपने बन्दे को ले गया मस्जिदे हराम (खानए का'बा) से मस्जिदे अक्सा (बैतुल मुक़द्दस) तक जिस के गिर्दा गिर्द हम ने बरकत रखी कि हम उसे अपनी अज़ीम निशानियां दिखाएं, बेशक वोह सुन्नता देखता है ।

सवाल शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने क्या क्या देखा ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने अ़र्शों कुरसी, लौहो क़लम, जन्नतो दोज़ख़, ज़मीनो आस्मान का ज़र्ज़र्ज़ और अल्लाह पाक की दीगर बे शुमार बड़ी बड़ी निशानियों को देखा, सब से बढ़ कर आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस रात अपने सर की आंखों से जमाले इलाही का दीदार किया और बिगैर किसी वासिते के अल्लाह पाक का कलाम सुना ।⁽¹⁾

सवाल शबे मे'राज किस आस्मान पर सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मुलाक़ात किस नबी عَلَيْهِ السَّلَام से हुई ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की मुलाक़ात ☆ पहले आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना आदम عَلَيْهِ السَّلَام से हुई । ☆ दूसरे आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना यहूया व हज़रते सय्यिदुना ईसा عَلَيْهِمَا السَّلَام से हुई । ☆ तीसरे आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना यूसुफ़ عَلَيْهِ السَّلَام से हुई । ☆ चौथे आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना इदरीस عَلَيْهِ السَّلَام से हुई । ☆ पांचवें आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना हारून عَلَيْهِ السَّلَام से हुई । ☆ छठे आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना मूसा عَلَيْهِ السَّلَام से हुई । ☆ सातवें आस्मान पर हज़रते सय्यिदुना इब्राहीम عَلَيْهِ السَّلَام से हुई ।⁽²⁾

सवाल सरकारे मदीना صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के इस आस्मानी सफ़र का इन्कार करने वाले के लिये क्या हुक्म है ?

① ... बहारे शरीअत, 1/67, हिस्सा : 1 माख़ूज़न

② ... सीरते मुस्तफ़ा, स. 733 ब तग़य्युरे क़लील

जवाब सफ़रे मे'राज के तीन हिस्से हैं : (1) अस्सा (2) मे'राज (3) ए'राज या उरूज । चुनान्वे (1) अस्सा या'नी मक्कए मुकर्रमा से हुजुरे पुरनूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का बैतुल मुक़द्दस तक शब के थोड़े से हिस्से में तशरीफ़ ले जाना नस्से कुरआनी (या'नी कुरआने पाक की वाज़ेह आयत और रोशन दलील) से साबित है । इस का मुन्किर (इन्कार करने वाला) काफ़िर है ।

(2) मे'राज या'नी आस्मानों की सैर और मनाज़िले कुर्ब में पहुँचना अहादीसे सहीहा मो'तमदा मशहूरा से साबित है, इस का मुन्किर (इन्कार करने वाला) गुमराह है ।

(3) उरूज या ए'राज या'नी सरकारे नामदार صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के सर की आंखों से दीदारे इलाही करने और फ़ौकुल अर्श (अर्श से ऊपर) जाने का मुन्किर (इन्कार करने वाला) ख़ाती या'नी ख़ताकार है ।⁽¹⁾

सुवाल शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने बैतुल मुक़द्दस में किस नमाज़ की इमामत फ़रमाई ?

जवाब शबे मे'राज सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने बैतुल मुक़द्दस में जिस नमाज़ की इमामत फ़रमाई वोह नमाज़ तहिय्यतुल मस्जिद थी । चुनान्वे हज़रते अल्लामा अली क़ारी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मदनी आका صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद अदा की और ज़ाहिर येही है कि येही वोह नमाज़ है जिस में आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने इक़्तदा की और आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ अस्फ़िया के इमाम बने ।⁽²⁾

सुवाल क्या मे'राज का सफ़र नींद की हालत में हुवा था ?

जवाब जी नहीं, बल्कि ऐन बेदारी की हालत में हुवा था ।

सुवाल येह मे'राज जिस्मे अत्हर के साथ थी या फ़क़त रूह की थी ?

जवाब येह मे'राज जिस्मे अत्हर और रूह दोनों के साथ हुई थी, जैसा कि इमामे अहले सुन्नत सय्यिदी आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मे'राज शरीफ़ यकीनन क़तअन इसी जिस्मे मुबारक के साथ हुवा न कि फ़क़त रूहानी ।⁽³⁾

1 ... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 226, 227 मुल्तक़तन

2 ... مرقاة، كتاب الفضائل، باب في المراجع، 10/167، تحت الحديث: 5863

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 15/74

सुवाल क्या अहादीसे मुबारका में शबे मे'राज इबादत करने के फ़ज़ाइल भी हैं ?

जवाब जी हां ! हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : रजब में एक रात है कि उस में नेक अमल करने वाले के लिये 100 बरस की नेकियों का सवाब लिखा जाता है और वोह रजब की सत्ताईसवीं शब है । जो इस में बारह रक्अत इस तरह पढ़े कि हर रक्अत में सूरए फ़तिहा और कोई सी एक सूरात और हर दो रक्अत पर अत्तहिय्यात पढ़े और 12 पूरी होने पर सलाम फेरे, इस के बा'द 100 बार **سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ**, 100 बार इस्तिग़फ़ार, 100 बार दुरूद शरीफ़ पढ़े और अपनी दुन्या व आख़िरत से मुतअल्लिक जिस चीज़ की चाहे दुआ मांगे और सुबह को रोज़ा रखे तो **अल्लाह** पाक उस की सब दुआएं क़बूल फ़रमाए सिवाए उस दुआ के जो गुनाह के लिये हो ।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : रजब में एक दिन और रात है जो उस दिन रोज़ा रखे और रात को क़ियाम (इबादत) करे तो गोया उस ने सो साल के रोज़े रखे और वोह सत्ताईस रजब है ।⁽²⁾

मशहूर मुफ़स्सिरे कुरआन हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सत्ताईसवीं रजब को मे'राजुन्नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की खुशी में जल्से करें, खुशियां मनाएं, रात को जाग कर नवाफ़िल पढ़ें ।⁽³⁾

इसी तरह शैख़ुल हदीस हज़रते अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आ'जमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ मे'राज शरीफ़ के इज्तिमाए ज़िक्रो ना'त के मुतअल्लिक फ़रमाते हैं : 26, 27 रजब को मे'राज शरीफ़ का बयान करने के लिये जो जल्सा किया जाता है उस को रजबी शरीफ़ की मजलिस कहते हैं, मीलाद शरीफ़ की तरह येह भी बहुत ही मुबारक जल्सा है, इस जल्से को करने वाले और हाज़िरीन व सामिईन सब सवाब के मुस्तहिक् हैं । ज़ाहिर है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ के फ़ज़ाइलो कमालात और इन के मो'जिज़ात में से एक बहुत ही अज़ीमुशशान मो'जिज़ा या'नी मे'राजे जिस्मानी का ज़िक्रे जमील किस क़दर खुदावन्दे जलील की रहमतों और बरकतों के नुज़ूल का बाइस होगा ? इस लिये मुसलमानों को चाहिये कि ज़ियादा से ज़ियादा ता'दाद में और बड़े से बड़े एहतिमाम के साथ इस मजलिसे ख़ैरो बरकत को मुन्अकिद करें और ज़िक्रे मे'राज सुनने के लिये कसीर ता'दाद में हाज़िर हो कर अन्वारो बरकात की



① ... شعب الإيمان، باب الصيام... إلخ، 3/374، حديث: 3812

② ... شعب الإيمان، باب في الصيام... إلخ، 3/373، حديث: 3811

③ ... इस्लामी ज़िन्दगी, स. 133

सआदतों से सरफराज़ हों और इस मुक़द्दस रात में नवाफ़िल पढ़ कर और सदक़ातो ख़ैरात कर के सवाबे दारैन की दौलतों से मालामाल हों।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 16

मीलाद शरीफ़ मनाना

अय्यामुल्लाह को याद रखने का हुक्म कुरआने करीम में है और अय्यामुल्लाह में से सब से मुक़द्दस “नबिय्ये करीम ﷺ का यौमे मीलाद” है, क्यूं कि तमाम अय्याम इसी मुबारक दिन के सबब बा बरकत हुए। कुरआने करीम हमें रहमते इलाही पर खुशी मनाने का हुक्म देता है :

قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿٥٨﴾ (प 11, यूनुस: 58)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ अल्लाह ही के फ़ज़ल और उसी की रहमत और इसी पर चाहिये कि खुशी करें वोह उन के सब धन दौलत से बेहतर है।

हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ अल्लाह के सब से बड़े फ़ज़ल और ने'मत हैं और ने'मते इलाही का शुक्र अदा करने के हवाले से कुरआने करीम पारह 30 सूरतुदुहा आयत नम्बर 12 है :

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ﴿١١﴾ (प 30, अल्अ'ज़ी: 11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अपने रब की ने'मत का ख़ूब चरचा करो।

मीलाद अह्दादीस की रोशनी में

हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा ﷺ पीर शरीफ़ को रोज़ा रख कर अपना यौमे विलादत मनाते थे जैसा कि हज़रते सय्यिदुना अबू क़तादा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : बारगाहे रिसालत ﷺ में पीर के रोज़े के बारे में दरयाफ़्त किया गया तो इश्आद फ़रमाया : “इसी दिन मेरी विलादत हुई और इसी रोज़ मुझ पर वही नाज़िल हुई।”⁽²⁾

इसी तरह जब अबू लहब मर गया तो उस के बा'जू घर वालों ने उसे ख़्वाब में बुरे हाल में देखा। पूछा : क्या मिला ? बोला : तुम से जुदा हो कर मुझे कोई ख़ैर नसीब न हुई। फिर अपने अंगूठे के नीचे मौजूद सूराख़ की तरफ़ इशारा करते हुए कहने लगा : सिवाए इस के कि इस में से मुझे पानी पिला दिया जाता है क्यूं कि मैं ने सुवैबा लौंडी को आज़ाद किया था।⁽³⁾

इस रिवायत के तहत शैख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللَّهِ الْقَوِي फ़रमाते हैं : इस वाक़िए में मीलाद शरीफ़ वालों के लिये बड़ी दलील है जो ताजदारे रिसालत ﷺ की शबे विलादत

1 ... जन्नती ज़ेवर, स. 469

2 ... مسلم، کتاب الصیام، باب صیام ثلاث... الخ، ص 455، حدیث: 2750

3 ... مصنف عبد الرزاق، کتاب الوصایا، باب الصدقة عن المیت، 9/9، حدیث: 16661 - عمدة القاری، کتاب الزکات، باب واکتم الخ، 44/14، تحت الحدیث: 510

में खुशियां मनाते और माल खर्च करते हैं, या'नी अबू लहब जो कि काफ़िर था जब वोह ताजदारे नुबुव्वत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादत की ख़बर पा कर खुश होने और अपनी लौंडी (सुवैबा) को दूध पिलाने की ख़ातिर आज़ाद करने पर बदला दिया गया। तो उस मुसल्मान का क्या हाल होगा जो महब्बत और खुशी से भरा हुवा है और माल खर्च कर रहा है। लेकिन येह ज़रूरी है कि महफ़िले मीलाद शरीफ़ गाने बाजों से और आलाते मूसीकी से पाक हो।⁽¹⁾

सवाल मीलाद शरीफ़ में होता क्या है ?

जवाब जश्ने विलादत वोह मुबारक इज्तिमाअ है कि जिस में मो'तबर कुतुब से नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के फ़ज़ाइल व मो'जिज़ात, सियर (ख़स्लतें), हालात, हयात, रिज़ाअत और बि'सत के वाकिअत बयान किये जाएं।⁽²⁾

सदरुशरीअह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इन चीज़ों (या'नी नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के फ़ज़ाइल व मो'जिज़ात वगैरा) का ज़िक्र अहदीस में भी है और कुरआने मजीद में भी। अगर मुसल्मान अपनी महफ़िल में बयान करें बल्कि ख़ास इन बातों के बयान करने के लिये महफ़िल मुन्अकिद करें तो इस के ना जाइज़ होने की कोई वजह नहीं। इस मजलिस के लिये लोगों को बुलाना और शरीक करना ख़ैर की तरफ़ बुलाना है, जिस तरह वा'ज़ और जल्सों के ए'लान किये जाते हैं, इश्तिहारात छपवा कर तक्सीम किये जाते हैं, अख़बारात में इस के मुतअल्लिक मज़ामीन शाएअ किये जाते हैं और इन की वजह से वोह वा'ज़ और जल्से ना जाइज़ नहीं हो जाते, इसी तरह ज़िक्रे पाक के लिये बुलावा देने से इस मजलिस को ना जाइज़ व बिद्अत नहीं कहा जा सकता।⁽³⁾

याद रहे ! जिस तारीख़ को मुल्क आज़ाद हुवा हो हर साल उस तारीख़ को जश्न मनाया जाता और जुलूस निकाला जाता है और जो इस पर तन्कीद करे उसे मुल्क का ग़द्दार कहा जाता है तो जिस तारीख़ को दो जहां के सरदार صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم दुन्या में तशरीफ़ लाएं वोह क्यूं न सब से बढ़ कर खुशी का दिन होगा ? लिहाज़ा मीलाद शरीफ़ मनाना हुक्मे कुरआनी पर अमल करना है। क्या येह ए'तिराज़ करने वाला रसूले पाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की विलादत अल्लाह पाक की ने'मत, फ़ज़्ले इलाही और रहमते खुदावन्दी नहीं मानता या महफ़िले मीलाद को इस ने'मते इलाही का चरचा और इस फ़ज़लो रहमत की खुशी नहीं समझता या वोह येह बताए कि कुरआनो हदीस में कहीं महफ़िले मीलाद शरीफ़ मन्अ है ???

खाक हो जाएं अदू जल कर मगर हम तो रज़ा दम में जब तक दम है ज़िक्र उन का सुनाते जाएंगे



1... مدارج النبوة، قسم دوم، باب اول، ذکر نسب... إلخ، 2/19

2... سبل الهدى والرشاد، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... إلخ، 1/363 مغذو

मीलाद मनाना आज की ईजाद नहीं मुसलमान सदियों से मीलाद मनाते आए हैं, चुनान्वे मुल्ला अली क़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ और अल्लामा बुरहानुद्दीन हलबी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “मुसलमान तमाम मक़ामात और बड़े बड़े शहरों में हमेशा नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की विलादत के महीने में महाफ़िल मुन्अक़िद करते रहे हैं।”⁽¹⁾

सुवाल सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने कभी जश्ने विलादत नहीं मनाया तो क्या तुम उन से ज़ियादा आशिके रसूल हो ?

जवाब कुरआने करीम के बा'द सब से ज़ियादा क़ाबिले ए'तिमाद किताब “सहीह बुख़ारी” है और इस को तक़रीबन सभी मुसलमान मानते हैं, इमाम बुख़ारी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ हर हदीसे मुबारका लिखने से पहले गुस्ल करते और दो रक्अत नफ़ल अदा फ़रमाते।⁽²⁾

हालां कि सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان में ऐसी कोई रिवायत नहीं मिलती कि वोह हदीसे पाक बयान करने से पहले गुस्ल फ़रमाते और दो रक्अत नमाज़ पढ़ते तो क्या येह कहा जाएगा कि इमाम बुख़ारी सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से बड़े आशिके रसूल हैं ? या आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के दिल में सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से ज़ियादा हदीसे पाक का अदब है ? मज़ीद सुनिये ! करोड़ों मालिकिय्यों के अज़ीम पेशवा हज़रते सय्यिदुना इमाम मालिक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ मदीनए पाक की गलियों में नंगे पैर चला करते थे और ता'ज़ीमे ख़ाके मदीना की ख़ातिर मदीनए मुनव्वरह में कभी भी क़ज़ाए हाज़त नहीं की, इस के लिये हमेशा हरमे मदीना से बाहर तशरीफ़ ले जाते थे, अलबत्ता हालते मरज़ में मजबूर थे।⁽³⁾ तो क्या अब येह कहा जाएगा कि इमामे मालिक रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से बड़े आशिके रसूल हैं ? हरगिज़ नहीं, कुरआने करीम में उसूल बयान फ़रमा दिया गया है और वोह येह है : “وَتَعَزَّزُوا وَتَوَقُّرُوا” तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और रसूल की ता'ज़ीमो तौक़ीर करो” इस आयते मुबारका की तफ़सीर में मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया है कि ता'ज़ीमे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का जो भी तरीक़ा राइज हो और वोह शरीअत से न टकराता हो वोह इस आयत में दाख़िल है, यहां ता'ज़ीमो तौक़ीर के लिये किसी क़िस्म की कोई क़ैद बयान नहीं की गई, चाहे खड़े हो कर सलातो सलाम पढ़ना हो या कोई दूसरा तरीक़ा सरकारे



①...المورد الروي في المولد النبوي، ص 26

②... नुज़हतुल क़ारी, 1/130

③...إستان الحمدین، ص 19

दो आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की हर वोह ता'जीम जो ख़िलाफ़े शर्अ न हो, की जाएगी।⁽¹⁾ बे शुमार ऐसे काम किये जा रहे हैं जो कि सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और ताबिईन رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के दौर में न थे मगर दीन में जारी हैं और जशने विलादत से मन्अ करने वाले लोग भी येह काम करते हैं जैसे मुरव्वजा दर्से निज़ामी का कोर्स, मुरव्वजा मद्रसों का निज़ाम, हिफ़ज़ो नाज़िरा की अलग अलग क्लासिज़, तनख़्वाह दे कर पढ़ने के लिये उस्ताद मुक़र्रर करना और इस तनख़्वाह के लिये चन्दा मांगना, इफ़िताहे बुख़ारी, ख़त्मे बुख़ारी बल्कि खुद सहीह बुख़ारी, सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان व ताबिईन बल्कि तब्ज़ ताबिईन رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِم के ज़माने के बहुत बा'द लिखी गई, हवाई जहाज़ के ज़रीए सफ़रे हज़ व उम्ह वग़ैरा हज़ारों दीनी काम हैं जो किये जा रहे हैं, कोई इन से मन्अ नहीं करता। अपने अपने नसीब की बात है जिस को जिस से महबूबत होती है वोह उस की ख़ूब याद मनाता, घरों को रोशन करता है और कोई हीले बहाने बना कर दिल जलाता रहता है।

जशने विलादत मनाने का हुक्म

अहले सुन्नत के मज़हब में मजलिसे मीलादे पाक अफ़ज़ल तरीन मन्दूबात (मुस्तहब्बात) और आ'ला तरीन मुस्तहसनात (नेक कामों में) से है।⁽²⁾

सुवाल 12 रबीउल अव्वल विलादत शरीफ़ का दिन नहीं है, इस में इख़िलाफ़ है और येह फ़तावा रज़विय्या में भी है, लिहाज़ा 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ को जशने मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये।

जवाब इस सुवाल का एक जवाब तो येह है कि फ़तावा रज़विय्या में मेरे आका आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : अशहर व अक्सर व माखूज़ व मो'तबर बारहवीं है। (या'नी सब से ज़ियादा मशहूर, क़ाबिले ए'तिबार और मक़बूल बात 12 रबीउल अव्वल ही है।)⁽³⁾

दूसरा जवाब येह है कि अगर आप 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ को जशने विलादत नहीं मनाते तो कोई और तारीख़ मसलन दो, आठ या दस रबीउल अव्वल के कौल ही को मान लीजिये और ख़ूब धूमधाम से आमिना के लाल, महबूबे रब्बे जुल जलाल صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का जशने विलादत मनाइये।

सुवाल इस्लाम में सिर्फ़ दो ही ईदों का ज़िक्र है, लिहाज़ा ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये ?

① ... तफ़सीरे सिरातुल ज़िन्नान, 6/81 व तफ़हूम व तअख़बुर

② ... अल हक्कुल मुबीन, स. 100

③ ... फ़तावा रज़विय्या, 26/411

जवाब सिहाह सित्ता (या'नी हदीसे पाक की मशहूर छे कुतुब) में है **अल्लाह** पाक के रसूल **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने इर्शाद फ़रमाया : “जुमुआ ईद का दिन है।” इस हिसाब से तो पूरे साल में कमो बेश 48 ईदें हुई और ईदुल फ़ित्र व ईदुल अज़हा मिला कर 50 और येह ईदें जिस ईद के सदके में मिलीं वोह है “12 रबीउल अव्वल शरीफ़” है। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ! येह आशिक़ाने रसूल के लिये ईदों की भी ईद है क्यूं कि हुजुरे अन्वर **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** दुनिया में तशरीफ़ न लाते तो कोई ईद, ईद होती, न कोई शब, शबे बराअत। कौनो मकान की तमाम तर रौनको शान **अल्लाह** पाक के आख़िरी रसूल **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के क़दमों की धूल का सदका है। हदीस में है : (अल्लाह पाक फ़रमाता है) ऐ मेरे हबीब मैं ने दुनिया और दुनिया वालों को इस लिये पैदा किया कि जो इज़्ज़तो मन्ज़िलत तुम्हारी मेरे यहां है मैं उन को इस की पहचान करवा दूं और ऐ मेरे हबीब अगर तुम न होते तो मैं दुनिया को न पैदा करता।⁽¹⁾

वोह जो न थे तो कुछ न था वोह जो न हों तो कुछ न हो जान हैं वोह जहान की जान है तो जहान है

सुवाल 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालना बिद्अत है और हर बिद्अत गुमराही और जहन्नम में ले जाने वाली है, लिहाज़ा जुलूसे मीलाद निकालना और इस में जाना जाइज़ नहीं है ?

जवाब “बिद्अत” का मतलब है नया काम, जिस तरह हर नया काम बुरा नहीं होता इसी तरह हर बिद्अत बुरी नहीं होती, बल्कि जो नया काम कुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ हो वोह बिद्अते सय्यिया या'नी बुरी बिद्अत है, और हदीसे पाक “**كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ**” से मुराद बुरी बिद्अत है, जो नया काम कुरआनो सुन्नत, आसारे सहाबा या इज्माए उम्मत के ख़िलाफ़ न हो वोह बुरा नहीं है। जैसे तरावीह की जमाअत जो तक्रीबन हर मस्जिद में काइम की जाती है इस को तो खुद हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** ने अच्छी बिद्अत फ़रमाया है। कई बिद्अतें मुस्तहब बल्कि वाजिब होती हैं।

आज से तक्रीबन पांच सो साल पहले लिखी जाने वाली किताब “ऐनुल इल्म” में है : जिस चीज़ से शुरूअ से मन्अ न फ़रमाया गया हो और सहाबा व ताबिईन के ज़माने के बा'द लोगों में जारी हुई हो उस में मुवाफ़क़त कर के मुसलमानों का दिल खुश करना बेहतर है अगरचें वोह चीज़ बिद्अत (या'नी वोह नया काम) ही हो, इस पर दलील वोह हदीस है जो हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्कूद **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** ने नबी **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के इर्शाद और खुद इन के कौल से मरवी हुई कि मुसलमान



जिस चीज़ को अच्छा समझें वोह खुदा के नज़्दीक भी नेक है।⁽¹⁾

तक़रीबन साढ़े चार सो साल पुराने बुजुर्ग हज़रते सय्यिदुना अल्लामा इब्ने हज़र رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बिद्अते हसन (या'नी वोह नेक काम जो कुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ न हो) के मुस्तहब होने पर इत्तिफ़ाक़ है और मौलूद शरीफ़ मनाना और इस के लिये लोगों का जम्अ होना इसी किस्म से है। (या'नी मीलाद शरीफ़ मनाना मुस्तहब नेक और अच्छा काम है।)⁽²⁾ हज़रत मौलाना अली शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस का इन्कार वोही करेगा जिस के दिल पर खुदा ने मोहर कर दी।⁽³⁾

लाख शैतां हम को रोके फ़ज़ले रब से ता अबद जश्न, आका की विलादत का मनाते जाएंगे

सुवाल पुराने बुजुर्गों ने मीलाद शरीफ़ मनाने के बारे में कुछ नहीं फ़रमाया लिहाज़ा मीलाद शरीफ़ नहीं मनाना चाहिये।

जवाब कम अज़ कम पांच सो साल पहले के चन्द बुजुर्गों के फ़रामीन और उन की किताबों के बारे में पढ़िये : आज से तक़रीबन साढ़े आठ सो साल पहले हज़रते सय्यिदुना अल्लामा अब्दुरहमान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने एक किताब बनाम “मौलिदुल उरूस” लिखी उस में फ़रमाते हैं : हज़रते सय्यिदुना अहमदे मुज्ताबा, मुहम्मदे मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का जश्ने विलादत मनाने वाले को बरकत, इज़्ज़त, भलाई और फ़ख़्र मिलेगा, मोतियों का इमामा और सब्ज़ हुल्ला (या'नी Green Robe) पहन कर वोह दाख़िले जन्नत होगा।⁽⁴⁾

923 हिजरी (या'नी तक़रीबन पांच सो साल पहले) के अज़ीम बुजुर्ग इमाम अहमद बिन मुहम्मद कस्तलानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सरवरे दो जहां صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की विलादत के महीने में मुसल्मान हमेशा से महफ़िले मीलाद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दा'वतें देते, खाने पकवाते और ख़ूब सदका व ख़ैरात देते आए हैं। ख़ूब खुशी का इज़हार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं नीज़ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की विलादते बा सआदत के ज़िक्र का एहतिमाम करते आए हैं चुनान्वे उन पर अल्लाह पाक के बहुत बड़े फ़ज़ल और बरकतों का नुज़ूल होता है मीलाद शरीफ़ मनाने से दिली मुरादें पूरी होती



1 ... عين العلم، ص 509-510

2 ... سيرت الطليع، باب تسميته محمد اواحمه، 1/123

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 26/519

4 ... مجموع الطيف النبی فی صیغ المولد النبوی القدری، ص 281

हैं, **अल्लाह** पाक उस पर रहमतें नाज़िल फ़रमाए जिस ने विलादत शरीफ़ की रातों को ईद (या'नी खुशी का दिन) बना लिया। (मज़ीद फ़रमाते हैं :) मीलाद शरीफ़ की खुशी उस के लिये सख़्त मुसीबतें हैं जिस के दिल में बीमारी और इनाद है।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना इमाम अबू शाम्मा رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (जो कि इमाम नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के उस्ताज़ हैं) फ़रमाते हैं : हमारे ज़माने में जो नया काम किया जाता है वोह येह है कि लोग हर साल **अल्लाह** पाक के रहमत वाले नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के मीलाद के दिन सदकातो ख़ैरात और खुशी का इज़हार करने के लिये अपने घरों और गलियों को सजाते हैं क्यूं कि इस में कई फ़ाएदे हैं सब से बड़ी बात येह है कि **अल्लाह** पाक ने अपने महबूब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को पैदा फ़रमा कर और रहमतुल्लिल आलमीन बना कर भेजा है येह उस का अपने बन्दों पर बहुत बड़ा एहसान है जिस का शुक्र अदा करने के लिये खुशी का इज़हार किया जाता है।⁽²⁾

सुवाल 12 रबीउल अव्वल को बहुत ज़ियादा लाइटिंग कर के इसराफ़ किया जाता है अगर येह रक़म ग़रीबों में बांट दी जाए तो कितनों का भला हो जाएगा ?

जवाब सब से पहले तो येह काइदा ज़ेहन में बिठा लीजिये कि उलमाए किराम फ़रमाते हैं : لَا تُخْرِفِي الْأَسْرَافَ وَلَا اسْرِافِي الْخَيْرِ या'नी इसराफ़ में कोई भलाई नहीं और भलाई के कामों में ख़र्च करने में कोई इसराफ़ नहीं। अज़ीम ताबिर् बुजुर्ग हज़रते सय्यिदुना इमाम मुजाहिद رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : अगर कोई शख्स उहुद पहाड़ के बराबर भी माल इताअते इलाही में ख़र्च करे तब भी वोह इसराफ़ करने वालों में से न होगा।⁽³⁾ ऊपर बयान कर्दा रिवायात से जब येह बात साबित हो गई कि ज़शने विलादत मनाना नेकी और सवाब का काम है तो सवाब के काम में माल जितना ज़ियादा ख़र्च किया जाए वोह कम ही है न कि इसराफ़।

एक ख़बर के मुताबिक़ हर साल 20 से 25 मिलियन रियाल से ग़िलाफ़े का'बा तय्यार किया जाता है ? शादियों और नित नए फ़न्कशन्ज़ पर करोड़ों के अख़राजात किये जाते हैं कोई इन को जा कर समझाए कि यहां ख़र्च करने की बजाए ग़रीबों में रक़म बांट दो तो पता चले बल्कि खुद अपने ही घर के डेकोरेशन और एक से एक नए मोडल की गाड़ियां, मोबाइल्ज़ वगैरा को देख लीजिये, ज़रा इन को



1... زرقانی علی الموابی، 1/261-262

2... السيرة الخلية، باب تسميته محمد واهله، 1/123

3... حلیة الاولیاء، مجاهد بن جبر، 3/333، رقم: 4165

ग़रीबों में बांट कर चन्द हजार वाली बाईक और मोबाइल फ़ोन इस्ति'माल कर के ग़रीबों का भला कीजिये तो पता चले अल ग़रज़ बीसियों काम ऐसे किये जा रहे हैं जिन में करोड़ों, अरबों रुपै हर साल खर्च होते हैं मगर इस से कोई मन्अ नहीं करता, गुज़स्ता कुछ अर्से में कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लोकडाउन में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल हुई कि देखो ! ग़रीबों में राशन वोही बांट रहे हैं जो जश्ने विलादत पर लाइटिंग करते हैं तो ख़ैर ग़रीबों की मदद भी कीजिये और जश्ने विलादत भी मनाइये आख़िर सिर्फ़ जश्ने विलादत के मौक़अ पर ही येह वस्वसा ज़ेहन में क्यूं आता है, बात कुछ और तो नहीं ? नफ़्से अम्मारा और शैतान को लाहौल शरीफ़ पढ़ कर मरहबा या मुस्तफ़ा का ना'रा लगा कर भगाइये और ख़ूब धूमधाम से जश्ने विलादत मनाइये ।

लहराओ सब्ज़ परचम ऐ आका के आशिक़ो ! घर घर करो चरागां कि सरकार आ गए

हदीस शरीफ़ में है, सय्यिदुल मुरसलीन صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : “जिस शख्स ने इस्लाम में नेक तरीक़ा निकाला उस को तरीक़ा निकालने का भी सवाब मिलेगा और उस पर अमल करने वालों का भी सवाब मिलेगा और अमल करने वालों के अपने सवाब में कुछ कमी न की जाएगी और जिस ने इस्लाम में बुरा तरीक़ा निकाला तो उस पर वोह तरीक़ा निकालने का भी गुनाह होगा और उस तरीक़े पर अमल करने वालों का भी गुनाह होगा और उन अमल करने वालों के अपने गुनाह में कुछ कमी न की जाएगी ।”⁽¹⁾

सुवाल 12 रबीउल अव्वल की लाइटिंग में बिजली की चोरी और बहुत ऊंची आवाज़ से ना'तें चला कर दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाई जाती है नीज़ लंगर इस तरह लुटाया जाता है जिस से रिज़क़ की बे हुर्मती होती है । लिहाज़ा जश्ने ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم नहीं मनाना चाहिये ?

जवाब एक उसूल ज़ेहन में बिठा लीजिये कि नाक पर मख़बी बैठे तो मख़बी को हटाते हैं न कि नाक ही को काट देते हैं । येह बताइये ! ऐन शरीअत के मुताबिक़ शादी कहां हो रही है ? तो क्या किसी ने येह कहा कि शादी करना छोड़ दो कि इस की वजह से बहुत सारे गुनाह करने पड़ते हैं । जब हम जश्ने आज़ादी मनाते हैं कोई इस से मन्अ नहीं करता कि जश्ने आज़ादी न मनाओ, फिर आख़िर जश्ने ईदे मीलादुन्नबी صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से क्यूं परेशानी होती है ? कहीं मस्अला कुछ और तो नहीं ???

सुवाल मीलाद शरीफ़ मनाने से क्या बरकतें नसीब होती हैं ?

जवाब जश्ने विलादत मनाने वालों को अल्लाह करीम की तरफ़ से बे शुमार दीनी व दुन्यावी रहमतें मिलती हैं, जैसा कि



हज़रते सय्यिदुना इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जशने विलादत पर फ़रहतो मसरत करने वाले के लिये येह खुशी जहन्नम से रुकावट बनेगी, जो जशने विलादत की खुशी में एक दिरहम खर्च करे तो नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ उस की शफ़ाअत फ़रमाएंगे, अल्लाह करीम उसे एक दिरहम के बदले दस दिरहम अता फ़रमाएगा। ऐ उम्मत महबूब ! तुम्हारे लिये खुश ख़बरी हो तुम दुन्या व आख़िरत में ख़ैरे कसीर के हक़दार क़रार पाए। हज़रते सय्यिदुना अहमदे मुज्ताबा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का जशने विलादत मनाने वाले को बरकत, इज़्ज़त, भलाई और फ़ख़्र मिलेगा, मोतियों का इमामा और सब्ज़ हुल्ला पहन कर वोह दाख़िले जन्नत होगा, बे शुमार महल्लात उसे अता किये जाएंगे और हर महल में हूर होगी। नबिय्ये ख़ैरुल अनाम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पर ख़ूब दुरूद पढ़िये, जशने विलादत मना कर इसे ख़ूब आम किया जाए।⁽¹⁾

हाफ़िज़ुल हदीस इमाम अबुल ख़ैर मुहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सखावी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जशने विलादत मनाने वालों पर इस अमल की बरकात से फ़ज़्ले अज़ीम ज़ाहिर होता है।⁽²⁾

हज़रते सय्यिदुना इमाम अहमद बिन मुहम्मद क़स्तलानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “विलादते बा सआदत के अय्याम में महफ़िले मीलाद करने के ख़वास (फ़वाइद) से येह अम्र मुजर्रब (या'नी तजरिबा शुदा) है कि इस साल अम्नो अमान रहता है। अल्लाह करीम उस शख़्स पर रहमत नाज़िल फ़रमाए जिस ने माहे विलादत की रातों को ईद बना लिया।”⁽³⁾

शैख़े मुहक्किक्, हज़रते शाह अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की विलादत की रात खुशी मनाने वालों की जज़ा येह है कि अल्लाह करीम उन्हें अपने फ़ज़्लो करम से जन्नातुन्नईम में दाख़िल फ़रमाएगा। मुसल्मान हमेशा से महफ़िले मीलाद मुन्अकिद करते आए हैं और विलादत की खुशी में दा'वतें देते, खाने पकवाते और ख़ूब सदका व ख़ैरात देते आए हैं। ख़ूब खुशी का इज़हार करते और दिल खोल कर खर्च करते हैं नीज़ आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की विलादते बा सआदत के ज़िक्र का एहतिमाम करते हैं और अपने मकानों को सजाते हैं और इन तमाम अफ़आले हसना (अच्छे कामों) की बरकत से उन लोगों पर अल्लाह करीम की रहमतों का नुज़ूल होता है।⁽⁴⁾



1... مجموع لطيف النبي في صيغ المولد النبوي القدسي، ص 281

2... سبل الهدى والرشاد، الباب الثالث عشر في اقوال العلماء... إلخ، 1/362

3... مواهب اللدنية، المقصد الاول، ذكر رضاءه، 1/148

4... ما عبت من السنة، ص 74 ملخصاً

हज़रते सय्यिदुना इमाम अब्दुर्रहमान इब्ने जौज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस फ़े'ल (या'नी ज़शने विलादत मनाने) में शैतान की तज़्लील और अहले ईमान की तक्वियत के सिवा कुछ नहीं।⁽¹⁾

इमाम जलालुद्दीन अब्दुर्रहमान सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ज़शने विलादत मनाने वाला सवाब पाता है कि इस में नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ता'ज़ीम और विलादते बा सआदत पर खुशी व शादमानी का इज़हार है।⁽²⁾

शारेहे बुख़ारी हज़रते सय्यिदुना अहमद बिन हज़र अस्क़लानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हमारे हक़ में मुस्तहब है कि ज़शने विलादत पर इज़हारे शुक्र के लिये इज्तिमाअ करें, खाना खिलाएं और इसी तरह की दीगर नेकियां और इज़हारे मसरतों सुरूर बजा लाएं।⁽³⁾

अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ के रिसाले सुब्हे बहारां से खुलासतन मुन्तख़ब मदनी फूल मुलाहज़ा कीजिये :
 ﴿1﴾ हमारे प्यारे प्यारे आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ पीर शरीफ़ को रोज़ा रख कर अपना यौमे विलादत मनाते रहे। आप भी यादे मुस्तफ़ा में 12 रबीउल अव्वल शरीफ़ को रोज़ा रख लीजिये।
 ﴿2﴾ ग्यारह की शाम को वरना 12वीं शब को गुस्ल कीजिये। हो सके तो इस ईदों की ईद की ता'ज़ीम की निय्यत से ज़रूरत की तमाम चीज़ें नई ख़रीद लीजिये।
 ﴿3﴾ ज़शने विलादत की खुशी में कोई भी ऐसा काम मत कीजिये जिस से हुकूकुल इबाद पामाल हों।
 ﴿4﴾ तमाम इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें ज़शने विलादत की खुशी में सुन्नतों के मुताबिक़ ज़िन्दगी गुज़ारने की निय्यत कर लीजिये।
 ﴿5﴾ ज़शने विलादत की खुशी में मस्जिदों, घरों और दुकानों पर सब्ज़ सब्ज़ परचम लहराइये, ख़ूब चरागां कीजिये लेकिन बिजली फ़राहम करने वाले इदारे से राबिता कर के जाइज़ ज़राएअ से चरागां करने की तरकीब बनाइये।
 ﴿6﴾ जुलूस में हत्तल इम्कान बा वुजू रहिये और नमाज़े बा जमाअत की पाबन्दी का ख़याल रखिये।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 17

बिद्अत

बिद्अत से मुराद हर वोह नया काम है जो सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के मुबारक दौर में न था बा'द में किसी ने उस को शुरूअ किया, अब अगर येह काम शरीअत से टकराता है तो इस बिद्अत को



1... سئل البهدي والرشاد، الباب الثالث عشر في أقوال العلماء... الخ، 1/363

2... الحاوي للفتاوى، حسن المقصد في عمل المولد، 1/222

3... الحاوي للفتاوى، حسن المقصد في عمل المولد، 1/230

4... मज़ीद मा'लूमात के लिये अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ के रिसाले “सुब्हे बहारां” का मुतालआ कीजिये।

बिद्अते सय्यिआ या'नी बुरी बिद्अत कहते हैं, इसी के बारे में सरकार صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया कि येह मरदूद है और वोह नया काम जो कुरआनो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं है उस को बिद्अते मुबाह़ा या हसना या'नी अच्छी बिद्अत कहते हैं या'नी हुक्म के ए'तिबार से मुबाह़ है तो मुबाह़ा और मुस्तह़सन है तो हसना बल्कि बा'ज़ बिद्अते हसना तो वाजिबा भी होती हैं।

सुवाल अच्छी बिद्अत पर अमल करना कैसा ?

जवाब अच्छी बिद्अत को बिद्अते हसना कहा जाता है इस पर अमल करना कभी वाजिब, कभी मुस्तह़ब होता है और अच्छा तरीका जारी करने वाला अज़्रो सवाब का हक़दार है जैसा कि हदीसे मुबारका में है : “जो कोई इस्लाम में अच्छा तरीका जारी करे उस को उस का सवाब मिलेगा और उस का भी जो उस पर अमल करेंगे और उन के सवाब में भी कमी न होगी और जो शख़्स इस्लाम में बुरा तरीका जारी करे उस पर उस का गुनाह होगा और उन का भी जो उस पर अमल करें और उन के गुनाह में भी कुछ कमी न आएगी।”⁽¹⁾

सुवाल अच्छी बिद्अत या'नी बिद्अते हसना पर कोई वाकिआ भी इर्शाद फ़रमा दें।

जवाब हज़रते सय्यिदुना उमरे फ़ारूक़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के ज़माने तक मुसल्मान तन्हा अकेले अकेले नमाज़े तरावीह पढ़ा करते थे, हज़रत उमरे फ़ारूक़ रَضِيَ اللهُ عَنْهُ मस्जिद के पास से गुज़रे और उन को तन्हा तरावीह पढ़ते देखा तो सब को एक जगह जम्अ किया और तरावीह की जमाअत शुरू करवाई और हज़रते उबय बिन का'ब रَضِيَ اللهُ عَنْهُ को उन का इमाम मुक़र्रर किया और फिर येह अल्फ़ाज़ इर्शाद फ़रमाए : نَعَمْتُ الْبِدْعَةُ هَذِهِ या'नी येह क्या ही अच्छी बिद्अत है।⁽²⁾

सुवाल बिद्अत की कितनी अक्साम हैं ?

जवाब बिद्अत की तीन किस्में हैं : (1) बिद्अते हसना (2) बिद्अते सय्यिआ (3) बिद्अते मुबाह़ा।

बिद्अते हसना

वोह बिद्अत है जो कुरआनो हदीस के उसूलो क़वाइद के मुताबिक़ हो और शरीअत की निगाह में उस पर अमल करना ज़रूरी हो या बेहतर, इस की दो किस्में हैं :



1... مسلم، کتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة الخ، ص 394، الحديث: 2351

2... مشکاة، کتاب الصلاة، باب قیام شهر رمضان، 1/ 254، حديث: 1301، ملخصاً

(1) बिद्अते वाजिबा जैसे : कुरआन व हदीस समझने के लिये इल्मे नहूव का सीखना और गुमराह फ़िर्की पर रद के लिये दलाइल काइम करना ।

(2) बिद्अते मुस्तहब्बा जैसे : मद्रसों की ता'मीर और हर वोह नेक काम जिस का रवाज इब्तिदाई ज़माने में नहीं था जैसे महफ़िले मीलाद शरीफ़ वगैरा ।

बिद्अते सय्यिआ

वोह बिद्अत है जो कुरआनो हदीस के उसूलो क़वाइद के मुख़ालिफ़ हो, इस की भी दो किस्में हैं :

(1) बिद्अते मुहर्रमा, जैसे बुरे अक़ाइद ।

(2) बिद्अते मकरूहा, जैसे गुनाहों के नित नए अन्दाज़ ।

बिद्अते मुबाह़ा

वोह बिद्अत है जो हुज़ूर عَلَيْهِ السَّلَام के ज़ाहिरी ज़माने में न हो और हुक्मे शरीअत के ख़िलाफ़ न हो और करने वाला सवाब का हक़दार भी न हो जैसे उम्दा उम्दा खाने वगैरा ।

सुवाल कुछ ऐसे मुआमलात की मिसालें बयान फ़रमा दें जो अहदे रिसालत में न थीं और मुसलमानों ने बा'द में ईजाद कीं और उस को अच्छा भी समझते हैं ।

जवाब इस की चन्द मिसालें मुलाहज़ा फ़रमाएं :

(1) हज़रते उमर رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने तरावीह की जमाअत शुरू करवाई लेकिन हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ और हज़रते अबू बक्र رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के मुबारक ज़माने में ऐसा नहीं हुवा था ।

(2) कुरआने पाक के ऊपर नुक्ते व ए'राब हज्जाज बिन यूसुफ़ के दौर में लगे हैं चारों सहाबा عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने येह काम नहीं किया जो इस ने करवाया और इस पर किसी अ़ालिम ने इन्कार भी नहीं किया, उलमाए हक़ की इजाज़तो तहूसीन की बिना पर येह अमल भी मुस्तहसन है ।

(3) मस्जिद में इमाम के खड़े होने के लिये मेहराब बनाना वलीद मरवानी के दौर में सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ ने ईजाद किया था ।

(4) छे कलिमे, इस तरह हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के मुक़द्दस दौर में मुरत्तब न थे। लेकिन इन कामों को कोई गुनाह नहीं कहता और न ही कोई मन्अ करता है आखिर क्यों ?

इस की वजह यह है कि मुमानअत की दलील मौजूद नहीं है अगर्चे हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم या सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان के ज़माने में बा'ज़ काम नहीं हुए मगर चूंकि आप صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने इन से मन्अ भी तो नहीं फ़रमाया है, लिहाज़ा येह काम करना जाइज़ है।

सबक़ नम्बर 18

तक्लीद की ज़रूरत व अहम्मियत

तक्लीद के लुग़वी मा'ना गले में हार या कोई चीज़ डालना, या किसी की पैरवी करने के हैं।⁽¹⁾ उलमाए उसूल ने तक्लीद की हकीक़त बयान करते हुए इस की कई ता'रीफ़ात ज़िक्र की हैं, उन में से बा'ज़ उलमाए उसूल का येह कौल है कि किसी कहने वाले की बात दलील जाने बिगैर क़बूल करना तक्लीद कहलाता है।⁽²⁾

अहक़ाम की अक्साम

अहक़ाम की दो किस्में हैं : (1) एक अक्ली (2) और दूसरी शर्ई

अहक़ामे अक्लिया : अक्ली अहक़ाम में तक्लीद जाइज़ नहीं, जैसे सानेए आलम (ख़ालिके काएनात) और उस की सिफ़ात की मा'रिफ़त, इसी तरह रसूलुल्लाह صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم और हुजूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के सच्चे होने की मा'रिफ़त वगैरा।⁽³⁾

अहक़ामे शर्इय्या और इस की किस्में

अहक़ामे शर्इय्या की दो किस्में हैं : (1) पहली किस्म : ज़रूरिय्याते दीन, जैसे पांच नमाज़ें, रोज़ा, हज़, ज़कात, इसी तरह ज़िना और शराब की हुर्मत वगैरा के अहक़ाम। लिहाज़ा इन अहक़ाम में तक्लीद जाइज़ नहीं क्यूं कि इन के जानने में सारे लोग बराबर हैं इस लिये इन अहक़ाम में तक्लीद की कोई ज़रूरत नहीं।



1... القاموس المحيط، باب الدال، فصل القاف، 452/1-غياث اللغات، باب التاء مع الدال، فصل تاء فو قاف مع قاف، 1/161

2... مسلم الثبوت مع فوائد الرحوत، خاتمة، فصل التخليد، 2/432

3... النفقيّة والتفقيّة، باب الكلام في التخليد وما يورث منه، 2/128

(2) दूसरी किस्म : दीन के वोह अहकाम जिन्हें नज़र व इस्तिदलाल के बिगैर नहीं जाना जा सकता, जैसे इबादात, मुआमलात और निकाह वगैरा के फुरूई मसाइल में इज्तिहाद की ज़रूरत होती है, लिहाज़ा इन मसाइल में तक्लीद की जाती है।⁽¹⁾

सुवाल तक्लीद की हकीकत और इस के ज़रूरी होने पर कुरआने करीम से दलाइल बयान कर दीजिये।

जवाब कुरआने पाक में अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ (پ 5، النساء: 59)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो हुक्म मानो अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का और उन का जो तुम में हुक्मत वाले हैं।

एक और मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाता है :

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
لِيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (پ 11، التوبة: 122)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो क्यूं न हुवा कि उन के हर गुरौह में से एक जमाअत निकले कि दीन की समझ हासिल करें और वापस आ कर अपनी कौम को डर सुनाएं इस उम्मीद पर कि वोह बचें।

अहादीसे मुबारका से दलाइल

हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह رضي الله عنه से रिवायत है कि हम एक सफ़र में थे कि एक साथी के सर में पथ्थर आ कर लगा, जिस से उस का सर शदीद ज़ख्मी हो गया, फिर उसे इसी हालत में एहतिलाम भी हुवा, उस ने दीगर साथियों से पूछा कि क्या मेरे लिये शरीअत में तयम्मुम की इजाज़त है ? उन्होंने ने कहा कि हमारी मा'लूमात के मुताबिक़ आप तयम्मुम नहीं कर सकते क्यूं कि पानी मौजूद है, सो उस ने गुस्ल किया जिस के बाइस वोह वफ़ात पा गया, जब हम ने नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की बारगाह में हाज़िर हो कर इस बात का ज़िक्र किया तो आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : **अल्लाह** उन्हें मारे जिन्हों ने उसे मार डाला ! जब उन्हें मा'लूम नहीं था तो अहले इल्म से मस्अला क्यूं नहीं पूछ लिया कि मरजे जहल का इलाज पूछने में है।⁽²⁾



① ... الفقيه والفتوة باب الكلام في التقليد واليسوع منه، 2/132

② ... البوداود، كتاب الطهارة، باب في الجروح، 1/154، حديث: 336

हज़रते सय्यिदुना हुजैफ़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है, **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : (1)
 اقْتَدُوا بِأَبِ الدُّنَيْنِ مَنْ بَعْدِي أَيْ بَكْرٍ وَعُمَرُ मेरे बा'द अबू बक्र व उमर होंगे, इन की पैरवी करना।

तक्लीद अक्वाले आइम्मा की रोशनी में

अल्लामा अबुल अब्बास शिहाबुद्दीन कराफ़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि आ़म आदमी पर मो'तबर मुज्ताहिद की तक्लीद वाजिब है। (2)

अल्लामा इब्ने नुजैम मिस्री رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि इस बात पर उम्मत का इज्माअ मुन्अकिद हो चुका है कि जो हुक्म चारों आइम्मा के मज़ाहिब के ख़िलाफ़ हो उस पर अमल न किया जाए। (3)

शाह वलियुल्लाह मुहद्दिस देहलवी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि मज़ाहिबे हक़ सिर्फ़ चार बाक़ी रह गए हैं, लिहाज़ा अब इन का इत्तिबाअ सवादे आ'ज़म का इत्तिबाअ है, और इन से इख़िलाफ़ सवादे आ'ज़म से इख़िलाफ़ है। (4)

सुवाल चारों आइम्मा में से किसी एक की तक्लीद क्यूं वाजिब है, जब चारों हक़ पर हैं तो चारों की तक्लीद की इजाज़त होनी चाहिये, जब चाहें जिस इमाम की तक्लीद करें ?

जवाब बिला शुबा चारों इमाम (इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ेई, और इमाम अहमद बिन हम्बल رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ) हक़ पर हैं लेकिन इन में से किसी एक इमाम की पैरवी इस लिये ज़रूरी है कि अगर ऐसा न हो तो हर शख्स अपने नफ़्स की पैरवी करेगा और जब दिल चाहेगा जिस इमाम का मस्अला आसान और नफ़्स की ख़्वाहिश के मुताबिक़ उसे महसूस होगा उस पर अमल कर लेगा और येह शरीअते मुतहहरा का मज़ाक़ उड़ाना है क्यूं कि बहुत से मसाइल ऐसे हैं कि बा'ज़ आइम्मा के नज़दीक हलाल और वोही मसाइल बा'ज़ आइम्मा के नज़दीक हुराम हैं और येह नफ़्स का पैरौकार सुब्ह एक इमाम की पैरवी करते हुए एक मस्अले को हुराम समझ कर इस लिये अमल न करेगा कि इस में उस के नफ़्स का मफ़ाद नहीं है और जब शाम को बल्कि उसी लम्हे उस में अपना मफ़ाद नज़र आएगा तो दूसरे इमाम का मज़हब इख़्तियार करते हुए उसी मस्अले को अपने लिये हलाल कर लेगा और इस तरह फ़क़त ख़्वाहिशे नफ़्स की बुन्याद पर अहक़ामे शरइय्या को खेल बना कर पामाल करता फिरेगा इस लिये इन्सान को ख़्वाहिशे नफ़्स पर अमल करने के बजाए दीन व शरीअत पर अमल करने के लिये



1... ترمذی، ابواب المناقب، باب فی مناقب آنی بکرم و عمر کلہما، 374/5، حدیث: 3672

2... شرح تنقیح الفصول، الباب السادس عشر، الفصل العاشر، ص 295

3... الاشیاء والنظائر، القاعدة الاولى، ص 164

4... عقد الجدید فی احکام الاجتهاد والتقليد، المقدمة، ص 41

किसी एक इमाम मुज्ताहिद का मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है वरना वोह फ़लाह व हिदायत हरगिज़ न पा सकेगा ।

इस को एक दुन्यावी मिसाल से यूँ समझें कि अगर किसी मन्ज़िल पर पहुंचने के मुख़्तलिफ़ रास्ते हों तो मन्ज़िल पर वोही शख़्स पहुंचेगा जो उन में से किसी एक को इख़्तियार करे और जो कभी एक रास्ते पर चले, कभी दूसरे रास्ते पर, फिर तीसरे पर फिर चौथे पर तो ऐसा शख़्स रास्ता ही नापता रह जाएगा कभी मन्ज़िल तक नहीं पहुंच सकेगा येही हाल उस शख़्स का होगा जो किसी एक इमाम की तक्लीद का दामन न थाम ले बल्कि किसी मस्अले में कभी किसी इमाम की पैरवी करे और कभी दूसरे की, फिर तीसरे की फिर चौथे की तो वोह मन्ज़िले आख़िरत जो कि जन्नत है उस तक नहीं पहुंच सकेगा बल्कि ख़्वाहिशे नफ़्स की ख़ातिर रास्ता ही नापता रह जाएगा और राहे मन्ज़िल से गुम हो कर गुमराही व अंधेरे में जा पड़ेगा ।

सुवाल अगर तक्लीद ज़रूरी है तो सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ के ज़माने में तक्लीद क्यूँ नहीं हुई ?

जवाब सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की जाहिरी ज़िन्दगी में दरपेश मसाइल से मुतअल्लिक़ नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से उस का हुक्म पूछ लिया करते थे और बसा अवकात जब आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से सुवाल करना मुम्किन न होता तो सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ इज्तिहाद कर के हुक्मे शर्ई पर अमल फ़रमाते थे । इज्तिहाद की अस्ल मशहूर हदीस शरीफ़ है कि हज़रते मुआज़ बिन जबल رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी है कि **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने जब उन्हें यमन भेजा तो फ़रमाया : जब तुम्हें कोई मस्अला दरपेश हो तो किस तरह फैसले करोगे ? अर्ज़ किया : **अल्लाह** की किताब से फैसला करूंगा । फ़रमाया : अगर तुम **अल्लाह** की किताब में न पाओ ? अर्ज़ किया : तो **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नत से फैसला करूंगा । फ़रमाया : अगर तुम **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नत में भी न पाओ ? अर्ज़ किया : अपनी राय से क़ियास करूंगा और कोताही न करूंगा । फ़रमाते हैं : तब **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने उन के सीने पर हाथ मारा (थपकी दी) और फ़रमाया : शुक्र है उस का जिस ने **रसूलुल्लाह** के रसूल (क़ासिद) को उस की तौफ़ीक़ दी जिस से **रसूलुल्लाह** राज़ी हैं ।⁽¹⁾

मज़ीद मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : सहाबए किराम को किसी की तक्लीद की ज़रूरत न थी वोह तो हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सोहबत की बरकत से तमाम मुसलमानों



के इमाम और पेशवा हैं कि आइम्मा दीन इमामे आ'जम अबू हनीफ़ा व शाफ़ेई वग़ैरा वग़ैरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ इन की पैरवी करते हैं।

मिशकात, बाब फ़ज़ाइलुस्सहाबा में है : “أَصْحَابِي كَالنَّجْمِ فَيَأْتِيهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ أَهْتَدَيْتُمْ” या'नी मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं तुम जिन की पैरवी करोगे हिदायत पा लोगे।⁽¹⁾ “عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ” तुम लाज़िम पकड़ो मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत।⁽²⁾

येह सुवाल तो ऐसा है जैसे कोई कहे हम किसी के उम्मतती नहीं, क्यूं कि हमारे नबी عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام किसी के उम्मतती न थे तो उम्मतती न होना सुन्नते **रसूलुल्लाह** है, उस से येह ही कहा जाएगा कि हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام तो खुद नबी हैं, सब आप की उम्मत हैं, वोह किस के उम्मतती होते, हम को उम्मतती होना ज़रूरी है ऐसे ही सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ तमाम के इमाम हैं इन का कौन मुसल्मान इमाम होता। नहर से पानी उस खेत को दिया जावेगा जो दरिया से दूर हो, मुकब्बरीन की आवाज़ पर वोही नमाज़ पढ़ेगा जो इमाम से दूर हो, लबे दरिया के खेतों को नहर की ज़रूरत नहीं, सफ़े अव्वल के मुक्तादियों को मुकब्बरीन की ज़रूरत नहीं, सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ सफ़े अव्वल के मुक्तादी हैं वोह बिला वासिता सीनए पाके मुस्तफ़ा عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام से फ़ैज़ लेने वाले हैं, हम चूँकि उस बहर से दूर हैं लिहाज़ा किसी नहर के हाज़त मन्द हैं, फिर समुन्दर से हज़ारहा दरिया जारी होते हैं जिन सब में पानी तो समुन्दर ही का है मगर उन सब के नाम और रास्ते जुदा हैं कोई गंगा कहलाता है कोई जमना, ऐसे ही हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام आबे रहमत के समुन्दर हैं, इस सीने में से जो नहर इमाम अबू हनीफ़ा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के सीने से होती हुई आई उसे हनफ़ी कहा गया जो इमाम मालिक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के सीने से आई वोह मज़हबे मालिकी कहलाया, पानी सब का एक है मगर नाम जुदागाना और इन नहरों की हमें ज़रूरत पड़ी न कि सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ को जैसे हदीस की अस्नाद हमारे लिये है सहाबए किराम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ के लिये नहीं।⁽³⁾

सुवाल चारों आइम्मा के इलावा किसी और इमाम की तक्लीद अब क्यूं नहीं हो सकती ?

जवाब चारों आइम्मा में से किसी एक इमाम का मुक़ल्लिद होना ज़रूरी है, क्यूं कि अब हक़ इन्हीं चारों में मुन्हसिर है, क्यूं कि इन आइम्माए अरबआ के अक्वाल ही सहीह अस्नाद के साथ मरवी हैं और सिर्फ़ इन के मज़हिब ही मुनक्क़ह हैं जब कि सलफ़ में आइम्माए अरबआ के इलावा दीगर मुज्ताहिदीन के अक्वाल न तो अस्नादे सहीह के साथ मरवी हैं न कुतुबे मशहूरा में जम्दय्यत के साथ मुदव्वन हैं कि



1...مشكاة، کتاب المناقب، باب مناقب الصحابة، 2/414، حدیث: 6018

2...مشكاة، کتاب الايمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنة، 1/53، حدیث: 165

उन पर ए'तिमाद सहीह हो और न ही उन के मज़ाहिब मुनक्कह हैं इसी वजह से सिर्फ़ आइम्माए अरबआ ही के मज़ाहिब लाइके ए'तिमाद व काबिले अमल हैं ।

जैसा कि अल्लामा सय्यिद अहमद मिस्री तहतावी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं :

هَذِهِ الطَّائِفَةُ النَّاجِيَةُ، قَدْ اجْتَمَعَتِ الْيَوْمَ مِنْ مَذَاهِبِ أَرْبَعَةٍ وَهُمْ الْحَنْفِيُّونَ وَالْبَالَكِيُّونَ وَالشَّافِعِيُّونَ وَالْحَنَبَلِيُّونَ رَحِمَهُمُ اللَّهُ
وَمَنْ كَانَ خَارِجًا عَنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ فِي هَذَا الزَّمَانِ فَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْبِدْعَةِ وَالنَّارِ

या'नी अहले सुन्नत का गुरौहे नाजी अब चार मज़हब में मुज्तामअ है वोह हनफी, मालिकी, शाफ़ेई और हम्बली हैं, इन सब पर अल्लाह पाक की रहमत हो, आज के दौर में जो इन चार मज़ाहिब से ख़ारिज हो बिद्अती और जहन्नमी है ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 19

पीरी मुरीदी की शर्इ हैसियत

सवाल बैअत लेना और बैअत करना कैसा है ? नीज़ पीरी मुरीदी की शर्इ हैसियत भी बयान फ़रमा दीजिये ।

जवाब बैअत का लुगवी मा'ना बिक जाना और इस्तिलाहे शर्अ व तसव्वुफ़ में इस की मुतअद्द सूरतें हैं जिन में एक येह है कि किसी पीरे कामिल के हाथों में हाथ दे कर गुज़्ता गुनाहों से तौबा करने, आइन्दा गुनाहों से बचते हुए नेक आ'माल का इरादा करने और इसे अल्लाह करीम की मा'रिफ़त का ज़रीआ बनाने का नाम बैअत है । येह सुन्नत है, आज कल के उर्फ़े आ़म में इसे “पीरी मुरीदी” कहा जाता है । बैअत का सुबूत कुरआने करीम में मौजूद है चुनान्वे पारह 15 सूरए बनी इसराईल की आयत नम्बर 71 में खुदाए पाक का फ़रमाने आलीशान है :

يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمامِهِمْ

(प 15, बनी इसराईल: 71)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जिस दिन हम हर जमाअत को उस के इमाम के साथ बुलाएंगे ।

इस आयते मुबारका के तहत मशहूर मुफ़स्सिर हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि दुनिया में किसी सालेह (नेक) को अपना इमाम बना लेना चाहिये शरीअत में “तक्लीद” कर के और तरीक़त में “बैअत” कर के ताकि हशर अच्छों के साथ हो । अगर सालेह (नेक) इमाम न होगा तो उस का इमाम शैतान होगा । इस आयत में तक्लीद, बैअत



और मुरीदी सब का सुबूत है।⁽¹⁾

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बैअत बेशक सुन्नते महबूबा (पसन्दीदा सुन्नत) है, इमामे अजल, शैख़ुशुयूख़ शिहाबुल हक्के वदीन उमर رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की अवारिफ़ शरीफ़ से शाह वलियुल्लाह देहलवी की “कौलुल जमील” तक इस की तस्रीह और अइम्मा व अकाबिर का इस पर अमल है और रब्बे करीम फ़रमाता है :

إِنَّ الْيَمِينَ يَبِيعُكَ إِنَّمَا يَبِيعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ
فَوْقَ أَيْدِيهِمْ (پ 26، الف: 10)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो तुम्हारी बैअत करते हैं वोह तो अल्लाह ही से बैअत करते हैं उन के हाथों पर अल्लाह का हाथ है।

और फ़रमाता है :

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِيعُونَكَ تَحْتَ
الشَّجَرَةِ (پ 26، الف: 18)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक अल्लाह राज़ी हुवा ईमान वालों से जब वोह उस पेड़ के नीचे तुम्हारी बैअत करते थे।

और बैअत को ख़ास ब जिहाद समझना जहालत है, अल्लाह करीम फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبِيعْنَكَ عَلَى أَنْ
لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ
وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمُهْتَانٍ يَفْتَرِيَهُ
بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْنِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ
فَبِإِعْمَالِكُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَكُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ (پ 28، الممتح: 12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ नबी जब तुम्हारे हुज़ूर मुसल्मान औरतें हाज़िर हों इस पर बैअत करने को कि अल्लाह का शरीक कुछ न ठहराएंगी और न चोरी करेंगी और न बदकारी और न अपनी औलाद को क़त्ल करेंगी और न वोह बोहतान लाएंगी जिसे अपने हाथों और पाउं के दरमियान या'नी मौज़ए विलादत में उठाएं और किसी नेक बात में तुम्हारी ना फ़रमानी न करेंगी तो उन से बैअत लो और अल्लाह से उन की मग्फ़िरत चाहो बेशक अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।⁽²⁾

1... नूरुल इरफ़ान, पारह : 15, बनी इसराईल, तहूतल आयह : 71

2... फ़तावा रज़विyya, 26/586

अहदीसे मुबारका में बैअत का जिक्र

सवाल क्या अहदीसे मुबारका में भी बैअत का जिक्र आया है ?

जवाब जी हां ! अहदीसे मुबारका में भी बैअत का जिक्र आया है और येह बैअत मुख्तलिफ चीजों मसलन कभी तक्वा व इताअत पर, कभी लोगों की खैर ख्वाही और कभी गैरे मा'सियत (या'नी गुनाह के इलावा) वाले कामों में अमीर की इताअत वगैरा पर हुवा करती थी । इस के इलावा दीगर कामों पर भी सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का हुजूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से बैअत होना साबित है चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : हम ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से मुश्किल और आसानी में, खुशी और नाखुशी में खुद पर तरजीह दिये जाने की सूरत में, सुनने और इताअत करने पर बैअत की और इस पर बैअत की, कि हम किसी से उस के इक्तदार के खिलाफ़ जंग नहीं करेंगे और हम जहां भी हों हक़ के सिवा कुछ न कहेंगे और **अल्लाह** करीम के बारे में मलामत करने वाले की मलामत से नहीं डरेंगे ।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना उबादा बिन सामित رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि हम **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के साथ एक मजलिस में थे, आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : तुम लोग मुझ से इस पर बैअत करो कि तुम **अल्लाह** के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और ज़िना नहीं करोगे और चोरी नहीं करोगे और जिस शख्स को **अल्लाह** पाक ने क़त्ल करना हराम कर दिया है उसे बे गुनाह क़त्ल नहीं करोगे, तुम में से जिस शख्स ने इस अहद को पूरा किया उस का अज़्र **अल्लाह** करीम पर है और जिस ने इन मुहरमात में से किसी का इरतिकाब किया और उस को सज़ा दी गई वोह उस का कफ़ारा है और जिस ने इन में से किसी हराम को किया और **अल्लाह** करीम ने उस का पर्दा रखा तो उस का मुआमला **अल्लाह** के सिपुर्द है अगर वोह चाहे तो उसे मुआफ़ कर दे और अगर चाहे तो उसे अज़ाब दे ।⁽²⁾

इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ तफ़सीरे कबीर में नक़ल फ़रमाते हैं : जब मक्कए मुकर्रमा مَكَّة الْمُكَرَّمَة में लैलतुल अक़बा को 70 सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से बैअत की तो हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन रवाहा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने अर्ज़ की : **या रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! आप अपने रब्बे करीम के लिये और अपनी ज़ात के लिये जो शर्त चाहें मनवा लें ।



① ... मुसलम, کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء... إلخ، ص 790، حدیث: 4771

② ... मुसलम, کتاب الحدود، باب الحدود كفارات لایها... إلخ، ص 725، حدیث: 4461

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : तेरे रब्बे करीम के लिये यह शर्त है कि तुम उस की इबादत करो और उस के साथ किसी को शरीक न ठहराओ और मेरे लिये यह शर्त है कि तुम अपनी जानों और मालों को जिन चीज़ों से बाज़ रखते हो उन से मुझ को भी बाज़ रखना (या'नी जिस तरह अपनी जानों और मालों की हिफ़ाज़त करते हो इसी तरह मेरी हिफ़ाज़त करना) तो सहाबए किराम **الرّضوان** عَلَيْهِ ने अर्ज़ की : **या रसूलुल्लाह** ﷺ ! जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमें क्या सिला मिलेगा ? तो **रसूलुल्लाह** ﷺ ने फ़रमाया : “जन्नत ।” सहाबए किराम **الرّضوان** عَلَيْهِ ने अर्ज़ की : यह तो नफ़अ मन्द बैअत है, हम इस बैअत को न तोड़ेंगे और न ही तोड़ने का मुतालबा करेंगे । इस मौक़अ पर यह आयते करीमा नाज़िल हुई, **अल्लाह** करीम इश़ाद फ़रमाता है :

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِآنَ لَّهُمُ الْجَنَّةُ﴾ (پ 11، التوبة: 111) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान** : बेशक **अल्लाह** ने मुसलमानों से उन के माल और जान ख़रीद लिये हैं इस बदले पर कि उन के लिये जन्नत है ।⁽¹⁾

बैअत होने के फ़वाइदो बरकात

सुवाल बैअत होने से क्या क्या फ़वाइदो बरकात हासिल होते हैं ?

जवाब किसी पीरे कामिल के हाथ में हाथ दे कर बैअत होने से पीरे कामिल से निस्बत हासिल हो जाती है जिस की बदौलत बातिन की इस्लाह के साथ साथ नेकियों से महबूबत और गुनाहों से नफ़रत का जज़्बा बेदार होता है । पीरे कामिल की सोहबत और इस के फ़वाइद बयान करते हुए हज़रते सय्यिदुना फ़कीह अब्दुल वाहिद बिन अशिर **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : अरिफ़े कामिल की सोहबत इख़्तियार करो । वोह तुम्हें हलाकत के रास्ते से बचाएगा । उस का देखना तुम्हें **अल्लाह** पाक की याद दिलाएगा और वोह बड़े नफ़ीस तरीक़े से नफ़्स का मुहासबा कराते हुए और “ख़तराते क़ल्ब” (या'नी दिल में पैदा होने वाले शैतानी वसाविस) से महफूज़ फ़रमाते हुए तुम्हें **अल्लाह** पाक से मिला देगा । उस की सोहबत के सबब तुम्हारे फ़राइज़ व नवाफ़िल महफूज़ हो जाएंगे । “तस्फ़ियए क़ल्ब” (या'नी दिल की सफ़ाई) के साथ “ज़िक़रे कसीर” की दौलत मुयस्सर आएगी और वोह **अल्लाह** पाक से मुतअल्लिक़ा सारे उमूर में तुम्हारी मदद फ़रमाएगा ।⁽²⁾

आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** की बारगाह में सुवाल हुवा कि “मुरीद होना वाजिब है या सुन्नत ? नीज़ मुरीद क्यूं हुवा करते हैं ? मुर्शिद की क्यूं ज़रूरत है और इस से क्या क्या



फ़वाइद हासिल होते हैं ?” तो आप رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने जवाबन इर्शाद फ़रमाया : मुरीद होना सुन्नत है और इस से फ़ाएदा हुजूर सय्यिदे आलम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से इत्तिसाले मुसल्लसल

﴿مِرَاطُ الدِّينِ أَلْعَمْتُ عَلَيْهِمْ﴾ (प 1, الفاتحه: 6) तरजमए कन्ज़ुल ईमान : “रास्ता उन का जिन पर तू ने एहसान किया।” में इस की तरफ़ हिदायत है, यहां तक फ़रमाया गया : مَنْ لَا شَيْخَ لَهُ فَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ जिस का कोई पीर नहीं उस का पीर शैतान है।⁽¹⁾ सिद्दहते अक्कीदत के साथ सिल्लिसलए सहीहा मुत्तसिला में अगर इन्तिसाब बाकी रहा तो नज़र वाले तो इस के बरकात अभी देखते हैं जिन्हें नज़र नहीं वोह नज़्अ में, क़ब्र में, हशर में इस के फ़वाइद देखेंगे।⁽²⁾

बैअत होने के फ़वाइद में से ये भी है कि येह पीराने उज़्जाम या इन सिल्लिसलों के अकाबिरीन व बानियान अपने मुरीदीन व मुतअल्लिकीन से किसी भी वक़्त गाफ़िल नहीं रहते और मुश्किल मक़ाम पर उन की मदद फ़रमाते हैं चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना इमाम अब्दुल वहहाब शा'रानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बेशक सब अइम्मा व औलिया व उलमाए रब्बानिय्यीन (व मशाइख़े किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام) अपने पैरौकारों और मुरीदों की शफ़ाअत करते हैं, जब उन के मुरीद की रूह निकलती है, जब मुन्कर नकीर उस से क़ब्र में सुवाल करते हैं, जब हशर में उस का नामए आ'माल खुलता है, जब उस से हिसाब लिया जाता है, जब उस के आ'माल तोले जाते हैं और जब वोह पुल सिरात पर चलता है तो इन तमाम मराहिल में वोह उस की निगहबानी करते हैं और किसी भी जगह उस से गाफ़िल नहीं होते।⁽³⁾

मुरीद होने का मक़सद

सुवाल मुरीद होने का अस्ल मक़सद भी इर्शाद फ़रमा दीजिये।

① ... इस की वज़ाहत करते हुए आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हर बद मज़हब फ़लाह से दूर हलाकत में चूर है, मुत्लकन बे पीरा है और इब्लीस उस का पीर, अगरचें ब जाहिर किसी इन्सान का मुरीद हो बल्कि खुद पीर बने राहे सुलूक में क़दम रखे न रखे हर तरह لَا يَفْلَحُ وَشَيْخُهُ الشَّيْطَانُ (फ़लाह नहीं पाएगा और उस का पीर शैतान है) का मिस्दाक़ है। सुन्नी सहीहुल अक्कीदा कि राहे सुलूक न पड़ा अगर फ़िस्क़ करे फ़लाह पर नहीं मगर फिर भी न बे पीरा है न उस का पीर शैतान, बल्कि जिस शैख़े जामेए शराइत का मुरीद हो उस का मुरीद है वरना मुर्शिदे अ़ाम का। (या'नी कलामुल्लाह व कलामुरसूल व कलामे अइम्माए शरीअतो तरीक़त व कलामे उलमाए दीन अहले रुशदे हिदायत है इसी सिल्लिसलए सहीहा पर कि अ़वाम का हादी कलामे उलमा, उलमा का रहनुमा कलामे अइम्मा, अइम्मा का मुर्शिद कलामे रसूल, रसूल का पेशवा कलामुल्लाह جَلَّ وَعَلَا صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) (फ़तावा रज़विय्या, 21/505, 519)

② ... फ़तावा रज़विय्या, 26/570 मुत्तक़तन

जवाब मुरीद होने का अस्ल मक्सद येह है कि इन्सान मुर्शिदे कामिल की रहनुमाई और बातिनी तवज्जोह की बरकत से सीधे रास्ते पर चल कर अपनी ज़िन्दगी शरीअतों सुन्नत के मुताबिक गुज़ार सके और अगर राहे बातिनो मा'रिफ़त पर चलना हो तो फिर बैअत होना ज़रूरी है क्यूं कि येह रास्ता इन्तिहाई कठिन और बारीक है जिसे बिगैर किसी रहबर के तै करना अपने आप को हलाकत पर पेश करना है लिहाज़ा इस रास्ते को काम्याबी व कामरानी के साथ तै करने के लिये इन्सान को मुर्शिदे कामिल की ज़रूरत होती है। हुज्जतुल इस्लाम हज़रते सय्यिदुना इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : मुरीद को किसी मुर्शिद व उस्ताद की हाज़त होती है जो उस की सीधे रास्ते की तरफ़ रहनुमाई करे क्यूं कि दीन का रास्ता इन्तिहाई बारीक है जब कि इस के मुक़ाबले में शैतानी रास्ते ब कसरत और नुमायां हैं तो जिस का कोई मुर्शिद न हो जो उस की तरबियत करे तो यकीनन शैतान उसे अपने रास्ते की तरफ़ ले जाता है। जो पुर ख़तर वादियों में बिगैर किसी की रहनुमाई के चलता है वोह खुद को हलाकत पर पेश करता है जैसे खुद ब खुद उगने वाला पौदा जल्द ही सूख जाता है और अगर वोह लम्बे अर्से तक बाक़ी भी रहे तो उस के पत्ते तो निकल आएंगे लेकिन वोह फलदार नहीं होगा। मुरीद पर ज़रूरी है कि वोह मुर्शिद का दामन इस तरह थाम ले जिस तरह अन्धा नहर के किनारे अपनी जान नहर पार कराने वाले के हवाले कर देता है और उस की इत्तिबाअ में किसी किस्म की मुख़ालफ़त नहीं करता और न ही उसे छोड़ता है।⁽¹⁾

मुर्शिदे कामिल के लिये चार शराइत

सवाल मुर्शिदे कामिल कि जिस के हाथ पर बैअत करना दुरुस्त हो उस की क्या शराइत हैं ?

जवाब मुर्शिदे कामिल कि जिस के हाथ पर बैअत करना दुरुस्त हो उस की शराइत बयान करते हुए आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बैअत लेने और मसन्दे इर्शाद पर बैठने के लिये चार शर्ते ज़रूरी हैं : एक येह कि सुन्नी सहीहुल अक़ीदा हो इस लिये कि बद मज़हब दोज़ख़ के कुत्ते हैं और बद तरीन मख़्लूक, जैसा कि हदीस में आया है। दूसरी शर्त ज़रूरी इल्म का होना, इस लिये कि बे इल्म खुदा को पहचान नहीं सकता। तीसरी येह कि कबीरा गुनाहों से परहेज़ करना इस लिये कि फ़ासिक की तौहीन वाजिब है और मुर्शिद वाजिबुत्ता'ज़ीम है दोनों चीज़ें कैसे इकठ्ठी होंगी। चौथी इजाज़ते सहीह मुत्तसिल हो जैसा कि इस पर अहले बातिन का इज्माअ



है। जिस शख्स में इन शराइत में से कोई एक शर्त न हो तो उस को पीर नहीं पकड़ना चाहिये।⁽¹⁾

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जब मुरीद होना हो तो अच्छी तरह तफ़्तीश कर लें, वरना अगर (किसी ऐसे को पीर बना लिया जो) बद मज़हब हुवा तो ईमान से भी हाथ धो बैठेंगे।

اے با ایللیں آدم روئے ہست پس بہر دستے نباید داد دست⁽²⁾

(या'नी कभी इब्लीस आदमी की शकल में आता है, लिहाज़ा हर हाथ में हाथ नहीं देना चाहिये (या'नी हर किसी से बैअत नहीं करनी चाहिये।)

ख़त या टेलीफ़ोन के ज़रीए बैअत

सवाल क्या ख़त, टेलीफ़ोन या इज्तिमाए आम में लाउड स्पीकर के ज़रीए बैअत हो सकती है ?

जवाब आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ब ज़रीअए कासिद (नुमाइन्दा) या ख़त मुरीद हो सकता है।⁽³⁾ जब नुमाइन्दे या ख़त के ज़रीए मुरीद हो सकता है तो टेलीफ़ोन और लाउड स्पीकर पर तो ब दरजए औला बैअत हो सकती है।

साबिका मुर्शिद से तज्दीदे बैअत

सवाल अगर किसी से कुफ़्र सरज़द हो गया हो तो उसे अपने कुफ़्र से तौबा करने के बा'द अपने साबिका मुर्शिद से ही तज्दीदे बैअत करना ज़रूरी है ?

जवाब कुफ़्र बकने से जिस तरह पिछले तमाम नेक आ'माल मसलन नमाज़, रोज़ा और हज़ वगैरा ज़ाएअ हो जाते हैं ऐसे ही बैअत भी ख़त्म हो जाती है, तौबा करने के बा'द साबिका मुर्शिद या किसी भी जामेए शराइत पीर का मुरीद हुवा जा सकता है, साबिका मुर्शिद से ही बैअत करना ज़रूरी नहीं।⁽⁴⁾

दूसरों को अपने पीर की बैअत की तरगीब दिलाना कैसा ?

सवाल ज़ैद को अपने पीर साहिब से बहुत अक्कीदत है लिहाज़ा जो किसी के मुरीद नहीं हैं वोह उन्हें

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 21/491, 492

2 ... बहारे शरीअत, 1/277, हिस्सा : 1

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 26/585

4 ... पीरी मुरीदी की शर्ई हैसियत, स. 16

अपने पीर साहिब से बैअत होने की तरगीब दिलाता है। बक्र इस पर ज़ैद को बुरा भला कहता है और ए'तिराज़ करता है कि तरगीब न दिलाओ जिसे मुरीद होना होगा वोह खुद ही हो जाएगा। दोनों में हक़ ब जानिब कौन है ?

जवाब पीर उमूरे आख़िरत के लिये बनाया जाता है ताकि उस की रहनुमाई और बातिनी तवज्जोह की बरकत से मुरीद अल्लाह और उस के प्यारे रसूल ﷺ की नाराज़ी वाले कामों से बचते हुए अपनी ज़िन्दगी के शबो रोज़ गुज़ार सके। अब ग़ौर कर लिया जाए कि येह बात नेकी है या बदी ? अगर नेकी है और यकीनन नेकी है तो इस की तरगीब दिलाने वाला नेकी की दा'वत देने वाला हुवा और इस का येह फ़ै'ल हुक्मे कुरआनी (2:6, المائدة) ﴿وَتَكُونُوا عَلَى الْبِرِّ وَالشَّقْوَىٰ﴾ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : “और नेकी और परहेज़ ग़ारी पर एक दूसरे की मदद करो।” में दाख़िल है लिहाज़ा ज़ैद सवाब का मुस्तहिक् है। अगर इस के तरगीब दिलाने पर कोई मुरीद हो कर नेकी के रास्ते पर ग़ामज़न हो गया तो इन् شاء الله ज़ैद के लिये सवाबे जारिया का सामान होगा।⁽¹⁾

मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर का मुरीद होना

सवाल एक पीर के मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर से भी मुरीद हो सकते हैं या नहीं ? नीज़ किसी दूसरे पीर साहिब से तालिब होना कैसा है ?

जवाब एक पीर के मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर से मुरीद नहीं हो सकते चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना अली बिन वफ़ा رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जिस तरह ज़हान के दो मा'बूद नहीं, एक शख्स के दो दिल नहीं, औरत के ब यक वक़्त दो शौहर नहीं इसी तरह मुरीद के दो शैख़ नहीं।⁽²⁾ अलबत्ता दूसरे जामेए शराइत पीर से बैअते बरकत करते हुए तालिब होने में हरज नहीं है। इसी तरह के एक सुवाल के जवाब में आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जो शख्स किसी शैख़े जामेए शराइत के हाथ पर बैअत हो चुका हो तो दूसरे के हाथ पर बैअत न चाहिये। अकाबिरे तरीक़त फ़रमाते हैं : “لَا يُقَدِّمُ مُرِيدٌ بَيْنَ شَيْخَيْنِ” जो मुरीद दो पीरों के दरमियान मुश्तरक हो वोह काम्याब नहीं होता।” खुसूसन जब कि उस से कुशूदे कार (या'नी मतलब का हुसूल) भी हो चुका हो,

1 ... पीरी मुरीदी की शर्ई हैसियत, स. 17

2 ... المنزّل الکبریٰ، الباب الثامن، ص 346

हदीस में इर्शाद हुवा : **“مَنْ رَزَقَ فِي شَيْءٍ فَلْيُرْمَهُ”** जिसे अल्लाह पाक किसी शै में रिज़क दे वोह उस को लाज़िम पकड़े।⁽¹⁾ दूसरे जामेए शराइत से तलबे फैज़ में हरज नहीं अगर्चे वोह किसी सिल्सिलए सरीहा का हो मगर अपनी इरादत शैखे अव्वल ही से रखे और उस से जो फैज़ हासिल हो उसे भी अपने शैख ही का फैज़ जाने।⁽²⁾

हां ! अगर कोई सिल्सिलए आलिया क़ादिरिय्या में बैअत हो तो उसे किसी और से तालिब होना ज़रूरी नहीं क्यूं कि सिल्सिलए आलिया क़ादिरिय्या तमाम सलासिल से अफ़ज़ल है और तमाम सलासिल इसी की तरफ़ राजेअ हैं। फ़तावा रज़विय्या में है : उन (या'नी ख़ानदाने मदारिया वालों) से तालिब होना हरगिज़ कुछ ज़रूर नहीं, बल्कि जब अफ़ज़लुस्सलासिल सिल्सिलए उल्या, आलिया, सहीहा, मुत्तसिला, क़ादिरिय्या, तय्यिबा में शैखे जामेए शराइत के हाथ पर फ़ख़रे बैअत नसीब हो चुका है तो इसे दूसरी तरफ़ अस्लन तवज्जोह व परेशान नज़र ही न चाहिये।⁽³⁾ अल्लाह पाक हमें अपने पीरो मुर्शिद का हमेशा वफ़ादार बनाए और इन्हें राजी रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।

اٰمِيْنَ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

पीरो मुर्शिद से फैज़ हासिल करने का तरीका

सवाल फैज़ किसे कहते हैं ? नीज़ पीरो मुर्शिद से फैज़ हासिल करने का क्या तरीका है ?

जवाब फैज़ की ता'रीफ़ करते हुए मेरे आका आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ फ़रमाते हैं : फैज़ बरकात और नूरानिय्यत का दूसरे पर इल्का फ़रमाना है।⁽⁴⁾ फैज़ हासिल करने का तरीका येह है कि मुरीद अपने पीरो मुर्शिद से कामिल महबूबत करे। उस के अहकाम बजा लाए और हर वोह जाइज़ काम करे जिस से वोह खुश व राजी हो। उस की कामिल ता'जीमो तौकीर करे और अपने अक्वालो अफ़आल व हरकातो सकनात में उस की हिदायात के मुताबिक़ (जो शरीअत के ख़िलाफ़ न हों) पाबन्द रहे ताकि उस से फुयूजो बरकात हासिल करने में काम्याब हो सके।

पीरो मुर्शिद से फैज़ हासिल करने के लिये ज़रूरी है कि मुरीद हमेशा अपने आप को कमालात से ख़ाली समझे अगर्चे कितना ही इल्मो फ़ज़ल वाला क्यूं न हो कि कुछ होने की समझ इन्सान को कहीं का नहीं रहने देती चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना शैख़ सा'दी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْہِ के फ़रमान का खुलासा है : भर लेने



① ... شعب الایمان، باب التوکل والتسليم، 2/89، حدیث: 1241

② ... फ़तावा रज़विय्या, 26/579

③ ... फ़तावा रज़विय्या, 26/557, 558

④ ... फ़तावा रज़विय्या, 26/564

वाले को चाहिये कि जब किसी चीज़ के हासिल करने का इरादा करे तो अगर्चे कमालात से भरा हुवा हो मगर कमालात को दरवाजे पर ही छोड़ दे (या'नी आजिज़ी इख़्तियार करे) और येह ख़याल करे कि मैं कुछ जानता ही नहीं। ख़ाली हो कर आएगा तो कुछ पाएगा और जो अपने आप को भरा हुवा समझेगा तो याद रहे कि भरे बरतन में कोई और चीज़ नहीं डाली जा सकती।⁽¹⁾

अल्लाह करीम हमें औलियाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِم की सच्ची महबूबत नसीब करे और इन के फ़यूजों बरकात से मालामाल फ़रमाए। اٰمِيْنَ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

मुरीद और तालिब में फ़र्क

सुवाल मुरीद और तालिब में क्या फ़र्क है ?

जवाब मुरीद और तालिब में फ़र्क बयान करते हुए आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़तावा रज़विyyा, जिल्द 26 सफ़हा 558 पर फ़रमाते हैं : मुरीद गुलाम है और तालिब वोह कि ग़ैबते शैख़ (या'नी मुर्शिद की ग़ैर मौजूदगी) में ब ज़रूरत या बा वुजूदे शैख़ किसी मस्लहत से, जिसे शैख़ जानता है या मुरीदे शैख़ ग़ैरे शैख़ से इस्तिफ़ादा करे। इसे जो कुछ उस से हासिल हो वोह भी फ़ैजे शैख़ ही जाने।⁽²⁾

स्पीकर पर बैअत का शर्ई हुक्म

सुवाल क्या हाथ में हाथ दिये बिग़ैर स्पीकर पर बैअत दुरुस्त है ? जिस ने स्पीकर पर बैअत की क्या वोह मुरीद हुवा ? नीज़ उसे बैअत की बरकतें मिलेंगी या नहीं ?

जवाब हाथों में हाथ दिये बिग़ैर स्पीकर, ख़त्तो किताबत, टेलीफ़ोन, इन्टरनेट और क़ासिद वग़ैरा के ज़रीए बैअत करना दुरुस्त है। इसी तरह के एक सुवाल के जवाब में आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बैअत ब ज़रीअए ख़त्तो किताबत भी मुम्किन है। येह (बैअत होने वाला) उसे (पीर साहिब को) दरख़्वास्त लिखे वोह क़बूल करे और अपने क़बूल की उस दरख़्वास्त दिहन्दा (या'नी बैअत होने वाले) को इत्तिलाअ दे और उस के नाम का शजरा भी भेज दे (तो येह) मुरीद हो गया कि अस्ल इरादत फ़ै'ले क़ल्ब है (या'नी अस्ल बैअत होना दिली इरादे का नाम है)।⁽³⁾ मज़ीद एक और जगह इर्शाद फ़रमाते हैं : ब ज़रीअए क़ासिद या ख़त मुरीद हो सकता



1... یوسنانی سحرى، ص 140

②... पीरी मुरीदी के बारे में मज़ीद तफ़सीलात जानने के लिये दा'वते इस्लामी के मक्तबतुल मदीना की 275 सफ़हात की किताब “आदाबे मुर्शिदे कामिल” का मुतालआ कीजिये।

③... फ़तावा रज़विyyा, 26/568

है।⁽¹⁾ मा'लूम हुवा कि अस्ल बैअत दिली इरादे का नाम है, जब येह ख़त्तो किताबत और कासिद के ज़रीए हो सकती है तो फिर स्पीकर के ज़रीए ब दरजए औला हो सकती है, क्यूं कि स्पीकर पर बैअत करने वाला दिली इरादे के साथ साथ ज़बान से भी इक़्ार करता है। जब स्पीकर पर बैअत दुरुस्त हुई तो मुरीद होना भी दुरुस्त हुवा और اِنْ شَاءَ اللّٰهُ बैअत की बरकतें भी ज़रूर मिलेंगी।

मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त नहीं

याद रखिये ! मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त नहीं, इस के बिगैर भी मुरीद हो सकते हैं। “हाथों में हाथ देना” येह मुहावरे के तौर पर भी इस्ति'माल होता है जैसा कि दा'वते इस्लामी के माहोल में बोला जाता है “हाथों हाथ मदनी काफ़िले में सफ़र करें” तो इस से मुराद येह नहीं होती कि एक दूसरे के हाथ पकड़ कर सफ़र करें बल्कि येह मुराद होती है कि बिना ताख़ीर अभी सफ़र करें। इसी तरह “हाथ में हाथ देने” से मुराद मुरीद होना भी होता है, जैसा कि बरादरे आ'ला हज़रत, शहन्शाहे सुख़न, उस्तादे ज़मन हज़रते मौलाना हसन रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ बारगाहे ग़ौसिय्यत मआब में अज़्र करते हैं :

तेरे हाथ में हाथ मैं ने दिया है तेरे हाथ है लाज या ग़ौसे आ 'ज़म⁽²⁾

इस शे'र के पहले मिस्रए “तेरे हाथ में हाथ” से ज़ाहिरी तौर पर हाथ में हाथ देना मुराद नहीं बल्कि मुरीद होना मुराद है, ऐसे ही दूसरे मिस्रए में “तेरे हाथ है लाज” से मुराद भरम रखना है क्यूं कि लाज कोई माही चीज़ नहीं जिसे हाथ में पकड़ा जा सके।

वकील के ज़रीए बैअत

सुवाल वकील के ज़रीए बैअत हो सकती है या नहीं ?

जवाब वकील के ज़रीए भी बैअत हो सकती है क्यूं कि वकालत का मा'ना होता है जो तसर्तुफ़ बन्दा खुद करता हो उस में किसी दूसरे को अपना नाइब मुक़र्रर कर दे और येह किताबो सुन्नत और इज्माए उम्मत से साबित है, चुनान्वे

1... फ़तावा रज़विय्या, 26/585

2... जौके ना'त, स. 180

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : वकालत के जवाज़ पर इज्माए उम्मत भी मुन्अकिद लिहाज़ा किताबो सुन्नत व इज्माअ से इस का जवाज़ साबित । वकालत के येह मा'ना हैं कि जो तसर्तुफ़ खुद करता उस में दूसरे को अपने क़ाइम मक़ाम कर देना ।⁽¹⁾ अगर पीर साहिब ने किसी को अपना वकील बनाया हो कि तुम जिस को चाहो मेरा मुरीद बना सकते हो तो वोह वकील भी लोगों को पीर साहिब के सिल्सिले में दाख़िल कर सकता है और येह शर्अन भी जाइज़ है । वकील के ज़रीए बैअत कर के किसी पीर साहिब का मुरीद होने वाला ऐसा ही है जैसे उस ने खुद बराहे रास्त पीर साहिब से बैअत की हो ।

..... ..

मज़ारात पर हाज़िरी

हज़रते सय्यिदुना ला'ल शहबाज़ क़लन्दर عَلَيْهِ رَحْمَةُ त़रीक़त की मनाज़िल तै करने में मसरूफ़ थे और इस दौरान अपने अपने वक़्त के बरगुज़ीदा औलियाए किराम से रूहानी फ़ैज़ हासिल करने के लिये उन के मज़ारात पर हाज़िरी भी देते रहते चुनान्वे मशहद शरीफ़ में हज़रते सय्यिदुना इमाम अली रज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और कूफ़ा (बग़दाद) में इमामुल अइम्मा, सिराजुल उम्मह, हज़रते सय्यिदुना इमामे आ'ज़म अबू हनीफ़ा नो'मान बिन साबित رَضِيَ اللهُ عَنْهُ के मज़ारे अक़्दस पर हाज़िरी दे कर फ़ुयूज़ो बरकात हासिल किये ।

(अल्लाह के ख़ास बन्दे अब्दुह, स. 529)

¹... बहारे शरीअत, 2/974, हिस्सा : 12

इबादात

इस बाब में आप जानेंगे

- 1 नजासतों का बयान
- 2 नमाज़ का बयान
- 3 इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?
- 4 नमाज़े जनाज़ा का बयान
- 5 ज़कात का बयान
- 6 हज़ व उम्रह का बयान

सबक नम्बर 1

तहारत का बयान

पाकीज़गी और पाकीज़ा लोग **अल्लाह** पाक को पसन्द हैं। चुनान्चे इर्शाद होता है :
 (11, التوبة: 108) **وَاللّٰهُ يُحِبُّ الطَّاهِرِينَ** तरजमए कन्जुल ईमान : “और सुथरे **अल्लाह** को प्यारे हैं।” इस
 के साथ ही नापाकी को इतना ना पसन्द किया गया कि बिगैर वुजू कुरआने पाक को हाथ तक लगाने से
 मन्अ़ फ़रमा दिया गया, चुनान्चे इर्शाद हुवा : (27, الواقعة: 79) **لَا يَسَّهٖ إِلَّا الطَّهَّرُوْنَ** तरजमए कन्जुल
 ईमान : “इसे न छूएं मगर बा वुजू।”

सुवाल अहदीसे मुबारका में सफ़ाई की क्या अहम्मियत बयान हुई है ?

जवाब अहदीसे मुबारका में सफ़ाई सुथराई की बहुत ज़ियादा अहम्मियत बयान हुई है इस के
 मुतअल्लिक 3 फ़रामीने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** मुलाहज़ा कीजिये :

(1) इर्शाद फ़रमाया : “तहारत निस्फ़ ईमान है।”⁽¹⁾

(2) इर्शाद फ़रमाया : बेशक इस्लाम साफ़ सुथरा (दीन) है तो तुम भी सफ़ाई सुथराई हासिल किया
 करो, क्यूं कि जन्नत में साफ़ सुथरा रहने वाला ही दाख़िल होगा।⁽²⁾

(3) इर्शाद फ़रमाया : जो चीज़ तुम्हें मिल जाए उस से सफ़ाई सुथराई हासिल करो, **अल्लाह** करीम
 ने इस्लाम की बुन्याद सफ़ाई पर रखी है और जन्नत में साफ़ सुथरे रहने वाले ही दाख़िल होंगे।⁽³⁾

सुवाल तहारत की कितनी किस्में हैं ?

जवाब तहारत की दो किस्में हैं : (1) तहारते सुग़रा (2) तहारते कुब्रा। तहारते सुग़रा से मुराद वुजू
 और तहारते कुब्रा से मुराद गुस्ल है।⁽⁴⁾

सुवाल हर शख़्स को तहारत के किस क़दर मसाइल व अहक़ाम सीखना ज़रूरी हैं ?

1... مسلم، کتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص 115، حديث: 534

2... كنز العمال، کتاب الطهارة، باب فی فضل الطهارة، ج 9، 5/123، حديث: 25996

3... جمع الجوامع، 4/115، حديث: 10624

4... बहारे शरीअत, 1/282, हिस्सा : 2

जवाब हर अक़िल व बालिग़ मुसलमान मर्द व औरत के लिये त़हारत के वोह अहक़ाम सीखने फ़र्जे ऐन हैं जिन से नमाज़ दुरुस्त हो सके।⁽¹⁾

सुवाल त़हारत के बिग़ैर नमाज़ पढ़ने वाले का क्या हुक्म है ?

जवाब बिला उज़्र जान बूझ कर बिग़ैर त़हारत के नमाज़ पढ़ना कुफ़्र है जब कि इसे जाइज़ समझे या इस्तिहज़ाअन (या'नी मज़ाक़ उड़ाते हुए) येह फ़े'ल करे।⁽²⁾

सुवाल वोह त़हारत जो नमाज़ की शर्त है इस से क्या मुराद है ?

जवाब इस से मुराद येह है कि नमाज़ी का बदन, उस के कपड़े और वोह जगह जहां नमाज़ पढ़नी है नजासत से पाक हो।⁽³⁾

सुवाल मश्कूक पानी से क्या मुराद है ?

जवाब इस से मुराद वोह पानी है जिस के वुजू के क़ाबिल होने में शक़ हो, गधे, ख़च्चर का जूठा मश्कूक है, लिहाज़ा इस से वुजू नहीं हो सकता क्यूं कि बे वुजू होना यक़ीनी है और यक़ीनी नापाकी मश्कूक चीज़ से ज़ाइल नहीं हो सकती।⁽⁴⁾

सुवाल मश्कूक पानी का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब अच्छा पानी होते हुए मश्कूक से वुजू व गुस्ल जाइज़ नहीं और अगर अच्छा पानी न हो तो उसी से वुजू व गुस्ल कर ले और तयम्मूम भी और बेहतर येह है कि वुजू पहले कर ले और अगर अक्स किया या'नी पहले तयम्मूम किया फिर वुजू जब भी हरज नहीं और इस सूरत में वुजू और गुस्ल में निय्यत करनी लाज़िमी है और अगर वुजू किया और तयम्मूम न किया या तयम्मूम किया और वुजू न किया तो नमाज़ न होगी।⁽⁵⁾

सुवाल क्या त़हारत के बा'द बच जाने वाले पानी से वुजू किया जा सकता है ?

जवाब त़हारत के बचे हुए पानी से वुजू कर सकते हैं, बा'ज़ लोग जो इस को फेंक देते हैं येह न चाहिये (या'नी ऐसा नहीं करना चाहिये क्यूं कि ऐसा करना) इसराफ़ में दाख़िल है।⁽⁶⁾

1 ... नजासतों का बयान मअ कपड़े पाक करने का तरीका, स. 1

2 ... مخ الروض الاظهر، ص 172

3 ... شرح وقایع، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، الجزء الاول، 1/156

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاء، 1/24، 2 : 1/343، हिस्सा : 2

5 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاء، 1/24

6 ... फ़तावा रज़विय्या, 4/575 माखूज़न

सुवाल वोह कौन सा हौज़ है जो मुकम्मल भरा हो तो नापाक है लेकिन कम भरा हो तो पाक है ?

जवाब कोई हौज़ ऐसा है कि ऊपर से तंग और नीचे कुशादा है या'नी ऊपर दह दर दह (या'नी सो हाथ/ पच्चीस गज/ दो सो पच्चीस फुट) नहीं और नीचे दह दर दह या ज़ियादा है अगर ऐसा हौज़ ऊपर तक भरा हुवा हो और नजासत पड़े तो नापाक है, फिर अगर उस का पानी घट गया और वोह दह दर दह हो गया तो पाक हो गया।⁽¹⁾

सुवाल नापाक कारपेट (CARPET) को कैसे पाक किया जाए ?

जवाब कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धो कर लटका दीजिये यहां तक कि पानी टपकना मौकूफ़ हो जाए फिर दोबारा धो कर लटकाइये हत्ता कि पानी टपकना बन्द हो जाए फिर तीसरी बार इसी तरह धो कर लटका दीजिये जब पानी टपकना बन्द हो जाएगा तो कारपेट पाक हो जाएगा। चटाई, चमड़े के चप्पल और मिट्टी के बरतन वगैरा जिन चीजों में पतली नजासत ज़ब्ब हो जाती हो इसी तरीके पर पाक कीजिये।⁽²⁾

सुवाल दूसरे के कपड़े पर नजासत लगी देखी तो क्या किया जाए ?

जवाब किसी दूसरे मुसल्मान के कपड़े में नजासत लगी देखी और ग़ालिब गुमान है कि इस को ख़बर करेगा तो पाक कर लेगा तो ख़बर करना वाजिब है। (ऐसी सूरत में ख़बर नहीं देगा तो गुनहगार होगा।)⁽³⁾

सुवाल इमाम ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने त़हारत के कितने मरातिब बयान फ़रमाए हैं ?

जवाब हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : त़हारत के 4 मरातिब हैं : (1) अपने ज़ाहिर को अहदास (या'नी ना पाकियों और नजासतों) से पाक करना (2) आ'ज़ा को जराइम और गुनाहों से पाक करना (3) अपने दिल को बुरे अख़्लाक़ से पाक करना और (4) अपने बातिन को अल्लाह पाक के ग़ैर से पाक रखना।⁽⁴⁾

सुवाल दिल की त़हारत किस तरह हासिल होती है ?

जवाब हुज्जतुल इस्लाम इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : ज़ाहिरी वुजू कर लेने वाले को येह बात याद रखनी चाहिये कि दिल की त़हारत (या'नी सफ़ाई) तौबा करने और गुनाहों को छोड़ने और इम्दा अख़्लाक़ अपनाने से होती है। जो शख्स दिल को गुनाहों की आलूदगियों से पाक



1... فتاوى هندی، کتاب الطهارة، الباب الثالث فی المیاء، 1/19

2... इस्लामी बहनों की नमाज़, स. 263

3... बहारे शरीअत, 1/405, हिस्सा : 2

4... باب الاحیاء، الباب الثالث فی اسرار الطهارة، ص 47

नहीं करता फ़क़त ज़ाहिरी त़हारत (या'नी सफ़ाई) और ज़ेबो ज़ीनत पर इक्तिफ़ा करता है उस की मिसाल उस शख़्स की सी है जो बादशाह को मद़ऊ करता है और अपने घरबार को बाहर से ख़ूब चमकाता है और रंगो रोग़न करता है मगर मकान के अन्दरूनी हिस्से की सफ़ाई पर कोई तवज्जोह नहीं देता। फिर जब बादशाह उस के मकान के अन्दर आ कर गन्दगियां देखेगा तो वोह नाराज़ होगा या राज़ी येह हर ज़ी शुऊर खुद समझ सकता है।⁽¹⁾

सुवाल घर से वुजू कर के फ़र्ज़ नमाज़ के लिये मस्जिद में जाने वाले का क्या इन्ज़ाम है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी है कि हुज़ूर ताजदारे दो जहान صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जो शख़्स अपने घर में त़हारत (या'नी वुजू व गुस्ल) कर के फ़र्ज़ अदा करने के लिये मस्जिद को जाता है तो एक क़दम पर एक गुनाह मिट जाता है और दूसरे पर एक दरजा बुलन्द होता है।⁽²⁾ और एक हदीस शरीफ़ में येह फ़रमाया : जो त़हारत कर के अपने घर से फ़र्ज़ नमाज़ के लिये निकला उस का अज़्र ऐसा है जैसा एहराम वाले हाजी का।⁽³⁾

सुवाल रात में उठ कर त़हारत कर के दुआ मांगने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हुज़ूरे पुरनूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : मेरा जो उम्मीती रात को बेदार हो कर खुद को त़हारत की तरफ़ माइल करता है हालां कि उस पर शैतान गिरहें लगा चुका होता है, जब वोह अपने हाथ धोता है तो एक गिरह खुल जाती है, जब वोह चेहरा धोता है तो दूसरी गिरह खुल जाती है, जब वोह अपने सर का मस्ह करता है तो तीसरी गिरह खुल जाती है और जब वोह पाउं धोता है तो चौथी गिरह खुल जाती है तब अल्लाह करीम हिजाब के पीछे मौजूद फ़िरिश्तों से फ़रमाता है : “देखो मेरे इस बन्दे को जो खुद को मुझ से सुवाल करने पर माइल करता है येह बन्दा मुझ से जो कुछ मांगेगा वोह इसे अ़ता किया जाएगा।”⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 2

नजासतों का बयान

नजासत की अक़्साम व अहक़ाम

सुवाल नजासत की कितनी और कौन कौन सी किस्में हैं ?



1... احیاء علوم الدین، کتاب الطہارۃ، القسم الثانی فی طہارۃ الاحداث، 1/185، ماخوذاً

2... مسلم، کتاب المساجد، باب المشی الصلوۃ بمحییہ... الخ، ص 263، حدیث: 1521

3... ابوداؤد، کتاب الصلوۃ، باب ما جاء فی فضل المشی الی الصلوۃ، 1/331، حدیث: 558

4... ابن حبان، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، 2/194، حدیث: 1049

जवाब नजासत की दो किस्में हैं : (1) नजासते हकीकिया (2) नजासते हुक्मिया ।⁽¹⁾

सवाल नजासते हकीकिया से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते हकीकिया वोह नापाक चीज़ है जो कपड़े या बदन वगैरा पर लग जाए तो ज़ाहिर तौर पर मा'लूम हो जाती है जैसे पाख़ाना पेशाब वगैरा ।

सवाल नजासते हुक्मिया से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते हुक्मिया वोह है जो नज़र नहीं आती या'नी सिर्फ़ शरीअत के हुक्म से उसे नापाकी कहते हैं जैसे बे वुजू होना या गुस्ल की हाज़त होना ।

सवाल नजासते हकीकिया की कितनी किस्में हैं ?

जवाब नजासते हकीकिया की दो किस्में हैं : (1) नजासते ग़लीज़ा (2) नजासते ख़फीफ़ा ।⁽²⁾

सवाल नजासते ग़लीज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब इन्सान के बदन से जो ऐसी चीज़ निकले कि उस से गुस्ल या वुजू वाजिब हो नजासते ग़लीज़ा है जैसे पाख़ाना, पेशाब, बहता खून, पीप, मुंह भर कै वगैरा ।⁽³⁾

सवाल नजासते ग़लीज़ा का हुक्म बयान कीजिये ।

जवाब नजासते ग़लीज़ा का हुक्म येह है कि अगर कपड़े या बदन पर एक दिरहम से ज़ियादा लग जाए तो उस का पाक करना फ़र्ज़ है, बिगैर पाक किये अगर नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ न होगी और इस सूरत में जान बूझ कर नमाज़ पढ़ना सख़्त गुनाह है और अगर दिरहम के बराबर कपड़े या बदन पर लगी हुई हो तो उस का पाक करना वाजिब है अगर बिगैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ मक्रूहे तहरीमी होगी और ऐसी सूरत में कपड़े या बदन को पाक कर के दोबारा नमाज़ पढ़ना वाजिब है, (और अगर) दिरहम से कम कपड़े या बदन पर लगी हुई है तो उस का पाक करना सुन्नत है अगर बिगैर पाक किये नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ हो जाएगी, मगर ख़िलाफ़े सुन्नत, ऐसी नमाज़ को दोहरा लेना बेहतर है ।⁽⁴⁾



1... مجمع الأنهر، كتاب الطهارة، باب الانجاس، 10/86

2... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة واحكامها، 1/45

3... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب السابع في النجاسة واحكامها، 1/46

4... बहारे शरीअत, 1/389, हिस्सा : 2

सुवाल नजासत का एक दिरहम की मिक्दर होने से क्या मुराद है ?

जवाब नजासते ग़लीज़ा का दिरहम या इस से कम या ज़ियादा होने से मुराद येह है कि नजासते ग़लीज़ा अगर गाढ़ी हो मसलन पाख़ाना, लीद वग़ैरा तो दिरहम से मुराद वज़्ज में साढ़े चार माशा (या'नी 4.374 ग्राम) है, लिहाज़ा अगर नजासत दिरहम से ज़ियादा या कम है तो इस से मुराद वज़्ज में साढ़े चार माशे से कम या ज़ियादा होना है और अगर नजासते ग़लीज़ा पतली हो जैसे पेशाब वग़ैरा तो दिरहम से मुराद लम्बाई चौड़ाई है या'नी हथेली को ख़ूब फैला कर हमवार रखिये और उस पर आहिस्तगी से इतना पानी डालिये कि उस से ज़ियादा पानी न रुक सके, अब जितना पानी का फैलाव है उतना बड़ा दिरहम समझा जाएगा।⁽¹⁾

सुवाल अगर कपड़े या बदन पर चन्द मक़ामात पर एक दिरहम से कम नजासत लगी हो तो क्या हुक्म है ?

जवाब किसी कपड़े या बदन पर चन्द जगह नजासते ग़लीज़ा लगी और किसी जगह दिरहम के बराबर नहीं, मगर मज्मूअ दिरहम के बराबर है, तो दिरहम के बराबर समझी जाएगी और ज़ाइद है तो ज़ाइद।⁽²⁾

सुवाल मछली, मच्छर या मख़वी वग़ैरा का ख़ून अगर कपड़ों पर लग जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब मछली और पानी के दीगर जानवरों और खटमल और मच्छर का ख़ून और ख़च्चर और गधे का लुआब और पसीना पाक है।⁽³⁾

सुवाल बिल्ली अगर पानी में मुंह डाल दे तो उस पानी का क्या हुक्म है ?

जवाब घर में रहने वाले जानवर जैसे बिल्ली, चूहा, सांप, छिपकली का झूटा मक्रूह है।⁽⁴⁾

सुवाल कुत्ते का लुआब क्या हुक्म रखता है ?

जवाब कुत्ते का लुआब नापाक है।⁽⁵⁾

सुवाल अगर जिस्म या कपड़े से कुत्ता छू जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब कुत्ता बदन या कपड़े से छू जाए तो अगरचे उस का जिस्म तर हो बदन और कपड़ा पाक है, हां अगर उस के बदन पर नजासत लगी हो तो और बात है या उस का लुआब लगे तो

1 ... बहारे शरीअत, 1/389, हिस्सा : 2

2 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الطهارة، باب الانجاس، مطلب اذا صرح... الخ، 1/582

4 ... बहारे शरीअत, 1/392, हिस्सा : 2

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب الثالث فی المیاء، الفصل الثانی، 1/24

5 ... رد المحتار، کتاب الطهارة، مطلب فی السور، 1/425

नापाक कर देगा।⁽¹⁾

सुवाल जिन जानवरों का जूठा नापाक है उन के पसीने का क्या हुक्म है ?

जवाब जिस का जूठा नापाक है उस का पसीना और लुआब भी नापाक है और जिस का जूठा पाक उस का पसीना और लुआब भी पाक और जिस का जूठा मक्खन उस का लुआब और पसीना भी मक्खन।⁽²⁾

सुवाल किन परिन्दों की बीट पाक है ?

जवाब जो परिन्दे हलाल ऊंचे उड़ते हैं जैसे कबूतर, मैना, मुर्गाबी, इन की बीट पाक है।⁽³⁾

सुवाल क्या दूध पीते बच्चे का पेशाब पाक होता है ?

जवाब जी नहीं, एक दिन के दूध पीते बच्चे का पेशाब भी इसी तरह नापाक है जिस तरह आम लोगों का।⁽⁴⁾

सुवाल इन्सानी जिस्म से निकलने वाली रतूबत कब पाक है ?

जवाब जो रतूबत इन्सानी बदन से निकले और वुजू न तोड़े वोह नजिस नहीं। मसलन खून या पीप बह कर न निकले या थोड़ी कै कि मुंह भर न हो पाक है।⁽⁵⁾ खारिश या फुड़ियों में अगर बहने वाली रतूबत न हो सिर्फ चिपक हो और कपड़ा उस से बार बार छू कर चाहे कितना ही सन जाए पाक है।⁽⁶⁾

सुवाल मुख़लिफ़ जानवरों के पेशाब और उन की बीट का क्या हुक्म है ?

जवाब जिन जानवरों का गोशत हलाल है (जैसे भेंस, बकरी, ऊंट वगैरहा) इन का पेशाब, नीज़ घोड़े का पेशाब और जिस परिन्दे का गोशत हराम है, ख़्वाह शिकारी हो या नहीं (जैसे कव्वा, चील, शिकरा, बाज़) उस की बीट नजासते ख़फ़ीफ़ा है।⁽⁷⁾

सुवाल नजासते ख़फ़ीफ़ा का हुक्म बताइये ?



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاسۃ واحکامہا، 1/48

2... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثالث فی المیاء، 1/23، بہار شریعت، 1/344، حصہ: 2

3... بہارے شریعت، 1/391، हिस्सा : 2

4... در مختار، کتاب الطہارۃ، باب الانجاس، 1/574

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الطہارۃ، مطلب فی حکم کی المصۃ، 1/294

6... بہارے شریعت، 1/310، हिस्सा : 2

7... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب السابع فی النجاسۃ واحکامہا، 1/46

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयत के तहत तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में लिखते हैं : अरब के लोग यहूद व मजूस की तरह हाएज़ा औरतों से कमाल नफ़रत करते थे । साथ खाना पीना एक मकान में रहना गवारा न था बल्कि शिद्दत यहां तक पहुंच गई थी कि उन की तरफ़ देखना और उन से कलाम करना भी हराम समझते थे और नसारा (या'नी क्रिस्चेन) इस के बर अक्स हैज़ के अय्याम में औरतों के साथ बड़ी महबूबत से मशगूल होते थे और इख़िलात (मेलजोल) में बहुत मुबालगा करते थे । मुसल्मानों ने हुजूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से हैज़ का हुक्म दरयाफ़्त किया, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और इफ़रातो तफ़रीत (या'नी बढ़ाने घटाने) की राहें छोड़ कर ए'तिदाल (मियाना रबी) की ता'लीम फ़रमाई गई और बता दिया गया कि हालते हैज़ में औरतों से मुजामअत (या'नी सोहबत) मम्मूअ है ।⁽¹⁾

सवाल हैज़ किसे कहते हैं ?

जवाब बालिगा औरत के आगे के मक़ाम से जो खून अ़दत के तौर पर निकलता है और बीमारी या बच्चा पैदा होने के सबब से न हो तो उसे हैज़ कहते हैं ।⁽²⁾

हैज़ के लिये माहवारी, अय्याम, अय्याम से होना, महीना, महीना आना, महीने से होना, बारी के दिन और MONTHLY COURSE (मंथली कोर्स) वगैरा अल्फ़ाज़ भी बोले जाते हैं ।

सवाल हैज़ के खून के कितने रंग होते हैं ?

जवाब हैज़ के छे रंग हैं : (1) सियाह (2) सुख़ (3) सब्ज़ (4) ज़र्द (5) गदला (6) मटियाला । सफ़ेद रंग की रतूबत हैज़ नहीं ।⁽³⁾

याद रहे कि औरत के अगले मक़ाम से जो ख़ालिस रतूबत बे आमेज़िश खून निकलती है उस से वुजू नहीं टूटता अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है ।⁽⁴⁾ **नोट** : हम्ल वाली औरत को जो खून आया वोह इस्तिहाज़ा है ।⁽⁵⁾

सवाल हैज़ क्यूं आता है इस की क्या हिक्मत है ?

① ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 2, अल बकरह, तह़तल आयह : 222

② ... बहारे शरीअत, 1/371, हिस्सा : 2

③ ... बहारे शरीअत, 1/373, हिस्सा : 2

④ ... बहारे शरीअत, 1/304, हिस्सा : 2

⑤ ... در مختار، کتاب الطهارة، باب الحيض، 1/524

जवाब बालिगा औरत के बदन में फ़ितूरतन ज़रूरत से कुछ ज़ियादा खून पैदा होता है कि हम्मल की हालत में वोह खून बच्चे की ग़िज़ा में काम आए और बच्चे के दूध पीने के ज़माने में वोही खून दूध हो जाए अगर ऐसा न हो तो हम्मल और दूध पिलाने के ज़माने में इस की जान पर बन जाए येही वजह है कि हम्मल और इब्तिदाए शीर ख़्वारगी (या'नी दूध पिलाने) में खून नहीं आता और जिस ज़माने में न हम्मल हो और न दूध पिलाना तब वोह खून अगर बदन से न निकले तो किस्म किस्म की बीमारियां हो जाएं।⁽¹⁾

सुवाल हैज़ ज़ियादा से ज़ियादा कितने दिन तक आता है ?

जवाब हैज़ की कम से कम मुद्दत तीन दिन और तीन रातें या'नी पूरे 72 घन्टे हैं। अगर एक मिनट भी कम हुवा तो वोह हैज़ नहीं बल्कि इस्तिहाज़ा या'नी बीमारी का खून है और ज़ियादा से ज़ियादा मुद्दत दस दिन और दस रातें या'नी 240 घन्टे हैं।

सुवाल येह कैसे मा'लूम होगा कि येह इस्तिहाज़ा है ?

जवाब अगर दस दिन और दस रात से ज़ियादा खून आया तो अगर येह हैज़ पहली मरतबा आया है तो दस दिन तक हैज़ माना जाएगा। और इस के बा'द जो खून आया वोह इस्तिहाज़ा है, और अगर पहले औरत को हैज़ आ चुके हैं और इस की आदत दस दिन से कम थी तो आदत से जितने दिन ज़ियादा खून आया वोह इस्तिहाज़ा है, मिसाल के तौर पर किसी औरत को हर महीने में पांच दिन हैज़ आने की आदत थी अब की मरतबा दस दिन आया तो येह दसों दिन हैज़ के माने जाएंगे अलबत्ता अगर बारह दिन खून आया तो आदत वाले पांच दिन हैज़ के माने जाएंगे और सात दिन इस्तिहाज़े के और अगर एक आदत मुक़रर न थी बल्कि किसी महीने चार दिन तो किसी महीने सात दिन हैज़ आता था तो पिछली मरतबा जितने दिन हैज़ के थे वोही अब भी हैज़ के दिन माने जाएंगे, और बाक़ी इस्तिहाज़े का खून होगा।

सबक़ नम्बर 4

इस्तिहाज़ा का बयान

सुवाल इस्तिहाज़ा किसे कहते हैं ?

जवाब जो खून बीमारी की वजह से आए। उस को इस्तिहाज़ा कहते हैं।⁽²⁾

① ... बहारे शरीअत, 1/371, हिस्सा : 2

② ... बहारे शरीअत, 1/371, हिस्सा : 2

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا से रिवायत है कि रसूले अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के अह्दे मुबारक में एक औरत के अगले मक़ाम से खून बहता रहता था। उस के लिये उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना उम्मे सलमा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ने हुज़ूरे अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से फ़तवा पूछा। इर्शाद फ़रमाया : इस बीमारी से पहले महीने में जितने दिन और रातें हैज़ आता था, उन की गिनती शुमार कर के महीने में उन ही की मिक्दार नमाज़ छोड़ दे और जब वोह दिन जाते रहें तो गुस्ल करे और शर्मगाह पर कपड़ा बांध कर नमाज़ पढ़े।⁽¹⁾

इस्तिहाज़ा के अहक़ाम

- (1) इस्तिहाज़े में न नमाज़ मुआफ़ है न रोज़ा, न ऐसी औरत से सोहबत हराम।⁽²⁾
- (2) मुस्तहाज़ा (या'नी इस्तिहाज़े वाली) का का'बे शरीफ़ में दाख़िल होना, तवाफ़े का'बा, वुजू कर के कुरआन शरीफ़ को हाथ लगाना और उस की तिलावत करना येह तमाम उमूर भी जाइज़ हैं।⁽³⁾
- (3) इस्तिहाज़ा अगर इस हद तक पहुंच गया कि (बार बार खून आने के सबब) उस को इतनी मोहलत नहीं मिलती कि वुजू कर के फ़र्ज़ नमाज़ अदा कर सके तो नमाज़ का पूरा एक वक़्त शुरूअ से आख़िर तक इसी हालत में गुज़र जाने पर उस को मा'ज़ूर कहा जाएगा, एक वुजू से उस वक़्त में जितनी नमाज़ें चाहे पढ़े, खून आने से उस का वुजू न जाएगा।⁽⁴⁾
- (4) अगर कपड़ा वगैरा रख कर इतनी देर तक खून रोक सकती है कि वुजू कर के फ़र्ज़ पढ़ ले, तो उज़्र साबित न होगा। (या'नी ऐसी सूरत में "मा'ज़ूर" नहीं कहलाएगी)।⁽⁵⁾

हैज़ की कम अज़ कम और इन्तिहाई उम्र

सुवाल हैज़ आना किस उम्र से शुरूअ और किस उम्र में रुकता है ?



1... موطأ امام مالك، 1/77-78 حديث: 140

2... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، باب في الدماء المختصة بالنساء، 1/39

3... رد المحتار، كتاب الطهارة، مطلب لوافي مفت بئىء... الخ 1/544

4... बहारे शरीअत, 1/385, हिस्सा : 2

5... बहारे शरीअत, 1/385, हिस्सा : 2

जवाब कम से कम 9 बरस की उम्र से हैज शुरू होगा और हैज आने की इन्तिहाई उम्र पचपन साल है। इस उम्र वाली को आइसा (या'नी हैज व औलाद से ना उम्मीद होने वाली) कहते हैं।⁽¹⁾

नव बरस की उम्र से पहले जो खून आएगा वोह हैज नहीं बल्कि इस्तिहाजा है यूं ही 55 बरस की उम्र के बा'द जो आएगा वोह भी इस्तिहाजा है। लेकिन अगर किसी को 55 बरस की उम्र के बा'द भी ख़ालिस खून बिल्कुल ऐसे ही रंग का आया जैसा कि हैज के ज़माने में आया करता था तो उस को हैज मान लिया जाएगा।

सुवाल दो हैजों के दरमियान कितना फ़ासिला होता है ?

जवाब दो हैजों के दरमियान कम से कम पूरे 15 दिन का फ़ासिला ज़रूरी है।⁽¹⁾

औरत को चाहिये कि वोह हैज आने की मुद्त अच्छी तरह याद रखे या लिख ले ताकि शरीअते मुतहहरा पर अहसन तरीके से अमल कर सके, मुद्ते हैज याद न रखने की सूरत में बहुत सी पेचीदगियां हो जाती हैं।

अहम मस्अला : येह ज़रूरी नहीं कि मुद्त में हर वक़्त खून जारी रहे जब ही हैज हो बल्कि अगर बा'ज बा'ज वक़्त भी आए, जब भी हैज है।⁽³⁾

सबक नम्बर 5

निफ़ास का बयान

सुवाल निफ़ास किसे कहते हैं ?

जवाब बच्चा होने के बा'द औरत के आगे के मक़ाम से जो खून आता है वोह निफ़ास कहलाता है।⁽⁴⁾

अक्सर ख़वातीन में येह मशहूर है कि बच्चा जनने के बा'द इस्लामी बहन 40 दिन तक लाज़िमी तौर पर नापाक रहती है येह बात बिल्कुल ग़लत है। बराए करम ! निफ़ास की ज़रूरी वज़ाहत पढ़ लीजिये :

निफ़ास की ज़ियादा से ज़ियादा मुद्त 40 दिन है या'नी अगर 40 दिन के बा'द भी बन्द न हो तो मरज़ है। लिहाज़ा 40 दिन पूरे होते ही गुस्ल कर ले और 40 दिन से पहले बन्द हो जाए ख़्वाह बच्चे की विलादत के बा'द एक मिनट ही में बन्द हो जाए तो जिस वक़्त भी बन्द हो गुस्ल कर ले और नमाज़

1... बहारे शरीअत, 1/372, हिस्सा : 2

2... در مختار، کتاب الطهارة، باب الحيض، 1/524

3... در مختار مع رد المحتار، کتاب الطهارة، باب الحيض، 1/523

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطهارة، باب الدماء المتحصّنة بالنساء، 1/37

व रोज़ा शुरू हो गए। अगर 40 दिन के अन्दर दोबारा खून आ गया तो शुरू विलादत से ख़त्मे खून तक सब दिन निफ़ास ही के शुमार होंगे। मसलन विलादत के बा'द दो मिनट तक खून आ कर बन्द हो गया और गुस्ल कर के नमाज़ रोज़ा वगैरा करती रही, 40 दिन पूरे होने में फ़क़त दो मिनट बाकी थे कि फिर खून आ गया तो सारा चिल्ला या'नी मुकम्मल 40 दिन निफ़ास के ठहरेंगे। जो भी नमाज़ें पढ़ीं या रोज़े रखे सब बेकार गए, यहां तक कि अगर इस दौरान फ़र्ज़ व वाजिब नमाज़ें या रोज़े क़ज़ा किये थे तो वोह भी फिर से अदा करे।⁽¹⁾

निफ़ास के मुतअल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल

सवाल निफ़ास के मुतअल्लिक़ कुछ मसाइल बयान कीजिये।

जवाब किसी औरत को 40 दिन व रात से ज़ियादा निफ़ास का खून आया, अगर पहला बच्चा पैदा हुवा है तो 40 दिन रात निफ़ास है, बाकी जितने अय्याम 40 दिन रात से ज़ियादा हुए हैं वोह इस्तिहाज़े के हैं। और अगर इस से पहले भी बच्चा तो पैदा हुवा था मगर येह याद नहीं रहा कि कितने दिन खून आया था तो इस सूरत में भी येही मस्अला होगा या'नी 40 दिन रात निफ़ास के और बाकी इस्तिहाज़े के और अगर पहले बच्चे के पैदा होने पर खून आने के दिन याद हैं मसलन पहले जो बच्चा पैदा हुवा था तो 30 दिन रात खून आया था तो इस सूरत में 30 दिन रात निफ़ास के हैं बाकी इस्तिहाज़े के मसलन पहले बच्चे के पैदा होने पर 30 दिन रात खून आया था और दूसरे बच्चे की पैदाइश पर 50 दिन रात खून आया तो 30 दिन निफ़ास के होंगे बाकी 20 दिन रात इस्तिहाज़े के।⁽²⁾

हम्ल साक़ित हो गया और उस का कोई उज़्व बन चुका है जैसे हाथ, पाउं या उंग्लियां, तो येह खून निफ़ास है।⁽³⁾ वरना अगर तीन दिन रात तक रहा और इस से पहले पन्दरह दिन पाक रहने का ज़माना गुज़र चुका है तो हैज़ है और जो तीन दिन से पहले ही बन्द हो गया, या अभी पूरे पन्दरह दिन तहारत के नहीं गुज़रे हैं तो इस्तिहाज़ा है।⁽⁴⁾

बच्चा जनने के बा'द से ले कर निफ़ास से पाक होने तक औरत ज़च्चा कहलाती है ऐसी औरत या'नी ज़च्चा को ज़च्चाख़ाने से निकलना जाइज़ है। इस को साथ खिलाने या इस का झूटा खाने में कोई

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 4/354 ता 356 माखूज़न

2 ... बहारे शरीअत, 1/377, हिस्सा : 2

3 ... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، باب الدماء المحتضرة بالنساء 37/1

4 ... बहारे शरीअत, 1/377, हिस्सा : 2

हरज नहीं, बा'ज इस्लामी बहनें ज़च्चा के बरतन तक अलग कर देती हैं बल्कि उन बरतनों को **مَعَادَالله** एक तरह से नापाक समझती हैं ऐसी बेहूदा रस्मों से एहतियात लाज़िम है। इसी तरह येह मस्अला भी मन घड़त है कि ज़च्चा (निफ़ास वाली) जब गुस्ल करे तो वोह चालीस लोटों के पानी से गुस्ल करे वरना गुस्ल नहीं उतरेगा। सहीह मस्अला येह है कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी इस्ति'माल करे।

हैज़ व निफ़ास के 21 अहकाम

सुवाल हैज़ व निफ़ास के अहकाम बयान कीजिये ?

जवाब (1) इस (हैज़ व निफ़ास की) हालत में नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना हराम है⁽¹⁾

(2) इन दिनों में नमाज़ें मुआफ़ हैं इन की क़ज़ा भी नहीं। अलबत्ता रोज़ों की क़ज़ा दूसरे दिनों में रखना फ़र्ज़ है।⁽²⁾ इस मुआमले में ख़वातीन इम्तिहान में पड़ जाती हैं। एक ता'दाद है जो रोज़े क़ज़ा नहीं करती। मेहरबानी कर के लाज़िमी रोज़े क़ज़ा करें वरना जहन्नम का अज़ाब सहा न जाएगा।

(3) हैज़ व निफ़ास वाली को कुरआने मजीद पढ़ना हराम है ख़्वाह देख कर पढ़े या ज़बानी पढ़े। यूं ही कुरआने मजीद का छूना भी हराम है। हां अगर जुज़्दान में कुरआने मजीद हो तो उस जुज़्दान को छूने में कोई हरज नहीं।⁽³⁾

(4) कुरआने मजीद पढ़ने के इलावा दूसरे तमाम अवरादो वज़ाइफ़ कलिमा शरीफ़ और दुरूद शरीफ़ वगैरा हैज़ व निफ़ास की हालत में इस्लामी बहन बिला कराहत पढ़ सकती है बल्कि मुस्तहब है कि नमाज़ों के अवकात में वुजू कर के इतनी देर तक दुरूद शरीफ़ और दूसरे वज़ाइफ़ पढ़ लिया करे जितनी देर में नमाज़ पढ़ सकती थी ताकि आदत बाक़ी रहे।⁽⁴⁾

(5) हैज़ व निफ़ास की हालत में हम बिस्तरी हराम है। इस हालत में नाफ़ से घुटने तक औरत के बदन को मर्द अपने किसी उज़्व से न छूए कि येह भी ना जाइज़ है जब कि कपड़ा वगैरा हाइल न हो शह्वत से हो या बे शह्वत और अगर ऐसा हाइल हो कि बदन की गरमी महसूस न होगी तो हरज

①... बहारे शरीअत, 1/380, हिस्सा : 2

②... बहारे शरीअत, 1/380, हिस्सा : 2

③... बहारे शरीअत, 1/379, हिस्सा : 2

④... बहारे शरीअत, 1/379, हिस्सा : 2 मफ़हूमन

नहीं। हां नाफ़ से ऊपर और घुटने के नीचे के बदन को छूना और बोसा वगैरा देना जाइज़ है।⁽¹⁾ इस हालत में औरत मर्द के हर हिस्से बदन को हाथ लगा सकती है।⁽²⁾

(6) हैज़ व निफ़ास की हालत में औरत को मस्जिद में जाना हराम है। हां अगर चोर या दरिन्दे से डर कर या किसी भी शदीद मजबूरी से मजबूर हो कर मस्जिद में चली जाए तो जाइज़ है मगर उस को चाहिये कि तयम्मूम कर के मस्जिद में जाए।⁽³⁾

(7) हैज़ व निफ़ास वाली औरत अगर ईदगाह में दाख़िल हो जाए तो कोई हरज नहीं।⁽⁴⁾

(8) हैज़ व निफ़ास की हालत में अगर मस्जिद के बाहर रह कर और हाथ बढ़ा कर मस्जिद से कोई चीज़ उठा ले या मस्जिद में कोई चीज़ रख दे तो जाइज़ है।⁽⁵⁾

(9) हैज़ व निफ़ास वाली को ख़ानए का'बा के अन्दर जाना और उस का तवाफ़ करना अगरचें मस्जिदुल हराम के बाहर से हो हराम है।⁽⁶⁾

(10) हैज़ व निफ़ास की हालत में बीवी को अपने बिस्तर पर सुलाने में ग़लबए शहवत या अपने को क़ाबू में न रखने का अन्देशा हो तो शौहर के लिये लाज़िम है कि बीवी को अपने बिस्तर पर न सुलाए बल्कि अगर गुमान ग़ालिब हो कि शहवत पर क़ाबू न रख सकेगा तो शौहर को ऐसी हालत में बीवी को अपने साथ सुलाना गुनाह है।⁽⁷⁾

(11) हैज़ व निफ़ास की हालत में बीवी के साथ हम बिस्तरी को हलाल समझना कुफ़्र है और हराम समझते हुए कर लिया तो सख़्त गुनहगार हुवा उस पर तौबा करना फ़र्ज़ है। और अगर शुरूए हैज़ व निफ़ास में ऐसा कर लिया तो एक दीनार और अगर क़रीबे ख़त्म के किया तो निस्फ़ (या'नी आधा) दीनार ख़ैरात करना मुस्तहब है⁽⁸⁾ अज़ब नहीं कि यहां सोना देना ही अन्सब (या'नी मुनासिब तर) हो।⁽⁹⁾ ताकि खुदा के ग़ज़ब से अमान पाए। इस का मतलब हरगिज़ येह नहीं कि

①... बहारे शरीअत, 1/382 हिस्सा : 2

②... बहारे शरीअत, 1/383 हिस्सा : 2

③... बहारे शरीअत, 1/379 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

④... बहारे शरीअत, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

⑤... बहारे शरीअत, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

⑥... बहारे शरीअत, 1/380 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

⑦... बहारे शरीअत, 1/383 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

⑧... बहारे शरीअत, 1/382 हिस्सा : 2 मफ़हूमन

⑨... फ़तावा रज़विyya, 4/364

खैरात कर देने का जेहन बना कर **مَعَادُ اللَّهِ** जान बूझ कर जिमाअ में मुब्तला हो, अगर ऐसा किया तो सख्त गुनहगार और जहन्नम का हकदार है। दुर्रे मुख्तार में है : इस का मसरफ़ वोही है जो ज़कात का है। क्या औरत पर भी सदका करना मुस्तहब है ? ज़ाहिर बात येह है कि औरत पर येह हुक्म नहीं है।⁽¹⁾

(12) रोज़े की हालत में अगर हैज़ व निफ़ास शुरूअ हो गया तो वोह रोज़ा जाता रहा उस की कज़ा रखे, फ़र्ज़ था तो कज़ा फ़र्ज़ है और नफ़ल था तो कज़ा वाजिब है।⁽²⁾

(13) (हैज़ अगर) पूरे दस दिन पर ख़त्म हुवा तो पाक होते ही उस से जिमाअ करना जाइज़ है अगरचे अब तक गुस्ल न किया हो लेकिन मुस्तहब येह है कि नहाने के बा'द सोहबत करे।⁽³⁾

(14) अगर दस दिन से कम में हैज़ बन्द हो गया तो जब तक गुस्ल न करे या वोह वक़्ते नमाज़ जिस में पाक हुई न गुज़र जाए सोहबत करना जाइज़ नहीं।⁽⁴⁾

(15) हैज़ व निफ़ास की हालत में सज्दा तिलावत भी हराम है और सज्दे की आयत सुनने से उस पर सज्दा वाजिब नहीं।⁽⁵⁾

(16) रात को सोते वक़्त औरत पाक थी और सुब्ह को सो कर उठी तो हैज़ का असर देखा तो उसी वक़्त से हैज़ का हुक्म दिया जाएगा रात से हाइज़ा नहीं मानी जाएगी।⁽⁶⁾

(17) हैज़ वाली सुब्ह को सो कर उठी और गद्दी पर कोई निशान हैज़ का नहीं तो रात ही से पाक मानी जाएगी।⁽⁷⁾

(18) जब तक औरत को खून आए नमाज़ छोड़े रखे अलबत्ता अगर खून बहना दस दिन रात कामिल से आगे बढ़ जाए तो गुस्ल कर के नमाज़ पढ़ना शुरूअ कर दे येह इस सूरत में है कि पिछला हैज़ भी दस दिन रात आया हो और अगर पिछला हैज़ दस दिन से कम था। मसलन 6 दिन का था तो



1... در مختار، کتاب الطهارة، باب الحيض، 1/543

- 2... बहारे शरीअत, 1/382, हिस्सा : 2
- 3... बहारे शरीअत, 1/383, हिस्सा : 2
- 4... बहारे शरीअत, 1/383, हिस्सा : 2 ब तग़य्युरे क़लील
- 5... बहारे शरीअत, 1/382, हिस्सा : 2
- 6... बहारे शरीअत, 1/382, हिस्सा : 2 मुलख़ब़सन
- 7... बहारे शरीअत, 1/382, हिस्सा : 2 ब तग़य्युरे क़लील

अब गुस्ल कर के चार दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़े और अगर पिछला हैज़ चार दिन का था तो अब छे दिन की क़ज़ा नमाज़ें पढ़ेगी।⁽¹⁾

(19) जो हैज़ अपनी पूरी मुद्दत या'नी दस दिन कामिल से कम में ख़त्म हो जाए उस में दो सूरतें हैं :

(1) या तो औरत की आदत से भी कम मुद्दत में ख़त्म हुवा या'नी इस से पहले महीने में जितने दिन हैज़ आया था उतने दिन भी अभी नहीं गुज़रे थे कि खून बन्द हो गया। लिहाज़ा इस सूरत में सोहबत अभी जाइज़ नहीं अगर्चे गुस्ल भी कर ले।

(2) और अगर आदत से कम मुद्दत हैज़ नहीं आया। मसलन पहले महीने सात दिन हैज़ आया था अब भी सात दिन या आठ दिन हैज़ आ कर ख़त्म हो गया या येह पहला ही हैज़ है जो इस औरत को आया और दस दिन से कम में ख़त्म हुवा तो इन सूरतों में सोहबत जाइज़ होने के लिये दो बातों में से एक बात ज़रूरी है :

पहली बात : या तो औरत गुस्ल कर ले और अगर ब वज्हे मरज़ या पानी न होने के तयम्मुम करना हो तो तयम्मुम कर के नमाज़ भी पढ़ ले सिर्फ़ तयम्मुम काफ़ी नहीं।

दूसरी बात : या औरत गुस्ल करे तो इतना हो कि उस औरत पर कोई नमाज़े फ़र्ज़, फ़र्ज़ हो जाए या'नी नमाज़े पन्जगाना से किसी नमाज़ का वक़्त गुज़र जाए जिस में कम से कम उस ने इतना वक़्त पाया हो जिस में वोह नहा कर सर से पाउं तक एक चादर ओढ़ कर तकबीरे तहरीमा कह सकती है तो इस सूरत में बिगैर त़हारत या'नी गुस्ल के बिगैर भी उस से सोहबत जाइज़ हो जाएगी।⁽²⁾

(20) निफ़ास में खून जारी होता है अगर पानी जारी हो तो वोह कोई चीज़ नहीं लिहाज़ा चालीस दिन के अन्दर जब भी खून लौटेगा शुरूए विलादत से ख़त्मे खून तक सब दिन निफ़ास ही के गिने जाएंगे। जो दिन बीच में खून न आने की वज्हे से ख़ाली रह गए वोह भी निफ़ास ही में शुमार होंगे मसलन बच्चे की विलादत के बा'द दो मिनट तक खून आ कर बन्द हो गया। औरत ने त़हारत का गुमान कर के गुस्ल किया और नमाज़, रोज़ा वगैरा अदा करती रही मगर चालीस दिन पूरे होने में अभी दो मिनट बाक़ी थे कि फिर खून आ गया तो येह सारे दिन निफ़ास ही के ठहरेंगे, नमाज़ें बेकार गईं, फ़र्ज़ या वाजिब रोज़े या अगली क़ज़ा नमाज़ें जितनी पढ़ी हों उन्हें फिर फेरे।⁽³⁾

1... फ़तावा रज़विय्या, 4/350

2... फ़तावा रज़विय्या, 4/352

3... फ़तावा रज़विय्या, 4/354

(21) हैज़ वाली औरत के हाथ का पका हुवा खाना भी जाइज़ और उसे अपने साथ खाना खिलाना भी जाइज़, इन बातों से एहतिराज़ व इज्तिनाब यहूद व मजूस⁽¹⁾ का मस्अला है कि वोह ऐसा करते हैं।⁽²⁾

हैज़ व निफ़ास की हालत में मुअल्लिमा कुरआन कैसे पढ़ाए ?

सुवाल हैज़ व निफ़ास की हालत में मुअल्लिमा कुरआन पढ़ा सकती ? अगर पढ़ा सकती है तो क्या तरीका है ? तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ाए ? और ओन लाइन या घरों में पढ़ाने वालियों को भी क्या इजाज़त है ?

जवाब शर्ई उज़्र (हैज़ व निफ़ास) की हालत में कुरआने पाक पढ़ना जाइज़ नहीं है, हां मुअल्लिमा के लिये मख़्सूस तरीके से कुरआन पढ़ाने की इजाज़त है चाहे वोह घर में पढ़ाए या किसी इदारे वगैरा में पढ़ाए। मख़्सूस तरीके से मुराद येह है कि मुअल्लिमा दो कलिमे एक सांस में अदा न करे बल्कि एक कलिमा पढ़ा कर सांस तोड़ दे फिर दूसरा कलिमा पढ़ाए और पढ़ते वक़्त येह निय्यत करे कि मैं कुरआन नहीं पढ़ रही बल्कि मसलन यूं निय्यत करे कि अरबी ज़बान के अल्फ़ाज़ अदा कर रही हूं, और जो एक एक हर्फ़ कर के हिज्जे करवाए जाते हैं उस में अस्लन कोई हरज नहीं बल्कि एक कलिमे के मुख़्तलिफ़ हुरूफ़ एक सांस में भी पढ़ सकते हैं, हां एक कलिमे से ज़ियादा एक सांस में पढ़ने की इजाज़त नहीं।⁽³⁾

नोट : वाजेह रहे कि वोह आयात जिन में दुआ या हम्दो सना के मा'ना पाए जाते हैं उन को शर्ई उज़्र की हालत में दुआ व हम्दो सना की निय्यत से पढ़ना हर औरत के लिये जाइज़ है चाहे वोह मुअल्लिमा हो या न हो।

सुवाल मद्रसतुल मदीना लिल बनावत के हिफ़ज़े कुरआन की बालिगात तालिबात अय्यामे मख़्सूसा में अपना सबक़ याद करने की निय्यत से कुरआने अज़ीम पढ़ सकती हैं ?

जवाब अय्यामे मख़्सूसा में सबक़ याद करने की निय्यत से भी कुरआने अज़ीम नहीं पढ़ सकतीं कि इन दिनों में कुरआने अज़ीम की तिलावत करना हराम है अलबत्ता कुरआन देख और सुन सकती हैं, लिहाज़ा उज़्र के दिनों में अपनी मन्ज़िल को देख लिया करें या किसी से सुन लिया करें।⁽⁴⁾

①... मजूसी या'नी आतश परस्त, मजूसी की जम्अ मजूस है।

②... फ़तावा रज़विय्या, 4/355

③... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 29

④... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 30

हैज़ की हालत में औरत कुरआन की तिलावत सुन सकती है ?

सुवाल क्या हैज़ (Menses) की हालत में औरत कुरआन शरीफ़ की तिलावत सुन सकती है ? नीज़ अगर उस ने आयते सज्दा सुनी तो उस पर सज्दए तिलावत लाज़िम होगा या नहीं ?

जवाब हाएज़ा औरत कुरआने मजीद की तिलावत सुन सकती है, मुमानअत सिर्फ़ कुरआने मजीद पढ़ने या उस को बिना हाइल छूने की है, सुनने की कहीं मुमानअत नहीं है। नीज़ हाएज़ा औरत ने अगर आयते सज्दा सुनी तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होता क्यूं कि आयते सज्दा पढ़ने या सुनने वाले पर सज्दा उस वक़्त वाजिब होता है जब कि वोह वुजूबे नमाज़ का अहल हो और हाएज़ा औरत वुजूबे नमाज़ की अहलियत नहीं रखती या'नी उस पर न उन अय्याम में नमाज़ फ़र्ज़ होती है और न ही बा'द में क़ज़ा लाज़िम होती है।⁽¹⁾

वक़्ते नमाज़ शुरू होने के बा'द अगर औरत को हैज़ आ जाए ?

सुवाल अगर नमाज़ का वक़्त शुरू हो चुका हो और औरत को हैज़ आ जाए, तो क्या औरत पर पाक होने के बा'द उस वक़्त की नमाज़ क़ज़ा करना लाज़िम है ?

जवाब नमाज़ का वक़्त दाख़िल हो चुका और औरत ने अभी तक नमाज़ अदा न की, कि उसे हैज़ या निफ़ास आ गया तो पाक होने के बा'द औरत पर उस नमाज़ की क़ज़ा लाज़िम नहीं, क्यूं कि फ़र्ज़ियत नमाज़ का सबबे हकीकी हुक्मे इलाही और सबबे ज़ाहिरी वक़्त है, इस के किसी भी जुज़ में नमाज़ अदा की जाए तो फ़र्ज़ ज़िम्मे से साक़ित हो जाता है, इब्तिदाए वक़्त में ही नमाज़ अदा करना लाज़िमी नहीं, इस इख़्तियार के सबब अगर किसी ने अव्वल वक़्त में नमाज़ अदा न की यहां तक कि उसे ऐसा उज़्र लाहिक़ हो गया जिस की वजह से नमाज़ साक़ित हो जाए तो उस वक़्त की नमाज़ मुआफ़ और उस की क़ज़ा भी लाज़िम नहीं होती।⁽²⁾

औरत के मख़सूस अय्याम में फ़र्ज़ तवाफ़ का हुक्म

सुवाल हज़ के मौक़अ पर अगर किसी औरत को 8 जुल हिज्जतिल हराम के दिन माहवारी आए और माहवारी ख़त्म होने से पहले उस की वापसी की टिकट हो और उस ने तवाफ़े ज़ियारत न किया हो, टिकट मन्सूख़ करवाने में शदीद दुश्वारी का सामना हो तो इस सूरत में उस के लिये शरीअते मुतहहरा

1... मुख़सर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 31

2... मुख़सर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 67

की रोशनी में क्या हल है ?

जवाब ऐसी औरत अपनी टिकट मन्सूख करवाए और पाक होने के बा'द त्वाफ़े फ़र्ज अदा करे, अगर्चे बारहवीं के बा'द ही पाक हो, अगर टिकट मन्सूख करवाने में अपनी या हम सफ़रों की सख़्त तक्लीफ़ व दुश्वारी का सामना हो तब भी ऐसी औरत के लिये इस नापाकी की हालत में मस्जिद में दाख़िल होना ना जाइज़ व गुनाह है। और अगर वोह इसी हालत में दाख़िल हो गई और उस ने त्वाफ़ भी कर लिया तो गुनाहगार होगी अलबत्ता इस सूरत में त्वाफ़ वाला फ़र्ज अदा हो जाएगा और उस पर इस गुनाह से तौबा करना लाज़िम होगी और नापाकी की हालत में त्वाफ़ करने के सबब हरम में एक बदना (या'नी भेंस या ऊंट की कुरबानी) देना उस पर लाज़िम होगा, फिर बा'द में अगर बारहवीं के गुरुबे आफ़ताब तक त्वाफ़ कर के त्वाफ़ुज़्ज़ियारह का इआदा करने में काम्याबी हो गई तो कफ़ारा साक़ित हो गया और बारहवीं के बा'द अगर पाक होने के बा'द मौक़अ मिल गया और इआदा कर लिया तो बदना साक़ित हो गया मगर दम देना होगा।⁽¹⁾

क्या औरत हज व उम्ह के लिये हैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है ?

सुवाल औरत हज व उम्ह के लिये हैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है या नहीं ?

जवाब जी हां ! इस्ति'माल कर सकती है बशर्ते कि जिस्मानी तौर पर किसी बड़े और फ़ौरी ज़रूर का सबब न बनें। और अगर जिस्मानी तौर पर किसी बड़े और फ़ौरी ज़रूर का सबब बनें तो इजाज़त नहीं, अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

﴿وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अपने हाथों हलाकत में न पड़ो। (पारह : 2, अल बकरह : 195)⁽²⁾

हालते हैज़ में सई का हुक्म

सुवाल उम्ह के लिये जाने वाली औरत अगर हैज़ की हालत में हो तो उस को त्वाफ़ की इजाज़त तो नहीं है। क्या येह दुरुस्त होगा कि वोह पहले सई कर ले और जब हैज़ से पाक हो जाए तो त्वाफ़ करे और तक्सीर कर के एहराम से बाहर आ जाए ?

जवाब हैज़ की वजह से औरत जब त्वाफ़ नहीं कर सकती तो उस की सई भी दुरुस्त नहीं होगी क्यूं कि सई के लिये अगर्चे त्वाफ़ शर्त नहीं मगर येह शर्त है कि सई पूरे त्वाफ़ या इस के अक्सर या'नी चार फेरों के बा'द हो।⁽³⁾

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 115

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 116

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 117

सबक नम्बर 6

इस्तिन्जा का बयान

* इस्तिन्जा खाने में जिन्नात और शयातीन रहते हैं अगर जाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ ली जाए तो इस की बरकत से वोह सित्र देख नहीं सकते। हृदीसे पाक में है : जिन्न की आंखों और लोगों के सित्र के दरमियान पर्दा येह है कि जब पाखाने को जाए तो बिस्मिल्लाह कह ले।⁽¹⁾ या'नी जैसे दीवार और पर्दे लोगों की निगाह के लिये आड़ बनते हैं ऐसे ही येह **अल्लाह** पाक का जिक्र जिन्नात की निगाहों से आड़ बनेगा कि जिन्नात उस को देख न सकेगे।⁽²⁾ * इस्तिन्जा खाने में दाखिल होने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लीजिये बल्कि बेहतर है कि येह दुआ पढ़ लीजिये : (अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ) **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ** या'नी **अल्लाह** के नाम से शुरू, **या अल्लाह !** मैं गन्दी और नापाक चीजों से तेरी पनाह मांगता हूं।⁽³⁾ * फिर पहले उलटा क़दम इस्तिन्जा खाने में रख कर दाखिल हों * सर ढांप कर इस्तिन्जा करें * नंगे सर इस्तिन्जा खाने में दाखिल होना मम्मूअ है * जब पेशाब करने या क़ज़ाए हाजत के लिये बैठें तो मुंह और पीठ दोनों में से कोई भी क़िब्ले की तरफ़ न हो अगर भूल कर क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पुश्त कर के बैठ गए तो याद आते ही फ़ौरन क़िब्ले की तरफ़ से इस तरह रुख़ बदल दे कि कम अज़ कम 45 डिग्री से बाहर हो जाए इस में उम्मीद है कि फ़ौरन उस के लिये मग़्फ़िरत व बख़्शिश फ़रमा दी जाए। * बच्चों को भी क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पीठ करा के पेशाब या पाखाना न कराएं, अगर किसी ने ऐसा किया तो वोह गुनहगार होगा। * जब तक क़ज़ाए हाजत के लिये बैठने के क़रीब न हो कपड़ा बदल से न हटाए और न ही ज़रूरत से ज़ियादा बदल खोले। * फिर दोनों पाउं ज़रा कुशादा (या'नी खुले) कर के बाएं (या'नी उलटे) पाउं पर जोर दे कर बैठे कि इस तरह बड़ी आंत का मुंह खुलता है और इजाबत आसानी से होती है * किसी दीनी मस्अले पर ग़ौर न करे कि महरूम का बाइस है * उस वक़्त छींक * सलाम या अज़ान का जवाब : ज़बान से न दे। * अगर खुद छींके तो ज़बान से **الْحَمْدُ لِلَّهِ** न कहे, दिल में कह ले। * बातचीत न करे। * अपनी शर्मगाह की तरफ़ न देखे। * उस नजासत को न देखे जो बदल से निकली है। * ख़्वाह म ख़्वाह देर तक इस्तिन्जा खाने में न बैठे कि बवासीर होने का अन्देशा है। * पेशाब में न थूके, न नाक साफ़ करे, न बिला ज़रूरत



①...ترمذی، کتاب السفر، باب ما ذکر من التسمیة عند دخول الخلاء، 2/113 حدیث: 606

②...میر آتول مناجیہ، 1/268

③...کتاب الدعاء للطبرانی، باب القول عند دخول الخلاء، ص 132، حدیث: 357

दुआ पढ़ना :
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ
وَالْخَبَائِثِ

निकलने के बा'द
दुआ पढ़ना :
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي
اَدْهَبَ عَنِّي الْاَذَى وَعَاقِلِ

बैतुल ख़ला में
दाख़िल
होने के आदाब

निकलते वक़्त
पहले
सीधा क़दम
बाहर निकालना

किसी क़िस्म की
बातचीत न
करना

दाख़िल होने से
पहले सर
ढांपना

पहले उलटा क़दम
बैतुल ख़ला में
दाख़िल करना

खन्कारे, न बार बार इधर उधर देखे, न बेकार बदन छूए, न आस्मान की तरफ़ निगाह करे, बल्कि शर्म के साथ सर झुकाए रहे। * क़ज़ाए हाज़त से फ़ारिग़ होने के बा'द पहले पेशाब का मक़ाम धोए फिर पाख़ाने का मक़ाम * पानी से इस्तिन्जा करने का मुस्तहब तरीक़ा येह है कि ज़रा कुशादा (या'नी खुला) हो कर बैठे और सीधे हाथ से आहिस्ता आहिस्ता पानी डाले और उलटे हाथ की उंगलियों के पेट से नजासत के मक़ाम को धोए उंगलियों का सिरा न लगे और पहले बीच की उंगली ऊंची रखे फिर इस के बराबर वाली इस के बा'द छोटी उंगली को ऊंची रखे, लोटा ऊंचा रखे कि छींटें न पड़ें, सीधे हाथ से इस्तिन्जा करना मक्रूह है और धोने में मुबालग़ा करे या'नी सांस का दबाव नीचे की जानिब डाले यहां तक कि अच्छी तरह नजासत का मक़ाम धुल जाए या'नी इस तरह कि चिकनाई का असर बाक़ी न रहे अगर रोज़ादार हो तो फिर मुबालग़ा न करे। * त़हारत हासिल होने के बा'द हाथ भी पाक हो गए लेकिन बा'द में साबुन वगैरा से भी धो ले।⁽¹⁾ * जब इस्तिन्जा ख़ाने से निकले तो पहले सीधा क़दम बाहर निकाले और बाहर निकलने के बा'द (अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ के साथ) येह दुआ पढ़े : **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ اٰذْهَبَ عَنّی الْاَذٰی وَعَاقَبَ** या'नी अल्लाह पाक का शुक्र है जिस ने मुझ से तकलीफ़ देह चीज़ को दूर किया और मुझे अफ़ियत (राहत) बख़्शी।⁽²⁾

बेहतर येह है कि साथ में येह दुआ भी मिला ले इस तरह दो ह़दीसों पर अमल हो जाएगा : **عَفْرَانَا** तरजमा : मैं अल्लाह पाक से मग़िफ़रत का सुवाल करता हूँ।⁽³⁾

इस्तिन्जा के ढेलों के अहक़ाम

* आगे पीछे से जब नजासत निकले तो ढेलों से इस्तिन्जा करना सुन्नत है और अगर सिर्फ़ पानी ही से त़हारत कर ली तो भी जाइज़ है, मगर मुस्तहब येह कि ढेले लेने के बा'द पानी से त़हारत करे। * आगे और पीछे से पेशाब, पाख़ाने के सिवा कोई और नजासत, मसलन खून, पीप वगैरा निकले, या उस जगहे ख़ारिज से नजासत लग जाए तो भी ढेले से साफ़ कर लेने से त़हारत हो जाएगी, जब कि उस मौज़अ (या'नी जगह) से बाहर न हो मगर धो डालना मुस्तहब है * ढेलों की कोई ता'दाद मुअय्यन (या'नी मुक़र्रर ता'दाद) सुन्नत नहीं, बल्कि जितने से सफ़ाई हो जाए, तो अगर एक से सफ़ाई हो गई सुन्नत अदा हो गई और अगर तीन ढेले लिये और सफ़ाई न हुई सुन्नत अदा न हुई, अलबत्ता

1...बहारे शरीअत, 1/408 ता 413, हिस्सा : 2

2... ابن ماجه، کتاب الطهارة وسننها، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، 1/193، حدیث: 301

3... ترمذی، ابواب الطهارة، باب ما یقول اذا خرج من الخلاء، 1/87، حدیث: 7

मुस्तहब यह है कि ताक़ (मसलन एक, तीन, पांच) हों और कम से कम तीन हों तो अगर एक या दो से सफ़ाई हो गई तो तीन की गिनती पूरी करे, और अगर चार से सफ़ाई हो तो एक और ले, कि ताक़ हो जाएं * ढेलों से त्हाहत उस वक़्त होगी कि नजासत से मख़ज (या'नी ख़ारिज होने की जगह) के आस पास की जगह एक दिरहम⁽¹⁾ से ज़ियादा आलूदा न हो और अगर दिरहम से ज़ियादा सन जाए तो धोना फ़र्ज़ है, मगर ढेले लेना अब भी सुन्नत रहेगा। * कंकर, पथ्थर, फटा हुवा कपड़ा, ये सब ढेले के हुक्म में हैं, इन से भी साफ़ कर लेना बिला कराहत जाइज़ है (बेहतर यह है कि फटा कपड़ा या दरज़ी की बे कीमत कतरन सूती (COTTON) हो ताकि जल्द ज़ब्ब कर ले) * हड्डी और खाने और गोबर और पक्की ईंट और ठीकरी और शीशा और कोएले और जानवर के चारे से और ऐसी चीज़ से जिस की कुछ कीमत हो, अगरचें एकआध पैसा सही, इन चीज़ों से इस्तिन्जा करना मकरूह है। * कागज़ से इस्तिन्जा मन्अ है, अगरचें उस पर कुछ लिखा न हो, या अबू जहल ऐसे काफ़िर का नाम लिखा हो। * दाहने (या'नी सीधे) हाथ से इस्तिन्जा करना मकरूह है, अगर किसी का बायां हाथ बेकार हो गया तो उसे दहने, (या'नी सीधे) हाथ से जाइज़ है। * जिस ढेले से एक बार इस्तिन्जा कर लिया उसे दोबारा काम में लाना मकरूह है, मगर दूसरी करवट उस की साफ़ हो तो उस से कर सकते हैं * मर्द के लिये पीछे के मक़ाम के लिये ढेलों के इस्ति'माल का तरीक़ा येह है कि गरमी के मौसिम में पहला ढेला आगे से पीछे को ले जाएं, दूसरा पीछे से आगे को और तीसरा आगे से पीछे को, सर्दियों में पहला ढेला पीछे से आगे, दूसरा आगे से पीछे को और तीसरा पीछे से आगे को ले जाएं। * पाक ढेले दाहनी (या'नी सीधी) जानिब रखना और बा'द काम में लाने के, बाएं (उलटे हाथ की) तरफ़ डाल देना, इस तरह पर कि जिस रुख़ में नजासत लगी हो नीचे हो, मुस्तहब है।⁽²⁾ * टॉयलेट पेपर के इस्ति'माल की उलमा ने इजाज़त दी है क्यूं कि येह इसी मक़सद के लिये बनाया गया है और लिखने में काम नहीं आता। अलबत्ता बेहतर मिट्टी का ढेला है।

इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ दुरुस्त रखिये

अगर खुदा न ख़्वास्ता आप के घर के इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ ग़लत है या'नी बैठते वक़्त क़िब्ले की तरफ़ मुंह या पीठ होती है तो इस को दुरुस्त करने की फ़ौरन तरकीब कीजिये। मगर येह ज़ेहन में



1...दिरहम की मिक्दार बहारे शरीअत मक्तबतुल मदीना की मत्बूआ जिल्द 1 सफ़हा 389 पर मुलाहज़ा फ़रमाइये।

2...बहारे शरीअत, 1/410 ता 412, हिस्सा : 2

रहे कि मा'मूली सा तिरछा करना काफी नहीं। W.C. इस तरह हो कि बैठते वक्त मुंह या पीठ क़िब्ले से 45 डिग्री के बाहर रहे। आसानी इसी में है कि क़िब्ले से 90 डिग्री पर रुख़ रखिये। या'नी नमाज़ के बा'द दोनों बार सलाम फेरने में जिस तरफ़ मुंह करते हैं उन दोनों سمتों में से किसी एक जानिब W.C. का रुख़ रखिये।

रफ़ू हाज़त के लिये बैठने का तरीक़ा

क़ज़ाए हाज़त का इस्लामी तरीक़ा येह है : हज़रते सय्यिदुना सुराक़ा बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं, हमें ताजदारे रिसालत, सरापा अज़मतो शराफ़त صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हुक्म दिया कि हम रफ़ू हाज़त के वक्त बाएं (उलटे) पाउं पर वज़न दें और दायां पाउं खड़ा रखें।⁽¹⁾

बाएं पाउं पर वज़न डालने की हिक़मत

रफ़ू हाज़त के वक्त उकड़ूं बैठ कर दायां (सीधा) पाउं खड़ा या'नी अपनी अस्ली हालत पर (NORMAL) रख कर बाएं या'नी उलटे पाउं पर वज़न देने से बड़ी आंत जो कि उलटी तरफ़ होती है और उसी में फुज़ला होता है उस का मुंह अच्छी तरह खुल जाता और ब आसानी फ़राग़त हो जाती और पेट अच्छी तरह साफ़ हो जाता है और जब पेट साफ़ हो जाएगा तो बहुत सारी बीमारियों से तहफ़फ़ुज़ हासिल रहेगा।

सबक़ नम्बर 7

वुज़ू का बयान

वुज़ू के मुतअल्लिक़ कुरआने पाक में अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ^(پ 6، المائدة: 6)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो जब नमाज़ को खड़े होना चाहो तो अपना मुंह धोओ और कोहनियों तक हाथ और सरों का मस्ह करो और गट्टों तक पाउं धोओ।

इस आयते मुबारका में वुज़ू के फ़राइज़ का बयान है और वोह येह हैं : (1) मुंह धोना



(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना (3) सर का मस्ह करना (4) टखनों समेत दोनों पांज का धोना ।⁽¹⁾

सुवाल हदीसे पाक में वुजू की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब हुज़ूरे अकरम ﷺ ने फ़रमाया : “जब आदमी वुजू करता है तो हाथ धोने से हाथों के और चेहरा धोने से चेहरे के और सर का मस्ह करने से सर के और पांज धोने से पांज के गुनाह झड़ जाते हैं ।”⁽²⁾ एक और हदीसे पाक में हुज़ूर जाने अलम ﷺ ने फ़रमाया : जन्नत की कुन्जी नमाज़ है और नमाज़ की कुन्जी वुजू है ।⁽³⁾

सुवाल हमेशा बा वुजू रहने वाले को कौन सी सात फ़ज़ीलतें मिलती हैं ?

जवाब (1) मलाएका उस की सोहबत में रग़बत करें (2) क़लम उस की नेकियां लिखता रहे (3) उस के आ'ज़ा तस्बीह करें (4) उस से तक्बीरे ऊला फ़ौत न हो (5) जब सोए अल्लाह पाक कुछ फ़िरिशते भेजे कि जिन्नो इन्स के शर से उस की हिफ़ाज़त करें (6) सकराते मौत उस पर आसान हो (7) जब तक बा वुजू हो अमाने इलाही में रहे ।⁽⁴⁾

सुवाल वुजू का अमली तरीका बयान कीजिये ।

वुजू का अमली तरीका (हनफी)

जवाब

01	वुजू से पहले निय्यत करना और बिस्मिल्लाह शरीफ़ पढ़ना
02	मिस्वाक करना
03	पानी चुपड़ना (या'नी अच्छी तरह मल लेना) खुसूसन सर्दियों में
04	हाथ पहुंचों (या'नी कलाई) तक 3 बार धोना
05	3 मरतबा कुल्ली करना
06	3 मरतबा सूंघ कर नाक में पानी चढ़ाना (इस एहतियात से कि पानी दिमाग तक न चढ़ जाए, क्यूं कि येह नुक़सान देह है)

① ... बहारे शरीअत, 1/288, हिस्सा : 2

② ... مسند احمد، مسند عثمان بن عفان، 1/130، حديث: 415

④ ... फ़तावा रज़विय्या, 1/495

③ ... مسند احمد، مسند جابر بن عبد الله، 5/103، حديث: 14668

वुज़ू का तरीका

नियत करना और बिस्मिल्लाह पढ़ना

मिस्वाक करना

दोनों हाथ कलाईयों तक 3 बार धोना

3 मरतबा कुल्ली करना

3 मरतबा नाक में पानी चढ़ाना

3 मरतबा चेहरा धोना

पूरे सर का मस्ह करना

टख़्नों समेत दोनों पाउं 3 मरतबा धोना

वुज़ू के बा'द की दुआ पढ़ना

वुज़ू के फ़राइज़

(1) चेहरा धोना

(2) कोहनियों समेत दोनों हाथों का धोना

(3) सर का मस्ह करना

(4) टख़्नों समेत दोनों पाउं का धोना

07	3 मरतबा चेहरा धोना
08	3 मरतबा कोहनियों समेत दोनों हाथ धोना
09	पूरे सर का मस्ह करना
10	टख्खों समेत दोनों पाउं 3 मरतबा धोना
11	वुजू के बा'द की दुआ पढ़ना

वुजू की सुन्नतें

सुवाल वुजू की सुन्नतें बयान कीजिये ?

जवाब * निय्यत करना * बिस्मिल्लाह पढ़ना । * दोनों हाथ पहुंचों तक तीन बार धोना * तीन बार मिस्वाक करना * तीन चुल्लू से तीन बार कुल्ली करना * रोज़ा न हो तो गरगरा करना * तीन चुल्लू से तीन बार नाक में पानी चढ़ाना * दाढ़ी हो तो (एहराम में न होने की सूत में) उस का खिलाल करना * हाथ और * पाउं की उंगलियों का खिलाल करना * पूरे सर का एक ही बार मस्ह करना * कानों का मस्ह करना * फ़राइज़ में तरतीब काइम रखना (या'नी फ़र्ज़ आ'जा में पहले मुंह फिर हाथ कोहनियों समेत धोना फिर सर का मस्ह करना और फिर पाउं धोना) और * पै दर पै वुजू करना या'नी एक उज़्व सूखने न पाए कि दूसरा उज़्व धो लेना ।⁽¹⁾

वुजू तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल वुजू तोड़ने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं ?

जवाब पहले एक हदीसे मुबारका मुलाहज़ा कीजिये, मालिको मुख़्तार आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : तुम में से किसी का वुजू टूट जाए तो जब तक वुजू नहीं करेगा उस का नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं होगा ।⁽²⁾

इन चीज़ों की वजह से वुजू टूट जाता है और नमाज़ पढ़ने या कुरआने करीम छूने की इजाज़त नहीं होती ।

01	पेशाब करना
02	पाख़ाना करना

1... बहारे शरीअत, 1/293, 294, हिस्सा : 2 मुलख़ब़सन

2... مسلم، کتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، ص 115، حدیث: 537

03	हवा खारिज करना
04	बदन से खून या पीप का निकल कर बह जाना (आंख या कान के अन्दर दाना फटा और पीप बाहर न निकली तो वुजू नहीं टूटेगा)
05	खून या पीप वगैरा की ऐसी उलटी होना जिसे उमूमन रोका नहीं जा सकता
06	बीमारी या किसी और वजह से बेहोश हो जाना
07	रुकूअ व सज्दे वाली नमाज़ में कहकहा मार कर हंसना
08	दर्द या मरज़ की वजह से आंख से आंसू बहना
09	मुंह से ऐसा थूक निकलना जो खून की वजह से लाल रंग का हो गया हो
10	इन्जेक्शन/ड्रिप लगवाने की सूरत में बहती मिक्दार में खून निकलना (उमूमन इन्जेक्शन/ड्रिप लगाने में पहले कुछ खून निकालते हैं जो इतना होता है कि अगर जिस्म पर निकलता तो बह जाता, अगर ऐसा है तो वुजू टूट गया)
11	खून के टेस्ट करवाना (खून टेस्ट के लिये उमूमन इतना खून निकालते हैं कि अगर जिस्म पर निकलता तो बह जाता, अगर ऐसा है तो वुजू टूट गया)
12	छाले से पानी बहना (आंख या कान के अन्दर छाला हुवा और पानी बाहर न निकला तो वुजू नहीं टूटा)
13	गफ़लत की नींद इस तरह सोना कि दोनों सुरीन (Buttocks) जमे हुए न हों
14	मर्द/औरत के आगे या पीछे वाली जगह से किसी चीज़ का निकलना ⁽¹⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

सवाल किसी उज़्ब को धोने के क्या मा'ना हैं ?

जवाब किसी उज़्ब के धोने के येह मा'ना हैं कि उस उज़्ब के हर हिस्से पर कम से कम दो बूंद पानी बह जाए। भीग जाने या तेल की तरह पानी चुपड़ लेने या एकआध बूंद बह जाने को धोना नहीं कहेंगे न इस से वुजू या गुस्ल अदा हो।⁽²⁾

सवाल वुजू करते हुए क्या निय्यत होनी चाहिये ?

जवाब वुजू पर सवाब पाने के लिये हुक्मे इलाही बजा लाने की निय्यत से वुजू करना ज़रूरी है वरना

1... बहारे शरीअत, 1/302 ता 308, हिस्सा : 2 मुल्लक़तून

2... बहारे शरीअत, 1/288, हिस्सा : 2

वुजू हो जाएगा मगर सवाब न पाएगा।⁽¹⁾

सवाल वुजू और गुस्ल के दौरान दाढ़ी धोने का क्या हुक्म है ?

जवाब दाढ़ी ख़्वाह घनी हो या छिदरी या'नी हलकी, गुस्ल फ़र्ज होने की सूरत में इस के हर हर बाल का नोक से जड़ तक खाल समेत धोना फ़र्ज है अलबत्ता वुजू में चेहरे की हुदूद में दाढ़ी के बाल घने न हों या'नी बालों की जड़ें और खाल भी ज़ाहिर होती हो तो अब चेहरे की हद में मौजूद दाढ़ी के बाल मअ़ खाल धोना फ़र्ज है और जो बाल चेहरे के हुदूद से नीचे हों उन बालों का धोना फ़र्ज नहीं, उन का मुस्ह सुन्नत है और धोना मुस्तहब है। अगर दाढ़ी के बाल घने हों कि घने पन की वजह से बालों की जड़ें और खाल नज़र न आती हो तो अब बालों की जड़ें और खाल का धोना फ़र्ज नहीं, बालों का धोना फ़र्ज है। और अगर कुछ हिस्से में घने बाल हों और कुछ छिदरे, तो जहां घने हों वहां बाल और जहां छिदरे हैं उस जगह जिल्द का धोना फ़र्ज है।⁽²⁾

नमाज़े जनाज़ा के वुजू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं ?

सवाल नमाज़े जनाज़ा के वुजू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं या नहीं ? अ़वाम में मशहूर है कि जनाज़े के वुजू से दीगर नमाज़ नहीं पढ़ सकते क्या येह दुरुस्त है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा के वुजू से बिला शुबा दीगर तमाम नमाज़ें फ़र्ज व वाजिब और नफ़ल व सुन्नत पढ़ सकते हैं, इस में कोई हरज नहीं है। अ़वाम में जो मशहूर है कि नमाज़े जनाज़ा के वुजू से दीगर नमाज़ें नहीं पढ़ सकते, येह बात महज़ ग़लत व बातिल और बे अस्ल है।

इमामे अहले सुन्नत अहमद रज़ा ख़ान رحمة الله عليه इसी तरह के एक सुवाल के जवाब में फ़रमाते हैं : “येह मस्अला कि जुहहाल में मशहूर है कि वुजूए जनाज़ा से और नमाज़ नहीं पढ़ सकते महज़ ग़लत व बातिल व बे अस्ल है। मस्अला सिर्फ़ इस क़दर है कि अगर नमाज़े जनाज़ा काइम हुई और बा'ज अशख़ास आए तन्दुरुस्त हैं पानी मौजूद है मगर वुजू करें तो नमाज़ हो चुकेगी और नमाज़े जनाज़ा की क़ज़ा नहीं, न एक मय्यित पर दो नमाज़ें, इस मजबूरी में उन्हें इजाज़त है कि तयम्मुम कर के नमाज़ में शरीक हो जाएं इस तयम्मुम से और नमाज़ें नहीं पढ़ सकते न मसे मुस्हफ़ वगैरा वोह काम जिन के लिये



1... رد المحتار، کتاب الطهارة، مطلب الفرق بين الطاعة والقربة والعبادة، 1/238

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 17

तहारत ज़रूरी है बजा ला सकते हैं कि येह तयम्मुम ब हालते सिद्दहत व वुजूदे माअ एक खास उज़्र के लिये किया गया था जो उस नमाज़े जनाज़ा तक महदूद था तो दीगर सलवात व अफ़अल के लिये वोह तयम्मुम महज़ बे उज़्र व बे असर रहेगा हुक्म येह था कि अ़वाम ने इसे कशां कशां (खींचते हो) कहाँ तक पहुंचाया ।”(1)

सुवाल किसी शख़्स ने अगर अपनी दाढ़ भरवाई हो तो क्या उस का वुजू व गुस्ल हो जाएगा ? जब कि दाढ़ भरवाई हो तो उस को निकाला नहीं जा सकता ।

जवाब दाढ़ भरवाना शर्ई तौर पर जाइज़ है और अगर किसी ने दाढ़ भरवाई हो तो उस का वुजू व गुस्ल बिला कराहत हो जाएगा और उस के नीचे पानी न पहुंचाने को वुजू में तर्के सुन्नत और गुस्ल में तर्के फ़र्ज़ क़रार न दिया जाएगा क्यूं कि ऐसी हालत में उस के नीचे पानी बहाना ना मुम्किन होता है और जिस जगह तक पानी पहुंचाना मुतअज़्ज़िर हो या मशक्क़त व हरज का बाइस हो वहां तक पानी पहुंचाने का शरीअत ने मुकल्लफ़ नहीं किया ।

इस की नज़ीर हिलता हुवा दांत है कि अगर तार से बांधा हो या किसी मसाले वगैरा से जमाया हो या दांतों में चूना या मिस्सी की रेखें जम गई हों तो शर्ई तौर पर उस के नीचे पानी बहाना ज़रूरी नहीं यूंही मस्नूई दांत लगवाने की सूरत में अगर दांत को उतारना हरज व मशक्क़त का बाइस हो तो उतार कर नीचे पानी बहाने की हाजत नहीं ।(2)

सुवाल वुजू के बा'द याद आया कि कोई उज़्व धोने से रह गया है मगर याद नहीं कि कौन सा तो अब क्या करे ?

जवाब ऐसी सूरत में बायां (या'नी उलटा) पाउं धो लिया जाए ।(3)

सुवाल किस सूरत में बे वुजू शख़्स दह दर दह (या'नी सो हाथ/पच्चीस गज़/ दो सो पच्चीस फुट) से कम पानी में बे धुला हाथ डाल दे तो पानी मुस्ता'मल नहीं होगा ?

जवाब अगर पानी बड़े बरतन में हो और कोई छोटा बरतन भी नहीं कि उस में पानी उंडेल कर हाथ धोए तो उसे चाहिये कि बाएं हाथ की उंगलियां मिला कर सिर्फ़ वोह उंगलियां पानी में डाले, हथेली का कोई हिस्सा पानी में न पड़े और पानी निकाल कर दहना हाथ गिट्टे तक तीन बार धोए फिर दहने हाथ

1...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 17, फ़तावा रज़विय्या, 3/305

2...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 18

को जहां तक धोया है बिला तकल्लुफ़ पानी में डाल सकता है।⁽¹⁾

सुवाल हाथ वगैरा से खून निकलने के बा वुजूद कब वुजू नहीं टूटता ?

जवाब खून निकला लेकिन बहा नहीं तो येह वुजू को नहीं तोड़ता।⁽²⁾

सुवाल खून निकल कर बह गया मगर वुजू न टूटा, इस की क्या सूरत है ?

जवाब अगर खून बहा मगर बह कर ऐसी जगह नहीं पहुंचा जिस का वुजू या गुस्ल में धोना फ़र्ज हो मसलन खून निकल कर आंख या कान में बहा मगर उन से बाहर नहीं आया तो वुजू नहीं टूटा।⁽³⁾

सुवाल दुखती आंख से निकलने वाले आंसूओं का क्या हुक्म है ?

जवाब आंख की बीमारी के सबब जो आंसू बहा वोह नापाक है और वुजू भी तोड़ देगा।⁽⁴⁾

सुवाल इन्जेक्शन लगाने से वुजू टूटेगा या नहीं ?

जवाब गोश्त में इन्जेक्शन लगाने में सिर्फ़ उसी सूरत में वुजू टूटेगा जब कि बहने की मिक्दार में खून निकले।⁽⁵⁾

सुवाल क्या नस का इन्जेक्शन लगाने या टेस्ट के लिये खून निकालने से वुजू टूट जाएगा ?

जवाब नस का इन्जेक्शन लगा कर पहले ऊपर की तरफ़ खून खींचते हैं जो कि बहने की मिक्दार में होता है लिहाज़ा वुजू टूट जाता है यूंही सिरिन्ज के ज़रीए टेस्ट करने के लिये खून निकालने से वुजू टूट जाता है क्यूं कि येह बहने की मिक्दार में होता है।

सुवाल क्या ग्लूकोज़ वगैरा की ड्रिप लगवाने से वुजू टूट जाता है ?

जवाब ग्लूकोज़ वगैरा की ड्रिप नस में लगवाने से वुजू टूट जाएगा क्यूं कि बहने की मिक्दार में खून निकल कर नल्की में आ जाता है।

सुवाल वुजू में बिस्तरतीब आ'ज़ा धोने से कौन सा तिब्बी फ़ाएदा हासिल होता है ?

1 ... बहारे शरीअत, 1/293, हिस्सा : 2

2 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الخامس، 10/1

3 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الاول فی الوضوء، الفصل الرابع، فی المکر وہات، 11/1

4 ... در مختار و رد المحتار، کتاب الطہارۃ، 290/1

5 ... दिलचस्प मा'लूमात, हिस्सा : 1, स. 43

जवाब वुजू में पहले हाथ धोने फिर कुल्ली करने फिर नाक में पानी डालने फिर चेहरा और दीगर आ'जा धोने की तरतीब फ़ालिज की रोकथाम के लिये मुफ़ीद है।⁽¹⁾

सवाल बेसिन पर खड़े खड़े वुजू करना कैसा है ?

जवाब बेसिन पर खड़े खड़े वुजू करना ख़िलाफ़े मुस्तहब है।

सवाल ऐसी कोई एक सूरत बताएं जिस में बालिग़ शख़्स नमाज़ में क़हक़हा लगाए फिर भी उस का वुजू बाकी रहे ?

जवाब बालिग़ ने नमाज़े जनाज़ा में क़हक़हा लगाया तो नमाज़ टूट गई मगर वुजू बाकी है।⁽²⁾

सवाल क्या मिस्वाक नमाज़ के लिये सुन्नत है या वुजू के लिये ?

जवाब मिस्वाक नमाज़ के लिये सुन्नत नहीं बल्कि वुजू के लिये (सुन्नत है), तो जो एक वुजू से चन्द नमाज़ें पढ़े, उस से हर नमाज़ के लिये मिस्वाक का मुतालबा नहीं, जब तक तग़य्युरे राइहा (सांस बदबूदार) न हो गया हो, वरना इस के दफ़अ के लिये मुस्तक़िल सुन्नत है।⁽³⁾

मिस्वाक के तिब्बी फ़वाइद

क्या आप जानते हैं ? मिस्वाक से कुव्वते हाफ़िज़ा बढ़ती, दर्दे सर दूर होता और सर की रगों को सुकून मिलता है, इस से बल्ग़म दूर, नज़र तेज़, मे'दा दुरुस्त और खाना हज़म होता है, अक्ल बढ़ती, बच्चों की पैदाइश में इज़ाफ़ा होता, बुढ़ापा देर में आता और पीठ मज़बूत होती है।⁽⁴⁾

औरतें सर का मस्ह किस तरह करेंगी ?

सवाल वुजू में औरतें सर का मस्ह किस तरह करेंगी, क्या मर्दों की तरह इन के लिये भी गरदन से वापस पेशानी तक हथेलियों से मस्ह करना ज़रूरी है, क्यूं कि बाल बड़े होने की वजह से इस में मुश्किल पेश आती है, अगर नहीं करेंगी तो क्या वुजू हो जाएगा ? बराए करम शर्ई रहनुमाई फ़रमाएं।

1...दिलचस्प मा'लूमात, हिस्सा : 2, स. 54

2...حاشیہ طحاوی، کتاب الطہارۃ، ص 92

3...بہارے شریعت، 1/295، हिस्सा : 2

4...حاشیہ طحاوی، کتاب الطہارۃ، فصل فی سنن الوضوء، ص 69

जवाब मर्द व औरत दोनों के लिये वुजू में चौथाई सर का मस्ह करना फर्ज और पूरे सर का मस्ह करना सुन्नत है, अगर किसी ने पूरे सर का मस्ह न किया बल्कि इस से कम किया तो वुजू हो जाएगा लेकिन बिला उज़्र इस की आदत बना लेने से वोह गुनहगार होगा, क्यूं कि पूरे सर का मस्ह करना सुन्नते मुअक्कदा है और कुतुबे फ़िक्ह में पूरे सर का मस्ह करने के दो तरीके मन्कूल हैं : (1) दोनों हाथों के अंगूठे और कलिमे की उंगलियां छोड़ कर बक़िय्या तीन तीन उंगलियों के सिरे मिला कर पेशानी पर रखे, फिर उन को गुद्दी की तरफ़ इस तरह खींच कर लाए कि हथेलियां सर से जुदा रहें, फिर फ़क़त हथेलियों से सर की दोनों जानिबों का मस्ह करता हुवा पेशानी तक ले आए (2) अंगूठे और कलिमे की उंगलियों के इलावा दोनों हाथों की तीन तीन उंगलियां और हथेलियां, पेशानी से गुद्दी की तरफ़ इस तरह खींच कर लाए कि पूरे सर का मस्ह हो जाए। फिर बयान कर्दा दोनों तरीकों में अंगूठों के साथ कानों के बैरूनी हिस्से, और कलिमे की उंगलियों से अन्दरूनी हिस्से का मस्ह करे।

लिहाज़ा अगर औरत सर के मस्ह में दूसरे तरीके को अपनाए तो मुश्किल से बचने के साथ साथ पूरे सर का मस्ह करने वाली सुन्नत पर भी अमल हो जाएगा।⁽¹⁾

वुजू के बा'द नाखुन पोलिश लगाने और आर्टीफ़िशल ज्वेलरी पहन कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म

सवाल (1) वुजू करने के बा'द नाखुनों पर नाखुन पोलिश (Nail Polish) लगाने से वुजू टूट जाता है या नहीं ? (2) अस्ली सोने का ज़ेवर होने के बा वुजूद आर्टीफ़िशल ज्वेलरी (Artificial jewellery) पहन कर औरत अगर नमाज़ पढ़े तो नमाज़ हो जाती है या नहीं ?

जवाब (1) नाखुन पोलिश लगाने से वुजू नहीं टूटता अलबत्ता अगर नाखुन पोलिश लगी हो और फिर वुजू किया जाए तो वुजू नहीं होगा क्यूं कि नाखुन पोलिश पानी को नाखुन तक पहुंचने से मानेअ है।

(2) आर्टीफ़िशल ज़ेवर (Artificial jewellery) पहन कर औरत नमाज़ पढ़े तो उस की नमाज़ हो जाएगी अगर उस के पास अस्ली ज़ेवर मौजूद हो, क्यूं कि उलमा ने उमूमे बल्वा की वजह से आर्टीफ़िशल ज्वेलरी पहनना औरत के लिये जाइज़ करार दिया है, तो जिस ज़ेवर का पहनना उस के

1...मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 24

लिये जाइज है उस को पहन कर नमाज़ पढ़ना भी जाइज है।⁽¹⁾

क्या औरत का सर नंगा होने से वुज़ू टूट जाता है ?

सुवाल अगर बा वुज़ू खातून सर से दोपट्टा उतार ले तो क्या उस का वुज़ू टूट जाता है ?

जवाब सर का बरहना (या'नी नंगा) हो जाना नवाकिजे वुज़ू (वुज़ू तोड़ने वाली चीजों) से नहीं है इस लिये सर से दोपट्टा उतारने से वुज़ू नहीं टूटता, अलबत्ता इस बात का खयाल रहे कि ग़ैर मह्रम के सामने सर के बालों का ज़ाहिर करना जाइज नहीं।⁽²⁾

वुज़ू के बा'द की दुआएं

सुवाल वुज़ू के बा'द सूरतुल क़द्र पढ़ने की फ़ज़ीलत और फ़ाएदा बयान कीजिये।

जवाब हदीसे मुबारका में है : जो वुज़ू के बा'द एक मरतबा सूरतुल क़द्र पढ़े वोह सिद्दीकीन में से है और जो दो मरतबा पढ़े वोह शुहदा में शुमार किया जाए और जो तीन मरतबा पढ़ेगा अल्लाह पाक मैदाने महशर में उसे अपने अम्बिया के साथ रखेगा।⁽³⁾ नीज़ जो वुज़ू के बा'द आस्मान की तरफ़ देख कर सूरए **إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ** (सूरतुल क़द्र) पढ़ लिया करे **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** उस की नज़र कभी कमज़ोर न होगी।⁽⁴⁾

सुवाल वुज़ू के बा'द कौन सी दुआ पढ़ी जाती है ?

जवाब **اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ** तरजमा : ऐ अल्लाह ! मुझे कसरत से तौबा करने वालों में बना दे और मुझे पाकीज़ा रहने वालों में शामिल कर दे।⁽⁵⁾

सबक नम्बर 8

गुस्ल का बयान

गुस्ल के मुतअल्लिक कुरआने करीम में इर्शाद होता है :

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 66

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 26

3... क़त्ज़ अलअमाल, کتاب الطهارة، الفصل الثانی فی اداب الوضوء، 57/9، 132، حدیث: 26085

4... मसाइलुल कुरआन, स. 291

5... तर्ज़ु, کتاب الطهارة، باب فیما یتّال بعد الوضوء، 1/121، حدیث: 55

وَأِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا^(प 6, المائدة: 6)

एक और आयत में इर्शाद होता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرُبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ
سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا
إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا^(प 5, النساء: 43)

तरजमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम्हें नहाने की
हाजत हो तो खूब सुथरे हो लो ।

तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो नशे की
हालत में नमाज़ के पास न जाओ जब तक इतना होश न
हो कि जो कहो उसे समझो और न नापाकी की हालत में
बे नहाए मगर मुसाफ़िरी में

2 फ़रामीने मुस्तफ़ा

(1) फ़िरिश्ते उस घर में नहीं आते जिस में कोई जुनुबी (या'नी ऐसा शख्स जिस पर गुस्ल करना फ़र्ज
हो) मौजूद हो।⁽¹⁾ (2) जिस ने फ़र्ज गुस्ल करते हुए एक बाल के बराबर जिस्म का कोई हिस्सा न धोया उसे
आग का अज़ाब दिया जाएगा।⁽²⁾

गुस्ल के फ़राइज़

सवाल गुस्ल के कितने फ़राइज़ हैं ?

जवाब नहाने के दौरान इन 3 चीज़ों का करना ज़रूरी है, वरना गुस्ल नहीं होगा और येही चीज़ें
गुस्ल के फ़राइज़ कहलाती हैं :

01

कुल्ली करना

02

नाक में पानी चढ़ाना

03

तमाम बदन पर पानी बहाना⁽³⁾

सवाल कुल्ली करने, नाक में पानी चढ़ाने और तमाम बदन पर पानी बहाने का तरीका बयान
कीजिये ।

जवाब कुल्ली करने का तरीका : सीधे हाथ में पानी ले कर मुंह में डालिये और अच्छी तरह मुंह के
ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं घुमा कर हल्क़ के शुरूअ तक पानी पहुंचा कर फेंक दीजिये । येह काम 3
मरतबा कीजिये, ताकि मुंह के अन्दर का हर हिस्सा हल्क़ तक अच्छी तरह धुल जाए और दांतों में जो
चीज़ फंसी हो निकल जाए ।



1... ابو داؤद، کتاب الطهارة، باب فی الجنب یؤخر الغسل، 1/109، حدیث: 227 ملقطا

2... ابو داؤد، کتاب الطهارة، باب فی الغسل من الجنابة، 1/117، حدیث: 249

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول فی فرائضہ، 13/1

नाक में पानी चढ़ाने का तरीका : गुस्ल में नाक के अन्दर का नर्म हिस्सा सख्त हड्डी तक धोना ज़रूरी है, इस के लिये सीधे हाथ में पानी ले कर नाक के करीब लाइये और आहिस्ता से पानी सूंघ कर नाक की हड्डी तक चढ़ाइये। ये काम 3 मरतबा कीजिये, ताकि नाक अच्छी तरह धुल जाए और रींठ वगैरा सब निकल जाए। नाक के बाल धुलना भी ज़रूरी है। याद रहे ! अगर नाक में मैल जमा हुवा हो तो उसे निकाल कर पानी चढ़ाना लाज़िम है।

तमाम बदन पर पानी बहाने का तरीका : सर के बालों से पाउं के तल्वों तक जिस्म के हर हिस्से, खाल और हर बाल पर पानी बहाना ज़रूरी है। सर्दी का मौसिम हो तो पहले पानी मल लीजिये, फिर पानी बहाइये, ताकि जिस्म का कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए। याद रहे ! बाल बराबर भी जिस्म का कोई हिस्सा धुलने से रह गया तो गुस्ल नहीं होगा। बिल खुसूस येह एहतियातें ज़रूर कीजिये : * मर्द सर के बाल खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाए * अगर कानों में बाली या नाक में नथ का छेद (सूराख) हो और वोह बन्द न हो तो उस में भी पानी बहाइये * भंवों, मूंछों, दाढ़ी और कान का हर हिस्सा अच्छी तरह धोइये * कानों के पीछे के बाल हटा कर, ठोड़ी और गले का जोड़ उठा कर, पेट की बल्टें उठा कर और हाथों को उठा कर बगलें धोइये * नाफ में भी पानी डालिये * जिस्म का हर बाल जड़ से नोक तक धोइये * अगर ख़तना न हुवा हो और खाल चढ़ सकती हो तो चढ़ा कर धोइये और खाल के अन्दर पानी चढ़ाइये।⁽¹⁾

गुस्ल का तरीका

सुवाल गुस्ल करने का तरीका क्या है ?

जवाब बिगैर ज़बान हिलाए दिल में इस तरह निय्यत कीजिये कि मैं पाकी हासिल करने के लिये गुस्ल करता हूं। पहले दोनों हाथ पहुंचों तक तीन तीन बार धोइये, फिर इस्तिन्जे की जगह धोइये ख़्वाह नजासत हो या न हो, फिर जिस्म पर अगर कहीं नजासत हो तो उस को दूर कीजिये फिर नमाज़ का सा वुजू कीजिये मगर पाउं न धोइये, हां अगर चोकी वगैरा पर गुस्ल कर रहे हैं तो पाउं भी धो लीजिये, फिर बदन पर तेल की तरह पानी चुपड़ लीजिये, खुसूसन सर्दियों में (इस दौरान साबुन भी लगा सकते हैं) फिर तीन बार सीधे कन्धे पर पानी बहाइये, फिर तीन बार उलटे कन्धे पर, फिर सर पर और तमाम बदन पर

①... बहारे शरीअत, 1/317 ता 318, हिस्सा : 2 माखूज़न

तीन बार, फिर गुस्ल की जगह से अलग हो जाइये, अगर वुजू करने में पाउं नहीं धोए थे तो अब धो लीजिये। नहाने में क़िल्बा रुख़ न हों, तमाम बदन पर हाथ फेर कर मल कर नहाइये। ऐसी जगह नहाना चाहिये जहां किसी की नज़र न पड़े अगर येह मुम्किन न हो तो मर्द अपना सित्र (नाफ़ से ले कर दोनों घुटनों समेत) किसी मोटे कपड़े से छुपा ले, मोटा कपड़ा न हो तो हस्बे ज़रूरत दो या तीन कपड़े लपेट ले क्यूं कि बारीक कपड़ा होगा तो पानी से बदन पर चिपक जाएगा और **مَعَاذَ اللَّهِ** घुटनों या रानों वगैरा की रंगत ज़ाहिर होगी। औरत को तो और भी ज़ियादा एहतियात की हाज़त है। दौराने गुस्ल किसी क़िस्म की गुफ़्तगू मत कीजिये, कोई दुआ भी न पढ़िये, नहाने के बा'द तोलिये वगैरा से बदन पोंछने में हरज नहीं। नहाने के बा'द फ़ौरन कपड़े पहन लीजिये। अगर मक्रूह वक़्त न हो तो दो रकअत नफ़ल अदा करना मुस्तहब है।⁽¹⁾

गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें

सुवाल गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली कितनी और कौन सी चीज़ें हैं ?

जवाब पहले एक हदीसे मुबारका मुलाहज़ा कीजिये, मदीने वाले आका **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : उस घर में रहमत के फ़िरिश्ते नहीं आते जिस घर में तस्वीर, कुत्ता या वोह शख्स मौजूद हो जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो।⁽²⁾

इन चीज़ों की वजह से गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है, ऐसी हालत में मस्जिद में आने, तिलावत करने, कुरआने पाक छूने और नमाज़ पढ़ने की इजाज़त नहीं।

01	मनी का शहवत के साथ जुदा हो कर उज़्व से निकलना ⁽³⁾
02	सोते हुए मनी का निकल जाना ⁽⁴⁾
03	औरत की शर्मगाह में मर्द की शर्मगाह का दाख़िल होना (अगर मर्द की शर्मगाह का सिर्फ़ ऊपर का हिस्सा दाख़िल हुवा तब भी दोनों पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया अगरचें दोनों में से किसी को भी इन्ज़ाल न हो)। ⁽⁵⁾



1... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الثاني في الغسل، الفصل الاول، 1/14 ماخوذاً

2... ابوداؤد، كتاب الطهارة، باب في الجنب يؤخر الغسل، 1/109، حديث: 227

3... बहारे शरीअत, 1/321, हिस्सा : 2

4... خلاصة الفتاوى، 1/13

5... مرآة الفلاح مع حاشية الخطاوى، ص 97

04	औरत का हैज़ ख़त्म होना ⁽¹⁾
05	औरत का निफ़ास ख़त्म होना ⁽²⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

सुवाल मर्द के बाल अगर गुंधे हुए हों तो गुस्ल किस तरह होगा ?

जवाब अगर मर्द के सर के बाल गुंधे हुए हों तो उन्हें खोल कर जड़ से नोक तक पानी बहाना फ़र्ज़ है।⁽³⁾

सुवाल औरत के बाल अगर गुंधे हुए हों तो इस के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब औरत पर सिर्फ़ बालों की जड़ तर कर लेना ज़रूरी है खोलना ज़रूरी नहीं, हां अगर चोटी इतनी सख़्त गुंधी हुई हो कि बे खोले जड़ें तर न होंगी तो खोलना ज़रूरी है।⁽⁴⁾

सुवाल अगर नाखुन पर नेल पोलिश लगी हुई हो तो क्या गुस्ल हो जाएगा ?

जवाब अगर नेल पोलिश नाखुनों पर लगी हुई है तो उस का छुड़ाना फ़र्ज़ है वरना गुस्ल नहीं होगा।⁽⁵⁾

सुवाल अगर हाथ में सियाही की तह लगी रह जाए तो क्या गुस्ल हो जाएगा ?

जवाब पकाने वाले के नाखुन में आटा, लिखने वाले के नाखुन में सियाही का ज़िर्म, आम लोगों के लिये मख़्खी, मच्छर की बीट लगी हुई रह गई और तवज्जोह न रही तो गुस्ल हो जाएगा, हां मा'लूम हो जाने के बा'द जुदा करना और उस जगह का धोना ज़रूरी है पहले जो नमाज़ पढ़ी वोह हो गई।⁽⁶⁾

सुवाल बहते पानी में गुस्ल का क्या तरीका है ?

जवाब अगर बहते पानी मसलन दरिया या नहर में गुस्ल किया तो थोड़ी देर उस में रुकने से तीन

1... مراقی الفلاح مع حاشیة الطحاوی، ص 100

2... مراقی الفلاح مع حاشیة الطحاوی، ص 100

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، 13/1

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الثانی فی الغسل، الفصل الاول، 13/1

5... میرآاتول مناجیہ، 6/175

6... فتاوا رجبویہ، 1/607 ملّتکّون

बार धोने, तरतीब और वुजू येह सब सुन्नतें अदा हो गईं।⁽¹⁾

सुवाल जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो क्या वोह अज़ान का जवाब दे सकते हैं ?

जवाब जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो उन को अज़ान का जवाब देना जाइज़ है।⁽²⁾

सुवाल नापाकी की हालत में दुरूद शरीफ़ पढ़ सकते हैं ?

जवाब जिन पर गुस्ल फ़र्ज हो उन को दुरूद शरीफ़ और दुआएं पढ़ने में हरज नहीं, मगर बेहतर येह है कि वुजू या कुल्ली कर के पढ़ें।⁽³⁾

सुवाल ऐसे दिन गुस्ल फ़र्ज हुवा जिस दिन गुस्ल करना सुन्नत या मुस्तहब है तो क्या उसे फ़र्ज के साथ दूसरा गुस्ल अलग से करना होगा ?

जवाब जिस पर चन्द गुस्ल हों मसलन ईद भी है और जुमुआ का दिन भी मज़ीद फ़र्ज गुस्ल भी हो तो तीनों की नियत कर के एक गुस्ल कर लिया, सब अदा हो गए और सब का सवाब मिलेगा।⁽⁴⁾

सुवाल किन अय्याम में गुस्ल करना सुन्नत है ?

जवाब जुमुआ, ईदुल फ़ित्र, बकर ईद, अरफ़ा के दिन (या'नी 9 जुल हिज्जतिल हराम) और एहराम बांधते वक़्त नहाना सुन्नत है।⁽⁵⁾

सुवाल किन मवाक़ेअ पर गुस्ल करना मुस्तहब है ?

जवाब (1) वुकूफ़े अरफ़ात (2) वुकूफ़े मुज्दलिफ़ा (3) हाज़िरिये हरम (4) हाज़िरिये सरकारे आ'ज़म صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (5) दुखूले मिना (6) जमरों पर कंकरियां मारने के लिये तीनों दिन (7) शबे बराअत (8) शबे क़द्र (9) तवाफ़ (10) अरफ़ा की रात (11) मजलिसे मीलाद शरीफ़ (12) दीगर मजालिसे ख़ैर में हाज़िरी के लिये (13) मुर्दा नहलाने के बा'द (14) मज्ज़ून को जुनून जाने के बा'द (15) ग़शी से इफ़ाका के बा'द।⁽⁶⁾



1... در مختار و رد المحتار، کتاب الطهارة، 320-321/2، हिस्सा : 2 मुल्लक़तून، 1/320، बहारे शरीअत،

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الطهارة، الباب السادس، الفصل الرابع، 1/38

3... بहारे शरीअत، 1/327، हिस्सा : 2

4... رد المحتار، کتاب الطهارة، مطلب يوم عرفه افضل... الخ، 1/341

6... بहारे शरीअत، 1/324، 325، हिस्सा : 2، 343-341/1، در مختار و رد المحتار،

5... فتاویٰ ہندیہ، الباب الثالث، الفصل الاول، 1/16

सुवाल जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने से गुस्ल फ़र्ज होता है या नहीं ?

जवाब जिस्म के गैर ज़रूरी बाल साफ़ करने से गुस्ल फ़र्ज नहीं होता क्यूं कि गुस्ल फ़र्ज होने के चन्द मख़सूस अस्बाब हैं जो आ़म तौर पर मा'रूफ़ व मशहूर हैं जिन में सुवाल में ज़िक्र कर्दा बात शामिल नहीं है । किसी ने जहालत की वजह से ऐसी ग़लत बात की है इस की शर्अन कोई हकीकत नहीं ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 9

तयम्मूम का बयान

कुरआने पाक में तयम्मूम के बारे में अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ عَلَى الْمَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ
وَهُوَ (پ 6، المائدة: 6)

तरजमए कन्जुल ईमान : और अगर तुम बीमार या सफ़र में हो या तुम में कोई क़ज़ाए हाज़त से आया या तुम ने औरतों से सोहबत की और इन सूरतों में पानी न पाया तो पाक मिट्टी से तयम्मूम करो तो अपने मुंह और हाथों का उस से मस्ह करो ।

इसी तरह हदीसे पाक में तयम्मूम के मुतअल्लिक़ नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : “पाक मिट्टी मुसल्मान का वुजू है अगर्वे दस बरस पानी न पाए ।”⁽²⁾

सुवाल तयम्मूम का हुक्म कब और किस मक़ाम पर नाज़िल हुवा ?

जवाब तयम्मूम का हुक्म हिजरत के पांचवें साल मक़ामे बैदा या ज़ातुल जैश में नाज़िल हुवा ।⁽³⁾

तयम्मूम का तरीक़ा

सुवाल तयम्मूम का तरीक़ा बयान कीजिये ।

जवाब तयम्मूम की निय्यत कीजिये (निय्यत दिल के इरादे का नाम है, ज़बान से भी कह लें तो बेहतर है । मसलन यूं कहिये : बे वुजूई या बे गुस्ली या दोनों से पाकी हासिल करने और नमाज़ जाइज़ होने के लिये तयम्मूम करता हूं) बिस्मिल्लाह पढ़ कर दोनों हाथों की उंगलियां कुशादा कर के किसी ऐसी पाक चीज़

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 20

2 ... مسند احمد، مسند ابی ذر غفاری، 8/86، حدیث: 21429

3 ... بخاری، کتاب التیمم، باب التیمم، 1/133، حدیث: 334

पर जो ज़मीन की किस्म (मसलन पथ्थर, चूना, ईट, दीवार, मिट्टी वगैरा) से हो मार कर लौट लीजिये (या'नी आगे बढ़ाइये और पीछे लाइये)। और अगर ज़ियादा गर्द लग जाए तो झाड़ लीजिये और उस से सारे मुंह का इस तरह मस्ह कीजिये कि कोई हिस्सा रह न जाए अगर बाल बराबर भी कोई जगह रह गई तो तयम्मूम न होगा। फिर दूसरी बार इसी तरह हाथ ज़मीन पर मार कर दोनों हाथों का नाखुनों से ले कर कोहनियों समेत मस्ह कीजिये, इस का बेहतर तरीका येह है कि उलटे हाथ के अंगूठे के इलावा चार उंगलियों का पेट सीधे हाथ की पुश्त पर रखिये और उंगलियों के सिरों से कोहनियों तक ले जाइये और फिर वहां से उलटे ही हाथ की हथेली से सीधे हाथ के पेट को मस करते हुए गिट्टे तक लाइये और उलटे अंगूठे के पेट से सीधे अंगूठे की पुश्त का मस्ह कीजिये। इसी तरह सीधे हाथ से उलटे हाथ का मस्ह कीजिये। और अगर एक दम पूरी हथेली और उंगलियों से मस्ह कर लिया तब भी तयम्मूम हो गया चाहे कोहनी से उंगलियों की तरफ़ लाए या उंगलियों से कोहनी की तरफ़ ले गए मगर सुन्नत के खिलाफ़ हुवा। तयम्मूम में सर और पाउं का मस्ह नहीं है।⁽¹⁾

तयम्मूम के फ़राइज़ और इस की सुन्नतें

सुवाल तयम्मूम के कितने और कौन कौन से फ़राइज़ हैं ?

जवाब तयम्मूम में तीन फ़राइज़ हैं : (1) निय्यत (2) सारे मुंह पर हाथ फेरना (3) दोनों हाथों का कोहनियों समेत मस्ह करना।⁽²⁾

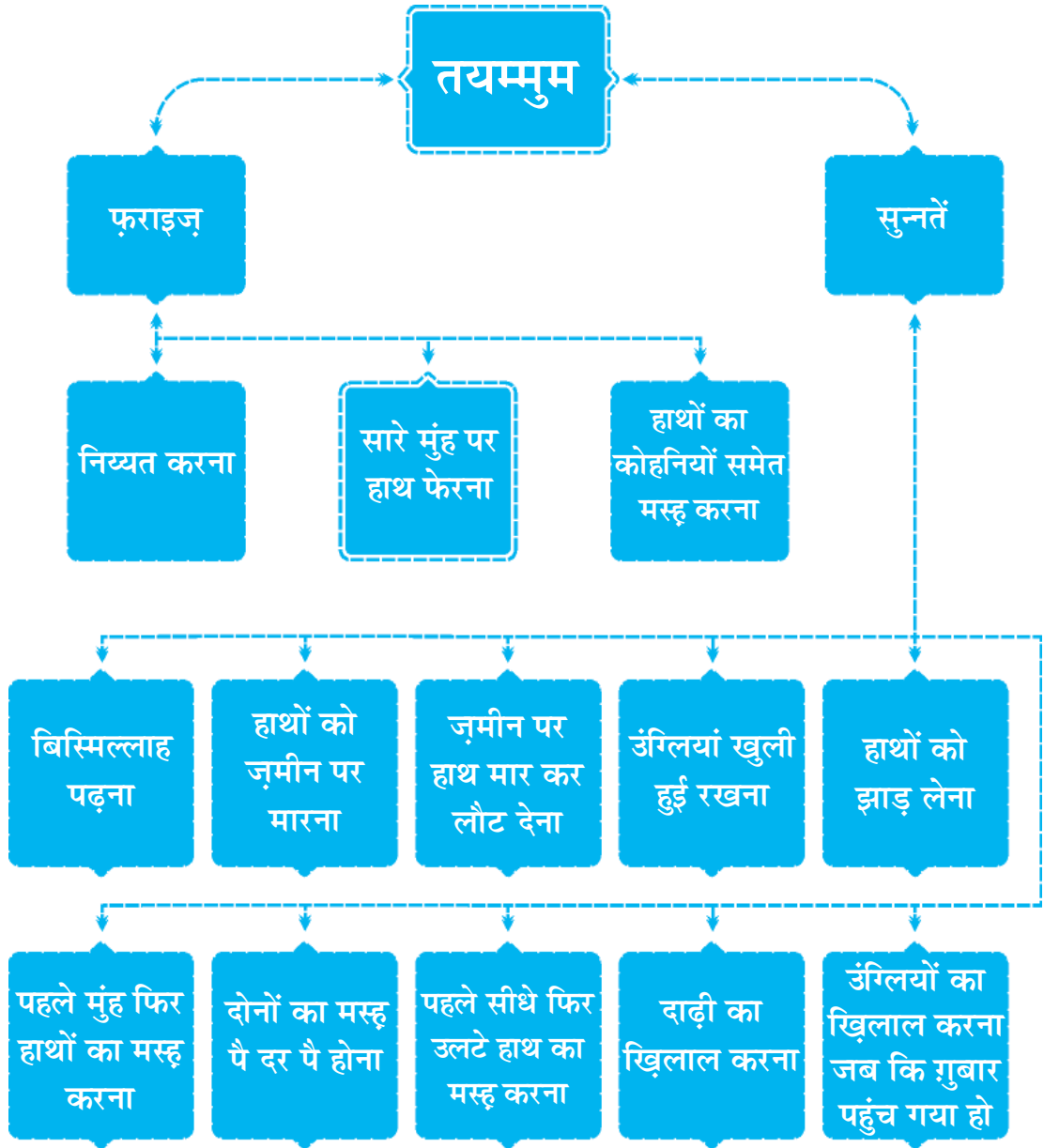
सुवाल तयम्मूम की कितनी और कौन कौन सी सुन्नतें हैं ?

जवाब तयम्मूम की दस सुन्नतें हैं : (1) बिस्मिल्लाह शरीफ़ कहना (2) हाथों को ज़मीन पर मारना (3) ज़मीन पर हाथ मार कर लौट देना (या'नी आगे बढ़ाना और पीछे लाना) (4) उंगलियां खुली हुई रखना (5) हाथों को झाड़ लेना (6) पहले मुंह फिर हाथों का मस्ह करना (7) दोनों का मस्ह पै दर पै होना (8) पहले सीधे फिर उलटे हाथ का मस्ह करना (9) दाढ़ी का खिलाल करना (10) उंगलियों का खिलाल करना जब कि गुबार पहुंच गया हो।⁽³⁾

1... बहारे शरीअत, 1/353, 354, 356, हिस्सा : 2 मुलख़्ख़सन

2... बहारे शरीअत, 1/353 ता 355, हिस्सा : 2

3... बहारे शरीअत, 1/356, हिस्सा : 2



मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल कितनी मसाफ़त तक पानी न मिले तो तयम्मूम जाइज़ होगा ?

जवाब चारों तरफ़ एक एक मील तक पानी का पता नहीं (तो तयम्मूम जाइज़ है) अगर येह गुमान हो कि एक मील के अन्दर पानी होगा तो तलाश कर लेना ज़रूरी है। बिना तलाश किये तयम्मूम जाइज़ नहीं।⁽¹⁾

सुवाल तयम्मूम किस चीज़ से करना जाइज़ है ?

जवाब जो चीज़ आग से जल कर न राख होती है न पिघलती है न नर्म होती है वोह ज़मीन की जिन्स (या'नी किस्म) से है उस से तयम्मूम जाइज़ है।⁽²⁾

सुवाल क्या नमक से तयम्मूम जाइज़ है ?

जवाब जो नमक पानी से बनता है उस से तयम्मूम जाइज़ नहीं और जो कान से निकलता है जैसे सेंधा नमक उस से जाइज़ है।⁽³⁾

सुवाल क्या गद्दे या दरी वगैरा से तयम्मूम किया जा सकता है ?

जवाब गद्दे और दरी वगैरा में गुबार है तो उस से तयम्मूम कर सकता है अगरचें वहां मिट्टी मौजूद हो जब कि गुबार इतना हो कि हाथ फेरने से उंगलियों का निशान बन जाए।⁽⁴⁾

सुवाल तयम्मूम किन चीज़ों से टूट जाता है ?

जवाब जिन चीज़ों से वुजू टूट जाता है या गुस्ल फ़र्ज हो जाता है उन से तयम्मूम भी टूट जाता है और पानी पर कादिर होने से भी तयम्मूम टूट जाता है।⁽⁵⁾

सुवाल वुजू और गुस्ल के तयम्मूम में क्या फ़र्क है ?



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/29

2... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/26

3... بھارے شریअत، 1/358، हिस्सा : 2

4... बहारे शरीअत، 1/359، हिस्सा : 2, फ़तावा रज़विय्या, 3/302

5... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الطہارۃ، الباب الرابع فی التیمم، الفصل الاول، 1/29

जवाब वुजू और गुस्ल दोनों के तयम्मुम का एक ही तरीका है।⁽¹⁾

सवाल किस किस्म की बीमारी में वुजू या गुस्ल की जगह तयम्मुम करने की इजाज़त है ?

जवाब ऐसी बीमारी हो कि वुजू या गुस्ल से उस (बीमारी) के ज़ियादा होने या देर में अच्छा होने का सहीह अन्देशा हो ख़्वाह यूं कि उस ने खुद आज़माया हो कि जब वुजू या गुस्ल करता है तो बीमारी बढ़ती है या यूं कि किसी मुसल्मान अच्छे लाइफ़ हकीम ने जो ज़ाहिरन फ़ासिक़ न हो कह दिया हो कि पानी नुक्सान करेगा (तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की इजाज़त है)।⁽²⁾

सवाल सर्दी के सबब किस सूरत में तयम्मुम जाइज़ होगा ?

जवाब इतनी सर्दी हो कि नहाने से मर जाने या बीमार होने का क़वी अन्देशा हो और लिहाफ़ वग़ैरा कोई ऐसी चीज़ उस के पास नहीं जिसे नहाने के बा'द ओढ़े और सर्दी के ज़रर (नुक्सान) से बचे, न आग है जिसे ताप सके तो तयम्मुम जाइज़ है।⁽³⁾

सवाल किस सूरत में पानी पर कुदरत के बा वुजूद तयम्मुम जाइज़ है ?

जवाब अगर किसी के पास पानी है मगर वुजू या गुस्ल में इस्ति'माल करेगा तो खुद या दूसरा मुसल्मान या अपना या उस का जानवर अगर्चे वोह कुत्ता जिस का पालना जाइज़ है, प्यासा रह जाएगा और अपनी या उन में से किसी की प्यास ख़्वाह फ़िलहाल मौजूद हो या आइन्दा इस का सहीह अन्देशा हो कि वोह राह ऐसी है कि दूर तक पानी का पता नहीं तो तयम्मुम जाइज़ है।⁽⁴⁾

सवाल गुस्ल फ़र्ज़ हो लेकिन पानी सिर्फ़ वुजू जितना है तो क्या हुक्म है ?

जवाब इतना पानी मिला जिस से वुजू हो सकता है और उसे नहाने की ज़रूरत है तो उस पानी से वुजू कर लेना चाहिये और गुस्ल के लिये तयम्मुम करे।⁽⁵⁾

सवाल क्या ज़मज़म शरीफ़ के इलावा दूसरा पानी न होने की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है ?

जवाब अगर इतना आबे ज़मज़म शरीफ़ पास है जो वुजू के लिये काफ़ी है तो तयम्मुम जाइज़ नहीं।⁽⁶⁾



- 1... المجردة النيرة، كتاب الطهارة، باب التيمم، ص 28
- 2... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، 28/1
- 3... در مختار مع رد المحتار، كتاب الطهارة، باب التيمم، 443/1، بهار شریعت، 348/1، حصه 2:
- 4... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، 28/1
- 5... فتاوى تاتارخانيه، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في التيمم، 255/1
- 6... فتاوى تاتارخانيه، كتاب الطهارة، الفصل الخامس في التيمم، نوع آخر في بيان شرائط التيمم، 234/1

सवाल कैदी को जेल में वुजू न करने दिया जाए तो वोह क्या करे ?

जवाब कैदी को कैदखाने वाले वुजू न करने दें तो तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ ले और इआदा करे और अगर वोह दुश्मन या कैदखाने वाले नमाज़ भी न पढ़ने दें तो इशारे से पढ़े फिर इआदा करे ।⁽¹⁾

सवाल ऐसी जगह जहां पानी मिले न पाक मिट्टी तो नमाज़ कैसे अदा की जाए ?

जवाब अगर कोई ऐसी जगह है जहां न पानी मिलता है न पाक मिट्टी तो उसे चाहिये कि वक़्ते नमाज़ में नमाज़ की सी सूरत बनाए या'नी तमाम हरकाते नमाज़ बिला निख्यते नमाज़ बजा लाए ।⁽²⁾

सवाल किस तयम्मुम से एक नमाज़ के बा'द दूसरी नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा या ईदैन या सुन्नतों के लिये इस ग़रज़ से तयम्मुम किया हो कि वुजू में मशगूल होगा तो येह नमाज़ें फ़ौत हो जाएंगी तो उस तयम्मुम से उस ख़ास नमाज़ के सिवा कोई दूसरी नमाज़ जाइज़ नहीं ।⁽³⁾

सवाल कोई तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ रहा था कि किसी के पास पानी देखा अब क्या करे ?

जवाब अगर गुमाने ग़ालिब है कि वोह पानी दे देगा तो चाहिये कि नमाज़ तोड़ दे और उस से पानी मांगे, अगर नहीं मांगा और नमाज़ पूरी कर ली और बा'द में उस ने पानी दे दिया तो नमाज़ का इआदा लाज़िम है ।⁽⁴⁾

सवाल किस सूरत में नमाज़े जनाज़ा के लिये तयम्मुम करने की इजाज़त है ?

जवाब ग़ैरे वली को नमाज़े जनाज़ा फ़ौत हो जाने का ख़ौफ़ हो तो तयम्मुम जाइज़ है वली को नहीं कि इस का लोग इन्तिज़ार करेंगे । ख़ौफ़े फ़ौत के येह मा'ना हैं कि चारों तकबीरें जाती रहने का अन्देशा हो और अगर येह मा'लूम हो कि एक तकबीर भी मिल जाएगी तो तयम्मुम जाइज़ नहीं ।⁽⁵⁾

सवाल किस सूरत में मुर्दे को तयम्मुम करवाया जाए ?



1... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، 1/28

2... बहारे शरीअत, 1/353, हिस्सा : 2

3... बहारे शरीअत, 1/354, हिस्सा : 2

4... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، 1/29

5... فتاوى هندية، كتاب الطهارة، الباب الرابع في التيمم، 1/31، 2 : हिस्सा : 2, बहारे शरीअत,

जवाब मुर्दे को अगर गुस्ल न दे सकें ख़्वाह इस वजह से कि पानी नहीं या इस वजह से कि उस के बदन को हाथ लगाना जाइज़ नहीं जैसे अजनबी औरत या अपनी औरत कि मरने के बा'द उसे छू नहीं सकता तो उसे तयम्मूम कराया जाए, ग़ैर महरम को अगर शौहर हो औरत को तयम्मूम कराने में कपड़ा हाइल होना चाहिये।⁽¹⁾

मा'ज़ूर का तयम्मूम करना और बा'दे सिह्हत उन नमाज़ों का इआदा करना

सुवाल अगर कोई ग़रीब शख्स मा'ज़ूर हो उस के दोनों घुटने टूटे हों जिस के सबब वोह चल न सकता हो, वोह पानी तक खुद भी न जा सकता हो और कोई शख्स उस को वुजू कराने वाला न हो, न ही पानी देने वाला हो और न ही पानी ख़रीदने की वोह ताक़त रखता हो, अल ग़रज़ उस को पानी तक किसी तरह कुदरत न हो तो क्या वोह नमाज़ के वक़्त तयम्मूम कर सकता है? नीज़ जब ऐसा उज़्र वाला शख्स तन्दुरुस्त हो जाए तो क्या उस के लिये उन नमाज़ों का जो तयम्मूम के साथ अदा की गई उन का इआदा करना ज़रूरी होगा?

जवाब पूछी गई सूरात में ऐसे मा'ज़ूर शख्स को तयम्मूम कर के नमाज़ अदा करने की इजाज़त है और तयम्मूम के साथ अदा की गई नमाज़ों का बा'द में इआदा (या'नी लौटाना) भी नहीं कि शरीअते मुतहहरा के क़वानीन की रू से अगर कोई शख्स ऐसा मा'ज़ूर हो जो पानी तक न जा सकता हो और उस के पास कोई ऐसा शख्स न हो जो उस को पानी ला कर दे न ख़िदमतन न हुक्मन न उज़रतन या उजरत पर लाने वाला हो और वोह इतनी उजरत देने पर क़ादिर न हो या उजरत देने पर क़ादिर है लेकिन वोह मज़दूर उजरते मिसल⁽²⁾ से ज़ियादा तलब करता है तो ऐसे शख्स को शर्अन तयम्मूम कर के नमाज़ अदा करने की इजाज़त होती है और इआदा (या'नी नमाज़ लौटाना) भी लाज़िम नहीं होता।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 10

अज़ान व इक़ामत का बयान

अल्लाह पाक कुरआने करीम में अज़ान के मुतअल्लिक़ इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَٰؤُلَاءِ لَعِبًا
ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿٥٨﴾ (پ. 6، المائدة: 58)

तरजमए कज़ुल ईमान : और जब तुम नमाज़ के लिये अज़ान दो तो उसे हंसी खेल बनाते हैं येह इस लिये कि वोह निरे बे अक्ल लोग हैं।

1... बहारे शरीअत, 1/352, हिस्सा : 2

2... उजरते मिसल के बारे में जानने के लिये मक़तबतुल मदीना की मत्बूआ बहारे शरीअत, जिल्द 2, इस्तिलाहात सफ़हा 12 इस्लाहात पढ़िये।

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 27 ता 28

तफ़सीरे सिरातुल जिनान में इस आयत के तहत है : सरकारे दो आलम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का मुअज़्ज़िन अज़ान कहता, मुसल्मान उठते तो इस पर यहूदी हंसते और तमस्खुर करते या'नी मज़ाक़ उड़ाते, इस पर येह आयत नाज़िल हुई।⁽¹⁾ मा'लूम हुआ कि नमाज़े पन्जगाना के लिये अज़ान होनी चाहिये, इस आयत से अज़ान का सुबूत भी है।⁽²⁾

अज़ान अज़ाबे इलाही से अमान है

सुवाल किसी जगह अज़ान देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से रिवायत है, प्यारे आका, मक्की मदनी मुस्त्फ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जब किसी बस्ती में अज़ान दी जाती है तो **अल्लाह** पाक उस दिन उस बस्ती को अपने अज़ाब से अमान अता फ़रमा देता है।⁽³⁾

सुवाल देने इस्लाम में अज़ान को क्या अहम्मियत हासिल है ?

जवाब अज़ान की अहम्मियत का अन्दाज़ इस बात से लगाइये कि पांचों फ़र्ज़ नमाज़ें ब शुमूल जुमुआ मुबारक जब जमाअते मुस्तहब्बा के साथ मस्जिद में वक़्त पर अदा की जाएं तो उन के लिये अज़ान सुन्नते मुअक्कदा है और इस का हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे। “फ़तावा ख़ानिया” में है : अज़ान शआइरे इस्लाम में से है हत्ता कि अगर किसी शहर, बस्ती या महल्ले के लोग अज़ान कहना छोड़ दें तो हाकिम उन्हें इस पर मजबूर करेगा और अगर वोह फिर भी न मानें तो उन से लड़ाई करेगा।⁽⁴⁾

सुवाल क्या प्यारे आका صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से अज़ान देना साबित है ?

जवाब जी हां ! हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से सफ़र में अज़ान देना साबित है जिस में आप **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** ने कलिमाते शहादत यूं इर्शाद फ़रमाए :⁽⁵⁾



1... तफ़सीर बग़ुय, प 6, المائدة, تحت الآية: 58/2, 39

2... तफ़सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 6, अल माइदह, तहतल आयह : 58, 2/457

3... معجم كبير, 1/257, حديث: 746

4... बहारे शरीअत, 1/464, हिस्सा : 3 माखूज़न, 53/1, الباب الثاني في الاذان

5... جد المستار, باب الاذان, 81/3, 5/375, فताوا رज़विय्या

सवाल कौन से दो सहाबए किराम को ख़्वाब में अज़ान सिखाई गई ?

जवाब अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना फ़ारूके आ'ज़म और हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्दे रब्बिह رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا को अज़ान ख़्वाब में ता'लीम हुई, हुज़ूर नबिय्ये ग़ैबदान صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : “येह ख़्वाब हक़ है” और अब्दुल्लाह बिन ज़ैद رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से फ़रमाया : “जाओ बिलाल को तल्कीन करो, वोह अज़ान कहें कि वोह तुम से ज़ियादा बुलन्द आवाज़ हैं।”⁽¹⁾

सवाल बैठ कर अज़ान कहना या क़िब्ले के इलावा किसी और सम्त मुंह कर के अज़ान कहना कैसा ?

जवाब ऐसा करना मक्रूह है, अगर इस तरह कही तो दोबारा दी जाए।⁽²⁾

सवाल वोह कौन सी अज़ान है जिस का जवाब नहीं दिया जाएगा ?

जवाब मुक्तदियों को खुल्बे की अज़ान का जवाब ज़बान से हरगिज़ नहीं देना चाहिये येही अहवत (या'नी एहतियात से करीब) है। हां अगर दिल से जवाब दिया जाए तो कोई हरज नहीं।⁽³⁾

सवाल अगर अज़ान या इक़ामत कहते हुए कलिमात आगे पीछे हो जाएं तो क्या करे ?

जवाब अगर कलिमाते अज़ान या इक़ामत में किसी जगह तक्दीम व ताख़ीर हो गई (या'नी कलिमात आगे पीछे हो गए) तो उतने को सहीह कर ले। शुरूअ से दोहराने की ज़रूरत नहीं और अगर सहीह न किये और नमाज़ पढ़ ली तो नमाज़ दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं।⁽⁴⁾

सवाल बच्चे के कान में अज़ान व इक़ामत कितनी मरतबा कही जाती है ?

जवाब दहने कान में चार मरतबा अज़ान और बाएं में तीन मरतबा इक़ामत कही जाए।⁽⁵⁾

सवाल मुअज़्ज़िन के इलावा किसी और शख्स का इक़ामत कहना कैसा ?

जवाब अगर मुअज़्ज़िन मौजूद है तो उस की इजाज़त से दूसरा कह सकता है कि येह उसी का हक़ है और अगर बे इजाज़त कही और मुअज़्ज़िन को ना गवार हो तो मक्रूह है। अगर मुअज़्ज़िन मौजूद नहीं तो जो चाहे इक़ामत कह ले और बेहतर इमाम है।⁽⁶⁾



1... إبوداود، کتاب الصلوة، باب كيف الاذان، 1/210، حديث: 499

2... فتاوى هندية، کتاب الصلوة، الباب الثاني في الاذان، 1/54- در مختار، کتاب الصلوة، باب الاذان، 2/69

3... در مختار، کتاب الصلوة، باب الاذان، 2/87، مللت کتّن، 8/301، فتاوا رज़یویا،

4... فتاوى هندية، کتاب الصلوة، الباب الثاني في الاذان، 1/56

5... बहारे शरीअत, 3/355, हिस्सा : 15

6... فتاوى هندية، کتاب الصلوة، الباب الثاني في الاذان، 1/54، 3 : हिस्सा, 1/470, बहारे शरीअत,

सवाल इक़ामत में कब खड़ा होना चाहिये ? **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर खड़े होने को सुन्नत कह सकते हैं ? नीज़ कुछ लोग खड़े हो कर इक़ामत सुनते हैं इस का क्या हुक्म है ?

जवाब अहनाफ़ के नज़दीक इस बारे में हुक्म येह है कि इमाम व मुक़तदी जब मस्जिद में मौजूद हों तो इस सूरत में इमाम व मुक़तदी सब **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर खड़े हों और **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर खड़ा होना सुन्नत मुस्तहब्बा और इसे सिर्फ़ सुन्नत ही कह लिया जाए तो भी कुछ हरज नहीं और यूं भी ठीक है कि **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** पर खड़ा होना शुरू करें और **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर मुकम्मल खड़े हो जाएं।⁽¹⁾

सवाल इक़ामत के वक़्त कोई शख्स आया तो उस का खड़े हो कर इन्तिज़ार करना कैसा ?

जवाब इक़ामत के वक़्त कोई शख्स आया तो उसे खड़े हो कर इन्तिज़ार करना मकरूह है बल्कि बैठ जाए जब इक़ामत कहने वाला **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर पहुंचे उस वक़्त खड़ा हो। यूंही जो लोग मस्जिद में मौजूद हैं, वोह भी बैठे रहें, उस वक़्त उठें, जब इक़ामत कहने वाला **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** पर पहुंचे, येही हुक्म इमाम के लिये है।⁽²⁾

सवाल अज़ान का जवाब देने का तरीका क्या है ?

जवाब मुअज़्ज़िन जो कहे वोही आप भी कहते जाइये। **حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ** और **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** के जवाब में (चारों बार) कहना है : **لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ**। बेहतर येह है कि जवाब में मसलन **حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ** भी कहिये और लाहौल भी पढ़िये। फ़ज़्र की अज़ान में “**الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ**” का जवाब याद कर लीजिये : **صَدَقْتَ وَبَرَزْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ** तरजमा : तू सच्चा और नेकोकार है और तू ने हक़ कहा है।⁽³⁾

अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना

सवाल अज़ान में हुज़ूर नबिय्ये करीम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के इस्मे गिरामी मुहम्मद **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** को सुन कर अपने अंगूठे चूम कर अपनी आंखों से लगाना कैसा है ?

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 33... इस मस्अले की तफ़सील के लिये दा'वते इस्लामी के मक़तबतुल मदीना से “मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत (क़िस्त अब्वल)” हासिल कर के सफ़हा 33 ता 36 का मुतालआ कीजिये।

2... فتاوى هندية، كتاب الصلاة، الباب الثاني في الأذان، الفصل الثاني، 1/57

3... رد المحتار، كتاب الصلوة، مطلب في كراهية تكرار الجماعة في المسجد، 2/83

जवाब जाइज़ व मुस्तहसिन व मूजिबे अज़ो सवाब है और सरकारे दो जहां, रहमते आलमिय्यां صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की महबूबत की अलामत है।

सवाल इस का क्या सुबूत है ?

जवाब अल्लामा इब्ने अबिदीन शामी رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ फ़रमाते हैं : मुस्तहब येह है कि जब पहली शहादत सुने तो कहे : صَلَّی اللہُ عَلَیْکَ یَا رَسُوْلَ اللہِ और जब दूसरी सुने तो दोनों अंगूठे अपनी दोनों आंखों पर लगाने के बा'द कहे : قَرَأْتُ عَنِیْ بِکَ یَا رَسُوْلَ اللہِ फिर येह कहे : اَللّٰهُمَّ مَتَّعْنِیْ بِالسَّعْرِ وَالْبَصَرِ तो हुजूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم हुजूर صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم जन्नत की तरफ़ उस के काइद होंगे जैसे कि “कन्जुल इबाद” और “अल फ़तावस्सूफ़ियह” में है और “किताबुल फ़िरदौस” में है कि जिस ने अज़ान में اَشْہَدُ اَنْ مَحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہِ सुनने के बा'द अपने दोनों अंगूठों को बोसा दिया तो जन्नत की सफ़ों में, मैं उस का काइद और दाख़िल करने वाला होउंगा।⁽¹⁾

सवाल अंगूठे चूमने के बारे में कोई वाकिआ हो तो वोह बयान फ़रमा दें।

जवाब आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللہِ عَلَیْہِ “मुस्नदुल फ़िरदौस” के हवाले से फ़रमाते हैं : हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़ رَضِیَ اللہُ عَنْہُ से मरवी है कि जब आप رَضِیَ اللہُ عَنْہُ ने मुअज़्ज़िन को اَشْہَدُ اَنْ مَحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہِ कहते सुना येह दुआ पढ़ी और दोनों कलिमे की उंगलियों के पोरे जानिबे ज़ेरीं (निचली जानिब) से चूम कर आंखों से लगाए, इस पर हुजूर अक्दस صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰलِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : जो ऐसा करे जैसा मेरे प्यारे ने किया उस के लिये मेरी शफ़ाअत हलाल हो जाए।⁽¹⁾

अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

सवाल अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअल्लिक़ कुछ अहक़ाम बयान कीजिये।

जवाब (1) अज़ान सुन्नते मुअक्कदा और शिआरे इस्लाम (इस्लाम की निशानी) है⁽²⁾ (2) इस का हुक्म मिस्ले वाजिब है कि अगर अज़ान न कही तो वहां के सब लोग गुनहगार होंगे।⁽³⁾ (3) अज़ान के बिग़ैर जमाअते ऊला मक्रूह⁽⁴⁾ (4) वक़्त शुरूअ होने से पहले अज़ान कह दी या वक़्त से पहले शुरूअ



1... رد المحتار، کتاب الصلوة، مطلب فی کراهۃ تکرار الجماعۃ فی المسجد، 2/84

2... फ़तावा रज़विय्या, 5/432

3... बहारे शरीअत, 1/464, हिस्सा : 3

4... फ़तावा रज़विय्या, 16/430 ब तग़य्युरे क़लील

की और दौराने अज़ान वक़्त आ गया, दोनों सूरतों में अज़ान दोबारा कहिये।⁽¹⁾ (5) जब अज़ान हो तो उतनी देर के लिये सलाम कलाम और जवाबे सलाम, तमाम काम मौकूफ़ कर दे यहां तक कि कुरआने मजीद की तिलावत में अज़ान की आवाज़ आए, तो तिलावत मौकूफ़ कर दे और अज़ान को गौर से सुने और जवाब दे।⁽²⁾ (6) रास्ता चल रहा था कि अज़ान की आवाज़ आई तो उतनी देर खड़ा हो जाए, सुने और जवाब दे। (7) इक़ामत का जवाब मुस्तहब है।⁽³⁾ (8) अगर चन्द अज़ानें सुने, तो उस पर पहली ही का जवाब है और बेहतर येह कि सब का जवाब दे। (9) अगर ब वक़्ते अज़ान जवाब न दिया तो अगर ज़ियादा देर न हुई हो, अब दे ले।⁽⁴⁾ खुत्बे की अज़ान का जवाब ज़बान से देना, मुक़्तदियों को जाइज़ नहीं।⁽⁵⁾ अज़ाने नमाज़ के इलावा दीगर अज़ानों का जवाब भी दिया जाएगा मसलन बच्चे की पैदाइश पर दी जाने वाली अज़ान।⁽⁶⁾ (10) इक़ामत अज़ान से भी ज़ियादा ताकीदी सुन्नत है।⁽⁷⁾ (11) इक़ामत के कलिमात जल्द जल्द कहिये और दरमियान में सक्ता (ठहराव) मत कीजिये।⁽⁸⁾

अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के नुक्सानात

सवाल अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के क्या नुक्सानात हैं ?

जवाब * अज़ान की तौहीन कुफ़्र है।⁽⁹⁾ * अज़ान से भागना शैतानी अमल है। हदीसे पाक में है : जब नमाज़ के लिये अज़ान दी जाती है तो शैतान पीठ फेर कर भागता है उस का हाल येह होता है कि जब तक अज़ान होती हो गूज़ मारता (या'नी हवा ख़ारिज करता) रहता है ताकि अज़ान की आवाज़ न सुन सके।⁽¹⁰⁾ * जो अज़ान के वक़्त बातों में मशगूल रहे उस का **مَعَاذَ اللَّهِ** ख़ातिमा बुरा होने का ख़ौफ़ है।⁽¹¹⁾ अज़ान से मुतअल्लिक़ तफ़्सीली मा'लूमात हासिल करने के लिये शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी रज़वी **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ** का रिसाला "फ़ैज़ाने अज़ान" पढ़िये।



- 1... الهداية شرح بداية المبتدي، كتاب الصلوة، باب الاذان، 1/45، 3 : हिस्सा : 1/465، बहारे शरीअत،
- 2... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، باب الاذان، ص 57، رد المحتار، كتاب الصلوة، مطلب في كراهية تكرار الجماعة في المسجد، 2/86 ماخوذ
- 3... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، باب الاذان، 1/57 ملقطا

4... बहारे शरीअत، 1/473، हिस्सा : 3

- 5... رد المحتار، كتاب الصلوة، مطلب في كراهية تكرار الجماعة في المسجد، 2/87
- 6... در مختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الاذان، مطلب في كراهية تكرار الجماعة في المسجد، 2/82
- 7... در مختار، كتاب الصلوة، باب الاذان، ص 68

8... बहारे शरीअत، 1/470، हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे कलील

9... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 359 माखूज़न

10... بخاری، كتاب الاذان، باب فضل التاوين، 1/222، حديث: 608

11... बहारे शरीअत، 1/473، हिस्सा : 3

सबक नम्बर 11

वक्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान

नमाज़ मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज है

पारह 5, सूरतुनिसाअ, आयत : 103 में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ **तरजमए कन्जुल ईमान** : बेशक नमाज़ मुसलमानों पर वक्त बांधा हुआ फ़र्ज है ।
(پ 5، النساء: 103)

तफ़सीरे सिरातुल जिनान जिल्द 2 सफ़हा 292 पर इस आयते मुबारका के तहत है : नमाज़ के अवकात मुकर्रर हैं लिहाज़ा लाज़िम है कि इन अवकात की रिआयत (या'नी हर नमाज़ उस के वक्त में अदा) की जाए ।

वक्त पर नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा अमल है

रसूले करीम صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم की खिदमत में सुवाल हुआ : कौन सा अमल अल्लाह पाक को ज़ियादा पसन्द है ? इर्शाद फ़रमाया : वक्त पर नमाज़ पढ़ना ।⁽¹⁾

सुवाल फ़र्ज नमाज़ों के अवकात क्या हैं ?

जवाब (1) फ़ज़्र का वक्त : सुब्हे सादिक् नुमूदार होने से सूरज की किरन चमकने तक ।⁽²⁾ सुब्हे सादिक् की वज़ाहत : सुब्हे सादिक् एक रोशनी है जो मशरिक की जानिब जहां से आज सूरज निकलना है, उस के ऊपर आस्मान के कनारे में दिखाई देती है और बढ़ती जाती है यहां तक कि तमाम आस्मान पर फैल जाती है और ज़मीन पर उजाला हो जाता है⁽³⁾ * सूरज निकलने से 20 मिनट तक “वक्ते मक्रूह” है ।⁽⁴⁾

(2) जोहूर और जुमुआ का वक्त : ज़वाल (या'नी सूरज ऐन सर पर आ कर जब मग़रिब की तरफ़ ढलना



1... بخاری، کتاب مواقيت الصلوة، باب فضل الصلوة لوقتہا، 1/196، حدیث: 527

2... बहारे शरीअत, 1/447, हिस्सा : 3 मुलख़ब़सन

3... बहारे शरीअत, 1/447, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील

4... बहारे शरीअत, 1/454, हिस्सा : 3 मुलख़ब़सन

शुरूअ करे, उस) से ले कर उस वक़्त तक है कि हर चीज़ का साया दोगुना हो जाए।⁽¹⁾ साया दोगुना होने की वज़ाहत : मसलन चार फ़िट की लकड़ी ज़मीन में गाड़ दीजिये, जब सूरज ऐन सर पर आ जाए तो देखिये कि इस का साया कितना है, बिलफ़र्ज़ चार फ़िट की लकड़ी का साया उस वक़्त आठ फ़िट हो तो जब येह साया 20 फ़िट (दो गुना साया : 8+8, लकड़ी : 4 फ़िट, कुल साया : 20 फ़िट) हो जाए, उस वक़्त ज़ोहर का वक़्त ख़त्म और अ़स्र का शुरूअ हो गया।⁽²⁾ * ज़वाल का वक़्त शुरूअ होने से 20 मिनट तक का वक़्त “वक़्ते मकरूह” है। (3) अ़स्र का वक़्त : ज़ोहर का वक़्त ख़त्म होने से सूरज डूबने तक।⁽³⁾ * नमाज़े अ़स्र पढ़ने के बा’द कोई नफ़ल नमाज़ नहीं पढ़ सकते।⁽⁴⁾ * सूरज डूबने से 20 मिनट पहले का वक़्त “वक़्ते मकरूह” है।⁽⁵⁾ (4) मग़रिब का वक़्त : सूरज डूबने से शफ़क़ ख़त्म होने तक।⁽⁶⁾ शफ़क़ किसे कहते हैं : सूरज डूबने के बा’द मग़रिब की जानिब शुमालन जुनूबन फैली हुई सुख़् रोशनी दिखाई देती है, इस के बा’द इसी जगह सफ़ेद रोशनी फैल जाती है, इस सफ़ेद रोशनी को शफ़क़ कहते हैं।⁽⁷⁾ (5) इशा का वक़्त : मग़रिब का वक़्त ख़त्म होने से ले कर सुब्हे सादिक़ नुमूदार होने से पहले तक।⁽⁸⁾

नोट : मकरूह वक़्त में कोई नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं, न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़ल, न अदा, न क़ज़ा। हां ! उस रोज़ अगर अ़स्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे सूरज डूबता हो, पढ़ ले मगर इतनी देर करना हराम है।⁽⁹⁾

वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

(1) फ़र्ज़ नमाज़ें उन के वक़्त ही में पढ़ना फ़र्ज़ है।⁽¹⁰⁾ (2) वक़्त से पहले नमाज़ बातिल (या’नी

-
- 1... बहारे शरीअत, 1/449, हिस्सा : 3 मुलख़ब्सन
 - 2... क़ानूने शरीअत, स. 145 मुफ़स्सलन
 - 3... बहारे शरीअत, 1/450, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील
 - 4... बहारे शरीअत, 1/456, हिस्सा : 3 मुलख़ब्सन
 - 5... बहारे शरीअत, 1/452, हिस्सा : 3 मुलख़ब्सन
 - 6... बहारे शरीअत, 1/450, हिस्सा : 3 मुलख़ब्सन
 - 7... बहारे शरीअत, 1/451, हिस्सा : 3 मुफ़स्सलन
 - 8... बहारे शरीअत, 1/451, हिस्सा : 3 मुलख़ब्सन
 - 9... बहारे शरीअत, 1/454, हिस्सा : 3 ब तग़य्युरे क़लील
 - 10... फ़तावा रज़विय्या, 5/270, ब तग़य्युरे क़लील

हुई ही नहीं) और जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा कर देना या'नी उस का वक़्त गुज़ार देना ह़राम है।⁽¹⁾
 (3) जो नमाज़ उस के वक़्त में अदा न की, वोह जिम्मे पर बाक़ी है, “उस पर फ़र्ज़ है कि उस की क़ज़ा पढ़े और सच्चे दिल से तौबा भी करे।”⁽²⁾ (4) वक़्त पहचानना (या'नी नमाज़, रोज़े वग़ैरा के अवक़ात की मा'लूमात रखना) हर मुसलमान पर फ़र्ज़ ऐन (या'नी हर अक़िल व बालिग़ मुसलमान पर लाज़िम व ज़रूरी) है।⁽³⁾

अवक़ाते नमाज़ मा'लूम करने का एक आसान ज़रीआ

* आशिक़ाने रसूल की मदनी तहरीक दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्तबतुल मदीना से “अवक़ाते नमाज़” का नक़शा ख़रीद लीजिये और वक़तन फ़ वक़तन बल्कि रोज़ाना ही कम अज़ कम एक मरतबा उस दिन की नमाज़ों के अवक़ात देख लिया कीजिये। * Play Store/App Store से दा'वते इस्लामी के शो'बे “मजलिसे तौकीत” की तय्यार कर्दा मोबाइल एप्लीकेशन Prayer Time डाउनलोड कर लीजिये। इस एप्लीकेशन (Application) के ज़रीए **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ! दुन्या भर के तक्रीबन 27 लाख मक़ामात के लिये सहर व इफ़तार और नमाज़ों के अवक़ात मा'लूम किये जा सकते हैं।

वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात

* सुस्ती व काहिली जो कि बातिनी मरज़ है, नमाज़ों के अवक़ात मुक़र्रर करने में इस का इलाज है।⁽⁴⁾ * पांचों नमाज़ें वक़्त पर पाबन्दी के साथ पढ़ने में “ग़फ़लत” का इलाज है।⁽⁵⁾ * जिस का दिल मस्जिद में मुअल्लक़ रहे (या'नी जो एक नमाज़ पढ़ कर दूसरी का मुन्तज़िर रहे) वोह रोज़े क़ियामत अर्श के साए में होगा।⁽⁶⁾ पांच नमाज़ों के अलग अलग फ़ाएदे : * फ़ज़्र अदा करने वाला खुश खुश और तरो ताज़ा हो कर सुब्ह करता है,⁽⁷⁾ शाम तक **अल्लाह** पाक की अमान में रहता है,⁽⁸⁾

1... फ़तावा रज़विय्या, 5/284 मफ़हूमन

2... क़ज़ा नमाज़ों का तरीक़ा, स. 7, मक्तबतुल मदीना

3... फ़तावा रज़विय्या, 10/569

4... جواهر البیان فی اسرار الارکان، ص 58، والضحی بعلی کیشنر

5... حجة الله البالغة، اوقات الصلوة، ص 317 مشهورا

6... بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد... الخ، 1/260 ملقطا

7... بخاری، کتاب التهجید، باب عقد الشیطان... الخ، 1/236، حدیث: 660

8... معجم اوسط، 2/335، حدیث: 3464، دار الفکر عمان

उस के लिये दुन्या के मुश्किल काम आसान हो जाते हैं।⁽¹⁾ * फ़ज़्र व अ़स्र के वक़्त मसरूफ़े इबादत रहने से रिज़्क़ और अ़मल में बरक़त दी जाती है।⁽²⁾ * नमाज़े फ़ज़्र व अ़स्र पाबन्दी के साथ पढ़ने से रोज़े क़ियामत दीदारे इलाही की क़ाबिलिय्यत पैदा होती है।⁽³⁾ * नमाज़े अ़स्र व इशा की पाबन्दी करने से “जोहद” पैदा होता है और नफ़्स को नफ़्सानी ख़्वाहिशात की पैरवी से नजात मिलती है।⁽⁴⁾ * नमाज़े अ़स्र पढ़ने वाले के लिये आस्मान व ज़मीन के फ़िरिश्ते मग़िफ़रत चाहेंगे।⁽⁵⁾ * मग़रिब पढ़ने वाले के लिये आस्मान के दरवाज़े खोल दिये जाते हैं, वोह जिस हाज़त का सुवाल करे पूरा होगा।⁽⁶⁾ * नमाज़े इशा पढ़ने वाला गुनाहों से ऐसे निकल जाता है जैसे अभी मां के पेट से पैदा हुवा।⁽⁷⁾

वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के नुक़सानात

सुवाल वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के क्या नुक़सानात हैं ?

जवाब * जो जान बूझ कर एक वक़्त की नमाज़ छोड़े, उस का नाम जहन्म के उस दरवाज़े पर लिख दिया जाता है जिस से वोह जहन्म में दाख़िल होगा।⁽⁸⁾ * जिस ने क़स्दन (जान बूझ कर) एक वक़्त की (नमाज़) छोड़ी, हज़ारों बरस जहन्म में रहने का मुस्तहिक् हुवा, जब तक तौबा न करे और उस की क़ज़ा न कर ले।⁽⁹⁾ * जो नमाज़ में सुस्ती करे और वक़्त के बा'द क़ज़ा कर के पढ़े, उस का ठिकाना “वैल” है। “वैल” जहन्म की एक वादी है, अगर उस में दुन्या के पहाड़ डाले जाएं तो वोह भी उस की गरमी से पिघल जाएं।⁽¹⁰⁾ * जो फ़ज़्र न पढ़े ग़मगीन दिल और सुस्ती के साथ सुब्ह करता है।⁽¹¹⁾



- 1... فیض القدير، 1/85، تحت الحديث: 26
- 2... عمدة القاری، کتاب مواقيت الصلوة، باب فضل صلاة العصر، 4/65، حدیث: 555
- 3... میرآاتول مناجیہ، 7/518 ب تہذیب کلیل
- 4... فیض القدير، 1/85، تحت الحديث: 26
- 5... فتاوا رجبیہ، 5/53 ملاحظہ
- 6... فتاوا رجبیہ، 5/53 ب تہذیب کلیل
- 7... فتاوا رجبیہ، 5/53 ب تہذیب کلیل
- 8... جمع الجوامع، 7/129، حدیث: 2641
- 9... فتاوا رجبیہ، 9/158
- 10... الکبائر للذہبی، المجلد الرابع، ص 19 ملخصا
- 11... فہرست نماز، ص. 89 تا 90 ملاحظہ

सबक नम्बर 12

नमाज़ का बयान

हर आक़िल बालिग़ मुसलमान पर रोज़ाना पांच वक़्त की नमाज़ फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक पारह 2 सूरए बक़रह की आयत नम्बर 238 में इर्शाद फ़रमाता है :

حَفِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ **तरजमए कन्ज़ुल ईमान** : निगहबानी करो सब नमाज़ों और बीच की नमाज़ की और खड़े हो अल्लाह के हुज़ूर अदब से।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयते मुबारका के तहूत लिखते हैं : या'नी पन्जगाना फ़र्ज़ नमाज़ों को उन के अवक़ात पर अरकान व शराइत के साथ अदा करते रहो इस में पांचों नमाज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है।⁽¹⁾

नमाज़ की अहम्मियत पर दो अह्दादीसे मुबारका

सुवाल नमाज़ की अहम्मियत पर दो अह्दादीसे मुबारका बयान कीजिये।

जवाब (1) हज़रते उबादा बिन सामित رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है, हुज़ूरे अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : पांच नमाज़ें अल्लाह पाक ने बन्दों पर फ़र्ज़ कीं, जिस ने अच्छी तरह वुजू किया और वक़्त में पढ़ीं और रुकूअ व खुशूअ को पूरा किया तो उस के लिये अल्लाह पाक ने अपने ज़िम्माए करम पर अह्द कर लिया है कि उसे बख़्श दे, और जिस ने न किया उस के लिये अह्द नहीं, चाहे बख़्श दे, चाहे अज़ाब करे।⁽²⁾

(2) एक शख़्स ने रहीमो करीम आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की बारगाह में अर्ज़ की : या रसूलल्लाह ! इस्लाम की क्या चीज़ अल्लाह पाक को सब से ज़ियादा पसन्द है ? इर्शाद फ़रमाया : नमाज़ वक़्त पर अदा करना।⁽³⁾

नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद

सुवाल नमाज़ पढ़ने के क्या क्या फ़वाइद हैं ?

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 1, अल बक़रह, तहूतल आयह : 238

2... الإوداد، كتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، 1/186، حديث: 425

3... شعب الإيمان، الباب الحادي والعشرين، باب في الصلوات، 3/39، حديث: 2807

जवाब नमाज़ अंधेरी क़ब्र का चराग़ है। * नमाज़ अज़ाबे क़ब्र से बचाती है। * नमाज़ क़ियामत की धूप में साया है। * नमाज़ पुल सिरात के लिये आसानी है। * नमाज़ जहन्नम के अज़ाब से बचाती है। * नमाज़ से रहमत नाज़िल होती है। * नमाज़ से गुनाह मुआफ़ होते हैं। * नमाज़ दुआओं की क़बूलियत का सबब है। * नमाज़ बीमारियों से बचाती है। * नमाज़ से बदन को राहत मिलती है। * नमाज़ से रोज़ी में बरकत होती है। * नमाज़ बे ह्याई और बुरे कामों से बचाती है।⁽¹⁾

* “नमाज़” में सेंकड़ों बीमारियों का इलाज भी है मसलन नमाज़ दिल, मे’दा और आंतों वगैरा के मरीज में शिफ़ा देती है। * दर्द व ग़म का एहसास भुला देती या कम कर देती है। * नज़्ला जुकाम के मरीज के लिये तवील (या’नी लम्बा) सज्दा निहायत मुफ़ीद है। * सज्दे से बन्द नाक खुलती है। * आंतों में जम्अ होने वाले गैर ज़रूरी मवाद को हरकत दे कर निकालने में सज्दा काफी मददगार साबित होता है। * नमाज़ से ज़ेहन साफ़ होता और गुस्से की आग बुझ जाती है।⁽²⁾ * नमाज़ी के लिये सब से बड़ी ने’मत यह है कि उसे बरोजे क़ियामत **अल्लाह** पाक का दीदार होगा।⁽³⁾

नोट : कामिल फ़वाइद उसी सूरत में हासिल हो सकते हैं जब नमाज़ इत्मीनान से दुरुस्त तरीक़े पर अदा की जाए।

नमाज़ न पढ़ने के नुक़सानात

सवाल नमाज़ न पढ़ने के क्या नुक़सानात हैं ?

जवाब बे नमाज़ी की उम्र से बरकत ख़त्म कर दी जाती है। * उस के चेहरे से नेक बन्दों की निशानी मिटा दी जाएगी। * उस की कोई दुआ आस्मान तक न पहुंचेगी। * नेक बन्दों की दुआओं में उस का कोई हिस्सा न होगा। * दुनिया में उस से मज़्लूक नफ़रत करेगी। * बे नमाज़ी ज़लील हो कर मरेगा। * भूका मरेगा। * प्यासा मरेगा, अगर उसे दुनिया भर के समुन्दर पिला दिये जाएं फिर भी उस की प्यास न बुझेगी। * उस की क़ब्र को इतना तंग कर दिया जाएगा कि उस की पस्लियां एक दूसरे में दाख़िल हो जाएंगी। * उस की क़ब्र में आग भड़का दी जाएगी फिर वोह दिन रात अंगारों पर उलट पलट होता रहेगा। * बे नमाज़ी का हिसाब सख़्ती से लिया जाएगा। * रब्बे क़हहार उस से नाराज़ होगा। * बे

1... फैज़ाने नमाज़, स. 10 मुल्तक़तन

2... फैज़ाने नमाज़, स. 29 मुल्तक़तन

3... फैज़ाने नमाज़, स. 11

नमाज़ी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा।⁽¹⁾

मदनी मश्वरा : नमाज़ी बनने और नमाज़ से मुतअल्लिक मा'लूमात के लिये शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी دامت برکاتہم العالیہ की किताब “फैज़ाने नमाज़” और “नमाज़ के अहक़ाम” पढ़िये। नीज़ दा'वते इस्लामी की मजलिस मदनी कोर्सिज़ के तहत होने वाले “फैज़ाने नमाज़ कोर्स” में दाख़िला ले लीजिये। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ الْعَزِيزُ** ! नमाज़ के मुतअल्लिक बहुत सारी ग़लतियों की इस्लाह होगी और इल्मे दीन भी सीखने को मिलेगा।

कलामे अमीरे अहले सुन्नत دامت برکاتہم العالیہ

हर इबादत से बरतर इबादत नमाज़
क़ल्बे गुमगीं का सामाने फ़रहत नमाज़
नारे दोज़ख़ से बेशक बचाएगी येह
प्यारे आका की आंखों की ठन्डक है येह
भाइयो ! गर खुदा की रिज़ा चाहिये
आओ मस्जिद में झुक जाओ रब के हुज़ूर
ऐ ग़रीबो ! न घबराओ सज्दे करो
सब्र से और नमाज़ों से चाहो मदद
ख़ूब नफ़लों के सज्दों में मांगो दुआ
क्यूं नमाज़ी जहन्नम में जाए भला !
जो मुसल्मान पांचों नमाज़ें पढ़ें
होगी दुन्या ख़राब आख़िरत भी ख़राब
बे नमाज़ी जहन्नम का हक़दार है
क़ब्र में सांप बिच्छू लिपट जाएंगे
सह सकोगे न दोज़ख़ का हरगिज़ अज़ाब
देखो ! अल्लाह नाराज़ हो जाएगा

सारी दौलत से बढ़ कर है दौलत नमाज़
है मरीज़ों को पौगामे सिद्दहत नमाज़
रब से दिलवाएगी तुम को जन्नत नमाज़
क़ल्बे शाहे मदीना की राहत नमाज़
आप पढ़ते रहें बा जमाअत नमाज़
तुम को दिलवाएगी हक़ से रिफ़अत नमाज़
देगी बरकत, मिटाएगी गुरबत नमाज़
पूरी करवाए हर एक हाजत नमाज़
पूरी करवाएगी रब से हाजत नमाज़
इस को दिलवाएगी बागे जन्नत नमाज़
ले चलेगी उन्हें सूए जन्नत नमाज़
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़
भाइयो ! तुम कभी छोड़ना मत नमाज़

या खुदा तुझ से अत्तार की है दुआ

मुस्तफ़ा की पढ़े प्यारी उम्मत नमाज़

¹... फैज़ाने नमाज़, स. 426, 427 ब तग़य्युरे क़लील

सबक नम्बर 13

नमाज़ की शराइत

सुवाल नमाज़ की कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं ?

जवाब पहले एक हदीसे मुबारका मुलाहज़ा कीजिये, रहमत वाले आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : जिस ने ऐसा वुजू किया जैसा करने का हुक्म है और ऐसी नमाज़ पढ़ी जैसी पढ़ने का हुक्म है, तो जो कुछ पहले किया है मुआफ़ कर दिया जाएगा ।⁽¹⁾

कोई भी नमाज़ पढ़ने से पहले इन 6 चीज़ों का पूरा होना ज़रूरी है, वरना नमाज़ शुरू ही नहीं होगी ।

नम्बर शुमार	शर्त	तफ़सील
01	तहारत	नमाज़ पढ़ने वाले का (1) बदन (2) लिबास और (3) नमाज़ पढ़ने की जगह नापाकी (गन्दगी) से پاک हो । नमाज़ पढ़ने वाले पर गुस्ल फ़र्ज़ न हो और वोह बा वुजू हो ।
02	सत्रे औरत	मर्द का नाफ़ के नीचे से घुटने समेत सारा हिस्सा और औरत का हथेलियों, पाउं के तल्वों और चेहरे के इलावा अपना सारा जिस्म छुपाना । (औरत के हाथ कलाईयों तक और पैर टख़्नों तक ज़ाहिर हों तब भी नमाज़ हो जाएगी)
03	इस्तिक्बाले क़िब्ला	नमाज़ में ख़ानए का'बा की तरफ़ सीना कर के खड़ा होना ।
04	वक़्त	जो नमाज़ पढ़नी है उस का वक़्त होना ज़रूरी है । अगर वक़्त से पहले नमाज़ पढ़ी तो अदा नहीं होगी बल्कि वक़्त में दोबारा पढ़नी होगी । नमाज़ फ़ज़्र को वक़्त के अन्दर मुकम्मल करना भी ज़रूरी है । जान बूझ कर नमाज़ का वक़्त गुज़ार देना और नमाज़ अदा न करना सख़्त गुनाह है ।
05	निय्यत	“निय्यत” दिल के पक्के इरादे को कहते हैं । किसी भी नमाज़ को अदा करने के लिये पहले उस नमाज़ का दिल में पक्का इरादा करना ज़रूरी है । अगर ज़बान से भी कह ले कि मसलन : “मैं फ़ज़्र की 2 रक़अत फ़र्ज़ नमाज़ अदा करने की निय्यत करता हूँ” तो ज़ियादा अच्छा है ।
06	तक्बीरे तहरीमा	या'नी नमाज़ शुरू करना, “ اَللّٰهُ اَكْبَرُ ” कह कर नमाज़ शुरू करेंगे । ⁽²⁾



1... نسائي، کتاب الطهارة، باب ثواب من توضأ كما امر، ص 32، حدیث: 144

2... हमारा इस्लाम, 133 माख़ूज़न

नमाज़

शराइत

तुहारत

सत्रे औरत

इस्तिक्बाले किब्ला

वक्त

निय्यत

तक्बीरे तहरीमा

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल नमाज़ी के पैरों तले कितनी नजासत हो तो नमाज़ नहीं होगी ?

जवाब नमाज़ी के एक पाउं के नीचे दिरहम की मिक्दार से ज़ियादा नजासत हो तो नमाज़ न होगी।⁽¹⁾
यूँही अगर दोनों पाउं के नीचे थोड़ी थोड़ी नजासत है कि जम्अ करने से एक दिरहम हो जाएगी (तो नमाज़ मकरूहे तहरीमी वाजिबुल इआदा और दिरहम से ज़ाइद हो तो नमाज़ नहीं होगी)।⁽²⁾

सुवाल नजासत पर रखे शीशे के ऊपर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब नमाज़ हो जाएगी अगर चे नुमायां हो।⁽³⁾

सुवाल वोह कौन सा पाको साफ़ कपड़ा है जिसे पहन कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब चुराया हुवा कपड़ा या धोबी वगैरा के यहां से बदला हुवा कपड़ा अगर चे पाको साफ़ हो मगर उसे पहन कर नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी, ना जाइज़ और गुनाह है, नमाज़ वाजिबुल इआदा होगी और ऐसे कपड़े का पहनना मर्द व औरत सब को ह़राम है।⁽⁴⁾

सुवाल वोह कौन है जो पानी पर कुदरत और याद होते हुए बिगैर वुजू नमाज़ पढ़े तो गुनाहगार नहीं ?

जवाब ना बालिग़ बच्चा ऐसा करे तो गुनाहगार नहीं क्यूं कि ना बालिग़ पर वुजू फ़र्ज़ नहीं।⁽⁵⁾
मगर इन से वुजू कराना चाहिये ताकि आदत हो और वुजू करना आ जाए और मसाइले वुजू से आगाह हो जाएं।

सुवाल वोह कौन सी ज़मीन है जिस से तयम्मूम नहीं कर सकता लेकिन वहां नमाज़ पढ़ सकता है ?

जवाब ऐसी नजिस ज़मीन जो धूप या हवा से पाक हो गई उस पर मुसल्ला बिछाए बिगैर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है मगर उस से तयम्मूम करना जाइज़ नहीं।⁽⁶⁾



1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، 2/92

2... बहारे शरीअत, 1/477, हिस्सा : 3

3... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، 2/92

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/298, 394 मुल्लक़तन

5... رد المحتار، کتاب الطهارة، مطلب في اعتبارات المركب التام، 1/202

6... شرح وقاية، کتاب الطهارة، باب التيمم، الجزء 1/98

सुवाल नमाज़ में मर्द व औरत के जिस्म का कितना हिस्सा सत्रे औरत में शामिल है ?

जवाब मर्द के लिये नाफ़ के नीचे से घुटनों के नीचे तक सत्रे औरत है। नाफ़ इस में दाख़िल नहीं और घुटने दाख़िल हैं।⁽¹⁾ और औरत के लिये सिवाए मुंह की टिक्ली और हथेलियों और पाउं के तल्वों के सारा बदन सत्र है। औरत के सर के लटक्ते हुए बाल, गरदन और कलाइयां भी सत्र में दाख़िल हैं।⁽²⁾ अलबत्ता अगर दोनों हाथ (गट्टों तक), पाउं (टख़्नों तक) मुकम्मल ज़ाहिर हों तो एक मुफ़्ता बिही कौल पर नमाज़ दुरुस्त है।⁽³⁾

सुवाल जिन आ'जा का छुपाना फ़र्ज़ है उन में से कोई उज़्ब नमाज़ में खुल गया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर चौथाई हिस्से से कम खुला तो नमाज़ हो गई और अगर चौथाई उज़्ब खुल गया और फ़ौरन छुपा लिया जब भी हो गई और अगर तीन मरतबा **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहने की मिक्दार बराबर खुला रहा या जान बूझ कर खोला अगर्चे फ़ौरन छुपा लिया तो नमाज़ जाती रही।⁽⁴⁾

सुवाल ऐसे कपड़ों में नमाज़ पढ़ी जिस में बदन नज़र आता हो तो नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब इतना बारीक कपड़ा जिस में बदन चमक्ता हो सत्र के लिये काफ़ी नहीं उस में नमाज़ पढ़ी तो नमाज़ न होगी।⁽⁵⁾

सुवाल जहां क़िब्ले की सम्त (Qibla Direction) पता न हो और न ही मा'लूम करने का कोई ज़रीआ तो वहां नमाज़ में मुंह किस तरफ़ किया जाए ?

जवाब ऐसी जगह नमाज़ पढ़ने वाले के लिये हुक्म है कि तहरीर करे (या'नी सोचे, जिधर क़िब्ला होना दिल पर जमे उधर ही मुंह करे) उस के हक़ में वोही क़िब्ला है।⁽⁶⁾

सुवाल जिहते का'बा की तरफ़ मुंह होने से क्या मुराद है ?

जवाब जिहते का'बा की तरफ़ मुंह होने के येह मा'ना हैं कि चेहरे की सत्ह का कोई जुज़ का'बे की सम्त में वाक़ेअ हो। इस की मिक्दार 45 दरजे (45°) रखी गई है लिहाज़ा अगर कोई 45 दरजे से ज़ियादा क़िब्ले से फिरा तो नमाज़ नहीं होगी।⁽⁷⁾



1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، مطلب فی ستر العورة، 2/93-94

2... در مختار، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، 2/95

3... इस्लामी बहनों की नमाज़, स. 91

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، مطلب فی النظر الی وجه الامر، 2/100

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الثالث فی شروط الصلوة، الفصل الاول فی الطہارۃ وستر العورة، 1/58

6... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، مطلب مسائل التحریر فی القلب، 2/143

7... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، 2/135، 3 : हिस्सा، 1/487، अत शरी बहारे

सवाल किस शख्स के लिये नमाज़ में ऐन का'बे की तरफ़ मुंह करना फ़र्ज़ है ?

जवाब जो ऐन का'बे की सम्त खास तहकीक़ कर सकता है, अगर्चे का'बा आड़ में हो, जैसे मक्कए मुअज़्ज़मा के मकानों में जब कि मसलन छत पर चढ़ कर का'बे को देख सकते हैं तो ऐन का'बे की तरफ़ मुंह करना फ़र्ज़ है, जिहत काफ़ी नहीं और जिसे येह तहकीक़ ना मुम्किन हो, अगर्चे खास मक्कए मुअज़्ज़मा में हो उस के लिये जिहते का'बा को मुंह करना काफ़ी है।⁽¹⁾

सवाल वोह कौन सी जगह है जहां किसी भी तरफ़ मुंह कर के नमाज़ पढ़ी जा सकती है ?

जवाब का'बा शरीफ़ की इमारत के अन्दर या इस की छत पर नमाज़ पढ़े तो जिस तरफ़ भी चाहे मुतवज्जेह हो कर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।⁽²⁾

मकरूह अवकात

सवाल मकरूह अवकात कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब मकरूह अवकात तीन हैं : (1) तुलूए आफ़ताब से ले कर 20 मिनट बा'द तक (2) गुरुबे आफ़ताब से 20 मिनट पहले (3) निस्फुन्नहार या'नी ज़हूवए कुब्रा से ले कर ज़वाले आफ़ताब तक।⁽³⁾ इन तीनों वक्तों में कोई नमाज़ जाइज़ नहीं न फ़र्ज़ न वाजिब न नफ़ल न अदा न क़ज़ा, यूंही सज्दए व सज्दए सहव भी ना जाइज़ है, अलबत्ता उस रोज़ अगर अस्र की नमाज़ नहीं पढ़ी तो अगर्चे आफ़ताब डूबता हो पढ़ ले, मगर इतनी ताख़ीर करना हराम है। हदीस में इस को मुनाफ़िक़ की नमाज़ फ़रमाया।⁽⁴⁾

सवाल अगर किसी ने नमाज़ की यूं निय्यत की, कि “मैं चार रक्अत मग़रिब की या तीन रक्अत ज़ोहर की अदा करता हूं” नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब जी हां नमाज़ हो जाएगी क्यूं कि निय्यत में ता'दादे रक्अत की ज़रूरत नहीं अलबत्ता अफ़ज़ल ज़रूर है।⁽⁵⁾

सवाल इमाम ने अगर किसी मख़सूस शख्स के मुतअल्लिक़ येह क़स्द कर लिया कि “मैं फुलां का इमाम नहीं हूं” तो ऐसी सूरत में उस शख्स की नमाज़ होगी या नहीं ?

1... बहारे शरीअत, 1/487, हिस्सा : 3

2... فتاوى هندية، كتاب الصلاة، الباب الثالث في شروط الصلاة، الفصل الثالث في استقبال القبلة، 63/1

3... در مختار و رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: بشرط العلم بدخول الوقت، 2/37-40

4... बहारे शरीअत, 1/454, हिस्सा : 3

5... در مختار و رد المحتار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، مطلب في حضور القلب والخشوع، 2/121

जवाब उस शख्स की नमाज़ हो जाएगी क्यूं कि इमाम को निय्यते इमामत करना ज़रूरी नहीं।⁽¹⁾

सुवाल इमाम को नमाज़ में पाया और मा'लूम नहीं कि नमाज़े इशा है या तरावीह तो किस निय्यत से इक्तिदा की जाए ?

जवाब उसे चाहिये कि फ़र्ज़ की निय्यत करे कि अगर फ़र्ज़ की जमाअत थी तो फ़र्ज़, वरना नफ़ल हो जाएंगे।⁽²⁾

सुवाल क्या नफ़ल, सुन्नत और तरावीह में मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफी है ?

जवाब तरावीह में तरावीह या सुन्नते वक़्त की निय्यत करे और बाक़ी सुन्नतों में सुन्नत या हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ की मुताबअत (पैरवी) की निय्यत करे। नफ़ल नमाज़ में मुत्लक नमाज़ की निय्यत काफी है।⁽³⁾

क्या औरत स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ सकती है ?

सुवाल ख़वातीन का स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा है ?

जवाब स्कर्ट में औरत के बाजू और पिंडलियां खुली रहती हैं और ऐसा लिबास औरत को पहनना जाइज़ नहीं और न ही स्कर्ट पहन कर नमाज़ हो सकती है इस लिये कि नमाज़ में सत्रे औरत फ़र्ज़ है और बाजू पिंडलियां औरत के सत्र में दाख़िल हैं। जब सत्र में शामिल किसी भी उज़्व का चौथाई हिस्सा खुला हो या मुतअदद आ'जाए सत्र खुले होने की सूरत में उन में जो सब से छोटा उज़्व है उस का चौथाई हिस्सा खुला हो तो ऐसी हालत में नमाज़ शुरूअ ही नहीं होती बल्कि ज़िम्मे पर बाक़ी रहती है तो ऐसा लिबास जो अल्लाह पाक के हक़ को पूरा करने में रुकावट बने वोह किस क़दर बुरा लिबास है अन्दाज़ा लगाया जा सकता है। लिहाज़ा न तो नमाज़ ऐसा लिबास पहन कर पढ़ी जा सकती है और न ही नमाज़ के इलावा ऐसा लिबास पहनना जाइज़ है।⁽⁴⁾

नमाज़ में औरत के बाल नज़र आ रहे हों तो ?

सुवाल नमाज़ में औरत के बाल नज़र आ रहे हों तो क्या औरत की नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब औरत के बाल आ'जाए सत्र में से हैं, औरत पर इन का पर्दा फ़र्ज़ है और आ'जाए सत्र में से कोई उज़्व हालते नमाज़ में ज़ाहिर हो तो नमाज़ दुरुस्त होने या न होने में उस की चौथाई का ए'तिबार

1... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الثالث في شروط الصلوة، الفصل الرابع في النية، 1/66

2... در مختار، كتاب الصلوة، باب شروط الصلوة، 2/153

3... बहारे शरीअत, 1/493, हिस्सा : 3

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 62

है। लिहाज़ा चौथाई से कम बाल खुले हुए हों तो नमाज़ हो जाएगी और अगर चौथाई या इस से ज़ियादा मिक्दार में बाल खुले हुए हैं या चादर, दोपट्टा बारीक होने की वजह से चौथाई की मिक्दार बालों की रंगत ज़ाहिर हो रही है तो इस बिना पर नमाज़ न होने की दो सूरतें हैं : (1) अगर औरत ने नमाज़ ही इस हालत में शुरू की, कि इस क़दर बाल खुले हुए थे या उन की रंगत ज़ाहिर हो रही थी तो नमाज़ शुरू नहीं हुई (2) अगर यह हालत नमाज़ शुरू होने के बाद पैदा हुई और औरत ने इसी हालत में कोई रुकन अदा कर लिया या एक रुकन या'नी तीन मरतबा **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहने की मिक्दार (देर) गुज़र गई तो नमाज़ फ़ासिद हो गई और अगर एक रुकन (या'नी तीन मरतबा **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहने) की मुद्दत गुज़रने से पहले ही बाल छुपा लिये तो नमाज़ हो गई।

याद रहे कि यह तफ़्सील चौथाई की मिक्दार बिना क़स्द (बिग़ैर इरादे के) खुल जाने की सूरत में है, अगर कोई औरत क़स्दन (जान बूझ कर) हालते नमाज़ में चौथाई की मिक्दार बाल खोल ले तो फ़ौरन नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी अगरचें एक रुकन की मिक्दार ताख़ीर न की हो।

तम्बीह : औरत के आ'जाए सत्र में सर और सर से जो बाल लटक रहे होते हैं येह दो अलग अलग उज़्व की हैसियत रखते हैं। सर की ता'रीफ़ येह है कि पेशानी से ऊपर जहां से आदतन बाल उगना शुरू होते हैं वहां से ले कर गरदन की शुरू तक तूल में और एक कान से दूसरे कान तक अर्ज़ में (या'नी आदतन जहां बाल उगते हैं) येह सर है। लिहाज़ा अगर नज़र आने वाले बाल सर की हृद में हों मसलन पेशानी की जानिब से बाल नज़र आ रहे हों तो उस में सर की चौथाई का लिहाज़ होगा और अगर सर से लटकने वाले बालों में से कुछ ज़ाहिर हों तो सिर्फ़ उन लटकने वाले बालों की चौथाई देखी जाएगी।

क्या औरत अंधेरे में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है ?

सवाल गरमी के मौसिम में इस्लामी बहन कमरे में अंधेरा होने की सूरत में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है या नहीं ? नीज़ ऐसी सूरत में उसे कोई ग़ैर मह्रम तो क्या मह्रम भी नहीं देख रहा होता ?

जवाब नमाज़ के लिये औरत का सर और उस के लटकते बाल भी सत्रे औरत में शामिल हैं लिहाज़ा अगर औरत ने लिबास होने के बाद वुजूद दौराने नमाज़ अपना सर न छुपाया तो नमाज़ न होगी और कमरे में अंधेरा होने और किसी के न देखने से कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा। नमाज़ के लिये सत्र का एहतिमाम करना फ़र्ज़ है।

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह मुफ्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : सत्रे औरत हर हाल में वाजिब है, ख़्वाह नमाज़ में हो या नहीं, तन्हा हो या किसी के सामने, बिला किसी ग़रजे सहीह के तन्हाई में भी खोलना जाइज़ नहीं और लोगों के सामने या नमाज़ में तो सत्र बिल इज्माअ फ़र्ज़ है। यहां तक कि अगर अंधेरे मकान में नमाज़ पढ़ी, अगरचें वहां कोई न हो और उस के पास इतना पाक कपड़ा मौजूद है कि सत्र का काम दे और नंगे पढ़ी, बिल इज्माअ न होगी।⁽¹⁾

औरत का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना

सुवाल अहादीसे तय्यिबा में जूड़ा बांध कर (या'नी बालों को इकठ्ठा कर के सर के पीछे गिरह दे कर) नमाज़ पढ़ने से मुमानअत वारिद हुई है, तो आज कल औरतें केचर (Catcher) लगा कर बालों को ऊपर की तरफ़ फ़ोल्ड कर लेती हैं, क्या केचर (Catcher) या किसी और चीज़ के ज़रीए जूड़ा बने बालों से नमाज़ पढ़ना औरतों के लिये मन्अ है ?

जवाब अहादीसे तय्यिबा में सरकारे दो आलम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने जूड़ा बंधे बालों के साथ नमाज़ पढ़ने की जो मुमानअत फ़रमाई है वोह मर्दों के साथ ख़ास है जिस की सराहत खुद हदीसे पाक में मौजूद है, औरतों के लिये येह मुमानअत नहीं है। मर्दों के लिये मुमानअत की हिकमत शारिहीने हदीस ने येह बयान फ़रमाई ताकि मर्द के सर के साथ साथ उस के बाल भी ज़मीन पर गिरें और रब्बे करीम के हुज़ूर सज्दा रेज़ हों, फिर इस पर फुक़हाए किराम ने येह मस्अला बयान फ़रमाया कि जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना मर्दों के लिये मक्रूहे तहरीमी है।

जब कि औरत के बाल सत्रे औरत में दाख़िल हैं या'नी ग़ैर मह़रम के सामने और बिल खुसूस नमाज़ में इन को छुपाना फ़र्ज़ है, अगर औरतें जूड़ा न बांधें तो हालते नमाज़ में उन के बाल बिखर सकते हैं, जिस से उन के बालों की बे सत्री का अन्देशा है, जिस से नमाज़ पर असर भी पड़ेगा, लिहाज़ा अगर औरतें अपने बालों को सर के पीछे इकठ्ठा कर के गिरह लगा लें या उन को केचर (Catcher) वग़ैरा के ज़रीए गिरिफ़्त में ले लें तो बालों को छुपाने में मुआविन साबित होंगे।

औरत का दूध कपड़ों पर लग जाए तो

सुवाल अगर किसी औरत का दूध ज़ियादा होने की वजह से खुद ही निकल पर कपड़ों के साथ लगता रहे, तो क्या वोह उन कपड़ों के साथ नमाज़ पढ़ सकती है ?

1... बहारे शरीअत, 1/479, मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 63

जवाब इन्सानी दूध लगे कपड़ों में नमाज़ पढ़ना दुरुस्त है, कि इन्सान का दूध पाक है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 14

नमाज़ के फ़राइज़

सुवाल नमाज़ के फ़राइज़ कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब पहले एक हदीसे मुबारका मुलाहज़ा कीजिये, प्यारे आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ का फ़रमान है : जिस ने 2 रकअत नमाज़ अदा की और उस में कोई ग़लती नहीं की, **अल्लाह** पाक उस के पिछले छोटे गुनाह मुआफ़ फ़रमा देगा।⁽²⁾

नमाज़ के दौरान इन 7 चीज़ों का करना ज़रूरी है, वरना नमाज़ नहीं होगी।

नम्बर शुमार	फ़राइज़	तफ़्सील
01	तक्बीरे तहरीमा	या'नी नमाज़ शुरू करना "الله أكبر" कह कर नमाज़ शुरू करेंगे। (तक्बीरे तहरीमा वैसे तो नमाज़ की शर्त है, लेकिन चूँकि येह नमाज़ के साथ मिली हुई है, इस लिये इसे फ़र्ज़ भी कहा गया है)
02	क़ियाम	क़िराअत में बिल्कुल सीधा खड़ा होना या कम अज़ कम ऐसे खड़ा होना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक न पहुँचें
03	क़िराअत	जितना कुरआन पढ़ना लाज़िम है उतना कुरआन पढ़ना। सूरतुल फ़ातिहा मुकम्मल पढ़ेंगे, इस के बा'द तीन छोटी आयात या एक बड़ी आयात जो तीन छोटी आयात के बराबर हो या कोई एक छोटी सूरत पढ़ेंगे। (फ़र्ज़ नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में क़िराअत करना ज़रूरी नहीं)
04	रुकूअ	या'नी कम अज़ कम इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुँच जाएं। अच्छा रुकूअ येह है कि झुक कर घुटने पकड़ ले और कमर बिल्कुल सीधी बिछा दे
05	सुजूद	या'नी पेशानी को ज़मीन पर अच्छी तरह जमाना। इस के इलावा हाथ, पाउं ज़मीन पर लगेंगे, नाक की बीच की हड्डी लगेगी और पैर की तीन तीन उंगलियों के पीछे वाला उभरा हुआ हिस्सा भी

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 61 ता 62

2 ... مسند احمد، مسند الانصار، 8/162، حديث: 21479

		जमीन पर लगेगा। हर रकअत के 2 सज्दे फर्ज हैं।
06	का'दए अखीरा	या'नी नमाज़ की सब रकअतें पूरी होने के बा'द "अत्तहिyyात" के लिये बैठना। मुकम्मल "अत्तहिyyात" पढ़ना लाज़िम है।
07	खुरूजे बि सुद्ही	या'नी लफ़्जे "सलाम" के ज़रीए नमाज़ को ख़त्म करना। ⁽¹⁾

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल क़िराअत की जगह सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ ली तो क्या नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब नमाज़ नहीं होगी क्यूं कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ने से फ़र्ज अदा न होगा।⁽²⁾

सुवाल अगर किसी ने पहली रकअत में सूरतुन्नास पढ़ ली तो दूसरी में क्या पढ़े ?

जवाब पहली रकअत में सूरतुन्नास अमदन (जान बूझ कर) नहीं पढ़नी चाहिये ताकि तक्रार की ज़रूरत न पड़ जाए अगर सहवन (भूल कर) या अमदन पढ़ चुका तो अब दूसरी रकअत में वोही सूरत या'नी सूरतुन्नास दोबारा पढ़े क्यूं कि तरतीब बदल कर पढ़ना तक्रार से भी सख़्त है ब ख़िलाफ़ ख़त्मे कुरआन की सूरत के कि इस में पहली रकअत में सूरतुन्नास तक पढ़ना और दूसरी रकअत में **اللّٰهُ** ता **مُفْلِحُونَ** पढ़ना जाइज़ और दुरुस्त है।⁽³⁾

सुवाल अगर इस में शक हो जाए कि इमाम से पहले तक्बीर कही या बा'द में तो क्या करे ?

जवाब अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले कही (तो नमाज़) न हुई और अगर ग़ालिब गुमान है कि इमाम से पहले नहीं कही तो (नमाज़) हो गई और अगर किसी तरफ़ ग़ालिब गुमान न हो तो एहतिyयात् येह है कि (नमाज़) क़त्अ करे (या'नी तोड़ दे) और फिर से तहरीमा बांधे।⁽⁴⁾

सुवाल गूंगा या वोह शख्स जिस की ज़बान बन्द हो वोह तक्बीरे तहरीमा किस तरह कहे ?

जवाब इन पर तलफ़फ़ुज़ वाजिब नहीं, दिल में इरादा कर लेना काफ़ी है।⁽⁵⁾



1... हमारा इस्लाम, स. 138 माख़ूज़न

2... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، 2/236، بهار شریعت، 1/512، حصه: 3

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/266 ता 267

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، 2/219

5... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، 2/220

नमाज़

फ़राइज़

तक्बीरे तहरीमा

क़ियाम

क़िराअत

रुकूअ

सुजूद

क़ा'दए अख़ीरा

ख़ुरूजे बि सुन्द्ही

सुवाल नमाज़ में कितनी देर तक क़ियाम ज़रूरी है ?

जवाब क़ियाम इतनी देर तक है जितनी देर क़िराअत है, या'नी ब क़दरे क़िराअते फ़र्ज़, क़ियाम भी फ़र्ज़, ब क़दरे वाजिब, वाजिब और ब क़दरे सुन्नत, सुन्नत।⁽¹⁾ लेकिन पहली रकअत में क़ियामे फ़र्ज़ में मिक्दारे तक्बीरे तहरीमा भी शामिल होगी।⁽²⁾

सुवाल कौन सी नमाज़ों में तक्बीरे तहरीमा के लिये खड़े होना फ़र्ज़ है ?

जवाब जिन नमाज़ों में क़ियाम फ़र्ज़ है उन में तक्बीरे तहरीमा के लिये क़ियाम फ़र्ज़ है, तो अगर बैठ कर **الله أكبر** कहा फिर खड़ा हो गया, नमाज़ शुरू ही न हुई।⁽³⁾

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ें हैं जिन में क़ियाम फ़र्ज़ है ?

जवाब फ़र्ज़, वित्र, ईदैन और सुन्नते फ़ज़्र में क़ियाम फ़र्ज़ है। अगर बिला उज़्रे सहीह कोई येह नमाज़ें बैठ कर अदा करेगा तो न होंगी।⁽⁴⁾

सुवाल किस सूरत में खड़े हो कर नमाज़ पढ़ने की ताक़त होने के बा वुजूद बैठ कर नमाज़ पढ़ना बेहतर है ?

जवाब जो शख्स क़ियाम पर क़ादिर है मगर सज्दा नहीं कर सकता या'नी ज़मीन पर या ज़मीन पर इतनी ऊंची रखी हुई चीज़ पर जिस की ऊंचाई बारह (12) उंगल से ज़ियादा न हो सज्दा करने से अज़िज़ हो तो उस शख्स से क़ियाम साक़ित हो जाएगा उस के लिये बेहतर येह है कि बैठ कर इशारे से नमाज़ पढ़े लेकिन खड़े हो कर भी पढ़ सकता है।⁽⁵⁾

सुवाल वोह कौन सी आयत है जिसे पढ़ने से क़िराअत का फ़र्ज़ अदा नहीं होगा ?

जवाब सूरतों के शुरू में **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** एक पूरी आयत है, मगर सिर्फ़ इस के पढ़ने से फ़र्ज़ अदा न होगा।⁽⁶⁾



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، 2/163

2... बहारे शरीअत, 1/510, हिस्सा : 3

3... فتاوى هندی، کتاب الصلوة، الباب الرابع فی صفة الصلوة، 1/68

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، بحث القيام، 2/164

5... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، بحث القيام، 2/164، स. 4, कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अहकाम,

6... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفة الصلوة، 2/236

सुवाल मुक्तदी ने तक्बीरे तहरीमा इमाम से पहले ख़त्म कर ली तो नमाज़ का क्या हुक्म होगा ?

जवाब मुक्तदी ने तक्बीरे तहरीमा का लफ़्ज़े “अल्लाह” इमाम के साथ कहा मगर “अक्बर” इमाम से पहले ख़त्म कर लिया तो नमाज़ न होगी।⁽¹⁾

सुवाल नमाज़ में क़िराअत किस तरह करनी चाहिये ?

जवाब क़िराअत इस तरह करनी चाहिये कि तमाम हुरूफ़ मख़ारिज से अदा किये जाएं कि हर हर्फ़ दूसरे से सहीह तौर पर मुमताज़ (नुमायां) हो जाए।⁽²⁾

सुवाल अगर किसी शख्स ने रुकूअ करने से पहले सज्दा कर लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब क़ियाम, रुकूअ, सुजूद और का'दए अख़ीरा में तरतीब फ़र्ज़ है, अगर रुकूअ से पहले सज्दा कर लिया फिर रुकूअ किया तो वोह सज्दा जाता रहा, अगर रुकूअ के बा'द दोबारा सज्दा करेगा तो नमाज़ हो जाएगी वरना नहीं।⁽³⁾

सुवाल जो रुकूअ में “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” का “عظیم” सहीह अदा न कर सके वोह क्या पढ़े ?

जवाब उसे चाहिये कि वोह “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْكَرِيمِ” पढ़े।⁽⁴⁾

सुवाल रुकूअ का अदना दरजा क्या है ?

जवाब इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, येह रुकूअ का अदना दरजा है।⁽⁵⁾

सुवाल रुकूअ का मुकम्मल दरजा क्या है ?

जवाब इतना झुकना कि पीठ सीधी बिछा दे येह रुकूअ का पूरा दरजा है।⁽⁶⁾

सुवाल हर रकअत में कितनी बार सज्दा फ़र्ज़ है ?

जवाब हर रकअत में दो बार सज्दा फ़र्ज़ है।⁽⁷⁾



- 1... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع، الفصل الاول، 1/68-69
- 2... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الرابع، صفحہ الصلاۃ، الفصل الاول، 1/69 مضموناً
- 3... در مختار مع رد المختار، کتاب الصلوۃ، باب صفۃ الصلوۃ، 2/172
- 4... رد المختار، کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ، مطلب: قراءة البسملة... الخ، 2/242
- 5... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلاۃ، 2/165 تا 166
- 6... حاشیہ طحاوی علی المراقی الفلاح، کتاب الصلاۃ، باب شروط الصلاۃ وارکانہا، ص 229
- 7... در مختار مع رد المختار کتاب الصلاۃ، باب صفۃ الصلوۃ، بحث الركوع والسجود، 2/167

सुवाल एक आदमी तन्हा नमाज़ अदा कर रहा है, अगर दौराने नमाज़ किसी रकअत में भूल कर उस ने सिर्फ एक सज्दा किया और अगली रकअत में उसे याद आया कि मैं ने एक ही सज्दा किया था तो वोह क्या करे और अगर नमाज़ का सलाम फेरने के बा'द याद आया तो क्या करे ?

जवाब किसी रकअत का सज्दा रह गया तो नमाज़ के अन्दर जब याद आए कर ले और आखिर में सज्दाए सहव करे, अगर रुकूअ में याद आया कि नमाज़ का कोई सज्दा रह गया है और वहीं से सज्दे को चला गया या सज्दे में याद आया और सर उठा कर वोह सज्दा कर लिया तो बेहतर येह है कि उस रुकूअ व सुजूद का इअ़ादा करे और सज्दाए सहव करे और अगर उस वक़्त न किया बल्कि आखिरे नमाज़ में किया तो उस रुकूअ व सुजूद का इअ़ादा नहीं सज्दाए सहव करना होगा ।

और अगर सलाम के बा'द याद आया तो अगर कोई काम मुनाफ़िये नमाज़ नहीं किया या'नी कोई गुफ़्तगू नहीं की, क़स्दन वुजू न तोड़ा वगैरा, तो याद आते ही नमाज़ का रह जाने वाला सज्दा करे फिर सर उठा कर तशह्हुद पढ़े, इस के बा'द सज्दाए सहव करे और तशह्हुद मुकम्मल पढ़ कर सलाम फेर दे ।⁽¹⁾

सुवाल का'दए अख़ीरा में ग़लती से खड़ा हो जाए तो क्या करे ?

जवाब जो शख़्स नमाज़ का आखिरी का'दा भूल कर खड़ा हो जाए उसे हुक्म है कि जब तक उस ज़ाइद रकअत का सज्दा न किया हो लौट आए और का'दा कर के सज्दाए सहव करे और अपनी नमाज़ मुकम्मल करे, नमाज़ दुरुस्त हो जाएगी । बिगैर का'दा किये पांचवीं के लिये खड़े हो जाने के बा'द अगर वापस न लौटा और पांचवीं रकअत का सज्दा कर लिया तो फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे, अलबत्ता नमाज़ फ़ासिद नहीं होगी बल्कि नफ़ल हो जाएगी और उसे हुक्म होगा कि मज़ीद एक रकअत मिला ले, और फ़र्ज़ नए सिरे से पढ़ेगा ।⁽²⁾

सुवाल कारपेट पर सज्दा करते वक़्त किस चीज़ की एह़तियाज़ ज़रूरी है नीज़ क्या स्प़िंग वाले गद्दे पर सज्दा किया जा सकता है ?

जवाब कारपेट पर सज्दा करते वक़्त इस बात का ख़ास ख़याल रखना है कि पेशानी अच्छी तरह जम जाए वरना नमाज़ न होगी और नाक की हड्डी न दबी तो नमाज़ मक्रूहे तहरीमी वाजिबुल इअ़ादा होगी । स्प़िंग वाले गद्दे पर पेशानी ख़ूब नहीं जमती लिहाज़ा (इस पर सज्दा करने से) नमाज़ न होगी ।⁽³⁾

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 64

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 49

3... बहारे शरीअ़त, 1/514, हिस्सा : 3 मुख़्तब़सन

सुवाल सज्दे में पेशानी जमने का क्या मतलब है ?

जवाब जमने के मा'ना येह हैं कि ज़मीन की सख़्खी महसूस हो अगर किसी ने इस तरह सज्दा किया कि पेशानी न जमी तो सज्दा न होगा।⁽¹⁾

सुवाल सज्दे की जगह क़दमों वाली जगह से ऊंची हो तो क्या सज्दा हो जाएगा ?

जवाब ऐसी जगह सज्दा किया जो क़दम की ब निस्बत बारह उंगल से ज़ियादा ऊंची है तो सज्दा नहीं होगा और बारह उंगल से कम या सिर्फ़ बारह उंगल ऊंची है तो हो जाएगा।⁽²⁾

रफ़ू यदैन्

सुवाल नमाज़ में तकबीरे तहरीमा और तकबीरे कुनूत के इलावा रफ़ू यदैन् (हाथ उठाना) कैसा है ?

जवाब अहनाफ़ के नज़्दीक नमाज़ में तकबीरे तहरीमा और तकबीरे कुनूत के सिवा कहीं भी रफ़ू यदैन् (हाथ उठाना) जाइज़ नहीं। इस पर अहदादीसे रसूल और बुजुर्गाने दीन के अक्वाल मौजूद हैं। आइये दो अहदादीस मुलाहज़ा कीजिये :

(1) हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कहते हैं कि एक दिन रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हमारे पास तशरीफ़ लाए और इर्शाद फ़रमाया :

“**مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُنُيسٍ أُسْكِنُوا فِي الصَّلَاةِ**” या'नी येह क्या बात है कि मैं तुम्हें हाथ उठाते देखता हूं, जैसे सरकश घोड़ों की दुमें ? नमाज़ में सुकून के साथ रहो।⁽³⁾

(2) हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : “**أَلَا أَصَلِّي بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ**” या'नी क्या मैं तुम्हें रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की नमाज़ पढ़ कर न दिखाऊं ? फिर आप ने नमाज़ पढ़ी और सिर्फ़ एक बार तकबीरे तहरीमा के वक़्त हाथ उठाए।

मशहूर मुफ़स्सिर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हक़ येह है कि रफ़ू यदैन् मन्सूख़ है। चुनान्चे ऐनी शर्हें बुख़ारी में है कि सय्यिदुना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने एक शख़्स को रुकूअ में जाते आते रफ़ू यदैन् करते देखा तो फ़रमाया ऐसा न किया करो येह वोह



1... فتاوى هندية، كتاب الصلاة، الباب الرابع، الفصل الاول، 70/1

2... در مختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صفّة الصلوة، مطلب في اطلاع الركوع للجاني، 2/257

3... مسلم، كتاب الصلاة، باب الامر بالسكون في الصلاة، ص 181، حديث: 968

4... ترمذی، ابواب الصلاة، باب اجاء ان النبي لم يرفع... الخ، 1/292، حديث: 257

काम है जिसे हुजूर ﷺ ने अव्वलन किया था फिर छोड़ दिया नीज़ सय्यिदुना इब्ने मस्ऊद, उमर इब्ने ख़त्ताब, अलिय्युल मुर्तज़ा, बराअ इब्ने आज़िब, हज़रते अल्क़मा वगैरा बहुत सहाबा से कि वोह रफ़्ए यदैन न करते थे और करने वालों को मन्अ करते थे नीज़ इब्ने अबी शैबा और तहावी ने हज़रते मुजाहिद से रिवायत की, कि मैं ने हज़रते इब्ने उमर के पीछे नमाज़ पढ़ी आप ने सिवा तक्बीरे ऊला के किसी वक़्त हाथ न उठाए, मा'लूम हुवा कि सय्यिदुना इब्ने उमर के नज़्दीक भी रफ़्ए यदैन मन्सूख़ है।⁽¹⁾

इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा

पहले 4 फ़रामीने मुस्त्फ़ा मुलाहज़ा कीजिये : (1) जिस ने अच्छी तरह वुजू किया और फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ने के लिये चला, फिर इमाम के साथ नमाज़ पढ़ी, उस के गुनाह मुआफ़ कर दिये जाएंगे।⁽²⁾ (2) जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये चल कर न आने वाला अगर जानता कि जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के लिये चल कर आने वाले के लिये क्या अज़्र है तो वोह ज़रूर आता, अगर्चे उसे घिसटते हुए आना पड़ता।⁽³⁾ (3) हमारी भलाई चाहने वाले आक़ा ﷺ का फ़रमान है : जो शख़्स (रुकूअ और सज्दे वगैरा में) इमाम से पहले अपना सर उठाता है क्या वोह इस बात से नहीं डरता कि **अल्लाह** पाक उस का सर गधे के सर जैसा कर दे !⁽⁴⁾ (4) एक मरतबा आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : इमाम तो इस लिये होता है कि ताकि उस की इक्तीदा की जाए, तो जब वोह तक्बीर कहे तो तुम भी तक्बीर कहो और जब वोह तिलावत करे तो तुम ख़ामोश रहो।⁽⁵⁾

तक्बीरे तहरीमा की 4 अहम बातें :

01

जो नमाज़ पढ़नी हो उस की दिल में निय्यत करना। मसलन : निय्यत करता हूँ 2 रकअत नमाज़े फ़ज़्र फ़र्ज़, वासिते **अल्लाह** पाक के, मुंह मेरा का'बा शरीफ़ की तरफ़, पीछे इस इमाम के। और येह भी काफ़ी है कि “फ़ुलां नमाज़ की निय्यत करता हूँ।”

1...मिरआतुल मनाजीह, 2/16

2... صحیح ابن خزيمة، کتاب الامامة فی الصلوة، باب فضل المشی الی الجماعة متوضیاً... إلخ، 2/373، حدیث: 1489

3... معجم کبیر، عثمان بن ابی العاتكة، 8/224، حدیث: 7886

4... مسلم، کتاب الصلوة، باب التبی عن سبق الامام برکوع او سجود نحوهما، ص 181، حدیث: 963

5... ابن ماجه، کتاب اقامة الصلوة، باب اذا قرأ الامام فاصتوا، 1/462، حدیث: 846

	(येह अल्फ़ाज़ ज़बान से भी कह लिये जाएं तो ज़ियादा अच्छा है)
02	इमाम के “اللهُ أَكْبَرُ” कहने के बा’द “اللهُ أَكْبَرُ” कहना
03	इतनी आवाज़ से “اللهُ أَكْبَرُ” कहना कि अपने कान सुन लें, साथ वालों को आवाज़ न जाए
04	दोनों हाथ कानों तक उठा कर नाफ़ के नीचे बांधना

क़ियाम की 2 अहम बातें :

01	“सना” या’नी سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ (मुकम्मल) पढ़ना
02	“सना” के इलावा कुछ न पढ़ना और चुप खड़ा रहना

इमाम चाहे बुलन्द आवाज़ से क़िराअत कर रहा हो या आहिस्ता आवाज़ से, मुक़्तदी को ख़ामोश रहना लाज़िमी है। कुरआने करीम में पारह 9 सूरतुल आ’राफ़ आयत नम्बर 204 में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿٢٠٤﴾ (پ۹، الاعراف: 204)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जब कुरआन पढ़ा जाए तो उसे कान लगा कर सुनो और ख़ामोश रहो कि तुम पर रहम हो।

इसी तरह हदीसे पाक में नबिय्ये पाक صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : इमाम तो इस लिये बनाया गया है कि उस की इक्तदा की जाए, वोह जब तक्बीर कहे तुम भी तक्बीर कहो और जब वोह क़िराअत करे तुम चुप रहो।⁽¹⁾

रुकूअ की 2 अहम बातें :

01	इमाम के “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर रुकूअ में जाने के वक़्त, “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए रुकूअ में जाना
02	3 बार “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” कहना

कौमा की 2 अहम बातें :

01	इमाम के “سَمِعَ اللَّهُ لَيْسَ حِدَةً” कह कर खड़े होने के वक़्त “اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ” कहते हुए खड़ा होना



02

खड़े हो कर कुछ न पढ़ना, दो तीन सेकन्ड ठहरना और हाथ लटके हुए रखना

सज्दे की 2 अहम बातें :

01

इमाम “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर सज्दे में जाए तो “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए सज्दे में जाना

02

3 बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” कहना

जल्से की 2 अहम बातें :

01

इमाम “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर बैठे तो “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए बैठना

02

मुकम्मल बैठने के बा'द “اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي” कहना

दूसरे सज्दे की 2 अहम बातें :

01

इमाम “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर सज्दे में जाए तो “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए सज्दे में जाना

02

3 बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” कहना

नोट : जहां लिखा है कि 3 मरतबा येह पढ़ें, वहां येह बात याद रखें कि अगर इमाम साहिब नमाज़ में आगे बढ़ गए तो हम 3 तस्बीह मुकम्मल किये बिगैर इमाम से मिल जाएंगे (चाहे हम ने एक तस्बीह पढ़ी हो)। एक तस्बीह पढ़ने में जितना वक़्त लगता है उतना ठहरना वाजिब है, इस लिये उतना ज़रूर ठहरेंगे, अगर्चे इमाम साहिब नमाज़ में आगे बढ़ जाएं।

दूसरी रक्अत के लिये उठने की 1 अहम बात :

01

इमाम के “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर खड़े होते वक़्त “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए खड़ा होना

नोट : अब पहली रक्अत की तरह दूसरी रक्अत मुकम्मल कर लीजिये।

दूसरी रक्अत के दूसरे सज्दे के बा'द का'दे की 2 अहम बातें :

01

दूसरी रक्अत के दूसरे सज्दे के बा'द जब इमाम “اللهُ أَكْبَرُ” कह कर बैठे तो “اللهُ أَكْبَرُ” कहते हुए बैठना

02

इतनी आवाज़ से अत्तहिय्यात पढ़ना कि अपने कान सुन लें

नोट : * अगर हम ने अत्तहिय्यात मुकम्मल नहीं पढ़ी थी और इमाम साहिब आगे बढ़ गए तब भी हम अत्तहिय्यात मुकम्मल करेंगे * अगर 3 या 4 रकअत वाली फ़र्ज नमाज़ें हैं, जैसे : मग़रिब या ज़ोहर, अस्र और इशा, तो हम पहली और दूसरी रकअत की तरह तीसरी और चौथी रकअत अदा करेंगे * किसी भी फ़र्ज नमाज़ की तीसरी और चौथी रकअत में इमाम साहिब बुलन्द आवाज़ से क़िराअत नहीं करते फिर भी हम बिल्कुल ख़ामोश रहेंगे ।

का'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें :

01	आख़िरी रकअत के दूसरे सज़्दे के बा'द जब इमाम "اللّٰهُ اَكْبَرُ" कह कर बैठे तो "اللّٰهُ اَكْبَرُ" कहते हुए बैठना
02	इतनी आवाज़ से अत्तहिय्यात पढ़ना कि अपने कान सुन लें
03	अत्तहिय्यात के बा'द दुरूद शरीफ़ पढ़ना
04	इस के बा'द दुआ पढ़ना

नोट : 4 रकअत वाली नमाज़ (जैसे : ज़ोहर, अस्र, इशा) की तीसरी रकअत के 2 सज़्दों के बा'द नहीं बैठेंगे ।

सलाम फेरने की 2 अहम बातें :

01	इमाम के सीधी जानिब सलाम फेरने के बा'द सीधी जानिब गरदन फेरना और "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" कहना
02	इमाम के उलटी तरफ़ सलाम फेरने के बा'द उलटी तरफ़ गरदन फेरना और "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" कहना

नोट : अगर अत्तहिय्यात मुकम्मल नहीं पढ़ी और इमाम ने सलाम फेर दिया तब भी हम अत्तहिय्यात मुकम्मल कर के सलाम फेरेंगे ।

दूसरी, तीसरी और चौथी रकअत में शामिल होने वाला शख्स अपनी बक़िय्या नमाज़ इस तरह पढ़े :

सुवाल दूसरी, तीसरी और चौथी रकअत बल्कि का'दए अख़ीरा में शामिल होने वाला शख्स अपनी बक़िय्या रकअतें किस तरह मुकम्मल करेगा ?

जवाब जमाअत में शरीक मुक्तदी जिस की कुछ रकअतें निकल गई हों, मस्बूक कहलाता है। इमाम के सलाम फेरने के बा'द फौत शुदा रकअतों की अदाएगी का तरीका दर्जे जैल है :

अगर चारों रकअतें निकल गई हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द मस्बूक खड़ा हो कर इस तरह नमाज़ पढ़े जिस तरह मुन्फ़रिद या'नी अकेला शख्स नमाज़ पढ़ता है या'नी खड़ा हो कर पहली रकअत में सना, तअव्वुज़ व तस्मिया के बा'द क़िराअत करे और हस्बे मा'मूल बक़िय्या नमाज़ अ़म तरीके कार से मुकम्मल करे।

अगर इस की तीन रकअतें छूटी हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द खड़ा हो कर पहली रकअत की तरह एक रकअत अदा करे इस में का'दा भी करे फिर खड़ा हो कर एक रकअत सूरए फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़े इस में का'दा नहीं करेगा फिर इस के बा'द एक और रकअत सूरए फ़ातिहा पढ़ कर अदा करे।

और अगर दो रकअतें निकली हों तो इमाम के सलाम फेरने के बा'द खड़ा हो कर दो रकअतें सूरए फ़ातिहा और सूरत के साथ पढ़े जिस की पहली रकअत में सना, तअव्वुज़ और तस्मिया भी पढ़े। अगर मग़रिब की नमाज़ में दो रकअतें रह गई हों तो अपनी एक रकअत अदा करने के बा'द का'दा भी करना होगा। अगर एक रकअत निकली हो तो खड़ा हो कर सना, तअव्वुज़ और तस्मिया के बा'द सूरए फ़ातिहा और सूरत की क़िराअत कर के रकअत मुकम्मल करे।⁽¹⁾

का'दए अखीरा में शामिल होने से पहले इमाम ने सलाम फेर दिया तो नमाज़ी क्या करे ?

सवाल जैद आया, ﷺ कह कर निय्यत बांधी और तशहहुद में बैठने के लिये हद्दे रुकूअ तक भी न झुका था कि इमाम ने सलाम फेर दिया, अब जैद के लिये क्या हुक्म है ? का'दा करे और तशहहुद पढ़ कर खड़ा हो या खड़ा रह कर ही पहली रकअत से नमाज़ का आगाज़ करे ?

जवाब पूछी गई सूरत में जैद को जमाअत नहीं मिली और न ही उस की अपनी अकेले की नमाज़ शुरू हुई बल्कि उस को नए सिरे से नमाज़ पढ़नी होगी। इस की वजह यह है कि इक़्तिदा का मतलब है मुक्तदी का इमाम की नमाज़ में शरीक होना और शर्कत उसी सूरत में होगी कि इमाम जिस रुकने नमाज़ को अदा कर रहा है नमाज़ के उस हिस्से और रुकन में मुक्तदी भी शरीक हो जाए, तो चूंकि जैद के तशहहुद (या'नी अत्तहिय्यात) में बैठने से क़ब्ल ही इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक्तदी को का'दा इमाम के साथ न मिल सका इस लिये उस की इक़्तिदा दुरुस्त न हुई और चूंकि उस ने अपनी उस नमाज़ को अकेले पढ़ने के बजाए मुक्तदी की हैसियत से शुरू किया था और इक़्तिदा दुरुस्त न हुई इस लिये

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 41

उस की अपनी इन्फ़रादी नमाज़ भी शुरू नहीं हुई।⁽¹⁾

सुवाल फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द हाथ उठा कर इज्तिमाई दुआ करना कैसा है ?

जवाब कई अहदीस में फ़र्ज़ नमाज़ के दुआ की तरगीब दिलाई गई है, चुनान्चे हज़रते सय्यिदुना अबू उमामा बाहिली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ कहते हैं मैं ने अर्ज़ की : **أَيُّ الدُّعَاءِ أَسْبَغُ** या'नी कौन सी दुआ (ज़ियादा) सुनी जाती है ? हुज़ूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : वोह जो अखीरे शब के दरमियान हो और फ़र्ज़ नमाज़ों के बा'द।⁽²⁾

हज़रते आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا से रिवायत है कि उन्होंने ने नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को हाथ उठा कर दुआ करते हुए देखा।⁽³⁾

सबक नम्बर 15

सुतरा के मसाइल

सुवाल नमाज़ी के आगे से गुज़रने की क्या वईद है ?

जवाब नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : अगर कोई जानता कि नमाज़ पढ़ने वाले अपने मुसल्मान भाई के सामने से गुज़रने में क्या (गुनाह) है तो सो बरस खड़ा रहना उस एक क़दम चलने से बेहतर समझता।⁽⁴⁾

सुवाल सुतरा किसे कहते हैं और इस की मिक्दार कितनी हो ?

जवाब नमाज़ी के आगे किसी ऐसी चीज़ का होना जिस से आड़ हो जाए उसे सुतरा कहते हैं। सुतरा ब क़दर एक हाथ के ऊंचा और उंगली बराबर मोटा हो।⁽⁵⁾

सुवाल किस सूरत में दौराने जमाअत एक शख़्स नमाज़ियों के आगे से गुज़रने के बा वुजूद गुनाहगार नहीं होता ?

जवाब जब इमाम के आगे सुतरा मौजूद हो तो अब इमाम का सुतरा मुक्तादियों के लिये भी सुतरा है, इन के लिये अलग सुतरे की हाज़त नहीं, इस सूरत में कोई मुक्तादियों के आगे से गुज़रा तो गुनाहगार नहीं।⁽⁶⁾

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 50

2 ... तर्म्ज़ी, کتاب الدعوات، 5/300، حدیث: 3510

3 ... مسند احمد، مسند السيدة عائشة، 10/116 حدیث: 26278

4 ... ابن ماجه، کتاب إقامة الصلاة، باب المرور بین یدی المصلی، 1/506، حدیث: 946

5 ... बहारे शरीअत, 1/615, हिस्सा : 3

6 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، مطلب اذا قرا قوله ... الخ، 2/487

सबक नम्बर 16

नमाज के वाजिबात

सवाल नमाज के वाजिबात कितने हैं और कौन कौन से हैं ?

जवाब पहले एक हदीस मुबारका मुलाहज़ा कीजिये : एक मरतबा प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ मस्जिद में तशरीफ़ फ़रमा थे, एक सहाबी आए, नमाज़ पढ़ी और बारगाहे रिसालत में हाज़िर हो कर सलाम अर्ज़ किया । आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने सलाम का जवाब दे कर फ़रमाया : जा कर दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई । वोह गए और नमाज़ पढ़ कर दोबारा आए । आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फिर येही फ़रमाया कि जा कर दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज़ नहीं हुई । वोह फिर गए और नमाज़ पढ़ कर आए । ऐसा 3 मरतबा हुवा । वोह सहाबी अर्ज़ करने लगे : उस ज़ात की क़सम जिस ने आप को हक़ अता फ़रमा कर भेजा है ! मुझे इस से अच्छी नमाज़ अदा करना नहीं आती, आप मुझे सिखा दीजिये । येह सुन कर आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जब नमाज़ के लिये खड़े होना चाहो तो अच्छी तरह वुजू कर के का'बे शरीफ़ की तरफ़ मुंह करो और “**اَللّٰهُ اَكْبَرُ**” कहो, फिर जो कुरआन आता हो उस की तिलावत करो, उस के बा'द इत्मीनान के साथ रुकूअ़ करो, फिर बिल्कुल सीधे खड़े हो जाओ, इस के बा'द इत्मीनान के साथ सज्दा करो, फिर इत्मीनान के साथ बैठ जाओ और इसी तरह सारी नमाज़ में करो ।⁽¹⁾

इन चीजों को नमाज़ में करना ज़रूरी है। अगर इन में से कोई चीज़ जान बूझ कर छोड़ी तो नमाज़ दोबारा पढ़ी जाएगी नीज़ ऐसा शख्स गुनाहगार भी होगा और अगर कोई चीज़ ग़लती से छूट गई तो “सज्दए सहव”(2) करना होगा। हां अगर इमाम के पीछे भूले से कोई वाजिब छूटा तो अब मुक्तदी पर सज्दए सहव लाजिम नहीं।

नोट : हर वाजिब छोड़ने का येह हुक्म नहीं है कि नमाज दोबारा पढ़नी हो या सज्दए सहव लाजिम हो ।

1... مسلم، کتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، ص 168، حديث: 885-886 لمختصا

2... “सज्दए सहव” का तरीका आगे आ रहा है।

01	तक्बीरे तहरीमा में लफ़्ज़ “اللَّهُ أَكْبَرُ” कहना	02	हर रक्अत में सूरए फ़ातिहा पढ़ना
03	सूरतुल फ़ातिहा के बा'द 1 छोटी सूरत/	04	सूरए फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना
	1 बड़ी आयत/3 छोटी आयतें कि जो एक बड़ी आयत के बराबर हो पढ़ना ⁽¹⁾	05	सूरए फ़ातिहा और सूरत के दरमियान “आमीन” और “बिस्मिल्लाह” के इलावा कुछ न पढ़ना ⁽²⁾
06	किराअत के फ़ौरन बा'द रुकूअ करना	08	हर रक्अत में 1 ही मरतबा रुकूअ करना
07	रुकूअ के बा'द बिल्कुल सीधा खड़ा होना	10	दो सज्दों के दरमियान बिल्कुल सीधा बैठना
09	तरतीब के मुताबिक एक सज्दे के बा'द बैठना फिर दूसरा सज्दा करना	11	हर रक्अत में 2 बार सज्दा करना
12	रुकूअ, कौमा, सज्दा और जल्सा में कम अज़ कम 1 बार “سُبْحَنَ اللَّهِ” कहने के बराबर ठहरना	13	दूसरी रक्अत से पहले का'दा न करना
		14	का'दए ऊला करना
15	का'दए ऊला और का'दए अखीरा में “अत्तहिyyात” मुकम्मल पढ़ना	16	फ़र्ज़, वित्र और सुन्ते मुअक्कदा के का'दए ऊला में “अत्तहिyyात” के बा'द कुछ न पढ़ना
17	4 रक्अत वाली नमाज़ में तीसरी रक्अत के बा'द का'दा न करना	18	हर फ़र्ज़ और वाजिब को उसी की जगह अदा करना
19	दोनों तरफ़ सलाम फेरने में लफ़्ज़ “अस्सलाम” कहना	20	2 फ़र्ज़/2 वाजिब/फ़र्ज़ व वाजिब के दरमियान 3 बार “سُبْحَنَ اللَّهِ” कहने के बराबर वक्फ़ा न होना
21	इमाम जब क़िराअत कर रहा हो चाहे बुलन्द आवाज़ से हो या आहिस्ता, तो मुक़तदी का चुप रहना ⁽³⁾	22	सज्दए सहव वाजिब हो तो सज्दए सहव करना ⁽⁴⁾
		*	* * *

1... चार रक्अत वाली फ़र्ज़ नमाज़ (ज़ोहर, अस्, इशा) की तीसरी और चौथी रक्अत में सूरए फ़ातिहा पढ़ना वाजिब है।

2... “आमीन” और “बिस्मिल्लाह” का पढ़ना वाजिब नहीं।

3... در مختار، کتاب الصلوة، باب واجبات الصلوة، 2/202

4... सज्दए सहव वाजिब हुवा और न किया तो नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी।

नोट : ग़लती से जितने वाजिब भी छूट जाएं एक ही मरतबा “सज्दए सहव” करना काफ़ी है।

सज्दए सहव का तरीका

का'दए अख़ीरा में जब नमाज़ की आख़िरी रक्अत मुकम्मल कर के बैठें तो “अत्तहि़य्यात” पढ़ कर सीधी तरफ़ सलाम फेरिये और 2 बार सज्दा कीजिये, जिस तरह दो सज्दों के दरमियान बैठते हैं उसी तरह यहां भी बैठना होगा। इस के बा'द दोबारा का'दा कीजिये या'नी बैठिये और “अत्तहि़य्यात” “दुरूद शरीफ़” और “दुआ” पढ़ कर सलाम फेर दीजिये।⁽¹⁾

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल वाजिबाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब वाजिबाते नमाज़ में से अगर कोई वाजिब भूले से रह जाए तो सज्दए सहव वाजिब है।⁽²⁾

सुवाल अगर दाहनी तरफ़ सलाम फेरे बिग़ैर सज्दए सहव कर लिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर बिग़ैर सलाम फेरे सज्दए सहव कर लिया तो नमाज़ हो जाएगी लेकिन ऐसा करना मक्रूहे तन्ज़ीही है।⁽³⁾

सुवाल सज्दए सहव के बा'द अत्तहि़य्यात पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब सज्दए सहव के बा'द भी अत्तहि़य्यात पढ़ना वाजिब है।⁽⁴⁾

सुवाल क़ियाम में कोई शख्स सूरए फ़ातिहा पढ़ कर कुछ देर सोचता रहा कि कौन सी सूरत पढ़ूं तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर ब क़दरे अदाए रुकन या'नी जितनी देर में 3 बार “سُبْحَنَ اللّٰهُ” कह लेता उतने वक़्त तक सोचता रहा तो सज्दए सहव लाज़िम है।⁽⁵⁾

सुवाल अगर सज्दए सहव वाजिब होने के बा वुजूद न किया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अस्ल हुक्म येह है (कि) सज्दए सहव वाजिब हुवा अगर न किया नमाज़ मक्रूहे तहरीमी हुई जिस का इअ़ादा वाजिब (है)।⁽⁶⁾

1 ... बहारे शरीअत, 1/710, हिस्सा : 4 मफ़हूमन

2 ... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/651-655

3 ... در مختار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/653

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثانی عشر فی سجود السهو، 1/125 ماخوذاً

5 ... فتاوا رज़विyyə، 8/177 मुल्लतक़तन

6 ... فتاوا رज़विyyə، 8/178 मुल्लतक़तन

सुवाल जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो क्या हुक्म है ?

जवाब जान बूझ कर वाजिब तर्क किया तो सज्दए सहव काफ़ी नहीं बल्कि नमाज़ दोबारा लौटाना वाजिब है।⁽¹⁾

सुवाल फ़र्ज़ तर्क हो गया तो क्या सज्दए सहव से इस की तलाफ़ी हो जाएगी ?

जवाब फ़र्ज़ तर्क हो जाने से नमाज़ जाती रहती है सज्दए सहव से इस की तलाफ़ी नहीं हो सकती लिहाज़ा दोबारा पढ़िये।⁽²⁾

सुवाल नमाज़ में कुरआने पाक पढ़ने से कब सज्दए सहव वाजिब होता है ?

जवाब क़ियाम के इलावा दीगर अरकान में कुरआने मजीद पढ़ने से सज्दए सहव वाजिब होता है।⁽³⁾

सुवाल का'दए ऊला में तशहहूद के बा'द अगर बे ख़याली में **اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا يَا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ** कह लिया तो इस से नमाज़ पर क्या असर पड़ेगा ?

जवाब फ़र्ज़, वित्र और सुन्नते मुअक्कदा के का'दए ऊला में तशहहूद के बा'द अगर बे ख़याली में ऐसा हुवा तो सज्दए सहव वाजिब हो जाएगा और अगर जान बूझ कर कहा तो नमाज़ लौटाना वाजिब है।⁽⁴⁾

सुवाल किस सूरत में नमाज़ी सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज़ से बाहर नहीं होता ?

जवाब जिस पर सज्दए सहव वाजिब हो मगर सहव होना याद न हो तो इस सूरत में सलाम फेरने के बा वुजूद नमाज़ के बाहर नहीं ब शर्ते कि सज्दए सहव कर ले लिहाज़ा जब तक कोई फ़े'ल मुनाफ़िये नमाज़ न किया हो उसे हुक्म है कि सज्दए सहव करे और तशहहूद वग़ैरा पढ़ कर नमाज़ पूरी करे।⁽⁵⁾

सुवाल वोह कौन सी सूरत है कि सहव होने के बा वुजूद सज्दए सहव न करना औला है ?

जवाब इस सूरत में जब कि जुमुआ व ईदैन में हाज़िरीन कसीर हों और फ़ितने का ख़ौफ़ हो तो सज्दए सहव न करना औला है।⁽⁶⁾



1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/655

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/655

3... در المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/657، 4 : हिस्सा 1/713, बहारे शरीअत,

4... در مختار ورد المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/657 مفهوما

5... در مختار ورد المختار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/670-671

6... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/675

सुवाल किस सूरत में इमाम के सज्दए सहव के लिये सलाम फेरने पर मुक्तदी ने सलाम फेर दिया तो उस की नमाज़ टूट जाएगी ?

जवाब मस्बूक या'नी वोह शख्स जो पहली रकअत के बा'द जमाअत में शामिल हुवा जब तक अपनी रकअतें मुकम्मल न कर ले सलाम नहीं फेर सकता लिहाज़ा अगर इमाम ने सज्दए सहव से पहले या बा'द सलाम फेरा और मस्बूक ने भी क़स्दन सलाम फेरा तो उस की नमाज़ टूट जाएगी हां अगर भूल कर फेरा तो नहीं टूटेगी ।⁽¹⁾

सुवाल मस्बूक ने भूल कर इमाम के साथ सलाम फेरा तो उस पर सज्दए सहव है या नहीं ?

जवाब अगर मस्बूक ने (भूल कर) इमाम के साथ मअन बिला वक़फ़ा सलाम फेरा तो उस पर सज्दए सहव नहीं और अगर सलाम इमाम के कुछ भी बा'द फेरा तो खड़ा हो जाए अपनी नमाज़ पूरी कर के सज्दए सहव करे ।⁽²⁾

सुवाल फ़ातिहा के बा'द सूरत पढ़ना भूल गया और रुकूअ या सज्दे में याद आया तो क्या करे ?

जवाब जो सूरत मिलाना भूल गया अगर उसे रुकूअ में याद आया तो फ़ौरन खड़े हो कर सूरत पढ़े फिर रुकूअ दोबारा करे फिर नमाज़ तमाम कर के सज्दए सहव करे और अगर रुकूअ के बा'द सज्दे में याद आया तो सिर्फ़ अख़ीर में सज्दए सहव कर ले नमाज़ हो जाएगी ।⁽³⁾

सुवाल इमाम ने रुकूअ से उठते वक़्त **سُبْحَانَ اللَّهِ لَيْسَ حَيْدٌ** की जगह **اللَّهُ أَكْبَرُ** कहा और सज्दए सहव नहीं किया तो नमाज़ हो गई या नहीं ?

जवाब नमाज़ हो गई और सज्दए सहव की अस्लन हाज़त नहीं ।⁽⁴⁾

सुवाल अगर किसी ने क़ियाम की हालत में तशह्हुद पढ़ा या क़ा'दए ऊला में एक से ज़ियादा मरतबा तशह्हुद पढ़ा तो क्या हुक्म है ?

जवाब पहली दो रकअतों के क़ियाम में अल हम्द के बा'द तशह्हुद पढ़ा (तो) सज्दए सहव वाजिब है और अल हम्द से पहले पढ़ा तो नहीं । पिछली (या'नी आख़िरी) रकअतों के क़ियाम में तशह्हुद पढ़ा तो सज्दा वाजिब न हुवा और अगर क़ा'दए ऊला में चन्द बार तशह्हुद पढ़ा सज्दा वाजिब हो गया ।⁽⁵⁾



1... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/659

2... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب سجود السهو، 2/659

3... फ़तावा रज़विय्या, 8/196

4... फ़तावा रज़विय्या, 8/216

5... बहारे शरीअत, 1/713, हिस्सा : 4

सुवाल अगर किसी ने दो बार सूरए फ़ातिहा पढ़ कर फिर कोई सूरत पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज की पहली दो रकअतों में और नफ़ल व वित्र की किसी रकअत में सूरत से पहले दो बार सूरए फ़ातिहा पढ़ी तो सज्दए सहव वाजिब है ।⁽¹⁾

सुवाल मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सहव करेगा या आखिर में ?

जवाब मस्बूक़ इमाम के साथ सज्दए सहव करे और अगर इमाम के साथ सज्दा न किया और बक़िय्या रकअतें पढ़ने खड़ा हो गया तो आखिर में सज्दए सहव करे ।⁽²⁾ मगर बिला ज़रूरत इमाम के सलाम फेरने से पहले खड़ा होना मक्रूहे तहरीमी है ।⁽³⁾

सुवाल वोह कौन सी सूरत है कि इमाम के सज्दए सहव से पहले जो लोग जमाअत में शरीक हुए उन की नमाज़ हो गई और जो सज्दए सहव के बा'द शरीक हुए उन की न हुई ?

जवाब जब मुक़तदी सज्दए सहव के बा'द इमाम के साथ मिलें और बा'द में उन्हें पता चले कि इमाम पर सज्दए सहव वाजिब नहीं था तो उन मुक़तदियों की नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी ।⁽⁴⁾

सुवाल किसी ने सज्दए सहव कर के फ़ौरन सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब सज्दए सहव करने से पहला का'दा बातिल न हुवा मगर तशह्हुद वाजिब है या'नी अगर सज्दए सहव कर के सलाम फेर दिया तो फ़र्ज अदा हो गया मगर गुनाहगार हुवा और नमाज़ का इआदा वाजिब है ।⁽⁵⁾

सुवाल सज्दए सहव करने के बा'द बिग़ैर तशह्हुद पढ़े सलाम फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज अदा हो जाएगा लेकिन ऐसा करने से गुनाहगार होगा और नमाज़ फिर से पढ़नी वाजिब होगी ।⁽⁶⁾

नमाज़ के मक्रूहात

सुवाल नमाज़ के मक्रूहात बयान कीजिये ।

1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب الثانی عشر فی سجود السہو، 1/126

2... رد المحتار، کتاب الصلاۃ، باب سجود السہو، 2/659

3... بھارے شری اُت، 1/591، हिस्सा : 3

4... فتاوىٰ قاضی خان، کتاب الصلاۃ، باب افتتاح الصلاۃ، 1/49

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاۃ، مطلب کل شفع من التظل صلاۃ، 2/193، हिस्सा : 3، 1/516، بھارے شری اُت،

6... در مختار، کتاب الصلاۃ، 2/193، हिस्सा : 3، 1/516، بھارے شری اُت،

जवाब पहले 2 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم मुलाहज़ा कीजिये : (1) उन लोगों का क्या हाल है जो नमाज़ में आस्मान की तरफ़ नज़र उठाते हैं ? उन्हें चाहिये कि ऐसा न करें, वरना उन की आंखें छीन ली जाएंगी।⁽¹⁾ (2) नमाज़ की हालत में अपनी उंगलियां न चटखाओ !⁽²⁾

नमाज़ के मकरूहे तहरीमी में से कोई चीज़ अगर नमाज़ के दौरान हो जाए तो नमाज़ दोबारा पढ़नी होगी। जान बूझ कर जिस ने नमाज़ मकरूहे तहरीमी की वोह गुनाहगार भी होगा। इस सूरत में तौबा करना भी लाज़िम है।

नोट : हर मकरूहे तहरीमी का येह हुक्म नहीं है कि नमाज़ दोबारा पढ़ना लाज़िम हो।

01	दाढ़ी/बदन/ लिबास के साथ खेलना	02	कपड़ा समेटना ⁽³⁾
03	कपड़ा लटकाना ⁽⁴⁾	04	किसी भी आस्तीन का आधी कलाई से ऊपर होना
05	शिद्दत से पेशाब/पाख़ाना/रीह आना	06	कंकरियां (छोटे पथ्थर) हटाना ⁽⁵⁾
07	किसी वाजिब को जान बूझ कर छोड़ देना ⁽⁶⁾	08	एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना
09	कमर पर हाथ रखना		
10	आस्मान की तरफ़ निगाह उठाना	11	इधर उधर मुंह फेर कर देखना चाहे थोड़ा मुंह फिरे या ज़ियादा
12	मर्द का सज्दे में कलाईयां बिछाना		
13	किसी शख्स के मुंह के सामने नमाज़ पढ़ना	14	नमाज़ में नाक और मुंह छुपाना
15	बिला ज़रूरत बल्लाम वगैरा निकालना	16	जान बूझ कर जमाही लेना



1...بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، 1/265، حدیث: 750

2... ابن ماجه، کتاب اقامه الصلاة، باب ما یکره فی الصلاة، 1/514، حدیث: 965

3... अगर कपड़ा बदन से चिपक जाए तो एक हाथ से छुड़ाने में हरज नहीं।

4... मसलन : कन्धे पर ऐसे चादर डालना कि दोनों किनारे लटक रहे हों। अगर एक किनारा दूसरे कन्धे पर डाल दिया तो ठीक है।

5... अगर कंकरी हटाए बिगैर फर्ज/वाजिब अदा न होता हो तो हटाना ज़रूरी है।

6... मसलन कौमा और जल्सा में पीठ सीधी होने से पहले ही रुकूअ या दूसरे सज्दे में चले जाना।

17	किराअत रुकूअ में पहुंच कर ख़त्म करना	18	क़ियाम के इलावा किसी और मक़ाम पर कुरआन पढ़ना
19	उंग्लियां चटखाना	20	इमाम से पहले रुकूअ/सज्दे में चले जाना या इमाम से पहले सर उठा देना
21	जानदार की तस्वीर वाले लिबास में नमाज़ पढ़ना		
22	उलटा कुरआन पढ़ना ⁽¹⁾	*	*** ⁽²⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

सवाल तशबीक किसे कहते हैं और इस का हुक्म बयान कीजिये ।

जवाब एक हाथ की उंग्लियां दूसरे हाथ की उंग्लियों में डालना तशबीक है । दौराने नमाज़ या (तवाबेए नमाज़ में, मसलन) नमाज़ के लिये जाते हुए या नमाज़ का इन्तिज़ार करते हुए तशबीक करना मक्रूहे तहरीमी है, ख़ारिजे नमाज़ में (जब कि तवाबेए नमाज़ में भी न हो) बिना ज़रूरत ऐसा करना मक्रूहे तन्ज़ीही है और ख़ारिजे नमाज़ में उंग्लियों को आराम देने या किसी ज़रूरत के लिये येह मुबाह (या'न बिना कराहत जाइज़) है ।⁽³⁾

सवाल नमाज़ में इमाम से पहले सर उठाना और झुकाना कैसा है ?

जवाब इमाम से पहले रुकूअ व सुजूद में जाना या उस से पहले सर उठाना मक्रूह है ।⁽⁴⁾ हुज़ूर नबिय्ये अकरम ﷺ ने फ़रमाया : जो इमाम से पहले सर उठाता और झुकाता है उस की पेशानी के बाल शैतान के हाथ में हैं ।⁽⁵⁾

सवाल एक पाउं पर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो क्या हुक्म है ?

जवाब बिना ज़रूरत एक पाउं पर खड़े हो कर नमाज़ पढ़ी तो मक्रूह है, हां जिस जगह पाउं रखना

1 ... मसलन पहले सूरतुन्नास फिर सूरतुल फ़लक़ पढ़ना । येह नमाज़ का मक्रूहे तहरीमी नहीं बल्कि क़िराअत का मक्रूहे तहरीमी है, जान बूझ कर जिस ने ऐसा किया गुनाहगार हुवा मगर नमाज़ दोबारा पढ़ने का हुक्म नहीं ।

2 ... बहारे शरीअत, 1/624, 629, हिस्सा : 3 मुल्तक़तन

3 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب ما یفسد الصلاة وما یکره فیها، 2/493

4 ... बहारे शरीअत, 1/629, हिस्सा : 3

5 ... موطا امام مالک، کتاب الصلاة، باب ما یفعل من رفع راسه قبل الامام، 1/102، حدیث: 212

है वोह जगह नापाक है तो एक पाउं उठा कर नमाज़ पढ़ सकता है।⁽¹⁾

सुवाल सज्दे में पेशानी पाक जगह जब कि नाक नजिस जगह पर हो तो क्या नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब जी हां नमाज़ हो जाएगी कि नाक दिरहम से कम जगह पर लगती है लेकिन बिला ज़रूरत येह भी मकरूह है।⁽²⁾

सुवाल अगर नमाज़ की हालत में सिर्फ़ मुंह क़िब्ले से फेर दिया तो क्या हुक्म है ?

जवाब अगर मुंह क़िब्ले से फेरा तो वाजिब है कि फ़ौरन क़िब्ले की जानिब कर ले इस सूरत में नमाज़ फ़ासिद न होगी, लेकिन बिला ज़रूरत येह भी मकरूह है।⁽³⁾

सुवाल नमाज़ में तक्बीरे तहरीमा की बजाए **سُبْحَانَ اللَّهِ** कह कर नमाज़ शुरू की तो क्या हुक्म है ?

जवाब इस सूरत में नमाज़ शुरू हो जाएगी लेकिन **اللَّهُ أَكْبَرُ** की जगह **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहना मकरूहे तहरीमी है।⁽⁴⁾

शलवार के साथ शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा ?

सुवाल नमाज़ में शलवार के साथ शर्ट पहनी हो तो इस में कोई हरज तो नहीं है ?

जवाब फुल आस्तीन की शर्ट हो या निस्फ़ आस्तीन की, इसे शलवार के साथ आ़म तौर पर आदमी घर में सोते वक़्त या कामकाज के वक़्त पहन लेता है लेकिन इसे पहन कर बुजुर्गों के सामने जाना मा'यूब (बुरा) समझता और शर्म महसूस करता है। कुतुबे फ़िक्ह में इस नौइय्यत के लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ने को मकरूहे तन्ज़ीही क़रार दिया गया है या'नी ऐसा लिबास पहन कर नमाज़ पढ़ने से बचना बेहतर है।

नमाज़ी को चाहिये कि **अल्लाह** करीम के दरबार की हाज़िरी के वक़्त या'नी नमाज़ अदा करने के लिये अच्छा व उम्दा लिबास पहने कि **अल्लाह** करीम का दरबार इस बात का ज़ियादा हक़ रखता है कि बन्दा उस की बारगाह में हाज़िरी के लिये ज़ीनत इख़्तियार करे। आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** फ़तावा रज़विय्या में इर्शाद फ़रमाते हैं : मुतून व शुरूह व फ़तावा तमाम कुतुबे मज़हब में बिला ख़िलाफ़े तसरीह साफ़ है कि सियाबे ज़िल्लतो महन्त या'नी वोह कपड़े जिन को आदमी अपने घर में कामकाज के वक़्त पहने रहता है जिन्हें मैल कुचैल से बचाया नहीं जाता उन्हें पहन कर नमाज़ पढ़नी मकरूह है।⁽⁵⁾



1... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 2/92 مذهبنا

2... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، 2/92

3... غنية المتعالي، الشرط الرابع وهو استقبال القبلة، ص 224-225

4... فتاوى هندی، کتاب الصلاة، الباب الرابع فی صفه الصلاة، الفصل الاول فی فرائض الصلاة، 1/68

5... فताوا रज़विय्या، 7/377

ऐसे कपड़ों में नमाज़ को मकरूहे तन्ज़ीही करार देते हुए अल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इशार्द फ़रमाते हैं : **وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ :** या'नी ज़ाहिर येही है कि इन कपड़ों में नमाज़ पढ़ना मकरूहे तन्ज़ीही है ।⁽¹⁾

नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल किन चीज़ों से नमाज़ टूट जाती है ?

जवाब पहले एक हदीसे मुबारका मुलाहज़ा कीजिये, मदीने वाले आका صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ने इशार्द फ़रमाया : नमाज़ में लोगों का कोई भी बात करना सहीह नहीं, नमाज़ तो तस्बीह, तक्बीर और कुरआन की तिलावत करने का नाम है ।⁽²⁾

इन चीज़ों की वजह से नमाज़ टूट जाती है : * बातचीत करना * सलाम करना * सलाम का जवाब देना * दर्द या मुसीबत की वजह से “आह” “ऊह” या “उफ़” वगैरा कहना * कुरआने करीम में देख कर तिलावत करना * अमले कसीर या'नी नमाज़ में कोई ऐसा काम करना कि देखने वाला समझे कि येह नमाज़ नहीं पढ़ रहा (अम तौर पर इस तरह के काम से नमाज़ टूट जाती है) * नमाज़ में ऐसी चीज़ खाना या पीना जो पहले से मुंह में न हो * 3 क़दम चलना * क़हक़हा मार कर हंसना कि आस पास वालों तक आवाज़ पहुंचे * एक रुकन या'नी क़ियाम या रुकूअ वगैरा में 3 बार खुजाना * “اللهُ أَكْبَرُ” के “अलिफ़” को लम्बा करना या'नी “आल्लाह” कहना या “अक्बर” के “ب” के बा'द “अलिफ़” बढ़ा देना या'नी “अक्बार” कहना * कुरआने करीम या अज़्कारे नमाज़ (या'नी जो कुछ नमाज़ में पढ़ा जाता है) में ऐसी ग़लती करना जिस से मा'ना बिगड़ जाएं मसलन : “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” में “عَظِيمِ” को “عَزِيمِ” कहना ।⁽³⁾

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल अमले कसीर क्या है और कब इस से नमाज़ फ़ासिद होती है ?

जवाब अमले कसीर कि न आ'माले नमाज़ से हो न नमाज़ की इस्लाह के लिये किया गया हो, नमाज़ फ़ासिद कर देता है, जिस काम के करने वाले को दूर से देख कर उस के नमाज़ में न होने का शक न रहे, बल्कि गुमान ग़ालिब हो कि नमाज़ में नहीं तो वोह अमले कसीर है ।⁽⁴⁾



1... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب ما یفسد الصلوة ویکره فیها، مطلب فی الشروع، 2/491

2... مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلوة، باب تحريم الکلام... الخ، ص 215، حدیث: 1199

3... हमारा इस्लाम, स. 215, 216 माखूज़न

4... बहारे शरीअत, 1/609, हिस्सा : 3 मुल्तक़तून

सुवाल कब आमीन कहने से नमाज़ टूट जाती है इस की कोई सूत्र बयान करें।

जवाब नमाज़ पढ़ने वाले को छींक आई तो दूसरे ने कहा : **يُحَيِّكَ اللَّهُ** इस पर छींक वाले ने आमीन कहा तो इस सूत्र में आमीन कहने से नमाज़ टूट जाती है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 17

नमाज़ का अमली तरीका

सुवाल नमाज़ का अमली तरीका बयान कीजिये।

जवाब तक्बीरे तहरीमा की 5 अहम बातें :

01	दोनों पाउं के दरमियान 4 उंगल (या'नी उंगलियों की मोटाई के बराबर) का फ़ासिला
02	निगाह सामने की तरफ़ होना
03	कान की लौ (या'नी कान के आखिर के नर्म हिस्से) तक हाथ उठाना
04	उंगलियों को अपने हाल पर (Normal) छोड़ना, हथेलियों और उंगलियों का पेट क़िब्ला रख होना
05	सर झुका हुवा न होना

क्रियाम की 7 अहम बातें :

01	लफ़ज़ "اللَّهُ أَكْبَرُ" कहते हुए हाथ छोड़ना
02	उलटे हाथ की कलाई (Wrist) पर सीधे हाथ की तीन उंगलियां (रखना) और छोटी उंगली और अंगूठा (कलाई के) अगल बगल (या'नी दाएं बाएं रखना)
03	सना पढ़ना : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ ط
04	तअव्वुज़ पढ़ना : أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ○



05	तस्मिया पढ़ना : بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
06	मुकम्मल सूरे फ़ातिहा पढ़ना : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكُ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝
07	कोई सूरत पढ़ना या कुरआने पाक की एक बड़ी आयत जो छोटी तीन आयतों के बराबर हो या तीन छोटी आयतें पढ़ना । मसलन सूरे इक्लस पढ़िये : قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝

रुकूअ की 5 अहम बातें

01	“اللَّهُ أَكْبَرُ” कहते हुए रुकूअ में जाना
02	पीठ (Back) अच्छी तरह बिछी हुई होना
03	घुटनों (Knees) को हाथों से पकड़ना और उंगलियां फैली हुई रखना
04	सर ऊंचा नीचा न होना, नज़र क़दमों पर होना, टांगें सीधी होना
05	तीन बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” कहना

कौमा की 2 अहम बातें

01	“سَبَّحَ اللَّهُ لَيْسَ حَبَدًا” कहते हुए खड़े होना
02	खड़े हो कर “اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ” कहना

सज्दे की 7 अहम बातें :

01	“الله أكبر” कहते हुए सज्दे में जाना
02	पहले दोनों घुटने एक साथ रखना फिर हाथ, इस के बाद दोनों हाथों के बीच में नाक और फिर पेशानी रखना
03	हथेलियां ज़मीन पर रखना कि उंगलियां मिली हुई और क़िब्ला रुख हों
04	पिंडलियां (Calves) रानों (Thighs) से, रानें पेट (Belly) से, कलाईयां (Wrists) ज़मीन से, बाजू (Arms) करवटों (Sides) से जुदा हों (अगर सफ़ में हों तो बाजू करवटों से मिलाना)
05	सज्दे (Prostration) में पेशानी और नाक की हड्डी (Nasal Bone) जमाना कि ज़मीन की सख़्ती महसूस हो और नज़र नाक पर रखना
06	पाउं की दसों उंगलियों का पेट (उंगलियों के तलवों के उभरे हुए हिस्से) क़िब्ला रुख ज़मीन पर लगाना
07	3 बार “سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” कहना

जल्से की 5 अहम बातें :

01	तक्बीर कहते हुए जल्से में जाना
02	पहले पेशानी फिर नाक और फिर हाथ उठाना
03	सीधा क़दम खड़ा कर के उलटा क़दम बिछा कर उस पर बैठना
04	सीधे पाउं की उंगलियां क़िब्ला रुख होना, दोनों हाथ रानों (Thighs) पर रखना, नज़र गोद (Lap) में रखना
05	“اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي” कहना

दूसरी रक्अत के लिये उठने की 2 अहम बातें :

01	तक्बीर कहते हुए पन्जों (Toes) के बल घुटनों पर हाथ रख कर खड़ा होना
02	का'दए अख़ीरा तक बक़िय्या नमाज़ मुकम्मल करना

का'दे की 3 अहम बातें :

01	जल्से की तरह बैठना
02	अत्तहिय्यात पढ़ना : التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالطَّيِّبَاتُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ ۝ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۝
03	शहादत का इशारा करना या'नी "أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ" में "لَا" से पहले छुंगल्या (Little Finger) और पास वाली को बन्द करना, अंगूठे (Thumb) और बीच की उंगली (Middle Finger) का हल्का बनाना, "ي" पर कलिमे की उंगली उठाना और "اَللّٰهُ" पर गिराना और सब उंगलियां सीधी कर देना

का'दे अखीरा की 4 अहम बातें :

01	अत्तहिय्यात पढ़ना
02	शहादत का इशारा करना
03	दुरूद शरीफ़ पढ़ना : اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَسِيْدٌ مَّحِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى اٰلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى اِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى اٰلِ اِبْرَاهِيْمَ اِنَّكَ حَسِيْدٌ مَّحِيْدٌ
04	कोई सी दुआए मासूरा (कुरआनो हदीस की दुआ को दुआए मासूरा कहते हैं) पढ़ना, मसलन येह दुआ पढ़ लीजिये : (اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا اٰتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ① (پ 2، البقرة: 201)

सलाम फेरने की 2 अहम बातें :

01	पहले सीधी तरफ़ गरदन फेरना और नज़र कन्धों पर रखना फिर (फ़िरिशतों को सलाम करने की नियत से) "السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ" कहना

02

फिर उलटी तरफ़ गरदन फेरना और नज़र कन्धों पर रखना फिर (फिरिश्तों को सलाम करने की निय्यत से) “السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ” कहना

नमाज़ की रकअतों की ता'दाद

नम्बर शुमार	नमाज़	फ़र्ज़ रकअतें	सुन्नते मुअक्कदा	सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा	नफ़ल	वाजिब	टोटल
01	फ़ज़्र	2	2	---	--	---	4
02	ज़ोहर	4	6	---	2	---	12
03	अस्स	4	---	4	--	---	8
04	मग़रिब	3	2	---	2	---	7
05	इशा	4	2	4	4	3 (वित्र)	17 ⁽¹⁾

5 नमाज़ों की रकअतों की तफ़सील

नम्बर शुमार	नमाज़	तफ़सील
01	फ़ज़्र	पहले 2 रकअत सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रकअत फ़र्ज़
02	ज़ोहर	पहले 4 रकअत सुन्नते मुअक्कदा, फिर 4 रकअत फ़र्ज़, इस के बा'द 2 रकअत सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रकअत नफ़ल
03	अस्स	पहले 4 रकअत सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा, फिर 4 रकअत फ़र्ज़
04	मग़रिब	पहले 3 रकअत फ़र्ज़, फिर 2 रकअत सुन्नते मुअक्कदा, इस के बा'द 2 रकअत नफ़ल
05	इशा	पहले 4 रकअत सुन्नते ग़ैर मुअक्कदा, फिर 4 रकअत फ़र्ज़, इस के बा'द 2 रकअत सुन्नते मुअक्कदा, फिर 2 रकअत नफ़ल, इस के बा'द 3 रकअत वित्र, फिर 2 रकअत नफ़ल ⁽²⁾

①...हमारा इस्लाम, स. 26, 27 माख़ूज़न। याद रहे ! फ़र्ज़ और वाजिब सब से अहम नमाज़ें हैं, छोड़ेंगे तो गुनाह मिलेगा। सुन्नते मुअक्कदा पढ़ना भी ज़रूरी है। ②...हमारा इस्लाम, स. 26, 27 माख़ूज़न

इस्लामी बहनों की नमाज़ का तरीका (हनफी)

बा वुजू किब्ला रू इस तरह खड़ी हों कि दोनों पाउं के पन्जों में चार उंगल का फ़ासिला रहे और दोनों हाथ कन्धों तक (इस तरह) उठाइये कि उंगलियां न मिली हुई हों न ख़ूब खुली बल्कि अपनी हालत पर (Normal) रखिये और हथेलियां किब्ले की तरफ़ हों नज़र सज्दे की जगह हो । अब जो नमाज़ पढ़नी है उस की निय्यत या'नी दिल में उस का पक्का इरादा कीजिये साथ ही ज़बान से भी कह लीजिये कि ज़ियादा अच्छा है (मसलन निय्यत की मैं ने आज की ज़ोहर की चार रकअत फ़र्ज़ नमाज़ की) अब तक्बीरे तहरीमा या'नी اللهُ أَكْبَرُ (या'नी अल्लाह सब से बड़ा है) कहती हुई हाथ नीचे लाइये और उलटी हथेली सीने पर छाती के नीचे रख कर उस के ऊपर सीधी हथेली रखिये ।

क्रियाम की 6 अहम बातें :

01	अब सना पढ़िये
02	तअव्वुज़ पढ़िये
03	तस्मिया पढ़िये
04	फिर मुकम्मल सूराए फ़ातिहा पढ़िये
05	सूराए फ़ातिहा ख़त्म कर के आहिस्ता से आमीन कहिये ।
06	तीन आयात या एक बड़ी आयत जो तीन छोटी आयतों के बराबर हो या कोई सूरात पढ़िये ।

रुकूअ की 2 अहम बातें :

01	अब اللهُ أَكْبَرُ कहती हुई रुकूअ में जाइये । रुकूअ में थोड़ा झुकिये या'नी इतना कि घुटनों पर हाथ रख दें जोर न दीजिये और घुटनों को न पकड़िये और उंगलियां मिली हुई रखिये । ⁽¹⁾
02	कम अज़ कम तीन बार रुकूअ की तस्बीह या'नी سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ पढ़िये



कौमा की 2 अहम बातें :

01	फिर तस्मीअ या'नी سَبَّحَ اللهُ لَيْسَ حَيْدَةً कहती हुई बिल्कुल सीधी खड़ी हो जाइये
02	اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ इस के बा'द कहिये

सज्दे की 3 अहम बातें :

01	फिर اللهُ أَكْبَرُ कहती हुई सज्दे में जाइये। पहले घुटने ज़मीन पर रखिये फिर हाथ फिर दोनों हाथों के बीच में इस तरह सर रखिये कि पहले नाक फिर पेशानी और येह खास खयाल रखिये कि नाक की सिर्फ़ नोक नहीं बल्कि हड्डी लगे (और येह नाक पर बिल्कुल मा'मूली सा जोर देने से हो जाएगा बहुत ज़ियादा मत दबाइये) और पेशानी ज़मीन पर जम जाए, नज़र नाक पर रहे।
02	सज्दा सिमट कर कीजिये या'नी बाजू करवटों से, पेट रान से, रान पिंडलियों से और पिंडलियां ज़मीन से मिला दीजिये, और दोनों पाउं सीधी तरफ़ निकाल दीजिये।
03	अब कम अज़ कम तीन बार सज्दे की तस्बीह या'नी سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى पढ़िये।

सज्दे से उठने की 3 अहम बातें :

01	फिर सर इस तरह उठाइये कि पहले पेशानी फिर नाक फिर हाथ उठें
02	दोनों पाउं सीधी तरफ़ निकाल दीजिये और उलटी सुरीन पर बैठिये और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उलटा हाथ उलटी रान के बीच में रखिये। दोनों सज्दों के दरमियान बैठने को जल्सा कहते हैं।
03	कम अज़ कम एक बार سُبْحَانَ اللهِ कहने की मिक्दार ठहरिये

दूसरे सज्दे में जाने और वापस खड़े होने की 2 अहम बातें :

01	फिर اللهُ أَكْبَرُ कहती हुई पहले सज्दे ही की तरह दूसरा सज्दा कीजिये।

02

अब उसी तरह पहले सर उठाइये फिर हाथों को घुटनों पर रख कर पन्जों के बल खड़ी हो जाइये ।

येह आप की एक रकअत पूरी हुई ।

दूसरी रकअत की 1 अहम बात :

अब दूसरी रकअत में **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** पढ़ कर अल हम्द और सूरह पढ़िये और पहले की तरह रुकूअ और सज्दे कीजिये दूसरे सज्दे से सर उठाने के बाद दोनों पाउं सीधी तरफ निकाल दीजिये और उलटी सुरीन पर बैठिये और सीधा हाथ सीधी रान के बीच में और उलटा हाथ उलटी रान के बीच में रखिये ।

का'दे की 2 अहम बातें :

अब तशहहूद (या'नी अत्तहिय्यात) पढ़िये शहादत का इशारा कीजिये या'नी **“أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ”** में **“لَا”** से पहले छुंगल्या (Little Finger) और पास वाली को बन्द करना, अंगूठे (Thumb) और बीच की उंगली (Middle Finger) का हल्का बनाना, **“لَا”** पर कलिमे की उंगली उठाना और **“أَللَّهُ”** पर गिराना और सब उंगलियां सीधी कर देना ।

अगर दो रकअतें पढ़नी हैं तो तशहहूद के बाद

01	दुरूदे इब्राहीमी पढ़िये
02	दुआए मासूरा पढ़िये
03	पहले दाएं (सीधे) कंधे की तरफ मुंह कर के السلام عليكم ورحمة الله कहिये
04	इसी तरह बाएं (उलटे) तरफ । अब नमाज़ खत्म हुई । ⁽¹⁾

¹... बहारे शरीअत, 1/506, हिस्सा : 3 वगैरा माखूज़न

और अगर दो से ज़ियादा रकअतें पढ़नी हैं तो **الله أكبر** कहती हुई खड़ी हो जाइये। अगर फ़र्ज नमाज़ पढ़ रही हैं तो तीसरी और चौथी रकअत के क़ियाम में **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** और अल हम्द शरीफ़ पढ़िये सूरत मिलाने की ज़रूरत नहीं (और तीन तस्बीह पढ़ना, या इतनी देर ख़ामोश रहना बल्कि फ़क़त एक ही तस्बीह पढ़ना या इस की मिक्दार ख़ामोश रहना भी दुरुस्त है।) बाक़ी अफ़आल हस्बे मा'मूल बजा लाइये और अगर सुन्नत व नफ़ल हों तो सूरए फ़ातिहा के बा'द सूरत भी मिलाइये फिर चार रकअतें पूरी कर के का'दए अख़ीरा में तशहहुद के बा'द दुरूदे इब्राहीमी और दुआए मासूरा पढ़ कर सलाम फेर दीजिये।

औरतों और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क

सुवाल मर्दों और औरतों की नमाज़ के तरीक़े में फ़र्क़ दलाइल के साथ ज़िक्र करें।

जवाब ख़वातीन की नमाज़ का तरीक़ा मर्दों की नमाज़ के तरीक़े से चन्द वुजूहात की बिना पर अलग है।

(1) मर्दों के लिये नंगे सर नमाज़ पढ़ना जाइज़ है जब कि ख़वातीन की नमाज़ सर और बाल छुपाए बिग़ैर अदा ही नहीं होती। चुनान्चे

हज़रते सय्यिदतुना अइशा सिद्दीका तय्यिबा ताहिरा **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** फ़रमाती हैं कि सरकार **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने इर्शाद फ़रमाया : **“لَا تُقْبَلُ صَلَاةُ الْحَائِضِ إِلَّا بِخُفَّاءٍ”**⁽¹⁾ या'नी बालिगा औरत की नमाज़ बिग़ैर सर ढांपे क़बूल नहीं होती।

(2) ख़वातीन को तक्बीरे तहरीमा में सीने तक हाथ उठाने का हुक्म है जब कि मर्दों को कानों की लौ तक हाथ उठाने का हुक्म है। इस हवाले से दो रिवायात मुलाहज़ा कीजिये :

1. हज़रते सय्यिदुना वाइल बिन हुजर **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** से रिवायत है कि हुज़ूर सय्यिदे आलम **“يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَجْعَلْ يَدَيْكَ جَدَاءَ أَدُنَيْكَ وَالْمِرَّةَ تَجْعَلْ يَدَيْهَا جَدَاءَ شَدَّيْهَا”**⁽²⁾ ने मुझ से इर्शाद फ़रमाया : **“يَا وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ إِذَا صَلَّيْتَ فَأَجْعَلْ يَدَيْكَ جَدَاءَ أَدُنَيْكَ وَالْمِرَّةَ تَجْعَلْ يَدَيْهَا جَدَاءَ شَدَّيْهَا”** या'नी ऐ वाइल बिन हुजर ! जब नमाज़ पढ़ो तो अपने हाथ कानों तक उठाओ, और औरत अपने हाथ सीने तक उठाए।

2. हज़रते सय्यिदुना अता बिन अबू रबाह **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** से पूछा गया कि क्या औरत भी तक्बीरे तहरीमा कहते वक़्त मर्दों की तरह हाथों से इशारा करेगी ? इर्शाद फ़रमाया :

“لَا تَرْفَعُ يَدَيْكَ كَالرِّجَالِ وَأَشَارَ فَخَفَضَ يَدَيْهِ جَدًّا وَجَمَعَهُمَا إِلَيْهِ وَقَالَ: إِنَّ لِلْمِرَّةِ هَيْئَةً لَيْسَتْ لِلرِّجَالِ”⁽³⁾

या'नी औरत तक्बीरे तहरीमा के वक़्त मर्दों की तरह हाथ नहीं उठाएगी, फिर फ़रमाया :

1...ترمذی، ابواب الصلوة بما جاء لا قبل صلوة المرأة الا بحمار، 1/389، حدیث: 377

2...معجم کبیر، 22/19-20، حدیث: 28

3...مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلوة، باب تکبیر المرأة بیدها...الح، 3/49، حدیث: 5080

हज़रते सय्यिदुना अता रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने इशारा कर के बताया, जिस में हाथों को बहुत थोड़ा सा उठाया और दोनों हाथों को मिला लिया, फिर फ़रमाया कि नमाज़ में औरत की हैअत (सूरत) मर्द जैसी नहीं ।

(3) ख़वातीन को ज़मीन से मिल और सिमट कर सज्दा करने का हुक्म है जब कि मर्दों के लिये येह हुक्म नहीं है । इस हवाले से तीन रिवायात मुलाहज़ा कीजिये :

1. हज़रते सय्यिदुना अता बिन अबू रबाह रَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : रुकूअ करते वक़्त जितना मुम्किन हो औरत अपना जिस्म समेट ले और अपने हाथों को पेट से चिमटा ले, और जब सज्दा करे तो जहां तक मुम्किन हो अपने हाथों को पेट से चिमटाए रखे और पेट सीने और रानों से मिलाए रखे ।⁽¹⁾

2. हज़रते सय्यिदुना यज़ीद बिन अबू हबीब रَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि मुस्तफ़ा जाने रहमत صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ दो औरतों के पास से गुज़रे, जो नमाज़ पढ़ रही थीं, आप صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जब तुम सज्दा करो तो अपने जिस्म का कुछ हिस्सा ज़मीन से चिमटा लो क्यूं कि इस मुआमले में ख़वातीन का हुक्म मर्दों की तरह नहीं ।⁽²⁾

3. हज़रते सय्यिदुना अब्दुल्लाह बिन उमर रَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूरे अकरम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जब औरत नमाज़ में बैठे तो अपनी रान दूसरी पर रख ले और जब सज्दा करे तो अपने पेट को रानों से चिमटा ले, इस तौर पर कि उस के लिये ज़ियादा से ज़ियादा पर्दा हो जाए । यकीनन अल्लाह करीम ऐसी औरत की तरफ़ नज़रे रहमत से देख कर फ़रमाता है, कि ऐ फ़िरिश्तो ! मैं तुम्हें गवाह बनाता हूं इस बात पर कि मैं ने इस की बख़्शिश कर दी ।⁽³⁾

बुन्यादी तौर पर मर्द व ख़वातीन की नमाज़ में फ़र्क़ की वजह येह है कि इस्लाम में ख़वातीन के पर्दे का बहुत ज़ियादा ख़याल रखा गया है, लिहाज़ा जहां जहां ख़वातीन की बे पर्दगी का अन्देशा हुवा, वहां वहां मर्दों और ख़वातीन की नमाज़ में फ़र्क़ किया गया है । बयान कर्दा फ़र्क़ और तरीक़े में ख़वातीन के पर्दे का ज़ियादा एहतियाम है ।

नमाज़े वित्र का तरीक़ा

पहले 2 फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मुलाहज़ा कीजिये : (1) बिला शुबा अल्लाह पाक ने एक नमाज़ से तुम्हारी मदद फ़रमाई है जो तुम्हारे लिये सुख़् उंटों से बेहतर है, और वोह नमाज़े वित्र है जिसे



1... مصنف عبد الرزاق، کتاب الصلوة، باب تکبیر المرأة بیدیه... الخ، 3/50، حدیث: 5083

2... سنن کبری، کتاب الصلوة، باب المستحب للمرأة... الخ، 2/315، حدیث: 3201

3... السنن الکبری للبیہقی، جماع ابواب الصلوة، باب المستحب للمرأة من ترک التجانی فی الركوع والسجود، 2/315، حدیث: 3199

अल्लाह पाक ने इशा और सूरज निकलने के दरमियान रखा है।⁽¹⁾

(2) एक हदीस में इर्शाद फ़रमाया : वित्र हक़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र हक़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं। वित्र हक़ है, तो जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं।⁽²⁾

7 मदनी फूल :

01	3 रकअत नमाज़े वित्र की नियत कर के नमाज़ शुरू करना
02	आम नमाज़ की तरह दूसरी रकअत तक नमाज़ पढ़ कर का'दए ऊला करना
03	का'दए ऊला में "अत्तहिय्यात" पढ़ कर तीसरी रकअत के लिये खड़ा होना
04	सूरए फ़ातिहा और सूरत की तिलावत के बा'द हाथ उठा कर "الله أكبر" कह कर दोबारा हाथ बांधना
05	दुआए कुनूत पढ़ना اللَّهُمَّ اِنَّا نَسْتَغِيثُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُؤْمِنُ بِكَ وَتَتَوَكَّلُ عَلَيْنَا وَتُغْنِي عَلَيْنَا الْخَيْرَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَعْلَمُ مَنْ يَفْجُرُكَ اللَّهُمَّ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْأَلُ وَنَحْفِدُ وَنَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ
06	"الله أكبر" कह कर रुकना फिर पहले की तरह तीसरी रकअत मुकम्मल कर के का'दए अखीरा करना ⁽³⁾
07	"अत्तहिय्यात" "दुरूद शरीफ़" और "दुआ" पढ़ कर सलाम फेर देना

मुतफ़र्रिक़ मसाइल

सुवाल नमाज़े वित्र का वक़्त कब से कब तक है ?

जवाब वित्र का वक़्त इशा के फ़र्जे के बा'द से सुबहे सादिक़ तक है।⁽⁴⁾



1... अबु दाउद, کتاب الوتر, باب استحباب الوتر, 2/88, حدیث: 1418

2... अबु दाउद, کتاب الوتر, باب استحباب الوتر, 2/89, حدیث: 1419

3... حاشیہ طحاوی, ص 376

4... مراقی الفلاح وحاشیہ طحاوی, ص 178

सुवाल वित्र की कितनी रकअतें हैं ?

जवाब वित्र की तीन रकअतें हैं। हज़रते सय्यिदुना अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तीन रकअत वित्र अदा किया करते थे।⁽¹⁾

इसी तरह हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا फ़रमाती हैं : हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ तीन रकअत वित्र पढ़ा करते थे और सलाम आख़िरी रकअत में फेरते थे।⁽²⁾

सुवाल नमाज़े वित्र कब अदा करना अफ़ज़ल है ?

जवाब जो सो कर उठने पर क़ादिर हो उस के लिये अफ़ज़ल है कि रात के आख़िरी हिस्से में उठ कर पहले तहज्जुद अदा करे फिर वित्र।⁽³⁾ हदीसे पाक में है : “जिस शख्स को येह ख़दशा हो कि वोह रात के पिछले पहर नहीं उठ सकेगा वोह वित्र पढ़ कर सोया करे और जिस शख्स को रात के उठने पर ए’तिमाद हो वोह रात के पिछले पहर वित्र पढ़े।”⁽⁴⁾

सुवाल नमाज़े वित्र का हुक्म क्या है ?

जवाब नमाज़े वित्र वाजिब है।⁽⁵⁾ अगर येह छूट जाए तो इस की क़ज़ा लाज़िम है।⁽⁶⁾ हज़रते सय्यिदुना ज़ैद बिन अस्लम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि रसूले करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “مَنْ نَامَ عَنْ وَتْرَةٍ فَلْيُصَلِّ إِذَا أَصْبَحَ” या’नी जिस की नमाज़े वित्र फ़ौत हो जाए वोह सुब्ह उस की क़ज़ा पढ़ ले।⁽⁷⁾

सुवाल वित्र में तक्बीरे कुनूत कहने का क्या हुक्म है ?

जवाब तीसरी रकअत में क़िराअत के बा’द तक्बीरे कुनूत कहना वाजिब है।⁽⁸⁾



1... مستدر احمد، مستدر على بن ابى طالب، 1/194، حديث: 685

2... مستدر ك الحاكم، كتاب الوتر، 1/607-608، حديث: 1181

3... غنيد المتلى، ص 403

4... مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب من خاف ان لا يقوم... الخ، ص 296-297، حديث: 1766

5... بحر الرائق، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/66

6... در مختار مع رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: فى منكر الوتر... الخ، 2/532

7... ترمذى، كتاب الوتر، باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوتر او ينساه، 2/13، حديث: 465

8... در مختار و رد المحتار، كتاب الصلاة، مطلب: فى منكر الوتر... الخ، 2/533

सुवाल जो शख्स दुआए कुनूत न पढ़ सके तो वोह क्या पढ़े ?

जवाब वोह येह पढ़े : “ (اللَّهُمَّ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ) ” या तीन मरतबा येह पढ़े : “ (اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي) ” (1)

सुवाल अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल जाएं तो क्या करें ?

जवाब अगर दुआए कुनूत पढ़ना भूल गए और रुकूअ में चले गए तो वापस न लौटिये बल्कि सज्दए सहव कर लीजिये । (2)

सुवाल दुआए कुनूत बुलन्द आवाज़ से पढ़ी जाए या आहिस्ता ?

जवाब दुआए कुनूत आहिस्ता आवाज़ से पढ़े इमाम हो या मुन्फ़रिद या मुक्तदी, अदा हो या क़ज़ा, रमज़ान में हो या और दिनों में । (3)

सुवाल किस शख्स को वित्र की नमाज़ में दुआए कुनूत पढ़ना मन्अ है ?

जवाब जो शख्स वित्र की जमाअत में तीसरी रकअत के रुकूअ में शामिल हुवा और इमाम के साथ कुनूत न पढ़ सका वोह अपनी बक़िय्या नमाज़ में भी कुनूत नहीं पढ़ेगा । (4)

सुवाल मुक्तदी की दुआए कुनूत ख़त्म होने से कब्ल इमाम रुकूअ में चला गया तो मुक्तदी के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब अगर मुक्तदी दुआए कुनूत से फ़ारिग़ न हुवा था कि इमाम रुकूअ में चला गया तो मुक्तदी भी इमाम की इत्तिबाअ करते हुए रुकूअ में चला जाए । (5)

सुवाल क्या वित्र के इलावा किसी और नमाज़ में दुआए कुनूत पढ़ सकते हैं ?

जवाब वित्र के सिवा और किसी नमाज़ में कुनूत न पढ़े । (6)

सुवाल क़ा'दए अख़ीरा के इलावा नमाज़ में कब दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है ?



- 1... مراآی الفلاح، کتاب الصلاة، باب الوتر واحکامه، ص 197
- 2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، 1/111
- 3... در مختار ورد المختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی منکر الوتر... الخ، 2/536
- 4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، 1/111
- 5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثامن فی صلاة الوتر، 1/111
- 6... در مختار ورد المختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی القنوت للنازلة... الخ، 2/541

जवाब का'दए अखीरा के इलावा नमाज़ में दुआए कुनूत के बा'द दुरूद शरीफ़ पढ़ना मुस्तहब है।⁽¹⁾

सवाल नमाज़े वित्र न पढ़ने वाले के मुतअल्लिक क्या वईद आई है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं, वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं, वित्र हक़ है जो वित्र न पढ़े वोह हम में से नहीं।⁽²⁾

सवाल अगर किसी शख्स ने वित्र की निय्यत में वाजिब की निय्यत न की तो उस के वित्र अदा हो जाएंगे ?

जवाब वित्र में फ़क़त वित्र की निय्यत काफी है, अगरचें इस के साथ निय्यते वुजूब न हो, हां निय्यते वाजिब बेहतर है और अगर वाजिब न होने की निय्यत है तो काफी नहीं।⁽³⁾

सवाल माहे रमज़ान में वित्र की जमाअत तर्क करना कैसा है ?

जवाब जमाअते वित्र न वाजिब न सुन्नते मुअक्कदा, इस के तर्क में कोई गुनाह नहीं।⁽⁴⁾

सवाल नमाज़े वित्र की रकअतों में शक हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब वित्र में शक हुवा कि दूसरी है या तीसरी तो उस में कुनूत पढ़ कर का'दे के बा'द एक रकअत और पढ़े और उस में भी कुनूत पढ़े और सज्दए सहव करे।⁽⁵⁾

सवाल क्या वित्र की तीनों रकअत में फ़ातिहा के बा'द सूरात मिलाना ज़रूरी है ?

जवाब नमाज़े वित्र की तीनों रकअतों में मुत्लकन क़िराअत फ़र्ज है और हर एक में फ़ातिहा के बा'द सूरात मिलाना वाजिब है।⁽⁶⁾

सवाल नमाज़े वित्र में कौन कौन सी सूरातें पढ़ना बेहतर है ?

जवाब बेहतर येह है कि पहली में “سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى” या “إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ” दूसरी में “قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ”

1 ... बहारे शरीअत, 1/455, हिस्सा : 4

2 ... अबुदावुद, کتاب الوتر, باب فیمن لم یوتر, 2/89, حدیث: 1419

3 ... در مختار مع رد المحتار, کتاب الصلاة, مطلب فی مکر الوتر والسنن والایحاط, 2/537

4 ... फ़तावा रज़विय्या, 7/483

5 ... فتاویٰ ہندیہ, کتاب الصلاة, الباب الثانی عشر فی سجود السجود, 1/131

6 ... बहारे शरीअत, 1/654, हिस्सा : 4

तीसरी में "قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ" पढ़े और कभी कभी और सूरतें भी पढ़ ले।⁽¹⁾

सुवाल क्या रमज़ान के इलावा नमाज़े वित्र जमाअत के साथ पढ़ सकते हैं ?

जवाब नहीं पढ़ना चाहिये। दुरें मुख़्तार में है : रमज़ान शरीफ़ के इलावा और दिनों में वित्र जमाअत से न पढ़े और अगर तदाई के तौर पर हो तो मक्रूह है।⁽²⁾

सुवाल वित्र के बा'द कितने नवाफ़िल पढ़े जाएं और उन में कौन सी सूरतें पढ़ें ?

जवाब वित्र के बा'द दो रकअत नफ़ल पढ़ना बेहतर है, इस की पहली रकअत में إِذَا زُلْزِلَتْ (सूरे ज़िलज़ाल) दूसरी में قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكٰفِرُوْنَ (सूरे काफ़िरून) पढ़ना बेहतर है। हदीस में है कि अगर रात में न उठा तो येह तहज्जुद के काइम मक़ाम हो जाएंगे।⁽³⁾

सुवाल तकबीरे कुनूत के लिये नमाज़ी किस सूरत में हाथ न उठाए ?

जवाब वित्र की क़ज़ा में तकबीरे कुनूत के लिये हाथ न उठाए जब कि लोगों के सामने पढ़ता हो कि लोग उस की तक्सीर व कोताही पर मुत्तलअ होंगे।⁽⁴⁾

सुवाल अगर भूल कर वित्र की पहली या दूसरी रकअत में दुआए कुनूत पढ़ ली तो क्या हुक़म है ?

जवाब भूल कर पहली या दूसरी में दुआए कुनूत पढ़ ली तो तीसरी में फिर पढ़े येही राजेह है।⁽⁵⁾

सुवाल इशा से पहले वित्र पढ़ लिये तो किस सूरत में हो जाएंगे ?

जवाब इशा से पहले वित्र पढ़े तो नहीं होंगे, हां अगर भूल कर वित्र पहले पढ़ लिये तो हो गए।⁽⁶⁾

1 ... बहारे शरीअत, 1/654, हिस्सा : 4

2 ... در مختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/604

3 ... غنية المتعملي، صلاة الوتر، ص 424، بهار شریعت، حصه: 4، 1/658

4 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/533

5 ... غنية المتعملي، صلاة الوتر، ص 421

6 ... در مختار، کتاب الصلاة، 2/23

सबक नम्बर 18

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का बयान

कुरआने मजीद में बा जमाअत नमाज़ का हुक्म

पारह 1, सूरतुल बक़रह की आयत 43 में इर्शाद होता है :

وَأَرْكَعُوا مَعَ الرَّكَعَيْنِ ﴿٣٩﴾ (پ 1، البقرة: 43)

तरजमए कन्जुल ईमान : और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो ।

मुफ़्सीरे कुरआन, मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ तफ़्सीरे नईमी में इस आयत के तहत फ़रमाते हैं : या'नी नमाज़ अपने घरों में अकेले ही न पढ़ लिया करो बल्कि पन्जगाना जमाअत में शामिल हो कर नमाज़ियों के साथ अदा किया करो ताकि तुम को दीन की बरकतें और अन्वार हासिल हों ।⁽¹⁾

पांच नमाज़ों की जमाअत की अज़ीमुश्शान फ़ज़ीलत

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जिस ने “फ़ज़्र” की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी, फिर बैठ कर अल्लाह पाक का ज़िक्र करता रहा, यहां तक कि सूरज निकल आया उस के लिये जन्नतुल फ़िरदौस में सत्तर (70) दरजे होंगे, हर दो दरजों के दरमियान इतना फ़ासिला होगा जितना एक सधाया हुवा (या'नी Trained) तेज़ रफ़्तार उम्दा नस्ल का घोड़ा सत्तर (70) साल में तै करता है और जिस ने “ज़ोहर” की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी उस के लिये जन्नते अदन में पचास (50) दरजे होंगे, हर दो दरजों के दरमियान इतना फ़ासिला होगा जितना एक सधाया हुवा (या'नी Trained) तेज़ रफ़्तार उम्दा नस्ल का घोड़ा पचास (50) साल में तै करता है और जिस ने “अस्र” की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी उस के लिये औलादे इस्माईल में से ऐसे आठ गुलाम आज़ाद करने का सवाब होगा जो बैतुल्लाह (या'नी का'बा शरीफ़) की देखभाल करने वाले हों और जिस ने “मग़रिब” की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी उस के लिये हज़्जे मबरूर (या'नी मक़बूल हज़) और मक़बूल उम्मे का सवाब होगा और जिस ने “इशा” की नमाज़ बा जमाअत पढ़ी उस के लिये लैलतुल क़द्र में क़ियाम (या'नी इबादत) करने के बराबर सवाब होगा ।⁽²⁾

1... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक़रह, तह़तल आयत : 43, 1/292

2... شعب الایمان، باب فی الصبر علی المصائب، 7/137-138، حدیث: 9761

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का मतलब

इमाम की इक़िदा या'नी पैरवी में नमाज़ अदा करने को “जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ना” कहते हैं।

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

- (1) पांचों वक़्त की नमाज़ मस्जिद में जमाअत के साथ (अदा करना) वाजिब है।⁽¹⁾
- (2) मुदरिफ़ या'नी पूरी जमाअत पाने वाला वोह है जो सारी रक्अतें इमाम के साथ अदा करे।⁽²⁾
- (3) अगर इमाम के साथ अहले महल्ला की जमाअत हो गई और कुछ लोग इत्तिफ़ाक़न या किसी सहीह मजबूरी के सबब रह गए तो उन को अज़ान देने की इजाज़त नहीं और मेहराब में इमाम के खड़े होने की जगह उन के इमाम को खड़ा होना मक्रूह है, अज़ान दोबारा न कहें और मेहराब से हट कर जमाअत करें, येही अफ़ज़ल है।⁽³⁾

नोट : * जिन्हें पहली जमाअत न मिल सकी, अगर जमाअत कर सकते हों तो तर्क जमाअत न करें।⁽⁴⁾
 * इस ए'तिमाद पर कि हम अपनी जमाअत दोबारा कर लेंगे, शर्ई मजबूरी के बिगैर जमाअते ऊला जान बूझ कर तर्क करना गुनाह है।⁽⁵⁾ * ऐसी जगह जमाअते सानी या'नी दूसरी जमाअत हरगिज़ न की जाए जहां फ़ितना व नफ़रत की फ़ज़ा काइम होती हो मसलन इमाम साहिब या दीगर नमाज़ी येह समझते हुए ए'तिराज़ करते हों कि जान बूझ कर ऐसा किया जा रहा है।⁽⁶⁾

बा जमाअत नमाज़ से नेक बन्दों की महबूबत

* हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه की (शर्ई मजबूरी से) कभी जमाअत निकल जाती तो दूसरी नमाज़ तक नफ़लें पढ़ते रहते।⁽⁷⁾ * हज़रते सईद बिन अब्दुल अज़ीज़ رحمة الله عليه की जमाअत निकल जाती तो अपनी दाढ़ी पकड़ कर रोने बैठ जाते।⁽⁸⁾

1... फ़तावा रज़विय्या, 7/194

2... بحر الرائق، کتاب الصلاة، باب الامامة، 1/623

3... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 ब तग़य्युरे क़लील

4... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 ब तग़य्युरे क़लील

5... फ़तावा रज़विय्या, 7/199 मुल्लतक़तून

6... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 173

7... الاصابية، رقم: 4752، عبد الله بن عمر، 4/160 تقدم وتاخر

8... تاريخ ابن عساکر، رقم: 2514 سعيد بن عبد العزيز... الخ، 21/203

* हज़रते मुहम्मद बिन सिमाआ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की 40 साल में सिर्फ़ एक मरतबा तक्बीरे ऊला फ़ौत हुई।⁽¹⁾ * ताबेई बुजुर्ग हज़रते सईद बिन मुसय्यब رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की 40 साल में एक भी जमाअत फ़ौत न हुई।⁽²⁾ * हज़रते आ'मश رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की 70 साल में कभी तक्बीरे ऊला फ़ौत नहीं हुई।⁽³⁾ * हज़रते यहूया बिन सईद क़त्तान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ को जमाअत की तलाश में कभी नहीं देखा गया (या'नी आप की जमाअत फ़ौत ही न होती)।⁽⁴⁾ * हज़रते सुवैद बिन ग़फ़ला رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की उम्र 126 साल थी लेकिन आप जमाअत से नमाज़ पढ़ने के लिये मस्जिद तशरीफ़ ले जाते।⁽⁵⁾ * आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ बचपन ही से नमाज़े बा जमाअत के पाबन्द थे, एक मरतबा पाउं का अंगूठा पक गया, डॉक्टर ने हरकत करने और मस्जिद जाने से मन्अ किया, इस के बा वुजूद आप رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ नमाज़ बा जमाअत ही पढ़ते रहे, चार आदमी कुरसी पर बिठा कर आप رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ को मस्जिद ले जाते।⁽⁶⁾ * बहारे शरीअत के मुसन्निफ़ मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ नमाज़े बा जमाअत के सख़्ती से पाबन्द थे, अगर किसी वक़्त मुअज़्ज़िन वक़्त पर न पहुंचते तो अज़ान भी खुद देते।⁽⁷⁾ * मुफ़स्सिरे कुरआन, मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की चालीस पचास साल तक मुसल्लसल तक्बीरे ऊला भी फ़ौत न हुई।⁽⁸⁾ * अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَهُ फ़रमाते हैं : जमाअत तर्क कर देना मेरी लुग़त में ही नहीं, यहां तक कि जब मेरी वालिदा का इन्तिक़ाल हुवा तो उस वक़्त घर में दूसरा कोई मर्द न था मगर اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! मां की मय्थित घर छोड़ कर मस्जिद में नमाज़ पढ़ाने की सआदत पाई।⁽⁹⁾

जमाअत की मौला इनायत हो उल्फ़त करम हो ए मुस्त्फ़ा जाने रहमत

सुवाल बा जमाअत नमाज़ पढ़ने का क्या सवाब है ?

- 1... फैज़ाने नमाज़, स. 143 मुलख़ब़सन
- 2... फैज़ाने नमाज़, स. 496
- 3... फैज़ाने नमाज़, स. 502
- 4... फैज़ाने नमाज़, स. 503
- 5... फैज़ाने नमाज़, स. 504
- 6... फैज़ाने नमाज़, स. 553 मुलख़ब़सन
- 7... तज़्किरए सदरुशशरीअह, स. 31
- 8... फैज़ाने मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी, स. 29
- 9... सुन्नते निकाह, स. 19

जवाब अल्लाह पाक बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वालों को महबूब (या'नी प्यारा) रखता है। * नमाज़े बा जमाअत तन्हा (या'नी अकेले) पढ़ने से 27 दरजे अफ़ज़ल है। * अल्लाह पाक और उस के फ़िरिश्ते बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वालों पर दुरूद भेजते हैं। * बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वाला पुल सिरात से बिजली की मानिन्द गुज़रेगा। * बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वालों की शानो शौकत देख कर अहले महशर रश्क करेंगे। * मस्जिद की तरफ़ जाने वाले के हर क़दम पर एक दरजा बुलन्द होता है और * एक गुनाह मिटा दिया जाता है। * अल्लाह करीम उस के लिये सुब्हो शाम जन्नत में मेहमानी का एहतिमाम फ़रमाएगा।⁽¹⁾ * अगर जमाअत में एक की नमाज़ क़बूल हो गई तो सब की क़बूल है।⁽²⁾ * जमाअत से आदमी को दीनी पेशवा उलमा सूफ़िया का अदब सिखाया जाता है।⁽³⁾ * बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वाले के लिये इल्मे दीन हासिल करने के मवाक़ेअ बढ़ जाते हैं। * बा जमाअत नमाज़ पढ़ने में दुन्यवी फ़ाएदे भी हैं : मसलन

* जमाअत की बरकत से क़ौम में तन्ज़ीम (Discipline) रहती है। * जमाअत से आपस में इत्तिफ़ाक़ बढ़ता है। * क़ौम में पाबन्दिये अवक़ात की अ़दत पड़ जाती है कि सब लोग वक़्ते जमाअत पर दौड़ते (या'नी जल्दी जल्दी) आते हैं। * जमाअत से मुतकब्बिरीन (या'नी मगरूरों) का गुरुर टूटता है कि यहां बादशाह को फ़कीर के साथ खड़ा होना पड़ता है।⁽⁴⁾

ख़ुदा सब नमाज़ें पढ़ूं बा जमाअत करम हो पए ताजदारे रिसालत

जमाअत के साथ नमाज़ न पढ़ने के नुक़सानात

* शर्ई मजबूरी के बिग़ैर एक बार भी जमाअत छोड़ने वाला गुनाहगार है। * जमाअत छोड़ने वाले पर शैतान ग़ालिब आ जाता है और उस पर अपना क़ब्ज़ा जमा लेता है (तज़रिबे से मा'लूम है कि जमाअत निकल जाने की सूरत में कुछ लोग टाल मटोल करने लगते हैं, नतीजा येह होता है कि ﷻ! कभी उन की नमाज़ ही क़ज़ा हो जाती है)। * जो तक्बीर (या'नी इक़ामत) सुन कर जमाअत के लिये हाज़िर न हो, हदीसे पाक में उसे बद बख़्त, ना मुराद, ज़ालिम, अज़्लम (बहुत बड़ा ज़ालिम) और मुनाफ़िक़ फ़रमाया गया।⁽⁵⁾ * तन्हा नमाज़ पढ़ने वाला, बा जमाअत नमाज़ पढ़ने वाले का दरजा नहीं पा सकता ख़्वाह एक नमाज़ को 27 मरतबा ही क्यूं ना पढ़ ले।

1... फ़ैज़ाने नमाज़, स. 139

2... रसाइले नईमिय्या, असरारुल अहक़ाम, स. 288

3... रसाइले नईमिय्या, असरारुल अहक़ाम, स. 288

4... रसाइले नईमिय्या, असरारुल अहक़ाम, स. 288 मुल्लतक़तून

5... फ़तावा रज़विय्या, 7/102 मुल्लतक़तून

नोट : नमाज़े बा जमाअत के फ़ज़ाइल और इस बारे में तफ़्सीली अहक़ाम जानने के लिये शैख़े त़रीक़त अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की किताब “फ़ैज़ाने नमाज़” सफ़्हा 137 ता 230 और “बहारे शरीअत” जिल्द अव्वल, सफ़्हा 574 ता 594 पढ़िये ।

सबक़ नम्बर 19

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का बयान

पारह 14, सूरतुल हिज़्र, आयत : 24 में है :

وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا
الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿٢٤﴾ (پ 14، الحجر: 24)

तज़रमाए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक हमें मा'लूम हैं जो तुम में आगे बढ़े और बेशक हमें मा'लूम हैं जो तुम में पीछे रहे ।

हज़रते इब्ने अब्बास رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا से रिवायत है, नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने “पहली सफ़” के फ़ज़ाइल बयान फ़रमाए तो सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان सफ़े अव्वल हासिल करने में निहायत कोशिश करने लगे और उन का इज़्दिहाम (हुजूम) होने लगा और जिन हज़रात के मकान मस्जिद शरीफ़ से दूर थे वोह अपने मकान बेच कर क़रीब ख़रीदने पर आमादा हो गए ताकि सफ़े अव्वल में जगह मिलने से कभी महरूम न हों । इस पर येह आयते करीमा नाज़िल हुई और उन्हें तसल्ली दी गई कि सवाब निय्यतों पर है और अल्लाह पाक अगलों को भी जानता है और जो मजबूरी से पीछे रह गए हैं उन को भी जानता है और उन की निय्यतों से भी ख़बरदार है और उस पर कुछ मख़फ़ी नहीं ।⁽¹⁾

सुवाल पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के बारे में हदीसे पाक में क्या इर्शाद फ़रमाया गया ?

जवाब हज़रते अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है, रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : अगर लोगों को मा'लूम हो जाए कि अज़ान देने और पहली सफ़ में बैठने का कितना अज़्र है और उन्हें कुरआ अन्दाज़ी करने के सिवा इन कामों का मौक़अ न मिले तो वोह ज़रूर कुरआ अन्दाज़ी करेंगे ।⁽²⁾

सुवाल पहली सफ़ का क्या मतलब है ?

¹ ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 14, अल हिज़्र, तहूतल आयह : 24 ब तग़य्युरे क़लील

² ... بخاری، کتاب الشہادات، باب القرعة فی الشکلات، 208/2، حدیث: 2689

जवाब इमाम से मिली हुई सफ़ पहली सफ़ है। इस से मस्जिद की पहली सफ़ मुराद नहीं।

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

सुवाल पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ कुछ अहक़ाम बताइये।

जवाब (1) आ़म नमाज़ में पहली सफ़ अफ़ज़ल है और नमाज़े जनाज़ा में आख़िरी सफ़ अफ़ज़ल है।⁽¹⁾ (2) जब तक पहली सफ़ दोनों कोनों तक पूरी न हो जाए, जान बूझ कर पीछे नमाज़ शुरू कर देना ना जाइज़ और गुनाह है।⁽²⁾ (3) पहली सफ़ में जगह बाक़ी है और लोगों ने दूसरी सफ़ बना ली, अब जो शख़्स आया उसे इजाज़त है कि दूसरी सफ़ को चीर कर जाए और पहली सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे।⁽³⁾

पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल पहली सफ़ नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे बयान करें।

जवाब * पहली सफ़ फ़िरिशतों की सफ़ की मिस्ल है।⁽⁴⁾ * अल्लाह पाक और फ़िरिशते सफ़े अव्वल पर दुरूद भेजते हैं।⁽⁵⁾ * रसूले करीम ﷺ सफ़े अव्वल के लिये तीन बार दुआए मग़ि़रत करते।⁽⁶⁾ * रहमते इलाही पहले इमाम पर उतरती है फिर सफ़े अव्वल में उस पर जो इमाम के बिल्कुल पीछे हो, फिर सफ़े अव्वल में सीधी जानिब के लोगों पर, फिर उलटी जानिब के लोगों पर।⁽⁷⁾ * पहली सफ़ पाने के हरीस हो जाइये, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ! इस की बरकत से तर्के जमाअत के गुनाह से बच जाएंगे।

①... फ़तावा रज़विय्या, 9/204 ब तग़य्युरे क़लील

②... फ़तावा रज़विय्या, 7/220 मफ़हूमन

③... फ़तावा रज़विय्या, 7/220 मुलख़ब़सन

④... الإوداد، کتاب الصلاة، باب فی فضل صلاة الجماعة، 1/230، حدیث: 554

⑤... معجم اوسط، 6/115، حدیث: 8198

⑥... معجم اوسط، 6/294، حدیث: 8819

⑦... फ़तावा रज़विय्या, 5/424 ब तग़य्युरे क़लील

सफ़े अक्वल से ग़फ़लत बरतने का नुक्सान

सुवाल सफ़े अक्वल से ग़फ़लत बरतने का क्या नुक्सान है ?

जवाब * सफ़े अक्वल से ग़फ़लत बरतना ज़िक्र किये गए सवाबात से महरूमी का सबब है ।

* पहली सफ़ से ग़फ़लत करने वाला नेकियों का हरीस नहीं । * हदीसे पाक में है : हमेशा सफ़े अक्वल से लोग पीछे होते रहेंगे यहां तक कि **अल्लाह** पाक उन्हें (अपनी रहमत से) दूर कर के जहन्नम में डाल देगा ।⁽¹⁾ मशहूर मुफ़स्सिरे कुरआन मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक की शर्ह में फ़रमाते हैं : या'नी सुस्ती की वजह से सफ़े अक्वल में आने में तअम्मुल (या'नी टाल मटोल) करेंगे या सफ़े अक्वल में जगह होते हुए पीछे खड़े होंगे तो वोह दीन के सारे कामों में सुस्त हो जाएंगे और बुराइयों पर दिलेर हो जाएंगे जिस का नतीजा येह होगा कि जहन्नम में जाएंगे और वहां देर तक रहेंगे ।⁽²⁾

मदनी मश्वरा : पहली सफ़ की फ़ज़ीलत और इस बारे में तफ़्सीली मा'लूमात के लिये शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ की किताब “फ़ैज़ाने नमाज़” सफ़़हा 193 ता 221 पढ़िये ।

सबक़ नम्बर 20

सफ़ें दुरुस्त करने का बयान

अल्लाह पाक ने कुरआने मजीद में सफ़ बांधने वालों की क़सम याद फ़रमाई, इर्शाद होता है :

وَالصَّفَّتِ صَفًّا ① (प 23, الصفّت: 1)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क़सम उन की, कि बा काइदा सफ़ बांधें ।

“तफ़्सीरे मावरदी” में है : यहां सफ़ बांधने वालों से मुराद फ़िरिश्ते हैं या मुसल्मान कि सफ़ बांध कर नमाज़ पढ़ते हैं या मुजाहिदीन जो सफ़ बांध कर जिहाद करते हैं ।⁽³⁾ यहां सफ़ बांधने वालों की क़सम इर्शाद फ़रमाने से मा'लूम हुवा कि सफ़ बांधना बहुत अहम्मियत और फ़ज़ीलत का बाइस है ।⁽⁴⁾



① ... الإوداد، كتاب الصلاة، باب صف النساء... الح 1/269، حديث: 679

② ... मिरआतुल मनाजीह, 2/186

③ ... تفسير ماوردی، پ 23، الصفات، تحت الآية: 1/36/5

④ ... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 23, अस्साफ़ात, तहत्तल आयह : 1, 8/288

सुवाल हदीसे पाक में नमाज़ का हुस्न किस को कहा गया ?

जवाब नमाज़ में सफ़ बांधने के बारे में हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है, मालिके जन्नत, रसूले रहमत صلى الله عليه وآله وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : (ऐ लोगो !) नमाज़ में सफ़ को काइम करो क्यूं कि सफ़ को काइम करना नमाज़ के हुस्न में से है।⁽¹⁾

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने का क्या मतलब है ?

जवाब सफ़ के वाजिबात पूरे करना (सफ़ सीधी रखना, पूरी करना और ख़ूब मिले मिले खड़े होना) सफ़ दुरुस्त करना है।

सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअल्लिक़ चन्द अहक़ाम बयान कीजिये।

जवाब (1) : नमाज़ में सफ़ से मुतअल्लिक़ तीन बातें वाजिब हैं * तस्वियए सफ़ : सफ़ सीधी करना या'नी तमाम सफ़ वालों का अपनी गरदन, कन्धे और टख़ने एक सीध में रखना (गरदनों का कुदरती तौर पर ऊंचा नीचा होना मुआफ़ है कि बा'ज लम्बे और बा'ज पस्ता क़द होते हैं)।⁽²⁾ * इत्मा मे सफ़ : सफ़ पूरी करना कि जब तक अगली सफ़ पूरी न हो, दूसरी सफ़ शुरूअ न करें। * तुरास्से सफ़ : ख़ूब मिल कर खड़ा होना कि कन्धे से कन्धा मस (Touch) हो।⁽³⁾ (2) : सुन्नत येह है कि इमाम पहले सफ़ें सीधी करवाए फिर तकबीरे तहरीमा कहे।⁽⁴⁾

सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात बताइये।

जवाब * सफ़ सीधी रखना नमाज़ का हुस्न है।⁽⁵⁾ * अगली सफ़ों से मिलने वालों पर अल्लाह



1... بخاری، کتاب الاذان، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، 1/257، حدیث: 722

2... میرآاتول مناजीه، 2/185

3... फ़तावा रज़विय्या، 7/219, 222

4... میرآاتول مناजीه، 2/187

5... بخاری، کتاب الاذان، باب اقامة الصف من تمام الصلاة، 1/257، حدیث: 722

पाक और फ़िरिशते दुरुद भेजते हैं।⁽¹⁾ * सफ़ पूरी करने के लिये उठने वाले क़दम अल्लाह पाक को महबूब (प्यारे) हैं।⁽²⁾ * सफ़ पूरी करना मग़ि़रत पाने, ज़न्नत हासिल करने और दरजात की बुलन्दी का सबब है। दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم : * जो सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे, उस की मग़ि़रत हो जाएगी।⁽³⁾ * जो सफ़ की ख़ाली जगह पुर करे, अल्लाह पाक उस का एक दरजा बुलन्द फ़रमाएगा और उस के लिये ज़न्नत में एक घर बनाएगा।⁽⁴⁾ * सफ़ मिलाने से ज़ियादा नेकियों की तौफ़ीक़ मिलती है, हदीसे पाक : “जो सफ़ मिलाए अल्लाह पाक उसे मिलाए” इस के तहत फ़ैज़ुल क़दीर में है : या'नी अल्लाह पाक उस की नेकी में इज़ाफ़ा फ़रमाता और उसे अपनी रहमत में दाख़िल फ़रमाता है।⁽⁵⁾ * सफ़ पूरी करना वस्वसों से बचाता है।⁽⁶⁾ * सफ़ सीधी करना दिलों को सीधा रखता है।⁽⁷⁾ * सफ़ में मिल कर खड़े होने से दिल मिलते, इत्तिहाद बढ़ता और शैतान से हिफ़ाज़त मिलती है।

सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़सानात

सुवाल सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़सानात क्या हैं ?

जवाब * सफ़ें दुरुस्त न करना तर्कें वाजिब, ना जाइज़ और गुनाह है।⁽⁸⁾ * सफ़ दुरुस्त न करने से नमाज़ नाक़िस रह जाती है।⁽⁹⁾ * सफ़ दुरुस्त न करना नमाज़ में वस्वसे आने का सबब है, हदीसे पाक में है : कुशादगी भरो ! क्यूं कि शैतान तुम्हारे दरमियान भेड़िये के बच्चे की तरह घुस जाता है।⁽¹⁰⁾ * सफ़ सीधी न करने में चेहरा बिगड़ने का अन्देशा है, हज़रते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ से रिवायत है, रसूले करीम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : ज़रूर तुम सफ़ें सीधी करोगे या तुम्हारी शक़्लें बिगाड़ दी

1 ... ابو داود، کتاب الصلاة، باب فی الصلاة تقام ولم یأت الامام... إلخ، 1/227، حدیث: 543

2 ... ابو داود، کتاب الصلاة، باب فی الصلاة تقام ولم یأت الامام... إلخ، 1/227، حدیث: 543

3 ... مستدرر، مستدرر، ج 10، 159-160، حدیث: 4232

4 ... معجم اوسط، 4/225، حدیث: 5797

5 ... فیض القدر، 6/306، تحت الحدیث: 9076

6 ... لوائح الانوار القدریة فی بیان العبودیة لمحمد، ص 72، ماخوذا

7 ... معجم اوسط، 4/35، حدیث: 5121

8 ... عمدة القاری، کتاب الاذان، باب تسویه الصفوف... إلخ، 4/354، تحت الحدیث: 718، ماخوذا

9 ... میر آتول مनाजीह، 2/183 मुलख़ब़सन

10 ... مستدر احمد، مستدر ابی امامة الباهلی، 8/295، حدیث: 22326

जाएंगी या आंखें उचक ली जाएंगी।⁽¹⁾ * सफें दुरुस्त न करना रहमत से दूरी का सबब है, हृदीसे पाक : जो सफ़ तोड़े **अल्लाह** पाक उसे तोड़े, इस के तहत फ़ैजुल क़दीर में है : या'नी **अल्लाह** पाक उसे सवाब और रहमत से दूर कर देता है या उसे मज़ीद नेकी की तौफ़ीक़ नहीं मिलती।⁽²⁾ * सफ़ टेढ़ी होने से दिल टेढ़े होते, इख़्तिलाफ़ बढ़ता और लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं। दो फ़रामीने मुसतफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : * सीधे रहो अलग अलग न रहो वरना तुम्हारे दिल अलग हो जाएंगे।⁽³⁾ * **अल्लाह** के बन्दो ! अपनी सफ़ें सीधी करो ! वरना **अल्लाह** पाक तुम्हारे दरमियान इख़्तिलाफ़ डाल देगा।⁽⁴⁾

सूतूनों के दरमियान सफ़ बनाना

सुवाल बा'जु जगह मस्जिद की एक सफ़ के दरमियान दो सुतून आते हैं जिस की वजह से क़त्ए सफ़ लाजिम आता है । ऐसी सफ़ में नमाजियों का सफ़ बनाना कैसा ?

जवाब बिना ज़रूरत सुतनों के दरमियान सफ़ बनाना मक्खन व ना जाइज़ है कि इस से क़त्ल सफ़ लाज़िम आता है जो कि ना जाइज़ है। हां अगर कोई उज़्र हो कि नमाज़ियों की कसरत की वजह से जगह तंग हो या बाहर बारिश हो तो सुतनों के दरमियान खड़े हो सकते हैं।⁽⁵⁾

बच्चों को सफ़ में कहां खड़ा करें ?

सुवाल बच्चों को मस्जिद की सफ में खड़ा नहीं किया जाता इस का शर्दु मस्अला क्या है ?

जवाब वोह बच्चे जो अक्लमन्द और नमाज़ की समझ बूझ रखते हैं ऐसे बच्चों के मुतअल्लिक़ शर्ई हुक्म येह है कि इन की सफ़ मर्दों की सफ़ के बा'द अ़लाह़दा से बनाई जाए। हां अगर बच्चा सिर्फ़ एक है तो उस के लिये अलग से सफ़ बनाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि वोह मर्दों की सफ़ में भी खड़ा हो सकता है, चाहे सफ़ के दरमियान में खड़ा हो या कोने में, दोनों में कोई हरज नहीं। और वोह बच्चे जो

1... مسند احمد، مسند ابی امامة الباہلی، 8/288، حدیث: 22288

2... فيض القدير، 6/306، تحت الحديث: 9076

3 ... مسلم، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ، ص 182، حديث: 972

4 ... مسلم، کتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها... إلخ، ص 183، حديث: 979

इतने छोटे हैं कि उन को नमाज़ की भी समझ बूझ नहीं तो उन को सफ़ में खड़ा नहीं कर सकते, चाहे एक हो या ज़ियादा क्यों कि ऐसे बच्चों की नमाज़ ही मो'तबर नहीं और सफ़ में जहां ऐसा बच्चा खड़ा होगा गोया वहां से सफ़ ख़ाली रहेगी और येह शर्अन मम्मूअ व ना जाइज़ है।

नोट : येह भी वाजेह रहे कि ऐसे छोटे बच्चे जो नमाज़ की समझ बूझ नहीं रखते, मस्जिद में आ कर उलटी सीधी हरकतें करते, भागते दौड़ते और शोर मचाते हैं उन को मस्जिद में लाने की भी शर्अन इजाज़त नहीं। हदीसे पाक में हुक्म दिया गया है कि मसाजिद को बच्चों और पागलों से बचाओ।⁽¹⁾

सबक नम्बर 21

नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल

सवाल नमाज़ में लुक़्मा देने और इमाम को लुक़्मा लेने से मुतअल्लिक़ शरीअत के क्या अहक़ाम हैं ?

जवाब क़वानीने शरीअत के मुताबिक़ नमाज़ में अपने इमाम को लुक़्मा देना बा'ज़ सूरतों में फ़र्ज़ है, बा'ज़ सूरतों में वाजिब और बा'ज़ सूरतों में जाइज़ है। यूं ही बा'ज़ सूरतों में हराम है, बा'ज़ सूरतों में मक्रूह। बसा अवकात लुक़्मे का तअल्लुक़ इमाम की क़िराअत के साथ होता है तो बसा अवकात इन्तिक़ालाते इमाम के साथ।

नमाज़ में लुक़्मे से मुतअल्लिक़ अहक़ाम

(1) इमाम जब ऐसी ग़लती करे जो मूजिबे फ़सादे नमाज़ हो (वोह ग़लती जिस से नमाज़ टूट जाती हो) तो उस का बताना और इस्लाह करना हर मुक्तदी पर फ़र्जे किफ़ाय़ा है उन में से जो बता देगा सब पर से फ़र्ज़ उतर जाएगा और कोई न बताएगा तो जितने जानने वाले थे सब मुर्तकिबे हराम होंगे और सब की नमाज़ बातिल हो जाएगी क्यों कि ग़लती जब मुफ़्सिदे नमाज़ हो तो उस की इस्लाह करने के बजाए ख़ामोश रहना नमाज़ को बातिल कर देगा और नमाज़ बातिल कर देना हराम है **अल्लाह** पाक के इस फ़रमान की वजह से कि “अपने आ'माल बातिल न करो।”⁽²⁾

¹... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 45

²... फ़तावा रज़विय्या, 7/280

(2) अगर ग़लती ऐसी है जिस से वाजिब तर्क हो कर नमाज़ मक्रूहे तहरीमी हो तो उस का बताना हर मुक्तदी पर वाजिबे क़िफ़ाय़ा होगा और अगर एक बता देगा और उस के बताने से कार रवाई हो जाए तो सब पर से वाजिब उतर जाएगा वरना सब गुनहगार रहेंगे।⁽¹⁾

(3) मुहीत व अलमगीरी में है : अगर इमाम को कुछ भूल वाक़ेअ हुई और मुक्तदी ने लुक़्मा देते हुए **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहा तो कोई हरज नहीं।⁽²⁾

(4) इमाम ग़लती कर के खुद मुतनब्बेह (बा ख़बर) हो गया और याद नहीं आता, याद करने के लिये रुका, अगर तीन बार **سُبْحَانَ اللَّهِ** कहने की मिक्दार रुकेगा तो नमाज़ मक्रूहे तहरीमी हो जाएगी और सज्दए सहव वाजिब होगा, तो इस सूरत में जब उसे रुका देखें, मुक्तदियों पर बताना वाजिब होगा कि ख़ामोशी क़दरे ना जाइज़ तक न पहुंचे। या'नी इमाम को तीन मरतबा **سُبْحَانَ اللَّهِ** की मिक्दार ख़ामोश रहने का मौक़अ न दिया जाए।⁽³⁾

(5) बा'ज़ ना वाक़िफ़ों की आदत होती है कि जब ग़लती करते हैं याद नहीं आता तो इज़्तिरारन उन से बा'ज़ कलिमात बे मा'ना सादिर हो जाते हैं कोई “ऊं ऊं” कहता है कोई कुछ और, इस से नमाज़ बातिल हो जाती है। तो जिस की येह आदत मा'लूम है जब रुकने पर आए मुक्तदियों पर वाजिब है कि फ़ौरन बता दें क़ब्ल इस के कि वोह अपनी आदत के हुरूफ़ निकाल कर नमाज़ तबाह करे।⁽⁴⁾

(6) इमाम तरावीह में अटके और आगे न पढ़ पाए या ऐसा हो कि रवानी में पढ़ते हुए कोई आयत या आयत का हिस्सा छोड़ कर बिगैर रुके या अटके आगे निकल जाए और ना जाइज़ मिक्दार तक ख़ामोश रहना भी न पाया जाए, न ही मा'ना फ़ासिद होते हों तब भी मुक्तदी को बताना चाहिये क्यूं कि इमाम के न ठहरने का फ़सादे मा'ना न होने के सबब अगर्चे नमाज़ पर असर नहीं पड़ेगा लेकिन चूंकि तरावीह में पूरे कुरआने अज़ीम का ख़त्म करना मक्सूद होता है और कुछ हिस्सा रह जाने से येह मक्सूद पूरा नहीं होगा। चुनान्वे इमामे अहले सुन्नत **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** फ़तावा रज़विख्या शरीफ़ में फ़रमाते हैं :

तरावीह में ख़त्मे कुरआने अज़ीम हो तो मुक्तदी को बताना चाहे जब कि इमाम से न निकले या वोह आगे रवां हो जाए अगर्चे उस ग़लती से नमाज़ में कुछ ख़राबी न हो कि मक्सूद ख़त्मे किताबे अज़ीज़ है और वोह किसी ग़लती के साथ पूरा न होगा।⁽⁵⁾

1... फ़तावा रज़विख्या, 7/280

2... عالمگیری، کتاب الصلوة، باب فیما یفسد الصلوة وما یکثر فیها 99/

3... फ़तावा रज़विख्या, 7/281 माख़ूज़न

4... फ़तावा रज़विख्या, 7/281

5... फ़तावा रज़विख्या, 7/282

www.dawateislamiindia.org

तअल्लुम के पाए जाने की वजह से और अगर इसे खुद ही याद आ गया हो न कि लुक़्मे की वजह से या'नी अगर लुक़्मा न आता तब भी इसे याद आ जाता तो ऐसी सूरत में मुत्लक़न नमाज़ न टूटेगी। यह बात ज़ाहिर है कि जब येह साबित हो जाए कि लुक़्मा अज़ खुद आया है तो लुक़्मे का आना नमाज़ पर असर नहीं डालेगा और अज़ खुद याद आने या न आने का मुआमला दियानत पर मौकूफ़ है न कि क़ज़ा पर कि ज़ाहिर पर हुक्म लगाएं ऐसा नहीं हो सकता। क्या तू नहीं देखता कि अगर कोई अपने इमाम के इलावा ग़ैर को तिलावत की निय्यत करते हुए लुक़्मा दे तो उस की नमाज़ फ़ासिद न होगी अगरचे कि ज़ाहिरी हालत अमले ता'लीम को ज़ाहिर करती है।⁽¹⁾

(12) मुक्तदी को शुबा हुआ कि इमाम कुछ छोड़ गया है मगर उसे यकीन हासिल नहीं इस शुबे की कैफ़ियत में उस वक़्त लुक़्मा देना जाइज़ होगा कि जब उसे येह गुमान हो कि इमाम ने जो छोड़ा है अगर न बताया गया तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी तो यकीन न होने के बावजूद लुक़्मा देना जाइज़ होगा अगर फ़सादे नमाज़ का पहलू न हो तो फिर महज़ शुबे पर बताना हरगिज़ जाइज़ नहीं। जैसा कि इमामे अहले सुन्नत رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़तावा रज़विyyा शरीफ़ में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब ग़लती मुफ़्सिदे नमाज़ न हो तो महज़ शुबे पर बताना हरगिज़ जाइज़ नहीं बल्कि सब्र वाजिब है। आगे मज़ीद इर्शाद फ़रमाते हैं : हुर्मत की वजह ज़ाहिर है कि फ़तह (लुक़्मा) हकीक़तन कलाम है और नमाज़ में कलाम हराम व मुफ़्सिदे नमाज़ मगर बज़रूरत इजाज़त हुई जब इसे ग़लती होने पर खुद यकीन नहीं तो मुबीह में शक़ वाक़ेअ हुआ और मोहरिम मौजूद है लिहाज़ा हराम हुआ जब इसे शुबा है मुम्किन कि इसी की ग़लती हो और ग़लत बताने से इस की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम अख़ज़ करेगा तो उस की और सब की नमाज़ फ़ासिद होगी तो ऐसे अम्र पर इक्दाम जाइज़ नहीं हो सकता।⁽²⁾

(13) मुक्तदी को शक़ हुआ कि इमाम ने कुछ छोड़ दिया है हालां कि इमाम ने दुरुस्त पढ़ा था लिहाज़ा इस ने लुक़्मा दिया और इमाम ने ले लिया सब की नमाज़ जाती रही अगर इमाम ने न लिया तो सिर्फ़ लुक़्मा देने वाले की गई जैसा कि आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़तावा रज़विyyा में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब इसे शुबा हो तो मुम्किन है कि इसी की ग़लती हो और ग़लत बताने से इस की नमाज़ जाती रहेगी और इमाम अख़ज़ करेगा तो उस की और सब की नमाज़ फ़ासिद होगी।

(14) तरावीह में सहवन ग़लत बताना मुफ़्सिदे नमाज़ नहीं तैसीरन येही हुक्म है।⁽³⁾



2... फ़तावा रज़विyyा, 7/287

3... फ़तावा रज़विyyा, 7/285 माखूज़न

(15) फ़ौरन ही लुक्मा देना मक्रूह है बल्कि थोड़ा तवक्कुफ़ चाहिये कि शायद इमाम खुद निकाल ले।⁽¹⁾ मगर जब कि उस की आदत इसे मा'लूम हो कि रुकता है तो बा'ज़ ऐसे हुरूफ़ निकलते हैं जिन से नमाज़ फ़ासिद हो जाती है तो फ़ौरन बताए।⁽²⁾

(16) यूं ही इमाम को मक्रूह है कि मुक्तदियों को लुक्मा देने पर मजबूर करे बल्कि किसी दूसरी सूरत की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाए या दूसरी आयत शुरू कर दे बशर्ते कि उस का वस्ल (मिलाना) मुफ़्सिदे नमाज़ न हो और अगर ब क़दरे हाज़त पढ़ चुका है तो रुकूअ करे मजबूर करने के येह मा'ना हैं कि बार बार पढ़े या साक़ित (ख़ामोश) खड़ा रहे। जैसा कि फ़तावा अलमगीरी में है : इमाम को चाहिये कि मुक्तदी को लुक्मा देने की तरफ़ मजबूर न करे क्यूं कि वोह इन को अपने पीछे क़िराअत करने पर मजबूर करेगा और येह मजबूर करना मक्रूह है बल्कि उसे चाहिये कि अगर इतनी क़िराअत कर चुका था जो नमाज़ के सहीह होने के लिये काफ़ी थी तो रुकूअ कर ले या किसी और आयत की तरफ़ मुन्तक़िल हो जाए और इन को मजबूर करने के मा'ना येह हैं कि वोह बार बार आयत की तक़्रार करता रहा या फिर ख़ामोश खड़ा रहा।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 22

तरावीह

सुवाल तरावीह का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब रमज़ानुल मुबारक की खुसूसी इबादत नमाज़े तरावीह है। तरावीह हर अक़िल व बालिग़ मर्द व औरत के लिये सुन्नते मुअक्क़दा है।⁽⁴⁾ इस का तर्क जाइज़ नहीं।⁽⁵⁾

तरावीह की रकअतें

सुवाल तरावीह की कितनी रकअतें हैं ?

जवाब हज़रते अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا से रिवायत है : नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ रमज़ानुल मुबारक में 20 रकअत (तरावीह) और वित्र पढ़ा करते थे।⁽⁶⁾ अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ का अपने दौरै ख़िलाफ़त में 20 रकअत तरावीह को राइज़ फ़रमाना,



1... رد المحتار، کتاب الصلوة، مطلب الموضع التي للبحر في هارو السلام، 2/462

2... बहारे शरीअत, 1/607, हिस्सा : 3

3... عاكفيري، کتاب الصلوة، باب فيما يشهد الصلوة وما يكره فيها، 1/99

4... در مختار، کتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، 2/597

5... बहारे शरीअत, 1/688, हिस्सा : 4

6... مصنف ابن أبي شيبة، کتاب الصلوة، باب في صلوة رمضان، 5/225، حديث: 7774

सहाबा व ताबिईन, अइम्मए मुज्ताहिदीन और अइम्मए मुहद्दीसीन رَضَوَانُ اللّٰهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ का 20 रकअत तरावीह पर हमेशा अमल करना और 20 से कम पर राजी न होना इस हदीस को तक्वियत के आ'ला मक़ाम पर पहुंचा देता है। अल्लामा अली क़ारी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का इस बात पर इज्माअ (या'नी मुत्तफ़िका फैसला) है कि तरावीह की 20 रकअत हैं।⁽¹⁾ बीस रकअत तरावीह की हिक्मत यह है कि रात और दिन में कुल 20 रकअत फ़र्ज़ व वाजिब हैं। 17 रकअत फ़र्ज़ और तीन वित्र। लिहाज़ा रमज़ानुल मुबारक में 20 रकअत तरावीह मुक़र्रर की गई ताकि फ़र्ज़ व वाजिब के मदरिज और बढ़ जाएं और इन की ख़ूब तकमील हो जाए।⁽²⁾

तरावीह का अज़ीम फ़ाएदा

सुवाल तरावीह का क्या फ़ाएदा है ?

जवाब तरावीह कुरआने पाक को याद रखने और इस की हिफ़ाज़त करने का एक बेहतरीन ज़रीआ है। इस के ज़रीए जहां कुरआने पाक की दोहराई हो जाती है वहां कुरआने पाक की हिफ़ाज़त का भी एहतिमाम होता है। अगर तरावीह न होती तो हिफ़ज़े कुरआन का रवाज भी ख़त्म हो चुका होता।

तरावीह पढ़ने, पढ़ाने वाले इन बातों का लिहाज़ रखें

सुवाल तरावीह पढ़ने, पढ़ाने वाले किन बातों का खयाल रखें ?

जवाब (1) तरावीह में कुरआने पाक पढ़ा जाता है और “कुरआने मजीद पढ़ा जाए उसे कान लगा कर ग़ौर से सुनना और ख़ामोश रहना फ़र्ज़ है।”⁽³⁾

(2) तरावीह में पूरा कुरआन पढ़ना और सुनना सुन्नते मुअक्कदा अलल किफ़ाया है लिहाज़ा अगर चन्द लोगों ने मिल कर तरावीह में ख़तमे कुरआन का एहतिमाम कर लिया तो बक़िय्या अलाके वालों के लिये किफ़ायत करेगा।

(3) सलाम फेरने के बा'द बा'ज़ लोग सफ़ में बैठे रहते हैं, या खड़े खड़े इधर उधर देखते या पीछे जा कर बातें करने या बिला वज्ह पानी पीने वग़ैरा में मशगूल हो जाते हैं जैसे ही इमाम साहिब रुकूअ में जाते हैं तो फ़ौरन आ कर निय्यत बांध लेते हैं उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये।



2... फ़तावा फैजुरसूल, 1/380

3... फ़तावा रजविय्या, 23/352

(4) यूँ ही बा'ज लोग सिद्दहत मन्द और तन्दुरुस्त होने के बा वुजूद कुर्सियों पर बैठ कर, कुछ लोग बा'ज रकअतें खड़े खड़े और बा'ज ज़मीन पर बैठे बैठे अदा करते हैं ऐसा भी नहीं करना चाहिये । बिना उज़्र तरावीह बैठ कर पढ़ना मक्रूह है बल्कि बा'ज फुक़हाए किराम رَحْمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़्दीक तो होती ही नहीं ।

(5) कुछ लोग आठ या दस तरावीह पढ़ कर चले जाते हैं, इस तरह अगर्चे वोह इतनी रकअतों पर तो अमल कर बैठते हैं लेकिन चूंकि तरावीह की 20 रकअत सुन्नते मुअक्कदा हैं इस के तर्क करने के बाइस गुनाहगार होते हैं । लिहाज़ा मुकम्मल 20 तरावीह पढ़ने की सआदत हासिल कीजिये ।

(6) रमज़ान शरीफ़ में वित्र जमाअत से पढ़ना अफ़ज़ल है, मगर जिस ने इशा के फ़र्ज़ बिग़ैर जमाअत के पढ़े वोह वित्र भी तन्हा पढ़े । अलबत्ता अगर किसी ने नमाज़े इशा जमाअत से न पढ़ी और वित्र जमाअत के साथ पढ़ लिये तो भी उस के वित्र हो जाएंगे ।

(7) इफ़्तार पार्टियों, दा'वतों, नियाज़ों और ना'त ख़्वानियों वग़ैरा की वजह से फ़र्ज़ नमाज़ों की मस्जिद की जमाअते ऊला (या'नी पहली जमाअत) तर्क करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं, यहां तक कि जो लोग घर या होल या बंगले के कम्पाउन्ड वग़ैरा में तरावीह की जमाअत काइम करते हैं और क़रीब मस्जिद मौजूद है तो उन पर भी वाजिब है कि पहले फ़र्ज़ रकअतें जमाअते ऊला के साथ मस्जिद में अदा करें ।

(8) ख़त्मे कुरआन के बा'द रमज़ानुल मुबारक की बक़िय्या रातों में भी तरावीह पढ़ते रहिये । बा'ज लोग तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह पढ़ लेते हैं फिर इस के बा'द तरावीह नहीं पढ़ते और कहते सुनाई देते हैं कि हम ने तो तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह पढ़ ली है तो ऐसों की ख़िदमत में मदनी इल्तिजा है कि तीन रोज़ा, पांच रोज़ा या दस रोज़ा तरावीह पढ़ने से आप की तरावीह में कुरआने पाक पढ़ने और सुनने की सुन्नत अदा हुई है, बक़िय्या रमज़ानुल मुबारक की रातों की तरावीह पढ़ना मुआफ़ नहीं हुई ।

(9) तरावीह पढ़ने वाले का हिफ़ज़े कुरआन पक्का होना चाहिये ।

(10) बा'ज हुफ़्फ़ाज़ तरावीह की इब्तिदाई रकअतों में बहुत ज़ियादा पढ़ते हैं और आख़िरी रकअतों में इन्तिहाई कम । इस से भी लोग येह समझ कर कि बक़िय्या रकअतें भी इतनी ही बड़ी होंगी

वोह अधूरी तरावीह छोड़ कर चले जाते हैं लिहाजा हुफ़्फ़ाज़ को चाहिये कि तरावीह की हर रक्अत में एक रुकूअ पढ़ें, ऐसा करने से रमज़ान की सत्ताईवीं शब में बा आसानी कुरआन ख़त्म हो जाएगा।

(11) तरावीह की नमाज़ हो या कोई और नमाज़ इस के लिये ऐसे शख्स का इन्तिखाब किया जाए जो इमामत का अहल हो।

(12) तरावीह के लिये इमामत का मे'यार अच्छी और सुरीली आवाज़ नहीं बल्कि दुरुस्त क़िराअत है। हां अच्छी क़िराअत के साथ साथ आवाज़ भी अच्छी हो तो सोने पे सुहागा है, लिहाजा खुश इल्हानी देखने के साथ साथ दुरुस्त ख़वानी भी ज़रूर देखनी चाहिये।

(13) बा'ज हुफ़्फ़ाज़ ऐसे होते हैं जो **مَعَاذَ اللَّهِ** दाढ़ी मुंडाते या एक मुठ्ठी से कम कराते हैं उन्हें भी हरगिज़ इमाम न बनाया जाए कि उन के पीछे नमाज़ पढ़नी गुनाह और उस नमाज़ को दोबारा लौटाना वाजिब होता है।

(14) अगर शराइत पर पूरा उतरने वाला हाफ़िज़ न मिल सके या किसी वजह से ख़त्म न हो सके तो तरावीह में कोई सी भी सूरतें पढ़ लीजिये अगर चाहें तो **وَالسَّاسِ** से **الْمَثُورِ** दो बार पढ़ लीजिये, इस तरह बीस रक्अतें याद रखना आसान रहेगा।

तरावीह के इवज़ रक़म, मिठाई, ग़ल्ले वगैरा का तै कर के या बिगैर तै किये लेनदेन

सुवाल तरावीह के इवज़ लेनदेन करना कैसा ?

जवाब (1) तरावीह की उजरत का भी लेनदेन न हो। तै करने ही को उजरत नहीं कहते बल्कि अगर यहां तरावीह पढ़ाने आते इसी लिये हैं कि मा'लूम है कि यहां कुछ मिलता है अगरचें तै न हुवा हो, तो येह भी उजरत ही है। उजरत रक़म ही का नाम नहीं बल्कि कपड़े या ग़ल्ले (या'नी अनाज) वगैरा की सूरत में भी उजरत, उजरत ही है। हां अगर हाफ़िज़ साहिब निय्यत के साथ साफ़ साफ़ कह दें कि मैं कुछ नहीं लूंगा या पढ़वाने वाला कह दे कि कुछ नहीं दूंगा। फिर बा'द में हाफ़िज़ साहिब की ख़िदमत कर दें तो हरज नहीं।

(2) मस्जिद कमेटी वाले उजरत तै कर के हाफ़िज़ साहिब को माहे रमज़ानुल मुबारक में नमाज़े इशा के लिये इमामत पर रख लें और हाफ़िज़ साहिब बित्तब्अ या'नी साथ ही साथ तरावीह भी पढ़ा दिया करें क्यूं कि रमज़ानुल मुबारक में तरावीह भी नमाज़े इशा के साथ ही शामिल होती है। (पहले से मौजूद इमाम साहिब दिल बरदाश्ता न हों इस का भी ख़याल रखा जाए, पूरे माहे रमज़ान में नमाज़े इशा की इमामत की छुट्टी के सबब इमाम साहिब को मस्जिद के चन्दे से उस माह की इशा की नमाज़ों की तनख़्वाह दे सकते हैं क्यूं कि हमारे हां इसी तरह का उर्फ़ या'नी मा'मूल जारी है।)

(3) यूँ करें कि माहे रमज़ानुल मुबारक में रोज़ाना दो या तीन घन्टे के लिये (मसलन रात 8 ता 11) हाफ़िज़ साहिब को नोकरी की ओफ़र करते हुए कहें कि हम जो काम देंगे वोह करना होगा, तनख़्वाह की रक़म भी बता दें, अगर हाफ़िज़ साहिब मन्ज़ूर फ़रमा लेंगे तो वोह मुलाज़िम हो गए। अब रोज़ाना हाफ़िज़ साहिब की इन तीन घन्टों के अन्दर ड्यूटी लगा दें कि वोह तरावीह पढ़ा दिया करें।

(4) हाफ़िज़ साहिब को मुतालबे के बिग़ैर अपनी मरज़ी से तै शुदा से जाइद मस्जिद के चन्दे से नहीं बल्कि अपने पल्ले से या इसी मक्सद के लिये जम्अ की हुई रक़म दे दें तब भी जाइज़ है। जो हाफ़िज़ साहिबान या ना'त ख़्वान बिग़ैर पैसों के तरावीह, कुरआन ख़्वानी या ना'त ख़्वानी में हिस्सा नहीं ले सकते वोह शर्म की वजह से ना जाइज़ काम का इरतिकाब न करें। बचना और दुआए इख़्लास करते रहना ऐसे मवाक़ेअ पर मुफ़ीद होता है।

नमाज़े तरावीह की हिफ़ाज़त की फ़िक्र कीजिये

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : फ़ी ज़माना हुप्फ़ाज़ का तो जो हाल हो चुका है वोह तो एक तरफ़ अ़वाम और मसाजिद की इन्तिज़ामिया का हाल येह हो चुका है कि तरावीह के लिये उस हाफ़िज़ को मुन्तख़ब करते हैं जो कुरआने पाक तेज़ी से पढ़े और जितना जल्दी हो सके तरावीह ख़त्म हो जाए और उस इमाम के पीछे तरावीह पढ़ने से जो तज्वीद के मुताबिक़ कुरआन पढ़ता है इस लिये दूर भागते हैं कि येह देर में तरावीह ख़त्म करेगा और बा'ज़ जगह तो यूँ होता है कि तरावीह पढ़ाने वाले को मस्जिद इन्तिज़ामिया की तरफ़ से टाइम बता दिया जाता है कि इतने मिनट में आप को तरावीह ख़त्म करनी है और अगर उस वक़्त से 5 मिनट भी लेट हो जाए तो हाफ़िज़ साहिब को सुना दिया जाता है कि हज़रत आज आप ने इतने मिनट लेट कर दी आइन्दा ख़याल रखियेगा। ऐ काश कि मुसल्मान अपने वक़्त का ख़याल करने की बजाए अपनी नमाज़ की हिफ़ाज़त की फ़िक्र करें। अल्लाह पाक मुसल्मानों को हिदायत अता फ़रमाए, आमीन।⁽¹⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

सुवाल बा काइदा तौर पर तरावीह की जमाअत कब से शुरूअ हुई ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना उमर बिन ख़त्ताब رضي الله عنه के दौरै ख़िलाफ़त में।⁽²⁾

सुवाल मौलाए काएनात शेरे खुदा كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم ने इस मुबारक काम पर क्या दुआइया कलिमात इर्शाद फ़रमाए ?

1...सिरातुल जिनान, 10/415

2...بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 1/658، حدیث: 2010 مضمون

जवाब “अल्लाह पाक हज़रते उमर رضي الله عنه की क़ब्र को रोशन व मुनव्वर फ़रमाए जैसे उन्होंने ने हमारी मस्जिदों को मुनव्वर कर दिया।”⁽¹⁾

सुवाल तरावीह में पूरा कुरआने मजीद पढ़ने या सुनने की शर्ई हैसियत क्या है ?

जवाब तरावीह में पूरा कलामुल्लाह शरीफ़ पढ़ना और सुनना सुन्नते मुअक्कदा है।⁽²⁾

सुवाल उन पहले हाफ़िज़े कुरआन का नाम बताएं जिन्होंने ने तरावीह में कुरआने पाक की तिलावत फ़रमाई ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना उबय बिन का'ब رضي الله عنه।⁽³⁾

सुवाल क्या बालिग़ अफ़राद ना बालिग़ इमाम के पीछे तरावीह पढ़ सकते हैं ?

जवाब जी नहीं ! ना बालिग़ के पीछे बालिग़ अफ़राद की तरावीह (बल्कि कोई भी नमाज़) नहीं होगी।⁽⁴⁾

सुवाल तरावीह में “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” बुलन्द आवाज़ से पढ़ना चाहिये या आहिस्ता ?

जवाब तरावीह में “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ” एक बार ऊंची आवाज़ से पढ़ना सुन्नत है और हर सूरह की इब्तिदा में आहिस्ता पढ़ना मुस्तहब है।⁽⁵⁾

सुवाल क्या तरावीह बैठ कर पढ़ सकते हैं ?

जवाब जी नहीं ! तरावीह बिला उज़्र बैठ कर पढ़ना मक्रूहे (तन्ज़ीही) है, बल्कि बा'ज़ फ़ुक़हाए किराम عليهم الرضوان के नज़्दीक तो (बिला उज़्र बैठ कर) तरावीह होती ही नहीं।⁽⁶⁾

सुवाल इशा के फ़र्जे से पहले तरावीह अदा कर ली तो हो जाएगी ?

जवाब तरावीह का वक़्त इशा के फ़र्ज पढ़ने के बा'द से सुब्हे सादिक् तक है। अगर इशा के फ़र्ज



1... تاريخ ابن عساکر، رقم 5206، عمر بن الخطاب، 44/280

2... फ़तावा रज़विय्या، 7/458

3... بخاری، کتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان، 1/658، حدیث: 2010 مٹھوا

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الخامس، 1/243

5... بھارے شریعت، 1/694، हिस्सा : 4

6... در مختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/603

अदा करने से पहले पढ़ ली तो न होगी।⁽¹⁾

सुवाल क्या नमाज़े वित्र पढ़ने के बा'द तरावीह पढ़ी जा सकती है ?

जवाब अम तौर पर तरावीह वित्रों से पहले पढ़ी जाती है लेकिन अगर कोई वित्र पहले पढ़ ले तो तरावीह बा'द में भी पढ़ सकता है।⁽²⁾

ख़तमे कुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई पांच आयात पढ़ने की हिक़मत

सुवाल ख़तमे कुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई पांच आयात क्यों पढ़ी जाती हैं ?

जवाब बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की गई : **अल्लाह** पाक को सब से महबूब अमल क्या है ? हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : मन्ज़िल पर पहुंचना और कूच करना। अर्ज़ की : मन्ज़िल पर पहुंचना और कूच करना क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : येह कि बन्दा कुरआने करीम को शुरूअ से आख़िर तक पढ़े और हर बार ख़त्म करते ही फिर शुरूअ कर दे।⁽³⁾ सय्यिदी आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जब वोह एक पारह पढ़ चुकता है शैतान कहता है अब शायद रुक जाए न पढ़े। जब दूसरा पारह ख़त्म करता है तो कहता है अब शायद न पढ़े। इसी तरह हर पारे पर कहता है, यहां तक कि जब तीसों पारे ख़त्म हो जाते हैं कहता है अब न पढ़ेगा अब ख़त्म कर चुका। फिर "الْفَلْحُونَ" तक पढ़ता है। कहता है : येह न मानेगा पढ़ता ही रहेगा। मायूस हो जाता है, उस की उम्मीद टूट जाती है।⁽⁴⁾

सुवाल एक ही हाफ़िज़ साहिब का दो मस्जिदों में तरावीह पढ़ाना कैसा है ?

जवाब एक इमाम दो मस्जिदों में तरावीह पढ़ता है अगर दोनों में पूरी पूरी पढ़ाए तो ना जाइज़ है और अगर घर में तरावीह पढ़ कर मस्जिद में आया और इमामत की तो मक्रूह है।⁽⁵⁾

सुवाल इमाम के सलाम फेरने के बा'द रक्अतों की ता'दाद में शक हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब सलाम फेरने के बा'द कोई कहता है दो हुई कोई कहता है तीन तो इमाम के इल्म में जो हो उस का ए'तिबार है और इमाम को किसी बात का यकीन न हो तो जिस को सच्चा जानता हो उस



1... فتاوى هندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع، فصل في التراويح، 1/115

2... تنوير الابصار مع در مختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، بحث صلاة التراويح، 2/597

3... ترمذی، کتاب القراءات، باب ما جاء انزل القرآن على سبعة احرف، تابع باب: 13، 4/437، حدیث: 2957

4... ملّفوّجّاتے آ'لا ہّجّرّت، س. 524

5... فتاوى هندية، كتاب الصلاة، الباب التاسع في النوافل، فصل في تراويح، 1/116

के क़ौल पर ए'तिबार करे । अगर इस में लोगों को शक हो कि बीस हुई या अठारह तो दो रक्अत तन्हा तन्हा पढ़ें ।⁽¹⁾

सुवाल क़ा'दे में सो गया और इमाम अगली दो रक्अतों के क़ा'दे में पहुंच गया तो अब क्या हुक्म है ?

जवाब क़ा'दे में मुक्तदी सो गया, इमाम सलाम फेर कर और दो रक्अत पढ़ कर क़ा'दे में आया अब येह बेदार हुवा तो अगर मा'लूम हो गया तो सलाम फेर कर शामिल हो जाए और इमाम के सलाम फेरने के बा'द जल्द पूरी कर के इमाम के साथ हो जाए ।⁽²⁾

सुवाल क्या मुक्तदा (पेशवा) शख्स तन्हा तरावीह की नमाज़ पढ़ सकता है ?

जवाब जो शख्स मुक्तदा हो कि उस के होने से जमाअत बड़ी होती है और छोड़ देगा तो लोग कम हो जाएंगे उसे बिला उज़्र जमाअत छोड़ने की इजाज़त नहीं ।⁽³⁾

तरावीह की 20 रक्अत एक सलाम के साथ

सुवाल तरावीह की 20 रक्अतें एक ही सलाम के साथ पढ़ना कैसा है ?

जवाब तरावीह की 20 रक्अतें दस सलाम के साथ पढ़े या'नी हर दो रक्अत पर सलाम फेरे और अगर किसी ने 20 पढ़ कर आखिर में सलाम फेरा तो अगर हर दो रक्अत पर क़ा'दा करता रहा तो हो जाएगी मगर कराहत के साथ और अगर क़ा'दा न किया था तो दो रक्अत के क़ाइम मक़ाम हुई ।⁽⁴⁾

सुवाल अगर तरावीह फ़ौत हो गई तो इस की क़ज़ा कब करे ?

जवाब तरावीह अगर वक़्त में न पढ़ी और फ़ौत हो गई तो इस की क़ज़ा नहीं, न जमाअत से न तन्हा और अगर कोई क़ज़ा कर भी लेता है तो येह जुदागाना नफ़ल हो जाएंगे, तरावीह से उन का तअल्लुक न होगा ।⁽⁵⁾



1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/117

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/119

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاۃ، الباب التاسع فی النوافل، فصل فی تراویح، 1/116

4... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/599

5... در مختار، کتاب الصلاۃ، باب الوتر والنوافل، 2/598

सुवाल नमाज़े तरावीह फ़ासिद हो जाने पर उस में की गई तिलावत का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर किसी वजह से नमाज़े तरावीह फ़ासिद हो जाए तो जितना कुरआने मजीद उन रकअतों में पढ़ा है उसे दोबारा पढ़ा जाए ताकि ख़तमे कुरआन में कमी न रहे।⁽¹⁾

हाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ?

सुवाल हाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो क्या करे ?

जवाब कुरआने पाक में 14 आयाते सज्दा हैं। दौराने तरावीह जब कोई आयते सज्दा आती है तो हुप्फ़ाज़े किराम पहले बता देते हैं कि फुलां रकअत में आयते सज्दा है। बसा अवकात हुप्फ़ाज़े किराम बताना भूल जाते हैं और नमाज़ शुरू कर देते हैं, अब जब आयते सज्दा पर पहुंचते हैं तो शशो पन्ज में पड़ जाते हैं कि अब क्या करें ? बा'ज हुप्फ़ाज़ तो आयते सज्दा पढ़ते ही नहीं रुकूअ में चले जाते हैं, अगर येह दूसरी रकअत हो तो फ़बिहा वरना दूसरी रकअत में किसी और मक़ाम से चन्द आयात पढ़ कर उसे पूरा करते हैं। कुछ हुप्फ़ाज़ आयते सज्दा पढ़ कर सज्दे में चले जाते हैं, मुक्तदियों को मा'लूम न होने की वजह से कुछ रुकूअ में होते हैं तो कुछ सज्दे में, एक अजीब सा माहोल बन जाता है, हाफ़िज़ साहिब को भी नदामत होने लगती है। ऐसी सूरते हाल में हाफ़िज़ साहिब को चाहिये कि वोह आयते सज्दा पढ़ कर फ़ौरन नमाज़ का रुकूअ कर लें और उस रुकूअ से सज्दए तिलावत की निय्यत हरगिज़ न करें, फिर कौमा के बा'द सज्दा करें और उस में सज्दए तिलावत की निय्यत करें, अब उस सज्दे से सज्दए नमाज़ भी अदा हो जाएगा और सज्दए तिलावत भी और मुक्तदियों ने सज्दए तिलावत की निय्यत न की तो भी उन का सज्दए तिलावत अदा हो जाएगा।

सबक़ नम्बर 23

शबीना पढ़ने के मसाइल

शबीना की शर्ई हैसियत

सुवाल शबीना की शर्ई हैसियत नीज़ शबीना में मुमानअत या कराहत किस सूरत में आएगी ?

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : शबीना फ़ी नफ़िसही क़अन जाइज़ व रवा है। अकाबिर अइम्माए दीन का मा'मूल रहा है, इसे हराम कहना शरीअत पर इफ़्तिरा



है। इमामुल अइम्मा सय्यिदुना इमामे आ'जुम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने तीस बरस कामिल हर रात एक रक्अत में कुरआने मजीद ख़त्म किया है। उलमाए किराम ने फ़रमाया है : सलफ़ सालिहीन में बा'ज अकाबिर दिन रात में दो ख़त्म फ़रमाते बा'ज चार बा'ज आठ। इमाम अब्दुल वहहाब शा'रानी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की मीज़ानुशशरीअह में है : सय्यिदी अली मरसफ़ी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ ने एक रात दिन में तीन लाख साठ हजार ख़त्म फ़रमाए। आसार में है : अमीरुल मुअमिनीन मौला अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ बायां पाउं रिकाब में रख कर कुरआने मजीद शुरूअ फ़रमाते और दहना पाउं रिकाब तक न पहुंचता कि कलाम शरीफ़ ख़त्म हो जाता बल्कि खुद हदीस में इर्शाद है कि दावूद عَلَيْهِ السَّلَام अपने घोड़े की जीन करने को फ़रमाते और इतनी देर से कम में ज़बूर या तौराते मुक़द्दस ख़त्म फ़रमा लेते। तौरात शरीफ़ कुरआने मजीद से हज़्म (या'नी ज़ख़ामत) में कई हिस्से जाइद है। फ़ी नफ़्सिही येह फ़े'ल (या'नी शबीना पढ़ना) हसन है। कराहत या मुमानअत अगर आएगी तो अवारिज़ से और वोह यहां पांच हैं :

अव्वल : अदमे तफ़क्कोह या'नी जल्दी की वजह से मआनिये कुरआने करीम में तफ़क्कुरो तदब्बुर न हो सकेगा। दुवुम : कसल। नबी صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फ़रमाते हैं : बेशक अल्लाह पाक सवाब देने में कमी नहीं फ़रमाता जब तक तुम न उक्ताओ।⁽¹⁾ (आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं :) मैं कहता हूं : येह वजह आम अ़वाम को आम है और अहकामे फ़िक्हिय्या में ग़ालिब ही का ए'तिबार होता है। मगर इस वजह का मफ़ाद सिर्फ़ कराहते तन्ज़ीही है और मक्रूहे तन्ज़ीही जवाज़ व इबाहत रखता है न कि गुनाह व हुर्मत। सिवुम : हज़रमा घास काटना। बा'ज लोग ऐसा जल्द पढ़ते हैं حَكِيم या عَلِيم गरज़ लफ़ज़ ख़त्मे आयत के सिवा कुछ समझ में नहीं आता येह नफ़से सुन्नत का फ़ानी (या'नी सुन्नत को मिटाने वाला) और बिद्अते शनीआ (बुरी बिद्अत) और इसाअत है। चहारुम : क़िराअत के वाजिबात मसलन मद्दे मुत्तसिल वगैरा का तर्क करना। येह सूरत गुनाह व मक्रूहे तहरीमी है। पन्जुम : वोह हुरूफ़ जो आवाज़ में एक दूसरे के मुशाबेह हैं मसलन ظ، ز، ط، ص، ث वगैरहा में फ़र्क न करना। येह खुद हुराम व मुफ़्सिदे नमाज़ है।⁽²⁾

शबीना पढ़ना सालेह मुसल्मानों का दस्तूर है

सुवाल शबीना के मुतअल्लिक मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ का क्या फ़रमान है ?

जवाब मशहूर मुफ़स्सिर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हमेशा से सालेह मुसल्मानों का दस्तूर है कि रमज़ानुल मुबारक में शबीना करते हैं, कभी एक रात में,



1... مسلم، کتاب صلوٰۃ المسافرین و قصر باب امر من نفس فی صلوٰۃ، ص 308، حدیث: 1833

2... फ़तावा रज़विय्या, 7/476, 480 मुलख़ब्सन

कभी दो में और कभी तीन रातों में पूरा कुरआन शरीफ़ तरावीह में ख़त्म करते हैं। बा'ज़ बुजुर्गों से मन्कूल है कि वोह रमज़ान के इलावा भी रोज़ाना एक कुरआन शरीफ़ पढ़ लेते थे। ये सब कुछ जाइज़ और सवाब है, बशर्ते कि इतनी जल्दी न पढ़े कि हुरूफ़े कुरआन दुरुस्त अदा न हों, न सुस्ती और कसल से पढ़े।⁽¹⁾

मुरव्वजा शबीना

सुवाल मुरव्वजा शबीना के बारे में सदरुशशरीअह رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने क्या फ़रमाया है ?

जवाब सदरुशशरीअह मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : शबीना कि एक रात की तरावीह में पूरा कुरआन पढ़ा जाता है, जिस तरह आज कल रवाज है कि कोई बैठा बातें कर रहा है, कुछ लोग लैटे हैं, कुछ लोग चाय पीने में मशगूल हैं, कुछ लोग मस्जिद के बाहर हुक्का नोशी कर रहे हैं और जब जी में आया एकआध रक्अत में शामिल भी हो गए येह ना जाइज़ है।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 24

सुन्नतें और नवाफ़िल

सुवाल सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नत कौन सी है ?

जवाब सुन्नते फ़ज़्र।⁽³⁾

सुवाल हदीसे पाक में फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द सब से अफ़ज़ल नमाज़ किसे कहा गया ?

जवाब हदीसे पाक में फ़र्ज़ नमाज़ के बा'द रात की नमाज़ को सब से अफ़ज़ल कहा गया।⁽⁴⁾

सुवाल फ़ज़्र की सुन्नतों में कौन सी सूरतें पढ़ना सुन्नत है ?

जवाब सुन्नते फ़ज़्र की पहली रक्अत में सूरए फ़ातिहा के बा'द قُلْ يٰكَيْفَا الْكُفْرُوْنَ (सूरए काफ़िरून) और दूसरी में قُلْ هُوَ اللهُ पढ़ना सुन्नत है।⁽⁵⁾

1 ... जाअल हक़, हिस्सए दुवुम, स. 454

2 ... बहारे शरीअत, 1/695, हिस्सा : 4

3 ... در مختار، کتاب الصلوة، باب الوتر والوافل، 2/548

4 ... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم الحرم، ص 456، حدیث: 2755

5 ... مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب ركعتي سنة الفجر... الخ، ص 286، حدیث: 1690

सवाल किस सूरत में जोहर की दो रक्अत सुन्नत को जोहर की चार रक्अत सुन्नत से पहले पढ़ना अफ़ज़ल है ?

जवाब जब कि जोहर की चार रक्अत सुन्नत को फ़र्ज़ से पहले न पढ़ सका हो तो इस सूरत में जोहर की दो सुन्नत को जोहर की चार रक्अत सुन्नत से पहले पढ़ना अफ़ज़ल है ।⁽¹⁾

सवाल दिन भर में कितनी रक्अतें सुन्नते मुअक्कदा हैं ?

जवाब जुमुआ के दिन जुमुआ पढ़ने वाले पर सोलह रक्अतें और इलावा जुमुआ के बाकी दिनों में हर रोज़ बारह रक्अतें सुन्नते मुअक्कदा हैं : (1) दो रक्अत नमाज़े फ़ज़्र से पहले, (2) चार जोहर से पहले, दो बा'दे (जोहर), (3) दो मग़रिब के बा'द, (4) दो इशा के बा'द और (5) चार जुमुआ से पहले, चार बा'दे (जुमुआ) ।⁽²⁾

सवाल सुन्नते मुअक्कदा से क्या मुराद है और इस का हुक्म क्या है ?

जवाब जिन सुन्नतों पर शरीअत में ताकीद आई है उन्हें सुन्नते मुअक्कदा कहते हैं, जो बिगैर उज़्र एक बार भी तर्क करे वोह मलामत का मुस्तहिक़ है और तर्क की आदत बनाए तो फ़ासिक़ है, उस की गवाही क़बूल नहीं और वोह जहन्नम का हक़दार है और बा'ज़ उलमा के नज़्दीक गुमराह और गुनहगार है, अगर्चे इस का गुनाह वाजिब के तर्क से कम है । तल्वीह में है कि इस का तर्क हराम के क़रीब है और तर्क करने वाला इस का मुस्तहिक़ है कि **مَعَاذَ اللَّهِ !** शफ़ाअत से महरूम हो जाए क्यूं कि हुज़ूरे अक्दस **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : “जो मेरी सुन्नत को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न मिलेगी ।” सुन्नते मुअक्कदा को सुननुल हुदा भी कहते हैं ।⁽³⁾

सवाल ताकीद के ए'तिबार से सुन्नते मुअक्कदा के दरजात बयान कीजिये ।

जवाब सब सुन्नतों में क़वी तर सुन्नते फ़ज़्र है, यहां तक कि बा'ज़ इस को वाजिब कहते हैं । सुन्नते फ़ज़्र के बा'द मग़रिब की सुन्नतों का दरजा है, फिर जोहर के बा'द की, फिर इशा के बा'द की, फिर जोहर से पहले की सुन्नतें हैं और ज़ियादा सहीह कौल के मुताबिक़ सुन्नते फ़ज़्र के बा'द जोहर की पहली सुन्नतों का मर्तबा है कि हदीस में ख़ास इन के बारे में फ़रमाया कि जो इन को तर्क करेगा उसे मेरी शफ़ाअत न पहुंचेगी ।⁽⁴⁾



1... عمدة الرعاية، كتاب الصلاة، باب ادراك الفريضة، 1/214

2... در مختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/545

3... बहारे शरीअत, 1/662, हिस्सा : 4 माखूज़न

4... در مختار، كتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/545- فتاوى ہندیہ، كتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، 1/112، 1/663، हिस्सा : 4 मुलख़सन, बहारे शरीअत,

सुवाल वोह कौन सी सुन्नतें हैं जिन की मशरूइयत का जान बूझ कर बिला शुब्हा इन्कार करना कुफ़्र है ?

जवाब फ़ज्र की सुन्नतें ।⁽¹⁾

सुवाल जोहर की सुन्नतें और नवाफ़िल अदा करने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हदीसे पाक में है : जिस ने जोहर से पहले चार और बा'द में चार (रकअत) पर मुहाफ़ज़त की अल्लाह करीम उसे दोज़ख़ पर हराम फ़रमा देगा ।⁽²⁾ हज़रते सय्यिदुना अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी قُدَس سرّة السّامی फ़रमाते हैं : ऐसे शख़्स के लिये खुश ख़बरी है कि उस का ख़ातिमा सआदत पर होगा और दोज़ख़ में न जाएगा ।⁽³⁾

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जो सुवारी पर पढ़ी जाए तो उस में क़िब्ले को मुंह करना शर्त नहीं ?

जवाब वोह नफ़ल नमाज़ जो बैरूने शहर (जहां से मुसाफ़िर पर क़स्र वाजिब होता है) सुवारी पर अदा की जाए ।⁽⁴⁾

सुवाल सलातुल अव्वाबीन किसे कहते हैं ?

जवाब मग़रिब के फ़र्जों के बा'द जो छे रकअतें अदा की जाती हैं उन्हें सलातुल अव्वाबीन कहते हैं ।⁽⁵⁾

सुवाल सलातुल अव्वाबीन की फ़ज़ीलत बयान कीजिये ।

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू हरैरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इशार्द फ़रमाया : जो शख़्स मग़रिब के बा'द छे रकअतें पढ़े और दरमियान में कोई बुरी बात न कहे तो येह छे रकअतें 12 साल की इबादत के बराबर होंगी ।⁽⁶⁾ और एक हदीस शरीफ़ में है : जो बा'दे मग़रिब छे रकअतें पढ़े उस के गुनाह बख़्शा दिये जाएंगे अगर्चे समुन्दर के झाग बराबर हों ।⁽⁷⁾

सुवाल दिन रात के नवाफ़िल में एक सलाम के साथ कितनी रकअतें पढ़ी जा सकती हैं ?

1 ... बहारे शरीअत, 1/663, हिस्सा : 1

2 ... نسائی، کتاب قیام اللیل و تطوع الثیهار، باب الاختلاف علی اسماعیل بن ابی خالد، ص 310، حدیث: 1813

3 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، 547/2

4 ... बहारे शरीअत, 1/671, हिस्सा : 4

5 ... رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، مطلب فی السنن والنوافل، 547/2

6 ... ابن ماجه، کتاب اقامه الصلاة، باب ما جاء فی الست رکعات بعد المغرب، 45/2، حدیث: 1167

7 ... معجم اوسط، 255/5، حدیث: 7245

जवाब दिन के नफ़ल में एक सलाम के साथ चार रकअत से ज़ियादा और रात में आठ रकअत से ज़ियादा पढ़ना मक्रूह है और अफ़ज़ल येह है कि दिन हो या रात हो चार चार रकअत पर सलाम फेरे।⁽¹⁾

सुवाल कौन सी चार रकअत वाली नमाज़ की तीसरी रकअत में सना और तअव्वुज़ पढ़ने का हुक़्म है ?

जवाब फ़र्ज़ और जोहर व जुमुआ की पहली और बा'द की चार रकअत वाली सुन्नत के इलावा हर चार रकअत वाली नमाज़ की तीसरी रकअत में सना और तअव्वुज़ पढ़ने का हुक़्म है।⁽²⁾

सुवाल नमाज़े चाशत का वक़्त कब तक है और इस की कितनी रकअतें हैं ?

जवाब नमाज़े चाशत का वक़्त आफ़ताब बुलन्द होने से ज़वाल या'नी निस्फुन्नहारे शरई तक है, इस की कम से कम दो और ज़ियादा से ज़ियादा बारह रकअतें हैं।⁽³⁾

सुवाल सलातुल्लैल किसे कहते हैं ?

जवाब नमाज़े इशा के बा'द जो नवाफ़िल पढ़े जाएं उन को सलातुल्लैल कहते हैं।⁽⁴⁾

सुवाल वोह कौन सी नफ़ल नमाज़ है जिस के लिये सोना ज़रूरी है ?

जवाब वोह नमाज़े तहज्जुद है जो इशा के बा'द रात में सोने के बा'द उठ कर पढ़ी जाती है।

सुवाल सलातुत्तस्बीह में कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है ?

जवाब ⁽⁵⁾ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

सुवाल सलातुत्तस्बीह की फ़ज़ीलत बयान कीजिये।

जवाब सदरुशशरीअह मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इस नमाज़ में बे इन्तिहा सवाब है, बा'ज़ मुहक्किकीन फ़रमाते हैं : इस की बुजुर्गी सुन कर तर्क न करेगा मगर दीन में सुस्ती करने वाला। हुज़ूर ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हज़रते सय्यिदुना अब्बास رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से



1... در مختار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/550

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلاة، باب الوتر والنوافل، 2/552

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب التاسع فی النوافل، 1/112، بہار شریعت، حصہ: 4، 676/ع 676

4... بھارے شریعت، 1/477، हिस्सा : 4

5... غنیۃ المستملی، صلوٰۃ التسبیح، ص 431

फ़रमाया : “ऐ चचा ! क्या मैं तुम को अ़ता न करूं, क्या मैं तुम को बख़्शिश न करूं, क्या मैं तुम को न दूं, तुम्हारे साथ एहसान न करूं, दस ख़स्ततें हैं कि जब तुम करो तो **अल्लाह** पाक तुम्हारे गुनाह बख़्श देगा । अगला पिछला पुराना नया जो भूल कर किया और जो क़स्दन किया छोटा और बड़ा पोशीदा और ज़ाहिर ।” इस के बा’द सलातुत्तस्बीह की तरकीब ता’लीम फ़रमाई फिर फ़रमाया कि “अगर तुम से हो सके कि हर रोज़ एक बार पढ़ो तो करो और अगर रोज़ न करो तो हर जुमुआ में एक बार और येह भी न करो तो हर महीने में एक बार और येह भी न करो तो साल में एक बार और येह भी न करो तो उम्र में एक बार ज़रूर पढ़ो ।”(1)

सवाल सलातुत्तस्बीह अदा करने का क्या तरीका है ?

जवाब इस नमाज़ की तरकीब येह है कि तक्बीरे तहरीमा के बा’द सना पढ़े, फिर पन्दरह मरतबा येह तस्बीह पढ़े **سُبْحَنَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ**, फिर सूरए फ़ातिहा और कोई सूरत पढ़ कर रुकूअ से पहले दस बार येही तस्बीह पढ़े फिर रुकूअ करे और रुकूअ में **سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمُ** तीन बार पढ़ कर फिर दस मरतबा येही तस्बीह पढ़े, फिर रुकूअ से सर उठाए और **اللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ** के बा’द फिर खड़े खड़े दस मरतबा येही तस्बीह पढ़े, फिर सज्दे में जाए और **سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** तीन बार पढ़ कर फिर दस मरतबा येही तस्बीह पढ़े फिर सज्दे से सर उठाए और दोनों सज्दों के दरमियान बैठ कर दस मरतबा येही तस्बीह पढ़े, फिर दूसरे सज्दे में जाए और पहले की तरह **سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى** तीन बार पढ़ कर येही तस्बीह दस मरतबा पढ़े, इसी तरह चार रक्अत पढ़े और खयाल रहे कि खड़े होने की हालत में सूरए फ़ातिहा से पहले पन्दरह मरतबा और बाकी सब जगह येह तस्बीह दस दस बार पढ़ें यूं हर रक्अत में 75 मरतबा तस्बीह पढ़ी जाएगी और चार रक्अतों में तस्बीह की गिनती तीन सो मरतबा होगी ।(2)

सवाल कब कब नवाफ़िल पढ़ना मुस्तहब है ?

जवाब जब तेज़ आंधी आए या दिन में सख़्त तारीकी छा जाए या रात में ख़ौफ़नाक रोशनी हो या लगातार कसरत से बारिश बरसे या ब कसरत ओले पड़ें या आस्मान सुख़ हो जाए या बिज्लियां गिरें या ब कसरत तारे टूटें या त़ाऊन वगैरा वबा फैले या ज़लज़ले आए या दुश्मन का ख़ौफ़ हो या और कोई दहशत नाक अम्र पाया जाए इन सब के लिये दो रक्अत नमाज़ मुस्तहब है ।(3)



1... ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة، باب ما جاء في صلاة التسبيح، 2/158-159 حديث: 1387

2... ترمذی، کتاب الوتر، باب ما جاء في صلاة التسبيح، 2/24، حديث: 481

3... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلاة، الباب الثامن عشر في صلاة الكسوف، 1/153

सुवाल कौन से अवकात में नवाफ़िल पढ़ना मन्अ है ?

जवाब बारह वक्तों में नवाफ़िल पढ़ना मन्अ है : (1) तुलूए फ़ज़्र से तुलूए आफ़ताब तक (2) अपने मज़हब (मसलन फ़िक्हे हनफ़ी वालों) की जमाअत के लिये इक़ामत हुई तो इक़ामत से ख़त्मे जमाअत तक (अलबत्ता अगर नमाज़े फ़ज़्र क़ाइम हो चुकी और जानता है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमाअत मिल जाएगी अगरचें क़ा'दे में शिर्कत होगी तो हुक्म है कि जमाअत से अलग और दूर सुन्नते फ़ज़्र पढ़ कर शरीके जमाअत हो) (3) नमाज़े अ़स्र से आफ़ताब ज़र्द होने तक (4) गुरुबे आफ़ताब से फ़र्जे मग़रिब तक (5) जिस वक्त इमाम अपनी जगह से ख़ुत्बए जुमुआ के लिये खड़ा हुआ उस वक्त से फ़र्जे जुमुआ ख़त्म होने तक (6) ऐन ख़ुत्बे के वक्त अगरचें जुमुआ का हो या ख़ुत्बए ईदैन या कुसूफ़ व इस्तिस्का व हज़ व निकाह का (7) नमाज़े ईदैन से पहले (8) नमाज़े ईदैन के बा'द जब कि ईदगाह या मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़ना मकरूह नहीं (9) अ़रफ़ात में जो ज़ोहर व अ़स्र मिला कर पढ़ते हैं, इन के दरमियान और बा'द में भी (10) मुज्दलिफ़ा में जो मग़रिब व इशा जम्अ किये जाते हैं, फ़क़त इन के दरमियान, बा'द में मकरूह नहीं (11) फ़र्ज का वक्त तंग हो तो हर नमाज़ यहां तक कि सुन्नते फ़ज़्र व ज़ोहर मकरूह है (12) जिस बात से दिल बटे और दफ़अ कर सकता हो उसे बे दफ़अ किये हर नमाज़ मकरूह है, कोई ऐसा अम्र दरपेश हो जिस से दिल बटे खुशूअ में फ़र्क़ आए उन वक्तों में भी नमाज़ पढ़ना मकरूह है।⁽¹⁾

दो बेहतरीन ख़ूबियां

हज़रते सय्यिदुना यहूया बिन अबू कसीर رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : दो चीज़ें (ख़ूबियां) जिस शख्स में देखो तो जान लो कि इन दो के इलावा भी सारी सिफ़ात अच्छी होंगी :
(1) ज़बान को क़ाबू में रखना और (2) नमाज़ की हिफ़ाज़त करना ।

(حسن السمّت في الصمت، ص 36، رقم: 80)



सबक नम्बर 25

सूरज गहन और चांद गहन की नमाज़

हृदीसे पाक में गहन की नमाज़ की तरगीब

हज़रते सय्यिदुना अबू मूसा अश्शरी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी कि शहन्शाहे खुश ख़िसाल, पैकरे हुस्नो जमाल صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के मुबारक ज़माने में एक मरतबा आफ़ताब में गहन लगा, आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ मस्जिद में तशरीफ़ लाए और बहुत तवील क़ियाम व रुकूअ व सुजूद के साथ नमाज़ पढ़ी कि मैं ने कभी ऐसा करते न देखा और येह फ़रमाया कि अल्लाह पाक किसी की मौत व हयात के सबब अपनी येह निशानियां ज़ाहिर नहीं फ़रमाता, बल्कि इन से अपने बन्दों को डराता है, लिहाज़ा जब इन में से कुछ देखो तो ज़िक्र व दुआ व इस्तिफ़ार की तरफ़ घबरा कर उठो।⁽¹⁾

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ का हुक्म बताइये और इस की जमाअत की क्या शराइत हैं ?

जवाब सूरज गहन की नमाज़ सुन्नते मुअक्कदा है और जमाअत से पढ़ना मुस्तहब है, अगर जमाअत से पढ़ी जाए तो ख़ुत्बे के सिवा तमाम शराइते जुमुआ इस के लिये शर्त हैं, वोही शख्स इस की जमाअत काइम कर सकता है जो जुमुआ की कर सकता है, वोह न हो तो तन्हा घर में या मस्जिद में पढ़ें।⁽²⁾

सूरज गहन की नमाज़ का वक़्त

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ किस वक़्त पढ़ने का हुक्म है ?

जवाब गहन की नमाज़ उसी वक़्त पढ़ें जब आफ़ताब गहना हो, गहन छूटने के बा'द नहीं और गहन छूटना शुरूअ हो गया मगर अभी बाकी है उस वक़्त भी शुरूअ कर सकते हैं और गहन की हालत में उस पर अब्र (या'नी बादल) आ जाए जब भी नमाज़ पढ़ें। ऐसे वक़्त गहन लगा कि उस वक़्त नमाज़ मम्मूअ है तो नमाज़ न पढ़ें, बल्कि दुआ में मशगूल रहें और इसी हालत में डूब जाए तो दुआ ख़त्म कर दें और मग़रिब की नमाज़ पढ़ें।⁽³⁾

सुवाल सूरज गहन की नमाज़ कहां पढ़ी जाए ?



1... بخاری، کتاب الکسوف، باب الذکر فی الکسوف، 1/363، حدیث: 1059

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الکسوف، 3/77-79

3... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوة، باب الصلوة الکسوف، ص 124

जवाब अफ़ज़ल येह है कि ईदगाह या जामेअ मस्जिद में इस की जमाअत काइम की जाए और अगर दूसरी जगह काइम करें जब भी हरज नहीं।⁽¹⁾

सुवाल सूरज गहन के वक़्त जनाज़ा हाज़िर हो तो पहले जनाज़ा पढ़ें या सूरज ग्रहन की नमाज़ ?

जवाब सूरज गहन और जनाज़े का इज्तिमाअ हो तो पहले जनाज़ा पढ़े।⁽²⁾

हमें क्या करना चाहिये ?

जब सूरज या चांद को गहन लगे तो मुसलमानों को चाहिये कि वोह इस नज़ारे से महज़ूज़ होने (डॉक्टरों का कहना है कि ग्रहन के वक़्त सूरज को बराहे रास्त देखने से आंख की बीनाई भी जा सकती है) और तवह्हुमात का शिकार होने के बजाए बारगाहे इलाही में हाज़िरी दें और गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की मुआफ़ी त़लब करें, उस यौमे क़ियामत को याद करें जब सूरज और चांद बे नूर हो जाएंगे और सितारे तोड़ दिये जाएंगे और पहाड़ लपेट दिये जाएंगे।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 26

मसाइले इमामत का बयान

इमामत की फ़ज़ीलतो अज़मत इस से बढ़ कर क्या बयान की जाए कि येह वोह मन्सब है जिसे **रसूलुल्लाह** ﷺ और खुलफ़ाए राशिदीन **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** ने निभाया और इस के लिये बेहतरीन अफ़राद को मुन्तख़ब किया। रसूले अकरम **ﷺ** का फ़रमान है : रोज़े क़ियामत तीन शख़्स कस्तूरी के टीलों पर होंगे (उन में से) एक वोह शख़्स है जो क़ौम का इमाम रहा और वोह (या'नी क़ौम के लोग) उस से राज़ी थे।⁽⁴⁾ एक रिवायत में है कि इमाम को इस क़दर अज़्र मिलेगा जिस क़दर उस के पीछे नमाज़ अदा करने वाले सब मुक़्तदियों को मिलेगा।⁽⁵⁾

सुवाल इमाम किसे कहते हैं ?

जवाब इमाम के मा'ना हैं पेशवा, राहबर, उम्मुन से बना, ब मा'ना क़स्द व इरादा या'नी जिस की पैरवी का लोग क़स्द करें, अब दीनी पेशवा को कहा जाता है। (नमाज़ की) इमामत के येह मा'ना हैं कि

1... बहारे शरीअत, 1/788, हिस्सा : 4

2... बहारे शरीअत, 1/788, हिस्सा : 4

3... बद शुगूनी, स. 81

4... तर्ज़ी, کتاب البر والصلة, باب ما جاء في مملوك الصالح, 397/3, حدیث: 1993

5... نسائی, کتاب الاذان, باب رفع الصوت بالاذان, ص 112, حدیث: 643

दूसरे की नमाज़ का उस की नमाज़ के साथ वाबस्ता होना ।⁽¹⁾

सुवाल इमामत की कितनी किस्में हैं ?

जवाब इमामत दो किस्म की है : इमामते सुगरा या'नी नमाज़ की इमामत, इमामते कुब्रा या'नी ख़िलाफ़ते इस्लामिया, यहां इमामते सुगरा मुराद है ।⁽²⁾

सुवाल नमाज़ का इमाम कौन बन सकता है और इस की कितनी शराइत हैं ?

जवाब हर शख्स इमाम नहीं बन सकता चन्द शराइत तो वोह हैं जिन का शर्अन पाया जाना लाज़िम है जब कि बहुत से औसाफ़ और कई ख़िलाफ़े मुर्व्वत बातों से इज्तिनाब मन्सबे इमामत का अव्वलीन तकाज़ा है ।

इमामत की शराइत येह हैं

(1) मुसल्मान होना (2) बालिग़ होना (3) अक़िल होना (4) मर्द होना (5) क़िराअत सहीह होना (6) शर्ई मा'ज़ूर न होना ।⁽³⁾

सुवाल सब से ज़ियादा इमामत का हक़दार कौन है ?

जवाब हर जमाअत में सब से ज़ियादा मुस्तहिक्के इमामत वोही है जो उन सब से ज़ियादा मसाइले नमाज़ व तहारत जानता हो अगर्चे और (दीगर) मसाइल में ब निस्बत दूसरों के कम इल्म हो । मगर शर्त येह है कि हुरूफ़ इतने सहीह अदा करे कि नमाज़ में फ़साद न आने पाए और फ़ासिक़ व बद मज़हब न हो, जो शख्स इन सिफ़ात का जामेअ हो उस की इमामत अफ़ज़ल, अगर्चे अन्धा हो कि ज़ियादते इल्म के बाइस कराहते नाबीनाई ज़ाइल हो जाती है ।⁽⁴⁾

सुवाल दो शख्स इमामत के अहल हैं तो उन में इमामत के लिये किस को तरजीह दी जाए ?

जवाब दो शख्स जो जामेए शराइते इमामत, सुन्नी सहीहुल अक़ीदा, फ़ासिके मो'लिन न हों, कुरआने अज़ीम सहीह मख़ारिज से पढ़ते हों उन दोनों में सब से मुक़द्दम वोह है जो नमाज़ व तहारत के मसाइल का ज़ियादा इल्म रखता हो । फिर अगर इस इल्म में दोनों बराबर हों तो जिस की क़िराअत

1... मिरआतुल मनाजीह, 2/196

2... मिरआतुल मनाजीह, 2/196

4... फ़तावा रज़विय्या, 6/381

3... نور الايضاح كتاب الصلوة باب الامامة، ص 155

अच्छी हो। फिर जो ज़ियादा परहेज़ गार हो शुबुहात से ज़ियादा बचता हो। फिर जो उम्र में बड़ा हो। फिर जो खुश खुल्क हो। फिर जो तहज्जुद का ज़ियादा पाबन्द हो। यहां तक शरफ़े नसब का लिहाज़ नहीं। जब इन सब बातों में बराबर हों तो अब शराफ़ते नसब से तरजीह है।⁽¹⁾

सुवाल मस्जिद का इमाम मुक़र्रर हो और उस के इलावा कोई उस से ज़ियादा आलिम या ज़ियादा इल्मे तज्वीद वाला हो तो कौन इमामत का हक़दार है ?

जवाब इमामे मुअय्यन अगर जामेए शराइते इमाम है तो वोही इमामत का हक़दार है। अगर वह हाज़िरीन में कोई उस से ज़ियादा इल्म और ज़ियादा तज्वीद वाला हो।⁽²⁾

सुवाल नमाज़ में इमाम का लम्बी क़िराअत करना और मुक़्तदियों का लम्बी क़िराअत करने पर बातें करना कैसा है ?

जवाब फ़र्ज़ नमाज़ों में क़िराअत के मुआमले में इमाम के लिये सुन्नत येह है कि अगर मुक़ीम होने की हालत में नमाज़ का वक़्त तंग न हो और जमाअत में बूढ़ा, बीमार, ज़ईफ़ और ज़रूरी काम वाला कोई फ़र्द मौजूद न हो तो फ़ज़्र और जोहर की नमाज़ में तिवाले मुफ़स्सल (या'नी सूरए हुजुरात से सूरए बुरूज तक), अस्स और इशा में औसाते मुफ़स्सल (या'नी सूरए बुरूज से ले कर सूरए बय्यिनह तक) और मग़रिब में क़िसारे मुफ़स्सल (या'नी सूरए बय्यिनह से सूरए नास तक) पढ़े।

या फिर फ़ज़्र और जोहर की दोनों रकअतों में फ़ातिहा के इलावा 40 से 50 आयात तक, अस्स और इशा में 15 से 20 आयात तक और मग़रिब में 10 आयात तक पढ़े।

और अगर नमाज़ में बूढ़ा, ज़ईफ़, बीमार और ज़रूरी काम वाला कोई फ़र्द मौजूद हो तो उन की रिआयत करते हुए क़िराअत में तख़्फ़ीफ़ (या'नी कमी) करे।

और इस से हट कर इमाम का क़िराअत करना बुरा और ख़िलाफ़े सुन्नत है और अगर नमाज़ियों में कोई बूढ़ा या मरीज़ या ज़रूरी काम वाला है जिस पर तवील क़िराअत गिरा (या'नी दुश्वार) गुज़रती हो तो येह ना जाइज़ व ह़राम है।

लिहाज़ा सूरते मस्कुला (या'नी पूछी गई सूरत) में अगर इमाम सुन्नत के मुताबिक़ क़िराअत करता है तो मुक़्तदियों को इमाम के ख़िलाफ़ बातें करने की इजाज़त नहीं और अगर वोह मज़क़ूर तरीक़े पर क़िराअत नहीं करता बल्कि उस से हट कर दीगर लम्बी सूरतें पढ़ता है तो इस सूरत में वोह कुसूर

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/501 तस्हीलन

2... बहारे शरीअत, 1/567, हिस्सा : 3

वार है, मुक्तदियों को चाहिये कि प्यार व महबूबत से उसे समझाएं, न येह कि उस के खिलाफ बातें करना शुरू कर दें।⁽¹⁾

सुवाल अलिम अगर फ़ासिक व बद मज़हब या दुरुस्त हुरूफ़ अदा न कर सके तो उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब फ़ासिक व बद मज़हब की इमामत बहर हाल मक्रूह अगर्चे सब हाज़िरीन से ज़ियादा इल्म रखते हों। यूं ही अगर हर्फ़ ऐसे ग़लत अदा किये कि नमाज़ गई तो इमामत जाइज़ ही नहीं अगर्चे अलिम ही हो।⁽²⁾

सुवाल वोह बद मज़हब जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ़्र को पहुंच गई हो उस के पीछे नमाज़ का क्या हुक्म है ?

जवाब वोह बद मज़हब जिस की बद मज़हबी हद्दे कुफ़्र को पहुंच गई हो, जैसे राफ़िज़ी अगर्चे सिर्फ़ सिद्दीके अक्बर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ की खिलाफ़त या सोहबत से इन्कार करता हो, या शैख़ैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا की शाने अक्दस में तबरी कहता हो। क़दरी, जहमी, मुशब्बा और वोह जो कुरआन को मख़्लूक बताता है और वोह जो शफ़ाअत या दीदारे इलाही या अज़ाबे क़ब्र या किरामन कातिबीन का इन्कार करता है, इन के पीछे नमाज़ नहीं हो सकती।⁽³⁾

सुवाल हुरूफ़ को दुरुस्त अदा न करने वाले इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर कुरआने मजीद ऐसा ग़लत पढ़ता है जिस से नमाज़ फ़ासिद होती है मसलन عَلَيْ या مِنْ या فِي या بِ या عَنْ या عِندَ या عِنْدَ में फ़र्क़ नहीं करता तो उस के पीछे नमाज़ बातिल है और इस सूरत में उस के पीछे नमाज़ न पढ़ना तर्क जमाअत नहीं कि वोह जमाअत क्या नमाज़ ही नहीं, यूंही अगर उस का वुजू मश्कूक रहता है जब भी उस के पीछे न पढ़ने में मुआख़ज़ा नहीं। وَاللّٰهُ اَعْلَمُ⁽⁴⁾

एक पाउं से मजबूर लंगड़े की इमामत

सुवाल ऐसा अलिम जो एक पाउं से लंगड़ा है, उस पाउं की एक उंगली ज़मीन पर लगा सकते है, उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसे शख़्स की इमामत बिला शुबा जाइज़ है। फिर अगर वोह अलिम है तो वोही ज़ियादा मुस्तहिक़ है। उस के होते जाहिल (ग़ैरे अलिम) की तक्दीम (या'नी इमाम बनाना) हरगिज़ न चाहिये। और अगर दूसरा अलिम भी मौजूद है जब भी उस (लंगड़े अलिम) की इमामत में हरज नहीं मगर

①... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 53

②... फ़तावा रज़विय्या, 6/382

③... बहारे शरीअत, 1/562, हिस्सा : 3

④... फ़तावा रज़विय्या, 6/543

बेहतर वोह दूसरा (आलिम) है। येह सब इस सूरत में (है) कि दोनों शख्स शराइते सिद्दहत व जवाजे इमामत के जामेअ हों (या'नी दोनों आलिमों में शराइते इमामत पाई जाती हों)। सहीह ख्वां, सहीहुत्तहारह, सुन्नी सहीहुल अकीदा, गैर फ़ासिके मो'लिन, (या'नी दुरुस्त क़िराअत करने वाला, ठीक से त़हारत करने वाला, दुरुस्त अकीदे वाला सुन्नी हो और अलानिया तौर पर गुनाहे कबीरा करने वाला न हो) वरना जो जामेए शराइत होगा वोही इमाम होगा। दुर्रे मुख़्तार में है : मुख़्तार क़ौल पर सीधा खड़े होने वाले की नमाज़ कुबड़े शख्स के पीछे दुरुस्त है अगरचे उस का कुबड़ा पन रुकूअ की हद तक हो। इसी तरह लंगड़े का हुक्म है। अलबत्ता दूसरे आदमी की इमामत अफ़ज़ल व औला है।⁽¹⁾

कानों तक हाथ न उठा सकने वाले की इमामत का हुक्म

अगर इमाम का हाथ किसी मा'ज़ूरी की बिना पर बे हिस्सो हरकत हो गया कि तक्बीरे तहरीमा के वक़्त कानों तक नहीं उठा सकता तो ऐसे इमाम की इमामत बिला कराहत जाइज़ है बल्कि अगर वोह क़ौम से ज़ियादा आलिम है तो इमामत का मुस्तहिक् वोही है।⁽²⁾

सुवाल इशारे से या बैठ कर नमाज़ पढ़ने वाले के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब जो रुकूअ व सुजूद से आजिज़ है या'नी वोह कि खड़े या बैठे रुकूअ व सुजूद की जगह इशारा करता हो, उस के पीछे उस की नमाज़ न होगी जो रुकूअ व सुजूद पर क़ादिर है और अगर बैठ कर रुकूअ व सुजूद कर सकता हो तो उस के पीछे खड़े हो कर पढ़ने वाले की हो जाएगी।⁽³⁾

चांदी की एक से ज़ाइद अंगूठी/छल्ले पहनने वाले की इमामत

सुवाल हाथ पाउं में अंगूठी छल्ले पहनना या'नी एक नग की एक अंगूठी मुवाफ़िके शरीअते मुतहहरा से ज़ाइद पहनने वाले का क्या हुक्म है ? उस के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा ?

जवाब एकआध बार पहनना गुनाहे सगीरा और अगर पहनी और उतार डाली तो उस के पीछे नमाज़ में हरज नहीं। और अगर नमाज़ में पहने हो तो उसे इमाम बनाना मम्नूअ (ना जाइज़) और उस के पीछे

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/554

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/576

3... बहारे शरीअत, 1/573, हिस्सा : 3

नमाज़ मक्रूह। यूँ ही जो पहना करता है उस का अ़ादी है, फ़ासिके मो'लिन है और उस का इमाम बनाना गुनाह अगर उस वक़्त नमाज़ में न भी पहने हो।⁽¹⁾

सुवाल इमाम सिर्फ़ टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब सिर्फ़ टोपी पहन कर नमाज़ पढ़ाना जाइज़ है और मक्रूह नहीं है।⁽²⁾

सुवाल अगर इमाम दूसरी सूरत मिलाने में इतनी देर करता है कि आमीन कहने के बा'द कलिमए तय्यिबा पढ़ लिया जाए तो इतनी देर करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब सूरह सोचने से इतनी देर जिस में तीन बार **سُبْحَنَ اللّٰهُ** कह लिया जाए, तर्कें वाजिब व मूजिबे सज्दए सहव है। तो येह जिस की अ़ादत है उस के पीछे नमाज़ में ज़रूर कराहत है। हां फ़ातिहा के बा'द इतनी देर कि दम रास्त करे (या'नी सुकून के लिये थोड़ा सांस ले), आमीन कहे, कोई सूरह इब्तिदा से पढ़नी हो तो **بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ** पढ़े कि येह देर भी तक़रीबन कलिमए तय्यिबा पढ़ने के बराबर हो जाएगी, बिला शुबा मुबाह व सुन्नत व मुस्तहब है।⁽³⁾

इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली लगाए तो इमामत का हुक्म

सुवाल इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली ज़मीन पर लगाए तो उस की इक्तिदा में नमाज़ दुरुस्त है ?

जवाब हिदाया में है : नमाज़ी सज्दा करते वक़्त अपने दोनों पाउं की सब उंगलियों का रुख़ क़िब्ले की जानिब कर दे और येह बिल्कुल वाज़ेह मुताबिके मुशाहदा है कि जब तक सब उंगलियों का पेट ज़मीन से न लगा दिया जाए उस वक़्त तक उंगलियों का रुख़ क़िब्ले की तरफ़ न होगा। फ़तावा रज़विyyा में है : सज्दे में फ़र्ज़ है कि कम अज़ कम पाउं की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगा हो। और हर पाउं की अक्सर (या'नी तीन) उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमा होना वाजिब है। और बहारे शरीअत में है : सज्दे में दोनों पाउं की दसों उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना सुन्नत है और हर पाउं की तीन तीन उंगलियों के पेट ज़मीन पर लगना वाजिब और दसों का क़िब्ला रू होना सुन्नत। अब अगर इमाम साहिब इस मस्अले को तस्लीम कर के सज्दे में अपने हर पाउं की कम अज़ कम तीन तीन उंगलियों का पेट ज़मीन पर जमाते रहें तो उन की इक्तिदा में नमाज़ हो जाएगी। और अगर **مَعَاذَ اللّٰهِ** इमाम साहिब इस

1... फ़तावा रज़विyyा, 6/601

2... फ़तावा रज़विyyा, 6/631 माखूज़न

3... फ़तावा रज़विyyा, 6/642

मस्अले पर अमल करने को तय्यार न हों तो उन की इक्तिदा में नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।⁽¹⁾

क्या इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?

सुवाल क्या इमाम का मुक़्तदियों की नमाज़ सहीह होने के लिये उन की इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?

जवाब मुक़्तदियों की नमाज़ सहीह होने के लिये उन की इमामत की निय्यत करना इमाम पर ज़रूरी नहीं। और अगर करे तो जाइज़ है, कोई हरज नहीं।⁽²⁾

सुवाल एक इमाम जिन की ज़बान लक्वे के सबब मारी गई और हर्फ़ सहीह अदा नहीं होते उन के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब जिस इमाम की ज़बान लक्वे से मारी गई है अगर पढ़ने में उन के हुरूफ़ सहीह नहीं अदा होते तो सहीह पढ़ने वालों की नमाज़ उन के पीछे नहीं होगी। ऐसे लोगों का उन के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं।⁽³⁾

सुवाल ऐसे बालिग़ लोग जिन की दाढ़ी कुदरती तौर पर उगी ही नहीं या दाढ़ी तो है मगर एक मुश्त से कम है और आगे नहीं बढ़ती, उन के पीछे नमाज़ हो जाएगी ?

जवाब मज़क़ूर अशख़ास के पीछे नमाज़ हो जाएगी।⁽⁴⁾

नमाज़ में इमाम का वुजू टूट जाए तो क्या हुक्म है ?

सुवाल नमाज़ में इमाम का वुजू टूट जाए तो क्या करना चाहिये ?

जवाब नमाज़ में इमाम का वुजू टूट जाए तो वोह दूसरे को इमामत के लिये ख़लीफ़ा बना सकता है। इस का तरीक़ा येह है कि इमाम नाक बन्द कर के (नाक पे हाथ रख के) पीठ झुका कर पीछे हटे और इशारे से किसी को ख़लीफ़ा बनाए और किसी से बात न करे। लेकिन चूँकि ख़लीफ़ा बनाने का मस्अला

① ... फ़तावा फैजुरसूल, 1/311, 312 मुल्लतक़तन

② ... फ़तावा फैजुरसूल, 1/317

③ ... फ़तावा फैजुरसूल, 1/318

④ ... फ़तावा फैजुरसूल, 1/319

एक ऐसा सख्त दुश्वार मस्अला है कि जिस के लिये शराइत बहुत हैं और मुख़्तलिफ़ सूरतों में मुख़्तलिफ़ अहक़ाम हैं जिन की पूरी रिआयत आम लोगों से मुश्किल है। इस लिये जो बात अफ़ज़ल है उसी पर अमल करें। या'नी वोह निय्यत तोड़ दी जाए और अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़ी जाए। बल्कि जो लोग कि इल्मे काफ़ी रखते हैं और इस के शराइत की रिआयत पर कादिर हैं उन के लिये भी अज़ सरे नौ नमाज़ पढ़ना अफ़ज़ल है।⁽¹⁾

सुवाल इमाम के साथ जमाअत में सिर्फ़ एक मुक़्तदी हो तो वोह जमाअत से कैसे पढ़ें ?

जवाब अकेला नमाज़ी इमाम की दाई जानिब खड़ा हो या'नी अगर इमाम के साथ एक मुक़्तदी हो तो वोह इमाम की दाई जानिब खड़ा हो क्यूं कि नबिय्ये अकरम ﷺ ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُ को नमाज़ पढ़ाई तो उन को आप ﷺ ने अपनी दाई जानिब खड़ा किया। और ज़ाहिर रिवायत के मुताबिक़ वोह इमाम से पीछे खड़ा न हो। इमाम मुहम्मद से मरवी है कि मुक़्तदी अपने पाउं की उंगलियां इमाम की एड़ी के पास रखे।⁽²⁾

सुवाल इमाम के साथ जमाअत में एक ही नमाज़ी था, अब तीसरा शख़्स आ गया तो अब क्या करें ?

जवाब एक शख़्स इमाम की इक़््तिदा में नमाज़ पढ़ रहा था। फिर तीसरे ने जमाअत में शामिल होना चाहा तो इमाम आगे बढ़ जाए या मुक़्तदी पीछे हट जाए या आने वाला खुद उस को पीछे खींच ले। येह तीनों सूरतें जाइज़ हैं। लेकिन अगर आने वाले का हुक्म मान कर आगे बढ़ा, या मुक़्तदी पीछे हटा तो नमाज़ फ़ासिद हो जाएगी। और अगर हुक्मे शर'अ पर अमल करने की निय्यत से हरकत की तो नमाज़ फ़ासिद न होगी। लिहाज़ा आने वाले के इशारे के बा'द थोड़ा ठहरिये, फिर हटे।⁽³⁾

सुवाल इमाम इतना जल्द बाज़ है कि मुक़्तदी सना या दुआए मासूरा नहीं पढ़ पाता तो मुक़्तदी के लिये क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम को इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिये कि मुक़्तदी सना या दुआए मासूरा न पढ़ सकें और पढ़ने में इतनी देर भी न लगानी चाहिये कि मुक़्तदियों पर गिरां हो। अगर इमाम ने क़िराअत शुरू कर दी और मुक़्तदी सना मुकम्मल न कर सका था तो छोड़ दे। इसी तरह अगर दुआए मासूरा पूरी न पढ़ सका था कि इमाम ने सलाम फेर दिया तो मुक़्तदी भी इमाम के साथ सलाम फेर दे लेकिन अगर मुक़्तदी

1... फ़तावा फैजुरसूल, 1/343 मुल्तक़तन

2... फ़तावा रज़विय्या, 7/50

3... फ़तावा फैजुरसूल, 1/344 मुल्तक़तन

अतहिह्यात, **وَرَسُولُهُ** तक न पढ़ सका था कि तीसरी रकअत के लिये इमाम खड़ा हो गया या का'दए अखीरा में सलाम फेर दिया तो मुक्तदी अतहिह्यात, **وَرَسُولُهُ** तक बिगैर पढ़े न खड़ा हो सकता है न सलाम फेर सकता है।⁽¹⁾

सुवाल इमामत कौन करवा सकता है ?

जवाब इमाम ऐसे शख्स को बनाया जाए जिस की तहारत सहीह हो, किराअत सहीह हो, सुन्नी सहीहुल अकीदा हो, फ़ासिक न हो, उस में कोई बात नफ़रते मुक्तदियान की न हो (या'नी ऐसी बात उस में न हो जिस से नमाज़ियों को नफ़रत हो), मसाइले नमाज़ व तहारत से आगाह हो। जो शख्स शराइते मज़कूर का जामेअ है वोह इमाम किया जाए। अगर्चे वोह अपने आप को ना अहल कहे और जो वाक़ेई ना अहल है वोह इमाम नहीं हो सकता अगर्चे सब की राय हो।⁽²⁾

इमाम बनने के लिये ज़रूरी चीज़ें

सुवाल इमाम में क्या शर्तें होना ज़रूरी हैं ?

जवाब इमाम में चन्द शर्तें ज़रूरी हैं अव्वलन कुरआने अज़ीम ऐसा ग़लत न पढ़ता हो जिस से नमाज़ फ़ासिद हो जैसे वोह लोग कि मसलन **ع** या **ط** या **س** या **ث** या **ح** में फ़र्क नहीं करते, दूसरे वुजू, गुस्ल, तहारत सहीह रखता हो, सिवुम सुन्नी सहीहुल अकीदा मुताबिक़ अक़ाइदे उलमाए हरमैनै शरीफ़ैन हो (या'नी जिन अक़ाइद का ज़िक्र हुसामुल हरमैन में है)। चहारुम फ़ासिके मो'लिन न हो, इसी तरह और उमूरे मुनाफ़िये इमामत से पाक हो, इन के बा'द ज़ी इल्म होना शर्तें सिद्दहतो हिल्लत नहीं शर्तें अव्वलिय्यत है अगर जाहिल है और शर्तें मज़कूरा रखता है उस के पीछे नमाज़ हो जाएगी अगर्चे औला नहीं।⁽³⁾

कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत दुरुस्त है ?

जवाब कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत दुरुस्त है। फ़तावा रज़विय्या में है : सच्ची तौबा के बा'द गुनाह बिल्कुल बाक़ी नहीं रहते। तौबा के बा'द उस की इमामत में अस्लन हरज नहीं, बा'दे

1... फ़तावा फैजुरसूल, 1/346

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/618

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/543 मुल्तक़तन

तौबा उस पर गुनाह का ए'तिराज़ जाइज़ नहीं। हदीस में है, नबी ﷺ फ़रमाते हैं : जो किसी अपने भाई को ऐसे गुनाह से ऐब लगाए जिस से तौबा कर चुका है तो येह ऐब लगाने वाला न मरेगा जब तक खुद उस गुनाह में मुब्तला न हो जाए।⁽¹⁾

गुनाहे कबीरा की तोहमत लगने पर उस की इमामत का हुक्म

सुवाल ऐसा इमाम जिस पर तोहमते ज़िना और मस्जिद का सामान चुराने की तोहमत हो तो ऐसे इमाम की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब (ज़िना और सामाने मस्जिद चुराने की) तोहमत लगाना और बद गुमानी शर्अन जाइज़ नहीं। रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : बद गुमानी से बचो क्यूं कि बद गुमानी सब से बड़ी झूठी बात होती है।⁽²⁾ मगर जिस बात के मुआयने के गवाहान, सिक्का बताए जाते हैं वोही मुमानअते इमामत (या'नी उस की इमामत के ना जाइज़ होने के लिये काफ़ी है)।⁽³⁾

बद मज़हबों से मेलजोल रखने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल अगर कोई इमाम बद मज़हबों से मेलजोल रखता है तो ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर कोई इमाम बद मज़हबों से मेलजोल रखता है मगर खुद सुन्नी है तो इस सूरत में वोह फ़ासिके मो'लिन है और इमामत के लाइक नहीं।⁽⁴⁾

मां को तक्लीफ़ देने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जो शख्स अपनी वालिदा वालिद को ईज़ा दे और उन्हें मारे, उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसा शख्स सख़्त फ़ासिको फ़ाजिर, मुर्तकिबे कबाइर, मुस्तहिक्के अज़ाबे नार व ग़ज़बे जब्बार है। मां को ईज़ा देना सख़्त कबीरा है न कि मारना, जिस से मुसल्मान तो मुसल्मान काफ़िर भी परहेज़ करेगा और घिन खाएगा। हदीस में इर्शाद हुवा : ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَعَدَّ مِنْهُمْ الْعَائِقُ لِوَالِدَيْهِ :



① ... 2513: حدیث: 226/4، 53، کتاب صفۃ القیامۃ، باب 53، فتاوا رجبویا، 6/552، ملّتکتن

② ... بخاری، کتاب النکاح، باب لا یخطب علی خطباء غیرہ... إلخ، 3، 446، حدیث: 5143

③ ... فتاوا رجبویا، 6/553، ملّتکتن و ملّککتن

④ ... فتاوا رجبویا، 6/625

तीन शख्स जन्नत में न जाएंगे उन में से एक वोह जो अपने मां बाप को सताए।⁽¹⁾ ऐसा शख्स क़ाबिले इमामत नहीं हो सकता। फ़तावा हुज्जह व गुन्या में है : अगर फ़ासिक को लोगों ने इमाम बनाया तो वोह गुनाहगार होंगे। तब्बीनुल हक़ाइक़ वगैरा में है : क्यूं कि इमामत के लिये उस को मुक़द्दम करने में उस की ता'ज़ीम है हालां कि शर्अन उस की इहानत लाज़िम है। उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तहरीमी है कि पढ़ना गुनाह और पढ़ी तो फेरनी वाजिब। जब वोह ऐसा बेबाक है कि मां को मारता है तो उस से क्या तअज़्जुब कि बे वुजू नमाज़ पढ़ाए या नहाने की ज़रूरत हो जाड़े (सर्दी) के सबब बे गुस्ल पढ़ा दे।⁽²⁾

वालिदैन नाराज़ हों तो इमामत का हुक्म

सुवाल ऐसा इमाम जिस से उस के वालिदैन इस हद तक नाराज़ हों कि उस से कह दिया हो कि हमारे जनाजे में हरगिज़ मत आना, उसे इमाम बनाने का क्या हुक्म है ?

जवाब * वालिदैन अगर बिला वज्हे शर्ई नाहक़ नाराज़ हों और येह उन की इस्तिर्जा (राज़ी करने) में हद्दे मक़दूर (ताक़त के मुताबिक़) तक कमी नहीं करता तो उस पर इल्ज़ाम नहीं और उस के पीछे नमाज़ में कोई हरज नहीं। * और अगर येह उन को ईज़ा देता है इस वज्हे से नाराज़ हैं तो आक़ (ना फ़रमान) है और आक़, सख़्त मुर्तकिबे कबीरा है और उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तहरीमी और इमाम बनाना गुनाह। * और अगर नाराज़ी तो उन की बिला वज्हे शर्ई थी मगर इस ने इस की परवा न की, वोह खिंचे तो येह भी खिंच गया (या'नी वालिदैन नाराज़ हुए तो येह भी नाराज़ हो गया) जब भी हुक्मे खुदा और रसूल के ख़िलाफ़ है, हालां कि उसे हुक्म दिया गया कि उन के साथ बराबरी का बरताव करे और उन के लिये नरमी इख़्तियार करे : चुनान्चे

पारह 15 सूरए बनी इसराईल आयत नम्बर 24 में है :

وَ اخْضُ لَهَا جَنَّةَ الدِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन के लिये अज़िज़ी का बाज़ू बिछा नर्मदिली से

इस के ख़िलाफ़ व इसरार से भी फ़ासिक़ है और इस के पीछे नमाज़ मक्रूह।⁽³⁾

1 ... 13180: حدیث، 233/12، معجم کبیر، فताوا رज़विय्या، 6/558

2 ... फतावा रज़विय्या، 6/557, 558

3 ... फतावा रज़विय्या، 6/559 ब तग़य्युरे क़लील

इमाम का गैर मुअय्यन नमाज़ी की रिआयत करना

सुवाल जो इमाम जो किसी गैर मुअय्यन शख्स की वजह से नमाज़ मुक़्तसर या तवील पढ़ाए ऐसे शख्स की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब सरकारे मदीना, करारे क़ल्बो सीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : मैं नमाज़ शुरू करता हूँ और उसे दराज़ करना चाहता हूँ कि बच्चे के रोने की आवाज़ सुन लेता हूँ तो नमाज़ में इख़्तिसार करता हूँ क्यूँ कि उस के रोने से उस की माँ की सख़्त घबराहट जान लेता हूँ।⁽¹⁾

मशहूर मुहद्दिस, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक की शर्ह में लिखते हैं : इस से दो मस्अले मा'लूम हुए : एक येह कि नमाज़ी का बाहर की आवाज़ सुन लेना और उस का लिहाज़ करना खुशूए नमाज़ के ख़िलाफ़ नहीं। दूसरे येह कि नमाज़ में गैर मुअय्यन मुक़्तदी की रिआयत करना दुरुस्त है जैसे बा'ज़ सूरतों में मुक़्तदियों की वजह से नमाज़ हलकी की जा सकती है, ऐसे ही रुकूअ में मिलने वालों या वुजू करने वालों की वजह से नमाज़ दराज़ की जा सकती है, किसी मुअय्यन शख्स की नमाज़ में रिआयत करना ह़राम बल्कि शिके ख़फ़ी है। येह तो हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ की खुसूसिय्यात में से है कि सिद्दीके अक्बर ब हालते नमाज़ आप को देख कर मुक़्तदी बन जाते थे।⁽²⁾

इमाम और मुक़्तदी की आपस में कदूरत की बिना पर इमामत का हुक्म

सुवाल एक मुक़्तदी से इमामे मस्जिद ज़ाहिर और बातिन में कदूरत (कीना) रखता है। मुक़्तदी जिस वक़्त मस्जिद में दाख़िल हो कर सलाम कहता है तो इमाम सलाम का जवाब भी नहीं देता, इस सूरत में मुक़्तदी का इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब महज़ दुन्यवी कदूरत के सबब उस के पीछे नमाज़ (पढ़ने) में हरज नहीं और इस के वासिते जमाअत तर्क करना ह़राम। इमाम की मुक़्तदी से कदूरत (कीना) और तर्के सलाम, अगर किसी दुन्यवी सबब से है तो तीन दिन से ज़ाइद ह़राम। और किसी दीनी सबब से है और कुसूर इमाम का है तो सख़्त तर ह़राम। और कुसूर मुक़्तदी का है तो इमाम के ज़िम्मे इल्ज़ाम नहीं मुक़्तदी खुद मुजरिम है।⁽³⁾



1... بخاری، کتاب الاذان، باب من اخف الصلوة... الخ، 1/253، حدیث: 709

2... میرآاتول مناجیہ، 2/203 تا 204

3... فتاوا رجبیویا، 6/559

अपने अक्काइद ज़ाहिर न करने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जिस इमाम से उस के अक्काइद पूछे जाएं और वोह न बताए तो उस की इक्तिदा जाइज है या नहीं ?

जवाब अपना अक्कीदा व मज़हब दरयाफ़्त करने पर न बताने से ज़ाहिर येही है कि उस में कुछ फ़साद है वरना दीन भी कुछ छुपाने की चीज़ है। उस की इक्तिदा हरगिज़ न की जाए कि बुतलाने नमाज़ का एहतिमाले क़वी है (या'नी नमाज़ के बातिल होने का क़वी इम्कान है)। और नमाज़ आ'ज़म फ़राइजे इस्लाम से है इस के लिये सख़्त एहतियात् मतलूब।⁽¹⁾

सुवाल फ़ासिक़, फ़ाजिर और फ़ासिक़े मो'लिन किसे कहते हैं ?

जवाब फ़ासिक़ वोह कि किसी गुनाहे कबीरा का मुरतकिब हुवा और वोही फ़ाजिर है। और कभी फ़ाजिर ख़ास ज़ानी को कहते हैं। और फ़ासिक़े मो'लिन वोह जो अलानिया गुनाहे कबीरा का इरतिकाब या गुनाहे सगीरा पर इसरार करता है।⁽²⁾

सुवाल फ़ासिक़, फ़ासिक़े मो'लिन के पीछे नमाज़ पढ़ना कैसा ?

जवाब फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मक्रूह है। अगर फ़ासिक़े मो'लिन न हो या'नी वोह गुनाह छुप कर करता हो, मा'रूफ़ो मशहूर न हो तो कराहते तन्ज़ीही है या'नी ख़िलाफ़े औला (या'नी ऐसे इमाम के पीछे नमाज़ न पढ़ना बेहतर है)। और अगर फ़ासिक़े मो'लिन है तो उसे इमाम बनाना गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ मक्रूहे तहरीमी कि पढ़नी गुनाह और पढ़ ली हो तो फिर से नमाज़ पढ़ना वाजिब।⁽³⁾

सुवाल जब कोई नमाज़ पढ़ाने वाला न हो तो फ़ासिक़, फ़ाजिर के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज है या नहीं ?

जवाब अगर अलानिया फ़िस्को फ़ुज़ूर करता है और कोई दूसरा इमामत के क़ाबिल न मिल सके तो तन्हा नमाज़ पढ़े। क्यूं कि तक्दीमे फ़ासिक़ (नमाज़ के लिये फ़ासिक़ को इमाम बनाना) गुनाह है और उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मक्रूहे तहरीमी है। और अगर कोई गुनाह छुप कर करता है तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ें और उस के फ़िस्क़ के सबब जमाअत न छोड़ें। क्यूं कि जमाअत वाजिब है और अलानिया गुनाह न करने वाले फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ना ज़ियादा से ज़ियादा मक्रूहे तन्ज़ीही है।⁽⁴⁾

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/575

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/601

3... फ़तावा रज़विय्या, 6/601 तस्हीलन

4... फ़तावा रज़विय्या, 6/600, 601

सुवाल जुमुआ पढ़ाने के लिये फ़ासिक़ इमाम के इलावा कोई दूसरा न हो तो क्या उस के पीछे जुमुआ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब फ़ासिक़ की इक़्तिदा न की जाए मगर सिर्फ़ जुमुआ में कि इस में मजबूरी है। बाकी नमाज़ों में दूसरी मस्जिद को चला जाए और जुमुआ अगर शहर में चन्द जगह होता हो तो इस में भी इक़्तिदा न की जाए, दूसरी मस्जिद में जा कर पढ़ें।⁽¹⁾

दाढ़ी काटने या तरशवाने वाले की इमामत का हुक्म

सुवाल जो शख्स दाढ़ी मूंडे या एक मुठ्ठी से कम करे उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब पूरी एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है और मुंडाना या एक मुठ्ठी से कम करवाना दोनों ह़राम व गुनाह हैं और ऐसा करने वाला फ़ासिक़े मो'लिन है और फ़ासिक़े मो'लिन को इमाम बनाना या उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी या'नी पढ़ना गुनाह है और अगर पढ़ ली हो तो उस का इआदा वाजिब है। गुन्या में है : अगर किसी फ़ासिक़ को मुक़द्दम किया तो वोह गुनाहगार होंगे इस बिना पर कि फ़ासिक़ को मुक़द्दम करना मकरूहे तहरीमी है।⁽²⁾ फ़तावा रज़विय्या में है : “दाढ़ी मुंडाना और कतरवा कर हद्दे शर्अ से कम कराना दोनों ह़राम व फ़िस्क़ हैं और इस का फ़िस्क़ बिल ए'लान होना ज़ाहिर कि ऐसों के मुंह पर जली क़लम से फ़ासिक़ लिखा होता है और फ़ासिक़े मो'लिन की इमामत मम्मूअ व गुनाह है।”⁽³⁾

सुवाल साहिबे तरतीब किसे कहते हैं ?

जवाब साहिबे तरतीब वोह शख्स जिस की बुलूग़त के बा'द से लगातार पांच फ़र्ज़ नमाज़ों से ज़ाइद कोई नमाज़ क़ज़ा न हुई हो।⁽⁴⁾

सुवाल जिस शख्स की नमाज़े फ़ज़्र क़ज़ा हो वोह नमाज़े ज़ोहर या दीगर अवक़ात की नमाज़ों में इमाम हो सकता है या नहीं ?

जवाब अगर साहिबे तरतीब है तो जब तक क़ज़ाए फ़ज़्र अदा न कर ले ज़ोहर की इमामत नहीं कर सकता वरना कर सकता है।⁽⁵⁾

16 सालह अम्रद की इमामत का हुक्म

सुवाल बालिग़ अम्रद जिस की उम्र सोलह साल है, उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

1 ... बहारे शरीअत, 1/569, हिस्सा : 3

2 ... طبى كبر، فصل فى الامامة، 513

3 ... फ़तावा रज़विय्या, 6/505

4 ... बहारे शरीअत, इस्तिलाहात, 1/51

5 ... फ़तावा रज़विय्या, 6/603

सुवाल हां जाइज है बशर्ते कि कोई मानेए शर्ई मौजूद न हो क्यूं कि वोह शर्ई तौर पर बालिग है अगरचे बुलूग के आसार ज़ाहिर न हुए हों अलबत्ता अगर वोह अम्रदे ख़ूब सूरत है तो फिर नमाज़ मकरूह होगी क्यूं कि वोह महल्ले फ़ितना होता है।⁽¹⁾ इसी तरह चौदह बरस की उम्र का लड़का जब कहे कि मैं बालिग हूं उस का क़ौल वाजिबुल क़बूल है (या'नी उस की येह बात मानना लाज़िम है) और उसे बालिग माना जाएगा और उस के पीछे नमाज़ जाइज होगी जब कि ज़ाहिरे हाल उस की तकज़ीब न करता हो, और ना बालिग हमारे अइम्मा के नज़्दीक बालिग का इमाम नहीं हो सकता कि वोह मुतनफ़ि़ल (नफ़ल पढ़ने वाला) है और येह (बालिग) मुफ़्तरिज़ (फ़र्ज़ पढ़ने वाला), और नफ़ल मुतज़म्मने फ़र्ज़ नहीं हो सकता।⁽²⁾

सुवाल ना बालिग इमामत करा सकता है ?

जवाब ना बालिग अगर समझदार हो तो वोह सिर्फ़ ना बालिगों का इमाम बन सकता है ।

सुवाल बहरा जो ऊंचा सुनता है उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज है ?

जवाब बहरे के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज है ।

सुवाल इमामत किन किन शख्सों की जाइज है और किन किन की ना जाइज और मकरूह, और सब से बेहतर इमामत किस शख्स की है ?

जवाब * जो क़िराअत ग़लत पढ़ता हो जिस से मा'ना मुफ़्सद हों या वुजू या गुस्ल सहीह न करता हो या ज़रूरियाते दीन (जैसे नमाज़, रोज़ा, ज़कात, हज़ में) से किसी चीज़ का मुन्किर हो या वोह जो उन (ज़रूरियाते दीन का इन्कार करने वालों) में से किसी के अक़ाइद पर मुत्तलअ हो कर उस के कुफ़्र में शक करे या उस के काफ़िर कहने में तअम्मुल करे उन के पीछे नमाज़ महज़ बातिल है (या'नी नमाज़ होगी ही नहीं) ।

* और जिस की गुमराही हद्दे कुफ़्र तक न पहुंची हो, उन के पीछे नमाज़ ब कराहते शदीदा तहरीमिया मकरूह है कि उन्हें इमाम बनाना हराम उन के पीछे नमाज़ पढ़नी गुनाह और जितनी पढ़ी हों सब का फेरना वाजिब ।

* और इन्हीं के क़रीब है फ़ासिके मो'लिन मसलन दाढ़ी मुन्डा या ख़श्खाशी रखने वाला या कतरवा कर हद्दे शर्अ से कम करने वाला या कन्धों से नीचे औरतों के से बाल रखने वाला खुसूसन वोह जो चोटी गुंधवाए और उस में मूबाफ़ डाले या रेशमी कपड़े पहने या साढ़े चार माशे ज़ाइद की अंगूठी या कई नग की अंगूठी या एक नग की दो अंगूठी अगरचे मिल कर साढ़े चार माशे से कम वज़न की हों या सूदख़ोर या नाच देखने वाला उन के पीछे भी नमाज़ मकरूहे तहरीमी है ।

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/612

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/625

* इमाम उसे किया जाए जो सुन्नी सहीहुल अकीदा, सहीहुत्तहारह, सहीहुल किराअत, मसाइले नमाज़ व तहारत का आलिम, गैरे फ़ासिक हो, न उस में कोई ऐसा जिस्मानी या रूहानी ऐब हो जिस से लोगों को तनफ़्फ़ूर (नफ़्त) हो।⁽¹⁾

सुवाल इमाम पर गुस्ल लाज़िम हो और उस को कोई मरज़ हो जिस की वजह से वोह गुस्ल किये बिगैर, सिर्फ़ तयम्मुम कर के नमाज़ पढ़ाए तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब जिसे बिलफ़े'ल (वाकई में) ऐसा मरज़ मौजूद हो जिस में नहाना नुक्सान देगा या नहाने में किसी मरज़ के पैदा हो जाने का ख़ौफ़ है और येह नुक्सान व ख़ौफ़ या तो अपने तजरिबे से मा'लूम हों या तबीबे हाज़िक (माहिर तबीब) मुसल्मान, गैरे फ़ासिक के बताए से, तो उस वक़्त उसे तयम्मुम से नमाज़ जाइज़ होगी और अब उस के पीछे सब मुक़्तदियों की नमाज़ सहीह है। गरज़ इमाम का तयम्मुम और मुक़्तदियों का पानी की तहारत से होना सिद्दहते इमामत में ख़लल अन्दाज़ नहीं।⁽²⁾

सुवाल अगर इमाम ने उज़्र की वजह से तयम्मुम किया या ज़ख़म पर बंधी पट्टी पर मस्ह किया या मोजे पर मस्ह किया तो उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है ?

जवाब जिस ने वुजू किया है, तयम्मुम वाले (इमाम) की और पाउं धोने वाला, मोजे पर मस्ह करने वाले (इमाम) की, और आ'जाए वुजू का धोने वाला पट्टी पर मस्ह करने वाले (इमाम) की, इक़्तिदा कर सकता है। या'नी उस के पीछे नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।⁽³⁾

सुवाल अगर इमाम ने भूल कर बिगैर तहारत के नमाज़ पढ़ा दी या नमाज़ की कोई शर्त या रुक़न अदा करने से रह गया तो इमाम क्या करे ?

जवाब इमाम ने अगर बिला तहारत नमाज़ पढ़ाई या कोई और शर्त या रुक़न न पाया गया जिस से उस की इमामत सहीह न हो, तो उस पर लाज़िम है कि इस अम्र की मुक़्तदियों को ख़बर कर दे जहां तक भी मुम्किन हो, ख़्वाह खुद कहे या कहला भेजे, या ख़त (या कोल वगैरा) के ज़रीए से। और मुक़्तदी अपनी अपनी नमाज़ का इआदा करें।⁽⁴⁾

दुकानदार आदमी की इमामत का हुक्म

सुवाल अगर इमाम दुकानदार हो तो उस की इमामत जाइज़ है या नहीं ?

1... फ़तावा रज़विय्या, 6/625, 626 मुल्तक़तन

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/638

4... बहारे शरीअत, 1/574, हिस्सा : 3

3... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الخامس في الإمامة، 1/84

जवाब जाइज़ चीज़ बेचना और जाइज़ तौर पर बेचना कुछ हरज नहीं रखता, न उस के सबब इमामत में कोई खलल आए, हां अगर ना जाइज़ चीज़ बेचे या मक्र (धोका), फ़रेब, किज़्ब (झूट) या उकूदे फ़ासिदा मिस्ले रिबा (सूद) वगैरा का इरतिकाब करे तो फ़ासिक़ है और फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मकरूह है।⁽¹⁾

सुवाल फ़र्ज़, वाजिब, सुन्नते मुअक्कदा, मुस्तहब और मुबाह काम तर्क करने वाले की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब फ़र्ज़ के एक बार तर्क से फ़ासिक़ है और तर्के वाजिब की आदत से। सुन्नते मुअक्कदा हुक्म में करीबे वाजिब है, फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ मकरूह है, और फ़िस्क़ बिल ए'लान हो तो उसे इमाम बनाना गुनाह और उस के पीछे नमाज़ मकरूहे तहरीमी कि पढ़नी गुनाह और फेरनी वाजिब, मुस्तहब व मुबाह के तर्क में कुछ गुनाह नहीं, न इन के तारिक (छोड़ने वाले) की इमामत में कुछ नक्स है।⁽²⁾

सुवाल ऐसा शख्स जिसे पेशाब के क़तरे आने, या हर वक़्त पेट से गेस ख़ारिज होने, या हर वक़्त ज़ख़्म और फोड़े से खून और ज़र्द पानी की बीमारी हो, उस की इमामत दुरुस्त है ?

जवाब ऐसे शख्स की इमामत दुरुस्त नहीं है।⁽³⁾

सुवाल इमाम फ़र्जे जोहर के पहले की चार रक्अत सुन्नत पढ़े बिगैर इमामत कर सकता है या नहीं ?

जवाब बिला उज़्र चार रक्अत सुन्नत पढ़े बिगैर जोहरे फ़र्ज़ की इमामत करना मकरूह है और बिल्कुल तर्क कर देने या'नी बा'दे फ़र्ज़ भी न पढ़ने वाले के लिये वर्ईद है, जैसा कि हदीस शरीफ़ में है हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : **مَنْ تَرَكَ أَرْبَعَ قَبْلِ الطُّهْرِ لَمْ تَبْلُغْ شَفَاعَتِي** या'नी जिस ने जोहर से पहले की चार रक्अतों को छोड़ दिया तो उसे मेरी शफ़ाअत नसीब न होगी।⁽⁴⁾

सुवाल अगर इमाम की लड़की लड़के का चाल चलन दुरुस्त न हो तो उस की इमामत का क्या हुक्म है ?

जवाब इमाम की लड़की और लड़के का चाल चलन अगर वाक़ेई ख़राब है और इमाम उन की हालतों पर मुत्तलअ हो कर ब क़दरे कुदरत उन्हें मन्अ नहीं करता बल्कि लड़ता है तो वोह दय्यूस और फ़ासिक़ है। उस के पीछे नमाज़ पढ़ना मकरूहे तहरीमी, ना जाइज़ और गुनाह है जो नमाज़ें पढ़ी गईं उन

1... फ़तावा रज़विyyा, 6/623

2... फ़तावा रज़विyyा, 6/641

3... फ़तावा रज़विyyा, 6/495

4... फ़तावा फैज़ुरसूल, 1/262

को फिर से पढ़ना वाजिब है। (अगर इमाम उन्हें बक़दरे कुदरत मन्अ करता है तो इस में इमाम का कोई कुसूर नहीं उस के पीछे नमाज़ जाइज़ होगी)। अगर इमाम के लड़के और लड़की की चाल चलन ख़राब नहीं है बल्कि अज़ रूए दुश्मनी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं तो इमामे मज़कूर के पीछे सब को नमाज़ पढ़ना जाइज़ है।⁽¹⁾

सुवाल मा'ज़ूर अपने जैसे मा'ज़ूर या अपने से ज़ाइद उज़्र वाले की इमामत कर सकता है या नहीं ?

जवाब मा'ज़ूर अपने मिस्ल या अपने से ज़ाइद उज़्र वाले की इमामत कर सकता है, कम उज़्र वाले की इमामत नहीं कर सकता और अगर इमाम व मुक्तदी दोनों को दो किस्म के उज़्र हों, मसलन एक को रियाह का मरज़ है, दूसरे को क़तरा आने का, तो एक दूसरे की इमामत नहीं कर सकता।⁽²⁾

सुवाल मा'ज़ूर अपने जैसे मा'ज़ूर की इक्तिदा कर सकता है या नहीं नीज़ एक उज़्र वाला दो उज़्र वाले की इक्तिदा कर सकता ?

जवाब मा'ज़ूर अपने मिस्ल मा'ज़ूर की इक्तिदा कर सकता है और एक उज़्र वाला दो उज़्र वाले की इक्तिदा नहीं कर सकता, न एक उज़्र वाला दूसरे उज़्र वाले की और दो उज़्र वाला एक उज़्र वाले की इक्तिदा कर सकता है, जब कि वोह एक उज़्र उसी के दो में से हो।⁽³⁾

शराइते इक्तिदा

सुवाल इक्तिदा की कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं ?

जवाब इक्तिदा की तेरह (13) शर्तें हैं : (1) निय्यते इक्तिदा। (2) और उस निय्यते इक्तिदा का तहरीमा के साथ होना या तहरीमा पर मुक़द्दम होना, बशर्ते कि सूरते तक़दुम में कोई अजनबी निय्यत व तहरीमा में फ़ासिल न हो। (3) इमाम व मुक्तदी दोनों का एक मकान में होना। (4) दोनों की नमाज़ एक हो या इमाम की नमाज़, नमाज़े मुक्तदी को मुतज़म्मन हो। (5) इमाम की नमाज़ मज़हबे मुक्तदी पर सहीह होना। और (6) इमाम व मुक्तदी दोनों का उसे सहीह समझना। (7) औरत का महाज़ी (या'नी बराबर) न होना उन शुरूत के साथ जो मज़कूर होंगी। (8) मुक्तदी का इमाम से मुक़द्दम (या'नी आगे) न होना। (9) इमाम के इन्तिक़ालात का इल्म होना। (10) इमाम का मुक़ीम या मुसाफ़िर होना मा'लूम हो। (11) अरकान की अदा में शरीक होना। (12) अरकान की अदा में मुक्तदी इमाम के मिस्ल हो या कम। (13) यूँही शराइत में मुक्तदी का इमाम से ज़ाइद न होना।⁽⁴⁾

1... फ़तावा फ़ैजुरसूल, 1/292, 293 मुल्तक़तन

2... बहारे शरीअत, 1/561, हिस्सा : 3

3... बहारे शरीअत, 1/561, हिस्सा : 3

4... बहारे शरीअत, 1/562, 563, हिस्सा : 3

सबक नम्बर 27

इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?

इमामत का मन्सब, जिम्मेदारी और इस मन्सब की नज़ाकत हर शो'बे से जुदा है, अइम्माए किराम का किरदार व गुफ़्तार, रहन सहन, अख़लाक़, अन्दाज़े ज़िन्दगी, हुस्ने मुआशरत गरज़ येह कि हर उठने वाला क़दम मस्जिद, मिम्बरो मेहराब, दीने इस्लाम और इस्लामी अक़्दार का मुहाफ़िज़ होना चाहिये। इमाम नमाज़े बा जमाअत में बन्दे और ख़ालिफ़ के दरमियान वासिता हुवा करता है, वासिता जिस क़दर क़वी (या'नी मज़बूत) होगा उसी क़दर मुफ़ीद होगा। लिहाज़ा इमामे मस्जिद को चाहिये कि अपने इल्मो अमल, किरदार, गुफ़्तार, अन्दाज़े तकल्लुम, रहन सहन, लिबास, लोगों से मुआमलात व दीगर उमूर में खुद को दूसरों से मुमताज़ व नुमायां रखे। एक मिसाली इमामे मस्जिद को कौन से आ'ला व उम्दा औसाफ़ का हामिल होना चाहिये, आइये मुलाहज़ा कीजिये :

किरदार व गुफ़्तार

❦ इमाम साहिब का किरदार व गुफ़्तार मिसाली होना चाहिये। अन्दाज़े गुफ़्तगू और बोलचाल एक इन्सान की शख़्सियत की पहचान होती है, इमाम साहिब को चाहिये कि गुफ़्तगू में हर उस तरीक़े से बचे जो गुफ़्तगू को ऐबदार कर दे या'नी बद कलामी, गाली गलोच, झूट, ग़ीबत और चुगली से बहुत दूर रहे, इसी तरह बोलने में नरमी, महबबत और अपनाइयत का इज़हार करे। चूँकि एक इमाम का वासिता मस्जिद में मुख़लिफ़ ज़ेहन व सोच रखने वाले लोगों से पड़ता है, किसी का लहजा सख़्त किसी का नर्म, कोई बहुत ज़ियादा अदब करने वाला तो किसी को बोलने का सलीका नहीं आता। कोई हुसूले इल्मे दीन के लिये मसाइल पूछता है तो कोई जान बूझ कर तन्कीद बराए तन्कीद करता है। इस लिये इमाम साहिब को अपने हौसले व हिम्मत को बुलन्द रखते हुए सब के साथ नरमी व शफ़क़तो महबबत भरा रवय्या रखना चाहिये।

मुक़््तदियों की इस्लाह का अन्दाज़

यूँ ही मस्जिद में किसी मुक़््तदी से दौराने नमाज़ या वैसे ही ग़लती सरज़द हो जाने पर भी सब के सामने झाड़ने और डांट पिलाने के बजाए नरमी से समझाइये। क्यूँ कि बा'ज़ अवकात इन्सान ज़िद की वजह से अपने फ़ाएदे की बात भी ठुकरा देता है। आइये ! मस्जिद में ग़लती करने वाले को नरमी से समझाने की दो बेहतरीन मिसालें हुज़ूर ﷺ के अमले मुबारक से मुलाहज़ा कीजिये :

(1) हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि एक मरतबा हम सरकारे मदीना ﷺ के साथ मस्जिद में मौजूद थे कि एक आ'राबी (या'नी दीहाती) आया और मस्जिद में

खड़े हो कर पेशाब करना शुरू कर दिया। सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان उस के दर पै हुए तो हुजूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : इसे छोड़ दो। सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان ख़ामोश हो गए हत्ता कि उस ने पेशाब कर लिया। फिर मुबल्लिग़े आ'ज़म صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उसे बुला कर (नरमी व शफ़क़त) से फ़रमाया : येह मसाजिद पेशाब और गन्दगी के लिये नहीं, येह तो सिर्फ़ अल्लाह पाक के ज़िक्र, नमाज़ और तिलावते कुरआन के लिये हैं। फिर आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने किसी को पानी लाने का हुक्म दिया, वोह पानी का डोल लाया और उस (या'नी पेशाब की जगह) पर बहा दिया।⁽¹⁾

मशहूर मुहद्दिस, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ इस हदीसे मुबारका के तहत फ़रमाते हैं : इस में मुबल्लिगीन को तरीक़ए तब्लीग़ की ता'लीम है कि तब्लीग़ अख़्लाक़ और नरमी से होनी चाहिये।⁽²⁾

(2) हज़रते सय्यिदुना अबू बकरह رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ नमाज़ के लिये आए। उस वक़्त आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नमाज़ पढ़ा रहे थे और रुकूअ की हालत में थे। हज़रते अबू बकरह رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूअ कर दिया, फिर (हालते नमाज़ ही में) चल कर सफ़ में शामिल हुए। आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने नमाज़ मुकम्मल की तो फ़रमाने लगे : आप लोगों में से किस ने सफ़ में शामिल होने से पहले ही रुकूअ कर लिया था और फिर बा'द में सफ़ में आ मिला था ? हज़रते अबू बकरह رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ने अर्ज़ की : मैं ने। तो आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : अल्लाह पाक पर तुम्हारी हिंस में इज़ाफ़ा फ़रमाए, आइन्दा ऐसा न करना।⁽³⁾

तक्वा व परहेज़ गारी

❦ तक्वा व परहेज़ गारी तो हर मोमिन का वस्फ़े अज़ीम है लिहाज़ा एक इमाम में येह लाज़िमी वस्फ़ होना चाहिये कि येह नमाज़ों की क़बूलिय्यत का अहम ज़रीअ़ा भी है, फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : अगर तुम येह पसन्द करते हो कि तुम्हारी नमाज़ें क़बूल हों तो तुम्हारे भले लोग तुम्हारे इमाम होने चाहिएं।⁽⁴⁾

1... मुस्लिम, کتاب الطهارة، باب وجوب غسل وغیره من... الخ، ص 133، حدیث: 660

2... میرआतুল मनाजीह, 1/326

3... ابو داود، کتاب الصلوة، باب الرجل یرکع دون الصف، 1/270، حدیث: 674

4... مستدرک، کتاب معرفۃ الصحابة رضی اللہ عنہم، باب ان سرکم ان تقبل، 4/237، حدیث: 5034

खिलाफ़े शरीअत कामों से इज्तिनाब

❦ नमाज़ की इमामत नबिय्ये करीम ﷺ की नियाबत (या'नी नाइब होने) का एक हिस्सा है, चूंकि नबिय्ये करीम ﷺ तमाम औसाफ़े हमीदा के जामेअ हैं इस लिये इमाम को भी चाहिये कि उम्दा औसाफ़ को अपनाने की कोशिश करे और तमाम बुरी आदात व खिलाफ़े शरीअत कामों से बचे, बिल खुसूस ऐसे मुआमलात जिन की वजह से नमाज़ की अदाएंगी पर फ़र्क़ पड़ता हो, उन से बचना तो बहुत ज़रूरी है, जैसे अलानिया फ़िस्को फुज़ूर वाले काम करना मसलन दाढ़ी को एक मुठ्ठी से कम करवाना, सरे आम गाली गलोच करना वगैरा ।

खिलाफ़े मुरव्वत कामों से इज्तिनाब

❦ इमाम साहिब को ऐसी आदात और बातों से इज्तिनाब करना चाहिये जो मुरव्वत के खिलाफ़ तसव्वुर की जाती हैं, जैसे रास्ते में अमियाना तरीके से खाना, अ़वामी मक़ामात पर रोड किनारे इस्तिन्जा करना, थूकते रहना, गुटका और सिगरेट नोशी, हर दूसरे शख्स से उधार मांगना वगैरा ।

एक रिवायत में है कि रसूले करीम ﷺ ने एक शख्स को देखा कि उस ने क़िब्ले की तरफ़ मुंह कर के थूका है तो इर्शाद फ़रमाया : येह तुम्हारी जमाअत न कराए । उस ने फिर जमाअत कराने का इरादा किया तो लोगों ने उस को मन्अ किया और उस को ख़बर दी कि रसूले करीम ﷺ ने तुम्हारे पीछे नमाज़ पढ़ने से मन्अ फ़रमाया है । फिर हुज़ूर ﷺ की ख़िदमत में येह वाकिअ पेश हुवा तो आप ﷺ ने फ़रमाया : हां (मैं ने मन्अ किया है) क्यूं कि तू ने (क़िब्ले की तरफ़ थूक कर) **अल्लाह** पाक और उस के रसूल ﷺ को ईजा दी ।⁽¹⁾

मशहूर मुहद्दिस, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे मुबारका की शर्ह में लिखते हैं : क्यूं कि येह का'बे का बे अदब है इस लिये हुज़ूर ﷺ ने उस से ख़िताब भी न किया कि वोह ख़िताब के लाइक् ही न रहा । जब कि का'बे का बे अदब इमामत के लाइक् नहीं तो हुज़ूर ﷺ का बे अदब और आप की शान में बक्वास करने वाला इमामत के लाइक् कैसे हो सकता है । इस से वोह लोग इब्रत पकड़ें जो बिला तहक़ीक़ हर फ़ासिक् व बे अदब को इमाम बना लेते

हैं। खयाल रहे कि येह इमाम सहाबी थे, मगर इत्तिफाक़न उन से येह ख़ता हो गई फिर तौबा कर ली क्यूं कि कोई सहाबी फ़ासिक़ नहीं, जब इत्तिफाक़न ख़ता पर इमामत से मा'जूल कर दिया गया तो जान बूझ कर बे अदबी करने वाला ज़रूर मा'जूल कर दिया जाएगा। हुज़ूर ﷺ का येह फ़रमाना कि हर नेक व फ़ासिक़ के पीछे नमाज़ पढ़ लो उस मौक़ए के लिये है जब वोह इमाम बन गया हो और हम उसे मा'जूल करने पर क़ादिर न हों। इस हदीस से मा'लूम हुवा कि क़ौम व सुल्तान इमाम को इमामत से अ़लाहदा कर सकते हैं।⁽¹⁾

लेनदेन में मोहताज़

❁ लेनदेन और कारोबार के मुआमलात हर इन्सान के साथ जुड़े हुए हैं, यूं तो किसी के लिये भी ना जाइज़ या धोका देही पर मुश्तमिल कारोबार करना जाइज़ नहीं है और लेनदेन के मुआमलात में फ़्रौड करने की इजाज़त भी नहीं है लेकिन इमाम साहिब का ऐसे ना जाइज़ मुआमलात से दूर रहना बहुत ज़ियादा ज़रूरी है, क्यूं कि इमाम साहिब एक दीनी तशख़्खुस रखते हैं और आ़म मुसल्मानों के लिये मशअले राह होते हैं, इमाम साहिब के ग़लत कारोबार या लेनदेन के मुआमलात में ग़लत राह चलने की सूरत में या तो लोग उलमा से बदज़न होंगे या फिर जाइज़ समझ कर खुद भी ग़लत राह चलेंगे, इस लिये इमाम साहिब कोई भी सबबे तोहमत बनने वाला काम न करें और न ही उधार और क़र्ज़ वगैरा के लेनदेन में ना मुनासिब अन्दाज़ इख़्तियार करें।

अहले ख़ाना की तरबियत

❁ हर मुसल्मान को चाहिये कि अपने अहले ख़ाना की दीनी तरबियत का ख़ास एहतिमाम करे लेकिन एक इमामे मस्जिद को इस हवाले से भी बहुत ज़ियादा एहतियात की ज़रूरत है, इमाम साहिब की अहलिया और बच्चों का दीनी सांचे में ढला होना और बद अख़्लाक़ी वाले तमाम मुआमलात से दूर रहने की भरपूर कोशिश करना भी ज़रूरी है, ताकि इमाम साहिब को नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने में किसी रुकावट का सामना न हो।

रहन सहन और लिबास

❁ इमाम साहिब का लिबास और रहन सहन भी नमाज़ियों और अहले अ़लाक़ा पर बहुत असर अन्दाज़ होता है इस लिये इमाम साहिब को तर्जे ज़िन्दगी भी रसूले करीम ﷺ जैसा ही अपनाना चाहिये और इसी में इज़्ज़त है, लिबास में सादगी भी हो, वक़ार भी हो और सफ़ाई भी। ज़र्क़

1...मिरआतुल मनाज़ीह, 1/459

बर्क और किस्म किस्म की तराश खराश वाले फेशनेबल कपड़े पहनने से चन्द जवान और शोख़ तब्बअ नमाज़ियों की वाह वाह तो मिल जाएगी लेकिन सन्जीदा लोगों की नज़र में इमाम साहिब क़ाबिले क़द्र हैसियत न बना सकेगे। और फिर खुद ज़र्क़ बर्क़ लिबास पहने हुए इमाम साहिब, रसूले करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सादगी का बयान किस तरह करेंगे। इमाम साहिब को चाहिये कि हत्तल इम्कान इज़्ज़त का ताज इमामा शरीफ़ सर पर सजाए रखें।

हत्तल इम्कान सुवाल से इज्तिनाब

❁ बा'ज आइम्मा हज़रात की आदत होती है कि कोई भी चीज़ मंगवानी हो तो किसी को भी रोक कर बोल देते हैं कि “फुलां से बोलो, इमाम साहिब येह चीज़ मंगवा रहे हैं” इस आदत से बचना चाहिये कि बा'ज शरीर लोग इमाम साहिब का नाम इस्ति'माल कर के अपने मतलब निकालना शुरू कर देते हैं जब कि बदनामी इमाम साहिब की होना शुरू हो जाती है।

सोशल मीडिया से इज्तिनाब

❁ मौजूदा दौर सोशल मीडिया, स्मार्ट फ़ोन्ज़ और इन्टरनेट का दौर है, कई इमाम साहिबान भी सोशल मीडिया इस्ति'माल करते हैं, याद रखिये ! सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि आप का एक क्लिक या लिखा हुआ एक जुम्ला लम्हा भर में लाखों अपनों और बेगानों तक पहुंच जाता है, इस लिये अव्वलन तो सोशल मीडिया से दूरी ही इख़्तियार कीजिये और अगर इस्ति'माल करना भी हो तो सिर्फ़ दीनी काम के लिये इस्ति'माल कीजिये, सोशल मीडिया पर जारी सियासी व ग़ैर सियासी किसी तरह की अब्दास का हिस्सा न बनिये, सुवाल दर सुवाल, ए'तिराज़ दर ए'तिराज़ सोशल मीडिया पर मौजूद आप के मुक़्तदियों और अहले अ़लाक़ा को आप से मुतनफ़िफ़र भी कर सकता है। लिहाज़ा एह्तियात ही में अफ़ियत है।

आंखों की हिफ़ाज़त

❁ आज हमारे मुआशरे में बद निगाही का फ़ितना इस क़दर आम हो गया है कि अ़वाम व ख़वास इस में मुब्तला नज़र आते हैं। बद निगाही इब्लीस का ज़हर आलूद तीर है, इस के ज़रीए वोह बहुत से दीनदार और शरीअत के पाबन्द मुसल्मानों के ईमान पर हम्ला आवर होता है और उस के अख़लाक़ो किरदार पर मन्फ़ी असर डालता है, इमामे मस्जिद को चाहिये कि शैतान के इस मोहलिक हथियार से बहुत होशियार रहे, मसाजिद में बसा अवकात ख़वातीन बच्चों को दम करवाने या बच्चों का नाम रखवाने वगैरा के लिये आ जाती हैं या बा'ज लोग ईसाले सवाब के लिये इमाम साहिब को घर पर

बुलाते हैं, ऐसे में इमाम साहिब को चाहिये कि अपनी निगाहों की हिफाज़त करें और अगर किसी घर में फ़ातिहा ख़्वानी के लिये जाएं तो हमेशा उस घर के मर्द के साथ ही जाएं।⁽¹⁾

दर्स व बयान

❁ इमाम साहिब को चाहिये कि जुमुआ के बयान के इलावा भी मौक़अ ब मौक़अ दर्स व बयान का सिल्सिला जारी रखें बिल खुसूस तहारत, नमाज़ और महीनों के ए'तिबार से मा'लूमात व अक़ाइद के हवाले से दर्स देते रहना चाहिये, कभी सज्दए सहव वाजिब हो जाए तो बा'दे सलाम वज्ह और मस्अला आसान अन्दाज़ में समझा कर बयान कर देना चाहिये नीज़ जिस वज्ह से सज्दए सहव वाजिब हुवा उस मौक़अ पर लुक़्मा देना है या नहीं? येह भी समझा देना चाहिये। रबीउल अव्वल में सीरत व शाने मुस्त्फ़ा का बयान, रबीउल आख़िर में हुज़ूर ग़ौसे आ'ज़म और दीगर औलिया का ज़िक्र, रमज़ान में रोज़ों के मसाइल, ईदैन के क़रीब ईद के मसाइल अल ग़रज़ जैसे दिन चल रहे हों वैसे ही मौजूआत पर दर्सों बयान का सिल्सिला जारी रखना चाहिये।

मसाइल बताने का अन्दाज़

❁ आइम्माए मसाजिद से मुक़्तदी बड़ी उम्मीद से सुवाल पूछते हैं, उन्हें चाहिये कि लोगों के सुवालात का मुनासिब अन्दाज़ में जवाब दें, न तो खुद पर येह लाज़िम करें कि हर हर सुवाल का जवाब देना ही देना है और न ही हर सुवाल के जवाब में “أنا لا أعرف يا نبي” या “मैं नहीं जानता” कहने को अपना वज़ीफ़ा बना लें, जो मा'लूम हो उस का मुनासिब जवाब दें और जो न पता हो उस के बारे में सीखें, मा'लूम करें, मुतालआ करें और अगले वक़्त में जवाब दे दें, येह अन्दाज़ जहां इमाम साहिब के इल्म में इज़ाफ़े का सबब बनेगा वहीं अन्दाज़े से जवाब देने से बचाएगा और लोगों की नज़र में इज़ज़त बढ़ाएगा। हमेशा याद रखिये कि जब इमाम साहिब हर बात पर “मा'लूम नहीं, मैं नहीं जानता, पता नहीं” जैसे अल्फ़ाज़ कहते हैं तो लोगों की उम्मीदें टूट जाती हैं, हो सके तो कभी भी किसी को अंधेरे में न छोड़ें कोई न कोई मुनासिब जवाब और रास्ता बता दें, इसे एक मिसाल से समझिये : किसी ने इमाम साहिब से पूछा कि “कातिबीने वही (वही लिखने वालों) की ता'दाद कितनी है नाम क्या क्या हैं?” इस सुवाल के जवाब चार तरह हो सकते हैं : (1) मा'लूम नहीं (2) तफ़सील तो याद नहीं अलबत्ता आप सीरत की किताब मदारिजुन्नुबुव्वह मुतर्जम या सीरते मुस्त्फ़ा में देख लें उस में लिखे हुए

❁...माहनामा फैज़ाने मदीना, शव्वालुल मुक़र्रम, 1441 हि. ब मुताबिक़ जून 2020, स. 19 ता 20, किस्त : 01

हैं (3) अभी याद नहीं किताब से देख कर शाम में या कल बताता हूं (4) मुकम्मल तफ्सील बता दी जाए। चौथा जवाब अगर्चे अहूसन है लेकिन मुश्किल है जब कि दूसरा और तीसरा जवाब बहुत मुनासिब है, कम अज कम हर इमाम को इस अन्दाज़ पर तो लाज़िमी होना चाहिये।

सियासी व इख़िलाफ़ी बातों से इज्तिनाब

❁ कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी न किसी मुख़ालिफ़ पर ए'तिराज़ करने, अपने मौक़िफ़ की ताईद लेने या अपना कोई मज़मूम मक्सद पूरा करने के लिये इमाम साहिब से घुमा फिरा कर सुवाल करते हैं, इमाम साहिब को इस हवाले से बेदार मग़ज़ होना चाहिये कि अलाके या मुल्क में चलने वाले इख़िलाफ़ात वग़ैरा से कुछ ना कुछ आगाह रहें ताकि राय के इज़हार में मोहताज़ रह सकें। सियासी शख़्सिय्यात के बारे में पूछे गए सुवालात के जवाब देने से परहेज़ करें, किसी भी सियासी पार्टी वग़ैरा का न तो हिस्सा बनें और न ही किसी किस्म की जानिब दारी से काम लें। कभी भी किसी सियासी पार्टी या ग्रुप वग़ैरा को सपोर्ट करने की बात न करें कि ऐसा करने से बा'ज़ लोग तो इमाम साहिब के करीब आ जाएंगे लेकिन बक़िय्या सब मुख़ालिफ़त का निशाना बनाएंगे, ख़िलाफ़ात में मुल्की और अलाकाई हालात को पेशे नज़र रखते हुए ही गुफ़्तगू करें।

❁ एक नमाज़ी किसी दूसरे नमाज़ी के बारे में ए'तिराज़ाना बात करे तो हां में हां न मिलाएं, साबिका इमाम या कमेटी के बारे में या मौजूदा कमेटी के बारे में किसी भी ए'तिराज़ या चाल का हिस्सा न बनें, कोई ए'तिराज़ करे तो झिड़कने के बजाए प्यार से जवाब दें, बे जा ए'तिराज़ हो तो मुनासिब अन्दाज़ से बात को टाल दें। मुअज़्ज़िन, ख़ादिम और मस्जिद के दीगर अमले के बारे में भी किसी इख़िलाफ़ का हिस्सा न बनें।

❁ कभी कोई किसी सुन्नी आलिम या साबिका इमाम या किसी मुफ़्ती वग़ैरा का नाम ले कर कोई मस्अला बयान करे और वोह मस्अला ग़लत हो तो बजाए किसी पर भी ए'तिराज़ करने के सिर्फ़ दुरुस्त मस्अला बता दें और पूछने वाले को येही कहें कि आप को सुनने में ख़ता हुई होगी, मस्अला यूं नहीं यूं है, किसी सुन्नी मुफ़्ती, आलिम या साबिका इमाम साहिब पर ए'तिराज़ात व तन्कीद का हिस्सा न बनें।⁽¹⁾

इमाम को एहसासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये

शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि رحمته الله عليه फ़रमाते हैं : इमाम को खुश उस्लूबी के साथ अपने मन्सब को निभाना और अपने आप

1... माहनामा फैज़ाने मदीना, जुल का'दतिल हराम 1441 हि. व मुताबिक़ जूलाई 2020 ई., स. 17 ता 18, किस्त : 02

को खुद पसन्दी की आफत से बचाना चाहिये क्यूं कि इमामत का मुस्तहिक् सब से ज़ियादा वोह शख्स है जो क़ौम में अफ़ज़ल हो, इस लिहाज़ से इमाम क़ौम से अफ़ज़ल होता है मगर इसे एहसासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये कि मैं सब से अफ़ज़ल हूं। हमारे सहाबए किराम व बुजुगाने दीन رَضَوَانُ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ ऐसी बातों से दूर रहते और अगर उन के दिलों में इस किस्म का कोई ख़याल पैदा होता तो वोह इमाम बनने से ही इन्कार कर देते। चुनान्चे

हज़रते सय्यिदुना हुजैफ़ा رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ने एक जमाअत को नमाज़ पढ़ाई, जब सलाम फेरा तो फ़रमाया : कोई दूसरा इमाम तलाश करो या अकेले अकेले नमाज़ पढ़ो, इस लिये कि मेरे दिल में येह ख़याल पैदा हो गया है कि मुझ से अफ़ज़ल कोई नहीं है।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना मुहम्मद बिन अबू तौबा رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : एक मरतबा हज़रते सय्यिदुना मा'रूफ़ कर्खी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ने नमाज़ के लिये इक़ामत कही और मुझ से नमाज़ पढ़ाने को कहा। मैं ने कहा : येह नमाज़ तो मैं पढ़ा देता हूं इस के इलावा कोई नहीं पढ़ाऊंगा। येह सुन कर आप رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ने फ़रमाया : तुम ने येह ख़याल दिल में बसा रखा है कि तुम्हें दूसरी नमाज़ भी पढ़ने को मिलेगी ? हम लम्बी उम्मीद से अल्लाह पाक की पनाह चाहते हैं क्यूं कि येह अमले ख़ैर में रुकावट बनती है।⁽²⁾

इसी तरह शहज़ादए आ'ला हज़रत, हुज़ूर मुफ़्तिये आ'ज़मे हिन्द मौलाना मुस्तफ़ा रज़ा ख़ान रَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ भी खुद इमाम बनने के बजाए हत्तल इम्कान किसी दूसरे को इमामत का हुक्म इर्शाद फ़रमाते थे। मेरे पीरो मुर्शिद सय्यिदी कुत़्बे मदीना, शैख़ुल फ़ज़ीलत हज़रते मौलाना ज़ियाउद्दीन अहमद मदनी रَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ जिन्होंने ने उम्र का बेश्तर हिस्सा गुम्बदे ख़ज़रा के जवार में गुज़ारा और फिर जन्नतुल बक़ीअ को ता अबद अपना मस्कन बना लिया। मदीनए मुनव्वरह में आप के आस्तानए आलिया पर रोज़ाना महफ़िले मीलाद का इन्ज़काद होता था, इस क़दर इज़्ज़तो शान के बा वुजूद आप रَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ की अज़िज़ी व इन्किसारी का येह आलम था कि महफ़िल के इख़िताम पर खुद दुआ करवाने के बजाए किसी दूसरे को दुआ करवाने का हुक्म इर्शाद फ़रमाते थे। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! मुझे भी उन के हुक्म पर महफ़िले मीलाद के इख़िताम पर दुआ करवाने का शरफ़ हासिल हुवा है।

मस्जिद की आबाद कारी में इमाम साहिब का किरदार

“मस्जिद की आबाद कारी में इमाम साहिब का किरदार और अहले अ़लाका व इन्तिज़ामिया के साथ इमाम साहिब का अन्दाज़” के हवाले से भी चन्द मदनी फूल मुलाहज़ा कीजिये :



1... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول من الكتاب فی الکبر، بیان مایه الکبر، 3/428

2... منهاج القاصدين، باب فی ذکر الموت وما بعده وما يتعلق به، ص 451

❦ याद रखिये ! मस्जिद में नमाज़ बा जमाअत पढ़ाने के बा'द इमामे मस्जिद का सब से अहम और बड़ा मक्सद मस्जिद की आबाद कारी होना चाहिये और मस्जिद की आबाद कारी नमाज़ियों से होती है इस लिये इमाम साहिब को चाहिये कि अपने दसों बयान और मुलाक़ात में नमाज़ का ज़िक्र करने की कोशिश करें, दा'वते इस्लामी के ज़ामिअतुल मदीना से फ़ारिगुत्तहसील एक मदनी इस्लामी भाई जो एक मस्जिद में इमामतो ख़िताबत की ख़िदमत सर अन्जाम देते हैं, उन का बयान है कि हमारी मस्जिद में नमाज़ियों की ता'दाद बहुत कम थी, फ़ज़्र में ब मुश्किल एक सफ़ होती जब कि दीगर नमाज़ों में एक से डेढ़ सफ़ तक नमाज़ी होते थे, **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ! मैं ने रबीउल अव्वल के मुबारक महीने में जहां जहां बयान का मौक़अ मिला, नमाज़ को इश्के रसूल की तक्मील के तौर पर बयान किया, इस्लामी भाइयों को नमाज़े बा जमाअत की तरगीब दिलाई। **اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ** ! हमारी मस्जिद में फ़ज़्र के नमाज़ी तीन से चार सफ़ों तक होने लगे और अ़ाम नमाज़ों में भी तीन गुना से ज़ियादा इज़ाफ़ा हुवा है। बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार क़ादिरि **دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه** को उन की इस कारकर्दगी का इल्म हुवा तो बहुत हौसला अफ़ज़ाई फ़रमाई।

❦ इमाम साहिब की कोशिश होनी चाहिये कि वोह अ़लाके में दीनी शुऊर बेदार करने की तदबीरें करें और अ़मली तौर पर भी लोगों में शौक़ व ज़ब्बा पैदा करने के लिये कोशां रहें। अगर आइम्माए मसाजिद चाहें तो अपने मन्सब को इस्ति'माल करते हुए अ़लाके में दीनी हलचल पैदा कर सकते हैं, गली महल्ले में खुल्लम खुल्ला होने वाले गुनाहों को रोक सकते हैं, वोह बच्चों को अपनी औलाद के दरजे में रख कर शफ़क़त का मुआमला करें, नौ जवानों को भाई समझ कर नरमी व ख़ैर ख़्वाही का पहलू अपनाएं, बूढ़ों को बाप का दरजा देते हुए इक्राम करें, इस मन्सब का तकाज़ा येह है कि इमामत को महूज़ नोकरी की नज़र से न देखें, बल्कि येह अहम दीनी ज़िम्मेदारी है, मिलनसारी और हमदर्दानी रवय्ये का ऐसा नमूना पेश करें कि लोग उन के गिरवीदा हो जाएं।

इमामे मस्जिद का नमाज़ पढ़ाने का अन्दाज़

ऐ आशिक़ाने रसूल ! नमाज़ पढ़ाने का अन्दाज़ भी नमाज़ियों को क़रीब लाने या मुतनफ़िफ़र करने का सबब बन सकता है, रसूले करीम **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के मुबारक फ़रामीन और अस्लाफ़े उम्मत के मल्फूज़ात से ऐसी रहनुमाई मिलती है कि इमामत में क्या अन्दाज़ होना चाहिये। इमाम को चाहिये कि नमाज़ियों की तबीअत, सिहहत और उम्र का लाज़िमी लिहाज़ रखे, अगर कोई ज़ईफ़ या बीमार नमाज़ में शामिल हो तो नमाज़ को कुछ मुख़्तसर करे या'नी क़िराअत कम करे, अगर किसी नमाज़ी के लिये ज़ियादा देर बैठना दुश्वार हो तो क़ा'दे में तशहहुद और दुरूद शरीफ़ वग़ैरा बहुत ज़ियादा आहिस्ता रफ़्तार से न पढ़े बल्कि कुछ ऐसे जल्दी पढ़े कि तलफ़फ़ुज़ भी दुरुस्त अदा हो जाएं और नमाज़ी को ज़ियादा देर बैठने की दुश्वारी भी न हो, इस सिल्लिसले में इमामुल अम्बिया **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** के अमले

मुबारक पेशे नज़र रखिये कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ फ़र्ज नमाज़ में दूसरे अइम्मा को मुख़्तसर नमाज़ पढ़ाने की तल्कीन करते थे और खुद भी मुख़्तसर नमाज़ ही पढ़ाते थे, जैसा कि हज़रते सय्यिदुना अनस رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : हुज़ूरे पुरनूर صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ बड़ी हलकी मगर पूरी नमाज़ पढ़ाया करते थे।⁽¹⁾

ऐ आशिक़ाने रसूल ! आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से ज़ियादा पुर असर और ख़ूब सूरत क़िराअत किस की हो सकती थी ? इस के बा वुजूद आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ नमाज़ियों का ख़याल रखा करते थे, प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आलीशान है : जब तुम में से कोई एक औरों को नमाज़ पढ़ाए तो मुख़्तसर करे कि उन में बीमार, कमज़ोर और बूढ़े होते हैं और जब अपनी पढ़े तो जिस क़दर चाहे लम्बी करे।⁽²⁾

नमाज़ में तख़फ़ीफ़ से मुराद

नमाज़ में तख़फ़ीफ़ से मुराद ऐसी नमाज़ है जो मुख़्तसर भी हो और उस के अरकान, वाजिबात और सुनन मुकम्मल भी हों, येह मतलब नहीं कि مَعَآذَ اللَّهِ नमाज़ के अरकान ही पूरे अदा न हों जैसा कि मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हलकी नमाज़ से येह मुराद नहीं कि सुन्नतें छोड़ दें या अच्छी तरह अदा न करें बल्कि मुराद येह है कि नमाज़ के अरकान दराज़ न करे ब क़दरे क़िफ़ायत अदा करे जैसे रुकूअ सज्दे की तस्बीहें तीन बार कहे।⁽³⁾

लम्बी नमाज़ पढ़ाने पर इज़्हारे नाराज़ी

हज़रते सय्यिदुना अबू मस्ऊद अन्सारी رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं, एक शख़्स ने अर्ज़ की : या रसूलल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ! हो सकता है कि मैं नमाज़ में शामिल न हो सकूँ क्यूँ कि फुलां हमें बहुत लम्बी नमाज़ पढ़ाते हैं। (रावी फ़रमाते हैं कि) मैं ने नसीहत करने में आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ को उस दिन से ज़ियादा कभी नाराज़ नहीं देखा था। आप صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : ऐ लोगो ! तुम मुतनफ़िफ़र करते हो तुम में से जो लोगों को नमाज़ पढ़ाए वोह मुख़्तसर करे क्यूँ कि उन में बीमार, कमज़ोर



1...بخاری کتاب الاذان، باب الايجاز فی الصلوة واکمالها، 1/253، حدیث: 706

2...بخاری، کتاب الاذان، باب اذا صلی تفسر فليطول ماشاء، 1/252، حدیث: 703

और हाजत मन्द भी होते हैं।⁽¹⁾

मुफ़्ती अहमद यार खां नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक की शर्ह में फ़रमाते हैं : इस से मा'लूम हुवा कि इमाम के कुसूर की बिना पर अगर कोई शख्स जमाअत छोड़ देगा तो गुनहगार वोह नहीं है बल्कि इमाम, नीज़ हाकिम या बुजुर्ग के सामने इमाम की शिकायत कर देना जाइज़ है, न येह ग़ीबत है और न इमाम की सरताबी। दराज़िये नमाज़ अगर्चे इबादत है मगर जब कि उस से कोई ख़राबी न पैदा हो।⁽²⁾

इमाम साहिब का अहले अ़लाक़ा और मस्जिद की इन्तिज़ामिया के साथ अन्दाज़

❁ इमाम साहिब को चाहिये कि मस्जिद के इन्तिज़ामी मुआमलात में ग़ैर ज़रूरी मुदाख़लत न करें, मस्जिद इन्तिज़ामिया किसी पहलू से शर्ई राहनुमाई त़लब करें तो बयान कर दें या कोई ख़िलाफ़े शरीअत काम होता हुवा देखें तो समझा दें, हर मुआमले में दख़ल देने या बात न माने जाने की सूरत में हरगिज़ न उलझें।

❁ महफ़िल, बड़ी रातों, ए'तिकाफ़ और दीगर मवाक़ेअ पर मस्जिद, इन्तिज़ामिया और नमाज़ियों को वक़्त देने की आदत होनी चाहिये, हर मौक़अ पर “मेरे पास वक़्त नहीं” का पहाड़ा पढ़ने वाले इमाम साहिबान मसाजिद में बहुत कम काम्याब होते हैं।

❁ इमाम साहिब अगर्चे ग़ैर हाज़िरियों की सूरत में अपनी तनख़्वाह से कटौती करवाते हों लेकिन याद रखिये कि जो कटौती इन्तिज़ामिया और मुक़्तदियों के दिलों में होती रहती है उस का मुदावा होना बहुत मुश्किल होता है, नमाज़ों में ग़ैर हाज़िर रहने वाले इमाम साहिब से अक्सर मुक़्तदी नालां होते हैं और पीठ पीछे चे मिगोइयां भी जारी रहती हैं, नतीजतन इमाम साहिब को अल वदाअ कर दिया जाता है।

❁ इमाम और मुक़्तदियों के दरमियान महबूबतो प्यार की फ़ज़ा ज़रूरी है ताकि नेकी व तक्वा में बाहम तआवुन हो। ख़्वाहिश परस्ती और शैतानी अग़राज़ की इत्तिबाअ में अगर कीना व बुग़ज़ पैदा हो गया हो तो उसे ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिये मुक़्तदियों के जाइज़ मुतालबात का एहतिराम करे। अगर मुक़्तदी अपने घर महफ़िल में शिर्कत करने, ईसाले सवाब करने, किसी मुस्बत मौजूअ पर दर्सी बयान करने का मुतालबा करें तो मुनासिब अन्दाज़ में क़बूल कर लेना चाहिये, इसी तरह मुक़्तदियों की जिम्मेदारी है कि वोह इमाम के हुक्क़ का ख़याल रखें और इन की इज़ज़तो एहतिराम दूसरों से बढ़ कर करें।



1... بخاری، کتاب العلم، باب الغضب فی الموعظة... الخ، 1/50، حدیث: 90

2... میرआतুল मनाजीह، 2/204

❁ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इमाम साहिबान के साथ बहुत हमदर्दी दिखाते हैं, हर बात में ताईद करते हैं, बात बात पर इमाम साहिब की ता'रीफ़ें करते हैं और कुछ ही अर्सा बा'द इमाम साहिब से पैसे उधार मांगते हैं, एक दो बार तो पैसे मांग कर लौटा देंगे, इस के बा'द उम्मून नज़र नहीं आते। ऐसों से मोहतात रहना चाहिये।

नमाज़ियों के दुख सुख में शिर्कत

❁ मुक्तदी हज़रात अक्सर खुशी व ग़मी के मौक़अ पर इमाम साहिब की शिर्कत से खुश होते हैं इस लिये चाहिये कि अगर कोई किसी खुशी के मौक़अ पर दा'वत दे तो मुनासिब सूरत में ज़रूर जाए, कोई नमाज़ी बीमार हो जाए तो इयादत के लिये जाए, इसी तरह अगर अलाके में कोई मय्यित हो जाए बिल खुसूस किसी नमाज़ी या उस के रिश्तेदार का इन्तिकाल हो जाए तो नमाज़े जनाज़ा और कफ़न दफ़न के मुअमलात में ज़रूर शिर्कत करनी चाहिये, येह अमल जहां सोगवारों के लिये दिलजूई का सबब होगा वहीं इमाम साहिब की क़द्र भी लोगों की नज़र में बढ़ेगी।

रसूले अकरम, नूरे मुजस्सम ﷺ भी बहुत सी दीगर मसरूफ़ियात के बा वुजूद नमाज़ के बा'द मुक्तदियों से उन के हालात वग़ैरा की ख़बर गीरी फ़रमाते खुसूसन नमाज़े फ़ज़्र के बा'द तुलूए आप़ताब तक मुसल्लाए इमामत पर तशरीफ़ फ़रमा रहते और इस दौरान सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان से महूवे गुफ़्तगू भी होते। जैसा कि हज़रते सय्यिदुना जाबिर बिन समुरह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से मरवी है कि एक दिन हज़रते सय्यिदुना सम्माक बिन हर्ब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने उन से पूछा : क्या आप रसूलुल्लाह ﷺ की मजलिस में बैठा करते थे ? वोह कहने लगे : बहुत ज़ियादा। आप ﷺ तो फ़ज़्र की नमाज़ से ले कर तुलूए आप़ताब तक मुसल्लाए इमामत पर तशरीफ़ फ़रमा रहते थे। इस दौरान सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان आप ﷺ से गुफ़्तो शुनीद करते और जाहिलिय्यत की बातें भी करते, फिर वोह हंसते भी। इस दौरान आप ﷺ मुस्कुरा रहे होते।⁽¹⁾

❁ नमाज़े बा जमाअत के बा'द कई लोग बच्चों को दम करवाने के लिये आ जाते हैं। इमाम साहिब अगर बा काइदा अवरादो वज़ाइफ़ और अमलियात न भी करते हों तो भी मुख़्तसर अवराद जैसे “दुरूदे पाक”, “يَا سَلَامُ” या “सूरतुल फ़लक़ और सूरतुन्नास” पढ़ कर दम कर देना चाहिये।⁽²⁾



①... مسلم، کتاب الفضائل، باب تبسم حسن عشرته، ص 976، حدیث: 6035

②... माहनामा फैज़ाने मदीना, जुल हिज्जतिल हराम 1441 हि. ब मुताबिक़ अगस्त 2020, स. 21 ता 23, किस्त : 03

सबक नम्बर 28

क़ज़ा नमाज़ें

सुवाल जान बूझ कर नमाज़ क़ज़ा करने वालों के लिये क्या वर्ड है ?

जवाब कुरआने पाक में इर्शाद होता है : ﴿قَوْلُ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ (پ 30، الماعون: 45) :

“तो उन नमाज़ियों की ख़राबी है जो अपनी नमाज़ से भूले बैठे हैं।” हदीसे पाक में है : इस से मुराद वोह हैं जो नमाज़ का वक़्त गुज़ार कर पढ़ें।⁽¹⁾

सुवाल क्या क़ज़ा नमाज़ के लिये कोई वक़्त मुअय्यन है और कब क़ज़ा नमाज़ पढ़ना जाइज़ नहीं ?

जवाब क़ज़ा के लिये कोई वक़्त मुअय्यन नहीं उम्र में जब पढ़ेगा बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाएगा मगर तुलूअ व गुरुब और ज़वाल के वक़्त कि इन वक़्तों में नमाज़ जाइज़ नहीं।⁽²⁾

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिसे लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ का लोगों पर ज़ाहिर करना गुनाह है क्यूं कि नमाज़ का तर्क करना गुनाह है और गुनाह का ज़ाहिर करना भी गुनाह है।⁽³⁾

सुवाल क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह कैसे मुआफ़ होगा ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ों में ताख़ीर करने का गुनाह तौबा या हज़्जे मक़बूल से मुआफ़ हो जाएगा और जो नमाज़ छूट गई है उस की क़ज़ा ज़रूरी है।⁽⁴⁾

सुवाल किस अन्देशे की वजह से नमाज़ क़ज़ा करना जाइज़ है ?

जवाब मुसाफ़िर को चोर और डाकूओं का सहीह अन्देशा है, यूंही दाई को नमाज़ पढ़ने की वजह से बच्चे के मर जाने का अन्देशा है तो नमाज़ क़ज़ा करना जाइज़ है।⁽⁵⁾



1... سنن کبری للبیہقی، کتاب الصلوٰۃ، باب الترغیب فی حفظ... إلخ، 2/304، حدیث: 3163

2... بھارے شریعت، 1/702، حصّہ : 4

3... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، مطلب اذا سلم المرتد بل تعود حسانتہ ام لا، 2/650

4... رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب قضاء الفوائت، 2/627

5... بھارے شریعت، 1/700، حصّہ : 4 मुखبرسن

सुवाल वोह कौन सा तन्दुरुस्त मुसल्मान है जिस से नमाज़ें फ़ौत हो जाएं तो उस पर क़ज़ा वाजिब नहीं ?

जवाब दारुल हर्ब में कोई मुसल्मान हुवा और उसे अहकामे शर्इय्या नमाज़, रोज़ा और ज़कात वगैरा की इत्तिलाअ न हुई तो जब तक वहां रहा उन दिनों की क़ज़ा उस पर वाजिब नहीं ।⁽¹⁾

सुवाल वोह कौन सा मरीज़ है जिस से नमाज़ें फ़ौत हो जाएं तो उस पर क़ज़ा नहीं ?

जवाब ऐसा मरीज़ कि इशारे से भी नमाज़ नहीं पढ़ सकता अगर येह हालत पूरे छे वक़्त तक रही तो इस हालत में जो नमाज़ें फ़ौत हुई उन की क़ज़ा वाजिब नहीं ।⁽²⁾

सुवाल जिस पर क़ज़ा नमाज़ें हों क्या वोह उन्हें छोड़ कर सुननो नवाफ़िल पढ़ सकता है ?

जवाब क़ज़ा नमाज़ें नवाफ़िल से अहम हैं या'नी जिस वक़्त नफ़ल पढ़ता है उन्हें छोड़ कर उन के बदले क़ज़ाएं पढ़े कि बरिय्युज़्ज़िम्मा हो जाए । अलबत्ता तरावीह और बारह रकअतें सुन्नते मुअक्कदा की न छोड़े ।⁽³⁾

सुवाल नमाज़े फ़ज़्र क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो बिला ज़रूरते शर्इय्या रात देर तक जागना कैसा ?

जवाब नमाज़े फ़ज़्र क़ज़ा होने का अन्देशा हो तो बिला ज़रूरते शर्इय्या रात देर तक जागना मम्मूअ है ।⁽⁴⁾

सुवाल एक दिन की क़ज़ा नमाज़ों की कितनी रकअतें हैं ?

जवाब एक दिन की क़ज़ा नमाज़ों की 20 रकअतें हैं । दो रकअतें फ़ज़्र की, चार ज़ोहर, चार अस्स, तीन मग़रिब, चार इशा की और तीन वित्र ।⁽⁵⁾

सुवाल जिस ने कभी नमाज़ें ही न पढ़ी हों वोह क़ज़ाए उम्री कैसे पढ़े ?

जवाब जिस ने कभी नमाज़ें न पढ़ी हों और अब तौफ़ीक़ हुई और क़ज़ाए उम्री पढ़ना चाहता है वोह जब से बालिग़ हुवा है उस वक़्त से हिसाब लगाए और तारीख़े बुलूग़ भी नहीं मा'लूम तो एहतियात इसी



1... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، 2/647

2... बहारे शरीअत, 1/702, हिस्सा : 4

3... बहारे शरीअत, 4/706, हिस्सा : 1

5... फ़तावा रज़विyya, 8/157

4... رد المحتار، کتاب الصلوة، مطلب فی طلوع الشمس من مغربها، 2/33

में है कि औरत नव साल की उम्र से और मर्द बारह साल की उम्र से नमाज़ों का हिसाब लगाए।⁽¹⁾

सुवाल जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों वोह क्या करे ?

जवाब जिस के ज़िम्मे क़ज़ा नमाज़ें हों उन का जल्द से जल्द पढ़ना वाजिब है मगर बाल बच्चों की परवरिश और अपनी ज़रूरियात की फ़राहमी के सबब ताख़ीर जाइज़ है। लिहाज़ा कारोबार भी करता रहे और फ़ुरसत का जो वक़्त मिले उस में क़ज़ा पढ़ता रहे यहां तक कि पूरी हो जाएं।⁽²⁾

सुवाल अदा और क़ज़ा की ता'रीफ़ बयान कीजिये।

जवाब जिस चीज़ का बन्दों को हुक्म है उसे वक़्त में बजा लाने को अदा कहते हैं और वक़्त के बा'द अमल में लाना क़ज़ा कहलाता है।⁽³⁾

सुवाल क़ज़ा नमाज़ों के गुनाह से तौबा के लिये क्या चीज़ ज़रूरी है ?

जवाब बहारे शरीअत, जिल्द 1, सफ़ह 700 पर मज़कूर हुक्म का खुलासा है : तौबा उसी वक़्त सहीह है जब क़ज़ा भी पढ़ ले। क़ज़ा नमाज़ों को तो अदा न करे फ़क़त तौबा किये जाए तो येह तौबा नहीं है क्यूं कि वोह नमाज़ जो उस के ज़िम्मे थी उस का न पढ़ना तो अब भी बाकी है। जब गुनाह से ही बाज़ न आया तो फिर तौबा कहां हुई।⁽⁴⁾

सुवाल कौन सी नमाज़ों में वक़्त के अन्दर अन्दर सलाम फेर लेना ज़रूरी है ?

जवाब फ़ज़्र, जुमुअ़ा और ईदैन की नमाज़ों में सलाम से पहले अगर वक़्त निकल गया तो नमाज़ न होगी इन के इलावा नमाज़ों में अगर वक़्त में तहरीमा बांध लिया तो नमाज़ क़ज़ा न हुई बल्कि अदा है।⁽⁵⁾

सुवाल जिस शख्स के ज़िम्मे बहुत ज़ियादा नमाज़ें हों शरीअते मुतहहरा में उस के लिये कोई आसानी की सूरत हो तो बताइये।

जवाब जिस पर ब कसरत क़ज़ा नमाज़ें हों वोह आसानी के लिये हर रुकूअ़ और सज्दे में “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ” और “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” सिर्फ़ एक बार कहे और फ़र्जों की तीसरी और चौथी रकअ़त में

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 8/154 माख़ूज़न

2 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، 2/646

3 ... در مختار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، 2/627، 632، لخفا

4 ... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، 2/627

5 ... در مختار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، 2/628، بهار شریعت، 1/701، حصه: 4، ماخوذا

अल हम्द शरीफ की जगह फ़क़त “سُبْحَانَ اللَّهِ” तीन बार कह कर रुकूअ कर ले, तीसरी तख़फ़ीफ़ येह कि का’दए अख़ीरा में अत्तहिय्यात के बा’द दोनों दुरूदों और दुआ की जगह सिर्फ़ “اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ” कह कर सलाम फेर दे, चौथी तख़फ़ीफ़ येह कि वित्र की तीसरी रक्अत में दुआए कुनूत की जगह फ़क़त एक या तीन बार “رَبِّ اغْفِرْ لِي” कहे।⁽¹⁾

सुवाल अगर फ़ज़्र की सुन्नतें क़ज़ा हो जाएं तो उन को कब पढ़ा जाए ?

जवाब फ़ज़्र की सुन्नत क़ज़ा हो गई और फ़र्ज़ पढ़ लिये तो अब सुन्नतों की क़ज़ा नहीं अलबत्ता इमाम मुहम्मद رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि तुलूआ आप़ताब के बा’द पढ़ ले तो बेहतर है।⁽²⁾ और तुलूआ से पेशतर (या’नी सूरज निकलने से पहले) बिल इत्तिफ़ाक़ मम्मूअ है।⁽³⁾ आज कल अक्सर अ़वाम फ़र्ज़ के बा’द फ़ौरन पढ़ लिया करते हैं येह ना जाइज़ है, पढ़ना हो तो आप़ताब बुलन्द होने के बा’द ज़वाल से पहले पढ़ें।⁽⁴⁾

सुवाल सफ़र में चार रक्अत वाली नमाज़ क़ज़ा हुई तो इक़ामत में कितनी रक्अत अदा करे ?

जवाब जो नमाज़ जैसी फ़ौत हुई उस की क़ज़ा वैसी ही पढ़ी जाएगी, मसलन सफ़र में नमाज़ क़ज़ा हुई तो चार रक्अत वाली दो ही पढ़ी जाएगी अगर्चे इक़ामत की हालत में पढ़े और हालते इक़ामत में फ़ौत हुई तो चार रक्अत वाली की क़ज़ा चार रक्अत है अगर्चे सफ़र में पढ़े।⁽⁵⁾

सुवाल क्या क़ज़ा नमाज़ बा जमाअत पढ़ी जा सकती है ?

जवाब अगर किसी अम्मे आ़म की वज्ह से जमाअत भर की नमाज़ क़ज़ा हो गई तो जमाअत से पढ़ें, येही अफ़ज़ल व मस्नून है और मस्जिद में भी पढ़ सकते हैं और जहरी नमाज़ों में इमाम पर जहर वाजिब है अगर्चे क़ज़ा हो और अगर किसी ख़ास वज्ह से बा’ज़ अफ़़ाद की नमाज़ जाती रही तो घर में तन्हा पढ़ें कि मा’सियत का इज़हार भी मा’सियत है।⁽⁶⁾

1 ... फ़तावा रज़विyya, 8/157 ता 158 मुलख़ब़सन

2 ... طبى كبير، فصل فى النوافل، ص 397

3 ... رد المحتار، كتاب الصلوة، باب الوتر والنوافل، مطلب فى السنن والنوافل، 2/550

4 ... बहारे शरीअत, 1/664, 665, हिस्सा : 4

5 ... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادى عشر فى قضاء الفوائت، 1/121

6 ... फ़तावा रज़विyya, 8/162

सुवाल क्या जुमुअतुल वदाअ में बा जमाअत क़ज़ाए उम्री पढ़ने से उम्र भर की क़ज़ा अदा हो जाती है ?

जवाब नहीं, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमुआ में बा'ज लोग बा जमाअत क़ज़ाए उम्री पढ़ते हैं और येह समझते हैं कि उम्र भर की क़ज़ाएं इसी एक नमाज़ से अदा हो गई येह बातिले महज़ है।⁽¹⁾

सुवाल पागल पन या बेहोशी की हालत में रह जाने वाली नमाज़ों का क्या हुक्म है ?

जवाब जुनून या बेहोशी अगर पूरे छे वक़्त को घेर ले तो उन नमाज़ों की क़ज़ा भी नहीं, अगर्चे बेहोशी आदमी या दरिन्दे के ख़ौफ़ से हो और इस से कम हो तो क़ज़ा वाजिब है।⁽²⁾

सुवाल नमाज़ों में तरतीब से क्या मुराद है और तरतीब किस पर फ़र्ज़ है किस पर नहीं ?

जवाब पांचों फ़र्ज़ों में बाहम और फ़र्ज़ व वित्र में तरतीब ज़रूरी है कि पहले फ़ज़्र फिर जोहर फिर अस्र फिर मग़रिब फिर इशा फिर वित्र पढ़े, ख़्वाह येह सब क़ज़ा हों या बा'ज अदा बा'ज क़ज़ा, मसलन जोहर की क़ज़ा हो गई तो फ़र्ज़ है कि उसे पढ़ कर अस्र पढ़े अगर याद होते हुए अस्र पढ़ ली तो ना जाइज़ है।⁽³⁾ अलबत्ता जिस की छे नमाज़ें क़ज़ा हो गई कि छटी का वक़्त ख़त्म हो गया उस पर तरतीब फ़र्ज़ नहीं, अब अगर्चे वक़्त में गुन्जाइश हो और वोह पिछली नमाज़ अदा किये बिगैर वक़ती नमाज़ पढ़े तो हो जाएगी।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 29

मुसाफ़िर की नमाज़

وَإِذَا صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ (प 5, النساء: 101) **तरजमए कन्ज़ुल ईमान :** और जब तुम ज़मीन में सफ़र करो तो तुम पर गुनाह नहीं कि बा'ज नमाज़ें क़स्स से पढ़ो।

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا रिवायत फ़रमाती हैं : नमाज़ दो रकअत फ़र्ज़ की गई, फिर जब सरकारे मदीना صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने हिजरत फ़रमाई तो चार फ़र्ज़ की गई और सफ़र की नमाज़ उसी पहले फ़र्ज़ पर छोड़ी गई।⁽⁵⁾

1... फ़तावा रज़विyya, 8/154 ता 155 ब तग़य्युर

2... در مختار، کتاب الصلوة، باب صلوة المریض، 2/692

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الحادی عشر فی قضاء الفوائت، 1/121

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب قضاء الفوائت، مطلب فی تعریف الاعادة، 2/637

5... بخاری، کتاب مناقب الانصار، باب 48، 2/604 حدیث: 3935

सुवाल शर्ई सफ़र की मसाफ़त क्या है ?

जवाब शर्अन मुसाफ़िर वोह शख़्स है जो साढ़े 57 मील (तक़रीबन 92 किलो मीटर) के फ़ासिले तक जाने के इरादे से अपने मक़ामे इक़ामत (ठहरने की जगह, वतन) मसलन शहर या गाउं से बाहर हो गया।⁽¹⁾

सुवाल क्या सफ़र की निय्यत करते ही बन्दा शर्अन मुसाफ़िर बन जाएगा ?

जवाब महज़ निय्यते सफ़र से मुसाफ़िर न होगा बल्कि मुसाफ़िर का हुक्म उस वक़्त है कि बस्ती की आबादी से बाहर हो जाए, शहर में है तो शहर से, गाउं में है तो गाउं से।⁽²⁾

सुवाल नमाज़े क़स्स किसे कहते हैं ?

जवाब सफ़र में चार फ़र्जों को दो पढ़ना क़स्स कहलाता है।⁽³⁾

सुवाल क्या मुसाफ़िर के लिये क़स्स करना ज़रूरी है ?

जवाब जी हां मुसाफ़िर पर नमाज़ में क़स्स करना वाजिब है।⁽⁴⁾

सुवाल क्या मुसाफ़िर सुन्नतों भी क़स्स कर के पढ़ेगा ?

जवाब सुन्नतों में क़स्स नहीं बल्कि पूरी पढ़ी जाएंगी। अलबत्ता ख़ौफ़ और रवा रबी (घबराहट) की हालत में मुआफ़ हैं और अमन की हालत में पढ़ी जाएं।⁽⁵⁾

सुवाल अगर कोई शख़्स तीन दिन की राह पर जा रहा है लेकिन उस का दौराने मसाफ़त दो दिन की राह पर किसी काम के हवाले से रुकने का इरादा है तो क्या वोह भी नमाज़ क़स्स पढ़ेगा ?

जवाब जी नहीं वोह मुसाफ़िर नहीं हुवा नमाज़ पूरी पढ़ेगा, क़स्स नमाज़ के लिये उस मसाफ़त का तीन दिन पूरा और राह का मुत्तसिल (मिला हुवा, लगातार) होना ज़रूरी है।⁽⁶⁾

1... फ़तावा रज़विय्या, 8/270 मुलख़ब़सन

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلاة المسافر، 2/722

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، 1/139 مضمون

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الخامس عشر فی صلاة المسافر، 1/139

5... बहारे शरीअत, 1/744, हिस्सा : 4

6... फ़तावा रज़विय्या, 8/270 मुलख़ब़सन

सुवाल वतने अस्ली किसे कहते हैं ?

जवाब वोह जगह जहां उस की पैदाइश हुई है या उस के घर के लोग वहां रहते हैं या वहां सुकूनत कर ली और येह इरादा है कि यहां से न जाएगा।⁽¹⁾

निय्यते इक़ामत सहीह होने की शराइत

सुवाल निय्यते इक़ामत सहीह होने के लिये कितनी शराइत हैं ?

जवाब निय्यते इक़ामत सहीह होने के लिये छे शर्ते हैं : (1) चलना तर्क करे अगर चलने की हालत में इक़ामत की निय्यत की तो मुक़ीम नहीं। (2) वोह जगह इक़ामत की सलाहियत रखती हो जंगल या दरिया ग़ैर आबाद टापू (जज़ीरा, खुश्की के टुकड़े) में इक़ामत की निय्यत की, मुक़ीम न हुवा। (3) पन्दरह दिन ठहरने की निय्यत हो इस से कम ठहरने की निय्यत से मुक़ीम न होगा। (4) येह निय्यत एक ही जगह ठहरने की हो अगर दो मौज़ओं (जगहों) में पन्दरह दिन ठहरने का इरादा हो, मसलन एक में दस दिन दूसरे में पांच दिन का तो मुक़ीम न होगा। (5) अपना इरादा मुस्तक़िल रखता हो या'नी किसी का ताबेअ न हो। (6) उस की हालत उस के इरादे के मुनाफ़ी न हो।⁽²⁾

वतने इक़ामत की ता'रीफ़

सुवाल वतने इक़ामत की ता'रीफ़ बताएं।

जवाब वतने इक़ामत वोह जगह जहां मुसाफ़िर ने 15 दिन या इस से ज़ियादा ठहरने का इरादा किया हो।⁽³⁾

सुवाल मुसाफ़िर किसी काम के लिये या साथियों के इन्तिज़ार में दो चार रोज़ या तेरह चौदह दिन की निय्यत से ठहरा और येह इरादा है कि काम हो जाएगा तो चला जाएगा अगर इस सूरत में “आज कल आज कल करते” ज़ियादा दिन गुज़र जाएं तो नमाज़ क़स्स पढ़े या पूरी ?

जवाब इस सूरत में अगर आज कल आज कल करते कई बरस गुज़र जाएं जब भी मुसाफ़िर ही है, नमाज़ क़स्स पढ़े।⁽⁴⁾

सुवाल मुसाफ़िर ने चार रक्अत की निय्यत कर ली तो अब क्या हुक्म होगा ?

जवाब मुसाफ़िर ने क़स्स की बजाए चार रक्अत फ़र्ज़ की निय्यत बांध ली फिर याद आने पर दो पर सलाम फेर दिया तो नमाज़ हो जाएगी।⁽⁵⁾



1 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/142، بہار شریعت، 1/750، حصہ: 4

2 ... بھارے شریعت، 1/744، 745، हिस्सा : 4

3 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/142

4 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/139

5 ... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، 1/139 ماخوذ

सुवाल मुसाफिर को किस सूरत में चार रकअत फर्ज पढ़ना ज़रूरी है ?

जवाब मुसाफिर जब कि मुक़ीम की इक़्तिदा करे तो उस को चार रकअत फर्ज पढ़ना ज़रूरी है ।⁽¹⁾

सबक नम्बर 30

सज्दए तिलावत, सज्दए शुक्र

आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करने की फ़ज़ीलत

हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ का फ़रमाने जन्नत निशान है : जब जब आदमी आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करता है, शैतान हट जाता है और रो कर कहता है : हाए मेरी बरबादी ! इब्ने आदम को सज्दे का हुक्म हुवा उस ने सज्दा किया उस के लिये जन्नत है और मुझे हुक्म हुवा मैं ने इन्कार किया मेरे लिये दोज़ख़ है ।⁽²⁾

सुवाल कुरआने पाक में आयाते सज्दा कितनी हैं ?

जवाब सज्दे की चौदह आयतें हैं ।⁽³⁾

सज्दए तिलावत का तरीक़ा

सुवाल सज्दए तिलावत का क्या तरीक़ा है ?

जवाब खड़ा हो कर अَللّهُ أَكْبَرُ कहता हुवा सज्दे में जाए और कम से कम तीन बार سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى कहे फिर अَللّهُ أَكْبَرُ कहता हुवा खड़ा हो जाए, सज्दए तिलावत के लिये अَلलّهُ أَكْبَرُ कहते वक़्त न हाथ उठाना है न इस में तशह्हुद है न सलाम ।⁽⁴⁾

सुवाल क्या सज्दए तिलावत भी फ़ासिद हो जाता है ?

जवाब जी हां जो चीज़ें नमाज़ को फ़ासिद करती हैं उन से सज्दा भी फ़ासिद हो जाएगा ।⁽⁵⁾

सुवाल सज्दए तिलावत कब वाजिब होता है ?



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الخامس عشر فی صلاۃ المسافر، ومملّٰتقل بذلک... الخ، 1/142

2... مسلم، کتاب الایمان، باب بیان اطلاق اسم الکفر علی من ترک الصلوٰۃ، ص58، حدیث: 244

3... ہدایہ، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوة، الجزء الاول، ص78

4... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/135

5... درمختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوة، 2/699

जवाब आयते सज्दा पढ़ने या सुनने से सज्दा वाजिब हो जाता है, पढ़ने में येह शर्त है कि इतनी आवाज़ में हो कि अगर कोई उज़्र न हो तो खुद सुन सके।⁽¹⁾

सुवाल क्या आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब होता है ?

जवाब जी नहीं आयते सज्दा लिखने या देखने से सज्दा वाजिब नहीं होता।⁽²⁾

सुवाल अगर आयते सज्दा सुनने की निय्यत न थी बल्कि बिला क़स्द सुन ली तो क्या हुक्म होगा ?

जवाब सुनने वाले के लिये येह ज़रूरी नहीं कि बिल क़स्द सुनी हो, बिला क़स्द सुनने से भी सज्दा वाजिब हो जाता है।⁽³⁾

सुवाल अगर आयते सज्दा का तरजमा सुना तो इस सूरत में क्या हुक्म है ?

जवाब किसी भी ज़बान में आयत का तरजमा पढ़ने और सुनने वाले पर सज्दा वाजिब हो गया, सुनने वाले ने समझा हो या न समझा हो कि आयते सज्दा का तरजमा है। अलबत्ता येह ज़रूर है कि उसे न मा'लूम हो तो बता दिया गया हो कि येह आयते सज्दा का तरजमा है।⁽⁴⁾

सुवाल अगर नमाज़ के बाहर आयते सज्दा पढ़ी तो क्या फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब है ?

जवाब आयते सज्दा नमाज़ के बाहर पढ़ी तो फ़ौरन सज्दा कर लेना वाजिब नहीं है। अलबत्ता वुजू हो तो (बिला उज़्र) ताख़ीर करना मक्कूहे तन्ज़ीही है।⁽⁵⁾

सुवाल कोई शख़्स अपनी नमाज़ पढ़ते हुए आयते सज्दा सुन ले तो क्या हुक्म है ?

जवाब जो शख़्स नमाज़ में नहीं उस ने आयते सज्दा पढ़ी और नमाज़ी ने सुन ली तो नमाज़ के बा'द सज्दा करे और अगर नमाज़ ही में सज्दा कर लिया तो काफ़ी न होगा बा'दे नमाज़ फिर करना होगा।⁽⁶⁾

सुवाल अगर किसी ना बालिग़ बच्चे से आयते सज्दा सुनी तो क्या हुक्म होगा ?



1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/132

2... حللی کبیر، سجدۃ التلاوة، ص 500

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 11/133

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/132

5... در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب سجود التلاوة، 2/703

6... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/133

जवाब ना बालिग़ से आयते सज्दा सुनने से भी सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।⁽¹⁾

सवाल ना बालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की तो क्या उस पर सज्दा करना वाजिब होगा या नहीं ? नीज़ ना बालिग़ ने आयते सज्दा तिलावत की और बालिग़ ने सुनी तो क्या सुनने से बालिग़ पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा या नहीं ?

जवाब ना बालिग़ अहकामे शरइय्या का मुकल्लफ़ नहीं, लिहाज़ा अगर वोह आयते सज्दा तिलावत करे या सुने तो उस पर सज्दए तिलावत वाजिब नहीं होगा, अलबत्ता अगर ना बालिग़ ने तिलावत की और अक़िल बालिग़ मुसल्मान ने उस से आयते सज्दा की तिलावत सुनी तो सुनने वाले पर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाएगा।

सवाल पूरी सूरत पढ़ना और आयते सज्दा छोड़ देना कैसा है ?

जवाब मकरूहे तहरीमी है।⁽²⁾

सवाल किस सूरत में आयते सज्दा पढ़े और सुने बिगैर सज्दए तिलावत वाजिब हो जाता है ?

जवाब इमाम ने आयते सज्दा पढ़ी तो इस सूरत में अगरचें मुक़्तदी ने आयते सज्दा न पढ़ी और न सुनी मगर इमाम के साथ उस पर भी सज्दए तिलावत करना वाजिब है।⁽³⁾

सवाल सज्दए तिलावत में दो सुन्नत और दो मुस्तहब कौन से हैं ?

जवाब सज्दए तिलावत से पहले और बा'द दोनों बार **اللَّهُ أَكْبَرُ** कहना सुन्नत है और खड़े हो कर सज्दे में जाना और सज्दे के बा'द खड़ा होना येह दोनों कियाम मुस्तहब हैं।⁽⁴⁾

सवाल वोह क्या सूरत है कि आयते सज्दा सुनी और सज्दा किये बिगैर उस का सज्दा हो गया ?

जवाब अगर इमाम से आयत सुनी मगर इमाम के सज्दा करने के बा'द उसी रकअत में शामिल हुवा तो इमाम का सज्दा इस के लिये भी है और दूसरी रकअत में शामिल हुवा तो नमाज़ के बा'द सज्दा करे।⁽⁵⁾



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، 2/701

2... المبسوط، کتاب الصلوة، باب السجدة، 2: 5/1

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/133

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الثالث عشر فی سجود التلاوة، 1/135

5... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب سجود التلاوة، 2/698، 4 : 1/728، हिस्सा : 4

सुवाल नमाज़ में आयते सज्दा पढ़ी तो सज्दा करने में कितनी ताखीर करने से गुनहगार होगा ?

जवाब तीन आयत से ज़ियादा देर लगाना गुनाह है। तरावीह या किसी भी नमाज़ में अगर आयते सज्दा पढ़े तो फ़ौरन सज्दा वाजिब है।⁽¹⁾

सुवाल नमाज़ में सज्दाए तिलावत के बा'द खड़े हो कर बिगैर कुछ तिलावत किये रुकूअ करना कैसा ?

जवाब ऐसी सूरत में सज्दा अदा तो हो जाएगा मगर ऐसा करना मक्रूह है।⁽²⁾

सुवाल अगर किसी पर बहुत से सज्दाए तिलावत हों और वोह उन्हें अदा किये बिगैर मर जाए या अदा करने से अज़िज़ हो जाए तो उस की सबुकदोशी की क्या सूरत होगी ?

जवाब शरीअत में सज्दाए तिलावत का कोई बदल या फ़िदया नहीं है इसी लिये जो अदा न कर सका उस पर मरते वक़्त इस बारे में कोई वसियत करना लाज़िम नहीं। या तो अदा कर ले और अदा करने से अज़िज़ हो तो तौबा। इस के इलावा कोई सूरत नहीं।⁽³⁾

सुवाल क्या सज्दाए तिलावत में “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” के इलावा भी कुछ पढ़ा जा सकता है ?

जवाब फ़र्ज़ नमाज़ में सज्दाए तिलावत किया तो “سُبْحَنَ رَبِّيَ الْأَعْلَى” पढ़े और नफ़ल नमाज़ में सज्दा किया तो चाहे येह पढ़े या और दुआएं जो अहदीस में वारिद हैं वोह पढ़े⁽⁴⁾।⁽⁵⁾

सुवाल अगर आयते सज्दा पढ़ने या सुनने वाला फ़ौरन सज्दा न कर सके तो उसे क्या कह लेना चाहिये ?

जवाब उस वक़्त अगर किसी वजह से सज्दा न कर सके तो तिलावत करने वाले और सुनने वाले को

1... माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/239

2... माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/235

3... माखूज़ अज़ फ़तावा रज़विय्या, 8/238

4... मसलन येह दुआ पढ़े : سَجْدًا وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ وَصَوَّرَنِي وَأَوْشَقَّ سَبْعَةَ بَصَرًا بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (तरजमा : मेरे चेहरे ने सज्दा किया उस के लिये जिस ने उसे पैदा किया और उस की सूरत बनाई और अपनी ताक़त कुव्वत से कान और आंख की जगह फ़ाड़ी बरक़त वाला है अल्लाह करीम जो अच्छा पैदा करने वाला है।) या येह कह ले : سُبْحَنَ رَبِّيَ إِنَّكَ كَانَتْ وَعْدُ رَبِّيَ لَتَفْعُولَا (तरजमा : पाक है हमारा रब, बेशक हमारे परवर्दगार का वा'दा हो कर रहेगा।) (फ़तावा रज़विय्या, 1/732)

(1) ”سَبَّحْنَا وَاطَّعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ“ यह कह लेना मुस्तहब है

सुवाल सज्दए शुक्र किसे कहते हैं ?

जवाब हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान عَلَيْهِ رَحْمَةُ اللّٰهِ فَرमाते हैं : दीनी या दुन्यवी खुशी की ख़बर सुन कर सज्दा करने को सज्दए शुक्र कहा जाता है। (2)

सुवाल किन मवाक़ेअ पर सज्दए शुक्र करना मुस्तहब है ?

जवाब औलाद पैदा हुई या माल पाया या गुमी हुई चीज़ मिल गई या मरीज़ ने शिफ़ा पाई या मुसाफ़िर वापस आया अल ग़रज़ किसी भी ने'मत के हुसूल पर सज्दए शुक्र करना मुस्तहब है। (3)

सुवाल हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने किस के क़त्ल का सुना तो सज्दए शुक्र अदा किया ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने अबू जहल के क़त्ल की ख़बर सुन कर सज्दए शुक्र अदा किया। (4)

बे वुजू सज्दए शुक्र करना कैसा ?

सुवाल अगर कोई शख्स बे वुजू या क़िब्ले की ता'यीन किये बिग़ैर या ज़वाल के वक़्त में सज्दए शुक्र करे तो क्या येह दुरुस्त है ? और सज्दए शुक्र का सहीह तरीक़ा भी बता दें।

जवाब सज्दए तिलावत और सज्दए शुक्र में भी नमाज़ की तरह तह़ारत और इस्तिक्बाले क़िब्ला (क़िब्ला रुख़ होना) शर्त है लिहाज़ा तह़ारत या क़िब्ला रू हुए बिग़ैर सज्दा अदा नहीं होगा, और चूँकि येह सज्दा वाजिब नहीं होता बल्कि नफ़ली तौर पर किया जाता है इस लिये जिन जिन अवक़ात में नवाफ़िल पढ़ना मकरूह है उन अवक़ात में येह सज्दा करना भी मकरूह होगा। सज्दए शुक्र का तरीक़ा येह है कि जब कोई ने'मत मिले, खुशी हासिल हो या कोई मुसीबत टले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने की निय्यत से बा तह़ारत क़िब्ला रुख़ खड़े हों और तक्बीर कहते हुए सज्दे में जाएं, सज्दे में तस्बीह व हम्द वग़ैरा के अल्फ़ाज़ कहें (अल्फ़ाज़ कुछ मख़सूस नहीं हैं कोई भी हो सकते हैं) और फिर तक्बीर कहते हुए सज्दे से उठ जाएं। मुख़्तसर येह है कि सज्दए तिलावत का जो तरीक़ा है वोही सज्दए शुक्र का भी है।



1... فتاوى تاتارخانية، کتاب الصلوة، الفصل الحادى والعشرون فى سجدة التلاوة، 1/789

2... میرآتول مناجیہ، 2/388 ماخوّل

3... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الثالث عشر فى سجود التلاوة، 1/136

4... اشعة اللغات، کتاب الصلوة، باب فى سجود الشکر، 1/663

सबक नम्बर 31

जुमुआ का बयान

हम कितने खुश नसीब हैं कि **अल्लाह** पाक ने अपने प्यारे हबीब **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** के सद्के हमें जुमुअतुल मुबारक की ने'मत से सरफराज़ फ़रमाया। अफ़सोस! हम ना कद्रे जुमुआ शरीफ़ को भी आम दिनों की तरह ग़फ़लत में गुज़ार देते हैं हालां कि जुमुआ यौमे ईद है, जुमुआ सब दिनों का सरदार है, जुमुआ के रोज़ जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती, जुमुआ की रात दोज़ख़ के दरवाज़े नहीं खुलते, जुमुआ को बरोज़े क़ियामत दुल्हन की तरह उठाया जाएगा, जुमुआ के रोज़ मरने वाला खुश नसीब मुसल्मान शहीद का रुत्बा पाता और अज़ाबे क़ब्र से महफूज़ हो जाता है। मशहूर मुफ़स्सिर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** के फ़रमान के मुताबिक़, जुमुआ को हज़ हो तो उस का सवाब सत्तर हज़ के बराबर है, जुमुआ की एक नेकी का सवाब सत्तर गुना है। (चूँकि जुमुआ का शरफ़ बहुत ज़ियादा है लिहाज़ा) जुमुआ के रोज़ गुनाह का अज़ाब भी सत्तर गुना है।⁽¹⁾

जुमुअतुल मुबारक के फ़ज़ाइल के तो क्या कहने! **अल्लाह** पाक ने जुमुआ के मुतअल्लिक़ एक पूरी सूरात “सूरतुल जुमुअह” नाज़िल फ़रमाई है जो कि कुरआने करीम के 28वें पारे में जगमगा रही है। **अल्लाह** पाक सूरातुल जुमुअह की आयत नम्बर 9 में इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ
إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾ (پ 28، الجمعة: 9)

तरजमए कज़्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो! जब नमाज़ की अज़ान हो जुमुआ के दिन तो **अल्लाह** के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो और ख़रीदो फ़रोख़्त छोड़ दो, येह तुम्हारे लिये बेहतर है अगर तुम जानो।

जुमुआ के मा'ना

सुवाल जुमुआ का मा'ना क्या है और इस को जुमुआ क्यूं कहते हैं ?

जवाब मुफ़स्सिरे शहीर हकीमुल उम्मत हज़रते मुफ़्ती अहमद यार ख़ान **رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : चूँकि इस दिन में तमाम मख़्लूक़ात वुजूद में मुज्तामअ (या'नी इकट्ठी) हुई कि तक्मीले ख़ल्क़ इसी दिन हुई नीज़ हज़रते आदम **عليه السلام** की मिट्टी इसी दिन जम्अ हुई नीज़ इस दिन में लोग जम्अ हो कर नमाज़े जुमुआ अदा करते हैं, इन वुजूह से इसे जुमुआ कहते हैं। इस्लाम से पहले अहले अरब

1...मिरआतुल मनाज़ीह, 2/323, 325, 336 मुलख़ब़सन

इसे अरूबा कहते थे।⁽¹⁾

नमाज़े जुमुआ अदा करने की फज़ीलत

सुवाल नमाज़े जुमुआ पढ़ने की क्या फज़ीलत है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू हु़रैरा رضي الله عنه से मरवी है कि हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने अच्छी तरह वुजू किया फिर जुमुआ पढ़ने के लिये आया, (खुत्बा) सुना और चुप रहा तो उस के वोह गुनाह बख़्श दिये जाएंगे जो इस जुमुआ से दूसरे जुमुआ के दरमियान हैं और तीन दिन मज़ीद और जिस ने कंकरी छूई उस ने लगव किया।⁽²⁾

सुवाल जुमुआ न पढ़ने वालों के लिये क्या वईद है ?

जवाब सरवरे काएनात صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : लोग जुमुआ छोड़ने से बाज़ आए वरना अल्लाह पाक उन के दिलों पर मोहर कर देगा फिर वोह गाफ़िलों में से हो जाएंगे।⁽³⁾

जुमुआ किस पर वाजिब है ?

सुवाल जुमुआ किस पर वाजिब है और इस के लिये क्या शराइत हैं ?

जवाब जुमुआ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं : (1) शहर में मुक़ीम होना (2) सिह्हत या'नी मरीज़ पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं, मरीज़ से मुराद वोह है कि मस्जिदे जुमुआ तक न जा सकता हो या चला तो जाएगा मगर मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा। शैख़े फ़ानी मरीज़ के हुक्म में है। (3) आज़ाद होना, गुलाम पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं और उस का आका मन्ज़ कर सकता है (4) मर्द होना (5) बालिग़ होना (6) अ़क़िल होना। येह दोनों शर्तें ख़ास जुमुआ के लिये नहीं बल्कि हर इबादत के वुजूब में अ़क़ल व बुलूग़ शर्त है। (7) अंख्यारा होना (8) चलने पर क़ादिर होना (9) कैद में न होना (10) बादशाह या चोर वगैरा किसी ज़ालिम का ख़ौफ़ न होना (11) मींह या आंधी या ओले या सर्दी का न होना या'नी इस क़दर कि इन से नुक़सान का ख़ौफ़ सहीह हो।⁽⁴⁾

1... मिरआतुल मनाजीह, 2/317

2... مسلم، کتاب الجمعة، باب فضل من استمع وامت في الخطبة، ص 332، 333، حديث: 1988

3... مسلم، کتاب الجمعة، باب التغليظ في ترك الجمعة، ص 334، حديث: 2002

4... बहारे शरीअत, 1/770, 772, हिस्सा : 4

जुमुआ की नमाज़ से पहले ज़ोहर पढ़ना कैसा है ?

सुवाल ज़ुमुआ फ़र्ज़ न होने के बा वुजूद पढ़ लेना कैसा है ?

जवाब ज़ुमुआ वाजिब होने के लिये ग्यारह शर्तें हैं⁽¹⁾ उन में से एक भी न पाई जाए तो फ़र्ज़ नहीं फिर भी अगर पढ़ेगा तो हो जाएगा बल्कि मर्द अक़िल बालिग़ के लिये ज़ुमुआ पढ़ना अफ़ज़ल है और औरत के लिये ज़ोहर अफ़ज़ल और ना बालिग़ ने ज़ुमुआ पढ़ा तो नफ़ल है कि इस पर नमाज़ फ़र्ज़ ही नहीं।⁽²⁾

सुवाल जिस पर ज़ुमुआ फ़र्ज़ है अगर उस ने ज़ुमुआ की नमाज़ से पहले ज़ोहर की नमाज़ पढ़ ली तो क्या ज़ुमुआ की नमाज़ उसे पढ़नी होगी या नहीं ?

जवाब जिस पर ज़ुमुआ फ़र्ज़ है उसे शहर में ज़ुमुआ हो जाने से पहले ज़ोहर पढ़ना मक्रूहे तहरीमी है बल्कि इमाम इब्ने हुमाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने फ़रमाया : हराम है और पढ़ लिया जब भी ज़ुमुआ के लिये जाना फ़र्ज़ है और ज़ुमुआ हो जाने के बा'द ज़ोहर पढ़ने में कराहत नहीं, बल्कि अगर ज़ुमुआ दूसरी जगह न मिल सके तो ज़ोहर ही पढ़ना फ़र्ज़ है मगर ज़ुमुआ तर्क करने का गुनाह उस के सर रहा।⁽³⁾

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिसे अदा करना फ़र्ज़ ऐन है मगर उस की क़ज़ा पढ़ना हराम है ?

जवाब वोह नमाज़ ज़ुमुआ है कि जिस का पढ़ना फ़र्ज़ ऐन है लेकिन अगर वोह छूट जाए तो उस की क़ज़ा पढ़ना हराम है बल्कि उस की क़ज़ा की जगह वोह ज़ोहर पढ़ेगा।⁽⁴⁾

सुवाल क्या सुस्ती के सबब ज़ुमुआ में देर से पहुंचने वाले का ज़ुमुआ हो जाएगा ?

जवाब जो ज़ुमुआ में सुस्ती से आए और देर में पहुंचे अगर्चे उस का ज़ुमुआ तो हो जाएगा मगर वोह सवाब न मिलेगा जो जल्दी पहुंचने वाले को मिलता है।⁽⁵⁾

1... ज़ुमुआ वाजिब होने की येह शराइत दा'वते इस्लामी के इशाअती इदारे मक्ताबतुल मदीना की मत्बूआ किताब "बहारे शरीअत" जिल्द अव्वल, सफ़हा 770 ता 772 पर और "दिलचस्प मा'लूमात" हिस्सा अव्वल, सफ़हा 84 पर मुलाहज़ा फ़रमाइये।

2... در مختار مع رد المختار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، 33/3

3... رد المختار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، 33/3، 34/4 : हिस्सा 1/773, बहारे शरीअत,

4... الاشیاء والنظائر، الفن الرابع، کتاب الصلوة، ص 342

5... میرआतुल मनाजीह, 2/338

सुवाल दौराने खुत्बा खाने पीने या बातचीत करने का क्या हुक्म है ?

जवाब खुत्बे के दौरान खाना पीना, बात करना, سُبْحَنَ اللّٰه कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है।⁽¹⁾

सुवाल खुत्बे की आवाज़ न पहुंचती हो तो क्या हुक्म है ?

जवाब जिस तक खुत्बे की आवाज़ न पहुंचती हो वोह भी खामोश रहे।⁽²⁾

खुत्बा सुनने के आदाब

सुवाल क्या खामोशी के इलावा खुत्बा सुनने के कुछ और भी आदाब हैं ?

जवाब खुत्बे के वक़्त सिर्फ़ ज़बान से खामोशी काफ़ी नहीं बल्कि सुकूनों इत्मीनान से बैठना भी ज़रूरी है, कंकर पथ्थरों से खेलना भी मन्मूअ है। उलमा फ़रमाते हैं कि खुत्बे के वक़्त दामन या पंखे से हवा करना भी मन्मूअ है अगरचें गरमी हो, उस वक़्त हमातन खुत्बे की तरफ़ मुतवज्जेह होना ज़रूरी है।⁽³⁾ इसी तरह अगर खुत्बा सुनने वाला अगर इमाम के सामने हो तो इमाम की तरफ़ मुंह करे और दहने बाएं हो तो इमाम की तरफ़ मुड़ जाए, इमाम से करीब होना अफ़ज़ल है मगर येह जाइज़ नहीं कि इमाम से करीब होने के लिये लोगों की गरदनें फ़लांगे, अलबत्ता अगर इमाम अभी खुत्बे को नहीं गया है और आगे जगह बाक़ी है तो आगे जा सकता है और खुत्बा शुरू होने के बा'द मस्जिद में आया तो मस्जिद के कनारे ही बैठ जाए और खुत्बा सुनने की हालत में दो जानू बैठे जैसे नमाज़ में बैठते हैं।⁽⁴⁾

दौराने खुत्बा दुरूदे पाक पढ़ना कैसा ?

सुवाल दौराने खुत्बा नामे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم आने पर दुरूद का क्या हुक्म है ?

जवाब हुजूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का नामे पाक ख़तीब ने लिया तो हाज़िरीन दिल में दुरूद शरीफ़ पढ़ें, ज़बान से पढ़ने की उस वक़्त इजाज़त नहीं।⁽⁵⁾ यूँही सहाबए किराम के ज़िक्र पर उस वक़्त رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ज़बान से कहने की इजाज़त नहीं।⁽⁶⁾



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، 39/3

2... تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، 1/340

3... میرآاتول مناجیہ، 2/335

4... 565... فصل فی صلوة الجمعة، ص 565، 1/767 تا 768، हिस्सा : 4 मुलख़ब्सन

5... در مختار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، 3/40

6... बहारे शरीअत, 1/775, हिस्सा : 4

सुवाल पहला खुत्बा हाथ बांध कर और दूसरा ज़ानूओं पर हाथ रख कर सुनने का क्या अज़्र है ?

जवाब बुजुर्गाने दीन फ़रमाते हैं कि दो ज़ानू बैठ कर खुत्बा सुने, पहले खुत्बे में हाथ बांधे और दूसरे में ज़ानू पर हाथ रखे तो **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** दो रकअत का सवाब मिलेगा ।⁽¹⁾

किस पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं ?

सुवाल कौन से मरीज़ और तीमार दार पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं ?

जवाब मरीज़ पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं, मरीज़ से मुराद वोह है कि मस्जिद तक न जा सकता हो या चला तो जाएगा मगर मरज़ बढ़ जाएगा या देर में अच्छा होगा ।⁽²⁾ जो शख्स मरीज़ का तीमार दार हो, (अगर वोह) जानता है कि जुमुआ को जाएगा तो मरीज़ दिक्कतों में पड़ जाएगा और उस का कोई पुरसाने हाल न होगा तो उस तीमार दार पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं ।⁽³⁾

सुवाल किस नाबीना पर जुमुआ फ़र्ज़ है और किस पर नहीं ?

जवाब वोह नाबीना जो खुद मस्जिदे जुमुआ तक बिला तकल्लुफ़ न जा सकता हो उस पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं । बा'ज़ नाबीना बिला तकल्लुफ़ बिगैर किसी की मदद के बाज़ारों रास्तों में चलते फिरते हैं और जिस मस्जिद में चाहें बिला पूछे जा सकते हैं उन पर जुमुआ फ़र्ज़ है ।⁽⁴⁾

जुमुआ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त

सुवाल नमाज़े जुमुआ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा है ?

जवाब पहली अज़ान के होते ही सई वाजिब है और बैअ (ख़रीदो फ़रोख़्त) वगैरा उन चीज़ों का जो सई के मुनाफ़ी हों छोड़ देना वाजिब यहां तक कि रास्ता चलते हुए अगर ख़रीदो फ़रोख़्त की तो येह भी ना जाइज़ और मस्जिद में ख़रीदो फ़रोख़्त तो सख़्त गुनाह है ।⁽⁵⁾

जवाब जुमुआ के लिये अलग जोड़ा रखने का क्या हुक्म है ?

1 ...मिरआतुल मनाजीह, 2/338

2 ...حلی کبیر، فصل فی صلوة الجمعة، ص 548

3 ...در مختار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، 3/31، 4 : 1/770، हिस्सा : 4

4 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، مطلب فی شروط وجوب الجمعة، 3/32

5 ...در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب الجمعة، 3/42

जवाब मुस्तहब है कि जुमुआ का जोड़ा अलग रखे जो ब वक़्ते नमाज़ पहन लिया करे और बा'द में उतार दिया करे। इमाम जैनुल अबिदीन رَضِيَ اللهُ عَنْهُ तो नमाज़े पन्जगाना के लिये अलग जोड़ा रखते थे।⁽¹⁾

सुवाल यौमे जुमुआ में वोह मुख़्तसर घड़ी कौन सी है जिस में भलाई मांगने वाले मुसल्मान को ज़रूर दिया जाता है ?

जवाब इस बारे में अकाबिर मुहक्किकीन उलमा और कसीर अइम्माए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़्दीक राजेह और क़वी क़ौल दो हैं : (1) वोह रोज़े जुमुआ की आख़िरी साअत या'नी गुरुबे आफ़ताब से कुछ पहले का वक़्त है। (2) जब इमाम मिम्बर पर बैठे उस वक़्त से फ़र्जे जुमुआ के सलाम तक। अलबत्ता इमाम के मिम्बर पर आने के बा'द से फ़र्जे जुमुआ का सलाम फेरने तक किसी भी क़िस्म का कलाम मन्अ होने की वजह से दुआ फ़क़त दिल से की जा सकती है।⁽²⁾

सुवाल जुमुआ के दिन मस्जिद आने वाले किन अफ़राद का नाम फ़िरिशते नहीं लिखते ?

जवाब जब जुमुआ का दिन आता है फ़िरिशते मस्जिद के दरवाज़े पर खड़े हो जाते हैं और जल्दी आने वालों का नाम लिखते हैं। फिर जब इमाम खुत्बे के लिये मिम्बर पर आता है तो येह फ़िरिशते अपने दफ़्तर लपेट कर इन्सानों के साथ खुत्बा सुनने लगते हैं, अब जो उस वक़्त आएगा, न उस का नाम उन के दफ़्तर में लिखा जाएगा न उसे जल्द आने का सवाब मिलेगा।⁽³⁾

सुवाल हुज़ूर नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने कितने जुमुआ अदा फ़रमाए ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने तक्रीबन पांच सो जुमुआ पढ़े हैं क्यूं कि जुमुआ बा'दे हिजरत शुरू हुवा जिस के बा'द आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की ज़ाहिरी ज़िन्दगी मुबारक दस साल रही, इस अर्से में जुमुआ इतने ही होते हैं।⁽⁴⁾

सुवाल नमाज़े जुमुआ के लिये गुस्ल करने और खुशबू लगाने वाले के लिये क्या इन्आम है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना सलमान फ़ारसी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुरहीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इश़ाद फ़रमाया : जो शख़्स जुमुआ के दिन नहाए, जिस त़हारत की इस्तिताअत हो करे, तेल लगाए, घर में जो खुशबू हो मले फिर नमाज़ के लिये निकले, दो शख़्सों में जुदाई न करे (या'नी दो शख़्स बैठे हुए हों उन्हें हटा कर बीच में न बैठे), जो नमाज़ उस के लिये लिखी गई है पढ़े

1... मिरआतुल मनाजीह, 2/337

2... फ़ज़ाइले दुआ, स. 116 ता 119 मुलख़ब्सन

3... بخاری، کتاب الجمعة، باب الاستماع الى الخطبة، 1/319، حدیث: 929، میرآتول مناجیہ، 2/335

4... اشعة الملاحات، کتاب الصلوة، باب الخطبة و الصلوة، الفصل الثالث، 1/631

और इमाम जब खुत्बा पढ़े तो चुप रहे उस के इस जुमुआ और दूसरे जुमुआ के दरमियान होने वाले गुनाहों की मग़िफ़रत हो जाएगी।⁽¹⁾

सुवाल नमाज़े जुमुआ में लोगों की गरदनं फ़लांगने वाले के लिये क्या वईद है ?

जवाब हदीसे मुबारक में है कि जिस ने जुमुआ के दिन लोगों की गरदनं फ़लांगीं उस ने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया⁽²⁾।⁽³⁾

सुवाल जुमुआ के दिन सूरए कहफ़ पढ़ने की क्या फ़ज़ीलत है और ज़ियादा बेहतर किस वक़्त है ?

जवाब जुमुआ के दिन या रात में सूरए कहफ़ की तिलावत अफ़ज़ल है और ज़ियादा बुजुर्गी रात में पढ़ने की है। हदीसे मुबारक में है कि जो शख़्स जुमुआ के दिन सूरए कहफ़ की तिलावत करे उस के लिये दोनों जुमुओं के दरमियान नूर रोशन होगा।⁽⁴⁾ नीज़ इर्शाद फ़रमाया : जो जुमुआ के दिन सूरए कहफ़ पढ़े उस के क़दम से आस्मान तक नूर बुलन्द होगा जो क़ियामत में उस के लिये रोशन होगा और दो जुमुओं के दरमियान जो गुनाह हुए हैं बख़्श दिये जाएंगे।⁽⁵⁾

सुवाल जुमुअतुल मुबारक के दिन फ़ौत होने वाले के लिये हदीस में क्या बिशारत है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़रहीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जो रोज़े जुमुआ या शबे जुमुआ मरेगा अज़ाबे क़ब्र से बचा लिया जाएगा और क़ियामत के दिन इस तरह आएगा कि उस पर शहीदों की मोहर होगी।⁽⁶⁾

सबक़ नम्बर 32

ईदैन

सुवाल ईदुल फ़ित्र और ईदुल अज़हा किन चीज़ों के शुक्राने के तौर पर मनाई जाती हैं ?

1... بخاری، کتاب الجمعة، باب الدّین للجمعة، 1/306، حدیث: 883

2... हदीस में लफ़ज़ اَتَّخَذَ جَسْرًا वाक़ेअ हुवा है इस को मा'रूफ़ व मज्हूल (یا'نی اَتَّخَذَ और اَتَّخَذَ) दोनों तरह पढ़ते हैं और येह तरजमा मा'रूफ़ का है और मज्हूल पढ़ें तो मतलब येह होगा कि खुद पुल बना दिया जाएगा या'नी जिस तरह लोगों की गरदनं उस ने फ़लांगी हैं, उस को क़ियामत के दिन जहन्नम में जाने का पुल बनाया जाएगा कि उस के ऊपर चढ़ कर लोग जाएंगे। (बहारे शरीअत, 1/761, 762, हिस्सा : 4)

3... ترمذی، کتاب الجمعة، باب ما جاء فی کراهیة التخطی یوم الجمعة، 2/48، حدیث: 513

4... سنن صغری، کتاب الصلوة، باب فضل الجمعة، 1/210، حدیث: 608

5... الترغیب والترہیب، کتاب الجمعة، الترغیب فی قراءة سورة الکہف... إلخ، 1/298، حدیث: 2

6... ترمذی، کتاب الیمین، باب ما جاء فی من مات یوم الجمعة، 2/339، حدیث: 1076، مسند الفردوس، 2/274، حدیث: 5968

जवाब ईदुल फ़ित्र इबादाते रमज़ान की तौफ़ीक़ मिलने के शुक्रिये की है और बकर ईद हज़रते इब्राहीम व इस्माईल عَلَيْهِمَا السَّلَام की काम्याबी के शुक्रिये में।⁽¹⁾

सुवाल पहली नमाज़े ईद कब अदा की गई ?

जवाब सिने 2 हिजरी में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए, उसी साल नबिय्ये करीम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने पहले नमाज़े ईद पढ़ी फिर बकर ईद।⁽²⁾

सुवाल ईदैन की नमाज़ का हुक्म बयान करें ?

जवाब ईदैन की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं बल्कि उन्हीं पर जिन पर जुमुआ वाजिब है।⁽³⁾

सुवाल ईदैन की नमाज़ का मुस्तहब वक़्त बताइये।

जवाब इन दोनों नमाज़ों का वक़्त सूरज के एक नेज़े की मिक्दार बुलन्द होने (या'नी तुलूए आफ़ताब के बीस मिनट बा'द) से ज़हूवए कुब्रा या'नी निस्फुन्नहारे शरई तक है।⁽⁴⁾ मगर ईदुल फ़ित्र में देर करना और ईदुल अज़हा में जल्द पढ़ना मुस्तहब है।⁽⁵⁾

नमाज़े ईद की निय्यत

सुवाल नमाज़े ईद की निय्यत किस तरह करे ?

जवाब मैं निय्यत करता हूँ दो रकअत नमाज़ ईदुल फ़ित्र (या ईदुल अज़हा) की, साथ छे ज़ाइद तक्बीरों के, वासिते अल्लाह पाक के, पीछे इस इमाम के।⁽⁶⁾

ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा

जवाब ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा बयान कीजिये।

1... मिरआतुल मनाजीह, 2/355, मुल्लतक़तून 337

2... मिरआतुल मनाजीह, 2/355 मुलख़ब़सन

3... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 51/3

4... تبیین الحقائق، کتاب الصلوة، باب صلوة العیدین، 540/1

5... خلاصة الفتاوى، کتاب الصلوة، الفصل الرابع والعشرون فی صلوة العیدین، 214/1

6... बहारे शरीअत, 1/781, हिस्सा : 4 ब तग़य्युर

सुवाल (इमाम साहिब जब **الله أكبر** कहें तो) कानों तक हाथ उठाइये और **الله أكبر** कह कर हस्बे मा'मूल नाफ़ के नीचे बांध लीजिये और सना पढ़िये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और **الله أكبر** कहते हुए लटका दीजिये। फिर हाथ कानों तक उठाइये और **الله أكبر** कह कर लटका दीजिये। फिर कानों तक हाथ उठाइये और **الله أكبر** कह कर बांध लीजिये या'नी पहली तक्बीर के बा'द हाथ बांधिये इस के बा'द दूसरी और तीसरी तक्बीर में लटकाइये और चौथी में हाथ बांध लीजिये। इस को यूं याद रखिये कि जहां क़ियाम में तक्बीर के बा'द कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांधने हैं और जहां नहीं पढ़ना वहां हाथ लटकाने हैं।⁽¹⁾ फिर इमाम तअव्वुज़ और तस्मिया आहिस्ता पढ़ कर अल हम्द शरीफ़ और सूरत जहर (या'नी बुलन्द आवाज़) के साथ पढ़े, फिर रुकूअ करे। दूसरी रकअत में पहले अल हम्द शरीफ़ और सूरत जहर के साथ पढ़े, फिर तीन बार कानों तक हाथ उठा कर **الله أكبر** कहिये और हाथ न बांधिये और चौथी बार बिगैर हाथ उठाए **الله أكبر** कहते हुए रुकूअ में जाइये और नमाज़ मुकम्मल कर लीजिये।⁽²⁾

नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें

सुवाल नमाज़े ईद में कितनी तक्बीरें ज़ाइद होती हैं ?

जवाब नमाज़े ईद में छे तक्बीरें ज़ियादा कही जाती हैं।⁽³⁾

सुवाल नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें किस वक़्त कही जाती हैं ?

जवाब ज़ाइद तक्बीरें हर रकअत में तीन तीन हैं, पहली रकअत में क़िराअत से पहले और तक्बीरे तहरीमा के बा'द और दूसरी रकअत में रुकूअ से पहले और क़िराअत के बा'द कही जाती हैं।⁽⁴⁾

सुवाल नमाज़े ईद में तक्बीरे तहरीमा के इलावा हाथ कानों तक कब उठाए जाते हैं ?

जवाब नमाज़े ईद में कही जाने वाली छे ज़ाइद तक्बीरों में कानों तक हाथ उठाए जाते हैं।⁽⁵⁾

सुवाल नमाज़े ईद में इमाम को रुकूअ में पाने वाला ज़ाइद तक्बीरें कैसे कहेगा ?



- 1... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 61/3
- 2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب السابع عشر فی صلوة العیدین، 150/1
- 3... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 61/3
- 4... در مختار و رد المحتار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 61-63 ملقطا
- 5... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 65/3 مفصلا

जवाब अगर इमाम को रुकूअ में पाया और ग़ालिब गुमान है कि तक्बीरें कह कर इमाम को रुकूअ में पा लेगा तो खड़े खड़े तक्बीरें कहे फिर रुकूअ में जाए वरना **الله أكبر** कह कर रुकूअ में जाए और रुकूअ में तक्बीरें कहे।⁽¹⁾

सुवाल मुक्तदी रुकूअ में जाइद तक्बीरें पूरी नहीं कर सका या फिर क़ौमा में शामिल हुवा तो अब तक्बीरें कब कहेगा ?

जवाब अगर इस ने रुकूअ में तक्बीरें पूरी न की थीं कि इमाम ने सर उठा लिया तो बाकी साक़ित हो गई और अगर इमाम के रुकूअ से उठने के बा'द शामिल हुवा तो अब तक्बीरें न कहे बल्कि जब अपनी पढ़े उस वक़्त कहे और रुकूअ में जहां तक्बीर कहना बताया गया उस में हाथ न उठाए और अगर दूसरी रक़अत में शामिल हुवा तो पहली रक़अत की तक्बीरें अब न कहे बल्कि जब अपनी फ़ौत शुदा पढ़ने खड़ा हो उस वक़्त कहे।⁽²⁾

सुवाल इमाम साहिब ने छे से ज़ियादा तक्बीरें कह दीं तो मुक्तदी क्या करेगा ?

जवाब इमाम ने छे तक्बीरों से ज़ियादा कहीं तो मुक्तदी भी इमाम की पैरवी करे मगर तेरह से ज़ियादा में इमाम की पैरवी नहीं (की जाएगी कि ईदैन में तेरह तक तक्बीरें मशरूअ हैं)।⁽³⁾

सुवाल पहली रक़अत में इमाम साहिब ने तक्बीरों से पहले क़िराअत शुरूअ कर दी तो क्या हुक्म है ?

जवाब पहली रक़अत में इमाम तक्बीरें भूल गया और क़िराअत शुरूअ कर दी तो क़िराअत के बा'द कह ले या रुकूअ में और क़िराअत का इआदा न करे।⁽⁴⁾

सुवाल वोह कौन सी नमाज़ है जिस में रुकूअ की तक्बीर कहना वाजिब है ?

जवाब ईदैन में दूसरी रक़अत के रुकूअ की तक्बीर कहना वाजिब है।⁽⁵⁾

सुवाल इमाम का खुत्बए ईद से पहले और बा'द में तक्बीर कहने का हुक्म बयान कीजिये।

जवाब नमाज़े ईद में पहले खुत्बे से क़बल नव बार और दूसरे से पहले सात बार और मिम्बर से



1... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 64/3

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب السابع عشر فی صلوة العیدین، 151/1

3... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 63/3، 4 : 1/782، हिस्सा : 4

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب السابع عشر... الخ، 151/1

5... در مختار، کتاب الصلوة، باب صفۃ الصلوة، 200/2

उतरने से पहले चौदह बार **الله أكبر** कहना सुन्नत है।⁽¹⁾

सुवाल जिस शख्स की नमाज़े ईद की जमाअत निकल जाए क्या वोह अपने तौर पर पढ़ सकता है ?

जवाब इमाम ने नमाज़ पढ़ ली और कोई शख्स बाकी रह गया ख़्वाह वोह शामिल ही न हुवा था या शामिल तो हुवा मगर उस की नमाज़ फ़ासिद हो गई तो अगर दूसरी जगह मिल जाए पढ़ ले वरना नहीं पढ़ सकता, हां बेहतर येह है कि येह शख्स चार रकअत चाशत की नमाज़ पढ़े।⁽²⁾

नमाज़े ईद दूसरे दिन पढ़ने का हुक्म

सुवाल क्या नमाज़े ईद दूसरे दिन भी पढ़ी जा सकती है ?

जवाब किसी उज़्र के सबब ईद के दिन नमाज़ न हो सकी (मसलन सख़्त बारिश हुई या अब्र के सबब चांद नहीं देखा गया और गवाही ऐसे वक़्त गुज़री कि नमाज़ न हो सकी या अब्र था और नमाज़ ऐसे वक़्त ख़त्म हुई कि ज़वाल हो चुका था) तो दूसरे दिन पढ़ी जाए और दूसरे दिन भी न हुई तो ईदुल फ़ित्र की नमाज़ तीसरे दिन नहीं हो सकती और दूसरे दिन भी नमाज़ का वोही वक़्त है जो पहले दिन था या'नी एक नेज़ा आफ़ताब बुलन्द होने से निस्फ़ुन्नहारे शरई तक और बिला उज़्र ईदुल फ़ित्र की नमाज़ पहले दिन न पढ़ी तो दूसरे दिन नहीं पढ़ सकते।⁽³⁾

तक्बीरे तशरीक और इस का हुक्म

सुवाल तक्बीरे तशरीक और इस का हुक्म बयान करें।

जवाब नवीं ज़िल हिज्जा की फ़ज्र से तेरहवीं की अ़स्स तक पांचों वक़्त की फ़र्ज़ नमाज़ें जो मस्जिद की जमाअते ऊला के साथ अदा की गई उन में (सलाम फेरने के बा'द फ़ौरन) एक बार बुलन्द आवाज़ से तक्बीर कहना वाजिब और तीन बार अफ़ज़ल।⁽⁴⁾ तक्बीरे तशरीक येह है :

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله أكبر⁽⁵⁾



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 3/67

2... در مختار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 3/67، 68

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب السابع عشر فی صلوة العیدین، 1/151، 4 : 1/784، ہمسرا : 4

4... تمییز الحقائق، کتاب الصلوة، باب صلاة العیدین، 1/544-545 مطبوعہ

5... تنویر الابصار، کتاب الصلوة، باب العیدین، 3/72

सुवाल ईद की नमाज़ से पहले कुछ खाना चाहिये या नहीं ?

जवाब ईदुल फ़ित्र में नमाज़ से पहले चन्द खजूरें ताक़ अदद में तीन, पांच, सात या कोई भी मीठी शै खा लेना मुस्तहब है जब कि ईदुल अज़्हा (बक़र ईद) में नमाज़ से पहले कुछ न खाना मुस्तहब है अगर्चे कुरबानी न करे।⁽¹⁾ जैसा कि हदीसे पाक में है कि हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ईदुल फ़ित्र के दिन कुछ खा कर नमाज़ के लिये तशरीफ़ ले जाते थे और ईदुल अज़्हा के रोज़ नहीं खाते थे जब तक नमाज़ से फ़ारिग़ न हो जाते।⁽²⁾

सुवाल कुरबानी से पहले हजामत बनवाने और नाखुन तरशवाने का क्या हुक्म है ?

जवाब कुरबानी करनी हो तो मुस्तहब येह है कि पहली से दसवीं ज़िल हिज्जा तक न हजामत बनवाए और न नाखुन तरश्वाए।⁽³⁾

सुवाल ईद के दिन की मुस्तहब चीज़ें क्या हैं ?

जवाब गुस्ल करना, मिस्वाक करना, अच्छे कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, ईदगाह जल्द चले जाना, ईदगाह पैदल जाना वगैरा।⁽⁴⁾

सुवाल नमाज़े ईद के बा'द मुसाफ़हा व मुआनका करना कैसा है ?

जवाब सदरुशशरीअह, मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : बा'द नमाज़े ईद मुसाफ़हा व मुआनका करना जैसा उमूमन मुसलमानों में राइज है बेहतर है कि इस में इज़्हारे मसरत है।⁽⁵⁾

सुवाल बक़रह ईद के दिन कौन सी नेकी अल्लाह पाक को सब से ज़ियादा महबूब है ?

जवाब हुज़ूर ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत ﷺ का फ़रमाने अलीशान है : इन्सान बक़रह ईद के दिन कोई ऐसी नेकी नहीं करता जो अल्लाह पाक को (जानवर का) ख़ून बहाने से ज़ियादा प्यारी हो, येह कुरबानी क़ियामत में अपने सींगों, बालों और खुरों के साथ आएगी (और उस की नेकियों के पलड़े में रखी जाएगी) और कुरबानी का ख़ून ज़मीन पर गिरने से पहले अल्लाह पाक के हां क़बूल हो जाता है लिहाज़ा कुरबानी खुशदिली से करो।⁽⁶⁾



1... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع عشر فی صلاۃ العیدین، 1/150

2... ترمذی، کتاب العیدین، باب ماجاء فی الاکل یوم الفطر قبل الخروج، 2/70، حدیث: 542

3... رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب العیدین، مطلب فی ازالۃ الشعر... الخ، 3/77

4... فتاوى ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب السابع عشر فی صلاۃ العیدین، 1/149

5... بھارے شریअत، 1/784، हिस्सा : 4

6... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحیہ، 3/162، حدیث: 1498

सुवाल बा जमाअत पढ़ी जाने वाली कौन सी नमाजों के लिये अज़ान व इक़ामत नहीं ?

जवाब वोह ईदुल फ़ित्र, बक़र ईद और जनाज़ा वगैरा की नमाज़ें हैं क्यूं कि फ़र्ज़ नमाज़ों के इलावा किसी नमाज़ में अज़ान व इक़ामत नहीं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 33

बीमारी और इलाज

सुवाल हदीसे पाक में बुख़ार की क्या फ़ज़ीलत बयान की गई है ?

जवाब ताजदारे ख़त्मे नुबुव्वत ﷺ ने फ़रमाया : बुख़ार को बुरा न कहो क्यूं कि वोह बन्दए मोमिन को गुनाहों से इस तरह पाक कर देता है जैसे आग लोहे का जंग साफ़ कर देती है।⁽²⁾

सुवाल हदीसे पाक में मरज़े ताऊन का सबब किसे फ़रमाया गया है ?

जवाब हदीस शरीफ़ में है : ताऊन तुम्हारे दुश्मन जिन्नात के नेजे का ज़ख़्म है।⁽³⁾

सुवाल “ताऊन” का मरज़ अज़ाब है या रहमत ?

जवाब “ताऊन” बनी इसराईल के हक़ में अज़ाब था मगर उम्मतए मुहम्मदिय्यह ﷺ के हक़ में येह मरज़ रहमत है।⁽⁴⁾ क्यूं कि हदीस शरीफ़ में आया है कि ताऊन की बीमारी में मरने वाला शहीद होता है।⁽⁵⁾

सुवाल कौन सी बीमारियों को ना पसन्द करना मन्ज़ू है ?

जवाब (1) आशोबे चश्म (2) जुकाम (3) खांसी और (4) खुजली।⁽⁶⁾

सुवाल हदीसे पाक की रोशनी में रात का खाना छोड़ देने का नुक़सान बताइये।



1... فتاوى خانيه، كتاب الصلوة، باب الاذان، 38/1

2... مسلم، كتاب البر والصلوة، باب ثواب المؤمن فيما يصيبه... الخ، ص 1068، حديث: 6570

3... مسند احمد، مسند الكوفيين، حديث ابى موسى الاشعري، 7/131، حديث: 19545

4... تفسير صاوي، 1، البقرة، تحت الآية: 59، 68/1

5... بخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الشهادة سبع سوى القتل، 2/262، حديث: 2829

6... شعب الايمان، باب في عيادة المريض، فصل في آداب العيادة، 6/541، حديث: 9212

जवाब मीठे मीठे आका मदीने वाले मुस्लिम ﷺ का फ़रमाने सिद्धत निशान है : रात का खाना न छोड़ो चाहे एक मुठ्ठी खजूर ही क्यों न हो क्यों कि रात का खाना तर्क करना आदमी को ज़ईफ़ कर देता है।⁽¹⁾

मिर्गी से हिफ़ाज़त का अमल

सुवाल “उम्मुस्सिब्यान” किस बीमारी को कहते हैं नीज़ इस से हिफ़ाज़त का तरीका बताएं ?

जवाब आ’ला हज़रत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “मिर्गी बहुत ख़बीस बला है और इसी को “उम्मुस्सिब्यान” कहते हैं।” मज़ीद फ़रमाते हैं : “अगर बच्चा पैदा होने के बा’द पहला काम ये किया जाए कि नहला कर अज़ान व इक़ामत बच्चे के कान में कह दी जाए तो اللهُ إِن شَاءَ اللهُ उम्र भर मिर्गी से महफूज़ी है।”

सुवाल कै के फ़वाइद व नुक्सानात क्या हैं ?

जवाब (1) कै से मे’दे की सफ़ाई होती है। (2) ज़ियादा कै आना नुक्सान देह है कि इस से सीने और मे’दे में दर्द पैदा होता है (3) जब कै आने लगे तो उस को ज़बर दस्ती न रोका जाए कि सख़्त अमराज़ पैदा होने का ख़तरा है।⁽²⁾

खुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोलना या इलाज करना

सुवाल खुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोल कर लोगों का इलाज करना शर्अन कैसा है ?

जवाब बा’ज़ लोग हकीमी मा’नों में बा काइदा डॉक्टर या हकीम न होने के बा वुजूद क्लीनिक या मतब खोल कर मरीज़ों का इलाज शुरू कर देते हैं। ऐसा करना क़ानूनन जुर्म होने के साथ साथ शर्अन भी मम्मूअ है। याद रखिये ! जो माहिर तबीब न हो उस को मरीज़ के इलाज में हाथ डालना कारे सवाब नहीं बल्कि हुराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। अगर कोई ऐसा ग़ैर माहिर तबीब क्लीनिक या दवाख़ाना खोल कर मरीज़ों का इलाज करने बैठ गया हो तो फ़ौरन येह ना जाइज़ काम बन्द करना फ़र्ज़ है और तौबा के तकाज़े भी पूरे करने होंगे।⁽³⁾

सुवाल बा’ज़ अवकात दवाएं लेने के बा वुजूद भी शिफ़ा हासिल नहीं होती इस की क्या वजह है ?



1... ابن ماجه، كتاب الاطعمه، باب ترك العشاء، 4/50، 51، حديث: 3355

2... घरेलू इलाज, स. 92 मुल्लतक़तन

3... घरेलू इलाज, स. 13 मुल्लतक़तन

जवाब जब अल्लाह पाक किसी बीमार की शिफा नहीं चाहता तो दवा और मरज़ के दरमियान एक फिरिश्ते के ज़रीए आड़ कर देता है जिस की वजह से दवा मरज़ तक नहीं पहुंचती, जब शिफा का इरादा होता है तो वोह पर्दा हटा दिया जाता है जिस से दवा मरज़ तक पहुंच जाती है और शिफा मिल जाती है।⁽¹⁾

सुवाल “गीबत की तबाह कारियां” किताब में मज़कूर केन्सर के दो घरेलू इलाज बयान कीजिये।

जवाब (1) पिसा हुआ काला जीरा तीन तीन ग्राम दिन में तीन मरतबा पानी से इस्ति'माल कीजिये।
(2) रोज़ाना चुटकी भर पिसी हुई ख़ालिस हल्दी खाने से **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** कभी केन्सर नहीं होगा।⁽²⁾

सुवाल गुर्दे में पथरी का देसी इलाज बताइये।

जवाब हम वज़न मूली और आलू भून कर हस्बे ज़रूरत सोंफ़, नमक और काली मिर्च शामिल कर के इस्ति'माल करना गुर्दे के दर्द और पथरी के लिये मुफ़ीद है।⁽³⁾

सुवाल जिस्म में किसी जगह दर्द हो तो इस का रूहानी इलाज बयान कीजिये।

जवाब बदन में दर्द या किसी चीज़ की शिकायत हो तो तक्लीफ़ की जगह पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाह तीन बार और फिर सात मरतबा येह दुआ पढ़िये : **أَعُوذُ بِاللّٰهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَحَاطَ بِهِ** :⁽⁴⁾
पढ़ कर दम करना ज़रूरी नहीं।

सबक़ नम्बर 34

इयादत और मौत

सुवाल मुसलमान की बीमार पुरसी की फ़ज़ीलत बयान कीजिये।

जवाब हदीसे पाक में है : जो मुसलमान किसी मुसलमान की इयादत के लिये सुब्ह को जाए तो शाम तक और शाम को जाए तो सुब्ह तक उस के लिये 70 हज़ार फिरिश्ते मग़ि़रत की दुआ करते हैं और जन्नत में उस के लिये एक बाग़ होगा।⁽⁵⁾



1...مرقاة المفاتيح، 8/289، تحت الحديث: 4515

2...गीबत की तबाह कारियां, स. 153

3...घरेलू इलाज, स. 55

4...या'नी अल्लाह पाक और उस की कुदरत के साथ उस चीज़ के शर से पनाह चाहता हूं जिसे मैं पाता हूं और जिस से आइन्दा खौफ़ करता हूं। (الحسن البصين، ص 109)

5...ترمذی، کتاب الجنائز، باب ما جاء في عمادة المريض، 2/290، حديث: 971

सुवाल बीमारी और तक्लीफ में मुब्तला शख्स को कौन से दीनी फ़वाइद हासिल होते हैं ?

जवाब फ़रामीने मुस्तफ़ा ﷺ : (1) जब भी मोमिन की कोई रग चढ़ जाती है तो अल्लाह पाक उस का एक गुनाह मिटाता, एक नेकी लिखता और एक दरजा बुलन्द फ़रमाता है।⁽¹⁾ (2) जब बन्दा बीमार होता है या सफ़र पर जाता है तो उस के वोह आ'माल भी लिखे जाते हैं जो वोह तन्दुरुस्ती की हालत में किया करता था।⁽²⁾

सुवाल किस सूरत में मरीज़ की इयादत (बीमार पुरसी) नहीं करनी चाहिये ?

जवाब मरीज़ की इयादत करना सुन्नत है, लेकिन अगर मा'लूम है कि इयादत करने जाएगा तो उस बीमार पर गिरां गुज़रेगा (यानी ना गवार व तक्लीफ़ देह होगा) तो ऐसी हालत में इयादत न करे।⁽³⁾

सुवाल इयादत के वक़्त किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिये ?

जवाब इयादत करने जाए और मरज़ की सख़्ती देखे तो मरीज़ के सामने येह ज़ाहिर न करे कि तुम्हारी हालत ख़राब है और न सर हिलाए जिस से हालत का ख़राब होना समझा जाता है, उस के सामने ऐसी बातें करनी चाहिएं जो उस के दिल को अच्छी मा'लूम हों, उस की मिज़ाज पुरसी करे, उस के सर पर हाथ न रखे मगर जब कि वोह खुद इस की ख़्वाहिश करे।⁽⁴⁾

सुवाल येह दुआ⁽⁵⁾ "أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَنِي" किस वक़्त पढ़ी जाती है और इस का क्या फ़ाएदा है ?

जवाब येह दुआ इयादत के वक़्त पढ़ी जाती है। हदीसे पाक में है : जिस ने ऐसे मरीज़ की इयादत की जिस की मौत का वक़्त न आया हो पस इयादत करने वाला सात बार येह दुआ पढ़े तो अल्लाह पाक उसे उस मरज़ से शिफ़ा अता फ़रमा देगा।⁽⁶⁾

सुवाल जिन मुसलमानों के ना बालिग़ बच्चे फ़ौत हो जाएं उन के लिये क्या अज़्र है ?

जवाब हुज़ूर रहमते आलाम ﷺ ने इश्आद फ़रमाया : जिन मुसलमान वालिदैन के तीन बच्चे



1... مستدرک حاکم، کتاب الجنائز، باب تعزية اعرابی لم تأخذها الحی... 1/668، حدیث: 1324

2... مسند احمد، 7/161، حدیث: 19699

3... رد المحتار، کتاب الخطر والایابة، فصل فی الحج، 9/640

4... رد المحتار، کتاب الخطر والایابة، فصل فی الحج، 9/640

5... तरजमा : मैं अज़मत वाले, अशें अज़ीम के मालिक अल्लाह से तेरे लिये शिफ़ा का सुवाल करता हूँ।

6... ابو داود، کتاب الجنائز، باب الدعاء للمریض عند العیادة، 3/251، حدیث: 3106

फ़ौत हो जाएं तो **अल्लाह** पाक उन वालिदैन् को अपनी रहमत से जन्नत में दाख़िल फ़रमाएगा। सहाबए किराम **رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ** ने अर्ज़ की : अगर दो बच्चे फ़ौत हों तो ? इर्शाद फ़रमाया : दो हों तब भी येही फ़ज़ीलत है। अर्ज़ की : अगर एक बच्चा हो तो ? इर्शाद फ़रमाया : एक हो फिर भी येही फ़ज़ीलत है।⁽¹⁾

सवाल अचानक आने वाली मौत के मुतअल्लिक हदीसे पाक में क्या फ़रमाया गया है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये करीम, **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** इर्शाद फ़रमाते हैं कि अचानक मौत मोमिन के लिये राहत और फ़ाजिर (काफ़िर व फ़ासिक) के लिये पकड़ है।⁽²⁾

सवाल कौन सा शख़्स जन्नत में जा कर भी दुन्या में वापसी की तमन्ना करेगा ?

जवाब हदीस शरीफ़ में है कि शहीद इस बात की तमन्ना करेगा कि वोह फिर लौट कर दुन्या में जाए और दस मरतबा राहे खुदा में क़त्ल हो कर शहीद हो।⁽³⁾

सवाल हज़रत उमरे फ़ारूक **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ने हज़रते का'ब अह़बार **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** से जब मौत की सख़्तियों के बारे में पूछा तो उन्होंने ने क्या जवाब दिया ?

जवाब आप **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ने अर्ज़ की : ऐ अमीरुल मुअमिनीन **رَضِيَ اللهُ عَنْهُ** ! मौत एक ऐसी कांटेदार टहनी की तरह है जिसे किसी आदमी के पेट में दाख़िल किया जाए और उस का हर कांटा एक एक रग में पैवस्त हो जाए, फिर कोई ताक़त वर शख़्स उस टहनी को अपनी पूरी कुव्वत से खींचे तो उस टहनी की ज़द में आने वाली हर चीज़ कट जाए और जो ज़द में न आए वोह बच जाए।⁽⁴⁾

किसी की हालते नज़्अ देख कर करने वाले काम

सवाल किसी की हालते नज़्अ में किन चीज़ों का ख़याल रखना चाहिये ?

जवाब जां कनी की हालत में जब तक रूह गले को न आई उसे तल्कीन करें, तल्कीन करने वाला कोई नेक शख़्स हो, ऐसे वक़्त नेक और परहेज़ गार लोगों का उस के पास होना बहुत अच्छा है और उस



1...مسند احمد، مسند معاذ بن جبل، 8/254، حديث: 22151

2...شعب الایمان، باب فی الصبر علی المصائب، فصل فی النبی عن شق الثوب وطم الوجه، 7/255، حديث: 10218

3...بخاری، کتاب الجهاد، باب تمنی المجاهد ان یرجع الی الدنیا، 2/259، حديث: 2817

4...احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الباب الثالث، 5/210

वक्त वहां सूरए यासीन शरीफ की तिलावत और खुशबू होना मुस्तहब है, मसलन लोबान या अगर की बत्तियां सुलगा दें। मकान में कोई तस्वीर या कुत्ता न हो, अगर येह चीजें हों तो फौरन निकाल दी जाएं कि जहां येह होती हैं रहमत के फ़िरिश्ते नहीं आते, उस की नज़्अ के वक्त अपने और उस के लिये दुआए ख़ैर करते रहें, कोई बुरा कलिमा ज़बान से न निकालें कि उस वक्त जो कुछ कहा जाता है मलाएका उस पर आमीन कहते हैं।⁽¹⁾

सुवाल मय्यित की आंखें बन्द करते वक्त कौन सी दुआ पढ़नी चाहिये ?

जवाब بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِ أَمْرٌكَ وَسَهْلٌ عَلَيْهِ مَا بَعْدَكَ وَأَسْعَدُكَ بِإِقْلَاقِكَ وَأَجْعَلْ مَا خَرَجَ إِلَيْهِ خَيْرًا مِمَّا خَرَجَ عَنْهُ
तरजमा : अल्लाह पाक के नाम के साथ और रसूलुल्लाह ﷺ की मिल्लत पर। ऐ अल्लाह ! तू इस के काम को इस पर आसान फ़रमा, इस के बा'द वाले मुआमले को इस पर आसान बना, अपनी मुलाकात से इसे नेक बख़्त बना और जिस (आख़िरत) की तरफ़ येह गया है उस को इस (दुनिया) से बेहतर कर जिस से निकला है।⁽²⁾

सुवाल क्या मौत को भी मौत आएगी ?

जवाब जी हां ! जब जन्नती जन्नत में और जहन्नमी जहन्नम में चले जाएंगे तो उस वक्त मौत को जन्नत और जहन्नम के दरमियान मेंढे की शकल में ला कर ज़ब्द कर दिया जाएगा।⁽³⁾

सबक नम्बर 35

मय्यित के गुस्ल का बयान

मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत

सुवाल मय्यित को नहलाने देने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना जाबिर رضي الله عنه से रिवायत है कि ताजदारे रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صلی الله علیه وآله وسلم ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को गुस्ल दिया वोह अपने गुनाहों से ऐसा पाको साफ़ हो जाएगा जैसा उस दिन था जिस दिन उस की मां ने उसे जना था।⁽⁴⁾



1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/157، 4 : हिस्सा : 1/808، ہزارے شریعت،

2... در مختار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، 3/97

3... بخاری، کتاب التفسیر، باب وانذر ہم یوم الحسرة، 3/271، حدیث: 4730

4... معجم اوسط، 6/429، حدیث: 9292

गुस्ले मय्यित का तरीका

सुवाल गुस्ले मय्यित का तरीका बयान कीजिये ।

जवाब अगरबत्तियां या लोबान जला कर तीन या पांच या सात बार गुस्ल के तख्ते को धूनी दें यानी इतनी बार तख्ते के गिर्द फिराएं, तख्ते पर मय्यित को इस तरह लिटाएं जैसे कब्र में लिटाते हैं, नाफ़ से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें, (आज कल गुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाते हैं और इस पर पानी लगाने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथ्थई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एहतियात और नरमी से मय्यित का लिबास उतार लें । अब नहलाने वाला अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों तरफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुजू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुजू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूढ़ों, होंटों और नथनों पर फेर दें । फिर सर या दाढ़ी के बाल हों तो धोएं, साबुन या शेम्पू इस्ति'माल कर सकते हैं अब बाई (या'नी उलटी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुआ (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक बहाएं कि तख्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी तरह करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें । दोबारा वुजू और गुस्ल की हाज़त नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफ़ूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें । एक मरतबा सारे बदन पर पानी बहाना फ़र्ज़ है और तीन मरतबा सुन्नत, गुस्ले मय्यित में बे तहाशा पानी न बहाएं आख़िरत में एक एक क़तरे का हिसाब है येह याद रखें ।⁽¹⁾

इस्लामी बहन के गुस्ले मय्यित का तरीका

सुवाल इस्लामी बहनों के गुस्ले मय्यित का तरीका बयान कीजिये ।

जवाब गुस्ल व कफ़न के लिये इन चीज़ों का इन्तिज़ाम फ़रमा लें :

1 ...मदनी वसियत नामा, स. 12 माख़ूज़न

(1) गुस्ल का तख्ता (2) अगरबत्ती (3) माचिस (4) दो मोटी चादरें (कथई हो तो बेहतर हैं) (5) रूई (6) बड़े रूमाल की तरह के दो कपड़ों के पीस (इस्तिन्जा वगैरा के लिये) (7) दो बाल्टियां (8) दो मग (9) साबुन (10) बेरी के पत्ते (11) दो तोलिये (12) कफ़न का बिगैर सिला हुवा बड़े अर्ज़ का कपड़ा (13) कैंची (14) सूई धागा (15) काफूर (16) खुशबू।

अगरबत्तियां या लोबान जला कर तीन या पांच या सात बार गुस्ल के तख्ते को धूनी दें यानी इतनी बार तख्ते के गिर्द फिराएं, तख्ते पर मय्यित को इस तरह लिटाएं जैसे क़ब्र में लिटाते हैं, सीने से घुटनों समेत कपड़े से छुपा दें, (आज कल गुस्ल के दौरान सफ़ेद कपड़ा उढ़ाया जाता है और इस पर पानी लगने से मय्यित के सत्र की बे पर्दगी होती है लिहाज़ा कथई या गहरे रंग का इतना मोटा कपड़ा हो कि पानी पड़ने से सत्र न चमके, कपड़े की दो तहें कर लें तो ज़ियादा बेहतर) पर्दे की तमाम तर एहतियात और नरमी से मय्यित का लिबास उतारें। इसी तरह कील, बुन्दे या कोई और ज़ेवर भी नरमी से उतार लें, अब नहलाने वाली अपने हाथ पर कपड़ा लपेट कर पहले दोनों तरफ़ इस्तिन्जा करवाए (या'नी पानी से धोए) फिर नमाज़ जैसा वुजू करवाएं या'नी मुंह फिर कोहनियों समेत दोनों हाथ तीन तीन बार धुलाएं, फिर सर का मस्ह करें, फिर तीन बार दोनों पाउं धुलाएं, मय्यित के वुजू में पहले गट्टों तक हाथ धोना, कुल्ली करना और नाक में पानी डालना नहीं है, अलबत्ता कपड़े या रूई की फुरेरी भिगो कर दांतों, मसूदों, होंटों और नथनों पर फेर दें। फिर सर धोएं, साबुन या शेम्पू या दोनों इस्ति'माल किये जा सकते हैं (लेकिन इन के ज़ियादा इस्ति'माल से बालों में उलझाव पैदा होता है लिहाज़ा बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा पानी काफ़ी है)। अब बाई (या'नी उलटी) करवट पर लिटा कर बेरी के पत्तों का जोश दिया हुवा (जो अब नीम गर्म रह गया हो) और येह न हो तो ख़ालिस नीम गर्म पानी सर से पाउं तक बहाएं कि तख्ते तक पहुंच जाए फिर सीधी करवट लिटा कर इसी तरह करें फिर टेक लगा कर बिठाएं और नरमी के साथ नीचे को पेट के निचले हिस्से पर हाथ फेरें और कुछ निकले तो धो डालें। दोबारा वुजू और गुस्ल की हाज़त नहीं फिर आख़िर में सर से पाउं तक काफूर का पानी बहाएं फिर किसी पाक कपड़े से बदन आहिस्ता से पोंछ दें। गुस्ले मय्यित में बे तहाशा पानी न बहाएं आख़िरत में एक एक क़तरे का हि़साब है येह याद रखें।⁽¹⁾

नहलाने वाले के लिये मदनी फूल

सुवाल मय्यित को नहलाने वाले के लिये कुछ अहम बातें बताइये।



1...मदनी वसियत नामा, स. 12 माखूज़न

जवाब * नहलाने वाला बा तहारत हो । अगर जुनुबी शख्स (जिस पर गुस्ल फर्ज हो चुका हो) ने गुस्ल दिया तो कराहत है मगर गुस्ल हो जाएगा ।⁽¹⁾ * अगर बे वुजू ने नहलाया तो कराहत नहीं ।⁽²⁾ * बेहतर येह है कि नहलाने वाला मय्यित का सब से ज़ियादा करीबी रिश्तेदार हो, वोह न हो या नहलाना न जानता हो तो कोई और शख्स जो अमानत दार और परहेज़ गार हो ।⁽³⁾ * नहलाने वाले के पास खुशबू सुलगाना मुस्तहब है कि अगर मय्यित के बदन से बू आए तो उसे पता न चले वरना घबराएगा, नीज़ उसे चाहिये कि ब क़दरे ज़रूरत आ'जाए मय्यित की तरफ़ नज़र करे बिला ज़रूरत किसी उज़्व की तरफ़ न देखे कि मुम्किन है उस के बदन में कोई ऐब हो जिसे वोह छुपाता था ।⁽⁴⁾ * मर्द को मर्द नहलाए और औरत को औरत, मय्यित छोटा लड़का है तो उसे औरत भी नहला सकती है और छोटी लड़की को मर्द भी, छोटे से येह मुराद कि हद्दे शहवत को न पहुंचे हों ।⁽⁵⁾ * गुस्ले मय्यित के बा'द गुस्ल देने वाले को गुस्ल करना मुस्तहब है ।

सुवाल मय्यित को गुस्ल देने के लिये मशरिको मगरिब की سمت लिटाएं या शिमाल व जुनूब ?

जवाब हर तरह दुरुस्त है, असह्ह मज़हब के मुताबिक़ इस बारे में कोई ता'यीन व क़ैद नहीं लिहाज़ा जो सूरत मुयस्सर हो उस पर अमल करें ।⁽⁶⁾

सुवाल मय्यित के बाल काटना या कंधी करना कैसा ?

जवाब मय्यित की दाढ़ी या सर के बालों में कंधा करना या नाखुन तराशना या किसी जगह के बाल मूंडना, कतरना या उखाड़ना ना जाइज़ व मक़रूहे तहरीमी है बल्कि हुक्म येह है कि जिस हालत पर है उसी हालत में दफ़न कर दें, हां अगर नाखुन टूटा हो तो ले सकते हैं और अगर नाखुन या बाल तराश लिये तो कफ़न में रख दें ।⁽⁷⁾



1... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، 1/159

2... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، 1/159

3... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، 1/159

4... الجوهر النيرة، كتاب الصلوة، باب الجنائز، ص 131

5... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، 1/160

6... फ़तावा रज़विय्या, 9/91 माखूज़न

7... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنائز، 1/158 - سرد المختار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب في القراءة عند الميت، 3/104

सुवाल क्या शौहर अपनी फ़ौत शुदा बीवी को गुस्ल दे सकता है ?

जवाब शौहर का अपनी फ़ौत शुदा बीवी को गुस्ल देना ना जाइज है ।⁽¹⁾

सुवाल क्या बीवी अपने फ़ौत शुदा शौहर को गुस्ल दे सकती है ?

जवाब अगर शौहर मर गया और औरत इदते वफ़ात में है या शौहर ने तलाके रज्द दी थी और अभी इदत बाकी थी कि उस का इन्तिक़ाल हो गया तो इन सूरतों में औरत अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है क्यूं कि अभी वोह शौहर की ज़ौजियत में है ।⁽²⁾

सुवाल बा'दे गुस्ल, मय्यित के जिस्म से नजासत निकली तो क्या गुस्ल दोबारा दिया जाएगा ?

जवाब नहीं दिया जाएगा । दोबारा गुस्ल देने की मुत्लक़न किसी हाल में हाजत नहीं, अगर नजासत निकले तो वोह धो दी जाए ।⁽³⁾

सुवाल मय्यित के छोड़े हुए माल में तक्सीम की क्या तरतीब है ?

जवाब सब से पहले कफ़न फिर कर्ज़ फिर वसियत और इस के बा'द मीरास ।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 36

कफ़न पहनाने का बयान

तज्हीज़ो तक्फ़ीन की फ़ज़ीलत

तज्हीज़ो तक्फ़ीन के मुतअल्लिक़ दो अहादीस मुलाहज़ा कीजिये :

(1) हज़रते सय्यिदुना अबू उमामा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि नूर के पैकर, तमाम नबियों के सरवर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जिस ने किसी मय्यित को कफ़नाया (या'नी कफ़न पहनाया) तो **अल्लाह** पाक उसे सुन्दुस का लिबास (जन्नत का इन्तिहाई नफ़ीस रेशमी लिबास) पहनाएगा ।⁽⁵⁾

(2) अमीरुल मुअमिनीन हज़रत मौलाए काएनात सय्यिदुना अलिय्युल मुर्तज़ा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि सुल्ताने दो जहान, रहमते आलमिय्यान صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया कि जो किसी मय्यित को नहलाए, कफ़न पहनाए, खुशबू लगाए, जनाज़ा उठाए, नमाज़ पढ़े और जो नाक़िस बात नज़र आए



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/105

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی حدیث کل سبب... 3/106

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/158

4... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوة، باب الجنائز، ص 134

5... معجم کبیر للطبرانی، 8/281، حدیث 8078

उसे छुपाए वोह गुनाहों से ऐसे ही पाक हो जाता है जैसे पैदाइश के दिन था।⁽¹⁾

सुवाल तज्हीजो तक्फ़ीन से क्या मुराद है ?

जवाब तज्हीज के लुग़वी मा'ना हैं : सामाने ज़रूरत मुहय्या करना, आरास्ता करना और तक्फ़ीन के मा'ना हैं : कफ़न देना। मरने के बा'द इन्सान को जो लिबास पहनाया जाता है उसे कफ़न कहते हैं और तज्हीजो तक्फ़ीन से मुराद है मौत से ले कर दफ़न तक मय्यित के लिये जिन उमूर की हाजत होती है वोह तमाम उमूर बजा लाना। इस में मय्यित का गुस्ल, कफ़न, नमाज़े जनाज़ा, क़ब्र की खुदाई सब शामिल हैं।⁽²⁾

सुवाल मुसल्मान की तज्हीजो तक्फ़ीन का शर्ई हुक्म क्या है ?

जवाब मुसल्मान की तज्हीजो तक्फ़ीन फ़र्जे किफ़ायत है।

कफ़न के दरजे

सुवाल कफ़न के दरजे और कफ़ने ज़रूरत, कफ़ने किफ़ायत और कफ़ने सुन्नत की तफ़सील बयान कीजिये।

जवाब कफ़न के तीन दरजे हैं :

- (1) ज़रूरत (2) किफ़ायत (3) सुन्नत।

कफ़ने ज़रूरत

कफ़ने ज़रूरत मर्द व औरत दोनों के लिये येह कि जो मुयस्सर आए और कम अज़ कम इतना हो कि सारा बदन छुपा दे।⁽³⁾

कफ़ने किफ़ायत

कफ़ने किफ़ायत मर्द के लिये दो कपड़े हैं :

- (1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार

कफ़ने किफ़ायत औरत के लिये तीन कपड़े हैं :

- (1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) ओढ़नी या (1) लिफ़ाफ़ा (2) क़मीस (3) ओढ़नी⁽⁴⁾

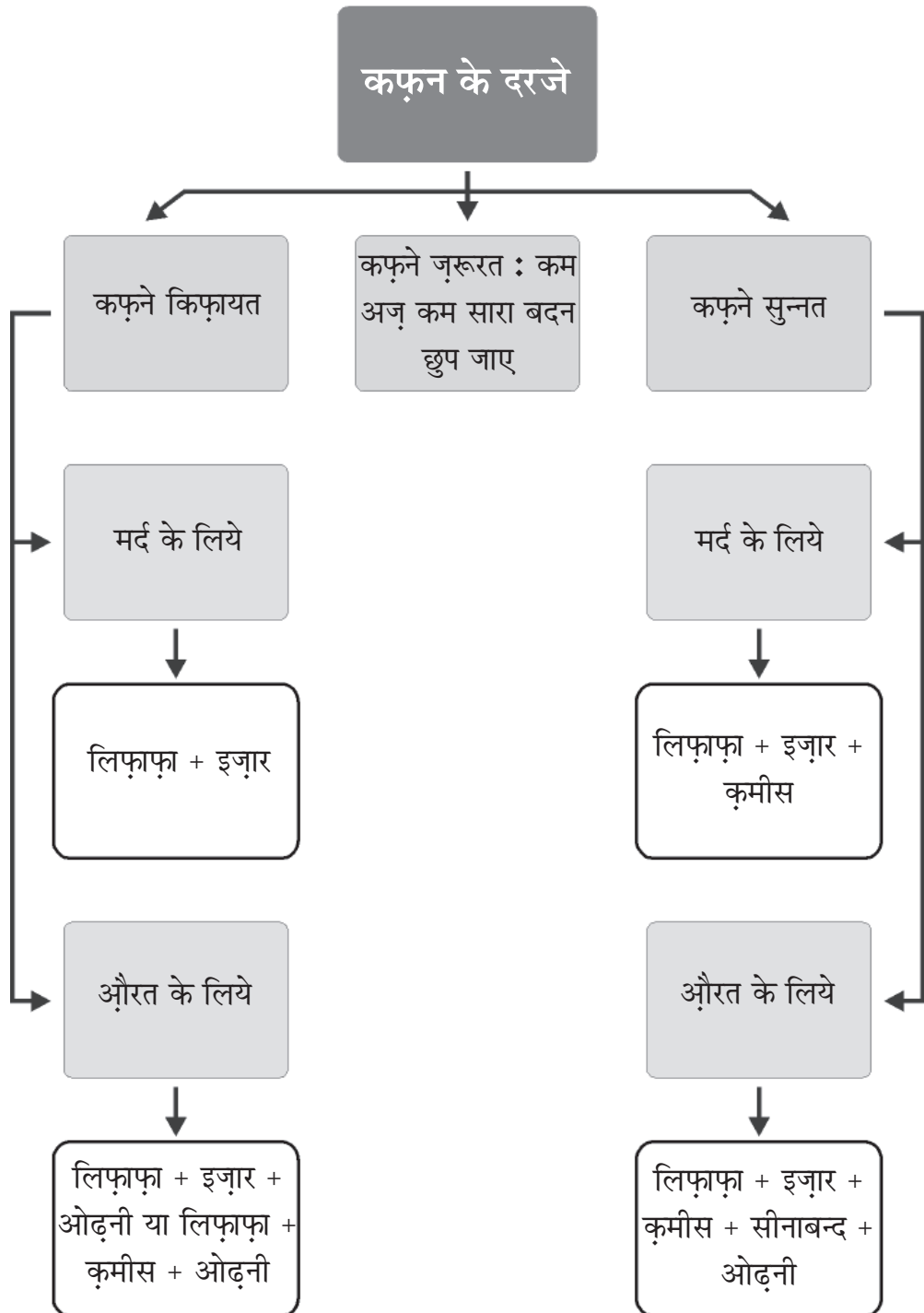


1... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ما جاء في غسل الميت، 2/201، حديث 1462

2... तज्हीजो तक्फ़ीन का तरीका, स. 14

3... در المختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز، 3/115

4... बहारे शरीअत, 1/817, हिस्सा : 4



कफ़ने सुन्नत

मर्द के लिये कफ़ने सुन्नत तीन कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) क़मीस

औरत के लिये कफ़ने सुन्नत पांच कपड़े हैं :

(1) लिफ़ाफ़ा (2) इज़ार (3) क़मीस (4) सीनाबन्द (5) ओढ़नी⁽¹⁾

खुन्सा मुश्किल (या'नी जिस में मर्द व औरत दोनों की अलामात हों और ये साबित न हो कि मर्द है या औरत) को औरत की तरह पांच कपड़े दिये जाएं मगर कुसुम या ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा और रेशमी कफ़न उसे ना जाइज़ है।⁽²⁾

बच्चों का कफ़न

सुवाल बच्चों को कौन सा कफ़न दिया जाए ?

जवाब जो ना बालिग़ हद्दे शहवत को पहुंच गया वोह बालिग़ के हुक्म में है या'नी बालिग़ को कफ़न में जितने कपड़े दिये जाते हैं उसे भी दिये जाएं और इस से छोटे लड़के को एक कपड़ा और छोटी लड़की को दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दे सकते हैं और लड़के को भी दो कपड़े (लिफ़ाफ़ा और इज़ार) दिये जाएं तो अच्छा है और बेहतर ये है कि दोनों को पूरा कफ़न दें अगर्चे एक दिन का बच्चा हो।⁽³⁾

कफ़न के कपड़ों की तफ़सील

सुवाल कफ़न के कपड़ों की तफ़सील और इन की मिक्दार क्या है ?

जवाब कफ़न के कपड़ों की तफ़सील ये है :

(1) लिफ़ाफ़ा या'नी चादर : मय्यित के क़द से इतनी बड़ी हो कि दोनों तरफ़ से बांध सकें।

(2) इज़ार (या'नी तहबन्द) : चोटी (या'नी सर के सिरे) से क़दम तक या'नी लिफ़ाफ़े से इतना छोटा जो बन्दिश के लिये जाइद था।

(3) क़मीस (या'नी कफ़नी) : गरदन से घुटनों के नीचे तक और ये आगे और पीछे दोनों तरफ़

¹ ... बहारे शरीअत, 1/817, हिस्सा : 4

² ... فتاوى هندية، كتاب الصلوة، الباب الحادي والعشرون في الجنازة، الفصل الثالث في التلفين، 1/161

³ ... رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطلب: في الكفن، 3/117

बराबर हो इस में चाक और आस्तीनें न हों। मर्द की कफ़नी कन्धों पर चीरें और औरत के लिये सीने की तरफ़।

(4) सीनाबन्द : पिस्तान से नाफ़ तक और बेहतर येह है कि रान तक हो।

(5) ओढ़नी : तीन हाथ होनी चाहिये या'नी डेढ़ गज़।⁽¹⁾

मर्द को कफ़न पहनाने का तरीक़ा

सुवाल मर्द को कफ़न पहनाने का तरीक़ा क्या है ?

जवाब कफ़न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस तरह बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़नी रखें। अब मय्यित को इस पर लिटाएं और कफ़नी पहनाएं, अब दाढ़ी पर (न हो तो ठोड़ी पर) और तमाम जिस्म पर खुशबू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं।

फिर तहबन्द उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब आखिर में लिफ़ाफ़ा भी इसी तरह पहले उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की तरफ़ बांध दें।⁽²⁾

औरत को कफ़न पहनाने का तरीक़ा

सुवाल औरत को कफ़न पहनाने का तरीक़ा क्या है ?

जवाब कफ़न को तीन या पांच या सात बार धूनी दे दें। फिर इस तरह बिछाएं कि पहले लिफ़ाफ़ा या'नी बड़ी चादर उस पर तहबन्द और उस के ऊपर कफ़नी रखें। अब मय्यित को इस पर लिटाएं और कफ़नी पहनाएं अब उस के बालों के दो हिस्से कर के कफ़नी के ऊपर सीने पर डाल दें और ओढ़नी को आधी पीठ के नीचे बिछा कर सर पर ला कर मुंह पर निकाब की तरह डाल दें कि सीने पर रहे। इस का तूल आधी पुश्त से नीचे तक और अर्ज़ एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक हो। बा'ज़ लोग ओढ़नी इस तरह उड़ाते हैं जिस तरह औरतें ज़िन्दगी में सर पर ओढ़ती हैं येह ख़िलाफ़े सुन्नत है। अब तमाम जिस्म पर खुशबू मलें, वोह आ'ज़ा जिन पर सज्दा किया जाता है या'नी पेशानी, नाक, हाथों, घुटनों और क़दमों पर काफ़ूर लगाएं (सत्र के मक़ाम को न तो देख सकते हैं, न बिला हाइल छू सकते

① ...बहारे शरीअत, 1/818, हिस्सा : 4

② ...मदनी वसियत नामा, स. 13

हैं)। फिर तहबन्द उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें। अब आखिर में लिफाफा भी इसी तरह पहले उलटी जानिब से फिर सीधी जानिब से लपेटें ताकि सीधा ऊपर रहे। सर और पाउं की तरफ बांध दें। फिर आखिर में सीनाबन्द पिस्तान के ऊपर वाले हिस्से से रान तक ला कर किसी डोरी से बांधें। (आज कल औरतों के कफ़न में भी लिफाफा ही आखिर में रखा जाता है तो अगर कफ़नी के बा'द सीनाबन्द रखा जाए तो भी कोई मुज़ायफ़ा नहीं मगर अफ़ज़ल है कि सीनाबन्द सब से आखिर में हो) ⁽¹⁾

सुवाल क्या मय्यित को ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा या रेशम का कफ़न पहनाया जा सकता है ?

जवाब ज़ा'फ़रान का रंगा हुवा या रेशम का कफ़न मर्द को मम्नूअ है और औरत के लिये जाइज़ या'नी जो कपड़ा ज़िन्दगी में पहन सकता है उस का कफ़न दिया जा सकता है और जो ज़िन्दगी में ना जाइज़ उस का कफ़न भी ना जाइज़। ⁽²⁾

सुवाल क्या मय्यित को पुराने कपड़े का कफ़न दिया जा सकता है ?

जवाब पुराने कपड़े का भी कफ़न हो सकता है, मगर पुराना हो तो धुला हुवा हो कि कफ़न सुथरा होना या'नी पसन्दीदा है। ⁽³⁾

अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न की वसियत करना

सुवाल क्या अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न के लिये वसियत करना जाइज़ है ?

जवाब जी हां जाइज़ है जैसा कि : जब हज़रते सय्यिदुना अमीरे मुआविया رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ का आखिरी वक़्त आया तो उन्होंने ने वसियत फ़रमाई कि उन्हें उस क़मीस में कफ़न दिया जाए जो हुज़ूर नबिये अकरम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने उन्हें अता फ़रमाई थी और येह उन के जिस्म से मुत्तसिल रखी जाए नीज़ आप के पास हुज़ूर रहमते दो आलम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के नाखुने पाक के कुछ तराशे भी थे उन के मुतअल्लिक वसियत फ़रमाई कि बारीक कर के उन की आंखों और मुंह में रख दिये जाएं। फ़रमाया : येह काम अन्जाम देना और मुझे अर्हमुराहिमीन के सिपुर्द कर देना। ⁽⁴⁾

1 ... मदनी वसियत नामा, स. 13

2 ... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، ص 134، فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/161

3 ... جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، ص 135

4 ... اسد الغابۃ، رقم 4977، معاویۃ بن ابی سفیان، 5/223

सबक नम्बर 37

नमाज़े जनाज़ा

नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फ़ज़ीलत

हुज़ूर सरवरे कौनैन, शहन्शाहे दारैन صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : मोमिन को सब से पहला तोहफ़ा येह दिया जाता है कि उस की नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वालों की मर्ग़िफ़रत कर दी जाती है।⁽¹⁾

नमाज़े जनाज़ा का शर्ई हुक्म

सुवाल नमाज़े जनाज़ा का शर्ई हुक्म क्या है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा फ़र्जे किफ़ायया है या'नी कोई एक भी अदा कर ले तो सब बरिय्युज्ज़िम्मा हो गए वरना जिन जिन को ख़बर पहुंची थी और नहीं आए वोह सब गुनहगार होंगे।⁽²⁾ इस के लिये जमाअत शर्त नहीं, एक शख़्स भी पढ़ ले तो फ़र्ज अदा हो गया।⁽³⁾ इस की फ़र्जियत का इन्कार कुफ़्र है।⁽⁴⁾

नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें कौन कौन सी हैं ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में दो रुकन हैं :

(1) चार बार الله أكبر कहना (2) क़ियाम

नमाज़े जनाज़ा में तीन सुन्नते मुअक्कदा हैं :

(1) सना (2) दुरूद शरीफ़ (3) मय्यित के लिये दुआ करना⁽⁵⁾



1... نوادر الاصول، الاصل الرابع والخمسون، 1/229، حديث: 342

2... فتاوى تاتارخانيه، كتاب الصلوة، الفصل الثانی والثلاثون فی الجنائز، 2/153

3... فتاوى هندیه، كتاب الصلوة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/162

4... در مختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/121

5... در مختار مع رد المحتار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز، 3/124

नमाज़े जनाज़ा का तरीका (हनफी)

शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत وَامَتْ بِرُكَاثُهُمُ الْعَالِيَةِ “नमाज़े जनाज़ा का तरीका” सफ़हा 8 पर जनाज़े की नमाज़ का तरीका यूं तहरीर फ़रमाते हैं :

मुक़्तदी इस तरह निय्यत करे : “मैं निय्यत करता हूं इस जनाज़े की नमाज़ की वासिते **अल्लाह** पाक के, दुआ इस मय्यित के लिये, पीछे इस इमाम के।”(1) अब इमाम व मुक़्तदी पहले कानों तक हाथ उठाएं और “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” कहते हुए फ़ौरन हस्बे मा’मूल नाफ़ के नीचे बांध लें और सना पढ़ें। इस में “**وَتَعَالَى جَدُّكَ**” के बा’द “**وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ**” पढ़ें फिर बिगैर हाथ उठाए “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” कहें फिर दुरूदे इब्राहीम पढ़ें फिर बिगैर हाथ उठाए “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” कहें और दुआ पढ़ें (इमाम तकबीरें बुलन्द आवाज़ से कहे और मुक़्तदी आहिस्ता, बाकी तमाम अज़कार इमाम व मुक़्तदी सब आहिस्ता पढ़ें) दुआ के बा’द फिर “**اللَّهُ أَكْبَرُ**” कहें और हाथ लटका दें फिर दोनों तरफ़ सलाम फेर दें।(2)

सना

سُبْحَنَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَجَلَّ شَأْنُكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

तरजमा : पाक है तू ऐ **अल्लाह** ! और मैं तेरी हम्द करता हूं, तेरा नाम बरकत वाला है और तेरी अज़मत बुलन्द है और तेरी ता’रीफ़ बरतर है और तेरे सिवा कोई मा’बूद नहीं।

दुरूदे इब्राहीम

**اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَبِيدٌ مَّجِيدٌ**

तरजमा : ऐ **अल्लाह** ! दुरूद भेज (हमारे सरदार) मुहम्मद पर और इन की आल पर जिस तरह तू ने दुरूद भेजा (सय्यिदुना) इब्राहीम पर और उन की आल पर बेशक तू ही है सब खूबियों वाला इज़्ज़त वाला। ऐ **अल्लाह** ! बरकत नाज़िल कर (हमारे सरदार) मुहम्मद पर और इन की आल पर जिस तरह तू ने बरकत नाज़िल की (सय्यिदुना) इब्राहीम और उन की आल पर बेशक तू ही है सब खूबियों वाला इज़्ज़त वाला।



1... فتاوى تاتارخانيه، كتاب الصلوة، الفصل الثانی والثلاثون فی الجنازہ، 2/153

2... बहारे शरीअत, 1/835, हिस्सा : 4 माखूज़न

(1) नियत

(2) तक्बीरे तहरीमा

(3) सना

(4) اللهُ أَكْبَرُ

जनाजा का तरीका

(5) दुरूदे इब्राहीमी

(6) اللهُ أَكْبَرُ

(7) दुआ

(8) اللهُ أَكْبَرُ

(9) सलाम

बालिग़ मर्द व औरत के जनाज़े की दुआ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا وَشَاهِدِنَا وَعَابِئِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرْنَا وَأُنْشَأْنَا (1)

اللَّهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَاحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ وَمَنْ تَوَقَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ

तरजमा : इलाही बख्श दे हमारे हर ज़िन्दा को और हमारे हर फ़ौत शुदा को और हमारे हर हाज़िर को और हमारे हर गाइब को और हमारे हर छोटे को और हमारे हर बड़े को और हमारे हर मर्द को और हमारी हर औरत को । इलाही तू हम में से जिस को ज़िन्दा रखे तो उस को इस्लाम पर ज़िन्दा रख और हम में से जिस को मौत दे तो उस को ईमान पर मौत दे ।

ना बालिग लड़के के जनाजे की दुआ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ نَافِرًا وَاجْعَلْهُ نَازِلًا وَاجْعَلْهُ لَنَا شَافِعًا وَمُشَفَّعًا (2)

तरजमा : इलाही ! इस (लड़के) को हमारे लिये आगे पहुंच कर सामान करने वाला बना दे और इस को हमारे लिये अन्न (का मूजिब) और वक्त पर काम आने वाला बना दे और इस को हमारी सिफारिश करने वाला बना दे और वोह जिस की सिफारिश मन्जूर हो जाए ।

ना बालिगा लड़की के जनाजे की दुआ

اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا نَافِطًا وَاجْعَلْهَا لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا وَاجْعَلْهَا لَنَا شَافِعَةً وَمُسْقِطَةً (3)

तरजमा : इलाही ! इस (लड़की) को हमारे लिये आगे पहुँच कर सामान करने वाली बना दे और इस को हमारे लिये अन्न (का मूजिब) और वक्त पर काम आने वाली बना दे और इस को हमारे लिये सिफारिश करने वाली बना दे और वोह जिस की सिफारिश मन्जूर हो जाए ।

मुतफ़रिक् मसाइल

नमाज़े जनाज़ा में चौथी तक्बीर के बाद हाथ छोड़ना

सुवाल नमाजे जनाजा में चौथी तक्बीर के बा'द जब इमाम सलाम फेरता है तो हाथ छोड़ने का तरीका क्या है ? या'नी दाई तरफ सलाम फेरते वक्त दायां हाथ और बाई तरफ सलाम फेरते वक्त बायां हाथ छोड़ें या दोनों एक साथ छोड़ दें ?



1... مستدرک حاکم، کتاب الجنائز، ادعية صلاة الجنائز، 1/684، حدیث 1366

2... كنز الدقائق، كتاب الصلوة، باب الجنائز، ص 52

3... جوهرۃ النيرة، کتاب الصلوة، باب الجنائز، ص 138 ماخوذاً

जवाब सहीह यह है कि जैसे ही इमाम जनाजे की चौथी तक्बीर कहे तो दोनों हाथ छोड़ दें फिर इस के बा'द सलाम फेरें, वजह इस की यह है कि क़ियाम में जहां ठहरना होता है या जहां ज़िक्र व तिलावत करनी होती है वहां हाथों को बांधेंगे और जहां ऐसा मुआमला नहीं है वहां हाथ नहीं बांधेंगे और चौथी तक्बीर के बा'द चूंकि कुछ ज़िक्र अज़्कार नहीं करना होता और न ही मज़ीद ठहरना होता है बल्कि तक्बीर के फ़ौरन बा'द सलाम फेरना होता है, इस लिये यहां हाथ बांधने की हाज़त नहीं जिस तरह कि ईदैन की तक्बीराते ज़ाइदा (ज़ाइद तक्बीरों) के दौरान कुछ नहीं पढ़ना होता इस लिये वहां हाथ नहीं बांधते।⁽¹⁾

ना महरम औरत के जनाजे को कन्धा देने का क्या हुक्म है ?

सवाल ग़ैर महरम औरत के जनाजे को कन्धा दे सकते हैं ?

जवाब जनाजे को कन्धा देना बाइसे अज़्रो सवाब काम है, जनाज़ा मर्द का हो या औरत का इस का कुछ फ़र्क नहीं। लिहाज़ा ग़ैर महरम औरत के जनाजे को भी कन्धा दिया जा सकता है। अलबत्ता क़ब्र में उतारने वाले महरिम होने चाहिए। येह न हों तो दीगर रिश्तेदार तदफ़ीन करें और येह भी न हों तो परहेज़ गार मुसल्मान क़ब्र में उतारें।

नीज़ औरत के जनाजे में मज़ीद येह एहतिyात भी की जाएगी कि उस के जनाजे की चारपाई किसी कपड़े से छुपी हुई और स्लेप या तख़्तों से क़ब्र बन्द होने तक उस की क़ब्र को किसी चादर से ढांप कर रखें।⁽²⁾

क्या औरतें नमाजे जनाज़ा पढ़ सकती हैं ?

सवाल क्या औरतें नमाजे जनाज़ा पढ़ने के लिये जनाजे के साथ जा सकती हैं ?

जवाब औरतों का नमाजे जनाज़ा पढ़ने के लिये जनाजे के साथ जाना, ना जाइज़ व गुनाह है, क्यूं कि हमारे नबी ﷺ ने जनाजे के साथ औरतों को जाने से मन्अ़ फ़रमाया, बल्कि ऐसी औरतों को सवाब से ख़ाली, गुनाह से भरी हुई फ़रमाया।

इमाम इब्ने माजह رحمه الله عليه अपने मज्मूअ़े अहदीस “सुनने इब्ने माजह” में नक़ल करते हैं : हज़रते अली رضي الله عنه से मरवी है, **रसूलुल्लाह** ﷺ तशरीफ़ लाए तो कुछ औरतें बैठी हुई थीं। आप ने फ़रमाया : तुम क्यूं बैठी हो ? अर्ज़ की : हम जनाजे का इन्तिज़ार कर रही हैं : फ़रमाया :

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 83

2 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 84

क्या तुम गुस्ल दोगी ? अर्ज की : नहीं । फ़रमाया : क्या तुम जनाज़ा उठाओगी ? अर्ज की : नहीं । फ़रमाया : क्या तुम मय्यित को क़ब्र में उतारोगी ? अर्ज की : नहीं । फ़रमाया : गुनाह से भरी हुई, सवाब से ख़ाली हो कर लौट जाओ ।⁽¹⁾ इमाम अब्दुरहमान जलालुद्दीन सुयूती رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “अल जामिउस्सगीर” में नक़ल करते हैं : गुनाह से भरी हुई, सवाब से ख़ाली लौट जाओ ।⁽²⁾

औरतों के जनाज़े के साथ जाने का हुक्म बयान करते हुए अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफ़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “दुर्रे मुख़्तार” में लिखते हैं : औरतों का जनाज़े के साथ जाना मक्रूहे तहरीमी है ।⁽³⁾ औरतों का जनाज़ा उठाने का हुक्म बयान करते हुए “अल अश्बाहि वन्नज़ाइर” में है, औरत जनाज़ा नहीं उठाएगी, अगर्चे औरत की मय्यित हो ।⁽⁴⁾

सदरुशशरीअह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “बहारे शरीअत” में लिखते हैं : औरतों को जनाज़े के साथ जाना, ना जाइज़ व मम्नूअ है ।⁽⁵⁾

जनाज़ा पढ़ कर दुआ कीजिये

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के बा'द दुआ करने के हवाले से आयात और अहदादीस बयान कीजिये ।

जवाब दुआ बहुत उम्दा इबादत है, बल्कि इबादतों का भी मग़ज़ है । कुरआने पाक में अल्लाह करीम ने कई मक़ामात पर बिगैर किसी वक़्त की पाबन्दी के अपने बन्दों को हुक्म फ़रमाया है ।

अल्लाह करीम पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत 186 में इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ
الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۚ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي
لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ﴿١٨٦﴾ (پ 2، البقرة: 186)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐ महबूब जब तुम से मेरे बन्दे मुझे पूछें तो मैं नज़्दीक हूँ दुआ क़बूल करता हूँ पुकारने वाले की जब मुझे पुकारे तो उन्हें चाहिये मेरा हुक्म मानें और मुझ पर ईमान लाएं कि कहीं राह पाएं ।



1... ابن ماجه، كتاب الجنائز، باب ماجاء في اتباع النساء الجنائز، 2/255، حديث: 1778

2... فيض القدير، 1/605، تحت الحديث: 939

3... در مختار، كتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/162

4... الاشباه والنظائر، ص 358

5... बहारे शरीअत, 1/823, हिस्सा : 4

इसी तरह पारह 24 सुरतुल मुअमिन की आयत 60 में अल्लाह करीम इर्शाद फ़रमाता है :

وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ
يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ
دُخْرَيْنَ ﴿٢٤﴾ (پ 24، المؤمن: 60)

तरजमए कन्जुल ईमान : और तुम्हारे रब ने फ़रमाया मुझ से दुआ करो मैं क़बूल करूंगा बेशक वोह जो मेरी इबादत से ऊंचे खिंचते (तकबुर करते) हैं अन्करीब जहन्नम में जाएंगे ज़लील हो कर ।

इन आयाते मुबारका में अल्लाह पाक ने बिगैर किसी वक़्त की कैद के अपने बन्दों को दुआ का हुक्म इर्शाद फ़रमाया है, लिहाज़ा बा'द नमाज़े जनाज़ा दुआ करनी चाहिये ।

हदीसे पाक में भी जनाज़ा पढ़ कर दुआ की तरगीब दिलाई गई है, चुनान्वे हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि सरकारे मदीना صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जब तुम मय्यित पर नमाज़ पढ़ लो तो उस के लिये खुलूसे दिल से दुआ करो ।⁽¹⁾

हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस हदीसे पाक के तहत फ़रमाते हैं : दुआ बा'द नमाज़े जनाज़ा सुन्नते रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ भी है और सुन्नते सहाबी भी । चुनान्वे नबी صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने शाहे हबशा नजाशी की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी और बा'द में दुआ मांगी, हज़रते अब्दुल्लाह बिन सलाम एक जनाज़े पर पहुंचे नमाज़ हो चुकी थी तो आप ने हाज़िरीन से फ़रमाया कि नमाज़ तो पढ़ चुके मेरे साथ मिल कर दुआ तो मांग लो । जिन फुक़हा ने इस दुआ से मन्अ किया उस की सूरत येह है कि सलाम के बा'द यूंही खड़े खड़े दुआ मांगी जाए जिस से आने वाले को नमाज़ का धोका हो या बहुत लम्बी दुआएं मांगी जाएं जिस से बिला वज्ह दफ़न में बहुत देर हो जाए ।

सुवाल नमाज़े जनाज़ा पढ़ने वाले के लिये क्या शराइत हैं ?

जवाब (1) नमाज़ी का नजासते हुक्मिया व हकीकिया⁽²⁾ से पाक होना, नीज़ उस के कपड़े और जगह का पाक होना (2) सत्रे औरत (3) क़िल्ला रुख़ होना (4) निय्यत ।⁽³⁾

सुवाल नमाज़े जनाज़ा के लिये मय्यित में किन शराइत का पाया जाना ज़रूरी है ?

जवाब (1) मय्यित का मुसल्मान होना (2) मय्यित के बदन और कफ़न का पाक होना (3) जनाज़े का वहां मौजूद होना या'नी (मय्यित के जिस्म का) कुल या अक्सर या निस्फ़ हिस्सा सर समेत मौजूद होना



1... الإوداد، کتاب الجنائز، باب الدعاء للیت، 3/282، حدیث: 3199

2... इन की ता'रीफ़ात और तफ़्सील जानने के लिये इसी किताब का सफ़हा 60 मुलाहज़ा कीजिये ।

3... رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی صلوة الجنائز، 3/121

(4) जनाज़ा ज़मीन पर रखा होना या हाथ पर हो मगर करीब हो (5) जनाज़ा नमाज़ी के आगे क़िबले की तरफ़ होना (6) मय्यित के बदन का वोह हिस्सा जिस का छुपाना फ़र्ज़ है उस का छुपा हुआ होना (7) मय्यित इमाम के महाज़ी हो या'नी उस के बदन का कोई हिस्सा इमाम के सामने हो।⁽¹⁾

सुवाल नमाज़े जनाज़ा की इमामत का हक़ किस को है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में इमामत का हक़ बादशाहे इस्लाम को है, फिर काज़ी, फिर इमामे जुमुआ, फिर इमामे महल्ला और फिर (मय्यित के) वली को। वली से पहले इमामे महल्ला को हक़ होना बतौर इस्तिहबाब है और येह भी उस वक़्त है जब महल्ले का इमाम वली से अफ़ज़ल हो वरना वली बेहतर है।⁽²⁾

सुवाल क्या खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी ?

जवाब अगर्चे खुदकुशी बहुत बड़ा गुनाह है लेकिन खुदकुशी करने वाले की नमाज़े जनाज़ा पढ़ी जाएगी।⁽³⁾

वोह लोग जिन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ है

सुवाल किन लोगों की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ है ?

जवाब (1) बागी जो इमामे बरहक़ पर नाहक़ ख़ुरूज करे और उसी बगावत में मारा जाए (2) वोह डाकू जो डाके में मारा गया (3) जो लोग अपनी क़ौम की नाहक़ हिमायत करते हुए लड़ें और मर जाएं (4) जिस ने कई लोग गला घोंट कर मार डाले (5) जो शहर में रात को हथियार ले कर लूटमार करें (6) जिस ने अपनी मां या बाप को मार डाला (7) जो किसी का माल छीन रहा था और इस हालत में मारा गया।⁽⁴⁾

सुवाल नमाज़े जनाज़ा में सूराए फ़ातिहा पढ़ना कब जाइज़ है ?

जवाब नमाज़े जनाज़ा में हम्दो सना की निय्यत से सूराए फ़ातिहा पढ़ना जाइज़ है।⁽⁵⁾

1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی صلوة الجنائز، 3/121 تا 123

2... طبی کبیر، فصل فی الجنائز، ص 584، 4 : हिस्सा، 1/836، इब्त शरीअत، बहारे

3... در مختار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/127

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب بل یستقر فرض... الخ، 3/125 تا 128 - فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الحادی والعشرون

فی الجنائز، 1/163

5... عمدة الراعی، کتاب الصلوة، باب الجنائز، 1/253

सुवाल जो शख्स चौथी तक्बीर के बा'द जनाजे में शामिल हुवा वोह क्या करे ?

जवाब जो शख्स चौथी तक्बीर के बा'द आया तो जब तक इमाम ने सलाम न फेरा हो शामिल हो जाए और इमाम के सलाम के बा'द तीन बार **الله أكبر** कह ले।⁽¹⁾

सुवाल जब कई जनाजे जम्अ हों तो एक साथ नमाज पढ़ी जाए या अलग अलग ?

जवाब कई जनाजे जम्अ हों तो एक साथ सब की नमाज पढ़ सकता है या'नी एक ही नमाज में सब की नियत कर ले और अफ़ज़ल येह है कि सब की अ़लाहदा अ़लाहदा पढ़े। अगर सब की एक साथ पढ़ीं तो इस बात का इख़्तियार है कि सब को आगे पीछे रखें या'नी सब का सीना इमाम के मुक़ाबिल हो या बराबर बराबर रखें या'नी एक के पाउं की तरफ़ दूसरे का सर हो और दूसरे के पाउं की तरफ़ तीसरे का सर हो। अगर आगे पीछे रखे तो इमाम के करीब उस का जनाजा हो जो सब में अफ़ज़ल हो फिर उस के बा'द जो अफ़ज़ल हो।⁽²⁾

नमाजे जनाजा दूसरी बार पढ़ना कैसा ?

सुवाल क्या एक मरतबा नमाजे जनाजा पढ़ने के बा'द दोबारा पढ़ी जा सकती है ?

जवाब अगर वली नमाजे जनाजा पढ़ चुका या उस की इजाज़त से एक बार नमाज हो चुकी तो अब दूसरों को मुल्लक़न जाइज़ नहीं, न उन को जो पढ़ चुके न उन को जो बाक़ी रहे।⁽³⁾ मगर जब वली के सिवा किसी ऐसे शख्स ने नमाज पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम न हो और वली ने उसे इजाज़त भी न दी थी तो अगर वली नमाज में शरीक न हुवा तो नमाज का इअ़ादा कर सकता है लेकिन इस दूसरी नमाज में वोही लोग जनाजा पढ़ सकते हैं जिन्हों ने पहले न पढ़ी हो, जो पहले शरीक थे अब वली के साथ नहीं पढ़ सकते और अगर ऐसे शख्स ने नमाज पढ़ाई जो वली पर मुक़द्दम है जैसे बादशाहे इस्लाम या काज़ी या महल्ले का वोह इमाम जो वली से अफ़ज़ल हो तो अब वली भी नमाज का इअ़ादा नहीं कर सकता।⁽⁴⁾



1... در مختار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/136

2... در مختار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/138

3... फ़तावा रज़विय्या، 9/318

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، 3/144. فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/163

सवाल अगर मय्यित को गुस्ल दिये बिगैर नमाज़े जनाज़ा पढ़ ली तो क्या हुक्म है ?

जवाब गुस्ल के बिगैर नमाज़ पढ़ी गई तो नहीं होगी लिहाज़ा मय्यित को गुस्ल दे कर दोबारा नमाज़ पढ़ें और अगर क़ब्र में रख चुके मगर अभी मिट्टी नहीं डाली गई तो क़ब्र से निकालें और गुस्ल दे कर नमाज़ पढ़ें और मिट्टी डाल चुके तो अब नहीं निकाल सकते लिहाज़ा अब उस की क़ब्र पर नमाज़ पढ़ें क्यूं कि गुस्ल न होने की वजह से पहली नमाज़ हुई ही नहीं थी और अब चूंकि गुस्ल ना मुम्किन है लिहाज़ा अब हो जाएगी।⁽¹⁾

सवाल जनाज़े के साथ चलते हुए किन उमूर को पेशे नज़र रखना चाहिये ?

जवाब जनाज़े के साथ चलने वालों को ख़ामोश रहना चाहिये। मौत, क़ब्र के हालात और होलनाकियों को पेशे नज़र रखें, दुन्या की बातें करें न हंसें और ज़िक्र करना चाहें तो दिल में करें। अब हालाते ज़माना के पेशे नज़र उलमाए किराम ने ज़िक्र बिल जहर (ब आवाज़े बुलन्द ज़िक्रो दुरूद और ना'त ख़वानी वगैरा) की भी इजाज़त दी है।⁽²⁾

सबक नम्बर 38

क़ब्र व दफ़न का बयान

सवाल मय्यित को दफ़न करने का शर्ई हुक्म क्या है ?

जवाब मय्यित को दफ़न करना फ़र्ज़ किफ़ायी है और दफ़न करने से मुराद येह है कि गढ़ा खोद कर उस में मय्यित रखें और ऊपर तख़्ते लगा कर मिट्टी भर दें, येह जाइज़ नहीं कि मय्यित को ज़मीन पर रख दें और चारों तरफ़ से दीवारें काइम कर के बन्द कर दें।⁽³⁾

तदफ़ीन में शिर्कत की फ़ज़ीलत

जो जनाज़े में शामिल हो और तदफ़ीन तक साथ रहे तो वोह अज़ीमुश्शान सवाब का हक़दार होगा चुनान्चे

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि ताजदारो रिसालत, शहन्शाहे नुबुव्वत صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : जो जनाज़े के साथ चला और तदफ़ीन तक साथ रहा **अल्लाह** पाक उस के लिये ऐसे तीन क़ीरात सवाब लिखेगा जिन में से हर क़ीरात जबले उहुद से बड़ा होगा।⁽⁴⁾



1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی صلوة الجنائز، 3/121

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلوة الجنائز، مطلب فی حمل المیت، 3/123

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوة، باب فی الجنائز، ... ارج، 1/165 - رد المحتار، کتاب الصلوة، باب صلاة الجنائز، مطلب فی دفن المیت، 3/163

4... معجم اوسط، 6/429، حدیث 9292

क़ब्र की किस्में

सुवाल क़ब्र की कितनी अक्लाम हैं ? मुकम्मल तफ़सील बताइये ।

जवाब बनावट के ए'तिबार से क़ब्र की दो किस्में हैं :

- (1) लहद (या'नी बग़ली क़ब्र) (2) शक़ (या'नी सन्दूक)

(1) लहद :

इसे बग़ली क़ब्र भी कहते हैं, इस के तय्यार करने का तरीक़ा येह है कि सन्दूक नुमा गढ़ा खोद कर उस में क़िब्ले की तरफ़ दीवार में इतनी जगह खोदें जिस में मय्यित को बा आसानी रखा जा सके । ख़याल रहे लहद सिर्फ़ सख़्त ज़मीन में ही बनाई जा सकती है नर्म ज़मीन में नहीं बन सकती ।

(2) शक़ :

येह सन्दूक (Box) की तरह होती है । इस का तरीक़ा येह है कि पहले एक बड़ा चौकोर गढ़ा चन्द इन्च खोदें (या'नी इतना गहरा कि उस में सिलें रखी जा सके) फिर उस के दरमियान में दूसरा चौकोर गढ़ा उस से छोटा, जो लम्बाई में मय्यित के क़द से कुछ ज़ियादा हो, चौड़ाई में मय्यित के क़द से आधा और गहराई में आदमी के क़द के बराबर या सीने तक हो । लहद सुन्नत है अगर ज़मीन इस क़ाबिल हो तो येही करें और नर्म तो सन्दूक में हरज नहीं ।⁽¹⁾

तदफ़ीन का तरीक़ा

सुवाल तदफ़ीन का तरीक़ा बयान कीजिये ।

जवाब ज़नाज़ा क़ब्र के क़रीब क़िब्ले की जानिब रखिये कि मुस्तहब है और मय्यित को क़िब्ले की जानिब ही से क़ब्र में उतारें, क़ब्र की पाइंती (या'नी पाउं की जानिब वाली जगह) रख कर सर की तरफ़ न लाएं ।⁽²⁾

* हस्बे ज़रूरत दो या तीन और बेहतर येह है कि क़वी और नेक आदमी क़ब्र में उतरें । औरत की मय्यित महारिम उतारें या'नी वोह जिन से उस औरत का निकाह हमेशा के लिये हराम था जैसे भाई,



1... فتاوىٰ هندیہ، کتاب الصلوٰۃ، باب فی الجنائز، 1/165

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاة الجنائز، مطلب: فی دفن المیت، 3/166

बेटा, बाप वगैरा, येह न हों तो दीगर रिश्तेदार, येह भी न हों तो परहेज गारों से उतरवाएं।⁽¹⁾

* औरत की मय्यित को उतारने से ले कर तख्ते लगाने तक किसी कपड़े से छुपाए रखें।⁽²⁾

* कब्र में उतारते वक्त येह दुआ पढ़ें :

بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ⁽³⁾

* मय्यित को सीधी करवट पर इस तरह लिटाएं कि उस का मुंह और सीना क़िब्ले की तरफ़ हो जाए।⁽⁴⁾

इस का आसान तरीका येह है कि मय्यित की पीठ के नीचे नर्म मिट्टी या रेत का तक्या सा बना दें और हाथ को करवट से अलग रखें। जहां इस में दिक्कत हो तो चित लिटा कर मुंह क़िब्ले को कर दें, अब अक्सर येही मा'मूल है।⁽⁵⁾

* अगर **مَعَاذَ اللَّهِ** ! मुंह ग़ैरे क़िब्ला की तरफ़ रहा और ऐसा सख़्त हो गया कि फिर नहीं सकता तो छोड़ दें और ज़ियादा तकलीफ़ न दें।⁽⁶⁾

* कफ़न की बन्दिश खोल दें कि अब ज़रूरत नहीं और न खोली तो भी हरज नहीं।⁽⁷⁾

* अलबत्ता जहां कफ़न की बन्दिश खोलने से सत्र खुलने और औरत की बे पर्दगी का अन्देशा हो तो हरगिज़ खोलने की इजाज़त नहीं।

* अगर मय्यित का मुंह देखने के लिये कि क़िब्ले की जानिब हुवा या नहीं, औरत का चेहरा खुलवाने की हाज़त हो तो येह एहतिyात मल्हूजे खातिर रहे कि किसी ना महरम की नज़र चेहरे पर न पड़े।

कफ़न की गिरह खोलने वाला येह दुआ पढ़े : **اللَّهُمَّ لَا تَخْرِمْ مَنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ**⁽⁸⁾ : ऐ अल्लाह ! हमें इस के अज़्र से महरूम न कर और हमें इस के बा'द फ़ितने में न डाल।



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، باب فی الجنائز، 1/166 المختصا

2... رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ الجنائز، مطلب: فی دفن المیت، 3/168 والجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، ص 140

3... تنویر الابصار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ الجنائز، 3/166

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ الجنائز، مطلب: فی دفن المیت، 3/166 ملقطا

5... فتاوا رجبیویا، 9/371 ملکتکتن

6... فتاوا رجبیویا، 9/372

7... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلاۃ الجنائز، مطلب: فی دفن المیت، 3/167 والجوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، ص 140

8... طحاوی علی مراقی الفلاح، کتاب الصلوٰۃ، باب احکام الجنائز، فصل فی حملہا ودفنہا، ص 609

* कब्र कच्ची ईंटों से बन्द कर दें अगर ज़मीन नर्म हो तो (लकड़ी के) तख्ते लगाना जाइज़ है।⁽¹⁾

* ज़हे नसीब ! सादाते किराम अपने रहमत भरे हाथों कब्र में उतार कर अर्हमुराहिमीन के सिपुर्द करें।⁽²⁾

क्या एक ही कब्र में मुतअद्द मुर्दों को दफ़न कर सकते हैं ?

सुवाल मुतअद्द लाशों को ब यक वक़्त एक बड़ी कब्र में दफ़न किया जा सकता है ?

जवाब अगर किसी हादिसे के सबब कसीर अम्वात व शहादतें हो गई हों तब भी हुक्म येही है हर एक लाश को अलग अलग कब्र में दफ़न किया जाए। बिना ज़रूरत एक कब्र में मुतअद्द लाशें दफ़न करना जाइज़ नहीं। अलबत्ता फुक़हाए किराम ने ज़रूरत की बिना पर एक कब्र में मुतअद्द मय्यितों को दफ़न करने का जवाज़ भी इर्शाद फ़रमाया है वोह ज़रूरतें दर्जे जैल हैं :

(1) लाशें ज़ियादा हों और दफ़न करने वाले कम हों। (2) तदफ़ीन करने वाले ज़ईफ़ अफ़राद हों कि हर एक के लिये अलग अलग कब्र नहीं खोद सकते कमज़ोरी और बढ़ जाएगी। (3) तदफ़ीन करने वाले इस से भी ज़ियादा ज़रूरी काम मसलन जंगी हालात में जिहाद वगैरा में मसरूफ़ हों तो इस तरह के ज़रूरत के मवाक़ेअ पर मजबूरन एक ही कब्र में एक से ज़ियादा मय्यितों को दफ़न कर सकते हैं।

इस का तरीक़ा कार येह होगा कि जानिबे क़िल्ला मय्यितों में जो अफ़ज़ल हो उस को रखेंगे जब कि सब मर्द या सब औरतें हों और मर्द औरत बच्चों की मय्यितें हों तो जानिबे क़िल्ला मर्द को रखेंगे फिर लड़के को फिर औरत को फिर ना बालिगा बच्ची को और हर एक के दरमियान मिट्टी वगैरा से आड़ कर देंगे।

अलबत्ता अपने मर्हूम अज़ीज़ की कब्र या उस के बराबर वाली किसी मुसल्मान की कब्र को खोद कर उस में नए मुर्दे की तदफ़ीन करना जाइज़ नहीं कि किसी भी मुसल्मान की कब्र को बिना ज़रूरत शरइय्या खोलना हराम है। और अक़िबा या'नी रिश्तेदारों की कब्रों का एक जगह होना कोई ज़रूरत शरइय्या नहीं कि जिस के बाइस किसी मुसल्मान की कब्र खोलना जाइज़ हो जाए।⁽³⁾



1... رواد المختار، كتاب الصلوة، باب صلاة الجنازة، مطلب: في دفن الميت، 167/3

2... मदनी वसियत नामा، स. 5

3... मुख्तसर फ़तावा अहले सुन्नत، स. 87

मिट्टी डालने का तरीका

सुवाल क़ब्र पर मिट्टी डालने का मुस्तहब तरीका बताइये नीज़ उस वक़्त क्या पढ़ना चाहिये ?

जवाब * हाज़िरीने जनाज़ा में से हर एक के लिये मुस्तहब है कि सिरहाने की तरफ़ से दोनों हाथों से तीन बार मिट्टी डालें। पहली बार कहें **مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ** (हम ने ज़मीन ही से तुम्हें बनाया) दूसरी बार **وَمِنْهَا نُعِيدُكُمْ** (और इसी में तुम्हें फिर ले जाएंगे) तीसरी बार **وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى** (और इसी से तुम्हें दोबारा निकालेंगे) कहें। अब बाकी मिट्टी फावड़े वगैरा से डाल दें।⁽¹⁾

* जितनी मिट्टी क़ब्र से निकली है उस से ज़ियादा डालना मकरूह है।⁽²⁾

* हाथ में जो मिट्टी लगी है उसे झाड़ दें या धो डालें इख़्तियार है।⁽³⁾

सुवाल मय्यित को ताबूत में रख कर दफ़न करना कैसा है ?

जवाब ताबूत कि मय्यित को किसी लकड़ी वगैरा के सन्दूक में रख कर दफ़न करें यह मकरूह है, मगर जब ज़रूरत हो मसलन ज़मीन बहुत तर है तो हरज नहीं और इस सूरत में ताबूत के मसारिफ़ (या'नी अख़्राजात) उस माल से लिये जाएं जो मय्यित ने छोड़ा है।⁽⁴⁾

सुवाल ताबूत में रख कर दफ़न करने का तरीका क्या है ?

जवाब अगर ताबूत में रख कर दफ़न करें तो सुन्नत यह है कि उस में मिट्टी बिछा दें और दाएं बाएं कच्ची ईंटें लगा दें और ऊपर मिट्टी की लिपाई कर दें, ग़रज़ यह कि अन्दर का हिस्सा लहद की तरह हो जाए।⁽⁵⁾

सुवाल मय्यित की तदफ़ीन कहां मुस्तहब है और क़ब्र किस जगह बनानी बेहतर है ?

जवाब जिस शहर या गाउँ वगैरा में इन्तिक़ाल हुवा वहीं के क़ब्रिस्तान में दफ़न करना मुस्तहब है अगरचें यह वहां रहता न हो बल्कि जिस घर में इन्तिक़ाल हुवा उस घर वालों के क़ब्रिस्तान में दफ़न



1... جوہرۃ النیرۃ، کتاب الصلوۃ، باب الجنائز، ص 141

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس فی القبر والدفن... إلخ، 1/166

3... بھارے شری اُت، 1/845، हिस्सा : 4

4... बहारे शरी अत, 1/843, हिस्सा : 4

5... رد المحتار، کتاب الصلوۃ، باب صلاة الجنائز، 3/165 ملخصاً

करें।⁽¹⁾ ऐसी जगह दफ़न करना बेहतर है जहां सालिहीन की क़ब्रें हों।⁽²⁾

सुवाल किन जगहों पर मुर्दा दफ़न करना हराम है ?

जवाब मालिक की इजाज़त के बिग़ैर उस की ज़मीन में नीज़ और जगह होते हुए पुरानी क़ब्र में मुर्दा दफ़न करना हराम है। यूँही मस्जिद ता'मीर होने के बा'द मस्जिद के सहून में भी मुर्दे को दफ़न करना हराम है।⁽³⁾

सुवाल क़ब्र में उतरने वाले अफ़राद कितने और कैसे हों ?

जवाब क़ब्र में उतरने वाले अफ़राद दो या तीन जो मुनासिब हों, कोई ता'दाद इस में ख़ास नहीं और बेहतर यह कि क़वी व नेक व अमीन हों कि कोई बात ना मुनासिब देखें तो लोगों पर ज़ाहिर न करें।⁽⁴⁾

सुवाल क़ब्र में शजरा व अहद नामा रखना कैसा नीज़ कफ़न पर लिखने की क्या बरकत है ?

जवाब शजरा या अहद नामा क़ब्र में रखना जाइज़ है और बेहतर यह है कि मय्यित के मुंह के सामने किब्ले की जानिब त़ाक़ खोद कर उस में रखें, बल्कि दुरें मुख़्तार में कफ़न पर अहद नामा लिखने को जाइज़ कहा है और फ़रमाया कि इस से मग़िफ़रत की उम्मीद है और मय्यित के सीने और पेशानी पर **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** लिखना जाइज़ है। यूँ भी हो सकता है कि पेशानी पर बिस्मिल्लाह शरीफ़ लिखें और सीने पर कलिमए तय्यिबा **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** मगर नहलाने के बा'द कफ़न पहनाने से पेशतर (या'नी पहले), कलिमे की उंगली से लिखें, रोशनाई से न लिखें।⁽⁵⁾

सुवाल क्या मय्यित के साथ तबर्कात रखे जा सकते हैं ?

जवाब जी हां रखे जा सकते हैं। जैसा कि हज़रते सय्यिदुना साबित बुनानी **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** का बयान है कि हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ** ने मुझ से फ़रमाया : यह मूए मुबारक हुज़ूर सय्यिदे आलम, नूरे मुजस्सम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का है इसे मेरी ज़बान के नीचे रख देना। मैं ने रख दिया और वोह

1 ... बहारे शरीअत, 1/846, 847, हिस्सा : 4

2 ... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، باب الجنائز، الجزء الاول، ص 141

3 ... फ़तावा रज़विyya, 9/379, 385, 407 माखूज़न

4 ... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصلوٰۃ، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، 1/166، 4 : हिस्सा : 4

5 ... در مختار مع رد المحتار، کتاب الصلوٰۃ، باب صلوٰۃ الجنائز، 3/185-186، 4 : हिस्सा : 4

यूँ ही दफ़न किये गए।⁽¹⁾ नीज़ हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के पास हुज़ूर ताजदारे दो जहान, रहमते आलमिय्यान صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की एक छड़ी थी वोह उन के सीने पर कमीस के नीचे उन के साथ दफ़न की गई।⁽²⁾

सुवाल बा'दे तदफ़ीन मय्यित के सिरहाने और पाउं की तरफ़ खड़े हो कर क्या पढ़ा जाए ?

जवाब मुस्तहब येह है कि दफ़न के बा'द क़ब्र पर सूरए बक़रह का अव्वल व आख़िर पढ़ें, सिरहाने مِنْ الرُّسُولِ तक और पाइंती (पाउं की जानिब) से ख़त्मे सूत तक पढ़ें।⁽³⁾

सुवाल दफ़न के बा'द क़ब्र के पास अज़ान देने से क्या फ़वाइद हासिल होते हैं ?

जवाब दफ़न के बा'द क़ब्र के पास अज़ान देने से मुर्दे को मुन्कर व नकीर के सुवालों का जवाब देने में आसानी होती है नीज़ मुर्दे की वदहशत और घबराहट दूर हो जाती है।⁽⁴⁾ तदफ़ीन के बा'द मय्यित के लिये सब से बड़ा इम्तिहान येह होता है कि उस से मुन्कर नकीर सुवालात करते हैं, उस वक़्त शैतान मय्यित को सुवालात के जवाबात में बहकाता है, जब कि अज़ान देने से शैतान दूर भाग जाता है जैसा कि बुख़ारी शरीफ़ की हदीसे पाक में है :

हज़रते अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे महबूब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जब मुअज़्ज़िन अज़ान कहता है तो शैतान गूज़ मारता हुवा भागता है।⁽⁵⁾

इसी तरह हज़रते सय्यिदुना जाबिर رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि हम लोग हज़रते सा'द बिन मुअज़ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ के दफ़न में गए, जब हुज़ूर नबिय्ये पाक صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ नमाज़े जनाज़ा पढ़ा चुके और वोह क़ब्र में उतारे गए और मिट्टी बराबर कर दी गई तो अल्लाह के महबूब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने तस्बीह पढ़ी और हम लोग भी देर तक तस्बीह पढ़ते रहे। फिर हुज़ूर सय्यिदे आलम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने तक्बीर पढ़ी और हम भी देर तक तक्बीर पढ़ते रहे तो किसी ने अज़ा किया : **या रसूलल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ !**



1... الاصابة، انس بن مالك، 1/275، 276، رقم: 277

2... تاريخ ابن عساکر، رقم: 829، انس بن مالك، 9/378

3... جوهر التمهيد، کتاب الصلوة، باب الجنائز، الجزء الاول، ص 141، 1/846، हिस्सा : 4 माखूज़न

4... फ़तावा रज़विय्या, 5/672 माखूज़न

5... بخاری، کتاب الاذان، باب فضل التّأذین، 1/222، حدیث: 608

आप ने तस्बीह व तक्बीर क्यूँ पढ़ी ? तो हुजूर नबिय्ये रहमत صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया कि इस बन्दए सालेह पर इस की क़ब्र तंग हो गई थी यहां तक कि **अल्लाह** पाक ने कुशादा फ़रमा दी।⁽¹⁾

सुवाल तदफ़ीन के बा'द क़ब्र के पास कितनी देर तक ठहरना मुस्तहब है ?

जवाब दफ़न के बा'द क़ब्र के पास इतनी देर तक ठहरना मुस्तहब है जितनी देर में ऊंट ज़ब्ह कर के गोशत तक्सीम कर दिया जाए कि इन के रहने से मय्यित को उन्स होगा और नकीरैन का जवाब देने में वहशत न होगी और इतनी देर तक तिलावते कुरआन और मय्यित के लिये दुआ व इस्तिफ़ार करें और येह दुआ करें कि सुवालाते नकीरैन के जवाब में साबित क़दम रहे।⁽²⁾

सुवाल रिश्तेदार की क़ब्र पर जाने के लिये क़ब्रों पर गुज़रना और क़ब्रिस्तान में जूते पहनना कैसा ?

जवाब अपने किसी रिश्तेदार की क़ब्र तक जाना चाहता है मगर क़ब्रों पर गुज़रना पड़ेगा तो वहां तक जाना मन्अ है, दूर ही से फ़ातिहा पढ़ दे, क़ब्रिस्तान में जूतियां पहन कर न जाए।⁽³⁾ एक शख्स को हुजूरे अक्दस صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने जूते पहने देखा तो फ़रमाया : जूते उतार दे।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 39

बा'दे तदफ़ीन तल्फ़ीन का बयान

सुवाल बा'दे तदफ़ीन तल्फ़ीन का मुकम्मल तरीका बयान कीजिये।

जवाब बा'दे तदफ़ीन तल्फ़ीन कीजिये कि येह सुन्नत है, हदीसे पाक में है : जब तुम्हारा कोई मुसल्मान भाई मरे और उस को मिट्टी दे चुको तो तुम में एक शख्स क़ब्र के सिरहाने खड़ा हो कर कहे : या फुलां बिन फुलाना ! वोह सुनेगा और जवाब न देगा। फिर कहे : या फुलां बिन फुलाना ! वोह सीधा हो कर बैठ जाएगा। फिर कहे : या फुलां बिन फुलाना ! वोह कहेगा : हमें इर्शाद कर, **अल्लाह** पाक तुझ पर रहम फ़रमाए। मगर तुम्हें उस के कहने की ख़बर नहीं होती। फिर कहे :

أَذْكُرُ مَا خَرَجْتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةً أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) وَأَنَّكَ

رَضِيتَ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نَبِيًّا وَبِالْقُرْآنِ إِمَامًا



1... مسند احمد، مسند جابر بن عبد الله، 5/142، حديث: 14879

2... جوہرۃ نیرۃ، کتاب الصلوٰۃ، الجزء الاول، ص 141، 4، 1/846، ہدیس : 14879

3... بھارے شری اُت، 1/848، ہدیس : 4

4... نواہر الاصول، الاصل الحادی عشر والمائتان، 4/476، حديث: 1071

तरजमा : तू उसे याद कर, जिस पर तू दुनिया से निकला या'नी येह गवाही कि **अल्लाह** पाक के सिवा कोई मा'बूद नहीं और मुहम्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم उस के बन्दे और रसूल हैं और येह कि तू **अल्लाह** के रब और इस्लाम के दीन और मुहम्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के नबी और कुरआन के इमाम होने पर राजी था ।

मुन्कर नकीर एक दूसरे का हाथ पकड़ कर कहेंगे : चलो हम उस के पास क्या बैठें जिसे लोग उस की हुज्जत सिखा चुके । इस पर किसी ने अर्ज की : **या रसूलल्लाह** (صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ! अगर उस की मां का नाम मा'लूम न हो ? फ़रमाया : तो हव्वा की तरफ़ निस्बत करे ।⁽¹⁾

याद रहे ! या फुलां बिन फुलाना की जगह मय्यित और इस की मां का नाम ले, मसलन या मुहम्मद इल्यास बिन अमीना और (अगर मय्यित इस्लामी बहन की हो तो मसलन) या फ़ातिमा बिनते हलीमा वगैरा नीज़ तल्कीन सिर्फ़ अरबी में की जाए ।

बा'ज अजिल्ला अइम्माए ताबिईन फ़रमाते हैं : जब क़ब्र पर मिट्टी बराबर कर चुकें और लोग वापस जाएं तो मुस्तहब समझा जाता था कि मय्यित से उस की क़ब्र के पास खड़े हो कर कहा जाए :

يا فُلان! قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (तीन बार)

तरजमा : ऐ फुलां ! तू कह कि **अल्लाह** के सिवा कोई मा'बूद नहीं ।

(नोट : यहां या फुलान ! की जगह मय्यित का नाम लें मसलन या इल्यास ! और या फ़ातिमा ! वगैरा) फिर कहा जाए : **قُلْ رَبِّيَ اللَّهُ وَوَيْلِيَ الْإِسْلَامُ وَرَبِّيَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ⁽²⁾ :

तरजमा : तू कह ! मेरा रब **अल्लाह** है और मेरा दीन इस्लाम है और मेरे नबी मुहम्मद صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم हैं ।

आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ ने इस पर इतना और इज़ाफ़ा किया :

وَأَعْلَمُ أَنَّ هَذَيْنِ الَّذِينَ آتَيْكَ أَوْ يَأْتِيَانِكَ إِنَّمَا هُوَ عَبْدَانِ لِلَّهِ لَا يَضُرُّانِ وَلَا يَنْفَعَانِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَلَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ وَاشْهَدْ أَنَّ رَبَّكَ اللَّهُ وَدِينُكَ الْإِسْلَامُ وَنَبِيِّكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثَبَّتْنَا اللَّهُ وَأَيَّاكَ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ-

तरजमा : और जान ले कि येह दो शख्स जो तेरे पास आए या आएंगे येह **अल्लाह** के बन्दे हैं बिगैर खुदा के हुक्म के न ज़रूर पहुंचाएं, न नफ़अ पस न ख़ौफ़ कर और न ग़म कर और तू गवाही दे कि तेरा रब



1... معجم كبير، 8/249، حديث 7979

2... شرح الصدور، باب: ما يقال عند الدفن والتفنين، ص 106

अल्लाह है और तेरा दीन इस्लाम है और तेरे नबी मुहम्मद ﷺ हैं अल्लाह हम को और तुझ को कौले साबित पर साबित रखे, दुनिया की जिन्दगी में और आखिरत में बेशक वोह बख़्शने वाला मेहरबान है।⁽¹⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

क़रीबी रिश्तेदारों का मय्थित के घर रुकना

सवाल कुछ लोगों के हां मय्थित होने पर सात दिन तक येह होता है कि दूर के रिश्तेदार चले जाते हैं, मगर क़रीबी रिश्तेदार और अहले ख़ाना घर बैठे रहते हैं, कामकाज वगैरा के लिये नहीं जाते, जो लोग ता'ज़ियत करने आते हैं उन से मिलते हैं और मय्थित के लिये दुआ करते हैं, इस दौरान बा'ज अवकात रोने धोने की नौबत भी आ जाती है। इस का क्या हुक्म है ?

जवाब बेहतर तो येह है कि ता'ज़ियत वुसूल करने के लिये किसी दिन भी न बैठा जाए और अगर बैठना ही हो तो अहले ख़ाना को तीन दिन तक ता'ज़ियत वुसूल करने के लिये घर में बैठने की बिला कराहत रुख़्सत व इजाज़त है जब कि कोई मम्मूअ काम न करें (मसलन उम्दा उम्दा बिछोने बिछाना, मय्थित की ता'रीफ़ में हृद से गुलू, ता'ज़ियत के वक़्त वोह बातें जो ग़मो अलम को ज़ियादा करें और मय्थित की भूली हुई बातें याद दिलाएं) और तीन दिन के बा'द इस ग़रज़ से बैठना मक्रूहे तन्ज़ीही है और मय्थित के लिये दुआ व ईसाले सवाब करना तो शर्ई तौर पर अच्छा अमल है, येह तो ज़ियादा से ज़ियादा होना चाहिये।⁽²⁾

सवाल ता'ज़ियत का मक्सद क्या है ?

जवाब ता'ज़ियत का बुन्यादी मक्सद लवाहिक्कीन के ग़म में शरीक हो कर उन्हें हौसला देना और उन्हें सब्र की तल्कीन करना है। ता'ज़ियत मस्नून अमल है और अगर क़रीबी रिश्ता हो तो सिलए रेहूमी के तकाज़े के पेशे नज़र ता'ज़ियत की अहम्मियत मज़ीद बढ़ जाती है यूंही हक्के पड़ोस और हक्के रफ़ाक़त या दोस्ती या साथ काम करना वगैरा वोह तअल्लुकात हैं जिन में ता'ज़ियत करना और लवाहिक्कीन को हौसला देना इन्तिहाई अहम अमल है। इस अमल से एक तरफ़ रिश्तेदारों या साथ उठने बैठने वालों से ता'ज़ियत करने, तसल्ली देने और मय्थित के लिये दुआ कर के लवाहिक्कीन के दिल में खुशी दाख़िल करने से लवाहिक्कीन पर पहाड़ जैसे सदमे का बोझ कम होता चला जाता है। तो दूसरी तरफ़ ता'ज़ियत करने वाला खुद ग़रज़ी और मतलब परस्ती का शिकार नहीं होता क्यूं कि जो इन्सान

1... बहारे शरीअत, 1/851, हिस्सा : 4 व फ़तावा रज़विय्या, 9/223

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 77

अपने रिश्तेदारों, दोस्त अहबाब और पड़ोसियों की खुशी ग़मी में शरीक होता है वोह मिलनसार कहलाता है और मिलनसार होना अख़्लाक़िय्यात में एक अच्छा वस्फ़ है। फ़ैजुल क़दीर में है : इमाम नववी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि ता'ज़ियत का मतलब येह है कि सब्र की तल्कीन की जाए और ऐसी बातें ज़िक्र की जाएं जो मय्यित के लवाहिक्कीन को तसल्ली दें और उन के ग़म और मुसीबत को हलका करें।⁽¹⁾

सुवाल ता'ज़ियत करते हुए क्या अल्फ़ाज़ बोले जाएं ?

जवाब ता'ज़ियत का तरीक़ा बयान करते हुए सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : “ता'ज़ियत में येह कहे : **अल्लाह** पाक मय्यित की मग़ि़रत फ़रमाए और उस को अपनी रहमत में ढांके और तुम को सब्र रोज़ी करे और इस मुसीबत पर सवाब अता फ़रमाए। नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इन लफ़्ज़ों से ता'ज़ियत फ़रमाई : **لِلّٰهُ مَا أَخَذَ وَأَعْطَىٰ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَدَّدٍ** खुदा ही का है जो उस ने लिया दिया और उस के नज़्दीक हर चीज़ एक मीआदे मुक़र्रर (वक्ते मुक़र्रर) के साथ है।”⁽²⁾

मशहूर मुफ़स्सिर, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “ता'ज़ियत के ऐसे प्यारे अल्फ़ाज़ होने चाहिए जिस से उस ग़मज़दा की तसल्ली हो जाए येह अल्फ़ाज़ भी कुतुबे फ़िक्ह में मन्कूल हैं। फ़कीर का तजरीबा है कि अगर इस मौक़अ पर ग़मज़दों को वाक़िआते करबला याद दिलाए जाएं और कहा जाए कि हम लोग तो खा पी कर मरते हैं वोह शाहज़ादे तो तीन दिन के रोज़ादार शहीद हुए तो बहुत तसल्ली होती है।”⁽³⁾

मय्यित को सर्दख़ाने में रखना

सुवाल कभी कोई क़रीबी अज़ीज़ बाहर के मुल्क में होता है तो उस को मय्यित का चेहरा दिखाने के इन्तिज़ार में मय्यित को सर्दख़ाने में रखा जाता है और बा'ज़ अवक़ात ला वारिस लाश सर्दख़ाने में रखी जाती है या मक़तूल की लाश रखी जाती है, इन तमाम सूरतों में मय्यित को सर्दख़ाने में रखना कैसा है ?



1... فیض القدير، 6/232، تحت الحديث: 8851

2... बहारे शरीअत, 1/852, हिस्सा : 4

3... मिरआतुल मनाजीह, 2/507

नोट : ला वारिस लाश और मक्तूल के मुतअल्लिक मा'लूमात येह हैं कि अगर ला वारिस लाश को बिगैर सर्दखाने में रखे दफन कर दिया जाए तो इस पर कोई गिरिफ्त नहीं होती बल्कि दफन कर सकते हैं यूंही मक्तूल के वुरसा को इख्तियार होता है वोह चाहें तो सर्दखाने में रखे बिगैर दफन कर दें ।

जवाब सुवाल में मज्कूर किसी सूरत में मय्यित को सर्दखाने में रखना जाइज नहीं है । तफ्सील इस में येह है कि जिस चीज से ज़िन्दा को तक्लीफ होती है उस चीज से मुर्दा को भी तक्लीफ होती है और जिस तरह ज़िन्दा को बिला वज्हे शर्इ तक्लीफ देना जाइज नहीं है इसी तरह मुर्दा को भी बिला वज्हे शर्इ तक्लीफ देना जाइज नहीं और सर्दखाने में अगर ज़िन्दा को थोड़ी देर के लिये रखा जाए तो उसे भी सख्त तक्लीफ होती है कि वहां टेम्प्रेचर माइनस में होता है लिहाजा इस से मय्यित को भी तक्लीफ होती है और किसी क़रीबी को मय्यित का चेहरा दिखाना वगैरा ऐसे आ'ज़ार नहीं कि जिन के लिये मय्यित को तक्लीफ देना जाइज हो सके ।

सर्दखाने में रखने से जो तक्लीफ होती है वोह क़ब्र पर पेशाब, पाखाने से होने वाली तक्लीफ और क़ब्र पर चलने की तक्लीफ से कहीं ज़ियादा है येह तो ब दरजए औला ना जाइज होगा । नीज इस में मय्यित की तज्हीजो तक्फीन में बिला वज्हे की ताखीर है जो कि मम्मूअ है ।⁽¹⁾

बड़ा हो या छोटा मुझ से बेहतर है

हज़रते सय्यिदुना बक्र बिन अब्दुल्लाह मुज़नी رضي الله عنه फ़रमाते हैं : अगर शैतान से तुम्हारा आमना सामना हो और वोह कहे कि तुझे फुलां मुसल्मान पर फ़ज़ीलत हासिल है तो गौर करो अगर वोह उम्र में तुम से बड़ा हो तो कहो : येह ईमान लाने और नेक आ'माल करने में मुझ से सब्कत ले गया, लिहाजा येह मुझ से बेहतर है । अगर छोटा हो तो कहो : मेरे गुनाह और ख़ताएं ज़ियादा हैं और मैं सज़ा का हक़दार हूं, लिहाजा येह मुझ से बेहतर है । पस मुसल्मानों में से जिसे भी तुम देखोगे ख़्वाह बड़ा हो या छोटा उसे खुद से बेहतर समझोगे । मज़ीद फ़रमाते हैं : अगर देखो कि मुसल्मान तुम्हारी ता'ज़ीम करते, अदबो एहतिराम से पेश आते और अच्छा सुलूक करते हैं तो कहो : येह ऐसी फ़ज़ीलत है जो इन के हिस्से में आई । अगर उन्हें जफ़ा करते और मुतनफ़िफ़र होते देखो तो कहो : येह किसी गुनाह की वज्हे से है जो मुझ से सादिर हुवा ।

(عليه الاولياء، 2/275، رقم: 2144)

सबक नम्बर 40

ज़कात का बयान

ज़कात इस्लाम का बुनियादी रुकन है, येह सिन 2 हिजरी में फ़र्ज हुई, एक कौल के मुताबिक़ कुरआने करीम में 32 मक़ामात पर नमाज़ और ज़कात का एक साथ ज़िक्र आया है।⁽¹⁾ पारह 1, सूरतुल बक़रह, आयत 43 में है :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكُوعُوا

الرُّكُوعَيْنِ ﴿٣٧﴾ (پ 1، البقرة: 43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और नमाज़ काइम रखो और

ज़कात दो और रुकूअ करने वालों के साथ रुकूअ करो ।

ज़कात की अहमियत पर दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

(1) : ज़कात इस्लाम का पुल है।⁽²⁾ (2) : अल्लाह पाक ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज की हैं, जो तीन अदा करे, वोह उसे कुछ फ़ाएदा न देंगी जब तक चारों अदा न की जाएं : * नमाज़ * ज़कात * रोज़ा * हज़।⁽³⁾

सुवाल ज़कात की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब ज़कात से मुराद शरीअत के मुक़रर कर्दा माल के एक हिस्से को अल्लाह पाक के लिये किसी मुसल्मान फ़कीर (मुस्तहिक्) को मालिक बना देना है जो हाशमी हो और न ही किसी हाशमी का आज़ाद कर्दा गुलाम हो और मालिक बनाने वाला उस माल से अपना नफ़अ बिल्कुल जुदा कर ले।⁽⁴⁾

सुवाल ज़कात की शर्ई हैसियत क्या है ?

जवाब ज़कात फ़र्ज है, इस का मुन्किर काफ़िर और अदा में ताख़ीर करने वाला गुनहगार है।⁽⁵⁾

ज़कात देने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल ज़कात देने के फ़ाएदे और सवाबात बयान कीजिये ।

जवाब * ज़कात देना जन्नत में ले जाने वाला काम है । * ज़कात देना तक्वे की अ़लामत है । * ज़कात देने से ईमान की ह़लावत (या'नी मिठास) मिलती और ईमान कामिल होता है, दो फ़रामीने

1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الزکاة، 3/202

2... معجم اوسط، 6/328، حدیث: 8937

3... مسند احمد، مسند الشاميين، 6/236، حدیث: 17804

4... تنوير الابصار، کتاب الزکاة، 3/203-206

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الزکاة، الباب الاول، 1/170 ملقطا

(1) तुम्हारे इस्लाम का पूरा होना यह है कि अपने माल की ज़कात अदा करो। **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** मुस्तफ़ा (2) जो तीन काम करे, ईमान की हलाकत (या'नी मिठास) पा लेगा, उन में एक खुशदिली से ज़कात देना भी इर्शाद फ़रमाया। **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** * ज़कात देना “सिद्दीकीन (औलियाए किराम की बहुत आ'ला किस्म)” तक पहुंचने का ज़रीआ है, रिवायत है, एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में अर्ज किया : मैं अल्लाह पाक के एक होने और आप के **रसूलुल्लाह** होने की गवाही देता, पांचों नमाज़ें पढ़ता, रमज़ान के रोज़े रखता और ज़कात देता हूँ। आप **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने फ़रमाया : जिसे इस हालत पर मौत आए, वोह सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** * ज़कात देना फ़लाह (या'नी काम्याबी) पाने का ज़रीआ है। * ज़कात देने से माल पाक होता है। * ज़कात देने से माल की हिफ़ाज़त होती है, फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** : ज़कात दे कर अपने माल को मज़बूत कल्लों में कर लो। **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** * ज़कात देने से माल बढ़ता है। * ज़कात देने से ग़रीबों की दुआएं मिलती हैं। * ज़कात देने से बुख़ल और लालच से नजात मिलती है। * ज़कात देने से मअ़ाशी बोहरान ख़त्म होता, ग़रीबों की मदद होती, मुसल्मानों में भाईचारा मज़बूत होता और मुअ़ाशरे में इज्तिमाइय्यत को फ़रोग़ मिलता है। * बर वक़्त और दुरुस्त तरीक़े से ज़कात देना बहुत से लोगों को भूक से नजात देता, कई घरों को बरबाद होने से बचाता बल्कि बहुत सारों को खुदकुशी के गुनाह से बचा लेता है।

ज़कात न देने की वईदात व नुक्सानात

सुवाल ज़कात अदा न करने की वईदात और नुक्सानात बयान कीजिये।

जवाब कुरआने करीम में ज़कात अदा न करने की सख़्त वईदात बयान हुई हैं। चुनान्वे इर्शादे बारी है :

وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يَنْفِقُونَهَا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ يَوْمَ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह कि जोड़ कर रखते हैं सोना और चांदी और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें खुश ख़बरी सुनाओ दर्दनाक अज़ाब की



1... الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، باب الترغيب في اداء الزكاة، 1/301، حديث: 12

2... البوداود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، 2/148، حديث: 1582

3... ابن خزيمة، كتاب الصيام، باب في فضل قيام رمضان... إلخ، 3/340، حديث: 2212

4... معجم اوسط، 1/532، حديث: 1963

يُحْطَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
وَجُنُوبُهُمْ وَعُظُّوهُمْ هَذَا مَا كُنْتُمْ لَا تَفْقَهُونَ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٣٥﴾ (پ 10، التوبة: 34-35)

जिस दिन वोह तपाया जाएगा जहन्नम की आग में फिर उस से दागेगे उन की पेशानियां और करवटें और पीठें यह है वोह जो तुम ने अपने लिये जोड़ कर रखा था अब चखो मज़ा इस जोड़ने का ।

* ज़कात न देना हाराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है । * रोज़े क़ियामत ज़कात न देने वाले के हिसाब में सख्ती की जाएगी और उसे दर्दनाक अज़ाब होगा ।⁽¹⁾

ज़कात न देने के दर्दनाक अज़ाबात का खुलासा

जिस सोने चांदी की ज़कात न दी जाए, रोज़े क़ियामत जहन्नम की आग में तपा कर उस से ज़कात न देने वाले की पेशानी, करवटें और पीठ दागी जाएगी, उस के सरे पिस्तान पर जहन्नम का गर्म पथ्थर रखा जाएगा कि छाती तोड़ कर कन्धे की हड्डी से निकल जाएगा, कन्धे की हड्डी पर रखा जाएगा तो हड्डियां तोड़ता सीने से निकल आएगा, पीठ तोड़ कर करवट से निकल जाएगा, गुद्दी तोड़ कर पेशानी से उभरेगा, जिस माल की ज़कात न दी जाएगी रोज़े क़ियामत पुराना ख़बीस खूंख़ार अज़्दहा (या'नी बहुत बड़ा सांप) बन कर उस के पीछे दौड़ेगा, येह हाथ से रोकेगा, वोह हाथ चबा लेगा, फिर गले में तौक बन कर पड़ेगा, उस का मुंह अपने मुंह में ले कर चबाएगा और कहेगा : मैं हूं तेरा माल ! मैं हूं तेरा ख़ज़ाना ! फिर उस का सारा बदन चबा डालेगा । *⁽²⁾ وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (3) ज़कात न देना माल बरबाद होने और उस में बरकत न रहने का सबब है । दो फ़रामीने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (1) : खुशकी व तरी में जो माल ज़ाएअ होता है, ज़कात न देने के सबब तलफ़ होता है ।⁽³⁾ (2) ज़कात का माल जिस में मिले, उसे तबाह कर डालता है⁽⁴⁾ (या'नी ज़कात फ़र्ज हुई और अदा न की और ज़कात का रुपिया अपने माल में मिलाए रखा तो येह हाराम उस हलाल को हलाक कर देगा) ।⁽⁵⁾ * ज़कात न देना आफ़तें आने का सबब है कि



1 ... مجمع اوسط، 2/375، حدیث: 3579

2 ... फ़तावा रज़विyya, 10/153 मुलख़ब्सन

3 ... مجمع الزوائد، کتاب الزکاة، باب فرض الزکاة، 3/200، حدیث: 4335

4 ... شعب الایمان، باب فی الزکاة، 3/273، حدیث: 3522

5 ... बहारे शरीअत, 1/871, हिस्सा : 5 मुलख़ब्सन

हदीसे मुबारका में है : जो कौम ज़कात न दे, **अल्लाह** पाक उसे कहूँ में मुब्तला फ़रमा देगा।⁽¹⁾ एक रिवायत में है : जब लोग ज़कात नहीं देते **अल्लाह** पाक बारिश रोक लेता है, ज़मीन पर जानवर न होते तो आस्मान से एक क़तरा भी पानी न गिरता।⁽²⁾

सवाल ज़कात किस पर और कब वाजिब होती है ?

जवाब ज़कात वाजिब होने की दस शराइत हैं : (1) मुसल्मान होना (2) बुलूग़ (3) अक्ल (4) आज़ाद होना (5) माल ब क़दरे निसाब उस की मिल्क में होना, अगर निसाब से कम है तो ज़कात वाजिब न हुई (6) पूरे तौर पर उस का मालिक हो या'नी उस पर क़ाबिज़ भी हो (7) निसाब का दैन से फ़ारिग़ होना (8) निसाब हाज़ते अस्लिय्या से फ़ारिग़ हो (9) माले नामी होना या'नी बढ़ने वाला ख़्वाह हकीक़तन बढ़े या हुक्मन (10) साल गुज़रना, साल से मुराद क़मरी साल है या'नी चांद के महीनों से बारह (12) महीने।⁽³⁾

सवाल हाज़ते अस्लिय्या से क्या मुराद है ?

जवाब हाज़ते अस्लिय्या या'नी जिस की तरफ़ ज़िन्दगी बसर करने में आदमी को ज़रूरत है इस में ज़कात वाजिब नहीं, जैसे रहने का मकान, जाड़े गर्मियों में पहनने के कपड़े, ख़ानादारी के सामान, सुवारी के जानवर, आलाते हर्ब, पेशावरों के औज़ार, अहले इल्म के लिये हाज़त की किताबें, खाने के लिये गुल्ला।⁽⁴⁾

सवाल क्या हाज़ते अस्लिय्या पूरी करने के लिये जम्अ की गई रक़म पर भी ज़कात है ?

जवाब हाज़ते अस्लिय्या में खर्च करने के रुपै रखे हैं तो साल में जो कुछ खर्च किया किया और जो बाकी रहे अगर ब क़दरे निसाब हैं तो उन की ज़कात वाजिब है, अगर्चे इसी निय्यत से रखे हैं कि आइन्दा हाज़ते अस्लिय्या ही में सर्फ़ होंगे और अगर साले तमाम (या'नी साल मुकम्मल होने) के वक़्त हाज़ते अस्लिय्या में खर्च करने की ज़रूरत है तो ज़कात वाजिब नहीं।⁽⁵⁾



1... मजूम औसुत, 3/275, हदीथ: 4577

2... ابن ماجه، كتاب الفتن، باب العقوبات، 4/368، हदीथ: 4019

तवज्जोह फ़रमाइये ! ज़कात की तफ़सीली मा'लूमात जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की इन कुतुब “फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, फैज़ाने ज़कात, सदक़ए फ़ित्र और ज़कात की अहम मा'लूमात” का मुतालआ बेहद मुफ़ीद रहेगा। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

3... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 72, 73

4... बहारे शरीअत, 1/880, 881, हिस्सा : 5 मुल्लतक़तन

5... رد المحتار، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة ثمن المبیع وفاء، 3/213، ملخصاً، بहारे शरीअत, 1/881, हिस्सा : 5

सुवाल ज़कात के मसारिफ़ क्या हैं ?

जवाब ज़कात के मसारिफ़ सात (7) हैं : (1) फ़कीर (2) मिस्कीन (3) आमिल (ज़कात वसूल करने के लिये हाकिमे इस्लाम का मुक़र्रर कर्दा शख़्स) (4) रिक़्ाब (मुकातब गुलाम) (5) ग़ारिम (मद्यून/मक़्रूज़) (6) फ़ी सबीलिल्लाह (जिहाद या हज़ का इरादा रखने वाला या तालिबे इल्म वगैरा) और (7) इब्ने सबील (मुसाफ़िर जिस के पास माल न रहा) ।⁽¹⁾

सुवाल क्या रिश्तेदारों को ज़कात दी जा सकती है ?

जवाब रिश्तेदारों में से कोई हाजत मन्द और शर्ई फ़कीर हो तो उस को ज़कात देना अफ़ज़ल है मगर इन को देने की चन्द शराइत हैं : (1) सय्यिद या हाशिमि न हो (2) वालिदैन् (3) या अपनी औलाद में से न हों (4) मियां बीवी न हों (5) ऐसा ना बालिग़ न हो जिस का वालिद ग़नी (साहिबे निसाब मालदार) हो। इन के इलावा भाई, बहन, सास, सुसर, बहू, दामाद, ख़ाला, फूफी, चचा, मामूं। इन सब को ज़कात देना जाइज़ है बशर्ते कि मुस्तहिक् हों (या'नी उन को ज़कात लगती हो) ।⁽²⁾

सुवाल बेंक की तरफ़ से काटी गई ज़कात अदा हो जाएगी या नहीं ?

जवाब अदाएगिये ज़कात के लिये ज़रूरी है कि ज़कात देने की निय्यत पाई जाए और येह भी लाज़िम है कि ज़कात शर्ई तकाज़े के मुताबिक़ अपने मसरफ़ पर खर्च हो। बेंक से ज़कात कटने पर न तो मालिक की निय्यत की शर्त पाई जाती है और न ही हुकूमत शर्ई मसरफ़ के मुताबिक़ ज़कात खर्च करती है लिहाज़ा पूछी गई सूरत में ज़कात अदा नहीं होती ।⁽³⁾

हज़रते फ़िब्ला मुफ़्ती वक़ारुद्दीन् رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस का जवाब देते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : हुकूमत माले ज़कात वसूल कर के जिस तरह खर्च करती है वोह सहीह नहीं। ज़ियादा रुपिया ऐसी जगह खर्च किया जाता है जहां कोई मालिक नहीं होता लिहाज़ा ज़कात अदा नहीं होती ।⁽⁴⁾

सुवाल क्या प्लोट पर ज़कात होती है ?

① ... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 370

② ... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 399

③ ... फ़तावा अहले सुन्नत, किताबुज्ज़काह, स. 198

④ ... वक़ारुल फ़तावा, 2/414

जवाब अगर प्लोट बेचने की निय्यत से लिये थे तो उन पर ज़कात होगी वरना नहीं।⁽¹⁾

सवाल घर में इस्लामी किताबें मौजूद हों मसलन किसी ने घर में मदनी लायब्रेरी बनाई और वोह किताबें इतनी हैं कि ज़कात के निसाब तक उन की मालिय्यत पहुंच गई तो क्या उन किताबों पर ज़कात वाजिब होगी ?

जवाब सिर्फ़ तीन किस्म के अम्वाल पर ज़कात फ़र्ज होती है : (1) समन या'नी सोना चांदी तमाम ममालिक की करन्सी और बौडज़ भी इसी में शामिल हैं (2) माले तिजारत (3) और चराई के जानवर ।

पूछी गई सूरत में वोह इस्लामी किताबें जैसा कि माले तिजारत नहीं हैं या'नी उन को बेचने की निय्यत से ख़रीदा नहीं गया है तो उन किताबों पर ज़कात अस्लन वाजिब नहीं चाहे वोह लाखों की मालिय्यत ही की क्यूं न हों।⁽²⁾

सवाल शादी करने, या हज़ उम्रे के लिये जाने या मकान ख़रीदने के लिये जम्अ की गई रक़म पर ज़कात है ?

जवाब अगर येह रक़म तन्हा या दूसरे माले ज़कात से मिल कर निसाब के बराबर है और इस पर साल भी गुज़र चुका है तो इस जम्अ की गई रक़म पर ज़कात है।⁽³⁾

सवाल क्या औरत के इस्ति'माली ज़ेवरात की भी ज़कात निकालनी होगी ?

जवाब जी हां, इन में भी ज़कात है अगर वोह इस्ति'माल में हों।⁽⁴⁾

सवाल क्या मुस्तहिक् को ज़कात देते वक़्त ज़कात कह कर देना ज़रूरी है ?

जवाब ज़कात देने में इस की ज़रूरत नहीं कि फ़कीर को ज़कात कह कर दे, बल्कि सिर्फ़ निय्यते ज़कात काफी है यहां तक कि अगर हिबा या क़र्ज़ कह कर दे और निय्यत ज़कात ही हो अदा हो गई । बा'ज़ मोहताज ज़रूरत मन्द ज़कात का रुपिया नहीं लेना चाहते, उन्हें ज़कात कह कर दिया जाएगा तो नहीं लेंगे लिहाज़ा ज़कात का लफ़ज़ न कहे।⁽⁵⁾

1... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 121

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 91

3... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 100, फ़ैज़ाने ज़कात, स. 47, 48

4... फ़तावा अहले सुन्नत, अहकामे ज़कात, स. 303, 361 نور الايضاح، کتاب الزكاة، ص

5... बहारे शरीअत, 1/890, हिस्सा : 5 मुल्तक़तन

सुवाल क्या ज़कात की निय्यत से किसी शर्ई फ़कीर को खाना खिलाने से ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब मुबाह कर देने से ज़कात अदा न होगी मसलन फ़कीर को ब निय्यते ज़कात खाना खिला दिया ज़कात अदा न हुई कि मालिक कर देना नहीं पाया गया, हां अगर खाना दे दिया कि चाहे खाए या ले जाए तो अदा हो गई। यूंही ब निय्यते ज़कात फ़कीर को कपड़ा दे दिया या पहना दिया अदा हो गई।⁽¹⁾

सुवाल कोई शै गिरवी रखवाई तो उस की ज़कात कौन अदा करेगा ?

जवाब जो चीज़ गिरवी रखवाई गई है उस की ज़कात न गिरवी रखवाने वाले पर लाज़िम है और न ही जिस के पास गिरवी रखवाई गई है उस पर लाज़िम है क्यूं कि जिस के पास वोह चीज़ गिरवी है वोह उस का मालिक नहीं और गिरवी रखवाने वाले की भी मिल्कियत कामिल नहीं क्यूं कि वोह चीज़ अब उस के कब्जे में ही नहीं और जब वोह चीज़ गिरवी रखवाने वाले के कब्जे में आएगी तो जितनी मुद्दत वोह चीज़ गिरवी थी उस के कब्जे में नहीं थी उस पर इतने अर्से की ज़कात भी लाज़िम नहीं।⁽²⁾

सुवाल क्या साल भर सदका व खैरात करने के बा'द उस में निय्यते ज़कात हो सकती है ?

जवाब साल भर तक खैरात करता रहा, अब निय्यत की, कि जो कुछ दिया है ज़कात है तो अदा न हुई। ज़कात देते वक़्त या ज़कात के लिये माल अलाहदा करते वक़्त निय्यते ज़कात शर्त है। निय्यत के येह मा'ना हैं कि अगर पूछा जाए तो बिला तअम्मुल बता सके कि ज़कात है।⁽³⁾

सुवाल क्या मस्जिद की ता'मीर या मय्यित की तज्हीज़ो तक्फ़ीन में ज़कात की रक़म लगाई जा सकती है ?

जवाब ज़कात का रुपिया मुर्दा की तज्हीज़ो तक्फ़ीन या मस्जिद की ता'मीर में नहीं सर्फ़ कर सकते कि तम्लीके फ़कीर नहीं पाई गई और इन उमूर में सर्फ़ करना चाहें तो इस का तरीका येह है कि फ़कीर को मालिक कर दें और वोह सर्फ़ (या'नी खर्च) करे और सवाब दोनों को होगा।⁽⁴⁾

सुवाल क्या ऐसा मक्रूज़ जो शर्ई फ़कीर भी हो उस को कर्ज़ मुआफ़ कर देने से कर्ज़ ख़्वाह की ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब किसी का फ़कीर पर कर्ज़ है और वोह उस कर्ज़ को अपने माल की ज़कात में देना चाहता है या'नी येह चाहता है कि कर्ज़ फ़कीर को मुआफ़ कर दे और वोह मेरे माल की ज़कात हो जाए तो येह



1... در مختار مع رد المحتار، کتاب الزکاة، 204/3، طحفا، 5، हिस्सा : 1/874، बहारे शरीअत،

2... در مختار مع رد المحتار، کتاب الزکاة، مطلب فی زکاة شمن المبیع وفاء، 214/3، 5، हिस्सा : 1/877، बहारे शरीअत،

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الزکاة، الباب الاول فی تفسیر ما وصفته او شرطها، 170/1

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الزکاة، 227/3، 5، हिस्सा : 1/890، बहारे शरीअत،

नहीं हो सकता। अलबत्ता यह हो सकता है कि पहले उसे ज़कात का माल दे फिर वोही माल अपने कर्ज के तौर पर उस से वापस ले ले, अब अगर वोह देने से इन्कार करे तो छीन भी सकता है।⁽¹⁾

सवाल क्या एडवान्स ज़कात दी जा सकती है ?

जवाब साल पूरा होने से पहले ज़कात दी जा सकती है लेकिन इस के लिये तीन शराइत हैं : (1) ज़कात अदा करते वक्त उस माल पर साल शुरू हो चुका हो (2) जिस निसाब की ज़कात अदा की वोह निसाब साल के आखिर में कामिल तौर पर पाया जाए (3) ज़कात अदा करने और साल पूरा होने के दरमियान वोह माल हलाक न हो।⁽²⁾ अगर साल पूरा होने से पहले आखिरी दो शर्तें नहीं पाई गई तो दी हुई ज़कात नफ़ली सदका शुमार होगी।⁽³⁾

सवाल ज़कात को ज़ाहिर कर के देना मुस्तहब है मगर किस सूरत में छुपा कर देना मुस्तहब है ?

जवाब जब माल की ज़ियादती ज़ाहिर होने से ज़ालिमों का ख़ौफ़ हो तो इस सूरत में ज़कात को छुपा कर देना मुस्तहब है।⁽⁴⁾

सवाल ज़कात को ज़ाहिर कर के देना अफ़ज़ल क्यों है ?

जवाब ज़कात में ए'लान इस वजह से है कि छुपा कर देने में लोगों को तोहमत और बद गुमानी का मौक़ा मिलेगा, नीज़ ए'लान औरों के लिये बाइसे तरगीब है कि उस को देख कर और लोग भी देंगे मगर येह ज़रूर (या'नी लाज़िमी) है कि रिया न आने पाए कि सवाब जाता रहेगा बल्कि गुनाह व इस्तिहकाके अज़ाब है।⁽⁵⁾

सवाल किस सूरत में ज़कात देते वक्त निय्यत न होने के बा वुजूद ज़कात अदा हो जाएगी ?

जवाब (1) एक शख्स को वकील बनाया उसे देते वक्त तो निय्यते ज़कात न की, मगर जब वकील ने फ़कीर को दिया उस वक्त मुअक्कल ने निय्यत कर ली (तो ज़कात अदा) हो गई।⁽⁶⁾ (2) देते वक्त निय्यत नहीं की थी, बा'द में की तो अगर वोह माल फ़कीर के पास मौजूद है या'नी उस की मिल्क में



1... در مختار، کتاب الزکاة، 3/226، 5/1890، हिस्सा : 5 मुलख़ब़सन، बहारे शरीअत،

2... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الزکاة، الباب الاول فی تفسیر ما وصف بہا وشرائطہا، 1/176

3... فتاوا اہلے سۓنت، اہکامہ جکات، س. 165

4... الاشیاء والنظار، الفن الرابع، کتاب الزکاة، ص 342

5... بھارے شریअत، 1/890، हिस्सा : 5

6... الجوہرۃ النیرۃ، کتاب الزکاة، الجزء الاول، ص 149

है तो ज़कात अदा हो जाएगी वरना नहीं।⁽¹⁾

जानवरों की ज़कात से मुतअल्लिक ज़रूरी सुवाल व जवाब

सुवाल कितनी किस्म के जानवरों पर ज़कात है ?

जवाब तीन किस्म के जानवरों पर ज़कात वाजिब है जब कि वोह साइमा हों : (1) ऊंट (2) गाय, भेंस (3) बकरा, बकरी, भेड़, दुम्बा।⁽²⁾

सुवाल साइमा जानवर किसे कहते हैं ?

जवाब साइमा वोह जानवर है जो साल के अक्सर हिस्से में चर कर गुज़र करता हो और उस से मक्सूद सिर्फ़ दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना हो।⁽³⁾

सुवाल क्या चर कर गुज़ारा करने वाला हर जानवर साइमा कहलाएगा ?

जवाब याद रखिये ! अगर चराने से मक्सूद “दूध और बच्चे लेना या फ़र्बा करना” न हो बल्कि कोई और मक्सूद हो मसलन “बोझ लादना, हल वगैरा के काम में लाना, सुवारी में इस्तिमाल करना, गोशत खाना” हो तो येह जानवर साइमा नहीं हैं, इन की ज़कात देना वाजिब नहीं है।⁽⁴⁾

सुवाल जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाया जाता है वोह भी साइमा हैं ?

जवाब जिन जानवरों को घर पर चारा खिलाया जाता है उन की ज़कात वाजिब नहीं है।⁽⁵⁾

सुवाल क्या जानवरों की ज़कात में जानवर ही देना ज़रूरी है या रक़म भी दी जा सकती है ?

जवाब जानवरों की ज़कात में जानवर ही देना ज़रूरी नहीं बल्कि वाजिब शुदा जानवर की कीमत भी दी जा सकती है क्यूं कि ज़कात से मक्सूद फ़कीर की मदद है और येह कीमत देने से भी हासिल



1... در مختار، کتاب الزکاة، 3/222، مازخوّن، 1/886، हिस्सा : 5

2... बहारे शरीअत, 1/897, 893, हिस्सा : 5

3... توفیر الابصار، کتاب الزکاة، باب السائمة، 3/232

4... در مختار و رد المحتار، کتاب الزکاة، باب السائمة، 3/234

5... در مختار و رد المحتار، کتاب الزکاة، باب السائمة، 3/233

हो जाती है।⁽¹⁾

सुवाल क्या बेचने के लिये खरीदे गए जानवरों पर भी ज़कात लाज़िम है और येह कैसे अदा की जाएगी ?

जवाब जी हां ! ज़कात तो है लेकिन माले तिजारत होने की वजह से उन की ज़कात कीमत के हिसाब से अदा की जाएगी।⁽²⁾

सुवाल क्या ऊंट, गाय या बकरी वगैरा जो जानवर बेचने के लिये खरीदे हों और वोह जंगल में चरते हों उन पर भी ज़कात लाज़िम होगी और उन की ज़कात कैसे देंगे ?

जवाब जी हां ! उन जानवरों पर भी ज़कात वाजिब है लेकिन येह जानवर साइमा नहीं बल्कि माले तिजारत हैं लिहाज़ा इन जानवरों की कुल कीमत का ढाई फीसद ज़कात में दिया जाएगा। तिजारत के लिये खरीदा था फिर साइमा की निय्यत की तो ज़कात के लिये इब्तिदाए साल इस वक़्त से है खरीदने के वक़्त से नहीं।⁽³⁾

सुवाल कितनी उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है ?

जवाब कम से कम एक साल की उम्र के जानवरों की ज़कात वाजिब है मसलन अगर 39 बकरे और बकरियां साल से कम उम्र की हैं और एक साल का हो चुका तो अब तमाम को शामिले हिसाब किया जाएगा और अगर कोई भी साल भर का नहीं तो नहीं किया जाएगा।⁽⁴⁾

सुवाल अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो क्या वोह भी ज़कात देगा ?

जवाब अगर किसी के पास ऊंट, गाएं और बकरियां हों लेकिन उन में से कोई भी निसाब को न पहुंचता हो तो उन को नहीं मिलाया जाएगा और ऐसे शख्स पर ज़कात नहीं होगी।⁽⁵⁾

सुवाल क्या भेंसों पर भी ज़कात वाजिब है ?

जवाब जी हां ! अगर भेंसों में वुजूबे ज़कात की शराइत पाई जाएं तो इन पर भी ज़कात वाजिब है। और इन की ज़कात का हिसाब लगाने का वोही तरीका है जो गाय की ज़कात का है क्यूं कि येह भी गाय

1... फ़तावा अहले सुन्नत, किताबुज्ज़काह, स. 564

2... در مختار و رد المحتار، کتاب الزکاة، باب السائمة، 3/234

3... در مختار و رد المحتار، کتاب الزکاة، باب السائمة، 3/235

4... बहारे शरीअत, 1/897, हिस्सा : 5 मफ़हूमन

5... تنویر الابصار والدر المختار، کتاب الزکاة، باب زکاة المال، 3/280

के हुक्म में हैं बल्कि अगर गाय और भेंस दोनों हो तो दोनों को मिला कर ज़कात का हिसाब लगाया जाए और जिस किस्म की ता'दाद ज़ियादा हो उसी का बच्चा ज़कात में अदा किया जाए।⁽¹⁾

सुवाल क्या चर कर गुज़ारा करने वाले घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात वाजिब है ?

जवाब घोड़े गधे और ख़च्चर की ज़कात देना वाजिब नहीं है अगरचें चर कर गुज़ारा करते हों, हां ! अगर तिजारत के लिये हों तो वाजिब है और कीमत लगा कर उस कीमत का ढाई फ़ीसद ज़कात में दिया जाएगा।⁽²⁾

सुवाल अगर साइमा जानवर मा'ज़ूर हो तो उस पर ज़कात वाजिब है ?

जवाब जी नहीं ! जिस जानवर के पाउं कटे हों उस पर ज़कात नहीं। अगर अन्धा जानवर चराई पर है तो उस पर ज़कात वाजिब होगी। नीज़ अगर निसाब में कमी हो और अन्धे जानवर को मिलाने से वोह कमी पूरी हो जाती हो तो उसे मिला कर ज़कात दी जाएगी।⁽³⁾

सुवाल कितने ऊंटों पर ज़कात लाज़िम होती है ?

जवाब साइमा ऊंटों पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद पांच या पांच से ज़ियादा हो, अगर पांच से कम ऊंट हैं तो उन पर ज़कात वाजिब नहीं।⁽⁴⁾ मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

ऊंट	ज़कात	ऊंट	ज़कात
5 ता 9	1 बकरी	36 ता 45	2 साल की 1 ऊंटनी
10 ता 14	2 बकरियां	46 ता 60	3 साल की 1 ऊंटनी
15 ता 19	3 बकरियां	61 ता 75	4 साल की 1 ऊंटनी
20 ता 24	4 बकरियां	76 ता 90	2 साल की 2 ऊंटनियां
25 ता 35	1 साल की 1 ऊंटनी	91 ता 120	3 साल की 2 ऊंटनियां



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الزکاة، الباب الثانی فی صدقة السوائم، الفصل الثالث، 1/178

2... تنویر الابصار ودر مختار، کتاب الزکاة، باب زکاة الغنم، 3/244-245

3... बहारे शरीअत, 1/893, हिस्सा : 5 ब तसर्फ़

4... बहारे शरीअत, 1/893, हिस्सा : 5 ब तसर्फ़

सुवाल कितनी गाएं या भेंसों हों तो ज़कात लाज़िम होती है ?

जवाब गाय पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद तीस या तीस से ज़ियादा हो, अगर तीस से कम हो तो ज़कात वाजिब नहीं।⁽¹⁾ मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

गाय/भेंस	ज़कात	गाय/भेंस	ज़कात
30 ता 39	1 सालह बछड़ा या बछिया	70 ता 79	1 साल का 1 बछड़ा और 2 साल का 1 बछड़ा
40 ता 59	2 सालह बछड़ा या बछिया	80 ता 89	2 साल के 2 बछड़े
60 ता 69	1 साल के 2 बछड़े या बछिया		

सुवाल बकरी, दुम्बा या भेड़ कितनी ता'दाद में हों तो उन पर ज़कात वाजिब होती है ?

जवाब साइमा बकरियों पर ज़कात उस वक़्त लाज़िम होती है जब उन की ता'दाद चालीस या इस से ज़ियादा हो, लिहाज़ा अगर बकरियां चालीस से कम हैं तो ज़कात वाजिब नहीं।⁽²⁾ मज़ीद आसानी के लिये येह चार्ट मुलाहज़ा कीजिये :

बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात	बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात	बकरी, दुम्बा या भेड़	ज़कात
40 ता 120	1 बकरी	201 ता 399	3 बकरियां	400 से ज़ियादा पर	हर 100 पर 1 बकरी का इज़ाफ़ा
121 ता 200	2 बकरियां	400 पर	4 बकरियां		

सुवाल जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत और न करने की कोई वईद भी है ?

जवाब जी हां ! जानवरों की ज़कात अदा करने की फ़ज़ीलत है चुनान्वे नबिय्ये करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने तीन काम किये उस ने ईमान का जाएक़ा चख़ लिया : (1) जिस ने एक **अल्लाह** की इबादत की और येह यक़ीन रखा कि **अल्लाह** के सिवा कोई मा'बूद नहीं (2) जिस ने खुशदिली से हर साल अपने माल की ज़कात अदा की (3) जिस ने ज़कात में बूढ़े और बीमार जानवर या बोसीदा कपड़े और घटिया माल की बजाए औसत दरजे का माल दिया क्यूं कि **अल्लाह** तुम से तुम्हारा बेहतरीन माल त़लब नहीं

¹ ... बहारे शरीअत, 1/895, हिस्सा : 5

² ... बहारे शरीअत, 1/896, हिस्सा : 5

करता और न ही घटिया माल देने की इजाज़त देता है।⁽¹⁾ इसी तरह जानवरों की ज़कात न देने की भी वर्ईद है, चुनान्चे नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : जो ऊंटों वाला अपने ऊंटों की ज़कात अदा नहीं करता वोह ऊंट क़ियामत के दिन पहले से ज़ियादा ता'दाद में आएंगे और उसे एक चटियल मैदान में बिठा दिया जाएगा वोह उसे अपने अगले और पिछले पाउं से रौंदेंगे, जो गाय और भेड़ बकरियों वाला अपने जानवरों की ज़कात अदा नहीं करता वोह जानवर क़ियामत के दिन पहले से ज़ियादा ता'दाद में आएंगे और उसे अपने सींगों से मारेंगे और पिछली टांगों से रौंदेंगे उन में कोई भेड़ या बकरी बिगैर सींग वाली और टूटे हुए सींग वाली न होगी और जो ख़ज़ाने वाला अपने ख़ज़ाने की ज़कात अदा नहीं करता वोह ख़ज़ाना क़ियामत के दिन अश्शुजाज़ल अक़रअ (गन्जे अज़्दहे) की सूरत में आएगा, मुंह खोले हुए उस का पीछा करेगा जब वोह उस के क़रीब आएगा तो येह उस से भागेगा, वोह सांप पुकारेगा कि अपना ख़ज़ाना ले जिसे तू ने छुपाया था कि मैं तो इस से ग़नी हूं, जब वोह देखेगा कि उस से बचने का कोई चारा नहीं तो दाख़िल हो जाएगा (या'नी उस के मुंह में अपना हाथ दाख़िल कर देगा पस वोह उसे सांड की तरह काट डालेगा)।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 41

सदक़े का बयान

सुवाल सदक़ा किसे कहते हैं ?

जवाब अल्लाह पाक की बारगाह से सवाब पाने की उम्मीद पर जो अतिरिया दिया जाए उसे सदक़ा कहते हैं।⁽³⁾

सुवाल कुरआने करीम में सदक़ा करने की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब राहे खुदा में ख़र्च करना बहुत बड़ी सआदत है। जा ब जा कुरआने पाक में इस की तरगीब और फ़ज़ाइल मौजूद हैं। चुनान्चे इर्शादि बारी है :

مَثَلُ الَّذِي يَنْفَقُ عَنْ أَمْوَالِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ
مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣١﴾ (پ، البقرة: 261)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : उन की कहावत जो अपने माल अल्लाह की राह में ख़र्च करते हैं उस दाने की तरह जिस ने उगाई सात बालें हर बाल में सो दाने और अल्लाह इस से भी ज़ियादा बढ़ाए जिस के लिये चाहे और अल्लाह वुस्अत वाला इल्म वाला है।



1... الإوداد، كتاب الزكاة، في زكاة المسألة، 2/147، حديث: 1582

2... مسلم، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ص 384، حديث: 2296

3... كتاب التعريفات، باب الصاد، ص 95

इस आयते मुबारका में अल्लाह पाक ने खर्च करने वालों की ता'रीफ़ फ़रमाई है यह खर्च करना तमाम अब्बाबे ख़ैर को शामिल है या'नी कि सदक़ए वाजिबा से हो या नफ़ली सदक़ात से।⁽¹⁾

एक और आयत में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مِمَّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٣٣﴾ (پ، البقرة: 262)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं फिर दिये पीछे न एहसान रखें न तकलीफ़ दें उन का नेग (अज़्रो सवाब) उन के रब के पास है और उन्हें न कुछ अन्देशा हो न कुछ ग़म।

इस आयते मुबारका में भी खर्च करने वालों को सवाब के हुसूल और ख़ौफ़ व हुज़्ज दूर होने की बिशारत दी जब कि लेने वाले पर एहसान न जतलाए कि तुम मजबूर, मुफ़िलसो नादार थे हम ने तुम्हारी इआनत न की होती तो किस हाल में होते वगैरा।⁽²⁾

लिहाज़ा सदक़ा करने वाले को चाहिये कि अल्लाह पाक की रिज़ा और आख़िरत में सवाब के हुसूल के लिये खर्च करे, न कि एहसान जतलाने, उस के इवज़ में उस से ख़िदमत लेने और अपने काम निकलवाने के लिये।

सवाल अहादीस में सदक़ा करने की क्या फ़ज़ीलत आई है ?

जवाब (1) हुज़ूर नबिय्ये मुकर्रम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : सदक़ा रब्बे करीम के ग़ज़ब को बुझाता और बुरी मौत को दफ़अ करता है।⁽³⁾ (2) हुज़ूर नबिय्ये मुकर्रम, नूरे मुजस्सम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक सदक़ा करने वालों को सदक़ा क़ब्र की गरमी से बचाता है, और बिला शुबा मुसल्मान क़ियामत के दिन अपने सदक़े के साए में होगा।⁽⁴⁾ (3) हुज़ूर नबिय्ये करीम, रऊफ़ुर्रहीम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

①... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तहूतल आयह : 261 माखूज़न

②... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 3, अल बक़रह, तहूतल आयह : 261 माखूज़न

③... तर्फ़ी, کتاب الزکاة، باب ما جاء فی فضل الصدقة، 146/2، حدیث: 664

④... شعب الایمان، باب فی الزکاة، التریض علی صدقة التطوع، 3/212، حدیث: 3347

का इर्शाद पाक है : सदका बुराई के 70 दरवाजों को बन्द कर देता है।⁽¹⁾ और एक मक़ाम पर इर्शाद फ़रमाया कि सदका देने में जल्दी किया करो क्यूं कि बला सदके से आगे नहीं बढ़ सकती।⁽²⁾

सुवाल सदका करने के मज़ीद फ़वाइद बयान फ़रमाइये।

जवाब सदका करने के बे शुमार फ़वाइद हैं जिन में से दस येह हैं : (1) बुरी मौत से बचना (2) उम्र ज़ियादा होना (3) रिज़क़ और माल में बरकत होना (4) बलाएं दूर होना (5) मददे इलाही का शामिल होना (6) दरजात का बुलन्द होना (7) रिज़ाए इलाही नसीब होना (8) गुनाहों का मुआफ़ होना (9) महब्बतों में इज़ाफ़ा होना और (10) टेढ़े काम दुरुस्त होना वगैरा।⁽³⁾

सुवाल सदका अलानिया करना बेहतर है या पोशीदा ?

जवाब पोशीदा सदका करना बेहतर है मगर दूसरों की तरगीब के लिये अलानिया सदका करना अफ़ज़ल है।⁽⁴⁾

सुवाल सदका कहां खर्च करे ?

जवाब सदका रिश्तेदारों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफ़िरों, साइलों और गुलाम लौंडियां आज़ाद कराने में खर्च किया जाए।

सुवाल सदका व ख़ैरात किन लोगों को देना अफ़ज़ल है ?

जवाब सदका व ख़ैरात उन ग़रीब उलमा, त़लबा, मुदर्रिसीन और दीन के ख़ादिमों वगैरा को देना अफ़ज़ल है जिन्होंने अपनी ज़िन्दगियां ख़िदमते दीन के लिये वक्फ़ कर दी हैं। अगर इन की ख़िदमत न की गई और येह त़लबे मआश के लिये मजबूरन मशगूल हुए तो दीने इस्लाम का सख़्त नुक़सान होगा।⁽⁵⁾

सुवाल क्या ह़राम माल से सदका किया जा सकता है ?

जवाब ह़राम माल से सदका नहीं किया जा सकता, हज़रते अबू हुरैरा رضي الله عنه से मरवी है कि **رسول الله** صلّى الله عليه وآله وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : जो ह़राम माल जम्अ करे फिर उस से सदका दे तो उस में उस के लिये कोई अज़्र नहीं और उस का वबाल उसी पर होगा।⁽⁶⁾



1 ... معجم كبير، 4/274، حديث: 4402

2 ... معجم اوسط، 4/180، حديث: 5643

3 ... ज़ियाए सदकात، स. 174, 175

4 ... تفسير مدارك، प 3، البقرة، تحت الآية: 271، ص 139

5 ... तफ़सीरे नईमी, 3/134 ब तग़य्युर

6 ... صحيح ابن حبان، كتاب الزكاة، ذكر البيان بان المال ... الخ، 89/5، حديث: 3206

सुवाल क्या बीवी अपने शौहर का माल सदका कर सकती है ?

जवाब जी हां ! हुसूले सवाब की निय्यत से शौहर की रिज़ामन्दी से बीवी माल सदका कर सकती है ।⁽¹⁾

सुवाल क्या सदका करने के बा'द वापस ले सकते हैं ?

जवाब नहीं ले सकते क्यूं कि हदीसे पाक में इस से मन्अ किया गया है ।⁽²⁾

सुवाल सदकाते वाजिबा, नफ़ली सदकात और अवकाफ़ की आमदनी बनी हाशिम को देना कैसा ?

जवाब सदकाते वाजिबा (जैसे ज़कात, सदक़ए फ़ित्र वगैरा) नहीं दे सकते, सदक़ए नफ़ल और अवकाफ़ की आमदनी दे सकते हैं, ख़्वाह वक्फ़ करने वाले ने इन की ता'यीन की हो या नहीं ।⁽³⁾

सुवाल क्या किसी का दिया हुवा तोहफ़ा सदका कर सकते हैं ?

जवाब जी हां ! हदीस शरीफ़ में है : जब तुम्हें बिन मांगे कुछ दिया जाए तो खाओ और सदका करो ।⁽⁴⁾

सुवाल आ़ाम मिस्कीन पर सदका करने और रिश्तेदार पर सदका करने में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब हुज़ूर नबिय्ये पाक, साहिबे लौलाक़ صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : रिश्तेदार को सदका देने में दो सवाब हैं एक सदका करने का और दूसरा सिलए रेहूमी करने का ।⁽⁵⁾

सुवाल सदक़ए नाफ़िला देते वक़्त क्या निय्यत होनी चाहिये ?

जवाब जो शख़्स नफ़ली सदका दे उस के लिये अफ़ज़ल येह है कि तमाम अहले ईमान को सवाब पहुंचाने की निय्यत करे इस तरह उन्हें भी सवाब पहुंचेगा और उस का सवाब भी कम न होगा ।⁽⁶⁾

सुवाल छुपा कर सदका करने की कोई फ़ज़ीलत बयान कीजिये ।

1 ... मिरआतुल मनाजीह, 3/127 मफ़हूमन

2 ... بخاری، کتاب الزکاة، باب من یشتري صدقة، 1/502، حدیث: 1489

3 ... बहारे शरीअत, 1/931, हिस्सा : 5

4 ... ابوداؤد، کتاب الزکاة، باب فی الاستغفان، 2/171، حدیث: 1647

5 ... ترمذی، کتاب الزکاة، باب ما جاء فی الصدقة علی ذی القربان، 2/142، حدیث: 658

6 ... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی اهداء ثواب الاعمال للغير، 4/13

जवाब हुजुरे पुरनूर, शाफ़ेए यौमुन्नुशूर صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : सात शख्स हैं जिन पर **अल्लाह** पाक उस दिन साया करेगा जिस दिन उस के (अर्श के) साए के सिवा कोई साया न होगा। (उन में से एक) वोह शख्स है जिस ने कुछ सदका किया और इसे इतना छुपाया कि बाएं हाथ को भी ख़बर न हुई कि दाएं ने क्या खर्च किया।⁽¹⁾

सवाल आदमी का अपने नफ़्स पर सदका क्या है ?

जवाब हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से मरवी है कि हुज़ूर ताजदार ख़तमे नुबुव्वत صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : तुम लोगों को (अपने) शर से महफूज़ रखो, येह एक सदका है जो तुम अपने नफ़्स पर करोगे।⁽²⁾

सवाल सदका वुसूल करने वाले के लिये क्या चीज़ सुन्नत है ?

जवाब सदका वुसूल करने वाले के लिये सुन्नत येह है कि सदका देने वाले को दुआए ख़ैर से नवाजे।⁽³⁾

सवाल दुआ से पहले कौन सा अमल किया जाए तो वोह उसे क़बूलियत के ज़ियादा क़रीब कर देता है ?

जवाब **अल्लाह** करीम इर्शाद फ़रमाता है : **فَقَرِّمُوا بَيْنَ يَدَيَّ نَجْوَاكُمْ مَدَقَّةً** (प 28, المجادلة: 12) : **तरजमए कन्ज़ुल ईमान** : तो अपनी अर्ज़ से पहले कुछ सदका दे लो। इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सदका खुसूसन पोशीदा, इस अम्र में असरे तमाम रखता है (या'नी दुआ की क़बूलियत में बहुत मुअस्सिर है)।⁽⁴⁾

सवाल सदका करने वाले को कितने शैतान सदके से रोकते हैं ?

जवाब उसे 70 शैतान रोकते हैं। हज़रते सय्यिदुना अबू ज़र ग़िफ़ारी رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ से मरवी है कि ज़मीन पर जो भी सदका दिया जाता है वोह 70 शैतानों के जबड़ों से छुड़ा कर दिया जाता है वोह सब बन्दे को सदका देने से रोकते हैं।⁽⁵⁾

सवाल माली सदकात के इलावा और कौन सी चीज़ें सदके में शामिल हैं ?



1... بخاری، کتاب الاذان، باب من جلس فی المسجد... الخ، 1/236، حدیث: 660

2... بخاری، کتاب التلقین، باب ای الرقاب افضل، 2/150، حدیث: 2518

3... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 11, अत्तौबह, तह़तल आयह : 99, 4/216

4... फ़ज़ाइले दुआ, स. 59

5... کتاب الزهد، باب الصدقة، ص 228، حدیث: 649

जवाब (1) दो लोगों के दरमियान इन्साफ़ से फैसला करना (2) सुवारी पर सुवार होने में किसी की मदद करना (3) अच्छी बात कहना (4) नमाज़ की तरफ़ उठने वाला हर क़दम⁽¹⁾ (5) रास्ते से तक्लीफ़ देह चीज़ दूर करना (6) मुसल्मान भाई के लिये मुस्कुराना (7) नेकी का हुक्म देना और बुराई से मन्अ करना (8) भटके हुए को रास्ता दिखाना⁽²⁾ (9) लोगों पर मेहरबानी करना⁽³⁾ (10) इल्म सीख कर दूसरों को सिखाना।⁽⁴⁾

सुवाल किसी भूके मुसल्मान को खिलाने और पिलाने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हदीसे पाक में है : जिस ने किसी भूके मुसल्मान को खाना खिलाया, अल्लाह पाक उसे जन्नती फल खिलाएगा और जिस ने किसी प्यासे मुसल्मान को पानी पिलाया, अल्लाह पाक उसे रहीके मख़्तूम (या'नी मोहर लगी हुई पाकीज़ा शराब) पिलाएगा।⁽⁵⁾

सुवाल क्या ज़मीन की पैदावार पर भी ज़कात फ़र्ज़ है ?

जवाब जी हां ! उ़शरी ज़मीन से ऐसी चीज़ पैदा हुई जिस की ज़राअत से मक्सूद ज़मीन से मनाफ़ेअ हासिल करना है तो उस पैदावार की ज़कात फ़र्ज़ है और इस ज़कात का नाम उ़शर है।⁽⁶⁾

सुवाल उ़शर किस पर वाजिब है ?

जवाब उ़शर वाजिब होने के लिये आक़िल, बालिग़ होना शर्त नहीं, मजनून और ना बालिग़ की ज़मीन में जो कुछ पैदा हुवा उस में भी उ़शर वाजिब है।⁽⁷⁾

सुवाल जिस पर उ़शर वाजिब हो उस का इन्तिक़ाल हो जाए तो क्या फिर भी उ़शर की अदाएगी ज़रूरी है ?

जवाब जिस पर उ़शर वाजिब हुवा, उस का इन्तिक़ाल हो गया और पैदावार मौजूद है तो उस में से उ़शर लिया जाएगा ?⁽⁸⁾



1... بخاری، کتاب الجهاد، باب من اخذ بالركاب ونحوه، 306/2، حدیث: 2989

2... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في صنائع المعروف، 384/3، حدیث: 1963

3... شعب الایمان، باب في حسن الخلق، فصل في العلم والهدوء، 343/6، حدیث: 8445

4... ابن ماجه، کتاب السنه، باب ثواب معلم الناس الخير، 158/1، حدیث: 243

5... ابوداؤد، کتاب الزکاة، باب في فضل سقي الماء، 180/2، حدیث: 1682

6... बहारे शरीअत, 1/916, हिस्सा : 5

7... बहारे शरीअत, 1/916, हिस्सा : 5

8... बहारे शरीअत, 1/917, हिस्सा : 5

सुवाल जो ज़मीन बटाई पर दी तो उस का उ़शर किस पर लाज़िम होगा ?

जवाब उ़शरी ज़मीन बटाई पर दी तो उ़शर दोनों पर है ।⁽¹⁾

सुवाल क्या ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़शर होगा ?

जवाब जी हां, ठेके पर दी जाने वाली ज़मीन की पैदावार पर भी उ़शर होगा ।⁽²⁾

सुवाल येह उ़शर कौन अदा करेगा ?

जवाब इस उ़शर की अदाएगी काशत कार पर वाजिब होगी ।⁽³⁾

सुवाल कौन सी ज़मीन पर उ़शर और कौन सी पर निस्फ़ उ़शर वाजिब होता है ?

जवाब जो खेत बारिश या नहर नाले के पानी से सैराब किया जाए, उस में उ़शर या'नी दसवां हिस्सा वाजिब है और जिस की आबपाशी चरसे⁽⁴⁾ या डोल से हो, उस में निस्फ़ उ़शर या'नी बीसवां हिस्सा वाजिब और पानी ख़रीद कर आबपाशी हो या'नी वोह पानी किसी की मिल्क है, उस से ख़रीद कर आबपाशी की जब भी निस्फ़ उ़शर वाजिब है और अगर वोह खेत कुछ दिनों मींह (बारिश) के पानी से सैराब किया जाता है और कुछ दिनों डोल चरसे से तो अगर अक्सर मींह (बारिश) के पानी से काम लिया जाता है और कभी कभी डोल चरसे से तो उ़शर वाजिब है, वरना निस्फ़ उ़शर ।⁽⁵⁾

सुवाल क्या कुल पैदावार पर उ़शर लिया जाएगा या ज़राअ़त के अख़्जाज़ात, हल बैल, काम करने वालों की उज़रत, बीज वग़ैरा निकाल कर बक़िय्या पैदावार पर उ़शर लिया जाएगा ?

जवाब जिस चीज़ में उ़शर या निस्फ़ उ़शर वाजिब हुवा उस में कुल पैदावार का उ़शर या निस्फ़ उ़शर लिया जाएगा, येह नहीं हो सकता कि मसारिफ़े ज़राअ़त, हल बैल, हिफ़ाज़त करने वाले और काम करने वालों की उज़रत या बीज वग़ैरा निकाल कर बाक़ी का उ़शर या निस्फ़ उ़शर दिया जाए ।⁽⁶⁾

① ... बहारे शरीअ़त, 1/921, हिस्सा : 5

② ... उ़शर के अहक़ाम, स. 20

③ ... उ़शर के अहक़ाम, स. 20

④ ... या'नी चमड़े का बड़ा डोल

⑤ ... बहारे शरीअ़त, 1/917, हिस्सा : 5

⑥ ... बहारे शरीअ़त, 1/917, हिस्सा : 5

सुवाल साल में एक से जाइद फ़स्लें उगाई तो क्या सब पर उ़श्र लाज़िम होगा ?

जवाब उ़श्र में साल गुज़रना भी शर्त नहीं, बल्कि साल में चन्द बार एक खेत में ज़राअत हुई तो हर बार उ़श्र वाजिब है ।⁽¹⁾

सुवाल क्या उ़श्र में भी निसाब शर्त है ?

जवाब इस में निसाब भी शर्त नहीं, एक साअ भी पैदावार हो तो उ़श्र वाजिब है और येह शर्त भी नहीं कि वोह चीज़ बाक़ी रहने वाली हो और येह शर्त भी नहीं कि काशत कार ज़मीन का मालिक हो यहां तक कि मुकातब व माज़ून ने काशत की तो उस पैदावार पर भी उ़श्र वाजिब है, बल्कि वक्फ़ी ज़मीन में ज़राअत हुई तो उस पर भी उ़श्र वाजिब है, ख़्वाह ज़राअत करने वाले अहले वक्फ़ हों या उजरत पर काशत की ।⁽²⁾

सुवाल ज़मीन की किस पैदावार पर उ़श्र वाजिब है ?

जवाब जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद हो ख़्वाह वोह ग़ल्ला, अनाज और फल फ़ूट हों सब्ज़ियां वगैरा मसलन अनाज और ग़ल्ले में गन्दुम, जव, चावल, गन्ना, कपास, जुवार, धान (चावल), बाजरा, मूंगफली, मकई और सूरज मुखी, राई, सरसों और लोसन वगैरा ।

फलों में ख़रबूज़ा, आम, अमरूद, मालटा, लूकाट, सेब, चीकू, अनार, नाशपाती, जापानी फल, संगतरा, पपीता, और नारियल, तरबूज़, फ़ाल्सा, जामुन, लीची, लीमू, ख़ूबानी, आड़ू, खजूर, आलू बुख़ारा, गरमा, अनन्नास, अंगूर और आलूचा वगैरा ।

सब्ज़ियों में ककड़ी, टींडा, करेला, भिन्डी तूरी, आलू, टमाटर, घियातूरी, सब्ज़ मिर्च, शिम्ला मिर्च, पोदीना, खीरा, ककड़ी (तर) और अरवी, तूरिया, फूलगोभी, बन्दगोभी, शलग़म, गाजर, चुकन्दर, मटर, पियाज़, लहसन, पालक, धनिया और मुख़्तलिफ़ किस्म के साग और मेथी और बेंगन वगैरा । इन सब की पैदावार में से उ़श्र (या'नी दसवां हिस्सा) या निस्फ़ उ़श्र (या'नी बीसवां हिस्सा) वाजिब है ।⁽³⁾

सुवाल किन फ़स्लों पर उ़श्र वाजिब नहीं ?

जवाब जो चीज़ें ऐसी हों कि उन की पैदावार से ज़मीन का नफ़अ हासिल करना मक्सूद न हो उन में उ़श्र नहीं जैसे ईधन, घास, बेद, सरकन्डा, झाउ (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं),

1... बहारे शरीअत, 1/917, हिस्सा : 5

2... बहारे शरीअत, 1/917, हिस्सा : 5 मुल्तक़तून

3... उ़श्र के अहक़ाम, स. 13

खजूर के पत्ते वगैरा, इन के इलावा हर किस्म की तरकारियों और फलों के बीज कि उन की खेती से तरकारियां मक्सूद होती हैं बीज मक्सूद नहीं होते और जो बीज दवा के तौर पर इस्ति'माल होते हैं मसलन कन्दर, मेथी और कलौंजी वगैरा के बीज, इन में भी उश्र नहीं है। इसी तरह वोह चीजें जो ज़मीन के ताबेअ हों जैसे दरख़्त और जो चीज़ दरख़्त से निकले जैसे गूंद, इस में उश्र वाजिब नहीं।

अलबत्ता अगर घास, बेद, झाउ (वोह पौदा जिस से टोकरियां बनाई जाती हैं) वगैरा से ज़मीन के मनाफ़ेअ हासिल करना मक्सूद हो और ज़मीन उन के लिये ख़ाली छोड़ दी तो उन में भी उश्र वाजिब है। कपास और बेंगन के पौदों में उश्र नहीं मगर इन से हासिल कपास और बेंगन की पैदावार में उश्र है।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 42

रोज़े का बयान

रोज़े के मुतअल्लिक़ पारह 2 सूरतुल बक़रह की आयत नम्बर 183 ता 184 में अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
 كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿١٨٣﴾
 أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۖ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى
 سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَى الَّذِينَ
 يُطِيقُونَ فَدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ
 خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ۗ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ
 تَعْلَمُونَ ﴿١٨٤﴾ (پ 2/بقره: 183-184)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो ! तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किये गए जैसे अगलों पर फ़र्ज़ हुए थे कि कहीं तुम्हें परहेज़ ग़ारी मिले, गिनती के दिन हैं तो तुम में जो कोई बीमार या सफ़र में हो तो इतने रोज़े और दिनों में और जिन्हें इस की ताक़त न हो वोह बदला दें एक मिस्कीन का खाना फिर जो अपनी तरफ़ से नेकी ज़ियादा करे तो वोह उस के लिये बेहतर है और रोज़ा रखना तुम्हारे लिये ज़ियादा भला है अगर तुम जानो।

1... उश्र के अहकाम, स. 16

2... बहारे शरीअत, 1/919, हिस्सा : 5

इस आयत में रोज़ों की फ़र्ज़ियत का बयान है। शरीअत में रोज़ा येह है कि सुब्हे सादिक से ले कर गुरूबे आफ़ताब तक रोज़े की निय्यत से खाने पीने और हम बिस्तरी से बचा जाए।⁽¹⁾

रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है

इस आयत में फ़रमाया गया “जैसे तुम से पहले लोगों पर फ़र्ज़ थे।” इस से मा’लूम होता है कि रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है। हज़रते आदम عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام से ले कर तमाम शरीअतों में रोज़े फ़र्ज़ होते चले आए हैं अगर्चे गुज़्शता उम्मतों के रोज़ों के दिन और अहक़ाम हम से मुख़्तलिफ़ होते थे। याद रहे कि रमज़ान के रोज़े 10 शा’बान 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुए थे।⁽²⁾

अह़ादीसे मुबारका में रोज़े की फ़ज़ीलत

* हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इर्शाद फ़रमाया : आदमी के हर नेक अ़मल का बदला दस से सात सो गुना तक दिया जाता है। **अल्लाह** पाक ने फ़रमाया : सिवाए रोज़े के कि रोज़ा मेरे लिये है और इस की जज़ा मैं खुद दूंगा क्यूं कि बन्दा अपनी ख़्वाहिश और खाने को सिर्फ़ मेरी वज्ह से तर्क करता है, रोज़ादार के लिये दो खुशियां हैं, एक इफ़्तार के वक़्त और एक अपने रब्बे करीम से मुलाक़ात के वक़्त और रोज़ादार के मुंह की बू **अल्लाह** करीम के नज़्दीक मुश्क से ज़ियादा पाकीज़ा है।⁽³⁾ * अगर बन्दों को मा’लूम होता कि रमज़ान क्या है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि काश ! पूरा साल ही रमज़ान हो।⁽⁴⁾ * रोज़ा ढाल है और जहन्नम से बचाव के लिये बेहतरीन क़ल्आ है।⁽⁵⁾ * रोज़े रखो तन्दुरुस्त हो जाओगे।⁽⁶⁾



① ... تفسیر خازن، ج 2، البقرة، تحت الآية: 183، 1/119

② ... در مختار، کتاب الصوم، 3/383

③ ... مسلم، کتاب الصیام، باب فضل الصیام، ص 447، حدیث: 2707

④ ... صحیح ابن خزیمہ، کتاب الصیام، باب ذکر تفضل اللہ... إلخ، 3/190، حدیث: 1886

⑤ ... مسند احمد، مسند ابی ہریرہ، 3/367، حدیث: 9236

⑥ ... معجم اوسط، 6/147، حدیث: 8312

रोज़े के 5 उख़वी फ़वाइद

सुवाल रोज़ा रखने के उख़वी फ़वाइद और न रखने के नुक़सानात बताइये ।

जवाब रोज़ा रखने के पांच उख़वी फ़वाइद मुलाहज़ा कीजिये :

सुलताने दो जहान, शहन्शाहे कौनो मकान صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने ज़ीशान है : “मेरी उम्मत को माहे रमज़ान में पांच चीज़ें ऐसी अ़ता की गई जो मुझ से पहले किसी नबी عَلَيْهِ السَّلَام को न मिलीं : (1) जब रमज़ानुल मुबारक की पहली रात होती है तो **अल्लाह** पाक उन की तरफ़ रहमत की नज़र फ़रमाता है और जिस की तरफ़ **अल्लाह** पाक नज़रे रहमत फ़रमाए उसे कभी भी अज़ाब न देगा (2) शाम के वक़्त उन के मुंह की बू (जो भूक की वजह से होती है) **अल्लाह** पाक के नज़दीक मुश्क की खुश्बू से भी बेहतर है (3) फ़िरिश्ते हर रात और दिन उन के लिये मग़िफ़रत की दुआएं करते रहते हैं (4) **अल्लाह** पाक जन्नत को हुक्म फ़रमाता है : मेरे (नेक) बन्दों के लिये मुज़य्यन (या'नी आरास्ता) हो जा अन्क़रीब वोह दुन्या की मशक्क़त से मेरे घर और करम में राहत पाएंगे (5) जब माहे रमज़ान की आख़िरी रात आती है तो **अल्लाह** पाक सब की मग़िफ़रत फ़रमा देता है ।” क़ौम में से एक शख़्स ने खड़े हो कर अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** क्या येह शबे क़द्र है ? इर्शाद फ़रमाया : नहीं, क्या तुम नहीं देखते कि मज़दूर जब अपने कामों से फ़ारिग़ हो जाते हैं तो उन्हें उजरत दी जाती है ।⁽¹⁾

रोज़ा न रखने के 2 उख़वी नुक़सानात

जिस ने माहे रमज़ान को पाया और उस के रोज़े न रखे वोह शख़्स शक़ी (या'नी बद बख़्त) है ।⁽²⁾ **अल्लाह** पाक ने इस्लाम में चार चीज़ें फ़र्ज़ फ़रमाई हैं : (1) नमाज़ (2) ज़कात (3) रमज़ानुल मुबारक के रोज़े और (4) बैतुल्लाह शरीफ़ का हज़, जो इन में से किसी एक को भी छोड़ेगा तो बक़िय्या तीन चीज़ें उसे किसी काम न आएंगी जब तक कि वोह इन तमाम को अदा न करे ।⁽³⁾

रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद

सुवाल रोज़ा रखने के कुछ तिब्बी फ़वाइद बयान कीजिये ।



①... الترغيب والترهيب، باب الترغيب في صيام رمضان... إلخ، 2/56، حديث: 7

②... مجمع الزوائد، كتاب الصيام، فتن ادرك شهر رمضان... إلخ، 3/340، حديث: 4773

③... مسند احمد، مسند الثابتين، حديث زياد ابن نعيم، 6/236، حديث: 17804

सुवाल * जी हां, रोज़ा रखने से शूगर कन्ट्रोल, * दिल की घबराहट दूर, * ज़ेहनी डिप्रेसन व नफ़िसयाती अमराज़ का ख़ातिमा होता है। * नीज़ मे'दे * जिगर * और पठ्ठों के अमराज़ में इफ़ाका होता है।⁽¹⁾ * रोज़े के दौरान ख़ून की मिक्दार में कमी हो जाती है और इस की वजह से दिल को इन्तिहाई फ़ाएदे मन्द आराम पहुंचता है। * रोज़ा रखने से मोटापे में कमी वाक़ेअ होती और इज़ाफ़ी चरबी ख़त्म हो जाती है। * रोज़ा रखने से बे औलाद ख़वातीन के हां औलाद होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं।⁽²⁾ * रोज़ा रखने से बुढ़ापा देर से आता है। * रोज़े से जिल्द मज़बूत होती और झुर्रियां कम पड़ती हैं।

सुवाल रोज़ा किस पर फ़र्ज़ है ?

जवाब तौहीदो रिसालत का इक़्रार करने और तमाम ज़रूरिय्याते दीन पर ईमान लाने के बा'द जिस तरह हर मुसल्मान पर नमाज़ फ़र्ज़ क़रार दी गई है इसी तरह रमज़ान शरीफ़ के रोज़े भी हर मुसल्मान (मर्द व औरत) अक़िल व बालिग़ पर फ़र्ज़ हैं।⁽³⁾

सुवाल रोज़ा फ़र्ज़ होने की वजह क्या है ?

जवाब इस्लाम में अक्सर आ'माल किसी न किसी रूह परवर वाक़िअ की याद ताज़ा करने के लिये मुक़र्रर किये गए हैं। मसलन सफ़ा और मर्वह के दरमियान हाजियों की सई हज़रते सय्यिदतुना हाजिरा रज़ुल्लैह् की यादगार है। आप रज़ुल्लैह् अपने लख़्ते जिगर हज़रते सय्यिदतुना इस्माईल ज़बीहुल्लाह عَلَيْهِ السَّلَام के लिये पानी तलाश करने के लिये इन दोनों पहाड़ों के दरमियान सात बार चली और दौड़ी थीं। अल्लाह पाक को हज़रते सय्यिदतुना हाजिरा रज़ुल्लैह् की येह अदा पसन्द आ गई, लिहाज़ा इसी सुन्नते हाजिरा रज़ुल्लैह् को अल्लाह पाक ने बाक़ी रखते हुए हाजियों और उम्रह करने वालों के लिये सफ़ा व मर्वह की सई को वाजिब कर दिया। इसी तरह माहे रमज़ानुल मुबारक में से कुछ दिन हमारे प्यारे सरकार, मक्के मदीने के ताजदार صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने ग़ारे हिरा में गुज़ारे थे। इस दौरान आप صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ दिन को खाने से परहेज़ करते और रात को ज़िक्कुल्लाह में मशगूल रहते थे। तो अल्लाह पाक ने उन दिनों की याद ताज़ा करने के लिये रोज़े फ़र्ज़ किये ताकि उस के महबूब صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सुन्नत काइम रहे।

सुवाल क्या रोज़ा रखने के लिये सहरी करना ज़रूरी है ?

1... फैज़ाने सुन्नत, स. 941 मफ़हमन

2... तफ़सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तहूतल आयह : 183, 1/293

3... फैज़ाने रमज़ान, स. 73

जवाब ज़रूरी तो नहीं, हां सुन्नत है।⁽¹⁾ लिहाज़ा जान बूझ कर इस अज़ीम सुन्नत को न छोड़ा जाए।

सवाल क्या रोज़ा बन्द करने या खोलने के लिये अज़ान ज़रूरी है ?

जवाब जी नहीं ! “रोज़ा बन्द करने का तअल्लुक अज़ाने फ़त्र से नहीं। सुब्हे सादिक़ से पहले पहले खाना पीना बन्द करना ज़रूरी है।” यूँ ही “जब गुरुबे आफ़ताब का यकीन हो जाए, इफ़तार करने में देर नहीं करनी चाहिये। न साइरन का इन्तिज़ार कीजिये, न अज़ान का। फ़ौरन कोई चीज़ खा या पी लीजिये।”⁽²⁾

सवाल एक शख्स ने रोज़ा रखा लेकिन इफ़तार का वक़्त केलेन्डर से देखने में ग़लती हो गई जिस की वजह से एक मिनट पहले ही रोज़ा खोल लिया तो उस का रोज़ा हो गया या नहीं ? और अब उसे क्या करना चाहिये ?

जवाब इस सूरत में एक मिनट पहले रोज़ा खोलने वाले का रोज़ा न हुवा, उस पर उस रोज़े की क़ज़ा लाज़िम है, अलबत्ता कफ़ारा नहीं। लिहाज़ा अब उसे चाहिये कि क़ज़ा की निय्यत से एक रोज़ा रख ले जैसा कि सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह हज़रते अल्लामा मौलाना मुफ़ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “काफ़िर था मुसल्मान हो गया, ना बालिग़ था बालिग़ हो गया, रात समझ कर सहरा खाई थी हालां कि सुब्ह हो चुकी थी, गुरुब समझ कर इफ़तार कर दिया हालां कि दिन बाकी था इन सब बातों में जो कुछ दिन बाकी रह गया है, उसे रोज़े की मिस्ल गुज़ारना वाजिब है और ना बालिग़ जो बालिग़ हुवा या काफ़िर था मुसल्मान हुवा उन पर उस दिन की क़ज़ा वाजिब नहीं बाकी सब पर क़ज़ा वाजिब है।”⁽³⁾

सवाल किस सफ़र की वजह से रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की तहकीक़ के मुताबिक़ शर्अन सफ़र की मिक्दार साढ़े सत्तावन मील (या'नी तक़रीबन बानवे किलो मीटर) है जो कोई इतनी मिक्दार का फ़ासिला तै करने की गरज़ से अपने शहर या गाउँ की आबादी से बाहर निकल आया,⁽⁴⁾ वोह अब शर्अन मुसाफ़िर है। उसे रोज़ा क़ज़ा कर के रखने की इजाज़त है।



1... بدائع الصنائع، کتاب الصوم، 266/2

2... फैज़ाने सुन्नत، स. 1006 ता 1010

3... बहारे शरीअत, 1/990, हिस्सा : 5

4... फ़तावा रज़विय्या, 8/243, बहारे शरीअत, 1/740, हिस्सा : 4

रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें

सुवाल रोज़ा किन चीज़ों से टूटता है ?

जवाब खाने, पीने या हम बिस्तरी करने से रोज़ा जाता रहता है जब कि रोज़ादार होना याद हो।⁽¹⁾

* हुक्का, सिगार, सिगरेट, चुरट वगैरा पीने से भी रोज़ा जाता रहता है। अगर्चे अपने खयाल में हल्क तक धूआं न पहुंचता हो। * पान या सिर्फ़ तम्बाकू खाने से भी रोज़ा जाता रहेगा अगर्चे आप बार बार उस की पीक थूकते रहें। क्यूं कि हल्क में उस के बारीक अज्ज़ा ज़रूर पहुंचते हैं। * शकर वगैरा ऐसी चीज़ें जो मुंह में रखने से घुल जाती हैं मुंह में रखी और थूक निगल गए रोज़ा जाता रहा।⁽²⁾

* दांतों के दरमियान कोई चीज़ चने के बराबर या ज़ियादा थी उसे खा गए या कम ही थी मगर मुंह से निकाल कर फिर खा ली तो रोज़ा टूट गया।⁽³⁾ * दांतों से खून निकल कर हल्क से नीचे उतरा

और खून थूक से ज़ियादा या बराबर या कम था मगर इस का मज़ा हल्क में महसूस हुवा तो रोज़ा जाता रहा और अगर कम था और मज़ा भी हल्क में महसूस न हुवा तो रोज़ा न गया।⁽⁴⁾ * रोज़ा

याद रहने के बा वुजूद हुक्ना लिया। या नाक के नथनों से दवाई चढ़ाई रोज़ा जाता रहा।⁽⁵⁾

* कुल्ली कर रहे थे बिला क़स्द पानी हल्क से उतर गया या नाक में पानी चढ़ाया और दिमाग़ को चढ़ गया रोज़ा जाता रहा मगर जब कि रोज़ादार होना भूल गया हो तो न टूटेगा अगर्चे क़स्दन हो।

यूं ही रोज़ेदार की तरफ़ किसी ने कोई चीज़ फेंकी वोह उस के हल्क में चली गई तो रोज़ा जाता रहा।⁽⁶⁾ * सोते में (या'नी नौंद की हालत में) पानी पी लिया या कुछ खा लिया, या मुंह खुला था,

पानी का क़तरा या बारिश का ओला हल्क में चला गया तो रोज़ा जाता रहा।⁽⁷⁾ * दूसरे का थूक

निगल लिया या अपना ही थूक हाथ में ले कर निगल लिया तो रोज़ा जाता रहा।⁽⁸⁾ * मुंह में रंगीन



1... در مختار، کتاب الصوم، 3/419

2... बहारे शरीअत, 1/986, हिस्सा : 5 ब तग़य्युर

3... बहारे शरीअत, 1/986, हिस्सा : 5

4... در مختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم، 3/421

5... عالمگیری، کتاب الصوم، باب فیما یفسد الصوم، 1/204

6... الجوهر النيرة، 1/178

7... الجوهر النيرة، 1/178

8... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصوم، باب فیما یفسد الصوم، 1/203

डोरा वगैरा रखा जिस से थूक रंगीन हो गया फिर वोही रंगीन थूक निगल गए तो रोज़ा जाता रहा।⁽¹⁾

सुवाल किसी शख्स को खुद ब खुद उल्टी आई और उस ने येह समझा कि रोज़ा अब टूट गया है तो उस ने कुछ खाना, पीना शुरू कर दिया तो सुवाल येह है कि ऐसे शख्स पर क़ज़ा लाज़िम है या फिर कफ़़ारा भी होगा ?

जवाब पूछी गई सूरत में सिर्फ़ क़ज़ा लाज़िम है कफ़़ारा नहीं। अलबत्ता जब उल्टी के बा'द जान बूझ कर खाना खा कर उस ने रोज़ा तोड़ भी लिया था तब भी इस के बा'द खाने पीने की शर्अन इजाज़त न थी क्यूं कि रोज़ा अगर किसी ग़लती के पेशे नज़र टूट भी जाए तो फिर भी रमज़ानुल मुबारक के तक्दुस की वजह से उसे खाने पीने की इजाज़त नहीं बल्कि लाज़िम है कि रोज़ेदारों की तरह रहे लिहाज़ा इस गुनाह से तौबा भी करे।⁽²⁾

सुवाल कै आने से रोज़ा कब टूटता है ?

जवाब रोज़ा याद होने के बा वुजूद जान बूझ कर कै की और वोह मुंह भर हो और उस कै में खाना, पानी, कड़वा पानी या खून आए तो रोज़ा टूट जाएगा। बिला इख़्तियार कै हुई अब अगर वोह मुंह भर है और उस में एक चने के बराबर वापस लौटा दी तो भी रोज़ा टूट जाएगा।⁽³⁾

सुवाल रोज़े की हालत में नाक में स्प्रे करने से रोज़ा टूट जाएगा या नहीं ?

जवाब अगर अपना रोज़ादार होना मा'लूम होने के बा वुजूद उस ने ऐसा किया तो इस सूरत में उस का रोज़ा टूट जाएगा और उस पर उस रोज़े की क़ज़ा या'नी उस रोज़े के बदले में एक और रोज़ा लाज़िम होगा।⁽⁴⁾

सुवाल क्या शूगर का मरीज़ रोज़े की हालत में इन्सूलीन का इन्जेक्शन लगवा सकता है ?

जवाब हालते रोज़ा में इन्सूलीन का इन्जेक्शन लगाना जाइज़ है इस से रोज़ा नहीं टूटता। (यूंही आ़म इन्जेक्शन चाहे रग में लगाया जाए या गोश्त में इस से रोज़ा नहीं टूटेगा) क्यूं कि उम्मी तौर पर इन्जेक्शन की सूई जौफ़ (मे'दे या मे'दे तक जाने वाले रास्तों के अन्दरूनी हिस्से) या दिमाग़ तक नहीं पहुंचाई जाती



1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الصوم، باب فیما یفسد الصوم، 1/203

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत، स. 95

3... رد المحتار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم، 3/450

4... ف़तावा अहले सुन्नत، किस्त : 9, स. 18, 19 मुख़्तसर

लिहाजा येह इन्जेक्शन रोज़ा टूटने का सबब नहीं।⁽¹⁾

सुवाल अगर आंसू मुंह में चले गए और उन्हें निगल लिया तो रोज़ा टूटेगा या नहीं ?

जवाब अगर क़तरा दो क़तरा है तो रोज़ा न टूटा और ज़ियादा था कि उस की नमकीनी पूरे मुंह में महसूस हुई तो रोज़ा टूट गया। पसीने का भी येही हुक्म है।⁽²⁾

सुवाल रोज़े के कोई 6 मक्रूहात बयान कीजिये।

जवाब झूट, ग़ीबत, बद निगाही, गाली देना, बिला इजाज़ते शर्ई किसी का दिल दुखाना, दाढ़ी मुंडाना वैसे भी ना जाइज़ व हराम हैं रोज़े में और ज़ियादा हराम और इन की वजह से रोज़े में कराहियत आती और रोज़े की नूरानियत चली जाती है।⁽³⁾

सुवाल रोज़े का कफ़ारा क्या है ?

जवाब मुम्किन हो तो एक बांदी या गुलाम आज़ाद करे और येह न कर सके तो पै दर पै साठ रोज़े रखे। येह भी अगर मुम्किन न हो तो साठ मिस्कीनों को पेट भर कर दोनों वक़्त खाना खिलाए।⁽⁴⁾

सुवाल किस सूरत में बिला उज़्रे शर्ई जान बूझ कर रोज़ा तोड़ने में कफ़ारा नहीं ?

जवाब रमज़ान शरीफ़ के इलावा किसी दूसरे रोज़े के तोड़ने में कफ़ारा नहीं अगर्चे बिला उज़्रे शर्ई और जान बूझ कर हो।⁽⁵⁾ लेकिन नफ़ली रोज़ा शुरूअ कर देने से उस को पूरा करना वाजिब है, अगर जान बूझ कर तोड़ेगा तो क़ज़ा वाजिब होगी। याद रहे ! नफ़ली रोज़ा बिला उज़्र तोड़ना ना जाइज़ है।⁽⁶⁾

सुवाल किस रोज़े का तोड़ना वाजिब है और क़स्दन तोड़ने पर क़ज़ा भी नहीं ?

जवाब ईद, बक़र ईद या अय्यामे तशरीक़ में नफ़ली रोज़ा रख कर क़स्दन तोड़ने से उस की क़ज़ा

1... फ़तावा अहले सुन्नत, किस्त : 9, स. 10

2... خلاصة الفتاوى، کتاب الصوم، الفصل الثالث فیما یفسد الصوم وفیما لا یفسد، 1/253

3... फैज़ाने सुन्नत, स. 1057

4... رد المحتار، کتاب الصوم، مطلب فی الکفارة، 3/447

5... قدوری، کتاب الصوم، ص 94-95

6... در مختار، کتاب الصوم، باب ما یفسد الصوم وما لا یفسد، 3/475

वाजिब नहीं होती बल्कि उस रोज़े का तोड़ देना वाजिब है।⁽¹⁾

सवाल क्या जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो उस का रोज़ा हो जाता है ?

जवाब जी हां, जनाबत (या'नी गुस्ल फ़र्ज़ होने) की हालत में सुबह की बल्कि सारा दिन कोई जनाबत की हालत में रहा तो रोज़ा हो जाएगा।⁽²⁾ मगर इतनी देर तक जान बूझ कर गुस्ल न करना कि नमाज़ क़ज़ा हो जाए गुनाह व हाराम है।

सवाल मजबूरी के सबब रोज़ा न रखा तो मजबूरी ख़त्म होने पर क्या हुक्म है ?

जवाब बा'ज मजबूरियां ऐसी हैं जिन के सबब रमज़ानुल मुबारक में रोज़ा न रखने की इजाज़त है मगर येह याद रहे कि मजबूरी में रोज़ा मुअफ़ नहीं, वोह मजबूरी ख़त्म हो जाने के बा'द उस की क़ज़ा रखना फ़र्ज़ है। अलबत्ता क़ज़ा का गुनाह नहीं होगा।⁽³⁾

सवाल अगर किसी शर्ई मजबूरी की वजह से रमज़ान के रोज़े छूट जाएं तो उन्हें किसी भी वक़्त रख सकते हैं या सर्दियों में छूटे हुए सर्दियों में और गर्मियों में छूटे हुए गर्मियों ही में रखने होंगे ?

जवाब किसी भी वजह से ख़्वाह उज़े शर्ई की बिना पर या बिगैर किसी उज़ के रमज़ानुल मुबारक के फ़र्ज़ रोज़े न रखे हों तो उन की क़ज़ा करना ज़रूरी है और क़ज़ा में इस का अस्लन ए'तिबार नहीं कि जिस मौसिम में रोज़े छूटे हैं उसी मौसिम में रखे जाएं या'नी सर्दियों के रोज़े सर्दियों में और गर्मियों के रोज़े गर्मियों में रखने का शर्अन कोई हुक्म नहीं, अलबत्ता जल्द अज़ जल्द रोज़े रखने चाहिएं और इतनी ताख़ीर न की जाए कि अगला माहे रमज़ान आ जाए कि पिछले फ़र्ज़ रोज़े ज़िम्मे पर बाकी रहने की सूरत में इस रमज़ान के रोज़े अल्लाह की बारगाह में मक़ामे क़बूलियत पाने से महरूम रहते हैं।⁽⁴⁾

सवाल वोह कौन है जिसे माहे रमज़ान में रमज़ान के इलावा दूसरा रोज़ा रखना सहीह है ?

जवाब मुसाफ़िर और मरीज़ को माहे रमज़ान में रमज़ान के इलावा दूसरा रोज़ा रखना सहीह है।⁽⁵⁾



1... در مختار، کتاب الصوم، باب ما یفید الصوم والایفاده، 3/474

2... در مختار، کتاب الصوم، باب ما یفید الصوم والایفاده، 3/428

3... फैज़ाने सुन्नत، स. 1067

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत، स. 100

5... فتاویٰ خانیه کتاب الصوم، الفصل الثانی فی النیة، 1/97، ماخوذاً

सवाल दूध पिलाने वाली माओं के लिये रमज़ान के रोज़े का क्या हुक्म है ?

जवाब दूध पिलाने वाली मां के बारे में ये हुक्म है कि दूध पिलाने से अगर उसे या उस के बच्चे की जान को नुक़सान पहुंचने का सहीह अन्देशा हो तो उसे इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे। फिर रमज़ान गुज़र जाने के बा'द उन छोड़े गए रोज़ों की क़ज़ा करे। बहारे शरीअत में है : “हम्ल वाली और दूध पिलाने वाली को अगर अपनी जान या बच्चे का सहीह अन्देशा हो तो इजाज़त है कि उस वक़्त रोज़ा न रखे।”(1)

सवाल वोह औरत जो रमज़ान के किसी दिन में तुलूए फ़ज़्र के बा'द पाक हो जाए तो उस दिन का बक़िय्या हिस्सा उस को रोज़ेदारों की तरह गुज़ारना ज़रूरी है या नहीं ?

जवाब जो औरत रमज़ान के किसी दिन में तुलूए फ़ज़्र के बा'द पाक हो जाए तो उस दिन का बक़िय्या हिस्सा उस को रोज़ेदारों की तरह गुज़ारना वाजिब है क्यूं कि क़वानीने शरीअत की रू से हर वोह शख़्स जिस के लिये दिन के अब्बल वक़्त में रमज़ान का रोज़ा रखने में उज़्र हो और फिर वोह उज़्र दिन में किसी वक़्त ज़ाइल हो जाए और अब उस की हालत ऐसी हो कि अब्बल वक़्त में होती तो उस पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ होता तो ऐसे शख़्स पर रोज़ेदारों की तरह रहना वाजिब होता है।(2)

सवाल किस शख़्स को रोज़ा न रखने की इजाज़त है और उसे फ़िदया देने का हुक्म है ?

जवाब वोह बूढ़े अपराध जिन की उम्र ऐसी हो गई कि अब वोह रोज़ बरोज़ कमज़ोर ही होते जाएंगे, जब उन में रोज़ा रखने की ताक़त न रहे और न उन्हें आइन्दा रोज़े की ताक़त आने की उम्मीद हो तो अब उन्हें रोज़ा न रखने की इजाज़त है, लिहाज़ा हर रोज़े के बदले में “फ़िदया” या'नी दोनों वक़्त एक मिस्कीन को पेट भर खाना खिलाना उस पर वाजिब है या हर रोज़े के बदले एक सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार मिस्कीन को दे दें।(3)

सवाल किन दिनों में रोज़ा रखना मन्अ है और येह क्यूं मन्अ है ?

जवाब पांच दिनों में रोज़ा रखना मन्अ है, चार दिन ईदुल अज़हा के (10 से 13 ज़िल हिज्जा) और

1 ... बहारे शरीअत, 1/1003, हिस्सा : 5

2 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 99

3 ... در مختار، کتاب الصوم، باب الفیصد الصوم والایفصد، 471/3

एक दिन ईदुल फ़ित्र का। क्यूं कि येह दिन **अल्लाह** पाक की तरफ़ से बन्दों की दा'वत के हैं।⁽¹⁾

सवाल जिस दिन सफ़र पर रवाना होना है क्या उस दिन रोज़ा न रखने की इजाज़त है ?

जवाब अगर सफ़र का आगाज़ दिन में करना है तो उस दिन का रोज़ा छोड़ना जाइज़ नहीं अलबत्ता अगर दौराने सफ़र रोज़ा तोड़ दिया तो कफ़ारा लाज़िम नहीं आएगा मगर गुनाह ज़रूर होगा और रोज़ा कज़ा करना फ़र्ज़ रहेगा।⁽²⁾

सवाल किसी ने गुरुबे आफ़ताब से पहले कल के रोज़े की निय्यत की फिर बेहोश हो गया और ज़हूवए कुब्रा के बा'द होश आया तो क्या उस का रोज़ा हो जाएगा ?

जवाब नहीं होगा क्यूं कि अदाए रोज़ए रमज़ान, नज़्रे मुअय्यन और नफ़ली रोज़ों के लिये निय्यत का वक़्त गुरुबे आफ़ताब से ज़हूवए कुब्रा तक है इस वक़्त के अन्दर जब भी निय्यत कर ले रोज़ा हो जाएगा जब कि उस शख़्स ने आफ़ताब डूबने से पहले निय्यत की थी लिहाज़ा येह रोज़ा न हुवा, अगर आफ़ताब डूबने के बा'द निय्यत करता तो हो जाता।⁽³⁾

सवाल अगर किसी शख़्स ने एक मुल्क में रोज़ा शुरू किया और इफ़्तार से पहले किसी दूसरे मुल्क पहुंच गया तो वोह इफ़्तार कब करेगा ?

जवाब इस सूरत में वोह शख़्स जिस मुल्क में मौजूद है उसी के वक़्त के हिसाब से इफ़्तार करेगा।⁽⁴⁾

सवाल एक शख़्स की रमज़ान में आंख लेट खुली वोह येह समझते हुए कि अभी सहरि का टाइम बाक़ी है खाना खाता रहा बा'द में पता चला कि सहरि का टाइम तो ख़त्म हो चुका था फिर भी उस शख़्स ने रोज़ा रख लिया तो उस शख़्स का रोज़ा हुवा या नहीं ? अगर ऐसा हो चुका हो तो अब क्या हुक्म है ? क्या गुनाह व कफ़ारा है ?

जवाब उस शख़्स का रोज़ा नहीं हुवा, उस पर उस दिन के रोज़े की कज़ा रखना फ़र्ज़ है या'नी उस रोज़े के बदले में एक रोज़ा रखना पड़ेगा लेकिन कोई कफ़ारा नहीं और चूंकि ख़ताअन ऐसा हुवा है इस लिये गुनाह भी नहीं है। याद रहे कि ऐसी सूरत में अगरचे रोज़ा नहीं होता लेकिन बकिय्या सारा दिन

1... फ़तावा रज़विय्या, 10/351, माख़ूज़न

2... فتاوىٰ هندیہ، کتاب الصوم، الباب الخامس فی الاعتذار التي یجوز الافطار، 1/206، 144 س. फैज़انے رمज़ان،

3... فتاوىٰ خانیہ، کتاب الصوم، الفصل الثانی فی النیة، 1/97، 5 : हिस्सा : 1/967, बहारे शरीअत,

4... फ़तावा अहले सुन्नत, किस्त : 9, स. 21 माख़ूज़न

रोज़ादार की तरह रहना वाजिब होता है लिहाज़ा अगर इस तरह की सूरत किसी को दरपेश हुई हो और उस ने सारा दिन रोज़ादार की तरह न गुज़ारा तो वोह ज़रूर गुनहगार होगा।⁽¹⁾

सुवाल हदीसे पाक में किन चीज़ों से रोज़ा इफ़्तार करने की तरगीब आई है ?

जवाब हुज़ूर ताजदारे दो ज़हान صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जब तुम में कोई रोज़ा इफ़्तार करे तो ख़जूर या छूहारे से इफ़्तार करे कि वोह बरकत है और अगर न मिले तो पानी से कि वोह पाक करने वाला है।⁽²⁾

ए'तिकाफ़ का बयान

सुवाल जाए नमाज़ में रमज़ान के आख़िरी अंशरे का मस्नून ए'तिकाफ़ करवाया जा सकता है या नहीं ?

जवाब मर्दों के ए'तिकाफ़ के लिये वक्फ़ मस्जिद का होना शर्त है, जाए नमाज़ चूँकि मस्जिद नहीं होती इस लिये उस में मर्दों का ए'तिकाफ़ भी नहीं हो सकता। अहनाफ़ के नज़्दीक वक्फ़ मस्जिद के इलावा सिर्फ़ औरतों का ए'तिकाफ़ नमाज़ के लिये घर में मख़सूस की गई जगह जिसे मस्जिदे बैत कहते हैं उस में हो सकता है। मर्दों के ए'तिकाफ़ के लिये बहर सूरत मस्जिद ज़रूरी है, जाए नमाज़ में ए'तिकाफ़ हरगिज़ दुरुस्त न होगा।⁽³⁾

सुवाल क्या औरत दौराने ए'तिकाफ़ शदीद गरमी के सबब जाए ए'तिकाफ़ के इलावा बाथरूम में गुस्ल कर सकती है ?

जवाब मर्द अस्ले मस्जिद (या'नी वोह जगह जो नमाज़ पढ़ने के लिये खास कर के वक्फ़ होती है) से मुत्तसिल वक्फ़ जगह जो ज़रूरिय्यात व मसालेहे मस्जिद के लिये वक्फ़ होती है जिसे फ़िनाए मस्जिद कहा जाता है उस में बने हुए गुस्ल ख़ाने में दौराने ए'तिकाफ़ बिगैर ज़रूरत के भी गुस्ल कर सकता है फ़िनाए मस्जिद में जाने से उस का ए'तिकाफ़ नहीं टूटता, जब कि औरत घर में मुतअय्यन कर्दा जगह में ए'तिकाफ़ करती है, जो "मस्जिदे बैत" कहलाती है और मस्जिदे बैत में फ़िना का कोई तसव्वुर नहीं होता इस लिये औरत मस्जिदे बैत से बाहर बिला ज़रूरत नहीं निकल सकती, सूरते मस्ऊला (या'नी पूछी गई सूरत) में औरत अगर फ़र्ज गुस्ल के इलावा किसी गुस्ल मसलन गरमी की वजह से ठन्डक हासिल करने के लिये निकलेगी तो उस का ए'तिकाफ़ टूट जाएगा।⁽⁴⁾

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 91

2... तर्ज़ुम, کتاب الصوم، باب ما جاء به المستحب عليه الاطراء، 2/142، حدیث: 658

3... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 102

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 102

सबक नम्बर 43

सदक़ए फ़ित्र का बयान

अल्लाह पाक पारह 30 सूरतुल आ'ला की आयत नम्बर 14 ता 15 में इर्शाद फ़रमाता है :

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ۖ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ
فَصَلَّى ۝ (پ 30، الاعلى: 14، 15)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : बेशक मुराद को पहुंचा जो
सुथरा हुवा और अपने रब का नाम ले कर नमाज़ पढ़ी ।

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ
“ख़ज़ाइनुल इरफ़ान” में इस आयते करीमा के तहत लिखते हैं : इस आयत की तफ़्सीर में येह कहा
गया है कि “تَزَكَّى” से सदक़ए फ़ित्र देना और रब का नाम लेने से ईदगाह के रास्ते में तक्बीरें कहना और
नमाज़ से नमाज़े ईद मुराद है ।⁽¹⁾

सदक़ए फ़ित्र की अहम्मियत व फ़ज़ीलत पर तीन फ़रामीने मुस्तफ़ा

(1) सरकारे मदीना صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने एक शख़्स को हुक्म दिया कि जा कर मक्कए मुअज़्ज़मा
के गली कूचों में ए'लान कर दो “सदक़ए फ़ित्र वाजिब है ।”⁽²⁾

(2) हज़रते सय्यिदुना इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا फ़रमाते हैं : मदनी सरकार, ग़रीबों के ग़म ख़्बार
سَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने सदक़ए फ़ित्र मुक़र्रर फ़रमाया ताकि फुज़ूल और बेहूदा कलाम से रोज़ों की त़हारत
(या'नी सफ़ाई) हो जाए । नीज़ मसाकीन की ख़ूरिश (या'नी ख़ूराक) भी हो जाए ।⁽³⁾

(3) हज़रते सय्यिदुना अनस बिन मालिक رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कहते हैं, सरकारे नामदार صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
फ़रमाते हैं : जब तक सदक़ए फ़ित्र अदा नहीं किया जाता, बन्दे का रोज़ा ज़मीन व आस्मान के दरमियान
मुअल्लक़ (या'नी लटका हुवा) रहता है ।⁽⁴⁾

सदक़ए फ़ित्र के मुतअल्लिक़ अहम बातें

सुवाल सदक़ए फ़ित्र के मुतअल्लिक़ कुछ अहक़ाम बयान कर दीजिये ।

1 ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 30, अल आ'ला, तहतल आयह : 14, 15

2 ... جامع ترمذی، کتاب الزکوٰۃ، باب ما جاء فی صدقة الفطر، 151/2، حدیث: 674

3 ... سنن ابی داؤد، کتاب الزکوٰۃ، باب زکاة الفطر، 157/2، حدیث: 1609

4 ... کنز العمال، کتاب الصوم، الباب الاول، جزء: 8، 253/4، حدیث: 24124

जवाब * सदक़ए फ़ित्र उन तमाम मुसलमान मर्द व औरत पर वाजिब है जो “साहिबे निसाब” हों और उन का निसाब “हाजाते अस्लिय्या (या’नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी से)” फ़ारिग़ हो।⁽¹⁾

***** जिस के पास साढ़े सात तोले सोना या साढ़े बावन तोला चांदी या साढ़े बावन तोला चांदी की रक़म या इतनी मालिय्यत का माले तिजारत हो (और ये सब हाजाते अस्लिय्या से फ़ारिग़ हों) उस को साहिबे निसाब कहा जाता है।

***** सदक़ए फ़ित्र वाजिब होने के लिये “अक़िल व बालिग़” होना शर्त नहीं। बल्कि बच्चा या मजनून (या’नी पागल) भी अगर साहिबे निसाब हो तो उस के माल में से उन का वली (या’नी सर परस्त) अदा करे।⁽²⁾

***** सदक़ए फ़ित्र के लिये मिक्दारे निसाब तो वोही है जो ज़कात का है लेकिन फ़र्क़ येह है कि सदक़ए फ़ित्र के लिये माल के नामी (या’नी उस में बढ़ने की सलाहिय्यत) होने और साल गुज़रने की शर्त नहीं।

***** इसी तरह जो चीज़ें ज़रूरत से ज़ियादा हैं (मसलन वोह घरेलू सामान जो रोज़ाना काम में नहीं आता) और उन की कीमत निसाब को पहुंचती हो तो उन अश्या की वजह से सदक़ए फ़ित्र वाजिब है। ज़कात और सदक़ए फ़ित्र के निसाब में येह फ़र्क़ कैफ़ियत के ए’तिबार से है।⁽³⁾

***** मालिके निसाब मर्द पर अपनी तरफ़ से, अपने छोटे बच्चों की तरफ़ से और अगर कोई मजनून (या’नी पागल) औलाद है (चाहे फिर वोह पागल औलाद बालिग़ ही क्यूं न हो) तो उस की तरफ़ से भी सदक़ए फ़ित्र वाजिब है, हां अगर वोह बच्चा या मजनून खुद साहिबे निसाब है तो फिर उस के माल में से फ़ित्रा अदा कर दे।⁽⁴⁾

***** मर्द साहिबे निसाब पर अपनी बीवी या मां बाप या छोटे भाई बहन और दीगर रिश्तेदारों का फ़ित्रा वाजिब नहीं।⁽⁵⁾

***** वालिद न हो तो दादाजान वालिद साहिब की जगह हैं। या’नी अपने फ़कीर व यतीम पोते पोतियों की तरफ़ से उन पे सदक़ए फ़ित्र देना वाजिब है।⁽⁶⁾



1... عا لکیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/191

2... رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، 3/365

3... वक़ारुल फ़तावा, जिल्द 2/385, 386 मुल्लतक़तून

4... عا لکیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/191

5... عا لکیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/193

6... رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، 3/368

- * मां पर अपने छोटे बच्चों की तरफ से सदक़ाए फ़ित्र देना वाजिब नहीं।⁽¹⁾
- * बाप पर अपनी अक़िल बालिग़ औलाद का फ़ित्रा वाजिब नहीं।⁽²⁾
- * किसी सहीह शरई मजबूरी के तहत रोज़े न रख सका या **مَعَاذَ اللَّهِ** बिगैर मजबूरी के रमज़ानुल मुबारक के रोज़े न रखे उस पर भी साहिबे निसाब होने की सूरत में सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है।⁽³⁾
- * बीवी या बालिग़ औलाद जिन का नफ़का वगैरा (या'नी रोटी कपड़े वगैरा का खर्च) जिस शख्स के ज़िम्मे है वोह अगर इन की इजाज़त के बिगैर ही इन का फ़ित्रा अदा कर दे तो अदा हो जाएगा। हां अगर नफ़का उस के ज़िम्मे नहीं है। मसलन बालिग़ बेटे ने शादी कर के घर अलग बसा लिया और अपना गुज़ारा खुद ही कर लेता है तो अब अपने नान नफ़का (या'नी रोटी कपड़े वगैरा) का खुद ही ज़िम्मेदार हो गया है। लिहाज़ा ऐसी औलाद की तरफ़ से बिगैर इजाज़त फ़ित्रा दे दिया तो अदा न होगा।
- * बीवी ने बिगैर हुक्मे शौहर अगर शौहर का फ़ित्रा अदा कर दिया तो अदा न होगा।⁽⁴⁾
- * ईदुल फ़ित्र की सुब्हे सादिक़ तुलूअ होते वक़्त जो साहिबे निसाब था उसी पर सदक़ाए फ़ित्र वाजिब है। अगर सुब्हे सादिक़ के बा'द साहिबे निसाब हुवा तो अब वाजिब नहीं।⁽⁵⁾
- * सदक़ाए फ़ित्र अदा करने का अफ़ज़ल वक़्त तो येही है कि ईद को सुब्हे सादिक़ के बा'द ईद की नमाज़ अदा करने से पहले पहले अदा कर दिया जाए। अगर चांदरात या रमज़ानुल मुबारक के किसी भी दिन बल्कि रमज़ान शरीफ़ से पहले भी अगर किसी ने अदा कर दिया तब भी फ़ित्रा अदा हो गया और ऐसा करना बिल्कुल जाइज़ है।⁽⁶⁾
- * अगर ईद का दिन गुज़र गया और फ़ित्रा अदा न किया था तब भी फ़ित्रा साक़ित न हुवा। बल्कि उम्र भर में जब भी अदा करें अदा ही है।⁽⁷⁾



- 1... رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، 368/3
- 2... رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، 370/3
- 3... رد المحتار، کتاب الزکوة، باب صدقة الفطر، 367/3

4... बहारे शरीअत, 1/938, हिस्सा : 5

- 5... عالمگیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/192 مفہوما
- 6... عالمگیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/192
- 7... عالمگیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/192

* सदक़ए फ़ित्र के मसारिफ़ वोही हैं जो ज़कात के हैं। या'नी जिन को ज़कात दे सकते हैं उन्हें फ़ित्रा भी दे सकते हैं और जिन को ज़कात नहीं दे सकते उन को फ़ित्रा भी नहीं दे सकते।⁽¹⁾

* सादाते किराम को सदक़ए फ़ित्र नहीं दे सकते। क्यूं कि येह बनी हाशिम से हैं। बहारे शरीअत जिल्द अव्वल सफ़हा 931 पर है : बनी हाशिम को ज़कात नहीं दे सकते। न ग़ैर इन्हें दे सके, न एक हाशिमी दूसरे हाशिमी को। बनी हाशिम से मुराद हज़रते अली व जा'फ़र व अक़ील और हज़रते अब्बास व हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब की औलादे हैं।

सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार

सुवाल सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार क्या है ?

जवाब गेहूं या इस का आटा या सत्तू आधा साअ (या'नी दो किलो में 80 ग्राम कम) (या इन की कीमत), खजूर या मुनक्का या जव या उस का आटा या सत्तू एक साअ (या'नी चार किलो में 160 ग्राम कम) (या इन की कीमत) येह एक सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार है। एक सो पछत्तर रुपै अठन्नी भर (या'नी दो किलो से 80 ग्राम कम) वज़न गेहूं या उस का आटा या इतने गेहूं की कीमत एक सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार है।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 44

हज का बयान

हज दीने इस्लाम के बुन्यादी अरकान में से एक अहम रुक़न है, जो सिने 9 हिजरी में फ़र्ज हुवा।⁽³⁾ अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ

سَبِيْلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ عَنِ الْعَالَمِيْنَ

(प. 4, आल عمران: 97)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह के लिये लोगों पर उस घर का हज करना है जो उस तक चल सके और जो मुन्किर हो तो अल्लाह सारे जहान से बे परवाह है।

तफ़सीरे सिरातुल जिनान में है : इस आयत में हज की फ़र्जियत का बयान है और इस का कि इस्तिताअत शर्त है। हदीस शरीफ़ में ताजदारे रिसालत صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने इस की तफ़सीर “जादे राह” और “सुवारी” से फ़रमाई है।⁽⁴⁾



1... عالمگیری، کتاب الصلوة، الباب الثامن فی صدقة الفطر، 1/194

2... फैज़ाने रमज़ान، स. 316

3... در مختار، کتاب الحج، 3/517

4... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورۃ آل عمران، 5/6، حدیث: 3009، 97 : آله इमरान، तहूतल आयह : 4, पारह : 4, तफ़सीरे सिरातुल जिनान,

सब से अफ़ज़ल अमल

हज़रते सय्यिदुना अबू हुरैरा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं कि ग़ैब की ख़बरें देने वाले आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से अर्ज़ किया गया : सब से अफ़ज़ल अमल कौन सा है ? फ़रमाया : **अल्लाह** पाक और उस के रसूल (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) पर ईमान लाना । अर्ज़ किया गया : इस के बा'द ? फ़रमाया : **अल्लाह** की राह में जिहाद करना । अर्ज़ किया गया : फिर कौन सा ? फ़रमाया : हज़्जे मबरूर करना ।⁽¹⁾

मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हज़्जे मबरूर से मुराद वोह हज़ है जिस में गुनाह से बचा जाए या वोह हज़ जिस में रिया व नामो नुमूद से परहेज़ हो या वोह हज़ जिस के बा'द हाजी मरते वक़्त तक गुनाहों से बचे, हज़ बरबाद करने वाला कोई अमल न करे । ख़्वाजा हसन बसरी رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि हज़्जे मक़बूल वोह है जिस के बा'द हाजी दुनिया में ज़ाहिद, आख़िरत में राग़िब रहे ।⁽²⁾

हज़ फ़र्ज़ होने के लिये ज़ादे राह की मिक्दार

सुवाल हज़ फ़र्ज़ होने के लिये कितना ज़ादे राह होना चाहिये ?

जवाब खाने पीने का इन्तिज़ाम इस क़दर होना चाहिये कि जा कर वापस आने तक उस के लिये काफ़ी हो और येह वापसी के वक़्त तक अहलो इयाल के ख़र्च के इलावा होना चाहिये । रास्ते का अम्न भी ज़रूरी है क्यूं कि इस के बिग़ैर हज़ की अदाएंगी लाज़िम नहीं होती ।⁽³⁾

हज़ वाजिब होने की शराइत

सुवाल हज़ वाजिब होने की कितनी और कौन कौन सी शराइत हैं ?

जवाब हज़ वाजिब होने की आठ शर्ते हैं, जब तक वोह सब न पाई जाएं हज़ फ़र्ज़ नहीं : (1) इस्लाम (या'नी मुसलमान होना काफ़िर पर हज़ फ़र्ज़ नहीं) (2) दारुल हर्ब में हो तो येह भी ज़रूरी है कि जानता हो कि हज़ इस्लाम के अरकान में से है (3) बुलूग़ (या'नी बालिग़ होना) (4) अक़िल होना (5) आज़ाद होना (6) तन्दुरुस्त हो (7) सफ़र ख़र्च का मालिक हो और सुवारी पर क़ादिर हो (8) (हज़ का) वक़्त (या'नी हज़ के महीनों में तमाम शराइत पाए जाएं ।)



1... بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، 1/512، حدیث: 1519

2... میرآاتول مناجیہ، 5/441

3... تفسیر سیراتول جنان، پارہ : 4، آالے इمرान، तहतल आयह : 97, 2/17

हज किसे कहते हैं ?

सुवाल हज की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब एहराम बांध कर नवीं (9) जुल हिज्जा को अरफ़ात में ठहरने और का'बए मुअज़्ज़मा के तवाफ़ को हज कहते हैं।⁽¹⁾

हज की अक्सांम

सुवाल हज की कितनी किस्में हैं ?

जवाब हज की तीन किस्में हैं : (1)..... हज्जे क़िरान (2)..... हज्जे तमत्तोअ (3)..... हज्जे इफ़राद ।

सुवाल हज्जे क़िरान से क्या मुराद है ?

जवाब हज्जे क़िरान से येह मुराद है कि हाजी उम्रह और हज दोनों का एहराम एक साथ बांधे ।

सुवाल हज्जे तमत्तोअ से क्या मुराद है ?

जवाब हज्जे तमत्तोअ से मुराद येह है कि हाजी हज के महीने में उम्रह करे फिर उसी साल हज का एहराम बांधे या पूरा उम्रह न किया, सिर्फ़ चार फेरे किये फिर हज का एहराम बांधा ।

सुवाल हज्जे इफ़राद से क्या मुराद है ?

जवाब हज्जे इफ़राद से मुराद येह है कि हाजी हज के महीने में सिर्फ़ हज करे ।

सुवाल सब से अफ़ज़ल हज कौन सा है ?

जवाब सब से अफ़ज़ल क़िरान है फिर तमत्तोअ फिर इफ़राद ।

सुवाल हज्जे अक्बर की ता'रीफ़ क्या है ?

जवाब हज्जे अक्बर के मुतअल्लिक़ फ़ुक़हा के मुख़्तलिफ़ अक्वाल हैं और मशहूर क़ौल येह है कि नबिय्ये पाक ﷺ ने जिस दिन हज फ़रमाया था उसे हज्जे अक्बर कहा जाता है और चूँकि

1 ...बहारे शरीअत, 1/1035, हिस्सा : 6 ब तसर्तुफ़ क़लील

वोह हज जुमुआ के दिन किया गया था तो नबिय्ये पाक ﷺ के हज की याद ताज़ा करते हुए मुसलमान उस हज को कि जो जुमुआ के दिन वाक़ेअ हो हज्जे अक्बर कहते हैं।⁽¹⁾

हज का मुख़्तसर तरीक़ा

हिन्दूस्तान से आने वाले उमूमन हज्जे तमतोअ ही किया करते हैं। ज़ैल में निहायत इख़्तिसार से इस का तरीक़ा (जब कि कुरबानी का जानवर साथ न हो) घर से रवाना हो कर इख़्तितामे हज तक पेशे ख़िदमत है :

01	घर से रवानगी
02	मीक़ात से पहले उम्रह की निय्यत से एहराम बांधना
03	का'बे शरीफ़ का तवाफ़ करना और मक़ामे इब्राहीम पर दो रक्अत नमाज़ पढ़ना और आबे ज़मज़म पीना
04	सई करना और इस के बा'द हल्क़ या क़स्स कराना और एहराम खोलना
05	8 ज़िल हिज्जा को दोबारा एहराम बांध कर मिना जाने की तय्यारी करना और मिना में जा कर ज़ोहर, अस्स, मग़रिब और इशा की नमाज़ अदा करना
06	9 ज़िल हिज्जा को मक़ामे अरफ़ात में ज़ोहर व अस्स की नमाज़ें पढ़ना। वुकूफ़े अरफ़ात करना
07	9 ज़िल हिज्जा को सूरज ग़रूब होने के बा'द अरफ़ात से मुज्दलिफ़ा पहुंच कर नमाज़े मग़रिब व इशा मिला कर पढ़ना। रात मुज्दलिफ़ा में क़ियाम और तुलूआ आप़ताब से कुछ पहले तक मुज्दलिफ़ा में वुकूफ़ करना
08	10 ज़िल हिज्जा को मुज्दलिफ़ा से मिना में आना और ज़मतुल अक़बा पर कंकरीयां मारना। कुरबानी करना और हल्क़ या क़स्स करना
09	10 ज़िल हिज्जा को हल्क़ या क़स्स के बा'द मक्कए मुकर्रमा में जा कर तवाफ़े ज़ियारत करना
10	11, 12, 13 ज़िल हिज्जा को मिना में क़ियाम करना। और तीनों दिनों में ज़मरात पर कंकरीयां मार कर मक्कए मुकर्रमा रवाना होना। और फिर वापस मिना आना।
11	14 ज़िल हिज्जा या जब रुख़्सत का इरादा हो तवाफ़े वदाअ करना
12	सफ़रे मदीनए तय्यिबा खास ब क़स्दे ज़ियारते शरीफ़ा

¹... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 103

हज के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहक़ाम

सुवाल हज के कुछ अहक़ाम बताइये ।

जवाब (1) हज फ़र्ज़ है, जो इस की फ़र्ज़ियत का इन्कार करे काफ़िर है । हज उम्र भर में सिर्फ़ एक ही बार फ़र्ज़ है ।⁽¹⁾ (2) जिस शख्स को हज पर जाने की कुदरत हासिल हो जाए तो उस पर उसी साल हज पर जाना फ़र्ज़ है, अगर ताख़ीर करेगा तो गुनहगार होगा । (3) कुदरत होने के बावजूद जो शख्स चन्द साल तक हज न करे तो वोह फ़ासिक़ है, उस की गवाही मरदूद है । (4) हज की क़ज़ा नहीं है ज़िन्दगी में जब भी करेगा अदा ही कहलाएगा ।⁽²⁾ (5) दिखावे के लिये और हराम के पैसों से हज करना हराम है ।⁽³⁾ (6) हज को जाने के लिये जिस से इजाज़त लेना वाजिब है बिग़ैर उस की इजाज़त के जाना मक्रूह है मसलन मां बाप अगर उस की ख़िदमत के मोहताज हों और मां बाप न हों तो दादा, दादी का भी येही हुक्म है । येह हज फ़र्ज़ का हुक्म है और नफ़ल हो तो मुत्लक़न वालिदैन की इताअत करे ।⁽⁴⁾

हज करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल हज करने के फ़ाएदे बयान कीजिये ।

जवाब * हज करना एक अफ़ज़ल अमल है ।⁽⁵⁾ * हज कमज़ोरों का जिहाद है ।⁽⁶⁾ * हज करने वाला कभी मोहताज नहीं होता ।⁽⁷⁾ * हज मोहताजी और गुनाहों को ऐसे दूर करता है जैसे भट्टी लोहे, चांदी और सोने के मैल को दूर करती है ।⁽⁸⁾ * हज करने वाला अपने घर वालों में से चार सो (400) लोगों की शफ़ाअत करेगा ।⁽⁹⁾ * जो शख्स हज के इरादे से निकले और रास्ते में ही फ़ौत हो जाए तो क़ियामत तक उस के लिये हज करने वाले का सवाब लिखा जाता रहेगा ।⁽¹⁰⁾ * जो हज करने के बा'द



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب المناسک، باب فی تفسیر الحج و فرضیتہ، 1/216

2... در مختار، کتاب الحج، 3/520

3... در مختار مع رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بہال حرام، 3/519

4... در مختار مع رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فیمن حج بہال حرام، 3/520

5... بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، 1/512، حدیث: 1519

6... ابن ماجہ، کتاب المناسک، باب الحج جہاد النساء، 3/414، حدیث: 2902

7... معجم اوسط، 4/61، رقم: 5213

8... ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء فی ثواب الحج والعمرۃ، 2/218، حدیث: 810 مختفرا

9... مسند بزار، مسند ابی موسیٰ الاشعری، 8/169، حدیث: 3196

10... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابو ہریرہ، 5/441، حدیث: 6327

मरता है वोह शहादत का रुत्बा पाता है।⁽¹⁾ * हज्जे मक्बूल दुन्या और इस में जो कुछ है उन में सब से बेहतर है और इस की जज़ा जन्नत के सिवा कुछ नहीं।⁽²⁾ * बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वालों के लिये 60 रहमतें नाज़िल होती हैं।⁽³⁾ * हज करने वाले जब मक्काए मुकर्रमा आते हैं तो फ़िरिशते उन से मुलाक़ात करते हैं। * सुवारियों पर सुवार बा'ज हाजियों को सलाम, बा'ज से मुसाफ़हा करते और पैदल चलने वालों से गले मिलते हैं।⁽⁴⁾ * हज करने वाला बख़्श दिया जाता है, बल्कि हाजी माहे जुल हिज्जतिल ह़राम, मुहर्रमुल ह़राम, सफ़रुल मुज़फ़्फ़र और रबीउल अव्वल के 20 दिनों में जिस के लिये बख़्शिश चाहे उस की भी मग़्फ़िरत हो जाती है।⁽⁵⁾

हज न करने के नुक़सानात

सुवाल हज फ़र्ज़ होने के बा वुजूद अदा न करने के क्या नुक़सानात हैं ?

जवाब * हज फ़र्ज़ होने के बा वुजूद जान बूझ कर न करना जहन्नम में ले जाने वाला काम है। * फ़रीज़ए हज को तर्क करना अल्लाह पाक की नाराज़ी का सबब है। * जो हज पर कादिर हो और हज न करे वोह सख़्त मुजरिम व गुनहगार है। * (इस्तिताअत के बा वुजूद) हज न करने का अमल कुफ़्फ़ार से मुशाबहत है।⁽⁶⁾ * जिसे हज करने से न ज़ाहिरी हाजत रुकावट हुई, न ज़ालिम बादशाह, न कोई ऐसा मरज़ जो रोक दे फिर बिग़ैर हज किये मर गया तो चाहे यहूदी हो कर मरे या नसरानी हो कर।⁽⁷⁾ * जिस बन्दे का जिस्म तन्दुरुस्त हो और वोह माली ए'तिबार से खुशहाल हो और वोह पांच साल तक हज न करे वोह ज़रूर महरूम है।⁽⁸⁾

पहले फ़र्ज़ हज करें या बेटी की शादी ?

सुवाल अगर किसी शख्स पर हज फ़र्ज़ हो जाए मगर उस की बेटी जवान घर में हो तो क्या उसे हज करने जाना चाहिये या पहले बेटी की शादी करनी चाहिये बा'ज लोग कहते हैं कि पहले बेटी का फ़र्ज़



1... احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الحج، 1/323

2... احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الحج، 1/322

3... شعب الایمان، باب فی المناسک، فضیلة الحجرة الاسود... الحج، 3/455، حدیث: 4051

4... احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الحج، 1/323

5... احیاء العلوم، کتاب اسرار الحج، الفصل الاول فی فضائل الحج... الحج، 1/323

6... तपस्रीरे नईमी, पारह : 4, आले इमरान, तह्मतल आयह : 97, 4/38

7... دارمی، کتاب المناسک، باب من مات ولم یحج، 2/45، حدیث: 1785

8... صحیح ابن حبان، کتاب الحج، باب فی فضل الحج والعمره، 6/4، حدیث: 3695

अदा कर लें फिर हज को जाएंगे जब कि बेटी के लिये अभी रिश्ता तलाश कर रहे होते हैं क्या इस वजह से हज में ताखीर करना जाइज है ?

जवाब जिस शख्स पर हज फर्ज हो चुका उस पर फर्ज है कि उसी साल हज को जाए बिला उज्रे शर्ई उस साल हज न करना गुनाह है और फुकहा ने जिन आ'जार की वजह से हज की अदाएगी फर्ज न होने का हुक्म दिया है उन में बेटी की शादी को शुमार नहीं किया लिहाजा इस वजह से जो हज मुअख़्ख़र करेगा गुनाहगार होगा चन्द साल तक न किया तो फ़ासिक है और उस की गवाही मरदूद मगर जब करेगा अदा ही है कज़ा नहीं ।

बा'ज लोगों का ख़याल होता है कि अगर हज करने जाएंगे तो बच्चियों की शादी के लिये पैसे नहीं बचेंगे तो याद रहे कि शादी के लिये कसीर अख़राजात करना न फर्ज है न लाज़िम बल्कि बा'ज सूरतों में गुनाह जैसे गाने बाजे और ना जाइज रस्मों पर खर्च करना तो शरीअत के मुताबिक और सादगी से शादी करें जिस के लिये कसीर माल होना कोई ज़रूरी नहीं । दूसरी बात येह है कि हज करना मुफ़िलसी पैदा नहीं करता बल्कि हज तो ग़नी बनाता है लिहाजा हज करें मुक़द्दस मक़ामात पर जा कर दुआ करें, **अल्लाह** करीम बेहतर अस्बाब पैदा फ़रमाएगा ।⁽¹⁾ हदीसे पाक में है : हज करो ग़नी हो जाओगे ।⁽²⁾

सुवाल हज के अरकान कितने और कौन कौन से हैं नीज इस का रुक्ने आ'ज़म कौन सा है ?

जवाब हज के दो रुकन हैं : (1) तवाफ़ुज़्ज़ियारह (2) वुकूफ़े अरफ़ा ।⁽³⁾ 9 जुल हिज्जा को वुकूफ़े अरफ़ा हज का रुक्ने आ'ज़म है ।⁽⁴⁾

सुवाल एहराम के क्या मा'ना हैं ?

जवाब एहराम के लफ़्ज़ी मा'ना हैं : हराम करना, क्यूं कि एहराम बांधने वाले पर बा'ज हलाल बातें भी हराम हो जाती हैं ।⁽⁵⁾

सुवाल एहराम की हालत में इत्र की शीशी हाथ में ली और हाथ में खुशबू लग गई तो क्या कफ़फ़ारा है ?

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 104

2 ... مصنف عبد الرزاق، باب فضل الحج، 5/8، حديث: 2359

3 ... در مختار، کتاب الحج، 3/537

4 ... रफीकुल हरमैन, स. 159, 160

5 ... रफीकुल मो'तमिरीन, स. 28

जवाब अगर लोग देख कर कहें कि यह बहुत सी खुशबू लग गई है अगरचें उज्ज के थोड़े से हिस्से में लगी हो तो दम वाजिब है, वरना मा'मूली सी खुशबू भी लग गई तो सद्का है।⁽¹⁾

सुवाल क्या एहराम की हालत में जूं भी नहीं मार सकते ?

जवाब जी हां ! जूं मारना, फेंकना, किसी को मारने के लिये इशारा करना, कपड़ा उस के मारने के लिये धोना या धूप में डालना, बालों में जूं मारने के लिये किसी किस्म की दवा वगैरा डालना, गरजे कि किसी तरह उस के हलाक पर बाइस होना ये सब हराम है।⁽²⁾

सुवाल इज्तिबाअ किसे कहते हैं ?

जवाब मर्द अपनी चादर सीधे हाथ की बगल के नीचे से निकाल कर उस के दोनों पल्ले उलटे कन्धे पर इस तरह डाले कि सीधा कन्धा खुला रहे।⁽³⁾

सुवाल इस्तिलाम क्या है ?

जवाब हजरे अस्वद को बोसा देने या हाथ या लकड़ी से छू कर चूम लेने या इशारा कर के हाथों को बोसा देने को इस्तिलाम कहते हैं।⁽⁴⁾

सुवाल सई किसे कहते हैं ?

जवाब सफ़ा व मर्वह के दरमियान दौड़ने को सई कहते हैं।⁽⁵⁾

सुवाल रमी किसे कहते हैं ?

जवाब जमरात (या'नी शैतानों) पर कंकरियां मारना रमी कहलाता है।⁽⁶⁾

सुवाल रमल किसे कहते हैं ?

1 ... बहारे शरीअत, 1/1163, हिस्सा : 6 माखूज़न

2 ... फ़तावा रज़विyyा, 10/733 माखूज़न

3 ... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکہ، 579/3

4 ... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی دخول مکہ، 578/3، 579/3، हिस्सा : 6, बहारे शरीअत, 1/1096

5 ... बहारे शरीअत, 1/1048, हिस्सा : 6

6 ... रफीकुल हरमैन, स. 60

जवाब अकड़ कर शाने (कन्धे) हिलाते हुए छोटे छोटे क़दम उठाते हुए क़दरे (या'नी थोड़ा) तेज़ी से चलना ।⁽¹⁾

सवाल तवाफ़ में कितने फेरे और कितने इस्तिलाम होते हैं ?

जवाब सात (7) फेरे और आठ (8) इस्तिलाम ।⁽²⁾

सवाल तक्सीर की ता'रीफ़ बताइये ।

जवाब तक्सीर या'नी कम अज़ कम चौथाई (1/4) सर के बाल उंगली के पोरे बराबर कटवाना ।⁽³⁾

सवाल ख़वातीन की तक्सीर का आसान तरीक़ा क्या है ?

जवाब इस का आसान तरीक़ा येह है कि अपनी चुटिया के सिरे को उंगली के गिर्द लपेट कर उतना हिस्सा काट लें, लेकिन येह एहतिyात लाज़िमी है कि कम अज़ कम चौथाई (1/4) सर के बाल पोरे के बराबर कट जाएं ।⁽⁴⁾

सवाल औरत जो उम्रह के तवाफ़ व सई से फ़ारिग़ हो चुकी, अभी तक्सीर नहीं की वोह अपने शौहर के एहराम से निकलने के वक़्त (या'नी उस के उम्रह के तवाफ़ व सई से फ़ारिग़ होने के बा'द) क्या उस का हल्क़ या तक्सीर कर सकती है ?

जवाब जी हां ! कर सकती है कि जब एहराम से बाहर होने का वक़्त आ गया तो अब मोहरिम अपना या दूसरे का सर मूंड सकता है, अगर्चे येह दूसरा भी मोहरिम हो और इस का एहराम से बाहर होने का वक़्त आ गया हो ।⁽⁵⁾

सवाल तवाफ़ में कितनी और कौन कौन सी बातें हराम हैं ?

जवाब तवाफ़ में सात बातें हराम हैं : (1) बे वुजू तवाफ़ करना (2) जो उज़्व सत्र में दाख़िल है उस का चौथाई (1/4) हिस्सा खुला होना, मसलन रान या आज़ाद औरत का कान या कलाई (3) बे मजबूरी सुवारी पर या किसी की गोद में या कन्धों पर तवाफ़ करना (4) बिला उज़्र बैठ कर सरकना या घुटनों पर चलना (5) का'बे को सीधे हाथ पर ले कर उलटा तवाफ़ करना (6) तवाफ़ में "हतीम" के अन्दर हो कर गुज़रना (7) सात फेरों से कम करना ।⁽⁶⁾



1... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، 1/226

2... रफ़ीकुल मो'तमिरिन, स. 114

3... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الخامس فی کیفیۃ اداء الحج، 1/231

4... रफ़ीकुल मो'तमिरिन, स. 138

5... मुख्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 117

6... फ़तावा रजविय्या, 10/744, बहारे शरीअत, 1/1112, 1113, हिस्सा : 6

औरत का बिगैर महरम के हज व उम्रह पर जाना कैसा ?

सवाल क्या कोई औरत बिगैर महरम हज व उम्रे के लिये जा सकती है ? जब कि औरत बिगैर महरम दीगर ममालिक और अपने मुल्क में दीगर शहरों का सफ़र करती है तो हज या उम्रे के लिये क्यों नहीं जा सकती ? किसी औरत के पास महदूद रक़म हो जिस से वोह खुद हज या उम्रह कर सकती है तो क्या किसी ग्रूप या फ़ेमिली के साथ जा सकती है ?

जवाब जिस औरत को हज व उम्रह या किसी और काम के लिये शर्ई सफ़र करना पड़े (शर्ई सफ़र से मुराद तीन दिन की राह या'नी तक्रीबन 92 किलो मीटर या इस से ज़ा़द सफ़र करना पड़े बल्कि ख़ौफ़े फ़ितना की वजह से तो उलमा एक दिन की राह जाने से भी मन्अ करते हैं) तो उस के हमराह शौहर या महरम होना शर्त है, इस के बिगैर सफ़र करना ना जाइज़ व हराम है। लिहाज़ा येह हुक्म सिर्फ़ हज व उम्रे के साथ ख़ास नहीं बल्कि किसी भी जगह शर्ई सफ़र करना पड़े तो येही हुक्म होगा ख़्वाह औरत कितनी ही बूढ़ी हो, बिगैर महरम सफ़र नहीं कर सकती, किसी ग्रूप व फ़ेमिली के साथ भी नहीं जा सकती अगर जाएगी तो गुनहगार होगी और उस के हर क़दम पर गुनाह लिखा जाएगा।⁽¹⁾

सवाल सफ़रे हज के दौरान मौत आने की क्या फ़ज़ीलत है ?

जवाब हुज़ूरे अकरम, शफ़ीए मुअज़्ज़म ﷺ ने फ़रमाया : जो हज के लिये निकला और मर गया क़ियामत तक उस के लिये हज का सवाब लिखा जाएगा।⁽²⁾

सवाल हज़्जे मबरूर किसे कहते हैं और इस का सवाब क्या है ?

जवाब वोह हज जिस में रियाकारी और नामवरी का कोई शाएबा भी न हो और न ही कोई फ़ोहूश कलामी हो और न कोई गुनाह और वोह हज माले हलाल से हो।⁽³⁾ हदीसे पाक में है : हज़्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।⁽⁴⁾

सवाल मीकात कितने और कौन कौन से हैं ?

जवाब मीकात पांच हैं : (1) **ज़ुल ह़ुलैफ़ा** : येह मदीनए तय्यिबा से मक्काए मुकर्रमा आने वालों के लिये मीकात है। (2) **ज़ाते इर्क़** : येह इराक़ वालों के लिये मीकात है। (3) **जुहूफ़ा** : येह अहले शाम

1 ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 114

2 ... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی ہریرہ، 5/441، حدیث: 6327

3 ... شرح الموطا للزرقانی، کتاب الحج، باب جامع ما جاء فی العمرۃ، 2/376، تحت الحدیث: 783

4 ... بخاری، کتاب العمرۃ، باب العمرۃ... الخ، 1/586، حدیث: 1773

के लिये मीकात है। (4) **कर्नुल मनाज़िल** : येह नज्द (रियाज़) से आने वालों के लिये मीकात है।

(5) **यलम्लम** : येह अहले यमन के लिये मीकात है।⁽¹⁾

सुवाल का'बए मुशर्रफ़ा पर जब पहली नज़र पड़े तो क्या करना चाहिये ?

जवाब जूँ ही पहली नज़र पड़े तीन बार “لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ” कहिये और दुरूद शरीफ़ पढ़ कर दुआ मांगिये कि का'बतुल्लाह शरीफ़ पर पहली नज़र जब पड़ती है उस वक़्त मांगी हुई दुआ ज़रूर क़बूल होती है।⁽²⁾

सुवाल दौराने त़वाफ़ सीना या पीठ का'बे की तरफ़ हो जाए तो क्या हुक्म है ?

जवाब भीड़ के सबब या बे ख़याली में किसी त़वाफ़ के दौरान थोड़ी देर के लिये अगर सीना या पीठ का'बे की तरफ़ हो जाए तो त़वाफ़ में सीना या पीठ किये जितना फ़ासिला तै किया हो उतने फ़ासिले का इआदा (यानी दोबारा करना) वाजिब है और अफ़ज़ल येह है कि वोह फेरा ही नए सिरे से कर लिया जाए।⁽³⁾

सुवाल त़वाफ़ व सई में कौन से सात काम जाइज़ हैं ?

जवाब (1) सलाम करना (2) जवाब देना (3) ज़रूरत के वक़्त बात करना (4) पानी पीना (सई में खा भी सकते हैं) (5) हम्दो ना'त या मन्क़बत के अशआर आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना (6) दौराने त़वाफ़ नमाज़ी के आगे से गुज़रना कि त़वाफ़ भी नमाज़ ही की तरह है मगर सई के दौरान गुज़रना जाइज़ नहीं (7) फ़तवा पूछना या फ़तवा देना।⁽⁴⁾

त़वाफ़ या सई के दौरान कुछ देर आराम करना कैसा ?

सुवाल त़वाफ़ या सई के दौरान थकन की वजह से कुछ देर आराम कर सकते हैं ?

जवाब त़वाफ़ और सई के फेरे लगाने में इन का पै दर पै होना सुन्नत है और बिला उज़्र इन में फ़ासिला करना मक्रूह है। उज़्र से मुराद वुजू करना या जमाअत काइम होना या जनाज़ा आ जाना या पेशाब पाख़ाना की हाज़त होना या थक जाना है। लिहाज़ा अगर त़वाफ़ या सई के चन्द चक्कर लगाने



1...مسلم، کتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة، ص 466، حديث: 2809-2810

2...रफ़ीकुल मो'तमिरीन, स. 40

3...रफ़ीकुल मो'तमिरीन, स. 139

4...المسلك المتقسط، باب دخول مكة، فصل في مباحاته، ص 162-164-10/745، فتاوا رज़ویّیا،

के बा'द थकावट महसूस हुई और कुछ देर आराम कर लिया फिर जहां से सई या तवाफ़ छोड़ा था वहां से दोबारा शुरूअ कर दिया तो जाइज़ है अलबत्ता अगर बहुत ज़ियादा फ़ासिला कर दिया हो तो शुरूअ से करना मुस्तहब है।⁽¹⁾

मिना में पांच नमाज़ें और हज से क़ब्ल वुकूफ़ का हुक्म

सवाल मिना में वुकूफ़ और पांच नमाज़ें पढ़ने का क्या हुक्म है ?

जवाब आठ जुल हिज्जा की नमाज़े जोहर से ले कर नवीं जुल हिज्जा की नमाज़े फ़त्र तक पांच नमाज़ें मिना में पढ़ना और आठ और नव जुल हिज्जा की दरमियानी रात मिना में गुज़ारना सुन्नते मुअक्कदा है। अगर कोई इस सुन्नत को तर्क कर दे तो वोह इसाअत का मुरतकिब होगा। फ़ी ज़माना बा'ज़ मुअल्लिम अरफ़ा की पूरी रात मिना में गुज़ारने और फ़त्र की नमाज़ मिना में पढ़ने का मौक़अ नहीं देते रात ही में अरफ़ात पहुंचा देते हैं बूढ़े अफ़ाद या फ़ेमिली वालों का अपने तौर पर अगले दिन फ़त्र पढ़ कर अरफ़ात के लिये जाना बहुत सख़्त दिक्कत का काम है। जवान अफ़ाद में से भी जो पहली बार गया है वोह भी अकेला अरफ़ात पहुंच कर अपने ख़ैमे तक पहुंच जाए ये बहुत मुश्किल होता है। लिहाज़ा ऐसी सूरत में ब अग्रे मजबूरी काफ़िले के साथ ही अरफ़ात की तरफ़ निकला जा सकता है। वाज़ेह हो कि यहां हरज की वजह से सुन्नते मुअक्कदा के तर्क की ख़ास मौक़अ पर इजाज़त दी गई है। हज के बा'द बहुत सारे लोग महज़ आराम त़लबी के लिये मिना की रातें अज़ीज़िया या अपने होटल में कहीं और गुज़ारते हैं वोह बुरा करते हैं वहां रुख़्सत की गुन्जाइश नहीं।⁽²⁾

सवाल ब हालते एहराम अगर वुजू करने में बाल झड़ें तो क्या इस पर भी कफ़ारा है ?

जवाब वुजू करने में, खुजाने में या कंधा करने में अगर दो या तीन बाल गिरे तो हर बाल के बदले में एक एक मुठ्ठी अनाज या एक एक टुकड़ा रोटी या एक छुवारा ख़ैरात करें और तीन से ज़ियादा गिरे तो सदक़ा देना होगा।⁽³⁾

सवाल एहराम में खुशबू लगा ली और कफ़ारा भी दे दिया तो अब लगी रहने दें या क्या करें ?

जवाब खुशबू लगाना जब जुर्म क़रार पाया तो बदन या कपड़े से दूर करना वाजिब है और कफ़ारा देने के बा'द अगर ज़ाइल (या'नी दूर) न किया तो फिर दम वग़ैरा वाजिब होगा।⁽⁴⁾

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 111

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 108

3... المسلك المستقط، باب الجنایات، فصل فی سقوط الشعر، ص 327

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، 1/241

हालते एहराम में कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ करना कैसा ?

सुवाल हालते एहराम में जुकाम होने की सूरत में क्या कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ कर सकते हैं ? नीज़ चेहरे से कपड़े के ज़रीए पसीना साफ़ करने का क्या हुक्म है ?

जवाब एहराम की हालत में जुकाम हो जाए तो कपड़े या टिशू पेपर से उसे साफ़ नहीं कर सकते, ऐसे मौक़ए पर कपड़ा नाक से दूर रखते हुए कुछ करीब कर के उस में नाक साफ़ कर ली जाए, इसी तरह कपड़े वगैरा से पसीना साफ़ करने की भी इजाज़त नहीं ।

मस्अले की तफ़्सील येह है कि हालते एहराम में मोहरिम पर लाज़िम होता है कि वोह अपना चेहरा खुला रखे, किसी भी चीज़ से न छुपाए ख़्वाह वोह चीज़ कपड़ा हो या कोई और चीज़ मसलन टिशू पेपर, नाक या पसीना साफ़ करने के लिये जब कपड़ा या टिशू पेपर चेहरे के किसी हिस्से मसलन नाक या पेशानी वगैरा पर रखेंगे तो चेहरा छुप जाएगा जिस की मोहरिम को इजाज़त नहीं लिहाज़ा कपड़े और टिशू पेपर वगैरा से जुकाम होने पर नाक साफ़ करने और पसीना साफ़ करने की इजाज़त नहीं ।⁽¹⁾

औरत का हज़ व उम्रह के लिये एहराम (खुसूसी स्कार्फ़) लेना कैसा ?

सुवाल औरत को हज़ या उम्रह करने के लिये एहराम (खुसूसी स्कार्फ़) लेना ज़रूरी है या वोह अपने अबाया में भी उम्रह कर सकती है ?

जवाब हज़ या उम्रह या दोनों की निय्यत कर के तल्बिया (لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ --إِنِّ) पढ़ते हैं जिस से बा'ज़ हलाल चीज़ें भी हराम हो जाती हैं इस को एहराम कहते हैं और मजाज़न उन दो अनसिली सफ़ेद चादरों को एहराम कह दिया जाता है जो हालते एहराम में इस्ति'माल की जाती हैं लेकिन येह चादरें एहराम नहीं हैं सिर्फ़ मर्दों के लिये इस वजह से ज़रूरी हैं कि मर्दों के लिये हालते एहराम में सिला हुआ कपड़ा पहनना हराम है लेकिन औरतों के लिये ऐसा नहीं है उन्हें हालते एहराम में सिले हुए कपड़े मोज़े दस्ताने पहनने की इजाज़त है बल्कि चेहरे, दोनों हाथ पहुंचों तक, क़दम और उन की पुश्त के इलावा हस्बे मा'मूल अपना सारा बदन छुपाना फ़र्ज़ है सिर्फ़ चेहरा खुला रखना ज़रूरी है कि इस को हालते एहराम में इस तरह छुपाना कि कपड़ा वगैरा चेहरे से मस कर रहा हो औरत के लिये हराम है हां अज्जबियों से पर्दा करने के लिये चेहरे के सामने चेहरे से जुदा किसी चीज़ की आड़ कर ले मसलन गत्ता वगैरा या हाथ वाला पंखा चेहरे के सामने रखे लिहाज़ा औरत अपने अबाया में या किसी भी किस्म के

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 106

कपड़े जिन में चेहरे के इलावा सारा जिस्म छुपा हुआ हो हज या उम्रह कर सकती है खास एहराम के नाम पर जो बाज़ार से स्कार्फ़ मिलता है वोह पहनना ज़रूरी नहीं है।

याद रहे कि पहुंचों तक कलाईयों से नीचे नीचे तक हाथ और क़दम और उस की पुश्त खुली रख सकती है मगर छुपाना चाहे तो इस में भी हरज नहीं बल्कि बेहतर है इस लिये दस्ताने और मोज़े पहन सकती है हां चेहरा हरगिज़ नहीं छुपा सकती खुला रखना ज़रूरी है जो तरीका बयान हुआ चेहरे से जुदा किसी चीज़ से आड़ कर ले इसी सूरत पर अमल कर सकती है।⁽¹⁾

सुवाल मोहरिम ने अगर भूल कर सिला हुआ लिबास पहन लिया और याद आते ही उतार दिया तो कोई कफ़ारा वगैरा है या नहीं ?

जवाब कफ़ारा है ! अगरचें एक लम्हे के लिये पहना हो। जान बूझ कर पहना हो या भूले से “सदका” वाजिब हो गया और अगर चार पहर या इस से ज़ियादा चाहे लगातार कई दिन तक पहने रहा “दम” वाजिब होगा।⁽²⁾

सुवाल रहमते आलम ﷺ ने कितने उम्रे और फ़र्जियते हज के बा'द कितने हज किये ?

जवाब मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : हुज़ूर नबिय्ये पाक ﷺ ने बा'दे फ़र्जियते हज सिर्फ़ एक हज किया, उम्रे कुल चार किये।⁽³⁾

सुवाल नफ़ल हज व उम्रह करना अफ़ज़ल है या किसी ग़रीब मक़रूज़ तंगदस्त की मदद करना ?

जवाब नफ़ली कामों के बारे में काइदा येह है कि जिस की हाज़त ज़ियादा हो और जिस का नफ़अ ज़ियादा हो वोह अफ़ज़ल होता है लिहाज़ा अगर किसी मोहताज शख़्स को बहुत ज़ियादा हाज़त हो तो उस की मदद करना नफ़ली हज व उम्रह करने से अफ़ज़ल है वरना नफ़ली हज व उम्रह सदका करने से अफ़ज़ल है।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 45

उम्रह का बयान

उम्रह की फ़ज़ीलत

हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : उम्रह से उम्रह तक उन गुनाहों का

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 118

2... فتاوىٰ هندیہ، کتاب المناسک، الباب الثامن فی الجنایات، 1/242

3... میرआतुल मनाजीह، 4/108

4... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 105

कफ़ारा है जो दरमियान में हुए और हज्जे मबरूर का सवाब जन्नत ही है।⁽¹⁾

सुवाल उम्रे के तवाफ़ का एक फेरा छूट गया तो क्या कफ़ारा है ?

जवाब उम्रे का तवाफ़ फ़र्ज़ है, इस का अगर एक फेरा भी छूट गया तो दम वाजिब है, अगर बिल्कुल तवाफ़ न किया या अक्सर (या'नी चार फेरे) तर्क किये तो कफ़ारा नहीं बल्कि इन का अदा करना लाज़िम है।⁽²⁾

सुवाल तवाफ़ के फेरों में शक हो जाए तो क्या करें ?

जवाब तवाफ़ के फेरों में शक वाक़ेअ़ हुवा कि कितने हुए तो अगर तवाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब है तो अब से सात फेरे करे और अगर किसी एक आदिल शख्स ने बता दिया कि इतने फेरे हुए तो उस के कौल पर अमल कर लेना बेहतर है और दो आदिल ने बताया तो उन के कहे पर ज़रूर अमल करे और अगर तवाफ़ फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है तो ग़ालिब गुमान पर अमल करे।⁽³⁾

सबक नम्बर 46

ज़ब्ह और कुरबानी का बयान

कुरबानी एक माली इबादत है। येह ऐसा अज़ीम अमल है जो पिछली उम्मतों में भी मौजूद था, पारह 17, सूरतुल हज्ज, आयत : 34 में इर्शाद होता है :

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّدِكُرِّهِمْ وَالْحَجَّ وَالْقُرْبَانَ
مَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ بَيْتِ الْأَنْعَامِ فَلَهُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا^(پ 17، آ 34)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हर उम्मत के लिये हम ने एक कुरबानी मुकर्रर फ़रमाई कि **अल्लाह** का नाम लें उस के दिये हुए बे ज़बान चौपायों पर तो तुम्हारा मा'बूद एक मा'बूद है तो उसी के हुज़ूर गरदन रखो।

कुरबानी के दिन का सब से प्यारा अमल

उम्मुल मुअमिनीन हज़रते आइशा सिद्दीका رضی اللہ عنہا से मरवी है कि प्यारे प्यारे आका, दो जहां के मौला صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ने फ़रमाया कि यौमुन्नहर (दसवीं जुल हिज्जा) में इब्ने आदम का कोई अमल खुदा



1... بخاری، کتاب العمرۃ، باب وجوب العمرۃ وفضلها، 1/586، حدیث: 1773

2... المسک التتقط، باب الجنایات، فصل فی الجنایۃ فی طواف العمرۃ، ص 353

3... رد المحتار، کتاب الحج، مطلب فی طواف القدوم، 3/582

के नज़दीक खून बहाने (कुरबानी करने) से ज़ियादा प्यारा नहीं और वोह जानवर क़ियामत के दिन अपने सींग और बाल और खुरों के साथ आएगा और कुरबानी का खून ज़मीन पर गिरने से क़बूल खुदा के नज़दीक मक़ामे क़बूल में पहुंच जाता है, लिहाज़ा इस को खुशदिली से करो।⁽¹⁾

कुरबानी करने के फ़ाएदे और सवाबात

सुवाल कुरबानी के सवाबात और फ़वाइद बयान कीजिये।

जवाब * ईद के दिन कुरबानी में माल खर्च करना **अल्लाह** पाक को सब से ज़ियादा महबूब (या'नी पसन्दीदा) है।⁽²⁾ * कुरबानी करने वाले को कुरबानी के जानवर के हर बाल के बदले में एक नेकी मिलती है।⁽³⁾ * जो सवाब की खातिर खुशदिली से कुरबानी करेगा तो वोह उस के लिये जहन्नम की आग से रुकावट हो जाएगी।⁽⁴⁾ * कुरबानी नेकियों के पल्ले में रखी जाएगी जिस से नेकियों का पलड़ा भारी हो जाएगा।⁽⁵⁾ * कुरबानी करने वाले के लिये उस की कुरबानी सुवारी बन जाएगी जिस के ज़रीए वोह बा आसानी पुल सिरात से गुज़र जाएगा। और उस का हर उज़्व कुरबानी पेश करने वाले के हर उज़्व के लिये जहन्नम से आज़ादी का फ़िदया बनेगा।⁽⁶⁾ * कुरबानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरते ही गुनाहों को बख़्शा दिया जाता है और बरोजे क़ियामत कुरबानी का जानवर 70 गुना इज़ाफ़े के साथ मीज़ाने अमल में रखा जाएगा।⁽⁷⁾

कुरबानी न करने के नुक़सानात

सुवाल इस्तिताअत होने के बा वुजूद कुरबानी न करने के क्या नुक़सानात हैं ?

जवाब * कुरबानी की इस्तिताअत के बा वुजूद कुरबानी न करने वाले के मुतअल्लिक हुज़ूर **صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने नाराज़ी का इज़हार करते हुए फ़रमाया : जिस शख़्स में कुरबानी करने की इस्तिताअत हो



1... तرمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحی، 3/162، حدیث: 1498

2... معجم کبیر، 11/15، حدیث: 10894

3... ترمذی، کتاب الاضاحی، باب ماجاء فی فضل الاضحی، 3/162، حدیث: 1498

4... معجم کبیر، 3/84، حدیث: 2736

5... اشعة الملاحات، کتاب الصلاة، باب فی الاضحی، 1/654

6... مرقاة المفاتیح، کتاب الصلوة، باب فی الاضحی، 3/574، تحت الحدیث: 1470 مفهوما

7... سنن کبری للبیہقی، کتاب الضحایا، باب ما یستحب للمرء من... الخ، 9/476، حدیث: 19161

फिर भी वोह कुरबानी न करे तो वोह हमारी ईदगाह के करीब न आए।⁽¹⁾ जो सदका और कुरबानी नहीं करता उस से आराम छीन लिया जाता है।⁽²⁾

मुतफ़रिक् मसाइल

सुवाल कुरबानी किसे कहते हैं ?

जवाब मख़सूस जानवर को मख़सूस वक़्त में सवाब की निय्यत से ज़ब्ह करना कुरबानी कहलाता है।⁽³⁾

सुवाल कुरबानी किस पर वाजिब है ?

जवाब कुरबानी हर उस बालिग़ मुक़ीम मुसल्मान मर्द व औरत पर वाजिब है जो मालिके निसाब हो।⁽⁴⁾ मालिके निसाब होने से मुराद येह है कि उस शख़्स के पास साढ़े बावन (52.5) तोले चांदी या उतनी मालिय्यत की रक़म या उतनी मालिय्यत का तिजारत का माल या उतनी मालिय्यत का हाजते अस्लिyya के इलावा सामान हो और उस पर अल्लाह पाक या बन्दों का इतना क़र्ज़ा न हो जिसे अदा कर के बयान कर्दा निसाब बाकी न रहे। फ़ुक़हाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَامُ फ़रमाते हैं : हाजते अस्लिyya (या'नी ज़रूरिय्याते ज़िन्दगी) से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन की उमूमन इन्सान को ज़रूरत होती है और उन के बिग़ैर गुज़रे अवक़ात में शदीद तंगी व दुश्वारी महसूस होती है जैसे रहने का घर, पहनने के कपड़े, सुवारी, इल्मे दीन से मुतअल्लिक़ किताबें और पेशे से मुतअल्लिक़ औज़ार वग़ैरा।⁽⁵⁾

सुवाल ज़कात व कुरबानी के निसाब में क्या फ़र्क़ है ?

जवाब ज़कात और कुरबानी के निसाब में दो फ़र्क़ हैं कुरबानी के निसाब में माले नामी (या'नी बढ़ने वाला) होना और साल गुज़रना शर्त नहीं है जब कि ज़कात में येह दोनों शर्तें हैं।

सुवाल कुरबानी के मुतअल्लिक़ कुछ अहक़ाम बयान कीजिये।

जवाब * कुरबानी वाजिब होने का सबब वक़्त है जब वोह वक़्त आया और कुरबानी वाजिब होने



1... लैन माजे، کتاب الاضاحی، باب الاضاحی واجبة، 3/529، حدیث: 3123

2... फैज़ाने बाबा फ़रीद، स. 65

3... در مختار، کتاب الاضحی، 9/519

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاضحی، باب فی تفسیر ہاور کتبہا... 5/292 ملقط

5... अब्लक़ घोड़े सुवार، स. 6

की शराइत पाई गई तो कुरबानी वाजिब हो गई।⁽¹⁾ कुरबानी का वक्त दसवीं (10) जुल हिज्जा के तुलूए सुब्हे सादिक से बारहवीं (12) के गुरूबे आफ़ताब तक है। या'नी तीन दिन दो रातें।⁽²⁾ जो लोग शहर में मुकीम हैं उन के लिये शर्त है नमाज़े ईद के बा'द कुरबानी करें,⁽³⁾ फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ है : जिस ने पहले ज़ब्ह कर डाला वोह गोश्त है जो उस ने अपने घर वालों के लिये पहले ही से कर लिया है कुरबानी से उस को कुछ तअल्लुक नहीं।⁽⁴⁾ (3) जिस शख्स पर कुरबानी वाजिब हो मगर उस के पास जानवर ख़रीदने के पैसे न हों तो उसे चाहिये कि कर्ज ले कर या कोई चीज़ फ़रोख़्त कर के कुरबानी करे।⁽⁵⁾ * कुरबानी का जानवर मोटा ताज़ा अच्छा और बे ऐब होना ज़रूरी है, अगर थोड़ा सा ऐब हो तो कुरबानी मक्रूह होगी और अगर ज़ियादा ऐब है तो कुरबानी होगी ही नहीं।⁽⁶⁾ अन्धा, लंगड़ा, काना, बेहद दुबला (कमज़ोर), तिहाई से ज़ियादा कान, दुम, सींग, थन वग़ैरा कटा हुआ, पैदाइशी तौर पर जिस के कान न हों और बीमार, इन सब जानवरों की कुरबानी जाइज़ नहीं।⁽⁷⁾ * कुरबानी के जानवरों में ऊंट की उम्र पांच साल, मसलन भेंस की उम्र दो साल और बकरे की एक साल होना ज़रूरी है, इस से कम हो तो कुरबानी न होगी अलबत्ता दुम्बा या भेड़ का छे माह का बच्चा जो देखने में साल का लगे, उस की कुरबानी जाइज़ है।⁽⁸⁾ * ज़ब्ह की चार रंगों में से तीन का कट जाना काफ़ी है और अगर चारों में से हर एक का अक्सर हिस्सा भी कट गया तो जानवर हलाल है।⁽⁹⁾ वोह चार रंगें येह हैं : (1) हुल्कूम, (2) मुरी और (3, 4) वदजैन।⁽¹⁰⁾

साबिका कुरबानी की रक़म सदका करना/कुरबानी की रक़म का हीला करना

सुवाल (1) अगर किसी शख्स ने गुज़श्ता पांच साल की कुरबानियां न की हों जब कि वोह उस पर वाजिब थीं तो अब हर कुरबानी के बदले एक बकरे की ही कीमत सदका करे या भेंस के हिस्सों के



1... در مختار، کتاب الاضحیہ، 520/9

2... बहारे शरीअत, 3/336, हिस्सा : 15

3... बहारे शरीअत, 3/337, हिस्सा : 15

4... بخاری، کتاب الاضاحی، باب سنۃ الاضحیہ، 571/3، حدیث: 5545

5... फ़तावा अम्जदिय्या, 3/315 मुलख़ब्रसन

6... رد المحتار، کتاب الاضحیہ، 536/9

7... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الاضحیہ، باب بیان عمل اقامۃ الواجب، 5/297

8... در مختار، کتاب الاضحیہ، 533/9

9... बहारे शरीअत, 5/313, हिस्सा : 15

10... در مختار مع رد المحتار، کتاب الذبائح، 9/493-491

हिसाब से 5 हिस्सों की रक़म सदका करना भी जाइज़ है ? (2) जिस तरह ज़कात की रक़म शर्ई हीला करने से मद्रसे की ता'मीर (Construction) में लगाई जा सकती है क्या इसी तरह पिछली कुरबानियों की जो रक़म अदा करना लाज़िम है वोह हीले के ज़रीए मद्रसे की ता'मीर में लगा सकते हैं ?

जवाब (1) अगर किसी ने बिला उज़्र पांच साल तक कुरबानी नहीं की तो वोह इस वाजिब को छोड़ने की वजह से गुनहगार हुवा, अब इस से तौबा भी करे और इस पर हर साल की कुरबानी के बदले एक बकरी की ही कीमत सदका करना वाजिब है, भेंस के हिस्सों की कीमत सदका नहीं कर सकते कि कुतुबे फ़िक्ह में इस सूरत का येही हुक्म बयान किया गया है ।

(2) जी हां ! गुज़श्ता सालों की कुरबानी की रक़म हीलए शर्इय्या के ज़रीए मद्रसे की ता'मीर वगैरा पर लगा सकते हैं क्यूं कि येह सदक़ए वाजिबा है और सदकाते वाजिबा मसलन ज़कात और सदक़ए फ़ित्र वगैरा का येही हुक्म है ।⁽¹⁾

चार अप़राद का बराबर रक़म मिला कर जानवर कुरबान करना कैसा ?

सुवाल क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ़्तियाने शर्ए मतीन इस बारे में कि अगर चार अप़राद मिल कर बराबर बराबर रक़म डाल कर एक बड़ा जानवर मसलन भेंस ख़रीद कर ब निय्यते कुरबानी ज़ब्द करें तो उन की कुरबानी हो जाएगी या नहीं हालां कि बड़े जानवर में तो सात हिस्से होते हैं ? नीज़ उन में गोश्त की तक्सीम किस तरह होगी ?

जवाब सूरते मस्क़ला में इन चार अप़राद की कुरबानी हो जाएगी कि भेंस, ऊंट वगैरा जानवरों में कम अज़ कम हर शख़्स का सातवां हिस्सा होना ज़रूरी है और इस से ज़ियादा हो तो हरज नहीं, गोश्त वज़्न कर के बराबर बराबर तमाम शुरका में तक्सीम किया जाए ।⁽²⁾

कुरबानी के जानवर में अ़कीक़े का हिस्सा शामिल करना

सुवाल भेंस, ऊंट वगैरा की कुरबानी में अ़कीक़े का हिस्सा शामिल करना जाइज़ है या नहीं ? क्या अ़कीक़े का हिस्सा शामिल करने से कुरबानी व अ़कीक़ा हो जाएंगे ?

① ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 123

② ... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 124

जवाब भेंस, ऊंट की कुरबानी में अक़ीक़े का हिस्सा शामिल करना जाइज़ है और अक़ीक़े का हिस्सा शामिल करने से कुरबानी और अक़ीक़ा दोनों हो जाएंगे क्यूं कि कुरबानी के जानवर में दीगर वाजिबात या नफ़ल इबादात की निय्यत करना जाइज़ है और फिर चाहे 7 हिस्सों में से सिर्फ़ एक ही हिस्से में कुरबानी की निय्यत हो और बाक़ी हिस्सों में दीगर वाजिबात व नवाफ़िल की निय्यत हो जैसे कफ़़ारा व अक़ीक़े की निय्यत, कुरबानी और तमाम वाजिबात व नवाफ़िल सहीह हो जाएंगे।⁽¹⁾

जानवर ज़ब्ह करते वक़्त तक्बीर भूल जाए तो गोश्त का क्या हुक्म है ?

सुवाल अगर कोई मुसलमान जानवर ज़ब्ह करते वक़्त तक्बीर कहना भूल जाए तो उस ज़ब्ह कर्दा जानवर का गोश्त खाना हलाल है या नहीं ?

जवाब अगर वाक़ेई कोई जानवर ज़ब्ह करते वक़्त तक्बीर कहना भूल जाए तो हरज नहीं, उस जानवर का गोश्त खाना हलाल है।

बिगैर दांत वाली भेंस की कुरबानी

सुवाल ऐसी भेंस जिस की उम्र तो पूरी हो चुकी हो लेकिन अभी तक उस के दांत न निकले हों, उस की कुरबानी करने का शर्अन क्या हुक्म है ?

जवाब ऐसी भेंस जिस की उम्र इस्लामी ए'तिबार से दो साल मुकम्मल हो और उस में कुरबानी से मानेअ (रोकने वाला) कोई भी ऐब न हो तो उस की कुरबानी बिला शुबा जाइज़ है, अगरचें अभी तक उस के सामने वाले दो बड़े दांत न निकले हों (जिन की वजह से जानवर को उफ़ में "दोंदा या'नी दो दांत वाला" कहा जाता है) क्यूं कि शरीअत की तरफ़ से कुरबानी के जानवरों की मुक़रर कर्दा उम्र का पूरा होना ज़रूरी है, बड़े दांत निकलना ज़रूरी नहीं।

अलबत्ता येह याद रहे कि सामने के दो बड़े दांतों का निकलना जानवर की उम्र पूरी होने की अ़लामत है, क्यूं कि ऊंट के पांच साल की उम्र के बा'द, भेंस वगैरा के दो साल बा'द और बकरी वगैरा के एक साल के बा'द ही दांत निकलते हैं, इस से पहले नहीं, लिहाज़ा अगर किसी जानवर के दांत न निकले हों तो ख़रीदने से पहले अच्छी तरह तसल्ली कर ली जाए कि उस की उम्र मुकम्मल है या नहीं, अगर शक हो तो ऐसे जानवर को कुरबानी के लिये न ख़रीदा जाए, खुसूसन इस दौर में कि जिस में झूट

¹... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 125

बोल कर जानवर बेचना आम हो चुका है।⁽¹⁾

जिस जानवर के सींग निकाल दिये गए हों उस की कुरबानी

सुवाल किसी ने कुरबानी का ऐसा जानवर खरीदा जिस के सींग जड़ से निकाल दिये गए थे, फिर उस का ज़ख़्म भर कर ठीक हो गया और वहां खाल (Skin) जुड़ कर मुकम्मल ठीक हो गई तो अब क्या ऐसे जानवर की कुरबानी हो जाएगी ?

जवाब इस सूरत में ऐसे जानवर की कुरबानी जाइज़ है। तफ़्सील इस मस्अले में येह है कि जिस जानवर का सींग टूट गया हो, अगर सर के ऊपर वाला हिस्सा टूटा हो जो ज़ाहिर होता है तो कुरबानी जाइज़ है और अगर सर के अन्दर जड़ तक टूटे तो कुरबानी जाइज़ नहीं लेकिन इस सूरत में अगर सर का ज़ख़्म भर जाए जैसा कि सुवाल में ज़िक्र किया गया है तो अब कुरबानी जाइज़ है।⁽²⁾

मुसल्मान जन्नत में और गैर मुस्लिम जहन्नम में हमेशा क्यों रहेंगे ?

शैखुल इस्लाम हज़रते अल्लामा आबिद अन्सारी सिन्धी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं :

मुसल्मान अपने अमल की वजह से नहीं बल्कि अच्छी निय्यत की वजह से हमेशा **जन्नत** में रहेगा क्यूं कि अगर अमल की वजह से जन्नत में रहता तो जितना अमल किया उतना या उस से चन्द गुना ज़ियादा ठहरता लेकिन चूंकि मुसल्मान की येह निय्यत होती है कि अगर वोह हमेशा ज़िन्दा रहा तो हमेशा इस्लाम पर काइम रहेगा लिहाज़ा इस अच्छी निय्यत की वजह से **अल्लाह** पाक उसे **हमेशा के लिये जन्नत अता फ़रमाएगा**।

इसी तरह काफ़िर अपनी बुरी निय्यत की वजह से **हमेशा जहन्नम में रहेगा**। क्यूं कि उस की येही निय्यत होती है कि अगर वोह हमेशा ज़िन्दा रहा तो हमेशा काफ़िर रहेगा लिहाज़ा इस निय्यत की वजह से **अल्लाह** पाक उसे हमेशा जहन्नम में रखेगा।

(الرسائل الخمس للعلامة عابد السدي، ص 215 تا 216)

1... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 126-127

2... मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत, स. 127

मुआमलात का बयान

इस बाब में आप जानेंगे

- 1... हदीस में निकाह की अहमिय्यत
- 2... वलीमा की तारीफ़ और हुक्म
- 3... वक्फ़ की शराइत व अहकाम
- 4... ओन लाइन खरीदो फ़रोख़्त से मुतअल्लिक अहम मस्अला
- 5... मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स हासिल करना कैसा ?
- 6... मुक़द्दस तहरीर वाले कागज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?

सबक नम्बर 1

निकाह का बयान

कुरआन में निकाह की अहमियत

इस्लाम एक ऐसा कामिल और अकमल दीन है जिस ने इन्सान की हर शो'बे में रहनुमाई फ़रमाई है। अल्लाह करीम ने दुनिया में बहुत सी जानदार मख़्लूक़ात पैदा फ़रमाई, उन में से किसी को नर और किसी को मादा बनाया और उन में फ़ितरी ख़्वाहिशात भी रखीं, इन्सान भी अल्लाह की मख़्लूक़ात में से एक मख़्लूक़ है, लिहाज़ा उसे भी शहवानी ज़ब्बा दिया गया लेकिन इन्सान को अल्लाह पाक ने चूँकि तमाम मख़्लूक़ात में अशरफ़ो आ'ला बनाया है इस लिये उसे फ़ितरी ख़्वाहिशात पूरी करने का ज़ाबिता भी इन्तिहाई अशरफ़ो आ'ला निकाह की सूरत में अ़ता फ़रमाया है, लिहाज़ा निकाह ही वोह वाहिद ज़रीअ है जो फ़ितरी तकाज़ों को पूरा करने के लिये इस्लाम ने हमें अ़ता फ़रमाया और इस के ज़रीए हमें जानवरों से मुमताज़ कर दिया। कुरआने करीम में भी रब्बे करीम ने निकाह की तरगीब व अहमियत को बयान किया। चुनान्चे

रब्बे करीम ने पारह नम्बर 4, सूरए निसाअ की आयत नम्बर 3 में इर्शाद फ़रमाया :

فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٍ وَثُلَّةً
وَرُبْعَةً فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
(پ4، النساء: 3)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो निकाह में लाओ जो औरतें तुम्हें खुश आएँ दो दो और तीन तीन और चार चार, फिर अगर डरो कि दो बीबियों को बराबर न रख सकोगे तो एक ही करो।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनात में इस आयत के मुबारका के तहत है कि लोग यतीमों की सर परस्ती में तो ना इन्साफ़ी करने से डरते थे लेकिन बहुत से निकाह करने में कुछ ख़तरा महसूस नहीं करते थे, उन्हें बताया गया कि जब ज़ियादा औरतें निकाह में हों तो उन के हक़ में ना इन्साफ़ी से भी डरो जैसे यतीमों के हक़ में ना इन्साफ़ी करने से डरते हो और उतनी ही औरतों से निकाह करो जिन के हुक्क़ अदा कर सको।

❁ इस आयत से मा'लूम हुवा कि आज़ाद मर्द के लिये एक वक़्त में चार औरतों तक से निकाह जाइज़ है। ❁ तमाम उम्मत का इज्माअ है कि एक वक़्त में चार औरतों से ज़ियादा निकाह में रखना किसी के लिये जाइज़ नहीं सिवाए रसूले करीम ﷺ के और येह बात आप ﷺ के और येह बात आप ﷺ के

की खुसूसिय्यात में से है। ﷺ आयत में चार तक शादियां करने की इजाज़त दी गई है। ﷺ लेकिन इस के साथ ही फ़रमाया कि अगर तुम्हें इस बात का डर हो कि एक से ज़्यादा शादियां करने की सूरत में सब के दरमियान अद्ल नहीं कर सकोगे तो सिर्फ़ एक से शादी करो। ﷺ इसी से येह मा'लूम हुवा कि अगर कोई चार में अद्ल नहीं कर सकता लेकिन तीन में कर सकता है तो तीन शादियां कर सकता है और तीन में अद्ल नहीं कर सकता लेकिन दो में कर सकता है तो दो की इजाज़त है। ﷺ येह भी मा'लूम हुवा कि बीवियों के दरमियान अद्ल करना फ़र्ज़ है, इस में नई, पुरानी, कुंवारी या दूसरे की मुतल्लका, बेवा सब बराबर हैं। येह अद्ल लिबास में, खाने पीने में, रहने की जगह में और रात को साथ रहने में लाज़िम है। इन उमूर में सब के साथ यक्सां सुलूक हो।⁽¹⁾

हदीस में निकाह की अहमियत

❖ **रसूलुल्लाह** ﷺ ने फ़रमाया : ऐ जवानो ! तुम में जो कोई निकाह की इस्तिताअत रखता है वोह निकाह करे कि येह अजनबी औरत की तरफ़ नज़र करने से निगाह को रोकने वाला है और शर्मगाह की हिफ़ाज़त करने वाला है और जिस में निकाह की इस्तिताअत नहीं वोह रोजे रखे कि रोज़ा शहवत को तोड़ने वाला है।⁽²⁾

❖ **रसूलुल्लाह** ﷺ ने फ़रमाया : जो मेरे तरीके को महबूब रखे वोह मेरी सुन्नत पर चले और मेरी सुन्नत से निकाह है।⁽³⁾

निकाह की ता'रीफ़

निकाह उस अक्द को कहते हैं जो इस लिये मुक़रर किया गया कि मर्द को औरत से जिमाअ वगैरा हलाल हो जाए।⁽⁴⁾

मशहूर मुफ़स्सिर, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ निकाह का मा'ना और निकाह को निकाह कहने की वजह बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाते हैं : निकाह का मतलब ज़म होना या'नी मिलना है, चूंकि निकाह की वजह से दो शख्स या'नी ख़ावन्द व बीवी दाइमी मिल

1... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 4, अन्निसाअ, तहत्तल आयह : 3, 2/144, 145

2... بخاری، کتاب النکاح، باب من لم يتطهر الباءة فليصم، 422/3، حدیث: 5066

3... کنز العمال، کتاب النکاح، الباب الاول فی الترغیب فیہ، 116/8، 16: 44406، حدیث: 44406

4... बहारे शरीअत, 2/4, हिस्सा : 7

कर ज़िन्दगी गुज़ारते हैं बल्कि निकाह से औरत व मर्द के ख़ानदान बल्कि निकाह से कभी दो मुल्क मिल जाते हैं इस लिये इसे निकाह कहते हैं। इस्ति़लाहे शरीअत में येह लफ़्ज़ सोहबत व अक्द दोनों पर बोला जाता है।⁽¹⁾

निकाह की शराइत

निकाह के लिये चन्द शर्तें हैं : (1) अ़क़िल होना, मज़ूँ या ना समझ बच्चे ने निकाह किया तो मुन्अक़िद ही न हुवा। (2) बुलूग़, ना बालिग़ अगर समझदार है तो मुन्अक़िद हो जाएगा मगर वली की इजाज़त पर मौकूफ़ रहेगा। (3) गवाह होना, या'नी ईजाब व क़बूल दो मर्द या एक मर्द और दो औरतों के सामने हों। गवाह आज़ाद, अ़क़िल, बालिग़ हों और सब ने एक साथ निकाह के अल्फ़ाज़ सुने। बच्चों और पागलों की गवाही से निकाह नहीं हो सकता।⁽²⁾ सिर्फ़ औरतों या खुन्से की गवाही से निकाह नहीं हो सकता, जब तक उन में के दो के साथ एक मर्द न हो।⁽³⁾

निकाह का हुक्म

❁ ए'तिदाल की हालत में या'नी न शहवत का बहुत ज़ियादा ग़लबा हो न इन्नीन (नामर्द) हो और महर व नफ़्का पर कुदरत भी हो तो निकाह सुन्नते मुअक्कदा है कि निकाह न करने पर अड़ा रहना गुनाह है। ❁ और अगर हराम से बचना ❁ या इत्तिबाए सुन्नत व ता'मीले हुक्म ❁ या औलाद हासिल होना मक्सूद है तो सवाब भी पाएगा। ❁ और अगर महज़ लज़ज़त ❁ या क़ज़ाए शहवत मन्ज़ूर हो तो सवाब नहीं। ❁ शहवत का ग़लबा है कि निकाह न करे तो **مَعَاذَ اللَّهِ** अन्देशए ज़िना है और महर व नफ़्का की कुदरत रखता हो तो निकाह वाजिब। ❁ यूँही जब कि अजनबी औरत की तरफ़ निगाह उठने से रोक नहीं सकता ❁ या **مَعَاذَ اللَّهِ** हाथ से काम लेना पड़ेगा तो निकाह वाजिब है। ❁ येह यकीन हो कि निकाह न करने में ज़िना वाक़ेअ हो जाएगा तो फ़र्ज़ है कि निकाह करे। ❁ अगर येह अन्देशा है कि निकाह करेगा तो नान नफ़्का न दे सकेगा ❁ या जो ज़रूरी बातें हैं उन को पूरा न कर सकेगा तो मक्रूह है। ❁ और इन बातों का यकीन हो तो निकाह करना हराम मगर निकाह बहर हाल हो जाएगा।⁽⁴⁾

①...मिरआतुल मनाजीह, 5/2 मुल्तक़तन

②...बहारे शरीअत, 2/11, हिस्सा : 7

③...बहारे शरीअत, 2/12, हिस्सा : 7

④...बहारे शरीअत, 2/4 ता 5, हिस्सा : 7

निकाह के मुस्तहब्बात

निकाह में येह उमूर मुस्तहब हैं : (1) अलानिया होना । (2) निकाह से पहले खुत्बा पढ़ना, कोई सा खुत्बा हो और बेहतर वोह है जो हदीस में वारिद हुवा । (3) मस्जिद में होना । (4) जुमुआ के दिन । (5) गवाहाने आदिल के सामने । (6) औरत उम्र, हसब, माल, इज्जत में मर्द से कम हो और चाल चलन और अख्लाक व तक्वा व जमाल में बेश (ज़ियादा) हो । (7) जिस से निकाह करना हो उसे किसी मो'तबर औरत को भेज कर दिखवा ले और आदतो अत्वार व सलीका वगैरा की खूब जांच कर ले कि आइन्दा खराबियां न पड़ें । (8) कुंवारी औरत से और जिस से औलाद ज़ियादा होने की उम्मीद हो निकाह करना बेहतर है । (9) सिन रसीदा (10) और बद खुल्क (11) और ज़ानिया से निकाह न करना बेहतर । (12) औरत को चाहिये कि मर्द दीनदार, खुश खुल्क, मालदार, सखी से निकाह करे, फ़ासिक बदकार से नहीं । (13) और येह भी न चाहिये कि कोई अपनी जवान लड़की का बूढ़े से निकाह कर दे । येह मुस्तहब्बाते निकाह बयान हुए । अगर इस के खिलाफ़ निकाह होगा जब भी हो जाएगा ।⁽¹⁾

निकाह के अल्फ़ाज़

अल्फ़ाज़े निकाह दो किस्म हैं : (1) एक सरीह (या'नी ऐसा लफ़्ज़ जिस से निकाह मुराद होना ज़ाहिर हो), येह सिर्फ़ दो लफ़्ज़ हैं । निकाह व तज़व्वुज, (2) बाकी किनाया हैं (या'नी ऐसा लफ़्ज़ जिस से निकाह मुराद होना तो ज़ाहिर नहीं मगर करीने से मा'निये निकाह समझा जाता हो) । अल्फ़ाज़े किनाया में उन लफ़्ज़ों से निकाह हो सकता है जिन से खुद शै मिलक में आ जाती है, मसलन हिबा, तम्लीक, सदका, अतिथ्या, बैअ, शिरा मगर इन में करीने की ज़रूरत है कि गवाह उसे निकाह समझें ।⁽²⁾

निकाह के रुक्न

❁ ईजाब व क़बूल या'नी मसलन एक कहे में ने अपने को तेरी जौजिय्यत में दिया । दूसरा कहे में ने क़बूल किया । येह निकाह के रुक्न हैं । ❁ पहले जो कहे वोह ईजाब है और उस के जवाब में दूसरे के अल्फ़ाज़ को क़बूल कहते हैं । ❁ येह कुछ ज़रूर नहीं कि औरत की तरफ़ से ईजाब हो और मर्द की तरफ़ से क़बूल बल्कि इस का उलटा भी हो सकता है ।

❶ ... बहारे शरीअत, 2/5 ता 6, हिस्सा : 7 मुल्तक़तून

❷ ... बहारे शरीअत, 2/8 ता 9, हिस्सा : 7

❁ ईजाब व क़बूल में माजी का लफ़्ज़ होना ज़रूरी है, मसलन यूं कहे कि मैं ने अपना या अपनी लड़की या अपनी मुअक्किला का तुझ से निकाह किया या इन को तेरे निकाह में दिया, वोह कहे मैं ने अपने लिये या अपने बेटे या मुअक्किल के लिये क़बूल किया। ❁ या एक तरफ़ से अम्र का सीगा हो दूसरी तरफ़ से माजी का, मसलन यूं कि तू मुझ से अपना निकाह कर दे या तू मेरी औरत हो जा, उस ने कहा : मैं ने क़बूल किया या जौजिय्यत में दिया, (निकाह) हो जाएगा। ❁ या एक तरफ़ से हाल का सीगा हो दूसरी तरफ़ से माजी का, मसलन कहे तू मुझ से अपना निकाह करती है उस ने कहा किया, तो (निकाह) हो गया या यूं कि मैं तुझ से निकाह करता हूं, उस ने कहा मैं ने क़बूल किया, तो (निकाह) हो जाएगा। ❁ इन दोनों सूरतों में पहले शख्स को इस की ज़रूरत नहीं कि कहे मैं ने क़बूल किया। और अगर कहा तू ने अपनी लड़की का मुझ से निकाह कर दिया, उस ने कहा कर दिया, या कहा हां, तो जब तक पहला शख्स येह न कहे कि मैं ने क़बूल किया निकाह न होगा। ❁ और इन लफ़्ज़ों से कि निकाह करूंगा या क़बूल करूंगा निकाह नहीं हो सकता।⁽¹⁾

चन्द अहम अहकाम

❁ (निकाह में) येह अम्र ज़रूरी है कि मन्कूहा (जिस लड़की से निकाह किया जा रहा है) गवाहों को मा'लूम हो जाए या'नी येह कि फुलां औरत से निकाह होता है। इस के दो तरीके हैं : ❁ एक येह कि अगर वोह मजलिसे अक्द में मौजूद है तो उस की तरफ़ निकाह पढ़ाने वाला इशारा कर के कहे कि मैं ने इस को तेरे निकाह में दिया अगरचें औरत के मुंह पर निकाब पड़ा हो, बस इशारा काफी है। ❁ और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लती भी हो जाए तो कुछ हरज नहीं, कि इशारे के बा'द अब किसी नाम वगैरा की ज़रूरत नहीं और इशारे की ता'यीन के मुकाबिल कोई ता'यीन नहीं। ❁ दूसरी सूरत मा'लूम करने की येह है कि औरत और उस के बाप और दादा के नाम लिये जाएं कि फुलाना बिनते फुलां बिन फुलां और अगर सिर्फ़ उसी के नाम लेने से गवाहों को मा'लूम हो जाए कि फुलानी औरत से निकाह हुवा तो बाप दादा के नाम लेने की ज़रूरत नहीं, फिर भी एहतियात इस में हैं कि उन के नाम भी लिये जाएं और इस की अस्लन ज़रूरत नहीं कि उसे पहचानते हों बल्कि येह जानना काफी है कि फुलानी और फुलां की बेटा फुलां की पोती है। ❁ और इस सूरत में अगर उस के या उस के बाप दादा के नाम में ग़लती हुई तो निकाह न हुवा। ❁ और हमारी गरज़ नाम लेने से येह नहीं कि ज़रूर उस का नाम ही लिया जाए, बल्कि मक्सूद येह है कि ता'यीन हो जाए, ख़्वाह नाम के ज़रीए से या यूं कि फुलां बिन फुलां बिन फुलां की लड़की। ❁ और अगर उस की चन्द लड़कियां हों तो बड़ी

1... बहारे शरीअत, 2/7 हिस्सा : 7

या मंझली या संझली या छोटी गरज मुअय्यन हो जाना जरूर है। ❁ और चूंकि हमारे यहां औरतों का नाम मज्मअ में जिक्र करना मा'यूब है, लिहाजा येही पिछला तरीका यहां के हाल के मुनासिब है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 2

जिन औरतों से निकाह हराम है

कुरआन में मुहरमात से निकाह न करने की अहम्मियत

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَوَّالُكُمْ
وَأَخْلَافُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُ الْمَنَاجِ
أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ
وَرَبَابُكُمْ الْبَنَاتُ فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الْبَنَاتُ
دَخَلْنَهُنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْنَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ
وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا (پ: 4، النساء: 23)

तरजमाए कन्जुल ईमान : हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएं और बेटियां और बहनें और फूफियां और खालाएं और भतीजियां और भान्जियां और तुम्हारी माएं जिन्होंने दूध पिलाया और दूध की बहनें और औरतों की माएं और उन की बेटियां जो तुम्हारी गोद में हैं उन बीबियों से जिन से तुम सोहबत कर चुके हो तो फिर अगर तुम ने उन से सोहबत न की हो तो उन की बेटियों में हरज नहीं और तुम्हारी नस्ली बेटों की बीबियों और दो बहनें इकट्ठी करना मगर जो हो गुजरा बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है।

मुहरमात खवातीन

मुहरमात वोह औरतें हैं जिन से निकाह हराम है और हराम होने के चन्द सबब हैं। इन अस्बाब की वजह से हराम होने वाली औरतों की नव किस्में हैं :

(1) हुर्मते नसब : पहली किस्म वोह औरतें हैं जो नसब की वजह से हराम हैं। इस किस्म में सात औरतें हैं : (1) मां, (2) बेटा, (3) बहन, (4) फूफी, (5) खाला, (6) भतीजी, (7) भान्जी।⁽²⁾

1 ... बहारे शरीअत, 2/15, 16, हिस्सा : 7

2 ... कानूने शरीअत, स. 275

(2) हुर्मते मुसाहरत या 'नी सुसराली रिश्ते : दूसरी किस्म में वोह औरतें हैं जो मुसाहरत (सुसराली रिश्ते) की वजह से हराम हैं। (1) जौजए मौतूआ की लड़कियां, (2) जौजा की मां, (3) दादियां, नानियां, (4) बाप, दादा वगैरा उसूल की बीबियां, (5) बेटे पोते वगैरा फुरूअ की बीबियां।⁽¹⁾

(3) वोह औरतें जो निकाह में जम्अ नहीं हो सकतीं : वोह दो औरतें कि उन में जिस एक को मर्द फ़र्ज करें, दूसरी उस के लिये हराम हो (मसलन दो बहनें कि एक को मर्द फ़र्ज करो तो भाई बहन का रिश्ता हुवा, या फूपी भतीजी कि फूपी को मर्द फ़र्ज करो तो चचा भतीजी का रिश्ता हुवा और भतीजी को मर्द फ़र्ज करो तो फूपी भतीजे का रिश्ता हुवा, या ख़ाला भान्जी कि ख़ाला को मर्द फ़र्ज करो तो मामूं भान्जी का रिश्ता हुवा और भान्जी को मर्द फ़र्ज करो तो भान्जे ख़ाला का रिश्ता हुवा) ऐसी दो औरतों को निकाह में जम्अ नहीं कर सकता बल्कि अगर त़लाक़ दे दी हो अगरचे तीन त़लाक़ें तो जब तक इद्दत न गुज़र ले, दूसरी से निकाह नहीं कर सकता।⁽²⁾

(4) हुर्मते मिल्क : चौथी किस्म में वोह औरतें हैं जो अपनी मिल्क में होने की वजह से हराम हैं। ❁ औरत अपने गुलाम से निकाह नहीं कर सकती, ख़्वाह वोह तन्हा उसी की मिल्क में हो या कोई और भी उस में शरीक हो। ❁ मौला (आका) अपनी बांदी से निकाह नहीं कर सकता मगर मुतअख़िबरीन के नज़्दीक एहतियात की वजह से निकाह कर लेना अच्छा है।⁽³⁾

(5) हुर्मते शिर्क : पांचवीं किस्म में वोह औरतें हैं जिन के साथ निकाह करना शिर्क की वजह से हराम है। ❁ मुसल्मान का निकाह मजूसिया (आग की इबादत करने वाली), बुत परस्त, आप़ताब परस्त, सितारा परस्त औरत से नहीं हो सकता ख़्वाह येह औरतें हुर्रा (आज़ाद) हों या बांदियां, ❁ गरज़ किताबिया (यहूदन और ईसाई औरत) के सिवा किसी काफ़िरा औरत से निकाह नहीं हो सकता।

(6) हुर्मते मिल्क : हुर्रा (आज़ाद औरत) के निकाह में होते हुए बांदी से निकाह करना। आज़ाद औरत निकाह में है और बांदी से निकाह किया, सहीह न हुवा।

(7) तअल्लुके हक्के ग़ैर की वजह से हुर्मत : दूसरे की मन्कूहा से निकाह नहीं हो सकता बल्कि अगर दूसरे की इद्दत में हो जब भी नहीं हो सकता। इद्दत त़लाक़ की हो या मौत की या शुब्हे निकाह या निकाहे फ़ासिद में दुखूल की वजह से।

1... कानूने शरीअत, स. 275

2... बहारे शरीअत, 2/27, हिस्सा : 7

3... बहारे शरीअत, 2/30, हिस्सा : 7

(8) ज़ाइद ता 'दाद की वजह से हुर्मत : आठवीं किस्म में वोह औरतें हैं जो मुकर्रर गिनती (या'नी चार) से ज़ियादा होने की वजह से हराम हैं। आज़ाद शख्स को एक वक़्त में चार औरतों और गुलाम को दो से ज़ियादा निकाह करने की इजाज़त नहीं।⁽¹⁾

(9) हुर्मते रिज़ाअत : नवीं किस्म में वोह औरतें हैं जो ग़ैर के बच्चे को अपना दूध पिलाएं।

❁ बच्चे ने जिस औरत का दूध पिया वोह उस बच्चे की मां हो जाएगी और उस का शौहर (जिस का येह दूध है या'नी उस की वती से बच्चा पैदा हुवा जिस से औरत को दूध उतरा) इस दूध पीने वाले बच्चे का बाप हो जाएगा। ❁ और उस औरत की तमाम औलादें इस के भाई बहन ख़्वाह उसी शौहर से हों या दूसरे शौहर से, इस के दूध पीने से पहले की हैं या बा'द की या साथ की ❁ और औरत के भाई, मामूं और उस की बहन ख़ाला। ❁ यूंही उस शौहर की औलादें इस के भाई बहन और उस के भाई इस के चचा और उस की बहनें, इस की फूपियां ख़्वाह शौहर की येह औलादें उसी औरत से हों या दूसरी से। ❁ यूंही हर एक के बाप, मां इस के दादा, दादी, नाना, नानी।⁽²⁾

❁ बच्चे को दो बरस तक दूध पिलाया जाए, इस से ज़ियादा की इजाज़त नहीं। दूध पीने वाला लड़का हो या लड़की। ❁ और येह जो बा'ज अ़वाम में मशहूर है कि लड़की को दो बरस तक और लड़के को ढाई बरस तक पिला सकते हैं येह सहीह नहीं। ❁ येह हुक्म दूध पिलाने का है और निकाह हराम होने के लिये ढाई बरस का ज़माना है या'नी दो (2) बरस के बा'द अगर्चे दूध पिलाना हराम है मगर ढाई बरस के अन्दर अगर दूध पिला देगी, हुर्मते निकाह साबित हो जाएगी। ❁ और इस के बा'द अगर पिया, तो हुर्मते निकाह नहीं अगर्चे पिलाना जाइज़ नहीं।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 3

वली का बयान

वली की ता'रीफ़

वली वोह है जिस का क़ौल (बात) दूसरे पर नाफ़िज़ हो दूसरा चाहे या न चाहे।

❶... बहारे शरीअत, 2/34, हिस्सा : 7 मुल्तक़तन

❷... बहारे शरीअत, 2/37, 38, हिस्सा : 7

❸... बहारे शरीअत, 2/36, हिस्सा : 7

वली की शराइत

वली का अक़िल बालिग़ होना शर्त है, बच्चा और मज्ज़ून वली नहीं हो सकता। मुसल्मान के वली का मुसल्मान होना भी शर्त है कि काफ़िर को मुसल्मान पर कोई इख़्तियार नहीं, मुत्तकी होना शर्त नहीं। फ़ासिक़ भी वली हो सकता है।⁽¹⁾

वली कौन ?

वली किसी के बनाने का नहीं होता, वोह शरीअते मुतहहरा ने तरतीब वार मुकर्रर किये हैं। और यहां विलायत की वोही तरतीब मो'तबर है जो विरासत में मो'तबर है। मसलन सब में पहला वली बेटा है, फिर बाप, फिर सगा भाई, फिर सोतेला, फिर सगा भतीजा, फिर सोतेला, फिर सगा चचा, फिर सोतेला, फिर सगे चचा का बेटा, फिर सोतेले का। दादा, परदादा की औलाद का, जो मर्द अक़िल बालिग़ करीब तर होगा वोही वली है और इन में कोई न हो तो फिर मां वली है, फिर दादी, फिर नानी फिर इन के बा'द और दूसरे लोग।⁽²⁾

चन्द अहम अहकाम

❁ ना बालिग़ और मज्ज़ून और लौंडी, गुलाम के निकाह के लिये वली शर्त है, बिगैर वली इन का निकाह नहीं हो सकता। ❁ और हुर्ा बालिग़ा अक़िला (आज़ाद बालिग़ा अक्ल मन्द लड़की) ने बिगैर वली, कुफू से निकाह किया तो निकाह सहीह हो गया। ❁ और ग़ैरे कुफू से किया तो न हुवा, अगर्चे (वली) निकाह के बा'द राज़ी हो गया। ❁ अलबत्ता अगर वली ने सुकूत किया और कुछ जवाब न दिया और औरत के बच्चा भी पैदा हो गया तो अब निकाह सहीह माना जाएगा।⁽³⁾

❁ औरत अक़िला बालिग़ा का निकाह बिगैर इस की इजाज़त के कोई नहीं कर सकता न बाप न कोई और, कुंवारी हो या बियाही, ❁ यूंही मर्द अक़िल बालिग़ आज़ाद का निकाह इन की मरज़ी के बर ख़िलाफ़ कोई नहीं कर सकता।⁽⁴⁾

❶ ... बहारे शरीअत, 2/42, हिस्सा : 7

❷ ... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 398

❸ ... बहारे शरीअत, 2/46, हिस्सा : 7

❹ ... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 399

सबक नम्बर 4

कुफू का बयान

हदीस में कुफू की अहमियत

मौला अली رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी है कि नबिय्ये करीम صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : ऐ अली ! तीन चीज़ों में ताख़ीर न करो, नमाज़ का जब वक़्त आ जाए, जनाज़ा जब मौजूद हो, बे शौहर वाली का जब कुफू मिले।⁽¹⁾

कुफू की ता'रीफ़

कुफू के येह मा'ना हैं कि मर्द, औरत से नसब वगैरा में इतना कम न हो कि उस से निकाह औरत के वलियों के लिये बाइसे नंगो अ़र हो, किफ़ाअत सिर्फ़ मर्द की जानिब से मो'तबर है औरत अगर्चे कम दरजे की हो इस का ए'तिबार नहीं।⁽²⁾

कुफू में किन उमूर का ए'तिबार है ?

किफ़ाअत में छे चीज़ों का ए'तिबार है : (1) नसब, (2) इस्लाम, (3) हिफ़ा (पेशा), (4) हुर्रियत (आज़ादी), (5) दियानत, (6) माल।

❁ कुरैश में जितने ख़ानदान हैं वोह सब बाहम कुफू हैं, यहां तक कि क़रशी ग़ैर हाशिमि (वोह क़रशी जो हाशिमि न हो), हाशिमि का कुफू है और कोई ग़ैर क़रशी, कुरैश का कुफू नहीं। ❁ कुरैश के इलावा अरब की तमाम क़ौमें एक दूसरे की कुफू हैं। अन्सार व मुहाजिरीन सब इस में बराबर हैं अज़मिय्युन्नस्ल (या'नी जो अरबी नहीं है वोह) अरबी का कुफू नहीं। मगर अलिमे दीन (कुफू है) कि इस की शराफ़त, नसब की शराफ़त पर फ़ौकियत रखती है।⁽³⁾

सबक नम्बर 5

हक़ महर का बयान

कुरआन में हक़ महर की अहमियत

महर की अहमियत बयान करते हुए अल्लाह करीम पारह नम्बर 5, सूरए निसाअ की आयत नम्बर 24 में फ़रमाता है :



1...ترمذی، ابواب الجنائز، باب ما جاء في تعجيل الجنائز، 2/339 حديث: 1077

2... बहारे शरीअत, 2/53, हिस्सा : 7

3... बहारे शरीअत, 2/53, हिस्सा : 7

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً
(پ 5، نساء: 24)

तरजमए कन्जुल ईमान : तो जिन औरतों को निकाह में लाना चाहो, उन के बंधे हुए महर उन को दो ।

शरीअते इस्लाम ने महर को लाजिम इस हद तक किया है कि निकाह में महर का जिक्र ही न हुवा या महर की नफी कर दी कि बिना महर निकाह किया तो निकाह हो जाएगा और अगर ख़ल्वते सहीहा हो गई या दोनों से कोई मर गया तो महरे मिस्ल वाजिब है बशर्ते कि बा'दे अक्द आपस में कोई महर तै न पा गया हो और अगर तै हो चुका तो वोही तै शुदा है ।

हक़ महर की ता'रीफ़

वोह मुअय्यन रक़म जिस का अदा करना शर्ई लिहाज़ से शौहर पर वाजिब हो, उसे महर कहते हैं ।⁽¹⁾

हक़ महर की मिक्दार

❁ महर की मिक्दार कम अज़ कम दस दिरहम है और ज़ियादा की कोई हद नहीं, जिस क़दर बांधा जाएगा लाजिम हो जाएगा । ❁ दस दिरहम की मिक्दार वज़न के ए'तिबार से क़रीबन दो तोला सात माशा चार रत्ती चांदी है । जिस की कीमत घटती बढ़ती रहती है । ❁ रुपियों की सूरत में महर मुक़र्रर करें तो इस बात का ज़रूर ख़याल रखें कि येह रक़म, दस दिरहम चांदी की कीमत से कम न हो ।⁽²⁾

हक़ महर की अक्साम

महर की तीन किस्में हैं :

(1) मुअज्जल : येह है कि रुख़्सत से पहले देना क़रार पा लिया हो । इस के लिये औरत को इख़्तियार है कि जब तक वुसूल न करे रुख़्सत न हो और अगर रुख़्सत हो गई तो इसे अब भी इख़्तियार है कि जब चाहिये मुतालबा करे, इस के लिये अपने शौहर को रोक भी सकती है अगर्चे इस से पेशतर औरत की रिज़ामन्दी से ख़ल्वत व वती हो चुकी हो ।

(2) मुअज्जल : येह है जिस की मीआद क़रार पाई हो कि दस बरस या बीस बरस या पांच दिन बा'द अदा किया जाएगा । तो जब तक वोह मीआद न गुज़रे औरत को मुतालबे का इख़्तियार नहीं

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 405 माखूज़न

2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 405

और मीआद गुज़रने के बा'द हर वक़्त मुतालबा कर सकती है।

(3) मुअख़्ख़र : येह है कि न पेशगी की शर्त ठहरी हो न कोई मीआद मुअय्यन की गई हो। यूंही मुब्हम तौर पर बांधा हो जैसा कि आज कल आम तौर पर यूंही बांधते हैं। इस में मौत या तलाक़ न हो तब तक औरत को मुतालबे का हक़ नहीं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 6

वलीमे का बयान

हदीस में वलीमे की अहम्मियत

नबिय्ये करीम ﷺ ने अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ुल्लैहूँ पर ज़र्दी का असर देखा (या'नी खुलूक़ का रंग उन के बदन या कपड़ों पर लगा हुवा देखा) फ़रमाया : येह क्या है ? (या'नी मर्द के बदन पर इस रंग को न होना चाहिये येह क्यूंकर लगा ?) अर्ज़ की : मैं ने एक औरत से निकाह किया है (उस के बदन से येह ज़र्दी छूट कर लग गई), फ़रमाया : **अल्लाह** पाक तुम्हें बरकत दे, वलीमा करो अगर्चे एक बकरी से ही हो।⁽²⁾

वलीमे की ता'रीफ़ व हुक्म

वलीमा येह है कि शबे ज़िफ़ाफ़ की सुब्ह को अपने दोस्त अहबाब अज़ीज़ो अक़ारिब और महल्ले के लोगों की हस्बे इस्तिताअत ज़ियाफ़त करे। दा'वते वलीमा सुन्नत है।

चन्द अहम अहक़ाम

❁ इस के लिये जानवर ज़ब्ह करना और खाना तय्यार कराना जाइज़ है ❁ और जो लोग बुलाए जाएं उन को जाना चाहिये कि उन का जाना उस के लिये मसरत का बाइस होगा। ❁ वलीमे में जिस शख्स को बुलाया जाए उस को जाना सुन्नत है या वाजिब। इलमा के दोनों कौल हैं, ब ज़ाहिर येह मा'लूम होता है कि इजाबत सुन्नते मुअक्कदा है। ❁ येह शख्स अगर रोज़ादार न हो तो खाना अफ़ज़ल है कि अपने मुस्लिम भाई की खुशी में शिर्कत और उस का दिल खुश करना है, ❁ और रोज़ादार हो जब भी जाए और साहिबे ख़ाना के लिये दुआ करे। ❁ दा'वते वलीमा का येह हुक्म जो बयान किया गया है, उस वक़्त है कि दा'वत करने वालों का मक़सूद अदाए सुन्नत हो और अगर मक़सूद तफ़ाख़ुर (एक दूसरे पर फ़ख़्र और

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 407 ता 408 मुल्तक़त

2... بخاری، کتاب النکاح، باب کیف یدعی للمتزواج، 3/449، حدیث: 5155

बड़ाई चाहना) हो या यह कि मेरी वाह वाह होगी जैसा कि इस ज़माने में अक्सर येही देखा जाता है, तो ऐसी दा'वतों में न शरीक होना बेहतर है खुसूसन अहले इल्म को ऐसी जगह न जाना चाहिये।⁽¹⁾

सबक नम्बर 7

तलाक़ का बयान

तलाक़ के बारे में आयत

कुरआने करीम में अल्लाह पाक ने इर्शाद फ़रमाया :

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَإِمْسَاكَ بِعُرْفٍ أَوْ تَسْرِيَةٍ
بِإِحْسَانٍ^(پ 2، البقرة: 229)

तरजमए कज़्ज़ुल ईमान : यह तलाक़ दो बार तक है फिर भलाई के साथ रोक लेना है या निकोई (अच्छे सुलूक) के साथ छोड़ देना है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : आयत का खुलासा यह है कि मर्द को तलाक़ देने का इख़्तियार दो बार तक है। अगर तीसरी तलाक़ दी तो औरत शौहर पर ह़राम हो जाएगी और जब तक पहले शौहर की इद्दत गुज़ार कर किसी दूसरे शौहर से निकाह और हम बिस्तरी कर के इद्दत न गुज़ार ले तब तक पहले शौहर पर ह़लाल न होगी। लिहाज़ा एक तलाक़ या दो तलाक़ के बा'द रुजूअ कर के अच्छे तरीक़े से उसे रख लो और या तलाक़ दे कर उसे छोड़ दो ताकि औरत अपना कोई दूसरा इन्तिज़ाम कर सके। अच्छे तरीक़े से रोकने से मुराद रुजूअ कर के रोक लेना है और अच्छे तरीक़े से छोड़ देने से मुराद है कि तलाक़ दे कर इद्दत ख़त्म होने दे कि इस तरह एक तलाक़ भी बाइना हो जाती है। शरीअत ने तलाक़ देने और न देने की दोनों सूरतों में भलाई और ख़ैर ख़्वाही का फ़रमाया है। हमारे ज़माने में लोगों की एक बड़ी ता'दाद दोनों सूरतों में उलटा चलती है, तलाक़ देने में भी ग़लत तरीक़ा और बीवी को रखने में भी ग़लत तरीक़ा। अल्लाह करीम हिदायत अता फ़रमाए, आमीन।⁽²⁾

तलाक़ के बारे में अह़ादीस

❖ हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : तमाम ह़लाल चीज़ों में खुदा के नज़्दीक ज़ियादा ना पसन्दीदा तलाक़ है।⁽³⁾

❶... बहारे शरीअत, 3/391, ता 392, हिस्सा : 16 मुल्तक़तन

❷... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 229, 1/350

❸... ابو داود، کتاب الطلاق، باب کراهیة الطلاق، 2/370، حدیث: 2178

❁ हुजूर नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : इब्लीस अपना तख़्त पानी पर बिछाता है और अपने लश्कर को भेजता है और सब से ज़ियादा मर्तबे वाला उस के नज़्दीक वोह है जिस का फ़ितना बड़ा होता है। उन में एक आ कर कहता है : मैं ने येह किया, येह किया। इब्लीस कहता है : तू ने कुछ नहीं किया। दूसरा आता है और कहता है : मैं ने मर्द और औरत में जुदाई डाल दी। उसे अपने करीब कर लेता है और कहता है : हां तू है।⁽¹⁾

❁ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : जो औरत बिगैर किसी हरज के शौहर से त़लाक़ का सुवाल करे उस पर जन्नत की खुशबू हराम है।⁽²⁾

त़लाक़ की ता'रीफ़ व हुक्म

निकाह से औरत शौहर की पाबन्द हो जाती है। इस पाबन्दी के उठा देने को त़लाक़ कहते हैं।⁽³⁾ त़लाक़ देना जाइज़ है मगर बे वज्हे शर्ई मम्नूअ है और वज्हे शर्ई हो तो मुबाह बल्कि बा'ज़ सूरतों में मुस्तहब।⁽⁴⁾

त़लाक़ कब दी जाए

त़लाक़ देने वाले को शरीअते मुतहहरा पहले समझाती है कि अब वोह एक ऐसे ख़तरनाक काम को करने लगा है जो अल्लाह करीम को ना पसन्दीदा है और उसे ग़ज़ब दिलाता है। लिहाज़ा जब तक येह साबित न हो जाए कि सिर्फ़ येही एक सूरत मर्द के बक़ा व सिह्हत और हिफ़ाज़ते इज़्ज़तो ईमान की रह गई है उस वक़्त तक इस पर अमल नहीं करना चाहिये।⁽⁵⁾

हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की अक़्साम

हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की तीन किस्में हैं : (1) त़लाके रज्ई, (2) त़लाके बाइन, (3) त़लाके मुग़ल्लज़ा।



1... مسند امام احمد، مسند جابر بن عبد الله، 5/52، حديث: 14384

2... ترمذی، ابواب الطلاق... الخ، باب ما جاء في المختلعات، 2/402، حديث: 1190

3... बहारे शरीअत, 2/110, हिस्सा : 8

4... बहारे शरीअत, 2/110, हिस्सा : 8

5... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 412

तलाके रज्द

तलाके रज्द वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह से नहीं निकलती। इदत के अन्दर अगर शौहर रुजूअ कर ले तो बीवी ब दस्तूर उस की ज़ौजा रहेगी। अगर इदत गुज़र जाए और रुजूअ न करे तो उस वक़्त निकाह से निकल जाएगी फिर भी बाहमी रिज़ामन्दी से निकाह कर सकते हैं।⁽¹⁾

तलाके बाइन

तलाके बाइन वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह से निकल जाती है। हां बाहमी रिज़ामन्दी से निकाह कर सकते हैं, चाहे इदत के अन्दर या इदत के बा'द।⁽²⁾

तलाके मुग़ल्लज़ा

तलाके मुग़ल्लज़ा वोह तलाक़ है जिस से बीवी फ़ौरन निकाह से निकल जाती है और फिर कभी इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता जब तक कि हलाला न हो। तलाके मुग़ल्लज़ा तीन तलाक़ देने से होती है चाहे एक साथ तीन तलाक़ दी हों या सालों के फ़ासिले से, चाहे रज्द दी हों या बाइन, या बा'ज़ रज्द दी हों और बा'ज़ बाइन।^{(3) (4)}

सबक़ नम्बर 8

ईला का बयान

ईला के बारे में आयत

لَّذِينَ يُؤْذُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ
أَشْهُرٍ قَبْلَ فَاغْوِئِنَّ اللَّهَ فَاغْوِئْ رَّحِيمٌ ۝

(پ 2، البقرة: 226)

तर्जमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो क़सम खा बैठते हैं अपनी औरतों के पास जाने की उन्हें चार महीने की मोहलत है पस अगर इस मुदत में फिर आए तो अल्लाह बख़्शने वाला मेहरबान है।

①... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन

②... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन

③... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 420 तस्हीलन

④... तलाक़ के बारे में मज़ीद मसाइल जानने के लिये मक्तबतुल मदीना की किताब “तलाक़ के आसान मसाइल” का मुतालआ कीजिये।

आयत की तफ़्सीर

ज़मानए जाहिलिय्यत में लोगों का येह मा'मूल था कि अपनी औरतों से माल त़लब करते, अगर वोह देने से इन्कार करतीं तो एक साल, दो साल, तीन साल या इस से ज़ियादा अर्सा उन के पास न जाने और सोहबत तर्क करने की क़सम खा लेते और उन्हें परेशानी में छोड़ देते न तो वोह बेवा होतीं कि कहीं अपना ठिकाना कर लेतीं और न शौहर दार कि शौहर से कुछ सुकून हासिल करतीं। इस्लाम ने इस जुल्म को मिटाया और ऐसी क़सम खाने वालों के लिये चार महीने की मुद्दत मुअय्यन फ़रमा दी कि अगर औरत से चार महीने या इस से ज़ाइद अर्से के लिये या ग़ैर मुअय्यन मुद्दत के लिये तर्क सोहबत की क़सम खा ले जिस को ईला कहते हैं तो इस के लिये चार माह इन्तिज़ार की मोहलत है इस अर्से में ख़ूब सोच समझ ले कि औरत को छोड़ना इस के लिये बेहतर है या रखना, अगर रखना बेहतर समझे और इस मुद्दत के अन्दर रुजूअ़ करे तो निकाह बाकी रहेगा और क़सम का कफ़ारा लाज़िम होगा और अगर इस मुद्दत में रुजूअ़ न किया और क़सम न तोड़ी तो औरत निकाह से बाहर हो गई और उस पर त़लाक़े बाइन वाक़ेअ़ हो गई। येह हुक्म भी औरतों पर इस्लाम के एहसानात में से एक एहसान और हुक्के निस्वां की पासदारी की अ़लामत है।⁽¹⁾

ईला की ता'रीफ़

ईला के मा'ना येह हैं कि शौहर ने येह क़सम खाई कि औरत से कुर्बत (हम बिस्तरी) न करेगा या चार महीने कुर्बत (हम बिस्तरी) न करेगा।⁽²⁾

ईला की अक़्साम

ईला की दो क़िस्में हैं : (1) एक मुवक़क़त या'नी चार महीने का, (2) दूसरा मुअब्बद या'नी चार महीने की कैद उस में न हो।⁽³⁾

ईला की शराइत

ईला के लिये चन्द शर्ते हैं कि इन में से एक भी न पाई गई तो ईला न होगा। मसलन : (1) ईला सिर्फ़ मन्कूहा (जिस औरत का निकाह हो चुका है) से होता है या उस औरत से जिसे त़लाक़े रज्ई दी गई



1... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 226, 227, 1/346

2... बहारे शरीअ़त, 2/182, हिस्सा : 8

3... बहारे शरीअ़त, 2/183, हिस्सा : 8

हो। (2) शौहर तलाक़ देने का अहल हो या'नी वोह तलाक़ दे सकता हो। लिहाज़ा मज़्मून व ना बालिग़ का ईला सहीह नहीं। (3) चार महीने से कम की मुदत न हो और ज़ियादा की कोई हद नहीं।⁽¹⁾

ईला का हुक्म

अगर औरत (बीवी) से चार माह के अन्दर जिमाअ किया तो क़सम टूट गई और कफ़ारा लाज़िम हो गया और कुर्बत न की यहां तक कि चार महीने गुज़र गए तो तलाक़ हो गई।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 9

खुलअ का बयान

कुरआन में खुलअ का ज़िक्र

وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقَيِّمَاحُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقَيِّمَاحُدُودَ اللَّهِ فَاجْلِسَا عَلَيْهِمَا فَيُحْكِمَا أَمْرًا يُرْضَىٰ بِهٖ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٢٠٩﴾

(प 2, البقرة: 229)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और तुम्हें रवा नहीं कि जो कुछ औरतों को दिया उस में से कुछ वापस लो मगर जब दोनों को अन्देशा हो कि अल्लाह की हदें काइम न करेंगे फिर अगर तुम्हें ख़ौफ़ हो कि वोह दोनों ठीक इन्ही हदों पर न रहेंगे तो उन पर कुछ गुनाह नहीं उस में जो बदला दे कर औरत छुट्टी ले येह अल्लाह की हदें हैं इन से आगे न बढ़ो और जो अल्लाह की हदों से आगे बढ़े तो वोही लोग ज़ालिम हैं।

आयत की तफ़सीर

तफ़सीरे सिरातुल जिनान में है कि यहां ब वक्ते तलाक़ औरत से माल लेने का मस्अला बयान किया जा रहा है। इस की दो सूरतें हैं पहली येह कि शौहर अपना दिया हुवा महर वापस ले और येह बतौर ख़ुलअ न हो, येह सूरत तो सरासर ना जाइज़ व हराम है, येह मज़्मून सूरए निसाअ की आयत 20, 21 में भी है, वहां फ़रमाया कि तुम बीवियों को ढेरों माल भी दे चुके हो तो तलाक़ के वक्ते उस से लेने की इजाज़त नहीं। दूसरी सूरत येह है कि औरत मर्द से ख़ुलअ ले और ख़ुलअ में औरत माल अदा करे,

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 427 मुलख़ख़सन

2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 426

इस सूरत की इजाजत है और आयत में जो फ़रमाया कि औरत के फ़िदया देने में कोई हरज नहीं इस से येही सूरत मुराद है लेकिन इस सूरत में भी येह हुक्म है कि अगर ज़ियादती मर्द की तरफ़ से हो तो खुलअ में माल लेना मक्रूह है।⁽¹⁾

खुलअ की ता'रीफ़

शरीअते इस्लामिया में इज्तिमाई और मुआशरती ज़िन्दगी का संगे बुन्याद मियां बीवी के सहीह तअल्लुकात हैं। अगर जौज व जौजा में ना इत्तिफ़ाकी रहती हो और येह अन्देशा हो कि अहकामे शरइय्या की पाबन्दी न कर सकेंगे और मुवाफ़क़त की तमाम राहें बन्द हो जाएं तो निकाह की कैद से छुटकारा पाने और शौहर से त़लाक़ हासिल करने की एक सूरत येह भी है कि औरत अपने तमाम महर या कुछ महर को वापस कर दे या अपने पास से कुछ माल दे कर शौहर को त़लाक़ पर राज़ी कर ले। और उस माल को क़बूल करना शौहर के लिये दुरुस्त होगा। त़लाक़ की उस खास सूरत का नाम जिस में बीवी त़लाक़ का मुतालबा करती है इसे खुलअ कहते हैं।⁽²⁾

मुख़्तसर लफ़्ज़ों में इस की ता'रीफ़ येह है कि माल के बदले निकाह ज़ाइल (ख़त्म) करने को खुलअ कहते हैं।⁽³⁾

खुलअ की शराइत

खुलअ की चन्द शराइत हैं जो येह हैं : (1) औरत का क़बूल करना शर्त है बिगैर उस के क़बूल किये खुलअ नहीं हो सकता।⁽⁴⁾ (2) चूँकि शौहर की जानिब से खुलअ त़लाक़ है लिहाज़ा शौहर का अक़िल बालिग़ होना शर्त है। ना बालिग़ या मज्नून खुलअ नहीं कर सकता क्यूँ कि वोह त़लाक़ देने का अहल नहीं। (3) येह भी शर्त है कि औरत महल्ले त़लाक़ हो (या'नी इस पर त़लाक़ वाक़ेअ भी हो सकती हो) लिहाज़ा अगर औरत को त़लाक़े बाइन दे दी तो अगर्चे इद्दत में हो, उस से खुलअ नहीं हो सकता। हां त़लाक़े रज्द की इद्दत में हो सकता है।⁽⁵⁾

खुलअ का हुक्म

खुलअ का हुक्म येह है कि जब मियां बीवी खुलअ कर लें तो त़लाक़े बाइन वाक़ेअ हो जाएगी।

①... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनात, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 229, 1/350, 351

②... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 429 ब तग़य्युरे क़लील

③... बहारे शरीअत, 2/194, हिस्सा : 8

④... बहारे शरीअत, 2/194, हिस्सा : 8

⑤... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 430 तस्हीलन

दोनों का निकाह टूट जाएगा और जो माल मुकर्रर ठहरा है औरत पर उस का देना लाज़िम है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 10

ज़िहार का बयान

ज़िहार के बारे में आयत

अल्लाह पाक कुरआने करीम में ज़िहार के बारे में फ़रमाता है :

الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ نِسَاءَهُمْ عَلَى الْكُفْرِ إِنَّهُمْ فُجُورٌ أَعْمَى
لَا يَنْفَعُهُمْ إِتْرَافُهُمْ وَلَا تَوْبَهُمْ وَلَا يَأْتِيهِمْ سَبِيلٌ
لِيَقُولُوا مَنكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ
لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾ (المجادلة: 28)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो तुम में अपनी बीबियों को अपनी मां की जगह कह बैठते हैं वोह उन की माएं नहीं उन की माएं तो वोही हैं जिन से वोह पैदा हैं और वोह बेशक बुरी और निरी झूट बात कहते हैं और बेशक **अल्लाह** ज़रूर मुआफ़ करने वाला और बख़्शने वाला है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे सिरातुल जिनान में है : इस आयत में ज़िहार की मज़म्मत बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाया गया कि तुम में से वोह लोग जो अपनी बीबियों से ज़िहार करते हैं और उन्हें अपनी मां जैसी कह बैठते हैं, येह कहने से वोह उन की माएं नहीं हो गई बल्कि उन की माएं तो वोही हैं जिन्होंने उन्हें जनम दिया है और बेशक ज़िहार करने वाले बीबियों को मां कह कर ना पसन्दीदा और बिल्कुल झूट बात कहते हैं, बीवी को किसी तरह मां के साथ तश्बीह देना ठीक नहीं और बेशक **अल्लाह** पाक उन्हें ज़रूर मुआफ़ करने वाला और बख़्शने वाला है।⁽²⁾

ज़िहार की ता'रीफ़

ज़िहार के येह मा'ना हैं कि (शौहर का) अपनी जौजा या उस के किसी ऐसे उज़्व को जो कुल से ता'बीर किया जाता है, ऐसी औरत से तश्बीह (या'नी उस औरत की तरह क़रार) देना जो उस (मर्द) पर हमेशा के लिये हराम है (ज़िहार कहलाता है। जैसे शौहर बीवी से कहे : तू मुझ पर मेरी मां की मिस्ल है), या उस (औरत) के किसी ऐसे उज़्व से तश्बीह देना जिस की तरफ़ देखना हराम हो (येह भी ज़िहार

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 429

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 28, अल मुजादलह, तहूतल आयह : 2, 10/28, 29

कहलाता है)। (जैसे बीवी से कहे) तेरा सर, या तेरी गरदन मेरी मां की पीठ की मिस्ल है।⁽¹⁾

ज़िहार की शराइत

ज़िहार के लिये इस्लाम व अक्ल व बालिग़ होना शर्त है। तो अगर ना बालिग़, या मज्नून या मदहोश सरसाम व बरसाम के बीमार ने, या बेहोश, या सोने वाले ने ज़िहार किया तो ज़िहार न हुवा।⁽²⁾

ज़िहार का हुक्म

ज़िहार का हुक्म येह है कि जब तक कफ़ारा न दे दे उस वक़्त तक उस औरत से जिमाअ करना या शहवत के साथ उस का बोसा लेना या उस को छूना हराम है।⁽³⁾

ज़िहार का कफ़ारा

ज़िहार करने वाला जिमाअ का इरादा करे तो कफ़ारा वाजिब है। ❶ इस का कफ़ारा गुलाम या कनीज़ आज़ाद करना है। ❷ और इस की इस्तिताअत न हो तो कफ़ारे में पै दर पै (लगातार) दो महीने के रोज़े रखे। ❸ और रोज़े रखने पर भी कुदरत न हो तो साठ (60) मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाए। ❹ और येह भी हो सकता है कि हर मिस्कीन को सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार तक़ीबन सवा दो सेर गेहूं या इस का आटा या इस की गन्दुम की कीमत का मालिक कर दिया जाए। और उन्हीं लोगों को दिया जाए जिन्हें सदक़ए फ़ित्र दे सकते हैं।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 11

लिआन का बयान

कुरआन में लिआन का हुक्म

अल्लाह पाक ने लिआन का हुक्म कुरआने करीम में इन अल्फ़ाज़ में बयान फ़रमाया :

❶... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 427

❷... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428

❸... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428

❹... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 428, 429

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَرْوَاحَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ
اِلَّا اَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ اَحَدِهِمْ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ
اِنَّهُ لَمِنَ الصّٰدِقِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةُ اَنْ لَّعَنَتَ اللّٰهُ عَلَيْهِ
اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَيَدْرَءُوْا عَنْهَا الْعَذَابَ
اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعٌ شَهَدَاتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝
وَالْخَامِسَةُ اَنْ غَضَبَ اللّٰهُ عَلَيْهَا اِنْ كَانَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ۝ (پ 18، النور: 94)

तजमए कन्जुल ईमान : और वोह जो अपनी औरतों को
ऐब लगाएं और उन के पास अपने बयान के सिवा गवाह न
हों तो ऐसे किसी की गवाही येह है कि चार बार गवाही दे
अल्लाह के नाम से कि वोह सच्चा है और पांचवीं येह कि
अल्लाह की ला'नत हो इस पर अगर झूटा हो और औरत
से यूँ सज़ा टल जाएगी कि वोह **अल्लाह** का नाम ले कर
चार बार गवाही दे कि मर्द झूटा है और पांचवीं यूँ कि औरत
पर ग़ज़ब **अल्लाह** का अगर मर्द सच्चा हो ।

शाने नुज़ूल

✽ हज़रते इब्ने अब्बास رضي الله عنه बयान करते हैं कि हज़रते हिलाल बिन उमय्या رضي الله عنه ने अपनी बीवी पर तोहमत लगाई । हज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : गवाह लाओ, वरना तुम्हारी पीठ पर हद लगाई जाएगी । अर्ज की : **या रसूलल्लाह !** कोई शख्स अपनी औरत पर किसी मर्द को देखे तो गवाह ढूँडने जाए । हज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم ने वोही जवाब दिया । फिर हिलाल رضي الله عنه ने कहा : कसम है उस की जिस ने हज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم को हक के साथ भेजा है ! बेशक मैं सच्चा हूँ और खुदा कोई ऐसा हुक्म नाज़िल फ़रमाएगा जो मेरी पीठ को हद से बचाएगा । उस वक़्त ज़िब्रील عليه السلام उतरे और **(وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَرْوَاحَهُمْ)** नाज़िल हुई । हिलाल رضي الله عنه ने हाज़िर हो कर लिअान का मज़मून अदा किया । हज़ूर صلى الله عليه وآله وسلم ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक **अल्लाह** पाक जानता है कि तुम में एक झूटा है । तो क्या तुम दोनों में कोई तौबा करता है । फिर औरत खड़ी हुई, उस ने भी लिअान किया, जब पांचवीं बार की नौबत आई तो लोगों ने उसे रोक कर कहा : अब कहेगी तो ज़रूर ग़ज़ब की मुस्तहिक् हो जाएगी इस पर वोह कुछ रुकी और झिजकी जिस से हम को खयाल हुवा कि रुजूअ करेगी मगर फिर खड़ी हो कर कहने लगी : मैं तो अपनी क़ौम को हमेशा के लिये रुस्वा न करूंगी फिर वोह पांचवां कलिमा भी उस ने अदा कर दिया ।⁽¹⁾



लिआन की ता'रीफ़

लिआन की ता'रीफ़ यह है कि मर्द ने अपनी औरत (बीवी) को जिना की तोहमत लगाई इस तरह पर कि अगर अज्जबिय्या औरत को लगाता तो हद्दे क़ज़फ़ (तोहमते जिना की हद्द) उस पर लगाई जाती। या'नी औरत अक़िला, बालिगा, हुर्रा (आज़ाद), मुस्लिमा, अफ़ीफ़ा (पाक दामन) हो तो लिआन किया जाएगा।⁽¹⁾

लिआन की शराइत

लिआन की चन्द शराइत हैं जो येह हैं : (1) मर्द व औरत के दरमियान निकाहे सहीह हो, (2) जौजिय्यत काइम हो, (3) दोनों आज़ाद अक़िल बालिग़ मुसल्मान हों, (4) उन में कोई गुंगा न हो, (5) उन में से किसी पर हद्दे क़ज़फ़ न लगाई गई हो, (6) मर्द ने अपने क़ौल पर गवाह न पेश किये हों, (7) औरत जिना से इन्कार करती हो और अपने आप को पारसा कहती हो, (8) सरीह (वाज़ेह तौर पर) जिना की तोहमत लगाई हो या उस की जो औलाद इस के निकाह में पैदा हुई, उस को कहता हो कि येह मेरी (औलाद) नहीं, या जो बच्चा औरत का दूसरे शौहर से है उस को कहता हो कि येह उस का नहीं। (9) औरत क़ाज़ी के पास मुतालबा करे, (10) शौहर तोहमत लगाने का इक़्रार करता हो या दो मर्द गवाहों से उस का इक़्रार साबित हो।⁽²⁾

लिआन का तरीक़ा

लिआन का तरीक़ा येह है कि क़ाज़ी के सामने पहले शौहर क़सम के साथ चार मरतबा शहादत दे या'नी कहे कि मैं शहादत देता हूँ कि मैं ने जो इस औरत को जिना की तोहमत लगाई उस में खुदा की क़सम ! मैं सच्चा हूँ। फिर पांचवीं मरतबा येह कहे कि उस पर खुदा की ला'नत अगर इस अम्र में कि इस को जिना की तोहमत लगाई झूट बोलने वालों से हो और हर बार लफ़्ज़े "इस" से औरत की तरफ़ इशारा करे फिर औरत चार मरतबा येह कहे कि मैं शहादत देती हूँ कि खुदा की क़सम ! इस ने जो मुझे जिना की तोहमत लगाई है, इस बात में झूटा है और पांचवीं मरतबा येह कहे कि उस पर **अल्लाह** का ग़ज़ब हो, अगर येह उस बात में सच्चा हो जो मुझे जिना की तोहमत लगाई। लिआन में लफ़्ज़े शहादत शर्त है, अगर येह कहा कि मैं खुदा की क़सम खाता हूँ कि सच्चा हूँ, लिआन न हुवा।⁽³⁾

①... बहारे शरीअत, 2/220, हिस्सा : 8

②... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 432

③... बहारे शरीअत, 2/220, हिस्सा : 8

लिआन का हुक्म

लिआन का हुक्म यह है कि इस से फ़ारिग़ होते ही उस शख्स को उस औरत से जिमाअ ह़राम है मगर सिर्फ़ लिआन से निकाह से ख़ारिज न हुई बल्कि लिआन के बा'द हाकिमे इस्लाम जुदाई कर देगा और यह जुदाई तलाके बाइन हो जाएगी और लिआन के बा'द अगर यह दोनों अलाहदा होना न भी चाहें, जब भी तफ़रीक़ कर दी जाएगी।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 12

इद्दत का बयान

कुरआन में इद्दत का हुक्म

कुरआने मजीद में इद्दत के बारे में अल्लाह पाक का फ़रमान है :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ
وَاحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرِجُوهُنَّ
مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُّبَيِّنَةٍ (پ 28، الطلاق: 1)

तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ नबी जब तुम लोग औरतों को तलाक़ दो तो उन की इद्दत के वक़्त पर उन्हें तलाक़ दो और इद्दत का शुमार रखो और अपने रब से डरो इद्दत में उन्हें उन के घरों से न निकालो और न वोह आप निकलें मगर येह कि कोई सरीह बे हयाई की बात लाएं।

आयत की तफ़सीर

इस आयत में बीवी को तलाक़ देने का तरीक़ा और तलाक़ याफ़ता औरत की इद्दत से मुतअल्लिक़ शर्ई अहक़ाम बयान किये गए हैं। चुनान्वे आयत के इब्तिदाई हिस्से का खुलासा येह है कि ऐ हबीब ! अपनी उम्मत से फ़रमा दें कि जब तुम लोग औरतों को तलाक़ देने का इरादा करो तो उन की इद्दत के वक़्त पर या'नी पाकी के दिनों में उन्हें तलाक़ दो ताकि उन की इद्दत लम्बी न हो।⁽²⁾

इद्दत की ता'रीफ़

शौहर के तलाक़ देने या उस की वफ़ात पा जाने के बा'द औरत का निकाह मम्नूअ होना और एक ज़मानए मुअय्यना तक इन्तिज़ार करना, इद्दत कहलाता है।⁽³⁾

①... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 432

②... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 28, अत्तलाक़, तहूतल आयह : 1, 10/196

③... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 435

औरत की हालत के ए'तिबार से इद्दत की अक्सांम

औरत की हालत के ए'तिबार से इद्दत की तीन किस्में हैं : (1) तलाक़ वाली की इद्दत, (2) हामिला की इद्दत, (3) बेवा की इद्दत ।

तलाक़ वाली की इद्दत

तलाक़ वाली से मुराद वोह औरत है जिसे शौहर ने तलाक़ दी हो । तलाक़ की इद्दत जब कि औरत मदखूला हो (जिस से जिमाअ किया जा चुका हो) या खल्वत वाक़ेअ हो चुकी हो और औरत को हैज़ आता हो और उसे हम्ल भी न हो, तो ऐसी औरत की इद्दत पूरे तीन हैज़ है ।⁽¹⁾

हामिला की इद्दत

औरत हामिला है तो इद्दत वज़ए हम्ल है (या'नी जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो इद्दत ख़त्म हो जाएगी), इद्दत चाहे तलाक़ की हो या वफ़ात की । और वज़ए हम्ल से इद्दत पूरी होने के लिये कोई ख़ास वक़्त मुक़र्रर नहीं । (शौहर की) मौत या तलाक़ के बा'द जिस वक़्त भी बच्चा पैदा हो इद्दत ख़त्म हो जाएगी अगर्चे एक मिनट बा'द ।⁽²⁾

बेवा की इद्दत

वफ़ात की इद्दत चार महीने दस दिन है । या'नी दसवीं रात भी गुज़रे । औरत चाहे सगीरा (ना बालिग़) हो या कबीरा (बालिग़), मदखूला (जिस से जिमाअ किया जा चुका) हो या ग़ैर मदखूला (जिस से जिमाअ नहीं किया गया हो), मगर इस इद्दत में शर्त येह है कि औरत को हम्ल न हो । (अगर हम्ल होगा तो फिर उस की इद्दत हामिला वाली होगी) ।⁽³⁾

सबक़ नम्बर 13

सोग का बयान

सोग कितने दिन है ?

रसूले करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जो औरत अल्लाह और क़ियामत के दिन पर इर्मान रखती है, उसे येह हलाल नहीं कि किसी मय्यित पर तीन रातों से ज़ियादा सोग करे, मगर शौहर पर कि

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 435, ब तग़य्युरे क़लील

2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 436, तस्हीलन

3... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, 437, तस्हीलन

चार महीने दस दिन सोग करे ।⁽¹⁾

सोग की ता'रीफ़

सोग के मा'ना हैं कि जीनत को तर्क करे ।⁽²⁾

सोग कौन करे ?

सोग उस पर है जो अक़िला बालिगा मुसल्मान हो और मौत या तलाके बाइन की इद्दत हो । ना बालिगा व मज्जूना व काफ़िरा पर सोग नहीं । हां अगर इद्दत के दौरान ना बालिगा, बालिगा हुई, मज्जूना का जुनून जाता रहा और काफ़िरा मुसल्मान हो गई तो जो दिन बाक़ी रह गए हैं उन में सोग करे ।⁽³⁾

चन्द अहम अहक़ाम

❁ (सोग में औरत) हर किस्म के ज़ेवर चांदी, सोने, जवाहिर वगैरा ❁ और हर किस्म और हर रंग के रेशम के कपड़े अगर्चे सियाह (काले) हों न पहने ❁ और खुशबू का बदन या कपड़ों में इस्ति'माल न करे ❁ और न तेल का इस्ति'माल करे अगर्चे उस में खुशबू न हो जैसे रोगने जैतून ❁ और कंघा करना और सियाह सुरमा लगाना, यूंही सफ़ेद खुशबूदार सुरमा लगाना और महंदी लगाना और जा'फ़रान या कुसुम या गेरू का रंगा हुवा या सुर्ख रंग का कपड़ा पहनना मन्अ है, इन सब चीज़ों का तर्क वाजिब है । ❁ जिस कपड़े का रंग पुराना हो गया कि अब उस का पहनना जीनत नहीं उसे पहन सकती है । ❁ यूंही सियाह रंग के कपड़े में भी हरज नहीं जब कि रेशम के न हों । ❁ उज़्र की वजह से इन चीज़ों का इस्ति'माल कर सकती है मगर इस हाल में उस का इस्ति'माल जीनत के क़स्द (इरादे) से न हो, ❁ मसलन दर्दे सर की वजह से तेल लगा सकती है या तेल लगाने की आदी है जानती है कि न लगाने में दर्दे सर हो जाएगा तो लगाना जाइज़ है । ❁ या दर्दे सर के वक़्त कंघा कर सकती है मगर उस तरफ़ से जिधर के दन्दाने मोटे हैं, उधर से नहीं जिधर बारीक हों कि येह बाल संवारने के लिये होते हैं और येह मन्मूअ है । ❁ या सुरमा लगाने की ज़रूरत है कि आंखों में दर्द है । ❁ या ख़ारिशत (बदन पर फुन्सी होने वाली बीमारी) है तो रेशमी कपड़े पहन सकती है । ❁ या उस के पास और कपड़ा नहीं है तो येही रेशमी



1... بخاری، کتاب الجنائز، باب حد المرأة علی غیر زوجها، 1/433، حدیث: 1281-1282

2... बहारे शरीअत, 2/242, हिस्सा : 8

3... बहारे शरीअत, 2/243, हिस्सा : 8 मुल्तक़तन

या रंगा हुवा पहने ❁ मगर येह ज़रूर है कि इन की इजाज़त ज़रूरत के वक़्त है लिहाज़ा ब क़दरे ज़रूरत इजाज़त है, ज़रूरत से ज़ियादा मम्मूअ, मसलन आंख की बीमारी में सुरमा लगाने की ज़रूरत हो तो येह लिहाज़ ज़रूरी है कि सियाह सुरमा उस वक़्त लगा सकती है जब सफ़ेद सुरमे से काम न चले और अगर सिर्फ़ रात में लगाना काफ़ी है तो दिन में लगाने की इजाज़त नहीं। ❁ किसी के मरने के ग़म में सियाह कपड़े पहनना जाइज़ नहीं मगर औरत को तीन दिन तक शौहर के मरने पर ग़म की वजह से सियाह कपड़े पहनना जाइज़ है और सियाह कपड़े ग़म ज़ाहिर करने के लिये न हों तो मुत्लक़न जाइज़ हैं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 14

बच्चे की परवरिश का बयान

हदीस में परवरिश की अहमियत

बच्चे की परवरिश के बारे में रसूले अकरम ﷺ के दो फ़रामीन मुलाहज़ा कीजिये : ❁ हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि एक औरत ने हुज़ूर ﷺ से अज़ा की : **या रसूलल्लाह !** मेरा येह लड़का है, मेरा पेट इस के लिये ज़फ़ था और मेरे पिस्तान इस के लिये मशक और मेरी गोद इस की मुहाफ़िज़ थी और इस के बाप ने मुझे त़लाक़ दे दी और अब इस को मुझ से छीनना चाहता है। हुज़ूर ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : तू ज़ियादा हक़दार है, जब तक तू निकाह न करे।⁽²⁾

❁ हज़रते बराअ बिन अज़िब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कहते हैं कि सुल्हे हुदैबिया के बा'द दूसरे साल में जब हुज़ूरे अक्दस ﷺ उम्रए क़ज़ा से फ़ारिग़ हो कर मक्कए मुअज़्ज़मा से रवाना हुए तो हज़रते हम्ज़ा रَضِيَ اللهُ عَنْهُ की साहिब ज़ादी चचा चचा कहती पीछे हो लीं। हज़रते अली रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने उन्हें ले लिया और हाथ पकड़ लिया। फिर हज़रते अली व ज़ैद बिन हारिसा व जा'फ़रे तय्यार رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ में से हर एक ने अपने पास रखना चाहा। हज़रते अली रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने कहा : मैं ने ही इसे लिया और मेरे चचा की लड़की है और हज़रते जा'फ़र रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने कहा : मेरे चचा की लड़की है और इस की ख़ाला मेरी बीवी है और हज़रते ज़ैद रَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने कहा : मेरे (रज़ाई) भाई की लड़की है। हुज़ूरे अक्दस ﷺ ने लड़की ख़ाला को दिलवाई और फ़रमाया : ख़ाला मां के मर्तबे पर है। और हज़रते अली से फ़रमाया :

¹ ... बहारे शरीअत, 2/242 ता 244, हिस्सा : 8 मुत्लक़तन

² ... ابو داود، کتاب الطلاق، باب من احق بالولد، 2/413، حديث: 2276

तुम मुझ से हो और मैं तुम से। और हज़रते जा'फ़र से फ़रमाया : तुम मेरी सूरत और सीरत में मुशाबेह हो। और हज़रते ज़ैद से फ़रमाया : तुम हमारे भाई और हमारे मौला हो।⁽¹⁾

चन्द अहम अहकाम

❁ बच्चे की परवरिश का हक् मां के लिये है। ख़्वाह वोह निकाह में हो या निकाह से बाहर हो गई हो। हां अगर वोह बद चलन है तो बच्चा उस की परवरिश में उस वक़्त तक रहेगा जब तक ना समझ हो। जब कुछ समझने लगे तो अ़लाहदा कर लें कि बच्चा मां को देख कर वोही आदतें इख़्तियार करेगा जो उस की मां में हैं।⁽²⁾

❁ अगर बच्चे की मां दूध पिलाने से इन्कार करे और बच्चा दूसरी औरत का दूध न लेता हो, मुफ़्त कोई दूध नहीं पिलाती और बच्चे या उस के बाप के पास पैसे नहीं तो मां दूध पिलाने पर मजबूर की जाएगी।⁽³⁾

❁ मां अगर न हो या परवरिश की अहल न हो या उस ने इन्कार कर दिया, या अजनबी से निकाह कर लिया तो अब हक्के परवरिश नानी के लिये है। येह भी न हो तो नानी की मां, इस के बा'द दादी, फिर हक्कीकी बहन वगैरा।⁽⁴⁾

❁ जिस औरत के लिये हक्के परवरिश है उस के पास लड़के को उस वक़्त तक रहने दें कि अब उसे उस की हाजत न रहे या'नी अपने आप खाता, पीता, पहनता, इस्तिन्जा कर लेता हो, इस की मिक्दार सात बरस की उम्र है। और लड़की उस वक़्त तक औरत की परवरिश में रहेगी कि हद्दे शहवत को पहुंच जाए। इस की मिक्दार नव बरस की उम्र है।⁽⁵⁾

❁ लड़का बालिग़ न हुवा मगर काम के काबिल हो गया है तो बाप उसे किसी काम में लगा दे जो काम सिखाना चाहे उस के जानने वालों के पास भेज दे कि उन से काम सीखे नोकरी या मजदूरी के काबिल हो और बाप उस से नोकरी या मजदूरी कराना चाहे तो नोकरी या मजदूरी कराए और जो कमाए उस (बच्चे) पर सर्फ़ (खर्च) करे और बच रहे तो उस के लिये जम्अ करता रहे और अगर बाप जानता है



1...بخاری، کتاب المغازی، باب عمرة القضاء، 3/94، حدیث: 4251

2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 440

3... बहारे शरीअत, 2/253, हिस्सा : 8

4... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 440

5... बहारे शरीअत, 2/255, हिस्सा : 8 मुल्लतक़तन, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 441

कि मेरे पास खर्च हो जाएगा तो किसी और के पास अमानत रख दे। मगर सब से मुक़द्दम यह है कि बच्चों को कुरआने मजीद पढ़ाएं और दीन की ज़रूरी बातें सिखाई जाएं रोज़ा व नमाज़ व तहारात और बैअ व इजारा व दीगर मुआमलात के मसाइल जिन की रोज़मर्रा हाज़त पड़ती है और ना वाकिफ़ी से ख़िलाफ़े शर्अ अमल करने के जुर्म में मुब्तला होते हैं उन की ता'लीम हो। अगर देखें कि बच्चे को इल्म की तरफ़ रुज़्हान है और समझदार है तो इल्मे दीन की ख़िदमत से बढ़ कर क्या काम है और अगर इस्तिताअत न हो तो तस्हीह व ता'लीमे अक़ाइद और ज़रूरी मसाइल की ता'लीम के बा'द जिस जाइज़ काम में लगाएं इख़्तियार है।

❁ लड़की को भी अक़ाइद व ज़रूरी मसाइल सिखाने के बा'द किसी औरत से सिलाई और नक्शो निगार वगैरा ऐसे काम सिखाएं जिन की औरतों को अक्सर ज़रूरत पड़ती है और खाना पकाने और दीगर उमूरे खानादारी में उस को सलीका होने की कोशिश करें कि सलीके वाली औरत जिस खूबी से जिन्दगी बसर कर सकती है बद सलीका नहीं कर सकती।⁽¹⁾

❁ लड़की को नोकर न रखाएं कि जिस के पास नोकर रहेगी कभी ऐसा भी होगा कि मर्द के पास तन्हा रहे और येह बड़े ऐब की बात है। तन्हा लड़की का किसी ग़ैर के साथ रहना ऐसा है जैसे आग बारूद कि ज़रा देर में भड़क सकती है और लड़की का भड़कना उस की तबाही बरबादी है।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 15

नफ़के का बयान

कुरआन में नफ़के की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में नफ़के के बारे में इर्शाद फ़रमाता है :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ
فَلْيُفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
أَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۝

(प 28, अल्लाक: 7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : मक़दूर वाला (मालदार शख्स) अपने मक़दूर (वुस्अत) के काबिल नफ़का दे और जिस पर उस का रिज़क़ तंग किया गया वोह उस में से नफ़का दे जो उसे अल्लाह ने दिया अल्लाह किसी जान पर बोझ नहीं रखता मगर उसी काबिल जितना उसे दिया है करीब है अल्लाह दुश्वारी के बा'द आसानी फ़रमा देगा।

❶ ... बहारे शरीअत, 2/256, हिस्सा : 8

❷ ... बहारे शरीअत, 2/257, हिस्सा : 8, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 442

हदीस में नफ़के की अहमियत

✽ हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जब खुदा किसी को माल दे तो खुद अपने और घर वालों पर खर्च करे ।⁽¹⁾

✽ हुज़ूर नबिय्ये पाक ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : मुसल्मान जो कुछ अपने अहल पर खर्च करे और नियत सवाब की हो तो येह उस के लिये सद्का है ।⁽²⁾

✽ रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : आदमी को गुनहगार होने के लिये इतना काफ़ी है कि जिस का खाना उस के ज़िम्मे हो, उसे खाने को न दे ।⁽³⁾

नफ़के की ता'रीफ़

नफ़के से मुराद खाना, कपड़ा और रहने का मकान है ।⁽⁴⁾

नफ़के के अस्बाब

नफ़का वाजिब होने के तीन सबब हैं : (1) ज़ौजियत या'नी मियां बीवी का रिश्ता (2) नसब (3) मिल्क । ज़ौजियत और नसब की वजह से नफ़का वाजिब होने के चन्द अहम मसाइल बयान किये जाते हैं ।⁽⁵⁾

बीवी के नफ़के के बारे में चन्द अहम अहकाम

✽ जिस औरत से निकाहे सहीह हुवा, उस का नफ़का शौहर पर वाजिब है अगर्चे वोह ना बालिगा हो । मगर ना बालिगा में शर्त येह है कि जिमाअ की ताक़त रखती हो या मुश्तहात हो या'नी हद्दे शहवत को पहुँच जाए । और शौहर की जानिब कोई शर्त नहीं कितना ही उम्र में छोटा हो उस पर नफ़का वाजिब है उस के माल से दिया जाएगा ।



① ... मुस्लिम, کتاب الامارة، باب الناس تبع لقریش... إلخ، ص 781، حدیث: 4711

② ... بخاری، کتاب النفقات، باب فضل النفقة على الابل... إلخ، 3/511، حدیث: 5351

③ ... मुस्लिम، کتاب الزكاة، باب فضل النفقة على العیال... إلخ، ص 388، حدیث: 2312

④ ... बहारे शरीअत, 2/260, हिस्सा : 8

⑤ ... बहारे शरीअत, 2/260, हिस्सा : 8, सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 443

❁ अगर मर्द व औरत दोनों मालदार हों तो नफ़का मालदार का सा होगा और दोनों मोहताज हों तो मोहताजों का सा। और एक मालदार है और दूसरा मोहताज तो दरमियाना दरजे का नफ़का वाजिब होगा। या'नी मोहताज जैसा खाते हों उस से उम्दा और मालदार जैसा खाते हों उस से कम।

❁ औरत जब रुख़सत हो कर आई तो उस वक़्त से शौहर के ज़िम्मे उस का लिबास है। अगरचें औरत के पास कितने ही जोड़े हों। लिबास में उस के शहर का ए'तिबार है। सर्दी गर्मी में जैसे कपड़ों का वहां का चलन है वोह दे।

❁ साल में कम अज़ कम दो जोड़े वाजिब हैं। हर शशमाही पर एक जोड़ा। मगर इस का लिहाज़ ज़रूरी है कि अगर दोनों मालदार हों तो मालदारों के से कपड़े हों और मोहताज व ग़रीब हों तो ग़रीबों के से और एक मालदार हो और एक मोहताज तो दरमियाने हों।⁽¹⁾

औलाद के नफ़के के बारे में चन्द अहम अहकाम

❁ ना बालिग़ औलाद का नफ़का बाप पर वाजिब है जब कि औलाद की मिल्क में माल न हो। और बालिग़ बेटा अगर अपाहज या मज्ज़ून या नाबीना हो, कमाने से अज़िज़ हो और उस के पास माल न हो तो उस का नफ़का भी बाप पर है।

❁ और लड़की जब कि माल न रखती हो और शादी शुदा भी न हो तो उस का नफ़का भी बाप पर है। अगरचें लड़की के आ'ज़ा दुरुस्त हों। शादी के बा'द उस का नफ़का शौहर पर वाजिब होगा बाप पर नहीं।

❁ अगर बाप मुफ़्लिस है तो कमाए और बच्चों को ख़िलाए और कमाने से भी अज़िज़ है मसलन अपाहज है तो दादा के ज़िम्मे (बच्चों) का नफ़का है। इस सूरत में बाप का नफ़का भी दादा के ज़िम्मे है।⁽²⁾

मां बाप के नफ़के से मुतअल्लिक चन्द अहकाम

❁ बाप और मां दोनों मोहताज हों तो दोनों का नफ़का बेटे पर है। ❁ मां अगर बेवा हो वोह अपाहज न भी हो तब भी बेटे पर उस का नफ़का है। ❁ अगर उस ने शादी कर ली तो फिर शौहर के ज़िम्मे उस का नफ़का है। ❁ बेटा अगर मां बाप दोनों को नफ़का नहीं दे सकता मगर एक का दे सकता

1... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 444 मुल्लतक़तून

2... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 446 तस्हीलन

है तो मां ज़ियादा मुस्तहिक है। और अगर वालिदैन् में से किसी का पूरा नफ़का न दे सकता हो तो दोनों को अपने साथ खिलाए, जो वोह खुद खाता पीता, पहनता हो उसी में से उन्हें भी खिलाए पिलाए और पहनाए।⁽¹⁾

सबक नम्बर 16

क़सम का बयान

कुरआन में क़सम की अहमियत

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ
بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾ (پ 14، الم: 91)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह का अहद पूरा करो जब कौल बांधो और क़समें मज़बूत कर के न तोड़ो और तुम अल्लाह को अपने ऊपर ज़ामिन कर चुके हो बेशक अल्लाह तुम्हारे काम जानता है।

आयत की तफ़सीर

इस आयत में सब से पहले अहद पूरा करने का ज़िक्र किया क्यूं कि इस हक़ को अदा करने की ताकीद बहुत ज़ियादा है। येह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जिन्होंने (बैअते रिज़्वाण के मौक़अ पर) रसूले करीम ﷺ से इस्लाम पर बैअत की थी, उन्हें अपने अहद पूरे करने का हुक्म दिया गया। बा'ज मुफ़स्सरीन ने फ़रमाया कि इस से मुराद वोह अहद है जिसे इन्सान अपने इख़्तियार से अपने ऊपर लाज़िम कर ले और इस में वा'दा भी दाख़िल है क्यूं कि वा'दा अहद की किस्म है। हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : वा'दा अहद ही की एक किस्म है। हज़रते मैमून बिन मेहरान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ फ़रमाते हैं : तुम जिस शख़्स से भी अहद करो तो उसे पूरा करो, ख़्वाह वोह शख़्स मुसलमान हो या काफ़िर, क्यूं कि तुम ने उस अहद पर अल्लाह पाक का नाम लिया (और उसे ज़ामिन बनाया) है।⁽²⁾

क़सम के मुतअल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

❁ रसूलुल्लाह ﷺ फ़रमाते हैं : अल्लाह करीम तुम को बाप की क़सम खाने से मन्अ करता

❶ ... सुन्नी बिहिशी ज़ेवर, स. 446 मुलतक़तन

❷ ... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 14, अन्नहूल, तहूतल आयह : 91, 5/373

है, जो शख्स क़सम खाए तो **अल्लाह** की क़सम खाए या चुप रहे।⁽¹⁾

❁ **रसूलुल्लाह** ﷺ फ़रमाते हैं : जो शख्स क़सम खाए और दूसरी चीज़ उस से बेहतर पाए तो क़सम का कफ़ारा दे दे और वोह काम करे।⁽²⁾

क़सम की ता'रीफ़

क़सम को अरबी ज़बान में “यमीन” कहते हैं जिस का मतलब है : “दाहनी (या'नी सीधी) जानिब”, चूँकि अहले अरब उमूमन क़सम खाते या क़सम लेते वक़्त एक दूसरे से दाहना (या'नी सीधा) हाथ मिलाते थे इस लिये क़सम को “यमीन” कहने लगे, या फिर यमीन “युम्न” से बना है जिस के मा'ना हैं “बरकत व कुव्वत”, चूँकि क़सम में **अल्लाह** पाक का बा बरकत नाम भी लेते हैं और इस से अपने कलाम को कुव्वत देते हैं इस लिये इसे यमीन कहते हैं या'नी बरकत व कुव्वत वाली गुफ़्तगू।⁽³⁾ शर्ई ए'तिबार से क़सम उस अक़द (या'नी अहदो पैमां) को कहते हैं जिस के ज़रीए क़सम खाने वाला किसी काम के करने या न करने का पुख़्ता (पक्का) इरादा करता है।⁽⁴⁾ मसलन किसी ने यूं कहा : “**अल्लाह** करीम की क़सम ! मैं कल तुम्हारा सारा क़र्ज़ अदा कर दूंगा” तो येह क़सम है।

क़सम का हुक्म

क़सम खाना जाइज़ है मगर जहां तक हो कमी बेहतर है और बात बात पर क़सम खानी न चाहिये और बा'ज़ लोगों ने क़सम को तक्या कलाम बना रखा है कि क़स्द व बे क़स्द ज़बान से जारी होती है और इस का भी खयाल नहीं रखते कि बात सच्ची है या झूटी येह सख़्त मा'यूब है।⁽⁵⁾

क़सम की अक़्साम

क़सम की तीन क़िस्में हैं : (1) यमीने लग़व, (2) यमीने ग़मूस, (3) यमीने मुन्अकिदा।



❶...بخاری، کتاب الایمان والاندور، باب لا تحلفوا بآیاتکم، 4/286-287، حدیث: 6646

❷...مسلم، کتاب الایمان، باب ندب من حلف بیئنا... الخ، ص 694، حدیث: 4271

❸...میرآاتول مناجیہ، 5/194

❹...در مختار، کتاب الایمان، 5/488

❺...بہارے شریعت، 2/298، हिस्सा : 8

यमीने लगव

यमीने लगव येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआमले) पर अपने खयाल में (या'नी ग़लत़ फ़हमी की वजह से) सहीह जान कर क़सम खाए और दर हकीकत वोह बात उस के खिलाफ़ (या'नी उलट) हो।⁽¹⁾

यमीने लगव का हुक्म

यमीने लगव मुआफ़ है और इस पर कफ़ारा नहीं।⁽²⁾

यमीने ग़मूस

यमीने ग़मूस येह है कि किसी गुज़रे हुए या मौजूदा अम्र (या'नी मुआमले) पर दानिस्ता (या'नी जान बूझ कर) झूटी क़सम खाए।⁽³⁾

यमीने ग़मूस का हुक्म

यमीने ग़मूस खाने वाला सख़्त गुनहगार हुवा, इस्तिफ़ार व तौबा फ़र्ज़ है मगर कफ़ारा लाज़िम नहीं।⁽⁴⁾

यमीने मुन्अकिदा

यमीने मुन्अकिदा येह है कि मुस्तक़िबल में किसी काम के करने या न करने की क़सम खाई।⁽⁵⁾

यमीने मुन्अकिदा का हुक्म

यमीने मुन्अकिदा में अगर क़सम तोड़ेगा कफ़ारा देना पड़ेगा और बा'ज़ सूरतों में गुनहगार भी होगा।⁽⁶⁾

क़सम तोड़ने का कफ़ारा

क़सम का कफ़ारा ۞ गुलाम आज़ाद करना, ۞ या दस मिस्कीनों को दोनों वक़्त पेट भर कर खाना खिलाना, ۞ या उन को मुतवस्सित़ दरजे के कपड़े पहनाना है। या'नी येह इख़्तियार है कि इन



1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما ینبغیٰ علیہ من الخ، 52/2

2... बहारे शरीअत, 2/299, हिस्सा : 9 मुख़ब़सन

3... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما ینبغیٰ علیہ من الخ، 52/2

4... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما ینبغیٰ علیہ من الخ، 52/2

6... बहारे शरीअत, 2/299, हिस्सा : 9

5... فتاویٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الثانی فیما ینبغیٰ علیہ من الخ، 52/2

तीन बातों में से जो चाहे करे। और जिन मसाकीन को सुब् के वक्त खिलाया उन्हीं को शाम के वक्त भी खिलाए। ❁ अगर गुलाम आज़ाद करने या दस मिस्कीन को खाना या कपड़े देने पर क़ादिर न हो तो पै दर पै (या'नी लगातार) तीन रोज़े रखे।⁽¹⁾

क़सम के कफ़ारे की शराइत

क़सम के (कफ़ारे के) लिये चन्द शर्तें हैं कि अगर वोह न हों तो कफ़ारा नहीं। क़सम खाने वाला (1) मुसलमान (2) अक़िल (3) बालिग़ हो (4) जिस की क़सम खाई वोह चीज़ अक़लन मुम्किन हो या'नी (वाक़ेअ) हो सकती हो (5) क़सम और जिस चीज़ की क़सम खाई दोनों को एक साथ कहा हो, दरमियान में फ़ासिला होगा तो क़सम न होगी मसलन किसी ने इस से कहलाया कि कहो : खुदा की क़सम। इस ने कहा : खुदा की क़सम। उस ने कहा कहो : फ़ुलां काम करूंगा। इस ने कहा तो येह क़सम न हुई।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 17

मन्नत का बयान

क़ुरआन में मन्नत की अहमियत

अल्लाह पाक ने क़ुरआने करीम में मन्नत पूरी करने वालों की ता'रीफ़ में इर्शाद फ़रमाया :

يُؤْتُونَ بِاللَّهِ وَيَخَافُونَ يُؤْمَرُونَ شَرًّا

(مُسْتَطِيئًا) (پ 29، الدھر: 7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अपनी मन्नतें पूरी करते हैं और उस दिन से डरते हैं जिस की बुराई फैली हुई है।

आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में अल्लाह पाक के नेक बन्दों के वोह आ'माल ज़िक्र फ़रमाए जा रहे हैं जिन की वजह से उन्हें येह सवाब हासिल हुवा। पहला अमल : अल्लाह पाक के नेक बन्दे ताअतो इबादत और शरीअत के वाजिबात पर अमल करते हैं हत्ता कि वोह इबादात जो वाजिब नहीं लेकिन मन्नत मान कर उन्हें अपने ऊपर वाजिब कर लिया तो उन्हें भी अदा करते हैं।⁽³⁾

①... बहारे शरीअत, 2/305, 308, हिस्सा : 9 मुल्तक़तन

②... فتاوىٰ ہندیہ، کتاب الایمان، الباب الاول... الخ، 51/2، ملقط، بھارے شریعت، 2/300, 301, हिस्सा : 9 माखूज़न

③... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 29, अदहर, तहत्तल आयह : 7, 10/473 ता 474

मन्नत के मुतअल्लिक हदीस

ﷺ हजरते सा'द बिन उबादा رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने नबिय्ये करीम صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से फ़तवा पूछा कि उन की मां के ज़िम्मे मन्नत थी और पूरी करने से पहले उन का इन्तिक़ाल हो गया। हुज़ूर صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़तवा दिया कि येह उसे पूरा करें।⁽¹⁾

मन्नत की ता'रीफ़

याद रहे कि उर्फ़ में हदिय्या और पेशकश को नज़्र (मन्नत) कहते हैं। जैसे किसी बड़े को कोई चीज़ पेश करें तो कहते हैं कि जनाब येह आप की नज़्र की।⁽²⁾

मन्नत की अक्साम

नज़्र (मन्नत) की दो किस्में हैं : (1) नज़्रे शर्ई (2) नज़्रे उर्फ़ी।

नज़्रे शर्ई

शर्अ में नज़्र इबादत और कुर्बते मक्सूदा है। इसी लिये अगर किसी ने गुनाह करने की नज़्र मानी तो वोह सहीह नहीं हुई। नज़्र खास अल्लाह पाक के लिये होती है और येह जाइज़ है कि अल्लाह पाक के लिये नज़्र करे और किसी वली के आस्ताने के फुक़रा को नज़्र के सर्फ़ करने की जगह मुक़रर करे। मसलन किसी ने येह कहा या रब ! मैं ने नज़्र मानी कि अगर तू मेरा फुलां मक्सद पूरा कर दे कि फुलां बीमार को तन्दुरुस्त कर दे तो मैं फुलां वली के आस्ताने के फुक़रा को खाना खिलाऊं या वहां के खुद्दाम को रुपिया पैसा दूं या उन की मस्जिद के लिये फुलां सामान मुहय्या करूंगा तो येह नज़्र जाइज़ है।

शर्ई नज़्र सिर्फ़ अल्लाह पाक ही के लिये हो सकती है क्यूं कि इस के मा'ना हैं ग़ैर लाज़िम इबादत को लाज़िम कर लेना, हां इस नज़्र का मसरफ़ औलियाउल्लाह के ग़रीब मुजाविर भी हो सकते हैं जैसा कि ऊपर बयान हुवा।⁽³⁾



1...بخاری، کتاب الایمان والنفوس، باب من مات وعليه نذر، 4/302، حدیث: 6698

2...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 270, 1/406

3...तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 270, 1/406

नज़्र की दूसरी किस्म

लुगुवी नज़्र जिसे उर्फ़ी नज़्र भी कहते हैं, जो नज़राना के मा'ना में है, वोह मख़्लूक के लिये भी हो सकती है। जैसे बुजुर्गाने दीन के लिये नज़्रो नियाज़ की जाती है, मज़ारात पर चादर चढ़ाने की नज़्र मानी जाती है। इस तरह की नज़्रों का पूरा करना ज़रूरी नहीं अलबत्ता बेहतर है।⁽¹⁾

मन्नत की शराइत

शर्ई मन्नत जिस के मानने से शर्अन उस का पूरा करना वाजिब होता है, उस के लिये चन्द शर्ते हैं :

- 1) ऐसी चीज़ की मन्नत हो कि उस की ज़िन्स से कोई वाजिब हो, इयादते मरीज़ और मस्जिद में जाने और जनाजे के साथ जाने की मन्नत नहीं हो सकती।
- 2) वोह इबादत खुद बिज़ात मक्सूद हो किसी दूसरी इबादत के लिये वसीला न हो, लिहाज़ा वुजू व गुस्ल व नज़रे मुस्हफ़ की मन्नत सहीह नहीं।
- 3) उस चीज़ की मन्नत न हो जो शर्अ ने खुद उस पर वाजिब की हो, ख़्वाह फ़िलहाल या आइन्दा मसलन आज की ज़ोहर या किसी फ़र्ज़ नमाज़ की मन्नत सहीह नहीं कि येह चीज़ें तो खुद ही वाजिब हैं।
- 4) जिस चीज़ की मन्नत मानी वोह खुद ब जातिही कोई गुनाह की बात न हो और अगर किसी और वजह से गुनाह हो तो मन्नत सहीह हो जाएगी। मसलन ईद के दिन रोज़ा रखना मन्नत है, अगर इस की मन्नत मानी तो मन्नत हो जाएगी अगरचे हुक्म येह है कि उस दिन न रखे, बल्कि किसी दूसरे दिन रखे कि येह मुमानअत अरिज़ी है या'नी ईद के दिन होने की वजह से, खुद रोज़ा एक जाइज़ चीज़ है।
- 5) ऐसी चीज़ की मन्नत न हो जिस का होना मुहाल हो, मसलन येह मन्नत मानी कि कल गुज़स्ता मैं रोज़ा रखूंगा येह मन्नत सहीह नहीं।⁽²⁾

मन्नत का हुक्म

शर्ई मन्नत मानने से शर्अन उस का पूरा करना वाजिब होता है।⁽³⁾

①...तफ़सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 3, अल बकरह, तह़तल आयह : 270, 1/407

②...बहारे शरीअत, 1/1015, हिस्सा : 5

③...बहारे शरीअत, 1/1015, हिस्सा : 5

सबक नम्बर 18

अमानत का बयान

अमानत की अहमियत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही

अमानत अदा करने की अहमियत के बारे में अल्लाह पाक ने कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाया :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾

(प 9, الانفال: 27)

तरजमए कज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह व
रसूल से दगा न करो और न अपनी अमानतों में दानिस्ता
ख़ियानत ।

अमानत की अहमियत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्तफ़ा

✽ रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : मुनाफ़िक़ की अलामत में से यह है कि जब उस के
पास अमानत रखी जाए तो ख़ियानत करे ।⁽¹⁾

अमानत की तारीफ़

दूसरे शख़्स को अपने माल की हिफ़ाज़त पर मुक़रर कर देने को ईदाअ़ कहते हैं और उस माल
को वदीअ़त कहते हैं जिस को आम तौर पर अमानत कहा जाता है ।

अमानत रखने की शराइत

अमानत रखने की दो शर्तें हैं :

(1) वोह माल इस क़ाबिल हो जो क़ब्ज़े में आ सके लिहाज़ा भागे हुए गुलाम के मुतअल्लिक़
कह दिया मैं ने उस को वदीअ़त (अमानत में) रखा या हवा में परिन्दा उड़ रहा है उस को वदीअ़त रखा
इन का ज़मान (हलाक़ होने की सूरत में कीमत अदा करना) वाजिब नहीं । (2) जिस के पास अमानत रखी
जाए वोह मुकल्लफ़ हो तब हिफ़ाज़त वाजिब होगी । अगर बच्चे के पास कोई चीज़ अमानत रख दी,
उस ने हलाक़ कर दी ज़मान वाजिब नहीं ।⁽²⁾



1... بخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، 1/24، حدیث: 33

2... बहारे शरीअ़त, 3/32, हिस्सा : 14 मुल्तक़तून

अमानत रखने का हुक्म

वदीअत (अमानत) का हुक्म यह है कि वोह चीज़ मूदअ (जिस के पास अमानत रखी गई है उस) के पास अमानत होती है। उस की हिफ़ाज़त मूदअ पर वाजिब होती है। और मालिक के तलब करने पर देना वाजिब होता है। वदीअत (अमानत) का क़बूल करना मुस्तहब है। वदीअत हलाक हो जाए तो उस का ज़मान (अमानत की कीमत अदा करना) वाजिब नहीं। हां उस की कोताही से हलाक हुई तो ज़मान वाजिब है, वदीअत को न दूसरे के पास अमानत रख सकता है न आरिख्यत या इजारे पर दे सकता है न उस को रहन रख सकता है इस में से कोई काम करेगा तो तावान देना होगा।⁽¹⁾

अमानत रखवाने की सूरतें

अमानत रखवाने की दो सूरतें हैं : (1) कभी सराहतन (वाजेह तौर पर) कह दिया जाता है कि हम ने येह चीज़ तुम्हारी हिफ़ाज़त में दी। (2) और कभी दलालतन (बिगैर वज़ाहत के) भी अमानत रखवाई जाती है। मसलन किसी की कोई चीज़ गिर गई और मालिक की ग़ैर मौजूदगी में ले ली। येह चीज़ लेने वाले की हिफ़ाज़त में आ गई।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 19

आरिख्यत का बयान

आरिख्यत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही

मुनाफ़िक़ीन मुसलमानों से रोज़मर्रा की इस्ति'माल की चीज़ खुद तो लेते थे मगर मुसलमानों को नहीं देते थे तो अल्लाह पाक ने इन की मजम्मत में फ़रमाया :

وَيَسْتَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿٣٠﴾ (الماعون: 7)

तरजमए कज़ुल ईमान : और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते।

आरिख्यत के मुतअल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

हज़रते अली बिन अबू तालिब رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : मुसलमान मुसलमान का भाई है, जब वोह उसे मिले तो वोह عَلَيْهِ السَّلَام कहे और वोह उस से बेहतर अल्फ़ाज़ के

1... बहारे शरीअत, 3/32, हिस्सा : 14

2... बहारे शरीअत, 3/31, हिस्सा : 14

साथ जवाब दे। और वोह उस से माऊन या'नी रोज़मर्रा के इस्ति'माल की चीज़ न रोके। मैं ने अर्ज़ की : **या रसूलुल्लाह !** माऊन क्या हैं ? तो आप **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने फ़रमाया : पथर, लोहा, पानी और इन की तरह दीगर चीज़ें।⁽¹⁾

❁ हज़रते अबू हुरैरा **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ** बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** ने माऊन के बारे में फ़रमाया : इस से मुराद वोह चीज़ें हैं जिन के साथ लोग आपस में एक दूसरे के साथ तआवुन करते हैं। मसलन कुल्हाड़ी, हंडिया, डोल और इन की तरह दीगर चीज़ें।⁽²⁾

आरिख्यत की ता'रीफ़

दूसरे शख़्स को चीज़ की मन्फ़अत (नफ़अ) का बिगैर इवज़ मालिक कर देना आरिख्यत है। जिस की चीज़ है उसे मुईर (आरिख्यत देने वाला) कहते हैं और जिस को दी गई मुस्तईर (आरिख्यत लेने वाला) है और (जो चीज़ इस्ति'माल के लिये दी गई उस) चीज़ को मुस्तआर कहते हैं।⁽³⁾

आरिख्यत की शराइत

आरिख्यत की दो शर्तें हैं :

(1) शैए मुस्तआर इन्तिफ़ाअ के क़ाबिल हो (या'नी जो चीज़ इस्ति'माल के लिये ली है उस से नफ़अ हासिल करना मुम्किन हो)। (2) इवज़ लेने की उस में शर्त न हो अगर मुआवज़ा शर्त हो तो इजारा हो जाएगा।⁽⁴⁾

आरिख्यत के लिये ईजाब व क़बूल

❁ आरिख्यत के लिये ईजाब व क़बूल होना ज़रूरी है। ❁ अगर कोई ऐसा फ़े'ल किया जिस से क़बूल मा'लूम होता हो तो येह फ़े'ल ही क़बूल है। मसलन किसी से कोई चीज़ मांगी उस ने ला कर दे दी और कुछ न कहा आरिख्यत हो गई। ❁ और अगर वोह शख़्स ख़ामोश रहा कुछ नहीं



1... تفسير در منشور، پ 30، الماعون، تحت الآية: 8، 7/644

2... تفسير در منشور، پ 30، الماعون، تحت الآية: 8، 7/644

3... बहारे शरीअत, 3/54, हिस्सा : 14

4... बहारे शरीअत, 3/54, हिस्सा : 14

बोला तो आरिख्यत नहीं ।⁽¹⁾

आरिष्यत का हुक्म

अरिष्यत का हुकुम येह है कि चीज़, मुस्तर (अरिष्यत लेने वाले) के पास अमानत होती है । अगर मुस्तर (अरिष्यत लेने वाले) ने तअदी नहीं की है और चीज़ हलाक हो गई तो ज़मान वाजिब नहीं ।⁽²⁾

सबक नम्बर 20

गवाही का बयान

गवाही के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही

गवाही की अहमियत के बारे में इर्शाद है :

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ
وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

तरजमए कन्जुल ईमान : और गवाही न छुपाओ और जो गवाही छुपाएगा तो अन्दर से उस का दिल गुनहगार है। और **अल्लाह** तुम्हारे कामों को जानता है।

आयत की तपस्वीर

इस आयते मुबारका में बयान फ़रमाया कि गवाही न छुपाओ। क्यूं कि गवाही को छुपाना ह़राम और दिल के गुनाहगार होने की अ़लामत है। क्यूं कि इस में साहिबे ह़क़ के ह़क़ को ज़ाएअ़ करना पाया जाता है। गवाही छुपाना कबीरा गुनाह है चुनान्वे हज़रते अ़ब्दुल्लाह बिन अ़ब्बास رضي الله عنه से एक ह़दीस मरवी है कि कबीरा गुनाहों में सब से बड़ा गुनाह अल्लाह पाक के साथ शरीक करना और झूठी गवाही देना और गवाही को छुपाना है।⁽³⁾

गवाही के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्तफ़ा

❁ **रसूलुल्लाह ﷺ** ने फरमाया : क्या तुम को येह ख़बर न हूँ कि बेहतर गवाह कौन

1...बहारे शरीअत, 3/54, हिस्सा : 14

2... बहारे शरीअत, 3/54, हिस्सा : 14

(3) شعب الایمان، باب فی حشر الناس بعد ما یبعثون من قبورهم، 1/272، حدیث : 291 مطبوعاً ، 1/425، 283؛ تہذیب آیاتھ : 3، پارہ : 3، سیراۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم ...

है ? वोह जो गवाही देता है इस से कब्ल कि उस से गवाही के लिये कहा जाए ।⁽¹⁾

गवाही की ता'रीफ़

किसी हक़ के साबित करने के लिये मजलिसे काज़ी में लफ़्ज़े शहादत के साथ सच्ची ख़बर देने को शहादत या गवाही कहते हैं।⁽²⁾

गवाही फ़र्जे किफ़ायत

शहादत (गवाही) फ़र्जे किफ़ायत है। बा'ज ने कर लिया तो बाक़ी लोगों से साक़ित। और दो ही शख्स हों तो फ़र्जे ऐन है। ख़्वाह तहम्मूल हो या अदा या'नी गवाह बनाने के लिये बुलाए गए या गवाही देने के लिये दोनों सुरतों में जाना जरूरी है।⁽³⁾

गवाही का रुक्न

शहादत (गवाही) का रुकन येह है कि ब वक्ते अदा गवाह येह लफ़्ज़ कहे कि मैं गवाही देता हूं। इस लफ़्ज़ का येह मतलब है कि मैं खुदा की क़सम खा कर कहता हूं कि मैं इस बात पर मुत्तलअ हुवा और अब इस की ख़बर देता हूं। अगर गवाही में येह लफ़्ज़ कह दिया कि मेरे इल्म में येह है या मेरा गुमान येह है तो गवाही मक्बूल नहीं। आज कल अंग्रेज़ी कचहरियों में इन लफ़्ज़ों से गवाही दी जाती है मैं खुदा को हाजिर नाजिर जान कर कहता हूं। येह शरअ के खिलाफ है।⁽⁴⁾

गवाही की शराइत

गवाही की शर्तें दो किस्म की हैं : (1) शराइते तहम्मूल (2) शराइते अदा ।

शराइते तहम्मूल

शराइते तहम्मूल का मतलब है मुआमले के गवाह बनने की शर्ते । या'नी जब कोई मुआमला

1... مسلم، کتاب الاقضية، باب بیان خبر الشهود، ص 731، حدیث: 4494

2... बहारे शरीअत, 2/930, हिस्सा : 12

3... बहारे शरीअत, 2/931, हिस्सा : 12

4... बहारे शरीअत, 2/932, हिस्सा : 12

हो रहा हो तो उस वक्त येह तीन शराइत गवाह में होना जरूरी हैं।⁽¹⁾

(1) ब वक्ते तहम्मूल अकिल होना, (2) अंख्यारा होना (3) जिस चीज का गवाह बने उस का मुशाहदा करना।

❁ लिहाजा मज्नु या गैर अकल मन्द बच्चे या अन्धे की गवाही दुरुस्त नहीं। ❁ यूंही जिस चीज का मुशाहदा न किया हो महज सुनी सुनाई बात की गवाही देना जाइज नहीं। ❁ हां बा'ज उमूर की शहादत बिगैर देखे महज सुनने के साथ हो सकती है। ❁ तहम्मूल के लिये बुलूग, हुरियत, इस्लाम, अदालत शर्त नहीं या'नी अगर वक्ते तहम्मूल बच्चा या गुलाम या काफिर या फ़ासिक था मगर अदा के वक्त बच्चा बालिग हो गया है गुलाम आज़ाद हो चुका है काफिर मुसल्मान हो चुका है फ़ासिक ताइब हो चुका है तो गवाही मकबूल है।

शराइते अदा

काज़ी के सामने गवाही देते वक्त गवाह में जिन शर्तों का होना जरूरी हैं उन्हें शराइते अदा कहते हैं। शराइते अदा तेरह (13) हैं जो येह हैं :

(1) गवाह का अकिल (2) बालिग (3) आज़ाद (4) अंख्यारा होना (5) नातिक होना (6) महदूद फ़िल क़ज़फ़ न होना या'नी उसे तोहमत की हद न मारी गई हो (7) गवाही देने में गवाह का नफ़अ या दफ़ए जरूर मक्सूद न होना (8) जिस चीज की शहादत देता हो उस को जानता हो उस वक्त भी उसे याद हो (9) गवाह का फ़रीके मुक़दमा न होना (10) जिस के ख़िलाफ़ शहादत देता है वोह मुसल्मान हो तो गवाह का मुसल्मान होना (11) हुदूद व क़िसास में गवाह का मर्द होना (12) हुकूकुल इबाद में जिस चीज की गवाही देता है उस का पहले से दा'वा होना (13) शहादत का दा'वे के मुवाफ़िक होना।⁽²⁾

गवाही देने के वुजूब की शराइत

अदाए शहादत (गवाही देने के) वाजिब होने के लिये चन्द शराइत हैं : (1) हुकूकुल इबाद में मुद्दई का तलब करना और अगर मुद्दई को इस का गवाह होना मा'लूम न हो और इस को मा'लूम हो कि गवाही न देगा तो मुद्दई की हक़ तलफ़ी होगी इस सूरत में बिगैर तलब गवाही देना वाजिब है। (2) येह मा'लूम हो कि काज़ी इस की गवाही क़बूल कर लेगा और अगर मा'लूम हो कि क़बूल नहीं करेगा तो गवाही देना वाजिब नहीं। (3) गवाही के लिये येह मुअय्यन है और अगर मुअय्यन न हो या'नी और भी बहुत से गवाह हों तो गवाही देना वाजिब नहीं जब कि दूसरे लोग गवाही दे दें और वोह इस काबिल

❶...बहारे शरीअत, 2/931, हिस्सा : 12 तस्हीलन

❷...बहारे शरीअत, 2/931, 932, हिस्सा : 12

हों कि उन की गवाही मक्बूल होगी। ❁ और अगर ऐसे लोगों ने शहादत दी जिन की गवाही मक्बूल न होगी और इस ने न दी तो येह गुनहगार है। ❁ और अगर इस की गवाही दूसरों की ब निस्बत जल्द कबूल होगी अगरचे दूसरों की भी कबूल होगी और उस ने न दी गुनहगार है। (4) दो आदिल की ज़बानी उस अम्र का बुतलान मा'लूम न हुवा हो जिस की शहादत देना चाहता है। मसलन मुद्ई ने दैन का दा'वा किया है जिस का येह शाहिद है मगर दो आदिल से मा'लूम हुवा कि मुद्आ अलैह (जिस पर दा'वा किया गया) दैन (कर्ज) अदा कर चुका है तो कर्ज की गवाही देना दुरुस्त नहीं। ❁ और अगर ख़बर देने वाले आदिल न हों तो गवाह को इख़्तियार है गवाही दे और काज़ी के सामने जो कुछ सुना है ज़ाहिर कर दे और येह भी इख़्तियार है कि गवाही से इन्कार कर दे। ❁ और अगर ख़बर देने वाला एक आदिल हो तो गवाही से इन्कार नहीं कर सकता। (5) जिस काज़ी के पास शहादत के लिये बुलाया जाता है वोह आदिल हो। (6) गवाह को येह मा'लूम न हो कि इक़्ार करने वाले ने ख़ौफ़ की वज्ह से इक़्ार किया है। अगर येह मा'लूम हो जाए तो गवाही न दे। मसलन मुद्आ अलैह (जिस पर दा'वा किया गया) से ज़ब्रन एक चीज़ का इक़्ार कराया गया तो उस इक़्ार की शहादत दुरुस्त नहीं। (7) गवाह ऐसी जगह हो कि वोह कचहरी से करीब हो या'नी काज़ी के यहां जा कर गवाही दे कर शाम तक अपने मक़ान को वापस आ सकता हो। ❁ और अगर ज़ियादा फ़ासिला हो कि शाम तक वापस न आ सकता हो तो गवाही न देने में गुनाह नहीं। ❁ और अगर बूढ़ा है कि पैदल कचहरी तक नहीं जा सकता और खुद उस के पास सुवारी नहीं है मुद्ई अपनी तरफ़ से उसे सुवार कर के ले गया इस में हरज नहीं। ❁ और गवाही मक्बूल है और अगर अपनी सुवारी पर जा सकता हो और मुद्ई सुवार कर के ले गया तो गवाही मक्बूल नहीं।⁽¹⁾

गवाही का हुक्म

शहादत का हुक्म येह है कि गवाहों का जब तज़क़िया हो जाए (या'नी जब काज़ी गवाहों के मुतअल्लिक़ येह तहक़ीक़ कर ले कि वोह आदिल और मो'तबर हैं या नहीं) उस के मुवाफ़िक़ हुक्म करना वाजिब है और जब तमाम शराइत पाए गए और काज़ी ने गवाही के मुवाफ़िक़ फैसला न किया गुनहगार हुवा और मुस्तहिक्के अज़्लो ता'ज़ीर है (या'नी वोह काज़ी इस बात का मुस्तहिक्क़ है कि उसे मा'ज़ूल कर के तादीबन सज़ा दी जाए)।⁽²⁾

अहम मस्अला

मुद्ई के तलब करने पर गवाही देना लाज़िम है। और अगर गवाह को अन्देशा हो कि गवाही न देगा तो साहिबे हक़ (हक़दार) का हक़ तलफ़ (ज़ाएअ) हो जाएगा। या'नी उसे मा'लूम ही नहीं है कि

1... बहारे शरीअत, 2/932, 933, हिस्सा : 12 मुल्तक़तन

2... बहारे शरीअत, 2/932, हिस्सा : 12

फुलां शख्स मुआमले को जानता है कि उसे गवाही के लिये तलब करता इस सूरत में बिगैर तलब भी गवाही देना लाजिम है।⁽¹⁾

सबक नम्बर 21

वक्फ का बयान

तीन चीजें सदकए जारिया हैं

हजरते अबू हुरैरा رضي الله عنه बयान करते हैं कि **रसूलुल्लाह** صلى الله عليه وآله وسلم फरमाते हैं : जब इन्सान मर जाता है उस के अमल खत्म हो जाते हैं, मगर तीन चीजों से : सदकए जारिया या इल्म जिस से उस के मरने के बाद लोगों को नफ़ा पहुंचता रहता है। या नेक औलाद छोड़ जाए जो मरने के बाद अपने वालिदैन के लिये दुआ करती रहे।⁽²⁾

वक्फ की ता'रीफ

वक्फ के येह मा'ना हैं कि किसी शै को अपनी मिल्क से ख़ारिज कर के ख़ालिस **अल्लाह** पाक की मिल्क कर देना, इस तरह कि उस का नफ़ा बन्दगाने खुदा में से जिस को चाहे मिलता रहे।⁽³⁾

बेहतरीन वक्फ

❁ वक्फ में अगर निय्यत अच्छी हो और वोह वक्फ कुनन्दा (वक्फ करने वाला) अहले निय्यत या'नी मुसल्मान हो तो मुस्तहिक्के सवाब है। ❁ वक्फ एक सदकए जारिया है कि वाकिफ़ (वक्फ करने वाला) हमेशा उस का सवाब पाता रहेगा। ❁ और सब में बेहतर वोह वक्फ है जिस की मुसल्मानों को ज़ियादा ज़रूरत हो और जिस का ज़ियादा नफ़ा हो। ❁ मसलन किताबें ख़रीद कर कुतुब ख़ाना बनाया और वक्फ कर दिया कि हमेशा दीन की बातें उस के ज़रीए से मा'लूम होती रहेंगी। ❁ और अगर वहां मस्जिद न हो और इस की ज़रूरत हो तो मस्जिद बनवाना बहुत सवाब का काम है। ❁ और ता'लीमे इल्मे दीन के लिये मद्रसे की ज़रूरत हो तो मद्रसा काइम कर देना और उस की बका के लिये जायदाद वक्फ करना कि हमेशा मुसल्मान उस से फ़ैज़ पाते रहें, निहायत आ'ला दरजे का नेक काम है।⁽⁴⁾

1... बहारे शरीअत, 2/930, हिस्सा : 12

2... مسلم، کتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، ص 684، حديث: 4223

3... बहारे शरीअत, 2/523, हिस्सा : 10

4... बहारे शरीअत, 2/524, हिस्सा : 10

वक्फ़ की शराइत व अहकाम

वक्फ़ चूँकि एक किस्म का नफ़ली सदका है। लिहाज़ा तमाम वोह शराइत जो नफ़ली सदकात में हैं यहाँ भी मो'तबर हैं और इन के इलावा भी शर्तें हैं। वक्फ़ की शराइत येह हैं :

- (1) वाकिफ़ का अक़िल होना।
- (2) बालिग़ होना, ना बालिग़ और मज्नून ने वक्फ़ किया येह सहीह नहीं हुवा।
- (3) आज़ाद होना। गुलाम ने वक्फ़ किया सहीह न हुवा। इस्लाम शर्त नहीं, लिहाज़ा काफ़िरे ज़िम्मी का वक्फ़ भी सहीह है।
- (4) वोह काम जिस के लिये वक्फ़ करता है फ़ी नफ़्सही सवाब का काम हो।

❁ या'नी वाकिफ़ के नज़दीक भी वोह सवाब का काम हो और वाक़ेअ में भी सवाब का काम हो। ❁ अगर सवाब का काम नहीं है तो वक्फ़ सहीह नहीं। ❁ मसलन किसी ना जाइज़ काम के लिये वक्फ़ किया और अगर वाकिफ़ के ख़याल में वोह नेकी का काम हो मगर हकीकत में सवाब का काम न हो तो वक्फ़ सहीह नहीं। ❁ और अगर वाक़ेअ में सवाब का काम है मगर वाकिफ़ के ए'तिकाद में कारे सवाब नहीं जब भी वक्फ़ सहीह नहीं। ❁ लिहाज़ा अगर नसरानी ने बैतुल मुक़दस पर कोई जायदाद वक्फ़ की, कि इस की आमदनी से उस की मरम्मत की जाए या उस के तेल बत्ती में सर्फ़ की जाए येह जाइज़ है। ❁ या यूँ वक्फ़ किया कि हर साल एक गुलाम ख़रीद कर आज़ाद किया जाए या मसाकीन अहले ज़िम्मा या मुस्लिमीन पर सर्फ़ किया जाए येह जाइज़ है। ❁ और अगर गिरजा या बुतख़ाने के नाम वक्फ़ किया कि उस की मरम्मत या चराग़ बत्ती में सर्फ़ किया जाए या हर्बियों पर सर्फ़ किया जाए तो येह बातिल है कि येह सवाब का काम नहीं। ❁ और अगर नसरानी ने हज़ व उम्रह के लिये वक्फ़ किया जब भी वक्फ़ सहीह नहीं कि अगर्चे येह कारे सवाब है मगर उस के ए'तिकाद में सवाब का काम नहीं।

- (5) वक्फ़ के वक़्त वोह चीज़ वाकिफ़ की मिल्क हो।

❁ अगर वक्फ़ करने के वक़्त उस की मिल्क न हो बा'द में हो जाए तो वक्फ़ सहीह नहीं। ❁ मसलन एक शख्स ने मकान या ज़मीन ग़स्ब कर ली थी उसे वक्फ़ कर दिया फिर मालिक से उस को ख़रीद लिया और समन भी अदा कर दिया या कोई चीज़ दे कर मालिक से मुसालहत कर ली तो अगर्चे अब मालिक हो गया है मगर वक्फ़ सहीह नहीं कि वक्फ़ के वक़्त मालिक न था।

- (6) जिस ने वक्फ़ किया वोह अपनी कम अक्ली या दैन (क़र्ज़) की वज्ह से मम्नूउत्तसर्फ़ न हो (या'नी लेनदेन व दीगर मुआमलात से रोका न गया हो)।

❁ एक बे वुकूफ़ शख्स है जिस की निस्बत काज़ी को अन्देशा है कि अगर उस की रोकथाम न की गई तो जायदाद तबाहो बरबाद कर देगा। काज़ी ने हुक्म दे दिया कि येह शख्स अपनी जायदाद में तसर्फ़ न करे, उस ने कुछ जायदाद वक़फ़ की तो वक़फ़ सहीह न हुवा।

(7) जहालत न होना या'नी जिस को वक़फ़ किया या जिस पर वक़फ़ किया, वोह मा'लूम हो।

❁ अपनी जायदाद का एक हिस्सा वक़फ़ किया और येह ता'यीन नहीं की, कि वोह कितना है। मसलन तिहाई, चौथाई वगैरा तो वक़फ़ सहीह न हुवा अगर बा'द में उस हिस्से की ता'यीन कर दे।

(8) वक़फ़ को शर्त पर मुअल्लक़ न किया हो।

❁ अगर शर्त पर मुअल्लक़ किया मसलन मेरा बेटा सफ़र से वापस आए तो येह ज़मीन वक़फ़ है
❁ या अगर मैं इस ज़मीन का मालिक हो जाऊं ❁ या इसे ख़रीद लूं तो वक़फ़ है, येह वक़फ़ सहीह नहीं। ❁ बल्कि अगर वोह शर्त ऐसी हो जिस का होना यकीनी है जब भी सहीह नहीं मसलन अगर कल का दिन आ जाए तो वक़फ़ है। ❁ अगर ऐसी शर्त पर मुअल्लक़ किया जो फ़िल्हाल मौजूद है तो ता'लीक़ बातिल है और वक़फ़ सहीह। मसलन येह कहा कि अगर येह ज़मीन मेरी मिल्क में हो या मैं इस का मालिक हो जाऊं तो वक़फ़ है और इस कहने के वक़्त ज़मीन उस की मिल्क में है तो वक़फ़ सहीह है और उस वक़्त मिल्क में नहीं है तो सहीह नहीं।

(9) जायदादे मौकूफ़ को बैअ कर के समन (कीमत) को सर्फ़ (खर्च) कर डालने की शर्त न हो। ❁ यूँही येह शर्त कि जिस को मैं चाहूंगा हिबा कर दूंगा ❁ या जब मुझे ज़रूरत होगी इसे रहन रख दूंगा। ❁ गरज़ ऐसी शर्त जिस से वक़फ़ का इब्ताल होता हो (या'नी उस से वक़फ़ बातिल होता हो) वक़फ़ को बातिल कर देती है। ❁ वक़फ़ अगर मस्जिद है और उस में इस किस्म की शर्तें लगाईं। मसलन इस को मस्जिद किया और मुझे इख़्तियार है कि इसे बैअ कर डालूं या हिबा कर दूं तो वक़फ़ सहीह है और शर्त बातिल।

(10) ताबीद या'नी हमेशा के लिये होना।

❁ मगर सहीह येह है कि वक़फ़ में हमेशागी का ज़िक्र करना शर्त नहीं। ❁ या'नी अगर वक़फ़े मुअब्बद न कहा जब भी मुअब्बद ही है ❁ और अगर मुद्ते ख़ास का ज़िक्र किया। मसलन मैं ने अपना मकान एक माह के लिये वक़फ़ किया और जब महीना पूरा हो जाए तो वक़फ़ बातिल हो जाएगा तो येह वक़फ़ न हुवा और अभी से बातिल है।

(11) वक्फ़ बिल आखिर ऐसी जिहत के लिये हो जिस में इन्किताअ (इख़िताम) न हो।

❁ मसलन किसी ने अपनी जायदाद अपनी औलाद पर वक्फ़ की और येह ज़िक्र कर दिया कि जब मेरी औलाद का सिल्लिसला न रहे तो मसाकीन पर या नेक कामों में सर्फ़ की जाए तो वक्फ़ सहीह है कि अब मुन्क़तअ (ख़त्म) होने की कोई सूरत न रही। ❁ अगर फ़क़त इतना ही कहा कि मैं ने इसे वक्फ़ किया और मौकूफ़ अलैह का ज़िक्र न किया तो उर्फ़न इस के येही मा'ना हैं कि नेक कामों में सर्फ़ होगी और ब लिहाज़े मा'ना ऐसी जिहत होगी जिस के लिये इन्किताअ नहीं, लिहाज़ा येह वक्फ़ सहीह है।⁽¹⁾

वक्फ़ का हुक्म

❁ वक्फ़ का हुक्म येह है कि शैए मौकूफ़ (वोह चीज़ जिसे वक्फ़ किया गया है) वाकिफ़ (वक्फ़ करने वाले) की मिल्क से ख़ारिज हो जाती है मगर मौकूफ़ अलैह (या'नी जिस पर वक्फ़ किया है उस की) मिल्क में दाख़िल नहीं होती बल्कि ख़ालिस अल्लाह पाक की मिल्क क़रार पाती है।⁽²⁾ ❁ वक्फ़ का हुक्म येह (भी) है कि ❁ न खुद वक्फ़ करने वाला उस का मालिक है ❁ न दूसरे को इस का मालिक बना सकता है ❁ न उस को बैअ कर सकता है ❁ न आरिय्यत दे सकता है ❁ न उस को रहन रख सकता है।⁽³⁾ ❁ वक्फ़ को न बातिल कर सकता है ❁ न उस में मीरास जारी होगी ❁ न उस की बैअ हो सकती है ❁ न हिबा हो सकता है।⁽⁴⁾

सबक़ नम्बर 22

तौलियत का बयान

तौलियत की ता'रीफ़

तौलियत का मतलब है वक्फ़ किये हुए माल का निगरान और मुन्तज़िम बनना। जो मुन्तज़िम बनता है उसे मुतवल्ली कहते हैं।

मुतवल्ली की शराइत व औसाफ़

❁ जो शख़्स अवकाफ़ की तौलियत की (मुन्तज़िम बनने की, माले वक्फ़ की निगरानी की) दरख़्वास्त करे ऐसे को मुतवल्ली नहीं बनाना चाहिये ❁ और मुतवल्ली ऐसे को मुक़रर करना चाहिये जो अमानत दार हो ❁ और वक्फ़ के काम करने पर क़ादिर हो ख़्वाह खुद ही काम करे या अपने नाइब

❶ ... बहारे शरीअत, 2/525 ता 533, हिस्सा : 10 मुल्तक़तन

❷ ... बहारे शरीअत, 2/524, हिस्सा : 10

❸ ... बहारे शरीअत, 2/533, हिस्सा : 10

❹ ... बहारे शरीअत, 2/523, हिस्सा : 10

से कराए। ❁ और मुतवल्ली होने के लिये अक़िल बालिग़ होना शर्त है।⁽¹⁾

तौलियत के चन्द अहम अहकाम

❁ वाकिफ़ (वक्फ़ करने वाले) ने अपने ही (आप) को मुतवल्ली (मुन्तज़िम) कर रखा है तो इस में भी उन सिफ़ात का होना ज़रूरी है, जो दूसरे मुतवल्ली में ज़रूरी हैं।⁽²⁾

❁ मुतवल्ली (मुन्तज़िम) अगर अमीन (अमानत दार) न हो ख़ियानत करता हो ❁ या काम करने से आजिज़ है ❁ या अलानिया शराब पीता, जूआ खेलता ❁ या कोई दूसरा फ़िस्क़ (गुनाह) अलानिया करता हो ❁ या उसे कीमिया बनाने की धत (आसानी से रोज़ी कमाने की बुरी आदत, दौलत ज़ियादा से ज़ियादा कमाने का जुनून, तांबे को सोना बनाने का जुनून) हो तो उस को मा'ज़ूल कर देना वाजिब है कि अगर काज़ी ने उस को मा'ज़ूल न किया तो काज़ी भी गुनहगार है। ❁ और जिस में येह सिफ़ात पाए जाते हों, उस को मुतवल्ली बनाना भी गुनाह है।

❁ वाकिफ़ ने अपने ही को मुतवल्ली किया है और वक्फ़ नामे में येह शर्त लिख दी है कि मुझे इस की तौलियत से जुदा नहीं किया जा सकता या मुझे काज़ी या बादशाहे इस्लाम भी मा'ज़ूल नहीं कर सकते इस शर्त की पाबन्दी नहीं की जा सकती। अगर ख़ियानत वगैरा वोह उमूर ज़ाहिर हुए जिन से मुतवल्ली मा'ज़ूल कर दिया जाता है तो येह भी मा'ज़ूल कर दिया जाएगा।⁽³⁾

❁ वाकिफ़ को इख़्तियार है कि मुतवल्ली को मा'ज़ूल कर के दूसरा मुतवल्ली मुक़र्रर कर दे या खुद अपने आप मुतवल्ली बन जाए।⁽⁴⁾

❁ वाकिफ़ (वक्फ़ करने वाले ने) ने वसिय्यत की, कि मेरे बा'द मेरा लड़का मुतवल्ली होगा और वाकिफ़ के मरने के वक़्त लड़का ना बालिग़ है तो जब तक ना बालिग़ है दूसरे शख्स को मुतवल्ली किया जाए और बालिग़ होने पर लड़के को तौलियत दी जाएगी।

❁ औरत को भी मुतवल्ली कर सकते हैं और नाबीना को भी और महदूद फ़िल क़ज़फ़ (या'नी जिसे तोहमते ज़िना की शर्इ सज़ा मिल चुकी हो) ने तौबा कर ली हो तो उसे भी।

❁ वाकिफ़ ने येह शर्त की है कि वक्फ़ का मुतवल्ली मेरी औलाद में से उस को किया जाए जो सब में होशियार नेकोकार हो तो इस शर्त को लिहाज़ रखते हुए मुतवल्ली मुक़र्रर किया जाए उस के ख़िलाफ़ मुतवल्ली करना सहीह नहीं।

①... बहारे शरीअत, 2/575, हिस्सा : 10

②... बहारे शरीअत, 2/576, हिस्सा : 10

③... बहारे शरीअत, 2/577, हिस्सा : 10

④... बहारे शरीअत, 2/578, हिस्सा : 10

❁ सूरते मज़क़रा में उस की औलाद में जो सब में बेहतर था वोह फ़ासिक़ हो गया तो मुतवल्ली वोह होगा जो उस के बा'द सब में बेहतर है। ❁ यूँही अगर उस अफ़ज़ल ने तौलियत से इन्कार कर दिया तो जो उस के बा'द बेहतर है वोह मुतवल्ली होगा। ❁ और अगर सब ही अच्छे हों तो जो बड़ा है वोह होगा। अगरचें वोह औरत हो। ❁ और अगर उस की औलाद में सब ना अहल हों तो किसी अजनबी को काज़ी मुतवल्ली मुक़र्रर करेगा उस वक़्त तक के लिये कि उन में का कोई अहल हो जाए।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 23

ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान

ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^(پ 3، البقرة: 275)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह ने हलाल किया बैअ और हराम किया सूद

आयत की तफ़सीर

इस आयते मुबारका में ख़रीदो फ़रोख़्त को जाइज़ करार दिया है और सूद को हराम ठहराया है। इन दोनों में ज़मीनो आस्मान का फ़र्क़ है। ग़ौर करें कि तिजारत करने से हुस्ने सुलूक में फ़र्क़ नहीं आता, आदमी सुस्त, काहिल और मशक्क़त से जी चुराने वाला नहीं बनता, अपने माल को ख़तरे पर पेश करता है, नफ़अ व नुक़सान दोनों की उम्मीद होती है, वोह दूसरे की बरबादी व मोहताजी का आरजू मन्द नहीं होता जब कि सूद वाला बे रहूम हो जाता है, वोह मुफ़्त में किसी को रक़म देने का तसव्वुर नहीं करता, इन्सानो हमदर्दी उस से रुख़्सत हो जाती है, क़र्ज़ लेने वाला डूबे, मरे, तबाह हो येह बहर सूरत उसे निचोड़ने पर तुला रहता है। आख़िर येह सब फ़र्क़ क्या हैं? तिजारत और सूद को एक जैसा कहने वाले को क्या येह फ़र्क़ नज़र नहीं आता? इस लिये अल्लाह पाक ने फ़रमाया कि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम किया है।⁽²⁾

ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

❁ हज़रते मिक्दाम बिन मा'दी करिब رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ की कनीज़ दूध बेचा करती थी और उस का समन (कीमत) मिक्दाम رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ लिया करते थे। उन से किसी ने कहा : سُبْحَنَ اللَّهِ ! आप दूध बेचते हैं और उस का समन (कीमत) लेते हैं (गोया उस ने उस तिजारत को नज़रे हक़ारत से देखा)। उन्होंने जवाब दिया :

❶ ... बहारे शरीअत, 2/576, हिस्सा : 10 मुल्लक़तन

❷ ... तफ़सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 3, अल बक़रह, तहूतल आयह : 275, 1/413

हां मैं येह काम करता हूं और इस में हरज ही क्या है। मैं ने **रसूलुल्लाह** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से सुना है कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि सिवाए रुपै और अशरफ़ी के कोई चीज़ नफ़अ नहीं देगी।⁽¹⁾

✽ हुज़ूर صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : तुज्जार बदकार हैं। लोगों ने अर्ज़ की : **या रसूलुल्लाह !** क्या **अल्लाह** पाक ने बैअ (तिजारत, ख़रीदो फ़रोख़्त) हलाल नहीं की है ? फ़रमाया : हां ! बैअ हलाल है, लेकिन येह लोग बात करने में झूट बोलते हैं और क़सम खाते हैं, उस में झूटे होते हैं।⁽²⁾

बैअ की ता'रीफ़

ख़रीदो फ़रोख़्त को बैअ कहते हैं और बैअ के मा'ना येह हैं कि दो शख्सों का बाहम माल को माल से एक मख़सूस सूरत के साथ तबादला करना।

बैअ के अरकान

बैअ कभी क़ौल (बोल कर) होती है। जब क़ौल से हो तो उस के अरकान ईजाब व क़बूल हैं मसलन एक ने कहा : मैं ने बेचा दूसरे ने कहा : मैं ने ख़रीदा। और कभी बैअ फ़े'ल (अमल) से होती है। जब फ़े'ल (अमल) से हो तो चीज़ का ले लेना और कीमत का दे देना इस के अरकान हैं और येह फ़े'ल ईजाब व क़बूल के काइम मक़ाम हो जाता है। मसलन तरकारी (सब्ज़ी जैसे पालक, मेथी) वगैरा की गड्डियां बना कर अक्सर बेचने वाले रख देते हैं और ज़ाहिर कर देते हैं कि पैसे पैसे की गड्डी है ख़रीदार आता है एक पैसा डाल देता है और एक गड्डी उठा लेता है त़रफ़ैन (बेचने वाला और ख़रीदने वाला) बाहम कोई बात नहीं करते मगर दोनों के फ़े'ल ईजाब व क़बूल के काइम मक़ाम शुमार होते हैं और इस किस्म की बैअ को बैए त़अाती कहते हैं। बैअ के त़रफ़ैन में से एक को बाएअ (बेचने वाला) और दूसरे को मुश्तरी (ख़रीदने वाला) कहते हैं।⁽³⁾

बैअ की शराइत

बैअ (ख़रीदो फ़रोख़्त) के लिये चन्द शराइत हैं :



1...مسند امام احمد، مسند الشاميين، 6/96، حديث: 17201

2...مسند امام احمد، حديث عبد الرحمن بن شبل، 5/288، حديث: 15530

3...बहारे शरीअत, 2/515, 516, हिस्सा : 11

1. बाएअ व मुशतरी का आक़िल होना या'नी मजून या बिल्कुल ना समझ बच्चे की बैअ सहीह नहीं ।
2. आक़िद का मुतअद्द होना या'नी एक ही शख़्स बाएअ व मुशतरी दोनों हो येह नहीं हो सकता मगर बाप या वसी कि ना बालिग़ बच्चे के माल को बैअ करें और खुद ही ख़रीदें या अपना माल उन से बैअ करें । या काज़ी कि एक यतीम के माल को दूसरे यतीम के लिये बैअ करे तो अगर्चे इन सूरतों में एक ही शख़्स बाएअ व मुशतरी दोनों है मगर बैअ जाइज़ है बशर्ते कि वसी की बैअ में यतीम का खुला हुवा नफ़अ हो । यूँही एक ही शख़्स दोनों तरफ़ से कासिद हो तो इस सूरत में भी बैअ जाइज़ है ।⁽¹⁾
3. ईजाब व क़बूल में मुवाफ़क़त होना या'नी जिस चीज़ का ईजाब है उसी का क़बूल हो या जिस चीज़ के साथ ईजाब किया है उसी के साथ क़बूल हो अगर क़बूल किसी दूसरी चीज़ को किया या जिस का ईजाब था उस के एक जुज़ को क़बूल किया या क़बूल में समन दूसरा ज़िक्र किया या ईजाब के बा'ज़ समन के साथ क़बूल किया इन सब सूरतों में बैअ सहीह नहीं । हां अगर मुशतरी ने ईजाब किया और बाएअ ने उस से कम समन के साथ क़बूल किया तो बैअ सहीह है ।
4. ईजाब व क़बूल का एक मजलिस में होना ।
5. हर एक का दूसरे के कलाम को सुनना । मुशतरी ने कहा : मैं ने ख़रीदा, मगर बाएअ ने नहीं सुना तो बैअ न हुई, हां अगर मजलिस वालों ने मुशतरी का कलाम सुन लिया है और बाएअ कहता है : मैं ने नहीं सुना है तो क़ज़ाअन बाएअ का कौल ना मो'तबर है ।
6. मुबैअ का मौजूद होना माल मुतक़व्विम होना । मम्लूक होना । मक़दूरुत्तस्लीम होना (या'नी हवाला करने पर कादिर होना) ज़रूर है और अगर बाएअ उस चीज़ को अपने लिये बेचता हो तो उस चीज़ का मिल्क बाएअ में होना ज़रूरी है । जो चीज़ मौजूद ही न हो बल्कि उस के मौजूद न होने का अन्देशा हो उस की बैअ नहीं मसलन हम्ल या थन में जो दूध है उस की बैअ ना जाइज़ है कि हो सकता है जानवर का पेट फूला है और उस में बच्चा न हो और थन में दूध न हो । फल नुमूदार (ज़ाहिर) होने से पहले बेच नहीं सकते । यूँही खून और मुर्दार की बैअ नहीं हो सकती कि येह माल नहीं और मुसल्मान के हक़ में शराब व ख़िन्ज़ीर की बैअ नहीं हो सकती कि माल मुतक़व्विम नहीं । ज़मीन में जो घास लगी हुई है अगर्चे ज़मीन अपनी मिल्क हो कि वोह घास मम्लूक नहीं (या'नी कोई उस का मालिक नहीं) । यूँही नहर या कूँए का पानी, जंगल की लकड़ी और शिकार कि जब तक इन को कब्जे में न किया जाए मम्लूक नहीं ।
7. बैअ मुवक़क़त न हो अगर मुवक़क़त है मसलन इतने दिनों के लिये बेचा तो येह बैअ सहीह नहीं ।



8. मुबैअ व समन दोनों इस तरह मा'लूम हों कि निजाअ (झगड़ा) पैदा न हो सके। अगर मज्हूल हों कि निजाअ हो सकती हो तो बैअ सहीह नहीं मसलन इस रेवड़ में से एक बकरी बेची या इस चीज़ को वाजिबी दाम (राइज कीमत) पर बेचा या उस कीमत पर बेचा जो फुलां शख्स बताए।⁽¹⁾

बैअ का हुक्म

बैअ का हुक्म यह है कि मुश्तरी मुबैअ का मालिक हो जाए और बाएअ समन का जिस का नतीजा यह होगा कि बाएअ पर वाजिब है कि मुबैअ को मुश्तरी के हवाले करे और मुश्तरी पर वाजिब कि बाएअ को समन दे दे। यह उस वक्त है कि बैअ बात (क़र्ज़) हो और अगर बैअ मौकूफ़ है कि दूसरे की इजाज़त पर मौकूफ़ है तो सुबूते मिल्क (मिल्कियत का सुबूत) उस वक्त होगा जब इजाज़त हो जाए।⁽²⁾

ईजाब व क़बूल

ऐसे दो (2) लफ़ज़ जो तम्लीक व तमल्लुक का इफ़ादा करते हों या'नी जिन का यह मतलब हो कि चीज़ का मालिक दूसरे को कर दिया या दूसरे की चीज़ का मालिक हो गया इन को ईजाब व क़बूल कहते हैं इन में से पहले कलाम को ईजाब कहते हैं और इस के मुक़ाबिल में (जवाब में) बा'द वाले कलाम को क़बूल कहते हैं। मसलन बाएअ ने कहा : “मैं ने येह चीज़ इतने दाम में बेची” मुश्तरी ने कहा : “मैं ने ख़रीदी” तो बाएअ का कलाम ईजाब है और मुश्तरी का क़बूल और अगर मुश्तरी पहले कहता कि मैं ने येह चीज़ इतने में ख़रीदी तो येह ईजाब होता और बाएअ का लफ़ज़ क़बूल कहलाता।⁽³⁾

सामान लेने के बा'द रेट का तअय्युन करना कैसा ?

सुवाल एक शख्स हर माह एक दुकान से राशन लेता है, इस तरह कि हर माह उस दुकानदार को अश्या की लिस्ट (List) दे देता है, और दुकानदार तीन चार दिन बा'द सामान उस के घर पहुंचा देता है और लिस्ट में हर चीज़ का रेट और कुल रक़म (Total amount) लिख कर दे देता है और वोह शख्स उसे रक़म अदा कर देता है। क्या येह ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ है ?

जवाब पूछी गई सूरत बैए तआती की है जिस में ईजाब व क़बूल लफ़ज़ों के बजाए कीमत और सौदे के लेनदेन के वक्त पाया जा रहा है और ऐसी हालत में कि ख़रीदने वाले को हर चीज़ के रेट का भी

1... رد المحتار، کتاب البيوع، مطلب: شرائط البيع انواع اربعة، 14/7

2... فتاوى هندیه، کتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع، 3/3

3... در مختار، کتاب البيوع، 22/7

इल्म है। लिहाजा पूछी गई सूरत में किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं। येह सूरत तो निहायत ही नफ़ीस और फ़िक्ही पेचीदगियों से पाक है अलबत्ता इसी से ज़रा मुख़्तलिफ़ सूरत जो कि आ़म तौर पर लोग करते हैं कि पहले पूरा महीना मसलन सौदा लेते रहे फिर उस का हिसाब और रेट का तअय्युन किया, इस पर फ़ुक़हाए किराम ने बहुत ही ज़ियादा कलाम किया है और बिल आख़िर इसे भी जाइज़ ही कहा है चुनान्वे “दुर्रे मुख़्तार” में है : इन्सान जो चीज़ें दुकानदारों से ले आते हैं, और उन्हें इस्ति’माल करने के बा’द उन की कीमत का हिसाब करते हैं, तो येह इस्तिहूसान के तौर पर जाइज़ है।⁽¹⁾ सदरुशशरीअह हज़रते अल्लामा मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ’ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ “बहारे शरीअत” में फ़रमाते हैं : दुकानदारों के यहां से ख़र्च के लिये चीज़ें मंगवा ली जाती हैं और ख़र्च कर डालने के बा’द समन (या’नी चीज़ों की कीमत) का हिसाब होता है, ऐसा करना इस्तिहूसानन जाइज़ है।⁽²⁾

ऑन लाइन (Online) ख़रीदो फ़रोख़्त से मुतअल्लिक अहम मसअला

सुवाल अश्या की तशहीर (Advertisement) करते वक़्त पहले इन्टरनेट पर मसनूआत (Products) की तसावीर लगाई जाती हैं फिर उन को देख कर पसन्द आने की सूरत में ख़रीदो फ़रोख़्त की जाती है और इस के बा’द गाहक ऑन लाइन (Online) रक़म अदा कर देता है। बसा अवक़ात बेची गई चीज़ सौदा होने तक प्रोडक्ट (Product) तशहीर करने वाले की मिल्कियत में नहीं होती अलबत्ता सौदा होने के बा’द वोह किसी और से ख़रीद कर उस को भिजवा देता है जिस ने पहले से रक़म दे दी थी तो इस का क्या हुक्म है ?

जवाब अगर वाक़ेई ऐसा है कि सौदा करते वक़्त बेचने वाले की मिल्कियत में वोह चीज़ नहीं होती तो ऐसा सौदा करना जाइज़ नहीं। दुर्रे मुख़्तार में है : “हर वोह चीज़ जो बैअ के रुक्न में ख़लल पैदा करे वोह बैअ को बातिल करने वाली है।”⁽³⁾ अल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ बैअ की शराइत ज़िक़र करते हुए रद्दुल मुह़्तार में इश्ाद फ़रमाते हैं : मुबैअ (या’नी बेची जाने वाली चीज़) का मौजूद होना, माले मुतक़व्विम (ऐसा माल जो जम्अ किया जा सकता हो और शर्अन उस से फ़ाएदा उठाना जाइज़ हो) होना।⁽⁴⁾ अपनी मिल्कियत में होना और जिस को बाएअ अपने लिये बेच रहा है तो वोह उस की मिल्क में होना ज़रूरी है।⁽⁵⁾ मुफ़्ती अमजद अली आ’ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ बहारे शरीअत में इश्ाद फ़रमाते हैं : “बैए



1... در مختار، کتاب البيوع، 28/7

2... बहारे शरीअत, 2/624, हिस्सा : 11

3... رد المحتار، کتاب البيوع، مطلب البيع الموقوف من قسم الصحيح، 233/7

4... رد المحتار، کتاب البيوع، مطلب في شرائط البيع انواع البيوع، 13/7

5... رد المحتار، کتاب البيوع، مطلب شرائط البيع انواع البيوع، 13/7

बातिल का हुक्म यह है कि मुबैअ (या'नी बेची जाने वाली चीज़) पर अगर मुश्तरी (ख़रीदार) का क़ब्ज़ा भी हो जाए जब भी मुश्तरी (ख़रीदार) उस का मालिक नहीं होगा और मुश्तरी का वोह क़ब्ज़ा क़ब्ज़ए अमानत करार पाएगा।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 24

ख़ियारे शर्त का बयान

ख़ियारे शर्त के मुतअल्लिक़ हदीस

प्यारे आका ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : बाएअ व मुश्तरी (ख़रीदने वाले और बेचने वाले) को इख़्तियार हासिल है जब तक जुदा न हों अगर वोह दोनों सच बोलें और ऐब को ज़ाहिर कर दें, उन के लिये बैअ में बरकत होगी और अगर ऐब को छुपाएं और झूट बोलें, बैअ की बरकत मिटा दी जाएगी।⁽²⁾

ख़ियारे शर्त की ता'रीफ़

बाएअ व मुश्तरी को येह हक़ हासिल है कि वोह क़ई तौर पर बैअ न करें (या'नी फ़िल्हाल बैअ को नाफ़िज़ न करें) बल्कि अक़द में येह शर्त कर दें कि अगर मन्ज़ूर न हुवा तो बैअ बाक़ी न रहेगी इसे ख़ियारे शर्त कहते हैं।

ख़ियारे शर्त की ज़रूरत

और इस की ज़रूरत तरफ़ैन (या'नी ख़रीदने वाला और बेचने वाला) को हुवा करती है क्यूं कि कभी बाएअ (बेचने वाला) अपनी ना वाकिफ़ी से कम दामों में चीज़ बेच देता है या मुश्तरी (ख़रीदने वाला) अपनी नादानी से ज़ियादा दामों से ख़रीद लेता है या चीज़ की उसे शनाख़्त नहीं है ज़रूरत है कि दूसरे से मश्वरा कर के सहीह राय काइम करे और अगर उस वक़्त न ख़रीदे तो चीज़ जाती रहेगी या बाएअ को अन्देशा है कि गाहक हाथ से निकल जाएगा ऐसी सूरत में शरए मुतहहर ने दोनों को येह मौक़अ दिया है कि ग़ौर कर लें अगर ना मन्ज़ूर हो तो ख़ियार की बिना पर बैअ को ना मन्ज़ूर कर दें।

ख़ियारे शर्त के चन्द अहक़ाम

❁ ख़ियारे शर्त की मुदत ज़ियादा से ज़ियादा तीन दिन है इस से कम हो सकती है ज़ियादा नहीं। अगर कोई ऐसी चीज़ ख़रीदी है जो जल्द ख़राब हो जाने वाली है और मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को तीन

❁... बहारे शरीअत, 2/701, हिस्सा : 11

❁... بخاری، کتاب البیوع، باب البیعان بالخیار المقتصر، 22/2، حدیث: 2111

दिन का ख़ियार था तो उस से कहा जाएगा कि बैअ को फ़स्ख़ कर दे या बैअ को जाइज़ कर दे। और अगर ख़राब होने वाली चीज़ किसी ने बिला ख़ियार (बिग़ैर ख़ियारे शर्त के) ख़रीदी और बिग़ैर क़ब्ज़ा किये और बिग़ैर समन (कीमत) अदा किये चल दिया और गाइब हो गया तो बाएअ (बेचने वाला) उस चीज़ को दूसरे के हाथ बैअ कर सकता है उस दूसरे ख़रीदार को येह मा'लूम होते हुए भी ख़रीदना जाइज़ है।⁽¹⁾

❁ मुबैअ मुश्तरी के क़ब्ज़े में है और उस में ऐब पैदा हो गया चाहे वोह ऐब मुश्तरी ने किया हो या किसी अजनबी ने या आफ़ते समाविया (कुदरती आफ़त जैसे जलना, डूबना वग़ैरा) से या खुद मुबैअ के फ़े'ल से ऐब पैदा हुवा बहर हाल अगर ख़ियार मुश्तरी को है तो मुश्तरी को समन देना पड़ेगा और बाएअ को है तो मुश्तरी पर कीमत वाजिब है।⁽²⁾

किराए पर ली हुई चीज़ आगे किराए पर देना कैसा ?

सुवाल (एक शख़्स सुवाल करता है कि) मैं फ़्रेट फ़ोरवर्डिंग (Freight Forwarding) का काम करता हूँ जिस में बहरी जहाज़ के कन्टेनर शिपिंग कम्पनी से कन्टेनर किराए पर ले कर आगे उसे पार्टी को किराए पर देते हैं। कम्पनी से हम किसी माल की एक्सपोर्ट के लिये मसलन 10,000 रुपै किराए पर लेते हैं, और पार्टी को येही कन्टेनर 12,000 रुपै में देते हैं। मज़कूरा किराए पर शिपिंग कम्पनी चाहे दो दिन में भेजे या पांच दिन में, येह उस की ज़िम्मेदारी होती है कि वोह हमारे पास कन्टेनर को पहुंचा दे, नीज़ माल छोड़ने के बा'द शिपिंग कम्पनी का काम होता है कि उस कन्टेनर को कहां भेजना है, पार्टी और हमारा अब उस कन्टेनर से कोई तअल्लुक नहीं होता। पार्टी को जो हम ज़ियादा किराए पर देते हैं, उस में हम कन्टेनर की सील (Seal) के अख़्राजात भी शामिल करते हैं क्यूं कि हम कन्टेनर की सील के अख़्राजात शिपिंग कम्पनी को अलग देते हैं लेकिन पार्टी से हम उस सील कराने के अलग पैसे नहीं लेते, तो क्या इस सूरत में पार्टी को जब हम कन्टेनर किराए पर देते हैं तो कन्टेनर का किराया और सील के अख़्राजात मिला कर मसलन 12,000 रुपै में दे सकते हैं, जब कि हम ने शिपिंग कम्पनी से वोही कन्टेनर 10,000 रुपै का किराए पर लिया होता है और तक्रीबन 500 रुपै में सील के अख़्राजात में दिये होते हैं ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप पार्टी को कन्टेनर का किराया और उसे सील करने अख़्राजात के साथ मिला कर कन्टेनर को आगे ज़ियादा किराए पर दे सकते हैं। क्यूं कि किराए पर ली हुई चीज़ आगे

1... बहारे शरीअत, 2/648, हिस्सा : 11

2... बहारे शरीअत, 2/650, हिस्सा : 11

किराए पर दे सकते हैं, जब कि उतने ही किराए पर दी जाए जितने पर ली थी, या कम किराए पर दी जाए और अगर ज़ियादा किराए पर देना चाहें तो उस वक़्त दे सकते हैं जब दर्जे ज़ैल तीन सूरतें पाई जाएं : एक : येह कि कन्टेनर में कुछ काम करा दें। दूसरी : येह कि आप ने जिस जिन्स के किराए पर कन्टेनर लिया उस के ख़िलाफ़ किसी और जिन्स के किराए पर आगे दें। और तीसरी : येह कि कन्टेनर के साथ कोई और चीज़ भी किराए पर दे दें और दोनों का किराया एक ही मुक़र्रर करें। पूछी गई सूरत में आप की तरफ़ से सील की सूरत में इज़ाफ़ करना पाया गया तो ज़ियादा किराए पर आगे दे सकते हैं।

सदरुशशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़ती अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ बहारे शरीअत में लिखते हैं : “मुस्ताजिर (किराए दार) ने मकान या दुकान को किराए पर दे दिया अगर उतने ही किराए पर दिया है जितने में खुद लिया था या कम पर जब तो ख़ैर और ज़ाइद पर दिया है तो जो कुछ ज़ियादा है उसे सदक़ा कर दे हां अगर मकान में इस्लाह की हो उसे ठीकठाक किया हो तो ज़ाइद का सदक़ा करना ज़रूर नहीं या किराए की जिन्स बदल गई मसलन : लिया था रुपै पर, दिया हो अशरफ़ी पर, अब भी ज़ियादती जाइज़ है। झाड़ू दे कर मकान को साफ़ कर लेना येह इस्लाह नहीं है कि ज़ियादा वाली रक़म जाइज़ हो जाए, इस्लाह से मुराद येह है कि कोई ऐसा काम करे जो इमारत के साथ क़ाइम हो मसलन प्लास्तर कराया या मुंडेर बनवाई।”(1)

वोरन्टी की क्या शर्इ हैसियत है ?

सवाल आज कल बा'ज चीज़ों को बेचते वक़्त दुकानदार कस्टमर को एक दो साल की वोरन्टी देता है इस की शर्इ हैसियत क्या है ? और जिन चीज़ों की वोरन्टी दी गई अगर उस के इलावा कोई और ख़राबी हो जाए और कस्टमर दुकानदार के पास वोह चीज़ वापस करने के लिये ले आए तो क्या इस सूरत में भी दुकानदार को वोह चीज़ वापस करना होगी ?

जवाब वोरन्टी दौरे जदीद की पैदावार है पुराने ज़माने में न मशीन होती थी और न ही वोरन्टी। दौरे जदीद में मशीन आई तो वोरन्टी भी आई और वोरन्टी एक तरह का एहसान है जो आज कल मुआहदे का एक हिस्सा बन चुकी है। फ़ुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने अर्सए दराज़ से इस का ए'तिबार किया है और इस शर्त को जाइज़ कहा है जैसा कि बहारे शरीअत जो कि तक़रीबन 70 साल पहले लिखी जाने वाली किताब है इस में वोरन्टी के मुतअल्लिक़ लिखा है : (अगर) शर्त ऐसी है जिस पर मुसल्मानों का अ़ाम तौर पर अ़मल दरआमद है जैसे आज कल घड़ियों में गेरेन्टी साल दो साल की हुवा करती है कि इस

1... बहारे शरीअत, 3/124, हिस्सा : 14

मुद्दत में ख़राब होगी तो दुरुस्ती का ज़िम्मेदार बाएअ है ऐसी शर्त भी जाइज़ है।⁽¹⁾ वोरन्टी में जो शराइत बयान की जाएंगी और जिन चीज़ों की वोरन्टी दी जाएगी उन का ए'तिबार होगा और उन्ही शराइत के साथ चीज़ को वापस किया जाएगा उन के इलावा कोई और ख़ारिजी सबब पाया गया तो चीज़ को वापस नहीं किया जा सकता मसलन कम्पनी ने एक मोबाइल बेचा और येह कहा कि येह मोबाइल वोटर प्रूफ़ नहीं है और न ही इस की वोरन्टी है अगर ख़रीदने वाला उस मोबाइल को पानी में गिरा दे फिर कम्पनी के पास ले आए तो उस को येही कहा जाएगा कि मसलन मोबाइल की मशीन की वोरन्टी थी कि येह जलेगी नहीं यूंही इस की स्क्रीन की वोरन्टी थी कि ओफ़ नहीं होगी, इस बात की वोरन्टी नहीं थी कि येह वोटर प्रूफ़ है, इस लिये इस मोबाइल को वापस नहीं किया जाएगा और वोरन्टी क्लेम (Claim) करने का हक़ नहीं होगा।

सबक़ नम्बर 25

ख़ियारे रूयत का बयान

ख़ियारे रूयत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने रसूल

हज़रते अबू हुरैरा رضي الله عنه से रिवायत है कि प्यारे आका, मदीने वाले मुस्तफ़ा صلى الله عليه وآله وسلم ने फ़रमाया : जिस ने ऐसी चीज़ ख़रीदी जिस को देखना न हो तो देखने के बा'द उसे इख़्तियार है ले या छोड़ दे।⁽²⁾

ख़ियारे रूयत की ता'रीफ़

कभी ऐसा होता है कि चीज़ को बिग़ैर देखेभाले ख़रीद लेते हैं और देखने के बा'द वोह चीज़ ना पसन्द होती है, ऐसी हालत में शरए मुतहहर (या'नी शरीअते इस्लामिया) ने मुश्तरी (ख़रीदने वाले) को येह इख़्तियार दिया है कि अगर देखने के बा'द चीज़ को न लेना चाहे तो बैअ को फ़स्ख़ (ख़त्म) कर दे, इस को ख़ियारे रूयत कहते हैं।⁽³⁾

चन्द अहम अहक़ाम

❁ ख़ियारे रूयत के लिये किसी वक़्त की तहदीद नहीं (या'नी मुद्दत मुक़रर नहीं) है कि उस के गुज़रने के बा'द ख़ियार बाक़ी न रहे, बल्कि येह ख़ियार देखने पर है जब देखे।⁽⁴⁾

1... बहारे शरीअत, 2/701, हिस्सा : 11

2... دار قطنی، کتاب البیوع، 3/5، حدیث: 2777

3... बहारे शरीअत, 2/661, हिस्सा : 11

4... درر الحکام شرح غرر الاحکام، کتاب البیوع، باب خیارات الوبیع، 2/157

❁ शौए मुअय्यन की शौए मुअय्यन से बैअ हुई मसलन किताब को कपड़े के बदले में बैअ किया तो ऐसी सूरत में बाएअ व मुश्तरी दोनों को ख़ियारे रूयत हासिल है क्यूं कि यहां दोनों मुश्तरी भी हैं।⁽¹⁾

सबक नम्बर 26

ख़ियारे ऐब का बयान

ख़ियारे ऐब के मुतअल्लिक हदीस

हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत ﷺ ने फ़रमाया : जिस ने ऐब वाली चीज़ बेची और उस (ऐब) को ज़ाहिर न किया, वोह हमेशा **अल्लाह** पाक की नाराज़ी में है।⁽²⁾

हुज़ूर अन्वर ﷺ ने इश़ाद फ़रमाया : एक मुसल्मान दूसरे मुसल्मान का भाई है और जब मुसल्मान अपने भाई के हाथ कोई चीज़ बेचे जिस में ऐब हो तो जब तक बयान न करे, उसे बेचना हलाल नहीं।⁽³⁾

ख़ियारे ऐब की ता'रीफ़

ख़ियारे ऐब बाएअ का मुबैअ को ऐब बयान किये बिगैर बेचना या मुश्तरी का समन में ऐब बयान किये बिगैर चीज़ ख़रीदना और ऐब पर बा ख़बर होने के बा'द उस चीज़ के वापस कर देने के इख़्तियार को ख़ियारे ऐब कहते हैं।⁽⁴⁾

ऐब की ता'रीफ़

उर्फ़े शरअ में ऐब जिस की वजह से मुबैअ को वापस कर सकते हैं वोह है जिस से ताजिरो की नज़र में चीज़ की कीमत कम हो जाए।⁽⁵⁾ मुबैअ (बेची जाने वाली चीज़) में ऐब हो तो उस का ज़ाहिर कर देना बाएअ (बेचने वाले) पर वाजिब है, छुपाना गुनाहे कबीरा है।⁽⁶⁾



1... در مختار، کتاب الميوع، باب خيار الرويه، 162/7

2... ابن ماجه، کتاب التجارات، باب من باع عبداً فليبينه، 59/3، حديث: 2247 ملقطاً

3... ابن ماجه، کتاب التجارات، باب من باع عبداً فليبينه، 58/3، حديث: 2246

4... बहारे शरीअत, 2/673, हिस्सा : 11 माखूज़न

6... सुन्नी बिहिश्ती ज़ेवर, स. 533

5... تنوير الابصار، کتاب الميوع، باب خيار العيب، 166/7

ख़ियारे ऐब की शराइत

ख़ियारे ऐब के लिये चन्द शर्तें हैं : (1) मुबैअ में वोह ऐब अक्दे बैअ के वक्त मौजूद हो या बा'दे अक्द, मुश्तरी के कब्जे से पहले पैदा हो। लिहाजा मुश्तरी के कब्जा करने के बा'द जो ऐब पैदा हुवा उस की वजह से ख़ियार हासिल न होगा। (2) मुश्तरी ने कब्जा कर लिया हो तो उस के पास भी वोह ऐब बाकी रहे। अगर यहां वोह ऐब न रहा तो ख़ियार भी नहीं। (3) मुश्तरी को अक्द या कब्जे के वक्त ऐब पर इत्तिलाअ न हो। ऐबदार जान कर लिया या कब्जा किया ख़ियार न रहा। (4) बाएअ ने ऐब से बराअत न की हो। अगर उस ने कह दिया कि मैं उस के किसी ऐब का ज़िम्मेदार नहीं ख़ियार साबित नहीं।⁽¹⁾

दुकान से पेक चीज़ ख़रीदी अगर ख़राब निकले तो क्या हुक्म है ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम से दुकानदार या गाहक होलसेल पर माल ले कर जाते हैं सामान पेक होता है और वोह गिनती कर के सामान ले जाते हैं फिर कुछ दिनों के बा'द आ कर कहते हैं कि आप की येह चीज़ ख़राब निकली है क्या इस सूरत में हम उन को येह कह कर मन्अ कर सकते हैं कि हम ने आप को सामान दे दिया था आप का काम था कि चेक कर के ले जाते ?

जवाब अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त दो किस्म की होती है, एक वोह अश्या जिन को चेक किया जा सकता है जैसे खुले आइटम कि उन को हाथ लगा कर चेक करना मुम्किन है, दूसरी वोह अश्या कि जिन को चेक नहीं किया जा सकता मसलन डिब्बे में चाय की पत्ती, डिब्बे में बन्द दूध या अन्डे वगैरा को आम तौर से दुकान ही पर चेक नहीं किया जाता। ऐसे मुआमलात में उसूल येह है कि कोई भी ऐसी चीज़ जिस को सहीह कह कर बेचा गया अगर उस में ऐब निकल आया और जैसी कह कर बेची गई थी वैसी नहीं निकली तो ख़रीदार को वोह चीज़ वापस करने का हक़ होता है और दुकानदार को वोह चीज़ वापस करनी पड़ेगी वोह वापस करने से मन्अ नहीं कर सकता। ख़रीदार के इस हक़ को फ़ुक़हा "ख़ियारे ऐब" के नाम से मौसूम करते हैं और कुतुबे फ़िक्ह में येह पूरा बाब है जिस में इस के मसाइल लिखे हुए हैं, बहारे शरीअत में भी हिस्सा 11 में इस की तफ़सील मौजूद है। ख़रीदारी के वक्त अगर बेचने वाले ने येह कह दिया कि आप येह चीज़ चेक कर लें येह जैसी भी है आप की है मैं इस के ऐब से बरिय्युज़्जिम्मा हूं तो इस सूरत में दुकानदार को वोह चीज़ वापस लेना ज़रूरी नहीं। वाज़ेह रहे कि ख़रीदार को जिन सूरतों में येह हक़ दिया गया है कि वोह ऐब निकलने पर चीज़ वापस कर सकता है येह इख़्तियार कुछ शराइत के साथ मशरूत है जिन में से एक येह है कि उस चीज़ में ख़रीदार ने मालिकाना तसर्फ़ न किया हो।

¹... बहारे शरीअत, 2/674, हिस्सा : 11

सबक नम्बर 27

सूद का बयान

सूद की मजम्मत में फ़रमाने इलाही

कुरआने मजीद में सूद खाने वालों के बारे में अल्लाह पाक फ़रमाता है :

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا
يَقُومُ الرِّجُلُ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ط
(پ3، البقرة: 275)

तरजमए कन्जुल ईमान : वोह जो सूद खाते हैं क़ियामत के दिन न खड़े होंगे मगर जैसे खड़ा होता है वोह जिसे आसेब ने छू कर मख़बूत बना दिया हो ।

सूद ह़राम होने की ह़िक्मतें

सूद को ह़राम फ़रमाने में बहुत सी ह़िक्मतें हैं । उन में से बा'ज़ येह हैं कि ۞ सूद में जो ज़ियादती ली जाती है वोह माली मुआवज़े वाली चीज़ों में बिग़ैर किसी इवज़ के माल लिया जाता है और येह सरीह ना इन्साफ़ी है । ۞ सूद की हुर्मत में दूसरी ह़िक्मत येह है कि सूद का रवाज तिजारतों को ख़राब करता है कि सूदख़ोर को बिग़ैर मेहनत माल का हासिल होना, तिजारत की मशक़तों और ख़तरों से कहीं ज़ियादा आसान मा'लूम होता है और तिजारतों की कमी इन्सानी मुआशरत को नुक़सान पहुंचाती है । ۞ तीसरी ह़िक्मत येह है कि सूद के रवाज से बाहमी महब्वत के सुलूक को नुक़सान पहुंचता है कि जब आदमी सूद का आदी हो तो वोह किसी को क़र्ज़ हसन से इमदाद पहुंचाना गवारा नहीं करता । ۞ चौथी ह़िक्मत येह है कि सूद से इन्सान की तबीअत में दरिन्दों से ज़ियादा बे रहमी पैदा होती है और सूदख़ोर अपने मक़रूज़ की तबाही व बरबादी का ख़्वाहिश मन्द रहता है । इस के इलावा भी सूद में और बड़े बड़े नुक़सान हैं और शरीअत की सूद से मुमानअत ऐन ह़िक्मत है ।⁽¹⁾

सूद की मजम्मत में फ़रमाने मुस्तफ़ा

✽ रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : रात में ने देखा कि मेरे पास दो शख़्स आए और मुझे ज़मीने मुक़द़स (बैतुल मुक़द़स) में ले गए फिर हम चले यहां तक कि खून के दरिया पर पहुंचे, यहां एक शख़्स किनारे पर खड़ा है जिस के सामने पथ्थर पड़े हुए हैं और एक शख़्स बीच दरिया में है, येह किनारे की तरफ़

1... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 3, अल बक़रह, तह़तल आयह : 275, 1/412

बढ़ा और निकलना चाहता था कि किनारे वाले शख्स ने एक पथ्थर ऐसे ज़ोर से उस के मुंह पर मारा कि जहां था वहीं पहुंचा दिया फिर जितनी बार वोह निकलना चाहता है किनारे वाला मुंह पर पथ्थर मार कर वहीं लौटा देता है। मैं ने पूछा : येह कौन शख्स है ? कहा : येह शख्स जो नहर में है, सूदखोर है।⁽¹⁾

सूद की ता'रीफ़

अक़दे मुआवज़ा (या'नी लेनदेन के किसी मुआमले) में जब दोनों तरफ़ माल हो और एक तरफ़ ज़ियादती हो कि उस के मुक़ाबिल (या'नी बदले) में दूसरी तरफ़ कुछ न हो येह सूद है।⁽²⁾ इसी तरह कर्ज़ देने वाले को कर्ज़ पर जो नफ़अ, जो फ़ाएदा हासिल हो वोह सब भी सूद है।⁽³⁾

ता'रीफ़ की वज़ाहत

❁ जो चीज़ माप या तोल से बिकती हो जब उस को अपनी जिन्स से बदला जाए मसलन गेहूं (गन्दुम) के बदले में गेहूं (गन्दुम), जव के बदले में जव लिये और एक तरफ़ ज़ियादा हो ह़राम है। ❁ और अगर वोह चीज़ माप या तोल की न हो या एक जिन्स को दूसरी जिन्स से बदला हो तो सूद नहीं। ❁ उम्दा और ख़राब का यहां कोई फ़र्क़ नहीं या'नी तबादलए जिन्स में एक तरफ़ कम है मगर येह अच्छी है दूसरी तरफ़ ज़ियादा है वोह ख़राब है जब भी सूद और ह़राम है। ❁ लाज़िम है कि दोनों माप या तोल में बराबर हों। ❁ जिस चीज़ पर सूद की हुर्मत का दारो मदार है वोह क़द्र व जिन्स है। क़द्र से मुराद वज़न या माप है।⁽⁴⁾

सूद का हुक्म

सूद ह़राम है, इस की हुर्मत का मुन्किर (या'नी ह़राम होने का इन्कार करने वाला) काफ़िर है।⁽⁵⁾ जिस तरह सूद लेना ह़राम है सूद देना भी ह़राम है।⁽⁶⁾



1...بخاری، کتاب السیوع، باب آکل الربا وشاهدہ وکاتبہ، 2/14، حدیث: 2085

2... बहारे शरीअत, 2/768, 769, हिस्सा : 11

3... फ़तावा रज़विय्या, 17/713

4... बहारे शरीअत, 2/769, हिस्सा : 11

5... बहारे शरीअत, 2/768, हिस्सा : 11 468 مع الروض الازهر، ص

6... बहारे शरीअत, 2/776, हिस्सा : 11 ब तग़य्युरे क़लील

करन्सी की खरीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल बस स्टोप पर जो लोग खुले पैसे देते हैं वोह 100 रुपै के नोट ले कर 90 रुपै के सिक्के देते हैं, क्या इस तरह करना जाइज़ है ? कहीं येह सूद तो नहीं है ?

जवाब 100 रुपै के नोट ले कर 90 रुपै के सिक्के दिये जाएं चाहे येह लेनदेन दोनों तरफ़ से नक़्द हो या एक तरफ़ से उधार और एक तरफ़ से नक़्द हो येह दोनों सूरतें जाइज़ हैं इस में सूद नहीं है, क्यूं कि जब 100 रुपै के नोट के बदले में 90 रुपै के सिक्के दिये जाएंगे तो इस में न तो जिन्स एक है और न ही क़द्र पाई जा रही है तो कमी बेशी और उधार दोनों जाइज़ हुए। जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है : अगर क़द्र व जिन्स दोनों न हों तो कमी बेशी और उधार दोनों जाइज़ हैं, इल्लत के न पाए जाने की वजह से, तो बैअ अपनी अस्ले इबाहत पर बाकी रहेगी।⁽¹⁾

लेकिन येह ज़ेहन में रहे कि येह हुक्म नोट के बदले सिक्कों का था कि इस में एक तरफ़ से उधार जाइज़ है अगर 100 रुपै के नोट के बदले में 90 रुपै के नोट दिये जाएं तो येह उस वक़्त जाइज़ होगा जब दोनों तरफ़ से नक़्द हो, किसी तरफ़ से उधार न हो, अगर किसी एक तरफ़ से भी उधार होगा तो येह जाइज़ न होगा क्यूं कि इस में जिन्स एक है लेकिन क़द्र नहीं पाई जा रही तो इस सूरत में अगर कमी बेशी जाइज़ है लेकिन उधार जाइज़ नहीं है। जैसा कि दुर्रे मुख़्तार में है : अगर क़द्र व जिन्स में से कोई एक चीज़ पाई जाए या'नी सिर्फ़ क़द्र पाई जाए या सिर्फ़ जिन्स पाई जाए तो अब कमी बेशी जाइज़ है और उधार हराम है।⁽²⁾

सबक़ नम्बर 28 बा'ज़ मुरव्वजा ना जाइज़ तिजारतों का बयान

किस्तीं पर कारोबार की चन्द ना जाइज़ सूरतें

किस्तीं पर कारोबार करना बिल्कुल जाइज़ है कि येह उधार फ़रोख़्त की एक सूरत है और किसी शै को बेचते वक़्त बाहमी रिज़ामन्दी से जितनी कीमत चाहें मुक़र्रर कर लें इस में शर्अन कोई हरज नहीं। जब तक कोई ऐसी सूरत न पाई जाए जो इस्लामी उसूलों के ख़िलाफ़ हो। मगर हमारे ज़माने में इस



... 1 در مختار، کتاب البيوع، باب خیار العيب، 7/422-423

... 2 در مختار، کتاب البيوع، باب خیار العيب، 7/422

कारोबार की कई ऐसी सूरतें राइज हो चुकी हैं जो ना जाइज़ व हुराम हैं। मसलन ❶ मुआहदा (Agreement) करते हुए येह शर्त लगाना कि अगर वक़्त पर क़िस्त अदा न की गई तो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। येह जुल्मो ज़ियादती और ता'ज़ीर बिल माल (माली जुर्माना) है जो इस्लाम में जाइज़ नहीं। रद्दुल मुह्तार में है : ता'ज़ीर बिल माल इब्तिदाए इस्लाम में थी फिर इस को मन्सूख़ कर दिया गया।⁽¹⁾ और मन्सूख़ का हुक्म येह है कि इस पर अमल करना हुराम है।⁽²⁾ ❷ क़िस्तों पर कोई शै बेची मगर साथ में येह कह दिया कि जब तक तमाम क़िस्तें अदा नहीं हो जातीं आप उस चीज़ के मालिक नहीं। येह शर्त ना जाइज़ है क्यूं कि शरीअत के ए'तिबार से जब किसी चीज़ पर ईजाब व क़बूल हो जाए और चीज़ ख़रीदार के क़ब्जे में चली जाए तो वोह मालिक हो जाता है। फ़तावा आलमगीरी में है, बैअ का हुक्म येह है कि मुश्तरी (ख़रीदार) मबीअ (ख़रीदी हुई चीज़) का मालिक हो जाए और बाएअ (बेचने वाला) समन (कीमत) का।⁽³⁾ ❸ किराया और चीज़ की कीमत को जम्अ करना, या'नी किसी चीज़ की इस तरह क़िस्तें करना जो कि उस की कीमत और किराया दोनों पर मुश्तमिल हों। इस की सूरत यूं बनेगी : एक मोटर साइकिल दो हज़ार माहाना क़िस्त पर बेची, इस में तै येह किया कि एक हज़ार मोटर साइकिल की कीमत की मद में और एक हज़ार किराए की मद में, तो येह तरीका ना जाइज़ है। क्यूं कि रसूलुल्लाह ﷺ ने एक सौदे में दो सौदे करने से मन्अ फ़रमाया है।⁽⁴⁾

वक़्त पर पेमेन्ट न करने पर इज़ाफ़ी रक़म लेना कैसा ?

अगर कोई दुकानदार से खाद वग़ैरा छे माह के उधार पर लेता है मगर छे माह में नहीं दे पाता बल्कि साल दो साल गुज़र जाते हैं तो क्या जिस वक़्त वोह पैसे देगा वोह उतने ही देगा या ज़ियादा भी ले सकते हैं ?

जितने का सौदा हुवा उतने ही पैसे लिये जाएंगे उस से ज़ियादा नहीं ले सकते। क्यूं कि रक़म उस ने माल के इवज़ देनी है और माल में कोई इज़ाफ़ा नहीं हुवा। उस ने कीमत अदा करने में जो ताख़ीर की है उस ताख़ीर की बिना पर इज़ाफ़ी रक़म वुसूल नहीं कर सकते, अगर करेंगे तो वोह सूद होगा, हां अगर देने वाले ने बिला वज्ह ताख़ीर की है तो वोह गुनाहगार होगा। लेकिन अगर तंगदस्त



1... رد المحتار، باب التعزير، مطلب في التعزير باخذ المال، 6/98

2... مع تيسين الحقائق، كتاب القضاء، باب كتاب القاضى الى القاضى وغيره، 5/110

3... فتاوى هندية، كتاب البيوع، الباب الاول في تعريف البيع... الخ، 3/3

4... ترمذی، کتاب البيوع، باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة، 3/15، حديث: 1235

है कि अदाएगी पर कादिर नहीं न ही कोई ऐसा माल है जिसे बेच कर अदा कर सके तो गुनाह नहीं बल्कि जहां अदाएगी के कोई अस्बाब न हों तो वहां तंगदस्त को मोहलत देनी चाहिये, येही कुरआन की ता'लीमात हैं। चुनान्चे

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾
(प 3, अलबक़रा: 280)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अगर कर्जदार तंगी वाला है तो उसे मोहलत दो आसानी तक और कर्ज उस पर बिल्कुल छोड़ देना तुम्हारे लिये और भला है अगर जानो।

नीलामी की बैअ

बाहमी रिज़ामन्दी के साथ नीलामी की सूरत में किसी चीज़ की ख़रीदो फ़रोख़्त करना जाइज़ है। मगर इस में भी कई ना जाइज़ सूरतें आ चुकी हैं, आज कल जो सूरत बहुत आम हो चुकी है वोह येह है कि फ़क़त चीज़ की कीमत बढ़ाने के लिये बोली लगाई जाती है। ख़ास इस काम के लिये आदमी रखे जाते हैं जिन्होंने वोह चीज़ तो ख़रीदनी नहीं होती बस दूसरों को उस चीज़ की ज़ियादा कीमत देने पर उभारना होता है। अल्लामा मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : नज़्श मक्रूह है, हुज़ूरे अक़्दस صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इस से मन्अ फ़रमाया। नज़्श येह है कि मबीअ (बेची जाने वाली चीज़) की कीमत बढ़ाए और खुद ख़रीदने का इरादा न रखता हो इस से मक्सूद येह होता है कि दूसरे गाहक को रग़बत पैदा हो और कीमत से ज़ियादा दे कर ख़रीद ले और येह हकीक़तन ख़रीदार को धोका देना है।⁽¹⁾

चोरी का माल ख़रीद कर बेचना

सवाल एक शख़्स चोरी किया हुवा माल ख़रीदता और बेचता है तो येह बात मा'लूम होते हुए ज़ैद से माल ख़रीदना और आगे किसी और के हाथ फ़रोख़्त करना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब तक़्रीबन हर मार्केट में ही चोरी के माल की ख़रीदो फ़रोख़्त के तअल्लुक से मसाइल पेश आते हैं। आ'ला हज़रत इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने चोरी का माल ख़रीदने के तअल्लुक से मुमानअत की दो सूरतें बयान फ़रमाई हैं : पहली येह कि यक़ीनी तौर पर

1... बहारे शरीअत, 2/723, हिस्सा : 11

(Confirm) मा'लूम हो कि येह माल चोरी का है। दूसरी येह कि वाजेह करीने की बुन्याद पर गुमान काइम होता हो कि येह चोरी का माल है इन दोनों सूरतों में खरीदारी जाइज नहीं होगी और एक तीसरी मुम्किना सूरत येह हो सकती है कि न मा'लूम था न ही करीना था लेकिन खरीदारी के बा'द पता चल गया तब भी येह माल मालिक को वापस देना फ़र्ज है चुनान्वे फ़तावा रज़विय्या में है : “चोरी का माल दानिस्ता (जान बूझ कर) खरीदना हराम है बल्कि अगर मा'लूम न हो मज़ून (गुमान) हो जब भी हराम है मसलन कोई जाहिल शख्स कि उस के मूरिसीन भी जाहिल थे कोई इल्मी किताब बेचने को लाए और अपनी मिल्क बताए उस के खरीदने की इजाज़त नहीं और अगर न मा'लूम है न कोई वाजेह करीना तो खरीदारी जाइज है, फिर अगर साबित हो जाए कि येह चोरी का माल है तो उस का इस्ति'माल हराम है बल्कि मालिक को दिया जाए और वोह न हो तो उस के वारिसों को, और उन का भी पता न चल सके तो फ़ुकरा को।”⁽¹⁾

जानदारों की शक्ल वाले खिलोनों की खरीदो फ़रोज़

सवाल आज कल मार्केट में बच्चों के लिये मुख़लिफ़ जानवरों की शक्लों के खिलोने मिलते हैं जो कि प्लास्टिक, लोहे और पीतल से बने होते हैं, क्या बच्चों के लिये येह खिलोने खरीदना और बच्चों का उन से खेलना जाइज है ?

जवाब पूछी गई सूरत में येह खिलोने खरीदना भी जाइज है और बच्चों का उन से खेलना भी जाइज है, लेकिन एक बात का ज़रूर खयाल रखा जाए कि वोह खिलोने न खरीदे जाएं जिन में म्यूज़िक जैसी नुहूसत होती है। रदुल मुह़तार में खिलोने के मुतअल्लिक अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं कि खिलोने अगर लकड़ी या पीतल के हों तो उन को खरीदना जाइज है।⁽²⁾

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़तावा अम्जदिय्या में लिखते हैं : “लोहे पीतल तांबे के खिलोनों की बैअ (Sale Agreement) जाइज है कि येह चीज़ें माले मुतक़व्विम (वोह माल जिस से नफ़अ उठाना जाइज हो) हैं।”⁽³⁾

एक और मक़ाम पर लिखते हैं : “मा'लूम हुवा कि इन का तस्वीर होना वज्हे अदमे जवाजे बैअ नहीं।”⁽⁴⁾ मज़ीद फ़रमाते हैं : “रहा येह अम्र कि इन खिलोनों का बच्चों को खेलने के लिये देना और

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 17/165

2 ... رد المحتار، کتاب البیوع، 7/505

3 ... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/232

4 ... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/233

बच्चों का उन से खेलना येह ना जाइज नहीं कि तस्वीर का बर वज्हे ए'ज़ाज़ (As Respect) मकान में रखना मन्अ है न कि मुल्लकन या बर वज्हे इहानत भी ।”(1)

तसावीर वाली अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म

सुवाल जिन चीज़ों पर तस्वीरें छपी हों मसलन साबुन वगैरा उन को ख़रीदना कैसा ?

जवाब सुवाल में बयान कर्दा चीज़ों का ख़रीदना बिना शुब्हा जाइज है क्यूं कि ख़रीदने वाले का मक्सूद चीज़ ख़रीदना होता है न कि तस्वीर । जैसा कि मुफ़्ती वकारुद्दीन رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ तस्वीर वाली कुतुब की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म बयान करते हुए फ़रमाते हैं : सूरते मस्ऊला में इन किताबों को बेचना जाइज है कि येह किताबों की ख़रीदो फ़रोख़्त करना है न कि तसावीर की । अलबत्ता अ़लाहदा से तस्वीर बेचना हराम है ।(2)

तम्बीह : दुकानदार पर लाज़िम है कि जिन अश्या पर औरतों की तसावीर होती हैं उन को नुमायां करने से इज्तिनाब करे ।

जा'ली मोहर

बद किस्मती से हमारे हां येह सूरत भी बहुत राइज होती चली जा रही है कि चीज़ तय्यार होती है हिन्दूस्तान में मगर उस पर मोहर (Stamp) लगती है मेड इन जापान (Made in Japan) या मेड इन कोरिया (Made in Korea) वगैरा । येह सीधा सीधा झूट और धोका है जो कि ना जाइज व हराम है । धोके के बारे में रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जो धोका दे वोह हम में से नहीं ।(3) ख़याल रहे ! इस काम में कई अफ़राद गुनाह के मुरतकिब होते हैं : (1) जा'ली मोहर लगवाने वाला (2) इसे बनाने वाला (3) चीज़ पर लगाने वाला और (4) वोह दुकानदार जो येह चीज़ आगे झूट बोल कर बेचता है ।

इस तरह के काम में एक सूरत येह भी पाई जाती है कि एक कम्पनी (Company) की किसी प्रोडक्ट (Product) की नक़ल तय्यार करना और फिर उस पर उसी कम्पनी की मोहर लगा देना । येह भी कई तरह से हराम है : (1) झूट के सबब (2) ख़रीदार को धोका देने और (3) कम्पनी का नाम इस्ति'माल करने के बाइस । क्यूं कि किसी रजिस्टर्ड कम्पनी का नाम इस्ति'माल करना क़ानूनन जुर्म है और जो शै क़ानूनन जुर्म हो, रिश्वत व ज़िल्लत का बाइस बने वोह भी ना जाइज होती है ।

1... फ़तावा अम्जदिय्या, 4/233

2... वकारुल फ़तावा, 1/218

3... مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من غشیا قلبی منّا، ص 64، حدیث: 283

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : किसी क़ानूनी जुर्म का इरतिकाब कर के अपने आप को बिला वज्ह ज़िल्लतो बला के लिये पेश करना शर्'अन भी जुर्म है।⁽¹⁾ अलबत्ता किसी कम्पनी से मिलता जुलता नाम रखना जाइज़ है लेकिन अगर इस में भी झूट व धोका देही पाई गई तो ना जाइज़ व गुनाह है मसलन किसी गाहक ने आ कर कहा फुलां कम्पनी की चीज़ दे दें अब उसे उसी कम्पनी की चीज़ देना होगी अगर उस से मिलते जुलते नाम की चीज़ दे दी जिसे वोह धोका खा कर ले जाए तो येह हराम है।

जा'ली बिल

पर्चेजिंग ओफीसर (Purchasing officer) का ज़ियादा बिल बनवाना मसलन 100 की चीज़ का 110 में बिल बनवाना और इजाफ़ी रकम अपने पास रखना येह हराम है कि येह धोका है। दुकानदार का ऐसा बिल बना कर देना भी हराम क्यूं कि वोह गुनाह में मुआवनत कर रहा है जो कि हुक्मे कुरआनी ﴿لَا تَعَاوُنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (پۛۛۛ المائدہ: 2) (ترجمہ: عکسपोर्ट (Export) کے کاروبار میں جا'لی بیل بنا کر یا کسی سے بیل خرید کر زیادہ خریداری (Purchasing) دکھانا (Show करना) ताकि हुकूमत से ज़ियादा से ज़ियादा नफ़अ हासिल किया जाए हराम है। इस तरीके से लिये गए नफ़अ का कोई इस्ति'माल जाइज नहीं बहर सरत हकूमत को वापस ही करना होगा।

कर्ज पर नफ़ा

नबिय्ये करीम ﷺ ने फ़रमाया : कर्ज़ और तिजारत दोनों को इकट्ठा करना हलाल नहीं।⁽²⁾ इस की सूरत यह है किसी आदमी को कोई शै इस शर्त पर बेचना कि तुम मुझे इतना कर्ज़ दो या कर्ज़ दे कर यह कहना कि फुलां सामान हमें ही बेचो। हमारे हां यह तरीक़ए कार आदतियों और मुख़्तलिफ़ किस्म के ताजिरों में राज़ है कि वोह किसान को बीज या खाद वगैरा की मद में कर्ज़ा देते हैं और यह शर्त लगा देते हैं कि तुम अपनी फ़सल हमें ही बेचोगे। यह कर्ज़ पर नफ़अ उठाना है जो कि सूद के जुमे में दाख़िल है। इसी तरह कोई नया कारोबार शुरूअ करना या कोई प्रोडक्ट तय्यार करना चाहता है तो उसे इस लिये कर्ज़ देना कि अपना माल सिर्फ़ हमें फ़रोख़्त करोगे किसी और को नहीं तो यह भी ना जाइज व हुराम है। फ़रमाने मुस्तफ़ा ﷺ है : जो कर्ज़

1... फतावा रजविय्या, 23/581

2... ترمذی، کتاب البیوع، باب ما حاء فی کر اہیۃ بیع مالیس عندک، 3/15، حدیث: 1235

कोई नफ़अ खींच लाए वोह सूद है।⁽¹⁾

प्रीमियम प्राइज़ बॉण्ड (Premium Prize Bond) का हुक्म

हाल ही में प्रीमियम प्राइज़ बॉण्ड (Premium Prize Bond) के नाम से एक नया बॉण्ड जारी किया गया है जिस में शशमाही बुन्याद पर नफ़अ भी मिलेगा और हर तीन महीने बा'द ब ज़रीअए कुरआ अन्दाज़ी हामिलाने बॉण्ड (जिन के पास प्राइज़ बॉण्ड हो उन) में से कुछ अफ़राद को मुख़लिफ़ इन्आमी रक़म भी दी जाएगी जिस तरह कि आम प्राइज़ बॉण्ड में दी जाती है। अलबत्ता प्रीमियम प्राइज़ बॉण्ड से मुतअल्लिक़ ओफ़िशल वेबसाइट पर इस बॉण्ड से मुतअल्लिक़ जो इश्तिहार आवेज़ां हैं उस में मज़ीद कुछ बातों की सराहत है : (1) येह बॉण्ड इन्वेस्टर के नाम पर जारी होगा और नफ़अ और इन्आम डायरेक्ट (Direct) उस के बैंक एकाउन्ट में डाला जाएगा। (2) इस बॉण्ड के गुम होने, चोरी होने या जल जाने पर भी कोई ख़तरा नहीं है। या'नी इन्वेस्टर को नुक़सान न होगा बल्कि वोह इस का मुतबादिल हासिल कर सकेगा।

अब सुवाल येह है कि इस बॉण्ड का ख़रीदना बेचना कैसा है ? और इस पर हासिल होने वाला शशमाही नफ़अ और हर 3 महीने बा'द ब ज़रीअए कुरआ अन्दाज़ी जो इन्आमात निकलेंगे उन की शर्इ हैसियत क्या है ? क्या वोह जाइज़ व हलाल हैं ?

प्रीमियम प्राइज़ बॉण्ड (Premium Prize Bond) एक सूदी बॉण्ड है जो कि महज़ एक सूदी एकाउन्ट में जम्अ कर्दा कर्ज़ की रसीद है जिस पर वाजेह तौर पर दलील ओफ़िशल इश्तिहार (Official Advertisement) के येह अल्फ़ाज़ हैं : इस बॉण्ड के गुम होने, चोरी होने या जल जाने पर भी कोई ख़तरा नहीं है। या'नी अगर किसी का येह बॉण्ड चोरी हो जाए या गुम जाए तो चोर के लिये येह महज़ एक काग़ज़ का टुकड़ा है जिस की कोई कीमत नहीं कि इस से वोह नफ़अ उठा सके बल्कि अस्ल मालिक जिस के नाम पर येह जारी हुवा है वोह इस रसीद का मुतबादिल (Duplicate) हासिल कर सकता है येह सराहत ही इस बात की वाजेह दलील है कि येह बॉण्ड खुद माल नहीं बल्कि जम्अ शुदा माल की रसीद है क्यूं कि अगर येह खुद माल होता तो दीगर बॉण्ड और करन्सी नोटों की तरह गुम होने, जल जाने या चोरी हो जाने पर मालिक को नुक़सान होता और चोर के लिये वोह एक काबिले नफ़अ माल होता हालां कि प्रीमियम बॉण्ड ऐसा नहीं है बल्कि इस की हैसियत क़ौमी बचत बैंक (National Saving Bank) के सेविंग एकाउन्ट (Saving Account) के सर्टीफ़िकेट (Certificate) जैसी ही है फ़र्क़ सिर्फ़ इतना है कि सेविंग सर्टीफ़िकेट पर नफ़अ ज़ियादा मिलता है इस में नफ़अ कम मिलेगा और



सेविंग सर्टीफिकेट पर कुरआ अन्दाजी के ज़रीए से इन्आमात का सिल्लिसला नहीं होता जब कि प्रीमियम बॉड में प्राइज़ बॉड की तर्ज़ पर इन्आम भी रखा गया है।

प्रीमियम बॉड पर शशमाही मिलने वाला नफ़अ और हर 3 माह पर ब ज़रीअए कुरआ अन्दाजी बनाम इन्आम मिलने वाला नफ़अ दोनों ही ख़ालिसतन सूद (Interest) हैं इसी लिये प्रीमियम बॉड ख़रीदना, बेचना ना जाइज़ व ह़राम और कबीरा गुनाह है बल्कि सूद होने की वजह से अल्लाह पाक व रसूल ﷺ से ए'लाने जंग के मुतरादिफ़ है। अल्लाह पाक पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 275 में इर्शाद फ़रमाता है :

(1) وَأَحْلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁽¹⁾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह ने हलाल किया बैअ और ह़राम किया सूद।

और पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 276 में इर्शाद फ़रमाता है :

(2) يَحْقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ⁽²⁾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह हलाक करता है सूद को और बढ़ाता है ख़ैरात को।

और पारह 3 सूरतुल बक़रह आयत नम्बर 278 ता 279 में इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتِغُوا فَلَكُمْ مِرْعُوسٌ أَمْوَالُكُمْ لَا تَطْلُبُونَ وَلَا تُطْلَبُونَ⁽³⁾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और छोड़ दो जो बाकी रह गया है सूद अगर मुसल्मान हो फिर अगर ऐसा न करो तो यक़ीन कर लो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से लड़ाई का और अगर तुम तौबा करो तो अपना अस्ल माल ले लो न तुम किसी को नुक़सान पहुंचाओ न तुम्हें नुक़सान हो।

हदीसे मुबारक में है : ”كُلُّ قَرْضٍ جَرْمَنَفْعَةٍ فَهُوَ رِبَا“ तरजमा : कर्ज़ के ज़रीए से जो मन्फ़अत हासिल की जाए वोह सूद है।⁽⁴⁾

नबिय्ये करीम ﷺ ने सूद लेने और देने पर ला'नत फ़रमाई और सब को गुनाह में बराबर क़रार दिया, चुनान्वे सहीह मुस्लिम में हज़रते जाबिर رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से मरवी, फ़रमाते हैं : रसूलुल्लाह

1... प 3, البقرة: 275

2... प 3, البقرة: 276

3... प 3, البقرة: 278-279

4... کنز العمال، کتاب الدین والسم، الباب الثانی فی تہییب عن الاستقراض من غیر ضرورة، 6: 3، 99، حدیث: 15512

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने सूद लेने वाले, देने वाले, इसे लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वालों पर ला'नत फरमाई और फरमाया : येह सब (गुनाह में) बराबर हैं।⁽¹⁾

मुसलमानों पर लाज़िम है कि दुन्यावी लालच व हिर्स में प्रीमियम प्राइज़ बॉर्ड के ज़रीए सूद जैसे कबीरा गुनाह में गिरिफ़्तार हो कर दुन्या व आख़िरत की तबाही व बरबादी और रब्बे करीम की ना फ़रमानी अपने सर न लें बल्कि फ़क़त हलाल पर ही इक्तीफ़ा करें **अल्लाह** पाक इसी में बरकत देगा जब कि सूद में बरकत तो दूर की बात है येह तो दुन्यावी माल में भी हलाकत व बरबादी का सबब है। **अल्लाह** करीम मुसलमानों को अक्ले सलीम अ़ता फ़रमाए और सूद जैसी नुहूसत से हमारे मुआशरे को महफूज फरमाए। आमीन !

तम्बीह : येह हुक्म उस ख़ास प्राइज़ बॉण्ड का है जो प्रीमियम के नाम से पहली मरतबा 40,000 का जारी हुवा है जब कि पहले से जारी शुदा दीगर प्राइज़ बॉण्ड जिन की ख़रीदो फ़रोख़्त की जाती है वोह जाइज़ हैं और उन पर हासिल होने वाला इन्आम भी जाइज़ है क्यूं कि वोह क़र्ज़ की रसीद नहीं बल्कि खुद माल हैं इसी लिये गुम होने, जल जाने या चोरी हो जाने की सूरत में उन का कोई बदल नहीं दिया जाता बल्कि जिस के हाथ में हो उसे ही मालिक समझा जाता है इसी लिये स्टेट बैंक (State bank) और हर मालियाती इदारा बल्कि हर शख़्स करन्सी की तरह ही इन बॉण्ड की ख़रीदो फ़रोख़्त करता है क्यूं कि हर शख़्स येह जानता है कि येह किसी क़र्ज़ की रसीद नहीं बल्कि खुद माल है येही वोह वाजेह फ़र्क़ है जो आ़म प्राइज़ बॉण्ड और प्रीमियम प्राइज़ बॉण्ड के माबैन है जिस की वजह से दोनों का हुक्म जुदा जुदा है ।

मोबाइल में एकाउंट बनाना कैसा ?

सुवाल एक कम्पनी ने येह स्कीम (Scheme) बनाई है कि अगर कोई शख्स अपने मोबाइल में एकाउन्ट (Account) बना लेता है और फिर रीटेलर के ज़रीए अपने एकाउन्ट में कम अज़ कम 1000 रुपिया जम्अ करवा दे और एक दिन गुज़र जाए तो कम्पनी उस शख्स को मख्सूस ता'दाद में फ़्री मिनट्स (Free Minutes) दे देती है, इस एकाउन्ट के खुलवाने के लिये कोई फ़ोर्म वगैरा फ़िल (Fill) नहीं करना पड़ता और फ़्री मिनट्स मिलना इस शर्त के साथ मशरूत होता है कि एकाउन्ट में कम अज़ कम 1000 रुपिया जम्अ रहें जैसे ही एक रुपिया इस मिक्दार से कम होगा तो येह सहूलत ख़त्म हो जाएगी। मोबाइल एकाउन्ट में एक सहूलत येह भी है कि अपने इस एकाउन्ट के ज़रीए रक़म ट्रान्सफ़र भी की जा सकती है और इस सूरत में रीटेलर (Retailer) के ज़रीए भेजने की निस्बत 22 फीसद कम

पैसे लगेगे और इस सहूलत के लिये पहले से कोई रकम होना ज़रूरी नहीं है जिस वक़्त रकम भेजनी है उसी वक़्त वोह रकम साथ में टेक्स डलवा कर ट्रान्सफ़र कर दें तो ट्रान्सफ़र हो जाएगी। टेक्स से मुराद ट्रान्सफ़र की फ़ीस है और एकाउन्ट बनाने पर भी किसी किस्म का कोई पैसा नहीं लगेगा और इस सूरत में फ़्री मिनट्स वगैरा कोई सहूलत भी नहीं मिलेगी जब कि रकम एक दिन जम्अ न रखें बल्कि उसी दिन के अन्दर ट्रान्सफ़र कर दें। इस एकाउन्ट में एक सहूलत येह भी है कि इस के ज़रीए यूटीलिटी बिल (Utility Bill) भी जम्अ करवाया जा सकता है और येह बिल जम्अ करवाने के लिये भी कोई रकम एकाउन्ट में होना ज़रूरी नहीं और इस जम्अ करवाने पर कोई टेक्स भी नहीं लगेगा और इस सूरत में फ़्री मिनट्स वगैरा कोई सहूलत भी नहीं मिलेगी जब कि रकम एक दिन जम्अ न रखें बल्कि उसी दिन के अन्दर ट्रान्सफ़र कर दें।

शर्इ रहनुमाई फ़रमाएं कि (1) इस तरह का एकाउन्ट खुलवा कर फ़्री मिनट्स लेना जाइज़ है या नहीं ? और जो रीटेलर रकम जम्अ करता है उस के लिये क्या हुक्म है ?

(2) अगर कोई इस इरादे से एकाउन्ट खुलवाए कि मैं फ़्री मिनट्स नहीं लूंगा फ़क़त रकम ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ करवाने के लिये रकम जम्अ करवाऊंगा और उसी वक़्त ही रकम ट्रान्सफ़र कर दूंगा या बिल जम्अ करवा दूंगा एक दिन गुज़रने ही नहीं पाएगा तो क्या इस तरह एकाउन्ट खुलवाना शर्अन जाइज़ है ?

(3) और अगर किसी ने एकाउन्ट खुलवा लिया है क्या वोह उस एकाउन्ट को इस नियत से बाकी रख सकता है कि वोह एक दिन तक रकम जम्अ नहीं रहने देगा बल्कि फ़क़त रकम ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ करवाने के लिये रकम जम्अ करवा कर उसी वक़्त रकम ट्रान्सफ़र कर देगा या बिल जम्अ करवा देगा ?

जवाब (1) हजार रुपै एकाउन्ट में जम्अ करवाने के बदले जो फ़्री मिनट्स मिलते हैं वोह सूद और हराम हैं, लिहाज़ा इतनी या इस से ज़ाइद रकम मज़कूरा तरीक़े पर जम्अ रखना ना जाइज़ व हराम है और जो रीटेलर जम्अ करेगा वोह भी गुनहगार है कि गुनाह के काम पर मदद कर रहा है।

तफ़सील इस में येह है कि जम्अ करवाए जाने वाले 1000 रुपै न अमानत हैं और न तोहफ़ा (हिबा) बल्कि क़र्ज़ हैं। तोहफ़ा इस लिये नहीं कि तोहफ़ा कहते हैं किसी चीज़ का दूसरे को बिला इवज़ मालिक कर देना। जब कि इस सूरत में मक्सूद उसे मालिक करना नहीं होता, मालिक करना मक्सूद होता तो पैसे वापस न लिये जाते। दुरर में है : हिबा नाम है किसी ऐन का बिगैर इवज़ मालिक कर देना।⁽¹⁾



और अमानत इस लिये नहीं कि अमानत वाले पैसों को खर्च नहीं कर सकते बल्कि बि ऐनिही वोही रक़म वापस करनी होती है जब कि यहां जम्अ करवाई गई रक़म को कम्पनी इस्ति'माल करती रहती है और वापसी में उस की मिस्ल रक़म देती है और येही कर्ज़ है। येह बात याद रहे कि कर्ज़ होने के लिये येह ज़रूरी नहीं कि कर्ज़ का लफ़्ज़ ही इस्ति'माल किया जाए, बल्कि अगर कर्ज़ का लफ़्ज़ इस्ति'माल न किया लेकिन मक्सूद वोही है जो कर्ज़ से होता है तो वोह कर्ज़ ही होगा, क्यूं कि उकूद (ख़रीदो फ़रोख़्त) में ए'तिबार मअानी का होता है। बदाइउस्सनाएअ में है : जब उस को मुज़ारबत⁽¹⁾ नहीं बना सकते हैं तो वोह कर्ज़ हो जाएगा क्यूं कि येह कर्ज़ के मा'ना में है और उकूद में इन के मअानी का ए'तिबार होता है।⁽²⁾

और कर्ज़ की ता'रीफ़ तन्वीरुल अब्सार में यूं बयान की गई है : कर्ज़ वोह अक़दे मख़सूस है जिस में मिस्ली माल (कद्रो कीमत में उसी जैसा माल) दिया जाता है इस लिये कि उस का मिस्ल वापस किया जाए।⁽³⁾ फ़तावा रज़विय्या में है : “ज़रे अमानत (अमानत के माल) में इस को तसर्फ़ुफ़ हुराम है।”⁽⁴⁾

और इस रक़म को जम्अ करवाने के बदले में हासिल होने वाली रक़म, फ़्री मिनट्स और एस.एम.एस. सब कर्ज़ से हासिल होने वाले मनाफ़ेअ हैं और जो मनाफ़ेअ कर्ज़ से हासिल होते हैं वोह सूद होते हैं। हदीसे पाक में है : **रसूलुल्लाह** ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : हर वोह कर्ज़ जो नफ़अ खींचे तो वोह सूद है।⁽⁵⁾

गुनाह पर मदद करने से कुरआने पाक में मन्अ किया गया है चुनान्वे इर्शादे खुदावन्दी है :

﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।⁽⁶⁾

(2) अगर कोई एकाउन्ट सिर्फ़ रक़म ट्रान्सफ़र करने या बिल जम्अ करवाने के लिये खुलवाए और एक दिन रक़म जम्अ न रहने दे तो इस के बा वुजूद एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ नहीं क्यूं कि जब येह बात मा'रूफ़ है कि एकाउन्ट खुलवाने के बा'द अगर एक दिन रक़म जम्अ रही तो फ़्री मिनट्स

1 ... एक जानिब से माल हो और एक जानिब से काम। (बहारे शरीअत, 3/1, हिस्सा : 14)

2 ... بدائع الصنائع، کتاب المضاربة، 5/109

3 ... در مختار، کتاب الجيوع، باب المراجعة والتولية، 7/406-407

4 ... फ़तावा रज़विय्या, 19/166

5 ... مسند الحارث، کتاب الجيوع، باب في القرض... إلخ، 1/500، حديث: 437

6 ... पारह : 6, अल माइदह : 2

मिलेंगे तो अब एकाउन्ट खुलवाने वाला गोया येह इक्बारो पैमान कर रहा है कि अगर मैं ने एक दिन रक़म जम्अ रहने दी तो फ़्री मिनट्स लूंगा और येह इक्बारो पैमान ही ना जाइज़ है अगर्चे बा'द में एक दिन रक़म जम्अ न रहने दे। फ़तावा रज़विख्या में है : “मुलाज़मत बिला इत्तिलाअ छोड़ कर चला जाना उस वक़्त तनख़्वाह क़तअ करेगा न तनख़्वाहे वाजिब शुदा को साक़ित और इस पर किसी तावान (जुर्माना) की शर्त कर लेनी मसलन नोकरी छोड़ना चाहे तो इतने दिनों पहले से इत्तिलाअ दे, वरना इतनी तनख़्वाह ज़ब्त होगी येह सब बातिल व ख़िलाफ़े शरए मुतहह है, फिर अगर इस क़िस्म की शर्ते अक़दे इजारा में (मुलाज़मत का मुआहदा करते वक़्त) लगाई गई जैसा कि बयाने सुवाल से ज़ाहिर है कि वक़ते मुलाज़मत इन क़वाइद पर दस्त ख़त ले लिये जाते हैं, या ऐसे शराइत वहां मशहूरो मा'लूम हो कर अल मा'रूफ़ कल्मशरूत हों, जब तो वोह नोकरी ही ना जाइज़ व गुनाह है, कि शर्ते फ़ासिद से इजारा फ़ासिद हुवा, और अक़दे फ़ासिद हराम है। और दोनों अक़िद (मुआहदा करने वाले) मुब्तलाए गुनाह, और इन में हर एक पर उस का फ़स्ख़ (ख़त्म करना) वाजिब है, और इस सूरत में मुलाज़िमीन तनख़्वाहे मुक़रर के मुस्तहिक् न होंगे, बल्कि अज़्रे मिस्ल (या'नी आम तौर पर बाज़ार में उस काम की जो उजरत है उतनी ही उजरत) के जो मुशाहरए मुअय्यना (तै शुदा उजरत) से ज़ाइद न हों, अज़्रे मिस्ल अगर मुसम्मा से कम हो तो उस क़दर खुद ही कम पाएंगे, अगर्चे ख़िलाफ़ वरज़ी अस्लन न करें।”⁽¹⁾

(3) ऊपर वाज़ेह हो चुका कि येह एकाउन्ट खुलवाना जाइज़ नहीं है अगर्चे रक़म एक दिन जम्अ न रहने दे क्यूं कि इस में एक ना जाइज़ मुआहदा मौजूद है और ना जाइज़ मुआहदा जिस तरह इब्तिदाअन करना जाइज़ नहीं इसी तरह उस ना जाइज़ मुआहदे को बर क़रार रखना भी जाइज़ नहीं होता लिहाज़ा जिस ने एकाउन्ट खुलवा लिया है उस पर लाज़िम है कि येह एकाउन्ट ख़त्म करे। जैसा कि ऊपर फ़तावा रज़विख्या के जुज़इये में इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने ना जाइज़ शर्त की वजह से जब अक़द को ना जाइज़ क़रार दिया तो बा'द में उस के फ़स्ख़ करने को लाज़िम क़रार दिया है।

मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स हासिल करना कैसा ?

सुवाल मोबाइल कम्पनियां मुख़्तलिफ़ क़िस्म के पेकेजिज़ देती रहती हैं ताकि लोग उन की तरफ़ माइल हों, उन ही में से एक पेकेज लोन (Loan) का भी है। इस का तरीक़ा कार येह होता है कि अगर आप के पास बेलेन्स ख़त्म हो गया है तो कम्पनी येह ओफ़र करती है कि आप लोन ले लें फिर जब आप मोबाइल में बेलेन्स डलवाएंगे तो हम ने जितने दिये हैं वोह और इतने ऊपर मज़ीद काट

1... फ़तावा रज़विख्या, 19/506, 507

लेंगे और यह बात कस्टमर को मा'लूम होती है और कस्टमर राजी हो कर लोन लेता है। मा'लूम यह करना है कि क्या इस में ज़ियादा पैसे काटना शर्अन जाइज़ है? बा'ज़ लोग कहते हैं यह सूद है क्या यह बात दुरुस्त है?

जवाब मज़कूर मुआमला हरगिज़ सूद नहीं बल्कि एक जाइज़ तरीका है क्यूं कि यह इजारा है कर्ज़ नहीं कि यहां कम्पनी से पैसे वुसूल नहीं किये जा रहे बल्कि उस की सर्विस इस्ति'माल की जा रही है। उम्मी तौर पर कम्पनी पहले पैसे ले लेती है और फिर सर्विस फ़राहम करती है जब कि पूछी गई सूरत में कम्पनी पहले सर्विस फ़राहम कर रही है और फिर पैसे वुसूल कर रही है और यह दोनों तरीके जाइज़ हैं या'नी मन्फ़अत फ़राहम करने से पहले इवज़ ले लेना भी दुरुस्त है और मन्फ़अत फ़राहम करने के बा'द इवज़ लेना यह भी दुरुस्त है। अगरचें पहली सूरत में इवज़ कम वुसूल किया जा रहा है और दूसरी सूरत में इवज़ ज़ियादा लिया जा रहा है और कम्पनी को इस बात का हक़ हासिल है कि वोह पेशगी सर्विस आम रेट से हट कर कुछ ज़ियादा कीमत पर फ़राहम करे जैसे नक़द व उधार की कीमतों में फ़र्क़ करना जाइज़ होता है नीज़ सारिफ़ को भी यह बात मा'लूम है कि बा'द में अदाएगी की सूरत में यह सर्विस मुझे आम कीमत से हट कर कुछ ज़ियादा कीमत पर फ़राहम की जाएगी और वोह इस बात पर राजी है तो इस में कोई हरज नहीं। अलबत्ता इस बात का ख़याल रखा जाए कि इस सहूलत को लोन (Loan) का नाम न दिया जाए क्यूं कि इस से यह शुबा लाहिक़ होता है कि कम्पनी कर्ज़ दे कर उस पर नफ़अ वुसूल कर रही है और बा'ज़ लोगों ने इसे सूद समझ भी लिया हालां कि इस को सूद समझना ग़लत है क्यूं कि कम्पनी यहां पैसे नहीं बल्कि सर्विस दे रही है।

तन्वीरुल अब्सार में है : किसी शै के नफ़अ का इवज़ के बदले मालिक बना देना इजारा है।⁽¹⁾ हिदाया में है : तीन में से एक सूरत के पाए जाने से मूजिर उजरत का मुस्तहिक़ होगा, पहले देने की शर्त कर ले, या बिग़ैर शर्त के पहले उजरत वुसूल कर ले या मुस्ताजिर, इजारे पर ली गई चीज़ से फ़ाएदा उठा ले।⁽²⁾

इमाम कमालुद्दीन इब्ने हुमाम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : नक़द की सूरत में समन एक हज़ार होना और उधार की सूरत में दो हज़ार होना सूद के हुक्म में नहीं।⁽³⁾



1... در مختار، کتاب الاجاره، 9/6-7

2... هداية، کتاب الاجارات، باب الاجر متى يستحق، 1/231

3... فتح القدير، کتاب الميوع، باب الميع الفاسد، 6/81

लकी वाली कमेटी

लकी कमेटी दो तरह की होती है : (1) **पैसे दे कर सामान लेना** : इस की सूरत यूं होती है कि लोग पैसों के ज़रिए से कमेटी डालते हैं जिस की कमेटी खुलती चली जाती है वोह मोटर साइकिल (Motorcycle) वगैरा ले जाता है और बाकी अदाइगियों से आज़ाद हो जाता है। ऐसी कमेटी ना जाइज़ है कि इस में जहालत पाई जा रही है। किसी को मोटर साइकिल एक ही कमेटी पर मिल रही है तो किसी को दो पर और जिस का नाम कमेटी में नहीं निकलता उसे पूरी कीमत पर। लिहाज़ा ऐसी ख़रीदो फ़रोख़्त जिस के अन्दर चीज़ या कीमत में जहालत हो वोह जाइज़ नहीं होती। फ़तावा आलमगीरी में है : मबीअ (बेची जानी वाली चीज़) और कीमत में जहालत का होना ख़रीदो फ़रोख़्त के जाइज़ होने में रुकावट है।⁽¹⁾

(2) **पैसे दे कर पैसे लेना** : मसलन एक लाख की कमेटी है सब ने पांच पांच हज़ार डाले, अब जिस की पहली कमेटी खुल गई वोह बक़िय्या अदाइगियां नहीं करेगा। पहली कमेटी वाला पांच हज़ार दे कर पिचानवे हज़ार का नफ़अ ले रहा है और दूसरी कमेटी वाला दस हज़ार दे कर नव्वे हज़ार का नफ़अ ले रहा है येह जूआ और क़र्ज़ पर नफ़अ लेना है जो कि ना जाइज़ व ह़राम है।

बोली वाली कमेटी

लकी कमेटी की तरह बोली वाली कमेटी भी ना जाइज़ और गुनाह है। इस की सूरत कुछ यूं होती है कि मसलन बीस हज़ार की कमेटी होगी। मिम्बरान में से कोई एक कहता है मुझे इस माह पैसों की ज़रूरत है लिहाज़ा मुझे पन्दरह हज़ार ही दे दिया जाए तो उसे पन्दरह हज़ार दे दिया जाता है और बाकी बचे हुए पैसे सब मिम्बरान के माबैन तक्सीम होते हैं। येह बाकी बची हुई रक़म जो आपस में तक्सीम की जाती है वोह लेना जाइज़ नहीं क्यूं कि येह पैसे बैए फ़ासिद⁽²⁾ में आ रहे हैं और बैए फ़ासिद में जो नफ़अ आता है वोह सूद होता है। बहूर्राइक़ में है : हर बैए फ़ासिद सूद है।⁽³⁾

1... فتاویٰ ہندیہ، کتاب البیوع، الباب التاسع فیما یجوز بیعہ و ما لا یجوز، 3/122

2... अगर रुकने बैअ (या'नी ईजाब व क़बूल या चीज़ के लेने देने में) या महल्ले बैअ (या'नी मबीअ) में ख़राबी न हो बल्कि इस के इलावा कोई ख़राबी हो तो वोह बैए फ़ासिद है मसलन समन (कीमत) ख़मर (शराब) हो या जो चीज़ बेची है उस को किसी वजह से ख़रीदार के हवाले न कर सकता हो या बैअ में कोई शर्त अक्द के तकाज़े के खिलाफ़ हो।

(बहारे शरीअत, 2/696, हिस्सा : 11 ब तसरुफ़)

3... بحر الرائق شرح کنز الدقائق، کتاب البیوع، باب المیع الفاسد، 6/112

सबक नम्बर 29

जदीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात

गाहक सूट सीने के लिये दे जाए लेकिन वापस न आए तो दरज़ी क्या करे ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरी दरज़ी की दुकान है। बा'ज अवकात हमें गाहक सूट सिलाई करवाने के लिये दे कर चले जाते हैं फिर वापस लेने नहीं आते और इस तरह दो दो, तीन तीन साल गुज़र जाते हैं। हमारे लिये शरीअत का क्या हुक्म है जब कि इस में हमारी मेहनत भी है और अख़्ताजात भी ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप अजीरे मुशतरक हैं और अजीरे मुशतरक के पास जो लोग काम ले कर आते हैं उस की शर्ई हैसियत अमानत और वदीअत की है जिस का हुक्म येह है कि जब तक उस चीज़ का मालिक नहीं आता उस की हिफ़ाज़त करें, उसे बेचने या सदका करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं। नीज़ उसे अपनी उजरत में शुमार करना भी आप के लिये जाइज़ नहीं क्यूं कि उजरत के मुस्तहिक् होने के लिये उस चीज़ का मालिक को सिपुर्द करना ज़रूरी है तो जब तक मालिक न आ जाए और वोह चीज़ उसे दे न दें कुछ वुसूल नहीं कर सकते।

मश्वरा : हर आने वाले गाहक से उस का एड्रेस और फ़ोन नम्बर ज़रूर मा'लूम कर लिया करें ताकि वक्ते ज़रूरत राबिता किया जा सके।

दरज़ी के पास बचे हुए कपड़े के बारे में हुक्म

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा भाई दरज़ियों का काम करता है, गाहक सूट के हिसाब से कपड़ा दे कर जाते हैं, और वोह अपनी कारीगरी से काट कर उस में से कुछ न कुछ कपड़ा बचा लेता है, और बा'ज अवकात एक ही घर के कई जोड़े एक ही थान से होते हैं, अगर उन को एहतियात से काटा जाए तो उन से ज़ियादा कपड़ा बच जाता है जो ब आसानी इस्ति'माल में लाया जा सकता है या'नी उस से छोटे बच्चों का एकआध सूट बन जाता है, क्या येह बचा हुआ कपड़ा हम अपने इस्ति'माल में ला सकते हैं या नहीं, बराए करम शर्ई रहनुमाई फ़रमाएं।

जवाब सूरते मस्क़ला में आप का भाई अजीरे मुशतरक (**अजीरे मुशतरक :** जिस के लिये किसी वक्ते ख़ास में एक ही शख्स का काम करना ज़रूरी न हो, उस वक्ते में दूसरे का भी काम कर सकता हो, जैसे धोबी, ख़य्यात (दरज़ी)) है, और अजीरे मुशतरक के हाथ में लोगों की चीज़ अमानत होती है, लिहाज़ा सूट सीने के बा'द जो काबिले इन्तिफ़ाअ (जिस से फ़ाएदा उठाया जा सके) कपड़ा बच जाए, तो वोह भी आप के

भाई के हाथ में अमानत है, इस का हुक्म यह है कि मालिक को वापस कर दिया जाए, मालिक की इजाजत के बिना अपने इस्ति'माल में लाना ना जाइज व हराम है, हां ! अगर मालिक उस के इस्ति'माल की इजाजत दे दे या वोह काबिले इन्तिफाअ नहीं बल्कि बिल्कुल मा'मूली मिक्दार में है जैसे कतरन, तो उस के इस्ति'माल में हरज नहीं लेकिन कतरन से मुराद बहुत बारीक कतरन है, येह नहीं कि आधे गज को कतरन का नाम ले रख लिया जाए ।

रही कागज़ात की खरीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल उर्दू या और ज़बान में लिखे हुए कागज़ या अख़्बारात की दुकानदारों के हाथ खरीदो फ़रोख़्त करना और उस से मुनाफ़अ हासिल करना कैसा है ?

जवाब रही कागज़ात या अख़्बारात की वोह मिक्दार जो उर्फ़न माल समझी जाती हो उस की खरीदो फ़रोख़्त जाइज है और उस पर मिलने वाला मुनाफ़अ भी जाइज है । अलबत्ता दो बातें पेशे नज़र रहें : (1) अगर उन में आयात व अहादीस या अस्माए मुअज़्ज़मा (या'नी **अल्लाह** पाक, अम्बियाए किराम और फ़िरिशतों वगैरा के नाम) या मसाइले शरअ हों तो उन को दुकानदारों के हाथों बेचने की इजाजत नहीं और (2) अगर उन कागज़ात में येह मुक़द्दस तहरीरात न हों या उन को अलाहदा कर लिया गया हो तो अब बेचने में हरज नहीं चुनान्वे इमामे अहले सुन्नत, आ'ला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رحمة الله عليه इसी किस्म के एक सुवाल के जवाब में इर्शाद फ़रमाते हैं : जब कि उन में आयत या हदीस या अस्माए मुअज़्ज़मा या मसाइले फ़िक्ह हों तो (बेचना) जाइज नहीं वरना हरज नहीं उन अवराक़ को देख कर अश्याए मज़कूरा उन में से अलाहदा कर लें फिर बेच सकते हैं । अलमगीरी में है : किसी चीज़ को किसी ऐसे कागज़ में लपेटना कि जिस में इल्मे फ़िक्ह के मसाइल लिखे हों जाइज नहीं, और कलाम में बेहतर येह है कि ऐसा न किया जाए अलबत्ता इल्मे तिब की किताबों में ऐसा करना जाइज है और अगर उस में **अल्लाह** पाक का मुक़द्दस नाम या हुज़ूर عليه السلام का इस्मे गिरामी तहरीर हो तो उसे मिटा देना जाइज है ताकि उस में कोई चीज़ लपेटी जा सके और **अल्लाह** पाक सब कुछ ब ख़ूबी जानता है ।⁽¹⁾

इन्सानी बालों की खरीदो फ़रोख़्त जाइज नहीं

सुवाल इन्सान के बालों की खरीदो फ़रोख़्त करना कैसा है ?

¹ ... फ़तावा रज़विय्या, 23/401 ता 402

जवाब इन्सान के बालों की खरीदो फ़रोख़्त करना ना जाइज़ व गुनाह है। चुनान्चे अल्लामा शामी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : इन्सान के बालों की बैअ और इन से नफ़अ हासिल करना ना जाइज़ है।⁽¹⁾ इसी तरह बहूर्राइक़ शर्हें कन्जुदकाइक़ में है : इन्सान के बालों की बैअ और इन से नफ़अ हासिल करना ना जाइज़ है।⁽²⁾ सदरुशरीअह, बदरुत्तरीक़ह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : इन्सान के बाल की बैअ दुरुस्त नहीं और इन्हें काम में लाना भी जाइज़ नहीं, मसलन इन की चोटियां बना कर औरतें इस्ति'माल करें हराम है, हदीस में इस पर ला'नत फ़रमाई।⁽³⁾

मार्केट रेट से महंगी शै बेचना

सुवाल अगर कोई शख्स बिगैर धोका देही के किसी शख्स को मार्केट रेट (Market rate) से तीन गुना ज़ियादा महंगी चीज़ बेच देता है तो क्या मा'लूम होने पर ख़रीदार को येह इख़्तियार हासिल होगा कि वोह उस सौदे को केन्सल (Cancel) कर दे ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर बेचने वाले ने मार्केट रेट से तीन गुना ज़ियादा बेचने में किसी किस्म का धोका नहीं दिया तो बाहमी रिज़ामन्दी से मुअ़किद होने वाले इस सौदे को अब ख़रीदार केन्सल नहीं कर सकता, हां अगर धोके की सूरत पाई गई तो फिर ख़रीदार इस सौदे को केन्सल करा सकता है। इस सूरत में धोके की मिसाल फ़ुक़हाए किराम येह बयान फ़रमाते हैं मसलन बेचने वाला ख़रीदार से कहे मेरे इस सामान की इतनी कीमत है या मेरा येह सामान इतनी कीमत के मुसावी है बेचने वाले की इस बात पर ए'तिबार करते हुए ख़रीदार वोह चीज़ ख़रीद ले फिर उसे इल्म हो कि बाएअ (बेचने वाले) की बात दुरुस्त नहीं है और इस चीज़ की कीमत कम है तो बेचने वाले के इस धोके की वजह से ख़रीदार वोह चीज़ वापस कर सकता है जब कि किसी और वजह से शर्अन वापसी का हक़ ख़त्म न हो गया हो।

तब्यीनुल ह़काइक़ में है : जब बाएअ ने मुश्तरी (ख़रीदने वाले) से कहा : मेरे सामान की कीमत इतनी है या कहा : मेरा सामान इतने के बराबर है ख़रीदार ने इस पर बिना करते हुए ख़रीद लिया फिर इस का ख़िलाफ़ ज़ाहिर हुवा तो बाएअ के ख़रीदार को धोका देने के सबब ख़रीदार के लिये इस बैअ को रद करने का इख़्तियार होगा और अगर ऐसा कुछ नहीं कहा तो अब बैअ रद करने का हक़ नहीं



1... رد المحتار کتاب البیوع، مطلب الآدمی مکرم شرعاً ولو کافر، 245/7

2... بحر الرائق، کتاب البیع، باب بیع الفاسد، 133/6

3... बहारे शरीअत, 2/700, हिस्सा : 11

होगा। बा'ज फ़ुक्हा ने फ़रमाया कि बैअ जिस तरह भी हो रद नहीं कर सकते मगर सहीह येह है कि अगर धोका हुवा है तो रद का हुक्म दिया जाएगा वरना रद का हुक्म नहीं।⁽¹⁾

सदरुशरीअह, बदरुत्तरीकह मुफ़्ती मुहम्मद अमजद अली आ'ज़मी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : कोई चीज़ ग़बने फ़ाहिश के साथ ख़रीदी है उस की दो सूरतें हैं धोका दे कर नुक़सान पहुंचाया है या नहीं अगर ग़बने फ़ाहिश के साथ धोका भी है तो वापस कर सकता है वरना नहीं। ग़बने फ़ाहिश का येह मतलब है कि इतना टोटा (घाटा) है जो मुक़व्विमीन (कीमत लगाने वालों) के अन्दाजे से बाहर हो मसलन एक चीज़ दस रुपै में ख़रीदी कोई उस की कीमत पांच बताता है कोई छे कोई सात तो येह ग़बने फ़ाहिश है और अगर उस की कीमत कोई आठ (8) बताता कोई नव (9) कोई दस (10) तो ग़बने यसीर होता है। धोके की तीन सूरतें हैं कभी बाएअ मुश्तरी को धोका देता है पांच की चीज़ दस में बेच देता है और कभी मुश्तरी बाएअ को कि दस की चीज़ पांच में ख़रीद लेता है कभी दल्लाल (सौदा कराने वाला) धोका देता है इन तीनों सूरतों में जिस को ग़बने फ़ाहिश के साथ नुक़सान पहुंचा है वापस कर सकता है और अगर अजनबी शख़्स ने धोका दिया हो तो वापस नहीं कर सकता।⁽²⁾

पुरानी अदवियात को नई कीमत पर फ़रोख़्त करना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं मेडीकल स्टोर (Medical Store) चलाता हूं कुछ अदवियात हमारे पास स्टोक (Stock) रखी होती हैं बसा अवक़ात उन की कीमत बढ़ जाती है तो अब सुवाल येह है कि क्या हम उन अदवियात को नई कीमत पर फ़रोख़्त कर सकते हैं या हमें इन अदवियात को पुरानी कीमत पर ही फ़रोख़्त करना होगा ?

जवाब जब दुकानदार ने कोई माल ख़रीद लिया तो दुकानदार उस माल का मालिक बन गया अब वोह उस माल को अपनी मरज़ी और मन्शा के मुताबिक़ फ़रोख़्त कर सकता है, उसूली तौर पर तो वोह मालिक है, जितने का चाहे फ़रोख़्त करे, अलबत्ता फ़ुक्हाए किराम ने हुक्काम को भी येह इख़्तियार दिया है कि वोह अश्या की कीमतें मुक़र्रर कर सकते हैं। लिहाज़ा अगर हुक्मत की तरफ़ से किसी चीज़ के रेट मुक़र्रर कर दिये जाते हैं और महंगा बेचने पर क़ानूनी मुआमलात का सामना करना पड़ सकता है तो फिर ज़ाहिर है कि हमें क़ानून के मुताबिक़ अपनी अश्या को फ़रोख़्त करना होगा कि वोह जाइज़ बात जिस से क़ानून रोकता हो उस से बाज़ रहना शर्अन भी वाजिब हो जाएगा। लिहाज़ा अगर पुराने स्टोक



के बारे में क़ानून ख़ामोश हो या नई कीमत से बेचने पर पाबन्दी न हो तो आप पुराने स्टॉक को नई कीमत से फ़रोख़्त कर सकते हैं अगर क़ानूनी पाबन्दी हो तो फिर क़ानून पर अमल करना लाज़िम है।

गाहक को किसी और के पास भेजने पर कमीशन लेना

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा काम वेब डीज़ाइनिंग (Designing) का है। कभी ऐसा होता है कि हम से कोई वेबसाइट बनवाने के लिये मेल या फ़ोन पर राबिता करता है लेकिन वक़्त न होने की वजह से हम उसे किसी और के पास भेज देते हैं और जिस के पास हम ने यह गाहक रीफ़र (Refer) किया उस से कुछ नफ़अ तै कर लेते हैं। क्या ऐसी सूरत में हमारा उस वेबसाइट बनाने वाले से नफ़अ लेना दुरुस्त है ?

जवाब सूरते मस्ऊला में फ़क़त आप का उस कस्टमर को दूसरे वेब डीज़ाइनर (Web Designer) के पास रीफ़र करने पर मुआवज़ा या कमीशन लेना दुरुस्त नहीं क्यूं कि दूसरे के पास भेजना कोई ऐसा काम नहीं जिस पर मुआवज़ा लिया जाए, अलबत्ता अगर आप उर्फ़ के मुताबिक़ कुछ मेहनत करें, भागदौड़ करें अपना वक़्त सर्फ़ करें तो फिर आप के लिये कमीशन लेना दुरुस्त हो जाएगा। महज़ ज़बानी जम्अ खर्च को फुक़हा ने इस मसअले में काबिले मुआवज़ा काम में शुमार नहीं किया।

एक मरतबा दो पार्टियां मिलवाने पर बार बार कमीशन वुसूल करना

सुवाल ब्रोकर एक पार्टी को दूसरी पार्टी से मिलवा देता है और उन के दरमियान सौदा मुकम्मल हो जाता है और ब्रोकर अपनी ब्रोकरी ले लेता है, लेकिन बा'द में भी जब कभी येह दोनों पार्टियां आपस में कोई सौदा करती हैं तो क्या ब्रोकर को दोबारा कमीशन देना होगा ? क्या उस दूसरे सौदे पर कमीशन लेना ब्रोकर का हक़ है ?

जवाब सूरते मस्ऊला के मुताबिक़ काम करवाने के बा'द जब ब्रोकर अपना तै शुदा कमीशन ले चुका तो आइन्दा के लिये दोनों पार्टियां आज़ाद हैं, चाहे खुद काम करें, चाहे किसी मो'तबर ज़रूरत की बुन्याद पर ब्रोकर के ज़रीए काम करवाएं। अगर आइन्दा ब्रोकर इन दोनों पार्टियों के लिये काम नहीं करता तो वोह आइन्दा किसी ऐसे सौदे पर मुआवज़े का मुस्तहक़ नहीं होगा जो फ़रीक़ैन ने अज़ खुद किया हो। ब्रोकर का एक मरतबा फ़रीक़ैन को मिलवा कर उन का सौदा करवा कर येह समझना कि मैं ने दोनों पार्टियों को मिलवाया है, लिहाज़ा अब ता हयात या लम्बे अर्से तक मुझे घर बैठे हर मरतबा उन के अज़ खुद होने वाले सौदे के बदले कमीशन मिलना चाहिये। येह बिला शुबा गैर शर्ई मुआमला और ग़लत सोच है, न तो ऐसी सूरत में ब्रोकरी का तकाज़ा करना दुरुस्त है और

न ही इस सूरत में ब्रोकर लेना ब्रोकर का हक है। बहुत सारी मार्केटों में येह ना जाइज तरीका राइज है कि एक बार सौदा करवाने के बा'द जब भी वोह दोनों पार्टियां बाहम रिजामन्दी से कोई सौदा करें तो ब्रोकर अपना कमीशन मांगता है येह जाइज नहीं।

दो पार्टियों का दरमियान से ब्रोकर को हटा देना

सुवाल जायदाद के लेनदेन में जब ब्रोकर दो पार्टियों को मिलवाता है तो पार्टियां ब जाहिर ब्रोकर पर येह जाहिर करती हैं कि वोह इस सौदे या रेट वगैरा से मुत्तफिक नहीं, लेकिन बा'द में ब्रोकर को हटा कर खुद सौदा कर लेती हैं। क्या ऐसी सूरत में ब्रोकर अपनी ब्रोकरी का मुतालबा कर सकता है ?

जवाब सूरते मस्कूला में पार्टियों का ब्रोकर को दरमियान से हटाने की दो सूरतें बन सकती हैं : एक येह कि वाकिअतन फ़िलहाल उन को येह सौदा या रेट समझ न आए हों इस लिये इन्कार किया हो तो ऐसी सूरत में अख़्लाक़न येही ज़ियादा बेहतर है कि दोबारा अगर ज़ेहन बने, तब भी ब्रोकर की ख़िदमात के ज़रीए काम किया जाए कि उस ने जो मेहनत की थी वोह जाएअ न हो और उसे उस का सिला मिले और यहां ब्रोकर के काम करने का मक्सद और गुन्जाइश मौजूद है मसलन काग़ज़ात का ट्रान्सफ़र पैसों के लेनदेन के मुआमलात और कई चीज़ें ऐसी हैं जो ब्रोकर के ज़रीए से करवाई जा सकती हैं।

दूसरी सूरत येह है कि अगर फ़रीक़ैन या कोई एक फ़रीक़ जान बूझ कर वक़्ती तौर पर ब्रोकर को हटाने के लिये झूट बोलता है कि मुझे येह सौदा, जायदाद या रेट पसन्द नहीं हालां कि हकीक़त में ऐसा नहीं, तो इस में दो गुनाह तो ज़रूर पाए जा रहे हैं। अव्वल मुसल्मान को ज़रर पहुंचाने का क्यूं कि ब्रोकर ने जो मेहनत की, उसे उस की मेहनत के बा वुजूद कमीशन से महरूम करना नाहक़ ज़रर है। दूसरा गुनाह झूट बोलने का है कि ब्रोकर को निकालने के लिये जो भी ख़िलाफ़े वाक़ेअ बात कही जाएगी, वोह झूट पर मुश्तमिल होगी और झूट बोलना जाइज नहीं।

दो तरफ़ा ब्रोकर लेना कैसा ?

सुवाल ब्रोकर का ख़रीदार और फ़रोख़्त कुनन्दा दोनों से ब्रोकर लेना कैसा है ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर किसी जगह दो तरफ़ा ब्रोकर लेने का उर्फ़ हो तो ब्रोकर का दो तरफ़ा ब्रोकर लेना जाइज है। अलबत्ता ब्रोकर के लिये येह ज़रूरी है कि ब्रोकर दोनों तरफ़ से भागदौड़ करे और कोशिश व सई करे। दो तरफ़ा ब्रोकर लेना उसी वक़्त जाइज है जब सौदा तै करवाते वक़्त किसी

एक की नुमायन्दगी न करे अगर किसी एक की नुमायन्दगी करेगा तो फिर सामने वाली पार्टी से ब्रोकरी नहीं ले सकता बल्कि सिर्फ उसी से ब्रोकरी लेने का हकदार होगा जिस की उस ने नुमायन्दगी की है। इस को यूं समझिये कि एक ब्रोकर ने दोनों पार्टियों को मिलवाने के लिये अपनी ज़िम्मेदारी पूरी तरह अदा की और दोनों से तै किया कि आप दोनों मुझे इतना कमीशन देंगे लेकिन हुवा येह कि जब दोनों अस्ल फ़रीक़ के बैठ कर सौदा साइन करने या ज़बानी तौर पर सौदा पक्का करने और ईजाब व क़बूल का मौक़अ आया तो एक फ़रीक़ ने ब्रोकर से कह दिया कि मैं नहीं आ सकूंगा मेरी तरफ़ से तुम दूसरी पार्टी से येह डील फ़ाइनल कर लो तो ऐसी सूरत में चूँकि एक फ़रीक़ खुद या ब्रोकर के इलावा उस का कोई और नुमायन्दा मौजूद नहीं था बल्कि ब्रोकर या कमीशन एजन्ट को एक फ़रीक़ की नुमायन्दगी करना पड़ी तो ऐसी सूरत में ब्रोकर दो तरफ़ से कमीशन नहीं ले सकता सिर्फ़ उस फ़रीक़ से कमीशन वुसूल करने का हक़दार है जिस का नुमायन्दा बन कर उस ने सौदा फ़ाइनल किया। इस के बर ख़िलाफ़ ज़ेरे बहूस सूरत में अगर अस्ल फ़रीक़ ब्रोकर के इलावा किसी और को अपना नुमायन्दा बना कर भेजता या खुद आ कर डील फ़ाइनल करता तो ब्रोकर शर्ई ए'तिबार से दो तरफ़ा ब्रोकरी या कमीशन का हक़दार ठहरता।⁽¹⁾

ब्रोकर का टोप मारना कैसा ?

सुवाल ब्रोकर बसा अवक़ात इस तरह करते हैं कि प्रोपर्टी के मालिक को कम पैसे बताते हैं और ख़रीदने वाले को ज़ियादा पैसों में फ़रोख़्त करते हैं और दरमियान के पैसे खुद रख लेते हैं मिसाल के तौर पर एक प्रोपर्टी पचास लाख की फ़रोख़्त करने के बा'द प्रोपर्टी के मालिक को कहा कि येह पेंतालीस लाख की फ़रोख़्त की है ब्रोकर का ऐसा करना कैसा है ? इसे ब्रोकरज़ की इस्तिलाह में टोप मारना कहा जाता है।

जवाब पूछी गई सूरत में ब्रोकर का इस तरह करना धोका और ह़राम है इस की वजह येह है कि ब्रोकर एक नुमायन्दे की हैसियत रखता है न ही उस का माल है और न ही रक़म। लिहाज़ा ब्रोकर पर येह बात लाज़िम है कि प्रोपर्टी जितने की भी फ़रोख़्त हुई है उस की कुल रक़म मालिक के हवाले करे।



ब्रोकर का पार्टी को मार्केट वेल्यू से जाइद कीमत बताना

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं अपनी एक प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ जिस की मार्केट वेल्यू तीस लाख रुपै है लेकिन ब्रोकर पार्टी से बत्तीस लाख मांग रहा है क्या ऐसा करना जाइज है ?

जवाब अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी के मालिक की इजाजत से किसी पार्टी से ज़ियादा पैसे मांगता है तो उसे इस तरह करना जाइज है इस में कोई शर्ई क़बाहत नहीं क्यूं कि आम तौर पर जितने की चीज़ बेचनी हो उस से ज़ियादा पैसे बता कर बार्गेनिंग की जाती है ताकि सामने वाला पैसे कम भी करवाए तो मतलूबा हदफ़ के मुताबिक़ चीज़ बिक जाए। अलबत्ता अगर ब्रोकर प्रॉपर्टी के मालिक से झूट बोले मिसाल के तौर पर प्रॉपर्टी बत्तीस लाख की फ़रोख़्त करे और मालिक से कहे कि तीस लाख की बेची है तो येह ना जाइज है क्यूं कि इस में मालिक को धोका देना और झूट बोलना लाज़िम आ रहा है और येह रक़म भी उस के लिये हलाल न होगी।

ब्रोकर का पार्टी से चीज़ ख़रीद कर आगे बेचना कैसा ?

सुवाल कभी ऐसा होता है कि ब्रोकर के पास कोई ऐसी पार्टी आती है जिसे अपनी प्रॉपर्टी की सहीह़ कीमत मा'लूम नहीं होती तो ब्रोकर उस पार्टी से वोह प्रॉपर्टी सस्ते दाम ख़रीद कर कुछ अ़सें बा'द महंगे दामों मार्केट में फ़रोख़्त कर देता है क्या ब्रोकर का इस तरह करना दुरुस्त है ?

जवाब पूछी गई सूरत में ब्रोकर का पार्टी से सस्ते दामों प्रॉपर्टी ख़रीद कर खुद मालिक बन कर अपनी उस चीज़ को महंगे दामों फ़रोख़्त करना जाइज है अलबत्ता येह बात ज़रूरी है कि ब्रोकर पार्टी से किसी किस्म की ग़लत बयानी या झूट से काम न ले मसलन पार्टी ने ब्रोकर से पूछा कि आज कल मेरी प्रॉपर्टी जैसी प्रॉपर्टी की क्या वेल्यू चल रही है तो ब्रोकर जान बूझ कर वोह वेल्यू बताए जो मार्केट रेट से कम हो या फिर उस प्रॉपर्टी के मुतअल्लिक़ कहे कि आज कल ख़रीदार नहीं आ रहे वगैरा, और येह बात हकीक़त के ख़िलाफ़ हो तो इस तरह ब्रोकर का पार्टी से झूट बोलना उसे धोका देना ग़ैर शर्ई अ़मल है जो कि हरगिज़ हरगिज़ जाइज नहीं। अलबत्ता अगर झूट बोले और धोका दिये बिगैर ब्रोकर कोई प्रॉपर्टी सस्ते दामों ख़रीद ले और क़ब्ज़ा करने के बा'द महंगे दामों फ़रोख़्त करे तो येह जाइज है।

छुट्टियों की तनख़्वाह लेने का हुक्म

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं एक मुलाज़िम हूँ अगर मैं दस दिन नोकरी पर नहीं जाता तो मेरे लिये उन दस दिनों की तनख़्वाह लेना हलाल है या हराम ?

जवाब पूछी गई सूरत में अगर छुट्टी कर के येह ज़ाहिर किया गया कि मैं हाज़िर था और उन दिनों की हाज़िरी लगा दी गई तो उन दिनों की तनख़्वाह लेना हलाल नहीं और अगर येह ज़ाहिर किया कि मैं ग़ैर हाज़िर था तो इस सूरत में कम्पनी और मुलाज़िम के दरमियान होने वाला मुआहदा देखा जाएगा कि वोह क्या था ? अपने मुलाज़िमीन के साथ मुआहदा करने के कम्पनियों में मुख़्तलिफ़ तरीक़े हैं और छुट्टियों की भी मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, कम्पनियां माहाना चन्द छुट्टियों की गुन्जाइश रखती हैं कुछ सालाना छुट्टियों की गुन्जाइश रखती हैं कुछ कम्पनियों की पौलीसी येह होती है कि इतनी इतनी छुट्टियों में तनख़्वाह के साथ छुट्टियां होंगी और इस से ज़ियादा में बिग़ैर तनख़्वाह के। अल ग़रज़ कम्पनी और मुलाज़िम के दरमियान होने वाला मुआहदा ही इन मसाइल की अस्ल बुन्याद है।

काफ़िरों के इस्ति'माल शुदा कपड़े बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा पुराने कपड़ों का ठेला है और इस में ग़ैर मुस्लिमों के भी इस्ति'माल शुदा कपड़े होते हैं, हो सकता है कि पाक के साथ साथ नापाक कपड़े भी होते हों तो क्या इस तरह कपड़ों को बेचना जाइज़ है ? अगर बिलफ़र्ज़ किसी कपड़े का नापाक होना मुझे मा'लूम भी हो तो उस को बेचना कैसा है ?

जवाब कपड़े पाक हों या नापाक दोनों सूरतों में उन का बेचना जाइज़ है अलबत्ता जब तक कपड़ों का नापाक होना मा'लूम न हो उन को पाक ही समझा जाएगा। रही बात कि किसी कपड़े के बारे में आप को यकीन के साथ नापाक होने का इल्म है तब भी उस की ख़रीदो फ़रोख़्त तो जाइज़ होगी लेकिन ख़रीदार को ज़रूर बताया जाए ताकि वोह उसे पाक किये बिग़ैर इस्ति'माल न करे।

जा'ली प्रोडक्ट बेचना कैसा ?

सुवाल एक कम्पनी ने कोई प्रोडक्ट बना कर मार्केट में फ़रोख़्त करना शुरू की, अब कोई दूसरा शख़्स उसी नाम से उस प्रोडक्ट की नक़ल बनाता है और अस्ल कम्पनी का नाम इस्ति'माल कर के येह नक़ली प्रोडक्ट मार्केट में सस्ते दामों बेच रहा है। ऐसा करना कैसा है ? नीज़ उस प्रोडक्ट को सप्लाय करना और दुकानदार का उसे गाहक को बेचना कैसा है ?

जवाब किसी कम्पनी का नाम इस्ति'माल कर के जा'ली प्रोडक्ट बनाना और ख़रीदने वाले को बताए बिग़ैर बेच देना हराम है कि येह धोका है और धोका दे कर माल फ़रोख़्त करना ना जाइज़ व हराम है। मुसल्मान की तिजारत झूट, वा'दा ख़िलाफ़ी और धोका देही जैसे तमाम ख़िलाफ़े शर्'उ उमूर से पाक होना चाहिये। ब कसरत अहादीस इन कामों की मज़म्मत में वारिद हुई हैं।

फ़िल्मों और गानों की सीडीज़ बेचना कैसा ?

सुवाल जो लोग सीडी और डीवीडी सेन्टर चलाते हैं जहां फ़िल्मों और गानों पर मन्नी मटेरियल बेचा जाता है तो क्या येह कारोबार ना जाइज़ और हराम है ?

जवाब ऐसा कारोबार करना, ना जाइज़ व हराम और ऐसा कारोबार करने वाला नारे जहन्नम का मुस्तहिक् है इस काम में गुनाह पर मुआवनत है, **अल्लाह** रब्बुल इज़्ज़त ने कुरआने पाक में गुनाह पर मुआवनत से हमें बाज़ रहने का हुक्म दिया है। चुनान्वे सूरए माइदह में है : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدَاوَانِ﴾
तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।⁽¹⁾ उन लोगों पर लाज़िम है कि इस हराम काम को छोड़ कर हलाल ज़रीअए रोज़गार अपनाएं।

टीवी बेचना कैसा है ?

सुवाल घर में दो टीवी हैं, अगर उन में से एक बेचें और ख़रीदने वाला उस का ग़लत इस्ति'माल करे तो क्या गुनाह हमें मिलेगा ?

जवाब सूरते मस्क़ला में आप गुनहगार नहीं होंगे, क्यूं कि टीवी बजाते खुद बुरा नहीं, इस का इस्ति'माल अच्छा भी है और बुरा भी, ख़रीदने वाला उस का जैसा इस्ति'माल करे, इस का वबाल आप पर नहीं, इस का वोह खुद ज़िम्मेदार होगा। **अल्लाह** पाक का फ़रमान है : ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا فِي الذِّمَّةِ وَالْأَخْرَافِ﴾
तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और कोई बोझ उठाने वाली जान दूसरे का बोझ न उठाएगी।⁽²⁾

स्मर्गलिंग के बारे में शर्ई हुक्म

सुवाल स्मर्गलिंग के बारे में शरीअत का क्या हुक्म है ? या'नी दूसरे मुल्क से चांदी सोना या घड़ी और कपड़ा वगैरा ला कर बेचना शर्अ के नज़्दीक कैसा है जब कि मुल्की क़ानून के ए'तिबार से जुर्म है ? मतलब इस सूरत में जुर्म है जब छुपा कर लाया जाए और जो टेक्स बनता है वोह न दिया जाए ऐसा दो तरह से होता है एक तो रस्मी रास्तों के बजाए कश्तियों या खुफ़्या रास्तों के ज़रीए किया जाता है दूसरा येह कि सीपोर्ट या एरपोर्ट के ज़रीए ही सामान आता है लेकिन अन्दर के लोगों से खांचे होते हैं जिस की बिना पर रिश्वत वगैरा दे कर टेक्स बचा लिया जाता है ? इस बारे में रहनुमाई फ़रमाएं।

1 ... पारह : 6, अल माइदह : 2

2 ... पारह : 8, अल अन्आम : 164

जवाब जिन चीजों की खरीदो फ़रोख़्त हलाल है सिर्फ़ स्मग़्लिंग की वजह से वोह चीज़ें ह़राम नहीं हो जाएंगी अलबत्ता ऐसा तरीक़ा इख़्तियार करना, ना जाइज़ कहलाएगा। ना जाइज़ होने की वजह ज़ाहिर है कि ऐसा करना ग़ैर क़ानूनी है, पकड़े जाने पर कैदो बन्द और रुस्वाई लाज़िमी चीज़ है फिर इस काम को जारी रखने के लिये रिश्वतें देना पड़ती हैं जो खुद अलग से ह़राम काम है।

नया मोबाइल डिब्बा खुल जाने के बा'द कम कीमत में बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम डिब्बा प़ेक नया मोबाइल ले कर रक़म की अदाएंगी भी कर देते हैं मगर डिब्बा खोलने के बा'द मोबाइल पसन्द नहीं आता तो दुकानदार से वापस करने का कहते हैं तो वोह हज़ार, दो हज़ार बल्कि बा'ज़ अवक़ात इस से भी ज़ियादा रक़म कम कर के वापस करता है जिस से ख़रीदार को नुक़सान होता है, ऐसी सूरत में क्या करना चाहिये ? क्या येह सूरत सूद में दाख़िल है ?

जवाब नया मोबाइल जब खोल कर चेक करने के लिये स्टार्ट कर लिया तो उस की कीमत गिर जाती है ऐसे मौक़अ पर हमारा उर्फ़ येह है कि इस तरह का दूसरा मोबाइल देख कर पहले इत्मीनान हासिल किया जाता है फिर डिब्बाप़ेक मोबाइल ख़रीदा जाता है और अगर उस में कोई ऐब न हो तो वापस नहीं किया जाता अगर कोई वापस करना चाहे तो नई ख़रीदारी होती है या'नी वोह बा'द में आ कर दुकानदार को फ़रोख़्त करता है और ऐसी फ़रोख़्त बहुत सारी चीज़ों में होती है लोग गाड़ियां लेते हैं, महीना पन्दरह दिन इस्ति'माल करने के बा'द उसी शख़्स को जिस से ख़रीदी थी कम कीमत पर फ़रोख़्त कर देते हैं तो दूसरी डील एक नई ख़रीदारी होती है जिस में ख़रीदो फ़रोख़्त की शराइत व तफ़सील पाई जाती हों तो इस में कोई ह़रज नहीं।

बैआना ज़ब्त करना कैसा ?

सुवाल आ़म तौर पर राइज़ है कि जब एक शख़्स किसी से कोई माल ख़रीदता है तो वोह बेचने वाले को कुछ रक़म बैआना देता है फिर किसी वजह से वोह दोनों आपस में बैअ ख़त्म कर देते हैं तो बेचने वाला बैआना की रक़म ज़ब्त कर लेता है ख़रीदार को वापस नहीं करता उस का ऐसा करना कैसा है ?

जवाब सौदा ख़त्म हो जाने पर बैआना ज़ब्त करना, ना जाइज़ व गुनाह और जुल्म है। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : “बैअ न होने की हालत में बैआना ज़ब्त कर लेना जैसा कि जाहिलों में रवाज है जुल्मे सरीह है।”⁽¹⁾

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 17/4

मेरेज ब्यूरो की आमदनी का शर्ई हुक्म

सुवाल जो लोग शादियां करवाते हैं या'नी मेरेज ब्यूरो चलाते हैं वोह इस काम के पैसे लेते हैं। क्या उन का पैसा लेना जाइज है ?

जवाब निकाह करवाने और रिश्ते करवाने की उजरत ली जा सकती है या'नी येह काम जाइज है जब कि इस मुआमले में लेनदेन और उजरत के तमाम शर्ई तकाजे भी पूरे किये जाएं। आम तौर पर रिश्ता करवाने वाले रियल स्टेट की तरह दो पार्टियों को मिलाने का ही काम करते हैं। यहां येह जरूरी है कि रिश्ता करवाने वाले को काम पहले सिपुर्द किया हो और उस ने दौड़धूप और अमली मेहनत भी की हो।

चीज बेचने पर इजारा करना कैसा ?

सुवाल एक शख्स को किस्ती की दुकान पर नोकरी मिल रही है, तनख्वाह की तफ्सील येह है कि अगर वोह मार्केटिंग कर के महीने में 4 लाख की सेल करवाएगा तो उस को 25000 रुपै तनख्वाह मिलेगी और अगर इस से कम हुई तो एक लाख सेल पर 1 हजार तनख्वाह होगी, और सेल के कम ज़ियादा होने की सूरत में इसी तनासुब से तनख्वाह मिलेगी। क्या येह नोकरी जाइज है या नहीं ?

नोट : वक्त का इजारा नहीं होगा, काम पर होगा, वक्त की कोई पाबन्दी नहीं होगी नीज किस्त लेट होने पर माली जुर्माना की शर्त भी होती है।

जवाब सुवाल में मज़कूरा तरीके के मुताबिक नोकरी करना जाइज नहीं कि अव्वलन तो यहां चीज बेचने पर इजारा किया गया है या'नी अगर मुलाजिम एक लाख की अश्या फ़रोख़्त करेगा तो उसे एक हजार रुपिये मिलेंगे और अगर चार लाख की फ़रोख़्त करेगा तो उसे पच्चीस हजार रुपै मिलेंगे (इसी तरह कम ज़ियादा बेचने की सूरतें हैं) और चीज बेचने पर इजारा करना जाइज नहीं कि येह ऐसा काम है जो अजीर की कुदरत में नहीं है। और सानियन किस्त में ताख़ीर की वजह से जो माली जुर्माना की शर्त लगाई गई है येह भी जाइज नहीं क्यूं कि माली जुर्माना मन्सूख़ हो चुका है और मन्सूख़ पर अमल करना हराम है।

दुर्गे मुख़्तार और तब्बीनुल हक़ाइक़ वगैरा में है : अगर किसी को एक मुअय्यन उजरत के बदले में शै बेचने या ख़रीदने पर अजीर रखा तो येह इजारा जाइज नहीं है क्यूं कि उस को ऐसे काम पर अजीर रखा गया है जिस को करने पर वोह कादिर नहीं, इस लिये कि ख़रीदना और बेचना किसी दूसरे की कोशिश के बिगैर ताम नहीं होता और दूसरा शख्स बाएअ और मुश्तरी है लिहाज़ा अजीर उस मन्फ़अत को सिपुर्द करने पर कादिर नहीं।⁽¹⁾ रहुल मुह़तार में बहूरर्राइक़ के हवाले से है : शर्हुल आसार में है



कि ता'जीर बिल माल इब्तिदाए इस्लाम में थी फिर इस को मन्सूख़ कर दिया गया।⁽¹⁾ तब्यीनुल हकाइक़ में है : मन्सूख़ पर अमल करना हराम है।⁽²⁾

चन्दे की बच जाने वाली रक़म से प्राइज़ बॉड ख़रीदना कैसा ?

सुवाल बा'ज़ अवकात मख़सूस मद में चन्दा जम्अ करते हैं जिस में से कुछ चन्दा बच जाता है क्या उन पैसों से हम प्राइज़ बॉड ख़रीद सकते हैं ?

जवाब जिस मद के लिये चन्दा लिया गया वोह काम अगर पूरा हो जाए और चन्दा बच जाए या वोह काम न हो सके तो दोबारा चन्दा देने वालों की तरफ़ रुजूअ करना होगा और येह पैसे उन को वापस दिये जाएंगे क्यूं कि चन्दा, चन्दा देने वालों की मिल्क पर ही बाक़ी रहता है। येह भी हो सकता है कि चन्दा लेते वक़्त ही सराहत कर दें कि अगर चन्दे से पैसे बच गए तो अगली मरतबा इसी तरह के काम में ख़र्च कर देंगे, और फिर बच गया तो अगली मरतबा उसी तरह के काम में ख़र्च कर दिया जाए। वाज़ेह रहे कि चन्दे की रक़म अमानत होती है इसे मा'रूफ़ अन्दाज़ में ही ख़र्च किया जा सकता है, इस रक़म से प्राइज़ बॉड नहीं ख़रीद सकते क्यूं कि इस का उर्फ़ नहीं है। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़तावा रज़विय्या में लिखते हैं : चन्दा जिस काम के लिये किया गया हो जब उस के बा'द बचे तो वोह उन्हीं की मिल्क है जिन्होंने चन्दा दिया है, उन को हिस्सए रसद वापस दिया जाए या जिस काम में वोह कहे सर्फ़ किया जाए।⁽³⁾

जो चीज़ दुकानदार के पास नहीं है उस की ख़रीदो फ़रोख़्त

सुवाल कोई शख़्स परिन्दे की डीमान्ड करता है लेकिन वोह परिन्दा दुकानदार के पास नहीं है तो दुकानदार कहता है कि अगर आप कहो तो पचास हज़ार रुपै में मंगवा कर देता हूं। येह इर्शाद फ़रमाएं कि इस तरह ख़रीदारी करना कैसा ?

जवाब जो चीज़ मिल्कियत में न हो उसे बेचना जाइज़ नहीं। लिहाज़ा पूछी गई सूत्र में जब तक दुकानदार परिन्दा ख़रीद न ले उस वक़्त तक आगे उस का सौदा नहीं कर सकता। हां अगर सौदा न किया जाए बल्कि महज़ वा'दा कर लिया जाए तो जाइज़ है कि मैं आप को ला दूंगा और दोनों समझते हों कि येह वा'दा हो रहा है डील (Deal) नहीं हो रही, नीज़ इस वा'दे के नताइज से भी दोनों वाकिफ़



1... رد المحتار، کتاب الحدود، مطلب فی التعذیر باخذ المال، 6/98

2... تبیین الحقائق، 5/110

3... फ़तावा रज़विय्या, 16/247

हों कि वा'दा करने का येह मतलब नहीं कि वोह ख़रीदारी की तरह लाज़िम हो गया वरना वा'दे और ख़रीदारी में फ़र्क़ नहीं रहेगा बल्कि वा'दे का मतलब येह है कि किसी बिना पर उस का इरादा बदल जाए तो उस को येह हक़ हासिल है कि वोह चीज़ न ले। वा'दा करने के बा'द दुकानदार पहले वोह माल खुद ख़रीद कर ले आए फिर गाहक को बेचे। एक सूरत येह भी इख़्तियार की जा सकती है कि दुकानदार बतौर ब्रोकर अपना मुआवज़ा ले मसलन गाहक से यूँ तै कर ले कि परिन्दा जितने का भी आएगा मुझे उस पर मसलन दो सो रुपै कमीशन के तौर पर दे देना तो इस सूरत में परिन्दा दुकानदार की मिल्कियत में आना भी ज़रूरी नहीं। लेकिन येह ज़रूरी है कि दुकानदार ने जिस कीमत में ख़रीदा है वोही आगे बताना होगी क्यूं कि कमीशन वाली सूरत में दुकानदार अस्ल ख़रीदार का वकील और नुमायन्दा बन कर ख़रीद रहा है। यूँही येह मस्अला भी पेशे नज़र रहे कि ब्रोकरी या कमीशन में फ़रीक़ैन रक़म के तअय्युन करने में आज़ाद नहीं होते बल्कि उर्फ़ के मुताबिक़ इस किस्म के काम की जो ब्रोकरी बनती है सिर्फ़ वोही मुक़रर कर सकते हैं।

पुराना स्टोक नए रेट पर बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरा स्कूल यूनीफ़ॉर्म का कारख़ाना है मेरे पास स्टोक पड़ा रहता है कपड़े का रेट बढ़ा है तो क्या मैं यूनीफ़ॉर्म नए रेट पर बेच सकता हूँ ?

जवाब जो माल आप के पास रखा हुआ है वोह आप का अपना माल है अपने माल को कोई शख़्स सस्ता बेचे या महंगा इस का उसे इख़्तियार है लेकिन इतनी कीमत पर बेचें कि लोगों के लिये काबिले बरदाश्त हो, बहुत ज़ियादा महंगा बेचना अख़्लाक़िय्यात के ख़िलाफ़ है। आप अगर अपना पुराना स्टोक नए मार्केट रेट पर बेचते हैं तो इस में हरज नहीं। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “अपने माल का हर शख़्स को इख़्तियार है चाहे कोड़ी की चीज़ हज़ार रुपिया को दे, मुश्तरी को ग़रज़ हो ले, न हो न ले।”⁽¹⁾

हुकूमत की तरफ़ से मुक़रर किये गए रेट की पाबन्दी

सुवाल अपनी चीज़ हो तो जितने पैसे मुनासिब समझें उस में बेच सकते हैं लेकिन मस्अला येह है कि जब ज़ियादा पैसों में बेचते हैं तो हुकूमती इदारे जुर्माना लगा देते हैं। इस के बारे में क्या हुक्म है ?

जवाब हम ने एक शर्ई हुक्म बयान किया है। जहां तक हुकूमत की तरफ़ से रेट फ़िक्स करने की बात है तो हुकूमत हर चीज़ का रेट फ़िक्स नहीं करती, मिसाल के तौर पर कपड़ों का रेट फ़िक्स नहीं

¹... फ़तावा रज़विय्या, 17/98

होता, आम तौर पर खाने पीने की अश्या का रेट मुकर्रर होता है, पेट्रोल का रेट मुकर्रर होता है, दवाओं का रेट मुकर्रर होता है और इस की खिलाफ वज्ही पर पकड़ धकड़ होती है। इस के इलावा अक्सर चीजों में मार्केट में आजादी होती है हर चीज की कीमत हुकूमत मुकर्रर नहीं करती। जिन चीजों में हुकूमत पकड़ धकड़ करती है वहां तो हम पाबन्द हैं क्यूं कि अपने आप को जिल्लत पर पेश नहीं कर सकते लिहाजा कानून की खिलाफ वज्ही की इजाजत नहीं बल्कि वहां पर कानून की पासदारी करना लाजिम होगा। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “किसी जुर्म कानूनी का इरतिकाब कर के अपने आप को जिल्लत पर पेश करना भी मन्अ है।”⁽¹⁾

कमीशन एजन्ट का ज़ाइद कीमत पर चीज़ बेचना

सुवाल कमीशन एजन्ट कम्पनी रेट से ज़ियादा कीमत पर चीज़ बेच कर इज़ाफ़ी रक़म खुद रख सकता है ?

जवाब शर्ई क़वानीन की रू से ब्रोकर एक नुमायन्दा होता है खुद पार्टी नहीं होता बल्कि दो पार्टियों को मिलवा रहा होता है। सौदा अगर ज़ियादा पैसों में होता है तो उस पर लाजिम है कि माल बेचने वाले को उसी कीमत से आगाह करे जिस कीमत में माल बिका है और पूरी कीमत बेचने वाले के हवाले करे अस्ल कीमत में से खुद रखना और मालिकान को आगाह न करना येह हराम फ़ैल है न ही येह इज़ाफ़ी रक़म उस के लिये हलाल होगी। येह सिर्फ़ अपनी मुकर्ररा कमीशन का हक़दार है।

मुक़द्दस तहरीर वाले काग़ज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हम कोपियां, रद्दी, काग़ज़ वगैरा एक कम्पनी से सतरह (17) रुपै के हिसाब से ख़रीदते हैं और फिर उन्नीस (19) रुपै के हिसाब से आगे बेच देते हैं। अगर हम उस के पास पचास हज़ार (50000) रुपै रखवा दें तो हमें बारह, तेरह (12, 13) रुपै के हिसाब से रद्दी मिल जाएगी, यूं हमें अच्छा ख़ासा फ़ाएदा हो जाएगा। क्या ऐसा करना ठीक है ?

जवाब सब से पहले तो सुवाल येह है कि आप कौन सी रद्दी ख़रीद रहे हैं ? इस्लामिय्यात की कोपियां जिन में आयात लिखी होंगी अह़ादीस लिखी होंगी इसी तरह उर्दू की किताबों में भी दीनी

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 29/93

मजामीन होते हैं और बहुत सारा ऐसा मवाद होता है जो दीनिय्यात पर मुश्तमिल होता है ऐसी चीजों को रद्दी में बेचने और ख़रीदने की गुन्जाइश कैसे हो सकती है ? कई अख़्बारात में भी आयात, उन का तरजमा, अहदादीस और दीगर मुक़द्दस कलिमात लिखे होते हैं और कितनी बड़ी बे हिंसी है कि मुसलमान उन मुक़द्दस लिखाई वाले कागज़ात को ऐसी जगह इस्ति'माल कर रहे होते हैं जहां उन का अदबो एहतिराम बिल्कुल नहीं पाया जाता हालां कि खुद हुरूफ़ भी क़ाबिले ता'ज़ीम हैं । जैसा कि आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “हमारे उलमा तसरीह फ़रमाते हैं कि नफ़्से हुरूफ़ क़ाबिले अदब हैं अगर्चे जुदा जुदा लिखे हों जैसे तख़्ती या वस्ली पर, ख़्वाह उन में कोई बुरा नाम लिखा हो जैसे फ़िरऔन, अबू जहल वगैरहुमा ताहम हफ़ों की ता'ज़ीम की जाएगी अगर्चे इन काफ़िरो का नाम लाइके इहानतो तज़लील है । हुरूफ़े तहज्जी खुद कलामुल्लाह हैं कि हूद عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام पर नाज़िल हुए ।”⁽¹⁾

पूछी गई सूरत में भी जब मा'लूम है कि येह रद्दी पकोड़े बेचने वालों और परचून वालों को बेची जाएगी जिस की पुड़िया बना कर वोह उस में सामान बेचेंगे तो यहां उस तहरीर का एहतिराम तो नहीं पाया जाएगा हालां कि हुरूफ़े तहज्जी (Alphabets) का भी एहतिराम करने का हुक्म है फिर अगर वोह लिखाई दीनिय्यात पर मुश्तमिल है तो और ज़ियादा एहतिराम करना होगा । लिहाज़ा अव्वलन तो आप अपने कारोबार (Business) पर ग़ौर करें कि इस में क्या होता है और जो बयान किया गया है उस के मुताबिक़ अमल करें । बिलफ़र्ज रद्दी न हो बल्कि कोई और चीज़ हो तब भी येह जाइज़ नहीं कि ख़रीदने वाला एक बड़ी रक़म बेचने वाले के पास रखवा दे और इस की वजह से उस को माल सस्ता दे दिया जाए क्यूं कि जो रक़म रखवाई है वोह क़र्ज़ है और क़र्ज़ की वजह से सस्ता देना सूद है, लिहाज़ा येह तरीका जाइज़ नहीं ।

उजरत एडवान्स में लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं रिक्शा चलाता हूं स्कूल के बच्चे लगाए हुए हैं उन से हम फ़ीस एडवान्स में पहले लेते हैं वोह लेना चाहिये या नहीं ?

जवाब पूछी गई सूरत में आप का एडवान्स फ़ीस वुसूल करना, जाइज़ है क्यूं कि आप को रिक्शे के किराए की मद में मिलने वाली रक़म आप की उजरत है और किराया या उजरत पेशगी (Advance) भी वुसूल की जा सकती है, लिहाज़ा फ़रीक़ैन पेशगी उजरत पर राज़ी हैं तो कोई हरज नहीं । फ़िक्हे हनफ़ी की मशहूर किताब हिदाया में है : उजरत महज़ अक्द से वाजिब नहीं होती बल्कि तीन चीज़ों में से कोई

¹... फ़तावा रज़विय्या, 23/336, 337

एक पाई जाए तो उजरत का मुस्तहिक् होगा, या तो पेशगी देने की शर्त लगाई हो या बिगैर शर्त ही पेशगी उजरत दे दी या फिर काम पूरा हो गया।⁽¹⁾

बहारे शरीअत में है : “उजरत मिलक में आने की चन्द सूरतें हैं : (1) उस ने पहले ही से अक्द करते ही उजरत दे दी दूसरा उस का मालिक हो गया या’नी वापस लेने का उस को हक् नहीं है (2) या पेशगी लेना शर्त कर लिया हो अब उजरत का मुतालबा पहले ही से दुरुस्त है (3) या मन्फअत को हासिल कर लिया मसलन मकान था उस में मुद्दते मुकर्रर तक रह लिया या कपड़ा दरजी को सीने के लिये दिया था उस ने सी दिया (4) वोह चीज मुस्ताजिर को सिपुर्द कर दी कि अगर वोह मन्फअत हासिल करना चाहे कर सकता है न करे येह उस का फे’ल है मसलन मकान पर कब्ज़ा दे दिया या अजीर ने अपने नफ्स को तस्लीम कर दिया कि मैं हाज़िर हूं काम के लिये तय्यार हूं काम न लिया जाए जब भी उजरत का मुस्तहिक् है।”⁽²⁾

परिन्दा पकड़ा और मालिक मा’लूम नहीं तो क्या करें ?

सुवाल एक शख्स ने ओस्ट्रेलियन तोता पकड़ कर उस के पर काट दिये अब वोह उड़ नहीं सकता उस ने मुझे येह कह कर दिया कि आप ने घर में और भी तोते रखे हुए हैं येह भी रख लें जब उस के पर बड़े हो जाएं तो आज़ाद कर दीजियेगा। मैं ने इस निय्यत से रख लिया कि जब इस के पर बड़े हो जाएंगे तो मैं उसे दे दूंगा। मेरा आप से येह सुवाल है कि इस मुआमले में क्या किया जाए येह एक गुमशुदा चीज थी उन्होंने ने पकड़ लिया मा’लूम नहीं है किस का है, अब इस का क्या करें ?

जवाब शरई मस्अला येह है कि अगर कोई ऐसा परिन्दा है जिसे लोग उमूमन पालते नहीं हैं वोह उड़ कर घर में आ जाता है तो इस का हुक्म येह है कि जो पकड़ लेगा उस का हो जाएगा जैसे जंगली कबूतर या चिड़िया आज़ाद घूम रहे होते हैं आम तौर पर किसी की मिल्कियत नहीं होते इस तरह के दीगर परिन्दे जो पकड़ेगा वोह उसी की मिल्क होंगे। जब कि बा’ज जानवर व परिन्दे वोह हैं जिन के बारे में हमें पता है कि इन का कोई न कोई मालिक है जैसे ओस्ट्रेलियन तोते का मुआमला भी ऐसा ही है कि येह आम परिन्दा नहीं है बल्कि लोग इसे खरीद कर पालते हैं और ज़ियादा तर येह पिंजरो में रहते हैं कभी पिंजरा खुला होगा तो येह उड़ गया होगा। इस का हुक्म लुक्ते वाला है कि इस की तशहीर करे अगर मालिक मिल जाए तो उसे वापस करे अगर मालिक न मिले और ज़न्ने ग़ालिब हो जाए कि



मालिक अब उसे तलाश न करता होगा तो उसे सदका कर दे। वाजेह रहे कि अगर पकड़ने वाले ने इस निय्यत से पकड़ा कि खुद रख लेगा मालिक तक नहीं पहुंचाएगा तो येह हराम व गुनाह है और येह गासिब करार पाएगा।

बहारे शरीअत में है : “बाज या शिकरा वगैरा पकड़ा जिस के पाउं में झुन्झुनी बंधी है जिस से घरेलू मा’लूम होता है तो येह लुक्ता है ए’लान करना ज़रूरी है। यूंही हिरन पकड़ा जिस के गले में पट्टा या हार पड़ा हुआ है या पालतू कबूतर पकड़ा तो ए’लान करे और मालिक मा’लूम हो जाए तो उसे वापस करे।”(1)

लुक्ते का हुक्म बयान करते हुए सदरुशरीअह رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ लिखते हैं : “मुल्तक़ित पर तश्हीर लाज़िम है या’नी बाज़ारों और शारेए आ़म और मसाजिद में इतने ज़माने तक ए’लान करे कि ज़न्ने ग़ालिब हो जाए कि मालिक अब तलाश न करता होगा। येह मुद्दत पूरी होने के बा’द इसे इख़्तियार है कि लुक्ते की हिफ़ाज़त करे या किसी मिस्कीन पर तसद्दुक कर दे।”(2)

क्रेडिट कार्ड इस्ति’माल करना कैसा है ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्ति’माल कर रहा हूं। अगर मैं चालीस दिन के अन्दर उस की अदाएगी कर देता हूं तो सूद भी नहीं देना पड़ता तो क्या येह कार्ड मैं इस्ति’माल कर सकता हूं ? येह सूद के जुमे में तो नहीं आता ?

जवाब क्रेडिट कार्ड के ज़रीए बैंक येह सहूलत देता है कि आप उधार में अश्या की ख़रीदारी कर सकते हैं और दुकानदार को बैंक फ़ौरी अदाएगी करेगा लेकिन कार्ड होल्डर बैंक को जो भी इन्तिहाई मुद्दत मुक़र्रर है, तीस दिन या चालीस दिन उस वक़्त से पहले पहले अदाएगी करेगा और मुक़र्ररा इन्तिहाई वक़्त से पहले अदाएगी करने पर तो कोई सूद लाज़िम नहीं होगा लेकिन ताख़ीर से अदाएगी करने पर यौमिय्या के हिसाब से सूद लगना शुरूअ हो जाएगा। येह सब बातें क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त फ़रीक़ैन तै करते हैं जब ही कार्ड जारी होता है। पूछी गई सूरत में सूदी मुआहदा तो आप कर चुके हैं क्यूं कि क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त आप बैंक से येह मुआहदा कर चुके हैं कि अगर अदाएगी में ताख़ीर हुई तो मैं सूद अदा करूंगा लिहाज़ा सूद देने पर रिज़ामन्दी तो साबित हो चुकी है और येह भी गुनाह है। मज़ीद येह भी देखा गया है कि बा’ज अवकात लोग वक़्त पर किसी वजह से अदाएगी नहीं कर पाते तो फिर बैंक सूद डालना शुरूअ कर देता है येह दूसरा गुनाह होगा। पहला गुनाह तो उस वक़्त हुआ जब

1 ... बहारे शरीअत, 2/481, हिस्सा : 10

2 ... बहारे शरीअत, 2/475, हिस्सा : 10

आप ने क्रेडिट कार्ड बनवाते वक़्त फ़ॉर्म पर दस्त ख़त किये कि अगर आप लेट होंगे तो सूद देना पड़ेगा। दूसरा गुनाह उस वक़्त होगा जब आप सूद की अदाएंगी करेंगे और बा'ज़ अवक़ात ऐसी नौबत आ भी जाती है। अगर बिलफ़र्ज़ येह नौबत न भी आए तब भी क्रेडिट कार्ड बनवाना ही ना जाइज़ है कि इस में सूदी मुआहदा लाज़िमी तौर पर करना पड़ता है। इस की बजाए डेबिट कार्ड इस्ति'माल करना चाहिये क्यूं कि इस में आप बैंक से क़र्ज़ नहीं ले रहे होते बल्कि दुकानदार को बैंक के ज़रीए अपने ही पैसे की फ़ौरी अदाएंगी कर रहे होते हैं और डेबिट कार्ड में आप को किसी क़िस्म का सूदी मुआहदा नहीं करना पड़ता है।

ओवर टाइम दिये बिगैर इस के पैसे लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मैं सरकारी नोकरी करता हूं, वहां तनख़्वाह के इलावा ओवर टाइम भी दिया जाता है। जो लोग ओवर टाइम नहीं करते उन को भी ओवर टाइम दे दिया जाता है जैसे किसी का ड्यूटी टाइम पांच बजे तक है तो उस को आठ या नव बजे तक का ओवर टाइम दे देते हैं। लेकिन लोग उस ओवर टाइम में काम नहीं करते और मुआवज़ा वुसूल कर लेते हैं येह बात अफ़सराने बाला के भी इल्म में है, एमडी को भी मा'लूम है। यूं तक़रीबन पच्चीस से पचास करोड़ रुपै ओवर टाइम की मद में जाते हैं। बहुत से लोग इसे जाइज़ कहते हैं कि तनख़्वाहें कम हैं और काफ़ी अर्से बा'द बढ़ती है इस लिये ओवर टाइम लेने में कोई मुज़ायका नहीं हालां कि जिन लोगों की तनख़्वाह ज़ियादा है वोह लोग भी लेते हैं और अफ़सराने बाला भी येह बात जानते हैं तो क्या इस तरह ओवर टाइम लेना जाइज़ है ?

जवाब ओवर टाइम का मतलब येह होता है कि काम का लोड ज़ियादा है मसलन पांच बजे तक ड्यूटी टाइम है और इस वक़्त तक काम नहीं हो सकता तो ड्यूटी टाइम के इलावा वक़्त दे कर काम पूरा किया जाए और जितना वक़्त ज़ियादा दिया है उस की तै शूदा उजरत ले ली जाए। लेकिन यहां सूरते हाल येह है कि मसलन पांच बजे तक ड्यूटी टाइम है और पांच बजे तक सब घर चले गए या पांच बजे तो न गए बल्कि आठ बजे ही गए लेकिन कोई काम नहीं किया बल्कि ऐसे ही फ़ारिग़ बैठे रहे और ज़ाहिर येह किया कि आठ बजे तक काम किया है, इसी बुन्याद पर तो ओवर टाइम मिला है। येह सरासर धोका है जिस में मुल्क और सरकारी ख़ज़ाने को नुक़सान पहुंचाया जा रहा है आप खुद कह रहे हैं कि इस तरह करोड़ों रुपै का नुक़सान होता है, जब एक दफ़्तर की चार दीवारी में इतना नुक़सान हो रहा है तो दीगर दफ़ातिर में, पूरे ज़िलअ और पूरे मद्कमे में कितना नुक़सान होगा। अगर येह गवर्नमेन्ट का पैसा है तो इस का मतलब येह नहीं कि माले मुफ़्त है, बल्कि येह कौम की अमानत है जो कि बैतुल माल के हुक्म में है, क़ियामत के दिन इस के एक एक पैसे का

हि़साब देना पड़ेगा मुरतकिब अफ़राद पर लाज़िम है कि इस अमल से बाज़ आएँ। जहाँ तक अफ़सरान को मा'लूम होने की बात है तो येह अन्जुमन इमदादे बाहमी की एक उलटी मिसाल है जहाँ सब ने बुराई के काम पर एक दूसरे से समझोता किया हुआ है।

लोगों का येह कहना भी ग़लत है कि इस में कोई हरज नहीं, बल्कि क़ियामत की निशानियों में से एक निशानी येह भी है कि लोग गुनाह को गुनाह समझना ही छोड़ देंगे। हज़रते सय्यिदुना हुज़ैफ़ा बिन यमान رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “अलामाते क़ियामत बहत्तर (72) हैं (उन में से चन्द येह हैं) : जब तुम लोगों को देखो कि वोह नमाज़ों को ज़ाएअ करेंगे, अमानतें ज़ाएअ करेंगे, सूद खाएंगे, झूट को हलाल समझेंगे, खून बहाने को मा'मूली समझेंगे, बुलन्दो बाला इमारतों पर फ़ख़्र करेंगे, दीन को दुन्या के बदले बेचेंगे, क़त्ल रेहूमी (रिश्तेदारी तोड़ना) आम होगी, मसाजिद में गुनाहों भरी आवाज़ें बुलन्द होंगी, सरे आम शराबें पी जाने लगेंगी और जुल्म करने को फ़ख़्र समझा जाने लगेगा।”⁽¹⁾

बहर हाल सुवाल में बयान की गई सूरत धोकादेही, हराम और गुनाह का काम है, इस से बचना ज़रूरी है। पूछी गई सूरत में ओवर टाइम के नाम पर जो रक़म हासिल होगी वोह ख़ालिस माले हराम है।

बा'ज़ अवकात बन्दा येह ख़याल करता है कि मैं नहीं लूंगा तो क्या फ़र्क़ पड़ेगा, येह हरगिज़ न सोचें क्यूं कि फ़र्द से ही मुआशरा बनता है, अगर तमाम अफ़राद ठीक हो जाएं तो मुआशरा खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।

याद रहे ! जो शख़्स हराम खाता है उस की दुआएं भी क़बूल नहीं होतीं और हराम माल से किया हुआ सदका व ख़ैरात भी क़बूल नहीं होता। चुनान्चे हदीसे पाक में है कि नबिय्ये अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक अल्लाह पाक है और पाक ही क़बूल फ़रमाता है और उस ने मोमिनीन को वोही हुक्म दिया है जो मुरसलीन को हुक्म दिया था चुनान्चे उस ने रसूलों से इर्शाद फ़रमाया : **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ وَأَعْمَلُوا صَالِحًا إِنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ** **ترजमए कन्ज़ुल ईमान** : ऐ पैग़म्बरो ! पाकीज़ा चीज़ें खाओ और अच्छा काम करो, मैं तुम्हारे कामों को जानता हूं।⁽²⁾

और मोमिनों से इर्शाद फ़रमाया : **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُّوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ** **ترजमए कन्ज़ुल ईमान** : ऐ ईमान वालो खाओ हमारी दी हुई सुथरी चीज़ें।⁽³⁾ फिर आप صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने एक शख़्स का ज़िक्र



1... حلیۃ الاولیاء، عبد اللہ بن عبید بن عمیر، 3/410، 411، رقم: 4448

2... پارہ : 18، اقل मुअमिनून : 51

3... پارہ : 2، اقل بکرہ : 172

किया जो तूवील सफ़र करता है, जिस के बाल बिखरे हुए और बदन गुबार आलूद है (या'नी उस की हालत ऐसी है कि जो दुआ करे वोह क़बूल हो) और वोह अपने हाथ आस्मान की तरफ़ उठा कर या रब ! या रब ! कहता है हालां कि उस का खाना हराम, पीना हराम, लिबास हराम, ग़िज़ा हराम, फिर उस की दुआ कैसे क़बूल होगी ।⁽¹⁾

इलेक्ट्रीशियन का चीज खोल कर चेक करने के पैसे लेना कैसा ?

सुवाल बा'ज इलेक्ट्रीशियन्ज़ ने अपनी दुकान पर लिखा होता है कि कोई भी चीज़ चेक करने की पचास रुपये फ़ीस होगी, फिर अगर मालिक वोह चीज़ बनवाए तो उस का खर्चा बता देते हैं और इस सूरत में खोल कर चेक करने के अलग से पैसे नहीं लेते अलबत्ता अगर मालिक वोह चीज़ न बनवाए तो खोल कर चेक करने के पचास रुपये लेते हैं और ख़राबी (Fault) बता कर, वोह चीज़ बन्द कर के वापस दे देते हैं। इस का क्या हक्म है ?

जवाब चीज़ खोलने और चेक करने में वक़्त भी सर्फ़ होता है और आलात भी इस्ति'माल होते हैं और बा'ज़ लोगों ने बा क़ाइदा मुलाज़िमीन रखे होते हैं उन का भी वक़्त लगता है और उन को सेलेरी भी दी जाती है, इस खुलवाने का एक मक़सद येह भी होता है कि ख़राबी (Fault) बताई जा सके, ऐसा नहीं कि वोह सिर्फ़ नट खोल कर बन्द कर के वापस दे देगा। लिहाज़ा येह भी बा क़ाइदा एक ऐसा काम है जिस की उजरत ली जा सकती है। रही बात येह कि जब काम भी उसी से करवाया जाए तो खोलने के बदले पैसे नहीं लिये जाते तो उस न लेने की भी फ़िक्की तौजीह मुम्किन है एक तौजीह येह है कि वोह अपनी उजरत में कमी या मुआफ़ करने का हक़ रखता है और उस का येह अमल किसी मुमानअत में दाखिल नहीं बल्कि जाइज है।

हज व उम्रह के एजन्ट्स का, फ्री पासपोर्ट कमीशन लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) हमारा इस्टेट का काम है हम किसी को काम दिलवाते हैं मसलन किसी कारपेन्टर को किचन का काम दिलवाते हैं तो हम उसे कहते हैं कि हमारा कमीशन रख लीजियेगा वोह हमारा कमीशन रख कर कस्टमर को पैसे बताता है कि इतने में काम होगा बा'द में वोह हमें हमारा कमीशन दे देता है। इसी तरह हज व उम्रह के काम में इस तरह होता है कि हम उन से फ़ी पासपोर्ट के हिसाब से बात कर लेते हैं कि हमारे ज़रीए जितने अफ़राद जाएंगे फ़ी पासपोर्ट के ट्रेवल एजन्सी वाले से पांच हजार दो हजार वगैरा कमीशन ले लेते हैं। हमारा इस तरह काम करना कैसा है ?

जवाब किसी कारीगर को काम दिलवा कर उस पर कमीशन लेना जाइज़ है लेकिन इस के लिये ज़रूरी है कि कारीगर से आप का पहले से मुआहदा हो कि मैं आप को काम दिलवाऊंगा तो आप मुझे उस पर इतना कमीशन देंगे। दूसरी बात यह कि कारीगर को उस पार्टी से मिलवाने और उसे काम दिलवाने में आप की मेहनत शामिल हो। अगर आप कहीं से गुज़र रहे थे आप ने देखा कि एक मकान में तोड़फोड़ हो रही है और आप ने कारीगर को फ़ोन कर दिया कि उस मकान में चले जाओ हो सकता है कि तुम्हें काम मिल जाए, तो यह काम दिलवाना नहीं कहलाएगा और इस पर कमीशन के हक़दार भी नहीं होंगे। दोनों पार्टियों को मिलवाने में खुद मेहनत (Physical Activity) करते हैं उस को साथ ले जाते हैं मिलवा देते हैं तो यह काम करने पर आप कमीशन के मुस्तहिक् होंगे। येही मुआमला हज़ व उम्ह के एजन्ट्स का है या'नी जो कारवान वाले होते हैं या ट्रेवल एजन्ट्स होते हैं उन के लिये लोग गाहक ले कर आते हैं उन का पहले से ट्रेवल वाले से मुआहदा होता है कि मैं आप के पास गाहक ले कर आऊंगा तो मुझे फ़ी पासपोर्ट इतना कमीशन मिलेगा यह भी एक ऐसा काम है जिस का मुआवज़ा तै किया जा सकता है लिहाज़ा इस का मुआवज़ा लेना भी दुरुस्त है।

स्कूल इन्तिज़ामिया का वेन वाले से फ़ी तालिबे इल्म कमीशन लेना कैसा ?

सुवाल बा'ज़ स्कूल वाले गाड़ी वाले से फ़ी स्टूडन्ट के हिसाब से माहाना कमीशन लेते हैं कि जितने बच्चे उन के स्कूल से उठाएंगे फ़ी स्टूडन्ट इतने रुपै स्कूल वालों को देने होंगे। क्या उन का गाड़ी वाले से यह कमीशन लेना जाइज़ है ?

जवाब पूछी गई सूरत में स्कूल वालों का गाड़ी वाले से माहाना कमीशन लेना जाइज़ नहीं क्यूं कि यहां स्कूल वालों ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस की वजह से वोह कमीशन के मुस्तहिक् हों बल्कि गाड़ी वाले उम्मून् स्कूल के बाहर खड़े होते हैं वालिदैन् को भी मा'लूम होता है वालिदैन् खुद गाड़ी वाले से बात करते हैं और बच्चे को लाने ले जाने के मुआमलात और फ़ीस वगैरा खुद तै करते हैं तो यहां स्कूल वालों की तरफ़ से कोई ऐसा काम करना नहीं पाया गया जिस का वोह मुआवज़ा त़लब करें। हां अगर स्कूल वालों ने दोनों पार्टियों को मिलवाने में कोशिश व मेहनत की हो तो फिर ज़ियादा से ज़ियादा एक मरतबा कमीशन लेने के मुस्तहिक् होंगे, हर महीने एक मख़्सूस हिस्सा लेने के फिर भी मुस्तहिक् नहीं होंगे लिहाज़ा उन का हर माह वेन वाले से रक़म लेना हराम है और यह आमदनी भी हराम है।

कम्पनी की तरफ़ से दुकानदार को दिये गए तहाइफ़ लेना कैसा ?

सुवाल (साइल का सुवाल है कि) मेरी फ़ोम की दुकान है मेरा सुवाल यह है कि कम्पनी अपनी तशहीर (Advertising) के लिये जो तोहफ़े देती है क्या वोह लेना ठीक है ?

जवाब इस मस्अले की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं, जिन का हुक्म दर्जे ज़ैल है :

- 1) मा'मूली नौइय्यत का गिफ़्ट जिस का मक्सद तश्हीर होता है जैसे आम तौर पर केलेन्डर दे दिया जाता है कि दुकान पर लगाया जाएगा कम्पनी का नाम लिखा हुवा नज़र आएगा जिस से कम्पनी की तश्हीर होगी, बा'ज अवकात कोई ऐसा पीस दे देते हैं जो टेबल पर रखा जाता है कि येह टेबल पर रखा रहेगा उस पर कम्पनी का नाम लिखा हुवा है तो इस से कम्पनी की तश्हीर होगी, इस का मक्सद तश्हीर होता है । येह गिफ़्ट लेना जाइज़ है ।
- 2) एक वोह इन्आम होता है जो प्रोडक्ट की फ़रोख़्त पर लगाया होता है कि आप इतनी प्रोडक्ट्स फ़रोख़्त करेंगे तो आप को येह इन्आम मिलेगा, येह भी जाइज़ है ।
- 3) एक गिफ़्ट वोह होता है जिस में येह तै होता है कि आप सिर्फ़ हमारी कम्पनी का माल फ़रोख़्त करो, दीगर कम्पनियों का माल छोड़ दो तो हम आप को येह गिफ़्ट देंगे । येह रिश्वत की सूरत है । डॉक्टरों को मेडीकल कम्पनियां जो मुख़्तलिफ़ पेकेजिज़ देती हैं तोहफ़ा तहाइफ़ की सूरत में वोह भी येही तीसरी सूरत होती है ।

अगर आप अपनी मरज़ी से दीगर कम्पनियों का माल छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं आप इस बात के पाबन्द नहीं हैं कि हर कम्पनी का माल बेचें या किसी एक ही कम्पनी का माल बेचें । कम्पनी अगर आप को सेल पर इन्आम दे तो हरज नहीं, लेकिन येह कह कर देना कि आप दीगर कम्पनियों का माल छोड़ोगे तो येह इन्आम मिलेगा, येह रिश्वत है और येह जाइज़ नहीं ।

येह जवाब एक उमूमी पस मन्ज़र में था अलबत्ता फ़ोम की कम्पनियों में डीलर शिप होती है कि डीलर सिर्फ़ एक ही ब्रान्ड का काम करता है कोई और काम करता ही नहीं है चूँकि इस ने पहले ही से एक ब्रान्ड मुन्तख़ब कर ली है लिहाज़ा बयान कर्दा सूरतों में से अब पहली और दूसरी सूरत ही यहां पाई जाएगी ।

एक ही चीज़ मुख़्तलिफ़ कस्टमर्ज़ को मुख़्तलिफ़ कीमत पर बेचना कैसा ?

सुवाल दुकानदार अपना सामान फ़रोख़्त करते हैं तो हर कस्टमर के लिये उन का अलग अलग रेट होता है, किसी कस्टमर से दस बीस रुपै ज़ियादा लेते हैं और दूसरे कस्टमर को वोही चीज़ सस्ती बेच देते हैं, गाहक झगड़ता है तो उस को और सस्ता कर देते हैं । क्या ऐसा करना शर्ई ए'तिबार से जाइज़ है ?

जवाब बेचने वाला अपनी चीज़ का मालिक है वोह जितने की चाहे बेच सकता है जब कि ख़रीदार को धोका न दिया जाए। अलबत्ता कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन के रेट हुकूमत की तरफ़ से मुक़र्रर होते हैं, उन चीज़ों को उन के मुक़र्रर कर्दा रेट पर ही बेचना ज़रूरी है क्यूं कि क़ानून की पासदारी करना लाज़िम है लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन में येह क़ानून नहीं होता, जैसे कपड़े, फ़र्नीचर वगैरा जिन के रेट मुक़र्रर नहीं होते तो इन चीज़ों में येह कारोबारी टूल इस्ति'माल होता है कि “जैसा गाहक वैसा भाव।” इस में कोई शर्ई क़बाहत नहीं। नीज़ बार्गेनिंग करना भी ख़रीदार व दुकानदार का हक़ है नबिय्ये अकरम ﷺ से भाव कम करवाना साबित है अगर भाव कम ही न हो सकता तो नबिय्ये अकरम ﷺ से साबित कैसे होता।

हदीसे पाक में है : हज़रते सुवैद इब्ने कैस رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि मैं और मख़फ़ा अब्दी मक़ामे हिज़्र से कपड़ा लाए हम उसे मक्कए मुअज़्ज़मा में लाए तो हमारे पास **रसूलुल्लाह** ﷺ पा पियादा चलते हुए तशरीफ़ लाए तो हम से पाजामे का भाव चुकाया। हम ने वोह आप के हाथ बेच दिया वहां एक शख़्स था जो मज़दूरी पर तोल रहा था। उस से **रसूलुल्लाह** ﷺ ने फ़रमाया : तोल दो और नीचा तोलो।⁽¹⁾

मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رحمة الله عليه इस हदीस के तहत लिखते हैं : भाव चुकाने का मतलब येह है कि भाव तै कर के ख़रीद लिया। इस हदीस से मा'लूम हुवा कि खुद दुकान पर जाना और ताजिर की मुंह मांगी क़ीमत न देना बल्कि उस से तै करना कुछ कम कराना सुन्नत है, अगर्चे अपने खुदाम से ही ख़रीद की जाए इस भाव ताव करने में अ़र नहीं।⁽²⁾

बैंक से लोन दिलवाने पर कमीशन लेना कैसा ?

सवाल अगर कोई शख़्स बैंक और सूद पर क़र्ज़ लेने वाले के दरमियान मुआहदा करवाता है और उस मुआहदे के जो क़ानूनी तकाज़े हैं उन को पूरा करवाता है, तो क्या वोह भी गुनाहगार होगा ?

जवाब जिस तरह सूद का लेनदेन करना हराम व गुनाह है इसी तरह सूदी मुआहदे का गवाह बनना भी हराम व गुनाह है। नीज़ सूद के मुआहदे पर जो भी बराहे रास्त मुआविन व मददगार बनेगा वोह भी इस जुर्म में शामिल कहलाएगा और वोह भी गुनाहगार होगा। **अल्लाह** पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है : ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और नेकी



और परहेज़ गारी पर एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज़ियादती पर बाहम मदद न दो।⁽¹⁾

हज़रते सय्यिदुना जाबिर رضي الله عنه बयान करते हैं : हुज़ूरे अकरम صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم ने सूद खाने वाले और सूद खिलाने वाले और सूदी कागज़ लिखने वाले और इस पर गवाह बनने वालों पर ला'नत फ़रमाई और फ़रमाया वोह सब बराबर हैं।⁽²⁾

आप رحمۃ اللہ علیہ मज़ीद लिखते हैं : “चूँकि उस ज़माने में नोट तो थे नहीं दिरहम का आम रवाज था जिन के गिनने में बहुत वक़्त लगता है इस लिये तोल कर अदा किये जाते थे, दिरहम तोलने वाला ताजिर की तरफ़ से मुक़रर होता था जिस की उजरत (तोलाई) ख़रीदार के ज़िम्मे होती थी।”⁽³⁾

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत رحمۃ اللہ علیہ लिखते हैं : “भाव के लिये हुज्जत करना बेहतर है बल्कि सुन्नत। सिवा उस चीज़ के जो सफ़रे हज़ के लिये ख़रीदी जाए इस में बेहतर येह है कि जो मांगे दे दे।”⁽⁴⁾

बच्चों की लोटरियां ख़रीदना बेचना कैसा ?

सवाल दुकानों पर बच्चों के लिये लोटरियां होती हैं वोह ख़रीदना और बेचना जाइज़ है या नहीं ?

जवाब ख़रीदो फ़रोख़्त की एक बुन्यादी शर्त येह है कि जो चीज़ ख़रीदी जा रही है वोह मा'लूम हो उस में जहालत न हो। बच्चों की लोटरी जो ख़रीदी जाती है उस में येह मा'लूम ही नहीं होता कि अन्दर क्या है, बल्कि बा'ज़ अवकात तो ख़ाली भी निकल आती है और ख़रीदने वाले के पैसे ज़ाएअ हो जाते हैं इसी तरह बा'ज़ अवकात कम कीमत चीज़ निकलती है जिस से ख़रीदार को नुक़सान होता है और बा'ज़ अवकात लोटरी की कीमत से ज़ियादा की चीज़ निकल आती है। ऐसी लोटरियां दो हाल से ख़ाली नहीं अगर ऐसी हैं कि इस में कोई बिल्कुल ख़ाली भी निकलती है तो येह वाज़ेह तौर पर जूआ है। और अगर ऐसी है कि कोई भी ख़ाली नहीं निकलती लेकिन अन्दर मुख़्तलिफ़ कीमत की चीज़ें होती हैं और कोई भी निकल सकती है तो येह मज़हूल चीज़ की ख़रीदो फ़रोख़्त और बैए फ़ासिद और गुनाह का काम है।

येह काम गली महल्लों में ज़ियादा होता है और बच्चे ही आम तौर पर इस तरह लोटरियां ख़रीदते हैं। इस से दुकानदार को तो फ़ाएदा पहुंच रहा होता है लेकिन जो बच्चे येह ख़रीदते हैं उन का उम्मून नुक़सान ही होता है और जब कुछ नहीं निकलता तो बच्चा सोचता है कि आज नहीं निकला तो

1 ... पारह : 6, सूरतुल माइदह, आयत : 2

2 ... مسلم، کتاب المساقاة، باب لعن آکل الربا وموكله، ص 663، حدیث: 4093

3 ... मिरआतुल मनाजीह, 4/304

4 ... फ़तावा रज़विय्या, 17/128

कल कुछ निकल आएगा, कल किस्मत आज्माऊंगा इस तरह वोह दोबारा खरीदता है। दुकानदारों की भी येह जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजें अपनी दुकानों पर न रखें क्यूं कि बच्चे वोही चीज खरीदेंगे जो दुकान पर मौजूद होगी, अगर येह लोटरी दुकान पर मौजूद ही न हो तो बच्चे खरीदेंगे भी नहीं। येह भी वाजेह रहे कि इस तरह की लोटरियां बेच कर जो माल हासिल करेंगे, वोह जाइज नहीं होगा बल्कि वोह माल हराम होगा। **अल्लाह** पाक ने मुसलमानों को एक दूसरे का माल बातिल तरीके से हासिल करने से मन्अ फ़रमाया है। चुनान्चे इर्शाद होता है : ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ **तरजमए कन्जुल ईमान** : और आपस में एक दूसरे का माल नाहक़ न खाओ।⁽¹⁾ इस आयत की तफ़सीर में है : “इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना हराम फ़रमाया गया ख़्वाह लूट कर या छीन कर चोरी से या जूए से या हराम तमाशों या हराम कामों या हराम चीजों के बदले या रिश्वत या झूटी गवाही या चुगल खोरी से येह सब मन्मूअ व हराम है।”⁽²⁾

क्लीयरिंग एजन्ट से मुतअल्लिक़ एक सुवाल का जवाब

सुवाल कन्टेनर वगैरा बाहर से शिप के ज़रीए आते हैं अब जिस का कार्गो होता है वोह किसी और से डिपोज़िट लगवाता है और जिस से डिपोज़िट लगवाता है उसे उस का नफ़अ भी देता है जिस शिपिंग लाइन का कन्टेनर उस के पास जाता है वोह शिपिंग लाइन डिपोज़िट रखती है, कोई भी बन्दा डिपोज़िट लगवा सकता है, एक या डेढ़ लाख का डिपोज़िट होता है। अब अगर हम अपने पैसे डिपोज़िट लगाते हैं तो जब कन्टेनर वापस शिपिंग लाइन को रीसीव हो जाता है तो वोह डिपोज़िट के पैसे हमें वापसी दे देती है और जिस का कार्गो था उस से दो तीन हज़ार जितनी बात हुई थी वोह मज़ीद उस से हम वुसूल कर लेते हैं तो क्या येह पैसे लेना जाइज है ?

जवाब पहले तो हम सुवाल के पस मन्ज़र का तफ़सीली जाएज़ा लेते हैं। होता येह है कि जब कन्टेनर बाहर निकलता है तो उसे ख़ाली हो कर वापस भी आना होता है मिसाल के तौर पर मुम्बई से देहली गया तो अब अगर वहां से वापस ही न आए तो कन्टेनर वाला फंस जाएगा वोह अपना ख़ाली कन्टेनर कैसे मंगवाएगा ? लिहाज़ा जिस का माल कन्टेनर के ज़रीए जा रहा है उस के जिम्मे येह बात डाली जाती है कि वोह कुछ ज़रे ज़मानत जम्अ करवाए और जब कन्टेनर वापस करे तो येह ज़रे ज़मानत उस को वापस मिल जाए। अब वोह मालिकान जो माल इम्पोर्ट करते हैं वोह ज़रे ज़मानत के तौर पर पैसे जम्अ करवाने से मन्अ कर देते हैं तो क्लीयरिंग एजन्ट येह रक़म अपनी जेब से लगाता है और जब माल

1... पारह : 2, सूरतुल बक़रह, आयत : 188

2... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 2, अल बक़रह, तहूतल आयह : 188

जियादा आता है और जम्अ करवाने के लिये पैसे कम पड़ते हैं तो वोह दीगर लोगों से पैसे पकड़ता है और जम्अ करवा देता है। अगर येह पैसे वोह ताजिर या सेठ जम्अ करवाता जिस ने येह कन्टेनर मंगवाया है तो फिर सारा मुआमला उसूल के मुताबिक होता लेकिन यहां एक आउट साइडर अपने पैसे देता है और वोह इस लालच में पैसे देता है कि इतने पैसे देने पर इतना नफ़अ ऊपर मिलेगा, येह सूदी मुआमला है क्यूं कि इस ने जो रक़म दी वोह क़र्ज़ है और क़र्ज़ पर नफ़अ लेना सूद है जो कि हराम व गुनाह है। हदीसे मुबारका में है : “كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ مِّنْفَعَةٍ فَهُوَ رِبَا” या'नी क़र्ज़ के ज़रीए से जो मन्फ़अत हासिल की जाए वोह सूद है।⁽¹⁾ इस रक़म के क़र्ज़ होने की वजह येह है कि इस रक़म से कोई कारोबार करना मक्सूद नहीं है बल्कि इसे ले कर ज़रे ज़मानत के तौर पर रख दिया जाएगा और कन्टेनर वापस होने पर वोह रक़म उसे लौटा दी जाएगी और रक़म वाले को फ़िक्स नफ़अ मिलेगा जो कि क़र्ज़ पर नफ़अ है। वाजेह रहे कि इस के इलावा भी क्लीयरिंग एजन्ट्स की ग़ालिब अक्सरिख्त बहुत से ना जाइज़ काम करती है मसलन रिश्वत देना, ग़लत डॉक्यूमेन्ट्स के ज़रीए माल क्लीयर करवाना, धोका देना वगैरा। इन तमाम ना जाइज़ कामों से बचना ज़रूरी है।

فَرْمَانِے مُسْتَفَا صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

बड़ा सवाब, बड़ी मुसीबत के साथ है और जब अल्लाह तआला किसी क़ौम से महबूबत फ़रमाता है तो उन्हें आज्माइश में मुब्तला करता है, पस जो उस पर राज़ी हुवा उस के लिये अल्लाह तआला की रिज़ा है और जो नाराज़ हुवा उस के लिये नाराज़ी है।

(ترمذی، کتاب الزہد، الحدیث: ۲۴۰۴)



पांचवां बाब

मुन्जियात

(नजात दिलाने वाली चीजों)

का बयान

इस बाब में आप पढ़ेंगे

1... कुरआन में निश्चित की अहमियत

2... सब की आदत बनाने के तरीके

3... तौबा करने वाला अल्लाह का पसन्दीदा है

4... दिल में नरमी पैदा करने के तरीके

5... महब्बते इलाही के तकाज

6... मौत को याद करने का हुक्म

सबक नम्बर 1

निय्यत का बयान

कुरआन में निय्यत की अहमियत

अल्लाह करीम कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۝
(प 15, بنی اسرائیل: 19)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो आखिरत चाहे और उस की सी कोशिश करे और हो ईमान वाला तो उन्हीं की कोशिश ठिकाने लगी ।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत से मा'लूम हुवा कि अमल की मक्बूलियत के लिये तीन चीज़ें दरकार हैं : एक तो तालिबे आखिरत होना या'नी निय्यत नेक, दूसरे सई या'नी अमल को बा एहतिमाम उस के हुक्क के साथ अदा करना, तीसरी ईमान जो सब से ज़ियादा ज़रूरी है ।⁽¹⁾

निय्यत की अहमियत पर तीन फ़रामीने मुस्तफ़ा

- ❧ आ'माल का दारो मदार निय्यतों पर है और हर शख्स के लिये वोही है जिस की वोह निय्यत करे ।⁽²⁾
- ❧ मोमिन की निय्यत उस के अमल से बेहतर है ।⁽³⁾
- ❧ अच्छी निय्यत बन्दे को जन्नत में दाखिल कर देती है ।⁽⁴⁾

निय्यत की ता'रीफ़

निय्यत लुग़वी तौर पर दिल के पुख़्ता (पक्के) इरादे को कहते हैं और शर्अन इबादत के इरादे को निय्यत कहा जाता है ।⁽⁵⁾

1 ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 15, बनी इसराईल, तहतल आयह : 19

2 ... بخاری، کتاب بدء الوحی، باب کیف کان بدء الوحی... الخ، 1/6، حدیث: 1

3 ... معجم کبیر، 6/185، حدیث: 5942

4 ... مسند الفردوس، 4/305، حدیث: 6895

5 ... نوحّلتل کّاری، 1/224 ملّتکّتن

निय्यत का हुक्म

अच्छे काम की निय्यत अच्छी और बुरे काम की निय्यत ना जाइज़ है।

चन्द अहकाम

(1) इबादाते मक्सूदा या'नी वोह इबादात जो खुद बिज़्ज़ात मक्सूद हों किसी दूसरी इबादात के लिये वसीला न हों।⁽¹⁾ उन में निय्यत होना ज़रूरी है कि बिगैर निय्यत के वोह इबादात ही न पाई जाएगी जैसा कि नमाज़ कि अगर कोई शख्स नमाज़ जैसे अफ़़ाल करे मगर मुत्लक नमाज़ की निय्यत न हो तो उसे नमाज़ ही न कहा जाएगा।⁽²⁾

(2) इबादाते गैर मक्सूदा या'नी वोह इबादात जो खुद बिज़्ज़ात मक्सूद न हों बल्कि किसी दूसरी इबादात के लिये वसीला हों। उन में निय्यत करना ज़रूरी नहीं कि बिगैर निय्यत के भी वोह इबादात पाई जाएगी अलबत्ता उस का सवाब नहीं मिलेगा। मसलन वुजू कि इस में निय्यत करना सुन्नत है, अगर कोई शख्स बिगैर निय्यत के आ'जाए वुजू को धो ले या धुल गए तो उस का वुजू तो हो जाएगा लेकिन निय्यत न होने की वजह से उसे सवाब नहीं मिलेगा।⁽³⁾

(3) मुबाह काम अच्छी निय्यत से मुस्तहब हो जाता है। या'नी हर वोह जाइज़ अमल या फ़ै'ल जिस का करना और न करना यक्सां हो कि ऐसा काम करने से न सवाब मिले न गुनाह। मसलन खाना पीना, सोना, टहलना, दौलत इकठ्ठी करना, तोहफ़ा देना, उम्दा या ज़ाइद लिबास पहनना वगैरा। आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत, मौलाना अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : “हर मुबाह निय्यते हसन (या'नी अच्छी निय्यत) से मुस्तहब हो जाता है।”⁽⁴⁾

फ़ुक़हाए किराम رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ फ़रमाते हैं : “मुबाहात (या'नी ऐसे जाइज़ काम जिन पर न सवाब हो न गुनाह उन) का हुक्म अलग अलग निय्यतों के ए'तिबार से मुख़्तलिफ़ हो जाता है, इस लिये जब मुबाह से इबादात पर कुव्वत हासिल करना या इबादात तक पहुंचना मक्सूद हो तो येह मुबाहात या'नी जाइज़ चीज़ें भी इबादात होंगी। मसलन खाना पीना, सोना, हुसूले माल और वती करना।”⁽⁵⁾

① ... बहारे शरीअत, 1/1015, हिस्सा : 5

② ... नमाज़ के अहकाम, स. 199

③ ... बहारे शरीअत, 1/292, हिस्सा : 2 माखूज़न

④ ... फ़तावा रज़विyya, 8/452

⑤ ... फ़तावा रज़विyya, 7/189

निय्यत की आदत बनाने के तरीके

❁ अच्छी निय्यतें करने की निय्यत कर लीजिये ।

❁ निय्यत की अहम्मियत हमेशा अपने पेशे नज़र रखिये । हज़रते सय्यिदुना यहूया बिन कसीर رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : इल्मे निय्यत हासिल करो क्यूं कि निय्यत की अहम्मियत अमल से कई गुना ज़ियादा है ।⁽¹⁾

❁ दिन की इब्तिदा अच्छी अच्छी निय्यतों से कीजिये । हर सुब्ह येह निय्यत कर लीजिये : आज का दिन आंख, कान, ज़बान और हर उज़्व को गुनाहों और फुज़ूलिय्यात से बचाते हुए नेकियों में गुज़ारूंगा ।

❁ अमिलीने निय्यत की सोहबत इख़्तियार कीजिये कि सोहबत असर रखती है, अच्छों की सोहबत अच्छा और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है ।

❁ निय्यत से मुतअल्लिक़ा कुतुबो रसाइल का मुतालआ कीजिये ।

❁ निय्यतें लिखने की आदत बना लीजिये ।

❁ हर जाइज़ और नेक काम से पहले निय्यतों पर ग़ौर कर लीजिये कि इस काम में कोई अच्छी निय्यत हो सकती है या नहीं, अगर हो सकती है तो पहले निय्यत कर लीजिये और फिर उस काम को कीजिये ।

❁ बद निय्यती की हलाकतों पर ग़ौर कीजिये । कि जिस तरह अच्छी निय्यत का फल अच्छा होता है इसी तरह बुरी निय्यत का अन्जाम भी बुरा होता है, अच्छी निय्यत दुन्या व आख़िरत में ज़रीअ़ नजात है तो बुरी निय्यत सबबे हलाकत व आफ़ात बन सकती है ।

सबक़ नम्बर 2

इख़्लास का बयान

कुरआन में इख़्लास की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ
حَقًّا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ

(प 30, البينة: 5)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उन लोगों को तो येही हुक्म हुवा कि अल्लाह की बन्दगी करें निरे उसी पर अक़ीदा लाते एक तरफ़ के हो कर और नमाज़ काइम करें और ज़कात दें ।



आयत की तफ़सीर

इस आयते मुबारका में इख़्लास के साथ शिर्क व निफ़ाक़ से दूर रह कर अल्लाह की बन्दगी करने और तमाम दीनों को छोड़ कर ख़ालिस इस्लाम के मुत्तबेअ (पैरौकार) हो कर नमाज़ काइम करने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है।⁽¹⁾

इख़्लास की अहमिय्यत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने मुअज़ बिन जबल رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से फ़रमाया : इख़्लास के साथ अमल करो कि इख़्लास के साथ थोड़ा अमल भी तुम्हें काफी है।⁽²⁾

इख़्लास की ता'रीफ़

किसी भी नेक अमल में महूज़ रिज़ाए इलाही हासिल करने का इरादा करना इख़्लास कहलाता है।⁽³⁾

इख़्लास का हुक्म

जिस अमल से मक्सूद सिर्फ़ रियाकारी हो उस का यकीनी तौर पर गुनाह होगा और वोह अल्लाह पाक की नाराज़ी और अज़ाब का सबब है। जो अमल ख़ालिसतन अल्लाह पाक के लिये होगा तो वोह रिज़ाए इलाही और अज़्रो सवाब का सबब है।⁽⁴⁾

मुख़्लिस बनने के तरीक़े

❁ अपनी निय्यत दुरुस्त कीजिये। कि आ'माल का दारो मदर निय्यतों पर है, जब तक निय्यत ख़ालिस न होगी अमल में इख़्लास पैदा नहीं होगा क्यूं कि निय्यत के ख़ालिस होने का नाम ही तो इख़्लास है।
❁ दुन्यवी अग़राज़ को दूर कीजिये। ऐसी दुन्यवी अग़राज़ जिन से मक्सूद आख़िरत की तय्यारी व मुआवनत न हो अगर हर अमल से उन को दूर कर दिया जाए और सिर्फ़ रिज़ाए इलाही पेशे नज़र हो तो आ'माल में रियाकारी या'नी दिखावे के इम्कानात काफी कम हो जाते हैं।

1... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 30, अल बय्यिनह, तहूतल आयह : 5 माखूज़न

2... نوادر الاصول، الاصل السادس، 1/67، حديث: 46

3... احیاء العلوم، کتاب النیة والاخلاص والصدق، الباب الثانی فی الاخلاص... الخ، بیان حقیقة الاخلاص، 5/107

4... احیاء العلوم، 5/279 ملخصاً

❁ अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से डरते रहिये । बन्दा खुद को अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से डराता रहे कि जिस क़दर ख़ौफ़े खुदा नसीब होगा उतना ही अमल में रियाकारी से बचेगा और इख़्लास की दौलत नसीब होगी ।

❁ नफ़्सानी ख़्वाहिशात को ख़त्म कीजिये । कि इख़्लास में बहुत बड़ी रुकावट नफ़्सानी ख़्वाहिशात हैं क्यूं कि हर अमल पर चन्द ता'रीफ़ी कलिमात सुन कर नफ़्स बेहद सुकून महसूस करता है और येही सुकून नफ़्स को रियाकारी पर उभारता है जो इख़्लास की दुश्मन है ।

❁ ख़ल्वत व जल्वत में यक्सां अमल कीजिये । नफ़्स लोगों के सामने तो मशक्क़त से भरपूर इबादत करने पर रिज़ामन्द हो जाता है क्यूं कि इस तरह उसे शोहरत, ता'रीफ़ और वाह वाह जैसे मीठे ज़हर मिलते हैं, लेकिन तन्हाई में रिज़ाए इलाही के लिये खुशूओ खुजूअ के साथ दो रक्अत पढ़ना उस के नफ़्स पर निहायत गिरां है । ख़ल्वत व जल्वत का येह तज़ाद बन्दे के अमल से इख़्लास को ख़त्म कर देता है ।

❁ अपनी नेकियों को छुपाइये । कि नेकियों का चरचा ही नफ़्स को रियाकारी, हुब्बे मदह और तलबे शोहरत जैसी बातिनी बीमारियों में मुब्तला कर देता है जो इख़्लास को दीमक की तरह चाट लेती हैं ।

❁ इख़्लास के फ़ज़ा़इल को पेशे नज़र रखिये । इख़्लास के साथ अमल करना मोमिन की निशानी है । जो बन्दा चालीस दिन ख़ालिस रिज़ाए इलाही के लिये अमल करता है तो उस के दिल से उस की ज़बान पर हिक्मत के चश्मे जारी हो जाते हैं ।

सबक़ नम्बर 3

सब्र का बयान

क़ुरआन में सब्र की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने हमीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاصْبِرْ وَاتَّقِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

(پ 10، الانفال: 46)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और सब्र करो बेशक अल्लाह

सब्र वालों के साथ है ।

सब्र की फ़ज़ीलत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत ﷺ का फ़रमाने जन्नत निशान है कि अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है : जब मैं अपने किसी बन्दे को उस के जिस्म, माल या औलाद के ज़रीए आज़माइश में मुब्तला करूं, फिर वोह सब्रे जमील के साथ उस का इस्तिक्बाल करे तो क़ियामत के दिन मुझे हया आएगी

कि उस के लिये मीज़ान काइम करूं या उस का नामए आ'माल खोलूं।⁽¹⁾

सब्र की ता'रीफ़

सब्र के लुग़वी मा'ना रुकने, ठहरने या बाज़ रहने के हैं और नफ़्स को उस चीज़ पर रोकना (या'नी डट जाना) जिस पर रुकने (डटे रहने) का अक्ल और शरीअत तकाज़ा कर रही हो या नफ़्स को उस चीज़ से बाज़ रखना जिस से रुकने का अक्ल और शरीअत तकाज़ा कर रही हो सब्र कहलाता है।

सब्र की अक्साम

सब्र की दो किस्में हैं : (1) बदनी सब्र जैसे बदनी मशक्कतें बरदाश्त करना और उन पर साबित कदम रहना। (2) तर्ब्द ख़्वाहिशात और ख़्वाहिश के तकाज़ों से सब्र करना। पहली किस्म का सब्र जब शरीअत के मुवाफ़िक़ हो तो काबिले ता'रीफ़ होता है लेकिन मुकम्मल तौर पर ता'रीफ़ के काबिल सब्र की दूसरी किस्म है।⁽²⁾

सब्र का हुक्म

शरीअत ने जिन कामों से मन्अ किया है उन से सब्र (या'नी रुकना) फ़र्ज़ है। ना पसन्दीदा काम (जो शर्अन गुनाह न हो उस) से सब्र मुस्तहब है। तकलीफ़ देह फ़े'ल जो शर्अन मन्मूअ है उस पर सब्र (या'नी ख़ामोशी) मन्मूअ है। मसलन किसी शख्स या उस के बेटे का हाथ नाहक़ काटा जाए तो इस शख्स का ख़ामोश रहना और सब्र करना मन्मूअ है, ऐसे ही जब कोई शख्स शहवत के साथ बुरे इरादे से इस के घर वालों की तरफ़ बढ़े तो इस की ग़ैरत भड़क उठे लेकिन ग़ैरत का इज़हार न करे और घर वालों के साथ जो कुछ हो रहा है उस पर सब्र करे और कुदरत के बा वुजूद न रोके तो शरीअत ने इस सब्र को ह़राम क़रार दिया है।⁽³⁾

सब्र की आदत बनाने के तरीक़े

❁ सब्र के फ़ज़ाइल का मुतालआ कीजिये। जैसे मुकाशफ़तुल कुलूब, मिन्हाजुल आबिदीन वग़ैरा। बारगाहे इलाही में सब्र की दुआ कीजिये। मुआफ़ करने की आदत अपनाइये।



1... نوادر الاصول، الاصل الخامس والثمانون والمائة، 4/277، حدیث: 962

2... तपस्रीरे सिरातुल जिनान, पारह : 2, अल बक्रह, तह़तल आयह : 153, 1/246

3... احیاء العلوم، 4/206

❁ अपनी ज़ात में अज़िज़ी पैदा कीजिये । कि किसी की तरफ़ से मिलने वाली तक्लीफ़ पर बे सब्री और इन्तिकामी कारवाई का एक सबब तकब्बुर भी है, जब बन्दा अपनी ज़ात में अज़िज़ी व इन्किसारी पैदा करेगा तो इन्तिकामी कारवाई का ज़ेहन ख़त्म हो जाएगा ।

❁ जल्द बाज़ी न कीजिये । हमारी ज़िन्दगी में कई काम ऐसे हैं जिन में जल्द बाज़ी की वजह से सब्र रुख़्सत हो जाता है, बल्कि इस जल्द बाज़ी की वजह से बसा अवक़ात शदीद नुक़सान भी उठाना पड़ता है ।

❁ मुसीबत में ने'मतों को तलाश कीजिये । येह बुजुर्गाने दीन का तरीक़ा है और इस से सब्र करने में मुआवनत मिलती है, हर मुसीबत में कोई न कोई ने'मत छुपी होती है ।

❁ अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखिये । क्यूं कि जिसे कोई मुसीबत पहुंचती है तो वोह येही समझता है शायद मुझे सब से ज़ियादा या बड़ी मुसीबत पहुंची है और येही बात बसा अवक़ात उसे बे सब्री में मुब्तला कर देती है, जब वोह अपने से बड़ी मुसीबत वाले को देखेगा तो शुक्र करेगा और उसे सब्र की ने'मत नसीब होगी । **إِنْ شَاءَ اللَّهُ**

सबक़ नम्बर 4

हुस्ने अख़्लाक़ का बयान

अल्लाह पाक कुरआने मजीद फुरक़ाने हमीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٢٩﴾
(प 29, अलक़म: 4)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और बेशक तुम्हारी खू बू बड़ी शान की है ।

आयत की तफ़सीर

इस आयते मुबारका की तफ़सीर में है : उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** से दरयाफ़्त किया गया तो आप **رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا** ने फ़रमाया कि सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** का खुल्क़ कुरआन है । हदीस शरीफ़ में है सय्यिदे आलम **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया कि अल्लाह पाक ने मुझे मकारिमे अख़्लाक़ व महासिने अफ़अल की तक्मील के लिये मब्ज़स फ़रमाया ।⁽¹⁾

मीज़ान में सब से वज़नी चीज़

रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : क़ियामत के दिन मोमिन के मीज़ान में हुस्ने अख़्लाक़

① ... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 29, अल क़लम : तहूतल आयह : 4

से ज़ियादा वज़ी कोई शै नहीं होगी।⁽¹⁾

हुस्ने अख़्लाक की ता'रीफ़

“हुस्न” अच्छाई और ख़ूब सूरती को कहते हैं, “अख़्लाक” जम्अ है “खुल्क” की जिस का मा'ना है “रवय्या, बरताव, आदत।” या'नी लोगों के साथ अच्छे रवय्ये या अच्छे बरताव या अच्छी आदत को हुस्ने अख़्लाक कहा जाता है। इमाम ग़ज़ाली رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : अगर नफ़्स में मौजूद कैफ़ियत ऐसी हो कि उस के बाइस अक्ली और शर्ई तौर पर पसन्दीदा अच्छे अफ़आल अदा हों तो उसे हुस्ने अख़्लाक कहते हैं और अगर अक्ली और शर्ई तौर पर ना पसन्दीदा बुरे अफ़आल अदा हों तो उसे बद अख़्लाकी से ता'बीर किया जाता है।⁽²⁾

हुस्ने अख़्लाक का हुक्म

हुस्ने अख़्लाक के मुख़्तलिफ़ पहलू हैं इसी वजह से बा'ज़ सूरतों में हुस्ने अख़्लाक वाजिब, बा'ज़ में सुन्नत और बा'ज़ सूरतों में मुस्तहब है।

हुस्ने अख़्लाक अपनाने के तरीक़े

❁ अच्छी सोहबत इख़्तियार कीजिये। कि सोहबत असर रखती है, जो बन्दा जैसी सोहबत इख़्तियार करता है वैसा ही बन जाता है, अच्छों की सोहबत अच्छा और बुरों की सोहबत बुरा बना देती है, बद अख़्लाकों की सोहबत बद खुल्क और हुस्ने अख़्लाक वालों की सोहबत हुस्ने अख़्लाक वाला बना देती है।

❁ हुस्ने अख़्लाक के फ़ज़ाइल का मुतालआ कीजिये। जैसे मकारिमुल अख़्लाक तरजमा बनाम हुस्ने अख़्लाक, मुकाशफ़तुल कुलूब वगैरा।

❁ बद अख़्लाकी की दुन्यवी व उख़वी बुराइयों पर ग़ौर कीजिये।

❁ हुस्ने अख़्लाक में शामिल नेक आ'माल की मा'लूमात हासिल कीजिये। जब तक बन्दे को ऐसे नेक आ'माल की मा'लूमात नहीं होंगी जो हुस्ने अख़्लाक में शामिल हैं तो उस वक़्त तक हुस्ने अख़्लाक को इख़्तियार करना दुश्वार होगा।

❁ दिल में एहतिरामे मुस्लिम पैदा कीजिये। जब बन्दे के दिल में मुसल्मानों का एहतिराम पैदा होगा तो खुद ब खुद उन के साथ हुस्ने अख़्लाक से पेश आएगा।



①...ترندی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في حسن الخلق، 3/403، حدیث: 2009

②...احیاء العلوم، 3/165

❁ नफ़सानी ख़्वाहिशात से परहेज़ कीजिये। बसा अवकात ज़ाती रन्जिश, ना पसन्दीदगी और नाराज़ी की बिना पर नफ़स अपने गुस्से का इज़हार गीबत, गाली गलोच, चुगली वगैरा जैसी बद अख़्लाकी की बद तरीन किस्मों से करवाता है जो हुस्ने अख़्लाक की बद तरीन दुश्मन हैं।

❁ हुस्ने अख़्लाक की बारगाहे इलाही में दुआ कीजिये। कि दुआ मोमिन का हथियार है, हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की दो दुआएं पेशे ख़िदमत हैं : “**اَللّٰهُمَّ حَسِّنْتَ خُلُقِيْ فَاحْسِنِ خُلُقِيْ**” : “**اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ**” या’नी ऐ **अल्लाह** पाक ! तू ने मेरी सूरत अच्छी बनाई है पस मेरे अख़्लाक को भी अच्छा कर दे।”(1)
 “**اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الصَّحَّةَ وَالْعِفَّةَ وَالْاَمَانَةَ وَحُسْنَ الْخُلُقِ**” या’नी ऐ **अल्लाह** पाक ! मैं तुझ से सिद्दहत, अफ़ियत और अच्छे अख़्लाक का सुवाल करता हूँ।”(2)

❁ बिला वज्ह गुस्सा छोड़ दीजिये। बिला वज्ह गुस्सा बहुत सारी बुराइयों की जड़ और कई ख़ामियों की बुन्याद है, जब बन्दा बिला वज्ह गुस्सा करता है तो बद अख़्लाकी का शिकार हो जाता है, बिला वज्ह गुस्से को छोड़ देना ही अच्छे अख़्लाक की अलामत है।

सबक नम्बर 5

मुहासबए नफ़स का बयान

मुहासबए नफ़स की अहम्मियत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا تُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ① (پ 29، القيامة: 2)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उस जान की क़सम जो अपने ऊपर बहुत मलामत करे।

आयत की तफ़सीर

इस आयते मुबारका के तहत हज़रते सय्यिदुना हसन बसरी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ फ़रमाते हैं : मोमिन हमेशा नफ़स को झिड़क्ता रहता है कि तू ने फुलां बात क्या सोच कर कही ? फुलां खाना तू ने किस लिये खाया ? फुलां मशरूब तू ने किस लिये नोश किया ? जब कि काफ़िर ज़िन्दगी बसर करता रहता है लेकिन कभी अपने नफ़स को नहीं झिड़क्ता (या’नी उस का मुहासबा नहीं करता)।(3)



①... شعب الایمان، باب فی حسن الخلق، 6/364، حدیث: 8542

②... مجمع الزوائد، کتاب الادعیة، باب الاجتهاد فی الدعاء، 10/274، حدیث: 17367

③... احیاء العلوم، 5/350

मुहासबए नफ़्स की अहम्मियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

सरवरे आलम, नूरे मुजस्सम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : समझदार वोह शख्स है जो अपना मुहासबा करे और आखिरत की बेहतरी के लिये नेकियां करे और अज़िज़ वोह है जो अपने नफ़्स की ख़्वाहिशात की पैरवी करे और **अल्लाह** पाक से आखिरत के इन्आम की उम्मीद रखे।⁽¹⁾

मुहासबए नफ़्स की ता'रीफ़

आ'माल की कसरत और मिक्दार में ज़ियादती और नुक़सान की मा'रिफ़त के लिये जो ग़ौर किया जाता है उसे मुहासबा कहते हैं। लिहाज़ा अगर बन्दा अपने दिन भर के आ'माल को सामने रखे ताकि उसे (नेक आ'माल की) कमी बेशी (कम या ज़ियादा होने) का इल्म हो तो येह भी मुहासबा है।⁽²⁾

मुहासबए नफ़्स का हुक्म

अल्लाह पाक और आखिरत पर ईमान रखने वाले हर अक्ल मन्द शख्स पर लाज़िम है कि वोह नफ़्स के मुहासबे से ग़ाफ़िल न हो और नफ़्स की हरकातो सकनात और लज़्ज़ातो ख़यालात पर सख़्ती करे क्यूं कि ज़िन्दगी का हर सांस अनमोल हीरा है जिस से हमेशा बाक़ी रहने वाली ने'मत (या'नी जन्नत) ख़रीदी जा सकती है तो इन सांसों को ज़ाएअ करना या हलाकत वाले कामों में सर्फ़ करना बहुत संगीन और बड़ा नुक़सान है जो समझदार शख्स का शेवा नहीं।⁽³⁾

मुहासबे की आदत बनाने के तरीक़े

❁ मुहासबए नफ़्स की मा'रिफ़त हासिल कीजिये। कि जब तक किसी चीज़ की मा'लूमात न हों उस चीज़ तक पहुंचना मुश्किल होता है, जब मुहासबए नफ़्स की मा'रिफ़त व मा'लूमात हासिल होंगी तो मुहासबए नफ़्स करना बहुत आसान हो जाएगा।

❁ ख़ौफ़े खुदा के वाकिआत मुलाहज़ा कीजिये। कि बन्दा जब **अल्लाह** पाक के नेक बन्दों के ख़ौफ़े खुदा से भरपूर वाकिआत का मुतालआ करता है तो उस का येह मदनी ज़ेहन बनता है कि वोह लोग नेक



1... तर्ज़ी, کتاب صفۃ القیامۃ، باب: 25، 4/207، حدیث: 2467

2... احیاء العلوم، 5/319

3... احیاء العلوم، 5/315

परहेज़ गार होने के बावजूद अल्लाह पाक से इतना डरते थे, मैं तो बहुत ही गुनहगार हूँ मुझे तो रब्बे करीम से बहुत ज़ियादा डरना चाहिये यूँ रहमते इलाही से उसे मुहासबए नफ़्स नसीब हो जाएगा।
 ❁ हिसाबे क़ियामत को याद कीजिये। कि आज अगर मैं ने दुनिया में अपना मुहासबा कर के नेक आ'माल करने और बुरे आ'माल से बचने की कोशिश न की तो कल बरोजे क़ियामत बारगाहे इलाही में कैसे हिसाब दूंगा ?

❁ हर काम के करने से क़व्ल ग़ौर कीजिये : कि येह अच्छे और बुरे अमल को परखने के लिये एक बेहतरीन मुहासबा है, एक शख्स ने रसूले अकरम, शाहे बनी आदम ﷺ की ख़िदमत में अर्ज़ की, कि मुझे नसीहत फ़रमाइये तो आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जब किसी काम का इरादा करो तो उस के अन्जाम में ग़ौरो फ़िक्र कर लो, अगर अन्जाम अच्छा हो तो उसे कर लो और अगर बुरा हो तो न करो।⁽¹⁾

❁ मुहासबए नफ़्स के लिये वक़्त मुक़र्रर कर लीजिये : मुहासबए नफ़्स की आदत बनाने का एक बेहतरीन तरीक़ा येह भी है कि इस के लिये वक़्त मुक़र्रर कर लिया जाए।

❁ मुशाहदात से इब्रत हासिल कीजिये : दिन भर हमारी नज़रों से कई मनाज़िर गुज़रते हैं, हम कई मुशाहदात करते हैं, अगर इन मुशाहदात से इब्रत हासिल करने का ज़ेहन बन जाए तो मुहासबा करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। मसलन कोई हादिसा देख कर येह सोचें कि खुदा न ख़्वास्ता अगर हादिसा मेरे साथ पेश आ जाता तो मेरा क्या बनता ?

सबक नम्बर 6

क़नाअत का बयान

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ (پ 27، النجم: 48)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि उसी ने ग़ना दी और क़नाअत दी।

आयत की तफ़सीर

मशहूर मुफ़स्सिर, हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इस आयत के तहत फ़रमाते हैं : या'नी अमीरों को ग़ना, फ़कीरों को सब्रो क़नाअत बख़शी या अपने महबूबों का दिल ग़नी बनाया और ज़ाहिरी क़नाअत अता फ़रमाई, बा'ज अमीरों को ग़ना के साथ क़नाअत भी दी,



1... الزهد لابن المبارك، باب التخصيص على طاعة الله، ص 14، حديث: 41

हवस से बचाया।⁽¹⁾

क़नाअत की अहम्मियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : अल्लाह पाक परहेज़ गार, क़नाअत पसन्द और गुमनाम बन्दे को पसन्द फ़रमाता है।⁽²⁾

क़नाअत की ता'रीफ़

क़नाअत का लुग़वी मा'ना किस्मत पर राज़ी रहना है और सूफ़िया की इस्तिलाह में रोज़मर्रा इस्ति'माल होने वाली चीज़ों के न होने पर भी राज़ी रहना क़नाअत है।⁽³⁾ हज़रते मुहम्मद बिन अली तिरमिज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : क़नाअत येह है कि इन्सान की किस्मत में जो रिज़क़ लिखा है उस पर उस का नफ़्स राज़ी रहे।⁽⁴⁾ अगर तंगदस्ती होने और हाज़त से कम होने के बावजूद सब्र किया जाए तो इसे भी क़नाअत कहते हैं।⁽⁵⁾

ता'रीफ़ की वज़ाहत

हर वोह शख़्स जिस के पास माल न हो और उसे माल की ज़रूरत हो और उस की हालत येह हो कि माल में रज़बत की वजह से उस के नज़दीक माल का होना न होने की निस्बत ज़ियादा पसन्दीदा हो लेकिन येह रज़बत इस हद तक पहुंची हो कि हुसूले माल के लिये भागदौड़ करे बल्कि अगर ब आसानी हासिल हो तो खुशी से ले ले और अगर हासिल करने के लिये मेहनत करनी पड़े तो छोड़ दे इस हालत को क़नाअत और ऐसे शख़्स को क़ानेअ या'नी क़नाअत करने वाले के नाम से मौसूम किया जाता है।⁽⁶⁾

क़नाअत का हुक्म

क़नाअत हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत ﷺ की सुन्नत, सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان और औलियाए किराम رَحْمَتُهُمُ اللهُ السَّلَام का मुबारक तरीका है, हर मुसलमान को चाहिये कि इस



1 ... नूरुल इरफ़ान, पारह : 27, अन्नज्म, तह्ज़तल आयह : 48

2 ... مسلم، کتاب الزهد والرقائق، ص 1212، حدیث: 7432

3 ... التعريفات للجرجانی، باب القاف، ص 126

4 ... الرسالة القشيرية، باب القناعة، ص 197

5 ... احیاء العلوم، 4/200

6 ... احیاء العلوم، 4/563 ماخوذاً

पर अमल करे। क़नाअत अल्लाह पाक का महबूब बनने, उस की रिज़ा पाने, क़ब्रों हशर में आसानी फ़राहम करने और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

क़नाअत अपनाने के तरीक़े

❧ क़नाअत के फ़ज़ाइल का मुतालआ कीजिये। क़नाअत से मुतअल्लिक़ अक्वाले बुजुर्गाने दीन का मुतालआ कीजिये।

❧ रब पर कामिल यक़ीन रखिये, दुन्या व आख़िरत में काम्याबी का बुन्यादी उसूल अल्लाह पाक पर कामिल यक़ीन है।

❧ क़नाअत की दुआ कीजिये। क़नाअत पसन्दों की सोहबत इख़्तियार कीजिये। मालो दौलत की हिर्स का ख़ातिमा कीजिये।

सबक़ नम्बर 7

हुस्ने ज़न का बयान

हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है :

لَوْلَا اِدْسِيعْمُوهُ خَنَّ الْبُؤْمُؤُونَ وَالْبُؤْمُؤَاتُ
بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا آفَاقٌ مُّبِينٌ ①
(پ 18، النور: 12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्यूं न हुवा जब तुम ने उसे सुना था कि मुसल्मान मर्दों और मुसल्मान औरतों ने अपनों पर नेक गुमान किया होता और कहते येह खुला बोहतान है।

आयत की तफ़सीर

इस आयत के तहत तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है : “मुसल्मान को येही हुक्म है कि मुसल्मान के साथ नेक गुमान करे और बद गुमानी मन्नुअ है।”⁽¹⁾

हुस्ने ज़न की अहम्मिय्यत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

हज़रते अब्दुल्लाह बिन उमर رضي الله عنه फ़रमाते हैं कि मैं ने हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत صلى الله عليه وآله وسلم को तवाफ़ करते हुए येह फ़रमाते सुना : “(ऐ का'बा!) तू कितना पाकीज़ा है, तेरी खुशबू कितनी पाकीज़ा है, तू कितना मुअज़्ज़म है, तेरी हुर्मत कितनी ज़ियादा है, लेकिन उस ज़ात की क़सम ! जिस

① ...तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 18, अन्नूर, तहतल आयह : 12

के कब्ज़ए कुदरत में मुहम्मद की जान है ! **अल्लाह** पाक के नज़्दीक एक मोमिन, उस के माल, उस के खून, उस के साथ हुस्ने ज़न रखने की हुर्मत तेरी हुर्मत से भी ज़ियादा है ।”(1)

हुस्ने ज़न की ता'रीफ़

किसी मुसल्मान के बारे में अच्छा गुमान रखना “हुस्ने ज़न” कहलाता है ।

हुस्ने ज़न का हुक्म

हुस्ने ज़न कभी तो वाजिब होता है जैसे **अल्लाह** पाक के साथ अच्छा गुमान रखना और कभी मुस्तहब जैसे किसी नेक मोमिन के साथ नेक गुमान करना ।(2) जब किसी मुसल्मान का हाल पोशीदा हो (या'नी उस के नेक व बद होने का इल्म न हो) तो उस से हुस्ने ज़न रखना मुस्तहब और उस के बारे में बद गुमानी करना हराम है ।(3)

हुस्ने ज़न अपनाने के तरीके

❁ हुस्ने ज़न के फ़वाइद पेशे नज़र रखिये : बद गुमानी की हलाकतों व नुक़सानात पर ग़ौर कीजिये । मुसल्मान भाइयों की ख़ूबियों पर नज़र रखिये । इस से हुस्ने ज़न की दौलत नसीब होगी । दिल को मुसल्मानों के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले वस्वसों से पाक कीजिये ।

❁ अपनी इस्लाह की कोशिश जारी रखिये : जो शख़्स अपनी इस्लाह की कोशिश जारी रखता है वोह दीगर मुसल्मानों के बारे में बद गुमानी से काम नहीं लेता बल्कि अच्छा गुमान रखता है । अरबी मक़ूला है : **إِذَا سَاءَ فِعْلُ الْمَرْءِ سَاءَتْ ظُنُونُهُ** : या'नी जब किसी के काम बुरे हो जाएं तो उस के गुमान भी बुरे हो जाते हैं ।(4)

❁ अपने आप को तजस्सुस से बचाइये : तजस्सुस या'नी मुसल्मानों की टोह में लगे रहना भी बद गुमानी की तरफ़ ले जाने वाली एक सीढ़ी है ।



1... ابن ماجه، كتاب الفتن، باب حرمة دم المؤمن وماله، 4/319، حديث: 3932

2... तफ़सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़तल आयह : 12

3... الخديعة الندية، 2/16 ملخصاً

4... बद गुमानी, स. 33

❧ बद गुमानों की सोहबत से दूर रहिये : जब बन्दा ऐसे लोगों की सोहबत इख्तियार करता है जो दीगर मुसलमानों के बारे में बद गुमानी से भरपूर कुछ न कुछ इज़्हार खयाल करते ही रहते हैं तो उन का असर इस पर भी हो जाता है और फिर ये भी बद गुमानी में मुब्तला हो जाता है ।

सबक नम्बर 8

तौबा का बयान

तौबा की अहमियत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً
نَّصُوحًا (پ 28، التحریم: 8)

तरजमए कन्जुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह की
तरफ़ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए ।

आयत की तफ़सीर

तौबए सादिका जिस का असर तौबा करने वाले के आ'माल में ज़ाहिर हो, उस की ज़िन्दगी ताअतों और इबादतों से मा'मूर हो जाए और वोह गुनाहों से मुज्तानिब (या'नी बचता) रहे । अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना उमर फ़ारूके आ'ज़म رَضِيَ اللهُ عَنْهُ और दूसरे अस्हाब ने फ़रमाया कि तौबए नसूह वोह है कि तौबा के बा'द आदमी फिर गुनाह की तरफ़ न लौटे जैसा कि निकला हुवा दूध फिर थन में वापस नहीं होता ।⁽¹⁾

तौबा करने वाला अल्लाह का पसन्दीदा है

सरदारें दो जहान, महबूबे रहमान صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का फ़रमाने आलीशान है : बेशक अल्लाह पाक तौबा करने वाले, आज्माइश में मुब्तला मोमिन बन्दे को पसन्द फ़रमाता है ।⁽²⁾

1... तफ़सीरे खज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 28, अत्तहरीम, तहूतल आयह : 8

2... مسند احمد، مسند علي بن ابي طالب، 1/174، حديث: 605

तौबा की ता'रीफ़

जब बन्दे को इस बात की मा'रिफ़त हासिल हो जाए कि गुनाह का नुक़सान बहुत बड़ा है, गुनाह बन्दे और उस के महबूब के दरमियान रुकावट है तो वोह उस गुनाह के इरतिकाब पर नदामत इख़्तियार करता है और इस बात का क़स्द व इरादा करता है कि मैं गुनाह को छोड़ दूंगा, आइन्दा न करूंगा और जो पहले किये उन की वजह से मेरे आ'माल में जो कमी वाक़ेअ हुई उसे पूरा करने की कोशिश करूंगा तो बन्दे की इस मज्मूई कैफ़ियत को तौबा कहते हैं। इल्म, नदामत और इरादे इन तीनों के मज्मूए का नाम तौबा है लेकिन बसा अवकात इन तीनों में से हर एक पर भी तौबा का इत्लाक़ कर दिया जाता है।⁽¹⁾

तौबा का हुक्म

हर मुसलमान पर हर हाल में हर गुनाह से फ़ौरन तौबा करना वाजिब है, या'नी गुनाह की मा'रिफ़त होने के बा'द उस पर नदामत इख़्तियार करना और आइन्दा न करने का अह्द करना और गुज़रे हुए गुनाहों पर नदामतो शरमिन्दगी और अफ़सोस करना भी वाजिब है और वुजूबे तौबा पर इज्माए उम्मत है।⁽²⁾

गुनाहों से तौबा करने का तरीक़ा

आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : सच्ची तौबा **अल्लाह** पाक ने वोह नफ़ीस शै बनाई है कि हर गुनाह के इज़ाले को काफ़ी व वाफ़ी है, कोई गुनाह ऐसा नहीं कि सच्ची तौबा के बा'द बाक़ी रहे यहां तक कि शिर्क व कुफ़्र। सच्ची तौबा के येह मा'ना हैं कि गुनाह पर इस लिये कि वोह उस के रब की ना फ़रमानी थी, नादिम व परेशान हो कर फ़ौरन छोड़ दे और आइन्दा कभी उस गुनाह के पास न जाने का सच्चे दिल से पूरा अज़म करे, जो चारए कार उस की तलाफ़ी का अपने हाथ में हो बजा लाए। मसलन नमाज़ रोज़े के तर्क या ग़स्ब (ना जाइज़ कब्ज़ा), सर्का (चोरी), रिश्वत, रिबा (सूद) से तौबा की तो सिर्फ़ आइन्दा के लिये इन ज़राइम का छोड़ देना ही काफ़ी नहीं बल्कि इस के साथ येह भी ज़रूर है जो नमाज़ रोज़े नागा किये उन की क़ज़ा करे, जो माल जिस जिस से छीना, चुराया, रिश्वत, सूद में लिया उन्हें और वोह न रहे



1... احیاء العلوم، 4/11 ملخصاً

2... احیاء العلوم، 4/17 ماخوذاً

हों तो उन के वारिसों को वापस कर दे या मुआफ़ कराए, पता न चले तो उतना माल तसद्दुक् (या'नी सदका) कर दे और दिल में येह निय्यत रखे कि वोह लोग जब मिले अगर तसद्दुक् पर राज़ी न हुए अपने पास से उन्हें फेर दूंगा।⁽¹⁾

सबक नम्बर 9

अल्लाह व रसूल की इताअत का बयान

अल्लाह रसूल की इताअत की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ
(پ 5، النساء: 59)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो हुक्म मानो
अल्लाह का और हुक्म मानो रसूल का ।

आयत की तफ़्सीर

यहां आयत में रसूल ﷺ की इताअत का हुक्म दिया गया है क्यूं कि रसूल ﷺ की इताअत अल्लाह पाक ही की इताअत है।⁽²⁾

फ़रमाने मुस्तफ़ा

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : “जिस ने मेरी इताअत की उस ने अल्लाह पाक की इताअत की, जिस ने मेरी ना फ़रमानी की उस ने अल्लाह पाक की ना फ़रमानी की।”⁽³⁾

अल्लाह रसूल की इताअत क्या है ?

अल्लाह पाक और उस के रसूल ﷺ ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करना और जिन से मन्अ फ़रमाया उन को न करना “अल्लाह और रसूल की इताअत” कहलाता है ।

1... फ़तावा रज़विय्या, 21/121

2... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 5, अन्निसाअ, तहूतल आयह : 59, 2/229

3... مسلم، کتاب الامارة، باب وجوب طاعة الامراء... إلخ، ص 787، حديث: 4746

अल्लाह रसूल की इताअत का हुक्म

हर मुसलमान पर अल्लाह पाक और उस के रसूल ﷺ की इताअत लाज़िम है या'नी अल्लाह पाक और उस के रसूल ﷺ ने जिन बातों को करने का हुक्म दिया है उन पर अमल करे और जिन से मन्अ फ़रमाया है उन से बचे ।

इताअत का जज़्बा पैदा करने के तरीक़े

❧ इताअत गुज़ार लोगों की सोहबत इख़्तियार कीजिये । इताअत के दुन्यवी व उख़्ख़वी फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये । ना फ़रमानी की हलाक़तों पर ग़ौर कीजिये । नेक आ'माल के रिसाले पर अमल कीजिये । मदनी काफ़िलों में सफ़र इख़्तियार कीजिये ।

❧ हर मुआमले में शरीअत को मल्हूज़ रखिये । चाहे उस का तअल्लुक अल्लाह पाक और उस के रसूल ﷺ के हुक्क़ से हो या अपनी ज़ात, वालिदैन्, आल औलाद व रिश्तेदारों, पड़ोसियों या दीगर हुक्क़ुल इबाद से हो ।

❧ इताअत की राह में हाइल अस्बाब को दूर कीजिये । जब अस्बाब दूर हो जाएंगे तो अल्लाह पाक के फ़ज़्लो करम से इताअत भी नसीब हो जाएगी, इताअत की राह में रुकावट डालने वाले चन्द अस्बाब येह हैं : इल्मे दीन हासिल न करना, दीनदार लोगों की सोहबत इख़्तियार न करना, बुरे लोगों की सोहबत में बैठना, दुन्यवी महब्बत को दिल में बसा लेना, लम्बी लम्बी उम्मीदें लगा लेना, मौत को भूल जाना, फ़िक़रे आख़िरत से ग़ाफ़िल हो जाना, गुनाहों में मुब्तला हो जाना वग़ैरा ।

सबक़ नम्बर 10

तवक्कुल का बयान

तवक्कुल की अहम्मियत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक कुरआने मजीद फुरक़ाने हमीद में इर्शाद फ़रमाता है :

(پ 28، الطلاق: 3) وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वोह उसे काफ़ी है ।

आयत की तफ़्सीर

अल्लाह पाक पर तवक्कुल करना अज़ीम काम है । लिहाज़ा बन्दे को चाहिये कि वोह अस्बाब इख़्तियार करने के बा'द अल्लाह करीम पर तवक्कुल करे और उसी पर भरोसा रखे और अपना

मुआमला उसी के सिपुर्द कर दे क्यूं कि जो **अल्लाह** पाक पर तवक्कुल करता है तो **अल्लाह** पाक उस के तमाम दुन्यवी और उख़वी उमूर में उसे काफ़ी होता है।⁽¹⁾

तवक्कुल की अहम्मियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : अगर तुम **अल्लाह** पर इस तरह भरोसा करो जैसे उस पर भरोसा करने का हक़ है, तो वोह तुम्हें इस तरह रिज़क़ अता फ़रमाएगा जैसे परिन्दों को अता फ़रमाता है कि वोह सुब्ह के वक़्त ख़ाली पेट निकलते हैं और शाम को सेर हो कर लौटते हैं।⁽²⁾

तवक्कुल की ता'रीफ़

तवक्कुल की ता'रीफ़ यूं है कि अस्बाब व तदाबीर को इख़्तियार करते हुए फ़क़त **अल्लाह** पाक पर ए'तिमाद व भरोसा किया जाए और तमाम कामों को उस के सिपुर्द कर दिया जाए।

तवक्कुल का हुक्म

अल्लाह पर (मुल्लक़) तवक्कुल करना फ़र्जे ऐन है।⁽³⁾ वाज़ेह रहे कि अस्बाब और तदाबीर को तर्क कर के गोशा नशीनी इख़्तियार कर लेने और कस्ब (या'नी रिज़के हलाल कमाना) तर्क कर देने की शर्अन इजाज़त नहीं है। आ'ला हज़रत **रَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ** फ़रमाते हैं : “तवक्कुल तर्के अस्बाब का नाम नहीं बल्कि ए'तिमाद अलल अस्बाब का तर्क (तवक्कुल) है।”⁽⁴⁾ या'नी अस्बाब को छोड़ देना तवक्कुल नहीं बल्कि अस्बाब पर ए'तिमाद न करने (रब पर ए'तिमाद करने) का नाम तवक्कुल है।

तवक्कुल अपनाने के तरीक़े

❁ तवक्कुल की मा'लूमात हासिल कीजिये। इस के लिये मुकाशफ़तुल कुलूब और एहयाउल इलूम का मुतालआ करें। तवक्कुल के फ़वाइद और फ़ज़ाइल पर गौर कीजिये। तवक्कुल करने वालों के वाकिआत का मुतालआ कीजिये। तवक्कुल करने वालों की सोहबत इख़्तियार कीजिये।

①... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 28, अत्तलाक़, तह़तल आयह : 3, 10/202

②... ترمذی، ابواب الزهد، باب فی التوکل علی اللہ، 4/154، حدیث: 2351

③... फ़ज़ाइले दुआ, स. 287

④... फ़तावा रज़विय्या, 24/379

रब्बे करीम की बारगाह में तवक्कुल के हुसूल की दुआ कीजिये ।

❁ रब्बे करीम की कुदरते कामिला पर यकीन रखिये । बन्दा रिज़क़ और दीगर ज़रूरियात के मुतअल्लिक अल्लाह पाक के ज़ामिन और कफ़ील होने का तसव्वुर रखे और अल्लाह पाक के कमाले इल्म, उस की कमाले कुदरत का तसव्वुर करे ।

❁ मख़्लूक की मोहताजी से बचने का अज़्म कर लीजिये कि इस तरह बन्दा मख़्लूक से बे नियाज़ हो कर फ़क़त ख़ालिक ही पर भरोसा करेगा क्यूं कि तवक्कुल की बे शुमार बरकतों में से एक येह भी है कि बन्दा मख़्लूक की मोहताजी से बच जाता है ।

❁ पुर सुकून और खुशहाल ज़िन्दगी पर नज़र रखिये । हमारी काम्याबी में ज़ेहनी और क़ल्बी सुकून का बहुत बड़ा किरदार है, ज़ेहनी और क़ल्बी तौर पर मुत्मइन शख्स उम्मून पुर सुकून और खुशहाल ज़िन्दगी गुज़ारता है और तवक्कुल से ज़ेहनी व क़ल्बी सुकून और राहत हासिल होती है । एक बुजुर्ग رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं कि मेरे शैख़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ अक्सर मजलिस में फ़रमाया करते थे : अपनी तदबीर उस ज़ात के सिपुर्द कर दे जिस ने तुझे पैदा फ़रमाया है (या'नी फ़क़त अल्लाह रब्बुल इज़ज़त पर तवक्कुल कर) तो राहत पाएगा ।⁽¹⁾

सबक नम्बर 11

ख़ौफ़े ख़ुदा का बयान

ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मियत पर फ़रमाने इलाही

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٍ (پ 27، ا 46: من)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो अपने रब के हुज़ूर खड़े होने से डरे उस के लिये दो जन्नतें हैं ।

आयत की तफ़सीर

इस आयत का एक मा'ना येह है कि जिसे दुन्या में क़ियामत के दिन अपने रब के हुज़ूर हिसाब की जगह में हिसाब के लिये खड़े होने का डर हो और वोह गुनाहों को छोड़ दे और फ़राइज़ की बजा आवरी करे तो उस के लिये आख़िरत में दो जन्नतें हैं ।⁽²⁾



ख़ौफ़े ख़ुदा की अहम्मियत पर दो फ़रामीने मुस्तफ़ा

हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफीए उम्मत ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : हिक्मत की अस्ल अल्लाह पाक का ख़ौफ़ है।⁽¹⁾

सरकारे मदीना, राहते क़ल्बो सीना ﷺ ने हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्ऊद رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से फ़रमाया : अगर तुम मुझ से मिलना चाहते हो तो मेरे बा'द भी अल्लाह पाक से बहुत डरते रहना।⁽²⁾

ख़ौफ़े ख़ुदा का मतलब

ख़ौफ़ से मुराद वोह क़ल्बी कैफ़ियत है जो किसी ना पसन्दीदा अम्र के पेश आने की तवक्कोअ के सबब पैदा हो, मसलन फल काटते हुए छुरी से हाथ के ज़ख़मी हो जाने का डर। जब कि ख़ौफ़े ख़ुदा का मतलब यह है कि अल्लाह पाक की बे नियाज़ी, उस की नाराज़गी, उस की गिरिफ़्त और उस की तरफ़ से दी जाने वाली सज़ाओं का सोच कर इन्सान का दिल घबराहट में मुब्तला हो जाए।⁽³⁾

ख़ौफ़े ख़ुदा का हुक्म

ख़ौफ़े ख़ुदा तमाम नेकियों और दुन्या व आख़िरत की हर भलाई की अस्ल है, ख़ौफ़े ख़ुदा नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अमल है।

ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा करने के तरीक़े

❁ रब्बे करीम की बारगाह में सच्ची तौबा कर लीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के हुसूल के लिये बारगाहे रब्बुल इज़्ज़त में दुआ कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के फ़ज़ाइल पेशे नज़र रखिये। जहन्नम के अज़ाबात पर ग़ौरो तफ़क्कुर कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा के बारे में बुजुर्गाने दीन के अहवाल का मुतालआ कीजिये। ख़ौफ़े ख़ुदा रखने वालों की सोहबत इख़्तियार कीजिये।

❁ खुद एहतिसाबी की आदत अपनाते हुए फ़िक्रे मदीना कीजिये : अपनी ज़ात का मुहासबा कर लेने की आदत अपना लेने से भी ख़ौफ़े ख़ुदा के हुसूल की मन्ज़िल पर पहुंचना क़दरे आसान हो जाता है।



1... شعب الایمان، باب فی الخوف من الله تعالی، 1/470، حدیث: 743

2... احیاء العلوم، 4/472

3... احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، باب بیان حقیقۃ الخوف، 4/190 ماخوذاً

सबक नम्बर 12

उम्मीदों की कमी का बयान

लम्बी उम्मीद की मज्मूत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَمْتَعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ

يَعْلَبُونَ ﴿٣﴾ (پ 14، الحجر: 3)

तरजमए कन्जुल ईमान : उन्हें छोड़ो कि खाएं और बरतें

और उम्मीद उन्हें खेल में डाले तो अब जाना चाहते हैं ।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे खज़ाइनुल इरफ़ान में है : इस में तम्बीह है कि लम्बी उम्मीदों में गिरिफ़्तार होना और लज़्ज़ाते दुन्या की तलब में गर्क हो जाना ईमानदार की शान नहीं । हज़रत अलिय्युल मुर्तज़ा रज़ी अल्लु एन्हे ने फ़रमाया : लम्बी उम्मीदें आख़िरत को भुलाती हैं और ख़्वाहिशात का इत्तिबाअ हक़ से रोकता है ।⁽¹⁾

जन्नत में दाख़िल होने का नुस्खा

सरकारे दो अलाम, नूरे मुजस्सम, शाहे बनी आदम صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने एक बार सहाबए किराम عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان से दरयाफ़्त फ़रमाया : क्या तुम सब जन्नत में दाख़िल होना पसन्द करते हो ? सहाबए किराम عَلَیْهِمُ الرِّضْوَان ने अर्ज़ की : जी हां या रसूलल्लाह صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! इर्शाद फ़रमाया : उम्मीदें कम करो और अपनी मौत अपनी आंखों के सामने रखो और अल्लाह पाक से हया करो जैसे उस से हया करने का हक़ है ।⁽²⁾

उम्मीदों की कमी की ता'रीफ़

नफ़्स की पसन्दीदा चीज़ों या 'नी लम्बी उम्र, सिह्हत और माल में इज़ाफ़े वगैरा की उम्मीद न होना “उम्मीदों की कमी” कहलाता है ।⁽³⁾ अगर लम्बी उम्र की ख़्वाहिश मुस्तक़बल में नेकियों में

1 ... तफ़्सीरे खज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 14, अल हिज़्र, तहूतल आयह : 3

2 ... موسوعة ابن أبي الدنيا، کتاب قصر الال، 3/310، حدیث: 31

3 ... فیض القدير، 2/709، تحت الحديث: 2550 ماخوذا

इज़ाफ़े की निय्यत के साथ हो तो अब भी “उम्मीदों की कमी” ही कहलाएगी।⁽¹⁾

उम्मीदों की कमी का हुक्म

उम्मीदों की कमी दुनिया से बे रग़बती और फ़िक़रे आख़िरत में मशगूल रखने, नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अमल है।

कम उम्मीदी अपनाने के तरीक़े

❁ छोटी उम्मीद से मुतअल्लिक़ रिवायात का मुतालआ कीजिये। लम्बी उम्मीदों की हलाक़तों पर ग़ौर कीजिये। उम्मीदों की कमी से मुतअल्लिक़ अक्वाले बुजुर्गाने दीन का मुतालआ कीजिये। उम्मीदों की कमी व ज़ियादती, फ़वाइद व नुक़सानात की मा'लूमात हासिल कीजिये।

❁ हर वक़्त मौत को पेशे नज़र रखिये। मौत की याद उम्मीदों की कमी का बहुत बड़ा सबब है। नज़अ व क़ब्र के वहशत नाक माहोल का तसव्वुर कीजिये। ह़शर या'नी क़ियामत की होलनाकियों का तसव्वुर कीजिये।

❁ अपने अन्दर ख़ौफ़े ख़ुदा पैदा कीजिये। उम्मीदों की कमी का येह एक बेहतरीन इलाज है, क्यूं कि जिस का दिल ख़ौफ़े ख़ुदा से मा'मूर होता है वोह लम्बी लम्बी उम्मीदें लगाने की बजाए अपने रब्बे करीम की इबादतों इताअत में मसरूफ़ हो जाता है।

❁ दिल को हुब्बे दुनिया से पाक कीजिये। लम्बी उम्मीदों का एक बहुत बड़ा सबब दुनिया की महब्बत भी है, जब बन्दे के दिल में दुनिया की महब्बत घर कर जाती है तो वोह लम्बी लम्बी उम्मीदें लगाने की आफ़त में मुब्तला हो जाता है, उस के अन्दर तवील अर्से तक ज़िन्दा रहने की ख़्वाहिश पैदा हो जाती है।

सबक़ नम्बर 13

सिद्क़ (सच बोलने) का बयान

कुरआन में सच की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِصْدَاقِ وَصَدَقُوا بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ

الْمُتَّقُونَ ﴿٣٣﴾ (प 24, الزمر: 33)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह जो येह सच ले कर तशरीफ़ लाए और वोह जिन्हों ने उन की तस्दीक़ की येही डर वाले हैं।



आयत की तफ़्सीर

इस आयते मुबारका में सच ले कर तशरीफ़ लाने वाले से मुराद हुज़ूर नबिय्ये रहमत, शफ़ीए उम्मत صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ हैं और तस्दीक़ करने वाले से मुराद अमीरुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदुना सिद्दीके अक्बर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ या तमाम मोमिनीन हैं।⁽¹⁾

सच की फ़ज़ीलत और झूट की मज़म्मत

अल्लाह पाक के प्यारे महबूब صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : “बेशक सिद्क़ (सच) नेकी की तरफ़ ले जाता है और नेकी जन्नत की तरफ़ ले जाती है और बेशक आदमी सच बोलता रहता है यहां तक कि वोह अल्लाह पाक के हां सिद्दीक़ (बहुत बड़ा सच्चा) लिख दिया जाता है और बेशक किज़्ब (झूट) गुनाह की तरफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ़ ले जाता है और बेशक आदमी झूट बोलता रहता है यहां तक कि वोह अल्लाह पाक के हां कज़़ाब (बहुत बड़ा झूटा) लिख दिया जाता है।”⁽²⁾

सच की ता'रीफ़

हज़रते अल्लामा सय्यिद शरीफ़ जुरजानी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ सिद्क़ या'नी सच की ता'रीफ़ बयान करते हुए फ़रमाते हैं : “सिद्क़ का लुग़वी मा'ना वाक़ेअ़ के मुताबिक़ ख़बर देना है।”⁽³⁾

सच बोलने का हुक्म

हर मुसल्मान पर लाज़िम है कि वोह अपने दीनी व दुन्यवी तमाम मुआमलात में सच बोले कि सच बोलना नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

सच अपनाने के तरीक़े

❁ सच के फ़ज़ाइल का मुतालआ कीजिये। सच से मुताल्लिक़ बुजुर्ग़ाने दीन के अक्वाल का मुतालआ कीजिये। सच के दुन्यवी व उख़वी फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये। झूट बोलने की वर्इदों को पेशे

1 ... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 24, अज़्जुमर, तह्त्तल आयह : 33

2 ... मुस्लम, کتاب البر والصلة والآداب, باب فتح الکذب... إلخ, ص 1077, حدیث: 6637

3 ... التخریفات للجرجانی, باب الصاد, ص 95

नज़र रखिये । झूट बोलने के दुन्यवी व उख़वी नुक़सानात पर ग़ौर कीजिये । अपने दिल में ख़ौफ़े खुदा पैदा कीजिये ।

❁ उख़वी फ़ाएदे को दुन्यवी नुक़सान पर तरजीह दीजिये । बसा अवकात ब ज़ाहिर थोड़े से दुन्यवी फ़ाएदे के पेशे नज़र भी बन्दा झूट बोल लेता है लेकिन उसे येह मा'लूम नहीं होता कि झूट बोलना फ़क़त पहली बार आसान होता है इस के बा'द इस में मुश्किल ही मुश्किल होती है, नुक़सान ही नुक़सान होता है, जब कि सच बोलना फ़क़त पहली बार मुश्किल होता है बा'द में इस में आसानियां ही आसानियां होती हैं ।

सबक नम्बर 14

अच्छी उम्मीद का बयान

कुरआन में अच्छी उम्मीद की अहमियत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

قُلْ لِّعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا
مِّن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا

(53: 24, الزمر)

तरज्मए कन्ज़ुल ईमान : तुम फ़रमाओ ऐ मेरे वोह बन्दो जिन्हों ने अपनी जानों पर ज़ियादती की अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो बेशक अल्लाह सब गुनाह बख़्श देता है ।

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में अल्लाह पाक ने बन्दों पर अपनी कामिल रहमत, फ़ज़ल और एहसान का बयान फ़रमाया है, चुनान्वे इर्शाद फ़रमाया कि ऐ हबीब صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! आप फ़रमा दें कि अल्लाह पाक इर्शाद फ़रमाता है : ऐ मेरे वोह बन्दो ! जिन्हों ने कुफ़्र और गुनाहों में मुब्तला हो कर अपनी जानों पर ज़ियादती की, तुम अल्लाह पाक की रहमत से मायूस न होना और येह ख़याल न करना कि ईमान क़बूल कर लेने के बा'द साबिका कुफ़्रो शिर्क पर तुम्हारा मुआख़ज़ा होगा, बेशक अल्लाह पाक उस के सब गुनाह बख़्श देता है जो अपने कुफ़्र से बाज़ आए और अपने गुनाहों से सच्ची तौबा कर ले, बेशक वोही गुनाहों पर पर्दा डाल कर बख़्शने वाला और मुसीबतों को दूर कर के मेहरबानी फ़रमाने वाला है ।⁽¹⁾

① ...तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 24, अज़्ज़ुमर, तह़तल आयह : 53, 8/486

अच्छी उम्मीद के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्तफ़ा

हज़रते जाबिर رضي الله عنه बयान करते हैं कि मैं ने **रसूलुल्लाह صلى الله عليه وآله وسلم** को आप की वफ़ात से तीन दिन पहले येह फ़रमाते सुना कि : तुम में से कोई न मरे मगर इस तरह कि **अल्लाह** पाक से अच्छी उम्मीद रखता हो।⁽¹⁾

अच्छी उम्मीद की ता'रीफ़

आइन्दा के लिये भलाई और बेहतरी की उम्मीद रखना “रजा” है। मसलन अगर कोई शख्स अच्छा बीज हासिल कर के नर्म ज़मीन में बो दे और उस ज़मीन को घास फूस वगैरा से साफ़ कर दे और वक़्त पर पानी और खाद देता रहे फिर इस बात का उम्मीद वार हो कि **अल्लाह** पाक इस खेती को आस्मानी आफ़ात से महफूज़ रखेगा तो मैं ख़ूब ग़ल्ला हासिल करूंगा तो ऐसी आस और उम्मीद को “रजा” कहते हैं।⁽²⁾

अच्छी उम्मीद का हुक्म

अल्लाह पाक से अच्छा गुमान रखना वाजिब है।⁽³⁾

अच्छी उम्मीद की अक्सांम

हज़रते सय्यिदुना इब्ने खुबैक رضي الله عنه फ़रमाते हैं : रजा तीन तरह की है : (1) कोई शख्स अच्छा काम करे उस की क़बूलियत की उम्मीद रखे। (2) कोई शख्स बुरा काम करे फिर तौबा करे और वोह मग़िफ़रत की उम्मीद रखता हो। (3) झूटा शख्स जो गुनाह करता चला जाए और कहे मैं मग़िफ़रत की उम्मीद रखता हूँ।⁽⁴⁾ पहली दो किस्म की रजा महमूद जब कि आख़िरी किस्म की रजा मज़मूम है जैसा कि हदीसे मुबारका में है : **يَا'نِي اَهْمَكُ وَهِيَ هِيَ** : **اَلْاَحَقُّ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَتَّبِعُ عَلَى اللّٰهِ الْجَنَّةُ** : है जो अपनी नफ़्सानी ख़्वाहिश की पैरवी करे फिर **अल्लाह** पाक से जन्नत की तमन्ना रखे।⁽⁵⁾



1... مسلم، كتاب الجنة، وصفة نعيمها، باب امر بحسن الظن بالله عند الموت، ص 1177، حديث: 7229

2... احياء علوم الدين، كتاب الخوف والرجاء، بيان حقيقة الرجاء، 4/174، 175 ملخصا

3... तपस्रीरे खज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 26, अल हुजुरात, तहतल आयह : 12

4... الرسالة القشيرية، باب الرجاء، ص 168-169

5... احياء العلوم، 4/415

अच्छी उम्मीद अपनाने के तरीके

रजा के फ़ज़ाइल में ग़ौरो फ़िक्र कीजिये । रजा से मुतअल्लिक़ बुजुर्गाने दीन के अहवाल का मुतालआ कीजिये । रजा से मुतअल्लिक़ रिवायात और बुजुर्गाने दीन के अक्वाल में ग़ौर कीजिये ।

सबक़ नम्बर 15

ग़ना का बयान

ग़ना की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में फ़रमाता है :

وَأَلَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٢٧﴾ (48: 27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि उस ने ग़ना दी और क़नाअत दी ।

आयत की तफ़सीर

या'नी अल्लाह करीम ही लोगों को मालो दौलत से नवाज़ कर ग़नी करता है और क़नाअत की ने'मत से भी वोही नवाज़ता है ।⁽¹⁾

ग़ना के मुतअल्लिक़ नसीहतें मुस्तफ़ा

हज़रते सय्यिदुना अबू अय्यूब अन्सारी رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि एक दीहाती बारगाहे रिसालत में हाज़िर हुवा और अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह صَلَّی اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ !** मुझे एक मुख़्तसर सी नसीहत फ़रमाइये । इर्शाद फ़रमाया : जब तुम नमाज़ पढ़ो तो ज़िन्दगी की आख़िरी नमाज़ समझ कर पढ़ो और हरगिज़ ऐसी बात न करो जिस से तुम्हें कल मा'ज़िरत करनी पड़े और लोगों के पास जो कुछ है उस से मुकम्मल ना उम्मीद हो जाओ ।⁽²⁾

ग़ना की ता'रीफ़

जो कुछ लोगों के पास है उस से ना उम्मीद होना ग़ना है ।⁽³⁾

1 ... तफ़सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 27, अन्नज्म, तहतल आयह : 48, 9/579

2 ... ابن ماجه، کتاب الزهد، باب الحمة، 4/455، حدیث: 4171

3 ... معجم کبیر، 10/139، حدیث: 10239

ग़ना पैदा करने के तरीक़े

❧ ग़ना के फ़ज़ाइल का मुतालआ कीजिये । ग़ना से मुतअल्लिक बुजुर्गाने दीन के अक्वाल व अहवाल पर गौर कीजिये । अल्लाह पाक पर कामिल यकीन रखिये । ग़ना के हुसूल की दुआ कीजिये । ग़ना इख़्तियार करने वालों की सोहबत इख़्तियार कीजिये । ग़ना के फ़वाइद पर नज़र कीजिये ।

❧ जोहदो क़नाअत इख़्तियार कीजिये । जोहद दुन्या से बे रग़बती दिलाता है जब कि क़नाअत थोड़े पर राज़ी होने पर उभारता है और येह दोनों चीज़ें ग़ना पर मुआविन साबित होती हैं कि आदमी जोहदो क़नाअत इख़्तियार कर के दूसरों से बे नियाज़ हो जाता है और थोड़े पर राज़ी रह कर दुन्या से कनारा कशी इख़्तियार कर लेता है यूं वोह जोहदो क़नाअत के साथ ग़ना की दौलत भी समेट लेता है ।

❧ मालो दौलत की हिर्स को ख़त्म कीजिये : मालो दौलत की हिर्स को ख़त्म कीजिये कि येह इन्सान के लिये बहुत ही ख़तरनाक है । अगर इस की रोकथाम न की जाए तो बसा अवक़ात येह दुन्यवी बरबादियों के साथ साथ उख़वी हलाकतों की तरफ़ भी ले जाती है और इसे ख़त्म कर के ही ग़ना की दौलत हासिल हो सकती है ।

सबक़ नम्बर 16

माल से बे रग़बती का बयान

क़ुरआन में माल से बे रग़बती की अहम्मियत

अल्लाह पाक क़ुरआने मजीद फ़ुरक़ाने हमीद में इर्शाद फ़रमाता है :

(5:30) **كَلَّا تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ** (پ 30، 5:30)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हां ! हां ! अगर यकीन का जानना जानते तो माल की महबूबत न रखते ।

आयत की तफ़्सीर

ऐ लोगो ! हां हां अब नज़्अ के वक़्त कस्रते माल की हिर्स और औलाद पर फ़ख़्रो गुरूर करने के बुरे नतीजे को जल्द जान जाओगे । फिर यकीनन तुम क़ब्रों में जल्द जान जाओगे । यकीनन अगर तुम माल की हिर्स का अन्जाम यकीनी इल्म के साथ जानते तो माल की हिर्स में मुब्तला हो कर आख़िरत से गाफ़िल न होते ।⁽¹⁾

① ... तफ़्सीरी सिरातुल ज़िना, पारह : 30, अत्तकासुर, तहूतल आयह : 5, 10/814

हृदीस में माल से बे रग़बती की अहम्मिय्यत

एक शख्स ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की : **يا رسولل्लाह ﷺ ! मुझे क्या हो गया है कि मैं मौत को पसन्द नहीं करता ? आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : “क्या तुम्हारे पास माल है ?”** उस ने कहा : जी हां । फ़रमाया : **“अपना माल आगे भेज दो (या’नी आख़िरत के लिये सदका करो), क्यूं कि मोमिन का दिल अपने माल के साथ होता है अगर उस ने उसे आगे भेज दिया तो उस से मिलना चाहता है और अगर पीछे छोड़ दे तो उस के साथ पीछे रहना चाहता है ।”**⁽¹⁾

माल से बे रग़बती की ता’रीफ़

माल से महबूबत न रखना और इस की तरफ़ रग़बत न करना माल से बे रग़बती कहलाता है ।

माल से बे रग़बती का हुक्म

इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद ग़ज़ाली رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : जिस क़दर माल की ज़रूरत होती है उस का हुसूल मम्नूअ नहीं । माल ज़रूरत से ज़ियादा हो तो ज़हरे कातिल है जब कि ज़रूरत की मिक्दार हो तो नफ़अ बख़्श दवा है और इन दोनों के दरमियान मुख़लिफ़ दरजात हैं जिन के बारे में शुबुहात हैं । माल की वोह मिक्दार जो ज़रूरत से ज़ाईद के क़रीब हो वोह अग़र्चे ज़हरे कातिल न हो लेकिन नुक़सान देह है और जो मिक्दार ज़रूरत के क़रीब हो वोह अगर नफ़अ मन्द दवा न भी हो तो कम नुक़सान देह है । ज़हर का पीना हराम और दवा का इस्ति’माल ज़रूरी है ।⁽²⁾

माल से बे रग़बती अपनाने के तरीक़े

❁ माल से बे रग़बती के फ़ज़ाईल में ग़ौर कीजिये । एक हृदीसे पाक में है कि **“जो शख्स दुन्या से बे रग़बती इख़्तियार करता है अल्लाह पाक उस के दिल में हिक़मत दाख़िल फ़रमा कर उस की ज़बान पर जारी फ़रमा देता है, उसे दुन्या की बीमारी और उस के इलाज की पहचान अता फ़रमाता है और उसे दुन्या से सहीह सलामत निकाल कर सलामती के घर (या’नी जन्नत की तरफ़) ले जाता है ।”**⁽³⁾



1... الزهد لابن المبارك، باب في طلب الحلال، ص 224، حديث: 634

2... إحياء العلوم، كتاب الفقر والزهد، بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة، 4/296

3... شعب الايمان، باب في الزهد وقصر الامل، 7/346، حديث: 10532

❁ माल से बे रबती के मुतअल्लिक अक्वाले बुजुर्गाने दीन में गौर कीजिये । माल की तरफ़ रबत करने के नुक्सानात में गौर कीजिये । माल से बे रबती के मुतअल्लिक बुजुर्गाने दीन के अहवाल का मुतालआ कीजिये । माल से बे रबती के फ़वाइद में गौर कीजिये । माल से बे रबती के लिये इस की आफ़ात और हलाकतों में गौर कीजिये । मालो दौलत की हिर्स का ख़ातिमा कीजिये ।

❁ क़ियामत के हिसाबो किताब से खुद को डराइये । ज़रूरत और हाज़त से ज़ाइद माल कमाना अगर्चे जाइज़ है लेकिन याद रखिये जिस का माल जितना ज़ियादा होगा क़ियामत के रोज़ उस का हिसाबो किताब भी उतना ही ज़ियादा होगा ।

सबक़ नम्बर 17

खुफ़्या तदबीर से डरने का बयान

कुरआन में खुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

أَفَأَمَّا مِمَّا مَكَرَ اللَّهُ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ (پ۹، الاعراف: 99)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या अल्लाह की ख़फ़ी तदबीर से निडर हैं तो अल्लाह की ख़फ़ी तदबीर से निडर नहीं होते मगर तबाही वाले ।

आयत की तफ़सीर

इस आयत में अल्लाह पाक के ख़ास ग़ज़ब का ज़िक्र है चुनान्वे फ़रमाया गया : क्या कुफ़्फ़ार अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ हैं और उस के ढील देने और दुन्यवी ने'मतें देने पर मग़रूर हो कर उस के अज़ाब से बे फ़िक्र हो गए हैं सुन लो ! अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से सिर्फ़ तबाह होने वाले लोग ही बे ख़ौफ़ होते हैं और उस के मुख़्लिस बन्दे उस का ख़ौफ़ रखते हैं । इस से मा'लूम हुवा कि अल्लाह पाक के ख़ौफ़ का दिल से निकल जाना सख़्त नुक्सान का सबब है, अल्लाह पाक की ढील या उस का किसी बन्दे को गुनाह पर न पकड़ना येह उस की खुफ़्या तदबीर है लिहाज़ा हर वक़्त अल्लाह करीम की खुफ़्या तदबीर से डरते रहना चाहिये ।⁽¹⁾

हदीस में खुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मिय्यत

हुज़ूर ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जब तुम किसी बन्दे को देखो कि अल्लाह पाक उसे उस की ख़्वाहिश के मुताबिक़ अता फ़रमाता है हालां कि वोह अपने गुनाह पर काइम है तो येह अल्लाह पाक की तरफ़ से ढील है । फिर आप ﷺ ने येह आयते मुबारका तिलावत फ़रमाई :

1... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 9, अल आ'राफ़, तहूतल आयह : 99, 3/390

فَلْيَأْنَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَاهُ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ ۖ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِآ أَوْ تَوَآ أَخَذَ لَهُمْ بَعْتَةً ۖ فَآذَاهُمْ مُبْسُونًا ﴿٧٢﴾ (پ 7، الانعام: 44)

तरजमए कन्जुल ईमान : फिर जब उन्होंने ने भुला दिया जो नसीहतें उन को की गई थीं हम ने उन पर हर चीज़ के दरवाज़े खोल दिये यहां तक कि जब खुश हुए उस पर जो उन्हें मिला तो हम ने अचानक उन्हें पकड़ लिया अब वोह आस टूटे रह गए ।⁽¹⁾

खुफ़्या तदबीर से डरने की ता'रीफ़

अल्लाह पाक के पोशीदा अफ़अल से वाक़ेअ होने वाले बा'ज़ अफ़अल को उस की खुफ़्या तदबीर कहते हैं । और उस से डरना अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से डरना कहलाता है ।⁽²⁾

खुफ़्या तदबीर से डरने का हुक्म

अल्लाह पाक की रहमत पर भरोसा करते हुए गुनाहों में मुस्तगरक़ हो जाना और अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ होना कबीरा गुनाह है ।⁽³⁾ लिहाज़ा हर मुसल्मान पर अल्लाह की खुफ़्या तदबीर से डरना वाजिब है ।

खुफ़्या तदबीर से डर को अपनाने के तरीक़े

❁ अम्बिया عَلَيْهِمُ السَّلَام व औलिया رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ के अहवाल पर ग़ौर करना चाहिये । अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام, फ़िरिश्ते और औलियाए किराम भी ख़ौफ़ज़दा रहते हैं । अल्लाह पाक के नबी और फ़िरिश्ते मा'सूम हैं, इन से अल्लाह पाक की ना फ़रमानी मुम्किन नहीं जब कि हम सरापा ख़ता हैं । हमें हर वक़्त अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से डरते रहना चाहिये ।

❁ बुरे ख़ातिमे का ख़ौफ़ कीजिये । हर मुसल्मान को बुरे ख़ातिमे से डरना चाहिये कि बुरे ख़ातिमे का ख़ौफ़ दिल में बिठाने से अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर का ख़ौफ़ भी दिल में बैठ जाएगा ।



1... معجم اوسط، 6/422، حدیث: 9272

2... احیاء العلوم، 4/504، 505، ماخوذا

3... الزواجر عن اقتراف الكبائر، الكبير، التاسعة والثلاثون، 1/185

❁ गुज़श्ता लोगों के वाकिआत पर गौर कीजिये। **अल्लाह** पाक की खुफ़्या तदबीर से मुतअल्लिक बहुत से वाकिआत इस्लामी कुतुब में बयान किये गए हैं जिन में ऐसे लोगों का तज़िकरा है कि जिन्होंने अपनी सारी ज़िन्दगी इबादतों रियाज़त में गुज़ारी मगर **अल्लाह** पाक ने किसी ख़ास गुनाह के सबब उन की गिरिफ़्त फ़रमा ली और उन का बहुत भयानक अन्जाम हुवा।

❁ **अल्लाह** पाक की बे नियाज़ी पर गौर कीजिये। इन्सान अपने अमल से **अल्लाह** पाक की ज़ात को न नफ़अ पहुंचा सकता है न नुक्सान, **अल्लाह** पाक की ज़ात बे नियाज़ है, बन्दा चाहे जितने नेक आ'माल कर ले मगर उस की बख़्शिश यकीनी नहीं, इन्सान को चाहिये कि वोह अपने नेक आ'माल पर भरोसा न करे बल्कि हर वक़्त **अल्लाह** पाक की बे नियाज़ी को मद्दे नज़र रखे। और उस की खुफ़्या तदबीर से डरता रहे।

❁ अपनी ने'मतों पर गौर कीजिये। जिस शख्स पर **अल्लाह** पाक ने दुन्या में मालो दौलत, रोज़ी में कसरत, फ़रमां बरदार औलाद की ने'मत, अच्छी सिद्दहत, ओहदए वज़ारत या सदारत या हुकूमत वगैरा के ज़रीए फ़राख़ी फ़रमाई है उसे येह सोचना चाहिये कि कहीं येह आसाइशें **अल्लाह** पाक की खुफ़्या तदबीर तो नहीं कि मुझे दुन्या में येह ने'मतें अता कर दी गई हैं और आख़िरत में मुझे इन ने'मतों से महरूम कर दिया जाएगा।

❁ अपनी आज़्माइशों पर गौर कीजिये। सरमाया दारों वगैरा के साथ साथ नादारों, बीमारों और मुसीबत के मारों को भी **अल्लाह** पाक की खुफ़्या तदबीर से डरना लाज़िमी है कि हो सकता है इन आफ़तों के ज़रीए आज़्माइश में डाला गया हो और ना जाइज़ गिला शिक्वा, गैर शर्ई बे सब्री और गुर्बतो मुसीबत को हराम ज़राएअ के ज़रीए ख़त्म करने की कोशिशें आख़िरत की तबाही का सबब बन जाएं।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 18

एहतिरामे मुस्लिम का बयान

कुरआन में एहतिरामे मुस्लिम की अहम्मियत

अल्लाह पाक का फ़रमान है :

وَالَّذِينَ يَبُلُّونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوَصَّلَ

(پ 13، الرعد: 21)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और वोह कि जोड़ते हैं उसे जिस के जोड़ने का **अल्लाह** ने हुक्म दिया।

❶ ... फैज़ाने सुन्नत, पेट का कुप्ले मदीना, स. 683

आयत की तफ़्सीर

सदरुल अफ़ज़िल हज़रते अल्लामा मौलाना सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رحمة الله عليه मज़क़ूरा आयत के तहत फ़रमाते हैं : या'नी अल्लाह पाक की तमाम किताबों और उस के कुल रसूलों पर ईमान लाते हैं और बा'ज़ को मान कर बा'ज़ से मुन्किर हो कर उन में तफ़्रीक़ (जुदाई) नहीं करते या येह मा'ना हैं कि हुकूके क़राबत की रिआयत रखते हैं और रिश्ता क़तअ नहीं करते। इसी में रसूले करीम صلى الله عليه وآله وسلم की क़राबतें और ईमानी क़राबतें भी दाख़िल हैं, सादाते किराम का एहतिराम और मुसल्मानों के साथ मुवद्दत (प्यार व महब्बत) व एहसान और उन की मदद और उन की तरफ़ से मुदाफ़अत (दिफ़अ) और उन के साथ शफ़क़त और सलाम व दुआ और मुसल्मान मरीज़ों की इयादत और अपने दोस्तों, खादिमों, हमसायों, सफ़र के साथियों के हुकूक की रिआयत भी इस में दाख़िल है और शरीअत में इस का लिहाज़ रखने की बहुत ताकीदे आई हैं, ब कसरत अहादीसे सहीहा इस बाब में वारिद हैं।⁽¹⁾

एहतिरामे मुस्लिम का दर्स

एक मरतबा हुज़ूर नबिय्ये करीम صلى الله عليه وآله وسلم ने सहाबए किराम عليهم الرضوان से इर्शाद फ़रमाया : जानते हो मुसल्मान कौन है ? सहाबए किराम عليهم الرضوان ने अर्ज़ की : अल्लाह पाक और उस के रसूल صلى الله عليه وآله وسلم बेहतर जानते हैं। तो इर्शाद फ़रमाया : मुसल्मान वोह है जिस की ज़बान और हाथ से दूसरे मुसल्मान महफूज़ रहें। सहाबए किराम عليهم الرضوان ने अर्ज़ की : मोमिन कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : मोमिन वोह है कि जिस से दूसरे मोमिन अपनी जानों और मालों को महफूज़ समझें।⁽²⁾

एहतिरामे मुस्लिम की ता'रीफ़

मुसल्मान की इज़्ज़तो हुर्मत का पास रखना और उसे हर तरह के नुक़सान से बचाने की कोशिश करना एहतिरामे मुस्लिम कहलाता है।

एहतिरामे मुस्लिम का हुक्म

एहतिरामे मुस्लिम का तकाज़ा येह है कि हर हाल में हर मुसल्मान के तमाम हुकूक का लिहाज़ रखा जाए और बिला इजाज़ते शर्ई किसी भी मुसल्मान की दिल शिकनी न की जाए। हमारे प्यारे प्यारे



1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 13, अर्रा'द, तहज़तल आयह : 21

2... مسند احمد، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، 2/654، حديث: 6942

आका ﷺ ने कभी भी किसी मुसलमान का दिल न दुखाया, न किसी पर तन्ज़ किया, न किसी का मज़ाक़ उड़ाया, न किसी को धुत्कारा, न कभी किसी की बे इज़्ज़ती की बल्कि हर एक को सीने से लगाया।⁽¹⁾

एहतिरामे मुस्लिम का जज़्बा पैदा करने के तरीक़े

❁ एहतिरामे मुस्लिम की फ़ज़ीलत पर ग़ौर कीजिये। मुसलमानों की इज़्ज़तो आबरू की हिफ़ाज़त करना और इन का एहतिराम करना बहुत फ़ज़ीलत की बात है, हर मुसलमान का दूसरे मुसलमान के साथ इस्लामी रिश्ता है जिस की वजह से उस पर लाज़िम है कि वोह अपने मुसलमान भाई का इक्राम करे और उस की इज़्ज़त की हिफ़ाज़त करे और हमेशा उस की बे हुर्मती से बचता रहे और अगर कोई दूसरा शख्स मुसलमान की बे इज़्ज़ती करे या उसे तकलीफ़ पहुंचाए तो मुसलमान पर लाज़िम है कि वोह अपने मुसलमान भाई की मदद करे और उस की इज़्ज़त पामाल न होने दे।

❁ मुसलमान की बे इज़्ज़ती करने की कईदों पर ग़ौर कीजिये। मुसलमान की बे इज़्ज़ती करना बहुत बुरा फ़ैल है और उस की बहुत मज़म्मत बयान की गई है। बे इज़्ज़ती करने की मुख़्तलिफ़ सूरतें हैं : मुसलमान का मज़ाक़ उड़ाना, गाली देना, चुगली लगाना, बोहतान तराशी करना, जहां उस की इज़्ज़त की जाती हो वहां उसे ज़लील करना, ग़ीबत करना या उस की ग़ीबत हो रही हो तो कुदरत के बा वुजूद न रोकना भी बे इज़्ज़ती में शामिल है। अगर किसी मुसलमान को ज़लीलो रुस्वा किया जा रहा हो तो दूसरे मुसलमान पर लाज़िम है कि उस का दिफ़ाअ करे अगर कुदरत के बा वुजूद उस की हिमायत नहीं करेगा तो खुद भी गुनाहगार होगा।

❁ हुकूकुल इबाद अदा करने का ज़ेहन बनाइये। एहतिरामे मुस्लिम सहीह तौर पर बजा लाने के लिये मुसलमानों के हुकूक की अदाएगी बहुत ज़रूरी है और इन हुकूक में वालिदैन्, बहन भाई, रिश्तेदार, पड़ोसी, दोस्त अहबाब के हुकूक भी शामिल हैं।

❁ हुस्ने अख़्लाक़ अपनाइये। हुस्ने अख़्लाक़ ऐसी सिफ़त है कि जो एहतिरामे मुस्लिम की अस्ल है क्यूं कि हुस्ने अख़्लाक़ अच्छाइयों की जामेअ है, हुस्ने अख़्लाक़ से मुत्तसिफ़ इन्सान ईसार, दिलजूर्ई, सखावत, बुर्दबारी, तहम्मुल मिज़ाजी, हमदर्दी, अखुव्वतो रवादारी जैसी आ'ला सिफ़ात से मुत्तसिफ़ होता है और येह ही वोह सिफ़ात हैं जिन से इन्सान में एहतिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार होता है।

1... एहतिरामे मुस्लिम, स. 26, 27

सबक नम्बर 19

शैतान की मुख़ालफ़त का बयान

शैतान इन्सान का खुला दुश्मन

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿١٦٨﴾
(پ 2، البقرة: 168)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और शैतान के क़दम पर क़दम न रखो बेशक वोह तुम्हारा खुला दुश्मन है ।

मुख़ालफ़ते शैतान पर उभारने का अनोखा अन्दाज़

हज़रते अब्दुल्लाह बिन मस्क़द رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि एक दिन हुज़ूर عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ने हमें समझाने के लिये एक लकीर खींची और इर्शाद फ़रमाया : “येह अल्लाह पाक का रास्ता है ” फिर उस लकीर के दाएं बाएं मुतअद्द लकीरें खींचीं और इर्शाद फ़रमाया : “येह मुख़लिफ़ रास्ते हैं, इन में से हर एक पर एक शैतान है जो लोगों को उस पर चलने की दा’वत देता है ।” फिर येह आयत तिलावत फ़रमाई :

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا
السُّبُلَ (پ 8، الانعام: 153)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और येह कि येह है मेरा सीधा रास्ता तो इस पर चलो और, और राहें न चलो ।⁽¹⁾

मुख़ालफ़ते शैतान क्या है ?

अल्लाह पाक की इबादत कर के शैतान से दुश्मनी करना, अल्लाह पाक की ना फ़रमानी में शैतान की पैरवी न करना और सिद्के दिल से हमेशा अपने अक़ाइदों आ’माल की शैतान से हिफ़ाज़त करना मुख़ालफ़ते शैतान है ।⁽²⁾

मुख़ालफ़ते शैतान का हुक्म

अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन अली जूज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : शैतान मरदूद की मुख़ालफ़त अल्लाह पाक के अज़ाब से बचा देती है और अल्लाह पाक के औलिया के साथ जन्नत में आ’ला



1... سنن كبرى للنسائي، كتاب التفسير، باب سورة الانعام، 6/343، حديث: 11174

2... مكاشفة القلوب، ص 52 ماخوذاً

मक़ाम अता कर देती है और उस मक़ाम पर पहुंचा देती है कि तुम रब्बुल आलमीन की ज़ियारत कर सकोगे।⁽¹⁾

शैतान की मुख़ालफ़त अपनाने के तरीक़े

❁ शैतान के मक़ासिद पर ग़ौर कीजिये। शैतान की मुख़ालफ़त पर कमर बस्ता होने के लिये ज़रूरी है कि हमें उस के मक़ासिद मा'लूम हों क्यूं कि जब हमें उस के नापाक अज़ाइम का इल्म होगा तो हमारे दिल में उस के लिये नफ़रत पैदा होगी और उस की मुख़ालफ़त का ज़ेहन बनेगा। शैतान के चन्द मक़ासिद हैं : (1) बन्दे से उस का ईमान छीनना ताकि वोह दाइमी तौर पर जहन्नम का हक़दार बन जाए, अगर ईमान न छीन सके तो फिर उस का मक़सद होता है कि (2) बन्दे को फ़िस्को फुज़ूर में मुब्तला करे, अगर येह अपने इस मक़सद में भी काम्याब न हो तो फिर उस की कोशिश येह होती है कि (3) बन्दे को नेक आ'माल से रोके ताकि वोह आ'ला मर्तबे को न पहुंच सके। लिहाज़ा इन्सान को शैतान के मज़मूम मक़ासिद अपने ज़ेहन में रखने चाहिएं ताकि दिल में उस की मुख़ालफ़त का जज़्बा पैदा हो।⁽²⁾

❁ अल्लाह पाक और उस के रसूल ﷺ से महबबत कीजिये। शैतान अल्लाह पाक और उस के हबीब ﷺ का दुश्मन है इसी लिये वोह हमारा भी दुश्मन है और हमें उस की मुख़ालफ़त करनी है, जब हम अल्लाह पाक और हुज़ूर ﷺ से महबबत करेंगे तो उन की इताअत करेंगे और उन की इताअत ही शैतान की मुख़ालफ़त है।

❁ नेक लोगों की सोहबत इख़्तियार कीजिये। शैतान के फ़रेब को जानने की कोशिश कीजिये। शैतान की मुख़ालफ़त करने के लिये उस के मक़्रो फ़रेब को जानना बहुत ज़रूरी है, बा'ज़ अवकात शैतान नेकी की आड़ में बुराई को पेश करता है क्यूं कि जब वोह ब ज़ाहिर बन्दे को गुनाह की तरफ़ बुलाने पर क़ादिर नहीं होता तो गुनाह को नेकी की सूरत में पेश करता है और बन्दे को गुनाह में मशगूल होने का इल्म ही नहीं होता।

❁ अल्लाह पाक का ज़िक्र कीजिये। हज़रते अनस رَضِيَ اللهُ عَنْهُ बयान करते हैं कि हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : “शैतान इब्ने आदम के दिल पर अपनी सूंड रखे हुए होता है अगर वोह अल्लाह पाक का ज़िक्र करता है तो पीछे हट जाता है और अगर अल्लाह पाक को भूल जाए तो फ़ौरन उस



के दिल पर ग़ालिब आ जाता है।”(1)

❁ भूक से कम खाइये : पेट भर कर खाना शैतान की मुख़ालफ़त में रुकावट बनता है क्यूं कि खाना अगर्चे हलाल और शुबे से पाक हो मगर उसे पेट भर कर खाने से शहवात को तक्वियत मिलती है और शहवात शैतान के हथियार हैं।

सबक़ नम्बर 20

शुक्र का बयान

शुक्र की अहम्मियत

अल्लाह करीम कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ
عَذَابِي لَشَدِيدٌ ﴿١٣﴾ (प्रा. 13, अ. 7)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अगर एहसान मानोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा और अगर नाशुक्री करो तो मेरा अज़ाब सख़्त है।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में है : इस आयत से मा'लूम हुवा कि शुक्र से ने'मत ज़ियादा होती है। शुक्र की अस्ल येह है कि आदमी ने'मत का तसव्वुर और उस का इज़हार करे और हकीक़ते शुक्र येह है कि मुन्डम (या'नी ने'मत देने वाले) की ने'मत का उस की ता'ज़ीम के साथ ए'तिराफ़ करे और नफ़्स को इस का ख़ूगार बनाए। यहां एक बारीकी है वोह येह कि बन्दा जब अल्लाह पाक की ने'मतों और उस के तरह तरह के फ़ज़लो करम व एहसान का मुतालआ करता है तो उस के शुक्र में मशगूल होता है इस से ने'मतें ज़ियादा होती हैं और बन्दे के दिल में अल्लाह पाक की महब्वत बढ़ती चली जाती है। येह मक़ाम बहुत बरतर (ऊंचा) है और इस से आ'ला मक़ाम येह है कि मुन्डम की महब्वत यहां तक ग़ालिब हो कि क़ल्ब को ने'मतों की तरफ़ इल्तिफ़ात बाकी न रहे, येह मक़ाम सिद्दीकों का है। अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से हमें शुक्र की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। (आमीन)

दुनिया व आख़िरत की भलाई मिल गई

हज़रते इब्ने अब्बास رَضِيَ اللهُ عَنْهُ से रिवायत है कि रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जिसे चार चीज़ें मिल गई उसे दुनिया व आख़िरत की भलाई मिल गई : (1) शुक्र करने वाला दिल (2) ज़िक़र करने वाली ज़बान (3) आज़माइश पर सब्र करने वाला बदन और (4) अपने आप और शौहर के माल में



ख़ियानत न करने वाली बीवी।⁽¹⁾

शुक्र की ता'रीफ़

शुक्र की ता'रीफ़ यह है कि किसी के एहसान व ने'मत की वजह से ज़बान, दिल या आ'ज़ा के साथ उस की ता'ज़ीम करना।

शुक्र का हुक्म

अल्लाह करीम की ने'मतों पर शुक्र अदा करना वाजिब है। शुक्र अदा करना रिज़ाए इलाही और जन्नत में ले जाने वाला काम है।

शुक्र की आदत अपनाने के तरीक़े

❁ शुक्र के फ़ज़ाइल व वाक़िआत का मुतालआ कीजिये। रब्बे करीम की ने'मतों पर ग़ौर कीजिये। शुक्र गुज़ारों की सोहबत इख़्तियार कीजिये।

❁ अपने से कमतर व अदना पर नज़र कीजिये। मसलन यूँ ग़ौर कीजिये कि हमारे पास रहने के लिये अपना मकान है मगर कई लोग ऐसे हैं जिन के पास अपना मकान नहीं, इस तरह रब्बे करीम की अता कर्दा ने'मतों पर शुक्र करने का मदनी ज़ेहन बनेगा।

❁ ने'मतों के ज़वाल का ख़ौफ़ कीजिये। क्यूँ कि ने'मतों पर शुक्र अदा किया जाए तो उन में इज़ाफ़ा होता है और अगर उन की नाशुक्री की जाए तो वोह ने'मतें छीनी जा सकती हैं।

❁ मुख़्तलिफ़ आ'ज़ा से शुक्र अदा कीजिये। दिल के साथ इस तरह कि भलाई का इरादा कीजिये, ज़बान के साथ इस तरह कि शुक्र का इज़हार करते हुए अल्लाह पाक की हम्द कीजिये और आ'ज़ा के साथ इस तरह कि उस ने'मत को अल्लाह पाक की इताअतो फ़रमां बरदारी के लिये इस्ति'माल में लाइये और उस की ना फ़रमानी वाले कामों में उस से मदद न लीजिये।

❁ मुसीबतों पर भी शुक्र कीजिये। कि बन्दा जब मुसीबतों पर शुक्र की आदत बना लेगा तो खुद ब खुद ने'मतों पर भी शुक्र बजा लाएगा।

सबक़ नम्बर 21

दिल की नरमी का बयान

कुरआन में नर्मिये दिल की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

فِي سَارِحَةٍ مِّنَ اللَّهِ لَيْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا

الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ

(پ 4، آل عمران: 159)

तरजमए कन्जुल ईमान : तो कैसी कुछ अल्लाह की मेहरबानी है कि ऐ महबूब तुम उन के लिये नर्म दिल हुए और अगर तुन्द मिजाज सख्त दिल होते तो वोह ज़रूर तुम्हारे गिर्द से परेशान हो जाते ।

नर्म दिल वाला अल्लाह का पसन्दीदा

रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : बेशक अल्लाह पाक नर्म दिल, पाक दामन ग़नी को पसन्द फ़रमाता है और संगदिल बद किरदार साइल को ना पसन्द फ़रमाता है ।⁽¹⁾

नर्मिये दिल की ता'रीफ़

दिल का खौफ़े खुदा के सबब इस तरह नर्म होना कि बन्दा अपने आप को गुनाहों से बचाए और नेकियों में मशगूल कर ले । नसीहत उस के दिल पर असर करे, गुनाहों से बे रग़बती हो, गुनाह करने पर पशेमानी हो, बन्दा तौबा की तरफ़ मुतवज्जेह हो, शरीअत ने उस पर जो जो हुकूक लाज़िम किये हैं उन की अच्छे तरीक़े से अदाएगी पर आमादा हो, अपने आप, घरबार, रिश्तेदारों व ख़ल्के खुदा पर शफ़क़तो रहूम व नरमी करे । कुल्ली तौर पर इस कैफ़ियत को दिल की नरमी से ता'बीर किया जाता है ।

नर्म दिल का हुक्म

वोह उमूर जो दिल की सख़्ती दूर करने और दिल में नरमी पैदा करने का सबब बनें उन्हें हासिल करने की कोशिश की जाए ।

दिल में नरमी पैदा करने के तरीक़े

❁ **दिल की सख़्ती के मुम्किनाना नुक्सानात पर ग़ौर कीजिये ।** चन्द नुक्सानात येह हैं : दिल की सख़्ती अमल को जाएअ कर देने का सबब है । सख़्त दिली से बे रहूमी का अन्देशा है । सख़्त दिल लोग अल्लाह करीम और उस के हबीब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को ना पसन्द हैं ।

❁ **नर्म दिली के फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये ।** चन्द फ़वाइद येह हैं : नर्म दिल शख्स रहूम दिल होता है, सब पर रहूम करता है, नर्म दिल लोग अल्लाह पाक और उस के हबीब صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ को पसन्द हैं ।

❁ **भूक से कम खाइये ।** इस से दिल नर्म होता है, पेट भर कर खाने से दिल की सख़्ती पैदा होती है । फुज़ूल गुफ़्तगू से परहेज़ कीजिये । फुज़ूल गोई से दिल में सख़्ती पैदा होती है । गुनाहों के ख़िलाफ़



ए'लाने जंग कर दीजिये । गुनाह ख़्वाह ज़ाहिरी हों या बातिनी, दोनों ही दिल की सख़्ती का सबब हैं ।
 ❁ **यतीम व मिस्कीन की ख़ैर ख़्वाही कीजिये** । इन के साथ ख़ैर ख़्वाही की जाए कि एक शख्स ने हुज़ूर नबिय्ये करीम ﷺ की बारगाह में सख़्त दिली की शिकायत की तो आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : अगर तू दिल की नरमी चाहता है तो मिस्कीन को खाना खिला और यतीम के सर पर हाथ फेर ।
 ❁ **मौत को कसरत से याद कीजिये** । मौत दिल की नरमी का बेहतरीन नुस्खा है । चुनान्चे एक औरत ने उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ عَنْهَا से अपने दिल की सख़्ती के बारे में शिकायत की तो उन्होंने ने फ़रमाया : “मौत को ज़ियादा याद करो इस से तुम्हारा दिल नर्म हो जाएगा ।” उस औरत ने ऐसा ही किया तो दिल की सख़्ती जाती रही, फिर उस ने उम्मुल मुअमिनीन हज़रते सय्यिदतुना आइशा सिद्दीका رَضِيَ اللهُ عَنْهَا का शुक्रिया अदा किया ।

❁ **ज़ियारते कुबूर कीजिये** । ज़ियारते कुबूर दिल की सख़्ती का एक बेहतरीन इलाज और दिल की नरमी में बहुत मुअविन है । **रसूलुल्लाह** ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : मैं तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मन्अ किया करता था, अब तुम क़ब्रों की ज़ियारत किया करो क्यूं कि ज़ियारते कुबूर दिल की नरमी, अश्कबारी (रोने का सबब) और आख़िरत की याद दिलाने वाली है ।

❁ **अल्लाह वालों की सोहबत इख़्तियार कीजिये** । हकीमुल उम्मत मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : जैसे लोहा नर्म हो कर औज़ार और सोना नर्म हो कर ज़ेवर और मिट्टी नर्म हो कर खेत या बाग़, आटा नर्म हो कर रोटी वग़ैरा बनते हैं ऐसे ही इन्सान दिल का नर्म हो कर वली, सूफी, आरिफ़ वग़ैरा बनता है । दिल की नरमी **अल्लाह** की बड़ी ने'मत है, येह नर्मदिली बुजुर्गों की सोहबत और उन के पाक कलिमात से नसीब होती है ।

सबक़ नम्बर 22

जोहद का बयान

कुरआन में जोहद की अहम्मियत

अल्लाह पाक क़ारून का वाकिआ बयान करते हुए इर्शाद फ़रमाता है :

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ
 الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْكِلَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ ۖ إِنَّهُ
 لَكَاذِبٌ عَظِيمٌ ۝ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيُؤْتِكُمْ
 ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَا يُلْقِيهَا
 إِلَّا الصُّبْرُونَ ۝ (پ 20، القصص: 79-80)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो अपनी क़ौम पर निकला अपनी आराइश में, बोले वोह जो दुनिया की ज़िन्दगी चाहते हैं किसी तरह हम को भी ऐसा मिलता जैसा क़ारून को मिला बेशक उस का बड़ा नसीब है, और बोले वोह जिन्हें इल्म दिया गया ख़राबी हो तुम्हारी **अल्लाह** का सवाब बेहतर है उस के लिये जो ईमान लाए और अच्छे काम करे और येह उन्हीं को मिलता है जो सब्र वाले हैं ।

हदीस में जोहद की अहमियत

एक सहाबी رضي الله عنه कहते हैं कि हम ने बारगाहे रिसालत में अर्ज की : **या रसूलल्लाह !** लोगों में सब से बेहतर शख्स कौन है ? इर्शाद फ़रमाया : हर वोह मोमिन जो दिल का साफ़ और ज़बान का सच्चा हो । अर्ज की गई : साफ़ दिल वाले से क्या मुराद है ? इर्शाद फ़रमाया : वोह मुत्तकी और मुख़्लिस शख्स जिस के दिल में ख़ियानत, धोका, बगावत और हसद न हो । फिर अर्ज की गई : ऐसे शख्स के बा'द कौन अफ़ज़ल है ? इर्शाद फ़रमाया : वोह शख्स जो दुनिया से नफ़रत और आख़िरत से महबूब करने वाला हो ।⁽¹⁾

जोहद की ता'रीफ़

दुनिया को तर्क कर के आख़िरत की तरफ़ माइल होने या ग़ैरुल्लाह को छोड़ कर **अल्लाह** करीम की तरफ़ मुतवज्जेह होने का नाम जोहद है । और ऐसा करने वाले को ज़हिद कहते हैं । जोहद की मुकम्मल और जामेअ ता'रीफ़ हज़रते सय्यिदुना अबू सुलैमान दारानी رحمة الله عليه का क़ौल है, आप फ़रमाते हैं : जोहद येह है कि बन्दा हर उस चीज़ को तर्क कर दे जो उसे **अल्लाह** पाक से दूर करे ।

जोहद का हुक्म

जोहद नजात दिलाने और जन्नत में ले जाने वाला अमल है ।

जोहद की अक़्साम

हज़रते इब्राहीम बिन अदहम رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : अहक़ाम के ए'तिबार से जोहद की तीन अक़्साम हैं : (1) फ़र्ज कि बन्दा अपने आप को हराम चीज़ों से बचाए । (2) नफ़ल कि बन्दा अपने आप को हलाल चीज़ों से भी बचाए । (3) एह़तियात कि बन्दा शुबुहात से अपने आप को बचाए ।

जोहद के दरजात

जोहद के तीन दरजात हैं :



जो शख्स अल्लाह पाक के सिवा हर चीज़ यहां तक कि जन्तुल फिरदौस से भी बे रग़्बती इख़्तियार करे। सिर्फ़ अल्लाह से महब्बत करे वोह ज़ाहिदे मुत्लक है जो कि ज़ोहद का आ'ला तरीन दरजा है।

जो शख्स तमाम दुन्यवी लज़्ज़ात से बे रग़्बत हो लेकिन उख़्ख़वी ने'मतों मसलन जन्तती हूरों, महल्लात व बागात, नहरों और फलों वगैरा की लालच करे वोह भी ज़ाहिद है लेकिन इस का मर्तबा ज़ाहिदे मुत्लक से कम है।

जो शख्स दुन्यवी लज़्ज़ात में से बा'ज़ को तर्क करे और बा'ज़ को नहीं। मसलन मालो दौलत को तर्क करे, मर्तबे और शोहरत को नहीं या खाने पीने में वुस्अत को तर्क कर दे ज़ीनतो आराइश को नहीं, इस को मुत्लकन ज़ाहिद नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिदीन में ऐसे शख्स का वोही मर्तबा है जैसे तौबा करने वालों में उस शख्स का जो बा'ज़ गुनाहों से तौबा करे और बा'ज़ से न करे।

ज़ोहद इख़्तियार करने के तरीके

❁ ज़ोहद के फ़ज़ाइलो फ़वाइद पर ग़ौर कीजिये। ज़ोहद से मुतअल्लिक अक्वाले बुजुर्गाने दीन पर ग़ौर कीजिये। ज़ोहद से मुतअल्लिक बुजुर्गाने दीन के अहवाल का मुतालआ कीजिये।

❁ दुन्या को आख़िरत पर तरजीह देने के नुक्सानात पर ग़ौर कीजिये। रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : जिस ने दुन्या को आख़िरत पर तरजीह दी अल्लाह करीम उसे तीन बातों में मुब्तला फ़रमा देगा : (1) ऐसा ग़म जो कभी उस के दिल से जुदा न होगा। (2) ऐसा फ़क़्र जिस से कभी नजात न मिलेगी और (3) ऐसी लालच जो कभी ख़त्म न होगी।

सबक़ नम्बर 23

महब्बते इलाही का बयान

महब्बते इलाही की अहमिय्यत

अल्लाह करीम कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ۚ (پ 2، البقرة: 165)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ईमान वालों को अल्लाह के बराबर किसी की महब्बत नहीं।

महब्बते इलाही के तकाज़े

अल्लाह के मक्बूल बन्दे तमाम मख़्लूकात से बढ़ कर अल्लाह से महब्बत करते हैं। महब्बते

इलाही में जीना और महबबते इलाही में मरना उन की हकीकी ज़िन्दगी होता है। अपनी खुशी पर अपने रब की रिज़ा को तरजीह देना, नर्मो गुदाज़ बिस्तरों को छोड़ कर बारगाहे नियाज़ में सर ब सुजूद होना, यादे इलाही में रोना, रिज़ाए इलाही के हुसूल के लिये तड़पना, सर्दियों की तबील रातों में क़ियाम और गर्मियों के लम्बे दिनों में रोज़े, अल्लाह पाक के लिये महबबत करना, उसी की खातिर दुश्मनी रखना, उसी की खातिर किसी को कुछ देना और उसी की खातिर किसी से रोक लेना, ने'मत पर शुक्र, मुसीबत में सब्र, हर हाल में खुदा पर तवक्कुल, अपने हर मुआमले को अल्लाह के सिपुर्द कर देना, अहकामे इलाही पर अमल के लिये हमा वक़्त तय्यार रहना, दिल को ग़ैर की महबबत से पाक रखना, अल्लाह के महबूबों से महबबत और अल्लाह के दुश्मनों से नफ़रत करना, अल्लाह पाक के प्यारों का नियाज़ मन्द रहना, अल्लाह पाक के सब से प्यारे रसूल व महबूब ﷺ को दिलो जान से महबूब रखना, अल्लाह करीम के कलाम की तिलावत, अल्लाह पाक के मुक़र्रब बन्दों को अपने दिलों के करीब रखना, उन से महबबत रखना, महबबते इलाही में इज़ाफ़े के लिये उन की सोहबत इख़्तियार करना, अल्लाह पाक की ता'ज़ीम समझते हुए उन की ता'ज़ीम करना, येह तमाम उमूर और इन के इलावा सेंकड़ों काम ऐसे हैं जो महबबते इलाही की दलील भी हैं और इस के तकाज़े भी हैं।⁽¹⁾

महबबते इलाही की अहमिय्यत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा

हज़रते अबू रज़ीन उक़ैली رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ने बारगाहे रिसालत में अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह !** ईमान क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : ईमान येह है कि अल्लाह करीम और उस का रसूल तुम्हारे नज़्दीक सब से ज़ियादा महबूब हों।⁽²⁾

महबबते इलाही की ता'रीफ़

तबीअत का किसी लज़ीज़ शै की तरफ़ माइल हो जाना महबबत कहलाता है और महबबते इलाही से मुराद अल्लाह पाक का कुर्ब और उस की ता'ज़ीम है।

ता'रीफ़ की वज़ाहत

हज़रते दाता गन्ज बख़्श अली बिन उस्मान हिजवेरी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ महबबते इलाही की वज़ाहत करते हुए फ़रमाते हैं : बन्दे की अल्लाह पाक से महबबत वोह एक सिफ़त है जो फ़रमां बरदार मोमिन के दिल में ज़ाहिर होती है जिस का मा'ना ता'ज़ीमो तकरीम भी है यहां तक कि बन्दा महबूब की रिज़ा

1... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 2, अल बक़रह, तह़तल आयह : 165, 1/264

2... مسند احمد، مسند المدنیین، 5/470، حدیث: 16194

तलब करने में लगा रहता है और उस के दीदार की तलब में बे ख़बर हो कर उस की कुर्बत की आरजू में बेचैन हो जाता है और उसे उस के बिगैर चैनो क़रार हासिल ही नहीं होता। उस की आदत अपने महबूब के ज़िक्र के साथ हो जाती है और वोह बन्दा ग़ैर के ज़िक्र से दूर और मुतनफ़ि़र रहता है। वोह तमाम तर्ब्द रग़बतों व ख़्वाहिशों से जुदा हो कर अपनी ख़्वाहिशात से कनारा कश हो जाता है, वोह ग़लबए महबूबत के साथ मुतवज्जेह होता है और खुदा के हुक्म के आगे सर झुका देता है और उसे कमाल औसाफ़ के साथ पहचानने लगता है।

महबूबते इलाही का हुक्म

इमाम मुहम्मद बिन मुहम्मद गज़ाली رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : उम्मत का इस बात पर इज्माअ है कि अल्लाह पाक और उस के रसूल से महबूबत करना फ़र्ज़ है।

महबूबते इलाही पैदा करने के तरीके

❁ इन्सान देखे कि उस का कमाल व बक़ा महज़ अल्लाह करीम की तरफ़ से है। वोही ज़ात उस को अदम से वुजूद में लाने वाली, उस को बाक़ी रखने वाली और उस के वुजूद में सिफ़ाते कमाल, उन के अस्बाब और उन के इस्ति'माल की हिदायत पैदा कर के उसे कामिल करने वाली है तो ऐसी ज़ात से ज़रूर महबूबत रखनी चाहिये।

❁ जिस तरह अल्लाह करीम को पहचानने का हक़ है अगर बन्दा उस तरह उसे पहचाने तो ज़रूर जान जाएगा कि उस पर एहसान करने वाला सिर्फ़ अल्लाह करीम ही है और मोहसिन से महबूबत फ़ितरी होती है लिहाज़ा अल्लाह करीम से महबूबत रखनी चाहिये।

❁ अल्लाह पाक जमील है जैसा कि हदीसे पाक में है : “إِنَّ اللَّهَ جَبِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ” या 'नी अल्लाह जमील है और जमाल को पसन्द करता है।”⁽¹⁾ और जमाल वाले से महबूबत फ़ितरी और जबिल्ली है लिहाज़ा अल्लाह पाक से महबूबत का येह भी एक सबब है।

❁ अल्लाह पाक की ने'मतों में ग़ौर कीजिये। इन्सान देखे कि अल्लाह पाक जो मुन्डमे हक़ीक़ी है तमाम ने'मतें उसी की तरफ़ से हैं और वोह हर मख़्लूक को अपनी ने'मतों से नवाज़ रहा है। येह एहसास इन्सान के अन्दर मुन्डमे हक़ीक़ी की महबूबत का जज़्बा पैदा करता है।

❁ अल्लाह पाक के अद्ल और फ़ज़लो रहमत में ग़ौर कीजिये। इन्सान ग़ौर करे तो उसे अद्लो इन्साफ़ में सब से बढ़ कर ज़ात अल्लाह करीम ही की दिखाई देगी और वोह येह भी देखेगा कि काफ़ि़रों और



गुनाहगारों पर भी उस की रहमत जारी है बा वुजूद येह कि वोह उस की ना फ़रमानी और सरकशी करते हुए दिखाई देते हैं। येह ग़ौरो फ़िक्र इन्सान को अल्लाह पाक से महबूबत पर उभारेगा।

सबक नम्बर 24

ख़ल्वत नशीनी का बयान

कुरआन में ख़ल्वत नशीनी की अहम्मियत

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۝

(प 29, मर्ल: 8)

तरजमए कन्जुल ईमान : और अपने रब का नाम याद करो और सब से टूट कर उसी के हो रहो।

आयत की तफ़्सीर

मौलाना मुफ़्ती मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : या'नी इबादत में इन्किताअ की सिफ़त हो कि दिल अल्लाह पाक के सिवा और किसी तरफ़ मशगूल न हो, सब अलाका (तअल्लुकात) क़तअ (ख़त्म) हो जाएं, उसी की तरफ़ तवज्जोह रहे।⁽¹⁾

ख़ल्वत नशीनी नजात का ज़रीआ

हज़रते उक्बा बिन अमिर رَضِيَ اللهُ عَنْهُ कहते हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ से अर्ज की : नजात का ज़रीआ क्या है ? इर्शाद फ़रमाया : अपनी ज़बान को काबू में रखो और तुम को तुम्हारा घर काफ़ी रहे और अपनी ख़ताओं पर रोओ।⁽²⁾

ख़ल्वत नशीनी की ता'रीफ़

बन्दे का अल्लाह पाक की रिज़ा हासिल करने, तक्वा व परहेज़ ग़ारी के दरजात में तरक्की करने और गुनाहों से बचने के लिये अपने घर या किसी मख़सूस मक़ाम पर लोगों की नज़रों से पोशीदा हो कर इस तरह मो'तदिल अन्दाज़ में नफ़ली इबादत करना ख़ल्वत व गोशा नशीनी कहलाता है कि हुकूकुल्लाह

1... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 29, अल मुज़म्मिल, तह्कतल आयह : 8

2... तर्ज़ु, کتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، 4/182، حدیث: 2414

(या'नी फ़राइज़ो वाजिबात व सुनने मुअक्कदा) और शरीअत की तरफ़ से उस पर लाज़िम किये गए तमाम हुक्क की अदाएगी, वालिदैन्, घर वालों, आल औलाद व दीगर हुक्कुल इबाद (बन्दों के हुक्क) की अदाएगी में कोई कोताही न हो ।

जब कि सूफ़ियाए किराम رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام के नज़दीक लोगों में जाहिरी तौर पर रहते हुए बातिनी तौर पर उन से जुदा रहना या'नी खुद को रब्बे करीम की तरफ़ मुतवज्जेह रखना ख़ल्वत व गोशा नशीनी है ।

ख़ल्वत नशीनी का हुक्म

मुत्लक़न ख़ल्वत रिज़ाए इलाही पाने, खुद को नेकियों में लगाने, गुनाहों से बचाने और जन्नत में ले जाने वाला काम है ।

चन्द अहकाम

❁ ऐसा आलिमे दीन जिस से लोग इल्मे दीन हासिल करते हों और अगर येह ख़ल्वत इख़्तियार कर ले तो लोग शर्ई मसाइल से महरूम हो कर गुमराही में जा पड़ेंगे तो ऐसे आलिम के लिये कुल्लिय्यतन ख़ल्वत इख़्तियार करना ना जाइज़ व मम्नूअ है अलबत्ता ऐसा साहिबे इल्म शख्स जिस के पास अपनी ज़रूरत का इल्म मौजूद है और उस के ख़ल्वत इख़्तियार करने से लोगों का भी कोई नुक़सान नहीं तो ऐसे शख्स के लिये ख़ल्वत इख़्तियार करना जाइज़ है ।

❁ ऐसा शख्स जो ज़रूरिय्याते दीन (फ़राइज़ो वाजिबात व सुनने मुअक्कदा) से ना वाकिफ़ हो, अगर इल्म हासिल न करेगा तो नफ़्सो शैतान के बहकावे में आ कर गुमराही के गढ़े में गिर जाएगा ऐसे शख्स के लिये ख़ल्वत इख़्तियार करना शर्अन ना जाइज़ व हराम है बल्कि उस पर लाज़िम है कि फ़र्ज़ उलूम को हासिल करे ।

❁ अगर ख़ल्वत इख़्तियार करने में किसी भी तरह हुक्कुल्लाह या हुक्कुल इबाद की तलफ़ी होती हो तो ऐसी ख़ल्वत इख़्तियार करना शर्अन ना जाइज़ व हराम है । मसलन कोई शख्स घर के एक कोने में बैठ कर इस तरह ज़िक्रो अज़्कार व इबादत वगैरा में मसरूफ़ हो जाए कि जमाअत भी तर्क कर दे, जुमुआ व ईदैन् में भी सुस्ती हो जाए, कस्बे हलाल तर्क कर दे और उसे या उस के घर वालों को इस ख़ल्वत की वजह से दूसरों के सामने हाथ फैलाना पड़े तो ऐसी ख़ल्वत ना जाइज़ व हराम है ।

ख़ल्वत इख़्तियार करने का ज़ेहन बनाने के तरीक़े

❁ ख़ल्वत से मुतअल्लिक़ बुजुर्गाने दीन के अक्वाल का मुतालआ कीजिये । ❁ आदाबे ख़ल्वत की मा'लूमात हासिल कीजिये । ❁ ख़ल्वत से मुतअल्लिक़ बुजुर्गाने दीन के अक्वाल व वाकिआत का

मुतालआ कीजिये । ❁ बुरे लोगों की सोहबत के नुक्सानात पर गौर कीजिये । ❁ ख़ल्वत के दीनी व दुन्यवी फ़वाइद पेशे नज़र रखिये ।

सबक़ नम्बर 25

मौत को याद करने का बयान

कुरआन में मौत का ज़िक्र

अल्लाह पाक कुरआने मजीद में इर्शाद फ़रमाता है :

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ (پ 17، الانبیاء: 35)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : हर जान को मौत का मज़ा चखना है ।

हदीस में मौत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : लज़्ज़तों को ख़त्म करने वाली (मौत) को ज़ियादा याद किया करो ।⁽¹⁾ या'नी मौत को याद कर के लज़्ज़तों को बद मज़ा कर दो ताकि उन की तरफ़ तबीअत माइल न हो और तुम यक्सूर्ई के साथ अल्लाह पाक की तरफ़ मुतवज्जेह हो जाओ ।⁽²⁾

मौत को याद करने का हुक्म

इमाम मुहम्मद ग़ज़ाली رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ने इर्शाद फ़रमाते हैं : हर हाल में मौत को याद करने में सवाब और फ़ज़ीलत है और येह सवाब और फ़ज़ीलत दुन्या में मगन शख़्स भी मौत को याद कर के पा सकता है इस तरह कि दुन्या से अलग थलग रहे ताकि दुन्यावी ने'मतों में दिलचस्पी न रहे और लज़्ज़तें बद मज़ा हो जाएं क्यूं कि हर वोह लज़्ज़त व ख़्वाहिश जो इन्सान के लिये बद मज़ा हो वोह अस्बाबे नजात में से है ।⁽³⁾

मौत को याद करने का ज़ेहन बनाने के तरीक़े

❁ मौत से मुतअल्लिक़ रिवायात का मुतालआ कीजिये । ❁ मौत से मुतअल्लिक़ अक्वाले बुजुर्गाने दीन का मुतालआ कीजिये । ❁ जनाज़ों में शिर्कत कीजिये । ❁ क़ब्रिस्तान जाने की आदत बनाइये । ❁ मौत से मुतअल्लिक़ कुतुबो रसाइल का मुतालआ कीजिये । ❁ इब्रत नाक वाकिआत का मुतालआ या मुशाहदा कीजिये । ❁ मौत के बा'द पेश आने वाले हालात पर मुश्तमिल कुतुब का मुतालआ कीजिये । ❁ दुन्या से चले जाने वाले लोगों के अहवाल को याद कीजिये ।



1... ابن ماجه، کتاب الزهد، باب ذکر الموت والاستعداد، 4/495، حدیث: 4258

2... احیاء العلوم، 5/477

3... احیاء العلوم، 5/477

छटा बाब

मोहलिकात
(हलाक करने वाली चीज़ों)
का बयान

इस बाब में आप पढ़ेंगे

1... हसद करने के अस्बाब

2... बद गुमानी से बचने के तरीके

3... कुरआन में मायूसी की मजम्मत

4... कुरआने करीम में झूट की मजम्मत

5... गाली देने के अस्बाब

6... कुरआन में गुस्सा पीने की फ़जीलत

सबक नम्बर 1

हसद का बयान

कुरआन में हसद की मज्मूमत

وَلَا تَسْتَفْهِمُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ط
(प 5, النساء: 32)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और उस की आरजू न करो जिस से अल्लाह ने तुम में एक को दूसरे पर बढ़ाई दी।

आयत की तफ़्सीर

जब एक इन्सान दूसरे के पास कोई ऐसी ने'मत देखता है जो उस के पास नहीं तो उस का दिल तश्वीश में मुब्तला हो जाता है ऐसी सूरत में उस की हालत दो तरह की होती है : (1) वोह इन्सान येह तमन्ना करता है कि येह ने'मत दूसरे से छिन जाए और मुझे हासिल हो जाए। येह हसद है और हसद मज्मूम और हराम है। (2) दूसरे से ने'मत छिन जाने की तमन्ना न हो बल्कि येह आरजू हो कि उस जैसी मुझे भी मिल जाए, इसे ग़िब्त कहते हैं येह मज्मूम नहीं।⁽¹⁾

हदीस में हसद का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : हसद से बचो ! बेशक हसद नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खाती है।⁽²⁾

हसद की ता'रीफ़

किसी की दीनी या दुन्यावी ने'मत के ज़वाल (या'नी छिन जाने) की तमन्ना करना या येह ख़्वाहिश करना कि फुलां शख्स को येह ने'मत न मिले, हसद कहलाता है।⁽³⁾ हसद करने वाले को हासिद और जिस से हसद किया जाए उसे महसूद कहते हैं।

हसद का हुक्म

हसद हराम है।⁽⁴⁾ अगर ग़ैर इख़्तियारी तौर पर दिल में किसी के बारे में हसद आया और येह

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 5, अन्निसाअ, तह्त्तल आयह : 32, 2/191

2... अबुदावुद, کتاب الادب, باب فی الحمد، 4/360، حدیث: 4903

3... الحدیقة الندیة، الباب الثانی، الخلق الخامس عشر الحمد، المبحث الاول، 1/600، ملقطا

4... फ़तावा रज़विय्या, 13/648

उस को बुरा जानता है तो इस पर गुनाह नहीं (जब तक कि आ'जा से उस का असर ज़ाहिर न हो)।⁽¹⁾

हसद की मिसालें

❁ किसी को माली तौर पर खुशहाल देख कर येह तमन्ना करना कि उस से येह ने'मत छिन कर मुझे मिल जाए। ❁ खुश इल्हान (ख़ूब सूरत आवाज़ वाले) ना'त ख़्वान के बारे में येह ख़्वाहिश करना कि इस की आवाज़ ख़राब हो जाए। ❁ एक शख्स दीनी या दुन्यवी ए'तिबार से किसी मन्सब पर फ़ाइज़ है उस के बारे में तमन्ना करना कि येह मक़ामो मर्तबा उस से छिन जाए।

हसद करने के अस्बाब

एक इन्सान दूसरे इन्सान से दर्जे ज़ैल अस्बाब की वजह से हसद करता है :

(1) बुग़्जो कीना (2) खुद पर दूसरे की बरतरी बरदाश्त न करना (3) तकब्बुर (4) एहसासे कमतरी (5) हुब्बे जाह।

हसद से बचने के तरीके

हसद से बचने के तरीके दर्जे ज़ैल हैं :

❁ ज़ियादा त़लबी की हिर्स ख़त्म कीजिये और जो मिला जितना मिला उस पर अल्लाह पाक का शुक्र अदा करते हुए क़नाअत इख़्तियार कीजिये।

❁ दूसरों की ने'मतों के बारे में ज़ियादा सोचना छोड़ दीजिये क्यूं कि अपने से ज़ियादा ने'मतों वाले के बारे में सोचते रहने से अक्सर एहसासे कमतरी पैदा होता है जिस से हसद जन्म लेता है।

❁ हसद के नताइज पर ग़ौर कीजिये कि हसद करने वाला आदमी सुकून में नहीं रहता, दूसरों से ने'मत छिन जाने की ख़्वाहिश इसे हमेशा बे सुकून रखती है और येह खुद को जहन्नम के दर्दनाक अज़ाब का हक़दार बनाता है।

❁ खुद आगे बढ़ कर सलाम और मुसाफ़हा करने की आदत अपनाइये, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ इस की बरकत से दिल से बुग़्जो कीना दूर होगा और महब्बत बढ़ेगी और हसद का मरज़ भी ख़त्म होगा।

❁ मौत को कसरत से याद कीजिये। हज़रते अबू दरदा رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ से रिवायत है कि जो मौत को कसरत के साथ याद करे उस के हसद और खुशी में कमी आ जाएगी।⁽²⁾



1... الحديقة الندية، الباب الثاني، المجلد الخامس عشر المحدث، المبحث الاول، 1/601، بتغير قليل

2... مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الزهد، كلام أبي الدرداء، 19/178، حديث: 35725

सबक नम्बर 2

रियाकारी का बयान

कुरआन में रियाकारी का ज़िक्र

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (پ 16/الکہف: 110)

ترجمہ کَنْزُالْإِيمَان : तो जिसे अपने रब से मिलने की उम्मीद हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की बन्दगी में किसी को शरीक न करे ।

आयत की तफ़्सीर

या'नी तुम्हारा मा'बूद एक ही मा'बूद है उस का कोई शरीक नहीं तो जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की इबादत में किसी को शरीक न करे । शिके अक्बर से भी बचे और रिया से भी जिस को शिके असगर कहते हैं ।⁽¹⁾

हदीस में रियाकारी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक जहन्नम में एक वादी है जिस से जहन्नम रोज़ाना 400 मरतबा पनाह मांगता है, ये वादी उम्मत मुहम्मदिय्यह के उन रियाकारों के लिये तय्यार की गई है जो कुरआने पाक के हाफ़िज़, ग़ैरुल्लाह के लिये सदका करने वाले, अल्लाह पाक के घर के हाजी और राहे खुदा में निकलने वाले होंगे ।⁽²⁾

रियाकारी की ता'रीफ़

अल्लाह पाक की रिज़ा के इलावा किसी और इरादे से इबादत करना रियाकारी कहलाता है ।⁽³⁾

रियाकारी की मिसालें

❁ इल्मे दीन इस लिये हासिल करना कि इस के ज़रीए दुनिया का माल कमाए या लोगों में इस की वाह वाह हो । ❁ नमाज़ इस लिये पढ़ना कि लोग इसे नेक नमाज़ी समझें । ❁ हज़ इस लिये करना कि लोग इसे हाजी साहिब कह कर पुकारें । ❁ सखी मशहूर होने के लिये सदका व ख़ैरात करना वगैरा ।

1 ... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 16, अल कहफ़, तहत्तल आयह : 110, 6/55

2 ... معجم کبیر، 12/175، حدیث: 12803

3 ... الزّواجر، الکبیر، الثانیة الشّرک الأصغر، 1/86

रियाकारी का हुक्म

❁ रियाकारी हुराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।⁽¹⁾

चन्द अहकाम

❁ रिया की वजह से इबादत का सवाब नहीं मिलता बल्कि गुनाह होता है और येह शख्स (या'नी रियाकारी करने वाला) मुस्तहिक्के अज़ाब होता है।⁽²⁾ ❁ रिया से इबादत ना जाइज़ नहीं हो जाती (या'नी ऐसा नहीं कि रियाकारी से नमाज़ पढ़ी तो उसे तर्कें नमाज़ समझा जाए) बल्कि ना मक़बूल होने का अन्देशा होता है अगर रियाकार आख़िर में रिया से (सच्ची) तौबा करे तो उस पर रिया की इबादत की क़ज़ा वाजिब नहीं बल्कि इस तौबा की बरकत से गुज़श्ता ना मक़बूल रिया की इबादात भी क़बूल हो जाएंगी।⁽³⁾

रियाकारी करने के अस्बाब

(1) शोहरत की ख़्वाहिश, (2) मज़म्मत (या'नी लोगों के बुरा कहने) का ख़ौफ़, (3) मालो दौलत की हिर्स।⁽⁴⁾

रियाकारी से बचने के तरीक़े

रियाकारी से बचने के तरीक़े दर्जे ज़ैल हैं :

❁ तन्हाई हो या हुज़ूम यक्सां अमल कीजिये। मसलन जिस तरह ख़ुशूओ ख़ुजूअ के साथ लोगों के सामने नमाज़ पढ़ते हैं तन्हाई में भी उस अन्दाज़ को क़ाइम रखिये।

❁ अपनी नेकियों को भी इस तरह छुपाइये जिस तरह अपने गुनाहों को छुपाते हैं बिल ख़ुसूस पोशीदा नेकी करने के बा'द नफ़्स की ख़ूब निगरानी कीजिये क्यूं कि हो सकता है नफ़्स में उस इबादत को ज़ाहिर करने की हिर्स जोश मारे और यूं रियाकारी में मुब्तला कर दे।



1... الزّواجر، الكبيرّة الثّانية الشّرك الاصغر، 1/76

2... बहारे शरीअत, 3/629, हिस्सा : 16

3... मिरआतुल मनाजीह, 7/127

4... नेकी की दा'वत, स. 87

❁ रियाकारी के खौफनाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और उस का इलाज करने के लिये उस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है।

❁ अपनी निय्यत की हिफ़ाज़त कीजिये और हर जाइज़ व नेक अमल करने से पहले अच्छी अच्छी निय्यतें करने की आदत बनाइये।

❁ वज़ीफ़ा : रोज़ाना येह दुआ तीन बार पढ़ लीजिये अल्लाह पाक छोटी बड़ी हर तरह की रिया से दूर रखेगा। दुआ येह है : **“(1) اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أَشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ”**

सबक नम्बर 3

कीने का बयान

कुरआन में कीने का ज़िक्र

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ
الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحُكْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا
كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ (پ 8، الاعراف: 43)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हम ने उन के सीनों में से कीने खींच लिये उन के नीचे नहरें बहेगी और कहेंगे सब खूबियां अल्लाह को जिस ने हमें उस की राह दिखाई और हम राह न पाते अगर अल्लाह न दिखाता।

आयत की तफ़्सीर

इस से मा'लूम हुवा कि पाकीज़ा दिल होना जन्नतियों का वस्फ़ है और अल्लाह पाक के फ़ज़ल से उम्मीद है कि जो यहां अपने दिल को बुज़्जो कीना और हसद से पाक रखेगा अल्लाह पाक क़ियामत के दिन उसे पाकीज़ा दिल वालों या'नी जन्नतियों में दाख़िल फ़रमाएगा। जन्नत में जाने से पहले सब के दिलों को कीने से पाक कर दिया जाएगा। (2)

हदीस में कीने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने फ़रमाया : बेशक चुग़ल ख़ोरी और कीना परवरी जहन्म में हैं, येह दोनों किसी मुसल्मान के दिल में जम्अ नहीं हो सकते। (3)

① ... नेकी की दा'वत, स. 104

② ... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 8, अल आ'राफ़, तहूतल आयह : 43, 3/319

कीने की ता'रीफ़

इन्सान दिल में किसी को बोझ जाने, उस से दुश्मनी रखे, नफ़रत करे और येह कैफ़ियत हमेशा बाकी रहे तो इसे कीना कहते हैं।⁽¹⁾

कीने की अलामात और मिसालें

❧ किसी से पहले की तरह खुश मिज़ाजी और नरमी व मेहरबानी के साथ पेश न आना ❧ उस को सलाम करने और मुलाक़ात करने को दिल न करना ❧ उस को देखने और उस के साथ बात करने को जी न चाहना ❧ उस की ख़ैर ख़्वाही का ख़याल न करना वगैरा।

कीने का हुक्म

मुसल्मान से बिला वज्हे शर्ई कीना व बुर्ज़ रखना हराम है।⁽²⁾ अगर किसी ने जुल्म किया और इस वज्हे से दिल में उस का कीना है तो येह हराम नहीं।⁽³⁾

कीना पैदा होने के अस्बाब

(1) गुस्सा (2) बद गुमानी (3) जूआ (4) ने'मतों की कसरत (5) लड़ाई झगड़ा।

कीने से बचने के तरीक़े

❧ सलाम व मुसाफ़हा में पहल करने की आदत अपनाइये ! إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ! दिल से बुर्ज़ो कीने का खातिमा होगा। ❧ बे जा सोचना छोड़ दीजिये। ❧ अल्लाह पाक की रिज़ा के लिये मुसल्मानों से महब्बत रखिये। ❧ कीने के शर्ई अहक़ाम पेशे नज़र रखिये और जहन्नम के अज़ाब से खुद को डराइये।

सबक़ नम्बर 4

बद गुमानी का बयान

कुरआन में बद गुमानी का ज़िक्र

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ
إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا

(प 26, المجرات: 12)

तरजमाए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो बहुत गुमानों से बचो बेशक कोई गुमान गुनाह हो जाता है और ऐब न दूँडो।



1... احیاء العلوم، کتاب ذم الغضب والجهد والمجد، 3/223

2... फ़तावा रज़विय्या, 6/526

3... المحرقة الندية، المجلد السادس عشر، المقالة الاولى... الخ، 1/629 ملقط

आयत की तफ़्सीर

आयत के इस हिस्से में **अल्लाह** पाक ने अपने मोमिन बन्दों को बहुत ज़ियादा गुमान करने से मन्अ़ फ़रमाया क्यूं कि बा'ज़ गुमान ऐसे हैं जो महज़ गुनाह हैं लिहाज़ा एहतियात का तकाज़ा येह है कि गुमान की कसरत से बचा जाए। इमाम फ़ख़रुद्दीन राज़ी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : (यहां आयत में गुमान करने से बचने का हुक्म दिया गया) क्यूं कि गुमान एक दूसरे को ऐब लगाने का सबब है, इस पर क़बीह अफ़़ाल सादिर होने का मदार है और इसी से खुफ़्या दुश्मन ज़ाहिर होता है और कहने वाला जब इन उमूर से यक़ीनी तौर पर वाकिफ़ होगा तो वोह इस बात पर बहुत कम यक़ीन करेगा कि किसी में ऐब है ताकि उसे ऐब लगाए, क्यूं कि कभी फ़े'ल ब ज़ाहिर क़बीह होता है लेकिन हक़ीक़त में ऐसा नहीं होता। इस लिये कि मुम्किन है करने वाला उसे भूल कर कर रहा हो या देखने वाला ग़लती पर हो।⁽¹⁾

हदीस में बद गुमानी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : **अल्लाह** पाक ने मुसल्मान का खून, माल और इस से बद गुमानी (को दूसरे मुसल्मान पर) ह़राम किया है।⁽²⁾

बद गुमानी की ता'रीफ़

बिला दलील दूसरे के बुरे होने का दिल से ए'तिकादे जाज़िम (या'नी यक़ीन) कर लेना बद गुमानी कहलाता है।⁽³⁾

बद गुमानी की मिसालें

❁ ना'त शरीफ़ या सुन्नतों भरा बयान सुन कर किसी को रोता देखा तो उस के बारे में येह ख़याल दिल में जमा लेना (या'नी यक़ीन कर लेना) कि येह लोगों को दिखाने के लिये रो रहा है।
❁ कोल रिसीव न होने पर बिला वज्ह इस बात का यक़ीन कर लेना कि वोह जान बूझ कर मेरी कोल रिसीव नहीं कर रहा।
❁ तै किये गए वक़्त और मक़ाम पर कोई आदमी नहीं पहुंच पाया तो बिला वज्ह उस के बारे में येह यक़ीन कर लेना कि येह धोकाबाज़ है।

1... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 26, अल हुजुरात, तह़तल आयह : 12, 9/433

2... شعب الایمان، باب فی تحریم اعراض الناس، 5/296، حدیث: 2706

3... فیض القدر، 3/157، تحت الحدیث: 2901

बद गुमानी का हुक्म

मुसल्मान पर बद गुमानी हराम व कबीरा (गुनाह है)।⁽¹⁾

चन्द अहकाम

❁ अगर कोई शक में मुब्तला करने वाले बुरे कामों में ए'लानिया तौर पर मशगूल हो जैसे शराब की दुकान में आना जाना तो इस सूरत में बद गुमानी हराम नहीं।⁽²⁾ ❁ याद रहे कि ए'लानिया गुनाह करने वालों से बद गुमानी जाइज़ होने का येह मतलब नहीं है कि उन की बदगोई करना या ऐब उछालना शुरू कर दिया जाए बल्कि ऐसी सूरत में रिज़ाए इलाही के लिये सिर्फ दिल में उन्हें बुरा समझा जाए।⁽³⁾

बद गुमानी पैदा होने के अस्बाब

(1) बुग़ज़ो कीना (2) तजस्सुस या'नी दूसरों के छुपे हाल की जुस्तजू।

बद गुमानी से बचने के तरीके

❁ अपने मुसल्मान भाइयों की खूबियों पर नज़र रखिये। ❁ अपनी बुराइयों पर नज़र कीजिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये। ❁ जब भी दिल में किसी मुसल्मान के बारे में बद गुमानी पैदा हो तो अपनी तवज्जोह उस की तरफ़ करने के बजाए बद गुमानी के शर्ई अहकाम को पेशे नज़र रखिये और बद गुमानी के अन्जाम पर निगाह रखते हुए खुद को अज़ाबे इलाही से डराइये। ❁ जिस से बद गुमानी हो उस के लिये दुआए ख़ैर कीजिये।

सबक़ नम्बर 5

तकब्बुर का बयान

कुरआन में तकब्बुर का ज़िक्र

لَا جَرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾ (प 14, अल: 23)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : फ़िल हकीकत अल्लाह जानता है जो छुपाते और जो ज़ाहिर करते हैं बेशक वोह मग़रूरों को पसन्द नहीं फ़रमाता।

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 8/80

2 ... तफ़्सीर روح المعانی, प 26, الحجرات, تحت الآية: 12, 13/428

3 ... الحديقة النورية, المجلد الرابع والعشرون, 2/12, ملخصاً

हदीस में तकब्बुर का जिक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : मुतकब्बरीन का दृश क़ियामत के दिन च्युंटियों के बराबर जिस्मों में होगा और उन की सूरतें आदमियों की होंगी, हर तरफ़ से उन पर ज़िल्लत छाए हुए होगी, उन को खींच कर जहन्नम के कैदख़ाने की तरफ़ ले जाया जाएगा, जिस का नाम बूलस है। उन के ऊपर आगों की आग होगी, उन्हें जहन्नमियों का निचोड़ पिलाया जाएगा जिस को तीनतुल ख़बाल कहते हैं।⁽¹⁾

तकब्बुर की ता'रीफ़

अगर कोई अपने आप को दूसरे से अफ़ज़ल समझे तो येह तकब्बुर है।⁽²⁾

तकब्बुर की मिसालें

❁ अमीर का ग़रीब को घटिया तसव्वुर करना ❁ बड़े ओहदे वाले का छोटे ओहदे वाले को अपने से कमतर जानना ❁ आ'ला हसबो नसब वाले का दूसरों को नीच (घटिया) ख़याल करना ❁ ताक़त वर का कमज़ोर को हक़ीर और अपना गुलाम समझना वग़ैरा।

तकब्बुर का हुक्म

तकब्बुर हराम है और अज़ीम कबीरा गुनाह है।⁽³⁾

चन्द अहक़ाम

❁ अल्लाह पाक या किसी नबी ﷺ के मुक़ाबले में तकब्बुर कुफ़्र है।⁽⁴⁾ ❁ कुफ़्रार के मुक़ाबले में तकब्बुर इबादत है।⁽⁵⁾



1...ترمذی، کتاب صفۃ القیامۃ... باب 4/44، حدیث: 2500

2... مفردات راغب، کتاب الکاف، ص 421

3... फ़तावा रज़विय्या, 23/614

4... میرआतुल मनाजीह, 6/655

5... میرआतुल मनाजीह, 2/39

तकब्बुर पैदा होने के अस्बाब

(1) मालो दौलत (2) ओहदा व मन्सब (3) इल्म (4) हसब नसब (5) हुस्नो जमाल (6) ताक़तो कुव्वत (7) खुद पसन्दी (8) बुग़्जो कीना ।

तकब्बुर से बचने के तरीके

❧ अपने ऐबों पर नज़र कीजिये । ❧ सलाम व मुसाफ़हा में पहल करने की आदत बनाइये । ❧ अपने काम खुद अपने हाथों से कीजिये । ❧ सादगी इख़्तियार कीजिये । ❧ तकब्बुर के ख़ौफ़नाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और उस का इलाज करने के लिये उस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है । ❧ मौत को कसरत से याद कीजिये ।

सबक नम्बर 6

बद शुगूनी का बयान

कुरआन में बद शुगूनी का ज़िक्र

फ़िरऔन और उस के पैरौकारों के मुतअल्लिक़ इशदि बारी है :

فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَئِنْ هَذِهِ إِلَّا نَسِيئُهُ يَأْتِيهِمْ وَإِيسَىٰ وَنَحْنُ مَعَهُ ۖ إِلَّا إِنَّا طَائِفُ رُحَمَ
عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣١﴾

(پ 9، الاعراف: 131)

तरजमए कज़ुल ईमान : तो जब उन्हें भलाई मिलती कहते येह हमारे लिये है और जब बुराई पहुंचती तो मूसा और उस के साथ वालों से बद शुगूनी लेते सुन लो उन के नसीबे (मुक़्दर) की शामत तो अल्लाह के यहां है लेकिन उन में अक्सर को ख़बर नहीं ।

आयत की तफ़्सीर

फ़िरऔनी कुफ़्र में इस क़दर रासिख़ हो चुके थे कि इन तकलीफ़ों से भी उन की सरकशी बढ़ती ही रही, जब उन्हें सर सब्जी व शादाबी, फलों, मवेशियों और रिज़्क में वुस्अत, सिद्दहत, आफ़ात से अफ़ियतो सलामती वग़ैरा भलाई मिलती तो कहते येह तो हमें मिलना ही था क्यूं कि हम इस के अहल और इस के मुस्तहिक् हैं । येह लोग उस भलाई को न तो अल्लाह करीम का फ़ज़ल जानते और न ही उस के इन्आमात पर शुक्र अदा करते । और जब उन्हें क़हूत, खुश्क साली, मरज़, तंगी और आफ़त

वगैरा कोई बुराई पहुंचती तो उसे हज़रते मूसा عليه السلام और उन के साथियों की नुहूसत क़रार देते और कहते कि येह बलाएं उन की वजह से पहुंचीं, अगर येह न होते तो येह मुसीबतें न आतीं।⁽¹⁾

हदीस में बद शुगूनी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صلى الله عليه وآله وسلم ने फ़रमाया : अच्छा या बुरा शुगून लेने के लिये परिन्दा उड़ाना, बद शुगूनी लेना और तुरक़ (या'नी कंकर फेंक कर या रेत में लकीर खींच कर फ़ाल निकालना) शैतानी कामों में से हैं।⁽²⁾

बद शुगूनी की ता'रीफ़

किसी चीज़ (मसलन शख़्स, अमल, आवाज़ या वक़्त) से बुरी फ़ाल लेना (या'नी येह समझना कि इस की नुहूसत का किसी के हालात पर बुरा असर पड़ेगा) बद शुगूनी है।⁽³⁾

बद शुगूनी की मिसालें

❁ एक शख़्स सफ़र के इरादे से घर से निकला लेकिन रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट कर गुज़र गई, अब वोह शख़्स येह समझ कर सफ़र से रुक गया कि काली बिल्ली के रास्ता काटने की नुहूसत की वजह से मुझे सफ़र में कोई नुक़सान उठाना पड़ेगा। ❁ दुकान खुलते ही पहला गाहक (Customer) कोई चीज़ ख़रीदे बिगैर वापस चला गया तो इस बात से बद शुगूनी लेते हुए येह यकीन कर लिया कि आज के दिन मेरी बिकरी (Sale) अच्छी नहीं होगी। ❁ माहे सफ़र को मुसीबतें और आफ़तें उतरने का महीना समझते हुए इस में नया कारोबार शुरू न करना, घर से बाहर आमदो रफ़्त में कमी कर देना वगैरा।

बद शुगूनी का हुक्म

बद शुगूनी हराम⁽⁴⁾ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

1... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िन्नान, पारह : 9, अल आ'राफ़, तहूतल आयह : 131, 3/411

2... अबु दाउद, کتاب الطب، باب فی الخط و زجر الطیر، 22/4، حدیث : 3907

3... التّهایه فی غریب الحدیث والاثار، حرف الطاء، باب الطاء مع الیاء، 3/138

4... الحدیث النّدریة، المخلّق الخامس والعشرون، 17/2

चन्द अहकाम

❁ अगर किसी ने बद शुगूनी का खयाल दिल में आते ही उसे झटक दिया तो उस पर कुछ इल्ज़ाम नहीं। ❁ लेकिन अगर उस ने बद शुगूनी की तासीर का ए'तिक़ाद रखा और उसी ए'तिक़ाद की बिना पर उस काम से रुक गया तो गुनहगार होगा मसलन किसी चीज़ को मन्हूस समझ कर सफ़र या कारोबार करने से येह सोच कर रुक गया कि अब मुझे नुक़सान ही होगा तो अब गुनहगार होगा।⁽¹⁾

बद शुगूनी के अस्बाब

(1) इल्मे दीन से दूरी (2) रस्मो रवाज की पैरवी (3) कुफ़्फ़ार के साथ दोस्ती, मेलजोल, उठना बैठना।

बद शुगूनी से बचने के तरीक़े

❁ इल्मे दीन हासिल कीजिये। (अगर येह बात ज़ेहन में अच्छी तरह बैठ जाए कि हर भलाई, बुराई अल्लाह पाक ने अपने इल्मे अज़ली के मुताबिक़ मुक़द्दर फ़रमा दी है, जैसा होने वाला था और जो जैसा करने वाला था, अपने इल्म से जाना और वोही लिख लिया, तो बद शुगूनी दिल में जगह नहीं बना सकेगी क्यूं कि जब भी इन्सान को कोई नुक़सान पहुंचेगा तो वोह येह ज़ेहन बना लेगा कि येह मेरी तक्दीर में लिखा था न कि किसी चीज़ की नुहूसत की वजह से ऐसा हुवा है)।

❁ दिल में बद शुगूनी आने की वजह से काम से न रुकिये।

❁ बद शुगूनी के शर्ई अहक़ाम को पेशे नज़र रखिये और खुद को अज़ाबे जहन्नम से डराइये।

सबक़ नम्बर 7

मायूसी का बयान

क़ुरआन में मायूसी की मज़म्मत

وَلَا تَأْسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ

رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ ﴿٨٧﴾

(پ 13، یوسف: 87)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद न हो बेशक अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद नहीं होते मगर काफ़िर लोग।

आयत की तफ़्सीर

हर मुसलमान को चाहिये कि किसी हाल में भी अल्लाह पाक की रहमत से मायूस न हो और मसाइबो आलाम में उसी की बारगाह में दस्ते दुआ दराज़ करता रहे क्यूं कि अल्लाह करीम ही हकीकी

① ...बद शुगूनी, स. 13

तौर पर मुश्किलात को दूर करने वाला और आसानियां अता फ़रमाने वाला है। अल्लाह पाक हमें अपनी रहमत से मायूस और ना उम्मीद हो जाने से महफूज़ फ़रमाए, आमीन।⁽¹⁾

हदीस में मायूसी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ से सुवाल किया गया कि कबीरा गुनाह कौन से हैं ? इर्शाद फ़रमाया : “अल्लाह पाक के साथ किसी को शरीक करना, उस की रहमत से मायूस होना और उस की खुफ़्या तदबीर से बे ख़ौफ़ होना और येही सब से बड़ा गुनाह है।”⁽²⁾

मायूसी की ता'रीफ़

अल्लाह पाक के फ़ज़लो रहमत न मिलने को याद करना और दिल में इस की उम्मीद न रखना मायूसी है।⁽³⁾

मायूसी का हुक्म

रहमते इलाही से मायूसी कबीरा गुनाह⁽⁴⁾ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अहकाम

बा'ज अवकात मुख़लिफ़ आफ़ात, दुन्यावी मुआमलात या बीमारी के मुआलजात व अख़्राजात वगैरा के सिल्लिसले में आदमी हिम्मत हार कर मायूस हो जाता है इस तरह की मायूसी कुफ़्र नहीं। रहमत से मायूसी के कुफ़्र होने की सूरतें येह हैं : अल्लाह पाक को कादिर न समझे या अल्लाह पाक को अल्लिम न समझे या अल्लाह करीम को बख़ील समझे।⁽⁵⁾

मायूसी के अस्बाब

❧ जहालत ❧ दूसरों की पुर आसाइश ज़िन्दगी पर नज़र रखना (इस से एहसासे महरूम पैदा होता है जो रहमते इलाही से मायूसी की तरफ़ ले जाता है।) ❧ बे सब्री ❧ बुरी सोहबत (या'नी ऐसे दुन्यादार लोगों की सोहबत इख़्तियार करना जो खुद मायूसी का शिकार हों।)

❶...तफ़सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 13, यूसुफ़, तह़तल आयह : 87, 5/51

❷...الزّواجر، مقدمه فی تعریف الکبیره، 1/22

❸...मुख़तसर मिन्हाजुल आबिदीन, स. 156

❹...तफ़सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 24, अज़्जुमर, तह़तल आयह : 53, 8/489 मुख़ब़सन

❺...कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 483

❁ सिर्फ दुन्यवी मुराआत और खुशहाली पर नज़र रखना ।

मायूसी से बचने के तरीके

❁ कुरआनो हदीस का इल्म हासिल कीजिये, जहन्नम में ले जाने वाले आ'माल और उन पर मिलने वाले अज़ाबात पर ग़ौरो फ़िक्क कीजिये ताकि दिल में ख़ौफ़े आख़िरत पैदा हो, जन्नत में ले जाने वाले आ'माल और उन पर मिलने वाले अज़ीम अज़्रो सवाब पर नज़र रखिये ताकि अल्लाह पाक की रहमते कामिला पर यकीन मज़ीद पुख़्ता हो और मायूसी दूर भाग जाए ।

❁ दूसरों पर नज़र रखने के बजाए अपने ऊपर अल्लाह पाक के बे शुमार एहसानात और ने'मतों को याद कीजिये और शुक्र अदा कीजिये नीज़ इस बात पर ग़ौर कीजिये कि दुन्या में जिस के पास जितना ज़ियादा माल होगा आख़िरत में उसे उतना ही ज़ियादा हि़साब भी देना होगा ।

❁ मुसीबतों पर सब्र करने की आदत डालिये और इस बात पर ग़ौर कीजिये कि बे सब्री और शिक्वा व शिकायत से मुसीबत दूर नहीं होती बल्कि सब्र के ज़रीए हाथ आने वाला सवाब भी जाएअ हो जाता है ।

❁ तकालीफ़ और मसाइब पर सब्र करने के उख़वी इन्आमात पर नज़र रखिये । ❁ सुन्नतों के पाबन्द, नेक परहेज़ गार आशिक़ाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बुरी सोहबत से दूर हो जाइये ।

❁ बा वुजू रहने की आदत डालिये और रोज़े रखिये, शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ फ़रमाते हैं : ज़ेहनी दबाव या'नी टेन्शन और मायूसी का एक रूहानी इलाज वुजू और रोज़ा भी है, ⁽¹⁾ नीज़ रोज़े से जिस्मानी खिचाव, ज़ेहनी डिप्रेशन और नफ़िसयाती अमराज़ का ख़ातिमा होता है । ⁽²⁾

सबक़ नम्बर 8

ख़ुद पसन्दी का बयान

कुरआन में ख़ुद पसन्दी का ज़िक्र

هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ
فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنَ الْآثِقِ ﴿٣٢﴾ (پ 27، النجم: 32)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह तुम्हें ख़ूब जानता है तुम्हें मिट्टी से पैदा किया और जब तुम अपनी माओं के पेट में हम्मल थे तो आप अपनी जानों को सुथरा न बताओ वोह ख़ूब जानता है जो परहेज़ गार हैं ।

1 ...खुदकुशी का इलाज, स. 64

2 ...खुदकुशी का इलाज, स. 65

आयत की तफ़्सीर

येह आयत उन लोगों के बारे में नाज़िल हुई जो नेकियां करते और अपने अमलों की ता'रीफ़ करते थे और कहते थे हमारी नमाज़ें, हमारे रोज़े, हमारे हज़। इस पर अल्लाह पाक ने इशार्द फ़रमाया कि ऐ ईमान वालो ! तुम फ़ख़्रिय्या तौर पर अपनी नेकियों की ता'रीफ़ न करो।⁽¹⁾

हदीस में खुद पसन्दी का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : तीन चीज़ें हलाकत में डालने वाली हैं : (1) बुख़्ल जिस की पैरवी की जाए। (2) नफ़्सानी ख़्वाहिश जिस की इताअत की जाए और (3) इन्सान का खुद को अच्छा जानना।⁽²⁾

खुद पसन्दी की ता'रीफ़

अपने कमाल (मसलन इल्म या अमल या माल) को अपनी तरफ़ निस्बत करना और इस बात का ख़ौफ़ न होना कि येह छिन जाएगा, येह खुद पसन्दी है।⁽³⁾

ता'रीफ़ की वज़ाहत

जो शख्स इल्म, अमल और माल वगैरा के ज़रीए अपने नफ़्स में कमाल जानता हो उस की तीन हालतें हैं : (1) : उसे कमाल के कम या ख़त्म हो जाने का ख़ौफ़ है तो येह खुद पसन्दी नहीं। (2) : वोह उस के कम या ख़त्म होने का ख़ौफ़ नहीं रखता बल्कि कमाल से इस तौर पर खुश होता है कि येह अल्लाह पाक की अता है, इस में मेरा कोई कमाल नहीं, येह भी खुद पसन्दी नहीं। (3) : उसे कमाल के कम या ख़त्म होने का ख़ौफ़ नहीं होता बल्कि कमाल पर खुश और मुत्मइन होता है और उस की खुशी की वजह येह नहीं होती कि येह अल्लाह पाक की इनायत है बल्कि वोह इस लिये खुश होता है कि येह उस का वस्फ़ (या'नी ख़ूबी) है। येह खुद पसन्दी है। फिर जब उस के दिल पर इस बात का

1... तफ़्सीरे सिरातुल जिनान, पारह : 27, अन्नज्म, तह्मतल आयह : 32, 9/569

2... معجم اوسط، 4/221، حديث: 5754

3... احیاء العلوم، کتاب ذم الکبر والحب، بیان حقیقة الحب... الخ، 3/454، ملخصاً

ग़लबा होगा कि येह अल्लाह पाक की ने'मत है, वोह जब चाहेगा सल्ब फ़रमा लेगा (या'नी छीन लेगा) तो खुद पसन्दी ख़त्म हो जाएगी।⁽¹⁾

खुद पसन्दी का हुक्म

खुद पसन्दी ना जाइज़ और गुनाह है।⁽²⁾

चन्द अहकाम

❁ अगर अल्लाह पाक की ने'मत के ए'तिराफ़ और इताअतो इबादत पर मसररत और उस के अदाए शुक्र के लिये नेकियों का ज़िक्र किया जाए तो जाइज़ है।⁽³⁾ ❁ जब खुद पसन्दी की अलामात ज़ाहिर होने लगें तो अल्लाह पाक के एहसानात को याद करना फ़र्ज़ है जब कि तमाम आम अवकात में ऐसा करना मुस्तहब है।⁽⁴⁾

खुद पसन्दी के अस्बाब

(1) फ़ख़्रो गुरूर (2) मालो दौलत की महब्बत।

खुद पसन्दी से बचने के तरीक़े

❁ हर वक़्त अल्लाह पाक के एहसानात को याद रखिये और उस का शुक्र अदा करते रहिये।

❁ सहाबए किराम और दीगर बुजुर्गाने दीन की अज़िज़ी व इन्किसारी और इन के अल्लाह पाक की खुफ़्या तदबीर से डरने के वाकिआत का मुतालआ कीजिये और उन्हें ज़ेहन में बिठाइये। **إِنْ شَاءَ اللَّهُ !** खुद पसन्दी का माद्दा जड़ से कट जाएगा।

❁ मौत और क़ब्रों आख़िरत को कसरत से याद कीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ !** दुन्या की फ़ानी चीज़ों पर इतराने से बचने का ज़ेहन बनेगा।

सबक़ नम्बर 9

झूट का बयान

कुरआने करीम में झूट की मज़म्मत

कुरआने मजीद में मुनाफ़िक्कीन के मुतअल्लिक़ फ़रमाया गया है :



❶... إحياء العلوم، کتاب ذم الکبر والعجب، بیان حقیقه العجب... الخ، 3/454، ملخصاً

❷... رسائل ابن نجيم، الرسالة الثالثة والثلاثون فی بیان الکبائر والصغائر... الخ، ص 358

❸... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनूल इरफ़ान, पारह : 27, अन्नज्म, तहूतल आयह : 32

❹... मुख़्तसर मिन्हाजुल आबिदीन, स. 205

وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿١٠﴾

(प 1, البقرة: 10)

तरजमए कन्जुल ईमान : और उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है बदला उन के झूट का ।

आयत की तफ़्सीर

सदरुल अफ़ज़िल अल्लामा सय्यिद मुहम्मद नईमुद्दीन मुरादआबादी رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं :
इस आयत से साबित हुवा कि झूट ह़राम है इस पर अज़ाबे अलीम (या'नी दर्दनाक अज़ाब) मुरत्तब होता है ।⁽¹⁾

हदीस में झूट का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : झूट से बचो ! क्यूं कि झूट गुनाह की तरफ़ ले जाता है और गुनाह जहन्नम का रास्ता दिखाता है और आदमी बराबर झूट बोलता रहता है और झूट बोलने की कोशिश करता है यहां तक कि अल्लाह पाक के नज़्दीक कज़़ाब (या'नी बहुत बड़ा झूटा) लिख दिया जाता है ।⁽²⁾

झूट की ता'रीफ़

झूट के मा'ना हैं : “सच का उलट” ।⁽³⁾

झूट की चन्द मिसालें

❁ कोई चीज़ ख़रीदते वक़्त इस तरह कहना कि येह मुझे फुलां से इस से कम कीमत में मिल रही थी हालां कि वाक़ेअ में ऐसा नहीं है । ❁ इसी तरह बाएअ (Seller) का ज़ियादा रक़म कमाने के लिये कीमते ख़रीद (Purchase price) ज़ियादा बताना । ❁ जा'ली या नाक़िस या जिन दवाओं से शिफ़ा का गुमाने ग़ालिब नहीं है उन के बारे में इस तरह कहना “सो फ़ीसदी शर्तिय्या इलाज” येह झूटा मुबालगा है ।

❶ ... ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 1, अल बक़रह, तहूतल आयह : 10

❷ ... मुस्लम, کتاب البر والصلة والآداب, باب فتح الکذب... الخ, ص 1077 حدیث: 6636

❸ ... झूटा चोर, स. 21

झूट का हुक्म

झूट बोलना गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।⁽¹⁾

चन्द अहकाम

❁ झूट का मा'सियत (गुनाह) होना ज़रूरिय्याते दीन में से है (लिहाज़ा जो इस के गुनाह होने का मुत्लक़न इन्कार करे दाइए इस्लाम से ख़ारिज हो कर काफ़िर व मुरतद हो जाएगा)।⁽²⁾ ❁ तीन सूरतों में झूट बोलना जाइज़ है या'नी इस में गुनाह नहीं : ❁ एक जंग की सूरत में कि यहां अपने मुक़ाबिल को धोका देना जाइज़ है, ❁ दूसरी सूरत येह है कि दो मुसल्मानों में इख़िलाफ़ है और येह उन दोनों में सुल्ह कराना चाहता है, ❁ तीसरी सूरत येह है कि बीबी (ज़ौजा) को खुश करने के लिये कोई बात ख़िलाफ़े वाक़ेअ़ कह दे।⁽³⁾

झूट बोलने के अस्बाब

❁ माल की हिर्स कि ख़रीदो फ़रोख़्त में रक़म बचाने या ज़ियादा माल कमाने के लिये झूट बोलना आम पाया जाता है।

❁ मुबालगा आराई (बढ़ा चढ़ा कर बयान करने) की आदत : ऐसे अफ़राद ह़द से बढ़ कर झूटी मुबालगा आराई में मुब्तला हो जाते हैं। आज कल अश्या की मशहूरी (Advertisement) में इस तरह की झूटी मुबालगा आराई आम है।

❁ हुब्बे मदह या'नी अपनी ता'रीफ़ की ख़्वाहिश : ऐसे लोग अपनी वाह वाह के लिये झूटे वाक़िआत बयान करते रहते हैं।

❁ फुज़ूल गोई की आदत।

❁ आज कल मुरव्वतन झूट बोलना भी आम पाया जाता है मसलन किसी ने सुवाल किया : “हमारे घर का खाना पसन्द आया ?” तो मुरव्वत में आ कर कह दिया : “जी, बहुत पसन्द आया।” हालां कि वाक़ेअ़ में उस को खाना पसन्द नहीं आया था तो येह भी झूट होगा।

झूट से बचने के तरीके

❁ झूट की दुन्यवी और उख़वी तबाह कारियों पर ग़ौर कीजिये मसलन झूटे से लोग नफ़रत करते हैं, उस पर से ए'तिमाद उठ जाता है, झूटे पर ला'नत की गई है और झूटा दोज़ख़ में कुत्ते की शक़ल में बदल



1... رسائل ابن کیم، الرسالة الثالثة والثلاثون فی بیان الکبائر... الخ، ص 355

2... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 391, माख़ूज़न

3... बहारे शरीअत, 3/517, हिस्सा : 16

दिया जाएगा, इस तरह गौरो फ़िक्र करते रहने से **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! सच बोलने और झूट से बचने का ज़ेहन बनेगा ।

❁ ज़बान का कुफ़ले मदीना लगाते हुए सिर्फ़ ज़रूरत की बात ही कीजिये और बे जा बोलते रहने की आदत से छुटकारा हासिल कीजिये ।

❁ मुबालगा करने की आदत भी ख़त्म कीजिये और बोलने से पहले सोचने की आदत अपनाइये ।

सबक नम्बर 10

गीबत का बयान

कुरआन में गीबत का ज़िक्र

وَلَا يَغْتَبِ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ
لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا (پ 26، الحجرات: 12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और एक दूसरे की गीबत न करो क्या तुम में कोई पसन्द रखेगा कि अपने मरे भाई का गोشت खाए ।

आयत की तफ़्सीर

एक दूसरे की गीबत न करो, क्या तुम में कोई येह पसन्द करेगा कि अपने मरे हुए भाई का गोشت खाए, यकीनन येह तुम्हें ना पसन्द होगा, तो फिर मुसल्मान भाई की गीबत भी तुम्हें गवारा न होनी चाहिये क्यूं कि उस को पीठ पीछे बुरा कहना उस के मरने के बा'द उस का गोश्त खाने की मिस्ल है क्यूं कि जिस तरह किसी का गोश्त काटने से उस को ईजा होती है इसी तरह उस की बदगोई करने से उसे कल्बी तक्लीफ़ होती है और दर हकीकत इज़्ज़तो आबरू गोश्त से ज़ियादा प्यारी है ।⁽¹⁾

हदीस में गीबत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : मैं शबे मे'राज ऐसी क़ौम के पास से गुज़रा जो अपने चेहरों और सीनों को तांबे के नाखुनों से नोच रहे थे, मैं ने पूछा : ऐ जिब्रईल ! येह कौन लोग हैं ? कहा : येह

① ... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 26, अल हुजुरात, तहत्तल आयह : 12, 9/439

लोगों का गोश्त खाते (या'नी गीबत करते) थे और उन की इज्जत खराब करते थे।⁽¹⁾

गीबत की ता'रीफ़

किसी के बारे में उस की ग़ैर मौजूदगी में ऐसी बात कहना कि अगर वोह सुन ले या उस को पहुंच जाए तो उसे ना गवार मा'लूम हो।⁽²⁾

गीबत की मिसालें

किसी के मजलिस से उठ कर जाने के बा'द इस तरह कहना : ❁ यार ! वोह गया, जान छूटी ❁ डेढ़ होशियार है ❁ बात बात पर हा हा कर के हंसता था वगैरा। इसी तरह मुस्तहब्बात व नवाफ़िल में सुस्ती करने वाले के बारे में इस तरह कहना : ❁ उस ने ज़िन्दगी में कभी आशूरा का रोज़ा नहीं रखा ❁ वोह अव्वाबीन क्या पढ़ेगा ! उस को येह तो पूछो कि येह नवाफ़िल किस वक़्त पढ़े जाते हैं ❁ वोह तबर्क़ कह कर नियाज़ तो खा लेता है मगर इस के लिये चन्दा कभी नहीं देता।

गीबत का हुक्म

गीबत गुनाहे कबीरा, क़र्त्त ह़राम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।⁽³⁾

चन्द अहक़ाम

❁ गीबत को हलाल जानने वाला काफ़िर है।⁽⁴⁾ ❁ गीबत करने वाला फ़ासिक़ व गुनहगार और अज़ाबे नार का हक़दार होता है।⁽⁵⁾ ❁ बिगैर शर्ई मजबूरी के गीबत सुनने वाला भी गीबत करने वाले ही की तरह गुनहगार होता है।⁽⁶⁾ ❁ (बद मज़हब की गीबत शर्ई तौर पर गीबत नहीं बल्कि) बद मज़हब की बुराइयां बयान करने का खुद शर्अन हुक्म है।⁽⁷⁾



1... अबु दाउद, کتاب الادب، باب فی الغیبة، 4/353، حدیث: 4878

2... गीबत की तबाह कारियां, स. 438

3... गीबत की तबाह कारियां, स. 26

4... المحرقة الندية، القسم الثاني فی آفات اللسان، المبحث الاول، النوع السادس فی الغیبة... الخ، 2/219

5... गीबत की तबाह कारियां, स. 26 मुल्लतक़तन

6... गीबत की तबाह कारियां, स. 259

7... फ़तावा रज़विय्या, 6/602

गीबत के अस्बाब

❧ गुस्सा ❧ बुर्ज़ो कीना ❧ हसद ❧ ज़ियादा बोलने की आदत ❧ हंसी मज़ाक की लत (ऐसा शख्स दूसरों को हंसाने के लिये लोगों की नक़लें उतार कर भी बसा अवकात गीबत में मुब्तला हो जाता है) ❧ घरेलू ना चाकियां (इन हालात में गीबत से बचना क़रीब ब ना मुम्किन है) ❧ गिला शिक्वा करने की आदत (जहां किसी के बारे में दूसरे से शिक्वा शुरू किया कि शैतान ने बद गुमानियों, ऐब दरियों, गीबतों, तोहमतों और चुग़लियों का ढेर लगवा दिया!) ❧ बे जा तन्कीदी ज़ेहन (तन्कीदे बे जा का मरीज़ किसी की बराहे रास्त इस्लाह करने के बजाए उमूमन दूसरों के आगे गीबतें करता फिरता है कि वोह यूं कर रहा है वगैरा) ⁽¹⁾

गीबत से बचने के तरीके

❧ दीनी मशग़लों और दुन्या के ज़रूरी कामों से फ़रागत के बा'द ख़ल्वत या'नी तन्हाई इख़्तियार कीजिये या सिर्फ़ ऐसे सन्जीदा और सुन्नतों के पाबन्द इस्लामी भाइयों की सोहबत इख़्तियार कीजिये जिन की बातें ख़ौफ़े खुदा व इश्के मुस्तफ़ा में इज़ाफ़े का बाइस बनें।

❧ ज़बान का कुफ़ले मदीना लगाइये कि सब से ज़ियादा गीबत ज़बान से की जाती है लिहाज़ा इस को काबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

❧ गीबत के होलनाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और इस का इलाज करने के लिये इस के मोहलिकात या'नी तबाह कारियां जानना मुफ़ीद होता है।

❧ अपने ऐबों की तरफ़ तवज्जोह कीजिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये।

❧ **वज़ीफ़ा** : किसी मजलिस में बैठते और उठते वक़्त येह पढ़िये : “بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ” इस की बरकत से अल्लाह पाक एक फ़िरिश्ता मुक़र्रर फ़रमा देगा जो आप को दूसरों की और आप के उठने के बा'द लोगों को आप की गीबत से बाज़ रखेगा। ⁽²⁾

सबक़ नम्बर 11

चुग़ली का बयान

क़ुरआन में चुग़ली का ज़िक़्र

وَلَا تُطِيعُوا أَصْلَابَ مَهِينٍ ۝ هَٰذَا مَثَلٌ ۖ بَنِي إِسْرَٰءِيلَ

(प 29, अल्क़म: 10-11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और हर ऐसे की बात न सुनना जो बड़ा क़स्में खाने वाला ज़लील बहुत ता'ने देने वाला बहुत इधर की उधर लगाता फिरने वाला।

1 ... गीबत की तबाह कारियां, स. 248 मुल्लक़तून

2 ... القول البديع، الباب الثاني في ثواب الصلاة على رسول الله، ص 278

हदीस में चुगली का जिक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : ता'ना ज़नी, ग़ीबत, चुगल ख़ोरी और बे गुनाह लोगों के ऐब तलाश करने वालों को अल्लाह पाक (क़ियामत के दिन) कुत्तों की शक्ल में उठाएगा।⁽¹⁾

चुगली की ता'रीफ़

लोगों में फ़साद करवाने के लिये उन की बातें एक दूसरे तक पहुंचाना चुगली है⁽²⁾

चुगली की मिसालें

किसी से जा कर इस तरह कहना : ❁ फुलां आदमी ने तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे कहा है ❁ उस ने कहा कि तुम बड़े धोकेबाज़ हो ❁ लोगों से कर्ज़ ले कर वापस नहीं करते हो ❁ जब तुम उस के पास से उठ कर आए तो उस ने तुम्हारे बारे में कहा : यार ! वोह गया, जान छूटी ❁ बड़ा होशियार बन रहा था वगैरा ।

चुगली का हुक्म

चुगली सख़्त हराम और गुनाहे कबीरा है।⁽³⁾

चन्द अहकाम

❁ जिस के पास किसी की चुगली की गई उस पर लाज़िम है कि चुगल ख़ोर की तस्दीक़ न करे । ❁ और (अगर कुदरत रखता है तो) उसे चुगली करने से रोक दे । ❁ और जिस की चुगली की गई उस के बारे में बद गुमानी में न पड़े।⁽⁴⁾



1... الترغيب والترهيب، كتاب الادب، الترهيب من النميمه، 3/395، حديث: 4333

2... شرح مسلم للنووي، كتاب الايمان، باب بيان غلط تحريم النميمه، 2/112

3... المحريفة النديه، القسم الثاني في آفات اللسان، النوع السابع في النميمه، 2/228

4... احياء العلوم، كتاب آفات اللسان، الآفة السادس عشره: النميمه، 3/192 تا 193 ملقطا

चुग़ली करने के अस्बाब

❁ गुस्सा ❁ बुग़्जो कीना ❁ हसद ❁ लगाई बुझाई (या'नी इधर की बात उधर और उधर की इधर कहते फिरने) की लत (ऐसा शख्स कभी दो फ़रीकों में लड़ाई झगड़ा करवा कर अपने तौर पर तफ़रीह कर रहा होता है) ❁ ज़ियादा बोलने की आदत (ऐसे शख्स का ग़ीबत व चुग़ली और दूसरे कई तरह के गुनाहों से बचना बहुत दुश्वार होता है) ।

चुग़ली से बचने के तरीक़े

❁ ज़बान का कुफ़ले मदीना लगाइये (फुज़ूल बोलने से बचिये) कि चुग़ली और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है ।

❁ कुरआनो हदीस में ज़िक्र किये गए चुग़ली के होलनाक अज़ाबात का मुतालअ कीजिये और अपने नाजुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि चुग़ली के सबब अगर इन में कोई अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा ।

❁ सलाम और मुसाफ़हा करने की आदत अपनाइये, إِنَّ شَاءَ اللَّهُ ! इस की बरकत से दिल से बुग़्जो कीना दूर होगा और महबबत बढ़ेगी ।

❁ किसी के ख़िलाफ़ दिल में गुस्सा हो और उस की चुग़ली को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गुस्से में आ कर चुग़ली करूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का हक़दार क़रार पाऊंगा कि यह गुनाह के ज़रीए गुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 12

बोहतान का बयान

कुरआन में बोहतान की मज़म्मत

إِنَّمَا يَفْتَوِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِ

اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَذِبُونَ ﴿١٤٥﴾ (النحل: 105)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : झूट बोहतान वोही बांधते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं रखते और वोही झूटे हैं ।



हदीस में बोहतान की मजम्मत

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : जो किसी मुसलमान की बुराई बयान करे जो उस में नहीं पाई जाती तो उस को अल्लाह पाक उस वक्त तक रद्ग़तुल ख़बाल में रखेगा जब तक कि वोह अपनी कही हुई बात से न निकल आए।⁽¹⁾ रद्ग़तुल ख़बाल जहन्नम में एक जगह है जहां जहन्नमियों का खून और पीप जम्भू होगा।⁽²⁾

बोहतान की ता'रीफ़

किसी शख्स की मौजूदगी या ग़ैर मौजूदगी में उस पर झूट बांधना बोहतान कहलाता है।⁽³⁾

ता'रीफ़ की वज़ाहत और मिसाल

इस को आसान लफ़्ज़ों में यूं समझिये कि बुराई न होने के बावजूद अगर पीठ पीछे (ग़ैर मौजूदगी) या रूबरू (सामने) वोह बुराई उस की तरफ़ मन्सूब कर दी तो येह बोहतान हुवा मसलन पीठ पीछे या मुंह पर किसी को चोर कह दिया हालां कि उस ने कोई चोरी नहीं की तो उस को चोर कहना बोहतान हुवा।

बोहतान का हुक्म

बोहतान तराशी ह़राम, गुनाहे कबीरा⁽⁴⁾ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

बोहतान के अस्बाब

(1) लड़ाई झगड़ा (2) गुस्सा (3) बुज़ुर्गों कीना (4) ह़सद (5) ज़ियादा बोलने की आदत (6) बद गुमानी।

बोहतान से बचने के तरीक़े

❁ ज़बान का कुफ़्ले मदीना लगाइये कि बोहतान और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है।



1... البوداود، کتاب الاخصیة، باب فیمن یعین علی... الخ، 3/427، حدیث: 3597

2... बहारे शरीअत, 2/364, हिस्सा : 9

3... الخریقة التدریة، 2/200

4... तफ़सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 18, अन्नूर, तह़तल आयह : 18, 6/599

❁ कुरआनो हदीस में ज़िक्र किये गए बोहतान के होलनाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये और अपने नाजुक बदन पर गौर कीजिये कि बोहतान के सबब अगर इन में से कोई अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा ।

❁ सलाम और मुसाफ़हा करने की आदत अपनाइये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! इस की बरकत से दिल से बुग़जों कीना दूर होगा और महबूबत बढ़ेगी और एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी का मरज़ भी ख़त्म होगा ।

❁ किसी के खिलाफ़ दिल में गुस्सा हो और उस पर बोहतान बांधने को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गुस्से में आ कर बोहतान बांधूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का हक़दार करार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए गुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्तफ़ा **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है ।⁽¹⁾

❁ मुसल्मानों के बारे में हुस्ने ज़न रखिये, बद गुमानी और शक करने से परहेज़ कीजिये ।

सबक नम्बर 13

तमस्खुर (मज़ाक़ उड़ाने) का बयान

कुरआन में तमस्खुर का ज़िक्र

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ (پ 26، الحجرات: 11)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो न मर्द मर्दों से हंसें अज़ब नहीं कि वोह इन हंसने वालों से बेहतर हों और न औरतें औरतों से दूर नहीं कि वोह इन हंसने वालियों से बेहतर हों ।

आयत की तफ़्सीर

अगर किसी शख्स में फ़क्र, मोहताजी और ग़रीबी के आसार नज़र आएँ तो इन की बिना पर उस का मज़ाक़ न उड़ाया जाए, हो सकता है कि जिस का मज़ाक़ उड़ाया जा रहा है वोह मज़ाक़ उड़ाने वाले के मुक़ाबले में दीनदारी के लिहाज़ से कहीं बेहतर हो ।⁽²⁾



हदीस में तमस्खुर का जिक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : क़ियामत के दिन लोगों का मज़ाक़ उड़ाने वाले के सामने जन्नत का एक दरवाज़ा खोला जाएगा और कहा जाएगा कि आओ ! आओ....!! वोह बहुत बेचैनी और ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के सामने आएगा मगर जैसे ही दरवाज़े के पास पहुंचेगा तो दरवाज़ा बन्द कर दिया जाएगा, फिर एक दूसरा जन्नत का दरवाज़ा खुलेगा और उस को पुकारा जाएगा : आओ ! यहां आओ....!! येह बेचैनी और रन्जो ग़म में डूबा हुवा उस दरवाज़े के पास जाएगा तो वोह दरवाज़ा बन्द हो जाएगा, इसी तरह उस के साथ मुआमला होता रहेगा यहां तक कि दरवाज़ा खुलेगा और पुकार पड़ेगी तो वोह ना उम्मीदी की वजह से नहीं जाएगा।⁽¹⁾

तमस्खुर की ता'रीफ़

किसी की इस तरह तौहीनो तज़लील करना या उस के उयूबो नकाइस को इस तरह ज़ाहिर करना कि उस का मज़ाक़ बने, तमस्खुर कहलाता है।⁽²⁾ इस को इस्तिहज़ा भी कहते हैं।

तमस्खुर की मिसालें

❁ किसी शख्स के बैठने, उठने, चलने या गुफ्तगू करने के अन्दाज़ की नक़ल उतारी जाए मसलन ज़ैद लंगड़ा कर चलता है बक्र भी उस की तरह लंगड़ाते हुए चल कर उस का मज़ाक़ बनाए तो वोह ज़ैद के साथ तमस्खुर करने वाला होगा। ❁ किसी की शक्लो सूरत वगैरा जिस्मानी साख़्त को मज़हका ख़ैज़ (या'नी हंसी लाने वाले) अन्दाज़ से बयान किया जाए मसलन एक शख्स बहुत मोटा है बक्र ने उस को आते देख कर कहा : देखो ! हाथी का छोटा भाई आ रहा है, येह भी तमस्खुर है।

तमस्खुर का हुक्म

(किसी मुसलमान के साथ) तमस्खुर करना (या'नी उस का मज़ाक़ उड़ाना) हराम है क्यूं कि इस से (उस की) दिल आज़ारी होती है।⁽³⁾



1... موسوعة ابن أبي الدنيا، كتاب الصمت و آداب اللسان، 7/183، حديث: 287

2... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة الحادية عشر السخرية والاستهزاء، 3/162

3... عین العلم و زین العلم، الباب التاسع فی الصمت... الخ، کراہیة الاستهزاء... الخ، 1/467

चन्द अहकाम

❁ दीन की किसी चीज़ का मज़ाक़ उड़ाना कुफ़्र है।⁽¹⁾ ❁ मिज़ाह या'नी ऐसी बात जिस में किसी की दिल आज़ारी न हो बल्कि अपना और सुनने वाले का दिल खुश हो जाए येह अच्छी चीज़ है जब कि कभी कभी हो (और उस में झूट भी न हो)। ❁ कभी कभी खुश तर्ब्द करना हुज़ूरे अक्दस صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से साबित है।⁽²⁾

तमस्खुर के अस्बाब

(1) नफ़रत व अ़दावत (2) तकब्बुर (3) खुद पसन्दी (4) मज़ाक़ मस्खुरी की आदत (5) फुज़ूल गोई (6) बुरी सोहबत।

तमस्खुर से बचने के तरीक़े

❁ ज़बान का कुफ़ले मदीना लगाइये कि तमस्खुर और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

❁ तमस्खुर के दुन्यवी और उख़वी नुक़सानात और इस की तबाह कारियों के बारे में ग़ौर कीजिये कि किसी भी मरज़ से बचने और इस का इलाज करने के लिये उस के नुक़सानात और तबाह कारियों का जानना मुफ़ीद होता है।

❁ दिल में एहतिरामे मुस्लिम का ज़ब्बा पैदा कीजिये और मुसल्मान की दिल आज़ारी से हमेशा बचते रहिये। इस के लिये शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रते अल्लामा अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरी رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَیْهِ के रिसाले “एहतिरामे मुस्लिम” का मुतालआ मुफ़ीद है।

❁ सलाम और मुसाफ़हा करने की आदत अपनाइये, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ! दिल से नफ़रतो अ़दावत निकलेगी और महब्बत बढ़ेगी।

सबक़ नम्बर 14

ला'नत का बयान

कुरआन में ला'नत का ज़िक़्र

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَقَرُّ عَاوُ حَقِيَّةً ۖ إِنَّهُ لَا يَجِبُ
الْمُعْتَدِينَ ۖ (پ 8، الاعراف: 55)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अपने रब से दुआ करो गिड़गिड़ाते और आहिस्ता बेशक हृद से बढ़ने वाले उसे पसन्द नहीं।

❶ ...तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनात, पारह : 6, अल माइदह, तहत्तल आयह : 58, 2/457

❷ ...मिरआतुल मनाज़ीह, 6/493 माखूज़न

आयत की तफ़्सीर

एक कौल के मुताबिक़ इस आयत में “हृद से बढ़ने वालों” से मुराद वोह लोग हैं जो मुसल्मानों के लिये बद दुआ करते और कहते हैं : अल्लाह इन को ख़्वा़र करे, अल्लाह इन पर ला'नत करे ।⁽¹⁾

हदीस में ला'नत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : जब मेरी उम्मत छे चीजों को हलाल समझने लगेगी तो हलाकत में मुब्तला हो जाएगी : (1) एक दूसरे पर ला'नत करना । (2) शराब पीना । (3) रेशम का लिबास पहनना । (4) गाने वाली औरतें रखना । (5) मर्दों का मर्दों पर और (6) औरतों का औरतों पर इक्तिफ़ा करना ।⁽²⁾

ला'नत की ता'रीफ़

रहमते इलाही से दूर हो जाने की बद दुआ करना ला'नत करना है ।⁽³⁾

ला'नत की मिसालें

❁ इस तरह कहना कि ज़ैद पर ला'नत ❁ ऐ अल्लाह ! ज़ैद पर ला'नत कर ❁ ज़ैद को अपनी रहमत से दूर कर दे वगैरा ।

ला'नत का हुक्म

फ़र्दे मुअय्यन या'नी किसी शख़्स को ख़ास कर के ला'नत करना (मसलन यूं कहे : “ज़ैद पर ला'नत” येह) जाइज़ नहीं ।⁽⁴⁾

चन्द अहक़ाम

❁ फ़तावा रज़विyyा में है कि ला'नत बहुत सख़्त चीज़ है, हर मुसल्मान को इस से बचाया जाए बल्कि लईन काफ़िर पर भी ला'नत जाइज़ नहीं जब तक उस का कुफ़्र पर मरना कुरआनो हदीस से साबित न हो ।⁽⁵⁾ ❁ वस्फ़े अ़ाम मज़मूम (या'नी ऐसी बुरी सिफ़त जिस में कोई फ़र्द ख़ास न हो, उस



1... तफ़्सीर بغुयी، 8، الاعراف، تحت الآية: 55/2، 138

2... معجم اوسط، 1/305، حدیث: 1086

3... میرआतुल मनाजीह، 5/127 मुल्लक़तन

4... عمدة القاری، کتاب الایمان، باب کفران العشر وکفر دون کفر، 1/304، تحت الحدیث: 29

5... ف़तावा रज़विyyا، 21/222

सिफ़त) के साथ ला'नत जाइज़ है⁽¹⁾ मसलन येह कह सकते हैं कि काफ़िरों पर या झूटों पर ला'नत मगर इस की आदत न डाली जाए।⁽²⁾ ❀ मच्छर, हवा, जमादात (या'नी बेजान चीज़ों) और हैवानात पर भी ला'नत ना जाइज़ है।⁽³⁾

ला'नत के अस्बाब

❀ जहालत (इल्मे दीन से दूरी की वजह से बा'ज़ लोग ला'नत को मा'मूली खयाल करते हैं और उन्हें इल्म भी नहीं होता कि ला'नत करना शर'अन ना जाइज़ और गुनाह है।) ❀ गुस्सा (गुस्से में जो ज़बान पर क़ाबू नहीं रख पाते दूसरे गुनाहों के साथ ला'नत के गुनाह में भी मुब्तला हो जाते हैं) ❀ बिना सोचे समझे बोलते रहने की आदत। ❀ लड़ाई झगड़े (ऐसे मौक़ए पर गाली गलोच के साथ बा'ज़ लोग एक दूसरे पर ला'नत भी करते हैं) ❀ बद मज़हबों से मेलजोल रखना और उन के पास उठना बैठना (क्यूं कि बद मज़हबों की अहले बैते अतहार, सहाबए किराम رَضَوُاْ اللّٰهُ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ और बुजुर्गाने दीन رَحِمَهُمُ اللّٰهُ السَّيِّئِينَ पर ला'न ता'न करने की आदत होती है)।

ला'नत से बचने के तरीक़े

❀ इल्मे दीन हासिल कीजिये, बिल खुसूस ज़बान से होने वाले गुनाहों की मा'लूमात हासिल कीजिये क्यूं कि बहुत सारे गुनाह ज़बान से ही होते हैं।

❀ बोलने से पहले तोलने या'नी सोच समझ कर बात करने की आदत डालिये।

❀ गुस्से में बेकाबू हो कर ज़बान का ग़लत इस्ति'माल करने के बजाए हुसूले सवाब के लिये गुस्सा पी जाने की कोशिश कीजिये।

❀ जब दिल में किसी के ख़िलाफ़ गुस्सा हो और उस पर ला'न ता'न को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गुस्से में आ कर किसी को बुरा भला कहूंगा और उस पर ला'न ता'न करूंगा तो जहन्नम का हक़दार क़रार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए गुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है।⁽⁴⁾



1... الحديث النبوي، القسم الثاني، البحث الاول، النوع التاسع في اللعن... الخ، 2/232

2... मिरआतुल मनाजीह, 1/41 ब तग़य्युरे क़लील

3... الحديث النبوي، القسم الثاني، البحث الاول، النوع التاسع في اللعن... الخ، 2/231

4... مسند الفردوس، 1/123 حديث: 781

❧ झगड़े मिटा कर मुसलमानों के साथ मिलजुल कर महबूब के साथ रहिये, हदीस शरीफ में है : “जो हक़ पर होते हुए भी झगड़ा ख़त्म करे मैं उसे जन्नत के कनारे एक घर की ज़मानत देता हूँ।”⁽¹⁾
❧ सिर्फ़ आशिक़ाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बद मज़हबों के साथ उठने बैठने से बचते रहिये।

सबक़ नम्बर 15

गाली का बयान

क़ुरआन में गाली न देने का ज़िक्र

لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظَلِمَ
وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿٦٠﴾ (प 6, النساء: 148)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : अल्लाह पसन्द नहीं करता बुरी बात का ए'लान करना मगर मज़लूम से और अल्लाह सुनता जानता है।

आयत की तफ़सीर

एक क़ौल के मुताबिक़ आयते मुबारका में “बुरी बात के ए'लान” से मुराद गाली देना है या'नी अल्लाह पाक इस बात को पसन्द नहीं करता कि कोई किसी को गाली दे।⁽²⁾

हदीस में गाली न देने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : मुसल्मान को गाली देने वाला उस शख्स की मानिन्द है जो अन्क़रीब हलाकत में जा पड़ेगा।⁽³⁾

गाली की ता'रीफ़

इन्सान की इज़ज़त के बारे में ऐसी बात कहना जो उसे ऐबदार करे।⁽⁴⁾

गाली देने की मिसालें

किसी को ❧ फ़ासिक़ ❧ फ़ाजिर ❧ अहमक़ ❧ बदकार वगैरा कहना।



1... ابو داود، كتاب الادب، باب في حسن الخلق، 4/332، حديث: 4800

2... सिरातुल जिनान, पारह : 6, अन्निसाअ, तहतल आयह : 148, 2/339

3... مجمع الزوائد، كتاب الادب، باب فيمن لعن مسلما وراه بكفر، 8/140، حديث: 13011

4... عمدة القاري، كتاب الايمان، باب خوف المؤمن... الخ، 1/408، تحت الحديث: 48

गाली देने का हुक्म

मुसलमान को बिला वज्हे शर्ई गाली देना सख़्त हराम है।⁽¹⁾

चन्द अहकाम

❁ अल्लाह पाक को गाली देना कुफ़्र है ख़्वाह सन्जीदगी में दे या मज़ाक़ में, खुशी से दे या गुस्से में।⁽²⁾ ❁ बा'ज़ गालियां तो किसी वक़्त हलाल नहीं हो सकतीं और उन का देने वाला सख़्त फ़ासिक़ और सलतनते इस्लामिया में 80 कोड़ों का मुस्तहक़ होता है⁽³⁾ मसलन औरत को जानिया कहना वगैरा।⁽⁴⁾ ❁ दहर (ज़माने), सफ़ेद मुर्ग़, हवा और बुख़ार को गाली देना मन्अ है।⁽⁵⁾

गाली देने के अस्बाब

(1) गुस्सा (2) लड़ाई झगड़ा (3) बुरी सोहबत (4) फ़िल्में ड्रामे देखना (5) शराब नोशी (6) जहालत (7) ख़ौफ़े खुदा की कमी।

गाली देने से बचने के तरीक़े

❁ इल्मे दीन हासिल कीजिये। ज़बान का कुफ़ले मदीना लगा लीजिये कि गाली गलोच और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है।

❁ बे जा गुस्से की आदत अपने अन्दर से निकाल दीजिये बल्कि अफ़वो दर गुज़र से काम लीजिये और गुस्सा पी जाने का मा'मूल बनाइये।

❁ अपने दिल में एहतिरामे मुस्लिम का ज़ब्बा बेदार कीजिये और सब के साथ प्यार महबबत के साथ पेश आइये, लड़ाई झगड़े बिल्कुल मत कीजिये।

❁ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 फ़ीसदी इस्लामी चैनल ही देखा कीजिये, इस के इलावा गुनाहों भरे चैनल देखने, फ़िल्मों ड्रामों के ज़रीए आंखों को हराम से पुर करने से हमेशा बचते रहिये।

①... फ़तावा रज़विय्या, 6/538 मुल्लतक़तून

②... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 510

③... फ़तावा रज़विय्या, 6/538 मुल्लतक़तून

④... बहारे शरीअत, 2/398, हिस्सा : 9 मफ़हूमन

⑤... المحرقة النارية، القسم الثاني، المبحث الاول، النوع العاشر في السب، 2/238 تا 239 ماخوذاً

❁ नेक, परहेज़ गार आशिकाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिये ।

सबक नम्बर 16

फ़ोहूश गोई का बयान

कुरआन में फ़ोहूश गोई की मज़म्मत का ज़िक्र

कौमे लूत की बद आ'मालियों के बयान में इशदि बारी है :

أَيُّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ
وَتَأْتُونَ فِي نَادِيَكُمُ الْمُنْكَرَ ط (پ 20، العنکبوت: 29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : क्या तुम मर्दों से बदफ़े'ली करते हो और राह मारते हो और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो ।

आयत की तफ़्सीर

तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान में इस हिस्से “और अपनी मजलिस में बुरी बात करते हो” के तहूत है : जो अक्लन व उर्फ़न कबीह व मम्मूअ है जैसे गाली देना, फ़ोहूश बकना, ताली और सीटी बजाना, एक दूसरे के कंकरियां मारना, रस्ता चलने वालों पर कंकरी वगैरा फेंकना, शराब पीना, तमस्खुर और गन्दी बातें करना, एक दूसरे पर थूकना वगैरा ज़लील अफ़़ाल व हरकात ।⁽¹⁾

हदीस में फ़ोहूश गोई की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : चार तरह के शख्स अहले जहन्नम की तकलीफ़ में इज़ाफ़ा कर देंगे, वोह खौलते पानी और आग के दरमियान भागते फिरते और वैलो सुबूर (या'नी हलाकत) मांगते फिरते होंगे, (उन चार में से) एक शख्स वोह होगा जिस के मुंह से खून और पीप बह रहा होगा, जहन्नमी कहेंगे : इस बद बख़्त को क्या हुवा कि हमारी तकलीफ़ में इज़ाफ़ा किये देता है ? जवाब मिलेगा : येह बद नसीब ख़बीस और बुरी बात की तरफ़ मुतवज्जेह हो कर लज़ज़त उठाता था ।⁽²⁾

फ़ोहूश गोई की ता'रीफ़

फ़ोहूश का लुगवी मा'ना है : बुरा और गन्दा कौल व फ़े'ल । “लोगों के साथ बात करने में जिन उमूर को बुरा समझा जाता है उन को साफ़ और वाज़ेह लफ़्ज़ों में बयान कर देना फ़ोहूश गोई है ।”⁽³⁾

1 ... ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 20, अल अन्कबूत, तहूतल आयह : 29

2 ... موسوعة ابن أبي الدنيا، كتاب صفه النار، 6/449، حديث: 229 ملقط

3 ... الحديث النبوي، القسم الثاني، المبحث الاول ... الخ، النوع الحادي عشر، 2/239 ملقط

फ़ोहूश गोई का हुक्म

फ़ोहूश गोई गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अहकाम

❁ बेहतर यह है कि अगर मजबूरन किसी ऐसी बात का ज़िक्र करना पड़े (मसलन इलाज के लिये तबीब से कोई बात करनी है) तो वाज़ेह अल्फ़ाज़ इस्ति'माल करने के बजाए इशारतन छुपे लफ़्ज़ों में बयान करे।⁽¹⁾ ❁ औरतों का ज़िक्र भी इशारतन करना अच्छा समझा जाता है लिहाज़ा येह न कहा जाए कि तुम्हारी बीवी ने येह बात कही बल्कि येह कहा जाए कि घर में यूं कहा गया है या बच्चों की अम्मी ने येह कहा।⁽²⁾

❁ जिस शख्स में कुछ ड़्यूब हों जिन से वोह शरमाता हो, उन्हें वाज़ेह अल्फ़ाज़ में ज़िक्र नहीं करना चाहिये जैसे कि बरस या गन्ज की बीमारी और बवासीर बल्कि यूं कहना चाहिये कि उसे एक मरज़ है जिस के सबब वोह तकलीफ़ में मुब्तला है।⁽³⁾

फ़ोहूश गोई के अस्बाब

(1) इल्मे दीन से दूरी (2) मज़ाक़ मस्ख़री की आदत (3) फुज़ूल गोई (4) गुस्सा (5) लड़ाई झगड़ा (6) बुरी सोहबत (7) फ़िल्में ड्रामे देखना और गाने सुनना।

फ़ोहूश गोई से बचने के तरीक़े

❁ इल्मे दीन हासिल कीजिये, बिल खुसूस गुफ़्तगू की सुन्नतें और आदाब सीख लीजिये।

❁ जहन्नम के होलनाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये और अपने नाजुक बदन पर गौर कीजिये कि फ़ोहूश गोई के सबब अगर इन में से कोई अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा।

❁ ज़बान का कुफ़्ले मदीना लगा लीजिये कि फ़ोहूश गोई और इस के इलावा बहुत सारे गुनाह ज़ियादा तर ज़बान से ही होते हैं लिहाज़ा इसे क़ाबू में रखना बहुत ज़रूरी है।



1... الحديقة النورية، القسم الثاني، المبحث الاول... الخ، النوع الحادي عشر، 2/239 ملقطا

2... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان، 3/151 ملقطا

3... احیاء العلوم، کتاب آفات اللسان، الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة اللسان، 3/151 ملقطا

❁ दिल में एहतिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार कीजिये और लड़ाई झगड़े मिटा कर हर एक के साथ प्यार और महबूबत के साथ रहिये ।

❁ अफ़वो दर गुज़र से काम लीजिये और बे जा गुस्सा हरगिज़ मत कीजिये कि इस के सबब इन्सान बहुत सारे गुनाहों में मुब्तला हो जाता है ।

❁ दौराने गुफ़्तगू दा'वते इस्लामी की इस्तिलाहात इस्ति'माल कीजिये मसलन ज़ौजा या बीवी कहने के बजाए मौक़अ की मुनासबत से बच्चों की अम्मी कहिये वगैरा ।

❁ सन्जीदा और बा अमल आशिक़ाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बुरी सोहबत से हमेशा दूर रहिये ।

❁ **वज़ीफ़ा** : जिस की गन्दी बातों की आदत न जाती हो वोह “يَا حَيُّ” 90 बार (अव्वल व आख़िर दुरूद शरीफ़) पढ़ कर किसी ख़ाली पियाले या गिलास में दम कर दे, हस्बे ज़रूरत उसी में पानी पिया करे **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! फ़ोहूश गोई की आदत निकल जाएगी (एक बार का दम किया हुवा गिलास बरसों तक चला सकते हैं) ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 17

राज़ फ़ाश करने का बयान

क़ुरआन में राज़ छुपाने का ज़िक़र

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ
وَتَخُونُوا أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾
(پ۹، الانفال: 27)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो अल्लाह व रसूल से दगा न करो और न अपनी अमानतों में दानिस्ता ख़ियानत ।

आयत की तफ़्सीर

एक क़ौल के मुताबिक़ बा'ज़ लोग राज़ की बातें कुफ़़ार को बता दिया करते थे, इस आयत में उन्हें राज़ फ़ाश करने से मन्अ किया गया ।⁽²⁾

1 ... 40 रूहानि इलाज, स. 7

2 ... التفسيرات الاحمدية، پ۹، الانفال، تحت الآية: 28، ص 433

हदीस में राज़ छुपाने का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : दो शख्सों का बाहम बैठना अमानत है, उन में से किसी के लिये हलाल नहीं कि अपने साथी की ऐसी बात (लोगों के सामने) ज़ाहिर करे जिस का ज़ाहिर होना उसे ना पसन्द हो।⁽¹⁾

राज़ फ़ाश करने की तारीफ़

किसी की ऐसी बात या काम या हालत का इल्म हो जिस को वोह दूसरों पर ज़ाहिर करना नहीं चाहता तो उस को दूसरों पर ज़ाहिर कर देना राज़ फ़ाश करना है, चाहे वोह बात, काम या हालत अच्छी हो या बुरी।⁽²⁾

ता'रीफ़ की वज़ाहत

❁ एक मुसलमान की बातें, काम और अहवाल दूसरे मुसलमान के पास अमानत हैं (लिहाज़ा इन का दूसरों के सामने इज़हार उसे ना पसन्द हो तो ऐसी बात, काम या हालत को किसी और के सामने ज़ाहिर कर देना ख़ियानत है)।⁽³⁾ ❁ किसी बात के अमानत होने के लिये येह शर्त नहीं कि कहने वाला सराहतन (या'नी साफ़ लफ़्ज़ों में) मन्अ करे कि किसी को मत बताना बल्कि ❁ अगर वोह बात करते हुए इस तरह इधर उधर देखे कि कोई सुन तो नहीं रहा⁽⁴⁾ ❁ या जिस से बात करनी है उसे तन्हाई में ले जा कर बात करे तो येह भी बिल्कुल वाज़ेह करीना है कि येह बात अमानत है, उस की भी हिफ़ाज़त करना और किसी के सामने उस का इज़हार न करना ज़रूरी है।⁽⁵⁾ ❁ येह भी याद रहे कि ज़ाहिर करना इशारे से भी हो सकता है⁽⁶⁾ इस के लिये लिख कर बयान करना या ज़बान से कहना ही ज़रूरी नहीं।

राज़ फ़ाश करने का हुक्म

राज़ फ़ाश करना गुनाह और जहन्नम में ले जाने वाला काम है। राज़ फ़ाश करने में साहिबे राज़



1... الزهد لابن المبارك، باب ما جاء في الشخ، ص 240، حديث: 691

2... المحرقة النورية، القسم الثاني في آفات اللسان مفاسده و غوائله، المجلد الثاني من عشر، 261/262

3... المحرقة النورية، القسم الثاني في آفات اللسان مفاسده و غوائله، المجلد الثاني من عشر، 262/2

4... गीबत की तबाह कारियां, स. 428

5... المحرقة النورية، القسم الثاني في آفات اللسان مفاسده و غوائله، المجلد الثاني من عشر، 262/2 ملقطا

6... बहारे शरीअत, 2/343, हिस्सा : 9

(या'नी जिस का राज़ है उस) को ईजा (या'नी तक्लीफ़) होती है और ईजा देनी हराम है।⁽¹⁾

राज़ फ़ाश करने के अस्बाब

(1) बुज़्जो कीना (2) हसद (3) लड़ाई झगड़े (4) चुगल ख़ोरी (5) पेट का हलका होना (ऐसे लोग जब तक राज़ की बात दूसरों को बता नहीं लेते उन्हें चैन नहीं आता) (6) बिगैर सोचे समझे बोलने की आदत।

राज़ फ़ाश करने से बचने के तरीक़े

❁ ज़बान का कुफ़ले मदीना लगा लीजिये। ❁ किसी का राज़ दूसरों के सामने ज़ाहिर कर देने के दीनी और दुन्यवी नुक़सानात पर ग़ौर कीजिये, मसलन येह अख़्लाकी पस्ती और घटिया पन की अलामत है, इस से मुसलमानों में फ़साद फैलता और आपस में महबूबत मिटती है, राज़ फ़ाश कर देने वाले पर से लोगों का ए'तिमाद उठ जाता है। ❁ सलाम व मुसाफ़हा करने की आदत अपनाइये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! दिल से बुज़्जो कीना दूर होगा। ❁ मौत और क़ब्रों आख़िरत को कसरत से याद कीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! दिल से हसद का ख़ातिमा हो जाएगा।

सबक़ नम्बर 18

तजस्सुस का बयान

कुरआन में तजस्सुस का ज़िक्र

وَلَا تَجَسَّسُوا (प 26, المجرات: 12)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और ऐब न ढूँडो।

आयत की तफ़्सीर

या'नी मुसलमानों की ऐबजूई न करो और उन के छुपे हाल की जुस्तजू में न रहो जिसे **अल्लाह** पाक ने अपनी सत्तारी से छुपाया।⁽²⁾

हदीस में तजस्सुस का ज़िक्र

रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : ऐ वोह लोगो ! जो ज़बान से तो ईमान ले आए हो मगर तुम्हारे दिल में अभी तक ईमान दाख़िल नहीं हुवा ! मुसलमानों की ग़ीबत मत करो और न उन के उयूब को तलाश करो क्यूं कि जो अपने मुसलमान भाई का ऐब तलाश करेगा **अल्लाह** पाक उस का ऐब ज़ाहिर फ़रमा



1... الحديقة النورية، القسم الثاني في آفات اللسان مفاسده وخواصه، المجلد 2، 262/2

2... तफ़्सीरे ख़ज़ाइनुल इरफ़ान, पारह : 16, अल हुजुरात, तहत्तल आयह : 12

देगा और अल्लाह पाक जिस का ऐब ज़ाहिर फ़रमा दे तो उसे रुस्वा कर देता है अगर्वे वोह अपने घर के अन्दर (छुप कर बैठा हुवा) हो।⁽¹⁾

तजस्सुस की ता'रीफ़

लोगों की खुफ़िया (छुपी हुई) बातें और ऐब जानने की कोशिश करना तजस्सुस कहलाता है।⁽²⁾

तजस्सुस की चन्द मिसालें

❁ किसी से येह पूछना : रात देर तक जागते रहते हो, फ़ज़्र भी पढ़ते हो या नहीं ? ❁ किसी ने नोकर रखा तो उस से पूछना : आप का नया नोकर बराबर काम करता है या नहीं ? येह भी बिला इजाज़ते शर्ई पूछना ऐब ढूँडना है और इस सुवाल के जवाब में पूरा ख़तरा है कि जिस से पूछा गया वोह नोकर के बारे में कामचोर है, हराम ख़ोर है वगैरा कह कर गुनहगार हो जाए।⁽³⁾ ❁ इसी तरह बिला इजाज़ते शर्ई किसी का कोई ऐब मा'लूम करने के लिये उस का पीछा करना, उस के घर में झाँकना वगैरा भी तजस्सुस में दाख़िल है।

तजस्सुस का हुक्म

मुसल्मान की ऐबजूई (या'नी उस के ऐब तलाश करना) हराम है।⁽⁴⁾

❁ बेदीन, मुफ़्सिदीन (फ़साद करने वालों) के हालात छुप कर देखना सुनना ताकि उन के फ़साद की रोकथाम हो सके, जाइज़ है।⁽⁵⁾ ❁ नोकर रखने, शराक़त दारी (या'नी पार्टनर शिप करने) या कहीं शादी का इरादा है तो हस्बे ज़रूरत मा'लूमात करना गुनाह नहीं।⁽⁶⁾



1... ابو داود، کتاب الادب، باب فی الغیبة، 354/4، حدیث: 4880

2... الحدیقة الندیة، المجلد الرابع والعشرون، 9/2

3... नेकी की दा'वत, स. 399, ब तक़्दुम व तअख़्बुर

4... फ़तावा रज़विyya, 14/271, ब तग़य्युर

5... मिरआतुल मनाजीह, 7/326, ब तग़य्युरे क़लील

6... नेकी की दा'वत, स. 398, 399

तजस्सुस के अस्बाब

(1) बुज़्जो कीना (2) हसद (3) चुगल खोरी की आदत (ऐसा शख्स एक दूसरे तक बातें पहुंचाने के लिये लोगों के ऐब तलाश करने में लगा रहता है) ।

तजस्सुस से बचने के तरीके

❀ अपने ऐबों पर नजर रखिये और उन्हें दूर करने में लग जाइये । बे जा सोचना छोड़ दीजिये ।

❁ अल्लाह पाक की रिज़ा के लिये आपस में महबूबत कीजिये और दिल से मुसलमानों का बुग़्जो कीना निकाल दीजिये ।

❧ खुद को जहन्नम के अज़ाब से डराइये । रिवायत में है कि जिस को सब से कम दरजे का अज़ाब होगा उसे आग की जूतियां पहना दी जाएंगी जिस से उस का दिमाग़ ऐसा खौलेगा जैसे तांबे की पतीली खौलती है, वोह समझेगा कि सब से ज़ियादा अज़ाब उस पर हो रहा है हालां कि उस पर सब से हलका है ।⁽¹⁾

सबक नम्बर 19

बद निगाही का बयान

कुरआन में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र

قُلْ لِلّٰهِ مُبِينٌ يَعْظُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا
أَفْرُوجَهُمْ ۚ ذٰلِكَ أَرَادَ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللّٰهَ حَبِيرٌ بِنَا
يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ (پ 18، النور: 30)

तरजमए कञ्जुल ईमान : मुसलमान मर्दों को हुक्म दो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें येह उन के लिये बहुत सुथरा है बेशक **अल्लाह** को उन के कामों की खबर है।

आयत की तफ़्सीर

नज़र नीची रखना दिल को बहुत ज़ियादा पाक करता है और नेकियों में इज़ाफ़े का ज़रीआ है, इस की वजह यह है कि अगर तुम नज़र नीची न रखो बल्कि इसे आज़ादाना हर चीज़ पर डालो तो बसा अवकात तुम बे फाएदा और फुज़ूल भी इधर उधर देखना शुरूअ कर दोगे और रफ़्ता रफ़्ता तुम्हारी नज़र

हराम पर भी पड़ना शुरू हो जाएगी। अब अगर जान बूझ कर हराम पर नज़र डालोगे तो येह बहुत बड़ा गुनाह है और ऐन मुम्किन है कि तुम्हारा दिल हराम चीज़ पर फ़रेफ़ता हो जाए और तुम तबाही का शिकार हो जाओ।⁽¹⁾

हदीस में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : तुम या तो अपनी निगाहें नीची रखोगे और अपनी शर्मगाहों की हिफ़ाज़त करोगे और अपने चेहरों को सीधे रखोगे या तुम्हारी शक्लें बिगाड़ दी जाएंगी।⁽²⁾

बद निगाही की ता'रीफ़

जिस को देखना जाइज़ नहीं क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) उसे देखना बद निगाही है।

बद निगाही की मिसालें

❁ बेपर्दा अजनबी औरतों को देखना ❁ या पर्दादार औरत को शहवत के साथ देखना ❁ इसी तरह अम्द (या'नी ख़ूब सूरत लड़के) को शहवत से देखना⁽³⁾ ❁ मर्द ने ऐसा बारीक लिबास पहना हो जिस से उस की पर्दे की जगहें या'नी नाफ़ के नीचे से ले कर घुटने के नीचे तक किसी हिस्से की रंगत चमकती हो तो उस को देखना भी बद निगाही है।

बद निगाही का हुक्म

बद निगाही हराम⁽⁴⁾ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अहकाम

❁ (मर्द व औरत में से) हर एक का दूसरे की औरत (या'नी पर्दे की जगह) को देखना क़र्ज़ हराम है और इसी तरह ग़ैर जाए सत्र (या'नी पर्दे की जगह के इलावा) को देखना भी हराम है जब कि शहवत से अम्न न हो।⁽⁵⁾ ❁ अम्द (या'नी ख़ूब सूरत) लड़के को शहवत से देखना

1... तफ़्सीरी सिरातुल ज़िना, पारह : 18, अन्नूर, तह्ज़तल आयह : 30, 6/617

2... 2... 7840: حدیث: 208/8, 8/...

3... देख कर चिपटा लेने या बोसा लेने को जी चाहना, येह शहवत की अ़लामतें हैं। (कौमे लूत की तबाह कारियां, स. 23)

4... फ़तावा रज़विय्या, 10/750 मुल्तक़तन

5... फ़तावा रज़विय्या, 22/201 तस्हीलन

भी हराम है।⁽¹⁾ ❁ वाजेह रहे कि (जिस को देखना हराम है, उस पर) क़स्दन (या'नी जान बूझ कर) डाली जाने वाली पहली नज़र भी हराम और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।⁽²⁾

बद निगाही के अस्बाब

(1) इल्मे दीन से दूरी (बहुत लोगों को इस का पता ही नहीं होता कि शर्अन किस का किस से पर्दा है चुनान्वे वोह इस दीनी मस्अले से जाहिल होने की वजह से अपनी नज़रों की हिफ़ाज़त नहीं कर पाते मसलन अ़म तौर पर मुंहबोली बहन को हकीकी बहन की तरह समझ कर पर्दे के मुआमले में एहतियात नहीं की जाती, इसी तरह चचाज़ाद, मामूंज़ाद और ख़ालाज़ाद वगैरा के दरमियान भी शर्ई पर्दे को ग़ैर ज़रूरी ख़याल किया जाता है हालां कि येह सब ग़ैर महरम हैं और शर्अन इन से भी पर्दा फ़र्ज है) (2) तफ़रीह गाहों में घूमना (अ़म तौर पर ऐसी जगहों में बेपर्दा औरतों की कसरत होती है जिस की वजह से नज़र की हिफ़ाज़त मुश्किल हो जाती है)। (3) इन्टरनेट और सोशल मीडिया का इस्ति'माल (4) फ़िल्में ड्रामे देखना (5) मख़्लूत ता'लीम (6) डान्स क्लब और स्विमिंग पूल वगैरा में जाना (7) जदीद फ़ेशन और मग़रिबी तहज़ीब को पसन्द करना (8) परेशान नज़री (या'नी राह चलते वक़्त और गाड़ी में सफ़र के दौरान बिला ज़रूरत इधर उधर देखना और साइन बोर्ड वगैरा पर नज़र डालते रहना)। (9) अपने घर के बरआमदों से बिला ज़रूरत बाहर नीज़ किसी और के दरवाज़ों वगैरा से घरों के अन्दर झांकना।

बद निगाही से बचने के तरीक़े

❁ इल्मे दीन हासिल कीजिये। आंखों का कुफ़ले मदीना लगाते हुए अक्सर निगाहें नीची रखिये, राह चलते वक़्त और दौराने सफ़र जब ड्राइविंग न कर रहे हों तो बिला ज़रूरत इधर उधर देखने, साइन बोर्ड पढ़ने नीज़ घर के बरआमदों से बाहर झांकने वगैरा से परहेज़ कीजिये।

❁ आंखों की हिफ़ाज़त के फ़ज़ाइल और बद निगाही के अज़ाबात का मुतालआ कीजिये।

❁ मोबाइल और इन्टरनेट का इस्ति'माल सिर्फ़ ज़रूरत के मुताबिक़ और वोह भी शरीअत के दाएरे में रह कर कीजिये नीज़ इन के इस्ति'माल के मुतअल्लिक़ शर्ई एहतियातें भी सीखिये।



❁ सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 फ़ीसदी इस्लामी चैनल ही देखिये इस के इलावा गुनाहों भरे चैनल देखने, फ़िल्मों ड्रामों के ज़रीए आंखों को हराम से पुर करने से हमेशा बचते रहिये ।

❁ अगर आंख बहक जाए और बद निगाही कर बैठें तो फ़ौरन नज़र वहां से हटा लीजिये, मुम्किन हो तो खुद वहां से हट जाइये और सच्चे दिल से अल्लाह पाक की बारगाह में तौबा भी कीजिये । अगर मर्द के साथ ऐसा हो तो अव्वल आख़िर दुरूद शरीफ़ के साथ येह दुआ पढ़े :

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ النِّسَاءِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ (1)

सबक नम्बर 20

मुदाहनत का बयान

कुरआन में मुदाहनत का ज़िक्र

كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا
كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿٦٠﴾ (المائدة: 79)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : जो बुरी बात करते आपस में एक दूसरे को न रोकते ज़रूर बहुत ही बुरे काम करते थे ।

आयत की तफ़्सीर

हदीस शरीफ़ में है कि जब बनी इसराईल गुनाहों में मुब्तला हुए तो उन के उलमा ने पहले तो उन्हें मन्अ किया, जब वोह बाज़ न आए तो फिर वोह उलमा भी उन से मिल गए और खाने पीने उठने बैठने में उन के साथ शामिल हो गए उन की इसी ना फ़रमानी और सरकशी का येह नतीजा हुवा कि अल्लाह पाक ने हज़रते दावूद और हज़रते ईसा عَلَيْهِمَا السَّلَام की ज़बान से उन पर ला'नत उतारी ।⁽²⁾ इस से मा'लूम हुवा कि बुराई से लोगों को रोकना वाजिब है और (कुदरत के बा वुजूद) गुनाह से मन्अ करने से बाज़ रहना सख़्त गुनाह है ।⁽³⁾

हदीस में मुदाहनत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : उस ज़ात की क़सम जिस के क़ब्ज़ए कुदरत में मेरी जान है ! मेरी उम्मत में से बा'ज़ लोग अपनी क़ब्रों से बन्दर और खिन्ज़ीर की शक़ल में उठेंगे, येह वोह लोग होंगे

① ...पर्वे के बारे में सुवाल जवाब, स. 301 ब तग़य्युरे क़लील

② ...ترمذی، کتاب تفسیر القرآن، باب ومن سورة المائدة، 36/5، حدیث: 3059 ملقط

③ ...तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनान, पारह : 6, अल माइदह, तह़तल आयह : 79, 2/479

जिन्होंने ने गुनहगारों के साथ तअल्लुकात रखे और कुदरत रखने के बा वुजूद उन्हें गुनाहों से मन्अ न किया।⁽¹⁾

मुदाहनत की ता'रीफ़

बुराई (या'नी शरीअत के खिलाफ़ कोई काम) देखे और उस को रोकने पर कादिर हो लेकिन किसी का लिहाज़ करते हुए न रोके या दीन के मुआमले की ज़ियादा परवाह न करने की वजह से उस को न रोके तो येह मुदाहनत है।⁽²⁾

मुदाहनत का हुक्म

मुदाहनत हाराम⁽³⁾ और जहन्नम में ले जाने वाला काम है।

चन्द अहकाम

❁ अगर ग़ालिब गुमान येह है कि येह उन (या'नी शरीअत के खिलाफ़ काम करने वालों) से कहेगा तो वोह इस की बात मान लेंगे और बुरी बात से बाज़ आ जाएंगे तो अम्र बिल मा'रूफ़ (या'नी नेकी की दा'वत देना) वाजिब है इस को (बुराई रोकने से) बाज़ रहना जाइज़ नहीं ❁ और अगर गुमान ग़ालिब येह है कि वोह तरह तरह की तोहमत बांधेंगे और ग़ालियां देंगे या मा'लूम है कि वोह इसे मारेंगे और येह सब्र न कर सकेगा या इस की वजह से फ़ितना व फ़साद पैदा होगा, आपस में लड़ाई ठन जाएगी तो तर्क करना (या'नी बुराई से मन्अ न करना) अफ़ज़ल है।⁽⁴⁾ ❁ जो बुराई रोकने पर कादिर न हो उसे चाहिये कि बुराई को कम अज़ कम दिल में ज़रूर बुरा जाने।⁽⁵⁾

मुदाहनत के अस्बाब

(1) जहालत (2) माल की तमअ (मसलन किसी सेठ साहिब या अमीर आदमी की जानिब से नज़राने आते हों तो उसे गुनाह करते देख कर कुदरत के बा वुजूद महज़ इस लिये मन्अ न करना कि उस की तरफ़ से इनायात बन्द हो जाएंगी) (3) मुरव्वत (बा'ज़ अवकात ज़ाती दोस्ती या किसी और वजह से बुराई करने वाले का लिहाज़ करते हुए कुदरत के बा वुजूद उसे बुराई से मन्अ नहीं किया जाता) (4) सुस्ती (5) बुरी सोहबत (6) दुन्यवी अग़राज़ (जैसे बा'ज़ दफ़आ किसी हुक्मती ओहदेदार या किसी बड़ी शख़्सियत से



1... الامالی، الحديث الثالث والثلاثون في ذكر الولاة والامراء... الخ، 2/319، حديث: 2593

2... التعريفات، باب الميم، ص 144

3... المحرقة النصرية، الخلق التاسع والاربعون، المراجعة: 2/155

4... बहारे शरीअत, 3/615, हिस्सा : 16 मुलख़्बसन

5... नेकी की दा'वत, स. 537 ब तग़य्युरे क़लील

जाती काम निकलवाना मसलन उस के ज़रीए बेटे की नोकरी लगवानी होती है तो उसे गुनाहों में मुलव्वस देख कर बा वुजूदे कुदरत चश्म पोशी से काम लेना ताकि येह नाराज़ न हो जाए वरना मतलूबा काम रुक जाएगा) (7) खुशामद (क्यूं कि खुशामद करने वाला दूसरों की झूटी ता'रीफ़ें करता रहता है और गुनाह से रोकने पर कुदरत के बा वुजूद उस से मन्अ नहीं करता बल्कि बा'ज़ दफ़आ गुनाह वाले काम को ही **مَعَاذَ اللَّهِ** अच्छाइयों में शुमार कर डालता है) (8) हुब्बे जाह (या'नी शोहरत व इज़्ज़त की ख़्वाहिश, ऐसा शख्स शोहरतो इज़्ज़त में कमी आने के ख़ौफ़ से मुदाहनत में मुब्तला हो जाता है) ।

मुदाहनत से बचने के तरीक़े

❁ बुजुर्गाने दीन के वाकिआत पढ़िये और देखिये कि वोह हज़रात नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करते थे, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने का ज़ब्बा पैदा होगा ।

❁ नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने के फ़ज़ाइलो फ़वाइद और इस काम को तर्क कर देने के नुक्सानात का मुतालआ कीजिये और इस के अहक़ाम व मसाइल भी सीख लीजिये ।

❁ क़नाअत इख़्तियार कीजिये और दूसरों की जेब पर नज़र रखने के बजाए तवक्कुल इख़्तियार कीजिये ।

❁ क़ियामत की होलनाकियों और जहन्नम के ख़ौफ़नाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये और अपने नाजुक बदन पर ग़ौर कीजिये कि मुदाहनत के सबब इन में से कोई अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा ।

❁ नेकी की दा'वत के मदनी काम में मसरूफ़े अमल, अशिक़ाने रसूल की मदनी तहरीक़ दा'वते इस्लामी के मदनी माहोल के साथ वाबस्ता हो जाइये ।

❁ मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र और दीगर मदनी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिये ताकि नेकी की दा'वत देने और बुराई से मन्अ करने की आदत पड़े और इस का अमली तरीक़ा भी आ जाए ।

सबक़ नम्बर 21

धोका देही का बयान

कुरआन में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक़्र

أَفَمِنَ الَّذِينَ مَكْرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ
الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٤٥﴾
(پ 14، النحل، 45)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : तो क्या जो लोग बुरे मक्र करते हैं इस से नहीं डरते कि **अल्लाह** उन्हें ज़मीन में धंसा दे या उन्हें वहां से अज़ाब आए जहां से उन्हें ख़बर न हो ।

हदीस में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : मल्लूज़न (ला'नत किया गया) है वोह शख्स जिस ने किसी मोमिन को नुक़सान पहुंचाया या धोका दिया।⁽¹⁾

धोका देही की ता'रीफ़

बुराई को दिल में छुपा कर अच्छाई ज़ाहिर करना धोका है।⁽²⁾

धोका देही की मिसालें

❁ किसी चीज़ का ऐब छुपा कर उस को बेचना ❁ अस्ल बता कर नक़ल दे देना ❁ ख़रीदार से छुपा कर सहीह चीज़ के साथ कुछ ख़राब चीज़ भी डाल देना जैसा कि बा'ज़ फ़ल फ़रोश ऐसा करते हैं ❁ ग़लत बयानी कर के किसी से माल बटोरना जैसा कि पेशावर भिकारियों का तरीक़ा है ❁ वोह खेल तमाशे जिन में महज़ हाथ की सफ़ाई दिखा कर देखने वालों को बे वुकूफ़ बनाया जाता है वगैरा ।

धोका देही का हुक्म

मुसल्मानों के साथ मक्र या'नी धोकाबाज़ी क़तअन ह़राम और गुनाहे कबीरा है जिस की सज़ा जहन्नम का अज़ाबे अज़ीम है।⁽³⁾

चन्द अहक़ाम

❁ मक्रो फ़रेब और डरा धम्का कर किसी से माल लेना क़र्ई ह़राम है।⁽⁴⁾ ❁ हर्बी काफ़िर का माल जो बिगैर धोका देही के मिले हलाल है।⁽⁵⁾ ❁ आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ इर्शाद फ़रमाते हैं : आ'माल जिस में कुछ न हों जैसे आज कल के भान मती



1... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء فی الخيانة والغش، 3/378، حدیث: 1948

2... तफ़्सीरे नईमी, पारह : 1, अल बक्रह, तह़तल आयह : 9, 1/133

3... जहन्नम के ख़तरात, स. 171 मुल्लक़तून

4... फ़तावा रज़विय्या, 19/653

5... मिरआतुल मनाजीह, 1/164

(या'नी मदारी) तमाशे करते हैं इस में महज़ हथफेरी होती है। उलमाए किराम फ़रमाते हैं : “येह भी ह़राम है कि इस में धोका देना है और धोका देना शरीअत पसन्द नहीं फ़रमाती।” हदीस में है⁽¹⁾ “مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا”⁽²⁾ वोह हम में से नहीं जो धोका दे।”

धोका देही के अस्बाब

(1) माल जम्अ करने का लालच (2) दूसरों को बे वुकूफ़ बना कर खुश होना (3) बुरी सोहबत (4) ख़ियानत करने की आदत।

धोका देही से बचने के तरीक़े

❁ अपने दिल में एहतिरामे मुस्लिम का जज़्बा बेदार कीजिये, इस के लिये शैख़े तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ के रिसाले “एहतिरामे मुस्लिम” का मुतालआ मुफ़ीद है।

❁ मक्र या'नी धोकाबाज़ी के दुन्यवी व उख़वी नुक्सानात को पेशे नज़र रखिये, मसलन धोकाबाज़ से सब लोग दूर भागते हैं, कोई ऐसे शख़्स के साथ मेलजोल और ख़रीदो फ़रोख़्त वग़ैरा मुआमलात करना पसन्द नहीं करता मज़ीद येह कि इस काम में जहन्नम की हक़दारी भी है।

❁ क़नाअत इख़्तियार कीजिये और मालो दौलत का लालच दिल से दूर कर दीजिये कि येह बहुत बुरा मरज़ है।

❁ क़ब्र की तंगी व वहशत और क़ियामत की होलनाकियों को कसरत के साथ याद कीजिये, اِنْ شَاءَ اللّٰهُ ! गुनाहों से बचने और नेकियां करने का ज़ेहन बनेगा।

❁ सिर्फ़ नेक, परहेज़ गार अशिक़ाने रसूल की सोहबत इख़्तियार कीजिये और बुरे लोगों से हमेशा दूर रहिये।

सबक़ नम्बर 22

ग़स्ब का बयान

क़ुरआन में ग़स्ब का ज़िक़्र

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (پ 5، النساء: 29)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे के माल नाहक़ न खाओ।

1... मल्फूज़ाते आ'ला हज़रत, स. 476

2... مسلم، کتاب الایمان، باب قول النبی من غشنا فليس منا، ص 64، حدیث: 283

आयत की तफ़्सीर

इस आयत में बातिल तौर पर किसी का माल खाना ह़राम फ़रमाया गया ख़्वाह लूट कर हो या छीन कर, चोरी से या जूए से या ह़राम तमाशों या ह़राम कामों या ह़राम चीज़ों के बदले या रिश्वत या झूठी गवाही से येह सब मन्नुअ व ह़राम है।⁽¹⁾

हदीस में ग़स्ब का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : जो शख्स पराया माल ले लेगा वोह क़ियामत के दिन अल्लाह पाक से कोढ़ी (यानी बरस का मरीज़) हो कर मिलेगा।⁽²⁾

ग़स्ब की ता'रीफ़

माले मुतक़व्विम (या'नी जिसे शरीअत ने माल क़रार दिया हो) मोह़तरम (या'नी जिसे शरीअत ने क़ाबिले हुर्मत क़रार दिया है) को उस के मालिक की इजाज़त के बिग़ैर ले लेना ग़स्ब है जब कि येह लेना खुफ़यतन (या'नी पोशीदा तौर पर) न हो।⁽³⁾

ग़स्ब का हुक्म

ग़स्ब ह़राम और जहन्म में ले जाने वाला काम है।

चन्द अहक़ाम

❁ ग़स्ब की हुर्मत (या'नी ह़राम होना) ज़रूरिय्याते दीन में से है लिहाज़ा अगर वाक़ेई किसी ने ग़स्ब को ह़लाल क़रार दिया तो उस पर हुक्मे कुफ़्र है।⁽⁴⁾ ❁ ग़स्ब की हुई चीज़ का (ग़ासिब या'नी ग़स्ब करने वाला बिल्कुल मालिक नहीं बनता बल्कि उस को) येह हुक्म है कि अगर चीज़ मौजूद हो तो उस के मालिक को वापस करे और अगर मौजूद न हो तो मालिक को उस का तावान दे।⁽⁵⁾

ग़स्ब के अस्बाब

(1) मालो दौलत की महब्बत (2) ख़ानदानी दुश्मनियां (3) ह़सद (4) तकब्बुर।

❶ ... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 5, अन्निसाअ, तह़तल आयह : 29, 2/182

❷ ... معجم كبير، 1/233، حديث: 637

❸ ... التعريفات، باب الغين، ص 115

❹ ... कुफ़्रिय्या कलिमात के बारे में सुवाल जवाब, स. 414 ब तग़य्युरे क़लील

❺ ... बहारे शरीअत, 3/210, हिस्सा : 15 ब तग़य्युरे क़लील

गस्ब से बचने के तरीके

❁ क़ब्र की तंगी व वहशत और क़ियामत की होलनाकियों से खुद को डराइये और दिल में खौफ़े खुदा पैदा कीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! दिल से मालो दौलत की महबूबत दूर होगी और शरीअतो सुन्नत के मुताबिक़ जिन्दगी गुज़ारने का मदनी ज़ेहन बनेगा ।

❁ **अल्लाह** पाक की रिज़ा के लिये एक दूसरे को मुआफ़ करने की आदत अपनाइये और आपस में नफ़रतें ख़त्म कर के महबूबतों को आम कीजिये ।

❁ इस बात पर ग़ौर कीजिये कि किसी का माल नाहक़ दबा लेना आख़िरत में किस क़दर नुक़सान का सबब है चुनान्वे आ'ला हज़रत, इमामे अहले सुन्नत मौलाना अहमद रज़ा ख़ान **رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ** नक़ल फ़रमाते हैं : जो दुन्या में किसी के तक्रीबन तीन पैसे दैन (या'नी क़र्ज़) दबा लेगा बरोजे क़ियामत उस के बदले 700 बा जमाअत नमाज़ें देनी पड़ जाएंगी ।⁽¹⁾

सबक़ नम्बर 23

बुख़ल का बयान

कुरआन में बुख़ल का ज़िक़्र

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ أَلَيْسَ لَهُمْ بَلٌّ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ^(پ 4, آل عمران: 180)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : और जो बुख़ल करते हैं उस चीज़ में जो **अल्लाह** ने उन्हें अपने फ़ज़ल से दी हरगिज़ उसे अपने लिये अच्छा न समझें बल्कि वोह उन के लिये बुरा है अन्क़रीब वोह जिस में बुख़ल किया था क़ियामत के दिन उन के गले का तौक़ होगा ।

हदीस में बुख़ल का ज़िक़्र

रसूलुल्लाह **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** ने फ़रमाया : **अल्लाह** पाक ने बुख़ल को अपने ग़ज़ब से पैदा किया और इस की जड़ को ज़क़ूम (जहन्नम के एक दरख़्त) की जड़ में रासिख़ किया और इस की बा'ज़ शाखें ज़मीन की तरफ़ झुका दीं तो जो शख़्स बुख़ल की किसी टहनी को पकड़ लेता है **अल्लाह** पाक उसे जहन्नम में दाख़िल फ़रमा देता है । सुन लो ! बेशक़ बुख़ल नाशुक्ऱी है और नाशुक्ऱी जहन्नम में है ।⁽²⁾

1 ... फ़तावा रज़विय्या, 25/69 ब तग़य्युरे क़लील

2 ... کنز العمال، کتاب الزکاة، الباب الثانی فی السخاء والصدقة، 67، 3/169، حدیث: 16213

बुख़ल की ता'रीफ़

जहां शर्अन या उर्फ़ों आदत के ए'तिबार से खर्च करना वाजिब हो वहां खर्च न करना बुख़ल (कन्जूसी) है। ज़कात सदक़ए फ़ित्र वगैरा में खर्च करना शर्अन वाजिब है और दोस्त अहबाब, अज़ीज़ रिश्तेदारों पर खर्च करना उर्फ़ों आदत के ए'तिबार से वाजिब है।⁽¹⁾

बुख़ल की मिसालें

❁ ज़कात फ़र्ज होने के बा वुजूद न देना ❁ फ़ित्रा वाजिब होने के बा वुजूद न देना ❁ मेहमान की मेहमान नवाज़ी में बिला वजह तंगी करना।

बुख़ल का हुक्म

बुख़ल करना ना जाइज़ है।

चन्द अहकाम

❁ बुख़ल मोहलिक (या'नी हलाक करने वाला) मरज़ है।⁽²⁾ ❁ बुख़ल बा'ज़ अवकात कई गुनाहों का सबब बन जाता है लिहाज़ा हर मुसल्मान को इस से बचना लाज़िम है। ❁ जहां माल खर्च करना शर्अन ज़रूरी है मसलन फ़र्ज होने की सूरत में ज़कात अदा करना, वाजिब होने की सूरत में सदक़ए फ़ित्र अदा करना, इसी तरह क़सम वगैरा का कफ़ारा देना, इन कामों में बुख़ल करना गुनाह और जहन्म में ले जाने वाला काम है।

बुख़ल के अस्बाब

(1) माल की महबूबत (2) लम्बी उम्मीद, लम्बी उम्मीदों के सबब माल जम्अ करने की हिर्स बढ़ जाती है और इन्सान आख़िरत से गाफ़िल हो कर दुन्या में मशगूल हो जाता है तो दुन्यवी कल संवारने की फ़िक्रें इसे बुख़ल पर उभारती हैं। (3) तंगदस्ती का खौफ़ (4) नफ़्सानी ख़्वाहिशात का ग़लबा (कि उन को पूरा करने के लिये शर्ई वाजिबात और दूसरे हुक्क अदा करने के मुआमले में सुस्ती होने लग जाती है)। (5) बच्चों के रोशन मुस्तक़बल की फ़िक्र।



1... إحياء العلوم، كتاب ذم البخل و ذم حب المال، بيان حد السخاء والبخل و حقيقتهما، 3/320، ملخصاً

2... تبيين المحارم، الباب الثالث والثلاثون: في البخل، ص 190

बुख़ल से बचने के तरीके

❁ क़ब्रों आख़िरत को याद कीजिये कि मेरा येह माल क़ब्र में मेरे किसी काम न आएगा, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** दिल से मालो दौलत की महबूबत दूर होगी और क़ब्रों आख़िरत की तय्यारी करने का ज़ेहन बनेगा ।

❁ मौत और क़ब्रों आख़िरत की याद से लम्बी उम्मीदों से भी छुटकारा मिलेगा ।

❁ येह बात ज़ेहन में बिठा लीजिये कि राहे खुदा में माल खर्च करने से कमी नहीं आती बल्कि इज़ाफ़ा ही होता है । तंगदस्ती बुख़ल की वजह से आती है । **फ़रमाने मुस्तफ़ा** **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** : “बुख़ल मत करो ! वरना तुम पर तंगी कर दी जाएगी ।”⁽¹⁾

❁ नफ़सानी ख़्वाहिशात के नुक़सानात और इस के उख़वी अन्जाम का बार बार मुतालआ कीजिये । इस सिल्लिले में अमीरे अहले सुन्नत का रिसाला “गुनाहों का इलाज” पढ़ना मुफ़ीद है ।

❁ **अल्लाह** पाक पर भरोसा रखने में अपने यकीन को मज़ीद पुख़्ता करे कि जिस रब ने मेरा मुस्तक़्बल बेहतर बनाया है वोही रब मेरे बच्चों के मुस्तक़्बल को भी बेहतर बनाने पर क़ादिर है ।

सबक़ नम्बर 24

ज़ुल्म का बयान

कुरआन में ज़ुल्म का ज़िक्र

**إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ
عَذَابٌ أَلِيمٌ** (प 25, अशूरी: 42)

तरजमए कज़ुल ईमान : मुआख़ज़ा तो उन्हीं पर है जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में नाहक़ सरकशी फैलाते हैं उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है ।

आयत की तफ़्सीर

या'नी गिरिफ़्त सिर्फ़ उन लोगों पर है जो इब्तिदाअन लोगों पर जुल्म करते हैं और तकब्बुर और गुनाहों का इरतिकाब कर के और फ़साद बरपा कर के ज़मीन में नाहक़ सरकशी फैलाते हैं, उन के लिये दर्दनाक अज़ाब है ।⁽²⁾



1... بخاری، کتاب الزکاة، باب التحریض علی الصدقة... الخ، 1/483، حدیث: 1433

2... तफ़्सीरे सिरातुल ज़िनात, पारह : 25, अशूरी, तहतल आयह : 42, 9/87

हदीस में जुल्म का ज़िक्र

रसूलुल्लाह ﷺ ने फ़रमाया : मेरी उम्मत में मुफ़िलस वोह शख़्स है जो क़ियामत के दिन नमाज़, रोज़ा, ज़कात तो ले कर आएगा मगर साथ ही किसी को गाली भी दी होगी, किसी को तोहमत लगाई होगी, उस का माले नाहक़ खाया होगा, इस का खून बहाया होगा, उस को मारा होगा तो उस की नेकियों में से कुछ इस मज़्लूम को दे दी जाएंगी और कुछ उस मज़्लूम को फिर अगर इस के ज़िम्मे जो हुक्क़ थे उन की अदाएंगी से पहले उस की नेकियां ख़त्म हो जाएं तो उन (या'नी मज़्लूमों) के गुनाह ले कर इस (या'नी ज़ालिम) पर डाले जाएंगे फिर उस (ज़ालिम) शख़्स को जहन्नम में डाल दिया जाएगा।⁽¹⁾

जुल्म की ता'रीफ़

हर वोह नुक़सान और आज़ार (तक्लीफ़) जो बिला इजाज़ते शर्ई किसी के दीन, इज़्ज़त, जान, जिस्म, माल या दिल को पहुंचाया जाए जुल्म है चाहे वोह नुक़सान और तक्लीफ़ कौल के ज़रीए (या'नी कोई बात कह कर) हो या फ़ै'ल के ज़रीए (या'नी किसी अमल की वजह से) हो या तर्क के ज़रीए (मसलन मज़दूर को उस की उजरत देने में बिला वजह ताख़ीर की)।⁽²⁾

जुल्म की मिसालें

❁ किसी को क़त्ल कर देना ❁ मारपीट करना ❁ क़र्ज़ ले कर दबा लेना ❁ गाली देना ❁ ग़ीबत व चुग़ली करना ❁ मज़दूर की उजरत दबा लेना ❁ चोरी ❁ डाका ❁ अमानत में ख़ियानत करना वग़ैरा।

जुल्म का हुक्म

जुल्म शर्अन और अक्लन हराम है, किसी हालत और किसी सूरत में जाइज़ नहीं।⁽³⁾

चन्द अहक़ाम

❁ जानवर पर जुल्म करना इन्सान पर जुल्म करने से ज़ियादा गुनाह है क्यूं कि इन्सान तो किसी से अपना दुख दर्द कह सकता है, बे ज़बान जानवर किस से कहे, उस का अल्लाह के सिवा फ़रियाद



1... मुस्लिम, کتاب البر والصلة والآداب, باب تحريم الظلم, ص 1079, حدیث: 6579

2... फ़तावा रज़विय्या, 24/459 मुफ़स्सलन

3... الاختيار لتعلیل المختار, کتاب الاکراه, 2/116

सुनने वाला कौन है !⁽¹⁾ ❁ (अगर किसी पर जुल्म किया तो बारगाहे इलाही में सिर्फ तौबा कर लेना काफी नहीं बल्कि बन्दों के जो हुक्क पामाल किये हों वोह भी अदा करने होंगे मसलन) जिस का माल दबाया है फ़र्ज है कि उतना माल उसे दे, वोह न रहा हो तो उस के वारिस को दे, वोह भी न हो तो फ़कीर पर सदका कर दे, इस के इलावा किसी तरह उस माल से सुबुक दोश (या'नी बरिय्युज्जिम्मा) नहीं हो सकता और जिसे माल के इलावा कोई और ईजा दी हो या बुरा कहा हो उस से मुआफ़ी मांगे यहां तक कि वोह मुआफ़ कर दे जिस तरह मुम्किन हो मुआफ़ी ले, वोह न रहा हो और था मुसल्मान तो उस के लिये सदका, तिलावत और नवाफ़िल (वगैरा नेक आ'माल) का सवाब पहुंचाता रहे और काफ़िर था तो (उसे ईसाले सवाब जाइज़ नहीं, लिहाज़ा) इस के इलावा और कोई तदबीर नहीं कि अपने रब की तरफ़ रुजूअ और तौबा व इस्तिग़फ़ार करता रहे, वोह मालिक व कादिर है।⁽²⁾

जुल्म के अस्बाब

(1) गुस्सा (2) लड़ाई झगड़ा (3) मालो दौलत की हिर्स (4) जहालत (5) बुग़जो कीना या'नी दिल में किसी के खिलाफ़ बिगैर किसी शर्ई वजह के नफ़रत और दुश्मनी रखना वगैरा।

जुल्म करने से बचने के तरीके

❁ कुरआनो हदीस में ज़िक्र किये गए जुल्म के होलनाक अज़ाबात का मुतालआ कीजिये और अपने नाजुक बदन पर गौर कीजिये कि जुल्म के सबब अगर इन में से कोई अज़ाब हम पर मुसल्लत कर दिया गया तो हमारा क्या बनेगा।

❁ गुस्से में आ कर किसी की हक़ तलफ़ी करने को दिल चाहे तो फ़ौरन अपने आप को यूं डराइये कि अगर मैं गुस्से में आ कर हक़ तलफ़ी करूंगा तो गुनहगार और जहन्नम का हक़दार करार पाऊंगा कि येह गुनाह के ज़रीए गुस्सा ठन्डा करना हुवा और फ़रमाने मुस्तफ़ा صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم है : जहन्नम में एक दरवाज़ा है उस से वोही दाख़िल होंगे जिन का गुस्सा किसी गुनाह के बा'द ही ठन्डा होता है।⁽³⁾

❁ मौत और क़ब्रों आख़िरत को कसरत से याद कीजिये इस से दिल नर्म होगा और दूसरों की हक़ तलफ़ी और जुल्म करने से बचने का ज़ेहन बनेगा।

1... मिरआतुल मनाजीह, 5/162

2... फ़तावा रज़विय्या, 24/379 ब तग़य्युरे कलील

सबक नम्बर 25

फ़र्ज़ इल्म न सीखने का बयान

कुरआन में इल्म सीखने की अहमियत

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۚ (پ 23، الزمر: 9)

तरजमए कन्जुल ईमान : तुम फ़रमाओ क्या बराबर हैं जानने वाले और अन्जान नसीहत तो वोही मानते हैं जो अक्ल वाले हैं ।

हदीस में इल्म सीखने की अहमियत

रसूलुल्लाह صَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ने फ़रमाया : उस शख्स के लिये हलाकत है जो इल्म हासिल न करे और उस के लिये भी हलाकत है जो इल्म हासिल करे फिर उस पर अमल न करे ।⁽¹⁾

इल्म की ता'रीफ़

इल्म वोह नूर है कि जो शै इस के दाएरे में आ गई मुन्कशिफ़ (या'नी ज़ाहिर) हो गई और जिस से मुतअल्लिक़ हो गया उस की सूरत हमारे ज़ेहन में मुर्तसिम (या'नी नक्श) हो गई ।⁽²⁾

इल्म का हुक्म

हर शख्स पर उस की हालते मौजूदा के मस्अले सीखना फ़र्ज़ ऐन है ।⁽³⁾ और इस को तर्क करना (या'नी मौजूदा हालत के मुताबिक़ ज़रूरत के मस्अले न सीखना) गुनाह है ।

तरतीब के ए'तिबार से हुसूले इल्म

❁ इल्मे दीन हासिल करने के तअल्लुक़ से सब से पहला और अहम तरीन फ़र्ज़ येह है कि बुन्यादी अक्नाइद का इल्म हासिल करे जिस से आदमी सहीहुल अक्लीदा सुन्नी बनता है और इन्कार व मुख़ालफ़त से काफ़िर या गुमराह हो जाता है । ❁ इस के बा'द नमाज़ के मसाइल या'नी इस के फ़राइज़ और शराइत और नमाज़ तोड़ने वाली चीजों का इल्म हासिल करे ताकि नमाज़ सहीह तौर पर अदा कर



❶...کنز العمال، کتاب العلم، باب الثانی فی آفات العلم... الخ، 107/5، 86/5، حدیث: 29033

❷... मल्फूज़ाते आ'ला हज़रत, स. 245

❸... फ़तावा रज़विय्या, 23/624 मुल्लक़तन

सके। ❁ फिर जब रमज़ानुल मुबारक की तशरीफ़ आवरी हो तो रोज़ों के मसाइल, ❁ साहिबे इस्तिताअत हो जाए तो हज़ के मसाइल, ❁ निकाह करना चाहे तो इस के ज़रूरी मसाइल, ❁ ताजिर हो तो ख़रीदो फ़रोख़्त के मसाइल, ❁ मुलाज़िम बनने और मुलाज़िम रखने वाले पर इजारे के मसाइल। ❁ अल ग़रज़ हर मुसल्मान अक़िल व बालिग़ मर्द व औरत पर उस की मौजूदा हालत के मुताबिक़ मस्अले सीखना फ़र्ज़ ऐन है।⁽¹⁾ ❁ और अगर उस को येह ज़रूरी मस्अले मा'लूम नहीं और न इन को सीखने की कोशिश करे तो फ़र्ज़ इलूम न सीखने की वजह से गुनहगार होगा।

फ़र्ज़ इल्म न सीखने के बारे में अहक़ाम

❁ हस्बे हाल (या'नी अपनी मौजूदा हालत के मुताबिक़) फ़र्ज़ इलूम न जानना गुनाह और न जानने के सबब गुनाह कर गुज़रना गुनाह दर गुनाह व हराम और जहन्म में ले जाने वाला काम है।⁽²⁾ ❁ दीन के ज़रूरी इलूम से गाफ़िल हो कर दुन्यवी इलूम में मशगूल होना हराम है।⁽³⁾ ❁ जो शख्स दीन के ज़रूरी इलूम से फ़राग़त पा कर ऐसे दुन्यवी इलूम पढ़े जिन में कोई बात ख़िलाफ़े शर'अ न हो तो येह एक मुबाह काम होगा जब कि इस के सबब किसी वाजिबे शर्'ई में ख़लल न पड़े।⁽⁴⁾

फ़र्ज़ इल्म न सीखने के अस्बाब

(1) शैतान (कि येह जिस क़दर दुश्मनी इल्म से रखता है और किसी चीज़ से नहीं रखता और सब से ज़ियादा वस्वसे भी इल्म से रोकने के लिये दिल में डालता है)।⁽⁵⁾ (2) मालो दौलत की हिर्स (हर वक़्त माल जम्अ करते रहने का मज़मूम जज़्बा भी इल्म हासिल करने की राह में बहुत बड़ी रुकावट है)।⁽⁶⁾ (3) जहालत (कि बा'ज़ लोगों को पता ही नहीं होता कि उन पर किन किन चीज़ों का इल्म सीखना फ़र्ज़ है)। (4) मोबाइल फ़ोन, इन्टरनेट, सोशल मीडिया (इल्म सीखने से दूर करने में इन चीज़ों का भी बड़ा किरदार है कि लोग इन चीज़ों के ग़ैर ज़रूरी और हृद से ज़ियादा इस्ति'माल में पड़ कर अपना कीमती वक़्त फ़ुज़ूलिय्यात की नज़र कर रहे हैं)। (5) सुस्ती व ला परवाही।

❶... फ़तावा रज़विय्या, 23/623 व 624 माख़ूज़न

❷... नेकी की दा'वत, स. 137

❸... फ़तावा रज़विय्या, 23/648 मुलख़वसन

❹... फ़तावा रज़विय्या, 23/648 मुलख़वसन

❺... फैज़ाने इल्म व उलमा, स. 23 व तग़य्युरे क़लील

❻... फैज़ाने इल्म व उलमा, स. 26 माख़ूज़न

इल्मे दीन हासिल करने के तरीके

❁ इल्मे दीन सीखने के फ़ज़ाइल पढ़िये, खास तौर पर इस तअल्लुक से बुजुर्गाने दीन के वाकिआत का मुतालआ कीजिये कि उन्होंने ने कैसी कैसी मुश्किलात और परेशानियों के बा वुजूद इल्म हासिल किया, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ! इल्मे दीन हासिल करने का ज़ब्बा बेदार होगा ।

❁ क़नाअत इख़्तियार कीजिये और मालो दौलत की मज़्मूम हिर्स से पीछा छुड़ाइये ।

❁ आशिक़ाने रसूल की मदनी तहरीक दा'वते इस्लामी के साथ हर दम वाबस्ता रहिये, मदनी मुज़ाकरे देखते रहिये, हफ़तावार इज्तिमाआत में शिर्कत कीजिये, आशिक़ाने रसूल के साथ मदनी क़ाफ़िलों में सफ़र कीजिये बल्कि कोशिश कर के फ़ैज़ाने फ़र्ज़ उलूम कोर्स कर लीजिये, **إِنْ شَاءَ اللَّهُ** बहुत सारे फ़र्ज़ उलूम सीख जाएंगे और मज़ीद इल्मे दीन हासिल करने का ज़ब्बा भी पैदा होगा ।

❁ दा'वते इस्लामी के ज़ेरे एहतियाम होने वाला 30 रोज़ा ए'तिकाफ़ कर लीजिये कि इस में भी बहुत सारे फ़र्ज़ उलूम सिखाए जाते हैं ।

❁ मक्तबतुल मदीना से शाएअ होने वाली और दीगर सहीहुल अक़ीदा सुन्नी उलमा की कुतुबो रसाइल का मुतालआ करते रहिये । दर्से निज़ामी (आलिम कोर्स) कर लीजिये ।

सबक़ नम्बर 26

गुस्से का बयान

कुरआन में गुस्सा पीने की फ़ज़ीलत

अल्लाह पाक कुरआने पाक में इर्शाद फ़रमाता है :

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظَيِّمِ الْعَيْطِ
وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ٥

(प4, आल عمران: 134)

तरजमए कन्ज़ुल ईमान : वोह जो अल्लाह की राह में खर्च करते हैं खुशी में और रन्ज में और गुस्सा पीने वाले और लोगों से दर गुज़र करने वाले और नेक लोग **अल्लाह** के महबूब हैं ।

आयत की तफ़्सीर

आयते मुबारका में मुत्तकीन के चार औसाफ़ बयान किये गए हैं : (1) खुशहाली और तंगदस्ती दोनों हाल में **अल्लाह** पाक की राह में खर्च करना, (2) गुस्सा पी जाना, (3) लोगों को

मुआफ़ कर देना, (4) एहसान करना।⁽¹⁾

हृदीस में गुस्सा पीने की अहम्मियत

एक शख्स ने रसूले अकरम, शाहे बनी आदम ﷺ से अर्ज़ की : **या रसूलल्लाह ! मुझे कोई मुख़्तसर अमल बताइये ? आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : गुस्सा न किया करो । उस ने दोबारा येही सुवाल किया तो आप ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : गुस्सा न किया करो ।**⁽²⁾

गुस्से की ता'रीफ़

अपने आप को तकलीफ़ से दूर करने या तकलीफ़ मिलने के बा'द उस का बदला लेने के लिये खून का जोश मारना ग़ज़ब और गुस्सा कहलाता है । और अपने ज़ाती इन्तिक़ाम के लिये गुस्सा करना ग़ज़ब लिन्नफ़्स कहलाता है ।

गुस्से का हुक्म

ग़ज़ब लिन्नफ़्स (नफ़्स के लिये गुस्सा) मज़मूम है । मुत्लक़ गुस्सा मज़मूम व बुरा नहीं । बल्कि एक लाज़िमी अम्र है । क्यूं कि इस के ज़रीए इन्सान की दुन्या व आख़िरत की हिफ़ाज़त होती है । मसलन हक़ के इज़हार और बातिल के मिटाने के लिये शुजाअत व बहादुरी होना । येह अक्लन, शर्अन और उर्फ़न हर तरह जाइज़ है । अलबत्ता ग़ैर शर्ई और अपने ज़ाती इन्तिक़ाम के लिये गुस्से पर अमल करना हराम है ।

गुस्से से बचने के तरीक़े

जब गुस्सा आ जाए तो इन में से कोई भी एक या ज़रूरतन सारे इलाज फ़रमा लीजिये :
 ❁ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ पढ़िये । لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ पढ़िये । चुप हो जाइये । वुजू कर लीजिये । नाक में पानी चढ़ाइये । खड़े हैं तो बैठ जाइये । बैठे हैं तो लैट जाइये और ज़मीन से चिपट जाइये । अपने गाल को ज़मीन से मिला दीजिये । वुजू हो तो सज्दा कर लीजिये ताकि एहसास हो कि मैं खाक से बना हूँ लिहाज़ा बन्दे पर गुस्सा करना मुझे ज़ेब नहीं देता ।
 ❁ जिस पर गुस्सा आ रहा है उस के सामने से हट जाइये । सोचिये कि अगर मैं गुस्सा करूंगा तो दूसरा भी गुस्सा करेगा और बदला लेगा और मुझे दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिये ।

¹... तफ़सीरे सिरातुल ज़िना, पारह : 4, आले इमरान, तहत्तल आयह : 134, 2/54

²... بخاری، کتاب الادب، باب الخذر من الغضب، 4/131، حدیث: 6116



मुन्तख़ब
आयात



الْم ۝ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ ۛ فِيْهِ ۝

पारह 1 आयत 1-7

ॐ वोह बुलन्द रुत्बा किताब जिस में किसी शक की गुन्जाइश नहीं। इस में

هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۝ ۙ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَمِمَّا

डरने वालों के लिये हिदायत है ॐ वोह लोग जो बिगैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज़ काइम करते हैं और हमारे

رٰزَقْتَهُمْ يُنْفِقُوْنَ ۝ ۙ وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَاۤ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَاۤ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ۝

दिये हुए रिज़्क में से कुछ (हमारी राह में) खर्च करते हैं ॐ और वोह ईमान लाते हैं उस पर जो तुम्हारी तरफ़ नाज़िल किया और जो तुम से पहले नाज़िल किया गया ॐ

وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُوْنَ ۝ ۙ اُولٰٓئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ ۙ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝

और वोह आख़िरत पर यकीन रखते हैं ॐ येही लोग अपने रब की तरफ़ से हिदायत पर हैं और येही लोग काम्याबी हासिल करने वाले हैं ॐ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ءَاَنذَرْتَهُمْ اَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ ۝

बेशक वोह लोग जिन की किस्मत में कुफ़्र है उन के लिये बराबर है कि आप उन्हें डराएं या न डराएं, येह ईमान नहीं लाएंगे ॐ

خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ ۖ وَعَلَىٰۤ اَبْصَارِهِمْ غِشَآوَةٌ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ

अल्लाह ने उन के दिलों पर और उन के कानों पर मोहर लगा दी है और उन की आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है ॐ और उन के लिये बहुत बड़ा

عَظِيْمٌ ۝

अज़ाब है ॐ

۝

हाशिया ①... येह हुरूफ़ अल्लाह तआला के राज़ हैं और मुतशाबहात में से हैं, इन की मुराद अल्लाह तआला और उस का रसूल ﷺ जानते हैं और हम इन के हक़ होने पर ईमान लाते हैं। ②... इस से मा'लूम हुवा कि राहे खुदा में माल खर्च करने में ऐसा नहीं होना चाहिये कि इतना ज़ियादा माल खर्च कर दिया जाए कि खर्च करने के बा'द आदमी पछताए और न ही खर्च करने में कन्ज़ूसी से काम लिया जाए बल्कि इस में ए'तिदाल होना चाहिये। ③... अल्लाह तआला की नाज़िल कर्दा किताबों पर ईमान लाने और कुरआने मजीद से पहली किताबों के अहकाम पर अमल करने की तफ़सील तफ़सीरे सिरातुल जिनान, जि. 1, स. 68 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं। ④... काफ़िरों के दिलों और कानों पर मोहर लगाना और आंखों पर पर्दा पड़ जाना उन के कुफ़्रो इनाद, सरकशी और अम्बियाए किराम عَلَيْهِمُ السَّلَام की अ़दावत के अन्जाम के तौर पर था वरना उन पर हिदायत की राहें शुरू से बन्द न थीं।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا

पारह 2 आयत 153-157

ऐ ईमान वालो ! सन्न और नमाज़ से

بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ۝ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ

मदद मांगो, ① बेशक अल्लाह साबिरो के साथ है ० और जो अल्लाह की राह में मारे जाएं

فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ ۝ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ

उन्हें मुर्दा न कहो बल्कि वोह ज़िन्दा हैं लेकिन तुम्हें इस का शुक्र नहीं ② ० और हम ज़रूर तुम्हें

بَشَىٍّ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ ۝

कुछ डर और भूक से और कुछ मालों और जानों और फलों की कमी से आजमाएंगे

وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَ

और सन्न करने वालों को खुश ख़बरी सुना दो ० वोह लोग कि जब उन पर कोई मुसीबत आती है तो कहते हैं : हम अल्लाह ही के हैं और

إِنَّا إِلَيْهِ رَاغِبُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۝

हम उसी की तरफ़ लौटने वाले हैं ० येह वोह लोग हैं जिन पर उन के रब की तरफ़ से दुरूद हैं और रहमत और

أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

येही लोग हिदायत याफ़्ता हैं ०

हाशिया ①... ग़ैरे खुदा से मदद त़लब करना शिर्क नहीं है। इस मौजूअ की मज़ीद तफ़सील तफ़सीरे सिरातुल ज़िन्नान, जि. 1, स. 247 पर मुलाहज़ा फ़रमाएं। ②... शहीद क़र्द तौर पर ज़िन्दा हैं लेकिन इन की हयात कैसी है इस का हमें शुक्र नहीं, इसी लिये दुन्यवी मुआमलात के ए'तिबार से इन पर आम मय्यित की त़रह शर्ई अहक़ाम जारी होते हैं।

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ط

पारह 3 आयत 284-286

जो कुछ आस्मानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब अल्लाह ही का है

وَ اِنْ تَبَدُّوا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ط

और जो कुछ तुम्हारे दिल में है अगर तुम उसे जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह तुम से उस का हिसाब लेगा ①

فَيَغْفِرْ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ② اَمِنْ

तो जिसे चाहेगा बख़्श देगा और जिसे चाहेगा सज़ा देगा और अल्लाह हर चीज़ पर क़ादिर है ② रसूल उस पर ईमान

الرَّسُوْلُ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ ط كُلُّ اَمِنْ بِاللّٰهِ وَمَلِكِيَّتِهِ وَ

लाया जो उस के रब की तरफ़ से उस की तरफ़ नाज़िल किया गया और मुसल्मान भी । सब अल्लाह पर और उस के फ़िरिशतों और उस की किताबों

كُتِبَهِ وَرُسُلِهِ ۚ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ ۚ وَقَالُوا سَبْعًا وَ

और उस के रसूलों पर यह कहते हुए ईमान लाए कि हम उस के किसी रसूल पर ईमान लाने में फ़र्क़ नहीं करते और उन्होंने ने अर्ज़ की :

اَطْعَمْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ ③ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا ط

ऐ हमारे रब ! हम ने सुना और माना, (हम पर) तेरी मुआफ़ी हो और तेरी ही तरफ़ फ़िरना है ③ अल्लाह किसी जान पर उस की ताक़त के बराबर ही बोझ डालता है ।

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ط رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَّسِينَا اَوْ

किसी जान ने जो अच्छा कमाया वोह उसी के लिये है और किसी जान ने जो बुरा कमाया उस का वबाल उसी पर है ④ ऐ हमारे रब ! अगर हम भूलें या

اَخْطَا نَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا ۚ

ख़ता करें तो हमारी गिरफ़्त न फ़रमा, ऐ हमारे रब ! और हम पर भारी बोझ न रख जैसा तू ने हम से पहले लोगों पर रखा था,

رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا ۚ وَاعْفِرْ لَنَا ۚ وَارْحَمْنَا ۚ وَنُفَّةً

ऐ हमारे रब ! और हम पर वोह बोझ न डाल जिस की हमें ताक़त नहीं और हमें मुआफ़ फ़रमा दे और हमें बख़्श दे और हम पर मेहरबानी फ़रमा,

أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٧٨٦﴾

तू हमारा मालिक है पस काफ़िर कौम के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा ०

ع
٨

हाशिया ①... इन्सान के दिल में कई तरह के खयालात आते हैं जैसे वस्वसा और अज़्म व इरादा। वस्वसों से दिल को ख़ाली करना इन्सान की कुदरत में नहीं, इन पर मुआख़ज़ा नहीं है। दूसरे वोह खयालात जिन को इन्सान अपने दिल में जगह देता है और उन को अमल में लाने का क़स्द व इरादा करता है उन पर मुआख़ज़ा होगा और उन्ही का बयान इस आयत में है कि अपने दिलों में मौजूद चीज़ को तुम ज़ाहिर करो या छुपाओ **अल्लाह** तआला तुम्हारा उन पर मुहासबा फ़रमाएगा। ②... येह आयते मुबारका आख़िरत के सवाब व अज़ाब के बारे में है लेकिन इस तरह का मुआमला दुन्या में भी पेश आता रहता है कि हर आदमी अपनी मेहनत का फल पाता है, मेहनत वाले को उस की मेहनत का सिला मिलता है जब कि सुस्तो काहिल और कामचोर को उस की सुस्ती का अन्जाम देखना पड़ता है।

وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۗ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

पारह 11 आयत 127-129

और जब कोई सूरत नाज़िल की जाती है तो एक दूसरे की तरफ़ देखने लगते हैं कि

يَرِيكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انْصَرَفُوا ۗ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾

तुम्हें कोई देख तो नहीं रहा फिर पलट जाते हैं तो **अल्लाह** ने उन के दिल पलट दिये हैं क्यूं कि येह लोग

لَا يَفْقَهُونَ ﴿١٢٧﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ

समझते नहीं ० बेशक तुम्हारे पास तुम में से वोह अज़ीम रसूल तशरीफ़ ले आए जिन पर तुम्हारा मशक्कत में पड़ना बहुत भारी गुज़रता है, ①

حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ

वोह तुम्हारी भलाई के निहायत चाहने वाले, मुसल्मानों पर बहुत मेहरबान, रहमत फ़रमाने वाले हैं ② ० फिर अगर वोह मुंह फेरें तो तुम फ़रमा दो कि मुझे

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿١٢٩﴾

अल्लाह काफ़ी है उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं, मैं ने उसी पर भरोसा किया और वोह अर्शे अज़ीम का मालिक है ०

ع
٥

हाशिया ①... इस आयते मुबारका में सय्यिदुल मुरसलीन **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की तशरीफ़ आवरी या'नी मीलादे मुबारक का बयान, अख़्लाके हमीदा, औसाफ़े जलीला और फ़ज़ीलतो शरफ़ का बयान है। ②... इस आयत में **अल्लाह** तआला ने हुज़ूर **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** को अपने दो नामों रऊफ़ और रहीम से मुशरफ़ फ़रमाया। येह आप **صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ** की कमाल तकरीम है।

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ

पारह 15 आयत 78-84

नमाज़ काइम रखो सूरज ढलने से रात के

الَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ۖ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴿٧٨﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ

अंधेरे तक और सुबह का कुरआन, बेशक सुबह के कुरआन में फ़िरिश्ते हाज़िर होते हैं ० और रात के कुछ हिस्से में तहज्जुद पढ़ो यह

نَافِلَةٌ لَّكَ ۚ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ﴿٧٩﴾ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي

ख़ास तुम्हारे लिये ज़ियादा है १ क़रीब है कि आप का रब आप को ऐसे मक़ाम पर फ़ाइज़ फ़रमाएगा कि जहाँ सब तुम्हारी हम्द करें ० और ऐ हबीब ! यूँ अर्ज़ करो कि ऐ मेरे रब

مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا

मुझे पसन्दीदा तरीक़े से दाख़िल फ़रमा और मुझे पसन्दीदा तरीक़े से निकाल दे २ और मेरे लिये अपनी तरफ़ से मददगार

نَصِيرًا ﴿٨٠﴾ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ﴿٨١﴾ وَ

कुव्वत बना दे ० और तुम फ़रमाओ कि हक़ आया और बातिल मिट गया बेशक बातिल को मिटना ही था ० और

نُزِّلَ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا

हम कुरआन में वोह चीज़ उतारते हैं जो ईमान वालों के लिये शिफ़ा और रहमत है और इस से ज़ालिमों को ख़सारा ही

خَسَارًا ﴿٨٢﴾ وَإِذَا آتَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبِجَانِيهِ ۚ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ

बढ़ता है ० और जब हम इन्सान पर एहसान करते हैं तो वोह मुंह फेर लेता है और अपनी तरफ़ से दूर हट जाता है और जब उसे बुराई पहुंचती है

كَانَ يَكُوسًا ﴿٨٣﴾ قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ ۖ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ﴿٨٤﴾

तो मायूस हो जाता है ० तुम फ़रमाओ : सब अपने अपने अन्दाज़ पर काम करते हैं तो तुम्हारा रब उसे ख़ूब जानता है जो ज़ियादा हिदायत के रास्ते पर है ०

हाशिया

①... नमाज़े तहज्जुद हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर फ़र्ज़ थी, जुम्हूर का येही कौल है जब कि हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم की उम्मत के लिये येह नमाज़ सुन्नत है । ②... मुफ़स्सरीन ने इस के बहुत से मतलब व मअानी बयान फ़रमाए हैं, उन में से दो येह हैं : (1) मेरा दाख़िल होना और निकलना पसन्दीदा तरीक़े से कर दे, जहाँ भी मैं दाख़िल होऊँ और जहाँ से भी मैं बाहर आऊँ ख़्वाह वोह कोई मकान हो या काम । (2) मुझे क़ब्र में अपनी रिज़ा और तहारत के साथ दाख़िल कर और क़ब्र से उठाते वक़्त इज़्ज़तो करामत के साथ बाहर ला ।

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ

पारह 16 आयत 107-110

बेशक जो लोग ईमान लाए और अच्छे आ'माल किये उन की मेहमानी

لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۖ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ۝ ١٠٨ قُلْ لَّوْ

के लिये फिरदौस के बागात हैं ① वोह हमेशा उन में रहेंगे, उन से कोई दूसरी जगह बदलना न चाहेंगे ② तुम फ़रमा दो : अगर

كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَقْدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ

समुन्दर मेरे रब की बातों के लिये सियाही हो जाता तो ज़रूर समुन्दर ख़त्म हो जाता और मेरे रब की बातें ख़त्म न होतीं, अगरचें

جَنَابِئِلِهِ مَدَدًا ۝ ١٠٩ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهَكْمِ

हम उस की मदद के लिये उसी समुन्दर जैसा और ले आते ② तुम फ़रमाओ : मैं (जाहिरन) तुम्हारी तरह एक बशर हूँ ③ मुझे वही आती है कि तुम्हारा मा'बूद

إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ

एक ही मा'बूद है तो जो अपने रब से मुलाकात की उम्मीद रखता हो उसे चाहिये कि नेक काम करे और अपने रब की

بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝ ١١٠

इबादत में किसी को शरीक न करे ④

۱۲
۶

हाशिया ①... जन्नतें आठ हैं जिन के नाम ये हैं : दारुल जलाल, दारुल क़रार, दारुस्सलाम, जन्नते अ़दन, जन्नतुल मावा, जन्नतुल खुल्द, जन्नतुल फिरदौस, जन्नतुन्नईम। इन में फिरदौस सब से आ'ला जन्नत है और इस की दुआ मांगने की तरगीब भी दी गई है, चूनाच्चे **रसूलुल्लाह** ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : “जब **अल्लाह** ﷻ से मांगो तो फिरदौस मांगो, क्यूं कि वोह जन्नतों में सब के दरमियान और सब से बुलन्द है और उस पर रहमान **ﷻ** का अर्श है और उसी से जन्नत की नहरें जारी होती हैं।” (الحديث: २५०/२, بخاری, २/२८९) ②... आयत में “کَلِمَاتِ” से मुराद **अल्लाह** तआला के इल्मो हिक्मत के कलिमात हैं जिन की कोई इन्तिहा नहीं। ③... हुज़ूर **ﷺ** नूर भी हैं और बशर भी। आप **ﷺ** की हकीकत नूर है और जाहिरी सूरत बशरी है।

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ

पारह 18 आयत 115-118

तो क्या तुम येह समझते हो कि हम ने तुम्हें बेकार बनाया और तुम

إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿١١٥﴾ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ ۚ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ

हमारी तरफ़ लौटाए नहीं जाओगे ? ○ तो वोह अल्लाह बहुत बुलन्दी वाला है जो सच्चा बादशाह है, उस के सिवा कोई मा'बूद नहीं,

رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ﴿١١٦﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ ۚ

वोह इज़्ज़त वाले अर्श का मालिक है ○ और जो अल्लाह के साथ किसी दूसरे मा'बूद की इबादत करे जिस की उस के पास कोई दलील नहीं

فَأَنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ﴿١١٧﴾ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ

तो उस का हिसाब उस के रब के पास ही है, बेशक काफ़िर फ़लाह नहीं पाएंगे ○ और तुम अर्ज़ करो, ऐ मेरे रब ! बख़्श दे

٤٣

وَأَرْحَمَ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿١١٨﴾

और रहम फ़रमा और तू सब से बेहतर रहम फ़रमाने वाला है ○

हाशिया ①... नबिय्ये करीम ﷺ को इस्तिफ़ार का हुक्म अपने दरजात की बुलन्दी और बारगाहे खुदावन्दी में अज़िज़ी के इज़हार के लिये है नीज़ येह इस्तिफ़ार उम्मत के गुनाहों के लिये भी है और उम्मत को इस्तिफ़ार का तरीका सिखाने के लिये भी ।

تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا

पारह 19 आयत 61-65

बड़ी बरकत वाला है वोह जिस ने आस्मान में बुर्ज बनाए ①

وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

और उन में चराग़ और रोशन करने वाला चांद बनाया ○ और वोही है जिस ने रात और दिन को एक दूसरे के

हाशिया ①... हज़रते अब्दुल्लाह बिन अब्बास رضی اللہ عنہما फ़रमाते हैं कि बुरूज से सात सय्यारा सितारों की मन्ज़िलें मुराद हैं और इन बुर्जों की ता'दाद बारह है : (1) हमल । (2) सौर । (3) जौज़ा । (4) सरतान । (5) असद । (6) सुम्बुला । (7) मीज़ान । (8) अक़ब । (9) कौस । (10) जदय । (11) दल्व । (12) हूत । (३८९/३, १: تحت الآية)

خَلْفَةً لِّمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ۝ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ

पोछे आने वाला बनाया (येह) उस के लिये (निशानी) है जो नसीहत हासिल करना चाहता है या जो (अल्लाह का) शुक्र अदा करना चाहता है ० और रहमान के वोह बन्दे

يَسْئُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ۝ وَ

जो ज़मीन पर आहिस्ता चलते हैं ① और जब जाहिल उन से बात करते हैं तो कहते हैं “बस सलाम” ② ० और

الَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ۝ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ

वोह जो अपने रब के लिये सज्दे और क़ियाम की हालत में रात गुज़ारते हैं ③ ० और वोह जो अर्ज़ करते हैं : ऐ हमारे रब ! हम से

عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ ۚ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ۝

जहन्नम का अज़ाब फेर दे, बेशक उस का अज़ाब गले का फन्दा है ०

हाशिया ①... इत्मीनानो वक़ार के साथ और आजिज़ाना शान से ज़मीन पर आहिस्ता चलना कामिल ईमान वालों का वस्फ़ है। हदीसे पाक में है “तुम्हारे लिये सुकून (से चलना) ज़रूरी है क्यूं कि दौड़ने में कोई नेकी नहीं है।” (بخاری، ५५८/१، الحديث: १५८१) ②... इस से मुराद मुतारक़त का सलाम है और मा’ना येह है कि जाहिलों के साथ झगड़ा करने से ए’राज़ करते हैं। या येह मा’ना हैं कि ऐसी बात कहते हैं जो दुरुस्त हो और उस में ईज़ा और गुनाह न हो। ③... हदीसे पाक में है : तुम रात में क़ियाम करना इख़्तियार करो क्यूं कि येह तुम से पहले नेकों का तरीक़ा है और तुम्हारे रब की तरफ़ कुर्बत का ज़रीआ, गुनाहों को मिटाने वाला और आयिन्दा गुनाहों से बचाने वाला है। (ترمذی، ३२३/५، الحديث: ३५१०)

يُسِّ ۝ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝

० हिक्मत वाले कुरआन की क़सम ० बेशक तुम रसूलों में से हो ०

عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝ تَنْزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۝ لِتُنذِرَ

सीधी राह पर हो ० इज़्ज़त वाले मेहरबान का उतारा हुआ ० ताकि तुम

हाशिया ①... येह हुरूफ़ मुक्ताआत में से एक हर्फ़ है, इस की मुराद अल्लाह तआला ही बेहतर जानता है। नीज़ किसी का नाम “यासीन” और “ताहा” रखना मन्अ है कि बा’ज़ उलमा के नज़दीक येह दोनों अल्लाह तआला के ऐसे नाम हैं जिन के मा’ना मा’लूम नहीं, क्या अज़ब कि इन के वोह मा’ना हों जो ग़ैरे खुदा पर सादिक् न आ सकें, और बा’ज़ उलमा के नज़दीक येह हुज़ूर صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के ऐसे नाम हैं जिन के मा’ना मा’लूम नहीं, हो सकता है इन का वोह मा’ना हो जो हुज़ूर صَلَّی اللّهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के लिये खास हो। इस लिये येह नाम रखने से बचना ज़रूरी है और जिन हज़रात का नाम “यासीन” है वोह खुद को “गुलाम यासीन” लिखें और बताएं और दूसरे उसे “गुलाम यासीन” कह कर बुलाएं।

قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاءَهُمْ فَهُمْ غَفُلُونَ ① لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ

उस कौम को डराओ ① जिस के बाप दादा को न डराया गया ② तो वोह ग़फ़लत में पड़े हुए हैं ० बेशक उनमें अक्सर पर बात साबित

أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ② إِنَّا جَعَلْنَا فِيْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ

हो चुकी है तो वोह ईमान न लाएंगे ० हम ने उन की गरदनो में तौक डाल दिये हैं तो वोह

إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ③ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا

ठोड़ियों तक हैं तो वोह ऊपर को मुंह उठाए हुए हैं ० और हम ने उन के आगे दीवार बना दी

وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ④ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ

और उन के पीछे (भी) एक दीवार (बना दी) फिर उन्हें ऊपर से (भी) ढांक दिया तो उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता ③ ० और तुम्हारा उन्हें

ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ⑤ إِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ

डराना और न डराना उन पर बराबर है वोह ईमान नहीं लाएंगे ० तुम तो सिर्फ उसे डराते हो जो नसीहत की

الذِّكْرِ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ الْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِغُفْرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ ⑥

पैरवी करे और रहमान से बिगैर देखे डरे तो उसे बख़्शिश और इज़्ज़त के सवाब की बिशारत दो ०

①... यहां आयत में बतौर ख़ास कुफ़ारे कुरैश को अज़ाबे इलाही से डराने का फ़रमाया गया और उमूमी तौर पर हुज़ूर ﷺ अहले अरब, अहले किताब वगैरा सभी को अज़ाबे इलाही से डराने वाले हैं क्यूं कि आप ﷺ तमाम लोगों के लिये रसूल हैं। ②... कौमे कुरैश में हुज़ूर ﷺ से पहले कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए और अरब में हज़रते इस्माईल عَلَيْهِ السَّلَام के बा'द से ले कर हुज़ूर ﷺ तक कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए जब कि अहले किताब के पास हज़रते ईसा عَلَيْهِ السَّلَام के बा'द से ले कर हुज़ूर ﷺ तक कोई रसूल तशरीफ़ नहीं लाए। ③... या'नी जैसे किसी शख्स के दोनों तरफ़ दीवारें हों और हर तरफ़ से रास्ता बन्द कर दिया गया हो तो वोह किसी तरह मन्ज़िले मक्सूद तक नहीं पहुंच सकता, येही हाल उन कुफ़ार का है कि उन पर हर तरफ़ से ईमान की राह बन्द है, उन के सामने दुनिया के गुरूर की दीवार है और उन के पीछे आख़िरत को झुटलाने की और वोह जहालत के कैदख़ाने में कैद हैं जिस की वजह से आयात और दलाइल में ग़ौरो फ़ि़क़र करना उन्हें मुयस्सर नहीं है। अज़ली कुफ़ार पर हिदायत और ईमान की राह बन्द कर के उन पर ज़ब्र नहीं किया गया बल्कि उन के कुफ़र पर इसरार, तकबुर, इनाद और सरकशी को मुस्तक़िल इख़्तियार करने की सज़ा के तौर पर उन के लिये ईमान का रास्ता बन्द कर दिया गया है।

عَنْ

إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلُّ شَيْءٍ

बेशक हम मर्दों को ज़िन्दा करेंगे और हम लिख रहे हैं जो (अमल) उन्होंने ने आगे भेजा और उन के पीछे छोड़े हुए निशानात को ①

عَنْ

أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُّبِينٍ ②

और एक ज़ाहिर कर देने वाली किताब में हर चीज़ हम ने शुमार कर रखी है ०

हाशिया ①... या'नी हम वोह निशानियां और तरीके लिख रहे हैं जो लोग अपने पीछे छोड़ गए। येह तरीके अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी, दोनों का हुक्म जुदा जुदा है लिहाजा लोग जो नेक तरीके निकालते हैं उन्हें अच्छी बिद्अत कहते हैं और येह तरीके को निकालने वालों और उस पर अमल करने वालों दोनों को सवाब मिलता है और जो बुरे तरीके निकालते हैं उन को बुरी बिद्अत कहते हैं, येह तरीके निकालने वाले और अमल करने वाले दोनों गुनाहगार होते हैं।

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ

पारह 24 आयत 29-32

और काफ़िर (जहन्नम में जा कर) कहेंगे : ऐ हमारे रब ! हमें

أَصْلُنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعَلُهُمَاتُحْتَ أَقْدَامًا يَلْكُونَنَا

जिन्नों और इन्सानों के वोह दोनों (गुरौह) दिखा जिन्हों ने हमें गुमराह किया ताकि (आज) हम उन्हें अपने पाउं के नीचे (रौंद) डालें ताकि

مِنَ الْأَسْفَلِينَ ③ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ

वोह (जहन्नम में) सब से नीचे वालों में से हो जाएं ० बेशक जिन्हों ने कहा : हमारा रब अल्लाह है फिर (उस पर) साबित क़दम रहे ① उन पर

الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ④

फ़िरिश्ते उतरते हैं (और कहते हैं) कि तुम न डरो और न ग़म करो और उस जन्नत पर खुश हो जाओ जिस का तुम से वा'दा किया जाता था ०

نَحْنُ أَوْلَىٰكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَىٰ أَنْفُسُكُمْ

हम दुनिया की ज़िन्दगी में और आख़िरत में तुम्हारे दोस्त हैं और तुम्हारे लिये जन्नत में हर वोह चीज़ है जो तुम्हारा जी चाहे

عَنْ

وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ⑤ نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ ⑥

और तुम्हारे लिये उस में हर वोह चीज़ है जो तुम त़लब करो ० बख़्शने वाले, मेहरबान की तरफ़ से मेहमानी है ०

हाशिया ①... तौहीद पर इस्तिक़्ामत येह है कि बन्दा अल्लाह तआला की वहदानिय्यत के इक़्ार और इख़्लास के साथ नेक आ'माल करने पर साबित क़दम रहे।

مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ

पारह 26 आयत 29

मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और उन के साथ वाले

أَشَدَّ آءُ عَلَى الْكَفَّارِ رُحْمًا يُبْتِغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِّئًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ

काफ़ि़रों पर सख़्त, आपस में नर्मदिल हैं । तू उन्हें रुकूअ करते हुए, सज्दे करते हुए देखेगा,

يَبْتِغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيِّئًا هُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ أَثَرِ

अल्लाह का फ़ज़ल व रिज़ा चाहते हैं, उन की अ़लामत उन के चेहरों में सज्दों के

السُّجُودِ ذَلِكُمْ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ

निशान से है । यह उन की सिफ़त तौरात में (मज़कूर) है और उन की सिफ़त इन्ज़ील में (मज़कूर) है ।^①

كَزُرٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ

(उन की सिफ़त ऐसे है) जैसे एक खेती हो जिस ने अपनी बारीक सी कोंपल निकाली फिर उसे ताक़त दी फिर वोह मोटी हो गई फिर अपने तने पर सीधी खड़ी

يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا

हो गई, किसानों को अच्छी लगती है (अल्लाह ने मुसलमानों की येह शान इस लिये बढ़ाई) ताकि इन से काफ़ि़रों के दिल जलाए ।^② अल्लाह ने उन में से ईमान वालों

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

और अच्छे काम करने वालों से बख़्शिश और बड़े सवाब का वा'दा फ़रमाया है^③ ○

हाशिया ①... इस आयत में सहाबए किराम رضي الله عنهم के मुतअह़द औसाफ़ और उन की अज़मतो शान बयान की गई है : (1) वोह काफ़ि़रों पर सख़्त हैं । (2) आपस में नर्मदिल और एक दूसरे पर मेहरबान हैं । (3) कसरत से और पाबन्दी के साथ नमाज़ें पढ़ते हैं । (4) वोह अल्लाह तआला का फ़ज़ल और उस की रिज़ा चाहते हैं । (5) उन की इबादत की अ़लामत उन के चेहरों में सज्दों के असर से ज़ाहिर है । (6) उन के औसाफ़ तौरात व इन्ज़ील में भी मज़कूर हैं । (7) उन के लिये मग़ि़फ़रत और अज़्रे अज़ीम की बिशारत है । ②... बारगाहे इलाही में सहाबए किराम رضي الله عنهم का मक़ाम बहुत बुलन्द है, उन की अज़मतें और औसाफ़ खुद रब्बे का एनात ने बयान फ़रमाए और इस से काफ़ि़रों के दिल जलाए । अज़मते सहाबा बयान करना अल्लाह तआला की सुन्नत है और सहाबए किराम رضي الله عنهم से जलना कुफ़्फ़ार का तरीका है । ③... तमाम सहाबए किराम رضي الله عنهم साहिबे ईमान और नेक आ'माल करने वाले हैं इस लिये मग़ि़फ़रत व अज़्रे अज़ीम का येह वा'दा सभी सहाबए किराम رضي الله عنهم से है ।

الرَّحْمٰنُ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ ۝ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝

रहमान ने, कुरआन सिखाया ① ०० ② इन्सान को पैदा किया ③ ० इसे बयान सिखाया ०

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝

सूरज और चांद हिसाब से हैं ० और बिगैर तने वाली नबातात और दरख़्त सज्दा करते हैं ④ ०

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝

और आस्मान को अल्लाह ने बुलन्द किया और तराजू रखी ० कि तोलने में ना इन्साफ़ी न करो ०

وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝ وَالْاَرْضَ رُضً

और इन्साफ़ के साथ तोल काइम करो और वज़न न घटाओ ⑤ ० और उस ने

وَضَعَهَا لِلْاَنَامِ ۝ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۝

मख़्लूक के लिये ज़मीन रखी ० उस में फल मेवे और गिलाफ़ वाली खजूरें हैं ०

وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۝ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۝

और भूसे वाला अनाज और खुशबूदार फूल हैं ० तो (ऐ जिनो इन्सान !) तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ०

हाशिया ①... हुज़ूर ﷺ के पास कुरआने पाक ब ज़ाहिर हज़रते ज़िब्रील عليه السلام के वासिते से आया लेकिन दर हकीकत अल्लाह तआला ने आप ﷺ को सारा कुरआन सिखाया है। ②... यहां दो गोल दाएरे इस लिये लगाए गए हैं कि इस मक़ाम पर दो आयात का तरजमा एक साथ किया गया है। ③... यहां इन्सान से मुराद हुज़ूर ﷺ हैं और अगली आयत में बयान से “मा कान व मा यकून” या’नी जो कुछ हो चुका और जो कुछ आइन्दा होगा, का बयान मुराद है। या, इन्सान से मुराद हज़रते आदम عليه السلام और बयान से मुराद तमाम चीज़ों के अस्मा और तमाम ज़बानों का बयान है। या यहां इन्सान से मुराद जिन्से इन्सान है और बयान से मुराद गुफ़्तू की सलाहियत है जिस की वजह से इन्सान दीगर हैवानों से मुमताज़ होता है। ④... नबातात और दरख़्त के सज्दा करने से मुराद उन के सायों का सज्दा करना है, या इस से मुराद येह है कि वोह अल्लाह तआला के हुक्म के फ़र्मां बरदार हैं। ⑤... नाप तोल के मुआमलात में अदलो इन्साफ़ और बराबरी की ता’लीम इस्लाम की शानदार ता’लीमात में से एक है, इस की अहम्मियत का अन्दाज़ा इस से लगाया जा सकता है कि नाप तोल में ना इन्साफ़ी से मुआशरे में झगड़े, फ़सादात बरपा होंगे, बाहमी बुग़्ज़ो इनाद भी पैदा होगा और येह चीज़ मुआशरती अम्न तबाह कर देती है।

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۝^{١٣} وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ

उस ने इन्सान को ठीकरी जैसी बजने वाली सूखी मिट्टी से पैदा किया ① ० और उस ने जिन्न को बिगैर धूएँ वाली आग के ख़ालिस

مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۝^{١٥} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{١٦} رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ

शो'ले से पैदा किया ② ० तो (ऐ जिन्नो इन्सान !) तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ० वोह दोनों मशरिकों का रब

وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۝^{١٧} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{١٨} مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

है और दोनों मगरिबों का रब है ③ ० तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ० उस ने दो समुन्दर बहाए कि दोनों

يَلْتَقَيْنِ ۝^{١٩} بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي ۝^{٢٠} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٢١}

मिले हुए (लागत) हैं ④ ० उन के दरमियान एक आड़ है कि वोह एक दूसरे की तरफ़ बढ़ नहीं सकते ⑤ ० तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ०

يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ۝^{٢٢} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٢٣} وَلَهُ

उन समुन्दरों से मोती और मरजान (मोती) निकलता है ० तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ० और दरिया

الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۝^{٢٤} فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۝^{٢٥}

में पहाड़ों जैसी उठी हुई कश्तियां उसी की हैं ⑥ ० तो तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी ने'मतों को झुटलाओगे ? ०

ع
٢٥

हाशिया ①... यहां इन्सान से मुराद हज़रते आदम عَلَيْهِ السَّلَام हैं और इस आयत में अल्लाह तआला ने आप عَلَيْهِ السَّلَام की पैदाइश की कैफ़ियत का एक अन्दाज़ बयान फ़रमाया है। ②... यहां जिन्न से मुराद इब्लीस है। ③... दोनों मशरिक और दोनों मगरिब से गर्मियों और सर्दियों के मौसिम में सूरज तुलूअ और गुरुब होने के दोनों मक़ाम मुराद हैं। ④... इन से मुराद मीठे और खारी दो समुन्दर हैं जिन्हें ऐसे बहाया गया है कि देखने में उन की सत्ह आपस में मिली हुई लगती है क्यूं कि उन के दरमियान फ़ासिला करने के लिये ज़ाहिरी तौर पर कोई चीज़ हाइल नहीं। ⑤... अल्लाह तआला की कुदरत से उन के दरमियान एक आड़ है जिस की वजह से वोह एक दूसरे की तरफ़ बढ़ नहीं सकते बल्कि हर एक अपनी हृद पर रहता है और दोनों में से किसी का जाएका भी तब्दील नहीं होता। ⑥... इस से मुराद येह है कि जिन चीज़ों से वोह कश्तियां बनाई गई वोह भी अल्लाह तआला ने पैदा कीं और इन चीज़ों को बाहम जोड़ने, कश्ती बनाने और कारीगरी करने की अक़ल भी अल्लाह तआला ने पैदा की और दरियाओं में उन कश्तियों का चलना और तैरना येह सब अल्लाह तआला की कुदरत से है।

لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ

पारह 28 आयत 20-24

दोज़ख़ वाले और जन्नत वाले बराबर नहीं, जन्नत वाले

هُمُ الْفَائِزُونَ ① لَوَأْنَزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ

ही काम्याब हैं ० अगर हम येह कुरआन किसी पहाड़ पर उतारते तो ज़रूर तुम उसे झुका हुवा, ① अल्लाह के खौफ़ से

خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ② هُوَ اللَّهُ الَّذِي

पाश पाश देखते और हम येह मिसालें लोगों के लिये बयान फ़रमाते हैं ताकि वोह सोचें ० वोही अल्लाह है जिस के सिवा कोई मा'बूद

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ③ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ④ هُوَ اللَّهُ الَّذِي

नहीं, हर ग़ैब और ज़ाहिर का जानने वाला है, वोही निहायत मेहरबान, बहुत रहमत वाला है ० वोही अल्लाह है जिस के सिवा कोई मा'बूद नहीं,

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ⑤ أَلَيْكَ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ⑥

बादशाह, ② निहायत पाक, सलामती देने वाला, अमन बख़्शने वाला, हिफ़ाज़त फ़रमाने वाला, बहुत इज़्ज़त वाला, बेहद अज़मत वाला, अपनी बड़ाई बयान फ़रमाने वाला है, ③

سُبْحَنَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ⑦ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْبَاءُ

अल्लाह उन मुशिरकों के शिर्क से पाक है ० वोही अल्लाह बनाने वाला, पैदा करने वाला, हर एक को सूरत देने वाला है, सब अच्छे नाम

الْحُسْنَى ⑧ يَسْبَحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ⑨ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ⑩

उसी के हैं। आस्मानों और ज़मीन में मौजूद हर चीज़ उसी की पाकी बयान करती है और वोही बहुत इज़्ज़त वाला, बड़ा हक्मत वाला है ०

हाशिया

①... या'नी कुरआन की अज़मत और इस की तासीर का हाल येह है कि इसे अगर पहाड़ जैसी सख़्त, मजबूत और इन्तिहाई वज़्नी चीज़ पर उतारा जाता और पहाड़ को कुरआन का पूरा फ़हम दे दिया जाता तो येह अज़मते कुरआन के सामने झुक जाता बल्कि अल्लाह तआला के खौफ़ से पाश पाश हो जाता जब कि इन्सान का हाल येह है कि तिलावते कुरआन के वक़्त न तो इस में ग़ौरो फ़िक्र करता, न अल्लाह तआला से डरता और न ही कोई असर क़बूल करता है। अल्लाह तआला हमें दिल की सख़्ती से महफूज़ फ़रमाए। ②... मुल्क व हुकूमत का हक़ीक़ी मालिक अल्लाह तआला है कि तमाम मौजूदात उस के मुल्क और हुकूमत के तहत हैं और उस की मिल्कियत व सल्तनत दाइमी है जिसे ज़वाल नहीं जब कि बन्दों की मिल्कियत व हुकूमत ज़ाहिरी और अज़िज़ी है। ③... अल्लाह तआला अपनी ज़ात और तमाम सिफ़ात में अज़मतो बड़ाई वाला है और अपनी बड़ाई का इज़हार करना उसी के शायों और लाइक़ है क्यूं कि उस का हर कमाल अज़ीम और हर सिफ़त आली है जब कि मख़लूक में किसी को येह हक़ हासिल नहीं कि वोह तकब्बुर या'नी अपनी बड़ाई का इज़हार करे।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ

पारह 28 आयत 9-11

ऐ ईमान वालो ! जब जुमुआ के दिन नमाज़ के लिये अज़ान दी जाए^①

يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ

तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ़ दौड़ो^② और ख़रीदो फ़रोख़्त छोड़ दो । अगर तुम जानो तो यह तुम्हारे लिये

تَعْلَمُونَ ③ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

बेहतर है ० फिर जब नमाज़ पूरी हो जाए तो ज़मीन में फैल जाओ और अल्लाह का फ़ज़ल तलाश करो

وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ④ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا

और अल्लाह को बहुत याद करो इस उम्मीद पर कि तुम काम्याब हो जाओ^⑤ ० और जब उन्होंने ने कोई तिजारात या खेल देखा तो उस की तरफ़

إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا ۖ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَ

चल दिये और तुम्हें खड़ा छोड़ गए तुम फ़रमाओ : जो अल्लाह के पास है वोह खेल से और तिजारात से बेहतर है और

اللَّهُ خَيْرٌ الرِّزْقَيْنِ ⑥

अल्लाह बेहतरीन रोज़ी देने वाला है^⑦ ०

ع
١٢

हाशिया ①... यहां अज़ान से मुराद पहली अज़ान है, नमाज़े जुमुआ की तय्यारी वाजिब होने और ख़रीदो फ़रोख़्त तर्क कर देने का तअल्लुक इसी अज़ान से है, दूसरी अज़ान से नहीं जो खुत्बे से मुत्तसिल होती है । ②... दौड़ने से भागना मुराद नहीं है बल्कि मक्सूद यह है कि नमाज़ के लिये तय्यारी शुरू कर दो और ज़िक्रुल्लाह से जुम्हूर उलमा के नज़्दीक खुत्बा मुराद है । ③... या'नी जब नमाज़ पूरी हो जाए तो अब तुम्हारे लिये जाइज़ है कि मअ़ाश के कामों में मशगूल हो जाओ या इल्म हासिल करने, मरीज़ की इयादत, जनाज़े में शिर्कत, उलमा की ज़ियारत करने और इन जैसे दीगर कामों में मशगूल हो कर नेकियां हासिल करो और नमाज़ के इलावा भी हर हाल में अल्लाह तअ़ाला को याद किया करो ताकि तुम्हें काम्याबी नसीब हो । ④... एक मरतबा हुज़ूर ﷺ जुमुआ के दिन खड़े हो कर जुमुआ का खुत्बा इर्शाद फ़रमा रहे थे कि अचानक मदीनए तय्यिबा में एक तिजाराती काफ़िला आ पहुंचा, यह बहुत तंगी और महंगाई का दौर था, इस लिये माल ख़त्म होने के डर से चन्द के इलावा बक़िय्या सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ उस की तरफ़ भाग पड़े, इस पर येह आयत नाज़िल हुई और सहाबए किराम رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ की तरबियत फ़रमाई गई कि ऐसा करना इन की शान के लाइक नहीं ।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ

ऐ ईमान वालो ! तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद तुम्हें अल्लाह के जिक्र से गाफ़िल न कर दें^① और जो ऐसा करेगा तो वोही

ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ① وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْتُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ

लोग नुक़सान उठाने वाले हैं ० और हम ने तुम्हें जो रिज़क़ दिया उस से उस वक़्त से पहले पहले कुछ (हमारी राह में) खर्च कर लो कि तुम में किसी

الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ

को मौत आए^② तो कहने लगे, ऐ मेरे रब ! तू ने मुझे थोड़ी सी मुदत तक क्यूं मोहलत न दी कि मैं सद्क़ा देता और सालिहीन में से

الصَّالِحِينَ ② وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ③

हो जाता ० और हरगिज़ अल्लाह किसी जान को मोहलत न देगा जब उस का मुक़र्रर वक़्त आ जाए^③ और अल्लाह तुम्हारे कामों से ख़ूब ख़बरदार है ०

हाशिया ①... दुनिया में इन्सान को सब से ज़ियादा अल्लाह तअ़ाला से गाफ़िल करने वाली दो चीज़ें हैं, माल और औलाद इस लिये यहां सिर्फ़ इन्ही दो का नाम लिया गया वरना इस में हर वोह चीज़ दाख़िल है जो यादे इलाही से गाफ़िल करे । ②... यहां मौत आ जाने से मुराद मौत के आसार का मुशाहदा करना है और आयत से मुराद येह है कि मौत के आसार ज़ाहिर होने से पहले पहले अपने मालों में वाजिब सद्क़ात अदा कर दो वरना मौत के बा'द सिवाए पछतावे के कुछ हाथ नहीं आएगा । ③... इन्सान ख़्वाह इत़ाअत गुज़ार हो या ना फ़रमान, छोटा हो या बड़ा, जब उस की उम्र का आख़िरी वक़्त आ जाएगा तो अल्लाह तअ़ाला उसे हरगिज़ मोहलत न देगा लिहाज़ा जो नेक काम करना है वोह आख़िरी वक़्त आने से पहले ही करना होगा और आख़िरी वक़्त चूँकि किसी को मा'लूम नहीं इस लिये ज़रूरी है कि हमारा हर लम्हा ना फ़रमानी से महफूज़ हो और नेक आ'माल की कसरत हो ताकि मौत के वक़्त हसरत न हो ।

يَا أَيُّهَا الْمَدَائِرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ۝

सूरतुल मुद्सिर आयत 1-10

ऐ चादर ओढ़ने वाले ० खड़े हो जाओ फिर डर सुनाओ ० और अपने रब ही की बड़ाई बयान करो ०

وَشِيبَاكَ فَطَهِّرْ ۝ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

और अपने कपड़े पाक रखो ० और गन्दगी से दूर रहो ० और ज़ियादा लेने की खातिर किसी पर एहसान न करो ० और अपने रब के लिये ही सब्र करते रहो ०

فَإِذَا نَقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ۝ فَذَلِكَ يَوْمَ يَوْمٍ عَسِيرٍ ۝ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ۝

फिर जब सूर में फूँका जाएगा ० तो वोह दिन बड़ा सख़्त दिन होगा ० काफ़िरों पर आसान नहीं होगा ०

हाशिया ①... इस से मुराद येह है कि अपने कपड़े हर तरह की नजासत से पाक रखें क्यूं कि नमाज़ के लिये त्हातर ज़रूरी है और नमाज़ के इलावा और हालतों में भी कपड़े पाक रखना बेहतर है। ②... यहां गन्दगी से मुराद “बुतों की इबादत” है और आयत का मतलब येह है कि जिस तरह आप पहले बुतों की पूजा करने से दूर थे इसी तरह हमेशा इस से दूर ही रहिये। ③... बिगैर शर्त के ज़ियादा मिलने की निय्यत से तोहफ़ा देना अगर्चे जाइज़ है लेकिन हुज़ूर ﷺ को इस से मन्अ फ़रमाया गया क्यूं कि येह शाने नुबुव्वत के लाइक नहीं।



وَالصُّحَىٰ ۝ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۝ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَاقَلَىٰ ۝

चढ़ते दिन के वक्त की क़सम ० और रात की जब वोह ढांप दे ० तुम्हारे रब ने न तुम्हें छोड़ा और न ना पसन्द किया ० और

لَلْآخِرَةِ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۝ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۝

बेशक तुम्हारे लिये हर पिछली घड़ी पहली से बेहतर है ० और बेशक क़रीब है कि तुम्हारा रब तुम्हें इतना देगा कि तुम राजी हो जाओगे ०

हाशिया ①... बा'ज मुफ़स्सरीन के नज़्दीक आयत में “مُحَلًى” से वोह वक्त मुराद है जिस वक्त सूरज बुलन्द होता है और बा'ज के नज़्दीक यहां “مُحَلًى” से पूरा दिन मुराद है। ②... इस आयत का एक मा'ना येह है कि ऐ हबीब ! ﷺ, बेशक तुम्हारे लिये आख़िरत दुन्या से बेहतर है क्यूं कि वहां आप के लिये बे इन्तिहा इज़्ज़तें और करामतें हैं और एक मा'ना येह है कि आने वाले अहवाल आप के लिये गुज़्रता से बेहतरो बरतर हैं गोया कि हक़ तआला का वा'दा है कि वोह रोज़ बरोज़ आप के दरजे बुलन्द करेगा और इज़्ज़त पर इज़्ज़त और मन्सब पर मन्सब ज़ियादा फ़रमाएगा और हर आने वाली घड़ी में आप के मरातिब तरक्कियों में रहेंगे।

أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى ۖ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى ۖ وَوَجَدَكَ

क्या उस ने तुम्हें यतीम न पाया फिर जगह दी ○ और उस ने तुम्हें अपनी महबूबत में गुम पाया तो अपनी तरफ़ राह दी ○ और उस ने तुम्हें

عَالِيًّا فَاَعْنَى ۙ فَامَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۙ وَامَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۙ

हाजत मन्द पाया तो ग़नी कर दिया ○ तो किसी भी सूरत यतीम पर सख़्ती न करो ○ और किसी भी सूरत मांगने वाले को न झिड़को ○

وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝

और अपने रब की ने'मत का ख़ूब चरचा करो ③ ○

हाशिया ③... यहां ने'मत से मुराद वोह ने'मते हैं जो अल्लाह तआला ने हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को अता फ़रमाई और वोह ने'मते भी मुराद हैं जिन का अल्लाह तआला ने हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से वा'दा फ़रमाया है और ने'मतों का चरचा करने का इस लिये हुक्म फ़रमाया कि ने'मत को बयान करना शुक्र गुज़ारी है।

آیتها ۸
مکوعها ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

۹۲ سُورَةُ النَّازِعَاتِ
مَكِّيَّةٌ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۙ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۙ الَّذِي أَنقَضَ

क्या हम ने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना कुशादा न कर दिया ? ○ और हम ने तुम्हारे ऊपर से तुम्हारा बोझ उतार दिया ① ○ जिस ने तुम्हारी पीठ

ظَهَرَكَ ۙ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۙ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۙ إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ

तोड़ी थी ○ और हम ने तुम्हारी खातिर तुम्हारा ज़िक्र बुलन्द कर दिया ② ○ तो बेशक दुश्वारी के साथ आसानी है ○ बेशक दुश्वारी के साथ

يُسْرًا ۙ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ ۝

आसानी है ○ तो जब तुम फ़ारिग़ हो तो ख़ूब कोशिश करो ○ और अपने रब ही की तरफ़ रग़बत रखो ○

हाशिया ①... इस बोझ से वोह गुम मुराद है जो हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को कुफ़र के ईमान न लाने की वजह से रहता था और एक क़ौल येह है कि इस से उम्मत के गुनाहों का गुम मुराद है जिस में आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم का क़ल्बे मुबारक मशगूल रहता था। ②... मुफ़स्सरीन ने हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم का ज़िक्र बुलन्द होने की मुख़्तलिफ़ तौजीहात बयान की हैं, उन में से दो येह हैं : (1) अल्लाह तआला ने हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم पर ईमान लाना और इन की इताअत करना मख़लूक पर लाज़िम कर दिया है ह़त्ता कि किसी का अल्लाह तआला पर ईमान लाना, उस की वहुदानियत का इक़्रार और उस की इबादत करना उस वक़्त तक मक्बूल नहीं जब तक वोह हुजूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم पर ईमान न ले आए और उन की इताअत न करने लगे। (2) अल्लाह तआला के ज़िक्र के साथ आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم का ज़िक्र किया जाता है और अल्लाह तआला ने अज़ान, इक़ामत, नमाज़, तशहहूद, खुत्बे वग़ैरा में अपने ज़िक्र के साथ आप का ज़िक्र किया है।



وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ ۝۱ وَطُورِ سِينِينَ ۝۲ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ۝۳ لَقَدْ

इन्जीर की क़सम और जैतून की ० और तूरे सीना की ० और इस अम्न वाले शहर की ० बेशक

خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ۝۴ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفَلَيْنِ ۝۵

यकीनन हम ने आदमी को सब से अच्छी सूरत में पैदा किया ० फिर इसे हर नीची से नीची हालत की तरफ़ फेर दिया ॥ ०

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۝۶ فَمَا

मगर वोह लोग जो ईमान लाए और उन्होंने ने अच्छे काम किये तो उन के लिये बे इन्तिहा सवाब है ० तो अब कौन सी चीज़

يَكْذِبُكَ بَعْدَ الدِّينِ ۝۷ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ ۝۸

तुझे इन्साफ़ के झुटलाने पर आमादा करती है ० क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़ कर हाकिम नहीं ? ॥ ०

ع ۸

हाशिया ①... इस का एक मा'ना येह है कि इन्सान को सब से अच्छी सूरत पर पैदा करने के बा'द इसे बुढ़ापे की तरफ़ फेर दिया और उस वक़्त बदन कमजोर, आ'ज़ा नाकारा, अक्ल नाक़िस, पुश्त ख़म, बाल सफ़ेद हो जाते और जिल्द में झुर्रियां पड़ जाती हैं और वोह अपनी ज़रूरिय्यात अन्जाम देने में दूसरों का मोहताज हो जाता है। दूसरा मा'ना येह है कि जब इस ने अच्छी शक्लो सूरत की शुक्र गुज़ारी न की, अल्लाह तआला की ना फ़रमानी पर जमा रहा और ईमान न लाया तो इस का अन्जाम येह हुवा कि हम ने जहन्नम के सब से निचले दरकात को इस का ठिकाना कर दिया। ②... हदीसे पाक में है : जो सूरए “وَالَّتَيْنِ وَالزَّيْتُونِ” पढ़ते हुए “أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَكَمِينَ” पढ़े तो उसे चाहिये कि वोह येह कहे (ترمذی، ۲۳۰/۵، الحديث: ۳۳۵۸) “بَلْ وَأَنَا عَلٰی ذٰلِكَ مِنَ الشّٰهِدِیْنَ” या'नी क्यूं नहीं, यकीनन है और मैं इस बात पर गवाहों में से हूँ।

ایاتھا ۵
رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

سُورَةُ الْقَدَرِ ۹۷
مَكِّيَّةٌ

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۝ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ ۝

हम ने इस कुरआन को शबे क़द्र में नाज़िल किया ① और तुझे क्या मा'लूम कि शबे क़द्र क्या है ? शबे क़द्र हज़ार महीनों से बेहतर है ② इस रात में फ़िरिश्ते और ज़िब्रील अपने रब के हुक्म से हर काम के लिये उतरते हैं ③ यह रात सुबढ़ तुलूअ होने तक सलामती है ④

ایاتھا ۳
رکوعھا ۱

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

سُورَةُ الْعَصْرِ ۱۰۳
مَكِّيَّةٌ

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصُوا بِالحَقِّ ۝ وَتَوَّصُوا بِالصَّبْرِ ۝

ज़माने की क़सम ② बेशक आदमी ज़रूर ख़सारे में है ③ मगर जो ईमान लाए और उन्होंने ने अच्छे काम किये और एक दूसरे को हक़ की ताकीद की और एक दूसरे को सब्र की वसियत की ④

हाशिया ①... शबे क़द्र इन्तिहाई शरफ़ो बरकत वाली रात है, इसे शबे क़द्र इस लिये कहते हैं कि इस में साल भर के अहक़ाम नाफ़िज़ किये जाते हैं और फ़िरिश्तों को साल भर के कामों और ख़िदमात पर मामूर किया जाता है और येह भी कहा गया है कि इस रात की दीगर रातों पर शराफ़तो क़द्र के बाइस इस को शबे क़द्र कहते हैं। हदीसे पाक में है : जिस ने इस रात में ईमान और इख़्लास के साथ शब बेदारी कर के इबादत की तो **अल्लाह** तआला उस के साबिका (सगीरा) गुनाह बख़्श देता है। (بخاری، ۲۵/۱، الحدیث: ۳۵) ②... यहां अस् से मुत्लक़ ज़माना, या हुज़ूर **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** का मख़सूस ज़माना मुराद है, या इस से वोह वक़्त मुराद है जो सूरज गुरुब होने से पहले होता है, या इस से मुराद नमाज़े अस् है। ③... बेशक आदमी ज़रूर नुक़सान में है कि इस की उम्र जो इस का सरमाया और अस्ल पूंजी है वोह हर दम कम हो रही है मगर जो ईमान लाए और उन्होंने ने अच्छे काम किये और एक दूसरे को ईमान और नेक अमल की ताकीद की और एक दूसरे को उन तकलीफ़ों और मशक्कतों पर सब्र करने की वसियत की जो दीन की राह में उन्हें पेश आई तो येह लोग **अल्लाह** तआला के फ़ज़ल से ख़सारे में नहीं बल्कि नफ़अ पाने वाले हैं क्यूं कि इन की जितनी उम्र गुज़री वोह नेकी और ताअत में गुज़री है।

آیاتھا ۵ رکوعھا ۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	سُورَةُ الْفِيلِ ۱۰۵ مَكِّيَّةٌ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝۱ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي

क्या तुम ने न देखा कि तुम्हारे रब ने उन हाथी वालों का क्या हाल किया ? ① ○ क्या उस ने उन के मकरो फ़रेब को

تَضْلِيلٍ ۝۲ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۳ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ

तबाही में न डाला ○ और उन पर फ़ौज दर फ़ौज परिन्दे भेजे ○ जो उन्हें कंकर के पथ्थरों

سِجِّيلٍ ۝۴ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ ۝۵

से मारते थे ○ तो उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया ○

۱-۵

آیاتھا ۴ رکوعھا ۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	سُورَةُ قُرَيْشٍ ۱۰۶ مَكِّيَّةٌ

لَا يَلْفُ قُرَيْشٍ ۝۱ الْفَهْمُ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۝۲ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ

कुरैश को मानूस करने की वजह से ○ उन्हें सर्दी गर्मी दोनों के सफ़र से मानूस करने की वजह से ○ तो उन्हें इस घर के रब

هَذَا الْبَيْتِ ۝۳ الَّذِينَ أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جَوْءٍ ۝۴ وَأَمَنَهُمْ مِّنْ خَوْفٍ ۝۵

की इबादत करनी चाहिये ○ जिस ने उन्हें भूक में खाना दिया और उन्हें खौफ़ से अमन बख़्शा ○ ②

۱-۵

हाशिया ①... इस वाकिए का खुलासा यह है कि यमन और हब्शा के बादशाह अब्रहा ने सन्ना में इस गरज़ से एक कनीसा (इबादत ख़ाना) बनाया कि हज़ करने वाले मक्काए मुकर्रमा जाने की बजाए यहीं आएँ और इसी कनीसा का तवाफ़ करें। अहले अरब को यह बात बहुत ना गवार गुज़री और क़बीलए बनी किनाना के एक शख्स ने मौक़अ पा कर उस कनीसा में क़ज़ाए हाज़त कर के उसे आलूदा कर दिया। मा'लूम होने पर अब्रहा तैश में आया और का'बए मुअज़्ज़मा को गिराने की क़सम खा ली। फिर यह अपने लश्कर के साथ जिस में बहुत से हाथी भी थे, मक्काए मुकर्रमा पहुंचा, यहां जब उस ने फ़ौज को तय्यारी का हुक्म दिया तो अल्लाह तआला ने परिन्दों की फ़ौजें भेजीं जिन्होंने कंकर के पथ्थरों से अब्रहा और उस के लश्करियों को मारा और उन्हें जानवरों के खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। ②... भूक और खौफ़ मुआशरे में गुनाहों और बदकारियों की ता'दाद में इज़ाफ़े, ज़राइम की शर्ह बढ़ाने, बद अम्नी और बे सुकूनी फैलाने में इन्तिहाई ख़तरनाक किरदार अदा करते हैं जब कि भूक का ख़त्म होना और खौफ़ का दूर हो जाना मुआशरे में पाकीज़ा माहोल और अम्नो अमान की फ़ज़ा काइम करने में बहुत मुआविन है। दीने इस्लाम के अहक़ाम और ता'लीमात पर नज़र की जाए तो यह हकीक़त रोशन दिन से ज़ियादा साफ़ नज़र आएगी कि लोगों की भूक को ख़त्म करना, उन्हें सहूलिय्यात फ़राहम करना, पाकीज़ा मुआशरे का क़ियाम और अमन काइम करना इस्लाम की बुन्यादी तरजीहात और खुसूसिय्यात में से है, लिहाज़ा इन अहक़ाम पर अमल पैरा होना चाहिये।

आयत ८
रुकू १

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

سُورَةُ الْمَاعُونِ ١٠٧
مَكِّيَّةٌ

أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ ۚ ۝ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۝

क्या तुम ने उस शख्स को देखा जो दीन को झुटलाता है ० फिर वोह ऐसा है जो यतीम को धक्के देता है ०

وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيُسْكِينِ ۝ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝

और मिसकीन को खाना देने की तरगीब नहीं देता ० तो उन नमाज़ियों के लिये खराबी है ० जो अपनी नमाज़ से

صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ۝ الَّذِينَ هُمْ يُرْآءُونَ ۝ وَيَسْعَوْنَ الْمَاعُونَ ۝

गाफ़िल हैं ० वोह जो दिखावा करते हैं ० और बरतने की मा'मूली चीज़ें भी नहीं देते ०

आयत ३
रुकू १

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।

سُورَةُ الْكَوثرِ ١٠٨
مَكِّيَّةٌ

إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝

ऐ महबूब! बेशक हम ने तुम्हें बे शुमार खूबियां अता फ़रमाई ० तो तुम अपने रब के लिये नमाज़ पढ़ो और कुरबानी करो ० बेशक जो तुम्हारा दुश्मन है वोही हर ख़ैर से महरूम है ०

हाशिया ①... नमाज़ से ग़फ़लत की चन्द सूरतें हैं, जैसे पाबन्दी से न पढ़ना, सहीह वक़्त पर न पढ़ना, फ़राइज़ों वाजिबात को सहीह तरीक़े से अदा न करना, शर्ई उज़्र के बिग़ैर बा जमाअत न पढ़ना, नमाज़ की परवाह न करना, तन्हाई में क़ज़ा कर देना और लोगों के सामने पढ़ लेना वग़ैरा। ②... आयत में “क़ुत्तर” से मुतअल्लिक़ मुफ़स्सरीन के मुख़लिफ़ अक्वाल हैं, एक क़ौल यह है कि इस से दुन्या और आख़िरत की बे शुमार खूबियां मुराद हैं। ③... हुज़ूर ﷺ के फ़रज़न्द हज़रते कासिम رضی اللہ عنہ का विसाल हुवा तो कुफ़्फ़ार ने येह कहा कि इन की नस्ल ख़त्म हो गई, इन के बा'द अब इन का ज़िक़ भी न रहेगा और येह सब चरचा ख़त्म हो जाएगा, इस पर सूए कौसर नाज़िल हुई और अल्लाह तआला ने उन कुफ़्फ़ार का रद फ़रमाया। इस सूरत का एक एक लफ़्ज़ बल्कि नफ़्से नुज़ूल हुज़ूर ﷺ के मक़ामे महबूबियत को बयान करता है कि आप के गुस्ताख़ को जवाब खुद रब तआला देता है।

ایاتھا ۲
رکوعھا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से शुरूअ जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है

١٠٩ سُورَةُ الْكَافِرُونَ
مَكِّيَّةٌ

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝ لَا أَنْتُمْ عِبْدُونَ مَا

तुम फ़रमाओ : ऐ काफ़िरो !^① ○ मैं उन की इबादत नहीं करता जिन्हें तुम पूजत हो ○ और तुम उस की इबादत करने वाले नहीं जिस की

أَعْبُدْ ۚ وَلَا آتَا عَابِدٌ مَّا عِبَدْتُمْ ۖ وَلَا أَنْتُمْ عِبِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝

मैं इबादत करता हूं ○ और न मैं उस की इबादत करूंगा जिसे तुम ने पूजा ○ और तुम उस की इबादत करने वाले हो जिस की मैं इबादत करता हूं ○

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿٦﴾

तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन है और मेरे लिये मेरा दीन है ०

ایاتھا ۳
رکوعھا ۱

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है

۱۱۰. سُورَةُ النَّازِعَاتِ
مَكِّيَّةٌ

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

जब अल्लाह की मदद और फ़तह आएगी ❷ ○ और तुम लोगों को देखोगे कि अल्लाह के दीन में फौज दर फौज दाखिल

أَفْوَاجًا ﴿٢﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ۖ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴿٣﴾

हो रहे हैं³ ○ तो अपने रब की तारीफ करते हुए उस की पाकी बयान करो और उस से बख्शीश चाहो, बेशक वोह बहुत तौबा कबूल करने वाला है⁴ ○

हाशिया ①... कुरैश की एक जमाअत ने हुजूर ﷺ से कहा कि आप हमारे दीन की पैरवी कीजिये हम आप के दीन की पैरवी करेंगे। एक साल आप हमारे मा'बूदों की इबादत करें एक साल हम आप के मा'बूद की इबादत करेंगे। हुजूर ﷺ ने उन से फ़रमाया : इस बात से **अल्लाह** तआला की पनाह कि मैं उस के साथ उस के ग़ैर को शरीक करूँ। कुफ़्फ़ार कहने लगे : तो आप ऐसा कीजिये कि हमारे किसी मा'बूद को हाथ ही लगा दीजिये हम आप की तस्दीक़ कर देंगे और आप के मा'बूद की इबादत करेंगे। इस पर यह सूरए मुबारका नाज़िल हुई। ②... यहां फ़तह से ख़ास फ़तहे मक्का या इस्लाम की आ़म फुतूहात मुराद हैं। ③... इस आयत में ग़ैबी ख़बर दी गई है। यह ग़ैबी ख़बर फ़तहे मक्का के मौक़अ पर पूरी हुई और लोग मुख़लिफ़ जगहों से क़बूले इस्लाम के लिये गुरौह दर गुरौह आ कर शरफ़े इस्लाम से बारयाब हुए। ④... यह सूरत नाज़िल होने के बा'द हुजूर ﷺ ने “سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ أَشَدُّ أَسْتَعْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ” की बहुत कसरत फ़रमाई। हमें भी इस की कसरत करनी चाहिये। नबिय्ये करीम ﷺ ने रोज़ाना सत्तर या सो मरतबा इस्तिग़फ़ार करते थे।

۵ آیاتھا رکوعھا ۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	۱۱۱ سُورَةُ الْاَنْعَامِ مَكِّيَّةٌ

تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝۱ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝۲

अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हो जाएं और वोह तबाह हो ही गया ॐ उस का माल और उस की कमाई उस के कुछ काम न आई ॐ

سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذَا تَلَهَّبَ ۝۳ وَأُمْرَأَتُهُ ۝۴ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝۵

अब वोह शो'लों वाली आग में दाखिल होगा ॐ और उस की बीवी लकड़ियों का गट्टा उठाने वाली है ॐ

فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝۶

उस के गले में खजूर की छाल की रस्सी है ॐ

२ آیاتھا رکوعھا ۱	بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	۱۱۲ سُورَةُ الْاِنْشَاقِ مَكِّيَّةٌ

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝۱ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝۲ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝۳

तुम फ़रमाओ : वोह अल्लाह एक है ॐ अल्लाह बे नियाज़ है न उस ने किसी को जनम दिया और न वोह किसी से पैदा हुवा ॐ और

لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۝۴

कोई उस के बराबर नहीं ॐ

हाशिया ①... जब हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने कोहे सफ़ा पर अरब के लोगों को दा'वत दी तो हर तरफ़ से लोग आए और हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ने उन से अपने सिद्को अमानत की शहादतें लेने के बा'द फ़रमाया : "إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ یُّبَیِّنُ لَیْسَ بِعَدَابٍ شَدِیدٍ" इस पर अबू लहब ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم से कहा कि तुम तबाह हो जाओ क्या तुम ने हमें इस लिये जम्अ किया था । इस पर येह सूरत शरीफ़ नाज़िल हुई और अल्लाह तआला ने खुद अपने हबीब صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم की तरफ़ से उस गुस्ताख़ को जवाब दिया । ②... कुफ़ार ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم से अल्लाह रब्बुल इज़ज़त के मुतअल्लिक तरह तरह के सुवाल किये, कोई कहता था कि अल्लाह عَزَّوَجَلَّ का नसब क्या है ? कोई कहता था कि वोह सोने का है या चांदी का है या लोहे का है या लकड़ी का है ? किस चीज़ का है ? किसी ने कहा, वोह क्या खाता है ? क्या पीता है ? रबूबियत उस ने किस से विरसे में पाई ? और उस का कौन वारिस होगा ? इन के जवाब में अल्लाह तआला ने येह सूरत नाज़िल फ़रमाई कि वोह बे नियाज़ और विलादत व औलाद से पाक है ।

۱۱۳ سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	۵ آیاتها ۱ رکوعها

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۝۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۝۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا

तुम फरमाओ : मैं सुबह के रब की पनाह लेता हूँ ① ० उस की तमाम मख़्लूक के शर से ० और सख़्त अंधेरी रात के शर से जब

وَقَبَ ۝۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۝۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۝۵

वोह छा जाए ० और उन औरतों के शर से जो गिरहों में फूँके मारती हैं ० और हसद वाले के शर से जब वोह हसद करे ② ०

۱
۳۸

۱۱۴ سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला है।	۶ آیاتها ۱ رکوعها

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝۱ مَلِكِ النَّاسِ ۝۲ إِلَهِ النَّاسِ ۝۳ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ

तुम कहो : मैं तमाम लोगों के रब की पनाह लेता हूँ ० तमाम लोगों का बादशाह ० तमाम लोगों का मा'बूद ० बार बार वस्वसे डालने वाले,

الْخَنَاسِ ۝۴ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝۵ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝۶

छुप जाने वाले के शर से (पनाह लेता हूँ) ③ ० वोह जो लोगों के दिलों में वस्वसे डालता है ० जिन्यों और इन्सानों में से ०

۱
۳۹

हाशिया ①... लबीद बिन आ'सम यहूदी और उस की बेटियों ने हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم पर जादू किया। आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم के जिसमे मुबारक और ज़ाहिरी आ'ज़ा पर उस का असर हुवा, अलबत्ता दिल, अक्ल और ए'तिकाद पर कुछ असर न हुवा। हज़रते जिब्रील عَلَیْهِ السَّلَام ने आप صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم को इस की ख़बर दी और जादू के सामान का मक़ाम बताया। हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم ने हज़रत अलियुल मुर्तज़ा كَرَّمَ اللّٰهُ وَجْهَهُ الْكَرِيم को भेज कर येह सामान निकलवाया। **अल्लाह** तआला ने सूरए फ़लक और सूरए नास नाज़िल फ़रमाई, इन की बरकत से जादू का असर ख़त्म हुवा और हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم बिल्कुल तन्दुरुस्त हो गए। ②... हसद वाला वोह है जो दूसरे की ने'मत छिन जाने की तमन्ना करे। यहां हासिद से बतौरै खास यहूदी मुराद हैं जो हुज़ूर صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰलِهٖ وَسَلَّم से हसद करते थे या खास लबीद बिन आ'सम यहूदी मुराद है और उमूमी तौर पर हर हासिद से पनाह के लिये येह आयते मुबारका काफ़ी है। ③... वस्वसे डालने वाले और दबक जाने वाले से मुराद शैतान है और येह इस की आदत है कि इन्सान जब गाफ़िल होता है तो उस के दिल में वस्वसे डालता है और जब इन्सान **अल्लाह** तआला का ज़िक्र करता है तो शैतान दबक रहता है और हट जाता है।



ख़ु़बात

अज शैखे तरीक़त, अमीरे अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी ज़ियाई دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةُ

हर जुमुआ को ख़तीब क़ब्ल अज़ अज़ाने खुत्बा मिम्बर पर चढ़ने से पहले येह ए'लान करे

ﷺ के सात हुक्म की निस्वत से खुत्बे के 7 मदनी फूल

☆ हदीसे पाक में है : जिस ने जुमुआ के दिन लोगों की गरदनें फलांगीं उस ने जहन्नम की तरफ़ पुल बनाया । (513/ترمذی، 48/2، حدیث: 513) इस के एक मा'ना येह हैं कि उस पर चढ़ कर लोग जहन्नम में दाख़िल होंगे । (हाशिया बहारे शरीअत, 1/761, 762)

☆ ख़तीब की तरफ़ मुंह कर के बैठना सुन्नते सहाबा है ।

☆ बुजुर्गाने दीन फ़रमाते हैं : दो ज़ानू बैठ कर खुत्बा सुने, पहले खुत्बे में हाथ बांधे, दूसरे में ज़ानू पर हाथ रखे तो إِنَّ شَاءَ اللَّهُ दो रकअत का सवाब मिलेगा । (मिरआतुल मनाजीह, 2/338)

☆ आ'ला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : खुत्बे में हुज़ूरे अक़दस صَلَّی اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ का नामे पाक सुन कर दिल में दुरूद पढ़ें कि ज़बान से सुकूत (या'नी ख़ामोशी) फ़र्ज़ है ।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/365)

☆ दुर्रे मुख़्तार में है : खुत्बे में खाना पीना, कलाम करना अगर्चे سُبْحَانَ اللَّهِ कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है । (39/3، درر)

☆ आ'ला हज़रत रَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : ब हालते खुत्बा चलना हराम है । यहां तक उलमाए किराम फ़रमाते हैं कि अगर ऐसे वक़्त में आया कि खुत्बा शुरू हो गया तो मस्जिद में जहां तक पहुंचा वहीं रुक जाए, आगे न बढ़े कि येह अमल होगा और हाले खुत्बा में कोई अमल रवा (या'नी जाइज़) नहीं ।

(फ़तावा रज़विय्या, 8/333)

☆ आ'ला हज़रत رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : खुत्बे में किसी तरफ़ गरदन फेर कर देखना (भी) हराम है ।

(ऐज़न, स. 334)

खुत्बए जुमुआ के अहम मदनी फूल

मसअला : खुत्बए जुमुआ में शर्त येह है कि वक़्त में हो और नमाज़ से पहले और ऐसी जमाअत के सामने हो जो जुमुआ के लिये शर्त है (या'नी कम से कम ख़तीब के सिवा तीन मर्द) और इतनी आवाज़ से हो कि पास वाले सुन सकें और अगर कोई अग्रे मानेअ न हो तो अगर ज़वाल से पेशतर खुत्बा पढ़

लिया या नमाज़ के बा'द पढ़ा या तन्हा पढ़ा या औरतों बच्चों के सामने पढ़ा तो इन सब सूरतों में जुमुआ न हुवा और अगर बहरों या सोने वालों के सामने पढ़ा या हाज़िरीन दूर हैं कि सुनते नहीं या मुसाफ़िर या बीमारों के सामने पढ़ा जो अक़िल बालिग़ मर्द हैं तो हो जाएगा ।

मस्अला : खुत्बा व नमाज़ में अगर ज़ियादा फ़ासिला हो जाए तो वोह खुत्बा काफ़ी नहीं ।

मस्अला : खुत्बे में येह चीज़ें सुन्नत हैं : ख़तीब का पाक होना, खड़ा होना, खुत्बाए जुमुआ से पहले ख़तीब का बैठना, ख़तीब का मिम्बर पर होना और सामिईन की तरफ़ मुंह और क़िबले को पीठ करना और बेहतर येह है कि मिम्बर मेहराब की बाईं जानिब हो, हाज़िरीन का इमाम की तरफ़ मुतवज्जेह होना, खुत्बे से पहले **أَعُوْذُ بِاللّٰهِ** आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलन्द आवाज़ से खुत्बा पढ़ना कि लोग सुनें, **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** से शुरूअ करना, **अल्लाह** पाक की सना करना, **अल्लाह** पाक की वहदानिय्यत और **रसूलुल्लाह** **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** की रिसालत की शहादत देना, हुज़ूर **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم** पर दुरूद भेजना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना, पहले खुत्बे में वा'जो नसीहत होना, दूसरे में हम्दो सना व शहादत व दुरूद का इआदा करना, दूसरे में मुसल्मानों के लिये दुआ करना, दोनों खुत्बे हलके होना, दोनों के दरमियान ब क़दर तीन आयत पढ़ने के बैठना, मुस्तहब येह है कि दूसरे खुत्बे में आवाज़ ब निस्बत पहले के पस्त हो और खुलफ़ाए राशिदीन व अम्मैने मुकर्रमैन हज़रते हम्ज़ा और अब्बास **رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا** का ज़िक्र हो ।

मस्अला : खुत्बे में आयत न पढ़ना या दोनों खुत्बों के दरमियान जल्सा न करना या अस्नाए खुत्बा में कलाम करना मक्रूह है अलबत्ता अगर ख़तीब ने नेक बात का हुक्म किया या बुरी बात से मन्अ किया तो उसे इस की मुमानअत नहीं ।

मस्अला : ग़ैर अरबी में खुत्बा पढ़ना या अरबी के साथ दूसरी ज़बान खुत्बे में ख़ल्त करना ख़िलाफ़े सुन्नते मुवारिसा है यूंही खुत्बे में अश्अर पढ़ना भी न चाहिएं अगर अरबी के हों या दो एक शे'र अरबी पन्दो नसाएह के अगर पढ़ दिये तो हरज नहीं । (बहारे शरीअत, 1/766, 769 माखूज़न)

खुत्बए ऊला जुमुआ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ
 وَسَلَّم عَلَى الْعَالَمِينَ جَمِيعًا ۖ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ
 لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ وَسَلَّم ۖ أَمَّا بَعْدُ! فَيَا أَيُّهَا
 الْمُؤْمِنُونَ ۖ رَحِمَنَا وَرَحِمْكُمْ اللَّهُ تَعَالَى ۖ أَوْصِيكُمْ وَنَفْسِي بِتَقْوَى
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي السِّرِّ وَالْإِعْلَانِ ۖ وَزَيِّنُوا قُلُوبَكُمْ بِحُبِّ هَذَا النَّبِيِّ
 الْكَرِيمِ ۖ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ ۖ فَإِنَّ الْحُبَّ هُوَ
 الْإِيمَانُ كُلُّهُ ۖ لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا مَحَبَّةَ لَهُ ۖ رَزَقَنَا اللَّهُ تَعَالَى وَإِيَّاكُمْ حُبَّ
 هَذَا النَّبِيِّ الْكَرِيمِ ۖ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ أَكْرَمُ الصَّلَاةِ وَالتَّسْلِيمِ ۖ عَنْ
 النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم ۖ الْبِرُّ لَا يَبْلَى وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى
 وَالذِّيَانُ لَا يَمُوتُ ۖ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ۖ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ
 الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ۖ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ

ذَرَّةٍ شَرَّائِرَةٍ ۝ ﴿٨﴾ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ ۖ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ
بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۖ إِنَّهُ تَعَالَىٰ مَلِكٌ كَرِيمٌ ۖ جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوفٌ
رَّحِيمٌ ۖ

खुत्बए सानिया जुमुआ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۖ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ۖ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۖ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۖ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ۖ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ أَبَدًا ۖ لَا سِيَّمًا عَلَىٰ أَوْلِيهِمُ بِالتَّصْدِيقِ ۖ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي
بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ۖ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۖ وَ عَلَىٰ أَعْدِلِ الْأَصْحَابِ ۖ
أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۖ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ۖ وَ عَلَى
جَامِعِ الْقُرْآنِ ۖ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ۖ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ

عَنْهُ ۚ وَ عَلَى أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ ۚ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۚ
 كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ ۚ وَ عَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ
 الشَّهِيدَيْنِ ۚ أَبِي مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ۚ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ۚ وَ عَلَى أُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ ۚ أَلْبَتُولِ الزَّهْرَاءِ ۚ
 صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَى أَبِيهَا الْكَرِيمِ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى بَعْلِهَا وَ
 ابْنَيْهَا ۚ وَ عَلَى عَمِّيهِ الشَّرِيفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْأَذْنَسِ ۚ الْحَمْزَةِ
 وَ الْعَبَّاسِ ۚ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ۚ وَ عَلَى سَائِرِ فِرْقِ الْأَنْصَارِ وَ
 الْمُهَاجِرَةِ ۚ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ۚ عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ
 بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَائِي ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ
 الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى
 وَأَوَّلَى وَ أَجَلُّ وَ أَعَزُّ وَ أَكْبَرُ وَ أَهَمُّ وَ أَعْظَمُ وَ أَكْبَرُ ۚ

खुत्बए अला ईदुल फ़ित्र

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا نَقُولُ وَ خَيْرًا مِمَّا

نَقُولُ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ
 الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا حَمَدَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَ
 الْمُرْسَلُونَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ وَعِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ ۚ اللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۚ وَ
 أَفْضَلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ ۚ وَأَزْكَى تَحِيَّاتِ اللَّهِ عَلَى خَيْرِ خَلْقِ اللَّهِ ۚ نَبِيِّ
 الْأَنْبِيَاءِ ۚ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ۚ أَكْرَمِ الْأَوَّلِينَ
 وَالْآخِرِينَ ۚ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأَنَا وَمَاؤُنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَ عَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ ۚ وَ
 أَزْوَاجِهِ الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَ عِثْرَتِهِ الْمُكْرَمِينَ
 الْمُعْظَمِينَ ۚ وَأَوْلِيَاءِ مِلَّتِهِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ ۚ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ
 الرَّاشِدِينَ الْمُرْشِدِينَ ۚ وَعَلَيْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ وَلَهُمْ وَفِيهِمْ يَا
 أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
 أَكْبَرُ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ ۚ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۚ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
 لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ

وَرَسُولُهُ ۚ أَمَّا بَعْدُ! ۚ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۚ رَحِمْنَا وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ
 تَعَالَى ۚ اِعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمٌ يَتَجَلَّى فِيهِ
 رَبُّكُمْ بِاسْمِهِ الْكَرِيمِ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ الْحَمْدُ إِلَّا وَإِنَّ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَوْجَبَ فِي هَذَا الْيَوْمِ عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ النَّصَابَ
 فَاضِلًا عَنِ الْحَاجَةِ الْأَصْلِيَّةِ عَنْ نَفْسِهِ وَ عَنْ صِغَارِ الذُّرِّيَّةِ
 صَاعًا مِّنْ تَمَرٍ أَوْ شَعِيرٍ أَوْ نِصْفِ صَاعٍ مِّنْ بُرٍّ أَوْ زَبِيبٍ إِلَّا وَإِنَّهَا
 لَطَهْرَةٌ لِصِيَامِكُمْ عَنِ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَأَنَّ الصِّيَامَ مُعَلِّقَةٌ بَيْنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى تُؤَدَّى هَذِهِ الصَّدَقَةُ فَأَدُّوْهَا طَيِّبَةً بِهَا
 أَنْفُسَكُمْ تَقْبَلَهَا اللَّهُ وَالصِّيَامَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَمِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ
 الْحَمْدُ ۚ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۚ أَلْبَرُّ لَا يَبْلَى وَالذَّنْبُ
 لَا يُنْسَى وَالذِّيَانُ لَا يَمُوتُ ۚ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ۚ
 اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ۝

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴿٨﴾ ۞ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ
الْعَظِيمِ ۝ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۝ إِنَّهُ تَعَالَى
مَلِكٌ كَرِيمٌ ۝ جَوَادٌ بَرٌّ رَّءُوفٌ رَحِيمٌ ۝ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ
اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝

خُتْبِہ سانیہ برائے ذی قعدہ و ذی الحجہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۝
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ۝ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
وَرَسُولُهُ ۝ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ وَبَارَكَ
وَسَلَّمَ أَبَدًا ۝ لَا سِيَّمًا عَلَى أَوْلِيهِمُ بِالتَّصْدِيقِ ۝ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ أَبِي

بُكَرِ بْنِ الصِّدِّيقِ ۞ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَ عَلَى أَعْدَلِ الْأَصْحَابِ ۞
 أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ۞ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ۞ وَ عَلَى
 جَامِعِ الْقُرْآنِ ۞ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ۞ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى
 عَنْهُ ۞ وَ عَلَى أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ ۞ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ۞
 كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ ۞ وَ عَلَى ابْنَيْهِ الْكَرِيمَيْنِ السَّعِيدَيْنِ
 الشَّهِيدَيْنِ ۞ أَبِي مُحَمَّدٍ نَاحَسَنِ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَيْنِ ۞ رَضِيَ
 اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ۞ وَ عَلَى أُمِّهِمَا سَيِّدَةِ النِّسَاءِ ۞ أَلْبَتُولِ الزَّهْرَاءِ ۞
 صَلَوَاتُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَلَامُهُ عَلَى أَبِيهَا الْكَرِيمِ وَ عَلَيْهَا وَ عَلَى بَعْلِهَا وَ
 ابْنَيْهَا ۞ وَ عَلَى عَمِّيهِ الشَّرِيفَيْنِ الْمُطَهَّرَيْنِ مِنَ الْأَذْنَابِ ۞ الْحُزْرَةِ
 وَ الْعَبَّاسِ ۞ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ۞ وَ عَلَى سَائِرِ فِرَقِ الْأَنْصَارِ وَ
 الْمُهَاجِرَةِ ۞ وَ عَلَيْنَا مَعَهُمْ ۞ يَا أَهْلَ التَّقْوَى وَ أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ ۞ اللَّهُ
 أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ ۞
 عِبَادَ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ ۞ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْإِحْسَانِ وَ إِيْتَائِي
 ذِي الْقُرْبَى وَ يَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْيِ ۞ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ

تَذَكَّرُونَ ۚ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوَّلَى وَآجَلُ وَأَعَزُّ وَآتَمُّ وَأَهَمُّ
وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ ۚ

خُتْبَہٗ اُکُلَا بَرَاۓ اِیْدُلِ اَجْہَا

الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدَ الشَّاكِرِينَ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا نَقُولُ وَخَيْرًا مِّمَّا نَقُولُ ۚ
الْحَمْدُ لِلَّهِ قَبْلَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَعْدَ كُلِّ شَيْءٍ ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَعَ كُلِّ
شَيْءٍ ۚ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا حَيَّدَهُ الْأَنْبِيَاءُ وَالْمُرْسَلُونَ وَالْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۚ
وَعِبَادُ اللَّهِ الصَّالِحُونَ ۚ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ
اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۚ وَأَفْضَلُ صَلَوَاتُ اللَّهِ ۚ وَأَزْكَى تَحِيَّاتِ اللَّهِ عَلَى خَيْرِ
خَلْقِ اللَّهِ ۚ نَبِيِّ الْأَنْبِيَاءِ ۚ سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ ۚ أَكْرَمِ
الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ۚ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا وَمَلْجَأُنَا وَمَاؤُنَا مُحَمَّدٍ رَسُولِ
رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ وَعَلَى آلِهِ الطَّيِّبِينَ وَأَصْحَابِهِ الطَّاهِرِينَ ۚ وَأَزْوَاجِهِ
الطَّاهِرَاتِ أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ ۚ وَعِثْرَتِهِ الْمُكْرَمِينَ الْمُعْظَمِينَ ۚ وَأَوْلِيَاءِ
مِلَّتِهِ الْكَامِلِينَ الْعَارِفِينَ ۚ وَعُلَمَاءِ أُمَّتِهِ الرَّاشِدِينَ الْمُرْشِدِينَ ۚ وَ

عَلَيْنَا مَعَهُمْ وَبِهِمْ وَلَهُمْ وَفِيهِمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ
 أَكْبَرُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۝ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا
 إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ ۝ أَمَّا بَعْدُ ۝ فَيَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ ۝ رَحِمْنَا وَرَحِمَكُمْ اللَّهُ تَعَالَى ۝
 اَعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَكُمْ هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ ۝ قَالَ شَفِيعُ الْمُذْنِبِينَ رَسُولُ رَبِّ
 الْعَالَمِينَ مُحَمَّدٌ ۝ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ مَا عَمِلَ ابْنُ آدَمَ مِنْ عَمَلٍ
 يَوْمَ النَّحْرِ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ مِنْ إِهْرَاقِ الدَّمِ ۝ وَإِنَّهُ لَيَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 بِقُرُونِهَا وَأَشْعَارِهَا وَأَظْلَافِهَا ۝ وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى بِمَكَانٍ
 قَبْلَ أَنْ يَقَعَ بِالْأَرْضِ ۝ فَطَيَّبُوا بِهَا نَفْسًا ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ ۝ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۝ اللَّهُ أَكْبَرُ ۝ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۝ أَلَا وَإِنَّ نَبِيَّكُمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۝ قَدْ أَوْجَبَ عَلَى كُلِّ مَنْ يَمْلِكُ النَّصَابَ فَاضِلًا عَنْ حَوَائِجِهِ
 الْأَصْلِيَّةِ ۝ فِي هَذَا الْيَوْمِ أَنْ يَنْحَرَ الْأُضْحِيَّةَ ۝ وَوَقْتُهَا بَعْدَ صَلَاةِ الْعِيدِ
 الْأَضْحَى لِلْبَلَدِيِّ ۝ وَلِلْأَعْرَابِيِّ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ هَذَا الْيَوْمِ ۝ فَإِنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَسِّنُوا ضَحَايَاكُمْ فَإِنَّهَا عَلَى الصِّرَاطِ
 مَطَايَاكُمْ ۖ وَكَبِّرُوا عَقِيبَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ مِنْ فُجْرِ الْعَرَفَةِ إِلَى
 عَصْرِ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ۖ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ
 ﴿وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا ۖ إِنَّكَ أَنْتَ
 السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ ۙ ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ
 أَكْبَرُ ۖ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۖ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ۖ أَلْبِرُّ لَا يَبْلَى
 وَالذَّنْبُ لَا يُنْسَى ۖ وَالذِّيَانُ لَا يَمُوتُ ۖ اِعْمَلْ مَا شِئْتَ كَمَا تَدِينُ تَدَانُ ۖ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۖ ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ ۙ
 وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۙ ﴿اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا
 اللَّهُ ۖ وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۖ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ
 الْعَظِيمِ ۖ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ ۖ إِنَّهُ تَعَالَى مَلِكُ
 كَرِيمٍ ۖ جَوَادٌ بَرٌّ رَعُوفٌ رَحِيمٌ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَاللَّهُ أَكْبَرُ ۖ اللَّهُ أَكْبَرُ ۖ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ۖ

खुत्बए जुमअतुल वदाअ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۝
 وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ۝ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
 فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّه فَلَا هَادِيَ لَهُ ۝ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۝ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ
 وَرَسُولُهُ ۝ وَهُوَ حَبِيبُ الرَّحْمَنِ ۝ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ۝ وَ
 عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ ۝ وَ عَلَى كُلِّ مَلَأِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ ۝ وَ
 عَلَى عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ ۝ صَلَوةً مَأْتِحِبٌ وَتَرْضَى يَا رَحْمَنُ ۝ أَمَّا بَعْدُ !
 فَيَا أَيُّهَا الثَّقَلَانِ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجَانِّ قَدْ مَضَى أَكْثَرُ شَهْرِ
 رَمَضَانَ ۝ وَمَا بَقِيَ مِنْهُ إِلَّا قَلِيلُ الزَّمَانِ ۝ شَهْرُ الرَّحْمَةِ وَالْغُفْرَانِ ۝
 فَالْوَدَاعُ وَالْوَدَاعُ لَشَهْرِ رَمَضَانَ ۝ شَهْرٌ فِيهِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ وَمَا أَذْرَبَكَ مَا
 لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝ وَأَفْضَلُ أَجْزَاءِ
 الزَّمَانِ ۝ مَنْ قَامَ فِيهَا إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا فَازَ بِالرُّوحِ وَالرَّيْحَانِ ۝
 الْفِرَاقُ وَالْفِرَاقُ لَشَهْرِ رَمَضَانَ ۝ شَهْرُ التَّسَابِيحِ وَالتَّرَاوِيحِ وَتِلَاوَةِ

الْقُرْآنُ ۚ الْوَدَاعُ ۚ الْوَدَاعُ لَشَهْرِ رَمَضَانَ ۚ شَهْرُ أَنْزَلَ فِيهِ الْقُرْآنُ
هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۚ الْوَدَاعُ ۚ الْوَدَاعُ لَشَهْرِ
رَمَضَانَ ۚ فَيَا أَيُّهَا الْإِخْوَانِ وَالْخُلَّانِ ۚ تَوَبُّوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ ﴿١﴾ وَلَيْسَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ
جَنَّاتٍ ۚ ﴿٢﴾ فَيَا أَيُّهَا الرِّبَاكِتُ كَذِّبْنِ ﴿٣﴾ ﴿٤﴾ وَنَفَعْنَا وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ
الْحَكِيمِ ۚ إِنَّهُ تَعَالَىٰ جَوَادٌ كَرِيمٌ مَّلِكٌ بَرٌّ رَّعُوفٌ رَّحِيمٌ ۚ

खुत्बए निकाह

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ ۚ
وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا ۚ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ ۚ وَمَنْ يَضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۚ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ۚ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ۚ أَعُوذُ بِاللَّهِ
مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ۚ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ ﴿١﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ

مِنْهُمْ رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ ﴿١٠١﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ
 وَلَا تَتَوَتَّنَ إِلَّا وَانْتُمْ مُسْلِمُونَ ۝ ﴿١٠٢﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا
 سَدِيدًا ۝ يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۚ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ
 فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝﴾

मुनाफ़िक़ की अलामात

हुज़ूर नबिय्ये पाक ﷺ ने इर्शाद फ़रमाया : चार बातें ऐसी हैं कि जिस में पाई जाए वोह ख़ालिस मुनाफ़िक़ है अगर्चे नमाज़ पढ़े, रोज़ा रखे और खुद को मुसलमान समझे और जिस में इन में से एक ख़स्लत पाई जाए तो उस में निफ़ाक़ का एक शो'बा मौजूद है यहां तक कि उसे छोड़ दे : (1)... बात करे तो झूट बोले, (2)... वा'दा करे तो पूरा न करे, (3)... अमानत दी जाए तो ख़ियानत करे और (4)... झगड़ा करे तो गाली दे ।

(بخاری، کتاب الایمان، باب علامة المنافق، ۱/۲۴، حدیث: ۳۴-مسلم، کتاب الایمان، باب بیان خصال المنافق، ص ۵۱، حدیث: ۱۱۰)

इल्म से महरूम रहने वाले

हुज़रते सय्यिदुना अबुल अलिया رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : दो किस्म के लोग इल्म से महरूम रहते हैं : (1)... हुसूले इल्म में हया करने वाला और (2)... मुतकब्बिर ।

(حلیة الاولیاء، ۲/۲۵۱، رقم: ۲۱۲۰)



तफ्सीली फ़ेहरिस्त

मौजूअ	सफ़हा	मौजूअ	सफ़हा
किताब पढ़ने की नियतें	4	अक़ीदए ख़तमे नुबुव्वत की मुख़्तसर वज़ाहत	43
इज्माली फ़ेहरिस्त	5	ख़ातमुन्नबिय्यीन का दुरुस्त मा'ना	44
अल मदीनतुल इल्मिय्या का तआरुफ़	9	ख़ातमुन्नबिय्यीन के पांच कुफ़्रिय्या मअ़ानी	44
पुर सुकून ज़िन्दगी गुज़ारने का नुस्खा हाज़िर है	10	सबक़ नम्बर : 6 मो'जिज़ात का बयान	44
मुअल्लिम, उस्ताद इस किताब को ऐसे पढ़ाए	16	सबक़ नम्बर : 7 नूरानिय्यत व बशरिय्यते मुस्तफ़ा	47
पहला बाब : इस्लामी अक़ीदे		सबक़ नम्बर : 8 हाज़िरो नाज़िर होने का बयान	51
ता'रीफ़ात	19	सबक़ नम्बर : 9 इल्मे ग़ैबे मुस्तफ़ा	54
ईमान की ता'रीफ़	19	सबक़ नम्बर : 10 शफ़ाअते मुस्तफ़ा का बयान	60
ज़रूरिय्याते दीन	19	सबक़ नम्बर : 11 इख़्तियाराते मुस्तफ़ा का बयान	64
कुफ़्र की ता'रीफ़	19	सबक़ नम्बर : 12 अख़्लाके मुस्तफ़ा का बयान	67
शिरक़ की ता'रीफ़	20	सबक़ नम्बर : 13 वालिदैने मुस्तफ़ा का बयान	69
वली की ता'रीफ़	20	सबक़ नम्बर : 14 तआरुफ़ व फ़ज़ाइल अज़ाजे मुतहहरात	73
मो'जिज़ा	20	सबक़ नम्बर : 15 अहले बैते अत्हार का बयान	77
इरहास	20	हुज़ूर के शहज़ादे और शहज़ादियां	78
करामत	20	हज़रते क़ासिम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	79
इस्तिदराज	20	हज़रते अब्दुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	79
सबक़ नम्बर : 1 तौहीदे इलाही का बयान	21	हज़रते इब्राहीम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	80
तौहीदे इलाही कुरआन की रोशनी में	21	हज़रते ज़ैनब رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	81
सबक़ नम्बर : 2 ज़ात व सिफ़ात का बयान	26	हज़रते रुक़य्या رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	82
सबक़ नम्बर : 3 शिरक़ का बयान	32	हज़रते उम्मे कुल्सूम رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	82
शिरक़ अहादीस की रोशनी में	33	हज़रते फ़ातिमा ज़ह्रा رَضِيَ اللهُ عَنْهَا	83
सबक़ नम्बर : 4 नुबुव्वत का बयान	34	इमामे हसन رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	86
सबक़ नम्बर : 5 इमामुल अम्बिया हज़रते मुहम्मदे मुस्तफ़ा	41	इमामे हुसैन رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	87
तीस कज़़ाब	43	सबक़ नम्बर : 16 खुलफ़ाए राशिदीन	89

पहले खलीफ़ा हज़रते अबू बक्र सिद्दीक़	90	कलिमाते कुफ़्रिय्या का बयान	147
दूसरे खलीफ़ा हज़रते उमर फ़ारूक़े आ'ज़म	91	ईमान व इस्लाम से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	153
तीसरे खलीफ़ा हज़रत उस्माने ग़नी	92	अल्लाह पाक की जाते मुबारका से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	153
चौथे खलीफ़ा हज़रत अलिय्युल मुर्तजा शेरे खुदा	93	अम्बियाए किराम से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	159
सबक़ नम्बर : 17 इमामते कुब्रा का बयान	94	सहाबए किराम से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	160
सबक़ नम्बर : 18 अशरए मुबशशरा और दीगर सहाबए किराम का बयान	95	फ़रिश्तों से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	160
सबक़ नम्बर : 19 मुशाजराते सहाबा का बयान	97	नमाज़, अज़ान, रोज़ा वगैरा से मुतअल्लिक़ कुफ़्रिय्या कलिमात	161
हज़रते अबू सुफ़यान का मुख़्तसर तअरारुफ़	103	अफ़अले कुफ़्रिय्या का बयान	162
हज़रत अमीरे मुआविया का मुख़्तसर तअरारुफ़	103	सबक़ नम्बर : 33 औलियाउल्लाह का बयान	163
सबक़ नम्बर : 20 कुरआने मुबीन का बयान	105	दूसरा बाब : मा'मूलाते अहले सुन्नत	
सबक़ नम्बर : 21 मलाएका का बयान	106	सबक़ नम्बर : 1 या रसूलुल्लाह व या नबीय्युल्लाह कहने का बयान	168
सबक़ नम्बर : 22 जिन्नात का बयान	109	अह़ादीसे मुबारका से सुबूत	168
सबक़ नम्बर : 23 तक्दीर का बयान	112	दूर से देखने और सुनने के वाकिआत	173
तक्दीर का सुबूत	113	सबक़ नम्बर : 2 ग़ैरुल्लाह से मदद मांगने का बयान	176
सबक़ नम्बर : 24 मौत और क़ब्र का बयान	115	सबक़ नम्बर : 3 वसीला बनाने का बयान	178
सबक़ नम्बर : 25 क़ियामत और इस की निशानियों का बयान	121	वसीले के बारे में 3 अह़ादीसे मुबारका	178
सबक़ नम्बर : 26 हि़साब का बयान	128	इमामे आ'ज़म का अमल	181
सबक़ नम्बर : 27 पुल सिरात का बयान	129	इमामे शाफ़ेई का अमल	181
सबक़ नम्बर : 28 हौज़े कौसर का बयान	130	सबक़ नम्बर : 4 ईसाले सवाब	182
सबक़ नम्बर : 29 जन्नत का बयान	131	ईसाले सवाब के मुतअल्लिक़ 3 अह़ादीसे मुबारका	182
सबक़ नम्बर : 30 दोज़ख़ का बयान	134	फ़ातिहा व ईसाले सवाब का तरीक़ा	186
सबक़ नम्बर : 31 ईमान का बयान	137	ईसाले सवाब के लिये दुआ का तरीक़ा	186
सबक़ नम्बर : 32 कुफ़्रिय्या कलिमात व अहक़ामे मुतद का बयान	141	सबक़ नम्बर : 5 किसी बुजुर्ग का उर्स मनाना	187
मुतद की ता'रीफ़ और चन्द मख़सूस अहक़ाम	142	सबक़ नम्बर : 6 पुख़्ता मज़ार और कुब्बा बनाना	189
मुतद से मुतअल्लिक़ चन्द फ़िक्ही अहक़ाम	145	सबक़ नम्बर : 7 मज़ारात पर फूल चादर डालना	190
वोह सूरतें जो कुफ़्रिय्या नहीं हैं	147	सबक़ नम्बर : 8 ज़ियारते कुबूर	191

सबक़ नम्बर : 9 नज़्रो नियाज़	193	साबिका मुर्शिद से तज्दीदे बैअत	233
सबक़ नम्बर : 10 तबर्कुकात की ता'ज़ीम	194	दूसरों को अपने पीर की बैअत की तरगीब दिलाना कैसा ?	233
सबक़ नम्बर : 11 अज़ानो इक़ामत से क़ब्ल दुरुदे पाक पढ़ना	197	मुरीद होते हुए किसी दूसरे पीर का मुरीद होना	234
सबक़ नम्बर : 12 अंगूठे चूमना	198	पीरो मुर्शिद से फ़ैज़ हासिल करने का तरीक़ा	235
सबक़ नम्बर : 13 क़ब्र पर अज़ान	200	मुरीद और तालिब में फ़र्क़	236
सबक़ नम्बर : 14 बड़ी रातों में इबादत	201	स्पीकर पर बैअत का शर्ई हुक्म	236
लैलतुल क़द्र के फ़ज़ाइल	203	मुरीद होने के लिये हाथों में हाथ देना शर्त नहीं	237
सबक़ नम्बर : 15 मे'राजे मुस्तफ़ा	206	वकील के ज़रीए बैअत	237
सबक़ नम्बर : 16 मीलाद शरीफ़ मनाना	210	तीसरा बाब : इबादात	
मीलाद अहादीस की रोशनी में	210	सबक़ नम्बर : 1 तह़ारत का बयान	240
जश्ने विलादत मनाने का हुक्म	213	सबक़ नम्बर : 2 नजासतों का बयान	243
सबक़ नम्बर : 17 बिद्अत	219	नजासत की अक्साम व अहक़ाम	243
बिद्अते हसना	220	सबक़ नम्बर : 3 हैज़ का बयान	247
बिद्अते सय्यिआ	221	सबक़ नम्बर : 4 इस्तिहाज़ा का बयान	249
बिद्अते मुबाहा	221	इस्तिहाज़ा के अहक़ाम	250
सबक़ नम्बर : 18 तक्लीद की ज़रूरत व अहमिय्यत	222	हैज़ की कम अज़ कम और इन्तिहाई उम्र	250
अहक़ाम की अक्साम	222	सबक़ नम्बर : 5 निफ़ास का बयान	251
अहक़ामे शरइय्या और इस की किस्में	222	निफ़ास के मुतअल्लिक़ कुछ ज़रूरी मसाइल	252
अहादीसे मुबारका से दलाइल	223	हैज़ व निफ़ास के 21 अहक़ाम	253
तक्लीद अक्वाले आइम्मा की रोशनी में	224	हैज़ व निफ़ास की हालत में मुअल्लिमा कुरआन कैसे पढ़ाए ?	257
सबक़ नम्बर : 19 पीरी मुरीदी की शर्ई हैसिय्यत	227	हैज़ की हालत में औरत कुरआन की तिलावत सुन सकती है ?	258
अहादीसे मुबारका में बैअत का ज़िक़्र	229	वक्ते नमाज़ शुरू होने के बाद अगर औरत को हैज़ आ जाए ?	258
बैअत होने के फ़वाइदो बरकात	230	औरत के मख़सूस अय्याम में फ़र्ज़ तवाफ़ का हुक्म	258
मुरीद होने का मक्सद	231	क्या औरत हज़ व उमह के लिये हैज़ रोकने वाली गोलियां खा सकती है ?	259
मुर्शिदे कामिल के लिये चार शराइत	232	हालते हैज़ में सई का हुक्म	259
ख़त या टेलीफ़ोन के ज़रीए बैअत	233	सबक़ नम्बर : 6 इस्तिन्जा का बयान	260

इस्तिन्जा के ढेलों के अहकाम	262	सबक नम्बर : 10 अज़ान व इक़ामत का बयान	286
इस्तिन्जा ख़ाने का रुख़ दुरुस्त रखिये	263	अज़ान अज़ाबे इलाही से अमान है	287
रफ़ू हाज़त के लिये बैठने का तरीक़ा	264	अंगूठे चूम कर आंखों से लगाना	290
बाएं पाउं पर वज़ डालने की हिक्मत	264	अज़ान व इक़ामत और इन के जवाब के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहकाम	291
सबक नम्बर : 7 वुजू का बयान	264	अज़ान व इक़ामत से बे परवाई के नुक्सानात	292
वुजू का अमली तरीक़ा	265	सबक नम्बर : 11 वक़्त पर नमाज़ पढ़ने का बयान	293
वुजू की सुन्नतें	267	नमाज़ मुसल्मानों पर वक़्त बांधा हुवा फ़र्ज़ है	293
वुजू तोड़ने वाली चीज़ें	267	वक़्त पर नमाज़ पढ़ना पसन्दीदा अमल है	293
मुतफ़रिक् मसाइल	268	वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ मुख़्तलिफ़ अहकाम	294
नमाज़ जनाज़ा के वुजू से दीगर नमाज़ें पढ़ सकते हैं ?	269	अवकाते नमाज़ मा'लूम करने का एक आसान ज़रीआ	295
मिस्वाक के तिब्बी फ़वाइद	272	वक़्त पर नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात	296
औरतें सर का मस्ह किस तरह करेंगी ?	272	वक़्त पर नमाज़ न पढ़ने के नुक्सानात	297
नाखुन पोलिश लगाने और आर्टिफ़िशल ज्वेलरी पहन कर नमाज़ पढ़ने का हुक्म	273	सबक नम्बर : 12 नमाज़ का बयान	297
क्या औरत का सर नंगा होने से वुजू टूट जाता है ?	274	नमाज़ की अहम्मियत पर दो अहादीसे मुबारका	297
वुजू के बा'द की दुआएं	274	नमाज़ पढ़ने के फ़वाइद	297
सबक नम्बर : 8 गुस्ल का बयान	274	नमाज़ न पढ़ने के नुक्सानात	298
2 फ़रामीने मुस्तफ़ा	275	कलामे अमीरे अहले सुन्नत وَأَمَّا بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ	299
गुस्ल के फ़राइज़	275	सबक नम्बर : 13 नमाज़ की शराइत्	300
गुस्ल का तरीक़ा	276	मुतफ़रिक् मसाइल	302
गुस्ल फ़र्ज़ करने वाली चीज़ें	277	मक्क़ह अवकात	304
मुतफ़रिक् मसाइल	278	क्या औरत स्कर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ सकती है ?	305
सबक नम्बर : 9 तयम्मूम का बयान	280	नमाज़ में औरत के बाल नज़र आ रहे हों तो ?	305
तयम्मूम का तरीक़ा	280	क्या औरत अंधेरे में नंगे सर नमाज़ पढ़ सकती है ?	306
तयम्मूम के फ़राइज़ और इस की सुन्नतें	281	औरत का जूड़ा बांध कर नमाज़ पढ़ना	307
मुतफ़रिक् मसाइल	283	औरत का दूध कपड़ों पर लग जाए तो	307
मा'जूर का तयम्मूम करना और बा'दे सिहहत उन नमाज़ों का इआदा करना	286	सबक नम्बर : 14 नमाज़ के फ़राइज़	308

मुतफ़रिक् मसाइल	309	क़ियाम की 7 अहम बातें	331
रफ़ू यदैन	314	रुकूअ की 5 अहम बातें	332
इमाम के पीछे नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा	315	क़ौमा की 2 अहम बातें	332
तक्बीरे तहरीमा की 4 अहम बातें	315	सज्दे की 7 अहम बातें	333
क़ियाम की 2 अहम बातें	316	जल्से की 5 अहम बातें	333
रुकूअ की 2 अहम बातें	316	दूसरी रक्अत के लिये उठने की 2 अहम बातें	333
सज्दे की 2 अहम बातें	317	का'दे की 3 अहम बातें	334
जल्से की 2 अहम बातें	317	का'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें	334
दूसरे सज्दे की 2 अहम बातें	317	सलाम फेरने की 2 अहम बातें	334
दूसरी रक्अत के लिये उठने की 1 अहम बात	317	नमाज़ की रक्अतों की ता'दाद	335
दूसरी रक्अत के दूसरे सज्दे के बा'द का'दे की 2 अहम बातें	317	5 नमाज़ों की रक्अतों की तफ्सील	335
का'दए अख़ीरा की 4 अहम बातें	318	इस्लामी बहनों की नमाज़ का तरीक़ा (हन्फ़ी)	336
सलाम फेरने की 2 अहम बातें	318	क़ियाम की 6 अहम बातें	336
पहली रक्अत के बा'द शामिल होने वाला बक़िया नमाज़ किस तरह पढ़े ?	318	रुकूअ की 2 अहम बातें	336
का'दए अख़ीरा में शामिल होने से पहले इमाम ने सलाम फेर दिया तो नमाज़ी क्या करे ?	319	क़ौमा की 2 अहम बातें	337
सबक़ नम्बर : 15 सुतरा के मसाइल	320	सज्दे से उठने की 3 अहम बातें	337
सबक़ नम्बर : 16 नमाज़ के वाजिबात	321	दूसरे सज्दे में जाने और वापस खड़े होने की 2 अहम बातें	337
सज्दए सहव का तरीक़ा	323	दूसरी रक्अत की 1 अहम बात	338
मुतफ़रिक् मसाइल	323	का'दे की 2 अहम बातें	338
नमाज़ के मकरूहात	326	औरतों और मर्दों की नमाज़ में फ़र्क़	339
मुतफ़रिक् मसाइल	328	नमाज़े वित्र का तरीक़ा	340
शलवार के साथ शर्ट पहन कर नमाज़ पढ़ना कैसा ?	329	7 मदनी फूल	341
नमाज़ तोड़ने वाली चीज़ें	330	मुतफ़रिक् मसाइल	341
मुतफ़रिक् मसाइल	330	सबक़ नम्बर : 18 जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का बयान	346
सबक़ नम्बर : 17 नमाज़ का अमली तरीक़ा	331	कुरआने मजीद में बा जमाअत नमाज़ का हुक्म	346
तक्बीरे तहरीमा की 5 अहम बातें	331	पांच नमाज़ों की जमाअत की अज़ीमुशान फ़ज़ीलत	346

जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने का मतलब	347	तरावीह की 20 रकअत एक सलाम के साथ	367
जमाअत के साथ नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ मुख़लिफ़ अहक़ाम	347	हाफ़िज़ सज्दए तिलावत बताना भूल जाए तो ?	368
बा जमाअत नमाज़ से नेक बन्दों की महबूबत	347	सबक़ नम्बर : 23 शबीना पढ़ने के मसाइल	368
जमाअत के साथ नमाज़ न पढ़ने के नुक़सानात	349	शबीना की शर्ई हैसियत	368
सबक़ नम्बर : 19 पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने का बयान	350	शबीना पढ़ना सालेह मुसलमानों का दस्तूर है	369
पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के मुतअल्लिक़ अहक़ाम	351	मुख़व्वाजा शबीना	370
पहली सफ़ में नमाज़ पढ़ने के फ़ाएदे और सवाबात	351	सबक़ नम्बर : 24 सुन्नतें और नवाफ़िल	370
सफ़े अव्वल से ग़फ़लत बरतने का नुक़सान	352	सबक़ नम्बर : 25 सूरज गहन और चांद गहन की नमाज़	376
सबक़ नम्बर : 20 सफ़ें दुरुस्त करने का बयान	352	हदीसे पाक में गहन की नमाज़ की तरगीब	376
सफ़ें दुरुस्त करने के मुतअल्लिक़ मुख़लिफ़ अहक़ाम	353	सूरज गहन की नमाज़ का वक़्त	376
सफ़ें दुरुस्त करने के फ़ाएदे और सवाबात	353	हमें क्या करना चाहिये ?	377
सफ़ें दुरुस्त न करने के नुक़सानात	354	सबक़ नम्बर : 26 मसाइले इमामत का बयान	377
सुतूनों के दरमियान सफ़ बनाना	355	इमामत की शराइत् येह हैं	378
बच्चों को सफ़ में कहाँ खड़ा करें ?	355	एक पाउं से मजबूर लंगड़े की इमामत	380
सबक़ नम्बर : 21 नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल	356	कानों तक हाथ न उठा सकने वाले की इमामत का हुक्म	381
नमाज़ में लुक़्मे से मुतअल्लिक़ अहक़ाम	356	चांदी की एक से ज़ाइद अंगूठी/छल्ले पहनने वाले की इमामत	381
सबक़ नम्बर : 22 तरावीह	360	इमाम सज्दे में सिर्फ़ एक उंगली लगाए तो इमामत का हुक्म	382
तरावीह की रकअतें	360	क्या इमामत की निय्यत करना ज़रूरी है ?	383
तरावीह का अज़ीम फ़ाएदा	361	नमाज़ में इमाम का वुजू टूट जाए तो क्या हुक्म है ?	383
तरावीह पढ़ने, पढ़ाने वाले इन बातों का लिहाज़ रखें	361	इमाम बनने के लिये ज़रूरी चीज़ें	385
तरावीह के इवज़ रक़म, मिठाई, ग़ल्ले वग़ैरा का		कबीरा गुनाह से तौबा करने वाले की इमामत का हुक्म	385
तै कर के या बिग़ैर तै किये लेनदेन	363	गुनाहे कबीरा की तोहमत लगने पर उस की इमामत का हुक्म	386
नमाज़ तरावीह की हिफ़ाज़त की फ़िक्क़ कीजिये	364	बद मज़हबों से मेलजोल रखने वाले की इमामत का हुक्म	386
मुतफ़र्रिक़ मसाइल	364	मां को तक्लीफ़ देने वाले की इमामत का हुक्म	386
ख़त्मे कुरआन में सूरए बक़रह की इब्तिदाई		वालिदैन् नाराज़ हों तो इमामत का हुक्म	387
पांच आयात पढ़ने की हिक्मत	366	इमाम का ग़ैर मुअय्यन नमाज़ी की रिआयत करना	388

इमाम और मुक्तदी की आपस में कदूरत की बिना पर इमामत का हुक्म	388	इमाम साहिब का अहले अ़लाका और मस्जिद इन्तिज़ामिया के साथ अन्दाज़	405
अपने अ़काइद ज़ाहिर न करने वाले की इमामत का हुक्म	389	नमाज़ियों के दुख सुख में शिर्कत	406
दाढ़ी काटने या तरशवाने वाले की इमामत का हुक्म	390	सबक़ नम्बर : 28 क़ज़ा नमाज़ें	407
16 सालह अम्द की इमामत का हुक्म	390	सबक़ नम्बर : 29 मुसाफ़िर की नमाज़	411
दुकानदार आदमी की इमामत का हुक्म	392	निय्यते इक़ामत सहीह होने की शराइत	413
शराइते इज़्तिदा	394	वतने इक़ामत की ता'रीफ़	413
सबक़ नम्बर : 27 इमामे मस्जिद को कैसा होना चाहिये ?	395	सबक़ नम्बर : 30 सज्दए तिलावत, सज्दए शुक्र	414
किरदार व गुफ़्तार	395	आयते सज्दा पढ़ कर सज्दा करने की फ़ज़ीलत	414
मुक्तदियों की इस्लाह का अन्दाज़	395	सज्दए तिलावत का तरीक़ा	414
तक्वा व परहेज़ ग़ारी	396	बे वुजू सज्दए शुक्र करना कैसा ?	418
ख़िलाफ़े शरीअत कामों से इज़्तिनाब	397	सबक़ नम्बर : 31 जुमुआ का बयान	419
ख़िलाफ़े मुरव्वत कामों से इज़्तिनाब	397	जुमुआ के मा'ना	419
लेनदेन में मोहताज़	398	नमाज़े जुमुआ अदा करने की फ़ज़ीलत	420
अहले ख़ाना की तरबियत	398	जुमुआ किस पर वाजिब है ?	420
रहन सहन और लिबास	398	जुमुआ की नमाज़ से पहले ज़ोहर पढ़ना कैसा है ?	421
हत्तल इम्कान सुवाल से इज़्तिनाब	399	खुत्बा सुनने के आदाब	422
सोशल मीडिया से इज़्तिनाब	399	दौराने खुत्बा दुरूदे पाक पढ़ना कैसा ?	422
आंखों की हिफ़ाज़त	399	किस पर जुमुआ फ़र्ज़ नहीं ?	423
दर्स व बयान	400	जुमुआ के लिये जाते हुए ख़रीदो फ़रोख़्त	423
मसाइल बताने का अन्दाज़	400	सबक़ नम्बर : 32 ईदैन	425
सियासी व इज़्तिलाफ़ी बातों से इज़्तिनाब	401	नमाज़े ईद की निय्यत	426
इमाम को एहसासे बरतरी का शिकार नहीं होना चाहिये	401	ईदैन की नमाज़ का तरीक़ा	426
मस्जिद की आबाद कारी में इमाम का किरदार	402	नमाज़े ईद में ज़ाइद तक्बीरें	427
इमामे मस्जिद का नमाज़ पढ़ाने में अन्दाज़	403	नमाज़े ईद दूसरे दिन पढ़ने का हुक्म	429
नमाज़ में तख़फ़ीफ़ से मुराद	404	तक्बीरे तशरीक़ और इस का हुक्म	429
लम्बी नमाज़ पढ़ाने पर इज़्हारे नाराज़ी	404	सबक़ नम्बर : 33 बीमारी और इलाज	431

मिर्गी से हिफ़ाज़त का अमल	432	दुरूदे इब्राहीम	447
खुद डॉक्टर न होने के बा वुजूद क्लीनिक खोलना या इलाज करना	432	बालिग़ मर्द व औरत के जनाज़े की दुआ	449
सबक़ नम्बर : 34 इयादत और मौत	433	ना बालिग़ लड़के के जनाज़े की दुआ	449
किसी की हालते नज़्अ देख कर करने वाले काम	435	ना बालिगा लड़की के जनाज़े की दुआ	449
सबक़ नम्बर : 35 मय्यित के गुस्ल का बयान	436	मुतफ़र्रिक् मसाइल	449
मय्यित नहलाने की फ़ज़ीलत	436	नमाज़े जनाज़ा में चौथी तकबीर के बा'द हाथ छोड़ना	449
गुस्ले मय्यित का तरीका	437	ना महरम औरत के जनाज़े को	
इस्लामी बहन के गुस्ले मय्यित का तरीका	437	कन्हा देने का क्या हुक्म है ?	450
नहलाने वाले के लिये मदनी फूल	438	क्या औरतें नमाज़े जनाज़ा पढ़ सकती हैं ?	450
सबक़ नम्बर : 36 कफ़न पहनाने का बयान	440	जनाज़ा पढ़ कर दुआ कीजिये	451
तज्हीज़ो तक्फ़ीन की फ़ज़ीलत	440	वोह लोग जिन की नमाज़े जनाज़ा पढ़ना मन्अ है	453
कफ़न के दरजे	441	नमाज़े जनाज़ा दूसरी बार पढ़ना कैसा ?	454
कफ़ने ज़रूरत	441	सबक़ नम्बर : 38 क़ब्र व दफ़न का बयान	455
कफ़ने किफ़ायत	441	तदफ़ीन में शिर्कत की फ़ज़ीलत	455
कफ़ने सुन्नत	443	क़ब्र की किस्में	456
बच्चों का कफ़न	443	लहद	456
कफ़न के कपड़ों की तफ़्सील	443	शक़	456
मर्द को कफ़न पहनाने का तरीका	444	तदफ़ीन का तरीका	456
औरत को कफ़न पहनाने का तरीका	444	क्या एक ही क़ब्र में मुतअहद मुर्दों को दफ़न कर सकते हैं ?	458
अपनी ज़िन्दगी में अपने कफ़न की वसियत करना	445	मिट्टी डालने का तरीका	459
सबक़ नम्बर : 37 नमाज़े जनाज़ा	446	सबक़ नम्बर : 39 बा'दे तदफ़ीन तल्कीन का बयान	462
नमाज़े जनाज़ा पढ़ने की फ़ज़ीलत	446	मुतफ़र्रिक् मसाइल	464
नमाज़े जनाज़ा का शर्ई हुक्म	446	क़रीबी रिश्तेदारों का मय्यित के घर रुकना	464
नमाज़े जनाज़ा के अरकान और सुन्नतें	446	मय्यित को सर्दख़ाने में रखना	465
नमाज़े जनाज़ा का तरीका (हनफ़ी)	447	सबक़ नम्बर : 40 ज़कात का बयान	467
सना	447	ज़कात की अहमियत पर दो फ़रामीने मुस्त्फ़ा	467

जकात देने के फ़ाएदे और सवाबात	467	हज न करने के नुक्सानात	507
जकात न देने की वर्इदात व नुक्सानात	468	पहले फ़र्ज हज करें या बेटी की शादी ?	507
जकात न देने के दर्दनाक अज़ाबात का खुलासा	469	औरत का बिगैर मह्रम के हज व उम्रह पर जाना कैसा ?	511
जानवरों की जकात से मुतअल्लिक ज़रूरी सुवाल व जवाब	475	तवाफ़ या सई के दौरान कुछ देर आराम करना कैसा ?	512
सबक नम्बर : 41 सदक़े का बयान	479	मिना में पांच नमाज़ें और हज से क़बूल वुकूफ़ का हुक्म	513
सबक नम्बर : 42 रोज़े का बयान	487	हालते एह्राम में कपड़े या टिशू पेपर से नाक साफ़ करना कैसा ?	514
रोज़ा बहुत क़दीम इबादत है	488	औरत का हज व उम्रह के लिये एह्राम (खुसूसी स्कार्फ़) लेना कैसा ?	514
अहादीसे मुबारका में रोज़े की फ़ज़ीलत	488	सबक नम्बर : 45 उम्रह का बयान	515
रोज़े के 5 उख़वी फ़वाइद	489	उम्रह की फ़ज़ीलत	515
रोज़ा न रखने के 2 उख़वी नुक्सानात	489	सबक नम्बर : 46 ज़ब्द और कुरबानी का बयान	516
रोज़ा रखने के तिब्बी फ़वाइद	489	कुरबानी के दिन का सब से प्यारा अमल	516
रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें	492	कुरबानी करने के फ़ाएदे और सवाबात	517
ए'तिकाफ़ का बयान	498	कुरबानी न करने के नुक्सानात	517
सबक नम्बर : 43 सदक़ए फ़ित्र का बयान	499	मुतफ़रिक् मसाइल	518
सदक़ए फ़ित्र की अहमिय्यत व फ़ज़ीलत पर तीन फ़रामाने मुस्तफ़ा	499	साबिका कुरबानी की रक़म सदक़ा करना/कुरबानी की रक़म का हीला करना	519
सदक़ए फ़ित्र के मुतअल्लिक अहम बातें	499	चार अप्पाद का बराबर रक़म मिला कर जानवर कुरबान करना कैसा ?	520
सदक़ए फ़ित्र की मिक्दार	502	कुरबानी के जानवर में अक़ीके का हिस्सा शामिल करना	520
सबक नम्बर : 44 हज का बयान	502	जानवर ज़ब्द करते वक़्त तक्बीर भूल जाए तो गोश्त का क्या हुक्म है ?	521
सब से अफ़ज़ल अमल	503	बिगैर दांत वाली भेंस की कुरबानी	521
हज फ़र्ज होने के लिये जादे राह की मिक्दार	503	जिस जानवर के सींग निकाल दिये गए हों उस की कुरबानी	522
हज वाजिब होने की शराइत्	503	चौथा बाब : मुआमलात	
हज किसे कहते हैं ?	504	सबक नम्बर : 1 निकाह का बयान	524
हज की अक्साम	504	कुरआन में निकाह की अहमिय्यत	524
हज का मुख़्तसर तरीका	505	आयत की तफ़्सीर	524
हज के मुतअल्लिक मुख़्तलिफ़ अहक़ाम	506	हदीस में निकाह की अहमिय्यत	525
हज करने के फ़ाएदे और सवाबात	506	निकाह की ता'रीफ़	525

निकाह की शराइत	526	कुफू में किन उमूर का ए'तिबार है ?	533
निकाह का हुक्म	526	सबक़ नम्बर : 5 हक़ महर का बयान	533
निकाह के मुस्तहब्बात	527	कुरआन में हक़ महर की अहम्मियत	533
निकाह के अल्फ़ाज़	527	हक़ महर की ता'रीफ़	534
निकाह के रुक़	527	हक़ महर की मिक्दार	534
चन्द अहम अहक़ाम	528	हक़ महर की अक़्साम	534
सबक़ नम्बर : 2 जिन औरतों से निकाह हराम है	529	सबक़ नम्बर : 6 वलीमे का बयान	535
कुरआन में मुहर्रमात से निकाह न करने की अहम्मियत	529	हदीस में वलीमे की अहम्मियत	535
मुहर्रमात ख़वातीन	529	वलीमे की ता'रीफ़ व हुक्म	535
हुर्मते नसब	529	चन्द अहम अहक़ाम	535
हुर्मते मुसाहरत या'नी सुसराली रिश्ते	530	सबक़ नम्बर : 7 त़लाक़ का बयान	536
वोह औरतें जो निकाह में जम्अ नहीं हो सकतीं	530	त़लाक़ के बारे में आयत	536
हुर्मते मिल्क	530	आयत की तफ़्सीर	536
हुर्मते शिर्क	530	त़लाक़ के बारे में अहदीस	536
हुर्मते मिल्क	530	त़लाक़ की ता'रीफ़ व हुक्म	537
तअल्लुके हक्के ग़ैर की वजह से हुरमत	530	त़लाक़ कब दी जाए	537
ज़ाइद तादाद की वजह से हुरमत	531	हुक्म और नतीजे के ए'तिबार से त़लाक़ की अक़्साम	537
हुर्मते रिज़ाअत	531	त़लाके रजई	538
सबक़ नम्बर : 3 वली का बयान	531	त़लाके बाइन	538
वली की ता'रीफ़	531	त़लाके मुग़ल्लज़ा	538
वली की शराइत	532	सबक़ नम्बर : 8 ईला का बयान	538
वली कौन ?	532	ईला के बारे में आयत	538
चन्द अहम अहक़ाम	532	आयत की तफ़्सीर	539
सबक़ नम्बर : 4 कुफू का बयान	533	ईला की ता'रीफ़	539
हदीस में कुफू की अहम्मियत	533	ईला की अक़्साम	539
कुफू की ता'रीफ़	533	ईला की शराइत	539

ईला का हुक्म	540	तलाक़ वाली की इद्त	547
सबक़ नम्बर : 9 खुलअ़ का बयान	540	हामिला की इद्त	547
कुरआन में खुलअ़ का ज़िक्र	540	बेवा की इद्त	547
आयत की तफ़्सीर	540	सबक़ नम्बर : 13 सोग का बयान	547
खुलअ़ की ता'रीफ़	541	सोग कितने दिन है ?	547
खुलअ़ की शराइत	541	सोग की ता'रीफ़	548
खुलअ़ का हुक्म	541	सोग कौन करे ?	548
सबक़ नम्बर : 10 ज़िहार का बयान	542	चन्द अहम अहकाम	548
ज़िहार के बारे में आयत	542	सबक़ नम्बर : 14 बच्चे की परवरिश का बयान	549
आयत की तफ़्सीर	542	हदीस में परवरिश की अहम्मियत	549
ज़िहार की ता'रीफ़	542	चन्द अहम अहकाम	550
ज़िहार की शराइत	543	सबक़ नम्बर : 15 नफ़के का बयान	551
ज़िहार का हुक्म	543	कुरआने मजीद में नफ़के की अहम्मियत	551
ज़िहार का कफ़ारा	543	हदीस में नफ़के की अहम्मियत	552
सबक़ नम्बर : 11 लिआन का बयान	543	नफ़के की ता'रीफ़	552
कुरआन में लिआन का हुक्म	543	नफ़के के अस्बाब	552
आयत का शाने नुज़ूल	544	बीवी के नफ़के के बारे में चन्द अहम अहकाम	552
लिआन की ता'रीफ़	545	औलाद के नफ़के के बारे में चन्द अहम अहकाम	553
लिआन की शराइत	545	मां बाप के नफ़के से मुतअल्लिक़ चन्द अहकाम	553
लिआन का तरीका	545	सबक़ नम्बर : 16 क़सम का बयान	554
लिआन का हुक्म	546	कुरआन में क़सम की अहम्मियत	554
सबक़ नम्बर : 12 इद्त का बयान	546	आयत की तफ़्सीर	554
कुरआन में इद्त का हुक्म	546	क़सम के मुतअल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्तफ़ा	554
आयत की तफ़्सीर	546	क़सम की ता'रीफ़	555
इद्त की ता'रीफ़	546	क़सम का हुक्म	555
औरत की हालत के ए'तिबार से इद्त की अक़्साम	547	क़सम की अक़्साम	555

यमीने लगव	556	आरिख्यत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही	561
यमीने लगव का हुक्म	556	आरिख्यत के मुतअल्लिक़ दो फ़रामीने मुस्तफ़ा	561
यमीने ग़मूस	556	आरिख्यत की ता'रीफ़	562
यमीने ग़मूस का हुक्म	556	आरिख्यत की शराइत	562
यमीने मुन्अकिदा	556	आरिख्यत के लिये ईजाब व क़बूल	562
यमीने मुन्अकिदा का हुक्म	556	आरिख्यत का हुक्म	563
क़सम तोड़ने का कफ़ारा	556	सबक़ नम्बर : 20 गवाही का बयान	563
क़सम के कफ़ारे की शराइत	557	गवाही के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही	563
सबक़ नम्बर : 17 मन्नत का बयान	557	आयत की तफ़सीर	563
कुरआन में मन्नत की अहम्मियत	557	गवाही के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्तफ़ा	563
आयत की तफ़सीर	557	गवाही की ता'रीफ़	564
मन्नत के मुतअल्लिक़ हदीस	558	गवाही फ़र्जे किफ़ाया	564
मन्नत की ता'रीफ़	558	गवाही का रुक्न	564
मन्नत की अक़्साम	558	गवाही की शराइत	564
नज़्दे शर्ई	558	शराइते तहम्मुल	564
नज़्द की दूसरी किस्म	559	शराइते अदा	565
मन्नत की शराइत	559	गवाही देने के वुजूब की शराइत	565
मन्नत का हुक्म	559	गवाही का हुक्म	566
सबक़ नम्बर : 18 अमानत का बयान	560	अहम मस्अला	566
अमानत की अहम्मियत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने इलाही	560	सबक़ नम्बर : 21 वक्फ़ का बयान	567
अमानत की अहम्मियत के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्तफ़ा	560	तीन चीज़ें सदक़ए ज़ारिया हैं	567
अमानत की ता'रीफ़	560	वक्फ़ की ता'रीफ़	567
अमानत रखने की शराइत	560	बेहतरीन वक्फ़	567
अमानत रखने का हुक्म	561	वक्फ़ की शराइत व अहक़ाम	568
अमानत रखवाने की सूरेतें	561	वक्फ़ का हुक्म	570
सबक़ नम्बर : 19 आरिख्यत का बयान	561	सबक़ नम्बर : 22 तौलियत का बयान	570

तौलियत की ता'रीफ़	570	ख़ियारे ऐब के मुतअल्लिक हदीस	581
मुतवल्ली की शराइत व औसाफ़	570	ख़ियारे ऐब की ता'रीफ़	581
तौलियत के चन्द अहम अहकाम	571	ऐब की ता'रीफ़	581
सबक़ नम्बर : 23 ख़रीदो फ़रोख़्त का बयान	572	ख़ियारे ऐब की शराइत	582
ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअल्लिक फ़रमाने इलाही	572	दुकान से पेक चीज़ ख़रीदी अगर ख़राब निकले तो क्या हुक्म है ?	582
आयत की तफ़्सीर	572	सबक़ नम्बर : 27 सूद का बयान	583
ख़रीदो फ़रोख़्त के मुतअल्लिक दो फ़रामीने मुस्तफ़ा	572	सूद की मजम्मत में फ़रमाने इलाही	583
बैअ की ता'रीफ़	573	सूद हराम होने की हिक़मतें	583
बैअ के अरकान	573	सूद की मजम्मत में फ़रमाने मुस्तफ़ा	583
बैअ की शराइत	573	सूद की ता'रीफ़	584
बैअ का हुक्म	575	ता'रीफ़ की वज़ाहत	584
ईजाब व क़बूल	575	सूद का हुक्म	584
सामान लेने के बा'द रेट का तअय्युन करना कैसा ?	575	करन्सी की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?	585
ऑन लाइन (Online) ख़रीदो फ़रोख़्त से मुतअल्लिक अहम मस्अला	576	सबक़ नम्बर : 28 बा'ज़ मुरव्वजा ना जाइज़ त़िज़ारतों का बयान	585
सबक़ नम्बर : 24 ख़ियारे शर्त का बयान	577	क़िस्तों पर कारोबार की चन्द ना जाइज़ सूरतें	585
ख़ियारे शर्त के मुतअल्लिक हदीस	577	वक्त़ पर पेमेन्ट न करने पर इज़ाफ़ी रक़म लेना कैसा ?	586
ख़ियारे शर्त की ता'रीफ़	577	नीलामी की बैअ	587
ख़ियारे शर्त की ज़रूरत	577	चोरी का माल ख़रीद कर बेचना	587
ख़ियारे शर्त के चन्द अहकाम	577	जानदारों की शक़ल वाले खिलोनों की ख़रीदो फ़रोख़्त	588
किराए पर ली हुई चीज़ आगे किराए पर देना कैसा ?	578	तसावीर वाली अश्या की ख़रीदो फ़रोख़्त का हुक्म	589
वोरन्टी की क्या शर्तें हैसियत है ?	579	जा'ली मोहर	589
सबक़ नम्बर : 25 ख़ियारे रूयत का बयान	580	जा'ली बिल	590
ख़ियारे रूयत के मुतअल्लिक फ़रमाने रसूल	580	कर्ज़ पर नफ़अ	590
ख़ियारे रूयत की ता'रीफ़	580	प्रीमियम प्राइज़ बॉन्ड (Premium Prize Bond) का हुक्म	591
चन्द अहम अहकाम	580	मोबाइल में अकाउंट बनाना कैसा ?	593
सबक़ नम्बर : 26 ख़ियारे ऐब का बयान	581	मोबाइल कम्पनी से एडवान्स बेलेन्स हासिल करना कैसा ?	596

लकी वाली कमेटी	598	चन्दे की बच जाने वाली रकम से प्राइज़ बॉड ख़रीदना कैसा ?	611
बोली वाली कमेटी	598	जो चीज़ दुकानदार के पास नहीं है उस की ख़रीदो फ़रोख़्त	611
सबक़ नम्बर : 29 ज़दीद ख़रीदो फ़रोख़्त के बारे में फ़तावा जात	599	पुराना स्टोक नए रेट पर बेचना कैसा ?	612
सीने के लिये दिया गया सूट गाहक वापस लेने न आए तो दरज़ी क्या करे ?	599	हुकूमत की तरफ़ से मुक़र्रर किये गए रेट की पाबन्दी	612
दरज़ी के पास बचे हुए कपड़े के बारे में हुक्म	599	कमीशन एजन्ट का ज़ाइद क़ीमत पर चीज़ बेचना	613
रद्दी कागज़ात की ख़रीदो फ़रोख़्त करना कैसा ?	600	मुक़द्दस तहरीर वाले कागज़ात रद्दी में बेचना कैसा ?	613
इन्सानो बालों की ख़रीदो फ़रोख़्त जाइज़ नहीं	600	उजरत एडवान्स में लेना कैसा ?	614
मार्केट रेट से महंगी शै बेचना	601	परिन्दा पकड़ा और मालिक मा'लूम नहीं तो क्या करें ?	615
पुरानी अदवियात को नई क़ीमत पर फ़रोख़्त करना कैसा ?	602	क्रेडिट कार्ड इस्ति'माल करना कैसा है ?	616
गाहक को किसी और के पास भेजने पर कमीशन लेना	603	ओवर टाइम दिये बिगैर इस के पैसे लेना कैसा ?	617
एक मरतबा दो पार्टियां मिलवाने पर बार बार कमीशन वुसूल करना	603	इलेक्ट्रेशन का चीज़ खोल कर चेक करने के पैसे लेना कैसा ?	619
दो पार्टियों का दरमियान से ब्रोकर को हटा देना	604	हज़ व इम्ह के एजन्ट्स का, फ़ी पासपोर्ट कमीशन लेना कैसा ?	619
दो तरफ़ा ब्रोकरो लेना कैसा ?	604	स्कूल इन्तिज़ामिया का वेन वाले से फ़ी तालिबे इल्म कमीशन लेना कैसा ?	620
ब्रोकर का टोप मारना कैसा ?	605	कम्पनी की तरफ़ से दुकानदार को दिये गए तहाइफ़ लेना कैसा ?	620
ब्रोकर का पार्टी को मार्केट वेल्यू से ज़ाइद क़ीमत बताना	606	एक ही चीज़ मुख़लिफ़ कस्टमर्ज़ को मुख़लिफ़ क़ीमत पर बेचना कैसा ?	621
ब्रोकर का पार्टी से चीज़ ख़रीद कर आगे बेचना कैसा ?	606	बैंक से लोन दिलवाने पर कमीशन लेना कैसा ?	622
छुट्टियों की तनख़्वाह लेने का हुक्म	606	बच्चों की लोटरियां ख़रीदना बेचना कैसा ?	623
काफ़िरों के इस्ति'माल शुदा कपड़े बेचना कैसा ?	607	क्लीयरिंग एजन्ट से मुतअल्लिक़ एक सुवाल का जवाब	624
जा'ली प्रोडक्ट बेचना कैसा ?	607	पांचवां बाब : मुन्जियात	
फ़िल्मों और गानों की सीडीज़ बेचना कैसा ?	608	सबक़ नम्बर : 1 निय्यत का बयान	627
टीवी बेचना कैसा है ?	608	कुरआन में निय्यत की अहम्मिय्यत	627
स्मर्ग़िलग के बारे में शर्इ हुक्म	608	आयत की तफ़्सीर	627
नया मोबाइल डिब्बा खुल जाने के बा'द कम क़ीमत में बेचना कैसा ?	609	निय्यत की अहम्मिय्यत पर तीन फ़रामीने मुस्तफ़ा	627
बैआना ज़ब्त् करना कैसा ?	609	निय्यत की ता'रीफ़	627
मेरेज ब्यूरो की आमदनी का शर्इ हुक्म	610	निय्यत का हुक्म	628
चीज़ बेचने पर इजारा करना कैसा ?	610	चन्द अहक़ाम	628

नियत की आदत बनाने के तरीके	629	मुहासबए नफ़्स का हुक्म	636
सबक़ नम्बर : 2 इख़लास का बयान	629	मुहासबे की आदत बनाने के तरीके	636
कुरआन में इख़लास की अहमियत	629	सबक़ नम्बर : 6 क़नाअत का बयान	637
आयत की तफ़्सीर	630	क़नाअत की अहमियत पर फ़रमाने इलाही	637
इख़लास की अहमियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	630	क़नाअत की अहमियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	638
इख़लास की ता'रीफ़	630	क़नाअत की ता'रीफ़	638
इख़लास का हुक्म	630	ता'रीफ़ की वज़ाहत	638
मुख़्तस बनने के तरीके	630	क़नाअत का हुक्म	638
सबक़ नम्बर : 3 सब्र का बयान	631	क़नाअत अपनाने के तरीके	639
कुरआन में सब्र की अहमियत	631	सबक़ नम्बर : 7 हुस्ने ज़न का बयान	639
सब्र की फ़ज़ीलत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	631	हुस्ने ज़न की अहमियत पर फ़रमाने इलाही	639
सब्र की ता'रीफ़	632	आयत की तफ़्सीर	639
सब्र की अक्साम	632	हुस्ने ज़न की अहमियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	639
सब्र का हुक्म	632	हुस्ने ज़न की ता'रीफ़	640
सब्र की आदत बनाने के तरीके	632	हुस्ने ज़न का हुक्म	640
सबक़ नम्बर : 4 हुस्ने अख़्लाक़ का बयान	633	हुस्ने ज़न अपनाने के तरीके	640
आयत की तफ़्सीर	633	सबक़ नम्बर : 8 तौबा का बयान	641
मीज़ान में सब से वज़ी चीज़	633	तौबा की अहमियत पर फ़रमाने इलाही	641
हुस्ने अख़्लाक़ की ता'रीफ़	634	आयत की तफ़्सीर	641
हुस्ने अख़्लाक़ का हुक्म	634	तौबा करने वाला अल्लाह का पसन्दीदा है	641
हुस्ने अख़्लाक़ अपनाने के तरीके	634	तौबा की ता'रीफ़	642
सबक़ नम्बर : 5 मुहासबए नफ़्स का बयान	635	तौबा का हुक्म	642
मुहासबए नफ़्स की अहमियत पर फ़रमाने इलाही	635	गुनाहों से तौबा करने का तरीका	642
आयत की तफ़्सीर	635	सबक़ नम्बर : 9 अल्लाह और रसूल की इताअत का बयान	643
मुहासबए नफ़्स की अहमियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	636	अल्लाह व रसूल की इताअत की अहमियत	643
मुहासबए नफ़्स की ता'रीफ़	636	आयत की तफ़्सीर	643

इताअत का जज़्बा पैदा करने के तरीके	644	सच की ता'रीफ़	650
सबक़ नम्बर : 10 तवक्कुल का बयान	644	सच बोलने का हुक्म	650
तवक्कुल की अहम्मियत पर फ़रमाने इलाही	644	सच अपनाने के तरीके	650
आयत की तफ़्सीर	644	सबक़ नम्बर : 14 अच्छी उम्मीद का बयान	651
तवक्कुल की अहम्मियत पर फ़रमाने मुस्त्फ़ा	645	कुरआन में अच्छी उम्मीद की अहम्मियत	651
तवक्कुल की ता'रीफ़	645	आयत की तफ़्सीर	651
तवक्कुल का हुक्म	645	अच्छी उम्मीदों के मुतअल्लिक़ फ़रमाने मुस्त्फ़ा	652
तवक्कुल अपनाने के तरीके	645	अच्छी उम्मीद की ता'रीफ़	652
सबक़ नम्बर : 11 ख़ौफ़े खुदा का बयान	646	अच्छी उम्मीद का हुक्म	652
ख़ौफ़े खुदा की अहम्मियत पर फ़रमाने इलाही	646	अच्छी उम्मीद की अक्साम	652
आयत की तफ़्सीर	646	अच्छी उम्मीद अपनाने के तरीके	653
ख़ौफ़े खुदा की अहम्मियत पर दो फ़रामीने मुस्त्फ़ा	647	सबक़ नम्बर : 15 ग़ना का बयान	653
ख़ौफ़े खुदा का मतलब	647	ग़ना की अहम्मियत	653
ख़ौफ़े खुदा का हुक्म	647	आयत की तफ़्सीर	653
ख़ौफ़े खुदा पैदा करने के तरीके	647	ग़ना के मुतअल्लिक़ नसीहतें मुस्त्फ़ा	653
सबक़ नम्बर : 12 उम्मीदों की कमी का बयान	648	ग़ना की ता'रीफ़	653
लम्बी उम्मीद की मज़्मत	648	ग़ना पैदा करने के तरीके	654
आयत की तफ़्सीर	648	सबक़ नम्बर : 16 माल से बे रग़्बती का बयान	654
जन्नत में दाख़िल होने का नुस्खा	648	कुरआन में माल से बे रग़्बती की अहम्मियत	654
उम्मीदों की कमी की ता'रीफ़	649	आयत की तफ़्सीर	654
उम्मीदों की कमी का हुक्म	649	हदीस में माल से बे रग़्बती की अहम्मियत	655
कम उम्मीदी अपनाने के तरीके	649	माल से बे रग़्बती की ता'रीफ़	655
सबक़ नम्बर : 13 सिद्क़ (सच बोलने) का बयान	649	माल से बे रग़्बती का हुक्म	655
कुरआन में सच की अहम्मियत	649	माल से बे रग़्बती अपनाने के तरीके	655
आयत की तफ़्सीर	650	सबक़ नम्बर : 17 खुफ़्या तदबीर से डरने का बयान	656
सच की फ़ज़ीलत और झूट की मज़्मत	650	कुरआन में खुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मियत	656

आयत की तफ्सीर	656	कुरआन में नर्मिये दिल की अहम्मियत	664
हदीस में खुफ़्या तदबीर से डरने की अहम्मियत	656	नर्म दिल वाला अल्लाह का पसन्दीदा इन्सान	665
खुफ़्या तदबीर से डरने की ता'रीफ़	657	नर्मिये दिल की ता'रीफ़	665
खुफ़्या तदबीर से डरने का हुक्म	657	नर्म दिल का हुक्म	665
खुफ़्या तदबीर से डर को अपनाने के तरीके	657	दिल में नरमी पैदा करने के तरीके	665
सबक़ नम्बर : 18 एहतिरामे मुस्लिम का बयान	658	सबक़ नम्बर : 22 जोहद का बयान	666
कुरआन में एहतिरामे मुस्लिम की अहम्मियत	658	कुरआन में जोहद की अहम्मियत	666
आयत की तफ्सीर	659	हदीस में जोहद की अहम्मियत	667
एहतिरामे मुस्लिम का दर्स	659	जोहद की ता'रीफ़	667
एहतिरामे मुस्लिम की ता'रीफ़	659	जोहद का हुक्म	667
एहतिरामे मुस्लिम का हुक्म	659	जोहद की अक्साम	667
एहतिरामे मुस्लिम का ज़ुबा पैदा करने के तरीके	660	जोहद के दरजात	667
सबक़ नम्बर : 19 शैतान की मुख़ालफ़त का बयान	661	जोहद इख़्तियार करने के तरीके	668
शैतान इन्सान का खुला दुश्मन	661	सबक़ नम्बर : 23 महब्बते इलाही का बयान	668
मुख़ालफ़ते शैतान पर उभारने का अनोखा अन्दाज़	661	महब्बते इलाही की अहम्मियत	668
मुख़ालफ़ते शैतान क्या है ?	661	महब्बते इलाही के तकाज़े	668
मुख़ालफ़ते शैतान का हुक्म	661	महब्बते इलाही की अहम्मियत पर फ़रमाने मुस्तफ़ा	669
शैतान की मुख़ालफ़त अपनाने के तरीके	662	महब्बते इलाही की ता'रीफ़	669
सबक़ नम्बर : 20 शुक्र का बयान	663	ता'रीफ़ की वज़ाहत	669
शुक्र की अहम्मियत	663	महब्बते इलाही का हुक्म	670
आयत की तफ्सीर	663	महब्बते इलाही पैदा करने के तरीके	670
दुन्या व आख़िरत की भलाई मिल गई	663	सबक़ नम्बर : 24 ख़ल्वत नशीनी का बयान	671
शुक्र की ता'रीफ़	664	कुरआन में ख़ल्वत नशीनी की अहम्मियत	671
शुक्र का हुक्म	664	आयत की तफ्सीर	671
शुक्र की आदत अपनाने के तरीके	664	ख़ल्वत नशीनी नजात का ज़रीआ	671
सबक़ नम्बर : 21 दिल की नरमी का बयान	664	ख़ल्वत नशीनी की ता'रीफ़	671

ख़ल्वत नशीनी का हुक्म	672	चन्द अहकाम	678
चन्द अहकाम	672	रियाकारी करने के अस्बाब	678
ख़ल्वत इख़्तियार करने का ज़ेहन बनाने के तरीक़े	673	रियाकारी से बचने के तरीक़े	678
सबक़ नम्बर : 25 मौत को याद करने का बयान	673	सबक़ नम्बर : 3 कीने का बयान	679
कुरआन में मौत का ज़िक्र	673	कुरआन में कीने का ज़िक्र	679
हदीस में मौत का ज़िक्र	673	आयत की तफ्सीर	679
मौत को याद करने की ता'रीफ़	673	हदीस में कीने का ज़िक्र	679
मौत को याद करने का हुक्म	673	कीने की ता'रीफ़	680
मौत को याद करने का ज़ेहन बनाने के तरीक़े	673	कीने की अ़लामात और मिसालें	680
छटा बाब : मोहलिकात		कीने का हुक्म	680
सबक़ नम्बर : 1 हसद का बयान	675	कीना पैदा होने के अस्बाब	680
कुरआन में हसद का ज़िक्र	675	कीने से बचने के तरीक़े	680
आयत की तफ्सीर	675	सबक़ नम्बर : 4 बद गुमानी का बयान	680
हदीस में हसद का ज़िक्र	675	कुरआन में बद गुमानी का ज़िक्र	680
हसद की ता'रीफ़	675	आयत की तफ्सीर	681
हसद का हुक्म	675	हदीस में बद गुमानी का ज़िक्र	681
हसद की मिसालें	676	बद गुमानी की ता'रीफ़	681
हसद करने के अस्बाब	676	बद गुमानी की मिसालें	681
हसद से बचने के तरीक़े	676	बद गुमानी का हुक्म	682
सबक़ नम्बर : 2 रियाकारी का बयान	677	चन्द अहकाम	682
कुरआन में रियाकारी का ज़िक्र	677	बद गुमानी पैदा होने के अस्बाब	682
आयत की तफ्सीर	677	बद गुमानी से बचने के तरीक़े	682
हदीस में रियाकारी का ज़िक्र	677	सबक़ नम्बर : 5 तकब्बुर का बयान	682
रियाकारी की ता'रीफ़	677	कुरआन में तकब्बुर का ज़िक्र	683
रियाकारी की मिसालें	677	हदीस में तकब्बुर का ज़िक्र	683
रियाकारी का हुक्म	678	तकब्बुर की ता'रीफ़	683

तक़बुर की मिसालें	683	आयत की तफ़्सीर	689
तक़बुर का हुक्म	683	हदीस में खुद पसन्दी का ज़िक्र	689
चन्द अहक़ाम	683	खुद पसन्दी की ता'रीफ़	689
तक़बुर पैदा होने के अस्बाब	684	ता'रीफ़ की वज़ाहत	689
तक़बुर से बचने के तरीक़े	684	खुद पसन्दी का हुक्म	690
सबक़ नम्बर : 6 बद शुगूनी का बयान	684	चन्द अहक़ाम	690
कुरआन में बद शुगूनी का ज़िक्र	684	खुद पसन्दी के अस्बाब	690
आयत की तफ़्सीर	684	खुद पसन्दी से बचने के तरीक़े	690
हदीस में बद शुगूनी का ज़िक्र	685	सबक़ नम्बर : 9 झूट का बयान	690
बद शुगूनी की ता'रीफ़	685	कुरआने करीम में झूट का ज़िक्र	691
बद शुगूनी की मिसालें	685	आयत की तफ़्सीर	691
बद शुगूनी का हुक्म	685	हदीस में झूट का ज़िक्र	691
चन्द अहक़ाम	686	झूट की ता'रीफ़	691
बद शुगूनी के अस्बाब	686	झूट की चन्द मिसालें	691
बद शुगूनी से बचने के तरीक़े	686	झूट का हुक्म	692
सबक़ नम्बर : 7 मायूसी का बयान	686	चन्द अहक़ाम	692
कुरआन में मायूसी का ज़िक्र	686	झूट बोलने के अस्बाब	692
आयत की तफ़्सीर	686	झूट से बचने के तरीक़े	692
हदीस में मायूसी का ज़िक्र	687	सबक़ नम्बर : 10 ग़ीबत का बयान	693
मायूसी की ता'रीफ़	687	कुरआन में ग़ीबत का ज़िक्र	693
मायूसी का हुक्म	687	आयत की तफ़्सीर	693
चन्द अहक़ाम	687	हदीस में ग़ीबत का ज़िक्र	693
मायूसी के अस्बाब	687	ग़ीबत की ता'रीफ़	694
मायूसी से बचने के तरीक़े	688	ग़ीबत की मिसालें	694
सबक़ नम्बर : 8 खुद पसन्दी का बयान	688	ग़ीबत का हुक्म	694
कुरआन में खुद पसन्दी का ज़िक्र	688	चन्द अहक़ाम	694

गीबत के अस्बाब	695	चन्द अहकाम	701
गीबत से बचने के तरीके	695	तमस्खुर के अस्बाब	701
सबक़ नम्बर : 11 चुग़ली का बयान	695	तमस्खुर से बचने के तरीके	701
कुरआन में चुग़ली का ज़िक्र	695	सबक़ नम्बर : 14 ला'नत का बयान	701
हदीस में चुग़ली का ज़िक्र	696	कुरआन में ला'नत का ज़िक्र	701
चुग़ली की ता'रीफ़	696	आयत की तफ़्सीर	702
चुग़ली की मिसालें	696	हदीस में ला'नत का ज़िक्र	702
चुग़ली का हुक्म	696	ला'नत की ता'रीफ़	702
चन्द अहकाम	696	ला'नत की मिसालें	702
चुग़ली करने के अस्बाब	697	ला'नत का हुक्म	702
चुग़ली से बचने के तरीके	697	चन्द अहकाम	702
सबक़ नम्बर : 12 बोहतान का बयान	697	ला'नत के अस्बाब	703
कुरआन में बोहतान की मज़म्मत	697	ला'नत से बचने के तरीके	703
हदीस में बोहतान की मज़म्मत	698	सबक़ नम्बर : 15 ग़ाली का बयान	704
बोहतान की ता'रीफ़	698	कुरआन में ग़ाली न देने का ज़िक्र	704
ता'रीफ़ की वज़ाहत और मिसाल	698	आयत की तफ़्सीर	704
बोहतान का हुक्म	698	हदीस में ग़ाली न देने का ज़िक्र	704
बोहतान के अस्बाब	698	ग़ाली की ता'रीफ़	704
बोहतान से बचने के तरीके	698	ग़ाली देने की मिसालें	704
सबक़ नम्बर : 13 तमस्खुर (मज़ाक़ उड़ाने) का बयान	699	ग़ाली देने का हुक्म	705
कुरआन में तमस्खुर का ज़िक्र	699	चन्द अहकाम	705
आयत की तफ़्सीर	699	ग़ाली देने के अस्बाब	705
हदीस में तमस्खुर का ज़िक्र	700	ग़ाली देने से बचने के तरीके	705
तमस्खुर की ता'रीफ़	700	सबक़ नम्बर : 16 फ़ोहूश गोई का बयान	706
तमस्खुर की मिसालें	700	कुरआन में फ़ोहूश गोई की मज़म्मत का ज़िक्र	706
तमस्खुर का हुक्म	700	आयत की तफ़्सीर	706

हदीस में फ़ोहूश गोई की मज़म्मत का ज़िक्र	706	कुरआन में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र	712
फ़ोहूश गई की ता'रीफ़	706	आयत की तफ़्सीर	712
फ़ोहूश गोई का हुक्म	707	हदीस में बद निगाही की मज़म्मत का ज़िक्र	713
चन्द अहकाम	707	बद निगाही की ता'रीफ़	713
फ़ोहूश गोई के अस्बाब	707	बद निगाही की मिसालें	713
फ़ोहूश गोई से बचने के तरीक़े	707	बद निगाही का हुक्म	713
सबक़ नम्बर : 17 राज़ फ़ाश करने का बयान	708	चन्द अहकाम	713
कुरआन में राज़ छुपाने का ज़िक्र	708	बद निगाही के अस्बाब	714
आयत की तफ़्सीर	708	बद निगाही से बचने के तरीक़े	714
हदीस में राज़ छुपाने का ज़िक्र	709	सबक़ नम्बर : 20 मुदाहनत का बयान	715
राज़ फ़ाश करने की ता'रीफ़	709	कुरआन में मुदाहनत का ज़िक्र	715
ता'रीफ़ की वज़ाहत	709	आयत की तफ़्सीर	715
राज़ फ़ाश करने का हुक्म	709	हदीस में मुदाहनत का ज़िक्र	715
राज़ फ़ाश करने के अस्बाब	710	मुदाहनत की ता'रीफ़	716
राज़ फ़ाश करने से बचने के तरीक़े	710	मुदाहनत का हुक्म	716
सबक़ नम्बर : 18 तजस्सुस का बयान	710	चन्द अहकाम	716
कुरआन में तजस्सुस का ज़िक्र	710	मुदाहनत के अस्बाब	716
आयत की तफ़्सीर	710	मुदाहनत से बचने के तरीक़े	717
हदीस में तजस्सुस का ज़िक्र	710	सबक़ नम्बर : 21 धोका देही का बयान	717
तजस्सुस की ता'रीफ़	711	कुरआन में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र	717
तजस्सुस की चन्द मिसालें	711	हदीस में धोका देही की मज़म्मत का ज़िक्र	718
तजस्सुस का हुक्म	711	धोका देही की ता'रीफ़	718
चन्द अहकाम	711	धोका देही की मिसालें	718
तजस्सुस के अस्बाब	712	धोका देही का हुक्म	718
तजस्सुस से बचने के तरीक़े	712	चन्द अहकाम	718
सबक़ नम्बर : 19 बद निगाही का बयान	712	धोका देही के अस्बाब	719

धोका देही से बचने के तरीके	719	जुल्म का हुक्म	724
सबक़ नम्बर : 22 ग़स्ब का बयान	719	चन्द अहक़ाम	724
कुरआन में ग़स्ब का ज़िक्र	719	जुल्म के अस्बाब	725
आयत की तफ़्सीर	720	जुल्म करने से बचने के तरीके	725
हदीस में ग़स्ब का ज़िक्र	720	सबक़ नम्बर : 25 फ़र्ज़ इल्म न सीखने का बयान	726
ग़स्ब की ता'रीफ़	720	कुरआन में इल्म सीखने की अहम्मियत	726
ग़स्ब का हुक्म	720	हदीस में इल्म सीखने की अहम्मियत	726
चन्द अहक़ाम	720	इल्म की ता'रीफ़	726
ग़स्ब के अस्बाब	720	इल्म का हुक्म	726
ग़स्ब से बचने के तरीके	721	तरतीब के ए'तिबार से हुसूले इल्म	726
सबक़ नम्बर : 23 बुख़ल का बयान	721	फ़र्ज़ इल्म न सीखने के बारे में अहक़ाम	727
कुरआन में बुख़ल का ज़िक्र	721	फ़र्ज़ इल्म न सीखने के अस्बाब	727
हदीस में बुख़ल का ज़िक्र	721	इल्मे दीन हासिल करने के तरीके	728
बुख़ल की ता'रीफ़	722	सबक़ नम्बर : 26 गुस्से का बयान	728
बुख़ल की मिसालें	722	कुरआन में गुस्सा पीने की फ़ज़ीलत	728
बुख़ल का हुक्म	722	आयत की तफ़्सीर	728
चन्द अहक़ाम	722	हदीस में गुस्सा पीने की अहम्मियत	729
बुख़ल के अस्बाब	722	गुस्से की ता'रीफ़	729
बुख़ल से बचने के तरीके	723	गुस्से का हुक्म	729
सबक़ नम्बर : 24 जुल्म का बयान	723	गुस्से से बचने के तरीके	729
कुरआन में जुल्म का ज़िक्र	723	मुन्तख़ब आयात	730
आयत की तफ़्सीर	723	खुल्बात	756
हदीस में जुल्म का ज़िक्र	724	तफ़्सीली फ़ेहरिस्त	772
जुल्म की ता'रीफ़	724	मआख़िज़ो मराजेअ	794
जुल्म की मिसालें	724	•••••	



मझाखिजो
मराजेअ

मआखिजो मराजेअ

*** مطبوعات	کلام الہی مصنف / مؤلف / متوفی	قرآن مجید کتاب کا نام
مکتبہ المدینہ ۱۳۳۲ھ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	کنز الایمان
کتاب التفسیر		
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۰ھ	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	تفسیر الطبری
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۴ھ	امام ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	تفسیر البغوی
دار احیاء التراث بیروت ۱۳۲۰ھ	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	التفسیر الکبیر
دار الفکر بیروت ۱۳۲۰ھ	علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	تفسیر القرطبی
دار الفکر بیروت ۱۳۲۰ھ	امام ناصر الدین عبد اللہ بن عمر بن محمد شیرازی، متوفی ۶۸۵ھ	تفسیر البیضاوی
دار المعرفہ بیروت	امام ابو البرکات عبد اللہ بن احمد بن محمود نسفی، متوفی ۷۱۰ھ	تفسیر مدارک
المطبعة السیمنیہ مصر ۱۳۱۷ھ	علامہ علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	تفسیر الخازن
دار الفکر بیروت ۱۳۰۳ھ	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	الدر المنثور
	شاہ عبد العزیز بن شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ	تفسیر عزیزی
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۲ھ-	محمد بن یوسف التہیرانی حیان اندلسی، متوفی ۷۴۵ھ-	البحر المحیط
المکتب الاسلامی ۱۳۰۴ھ-	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۷۵۹ھ-	زاد المسیر فی علم التفسیر
دار الکتب العلمیہ، بیروت	امام ابو الحسن علی بن محمد ماوردی، متوفی ۴۵۰ھ	تفسیر ماوردی
دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ھ	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	روح المعانی
	علامہ احمد بن ابو سعید جوہری المعروف ملا جیون متوفی ۱۱۳۰ھ	التفسیرات الاحمدیہ
دار احیاء التراث بیروت	مولی الروم شیخ اسماعیل حقی بروس، متوفی ۱۱۳۷ھ	روح البیان
مکتبہ المدینہ ۱۳۳۲ھ	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ	خزان العرفان
	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	تفسیر نعیمی
	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	نور العرفان
مکتبہ المدینہ ۱۳۳۳ھ	مفتی ابو الصالح محمد قاسم قادری مدظلہ العالی	تفسیر صراط الجنان
مکتبہ المدینہ	علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	عجائب القرآن مع غرائب القرآن
کتاب اصول التفسیر		
دار ابن الجوزی	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ	الجانب فی بیان الاسباب
کتاب الحدیث		
دار الفکر بیروت ۱۳۱۴ھ	امام احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	المسند
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۹ھ	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	صحیح البخاری
دار المغنی عرب شریف ۱۳۱۹ھ	امام ابو الحسن مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ	صحیح مسلم
دار المعرفہ بیروت ۱۳۲۰ھ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ	سنن ابن ماجہ
دار احیاء التراث بیروت ۱۳۲۱ھ	امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	سنن ابی داؤد
دار المعرفہ بیروت ۱۳۱۳ھ	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	سنن الترمذی
مدینۃ الاولیاء	امام علی بن عمر دارقطنی، متوفی ۲۸۵ھ	سنن الدارقطنی
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۶ھ	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی متوفی ۳۰۳ھ	سنن نسائی

دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۲ھ	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	المعجم الكبير
دار احیاء التراث بیروت ۱۴۲۲ھ	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	المعجم الاوسط
مؤسسة الرسالة بیروت	امام ابو القاسم سلیمان بن احمد طبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	مسند الشاميين
دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۸ھ	امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ حاکم نیشاپوری، متوفی ۴۰۵ھ	المستدرک علی الصحیحین
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ	حافظ ابو نعیم احمد بن عبد اللہ اصفہانی شافعی، متوفی ۴۳۰ھ	حلیۃ الاولیاء
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	شعب الایمان
دار الکتب العلمیہ ۱۴۱۱ھ-	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی، متوفی ۳۰۳ھ	السنن الکبری
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۴ھ	امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	السنن الکبری
دار الکتب العلمیہ بیروت	حافظ ابو شجاع شیرویہ بن شہر دار بن شیرویہ دیلمی، متوفی ۵۰۹ھ	مسند الفردوس
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ	امام زکی الدین عبد العظیم بن عبد القوی منذری، متوفی ۶۵۶ھ	الترغیب والترہیب
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ	علامہ امیر علاء الدین علی بن بلبان فارسی، متوفی ۷۳۹ھ	الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان
دار الفکر بیروت ۱۴۲۰ھ	حافظ نور الدین علی بن ابی بکر بیہقی، متوفی ۸۰۷ھ	مجمع الزوائد
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۵ھ	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	الجامع الصغیر
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	جمع الجوامع
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ	امام ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ	مصنف عبد الرزاق
دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	امام مالک بن انس اصبحی، متوفی ۷۴۹ھ	موطأ امام مالک
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ	امام ابو بکر عبد الرزاق بن ہمام بن نافع صنعانی، متوفی ۲۱۱ھ	الجزء المفقود من الجزء الاول من المصنف
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ	علامہ ولی الدین تبریزی، متوفی ۷۴۲ھ	مشكاة المصابيح
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ	شیخ اسماعیل بن محمد عجلونی، متوفی ۱۱۶۲ھ	کشف الخفاء
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ	حافظ ابو بکر علی بن احمد خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۳ھ	تاریخ بغداد
	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	ماہیت من السنۃ
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۱ھ	الحافظ سلیمان بن احمد الطبرانی، متوفی ۳۶۰ھ	کتاب الدعاء
المکتب الاسلامی	امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ، متوفی ۳۱۱ھ	صحیح ابن خزیمہ
مکتبۃ العلوم والحکم، المدینۃ المنورۃ ۱۴۲۳ھ	امام ابو بکر احمد عمرو بن عبد الخالق بزار، متوفی ۲۹۲ھ	البحر الزخار المعروف بمسند البزار
دار قرطبہ، بیروت ۱۴۲۷ھ	حافظ عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ کوفی عسبی، متوفی ۲۳۵ھ	مصنف ابن ابی شیبہ
المدینۃ المنورۃ ۱۴۱۳ھ	حارث بن محمد بن ابی اسامہ غنیمی، متوفی ۲۸۲ھ	مسند الحارث
دار احیاء الکتب العربیہ، بیروت	محمد الدین ابو السعادات علامہ ابن اثیر جزیری متوفی ۶۰۶ھ	النهاية فی غریب الحدیث
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۹ھ	علامہ علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری، متوفی ۹۷۵ھ	کنز العمال
کتاب شروح الحدیث		
دار الحیات التراث العربی، بیروت	علامہ ابن عبد البر، متوفی ۴۶۳ھ	الاستذکار
دار الفکر بیروت ۱۴۱۸ھ	امام بدر الدین ابو محمد محمود بن احمد عینی، متوفی ۸۵۵ھ	عمدة القاری
دار الفکر بیروت ۱۴۱۴ھ	علامہ ملا علی بن سلطان قاری، متوفی ۱۰۱۴ھ	مرقاۃ المفاتیح
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۲۲ھ	علامہ محمد عبد الرؤوف مناوی، متوفی ۱۰۳۱ھ	فیض القدر
	شیخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	اشعة اللغات

مرآة المناج	حكيم الامت مفتي احمد يار خان نعبي، متوفى ۱۳۹۱ھ	
لمعات التفتيح	شيخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفى ۱۰۵۲ھ	دار النوادر، سو ریاد مشق ۱۳۳۵ھ
نزہة القاری	علامہ مفتي محمد شريف الحق امجدی، متوفى ۱۲۲۰ھ	
کتب اصول الحديث		
نخبہ الفکر	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفى ۸۵۲ھ	مکتبہ المدینہ
کتب العقائد		
فقد الاکبر	امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، متوفى ۱۵۰ھ	مکتبہ المدینہ
شرح العقائد	علامہ مسعود بن عمر سعد الدین تفتازانی، متوفى ۷۹۳ھ	مکتبہ المدینہ ۱۲۳۰ھ
المسامرة بشرح المسایرة	کمال الدین محمد بن محمد المعروف بابن ابی شریف، متوفى ۹۰۶ھ	مطبعة السعادة بمصر
مخ الروض الازهر	شيخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفى ۱۰۱۴ھ	مکتبہ المدینہ، ۱۳۳۵ھ
شرح الصاوی علی جوہرۃ التوحید	احمد بن محمد صاوی مالکی خلونی، متوفى ۱۲۴۱ھ	دار الاءاء
تجلیل الایمان	شيخ محقق عبد الحق محدث دہلوی، متوفى ۱۰۵۲ھ	
الصواعق المحرقة	حافظ احمد بن حجر مکی، متوفى ۹۷۴ھ	
تحفة المرید علی جوہرۃ التوحید	شيخ ابراہیم بن محمد بیجوری، متوفى ۱۲۷۶ھ	مکتبہ دار البیرونی، دمشق
بحر الکلام	امام میمون بن محمد نسفی حنفی رحمۃ اللہ علیہ متوفى ۵۰۸ھ	مکتبہ دار الفرفور ۱۳۲۱ھ
المتعتقد المستفاد	علامہ فضل الرسول بدایونی، متوفى ۱۲۸۹ھ	
جامع کرامات اولیاء	امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفى ۱۳۵۰ھ	مرکز البلسنت برکات رضا ہند ۱۳۲۲ھ
الدولة المکیة	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفى ۱۳۴۰ھ	
جاء الحق	حكيم الامت مفتي احمد يار خان نعبي، متوفى ۱۳۹۱ھ	
رسالہ نور مع رسائل نعیمیہ	حكيم الامت مفتي احمد يار خان نعبي، متوفى ۱۳۹۱ھ	نعیمی کتب خانہ
الحق البین	غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی	مکتبہ المدینہ
تحقیقات	علامہ مفتي محمد شريف الحق امجدی، متوفى ۱۲۲۰ھ	
من عقائد اہل السنۃ	علامہ عبد الحکیم شرف قادری	
کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب	امیر البلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
انبیاء و اولیاء کو پکارنا کیسا؟	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
فاتحہ اور ایصال ثواب کا طریقہ	امیر البلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
کتب الفقہ		
فتاویٰ قاضی خان	علامہ حسن بن منصور قاضی خان متوفى ۵۹۲ھ	
المبسوط	شمس الانمہ محمد بن احمد بن ابی سہیل السرخسی، متوفى ۴۸۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۳۲۱ھ
درر الحکام	علامہ قاضی شہیر ملا خسرو حنفی، متوفى ۸۸۵ھ	
تبیین الحقائق	امام فخر الدین عثمان بن علی زلیقی حنفی، متوفى ۷۴۳ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۲۲۰ھ
البدائع الصنائع	ملک العلماء امام علاء الدین ابو بکر بن مسعود کاسانی، متوفى ۵۸۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۳۲۱ھ
ہدایہ	برہان الدین علی بن ابی بکر مرغینانی، متوفى ۵۹۳ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت
فتح القدر	علامہ کمال الدین بن ہمام، متوفى ۸۶۱ھ	

تنوير الابصار	علامہ شمس الدین محمد بن عبد اللہ بن احمد تمر تاشی، متوفی ۱۰۰۴ھ	دار المعرفہ، بیروت، ۱۴۲۰ھ
البحر الرائق	علامہ زین الدین بن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	
رد المحتار	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	دار المعرفہ بیروت ۱۴۲۰ھ
الدر المختار	علامہ محمد بن علی المعروف بعلاء الدین حصکفی متوفی ۱۰۸۸ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
شرح وقایہ	علامہ صدر الشریعہ عبید اللہ بن مسعود، متوفی ۷۷۷ھ	
الفتاویٰ الہندیہ	علامہ ہمام مولانا شیخ نظام متوفی ۱۱۶۱ھ وجماعۃ من علماء الہند	دار الفکر بیروت ۱۴۰۳ھ
مجمع الانہر	علامہ عبد اللہ بن محمد داماد آفندی حنفی، متوفی ۱۶۶۷ھ	دار احیاء التراث العربی
مرآۃ الفلاح معہ حاشیہ الطحاوی	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۰۶۹ھ	
حاشیہ الطحاوی	علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی، متوفی ۱۲۳۱ھ	
خلاصۃ الفتاویٰ	علامہ طاہر بن عبد الرشید بخاری، متوفی ۵۳۲ھ	
الحاوی للفتاویٰ	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
الجوہرۃ النیرۃ	علامہ ابو بکر بن علی حداد، متوفی ۸۰۰ھ	
فتاویٰ تاتار خانہ	علامہ عالم بن علاء انصاری دہلوی، متوفی ۷۸۶ھ	
نور الایضاح	علامہ حسن بن عمار بن علی شرنبلالی، متوفی ۱۰۶۹ھ	
غنیۃ المتملی	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	
الاختیار لتعلیل المختار	ابو الفضل مجد الدین عبد اللہ بن محمد موصلی، متوفی ۶۸۳ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
شرح منتخب الفصول	شیخ ابو العباس احمد بن ادريس قرانی، متوفی ۶۸۴ھ	دار الفکر، بیروت
منتخب الفتاویٰ الحامدیہ	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	
حلبی کبیر	علامہ محمد ابراہیم بن حلبی، متوفی ۹۵۶ھ	
جد المبتار	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبۃ المدینہ،
فتاویٰ رضویہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	رضا فاؤنڈیشن
فتاویٰ افریقہ	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	نوری کتب خانہ
رسائل ابن نجیم	علامہ زین العابدین بن ابراہیم المعروف بابن نجیم، متوفی ۹۷۰ھ	دار الکتب العلمیہ بیروت
عمدۃ الرعاۃ	محمد عبدالحی لکھنوی ہندی، متوفی ۱۳۵۴ھ	مکتبہ امدادیہ
ملفوظات اعلیٰ حضرت	مفتی اعظم ہند محمد مصطفیٰ رضا خان، متوفی ۱۴۰۲ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۳۰ھ
بہار شریعت	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبۃ المدینہ
فتاویٰ امجدیہ	علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ رضویہ
وقار الفتاویٰ	مولانا مفتی محمد وقار الدین، متوفی ۱۴۱۳ھ	بزم وقار الدین ۲۰۰۱م
فتاویٰ فیض الرسول	مولانا مفتی جلال الدین امجدی، متوفی ۱۴۲۲ھ	
فتاویٰ شارح بخاری	علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی، متوفی ۱۴۲۰ھ	مکتبہ برکات المدینہ
ہمارا اسلام	مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی، متوفی ۱۴۰۵ھ	
سنی بہشتی زیور	مولانا مفتی محمد خلیل خان برکاتی، متوفی ۱۴۰۵ھ	
جنتی زیور	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبۃ المدینہ
قانون شریعت	شمس الدین احمد جونپوری	

مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	نجاستوں کا بیان مع کچرے پاک کرنے کا طریقہ
مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	اسلامی بہنوں کی نماز
مکتبہ المدینہ	مجلس افتاء، دعوت اسلامی	مختصر فتاویٰ اہل سنت
مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	فیضان نماز
مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	قضاء نمازوں کا طریقہ
مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	نماز کے احکام
مکتبہ المدینہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	پردے کے بارے میں سوال جواب
کتاب اصول الفقہ		
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ	الشیخ زین الدین بن ابراہیم الشہیر باین حکیم، متوفی ۹۷۰ھ	الاشباہ والنظائر
	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	عقد الجیدی احکام الاجتہاد والتقلید
	شیخ محمد بن عبد الشکور البہاری الہندی، متوفی ۱۱۱۹ھ	مسلم الثبوت
کتاب المتصوف		
دار الکتب العلمیہ، بیروت	امام عبد اللہ بن مبارک مروزی، متوفی ۱۸۱ھ	کتاب الزہد لابن المبارک
المکتبۃ العصریہ بیروت	امام عبد اللہ بن محمد ابو بکر بن ابی الدنیا، متوفی ۲۸۱ھ	موسوعة امام ابن ابی الدنیا
دار الکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۸ھ	امام ابو القاسم عبد الکریم بن ہوازن قشیری، متوفی ۳۶۵ھ	الرسالۃ القشیریۃ
دار صادر بیروت ۱۴۲۰ھ	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	احیاء علوم الدین
مکتبہ المدینہ ۱۴۳۳ھ	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	احیاء العلوم
دار الکتب العلمیہ بیروت	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	منہاج العابدین
اشاعت اسلام کتب خانہ	امام شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان الذہبی متوفی ۷۴۸ھ	الکبائر
مرکز اہلسنت برکات رضا ہند ۱۴۳۳ھ	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	شرح الصدور
دار المعرفہ بیروت ۱۴۱۹ھ	امام ابن حجر، بتمتی متوفی ۹۷۳ھ	الزواجر عن اقتراف الکبائر
	سیدی عبد الغنی نابلسی حنفی، متوفی ۱۱۴۱ھ	الحدیقۃ الندیۃ
مکتبہ المدینہ	سیدی عبد الغنی نابلسی حنفی، متوفی ۱۱۴۱ھ	اصلاح اعمال
مکتبہ المدینہ	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی، متوفی ۵۰۵ھ	لباب الاحیاء
دار الکتب العلمیہ، بیروت	سید محمد بن محمد حسینی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ھ	اتحاف السادة المتقین
دار الکتب العربی	امام ابو الفرج عبد الرحمن بن علی ابن جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	بستان الواعظین
دار احیاء التراث العربی	امام عبد الوہاب شہرانی، متوفی ۹۷۳ھ	لؤلؤ الانوار القدسیۃ
موسسۃ الکتب الثقافیۃ، بیروت	امام جلال الدین عبد الرحمن سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	البدور السافرة
فاروقی اکیڈمی	شیخ محقق شیخ محمد عبد الحق محدث دہلوی بخاری متوفی ۱۰۵۲ھ	سلوک اقرب السبل مع اخبار الاخیار
دار الکتب العربی، بیروت	حافظ عبد الرحمن ابن رجب حلبی، متوفی ۷۹۵ھ	اھوال القبور
مکتبہ دار السلام، القاہرہ	شمس الدین ابو عبد اللہ محمد بن احمد القرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	التذکرۃ
فضل نور اکیڈمی	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	انفاس العارفين
دار اسامہ، بیروت	ابو محمد عبد العزیز بن احمد الدیرینی، متوفی ۶۹۷ھ	طہارۃ القلوب
مکتبۃ الوطنیہ عمان	شیخ عبد القادر عیسیٰ	حقائق عن التصوف

بوستان سعدی	شیخ شرف الدین مصلح بن عبد اللہ سعدی شیرازی، متوفی ۶۹۱ھ	انتشارات عالمگیر
منہاج القاصدین	ابوالفرج عبد الرحمن بن علی البغدادی المعروف بابن الجوزی، متوفی ۵۹۷ھ	ادارہ معارف اسلامی
عین العلم زین العلم	شیخ محمد بن عثمان بن عمر البہندی البلیخی الحنفی، متوفی ۸۳۰ھ	دارالمعرفہ بیروت
مختصر منہاج العابدین	سید احمد بن زینی دحلان، متوفی ۱۳۰۴ھ	مکتبۃ المدینہ
بد شکوئی	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبۃ المدینہ
بدگمانی	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبۃ المدینہ
کتاب السیرۃ		
دلائل النبوة للبیہقی	امام ابو بکر احمد بن الحسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
دلائل النبوة لابن نعیم	امام ابو بکر احمد بن حسین بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
الشفاعتعریف حقوق المصطفیٰ	امام قاضی ابوالفضل عیاض مالکی، متوفی ۵۴۴ھ	مرکز اہلسنت برکات رضاہند ۱۴۲۳ھ
الروض الافف	الامام ابوالقاسم عبد الرحمن بن عبد اللہ الجعفی السبیلی، متوفی ۵۸۱ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
شرح الزرقانی علی المواہب	محمد زرقانی بن عبد الباقي بن یوسف، متوفی ۱۱۲۲ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۷ھ
المواہب اللدنیہ	شہاب الدین احمد بن محمد قسطلانی، متوفی ۹۲۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۶ھ
مدارج النبوة	شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	نوریہ رضویہ ۱۹۹۷ء
سبل الہدی والرشاد	امام محمد بن یوسف صالحی شامی، متوفی ۹۴۲ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۸ھ
وسائل الوصول	امام یوسف بن اسماعیل نبھانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	دارالمنہاج بیروت ۱۴۲۳ھ
المورد الروی فی المولد النبوی	شیخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	
طبقات ابن سعد	محمد بن سعد البہاشی البصری المعروف بابن سعد، متوفی ۲۳۰ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت
سیرت مصطفیٰ	علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبۃ المدینہ ۱۴۲۹ھ
سیرت الانبیاء	مفتی قاسم عطاری	مکتبۃ المدینہ
سوانح کربلا	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبۃ المدینہ
برکات آل رسول	علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	مکتبۃ قادریہ
الشرف الموبد	علامہ یوسف بن اسماعیل نبھانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	دارجوامع العلم
ہجۃ الاسرار	ابوالحسن نور الدین علی بن یوسف شطرنوی، متوفی ۷۱۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۳ھ
نزهة الخاطر الفاتر	شیخ علی بن سلطان المعروف بملا علی قاری، متوفی ۱۰۱۳ھ	قادری رضوی کتب خانہ
تذکرہ صدر الشریعہ	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری رضوی	مکتبۃ المدینہ
فیضان مفتی احمد یار خان نعیمی	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبۃ المدینہ
سنت نکاح	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبۃ المدینہ
کتاب التاریخ		
تاریخ الطبری	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دارالین کثیر
تاریخ الخلفاء	امام جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	قدیمی کتب خانہ
کتاب اسماء الرجال		
الاصابة	امام الحافظ احمد بن علی بن حجر العسقلانی، متوفی ۸۵۲ھ	دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۴۱۵ھ
تذکرۃ الحفاظ	امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی، متوفی ۷۴۸ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت

بستان الحدیث	سراج الہند شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، متوفی ۱۲۳۹ھ	ایچ ایم سعید کمپنی
طبقات الحناہ	امام ابن یعلیٰ حنبلی، متوفی ۵۲۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت
الکتب المتفرقة		
مفردات الفاظ القرآن	امام راغب ابو قاسم حسین بن محمد اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ	دار القلم دمشق ۱۴۱۶ھ
تاریخ ابن عساکر	امام ابن عساکر علی بن حسن شافعی متوفی ۵۷۱ھ	دار الفکر بیروت ۱۴۱۵ھ
روض الراحین	امام عبد اللہ بن اسعد الیافعی، متوفی ۶۸ھ	دار الکتب العلمیہ
حجة اللہ البالغہ	شیخ احمد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، متوفی ۱۱۷۹ھ	صدیقیہ کتب خانہ
الفقیہ المتفقہ	ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی، متوفی ۳۶۲ھ	دار ابن جوزی
جواہر البیان فی اسرار الارکان	مولانا تقی علی خان، متوفی ۱۲۹۷ھ	والضحیٰ پبلی کیشنز
مجموع لطیف النبی	الدکتور عاصم ابراہیم الکیلی	دار الکتب العلمیہ، بیروت، ۱۴۲۶ھ
مجموعہ رسائل الکنوی	محمد عبد الحی کھنوی ہندی، متوفی ۱۳۵۳ھ	انتشارات شیخ الاسلام احمد جام
شواہد الحق	امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، متوفی ۱۳۵۰ھ	مرکز اہل السنہ برکات رضا
اسلامی زندگی	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	مکتبہ المدینہ ۱۴۲۷ھ
فضائل دعا	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبہ المدینہ
حدائق جنت	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبہ المدینہ
مسائل القرآن	علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	پروگرہ بکس اردو بازار
مقالات کا صحی	غزالی دوران علامہ سید احمد سعید کاظمی	مکتبہ ضیائیہ
دفاع سیدنا امیر معاویہ	مجموعہ رسائل علماء	دار الاسلام
امیر معاویہ	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	
فیضان سنت	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
نبی کی دعوت	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
آقا کا مہینا	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
احترام مسلم	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
خود کشی کا علاج	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
جھوٹا چور	امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی	مکتبہ المدینہ
آداب مرشد کامل	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
فیضان علم و علماء	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
ذوق نعت	شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان، متوفی ۱۳۲۶ھ	مکتبہ المدینہ
تبرکات کاشیوت	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
پیری مریدی کی شرعی حیثیت	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
دلچسپ معلومات	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
ماہنامہ فیضان مدینہ	المدینۃ العلمیہ، دعوت اسلامی	مکتبہ المدینہ
کتب اللغات		
لسان العرب	علامہ جمال الدین محمد بن مکرم ابن منظور افریقی، متوفی ۷۱۱ھ	مؤسسۃ الاعلیٰ للطبعات، بیروت
التعریقات	سید شریف علی بن محمد بن علی الجرجانی، متوفی ۸۱۶ھ	دار المنار للطباعة والنشر
القاموس المحیط	نجد الدین محمد بن یعقوب فیروز آبادی، متوفی ۸۱۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۱۷ھ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

अल मदीनतुल इल्मिय्या के कुल कुतुबो रसाइल : 644 जिन के मौजूआत व ता'दाद की तफ़सील दर्जे ज़ैल है

कुरआनो मुतअल्लिकात : 39, हदीस व मुतअल्लिकात : 23, फ़िक्ह व मुतअल्लिकात : 59, सीरतुन्नीबी, फ़ज़ाइल व मनाकिब : 12, सीरते सहाबा : 16, सीरते सहाबियात व सालिहात : 19, सीरते औलिया व उलमा : 46, तारीख़ : 04, मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत : 48, तज़किराए अमीरे अहले सुन्नत : 11, तसव्वुफ़ व अख़्लाकिय्यात : 117, अक़ाइद व मुतअल्लिकात : 19, ता'लीमाते इस्लाम : 10, उलूमो फ़ुनून : 35, बयानात : 20, ना'तिया दीवान : 06, दा'वते इस्लामी व समरात : 128, मुतफ़र्रिकात : 32

कुरआन व मुतअल्लिकात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	अल कुरआनुल करीम 26 N-I	549	02	الفوز الكبير	165
03	अल कुरआनुल करीम 25 N-I	549	04	कुरआनी सूरतों के फ़ज़ाइल	17
05	अल कुरआनुल करीम 25-A N-I	549	06	इल्मुल कुरआन	244
07	सूरए यासीन शरीफ़	16	08	فيضان التوحيد	112
09 ता 14	मा'रिफ़तुल कुरआन (6 जिल्दे)	2425	15 ता 24	तफ़सीरे सिरातुल जिनान (10 जिल्दे)	6487
25	कन्जुल ईमान मअ ख़ज़ाइनुल इरफ़ान	1185	26 ता 28	पारह सेट	604
29	कन्जुल इरफ़ान	1144	30	अज़ाइबुल कुरआन मअ ग़राइबुल कुरआन	422
31	तफ़सीरे बैज़ावी	392	32	आयाते कुरआनी के अन्वार	62
33	तफ़सीरे सूरए नूर	135	34	रहनुमाए मुदर्सीन	87
35	कुरआन सीखें और सिखाएं	120	36	मदनी क़ाइदा	48
37	फ़ैज़ाने यासीन शरीफ़ मअ दुआए निस्फ़े शा'बानुल मुअज्ज़म	20	38	تفسير الجلالين مع حاشية انوار الحرمين (3 جلدیں)	1251
39	الأنوار الرضوية في القواعد التفسيرية ماخوذة من الزلال الأنقى من بحر سبقة الاتقى	67			

हदीस व मुतअल्लिकात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01 ता 07	फैज़ाने रियाजुस्सालिहीन (7 जिल्दे)	5136	08	مسند امام اعظم	660
09	जन्नत में ले जाने वाले आ'माल (الْشَّجَرَةُ الزَّائِدَةُ فِي ثَوَابِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ)	743	10	नसीहतों के मदनी फूल ब वसीलए अहदीसे रसूल (الْمَوْاعِظُ فِي الْأَحَادِيثِ الْقُدْسِيَّةِ)	54
11	रियाजुस्सालिहीन अरबी (मुत्खब अब्बाव)	108	12	الاربعين النووية في الاحاديث النبوية	155
13	अन्वारुल हदीस	466	14	تيسير مصطلح الحديث	188
15	التَّحْلِيلُ الرَّضَوِيُّ عَلَى صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ	458	16	निसाब उसूले हदीस	95
17	मुत्खब हदीसें	246	18	مقدمة مشكوة	212
19	40 फ़रामीने मुत्तफ़ा صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	87	20	نزهة النظر شرح نخبة الفكر	175
21	अहदीसे मुबारका के अन्वार	66	22	अर्बईने हनफ़िय्या	112
23	फैज़ाने चेहल अहदीस	120			

फ़िक्ह व मुतअल्लिकात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01 ता 03	बहारे शरीअत (3 जिल्दे)	3996	04	फैज़ाने ज़कात	150
05 ता 11	جَدُّ الْمُتَنَارِ عَلَى رَدِّ الْمُتَنَارِ (7 جلدیں)	4000	12	तलाक़ के आसान मसाइल	30
13	الفتاوى المختارة	135	14	चन्दा करने की शर्इ एहतियातें	47
15	نور الايضاح مع حاشية النور والضياء	392	16	करन्सी नोट के मसाइल (كُلُّ الْفَقِيهِ الْقَاهِرِ فِي أَحْكَامِ وَرَاسِ الْدَّرَاهِمِ)	199
17	क़ानूने शरीअत	274	18	तरावीह के फ़ज़ाइलो मसाइल	69
19	السر اجيه	114	20	उशर के अहकाम	48
21	फ़तावा अहले सुन्नत : अहकामे ज़कात	612	22	नमाज़ में लुक़्मा देने के मसाइल	39
23	कुरसी पर नमाज़ पढ़ने के अहकाम	34	24	हज़ व उम्ह का मुख़्तसर तरीक़ा	48
25 ता 32	फ़तावा अहले सुन्नत (आठ हिस्से)	487	33	كُلُّ الْفَقِيهِ الْقَاهِرِ	74
34	फ़तावा अहले सुन्नत : अहकामे रोज़ा व ए'तिकाफ़	34	35	फैज़ाने नमाज़	49
36	मुख़्तसर फ़तावा अहले सुन्नत	243	37	टीवी और मूवी	32

38	27 वाजिबाते हज और तफ़सीली अहक़ाम	205	39	أَجَلِي الْأَعْلَام	70
40	तज्हीज़ो तक्फ़ीन का तरीक़ा	358	41	اصول الشاشي مع احسن الحواشي	299
42	تلخيص اصول الشاشي	144	43	नमाज़ ईद का तरीक़ा (शाफ़ेई)	63
44	नमाज़ का मुख़्तसर तरीक़ा मअ 40 मस्नून दुआएं	58	45	ईदैन में गले मिलना कैसा ? (وَسَاءُ الْحَيْدِي تَحُولِي مَعَانِقَةِ الْحَيْد)	55
46	कलिमा नमाज़ कोर्स	37	47	सीटी बजाने के अहक़ाम	16
48	मअशी तरक्की का राज़ (हाशिया व तशरीह : तदबीरे फ़लाहो नजात व इस्लाह)	41	49	सुबूते हिलाल के तरीक़े (طَرِيقُ رُشْدَاتِ هِلَال)	10
50	बा तस्वीर नमाज़	36	51	जन्नती ज़ेवर	679
52	خلاصة القرائن	84	53	आदत के बारे में शर्इ अहक़ाम	100
54	अज़ान के फ़ज़ाइलो मसाइल (शाफ़ेई)	29	55	जुमुआ के फ़ज़ाइलो मसाइल (शाफ़ेई)	24
56	मय्यित के गुस्ल व कफ़न का तरीक़ा	31	57	गुस्ल का तरीक़ा (शाफ़ेई)	25
58	वुजू का तरीक़ा (शाफ़ेई)	41	59	फ़तिहा और ईसाले सवाब का तरीक़ा (शाफ़ेई)	24

सीरत व तारीख़

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
सीरतुन्नबी व फ़ज़ाइलो मनाकिब					
01	सीरते मुस्तफ़ा	875	02	सीरते रसूले अरबी	758
03	आख़िरी नबी की प्यारी सीरत	147	04	مولد البرزنجي	26
05	सीरतुल अम्बिया	888	06	फ़ैज़ाने मे'राज	134
07	दलाइलुल ख़ैरात	319	08	आका के शहज़ादे व शहज़ादियां	137
09	19 दुरूदो सलाम	16	10	दुरूद शरीफ़ की बरकतें	16
11	नूर का खिलोना	32	12	मदनी आका के रोशन फैसले (الْبَاهِي حُكْمُ الْبَيْتِ بِالْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ)	112
सीरते सहाबए किराम					
01	फ़ैज़ाने सिद्दीके अक्बर	720	02	फ़ैज़ाने फ़ारुके आ'ज़म (जिल्द अव्वल, दुवुम)	1720
03	शाने सिद्दीके अक्बर	17	04	फ़ज़ाइले इमाम हुसैन	17

05	हज़रते अब्दुर्हमान बिन औफ़ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	132	06	हज़रते अबू उबैदा बिन ज़र्राह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	60
07	हज़रते सा'द बिन अबी वक्कास رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	89	08	हज़रते तल्हा बिन उबैदुल्लाह رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	56
09	फ़ैज़ाने सईद बिन जैद رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	32	10	हज़रते जुबैर बिन अक्वाम رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	72
11	फ़ैज़ाने अमीरे मुआविया رَضِيَ اللهُ عَنْهُ	56	12	सहाबए किराम عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان का इश्के रसूल	274
13	करामाते सहाबा	346	14	खुलफ़ाए राशिदीन	341
15	सीरते अबू दरदा	75	16	मौला अली के 72 इर्शादात	17
सीरते सहाबियात व सालिहात					
01	शाने ख़ातूने जन्नत	501	02	फ़ैज़ाने उम्महातुल मुअमिनीन	367
03	फ़ैज़ाने आइशा सिद्दीका	608	04	फ़ैज़ाने ख़दीजतुल कुब्रा	84
05	उम्महातुल मुअमिनीन	59	06	बारगाहे रिसालत में सहाबियात के नज़राने	48
07	सहाबियात व सालिहात और सन्न	108	08	सहाबियात और नसीहतों के मदनी फूल	144
09	सहाबियात व सालिहात और राहे खुदा में खर्च करना	56	10	सहाबियात और इश्के रसूल	64
11	सहाबियात और दीन की ख़ातिर कुरबानियां	55	12	सहाबियात और शौके इल्मे दीन	55
13	अज्वाजे अम्बिया की हिकायात	260	14	सहाबियात और शौके इबादत	76
15	सहाबियात व सालिहात और सन्न	108	16	फ़ैज़ाने बीबी उम्मे सुलैम	60
17	फ़ैज़ाने बीबी मरयम	91	18	सहाबियात और पर्दा	56
19	फ़ैज़ाने हज़रते आसिया	36			
सीरते औलिया व इलमा					
01	ग़ौसे पाक رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ के हालात	106	02	फ़ैज़ाने ग़ौसे आ'ज़म رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ	17
03	हज़रते सय्यिदुना उमर बिन अब्दुल अजीज़ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ की 425 हिकायात	590	04 ता 13	अल्लाह वालों की बातें (حَدِيثُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ) (10 जिल्दें) (सीरते सहाबा व औलिया)	6209
14	फ़ैज़ाने सय्यिद अहमद कबीर रफ़ाई	33	15	الرَّوْزَةُ الْقُدْرِيَّة	93
16	शाने रफ़ाई	17	17	फ़ैज़ाने दाता अली हिजवेरी	84
18	फ़ैज़ाने सुल्तान बाहू	32	19	फ़ैज़ाने बाबा फ़रीद गन्जे शकर	115
20	शाने हाफ़िज़े मिल्लत	17	21	सीरते बाबा फ़रीद	17
22	साबिर पिया कल्यारी की हिकायात	16	23	फ़ैज़ाने ख़्वाजा ग़रीब नवाज़	32

24	फ़ैज़ाने मुहद्दिसे आ'ज़म पाकिस्तान	62	25	फ़ैज़ाने पीर मेहर अली शाह	33
26	फ़ैज़ाने उस्मान मरवन्दी	43	27	आ'ला हज़रत की इन्फ़िरादी कोशिशें	49
28	फ़ैज़ाने बहाउद्दीन ज़करिय्या मुलतानी	74	29	शाने इमाम अहमद रज़ा	17
30	फ़ैज़ाने हज़रत साबिरे पाक	53	31	तज़्किरए सदरुल अफ़ज़िल	25
32	फ़ैज़ाने बाबा बुल्हे शाह	75	33	फ़ैज़ाने मुफ़्ती अहमद यार ख़ान नईमी	71
34	फ़ैज़ाने इमाम ग़ज़ाली	103	35	फ़ैज़ाने मौलाना मुहम्मद अब्दुस्सलाम कादिरी	70
36	फ़ैज़ाने शम्सुल अरिफ़ीन	79	37	तज़्किरए सदरुल अफ़ज़िल	25
38	फ़ैज़ाने पीर पठान	64	39	फ़ैज़ाने हाफ़िज़े मिल्लत	32
40	फ़ैज़ाने अल्लामा काज़िमी	70	41	अत्तार का प्यारा	166
42	मुफ़्तिये दा'वते इस्लामी	96	43	महबूबे अत्तार की 122 हिकायात	208
44	करामाते ख़्वाजा	17	45	फ़ैज़ाने इमाम बुख़ारी	17
46	इश्दाते इमाम अहमद रज़ा	17			
तारीख़					
01	आईनए क़ियामत	108	02	सवानेहे करबला	192
03	मुहर्म्म के फ़ज़ाइल	17	04	आशिक़ाने हदीस की हिकायात (اَشْرَافُ مَطْلَبِ الْحَدِيثِ)	105

सीरत व मलफूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात
फ़ैज़ाने मदनी मुज़ाकरा					
01	क़िस्त 1 : वुजू के बारे में वस्वसे और उन का इलाज	48	02	क़िस्त 18 : तज्दीदे ईमान व तज्दीदे निकाह का आसान तरीक़ा	27
03	क़िस्त 7 : इस्लाहे उम्मत में दा'वते इस्लामी का किरदार	28	04	क़िस्त 2 : मुक़द्दस तहरीरात के आदाब के बारे में सुवाल जवाब	48
05	क़िस्त 20 : कुत्बे आलम की अजीब करामत	40	06	क़िस्त 10 : वलियुल्लाह की पहचान	36
07	क़िस्त 3 : पानी के बारे में अहम मा'लूमात	48	08	क़िस्त 22 : नज़र की कमज़ोरी के अस्बाब मअ इलाज	30

09	किस्त 4 : बुलन्द आवाज़ से जि़क्र करने में हि़क़मत	48	10	किस्त 23 : शरीर जिन्नात को बदी की ताक़त कहना कैसा ?	30
11	किस्त 5 : गूंगे बहरों के बारे में सुवाल ज़वाब	22	12	किस्त 24 : बच्चों की तरबियत कब और कैसे की जाए ?	32
13	किस्त 25 : अम्बिया व औलिया को पुकारना कैसा ?	41	14	किस्त 6 : जन्नतियों की ज़बान	31
15	किस्त 26 : तोहफ़े में क्या देना चाहिये ?	41	16	किस्त 19 : पीरी मुरीदी की शर्ह हैसियत	32
17	किस्त 27 : तंगदस्ती और रिज़क़ में बे बरकती का सबब	37	18	किस्त 8 : सरकार ﷺ का अन्दाज़े तब्लीगे दीन	32
19	किस्त 28 : हाफ़िज़ा कमज़ोर होने की वुजूहात	36	20	किस्त 29 : सुल्ह करवाने के फ़ज़ा़इल	44
21	किस्त 9 : यकीने कामिल की बरकतें	32	22	किस्त 30 : दिल जीतने का नुस्खा	42
23	किस्त 21 : सफ़रे मदीना के बारे में सुवाल ज़वाब	37	24	किस्त 31 : जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो औरतों को क्या मिलेगा ?	31
25	किस्त 11 : नाम कैसे रखे जाएं ?	44	26	किस्त 12 : मसाजिद के आदाब	36
27	किस्त 37 : सारे घर वाले नेक कैसे बनें ?	38	28	किस्त 32 : ना'त ख़्वानी के मुतअल्लिक़ सुवाल ज़वाब	36
29	किस्त 14 : तमाम दिनों का सरदार	32	30	किस्त 33 : बुराई का बदला अच्छाई से दीजिये	28
31	किस्त 15 : अपने लिये कफ़न तय्यार रखना कैसा ?	32	32	किस्त 34 : शैतान के लिये ज़ियादा सख़्त कौन ?	31
33	किस्त 16 : नेकियां छुपाओ	106	34	किस्त 35 : इन्सान को फ़िरिश्ता कहना कैसा ?	28
35	किस्त 17 : यतीम किसे कहते हैं ?	28	36	किस्त 36 : तबर्कुकात का सुबूत	30
37	किस्त 13 : सादाते किराम की अज़मत	30	38	किस्त 41 : रफ़ीके सफ़र कैसा हो ?	38
39	किस्त 42 : दरज़ियों के बारे में सुवाल ज़वाब	83	40	मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत (किस्त 6) दरख़्त लगाइये सवाब कमाइये	24
41	किस्त 43 : तंग वक़्त में नमाज़ का तरीका	38	42	किस्त 39 : जुमुआ को ईद हो तो कैसा ?	33
43	किस्त 44 : मस्जिद की सफ़ाई की फ़ज़ीलत	27	44	किस्त 40 : दिल की सख़्ती के अस्बाब व इलाज़	28
45	किस्त 38 : छुट्टियां कैसे गुज़ारें ?	28	46 ता 48	मल्फूज़ाते अमीरे अहले सुन्नत (जिल्द 1 ता 3)	1790
तज़िक़रए अमीरे अहले सुन्नत					
01	किस्त 1 : तज़िक़रए अमीरे अहले सुन्नत	49	02	किस्त 2 : इब्तिदाई हालात	48

03	किस्त 3 : सुन्नते निकाह	86	04	किस्त 4 : शौके इल्मे दीन	49
05	किस्त 5 : इल्मो हिकमत के 125 मदनी फूल	102	06	किस्त 6 : हुक्कुल इबाद की एहतियातें	44
07	किस्त 7 : पैकरे शर्मों हया	48	08	किस्त 8 : फैज़ाने मदनी मुजाकरा	80
09	तआरुफ़े अमीरे अहले सुन्नत	100	10	कौमे जिनात और अमीरे अहले सुन्नत	262
11	तज़्किरए जा नशीने अत्तार	37			

तसव्वुफ़ व अख़लाक़ियात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	منتخب الايواب من احياء علوم الدين (عربي)	173	02	नेकियों की जज़ाएं और गुनाहों की सज़ाएं (فؤاد النعمين ومفاتيح القلوب المبحرّة)	142
03	आदाबे मुशिदे कामिल (मुकम्मल पांच हिस्से)	275	04	शर्हें शजरए कादिरिया	215
05 ता 06	जहन्नम में ले वाले आ'माल 2 जिल्दे (الزواجر عن اقتراف الكبائر)	1865	07	शरीअत व तरीकत (مقال عرفانها مع شرحها)	57
08	इस्लाहे आ'माल जिल्द अव्वल (الحديقة النورية شرح طريقة المحاسبة)	866	09	विलायत का आसान रास्ता (तसव्वुरे शैख) (البيان الواسط)	60
10	नेकी की दा'वत के फ़ज़ाइल (الأمم المعروفة والظن عن الشكر)	98	11	दुन्या से बे रग़बती और उम्मीदों की कमी (الرفقة وقصر الأمل)	85
12	बहारे निय्यत (كتاب النيات)	159	13	मुकाशफ़तुल कुलूब	692
14	राहे इल्म (تعليم المتعلم طريق التعلم)	102	15	सरमायए आख़िरत	200
16	एहयाउल उलूम का खुलासा (كتاب الأحياء)	641	17	तकब्बुर	97
18	हिकायतें और नसीहतें (الكوش القاتق)	649	19	बद गुमानी	57
20	अच्छे बुरे अमल (رسالة المذكرة)	122	21	क़ब्र में आने वाला दोस्त	115
22	शुक्र के फ़ज़ाइल (الشكر لله عز وجل)	122	23	फ़िक्रे मदीना	164
24	हुस्ने अख़लाक़ (مكارم الأخلاق)	102	25	रियाकारी	170
26	आदाबे दीन (الأداب في الدين)	63	27	तौबा की रिवायात व हिकायात	124
28	आंसूओं का दरिया (بحر الدموع)	300	29	तरबियते औलाद	187
30	फ़ैज़ाने एहयाउल उलूम	325	31	शाहराहे औलिया (منهاج العارفين)	36

32	इमामे आ'जम رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ की वसियतें (وَصَايَا إِمَامِ أَكْبَرِ)	46	33	मुख्तसर मिन्हाजुल आबिदीन (تَهْنِئَةُ الْعَاقِلِينَ مُعْتَصِرُ مَثَالِ الْعَايِدِينَ)	281
34	जियाए सदकात	408	35	बेटे को नसीहत (إِلَهَامُ الْوَلَدِ)	64
36	जन्नत की दो चाबियां	152	37 ता 41	एहयाउल उलूम मुतर्जम (5 जिल्दे)	5522
42	जल्द बाजी के नुकसानात	168	43 ता 45	कूतुल कुलूब (उर्दू) (3 जिल्दे)	2176
46	कसीदए बुर्दा से रूहानी इलाज	22	47	76 कबीरा गुनाह	264
48	सुन्नतें और आदाब	125	49	खौफे खुदा	160
50	बुरजो कीना	83	51	मजाराते औलिया की हिकायात	48
52	बेहतर कौन ?	139	53	हिर्स	232
54	शर्हुस्सुदूर (मुतर्जम)	586	55	हसद	97
56	152 रहमत भरी हिकायात	326	57	आदाबे दुआ	49
58	मिन्हाजुल आबिदीन	496	59	तक्लीफ न दीजिये	219
60	बातिनी बीमारियों की मा'लूमात	352	61	एक चुप सो सुख (حُسْنُ السُّنْتِ لِلْفَتَى)	37
62	आका का प्यारा कौन ?	63	63	आखिरत के हालात (الْأَيُّورُ السَّارَةُ)	816
64	वोह हम में से नहीं	112	65	जैसी करनी वैसी भरनी	110
66	आईनए इब्रत	133	67	नेकियां बरबाद होने से बचाइये	103
68	बिहिश्त की कुन्जियां	249	69	बद शुगूनी	128
70	जहन्नम के ख़तरात	207	71	गुनाहों के अज़ाबात (हिस्साए अव्वल, दुवुम)	193
72	इस्लामी ज़िन्दगी	170	73	आसान नेकियां	192
74	राहे खुदा में खर्च करने के फ़ज़ाइल (رَأَى الْقَهْطُ الْوَيْلَ بِمَعْرُوفِ الْجَبَّارِ وَمَوَاسِدِ الْفَقْرَارِ)	40	75	दीनो दुन्या की अनोखी बातें जिल्द 1 (الْمُسْتَعْرِفُ فِي كُلِّ مَقَرٍّ مُسْتَقْبَرٍ)	552
76	हुकूकुल इबाद कैसे मुआफ़ हों ? (أَعْيَبُ الْأَمْدَادِ)	47	77	सायए अर्श किस किस को मिलेगा ? (تَهْنِئَةُ الْفَرَشِ فِي الْخِصَالِ الْبُيُوتَةِ لِطَلِ الْعُزْشِ)	28
78	आ'राबी के सुवालात अरबी आका के जवाबात (أَحْسَنُ الْوَعْدِ لِأَدَابِ الدُّعَاءِ مَعَهُ قَوْلُ الْمُدْعَاءِ أَحْسَنُ الْوَعْدِ)	118	79	फ़ज़ाइले दुआ	326
80	बुराइयों की मां	112	81	जामेए शराइत पीर	87
82	नजात दिलाने वाले आ'माल की मा'लूमात	312	83	पीर पर ए'तिराज मन्ज़ है	59

84	औलाद के हुक्क (مُسْتَعْلَى الْإِسْلَام)	31	85	कामिल मुरीद	48
86	इन्फ़रादी कोशिश	200	87	मक्सदे हयात	60
88	इमामे के फ़ज़ाइल	517	89	जन्नत का रास्ता	56
90	शौहर को कैसा होना चाहिये ?	47	91	मौत का तसव्वुर	44
92	बीवी को कैसा होना चाहिये ?	45	93	प्यारे मुर्शिद	48
94	ग़ैरत मन्द शौहर	47	95	सदके का इन्आम	60
96	अल्लाह वालों का अन्दाज़े तिजारत	68	97	हमें क्या हो गया है ?	116
98	येह वक़्त भी गुज़र जाएगा	39	99	सहाबी की इन्फ़रादी कोशिश	124
100	बेटी की परवरिश	72	101	गुनाहों की नुहूसत	112
102	अच्छे माहोल की बरकतें	56	103	सूद और उस का इलाज	92
104	बेटे की वसियत	36	105	एक ज़माना ऐसा आया	51
106	वालिदैन, जौजैन और असातिज़ा के हुक्क (الْحَقُّونَ لِطَرِيقِ الْحَقِّ)	125	107	फ़ैज़ाने इल्म व उलमा (فَضْلُ الْعِلْمِ وَالْعُلَمَاءِ)	38
108	फ़ैज़ाने मुर्शिद	46	109	इल्म व उलमा की शान	51
110	अख़्लाकुस्सालिहीन	78	111	उलमा पर ए'तिराज़ मन्अ है	34
112	इस्लामी शादी	202	113	सोने का अन्डा	17
114	दुआ क़बूल होने के अस्वाब	28	115	नेकियों के सवाबात (हिस्सए अव्वल)	136
116	तवक्कुल	103	117	बादशाह की सड़ी हुई लाश	17

अक़ाइद व मुतअल्लिकात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	شرح الفقه الأكبر	213	02	तहकीकात	142
03	شرح العقائد مع حاشية جميع الفرائد	384	04	बुन्यादी अक़ाइद और मा'मूलाते अहले सुन्नत	135
05	किताबुल अक़ाइद	64	06	अक़ीदए आख़िरत	41
07	اعتقاد الاحباب (दस अक़ीदे)	200	08	إِقَامَةُ الْقِيَامَةِ	60
09	ईमान की पहचान (हाशिया तम्हीदे ईमान)	74	10	الْفَضْلُ السُّوْفِي	46
11	शफ़अत के मुतअल्लिक 40 हदीसें	27	12	انوار الميثان	93

13	الدَّعْوَةُ إِلَى الْفِكْرِ	148	14	तम्हीदुल ईमान	77
15	हक्को बातिल का फर्क	50	16	अल हक्कुल मुबीन	128
17	इश्के रसूल	54	18	गुलदस्तए अकाइदो आ'माल	244
19	फैज़ाने मज़ारते औलिया (كُشْفُ الثُّورَعَيْنِ عَنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ)	144			

ता 'लीमाते इस्लाम

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात
01	इस्लाम की बुन्यादी बातें (हिस्सा 1)	60	02	इस्लाम के बुन्यादी अक्कीदे	122
03	इस्लाम की बुन्यादी बातें (हिस्सा 2)	104	04	दिलचस्प मा'लूमात सुवालन जवाबन (हिस्सा 1)	305
05	इस्लाम की बुन्यादी बातें (हिस्सा 3)	352	06	दिलचस्प मा'लूमात सुवालन जवाबन (हिस्सा 2)	361
07	फैज़ाने इस्लाम कोर्स हिस्सए अव्वल	79	08	माले विरासत में ख़ियानत मत कीजिये	42
09	फैज़ाने इस्लाम कोर्स हिस्सए दुवुम	102	10	इस्लामी महीनों के फ़ज़ाइल	345

इलूमो फुनून दर्सी कुतुब

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़्हात
01	مرام الارواح مع حاشية ضياء الاصباح	241	02	ديوان المتنبى مع الحاشية البعيدة اتقان المتلقى	88
03	جامع ابواب الصرف	235	04	نصاب الصرف	343
05	ديوان الحباشة مع الحاشية الجديدة زبدة القصاحة	206	06	المقامات الحربية مع حاشية المقالات العبدية	128
07	انشاء العربية	84	08	تعريفات نحوية	45
09	طريقه جديده حصه 1,2,3	212	10	خلاصة النحو (حصه اول ودوم)	212
11	خاصيات الوب	141	12	نحوير مع حاشية نحو مير	203
13	عناية النحوق شرح هداية النحو	280	14	المحادثة العربية	101
15	كافيه مع شرح ناجيه	252	16	نصاب الادب	184
17	شرح الجاهي مع حاشية الفرح النامي	419	18	فيض الادب (كامل حصه اول، دوم)	228
19	شرح مئة عامل	44	20	البرقاءة	91

21	میرے عالم (فارسی ترجمہ)	22	22	شرح تہذیب	305
23	دروس البلاغة مع شمس البزاعة	241	24	نصاب المنطق	168
25	تلخیص المفتاح مع شرحہ المجید تنویر المصباح	219	26	العلاقات السبع مع الحاشیة الجدیدة معطرات الطبع	112
27	مختصر المعانی	472	28	القطبی	223
29	البطل مع حاشیة المؤول	398	30	هدایة الحکمة	116
31	قصیدہ بردہ مع شرح خرپوتی	317	32	الرشیدیہ مع الفریدیہ	127
33	انتقان الفراسہ شرح دیوان الحباسہ	325	34	العربیہ للطالین جلد اول	296
35	صرف بہائی مع حاشیہ صرف بہائی	55			

بयानات वगैरा

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01 ता 06	इस्लामी बयानात जिल्द 1 ता 6	2516	07	शाने मुस्तफ़ा पर 12 बयानात	159
08	सुन्नतों भरे बयानात जिल्द अव्वल	560	09	दिल खुश करने के तरीके	68
10	पैग़ामे फ़ना	48	11	फ़ैज़ाने खुत्बाते रज़विय्या	24
12	गुलदस्तए दुरूदो सलाम	660	13	एक आंख वाला आदमी	48
14	इस्लाह के मदनी फूल	372	15	गुस्ताख़े रसूल का अमली बोयकोट	52
16	ग़रीब फ़ाएदे में है (बयान 1)	30	17	एहसासे जिम्मेदारी	50
18	जवानी कैसे गुज़रें ? (बयान 2)	44	19	रसाइले दा'वते इस्लामी	422
20	फ़ैज़ाने बयानाते अत्तार जिल्द 1	609			

ना'तिया दीवान

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	हदाइके बख़्शिश	446	02	सामाने बख़्शिश	231
03	जौके ना'त	319	04	क़बालए बख़्शिश	384
05	बयाजे पाक हुज्जतुल इस्लाम	37	06	मनाक़िबे अत्तार	164

दा 'वते इस्लामी व समरात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़हात
01	बारह मदनी काम	72	02	मदनी दौरा	44
03	इस्लामी बहनों के 8 मदनी काम	44	04	इन्फ़रादी कोशिश	48
05	मस्जिद दर्स	52	06	रमज़ान के सुब्हो शाम गुज़ारने का तरीका	780
07	हफ़्तावार मदनी मुज़ाकरा	72	08	तन्ज़ीमी कामों की तक्सीम	50
09	हफ़्तावार इज्तिमाअ	80	10	मदनी कामों की तक्सीम के तकाज़े	73
11	हफ़्तावार मदनी हल्का	36	12	मदनी मर्कज़ की आबादकारी कैसे हो ?	64
13	सदाए मदनीना	32	14	वक्फ़े मदनीना	86
15	चौकदर्स	36	16	नेक बनने और बनाने के तरीके	696
17	मद्रसतुल मदीना बालिग़ान	72	18	जन्नत के तलब गारों के लिये मदनी गुलदस्ता	470
19	इज्तिमाई सुन्नत ए'तिकाफ़ का ज़द्वल	195	20	फ़ैसला करने के मदनी फूल	56
21	बा'दे फ़ज़्र मदनी हल्का	46	22	सरकार ﷺ का पैग़ाम अ़त्तार के नाम	49
23	मदनी इन्आमात	72	24	इस्लाह का राज़ (इस्लामी चैनल की बहारे हिस्सा दुवुम)	32
25	दा'वते इस्लामी की ख़िदमात	43	26	मोडर्न नौ जवान की तौबा	33
27	मदनी क़ाफ़िला	80	28	सलातो सलाम की अ़शिका	32
29	यौमे ता'तील ए'तिकाफ़	24	30	म्यूज़ीकल शो का मतवाला	32
31	क़ब्र खुल गई	48	32	नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग	33
33	गूंगा मुबल्लिग़	55	34	आंखों का तारा	32
35	दा'वते इस्लामी की मदनी बहारे	220	36	वली से निस्बत की बरकत	32
37	गुमशुदा दूल्हा	33	38	बा बरकत रोटी	32
39	जिन्नों की दुन्या	32	40	इग़वा शुदा बच्चों की वापसी	32
41	मैं ने मदनी बुरक़अ क्यूं पहना ?	33	42	ग़ाफ़िल दर्जी	32
43	बा किरदार अ़त्तारी	36	44	घर दर्स इस्लामी बहनें	32
45	सिंगर की तौबा	33	46	अ़लाकाई दौरा (इस्लामी बहनें)	32

47	मुर्दा बोल उठा	32	48	मैं नेक कैसे बना ?	32
49	कफ़न की सलामती	32	50	शराबी, मुअज़्ज़िन कैसे बना ?	32
51	मैं हयादार कैसे बनी ?	32	52	बद किरदार की तौबा	32
53	चल मदीना की सआदत मिल गई	32	54	खुश नसीबी की किरनें	32
55	बद नसीब दूल्हा	32	56	नाकाम आशिक	32
57	मा'ज़ूर बच्ची मुबल्लिगा कैसे बनी ?	32	58	मैं ने वीडियो सेन्टर क्यों बन्द किया ?	32
59	बे कुसूर की मदद	32	60	चमक्ती आंखों वाले बुजुर्ग	32
61	हेरोइन्ची की तौबा	32	62	हैरत अंगेज़ हादिसा	32
63	अत्तारी जिन का गुस्ले मय्यित	24	64	नादान आशिक	32
65		32	66	सिनेमा घर का शैदाई	32
67	मदीने का मुसाफ़िर	32	68	डान्सर ना'त ख़वान बन गया	32
69	ख़ौफ़नाक दांतों वाला बच्चा	32	70	गुलूकार कैसे सुधरा ?	32
71	फ़िल्मी अदाकार की तौबा	32	72	नशेबाज़ की इस्लाह का राज़	32
73	सास बहू में सुल्ह का राज़	32	74	काले बिच्छू का ख़ौफ़	32
75	क़ब्रिस्तान की चुड़ैल	24	76	ब्रेक डान्सर कैसे सुधरा ?	32
77	फ़ैज़ाने अमीरे अहले सुन्नत	101	78	अज़ीबुल ख़िल्फ़त बच्ची	32
79	क़ातिल इमामत के मुसल्ले पर	32	80	खुशबूदार क़ब्र	32
81	शराबी की तौबा	33	82	वालिदैन् के ना फ़रमान की तौबा	32
83	चन्द घड़ियों का सौदा	32	84	डान्सर बन गया सुन्नतों का पैकर	32
85	सींगों वाली दुल्हन	32	86	मीठे बोल की बरकतें	32
87	भयानक हादिसा	30	88	अदाकारी का शौक़ कैसे ख़त्म हुवा ?	32
89	ख़ौफ़नाक बला	33	90	डाकूओं की वापसी	32
91	पुर असरार कुत्ता	27	92	मदनी माहोल कैसे मिला ?	62
93	हफ़्तावार मदनी मुजाकरा इस्लामी बहनें	48	94	बेटे की रिहाई	56
95	चमक्दार कफ़न	32	96	दिलों का चैन	32
97	अस्लहे का सौदागर	32	98	मुख़ालफ़त महब्बत में कैसे बदली ?	32

99	भंगड़े बाज़ सुधर गया	32	100	ड्रामा डायरेक्टर की तौबा	32
101	जराइम की दुनिया से वापसी	32	102	हैरत अंगेज़ गुलूकार	32
103	केनसर का इलाज	32	104	नूरे हिदायत	32
105	अजनबी का तोहफ़ा	32	106	जूआरी व शराबी की तौबा	32
107	अनोखी कमाई	32	108	औबाश, दा'वते इस्लामी में कैसे आया ?	32
109	बद चलन कैसे ताइब हुवा ?	32	110	वालिदा का ना फ़रमान इमाम कैसे बना ?	32
111	बुरी संगत का वबाल	32	112	सुन्नते रसूल की महबूत	32
113	रसाइल मदनी बहार	368	114	रूहानी मन्ज़र	32
115	बद अत्वार शख़्स आलिम कैसे बना ?	32	116	राहे सुन्नत का मुसाफ़िर	32
117	झगड़ालू कैसे सुधरा ?	32	118	अराकीने शूरा की मदनी बहारें	32
119	पांच रुपै की बरकत से सात शादियां	32	120	दा'वते इस्लामी के बारे में दिलचस्प मा'लूमात	660
121	बा किरदार अत्तारी	32	122	घर दर्स इस्लामी बहनें	24
123	सिंगर की तौबा	32	124	अलाकाई दौरा (इस्लामी बहनें)	48
125	मफ़्लूज की शिफ़ायबी का राज़	32	126	मदनी काफ़िले वालों के लिये अनमोल तोहफ़ा	112
127	शादी ख़ाना बरबादी के अस्बाब और उन का हल	32	128	हफ़तावार इज्तिमाअ (इस्लामी बहनें)	48

मुतफ़रि़कात

नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह्रात	नम्बर शुमार	किताब का नाम	सफ़ह्रात
01 ता 02	उयूनुल हिक्मायात (मुतर्जम, हिस्साए अब्बल, दुवुम)	825	03	काम्याब उस्ताज़ कौन ?	43
04	ताजिरो के लिये काम की बातें	60	05	नाम के अहकाम	180
06	अल मल्फूज़ अल मा'रूफ़ ब मल्फूज़ाते आ'ला हज़रत (मुकम्मल चार हिस्से)	561	07	आ'ला हज़रत से सुवाल जवाब (اَعْلَاءُ الْحَقِّ الْجَلِيلِ)	100
08	वेलन्टाइन डे (कुरआनो हदीस की रोशनी में)	34	09	खाना खाने और खिलाने के बारे में सुवाल व जवाब	40
10	अल वज़ीफ़तुल करीमा	46	11	कोरोना और दीगर वबाएं	69

12	الرّجاء البتّة	62	13	आशिके मीलाद बादशाह	21
14	इम्तिहान की तय्यारी कैसे करें ?	32	15	अल्लाह पाक के 99 नामों की बरकतें	16
16	काम्याब तालिबे इल्म कौन ?	63	17	सर्दी के बारे में दिलचस्प मा'लूमात	17
18	तंगदस्ती के अस्बाब	33	19	साबिर बूढ़ा	17
20	बिस्मिल्लाह शरीफ़ की बरकतें	17	21	फ़ैज़ाने रजब	17
22	फ़ैज़ाने शा'बान	17	23	अज़ान की बरकतें	21
24	रहनुमाई करने वाला भेड़िया	8	25	माहे रमज़ान और अमीरे अहले सुन्नत	28
26	वुजू और साइन्स (शाफ़ेई)	20	27	लालची कबूतर	8
28	काम की बातें	17	29	ह़ाफ़िज़ा कैसे मज़बूत हो ?	200
30	मीठी ईद और मीठी बातें	17	31	अपनी परेशानी ज़ाहिर करना कैसा ?	17
32	काम के अवराद	17			



बद मज़हब को उस्ताद बनाना

बद मज़हब से दीनी या दुनियावी ता'लीम लेने की मुमानअत करते हुए सय्यिदी आ'ला हज़रत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान رحمة الله عليه फ़रमाते हैं : ग़ैर मज़हब वालियों (या वालों) की सोहबत आग है, जो इल्म अक़िल बालिग़ मर्दों के मज़हब (भी) इस में बिगड़ गए हैं। इमरान बिन हिज़ान रक़ाशी का किस्सा मशहूर है, येह ताबिईन के ज़माने में एक बड़ा मुहद्दिस था, ख़ारिजी मज़हब की औरत (से शादी कर के उस) की सोहबत में (रह कर) معاذ الله खुद ख़ारिजी हो गया और येह दा'वा किया था कि (उस से शादी कर के) उसे सुन्नी करना चाहता है। (यहां वोह नादान लोग इब्रत हासिल करें जो ब जो'मे फ़ासिद खुद को बहुत "पक्का सुन्नी" तसव्वुर करते और कहते सुनाई देते हैं कि हमें अपने मस्लक से कोई हिला नहीं सकता, हम बहुत ही मज़बूत हैं!) मेरे आका आ'ला हज़रत رحمة الله عليه मज़ीद फ़रमाते हैं : जब सोहबत की येह हालत (कि इतना बड़ा मुहद्दिस गुमराह हो गया) तो (बद मज़हब को) उस्ताद बनाना किस दरजे बदतर है कि उस्ताद का असर बहुत अज़ीम और निहायत जल्द होता है, तो ग़ैर मज़हब औरत (या मर्द) की सिपुर्दगी या शागिर्दी में अपने बच्चों को वोही देगा जो आप (खुद ही) दीन से वासिता नहीं रखता और अपने बच्चों के बद दीन हो जाने की परवाह नहीं रखता। (फ़तावा रज़विय्या, 23/692)

“मस्जिद भरो तहरीक मस्जिद बनाओ तहरीक”

अज : शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल

مُحَمَّدٌ اِيْلَاسِ اَنْتَارِ كَادِرِي رَجْوِي دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

مस्جِدِےں آباد کرنے کی فِجلیت پر مشتمل تین فِرامینے مُستَفَا : صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(1) बेशक **अल्लाह** पाक के घरों को आबाद करने वाले ही **अल्लाह** वाले हैं । (2502: حديث: 58/2، اوسطه 2)

(2) जो मस्जिद से महब्बत करता है **अल्लाह** पाक उसे अपना महबूब (या'नी प्यारा) बना लेता है ।

(3) जब कोई बन्दा ज़िक्‍र या नमाज़ के लिये मस्जिद को ठिकाना बना लेता है तो अल्लाह पाक उस की तरफ़ रहमत की नज़र फ़रमाता है, जैसा कि जब कोई गाइब आता है तो उस के घर वाले उस से खुश होते हैं। (अलमान ماجه: 1/438، حدیث: 800)।

اللّٰهُمَّ ! आशिक़ाने रसूल की दीनी तहरीक, “दा’वते इस्लामी” नेकी की दा’वत आम करने के लिये मसाजिद आबाद करने का भी अज़्म रखती है, इसी मक्सद के लिये इन्फिरादी और इज्तिमाई कोशिशों के ज़रीए आशिक़ाने रसूल को नमाज़े बा जमाअत के लिये मसाजिद का रुख़ करने की तरगीब दी जाती है। मुख़्तलिफ़ मसाजिद में बा’द नमाज़े फ़त्र मदनी हल्का और किसी नमाज़ के बा’द दर्से फैज़ाने सुन्नत की तरकीब होती है, इस के इलावा हफ़तावार सुन्नतों भरे इज्तिमाआत और मुख़्तलिफ़ मवाकेअ पर होने वाले तरबियती इज्तिमाआत भी मसाजिद में होते हैं, मदनी मुजाकरा भी मस्जिद (या’नी मदनी मर्कज़ फैज़ाने मदीना) में होता है, सुन्नतों की तरबियत के लिये दुन्या भर में सफ़र करने वाले आशिक़ाने रसूल के मदनी क़ाफ़िले भी उम्मूमन मसाजिद ही में ठहरते हैं, जो मसाजिद आबाद करने का एक बेहतरीन ज़रीआ हैं। हमारे प्यारे आका, मक्की मदनी मुस्तफ़ा ﷺ ने मस्जिदें बनाने की तरगीब देते हुए इश्ाद फ़रमाया : (1) जो अल्लाह पाक के लिये मस्जिद बनाएगा अल्लाह पाक उस के लिये जन्नत में घर बनाएगा। (7471/1, 1218/1, 9/1) (2) मस्जिदें ता’मीर करो और उन्हें महफूज़ बनाओ। (9/1, 344/1, 9/1) (مصنف ابن أبي شيبة)

प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयो ! दा’वते इस्लामी जहां “मस्जिद भरो तहरीक” है वहां “मस्जिद बनाओ तहरीक” भी है, दा’वते इस्लामी की “मजलिस खुद्दामुल मसाजिद” मसाजिद की ता’मीर, आबादकारी और मस्जिद के अमले (Staff) के मुशाहरों (Salaries) के इन्तिज़ामात वगैरा के लिये कोशां है।

اللّٰهُمَّ ! 2017 ई. में हिन्दुस्तान में सैंकड़ों मसाजिद ता’मीर की गईं ।

कर मस्जिदें आबाद तेरी क़ब्र हो आबाद फिर दौंस अता कर के खुदा तुझ को करे शाद

अपनी आखिरत संवारने के लिये आप भी मसाजिद की ता'मीर में हिस्सा लीजिये । मजलिसे खद्दामल मसाजिद (दा'वते इस्लामी) से राबिते के लिये :

मोबाइल नम्बर : 8689811206 वॉट्सएप नम्बर : 8689811206 Email : khuddamulmasajidhind@gmail.com

(माहनामा फैजाने मदीना, जुमादल उख्रा, 1439/मार्च 2018)

नमाज़ के चन्द ज़रूरी मसाइल

अज़ : शैख़े त़रीक़त, अमीरे अहले सुन्नत बानिये दा'वते इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना

अबू बिलाल मुहम्मद इल्यास अत्तार कादिरि रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ

हदीस शरीफ़ में है : जो शख्स रुकूअ व सुजूद मुकम्मल नहीं करता नमाज़ उसे कहती है : **“अल्लाह तुझे हलाक करे जिस तरह तू ने मुझे ज़ाएअ किया, फिर उस नमाज़ को पुराने कपड़े की तरह लपेट कर नमाज़ी के मुंह पर मार दिया जाता है।”** (شعب الإيمان، 3/144، حديث: 3140، مسقط)
नीज़ एक रिवायत में है : बद तरीन चोर वोह है जो नमाज़ में चोरी करे। अज़ की गई : नमाज़ का चोर कौन है ? फ़रमाया : वोह जो रुकूअ व सुजूद मुकम्मल न करे। (مسند احمد، 8/386، حديث: 22705)
 आज कल नमाज़ में की जाने वाली उमूमी ग़लतियों (Common Mistakes) में से कुछ को मद्दे नज़र रखते हुए चन्द मदनी फूल पेशे ख़िदमत हैं : ❀ रुकूअ में झुकने की कम अज़ कम हद येह है कि हाथ बढ़ाए तो घुटनों तक पहुंच जाए जब कि मुकम्मल रुकूअ येह है कि पीठ सीधी बिछा दे। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, 1/513 मफ़हूमन) ❀ रुकूअ के लिये झुकना नमाज़ में फ़र्ज़ है और वहां कुछ ठहरना या'नी इत्मीनान से रुकूअ करना वाजिब। (मिरआतुल मनाज़ीह, 2/75) ❀ किसी नर्म चीज़ मसलन घास, रूई, क़ालीन वगैरा पर सज्दा करने की सूरत में पेशानी और नाक की हड्डी को इतना दबाना ज़रूरी है कि दबाने से मज़ीद न दबे। अगर पेशानी इतनी न दबी तो नमाज़ ही न होगी जब कि नाक की हड्डी इतनी न दबी तो नमाज़ मक्रूहे तहरीमी होगी और उसे लौटाना वाजिब होगा। (माग़ीरी، 1/70) ❀ सज्दे में पाउं की एक उंगली का पेट ज़मीन पर लगना फ़र्ज़ है और हर पाउं की अक्सर उंगलियों का पेट ज़मीन पर लगना वाजिब है। (फ़तावा रज़विय्या, 3/253 मुलख़ब़सन) ❀ रुकूअ के बा'द सीधा खड़ा होना और दो सज्दों के दरमियान सीधा बैठना वाजिब है नीज़ इस दौरान कम अज़ कम एक बार سُبْحَانَ اللَّهِ कहने की मिक्दार ठहरना भी वाजिब है। (बहारे शरीअत, 1/518 मुलख़ब़सन, नमाज़ के अहक़ाम, स. 218) ❀ एक रुकन में तीन मरतबा खुजाने से नमाज़ टूट जाती है, या'नी एक बार खुजा कर हाथ हटाया फिर दूसरी बार खुजा कर हटाया अब तीसरी बार जैसे ही खुजाएगा नमाज़ टूट जाएगी और अगर एक बार हाथ रख कर चन्द बार हरकत दी तो एक ही मरतबा खुजाना कहा जाएगा। (बहारे शरीअत, 1/614 मुलख़ब़सन) ❀ इमाम से पहले मुक्तदी का रुकूअ व सुजूद वगैरा में चला जाना या उस से पहले सर उठाना (मक्रूहे तहरीमी है) (बहारे शरीअत, 1/629) ❀ नमाज़ में चेहरा फेर कर इधर उधर देखना मक्रूहे तहरीमी है। जब कि बिगैर चेहरा फेरे बिला हाज़त इधर उधर देखना मक्रूहे तन्ज़ीही है। (बहारे शरीअत, हिस्सा : 3, 1/626 मुलख़ब़सन) (नमाज़ के मसाइल तफ़सीलन सीखने के लिये बहारे शरीअत हिस्सा 3 और “नमाज़ के अहक़ाम” का मुतालआ फ़रमाइये) (माहनामा फ़ैज़ाने मदीना, शा'बानुल मुअज़्ज़म 1439/एप्रिल/मई 2018)

सादगी अपनाइये

अजः शैखे तरीकत, अमीरे अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना मुहम्मद इल्यास अतार कादिरी रज़वी دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَةِ हजरते अल्लामा इब्नुल हाज رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ फ़रमाते हैं : रसूले पाक صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ लिबास के बारे में तकल्लुफ़ न फ़रमाते बल्कि जो आसानी से मुयस्सर होता उसे ही पहन लेते । (112/1) एक बार चटाई पर आराम फ़रमाने के सबब हुजूरे अकरम صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ के जिस्मे मुबारक पर चटाई का असर ज़ाहिर हो गया था । (2384: 167/4: 167: 167) यूँ सीरते मुस्तफ़ा صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ में सादगी का पहलू नुमायां है ।

तेरी सादगी पे लाखों तेरी अज़िज़ी पे लाखों हों सलामे अज़िज़ाना मदनी मदीने वाले

ऐ अशिकाने रसूल ! हमें भी सरकारे मदीना صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ की सीरत पर अमल करते हुए लिबास, खाने पीने और रहन सहन में सादगी अपनानी चाहिये । اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! अशिकाने रसूल की मदनी तहरीक दा'वते इस्लामी नेकी की दा'वत आम करने के लिये कोशिशें कर रही है और मज़हबी तब्के को सादा लिबास में होना चाहिये क्यूं कि लोग जब किसी मज़हबी शख्स को शोख़ लिबास में देखते हैं तो मा'यूब समझते हैं और बातें बनाते हैं कि देखो ! मौलाना हो कर कैसे भड़कीले कपड़े पहने हुए है ! तरह तरह की तराश ख़राश वाले लिबास पहनने वालों को चाहिये कि सादा लिबास अपना लें, सादा लिबास की फ़ज़ीलत बयान करते हुए हमारे प्यारे नबी صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآलِهِ وَسَلَّمَ ने इर्शाद फ़रमाया : जो बा वुजूदे कुदरत अच्छे कपड़े पहनना तवाज़ोअ (अज़िज़ी) के तौर पर छोड़ देगा **अल्लाह** पाक उस को करामत का हुल्ला (या'नी जन्ती लिबास) पहनाएगा । (4778: 326/4: 326: 326) ! اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! दा'वते इस्लामी से पहले भी मेरा लिबास सादा था और मैं दा'वते इस्लामी भी सादगी के साथ ले कर चला, **अल्लाह** की रहमत से कभी टीपटोप का सिल्सिला भी नहीं हुवा मगर जब से दा'वते इस्लामी में मुख़्तलिफ़ रंगों के इमामे और लिबास राइज हुए हैं तो एक ता'दाद ने इमामे उतार कर अपने आप को सुन्नत से महरूम कर लिया है कि इमामा शरीफ़ बांधने की पाबन्दी हट गई है, जब कि इमामा शरीफ़ बांधने की पहले भी कोई सख़्त ताकीद नहीं थी सिर्फ़ तरगीब थी कि इमामा शरीफ़ बांधना सुन्नत है, वोह अब भी सुन्नत है और आइन्दा भी सुन्नत ही रहेगा । इसी तरह लिबास में अफ़ज़ल रंग सफ़ेद है, लेकिन मख़सूस लिबास की वजह से दा'वते इस्लामी का मदनी काम करने में झिजक्ने वालों को क़रीब लाने की हिक़मते अमली की वजह से तन्ज़ीमी तौर पर हलके (Light) रंगीन कपड़े जो उलमा व मशाइख़ और मुहज़ज़ब लोग पहनते हैं इस्ति'माल करने की इजाज़त मिली तो बा'जों ने इसे फ़ेशन का शौक़ पूरा करने के लिये इस्ति'माल किया और तरह तरह की तराश ख़राश वाले, एक से एक चमकीले, भड़कीले और शोख़ रंग पहनने शुरूअ कर दिये जिन की बहारे शरीअत में मज़म्मत मौजूद है, यूँ मुझे अज़िज़त व सदमा पहुंचाया । اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ! मैं सादगी पसन्द करता हूँ और दा'वते इस्लामी में सादगी अपनाने वालों की कमी नहीं, ऐ अशिकाने रसूल ! आप भी सादगी अपना लीजिये और दा'वते इस्लामी के चेनल, घर, दफ़्तर, बाज़ार और दीनी व दुन्यावी महाफ़िल वग़ैरा सब जगह सादगी ही सादगी हो, इस सादगी की बरकत से दा'वते इस्लामी की नेकनामी में इज़ाफ़ा होगा और नेकी की दा'वत का काम मज़ीद बढ़ेगा إِنْ شَاءَ اللهُ ।

मदनी इल्तिजा : लिबास के हवाले से आप किसी इस्लामी भाई पर सख़्ती या तन्ज़ न करें और न ही उस की गीबतों में पड़ें, ऐसा न हो कि आप के रवय्ये की वजह से वोह दा'वते इस्लामी से ही दूर हो जाए बल्कि उसे नरमी के साथ हिक़मते अमली से मेरी येह तहरीर पढ़ा दीजिये ।

(माहनामा फैज़ाने मदीना, शा'बानुल मुअज़्ज़म 1440/एप्रिल 2019)